जैन विश्वभारती संस्थान

लाडनूं - ३४१३०६ (राज.)

दूरस्थ शिक्षा निदेशालय

णाणस्स सारमायारो

वाणिज्य स्नातक-द्वितीय वर्ष

Bachelor of Commerce-Second Year

पंचम पत्र

Paper-V

आयकर

Income Tax And Practices

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

COPYRIGHT
Jain Vishva Bharati Institute, Ladnun

Written By :
Dr. K.K. Gupta (Section-A,B,C,D)
M.Com., M.Phil., Ph.D., AICWA
Lecturer (ABST)
S.K. Govt. P.G. College, Sikar

Edition : 2014

Printed Copies : 100

Published By:Jain Vishva Bharati Institute, Ladnun

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

अनुक्रमणिका (Contents)

खण्ड–अ	आय, परिभाषा, कर मुक्त आय, वेतन से आय की गणना, मकान सम्पत्ति से आय की गणना	01–136
खण्ड–ब	व्यापार एवं पेशे से लाभ की गणना, पूंजी लाभ, अन्य साधनों से आय, हानियों की पूर्ति और आगे ले जाना	137–320
खण्ड–स	सकल कुल आय की गणना, व्यष्टि हिन्दू अविभाजित परिवार, फर्म और कम्पनी की कुल आय की गणना	321–430
खण्ड–द	अग्रिम भुगतान कर, उद्गम स्थान पर कर की कटौती, आयकर अधिकारी एवं प्रशासन अधिनियम	431–498

खण्ड (Section) : A
इकाई (Unit) : 1
परिचय एवं परिभाषाएँ
(Introduction and Definitions)

1.1 कर का अर्थ एवं प्रकार (Meaning and Types of Taxes)

सरकार द्वारा किसी वस्तु, आय या क्रिया पर वसूल किया जाने वाला शुल्क कर कहलाता है। सरकार द्वारा किये जाने वाले व्ययों की पूर्ति हेतु कर लगाये जाते है।

करों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है –

(i) प्रत्यक्ष कर तथा

(ii) अप्रत्यक्ष कर।

प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) –

जिस कर का भार उसी व्यक्ति द्वारा वहन किया जाता है जिस पर यह लगाया जाता है, प्रत्यक्ष कर कहलाता है। प्रत्यक्ष कर का कराघात (Incidence of Tax) एवं करापात (Impact of Tax) एक ही व्यक्ति पर होता है। कर का भुगतान करने वाला व्यक्ति ऐसे कर को दूसरे पर हस्तान्तरित करने का विकल्प नहीं रखता है। प्रत्यक्ष करों की श्रेणी में मुख्यतः आयकर, निगम कर, धनकर आते हैं।

अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) –

अप्रत्यक्ष कर से आशय ऐसे कर से होता है जिसका कराघात एवं करापात अलग–अलग व्यक्तियों पर होता है। अप्रत्यक्ष करों का भुगतान करने वाला ऐसे करों का भार दूसरे पर हस्तान्तरित करने का विकल्प रखता है। बिक्री कर (Sales Tax), उत्पादन कर (Excise Duty), सीमा शुल्क (Custom Duty), सेवा कर (Service Tax), चुंगी (Octroi) आदि अप्रत्यक्ष करों के उदाहरण हैं।

1.2 आयकर का परिचय (Introduction of Income Tax)

आयकर एक वार्षिक कर होता है जो प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष में निर्धारित दरों से गत वर्ष की कुल आय पर लगाया जाता है। यह कर प्रत्येक ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसकी गत वर्ष (वित्तीय वर्ष) की कर योग्य आय न्यूनतम कर योग्य सीमा से अधिक हो, कर की निर्धारित दरों से केन्द्रीय सरकार को चुकाना होता है। केन्द्रीय सरकार आयकर की राशि को केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकारों में बांट देती है। आयकर पर अधिभार (Surcharge) की राषि राज्य सरकारों में नहीं बांटी जाती है वरन् इस राशि पर केन्द्रीय सरकार का ही अधिकार रहता है।

1.3 भारत में आयकर का संक्षिप्त इतिहास (Brief History of Income Tax in India) :

भारत में प्रथम बार आयकर सन् 1860 ई. में सर जेम्स विलसन (Sir James Wilson) द्वारा लगाया गया था। सन् 1886 ई. में प्रथम भारतीय आयकर अधिनियम पारित हुआ जो 1917 तक यथावत लागू रहा। सन् 1918 ई. में एक नया आयकर अधिनियम बनाया गया जिसमें यह व्यवस्था थी कि चालू वर्ष की आय पर उसी वर्ष में कर निर्धारण किया जायेगा। यह व्यवस्था आयकर अधिनियम 1922 के द्वारा बदल दी गई और इस नये अधिनियम में यह व्यवस्था की गयी कि आयकर गत वर्ष की आय पर चालू वर्ष (कर निर्धारण वर्ष) में लगाया जावेगा। सन् 1922 ई. के इस अधिनियम में समय–समय पर संषोधन होते रहे और सन् 1961 ई. में नया आयकर अधिनियम पारित हुआ। यह अधिनियम (आयकर अधिनियम 1961) 1.4.1962 से जम्मू व कश्मीर सहित सम्पूर्ण भारत में लागू हुआ। इस अधिनियम के प्रावधान 1.4.1990 से सिक्किम में भी लागू हो गये।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

1.4 आयकर कानून के संघटक (Components of Income Tax) :

आयकर सम्बन्धी व्यवस्थाओं को समझने के लिए निम्नांकित कानूनों की जानकारी आवश्यक है–

1. पूर्णतया संशोधित आयकर अधिनियम 1961;
2. पूर्णतया संशोधित आयकर नियम 1962;
3. प्रत्येक वर्ष पारित किया गया वित्त अधिनियम;
4. समय–समय पर जारी की गई अधिसूचनाएँ;
5. केन्द्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड द्वारा समय–समय पर जारी किये गये परिपत्र एवं स्पष्टीकरण तथा
6. न्यायिक निर्णय।

1. आयकर अधिनियम 1961 (Income Tax Act 1961) –

यह अधिनियम 1 अप्रैल, 1962 से सम्पूर्ण भारत में लागू हुआ, जिसमें कर योग्य आय व उस पर कर के निर्धारण से सम्बन्धित प्रावधान, कर निर्धारण प्रक्रिया, अपील, शासित अपराध एवं अभियोजन के सम्बन्ध में प्रावधान दिये हुये हैं। इस अधिनियम में वार्षिक केन्द्रीय बजट तथा विभिन्न संशोधनों के द्वारा संशोधित प्रावधानों का समावेश किया जाता है। वर्तमान में इस अधिनियम में 298 धाराएँ तथा 14 अनुसूचियाँ (Schedules) हैं।

2. आयकर नियम 1962 (Income Tax Rules 1962) –

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा आयकर अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आयकर नियम 1962 बनाये गये हैं। बोर्ड द्वारा समय–समय पर नियमों में संसद की सहमति से संशोधन किया जाता है।

3. वित्त अधिनियम (Finance Act) –

केन्द्रीय वित्त मंत्री करों में परिवर्तन के प्रस्ताव वित्त विधेयक (Finance Bill) के माध्यम से संसद के सम्मुख प्रस्तुत करता है। विधेयक को संसद द्वारा पारित करने तथा राष्ट्रपति द्वारा इस पर सहमति दिये जाने पर यह अधिनियम बन जाता है। इस अधिनियम की प्रथम अनुसूची में आयकर की दरों के सम्बन्ध में चार भाग दिये हुये होते हैं–

भाग I : इस भाग में चालू कर निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में आयकर की दरें दी हुई होती हैं। वित्त अधिनियम 2010 में कर निर्धारण वर्ष 2010–11 के सम्बन्ध में लागू दरें दी हुई हैं।

भाग II : इस भाग में चालू वित्तीय वर्ष में कमाई गई आयों पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती की दरें दी हुई होती है। जैसे– वित्त अधिनियम 2010 में वित्तीय वर्ष 2010–11 में कमाई जाने वाली आयों पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती की दरें दी हुई हैं।

भाग III : इस भाग में वेतन शीर्षक में कर योग्य आयों पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती करने के लिए दरें दी हुई होती हैं। वित्त अधिनियम 2010 में वित्तीय वर्ष 2010–11 से सम्बन्धित उद्गम स्थान पर कर की कटौती की दरें दी हुई हैं।

भाग IV : इस भाग में शुद्व कृषि आय की गणना करने के सम्बन्ध में नियम दिये हुये होते हैं।

सामान्यत : भाग II तथा भाग III की दरें ही अगले वित्त अधिनियम में भाग–I की दरों के रूप में शामिल की जाती हैं।

यदि वित्त अधिनियम निर्धारित समय पर पारित नहीं हो पाता है तो पिछले वर्ष की दरें अथवा प्रस्तावित वित्त विधेयक (Finance Bill) की दरें, जो भी करदाता के पक्ष में हो, कर निर्धारण के लिए लागू होती हैं।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

कर निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए वित्त अधिनियम 2010 तथा पूर्व के वित्त अधिनियमों के प्रावधान लागू होंगे।

4. अधिसूचनाएँ (Notifications) –

केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचनाओं की भी जानकारी करना आवश्यक है।

5. परिपत्र एवं स्पष्टीकरण (Circulars and Clarifications) –

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा विभागीय अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश एवं अनुदेश परिपत्रों के माध्यम से जारी किये जाते हैं, जिनकी जानकारी भी आवश्यक है।

6. न्यायिक निर्णय (Judical decisions) –

उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये विभिन्न निर्णय आयकर के प्रावधानों की सही व्याख्या करने में सहायक होते हैं। अतः ऐसे निर्णयों की जानकारी भी आवश्यक है।

महत्वपूर्ण परिभाषाएँ

(Important Definitions)

1. आय (Income) [धारा 2(24)]

आयकर अधिनियम की धारा 2(24) के अनुसार आय में निम्नांकित मदें सम्मिलित होती हैं :

(i) लाभ तथा अधिलाभ (Profits and Gains)।

(ii) लाभांश।

(iii) पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से पुण्यार्थ अथवा धार्मिक उद्देष्यों के लिये स्थापित प्रन्यास या संस्था, वैज्ञानिक शोध संगठन, खेल–कूद संघ या संस्था, विष्वविद्यालय अथवा अन्य शिक्षण संस्था चिकित्सालय अथवा अन्य चिकित्सा संस्था अथवा निर्वाचन प्रन्यास द्वारा प्राप्त ऐच्छिक चन्दे।

(iv) धारा 17(2) तथा (3) में वर्णित अनुलाभ (Perquisites) अथवा वेतन के बदले मिले हुए लाभ (Profits in lieu of salary)।

(v) कोई विशेष भत्ता अथवा लाभ जो उपर्युक्त (iv) में वर्णित अनुलाभों के अतिरिक्त, जो करदाता को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए पूर्णतया, अनिवार्यतया तथा विशिष्टतया किये गये व्ययों की पूर्ति के लिए विशेष रूप से स्वीकार किये गये हों।

(vi) करदाता को स्वीकृत भत्ता जो उसे अपने कर्त्तव्यों का साधारणतया पालन करने के स्थान पर अथवा उस स्थान पर जहॉ वह सामान्यतः रहता है; अपने निजी व्ययों की पूर्ति के लिए हो अथवा जीवन–निर्वाह की बढी हुई लागत की पूर्ति के लिए हों, जैसे– नगर क्षतिपूर्ति भत्ता।

(vii) किसी कम्पनी के संचालक द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति जिसका कम्पनी में सारवान हित हो अथवा संचालक या ऐसे व्यक्ति के रिश्तेदार द्वारा कम्पनी से प्राप्त किये हुए लाभ या अनुलाभ का मूल्य तथा कम्पनी के द्वारा उक्त लोगों की तरफ से किये गये ऐसे दायित्वों का भुगतान जो यदि कम्पनी नहीं करती तो इन लोगों को करना पड़ता।

(viii) प्रतिनिधि करदाता या लाभ प्राप्तकर्ता को प्राप्त किसी सुविधा या लाभ का मूल्य। लेकिन प्रतिनिधि करदाता द्वारा भुगतान की गई कोई राशि जो लाभ प्राप्तकर्ता के लाभ के लिए की गई हो अथवा जिसका भुगतान साधारणतया लाभ प्राप्तकर्ता को करना होता, यह लाभ प्राप्तकर्ता की आय होगी।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(ix) वह धन जो धारा 28 (ii), धारा 28 (iii), धारा 41 तथा धारा 59 के अनुसार 'व्यापार अथवा पेशे के लाभ' शीर्षक की आय में कर–योग्य है, इनमें निम्न सम्मिलित हैं–

(अ) क्षतिपूर्ति की प्राप्य या प्राप्त राशि,

(ब) व्यापार या पेशे की आय जो व्यापार संघ द्वारा अपने सदस्यों के लिए कोई विशेष सेवा करने से प्राप्त हो,

(स) गत वर्ष में प्राप्त ऐसी कोई राशि जिसके सम्बन्ध में करदाता को व्यय के रूप में गत वर्ष से पूर्व किसी वर्ष में कटौती स्वीकृत कर दी गई हो, जैसे डूबत–ऋण जो अपलिखित कर दिया गया हो तथा जो बाद में किसी वर्ष में प्राप्त हो जाये।

(x) धारा 28 (v) के अन्तर्गत, फर्म से उसके साझेदार को प्राप्त ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन अथवा अन्य पारिश्रमिक, जिस सीमा तक फर्म की आय में से घटाया गया हो।

(xi) आयात नियंत्रण आदेश 1955 के अन्तर्गत प्राप्त लाइसेंस को बेचने से लाभ।

(xii) भारत सरकार की किसी योजना के अन्तर्गत निर्यात के लिए किसी व्यक्ति को प्राप्त अनुदान।

(xiii) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय आबकारी शुल्क वापसी नियम 1971 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को निर्यात के सम्बन्ध में सीमा शुल्क या आबकारी शुल्क की वापसी की राशि।

(xiv) ऐसे किसी लाभ या अनुलाभ का मूल्य जो व्यापार या पेशा करने के कारण प्राप्त हुआ हैं।

(xv) पूँजी लाभ जो धारा 45 के अनुसार कर–योग्य हैं।

(xvi) एक पारस्परिक बीमा कम्पनी या सहकारी समिति के बीमा व्यवसाय के लाभ जिनकी गणना धारा 44 के अनुसार की गई हो।

(xvii) लाटरी, वर्ग पहेली, धुड़दौड़ आदि के ईनाम, ताष के खेल या अन्य खेलों में जीती हुई राशि या शर्त आदि से आय। ऐसी आय को सामान्य भाषा में आकस्मिक आय Casual Income) कहा जाता हैं।

(xviii) भविष्य निधि अथवा सुपरएनुएशन फण्ड अथवा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत स्थापित किसी फण्ड अथवा कर्मचारी कल्याण के लिए स्थापित किसी फण्ड में कर्मचारियों का अंशदान नियोक्ता की आय होगी।

(xix) महत्वपूर्ण व्यक्ति बीमा पॉलिसी (Keyman Insurance Policy) के अन्तर्गत प्राप्त कोई राशि (बोनस सहित)।

(xx) धारा 28 (va) के अन्तर्गत किसी ऐसे अनुबन्ध के अन्तर्गत प्राप्त अथवा प्राप्य कोई राशि जो किसी व्यवसाय से सम्बन्धित कोई भी क्रिया के संचालन न करने के सम्बन्ध में हो तथा किसी भी तकनीकी जानकारी पेटेण्ट, कॉपीराइट, ट्रेड मार्क लाइसेंस, फ्रेन्चाइज अथवा इसी प्रकार की अन्य सूचनाओं के आदान प्रदान करने में भागीदार न बनने के सम्बन्ध में हो।

(xxi) धारा 52 (2) (vii) में वर्णित व्यक्तिगत उपहारों की राशि बशर्ते यह 50,000 रु. से अधिक हो।

(xxii) सहकारी समिति द्वारा अपने सदस्यों के साथ संचालित बैंकिंग के किसी भी व्यवसाय के लाभ।

आय से आशय (Meaning of Income)–

आय की उपर्युक्त परिभाषा अपूर्ण तथा अस्पष्ट है। वास्तव में 'आय' शब्द का तात्पर्य उस मौद्रिक आय से है जो कुछ नियमितता अथवा सम्भावित नियमितता के साथ निश्चित साधनों से प्राप्त होती है। ये निश्चित साधन वेतन, मकान–सम्पति की आय, व्यापार या पेशे के लाभ, पूँजी लाभ तथा अन्य साधनों से आय हैं। यदि प्राप्ति का उपर्युक्त साधन में से कोई साधन नहीं है तो वह प्राप्ति इस अधिनियम के अनुसार कर–योग्य आय नहीं कही जा सकती है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

आय से सम्बधित कुछ महत्वपूर्ण नियम इस प्रकार हैं–

(i) यदि कोई प्राप्ति आय के किसी भी शीर्षक में नहीं आती हो तो ऐसी प्राप्ति आय नहीं मानी जा सकती है।

(ii) आय का कोई विशिष्ट स्त्रोत होना चाहिए।

(iii) कोई आय चाहे कानूनी तरीके से कमाई गयी हो, या गैर–कानूनी तरीके से, दोनों ही आय–कर की दृष्टि से आय होती हैं।

(iv) आय की प्राप्ति किस्तों में (नियमित रूप से) में भी हो सकती है या एक मुश्त भी। आय में नियमितता का होना आवश्यक नहीं है। आकस्मिक प्राप्तियों को भी आय माना जाता है।

(v) आय बाहर से प्राप्त होनी चाहिए– कोई व्यक्ति स्वयं से कोई आय प्राप्त नहीं कर सकता है। यदि किसी संस्था को अपने सदस्यों से प्राप्त चन्दे की आय उसके द्वारा अपने सदस्यों पर किये गये व्यय से अधिक है तो यह आधिक्य कर–योग्य आय नहीं कहा जा सकता है।

(vi) यह आवश्यक नहीं है कि आय मुद्रा के रूप में ही प्राप्त हो। मुद्रा तुल्य वस्तु या सेवा के रूप में प्राप्ति भी आय हो सकती है यदि उसका मापन मुद्रा मे किया जा सकता है।

(vii) कोई प्राप्ति आय है या नहीं, यह उसी समय निश्चित हो जाती है जब वह सर्वप्रथम प्राप्त होती है।

(viii) कमाई गई आय तथा प्राप्त की गई आय, दोनों ही कर–योग्य होती हैं। आय प्राप्ति का अधिकार मिलते ही ऐसी आय उपार्जित आधार पर कर–योग्य होगी, चाहे ऐसी आय बाद में प्राप्त हुई हो। जैसे–एक सरकारी महाविद्यालय के प्राध्यापकों को फरवरी, 2010 का वेतन अप्रेल 2010 में चुकाया गया। प्राध्यापकों के लिए फरवरी 2010 का वेतन कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 में देय आधार पर कर–योग्य होगा।

(ix) खर्चे से मुक्ति अथवा खर्चों की क्षतिपूर्ति आय नहीं मानी जाती है। यदि कोई प्रबन्धक अपना कमीशन कम्पनी के पास छोड़ देता है तो यह कम्पनी की आय नहीं मानी जायेगी। वास्तविक यात्रा व्यय की क्षतिपूर्ति भी आय नहीं मानी जायेगी।

(x) जब किसी आय के स्वामित्व के सम्बन्ध में विवाद हो तो ऐसी विवादास्पद आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति की आय मानी जायेगी और उसके लिए कर–योग्य होगी।

(xi) व्यक्तिगत उपहार, भेंट आदि आय नहीं मानी जाती हैं।

(xii) धर्मादा, गऊशाला आदि के सम्बन्ध में प्राप्तियाँ आय नहीं मानी जाती हैं।

(xiii) बचत आय नहीं होती है। पति द्वारा पत्नी को घर खर्च हेतु दी गई धन राशि में से पत्नी कुछ बचत कर लेती है तो यह पत्नी की आय नहीं मानी जायेगी।

(xiv) **मुद्रा के अवमूल्यन से आय–** यदि किसी करदाता को मुद्रा के अवमूल्यन से कोई अतिरिक्त आय होती है तो वह उसकी कर–योग्य आय मानी जायेगी।

(xv) **'आय का प्रयोग' (Application of Income)** 'आय' मानी जाती है जबकि आय को मोड़ (Diversion of Income) आय नहीं मानी जाती है।

उदाहरणार्थ :

श्री राम की आय में से न्यायालय द्वारा 1500 रु. प्रति माह उनकी दादी को चुकाने का आदेश दिया गया। यह दायित्व श्री राम द्वारा स्वेच्छा से उत्पन्न किया हुआ नहीं है अपितु कानूनी रूप से उत्पन्न दायित्व है। अतः उनके द्वारा किया गया 18,000 रुपये वार्षिक का भुगतान उनकी आय का मोड़ माना जायेगा। इसके विपरीत यह प्रभार यदि श्री राम द्वारा स्वेच्छा स स्वीकार किया गया हो तो 18,000 रु. वार्षिक का ऐसा भुगतान उनके द्वारा 'आय का प्रयोग' माना जायेगा तथा उनकी कर योग्य आय में सम्मिलित किया जायेगा।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

किसी व्यक्ति को कोई आय किसी दूसरे व्यक्ति को देने के लिए प्राप्त होती है तो ऐसी आय के हस्तान्तरण को आय का मोड़ कहते हैं तथा यह आय के हस्तान्तरणकर्ता के लिए कर योग्य नहीं होती है। परन्तु यदि किसी व्यक्ति को आय स्वयं के लिए प्राप्त होती है और वह इसे स्वेच्छा से दूसरे व्यक्ति को हस्तान्तरित कर देता है तो आय के हस्तान्तरण को 'आय का प्रयोग' कहा जाता है तथा ऐसी आय हस्तान्तरणकर्ता के लिए कर–योग्य होती है।

(xv) आय का स्त्रोत निश्चित एवं स्पष्ट होना चाहिए। यदि कोई आय पेड़ से गिरे हुए फल की भॉति अप्रत्याशित रूप से प्राप्त हुई हो, तो उसे आय कर के दृष्टिकोण से आय नहीं माना जायेगा। जैसे– छुपा हुआ खजाना मिलना।

आय की उपर्युक्त परिभाषा में वर्णित विशेष शब्दों का अर्थ निम्न प्रकार से है :

(अ) पुण्यार्थ उद्देश्य (Charitable Purpose) [धारा 2(15)]

पुण्यार्थ उद्देश्यों में गरीबों की सहायता, शिक्षा, स्वास्थ्य सुधार, पर्यावरण की सुरक्षा एवं पौराणिक, कलात्मक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थान एवं वस्तुऍ तथा सामान्य जनता की भलाई के अन्य किसी उद्देश्य को अग्रसर करना (Advancement) सम्मिलित हैं।

परन्तु सामान्य जनता की भलाई के अन्य किसी उद्देश्य को अग्रसर करना पुण्यार्थ उद्देश्य नहीं होगा यदि इसमें फीस, उपकर या अन्य किसी प्रतिफल के बदले संचालित की गई व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की प्रकृति की कोई गतिविधि शामिल हो अथवा व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय के सम्बन्ध में सेवा प्रदान करने वाली कोई गतिविधि शामिल हो। ऐसी गतिविधि से प्राप्त होने वाली आय के उपयोग करने, नियोजन करने अथवा रोकने का कोई महत्व नहीं होगा। यदि गतवर्ष में ऐसी गतिविधियों से होने वाली प्राप्तियों का योग 10 लाख रूपये अथवा कम हो तो उपर्युक्त शर्तें लागू नहीं होगी।

(ब) व्यक्ति जिसका कम्पनी में समुचित या सारवान हित हो–

एक कम्पनी के सम्बन्ध में समुचित हित रखने वाले व्यक्ति से आशय उस व्यक्ति से है जो कम्पनी के उन अंशों का मालिक है, जिन पर लाभांश की एक निश्चित दर नहीं है तथा जो कम्पनी के कुल मतों के 20% या अधिक पर अधिकार रखता है।

(स) सम्बन्धी – एक व्यक्ति के लिये सम्बन्धी से आशय उसके पति या पत्नी, भाई या बहन या अन्य किसी वंशज (Lineal ascendant or descendant) से है। वंशज में माता–पिता, दादा–दादी, पुत्र–पुत्री आदि आते हैं।

2. व्यक्ति (Person) [धारा 2(31)]-

आयकर अधिनियम की धारा 2(31) के अनुसार व्यक्ति में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है

(i) व्यष्टि (Individual) : पुरूष, महिला, अवयस्क बच्चा तथा पागल आदि सभी को व्यष्टि माना जाता है;

(ii) हिन्दू अविभाजित परिवार (Hindu Undivided Family) : एक ही पूर्वज के वंशज पैतृक सम्पति से परिवार का निर्माण कर सकते हैं,

(iii) कम्पनी (Company) ;

(iv) फर्म (Firm) : साझेदारी फर्म चाहे पंजीयत हो या अपंजीयत हो :

(v) व्यक्तियों का समुदाय (Association of Persons) या व्यक्तियों का संघ (Body of Individuals), जो समामेलित हो या न हो जैसे–सहकारी समिति, क्लब आदि।

(vi) स्थानीय सत्ता (Local Authority) : नगरपालिका, नगर परिषद, जिला परिषद, महानगर निगम, पोर्ट ट्रस्ट आदि।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(vii) प्रत्येक कृत्रिम कानूनी व्यक्ति जो उपर्युक्त किसी श्रेणी में शामिल न किया जा सके जैसे–वैधानिक निगम, किसी मन्दिर की मूर्ति अथवा देवी आदि। जैसे–राजस्थान विश्वविद्यालय

स्पष्टीकरण–

'व्यक्तियों के समुदाय' या 'व्यक्तियों के संघ' अथवा 'स्थानीय सत्ता' या 'एक कृत्रिम कानूनी यक्ति' को व्यक्ति (Person) माना जावेगा चाहे उनका उद्देश्य लाभ या आय कमाना हो या न हो।

3. करदाता (Assessee) :[धारा 2(7)]-

धारा 2(7) के अनुसार करदाता से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो–

(i) इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई कर या अन्य कोई राशि (ब्याज, अर्थदण्ड आदि) देने के लिए उतरदायी हो; या

(ii) उस व्यक्ति पर उसके स्वयं या अन्य व्यक्ति की आय या हानि के निर्धारण या कर की वापसी के लिए कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी हो; या

(iii) उसको इस अधिनियम के अन्तर्गत 'माना हुआ करदाता' (Deemed Assessee) या चूक में करदाता (Assessee in Default) मान लिया गया हो।

माना हुआ करदाता (Deemed Assessee) :

जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी दूसरे के सम्बन्ध में करदाता माना जाता है तो उसे 'माना हुआ करदाता' कहते हैं। जैसे–(i) मृतक व्यक्ति का कानूनी उतराधिकारी मृतक व्यक्ति द्वारा देय कर के लिए 'माना हुआ करदाता' होता है। (ii) किसी विदेशी, अवयस्क या पागल की आय के सम्बन्ध में उसके प्रतिनिधि या अभिभावक या प्रबन्धक को माना हुआ करदाता कहा जाता है।

चूक में करदाता (Assessee in Default) :

जब कोई व्यक्ति आयकर अधिनियम के अन्तर्गत किसी कार्य को करने के लिए उत्तरदायी हो और वह अपना कार्य न करता हो तो ऐसा व्यक्ति 'चूक में करदाता' कहलाता हैं। जैसे–उद्गम स्थान पर कर काटने के लिए उतरदायी व्यक्ति द्वारा कर न काटा जावे या कम कर काटा जावे या सरकारी कोष में काटा हुआ कर जमा न करवाया जावे तो ऐसा व्यक्ति 'चूक में करदाता' कहलाता है।

4. गत वर्ष (Previous Year) [धारा 3]-

आयकर अधिनियम के उद्देश्य से कर–निर्धारण वर्ष के तुरन्त पूर्व वाला वित्तीय वर्ष (Financial Year) गत वर्ष कहलाता है। गत वर्ष 2009–10 की अवधि 1 अप्रेल 2009 से 31 मार्च, 2010 तक की है। नवस्थापित व्यापार अथवा पेशे अथवा आय के किसी अन्य स्त्रोत के मामले में गत वर्ष उसकी स्थापना की तिथि से प्रारम्भ होता है तथा उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अर्थात 31 मार्च को समाप्त हुआ माना जाता है चाहे यह अवधि 12 माह से कम ही क्यों न हो। अतः नवस्थापित व्यवसाय या पेशे की दशा में प्रथम गत वर्ष 12 माह अथवा उससे कम अवधि का हो सकता है परन्तु इसकी अवधि 12 माह से अधिक नहीं हो सकती है। जैसे 1 मई, 2009 को प्रारम्भ हुए व्यापार के लिए पहला गत वर्ष 31 मार्च, 2010 को समाप्त 10 माह की अवधि का होगा। आगे के वर्षो में उसके गत वर्ष की अवधि 12 माह की ही होगी।

5. कर–निर्धारण वर्ष (Assessment Year) [धारा 2(9)]-

प्रत्येक वर्ष 1 अप्रेल से प्रारम्भ 12 माह की अवधि कर–निर्धारण वर्ष कहलाती है।

कर–निर्धारण वर्ष में गत वर्ष की कुल आय पर कर लगाने सम्बन्धी कर्यवाही की जाती है। गत वर्ष 2009–10 की कुल आय पर कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 में कर निर्धारण की कार्यवाही की जाती है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

चालू वर्ष की आय पर कर लगाना (Taxation on Income of current Year)

सामान्य नियम के अनुसार, कर–निर्धारण वर्ष' में करदाता की 'गत वर्ष की कुल आय पर' आयकर लगाया जाता है तथा चालू वित्तीय वर्ष (गत वर्ष) में चुकाया गया कर अग्रिम कर, माना जाता है।

नियम के अपवाद–

निम्नांकित ऐसी परिस्थितियॉं है जिनमें करदाता पर चालू वर्ष की कुल आय पर आय कमाने वाले वर्ष में ही कर लगाया जाता है अर्थात चालू गत वर्ष में ही कर निर्धारण कर दिया जाता है–

(i) अनिवासियों की समुद्री जहाज द्वारा व्यापार से आय– ऐसे अनिवासी व्यक्तियों को जिसका भारत में कोई प्रतिनिधि न हो, भारतीय बन्दरगाहों से सामान, डाक, पशु तथा यात्रियों को ले जाने के सम्बन्ध में प्राप्त या प्राप्य किराये व अन्य प्राप्तियों का 7.5% भाग कर–योग्य आय माना जाता है और इस कर–योग्य आय पर चालू गत वर्ष में ही बन्दरगाह छोड़ने से पूर्व आयकर चुकाना होता है। ऐसी राशि में करदाता के व्ययों को नहीं घटाया जाता है। (धारा 172)

(ii) वापस न लौटने के इरादे से भारत छोड़कर जाने वाले व्यक्ति को जाने की तिथि तक की कमाई गयी आय पर चालू गत वर्ष में ही कर चुकाना होता है। (धारा 174)

(iii) किसी विशिष्ट घटना या उद्देश्य के लिये बनाये गये व्यक्तियों के संघ, व्यक्तियों के समूह अथवा कष्त्रिम न्यायिक व्यक्ति का कर–निर्धारण– यदि कोई व्यक्तियों का संघ अथवा व्यष्टियों का समूह अथवा कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति किसी विशिष्ट घटना या उद्देश्य के लिये बनाया गया है तथा चालू कर–निर्धारण वर्ष में अथवा इसकी समाप्ति के तुरन्त बाद इसका विघटन कर दिया जायेगा तो कर निर्धारण अधिकारी ऐसे व्यक्ति की उस कर– निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित गत वर्ष की समाप्ति के बाद से विघटन की तिथि तक की कुल आय पर उसी वर्ष में कर– निर्धारण कर देगा। (धारा 174(अ))

(iv) कर–वंचना के उद्देश्य से सम्पति का हस्तान्तरण : – यदि कर–निर्धारण अधिकारी यह समझता है कि कोई व्यक्ति अपनी सम्पति का हस्तान्तरण कर बचाने के उद्देश्य से किसी दूसरे व्यक्ति को करने वाला है तो कर–निर्धारण अधिकारी उसी समय कर–निर्धारण करके कर वसूल कर सकता है। (धारा 175)

(v) व्यापार या पेशे के बन्द होने पर : –किसी व्यापार या पेशे के बन्द होने की तिथि तक के लाभों पर उसी वर्ष में कर–निर्धारण करके कर वसूल किया जा सकता है। (धारा 176)

स्पष्टीकरण –

उपर्युक्त प्रथम चार दशाओं में निर्धारण–अधिकारी को अनिवार्य रूप से चालू वर्ष में ही कर–निर्धारण करना होगा जबकि पंचम् दशा में वह कर–निर्धारण की कार्यवाही को कर–निर्धारण वर्ष तक स्थगित कर सकता है।

उदाहरण (Illustration) 1.1

श्री राम ने एक नया व्यवसाय 15 जनवरी, 2010 को स्थापित किया। कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 तथा 2011–12 के लिए गत वर्ष की अवधि क्या होगी ?

Sri Ram sets-up a new business on January 15, 2010. What will be the period of previous years for the assessment years 2010-11 and 2011-12 ?

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

हल (Solution) :

कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 तथा 2011–12 के लिए गत वर्ष की अवधि निम्न प्रकार होगी–

कर–निर्धारण वर्ष	गत वर्ष
2010–11 2011–12	15 जनवरी, 2010 से 31 मार्च, 20101 अप्रेल, 2010 से 31 मार्च, 2010

आयकर लगाने का आधार (Basis of Chargeability of Tax) –

एक करदाता को अपनी गत वर्ष की कुल आय पर कर–निर्धारण वर्ष में आयकर देना होता है, यदि उसकी कुल आय निर्धारित न्यूनतम कर योग्य सीमा से अधिक हो। करदाता की निवासीय स्थिति (साधारण निवासी, असाधारण निवासी या अनिवासी) के आधार पर आय को अग्रांकित पॉच शीर्षकों में वर्गीकृत किया जाता है :

1. वेतन से आय (Income from salaries) ;
2. मकान सम्पति से आय (Income from house property) ;
3. व्यवसाय अथवा पेशे के लाभ (Profits of business or profession) ;
4. पूॅजी लाभ (Capital gains) तथा
5. अन्य साधनों से आय (Income from other sources) |

6. कर योग्य आय (Taxable Income) –

प्रत्येक शीर्षक की आय जो उस शीर्षक की स्वीकृत कटौतियॉ घटाने के बाद ज्ञात की गयी हो, कर योग्य आय कहलाती है। कर–योग्य आय, 'आय के प्रत्येक शीर्षक' की ज्ञात की जाती है।

7. सकल कुल आय (Gross Total Income) –

सभी शीर्षक की कर योग्य आय के योग को सकल कुल आय कहते हैं। सकल कुल आय ज्ञात करने के लिए हानियों की पूर्ति सम्बन्धी समायोजन कर दिया जाता है परन्तु धारा 80C से धारा 80U तक की कटौतियां नहीं घटायी जाती है।

8. कुल आय (Total Income) [धारा 2(45)]–

सकल कुल आय में से धारा 80 में वर्णित स्वीकृत कटौतियॉ घटाने के बाद जो राशि बचती है उसे कुल आय कहते हैं। कुल आय को निकटतम दहाई अंक में बदला जाता है अर्थात् 5 रु. से कम को छोड़ दिया जाता है तथा 5 रुपये या अधिक को अगले दहाई अंक में बदल दिया जाता है। आयकर अधिनियम की धारा 2(45) के अनुसार कुल आय का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 5 में वर्णित आयों की कुल राशि से है, जिनकी गणना इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की गई हो। धारा 5 के प्रावधान अगली इकाई में दिये गये हैं।

9. सम्बन्धी (Relative) [धारा 2(41)]–

किसी व्यष्टि के सम्बन्ध में सम्बन्धी अथवा रिश्तेदार का आशय उसके पति या पत्नी, भाई या बहिन अथवा उस व्यष्टि के अन्य किसी रेखीय पूर्वज या वंशज (Lineal ascendant or descendant) से है। पूर्वज या वंशज में माता, पिता, दादा, दादी, पुत्र, पुत्री, पौत्र, पौत्री आदि सम्मिलित होते हैं।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

10. कृषि आय (Agricultural Income) [धारा 2(1A)]–

भारत में स्थित भूमि से कृषि आय केन्द्रीय आयकर से मुक्त होती है एवं इसे करदाता की कुल आय में भी सम्मिलित नहीं किया जाता है। वित अधिनियम, 1973 के अनुसार व्यष्टि एवं हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा देय कर की गणना करते समय कुल आय में 'शुद्व कृषि आय' को जोड़कर एक विशेष ढंग से आयकर की गणना की जाती है जिसका विस्तृत विवरण 'व्यष्टियों का कर निर्धारण' वाले अध्याय में किया गया है। कृषि आय के अन्तर्गत भारत में स्थित भूमि से प्राप्त होने वाला किराया, लगान तथा अन्य आयें जो कृषि कार्यों से उत्पन्न होती है, सम्मिलित की जाती हैं। कृषि भूमि के हस्तांतरण से होने वाला पूँजी लाभ कृषि आय नहीं माना जाता है। कृषि आय की परिभाषा आयकर अधिनियम की धारा 2(1A) में दी हुई है।

कृषि आय से तात्पर्य निम्न प्रकार की आयों से है :

(1) भारत में स्थित ऐसी भूमि से प्राप्त किराया या लगान जिसका प्रयोग कृषि कार्यों में किया जाता है। [धारा 2(1A)(a)]

(2) कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि से प्राप्त आय जो कृषि कार्य करने से हुई हो [धारा 2(1A)(b)]

(3) अपनी कृषि उपज को विक्रय योग्य बनाने वाली क्रियाओं से आय। ऐसी क्रियाओं के पश्चात् उस फसल के विक्रय मूल्य में जो वृद्धि होती है उसे भी कृषि आय माना जाता है। **जैसे**– तम्बाकू को विक्रय–योग्य बनाने तथा जूट के पौधे से रेशा निकालने से सम्बन्धित क्रियाओं से हुई अतिरिक्त आय भी कृषि आय कहलाती है, बशर्ते तम्बाकू या जूट का उत्पादन स्वयं की कृषि भूमि पर हुआ हो। यदि दूसरे की कृषि भूमि के उत्पाद को विक्रय–योग्य बनाने के लिए कोई क्रियाएॅ की जाती हैं तो इन क्रियाओं से होने वाली आय कृषि आय नहीं मानी जायेगी।

(4) कृषि कार्यों से उत्पन्न उप–पदार्थों से होने वाली आय भी कृषि आय मानी जाती है, जैसे–कृषि कार्यों के लिए रखे गये पशुओं से प्राप्त दूध, धी आदि से आय।

(5) कृषि भूमि से लगे हुए मकान की आय : वह मकान जो कृषि भूमि पर बना हुआ हो या कृषि भूमि के साथ लगा हुआ हो तथा जिसका प्रयोग कृषक द्वारा या भूमि के स्वामी द्वारा अपने रहने के लिए अथवा भण्डार घर के रूप में अथवा बाहरी मकान के रूप में किया जाता हो। ऐसे मकान की आय को कृषि आय मानने के लिए निम्नांकित शर्तों की पूर्ति होना आवश्यक है–

(i) जिस भूमि पर यह मकान बना हुआ है उस पर भारत में कोई लगान लगता हो या स्थानीय कर लगता हो, जिसका निर्धारण एवं संग्रह सहकारी अधिकारियों द्वारा किया जाता हो; तथा

(ii) यदि उस भूमि पर लगान या स्थानीय कर नहीं लगता हो तो वह भूमि गैर–शहरी क्षेत्र में स्थित होनी चाहिए। अर्थात् वह भूमि ऐसी नगर पालिका अथवा छावनी बोर्ड की सीमा में स्थित नहीं होनी चाहिए जिसकी आबादी 10,000 या अधिक हो।

यदि केन्द्रीय सरकार किसी ऐसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड के सम्बन्ध में अलग से अधिसूचना जारी करती है तो यह भूमि उस अधिसूचना में वर्णित दूरी के भीतर स्थित नहीं होनी चाहिए। यह दूरी अधिक से अधिक 8 किलोमीटर हो सकती है।

(6) कृषक द्वारा स्वयं की भूमि से प्राप्त उपज को अपनी दुकान पर बेचने से हुई आय भी कृषि आय कहलाती है। परन्तु यदि कृषक दूसरे की उपज को अपनी दुकान पर बेचता है तो यह आय गैर–कृषि आय मानी जायेगी। यदि कृषक के कृषि भूमि के किराये के रूप में उपज मिली हो तो ऐसी उपज को बेचने से होने वाली आय भी कृषि आय मानी जावेगी।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

स्पष्टीकरण – (1) :

कृषि के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिसे प्रयुक्त की गई भूमि या भवन –

कर–निर्धारण वर्ष 2001–02 से अधिनियम में एक स्पष्टीकरण जोड़कर यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे भवन या उससे लगी हुई भूमि को कृषि से भिन्न किसी अन्य उद्देश्य के लिये काम में लेने से प्राप्त आय को ''कृषि आय'' की परिभाषा में शामिल नहीं किया जायेगा।

कृषि आय होने के लिए भूमि का कृषि कार्यों में प्रयोग किया जाना आवश्यक है।

भूमि का कृषि कार्यों में प्रयुक्त होना : केवल मात्र भारत में स्थित भूमि से सम्बन्धित होने से ही कोई आय कृषि आय नहीं बन सकती है, जब तक कि उस भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जावे।

कृषि कार्य से तात्पर्य : भूमि को जोतना, बीज बोना, पानी देना, फसल को काटना आदि। इस सम्बन्ध में आयकर आयुक्त बनाम राजा विनय कुमार साहस राय के मुकदमे वे निर्णय में उच्चतम न्यायालय द्वारा कृषि कार्य की महत्वपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार कृषि कार्य को दो भागों में विभाजित किया गया है–

(1) प्रारम्भिक कार्य– इसके अन्तर्गत भूमि को जोतना, पानी देना, बीज बोना, पौधों को रोपना आदि आते हैं।

(2) बाद के कार्य– इसके अन्तर्गत निराई, गुढाई, कीटाणुनाशक दवाइयों का प्रयोग पशुओं से फसल की रक्षा करना, फसल काटना आदि कार्य आते हैं।

यदि प्रारम्भिक कार्यों को सम्पन्न किये बिना केवल बाद वाले कार्य किये जाते हैं तो ऐसी आय कृषि आय नहीं कहलायेगी। उदाहरणार्थ– स्वतः ही उगे हुए पेड़–पौधों से आय कृषि आय नहीं कहलायेगी क्योंकि इसमें प्रारम्भिक कार्य बीज बोना आदि मनुष्य द्वारा नहीं किया जाता है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति खड़ी फसल किसान से खरीदकर उस फसल को काटकर बेचता है तो इस विक्रय से हुई आय कृषि आय नहीं होगी क्योंकि उस व्यक्ति द्वारा भी प्रारम्भिक कार्य नहीं किये गये हैं।

स्पश्टीकरण– (2)

वित अधिनियम 2008 द्वारा जोड़े गये स्पष्टीकरण के अनुसार नर्सरी में उगाये गये पौधों एवं पौध (Saplings and Seadlings) से होने वाली आय को भी कृषि आय माना जावेगा चाहे भूमि पर आधारभूत क्रियाएं की गयी हो अथवा नहीं।

निम्न प्रकार की आर्यो को कृषि आय नहीं माना जाता हैं–

(i) मछली पालन एवं मछली बेचने से आय ;

(ii) खनिज पदार्थो के निकालने से आय या खान की रायल्टी से आय ;

(iii) भूमि पर लगने वाले मेलों, सर्कस या प्रदर्शनी से आय ;

(vi) भूमि पर ईट भट्ठे बनाने से आय ;

(v) मुर्गी पालन एवं डेयरी फार्म की आय ;

(vi) सिंचाई के लिए बेचे गये पानी से आय ;

(vii) कृषि फार्म के कर्मचारियों को प्राप्त वेतन ;

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(viii) भूमि पर बने तालाब के सिंघाड़ों को बेचने से आय ;

(ix) जंगली घास, स्वतः ही उगे हुए पेड़ आदि को बेचने से आय ;

(x) कृषि कार्य में लगी हुई कम्पनी से प्राप्त लाभांश ;

(xi) ऐसी भूमि का किराया जिसका प्रयोग कृषि कार्य में काम नहीं आनेवाले पशुओं के चारागाह के लिए किया जाता है ;

(xii) मशरूम तथा लाख से आय ;

(xiii) कृषि भूमि के किराये की बकाया राशि पर ब्याज ;

निम्न प्रकार की आयों को कृषि आय माना जाता हैं –

(i) फूलों तथा बेलों को उगाने से आय ;

(ii) कृषि कार्यों में लगी हुई फर्म के किसी साझेदार द्वारा पूँजी पर प्राप्त किया गया ब्याज ;

(iii) कृषि भूमि को गिरवी रखकर ऋण देने वाले व्यक्ति द्वारा उप–किरायेदार से कृषि भूमि के लिये प्राप्त किया गया किराया ;

(iv) कृषि कार्यों में लगी हुई फर्म से उसके साझेदार को प्राप्त हुआ वेतन ;

(v) किसी भूमि के, कृषक स्वामी अथवा किरायेदार द्वारा खड़ी फसल अथवा फसल के पश्चात् उत्पाद की बिक्री से प्राप्त लाभ।

(vi) ऐसी भूमि का किराया जिसका प्रयोग कृषि कार्य में काम आने वाले पशुओं के चारागाह के लिए किया जाता है।

अंशतः कृषि–आय

(Partly Agricultural Income)

(A) स्वयं के कृषि उत्पादों को कच्चे माल के रूप में काम में लेने वाले निर्माताओं की आय

ऐस व्यक्तियों के कार्य का कुछ भाग कृषि से तथा कुछ भाग व्यापार से सम्बन्धित होता है। उदाहरणार्थ– ऐसी चीनी मिल जो अपने स्वयं के खेत पर गन्ना उगाकर चीनी का उत्पादन करती है, की कुल आय में कुछ भाग कृषि आय का होता है और शेष भाग व्यापारिक आय का होता है। 'आयकर नियम 1962' के नियम 7 के अनुसार व्यापारिक आय ज्ञात करने के लिए इनकी कुल आय में से ऐसी कम्पनी द्वारा स्वयं के खेत पर उत्पादित माल का बाजार मूल्य, जिसे कम्पनी ने कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लिया है घटा दिया जाता है। **कच्चे माल के बाजार मूल्य एवं उत्पादन लागत के अन्तर के बराबर की राशि कृषि आय मानी जाती है।**

बाजार मूल्य से तात्पर्य :

(i) यदि ऐसी उपज प्रायः बाजार में बिकती है तो उसका औसत बाजार मूल्य ; तथा

(ii) यदि ऐसी उपज प्रायः बाजार में नहीं बिकती है तो निम्न राशियों के योग को बाजार मूल्य माना जाता है–

(अ) कृषि सम्बन्धी खर्चे ;

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(ब) भूमि का लगान व किराया ; तथा

(स) कर–निर्धारण अधिकारी की राय में उचित लाभ की राशि।

(B) रबर को उगाने और विनिर्मित करने से आय–

करदाता द्वारा भारत में उगाये गये रबर से उत्पादित (Centrifuged latex) या (Cenex) के विक्रय से होने वाली आय का 65% भाग कषषि आय तथा 35% भाग व्यापार की आय माना जाता हैं। इस उद्देश्य के लिये आय की गणना 'आयकर नियम 1962' के नियम 7A के अनुसार की जाती है।

(C) कॉफी को उगाने तथा विनिर्मित से आय – भारत में स्थित कॉफी बागवान की आय का 75% भाग कृषि आय तथा शेश 25% भाग व्यापारिक आय मानी जाती है। यदि कॉफी को विक्रय योग्य बनाने के लिए भूनने तथा कूटने (Roasting) की क्रिया भी की जावे तो ऐसी आय का 60% भाग कृषि आय होगा।

(D) चाय बागानों की आय –

चाय के उत्पादन में दो क्रियाऍ होती हैं–

(i) उगाना तथा

(ii) विक्रय योग्य बनाना।

इनमें विक्रय योग्य बनाने की क्रिया व्यापारिक क्रिया होती है। आयकर अधिनियम में बनाये गये प्रावधानों के अनुसार भारत में स्थित चाय बागान की आय का 60% भाग कृषि आय तथा शेष 40% भाग व्यापार की आय मानी जाती है जो 'व्यापार या पेशे के लाभ' शीर्षक में कर–योग्य होती है। चाय बागानों की आय की गणना नियम 8 के अनुसार की जाती है।

स्पष्टीकरण –

(1) कॉफी तथा चाय के बागानों की आय की गणना करने के लिए उन सभी पौधों को लगाने के व्यय भी कुल लागत में जोड़ दिये जाते हैं जो मरे हुए पौधों के स्थान पर लगाये जाते हैं। यदि ऐसे करदाता को कोई अनुदान (Subsidy) प्राप्त हुई हो जो धारा 10(30) या 10(31) के अन्तर्गत कर–मुक्त हो, तो ऐसी अनुदान की राशि को चाय या कॉफी उगाने की लागत में से नहीं घटाया जावेगा।

(2) यदि करदाता ने चाय या कॉफी स्वयं नहीं उगाई है लेकिन उसको विक्रय योग्य बनाने का कार्य किया है तो उसकी ऐसी सम्पूर्ण आय व्यापारिक आय मानी जावेगी। उसके लिए कृषि आय की राशि शून्य होगी।

(3) ओला वृष्टि से चाय या कॉफी की फसल नष्ट होने पर बीमा कम्पनी से प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि कृषि आय मानी जाती है।

(4) चाय या कॉफी उत्पादन में लगी फर्म के साझेदार को फर्म से प्राप्त वेतन तथा लाभ की राशि का 75% अथवा 60% भाग कृषि आय माना जाता है तथा शेश 25% भाग अथवा 40% भाग व्यापारिक आय माना जाता है।

उदाहरण (Illustration) 1.2 :

क्या निम्नलिखित कृषि आय है? कारण सहित उतर दीजिये।

(i) अमित एक ऐसी फर्म में साझेदार है, जिसके पास चाय बगीचे हैं तथा वह कार्य करने के बदले में वेतन प्राप्त करता है। फर्म के शेष लाभ में भी वह भागीदार है। उसका वार्षिक वेतन 1,80,000 रु. था, पूँजी पर ब्याज 13,000 रु. था, जिसे वह कृषि आय मानने का दावा करता है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(ii) महेन्द्र एक यांत्रिक कृषि फार्म का मैनेजर है और उसे 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 1,24,000 रू. वेतन प्राप्त हुआ है, जिसे वह कृषि आय के कारण आयकर से मुक्त मानने का दावा करता है।

(iii) ऋचा एक प्लांटेशन कम्पनी में अंशधारी है। कम्पनी से उसे लाभांश के 20,000 रू. प्राप्त होते है, जिसे वह कृषि आय के कारण आयकर से मुक्त मानती है।

Do the following constitute agricultural income ? Give reasons for your answer.

(i) Amit is a partner of a firm having Tea plantations and receives salary from the firm for attending to his work. He also gets share in the balance of profits of the firm. His annual salary was Rs. 1,80,000 and interest on capital was Rs. 13,000 which he claims to be agricultural income.

(ii) Mahendra is a manager of mechanized agricultural farm and received a salary of Rs. 1,24,000 for the year ended on 31st March, 2010 which he claims to be exempt from income-tax as being agricultural income.

(iii) Richa is a shareholders of a plantation company and she receives dividends of Rs. 20,000 from the company which she claims to be agricultural income and thus exempt from tax.

हल (Solution) :

(i) चाय के बगीचे से हुई आय का 60% भाग कृषि आय तथा 40% भाग व्यावसायिक आय माना जाता है। फर्म को होने वाली कृषि आय पूर्णतः कर मुक्त होती है तथा साझेदारों को कृषि आय में से चुकाये गये वेतन तथा पूँजी पर ब्याज फर्म के लाभों का नियोजन माना जाता है। अतः श्री अमित के लिये फर्म से प्राप्त वेतन एवं पूँजी पर ब्याज की राशि का 60% भाग 'कृषि आय' मान कर कर मुक्त किया जायेगा।

(ii) कृषि आय में से प्राप्त किये गये वेतन, लाभांश आदि को कृषि आय नहीं माना जाता है, इसलिए श्री महेन्द्र के लिए यह कृषि आय नहीं है।

(iii) उपर्युक्त (ii) कारण से ही ऋचा को प्राप्त लाभांश कृषि आय नहीं माना जावेगा।

उदाहरण (Illustration) 1.3 :

मनमोहन कॉफी कम्पनी ने गत वर्ष 2009–10 में 20 लाख रूपये का लाभ कमाया। कम्पनी स्वयं के बागान में कॉफी के पौधे उगाती है और आगे प्रक्रियांकन भी अपने कारखाने में करती है। कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए कम्पनी की कृषि आय तथा गैर कृषि आय की गणना कीजिए।

Manmohan coffee Company earned a profit of Rs. 20 lakhs during the previous year 2009-10. The company grows Coffee plants on its gardens and cures them in its own factory Find out Agricultural and non-agricultural income of the company for the assessment year 2010-11.

हल (Solution) :

भारत में कॉफी बागानों की आय का 75% भाग कृषि आय माना जाता है। अतः कृषि आय व गैर कृषि आय निम्न प्रकार होगी–

20,00,000 रु. का 75% अर्थात् 15,00,000 रु. कृषि आय एवं 25% अर्थात् 5,00,000 रु. व्यापारिक आय मानी जावेगी।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

पूंजीगत एवं आयगत मदों में अन्तर

(Distinction Between Capital and Revenue Items)

आय–कर चूँकि आय पर लगता है, पूँजी पर नहीं, अतः पूँजी एवं आय का भेद किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। कुछ दशाओं में तो पूँजी और आय का भेद किया जाना अत्यन्त सरल है, परन्तु अनेक परिस्थितियाँ ऐसी भी आती हैं जिनमें इस प्रकार का वर्गीकरण करना एक कठिन कार्य होता है। इस वर्गीकरण का कोई निश्चित नियम नहीं है। न्यायालय के निर्णय भी केवल मार्गदर्शन का ही कार्य करते हैं। एक ही प्रकार का व्यय परिस्थितियों के अनुसार कभी पूँजीगत होता है तो कभी आयगत होता है। पूँजीगत एवं आयगत में अन्तर को भली प्रकार समझने के लिए इस विषय का अध्ययन हम निम्नांकित तीन शीर्शकों के अन्तर्गत कर सकते हैं–

(1) प्राप्तियाँ (Receipts), (2) व्यय (Expenditure), (3) हानियाँ (Losses)।

प्राप्तियाँ (Receipts) :

प्राप्तियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक आयगत और दूसरी पूँजीगत। कोई प्राप्ति आयगत है अथवा पूँजीगत – इस बात का निर्धारण निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है–

(1) स्थायी पूँजी अथवा स्थायी सम्पत्ति के सम्बन्ध में जो राशि प्राप्त होती है वह पूँजीगत प्राप्ति कहलाती है। जैसे– मकान, फर्नीचर, मोटर, विनियोग इत्यादि के विक्रय से प्राप्त होने वाली राशि। इसके विपरीत चालू पूँजी अथवा चल सम्पत्ति के सम्बन्ध में जो राशि प्राप्त होती है वह आयगत प्राप्ति कहलाती है। जैसे व्यापारिक माल के विक्रय से प्राप्त होने वाली राशि।

(2) आय के साधन की समाप्ति पर मिलने वाली राशि पूँजीगत प्राप्ति होती है जैसे– एक कर्मचारी को अपने मालिक से सेवा समाप्ति पर मिलने वाली क्षतिपूर्ति की राशि। इसके विपरीत आय के प्रतिस्थापन के रूप में प्राप्त राशि आयगत प्राप्ति होती है। जैसे–कर्मचारी को अपनी सेवाओं के बदले में प्राप्त ग्रेच्युइटी की राशि अथवा अन्य कोई पुरस्कार।

(3) यदि कोई व्यक्ति प्रसंविदे के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों को त्याग देता है तो प्रतिफल के रूप में प्राप्त राशि पूँजीगत प्राप्ति होती है। जैसे– पेन्शन के बदले में प्राप्त एक मुश्त राशि। इसके विपरीत भावी लाभों की समाप्ति पर क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त राशि आयगत प्राप्ति है। जैसे– एक कम्पनी जिसके पास खड़िया की खानें हैं, किसी व्यापारी को दस वर्शों तक खड़िया की एक निश्चित मात्रा देने का सौदा करती है। कुछ दिनों बाद व्यापारी माल नहीं लेना चाहता है और वह कम्पनी उस व्यापारी को सौदे के दायित्व से मुक्त करते हुए एकमुश्त राशि लेना स्वीकार कर लेती है। एकमुश्त राशि कम्पनी के लिए आयगत प्राप्ति है, क्योंकि यह उसे भावी आय के बदले में प्राप्त हुई है।

(4) राशि चाहे एकमुश्त प्राप्त हुई हो अथवा थोड़ी–थोड़ी मात्रा में इससे उसकी प्रकषति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पूँजीगत प्राप्ति थोड़ी–थोड़ी मिलने पर भी पूँजीगत प्राप्ति ही रहती है तथा आयगत प्राप्ति एक साथ मिलने पर भी आयगत ही रहती है।

(5) कोई प्राप्ति पूँजीगत है अथवा आयगत, इस बात पर निर्भर है कि प्राप्त करने वाले के लिए यह राशि पूँजीगत है अथवा आयगत। इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है कि भुगतान करने वाले ने भुगतान पूँजीगत राशि में से किया अथवा आयगत राशि में से किया। उदाहरण के लिए, नये व्यापार को चलाने वाला अपनी पूँजी में से वेतन का भुगतान करे तो भी वेतन प्राप्त करने वाले के लिए यह राशि आयगत प्राप्ति ही है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

व्यय (Expenditure) :

व्यय भी दो प्रकार के होते हैं, एक आयगत तथा दूसरा पूँजीगत। कोई व्यय पूँजीगत है अथवा आयगत यह इस बात पर निर्भर करता है कि भुगतान करने वाले के लिए यह राशि पूँजीगत है अथवा आयगत। इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि प्राप्तकर्त्ता के हाथ में यह राशि आयगत है अथवा पूँजीगत। आयगत एवं पूँजीगत व्ययों में निम्नलिखित अन्तर है :

(1) स्थायी सम्पत्ति की लागत तथा उसको लाने, सुधार करवाने एवं लगाने के सम्बन्ध में किए गए व्यय पूँजीगत व्यय होते हैं जबकि पुनः बेचने के उद्देश्य से क्रय किये गये माल की लागत तथा उसको सम्बन्धित अन्य व्यय आयगत होते हैं।

(2) पूँजीगत दायित्व से मुक्त होने के सम्बन्ध में दी गई रकम पूँजीगत व्यय कहलाती है। उदाहरण के लिए, एक करदाता द्वारा भवन बनवाने के अनुबन्ध को रद्द करने के परिणामस्वरूप ठेकेदार को दी गई हर्जाने की रकम। इसके विपरीत आयगत दायित्व से मुक्त होने के सम्बन्ध में दी गई रकम आयगत व्यय कहलाती है। जैसे–व्यापारिक माल को क्रय करने के अनुबन्ध को रद्द करने के लिए दिये गये हर्जाने की रकम।

(3) आय कमाने के साधन (व्यापार, नौकरी आदि) प्राप्त करने के लिए किया गया व्यय पूँजीगत व्यय माना जाता है। इसके विपरीत आय कमाने के सम्बन्ध में किया गया व्यय आयगत व्यय होता है।

(4) स्थायी सम्पत्ति में उन्नति अथवा सुधार अथवा वृद्धि करके व्यापार की आय कमाने की शक्ति को बढ़ाने के लिए किया गया व्यय पूँजीगत व्यय कहलाता है। इसके विपरीत स्थायी सम्पत्ति को चालू हालत में अथवा अच्छी हालत में बनाये रखने के लिए किया गया व्यय आयगत होता है।

(5) किसी कम्पनी के निर्माण से पूर्व किए गए व्यय पूँजीगत व्यय होते हैं, जबकि व्यापार के संचालन में दिन–प्रतिदिन किए जाने वाले व्यय आयगत व्यय होते हैं।

(6) कर–योग्य आय मालूम करने के लिए सकल आय में से आयगत व्ययों को घटाया जाता है जबकि पूँजीगत व्ययों को नहीं घटाया जाता है। पूँजीगत व्यय अधिनियम में वर्णित परिस्थितियों में ही घटायें जा सकते हैं, जैसे– वैज्ञानिक अनुसन्धान के व्ययों को घटाया जाये।

हानियाँ (Losses) :

हानियाँ भी दो प्रकार की होती हैं : एक आयगत और दूसरी पूँजीगत। व्यापार में माल को बेचने से, माल के नष्ट होने से अथवा व्यापार के सम्बन्ध में किसी प्राप्य रकम के वसूल न होने से तथा ऐसे ही अन्य कारणों से होने वाली हानि आयगत हानि कहलाती है। पूँजी सम्पत्ति के सम्बन्ध में होने वाली हानि पूँजीगत होती है जिसे अन्य पूँजी लाभ से ही समायोजित किया जा सकता है।

आयकर के प्रभार का आधार [धारा 4] (Basis of Charge of Income Tax) –

आयकर अधिनियम की धारा 4 में आयकर प्रभार के सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है–

1. कर गत वर्ष की आय पर लगाया जाता है। किसी भी वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति द्वारा अर्जित कर–योग्य आय की जानकारी उस वर्ष की समाप्ति से पूर्व सम्भव नहीं है। अतः उस वर्ष की आय पर अगले वित्त वर्ष में ही कर लगाया जाता है। विषम परिस्थितियों में चालू वर्ष की आय पर चालू वर्ष में भी कर लगाया जा सकता है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

2. कर कुल आय पर लगाया जाता है। यहां कुल आय से अभिप्राय 'कर–योग्य' कुल आय से है।

3. कर वित्त अधिनियम द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार लगाया जाता है। जिस वर्ष के लिए कर–निर्धारण किया जाना है, उससे सम्बन्धित दरों के अनुसार कर लगाया जाता है। कर की दरें आय के अलग–अलग स्तर पर भिन्न–भिन्न होती हैं।

4. कर व्यक्ति पर लगाया जाता है। व्यक्ति को पीछे परिभाषित किया गया है।

5. कर आय के स्त्रोत पर भी काटा जा सकता है तथा अग्रिम भी जमा कराया जा सकता है।

आय को सम्बन्धित शीर्षक में न दिखाने का प्रभाव–

आयकर अधिनियम के अन्तर्गत जिस आय पर कर लगाया जाता है उसका कोई शीर्षक होना आवश्यक है। करदाता की समस्त कर योग्य आय को पॉच शीर्षकों में दिखाया जाता है। प्रत्येक शीर्षक में कटौतियॉ भी अलग–अलग दी जाती हैं। इस प्रकार यदि एक शीर्षक की आय को दूसरे शीर्षक में रखा जाय तो दूसरे शीर्षक के नियम लागू होने के कारण कुल आय सही नहीं होगी। उदाहरण के लिए, यदि एक सम्पति के विक्रय से होने वाले पूँजी लाभों को यदि व्यापार अथवा पेशे के लाभ शीर्षक में रख दिया जाय तो जो कटौती उसे पूँजी लाभों के रूप में प्राप्त होती वह व्यापारिक आय के रूप में प्राप्त नहीं होगी और इस प्रकार कुल आय गलत हो जायेगी।

आय को गलत शीर्षक में दिखाये जाने का विकल्प न तो निर्धारण अधिकारी को ही प्राप्त है और न ही करदाता को। यदि कोई करदाता अपनी किसी आय को गलत शीर्षक में दिखा देता है तो निर्धारण अधिकारी को चाहिये कि वह उसे सही शीर्षक में रख दे, चाहे भले ही ऐसा करने से करदाता को लाभ ही क्यों न हो। यदि किसी आय की प्रकृति इस प्रकार की है कि उसे दो शीर्षकों में रखा जा सकता है, तो ऐसी दशा में करदाता को यह अधिकार है कि वह उसको ऐसे शीर्षक में रख ले जिससे उसको कर कम चुकाना पड़े।

अभ्यास के लिए प्रश्न
(Questions for Exercise)

अतिलधूरात्मक प्रश्न

(Very Short Answer Type Questions) :

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 20 शब्दों में दीजिए।
(Answer the following Questions in Maximum 20 words.)

1. प्रत्यक्ष कर से आप क्या समझते हैं ?
   Whar do you mean by direct tax ?
2. प्रत्यक्ष करों के कोई दो उदाहरण दीजिए।
   Give two examples of direct taxes.
3. भारत में प्रथम बार आयकर कब और किसके द्वारा लगाया गया ?
   When and by whom tax on income in India was levied ?
4. कर निर्धारण वर्ष 2010–11 में कौन–सा वित्त अधिनियम काम आयेगा ?
   Which Finance Act is applicable for the assessment year 2010-11 ?
5. आयकर अधिनियम 1961 कब से लागू हुआ ?
   On which date the Income Tax act 1961 came into force ?
6. गत वर्ष क्या है ?
   What is previous year ?

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

7. कर–निर्धारण वर्ष से आप क्या समझते हैं ?

What do you mean by assessment year ?

8. नये स्थापित व्यापार की प्रथम गत वर्ष की अवधि क्या होगी ?

What will be the period of previous year for newly set up business ?

9. कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 से सम्बन्धित गत वर्ष की अवधि क्या होगी ?

What will be the period of previous year for the Assessment year 2010–11

10. श्री महेश 1 अगस्त, 2009 को हमेशा के लिए भारत छोड़कर विदेश जाना चाहता है। कौनसे वित्त वर्ष में 1.4.2009 से 31.7.2009 तक की उसकी आय का कर–निर्धारण किया जावेगा ?

Shri Mahesh intends to go to a foreign country on 1st August, 2009 leaving India for ever. In which financial year his income for the period from 1.4.2009 to 31.7.2009 will be assessed ?

11. कोई चार प्राप्तियॉ के नाम लिखिये जो आय में सम्मिलित की जाती हैं।

Write name of four receipts which are included in Income.

12. कोई दो प्राप्तियों के नाम लिखिये जिन्हें आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है।

Write name of two receipts which are not included in Income.

13. 'माना हुआ करदाता' से आपका क्या आशय है ?

What do you mean by 'Deemed Assessee ?

14. 'चूक में करदाता' से आपका क्या आशय है ?

What do you mean by 'Assessee in Default' ?

15. आयकर के लिये गत वर्ष का क्या महत्व है ?

What is the importance of previous year for income tax purposes ?

16. आय के विभिन्न शीर्षकों के नाम लिखिये।

Write names of various heads of income.

17. माधुरी ने कुछ जेवरात 1979 में 6,000 रूपये में खरीदे थे। 31 मार्च, 2010 को इन जेवरात का बाजार मूल्य 1,72,000 रू. था। क्या माधुरी को कोई आय हुई है ?

Madhuri purchased some jewellery for Rs. 6,000 in 1979. The fair market value of this jewellery as on 31st March, 2010 was Rs. 1,72,000. Is there any income of Madhuri ?

18. श्री रितिक ने अपने एक मित्र से 8,000 रूपये का ऋण लिया। वह ऋण को चुका नहीं सका और उसके मित्र ने ऋण माफ कर दियाा। क्या श्री रीतिक को कोई आय हुई ?

Mr. Ritik took a loan of Rs. 8,000 from one of his friends. He could not repay the loan and, therefore, his friend waived the loan. Is there any income of Mr. Ritik ?

19. श्री दीपेन्द्र को उसकी फसल को तूफान से क्षति होने के कारण बीमा कम्पनी से 80,000 रूपये प्राप्त हुए। क्या यह कृषि आय है ?

Mr. Deependra received Rs. 80,000 from an insurance company for damages caused to his crops by storm. Is it an agricultural income ?

20. आय के उपयोग से क्या तात्पर्य है ?

What is meaning of application of Income ?

21. आय के मोड़ से आप क्या समझते हैं ?

What do you mean by diversion of income ?

22. कृषि आय किसे कहते हैं ?

What is an agricultural income ?

23. एक चाय के बागान के मालिक को चाय के निर्माण से गत वर्ष में 50,000 रु. की आय हुई। उसकी कृषि आय तथा कर योग्य आय की गणना कीजिए।

A tea garden owner carns Rs. 50,000 from tea manufacturing in the previous year. Calculate his agriculture income and taxable income. [Rs. 30,000 & Rs. 20,000]

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

24. 'कुल आय' से आप क्या आशय है ?

What do you mean by 'Total Income' ?

25. यदि किसी चाय बागान का समस्त उत्पादन जलकर नष्ट हो जाता है और बीमा कम्पनी से राशि प्राप्त होती है, तो क्या यह प्राप्ति कृषि आय होगी ?

If the whole production of a tea garden is destroyed and it gets amount from insurance company. Whether it will be treated as agricultural income ?

लघूतरात्मक प्रश्न

(Short Answer Type Questions) :

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए।

(Answer the following Questions in Maximum 50 words)

1. आयकर अधिनियम में व्यक्ति से क्या अभिप्राय है ?

What is the meaning of a person in the Income Tax Act ?

2. आयकर कानून को समझने के लिए किनका अध्ययन करना चाहिए ?

What should be studied to understand the Income Tax Law ?

3. 'करदाता' से आपका क्या अभिप्राय है ? समझाइये।

What do you mean by an 'Assessee' ? Explain.

4. 'कुल आय' पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

Write short note on 'Total Income'

5. 'अंशतः कृषि आय' पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

Write short note on 'Partly Agriculture Income'

6. 'आयकर गत वर्ष की कुल आय पर लगता है, इस सामान्य नियम के कोई चार अपवादों के नाम लिखिए।

Name any four exceptions to the general rule that 'Income of the previous year is assessed in the assessment year.

7. किसी मकान सम्पति से होने वाली आय को कृषि आय कब माना जा सकता है ?

When can the income from house property be treated as agriculture income ?

8. श्री रमन ने 16 मई, 2010 को एक कम्पनी में नौकरी प्रारम्भ की। इससे पहले उनकी आय का कोई साधन नहीं था। कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 तथा 2011–12 के लिए उसके लिए गत वर्ष क्या होगा?

Mr. Raman joined a company on 16th May, 2009 Prior to it, he did not have any source of income. What will be the previous year for him for assessment years 2010–11 and 2011–12.

[Ans. (i) 16th May, 2009 to 31st march, 2010

(ii) 1st April, 2010 to 31st March, 2011]

सैद्धान्तिक प्रश्न

(Theoretical Questions)

1. आय क्या है ? आय निर्धारण के मूलभूत सिद्धान्तों का उल्लेख कीजिए।

What is Income ? Explain fundamental principles determining income.

2. ''गतवर्ष में अर्जित आय पर उससे सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष में ही कर लगाया जाता है।'' इस नियम को समझाइये तथा इसके अपवादों को स्पष्ट कीजिए।

"Income earned during the previous year is taxed in the relevant assessment year only" Explain this rule and describe its exceptions.

3. कृषि आय का अर्थ समझाइये। ऐसी आयों के उदाहरण दीजिए जो भूमि से सम्बन्धित हों परन्तु कृषि आय न हों।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

Explain the meaning of agriculture income. Give examples of incomes which are related to land but are not agricultural income.

4. कृषि आय पर विस्तृत लेख लिखिए।

Write a detailed note on agriculture income.

5. संक्षिप्त टिप्पणियॉ लिखिएः

(a) करदाता,

(b) व्यक्ति,

(c) कर–निर्धारण वर्ष,

(d) अंशतः कृषि आय।

Write short notes on :

(a) Assessee,

(b) Person,

(c) Assessment year,

(d) Partly Agricultural Income.

6. क्या निम्नलिखित आय है ? कारण सहित उत्तर दीजिये–

(i) राधा को अपनी दादीजी से उपहार में 70,000 रु. नकद प्राप्त हुए।

(ii) परमिन्दर को 60,000 रु. का पंजाब राज्य लॉटरी का ईनाम प्राप्त हुआ।

(iii) अकरम को तस्करी के कार्य से 45,000 रु. का लाभ हुआ है।

(iv) श्रीमती प्रीति ने 20 वर्ष पूर्व 10,000 रु. के जेवर बनवाये थे जिनका मूल्य 31 मार्च, 2010 को 80,000 रु. था।

(v) रहीम के भविष्य निधि खाते में उसके नियोक्ता ने गत वर्ष में 9,000 रु. जमा कराये।

(vi) एक्स ने वाई को 30,000 रु. उधार दिये थे जिस पर गत वर्ष में ब्याज के 6,000 रु. देय हुए। वाई ने गत वर्ष में एक्स को 8,500 रु. चुकाये।

(vii) वाई ने जैड से 1998 में 30,000 रु. ऋण लिया था। गत वर्ष में जैड ने वाई को ऋण मुक्त कर दिया।

(viii) सरसों के एक व्यापारी ने 80,000 रु. की सरसों 2008 में खरीदी थी। 31 मार्च, 2010 को उसका बाजार मूल्य 3,00,000 रु. था।

Whether the following are income ? Give your answer with reasons-

(i) Ms. Radha received Rs. 70,000 in cash from her grand mother as gift.

(ii) Mr. Parminder won a prize of Rs. 60,000 in Punjab State Lottery.

(iii) Mr. Akram earned Rs. 45,000 from smuggling business.

(iv) Smt. Preeti purchased some jewellery for Rs. 10,000, 20 years ago whose valuation on 31st March, 2010 was Rs. 80,000.

(v) Rs. 9,000 were deposited in Mr.Rahim's provident fund account by his employer during the previous year.

(vi) Mr. X has loaned Rs. 30,000 to Mr. Y on which interest accured during the previous year amounting to Rs. 6,000. Y paid to X Rs. 8,500 during the previous year.

(vii) Mr. Y took a loan of Rs. 30,000 from Z in 1998. During the previous year Z freed him from the debt.

(viii) A dealer of mustard seeds purchased mustard seeds for Rs. 80,000 during the year 2008 and store. Its market value as on 31st March, 2010 was Rs. 3,00,000.

[Ans. (i) No, (ii) Yes, (iii) Yes, (iv) No, (v) Yes, (vi) Rs.6,000 (vii) No, (viii) No,]

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

वर्ग (Section) : A

इकाई (Unit) : 2

निवासीय स्थिति एवं कर भार

(Residential Status and Incidence of Tax)

परिचय

(Introduction)

आयकर अधिनियम में कुल आय का क्षेत्र तथा कर का भार करदाता के गत वर्ष की निवासीय स्थिति पर निर्भर करता है। नागरिकता का कर भार (Incidence of tax) से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। किसी भी **करदाता की निवासीय स्थिति** (Residential Status) का निर्धारण गत वर्ष (previous year) के सम्बन्ध में होता है इसलिए किसी व्यक्ति की निवासीय स्थिति प्रत्येक वर्ष बदल सकती है परन्तु नागरिकता प्रत्येक वर्ष नहीं बदल सकती है। निवासीय स्थिति गत वर्ष में करदाता के भारत में ठहरने की अवधि पर निर्भर करती है इसलिए एक भारतीय नागरिक अनिवासी हो सकता है तथा एक विदेशी नागरिक भारत में निवासी भी हो सकता है।

व्यश्टि की निवासीय स्थिति [धारा 6(1)]

(Residential Status of an Individual)

व्यष्टि की निवासीय स्थिति को निर्धारित करने के लिए बने नियमों को अग्रांकित दो भागों में बाँटा जा सकता है–

(i) भाग 'अ ' की आधारभूत शर्तें (Basic Conditions of Part A), तथा

(ii) भाग 'ब ' की आधारभूत शर्तें (Additional Conditions of Part B)।

भाग 'अ ' की आधारभूत शर्तें (Basic Conditions of Part A)–

(i) वह व्यष्टि गत वर्ष में कुल मिलाकर कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो; अथवा,

(ii) उस गत वर्ष से तुरन्त पूर्व के चार गत वर्शों में कुल मिलाकर कम से कम 365 दिन तथा गत वर्ष में कम से कम 60 दिन वह भारत में रहा हो।

अपवाद (Exceptions)–

(i) यदि कोई करदाता भारतीय नागरिक है तथा उसने भारतीय समुद्री जहाज के चालक के रूप में या विदेश में रोजगार के लिए गत वर्ष में ही भारत छोड़ा है, तो उसके लिए उपर्युक्त शर्त (अ)(ii) की पूर्ति उसी स्थिति में हुई मानी जावेगी जबकि वह गत वर्ष में कुल मिलाकर कम से कम 182 दिन (60 दिन के स्थान पर) भारत में रहा हो। परन्तु प्रशिक्षण या अन्य किसी उद्देश्य के लिए गत वर्ष में भारत छोड़ने पर यह अपवाद लागू नहीं होगा।

(ii) यदि कोई करदाता, भारतीय नागरिक है अथवा भारतीय मूल का व्यक्ति है तथा जो विदेशों में रहता है, परन्तु गत वर्ष में कुछ अवधि के लिए भारत आया है तो उसके लिए उपर्युक्त शर्त (अ)(ii) की पूर्ति उसी स्थिति में हुई मानी जायेगी जबकि वह व्यष्टि करदाता गत वर्ष में कुल मिलाकर कम से कम 182 दिन के लिये भारत में रहा हो यह अपवाद ऐसे भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति पर लागू नहीं होता है जो गत वर्ष में स्थायी रूप में भारत में रहने के लिए आया हो।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

भारतीय मूल का व्यक्ति कौन है ? – यदि कोई व्यक्ति स्वयं अथवा उसके माता या पिता अथवा उसके दादा–दादी या नाना–नानी में से कोई भी अविभाजित भारत में पैदा हुआ है, तो वह व्यक्ति भारतीय मूल का व्यक्ति माना जाता है। [धारा 115 C]

अविभाजित भारत का आशय– यदि किसी व्यक्ति का जन्म स्थान उसके जन्म के समय भारत का एक हिस्सा रहा हो, तो उसे अविभाजित भारत में पैदा हुआ माना जायेगा, चाहे वह स्थान वर्तमान में भारत का हिस्सा न रहा हो।

भाग 'ब ' की आधारभूत शर्तें (Additional Conditions of Part B)–

(i) वह व्यश्टि करदाता उस गत वर्ष से तुरन्त पूर्व के 10 गत वर्शों में से कम से कम दो गत वर्षों में ''भारत में निवासी'' रहा हो अर्थात् उसने उन 10 गत वर्शों में से कम से कम दो गत वर्शों में भाग 'अ' की आधारभूत शर्त की पूर्ति कर दी हो। यह पूर्ति भाग 'अ' की आधारभूत शर्त में वर्णित किसी भी विकल्प की पूर्ति करके की जा सकती है। तथा

(ii) वह व्यश्टि करदाता उस गत वर्ष से तुरन्त पूर्व के 7 गत वर्शों में कुल मिलाकर 730 दिन या अधिक अवधि के लिए भारत में रहा हो।

साधारण निवासी (Ordinary Resident) : यदि कोई व्यष्टि भाग (अ) की पहली या दूसरी या दोनों शर्तें तथा भाग (ब) की दोनों शर्तें एक साथ पूरी करता है, तो वह भारत में निवासी व्यष्टि कहलाता है। निवासी करदाता को साधारण निवासी करदाता भी कहते हैं।

असाधारण निवासी (Not-ordinarily Resident) : जो व्यश्टि भाग 'अ' की एक या दोनों शर्तें तो पूरी करता है परन्तु भाग 'ब' की दोनों शर्तें एक साथ पूरी नहीं करता है, असाधारण निवासी कहलाता है। भाग 'अ' की कोई भी शर्त पूरी करने वाला तथा भाग 'ब' की एक या कोई भी शर्ते पूरी न करने वाला करदाता असाधारण निवासी कहलाता है।

अनिवासी (Non- Resident) : जो व्यष्टि भाग 'अ' की आधारभूत शर्तों में से कोई भी शर्त पूरी न करता हो, अनिवासी व्यष्टि कहलाता है।

स्पष्टीकरण :

निवास निर्धारण का मुख्य आधार करदाता के गत वर्ष में भारत में ठहराव से है। इस सम्बन्ध में निम्नांकित महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है :

1. किसी गत वर्ष में करदाता भारत में कितने दिन रहा था ? यह सिद्ध करने का दायित्व करदाता का है।
2. यदि करदाता अपने आप को असाधारण निवासी या अनिवासी मानता है तो यह सिद्ध करने का दायित्व करदाता का स्वयं का होता है।
3. पिछले गत वर्षों में करदाता ने निवासी होने की भाग 'अ' की आधारभूत शर्त पूरी की थी अथवा नहीं– इसके लिए सम्बन्धित गत वर्ष के नियमों के अनुसार निर्णय किया जायेगा न कि चालू गत वर्ष के नियमों के अनुसार।
4. धारा 6 में उल्लेखित विभिन्न शर्तों में विभिन्न स्थलों पर करदाता के लिये एक निश्चित न्यूनतम अवधि के लिये भारत में रहना अनिवार्य बताया गया है। इसका आशय यह नहीं है कि करदाता उतनी अवधि के लिये लगातार भारत में रहा हो अथवा वह भारत में एक ही स्थान पर रहा हो। भारत में रहने का आशय भारतीय सीमा में किसी भी स्थान पर करदाता के उपस्थित रहने से है। इस उद्देश्य हेतु

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

भारतीय सीमा में खड़े हुये समुद्री जहाज पर मौजूदगी भी भारत में रहना माना जायेगा। यदि कोई करदाता भारत से बाहर जाता रहा हो तो भारत में वह जितने दिन उपस्थित रहा है उन दिनों के कुल योग को भारत में रहने के दिनों की संख्या माना जायेगा।

5. कोई करदाता गत वर्ष में भारत में कितने दिन रहा है ? यह ज्ञात करते समय, जिस दिन करदाता भारत में आया था या जिस दिन वह भारत से गया था, उसे भारत में रहने की अवधि में शामिल किया जाये अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में अधिनियम में या नियमों में कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। अतः भारत में उसकी उपस्थिति की अवधि की गणना घंटों में की जायेगी तथा यदि यह अवधि 24 घंटों से अधिक हो, तो उसे एक दिन मान लिया जायेगा।

6. यदि भारत में प्रवेश करने का तथा भारत छोड़ने का समय ज्ञात न हो, तो ऐसी स्थिति में भारत में आने का दिन तथा भारत छोड़ने का दिन, दोनों को भारत में रहने की अवधि में शामिल किया जायेगा।

उदाहरण (Illustration) 2.1 :

आयकर अधिनियम के अन्तर्गत निम्नांकित व्यष्टि करदाताओं की कर निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए निवास स्थिति ज्ञात कीजिए–

1. श्री रहमान ईरान के नागरिक है। वे सर्वप्रथम 15 जुलाई, 2005 को भारत आये तथा 16 जुलाई, 2007 को ईरान चले गये। 15 जनवरी, 2010 को वे पुनः भारत आये तथा 31 मार्च, 2010 तक भारत में ही रूके रहे।

2. श्री मूलचन्द भारतीय नागरिक हैं तथा जयपुर के रहने वाले हैं। 15 मार्च, 2005 को वे उच्च शिक्षा हेतु जर्मनी गये थे, किन्तु 2006 से 2010 तक प्रतिवर्ष 1 जनवरी से 1 मार्च तक भारत आते रहे हैं।

3. श्री मोहन लाल भारतीय नागरिक हैं तथा जयपुर के रहने वाले हैं। 15 अगस्त, 2009 को वे उच्च शिक्षा हेतु तीन वर्षों के लिए लन्दन चले गये थे।

4. श्री सोहन लाल भारतीय नागरिक हैं। 15 अगस्त, 2009 को वे रोजगार हेतु लन्दन चले गये थे।

5. (अ) श्री राबर्ट अमेरिका के नागरिक हैं तथा वहाँ 1993 से व्यवसाय कर रहे हैं। उनके व्यवसाय की एक शाखा भारत में भी स्थित है। 1993 से ही वे प्रति वर्ष 120 दिन के लिए इस शाखा की देखभाल करने के लिए भारत आते रहे हैं।

(ब) यदि श्री राबर्ट प्रतिवर्ष 120 दिन की बजाय 100 दिन भारत आते रहे हों तो क्या आपका उत्तर भिन्न होगा।

Determinc the residential status of the following individual assessees under Income Tax Act for the assessment year 2010-11 :

(1) Shri Rahman is a citizen of Iran. He came to India on 15st July, 2005 at first time and returned to Iran on 16th July, 2007. He again came to India on 15th January, 2010 and remained in India till 31st March, 2010.

(2) Shri Mool Chand is an Indian citizen and a Resident of Jaipur. He left for Germany on 15th March, 2005 for higher education but has been coming to India from 1st Jannary to 1st March every year since 2006 to 2010.

(3) Shri Mohan Lal is an Indian citizen and a resident of Jaipur. He left for London on 15th August, 2009 for 3 years for higher education.

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(4) Shri Sohan Lal is an Indian citizen. He left for London on 15th August, 2009 for employment purposes.

(5) (a) Shri Robert is a citizen of U.S.A. and has been running his business there since 1993. There is a branch of his business in india. He has been coming to India for 120 days every year to look after the branch since 1993.

(b) Will your answer be different if Shri Robert has been coming to India for 100 days instead of 120 days every year.

हल (Solution) :

(1) श्री रहमान गत वर्ष में (17+28+31) दिन अर्थात् 76 दिन भारत में रहे तथा गत वर्ष से पूर्व के चार वर्षों में 732 दिन भारत में रहे थे। गत वर्ष 2009–10 के लिए श्री रहमान आधार भूत शर्त अ (ii) की पूर्ति करते हैं तथा अतिरिक्त दोनों शर्तों की भी एक साथ पूर्ति करते हैं क्योंकि वह गत वर्ष 2005–06 तथा 2006–07 में निवासी होने की आधारभूत शर्त अ (i) की पूर्ति करते हैं तथा गत वर्ष से पूर्व वर्षों में 732 दिन भारत में रहे हैं। अतः श्री रहमान भारत में साधारण निवासी करदाता माने जायेंगे।

(2) गत वर्ष 2009–10 के लिए श्री मूलचन्द आधार भूत शर्तों में से किसी भी शर्त की पूर्ति नहीं करते हैं, अतः वे भारत में अनिवासी करदाता माने जायेंगे। गत वर्ष में श्री मूलचन्द (31+28+1) 60 दिन भारत में रहे हैं। भाग अ (ii) की शर्त के लिए उन्हें 182 दिन भारत में रहना आवश्यक था।

(3) गत वर्ष 2009–10 के लिए श्री मोहन लाल आधार भूत शर्त अ (ii) की पूर्ति करते है (गत वर्ष में कम से कम 60 दिन भारत में रहे हैं तथा गत वर्ष से पूर्व के चार वर्शों में कम से कम 365 दिन भी भारत में रहे हैं) तथा भाग 'ब' की दोनों अतिरिक्त शर्तों की पूर्ति भी करते हैं इसलिए इन्हें भारत में निवासी करदाता माना जायेगा।

(4) गत वर्ष 2009–10 के लिए श्री सोहन लाल आधार भूत शर्तों में से कोई भी शर्त पूरी नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें भारत में अनिवासी करदाता माना जायेगा। (शर्त अ (ii) की पूर्ति के लिए श्री सोहन लाल को गत वर्ष में कम से कम 182 दिन के लिए भारत में रहना अनिवार्य है क्योंकि वे गत वर्ष में रोजगार हेतु विदेश में जा रहे हैं)। श्री सोहन लाल गत वर्ष में केवल 137 दिन (30+31+30+31+15) में भारत में रहे हैं।

(5) (अ) चूँकि श्री राबर्ट 1993 से प्रति वर्ष 120 दिन के लिये भारत स्थित शाखा की देखभाल करने के लिए आते रहे हैं इसलिए गत वर्ष 2009–10 के लिए श्री राबर्ट भाग 'अ' की आधारभूत शर्त के दूसरे विकल्प की पूर्ति करते हैं। साथ ही भाग 'ब' की अतिरिक्त दोनों शर्तों की पूर्ति भी करते हैं। अतः श्री राबर्ट गत वर्ष 2009–10 के लिए भारत में निवासी (Resident in India) करदाता माने जायेंगे।

(ब) यदि श्री राबर्ट प्रति वर्ष 100 दिन भारत में आते रहे हों तो आधारभूत शर्तों में से अ (ii) की शर्त तो पूरी हो जावेगी (गत वर्ष में भारत में ठहराव कम से कम 60 दिन तथा पूर्व के 4 गत वर्शों में कम से कम 365 दिन) परन्तु अतिरिक्त शर्तों में द्वितीय शर्त (गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में ठहराव रहा हो) पूरी नहीं होगी क्योंकि वह पिछले 7 वर्शों में 700 दिन ही भारत में रहे हैं। अतः इस दशा में श्री राबर्ट भारत में असाधारण निवासी करदाता माने जायेंगे।

हिन्दू विभाजित परिवार की निवासीय स्थिति [धारा 6(2)]
(Residential Status of a Hindu Undivided Family)

हिन्दू अविभाजित परिवार की निवासीय स्थिति गत वर्ष में इसके प्रबन्ध एवं नियन्त्रण के स्थान तथा इसके कर्त्ता की निवासीय स्थिति के आधार पर निम्नांकित तीन प्रकार की हो सकती है :

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(i) साधारण निवासी (Ordinary Resident);

(ii) असाधारण निवासी (Not Ordinarily Resident);

(iii) अनिवासी (Non Resident)।

एक हिन्दू अविभाजित परिवार की निवासीय स्थिति का निर्धारण निम्नांकित तीन शर्तों के आधार पर किया जाता है :

(i) किसी हिन्दू अविभाजित परिवार के कार्यों का प्रबन्ध एवं नियन्त्रण का कोई भी भाग गत वर्ष में भारत में स्थित रहा हो।

(ii) उस हिन्दू अविभाजित परिवार का कर्त्ता गत वर्ष से तुरन्त पूर्व के 10 वर्षों में से कम से कम 2 वर्षों के लिए निवासी बनने की आधारभूत शर्तों (भाग अ की शर्तों) में से कम से कम कोई एक शर्त पूरी करता हो अर्थात वह 10 वर्शों में से 2 वर्ष के लिए निवासी अथवा असाधारण निवासी रहा हो।

(iii) उस परिवार का कर्त्ता गत वर्ष से तुरन्त पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो।

1. निवासी (Resident) : जो परिवार उपर्युक्त तीनों शर्तें एक साथ पूरी करता हो निवासी या साधारण निवासी परिवार कहलाता है।

2. असाधारण निवासी (Not-ordinarily Resident) : जो परिवार उपर्युक्त पहली शर्त पूरी करता है तथा दूसरी एवं तीसरी शर्तों में से कोई भी एक या दोनों शर्तें पूरी नहीं करता है, तो वह भारत में आसाधारण निवासी परिवार कहलाता है।

3. अनिवासी (Non Resident) : जो परिवार उपर्युक्त पहली शर्त को पूरी नहीं करता हो तो वह हिन्दू अविभाजित परिवार अनिवासी कहलाता है अर्थात् ऐसा परिवार जिसका प्रबन्ध एवं नियन्त्रण गत वर्ष में सम्पूर्ण–रूप से भारत के बाहर से हुआ हो, अनिवासी परिवार कहलाता है।

उदाहरण (Illustration) 2.3 :

निम्नांकित परिस्थितियों में गत वर्ष 2009–10 के लिए हिन्दू अविभाजित परिवार की निवासीय स्थिति को निर्धारित कीजिए :

(अ) एक हिन्दू अविभाजित परिवार का सम्पूर्ण प्रबन्ध एवं नियंत्रण गत वर्ष 2009–10 में भारत में स्थिर रहा था। उसके कर्त्ता श्री प्रेम अपने जन्म से ही भारत में पैतष्क मकान में रहे हैं। 10 दिसम्बर 2009 को वे अपने किसी रिश्तेदार को देखने के लिए अमेरिका गये। वहॉ से वे 15 मार्च 2010 को वापस लौट आये।

(ब) उपर्युक्त (अ) में यदि परिवार का कर्त्ता श्री प्रेम गत वर्ष 2009–10 में सम्पूर्ण वर्ष अमेरिका में रहे हों तथा इस अवधि में उस परिवार का प्रबंध एवं नियंत्रण वहीं से हुआ हो ।

(स) उपर्युक्त (अ) में यदि श्री प्रेम 1 अप्रैल 2005 से 15अगस्त 2007 तक अमेरिका मे रहे।

Dentermince the residential status of a Hindu Un-divided family for the previous year 2009-10 :

(a) The control and management of a Hindu un-divided family was wholly situated in India during the previous year 2009-10. Karta of the family, Mr. Prem, has been residing in India since his birth in his ancestral house. On 10th December, 2009, he left for U.S.A. to see his relatives and returned on 15th March, 2010.

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(b) In the above situation (a), the Karta of the family Mr. Prem remained in U.S.A. during the whole year 2009-10 and the control and management of its affairs was also done from there during that period.

(c) In the above situation (a), If Mr. Prem remained in U.S.A. from 1st April, 2005 to 15th August, 2007.

हल (Solution) :

(अ) यह हिन्दू अविभाजित परिवार गत वर्ष 2009–10 के लिए 'भारत में साधारण निवासी' करदाता होगा, क्योंकि गत वर्ष में इसका प्रबन्ध एवं नियन्त्रण भारत में ही स्थित था तथा परिवार का कर्त्ता गत वर्ष से तुरन्त पूर्व के सभी 10 गत वर्षों में भारत में निवासी रहा है और साथ ही गत वर्ष 2009–10 से तुरन्त पूर्व के 7 गत वर्शों में 730 दिन या अधिक अवधि के लिए भारत में रहा है।

(ब) यह परिवार गत वर्ष 2009–10 के लिए भारत में अनिवासी करदाता माना जायेगा, क्योंकि इस परिवार का प्रबन्ध एवं नियन्त्रण गत वर्ष में पूर्णरूपेण भारत से बाहर स्थित रहा है। इस परिवार के कर्त्ता के द्वारा अन्य दोनों शर्तों की पूर्ति होती है या नहीं, यह देखने की आवश्यकता नहीं है।

(स) यह परिवार गत वर्ष 2009–10 के लिए भारत में साधारण निवासी माना जायेगा क्योंकि परिवार का प्रबन्ध एवं नियन्त्रण गत वर्ष में सम्पूर्ण रूप से भारत में स्थित रहा है तथा परिवार का कर्त्ता अन्य दोनों शर्तों की पूर्ति एक साथ करता है।

फर्म तथा व्यक्तियों के समुदाय की निवासीय स्थिति [धारा 6(4)]

(Residential Status of Firms and Association of Persons)

निवासी (Resident) : यदि फर्म अथवा व्यक्तियों के समुदाय के कार्यों का प्रबन्ध एवं नियन्त्रण का कोई भी भाग गत वर्ष में भारत में किसी भी स्थान पर स्थित रहा हो तो ऐसे फर्म या व्यक्तियों के समुदाय को भारत में निवासी करदाता माना जायेगा।

अनिवासी (Non-Resident) : यदि फर्म अथवा व्यक्तियों के समुदाय के कार्यों का प्रबन्ध एवं नियन्त्रण गत वर्ष में पूर्णतया भारत के बाहर से हुआ हो तो ऐसे फर्म या व्यक्तियों के समुदाय को अनिवासी माना जायेगा।

टिप्पणी :

(i) फर्म तथा व्यक्तियों का समुदाय भारत में असाधारण निवासी नहीं होते हैं।

(ii) फर्म की निवासीय स्थिति के निर्धारण में केवल वह स्थान महत्त्वपूर्ण होता है, जहाँ से वास्तव में फर्म के प्रबन्ध एवं नियन्त्रण का कार्य होता है। फर्म के व्यापार का स्थान तथा प्रबन्धकों की निवासीय स्थिति का कोई महत्व नहीं होता है।

दष्टान्त (Example) 2.1 :

(1) एक साझेदारी फर्म के तीन साझेदार अ, ब तथा स हैं। श्री स चीन में रहते हैं। अ और ब पूर्णतः भारत में रहते हैं। फर्म का सम्पूर्ण प्रबन्ध एवं नियन्त्रण स द्वारा चीन से ही किया जाता है। गत वर्ष में श्री स तीन माह के लिये भारत में भ्रमण हेतु आये। इस अवधि में उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। यह फर्म गत वर्ष के लिये 'भारत में अनिवासी' करदाता होगी, क्योंकि गत वर्ष में उस फर्म का प्रबन्ध एवं नियन्त्रण पूर्णरूप से भारत के बाहर स्थित रहा है। श्री स के गत वर्ष में तीन माह के लिये भारत में रहने का उस फर्म के निवास स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(2) उपर्युक्त दृष्टान्त (1) में यदि श्री स ने गत वर्ष में 3 माह तक भारत में रहने के दौरान भी उस फर्म के प्रबन्ध एवं नियन्त्रण का कार्य किया हो, तो वह फर्म उस गत वर्ष में 'भारत में निवासी' करदाता मानी जायेगी क्योंकि उस फर्म का प्रबन्ध एवं नियन्त्रण आंशिक रूप से भारत में स्थित रहा है।

(3) उपर्युक्त दृष्टान्त (1) में यदि फर्म का प्रबन्ध एवं नियन्त्रण गत वर्ष में केवल अ तथा ब द्वारा किया गया हो, तो वह फर्म उस गत वर्ष में 'भारत में निवासी' करदाता होगी, क्योंकि उसका प्रबन्ध एवं नियन्त्रण पूर्णतः भारत में स्थित रहा है।

(4) उपर्युक्त दृष्टान्त (1) में यदि फर्म का प्रबन्ध एवं नियन्त्रण गत वर्ष में तीनों साझेदारों द्वारा किया गया हो, तो वह फर्म उस गत वर्ष में 'भारत में निवासी' करदाता मानी जायेगी, क्योंकि उसका प्रबन्ध एवं नियन्त्रण गत वर्ष में आंशिक रूप से भारत में स्थित रहा है।

कम्पनी की निवासीय स्थिति [धारा 6(3)] (Residential Status of a Company)

कोई भी कम्पनी करदाता भारत में निवासी अथवा अनिवासी हो सकती है, असाधारण निवासी नहीं।

निवासी (Resident) : जो कम्पनी निम्नांकित दोनों शर्तों में से किसी भी एक शर्त को पूरी कर देती है भारत में निवासी कम्पनी कहलाती है :

(1) वह कम्पनी भारतीय कम्पनी हो; अथवा

(2) गत वर्ष में उस कम्पनी का प्रबन्ध एवं नियन्त्रण पूर्णतया भारत में स्थित रहा हो।

अनिवासी (Non-Resident) : जो कम्पनी न तो भारतीय कम्पनी हो तथा न ही उसका प्रबन्ध एवं नियन्त्रण पूर्णतया भारत में स्थित रहा हो, वह कम्पनी भारत में अनिवासी कम्पनी कहलाती है।

टिप्पणी : सामान्यतः एक कम्पनी का प्रबन्ध एवं नियन्त्रण वहाँ माना जाता है जहाँ उसके संचालक मण्डल की बैठक होती है।

दष्टान्त (Example) 2.2 :

(1) काबरा एण्ड कम्पनी लि. एक भारतीय कम्पनी है। इसकी शाखाएँ भारत, जापान तथा न्यूजीलैण्ड में हैं। इसका सम्पूर्ण प्रबन्ध एवं नियन्त्रण जापान स्थित कार्यालय से होता है। यह कम्पनी 'भारत में निवास' होगी, क्योंकि यह एक भारतीय कम्पनी है। एक भारतीय कम्पनी के निवासी होने के लिये इस तथ्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि उसका प्रबन्ध एवं नियन्त्रण कहाँ से होता है।

(2) डेनियल एण्ड कम्पनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय जर्मनी में है, की एक शाखा भारत में भी स्थित है। इसका सम्पूर्ण प्रबन्ध एवं नियन्त्रण जर्मनी स्थित कार्यालय से होता है। यह कम्पनी भारत में 'अनिवासी' होगी, क्योंकि न तो यह भारतीय कम्पनी है और न ही इसका सम्पूर्ण प्रबन्ध एवं नियन्त्रण भारत से होता है।

(3) बिल गैट्स एण्ड कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय अमेरिका में है, की एक शाखा भारत में स्थित है। इसका सम्पूर्ण प्रबन्ध और नियन्त्रण भारत में स्थित कार्यालय द्वारा किया जाता है। यद्यपि यह कम्पनी भारतीय नहीं है फिर भी यह गत वर्ष में 'भारत में निवासी' कहलायेगी, क्योंकि इसका सम्पूर्ण प्रबन्ध एवं नियन्त्रण भारत से किया जाता है।

निवास स्तर सम्बन्धी कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियम–

(1) उपर्युक्त व्यक्तियों को छोड़कर अन्य प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक मामले में भारत में निवासी माना जाता है, सिवाय उस स्थिति को छोड़कर जबकि उसके कार्यों का प्रबन्ध एवं नियन्त्रण गत वर्ष में पूर्णतः भारत के बाहर स्थित रहा हो। **[धारा 6(4)]**

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(2) यदि कोई व्यक्ति किसी गत वर्ष में आय के किसी भी स्त्रोत के सम्बन्ध में भारत में निवासी हो, तो उस गत वर्ष के लिये वह आय के अन्य सभी स्त्रोतों के सम्बन्ध में भी भारत में निवासी करदाता माना जायेगा।

[धारा 6(5)]

कुल आय का क्षेत्र या कर भार

(Scope of Total Income or Incidence of Tax)

कुल आय का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि गत वर्ष में करदाता की निवासीय स्थिति क्या है तथा आय कहाँ एवं कब अर्जित या प्राप्त हुई है। निवासीय स्थिति के आधार पर कुल आय का क्षेत्र निर्धारित करने के लिए आय को निम्नांकित चार वर्गों में वर्गीकष्त किया जा सकता है :

(अ) गत वर्ष में करदाता को या उसके द्वारा अधिकष्त व्यक्ति को भारत में प्राप्त हुई या प्राप्त हुई मानी जाने वाली आय;

(ब) गत वर्ष में करदाता को भारत में उपार्जित या उदय हुई अथवा उपार्जित या उदय हुई मानी जाने वाली आय ;

(स) गत वर्ष में करदाता को भारत के बाहर उपार्जित या उदय हुई वह आय जो ऐसे व्यापार या पेशे से हुई है जिसका गत वर्ष में नियन्त्रण भारत से हुआ है;

(द) गत वर्ष में करदाता को भारत के बाहर उपार्जित या उदय हुई आय (उपर्युक्त (स) के अतिरिक्त)।

निवासीय स्थिति के आधार पर कुल आय का क्षेत्र आयकर अधिनियम की धारा 5 के अनुसार निम्न प्रकार है :

(1) भारत में निवासी करदाता की दशा में [Section 5(1)]
(In the case of Resident Assessee in India)

एक साधारण निवासी करदाता को अपनी देश एवं विदेश की समस्त आय पर कर देना होता है। इसलिए उपर्युक्त सभी आयें [(अ) से (द) तक की] उसकी कुल आय में सम्मिलित की जाती हैं।

(2) भारत में असाधारण निवासी करदाता की दशा में [Provision to Section 5(1A)]
(In the case of Not-ordinarily Resident Assessee in India)

उपर्युक्त (अ), (ब) तथा (स) में वर्णित आयें ही असाधारण निवासी की कुल आय में सम्मिलित की जाती हैं।

(3) भारत में अनिवासी करदाता की दशा में [धारा 5(2)]
(In the case of Non-Resident Assessee in India)

एक अनिवासी करदाता को भारत में उसकी भारतीय आयों पर ही कर चुकाया होता है विदेशी आयों पर नहीं। अतः अनिवासी करदाता की दशा में गत वर्ष में उपर्युक्त (अ) तथा (ब) में वर्णित आयें ही उसकी कुल आय में सम्मिलित की जाती हैं।

स्पष्टीकरण–

गत वर्ष से पूर्व की विदेशी आय जो गत वर्ष में भारत में लाई गई हो, गत वर्ष की कर–योग्य प्राप्ति नहीं कहलाती है इसलिए इस गत वर्ष की कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। यदि ऐसी आय पिछले वर्शों में कर–योग्य हो तथा सम्बन्धित गत वर्ष में उस पर कर न चुकाया गया हो तो उस गत वर्ष की कुल आय का पुनः कर निर्धारण ऐसी आय सम्मिलित करके किया जावेगा।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

कुछ महत्वपूर्ण वाक्याशों का आशय
(Meaning of Some Imporant Clauses)

1. भारत में प्राप्त हुई आय (Income received in India) :

प्राप्त हुई आय का अर्थ प्रथम बार प्राप्ति से है। आय की प्रथम बार की प्राप्ति ही प्राप्त होने वाले स्थान एवं वर्ष को निर्धारित करती है। आय करदाता को स्वयं को या उसकी तरफ से किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है। किसी आय के प्राप्त करने का स्थान वह होता है जहाँ वह आय सर्वप्रथम प्राप्त की गयी हो, न कि वह स्थान जहाँ बाद में भेजने पर प्राप्त की गयी हो। आय मुद्रा में या मुद्रा तुल्य प्रदार्थों में प्राप्त की जा सकती है। खातों में समायोजन करना भी प्राप्त हुई आय की श्रेणी में आता है। चैक द्वारा प्राप्ति उस स्थान पर मानी जायेगी जहाँ के डाकघर से चैक का प्रेशण किया गया है।

2. प्राप्त हुई मानी जाने वाली आय (Income deemed to be received [धारा 7] :

कुछ आयें ऐसी होती हैं जो करदाता को वास्तव में प्राप्त नहीं होती परन्तु आयकर अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत प्राप्त हुई मान ली जाती हैं। ऐसी आयें निम्नलिखित हैं–

(1) प्रमाणित भविष्य निधि में नियोक्ता का कर्मचारी के वेतन के 12% से अधिक राशि का अंशदान तथा इस निधि में जमा शेष पर गत वर्ष में 9.5% वार्शिक से अधिक दर से जमा किया गया ब्याज (विस्तृत विवरण 'वेतन' शीर्षक में दिया हुआ है)। **[धारा 7(i)]**

(2) अप्रमाणित भविष्य निधि को प्रमाणित भविष्य निधि बनाये जाने पर इसमें हस्तान्तरित शेश का कर–योग्य भाग **[धारा 7(ii)]**

3. उपार्जित अथवा उदय हुई आय (Income accrued or arised) :

कोई भी आय किसी व्यक्ति को उपार्जित उस समय होती है जब वह व्यक्ति उस आय को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। आय के उपार्जन का स्थान उस कार्य की प्रकषति के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है।

सामान्यतः आय के उपार्जित होने तथा उदय होने में कोई अन्तर नहीं होता, किन्तु कभी–कभी किसी आय के सम्बन्ध में लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि कर ली जाती है यद्यपि उसका उपार्जन नहीं हुआ है। ऐसी आय को उदय हुई आय कहा जाता है।

नकद आधार पर (On Cash Basis) लेखांकन करने पर आय के उपार्जित होने का आशय आय को प्राप्त करने का अधिकार मिलने से होता है तथा आय के उदय होने का अर्थ आय को बहीखातों में उस समय लिखने से होता है जिस समय वह नकद में प्राप्त होती है।

4. भारत में उपार्जित या उदय हुई मानी गई आय

(Income deemed to accrue or arise in india) [धारा 9] :

किसी आय के उपार्जन का स्थान उस आय की प्रकृति के अनुसार ही निर्धारित किया जा सकता है। जैसे–किसी कर्मचारी का वेतन उस स्थान पर अर्जित हुआ माना जायेगा, जहाँ पर उसने अपनी सेवायें प्रदान की हैं तथा मकान सम्पति से किराये की आय वहाँ पर अर्जित हुई मानी जायेगी, जहाँ पर वह मकान सम्पति स्थित है। आयकर अधिनियम की धारा 9(1) के अनुसार निम्नलिखित आयों को भारत में उपार्जित या उदय हुआ समझा जायेगा–

(1) एक भारतीय कम्पनी द्वारा भारत के बाहर चुकाया गया लाभांश।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(2) सरकार द्वारा देय अधिकार शुल्क (Royalty) की आय।

(3) भारत में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित साधनों द्वारा उपार्जित अथवा उदय हुई आयें–

(a) भारत में किसी व्यापारिक सम्बन्ध द्वारा;

(b) भारत में स्थित किसी सम्पति द्वारा;

(c) भारत में स्थित किसी पूँजी सम्पति के हस्तान्तरण द्वारा।

(4) भारत में प्रदान की गई सेवा के लिए देय वेतन तथा पेंशन को भारत में अर्जित वेतन माना जाता है। ऐसी सेवा से पूर्व या पश्चात् विश्राम काल (rest period) या अवकाश काल (leave period) का पारिश्रमिक भी भारत में उपार्जित आय मानी जायेगी, बशर्तें वह विश्राम काल या अवकाश काल सेवा अनुबनध का एक भाग हो।

अपवाद :

यदि किसी व्यक्ति की न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति 15 अगस्त, 1947 से पूर्व हुई थी और वह व्यक्ति स्थायी रूप से भारत के बाहर रहने लगा है, तो ऐसे व्यक्ति को भारत से बाहर देय पेन्शन को भारत में उपार्जित या उदय हुई आय नहीं माना जायेगा। [धारा 9(2)]

(5) भारत के नागरिक को भारत के बाहर की गई सेवाओं के लिए सरकार द्वारा 'वेतन' के रूप में दी गई राशि।

(6) तकनीकी सेवाओं के बदले सरकार, एक निवासी व्यश्टि तथा एक अनिवासी व्यश्टि द्वारा देय फीस की आय। यह आय ऐसे व्यक्ति के द्वारा भारत में चलाये गये व्यवसाय या पेशे अथवा भारत में किसी साधन से आय कमाने के उद्देश्य से प्रयोग में लाई गई सेवाओं के सम्बन्ध में देय हो।

(7) निम्न के द्वारा ब्याज के रूप में देय राशि की आय–

(i) सरकार; अथवा

(ii) निवासी व्यक्ति (भारत के बाहर चलाये जाने वाले व्यापार या अन्य साधनों से आय कमाने के लिए लिये गये ऋण पर देय ब्याज को छोड़कर)

(iii) एक अनिवासी द्वारा देय ब्याज जो भारत में चलाये जा रहे व्यापार अथवा पेशे के लिए उधार ली गई राशि के सम्बन्ध में देय हो।

उदाहरण (Illustration) 2.3 :

श्री रवि की वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए आयों का विवरण निम्न प्रकार है–

	रूपये
1. अमेरिका में उपार्जित परन्तु भारत में प्राप्त	1,04,000
2. जापान में व्यापार से लाभ किन्तु जिसे भारत में प्राप्त किया गया	1,10,000
3. ईरान में स्थित मकान सम्पत्ति से आय, जो ईरान में ही बैंक में जमा करा दी गई।	1,05,000
4. जर्मनी में स्थापित व्यवसाय के लाभ, जो जर्मनी में ही एक बैंक में जमा करा लिये गये। यह व्यवसाय भारत से नियन्त्रित है।	1,08,000
5. पाकिस्तान में कषशि से आय। यह सम्पूर्ण आय पाकिस्तान में ही किसी पुस्तकालय को दान कर दी गई।	1,12,000
6. भारत में कृषि से आय	1,06,000
7. 2005–06 से सम्बन्धित बिना कर लगी विदेशी आय जो गत वर्ष में भारत में लाई गई।	1,03,000
8. इंग्लैण्ड में की गई सेवाओं के लिए भारत में प्राप्त वेतन।	2,14,000
9. भारत में प्राप्त पेन्शन	17,000

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

उपर्युक्त विवरण से श्री रवि की कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 की कुल आय की गणना कीजिए यदि श्री रवि :।

(a) निवासी है, (b) असाधारण निवासी है तथा (c) अनिवासी है।

The following are detales of incomes of Shri Ravi for the financial year 2009-10.

	Rs.
(1) Accrued in America but received in India.	1,04,000
(2) Profits from business in Japan but received in India,	1,10,000
(3) Income from house property in Iran, deposited in a bank there.	1,05,000
(4) Profits of a business established in Germany, deposited in a bank there. This business is controlled from India.	1,08,000
(5) Income from agriculture in Pakistan. It is all donated to a library in Pakistan.	1,12,000
(6) Income from agriculture in India.	1,06,000
(7) Untaxed foreign income related to the year 2005-06 brought into India during the previous year.	1,03,000
(8) Salary received in India for the services rendered in England.	2,14,000
(9) Pension received in india.	17,000

From the above particulars, calculate the total income of Shri Ravi for the assessment year 2010-11 if Shri Ravi is a :

(a) resident, (b) not-ordinarily resident, and (c) non-resident.

हल (Solution) :

Total Income of Shri Ravi
For the Assessment Year 2010-11

आय का विवरण (Particulars of Income)	निवासी (Resident) (A) Rs.	असाधारण निवासी (Not-Ordinarily Resident) (B) Rs.	अनिवासी (Non-Resident) (C) Rs.
1. Accrued in America but received in India.	1,04,000	1,04,000	1,04,000
2. Profits from business in Japan but received in India.	1,10,000	1,10,000	1,10,000
3. Income from house property in Iran, deposited in a bank there.	1,05,000	Nil	Nil
4. Profits of a business established in Germany, deposited in a bank there. This business is controlled from India.	1,08,000	1,08,000	Nil
5. Income from agriculture in Pakistan.	1,12,000	Nil	Nil
6. Income from agriculture in India.	Nil	Nil	Nil
7. Untaxed foreign income related to 2005-06 brought Into India during the previous year.	Nil	Nil	Nil
8. Salary received in India for the services rendered in England.	2,14,000	2,14,000	2,14,000
9. Pension received in India.	17,000	17,000	17,000
Total Income (Rs.)	7,70,000	5,53,000	4,45,000

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

1. भारत में कृषि से आय कर–मुक्त होती है, अतः किसी भी स्थिति में करदाता की कुल आय में शामिल नहीं की जायेगी।
2. 2005–06 से सम्बन्धित बिना कर लगी विदेशी आय, जो गत वर्ष में भारत में लाई गई, किसी भी स्थिति में करदाता की आय में शामिल नहीं की जायेगी।

अभ्यास के लिए प्रश्न
(Questions for Exercise)

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न

(Very Short Answer Type Questions)

निम्नलिखित प्रश्नों का उतर अधिकतम 20 शब्दों में दीजिए।

(Answer the following Questions in Maximum 20 words.)

1. निवास स्तर के आधार पर व्यष्टि करदाताओं को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है ?
   In how many groups can the individual assesses be divided on the basis of residential status ?
2. निवास स्तर के आधार हिन्दू अविभाजित परिवार को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है ?
   In how many groups can the Hindu undivided family be divided on the basis of residential status ?
3. एक साझेदारी फर्म भारत में निवासी कब मानी जाती है ?
   When is a partnership firm be treated as resident in India ?
4. एक कम्पनी को भारत में निवासी कब माना जाता है ?
   When is a company said to be resident in India ?
5. एक विदेशी कम्पनी को भारत में निवासी कब माना जाता है ?
   When is a foreign company treated as resident in India ?
6. क्या एक कम्पनी भारत में असाधारण निवासी हो सकती है ? यदि हाँ तो कम्पनी को कौनसी शर्त पूरी करनी होगी ?
   Can a company be an ordinarily resident in India ? If yes, which condition the company is to fill up ? [Ans. No]

लघूत्तरात्मक प्रश्न

(Short Answer Type Questions)

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए।

(Answer the following Questions in Maximum 50 words).

1. एक व्यष्टि करदाता को भारत में निवासी कब माना जाता है ?
   When is an individual assessee treated as resident in India ?
2. एक हिन्दू अविभाजित परिवार करदाता भारत में निवासी कब होता है ?
   When is an H.U.F. assessee resident in India ?
3. असाधारण निवासी करदाता से आप क्या समझते हैं ?
   What do you understand by not-ordinarily resident assessee ?
4. भारत में प्राप्त आय से आप क्या समझते हैं ?
   What do you understand by income received in India ?

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

5. साधारण निवासी एवं असाधारण निवासी के मध्य अन्तर को स्पश्ट कीजिये।
State the difference between ordinarily and not-ordinarily resident.
6. व्यष्टि के अतिरिक्त अन्य करदाताओं की निवास स्थिति का निर्धारण किस प्रकार किया जाता हैं?
How the residential status of all assesses other than individual is determined ?
7. सुधांशु भारतवर्ष में प्रथम बार 11 नवम्बर, 2008 को आये। वे भारतवर्ष में 20 अक्टूबर, 2009 तक रहे। इस यात्रा के दौरान वे 20 मई, 2009 तक चेन्नई में रहे और इसके पश्चात् भारत छोड़ने तक अलवर में रहे। कर निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिये उनकी निवास स्थिति का निर्धारण कीजिए।
Sudhanshu came to India for the first time on 11th Nov., 2008. He stayed in India upto 20th Oct.,2009. During this journey he stayed at Chennai upto 20th May,2009 and there after remained in Alwar till his departure from India. Determine his residential status for the assessment year 2010-11.
[Ans. Not ordinarily resident]
8. एक अनिवासी भारतीय कम्पनी राजा लिमिटेड से ब्याज प्राप्त करते हैं। राजा लिमिटेड ने यह राशि भारत के बाहर संचालित होने वाले एक व्यापार के लिये उधार ली थी। बताइये कि इस ब्याज की आय पर भारत में कर लगेगा या नहीं ?
A non-resident, gets interest from Raja Limited which is an Indian company. The capital was borrowed by Raja Limited for the purpose of a business carried on by it outside India. Discuss whether the interest is chargeable to tax in India.
[Ans. Yes]
9. भारत में उपार्जित या उदय हुई आय से आप क्या समझते हैं ?
What do you understand by income accrued or arisen in India ?
10. भारत मे प्राप्त हुई आय को उदाहरण सहित समझाइए।
Explain with examples the income deemed to be received in India.

निबन्धात्मक सैद्धान्तिक प्रश्न
(Essay Type Theoretical Questions)

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए।
(Answer the following Questions in Maximum 50 words).

1. आयकर के लिए करदाता का निवास–स्तर आप किस प्रकार निर्धारित करेंगे ? उदाहरण देते हुए स्पश्ट कीजिये।
How will you determine the residential status of an assessee for income tax purposes ? Explain with examples.
2. ''निवास–स्तर के आधार पर कुल आय का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है।'' स्पश्ट कीजिए।
"The scope of Total Income is determined on the basis of residential status of an assessee." Explain.

व्यावहारिक प्रश्न (Practical Questions)

1. निम्नलिखित परिस्थितियों में कर निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए निवास–स्तर का निर्धारण कीजिए–
(a) एक व्यक्ति, जो भारत का रहने वाला है, अपने किसी रिश्तेदार से मिलने 28 जून, 2009 को जापान चला गया। वह वहाँ पर एक वर्ष रहा।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(b) एक व्यक्ति, जो अमेरिका का रहने वाला है, सर्वप्रथम 1 अप्रैल, 2008 को भारत आया। वह 20 जनवरी, 2010 को अमेरिका वापस गया।

(c) एक व्यक्ति, जो पंजाब का रहने वाला है, 24 वर्ष से संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यापार करता है। उसका पंजाब में रहने का एक मकान है और वह प्रति वर्ष तीन माह के लिए भारत आता है।

(d) एक व्यक्ति, जो भारत का नागरिक है, ईराक में एक निजी संस्था में सेवा कर रहा है। वह 1 मई, 2009 को भारत आया तथा 1 जनवरी, 2010 को वापस ईराक चला गया। वह व्यक्ति 1 जनवरी, 2006 को प्रथम बार ईराक चला गया था।

(e) एक हिन्दू अविभाजित परिवार के कर्त्ता अपनी पत्नी के साथ 15 अप्रैल, 2009 को इंग्लैण्ड गये और 10 जून, 2010 को वापस आ गये।

(f) एक भारतीय कम्पनी, जिसका प्रबन्ध एवं नियन्त्रण पूर्णतया नेपाल स्थित शाखा से किया जाता है।

(g) एक कम्पनी, जिसका पंजीकष्त कार्यालय लन्दन में है, का आंशिक रूप से प्रबन्ध एवं नियन्त्रण भारत में स्थित शाखा द्वारा किया जाता है।

(h) एक साझेदारी फर्म में तीन साझेदार X,Y, और Z हैं। X और Y भारत में रहते हैं, जबकि Z जर्मनी में रहते हैं। फर्म का नियन्त्रण पूर्णतया Z द्वारा किया जाता है। Z गत वर्ष में 2 माह के लिए भारत में रहा।

(i) भारत में एक वी.आई.पी. क्लब है। इस क्लब के संचालक श्री एक्स चीन के रहने वाले हैं। इस क्लब का नियन्त्रण श्री एक्स द्वारा किया जाता है। गत वर्ष में श्री एक्स एक दिन के लिए भी भारत नहीं आये।

Determine the residertial status in the following cases for the assessment year 2010-11 :

(a) A person, who lives in India, proceeded for Japan on 28th June, 2009 to meet his relative there. He stayed there for one year.

(b) A person, who lives in America, came to India on 1st April 2008 for the first time. He left for America on 20 January, 2010.

(c) A person, who belongs to Punjab, has been running his business in U.S.A. for the last 24 years. He has a dwelling house in Punjab and comes for 3 months every year to India.

(d) A person, who is an Indian citizen, is serving in a private concern in Iraq. He came to India on May 1, 2009 and left for Iran on 1st Jan,2010. This person went to lraq for the first time on 1st January, 2006.

(e) The manager of an H.U.F. visited England with his wife from 15th April, 2009 to 10th June, 2010.

(f) An Indian company, whose control and management is done wholly from its branch in Nepal.

(g) A company, whose registered office is in London, is partly controlled and managed from its branch established in India.

(h) In a partnership firm, there are three partners namely X,Y and Z, X and Y reside in India while Z lives in Germany. The firm is fully controlled by Z During the previous year, Mr. Z stayed for 2 Months in India.

(i) A V.I.P. club in India, whose director Mr. X belongs to China The club is controlled fully by Mr. X. In the previous year, Mr. X did not come for a single day to India.

[Ans. (a) Ordinarily resident

(b) Not-ordinarily resident

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(c) Non-resindent
(d) ordinarily resident
(e) Resident
(f) Resident
(g) Non-resident
(h) Resident
(i) Non-resident.]

2. श्री राधारमण की 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की आयें इस प्रकार थी–

	रुपये
(i) भारत में व्यापार से आय।	1,05,000
(ii) चीन में की गई सेवाओं के लिए भारत में प्राप्त वेतन।	13,000
(iii) जापान में कृषि से आय।	2,000
(iv) भारत में कृषि से आय।	3,000
(v) भारत में की गई सेवाओं के लिए जापान में प्राप्त पेन्शन।	5,000
(vi) पिछले वर्षों की बिना कर लगी विदेशी आय, जो गत वर्ष में भारत लाई गई।	10,000
(vii) जर्मनी में व्यापार से लाभ, जिसका नियन्त्रण आंशिक रूप में भारत से किया जाता है।	15,000
(viii) पाकिस्तान के विकास बॉण्डस पर ब्याज, जिसका 40 प्रतिशत भारत में प्राप्त हुआ है। कुल राशि	10,000
(ix) दिल्ली में व्यवसाय से आय जिसका नियन्त्रण, जापान से किया जाता है।	10,000

उपर्युक्त विवरण के आधार पर श्री राधारमण की गत वर्ष 2009–10 (कर–निर्धारण वर्ष 2010–11) के लिए सकल कुल आय की गणना कीजिए, यदि वे (a) भारत में निवासी हों, (b) भारत में असाधारण निवासी हों, (c) भारत में अनिवासी हों।

Shri Radha Raman had the following incomes during the financial year ended on 31st March 2010 :

	Rs.
(i) Profits from business in India.	1,05,000
(ii) Salary received in India for the services rendered in China	13,000
(iii) Income from agriculture in Japan.	2,000
(iv) Income from agriculture in India.	3,000
(v) Pension received in Japan for the services rendered in India	5,000
(vi) Past untaxed foreign income brought in India during the previous year.	10,000
(vii) Profit from business in Germany, whose control is partly done from India.	15,000
(viii) Interest on development bonds of Pakistan, of which 40% is Received in India, The full amount being.	10,000
(ix) Income from business in Delhi, which is controlled from Japan.	10,000

From the above particulars, compute Gross Total Income of Shri Radha Raman for the previous year 2009-10 (Assessment Year 2010-11) if he is (a) Resident in India. (b) Not-ordinarily resident in India (c) Non-resident in India.

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

वर्ग (Section) : A
इकाई (Unit) : 3
कर–मुक्त आयें
(Exempted Incomes)

परिचय
(Introduction)

कर–मुक्त आयें दो प्रकार की होती हैं :–

(i) जो पूर्णतया कर से मुक्त होती हैं अर्थात् जिनको न तो कुल आय में सम्मिलित करते हैं और न ही जिन पर कर लगता है, तथा

(ii) जिनको कुल आय में तो सम्मिलित करते हैं किन्तु उनके सम्बन्ध में औसत दर से कर में छूट ष्दी जाती है।

(A) पूर्णतः कर–मुक्त आयें
(Fully Exempted Incomes)

आयकर अधिनियम की धारा–10 में ऐसी आयों की सूची दी गई है जो कर–मुक्त हैं तथा कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाती। महत्वपूर्ण कर–मुक्त आयों का वर्णन यहां किया जा रहा है तथा शेष कर–मुक्त आयों का वर्णन आय के सम्बन्धित शीर्षक में किया गया है।

(1) कृषि आय– भारत में स्थित भूमि से कृषि आय कर मुक्त होती है। विदेश में स्थित कृषि भूमि की आय कर योग्य होती है परन्तु केवल निवासी करदाता ही उस पर कर देता है।[धारा 10(1)]

(2) हिन्दू अविभाजित परिवार से प्राप्त राशि– हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य द्वारा परिवार की आय में से प्राप्त कोई धनराशि चाहे परिवार की आय पर कर लगा हो अथवा नहीं लगा हो। [धारा 10(2)]

(3) साझेदार को फर्म से आय– यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसी फर्म में साझेदार है जिस पर पृथक से कर–निर्धारण किया गया है तो ऐसी फर्म की कुल आय में साझेदार का भाग पूर्णतः कर–मुक्त होगा। परन्तु साझेदार को फर्म से प्राप्त वेतन एवं ब्याज कर मुक्त नहीं होगा। [धारा 10(2A)]

(4) जीवन बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त रकम– जीवन बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त कोई राशि एवं ऐसी पॉलिसी के सम्बन्ध में आबंटित बोनस की राशि कर मुक्त होगी।

परन्तु निम्न राशियाँ कर मुक्त नहीं होगी–

(अ) धारा 80DD (3) या धारा 80 DDA (3) के अन्तर्गत प्राप्त कोई राशि, अथवा

(ब) 'महत्वपूर्ण व्यक्ति बीमा पॉलिसी' के अन्तर्गत प्राप्त कोई राशि, अथवा

(स) 1 अप्रैल, 2003 या उसके बाद जारी की गई बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत प्राप्त कोई राशि, यदि ऐसी पॉलिसी की सम्पूर्ण अवधि के दौरान किसी भी वर्ष के लिये देय प्रीमियम की राशि– बीमित पूँजीगत राशि' के 20% से अधिक रही हो। परन्तु इस उप–वाक्य के प्रावधान किसी व्यक्ति की मृत्यु पर प्राप्त राशि पर लागू नहीं होंगे। [धारा 10(10D)]

(5) सार्वजनिक भविष्य निधि खाते से प्राप्त राशि– सार्वजनिक भविष्य निधि खाते से प्राप्त कोई भी भुगतान पूर्णतः कर मुक्त होता है। इस भविश्य निधि की स्थापना केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई है। [धारा 10(11)]

(6) छात्रवृतियाँ– शिक्षा के व्यय की पूर्ति के लिए स्वीकष्त छात्रवृतियाँ कर मुक्त होती है। [धारा 10(16)]

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(7) सांसदों एवं विधायकों के भत्ते– सांसदों एवं विधायकों को प्राप्त भत्ते निम्न सीमा तक कर मुक्त होते है–

(i) संसद अथवा राज्य विधानसभा अथवा इनकी किसी समिति के सदस्य को मिलने वाला दैनिक भत्ता पूर्णतया कर–मुक्त होता है।

(ii) Members of Parliament (Constituancy Allowance) Rule,1986 के तहत संसद के किसी भी सदस्य को प्राप्त कोई भत्ता बिना सीमा के एवं बिना सरकारी अधिसूचना के कर–मुक्त होता है।

iii) किसी राज्य विधान सभा के सदस्य द्वारा प्राप्त निर्वाचन क्षेत्र भत्ता उस विधान सभा द्वारा बनाये गये अधिनियम तथा नियमों के अन्तर्गत कर–मुक्त होगा।

[धारा 10(17)]

(8) पुरस्कार एवं पारितोषिक– निम्नांकित पुरस्कार चाहे नकद दिया गया हो अथवा वस्तु के रूप में दिया गया हो, पूर्णतया कर मुक्त होता है–

(i) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा जन हित में दिया गया कोई पुरस्कार अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा दिया गया कोई पुरस्कार बशर्तें कि वह केन्द्रीय सरकार द्वारा इस आशय के लिए अनुमोदित हो, अथवा

(ii) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा ऐसे उद्देश्यों के लिए दिया गया इनाम जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस आशय के लिए जन हित में अनुमोदित हो। [धारा 10(17)]

(9) कुछ दशाओं में सरकारी कर्मचारी की पेंशन का कर–मुक्त होना– ऐसे किसी व्यक्ति को जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार की सेवा में रहा हो तथा जिसे 'परम वीर चक्र' या' महावीर चक्र', या 'वीर चक्र' अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस आशय के लिये अधिसूचित अन्य कोई वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया हो, पेंशन के रूप में प्राप्त कोई भी आय कर–मुक्त होगी।

इस प्रकार के कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य को प्राप्त पारिवारिक पेंशन भी कर मुक्त होगी। [धारा 10(18)]

(10) सैन्य बल के किसी सदस्य की विधवा अथवा बच्चों द्वारा प्राप्त पारिवारिक पेंशन– केन्द्र सरकार के सैन्य बल (अर्द्ध सैन्य बल–Para-military forces सहित) के किसी सदस्य की विधवा अथवा उसके बच्चों अथवा उसके द्वारा नामांकित उत्तराधिकारी द्वारा प्राप्त पारिवारिक पेंशन कर–मुक्त होगी बशर्तें उसकी मृत्यु प्रत्यक्ष करों के केन्द्री बोर्ड द्वारा निर्धारित परिस्थितियों में तथा निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत कर्त्तव्य निर्वहन के दौरान (Operational duties) हुई हो।

[धारा 10(19)]

(11) भूतपूर्व शासकों के मकान की आय– भारतीय रियासतों के भूतपूर्व शासकों के निवास स्थान के लिए प्रयोग किये जा रहे किसी भी एक महल का वार्शिक मूल्य, बशर्तें कि इस प्रकार के महल का वार्शिक मूल्य 1972 के पूर्व किसी अधिनियम के अन्तर्गत आय–कर से मुक्त था। कोई भाग किराये पर उठाने से प्राप्त किराया कर–योग्य होगा। [धारा 10(19A)]

नोट : अन्य कर–मुक्त आयों का वर्णन सम्बन्धित इकाई में किया गया है।

(B) अशंतः कर–मुक्त आयें

(Partly Exempted Incomes)

निम्नलिखित आय देय आय–कर की गणना के लिये कुल आय में जोड़ी जाती है परन्तु उस पर औसत दर की छूट मिलती है–

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

व्यक्तियों के समुदाय के सदस्य को प्राप्त उसके लाभ का हिस्सा, यदि समुदाय ने अपनी आय पर सामान्य दरों से कर चुका दिया हो।

मुक्त व्यापार क्षेत्र आदि में स्थापित नवीन उद्योगों के लाभ का पूर्णतया कर–मुक्त होना [धारा (10A)] (Exemption in respect of newly established Undertakings in free trade zone,etc.)

यह धारा निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करने वाले उपक्रम पर लागू होती है–

(i) उपक्रम की स्थापना का समय एवं स्थान– ऐसे उपक्रम ने निम्न प्रकार से निर्दिश्ट किय गये गत वर्ष में या उसके बाद किसी भी गत वर्ष में वस्तुओं (मूल्यवान् एवं अर्द्ध–मूल्यांकन पत्थरों की कटाई एवं पॉलिस सहित) या कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का निर्माण या उत्पादन प्रारम्भ किया हो–

स्थापना का स्थान	गत वर्ष जिसमें निर्माण प्रारम्भ किया जाये
मुक्त व्यापार क्षेत्र में	गत वर्ष 1980–81 में या बाद के किसी भी गत वर्ष में
इलैक्ट्रोनिक हार्डवेयर टैक्नोलॉजी पार्क अथवा सॉफ्टवेयर टैक्नोलोजी पार्क में	गत वर्ष 1993–94 में या बाद के किसी भी गत वर्ष में
विशेश आर्थिक क्षेत्र में	गत वर्ष 2000–01 में या बाद के किसी भी गत वर्ष में

(ii) पूर्व में काम ली गई मशीन का प्रयोग नहीं करना– यह उपक्रम किसी भी उद्देश्य के लिये पहले से उपयोग में लाई गई मशीन या प्लाण्ट को नये व्यवसाय को हस्तान्तरित करके नहीं बनाया गया है। परन्तु विदेश से आयातित पुरानी मशीन एवं प्लाण्ट को पहले से उपयोग में लाई गई मशीन नहीं माना जायेगा बशर्ते कि वह करदाता के स्वामित्व में नहीं रही हो, उसका कभी भी भारत में उपयोग नहीं हुआ हो तथा उस पर भारतीय आय–कर अधिनियम के तहत ह्मस की कटौती नहीं दी गई हो।

छूट की अवधि (1 अप्रैल, 2002 से पूर्व स्थापित उपक्रमों की दशा में) :

(i) उत्पादन प्रारम्भ होने वाले गत वर्ष से सम्बन्धित कर–निर्धारण वर्ष सहित 10 लगातार कर–निर्धारण वर्षों के लिये।

(ii) इस धारा की प्रतिस्थापना से पूर्व ली गई छूट के वर्शों को 10 वर्षों में से कम कर दिया जायेगा।

(iii) उपक्रम को मुक्त व्यापार क्षेत्र या निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र से विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तित कर देने पर छूट शेष वर्षों के लिये दी जायेगी।

1 अप्रैल, 2002 से छूट की अवधि :

यदि कोई उपक्रम 1 अप्रैल, 2002 को अथवा उस तिथि के बाद कभी भी वस्तुओं अथवा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का उत्पादन अथवा निर्माण विशेष आर्थिक क्षेत्र में करता है तो उसे इस धारा के तहत कटौती निम्न प्रकार दी जायेगी–

(अ) प्रथम पाँच कर निर्धारण वर्शों के लिये– ऐसी वस्तुओं अथवा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात से होने वाले लाभों का 100%, तथा

(ब) अगले दो वर्शों के लिये– उपरोक्त लाभों का 50%

(स) अगले तीन वर्शों के लिये– पुनर्विनियोग छूट संचय खाते में जमा की गई राशि तक परन्तु उपरोक्त लाभों के 50% से अधिक नहीं।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

परन्तु यदि कोई करदाता धारा 139(1) में निर्दिष्ट निर्धारित तिथि तक अपनी आय का नक्शा प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे इस धारा के तहत कोई कटौती स्वीकृत नहीं की जायेगी।

कर–निर्धारण वर्ष 2011–12 एवं बाद के कर–निर्धारण वर्षों में इस धारा के तहत कोई कटौती नहीं दी जायेगी, चाहे करदाता की छूट की अवधि समाप्त हुई है अथवा नहीं।

बिक्री की राशि को परिवर्तनशील विदेशी मुद्रा में प्राप्त करना– किसी भी उपक्रम को इस धारा की कटौती उसी दशा में मिलेगी, जबकि भारत से बाहर निर्यात की गई वस्तुओं या कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की राशि को करदाता द्वारा परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में भारत में प्राप्त कर लिया गया हो अथवा भारत में लाया जा चुका हो। मुद्रा की ऐसी प्राप्ति अथवा उसे भारत में लाने का कार्य गत वर्ष की समाप्ति से 6 माह के भीतर अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा बढाई गई अवधि के भीतर हो जाना चाहिये।

(4) कटौती के लिये लाभों की गणना– इस धारा की कटौती के लिये वस्तओं या कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात से होने वाले लाभों की गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जायेगी–

$$\frac{\text{निर्यात बिक्री}}{\text{कुल बिक्री}} \text{ X (व्यवसाय के लाभ)}$$

विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित नई इकाइयों के लाभों का कर–मुक्त होना [धारा (10AA)] (Exemption in respect of profits of newly established units in Special Economic Zones)

इस धारा के जोड़ने का उद्देश्य विशेष आर्थिक क्षेत्र में नई स्थापित इकाइयों के लाभ को आय कर से मुक्त करना है। इस धारा के प्रमुख प्रावधान निम्न हैं :

(1) आवश्यक शर्तें– इस धारा की कटौती लेने के लिये निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करना आवश्यक है:

(i) करदाता विशेश आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 2(i) के अनुसार ऐसा साहसी पुरुष (entrepreneur) है जिसे विभागीय आयुक्त द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र में इकाई स्थापित करने का अनुमोदन पत्र स्वीकृत कर दिया गया है।

(ii) करदाता अनुमोदित विशेष आर्थिक क्षेत्र में 1 अप्रैल, 2006 को अथवा इसके बाद प्रारम्भ होने वाले कर निर्धारण वर्ष में सम्बन्धित गत वर्ष में वस्तुओं का निर्माण अथवा उत्पादन प्रारम्भ करता है अथवा सेवाएँ प्रदान करता है।

(iii) यह उपक्रम पहले से मौजूद किसी व्यवसाय को तोड़–मरोड़कर या पुनर्गठित करके नहीं बनाया गया है। परन्तु धारा 33B में उल्लेखित तूफान, भूकम्प, बाढ आदि के सम्बन्ध में पुनर्वास छूट पाने वाले उपक्रम पर यह शर्त लागू नहीं होगी।

(iv) यह उपक्रम किसी भी उद्देश्य के लिये पहले से उपयोग में लाई गई मशीन या प्लान्ट को नये व्यवसाय को हस्तान्तरित करके नहीं बनाया गया है।

(v) करदाता ने ऐसी इकाई में निर्मित अथवा उत्पादित माल का निर्यात करके आय कमाई है अथवा ऐसी इकाई से विदेश में सेवाएँ प्रदान करके आय कमाई है।

(vi) करदाता को अपनी लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण कराकर आय के नक्शे के साथ निर्धारित फार्म में ऐसे अंकेक्षण की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी।

(2) कटौती के लिये लाभों की गणना– इस धारा की कटौती के लिये वस्तुओं अथवा सेवाओं के निर्यात से होने वाले लाभों की गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जायेगी–

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

$$\frac{\text{निर्यात बिक्री} \times \text{ऐसे उपक्रम के व्यवसाय के लाभ}}{\text{करदाता द्वारा संचालित व्यवसाय की कुल बिक्री}}$$

(3) कटौती की मात्रा एवं अवधि– इस धारा के तहत कटौती उस गत वर्ष से सम्बन्धित कर निर्धारण से मिलना प्रारम्भ होती है जिस गत वर्ष में करदाता वस्तुओं का निर्माण अथवा उत्पादन प्रारम्भ करता है अथवा सेवाएँ देना प्रारम्भ करता है तथा 15 लगातार कर निर्धारण वर्षों के लिये निम्न प्रकार दी जाती है–

(अ) प्रथम 5 वर्षों के लिये– वस्तुओं के निर्यात अथवा भारत के बाहर सेवाएँ देने से होने वाले लाभ का 100%

(ब) अगले 5 वर्षों के लिये अर्थात् छटवें से दसवें वर्ष के लिये– वस्तुओं के निर्यात अथवा भारत के बाहर सेवाएँ देने से होने वाले लाभ का 50%

(स) अगले 5 वर्षों के लिये अर्थात् ग्यारहवें वर्ष से पन्द्रहवें वर्ष के लिये– लाभ का 50% अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र पुनर्विनियोग छूट संचय खाते में हस्तान्तरित की गई रकम, दानों में जो भी कम हो, के बराबर। इस विशेश संचय खाते में रकम हस्तान्तरण करने एवं उसके उपयोग करने के सम्बन्ध में वाक्यांश (4) में दी गई शर्तों का पालन करना आवश्यक है।

(4) विशेष संचय खाते में (विशेश आर्थिक क्षेत्र पुनर्विनियोग छूट संचय खाता) रकम का हस्तान्तरण एवं उसका उपयोग– वाक्यांश (3 स) में वर्णित छूट के लिये लाभों के 50% तक राशि सम्बन्धित गत वर्ष के लाभ–हानि खाते के नाम लिखी जानी चाहिये तथा इस संचय खाते में जमा की जानी चाहिये। संचित राशि के सम्बन्ध में निम्न शर्तों की पूर्ति आवश्यक है–

(i) इस खाते में जमा रकम का उपयोग नई मशीनरी एवं प्लाण्ट को क्रय करने में करना चाहिये।

(ii) नई प्राप्त की गई मशीन एवं प्लाण्ट का प्रथम बार उपयोग उस गत वर्ष की समाप्ति के तीन वर्ष के भीतर हो जाना चाहिये जिस गत वर्ष में संचय बनाया गया था।

(iii) जब तक नई मशीन व प्लाण्ट को नहीं खरीदा जाये तब तक के लिये विशेष संचय खाते का उपयोग व्यापार के उद्देश्यों के लिये किया जा सकता है, परन्तु इसका उपयोग लाभ या लाभांश के वितरण के लिये अथवा भारत के बाहर लाभ के रूप में भेजने अथवा भारत के बाहर किसी सम्पति के क्रय करने के लिये नहीं किया जा सकता है।

(iv) जिस गत वर्ष में नई प्लाण्ट एवं मशीन का प्रथम बार उपयोग किया जाता है उस गत वर्ष के आय के नक्शे के साथ नई प्लाण्ट एवं मशीन के सम्बन्ध में निर्धारित विवरण प्रस्तुत करना होगा।

(5) विशेष संचय खाते का दुरूपयोग करना अथवा निर्धारित समय में उपयोग नहीं करना– यदि संचय खातें में जमा राशि का उपयोग इस आशय के लिये निर्धारित उद्देश्यों के अलावा अन्य किसी तरीके से कर लिया जाता है तो इस प्रकार अन्य कार्यों के लिये उपयोग में लाई गई राशि को उस गत वर्ष की आय मान लिया जायेगा जिस गत वर्ष में अन्य कार्यों के लिये इसका उपयोग किया जाता है। यदि इस खातें में हस्तान्तरित रकम का उपयोग हस्तान्तरण के वर्ष की समाप्ति के बाद तीन वर्ष के भीतर नई मशीन एवं प्लाण्ट को खरीदने में नहीं किया जाता है तो जितनी राशि का उपयोग नहीं किया जाये, उतनी राशि को निर्धारित तीन वर्ष की अवधि के बाद वाले वर्ष की आय मान लिया जायेगा।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(6) 1 अप्रैल, 2005 के पूर्व से विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित इकाइयों के लिये कटौती का प्रावधान– 1 अप्रैल, 2005 अर्थात् विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 लागू होने के पूर्व से विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित इकाइयों के सम्बन्ध में धारा 10A अथवा 10AA के सम्बन्ध में कटौती के प्रावधान निम्न हैं–

(i) 1 अप्रैल, 2002 से 31 मार्च, 2005 के दौरान विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित इकाइयाँ– ऐसी इकाइयाँ प्रथम 10 वर्षों के लिये धारा 10A के तहत छूट प्राप्त करेंगी तथा इसके बाद अगले 5 वर्षों के लिये धारा 10AA के तहत छूट प्राप्त कर सकेंगी।

(ii) 1 अप्रैल, 2002 के पूर्व विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित इकाइयाँ– ऐसी इकाइयाँ निर्धारित 10 वर्षों की अवधि में धारा 10A के तहत छूट प्राप्त कर सकेंगी।

(iii) मुक्त व्यापार क्षेत्र अथवा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थापित इकाइयाँ– ऐसी इकाइयाँ भी निर्धारित 10 वर्षों की अवधि में धारा 10A के तहत छूट प्राप्त कर सकेंगी भले ही इन इकाइयों को बाद में विशेष आर्थिक क्षेत्र में हस्तान्तरित मान लिया गया हो।

नव स्थापित शत–प्रतिशत निर्यातोन्मुखी उपक्रम के सम्बन्ध में विशेष प्रावधान [धारा 10B]

(Special provisions in respect of newly established 100% export oriented undertakings)

इस धारा के प्रावधान निम्न प्रकार हैं–

(1) यह धारा ऐसे उपक्रम पर लागू होती है जिसके सम्बन्ध में निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी होती हैं–

(i) ऐसे उपक्रम में किसी भी वस्तु या कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का निर्माण या उत्पादन होता है।

(ii) वह उपक्रम पहले से मौजूद किसी व्यवसाय को तोड़–मरोड़ कर या पुनर्गठित करके नहीं बना हो। परन्तु धारा 33B में उल्लेखित भूकम्प, बाढ, तूफान आदि के सम्बन्ध में पुनर्वास छूट (Rehabilitation allowance) की पात्रता वाले उपक्रम पर शर्त लागू नहीं होगी।

(iii) यह उपक्रम किसी भी उद्देश्य के लिये पहले से उपयोग में लाई गई मशीन या प्लाण्ट को नये व्यवसाय को हस्तान्तरित करके नहीं बनाया गया है। अर्थात् इस उपक्रम में नई प्लाण्ट अथवा मशीन का उपयोग होना चाहिये। परन्तु विदेश से आयातित पुरानी मशीन एवं प्लाण्ट को पहले से उपयोग में लाई गई मशीन नहीं माना जायेगा बशर्तें कि वह करदाता के स्वामित्व में नहीं रही हो, उसका कभी भी भारत में उपयोग नहीं हुआ है तथा उस पर भारतीय आय–कर अधिनियम के तहत ह्रास की कटौती नहीं दी गई हो। इसी प्रकार ऐसे उपक्रम को हस्तान्तरित पुरानी मशीन या प्लाण्ट का मूल्य उपयोग में लाई गई समस्त मशीन या प्लाण्ट के कुल मूल्य के 20% से अधिक नहीं है तो यह माना जायेगा कि ऐसे उपक्रम को पहले से उपयोग में लाई गई मशीन एवं प्लाण्ट का हस्तान्तरण नहीं हुआ है।

(2) उपर्युक्त वाक्यांश (1) में वर्णित शर्तों की पूर्ति होने पर करदाता की कुल आय में से ऐसे उपक्रम के उन लाभों की 100% राशि की कटौती स्वीकृत होगी, जो वस्तुओं या कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात से प्राप्त हुये हैं। यह कटौती लगातार 10 कर–निर्धारण वर्षों तक मिलेगी तथा उस कर–निर्धारण वर्ष से प्रारम्भ होगी, जिससे सम्बन्धित गत वर्ष में उस उपक्रम में ऐसी वस्तुओं या कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का निर्माण या उत्पादन प्रारम्भ हुआ है।

परन्तु यदि कोई करदाता धारा 139(1) में निर्दिष्ट निर्धारित तिथि तक अपनी आय का नक्शा प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे इस धारा के तहत कोई कटौती स्वीकृत नहीं की जायेगी।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

कर–निर्धारण वर्ष 2011–12 एवं बाद के कर–निर्धारण वर्षों में इस धारा के तहत कोई कटौती नहीं दी जायेगी, चाहे करदाता की छूट की अवधि समाप्त हुई है अथवा नहीं।

यह कटौती ऐसे उपक्रम के लिये है जो शत–प्रतिशत निर्यातोन्मुखी उपक्रम है। शत–प्रतिशत निर्यातोन्मुखी उपक्रम से आशय ऐसे उपक्रम से है, **जिसे "उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1951" की धारा 14 द्वारा प्रदत अधिकारों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में नियुक्त किये गये बोर्ड ने शत–प्रतिशत निर्यातोन्मुखी उपक्रम के रूप में अनुमोदित कर दिया है।**

यदि किसी उपक्रम के लाभों को इस धारा के प्रतिस्थापन से पूर्व के प्रावधानों के अनुसार किसी भी कर–निर्धारण वर्ष के लिये उस उपक्रम की कुल आय में शामिल नहीं किया गया है, तो अब इस उप–धारा के अन्तर्गत यह कटौती पूर्व वर्णित लगातार 10 कर–निर्धारण वर्शों की केवल बची हुई अवधि (unexpired period) के लिये ही मिलेगी।

अभ्यास के लिए प्रश्न
(Questions for Exercise)

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न

(Very Short Answer Type Questions)

निम्नलिखित प्रश्नों का उतर अधिकतम 20 शब्दों में दीजिए।

(Answer the following Questions in Maximum 20 words.)

1. ऐसी कोई चार आयों का उल्लेख कीजिए जो आय–कर से मुक्त हैं।
   Enumerate any four incomes which are exempted from income tax.
2. पूर्णतः कर–मुक्त आय तथा अंशतः कर–मुक्त आय में मुख्य अन्तर क्या है ?
   What is the main difference between the partly exempted income and fully exempted income ?

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

खण्ड (Section) : A
इकाई (Unit) : 4
वेतन से आय
(Income From Salaries)

आय के शीर्षक
(Heads of Income)

आयकर अधिनियम कर धारा 14 के अनुसार किसी करदाता की गत वर्ष की कुल आय की गणना करने एवं उस पर कर लगाने के लिए उसकी समस्त आयों को निम्नलिखित 5 शीर्षकों (five heads) में विभाजित किया जाता है–

(1) वेतन (Salary)
(2) मकान सम्पति से आय (Income from House Property)
(3) व्यापार या पेशे से लाभ (Profit from Business or Profession)
(4) पूँजी लाभ (Capital Gains)
(5) अन्य साधनों से आय (Income from Other Sources)

करदाता की प्रत्येक आय उपर्युक्त 5 शीर्षकों में से किसी न किसी शीर्षक से अवश्य सम्बन्धित होनी चाहिए। प्रत्येक शीर्षक की कर–योग्य आय की गणना उस शीर्षक के लिए आयकर अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के अनुसार की जाती है।

वेतन से आय
(Income From Salaries)

वेतन से आशय (Meaning of Salaries) –

किसी नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को उसके द्वारा की गई सेवाओं के बदले जो पारिश्रमिक दिया जाता है, उसे वेतन कहते है। आयकर अधिनियम की धारा 17(1) के अनुसार वेतन में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है–

(i) मजदूरी
(ii) वार्षिकी या पेंशन
(iii) ग्रेच्युइटी
(iv) फीस, कमीशन, अनुलाभ
(v) वेतन या मजदूरी के अतिरिक्त लाभ
(vi) वेतन या मजदूरी के बदले लाभ
(vii) अग्रिम वेतन
(viii) हस्तान्तरिती शेष
(ix) कर्मचारी द्वारा जिस अवकाश का लाभ नहीं उठाया गया है उस अवकाश के बदले मिली नकद राशि
(x) मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले कर्मचारी के खाते में जमा की गई राशि में कर–योग्य सीमा तक वार्षिक वृद्धि का भाग।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(xi) धारा 80 CCD में वर्णित पेंशन योजना के अन्तर्गत एक कर्मचारी के खाते में गत वर्ष में नियोक्ता द्वारा किया गया अंशदान।

स्पष्टीकरण :

यदि कोई कर्मचारी अपने नियोक्ता से ऋण लेता है जिसे कुछ निर्दिष्ट किश्तों में वापिस चुकाया जाना होता है तो ऐसे ऋण की राशि को कर्मचारी के वेतन के रूप में कर–योग्य आय नहीं माना जा सकता है।

कर दायित्व का आधार (Basis of Charge) :

आयकर अधिनियम की धारा 15 के अनुसार 'वेतन' शीर्षक में निम्न आयें कर–योग्य होती हैं–

(अ) गत वर्ष में देय वेतन – कर्मचारी को अपने वर्तमान या भूतपूर्व नियोक्ता द्वारा गत वर्ष में देय वेतन, चाहे वास्तव में उसका भुगतान हुआ हो या नहीं।

(ब) अग्रिम प्राप्त वेतन– कर्मचारी को अपने वर्तमान या भूतपूर्व नियोक्ता से गत वर्ष में अगले वर्ष के लिए प्राप्त वेतन (जो गत वर्ष में देय नहीं हुआ हो)।

(स) बकाया वेतन की प्राप्ति– वर्तमान या भूतपूर्व नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को गत वर्ष में चुकाया गया पिछले वर्षों का वेतन, यदि इस वेतन पर पिछले वर्षों में कर नहीं लगा हो।

स्पष्टीकरण :

1. चालू वित्तीय वर्ष में अग्रिम प्राप्त वेतन पर आयकर लगाने के पश्चात् बाद सम्बन्धित गत वर्ष (जिस वर्ष में देय होगा) में पुनः आयकर नहीं लगाया जायेगा।
2. वेतन प्राप्ति आधार पर अथवा देय आधार पर (इनमें से जो भी पहले हो) कर–योग्य होता है इसलिए इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि करदाता (कर्मचारी) ऐसी आय का व्यापारिक आधार (Mercantile Basis) पर लेखा रखता है अथवा नकद आधार (Cash Basis) पर।

वेतन के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बातें
(Some Important points Regarding Salaries)

1. नियोक्ता एवं कर्मचारी का सम्बन्ध (Employer-Employee Relationship) –

वेतन शीर्षक में कर–योग्य आय होने के लिए यह आवश्यक है कि भुगतान करने वाले एवं भुगतान प्राप्त करने वाले के मध्य नियोक्ता एवं कर्मचारी का सम्बन्ध हो। यदि उनके बीच ऐसा सम्बन्ध नहीं हो तो ऐसी आय को 'वेतन से आय' शीर्षक में शामिल नहीं किया जायेगा।

2. पूर्ण–कालिक अथवा अंश–कालिक (Full Time or Part Time) :

यह बात महत्वहीन हैं कि क्या कर्मचारी एक पूर्णकालिक कर्मचारी है अथवा अंशकालिक।

3. वेतन का कर्मचारी द्वारा स्वेच्छा से त्याग करना (Foregoing of Salary)–

यदि कोई कर्मचारी स्वेच्छा से अपने नियोक्ता के पक्ष में वेतन का त्याग करता है, तो यह आय का उपयोग (Application of Income) माना जायेगा तथा ऐसे त्यागे हुए वेतन पर भी उसे आयकर देना होगा।

4. वेतन का समर्पण (Surrender of Salary) :

कर्मचारी ने यदि अपना वेतन Voluntary Surrender of Salaries (Exemption from taxation) Act. 1961 की धारा 2 के प्रावधानों के अन्तर्गत जन हित में सरकार को देने के लिए त्याग किया है तो त्यागा हुआ वेतन पूर्णतः कर–मुक्त होगा क्योंकि इसे आय का मोड़ (Diversion of Income) माना जायेगा।

ऐसा वेतन कर–योग्य आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है परन्तु विभिन्न उद्देश्यों (जैसे–मकान किराये भत्ते की कर–मुक्त राशि की गणना) के लिए वेतन की गणना करने हेतु स्वेच्छा से त्यागा हुआ वेतन सम्बन्धित अवधि का उपार्जित वेतन माना जायेगा।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

5. नियोक्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति से प्राप्त राशि–

यदि कर्मचारी अपने नियोक्ता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति या संस्था से कोई पारिश्रमिक प्राप्त करता है तो ऐसे पारिश्रमिक को 'वेतन' शीर्षक में शामिल नहीं किया जाता है।

6. संसद सदस्यों एवं विधानसभा सदस्यों का वेतन –

इनको प्राप्त वेतन 'वेतन' शीर्षक में कर योग्य नहीं होता है, क्योंकि ये कर्मचारी नहीं होते हैं बल्कि जनप्रतिनिधि होते हैं। अतः इनको प्राप्त वेतन 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में कर योग्य होता है।

7. पारिवारिक पेंशन –

मृतक कर्मचारी की विधवा या उसके कानूनी उतराधिकारी को प्राप्त पारिवारिक पेंशन 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में कर योग्य होती है न कि 'वेतन शीर्षक में, क्योंकि भुगतानकर्ता तथा प्राप्तकर्ता के मध्य नियोक्ता एवं कर्मचारी का सम्बन्ध नहीं होता है।

8. वेतन तथा मजदूरी सिद्वान्त एक ही :

आयकर की दृष्टि से वेतन तथा मजदूरी में कोई अन्तर नहीं होता है।

9. स्वेच्छा से किया गया भुगतान–

आयकर अधिनियम के अन्तर्गत स्वेच्छा से किये गये भुगतान तथा अनुबन्ध के अन्तर्गत किये गये भुगतान में कोई अन्तर नहीं होता है इसलिए कर्मचारी को नियोक्ता से उपहार के रूप में प्राप्त हुई राशि भी 'वेतन से आय' शीर्षक में ही कर–योग्य होती है।

10. कर–मुक्त वेतन–

कर्मचारी को कर मुक्त वेतन का भुगतान नहीं किया जा सकता है। नियोक्ता द्वारा यदि कर्मचारी के वेतन पर देय आयकर का भुगतान कर दिया जाता है, तो कर निर्धारण के समय कर्मचारी के सकल वेतन में नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया आयकर भी शामिल किया जायेगा। परन्तु कर्मचारी को व्यक्तिगत गुणवता के कारण प्रशंसास्वरूप उपहार के रूप में किया गया भुगतान कर–मुक्त होता है।

11. नियोक्ता द्वारा वेतन में से कटौतियॉ–

नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन में से की गई कटौतियॉ कर्मचारी द्वारा आय का प्रयोग मानी जाती हैं तथा ये कटौतियॉ कर्मचारी को प्राप्त आय समझी जाती हैं। कर्मचारी के सकल वेतन की गणना करने के लिए नियोक्ता द्वारा की गई कटौतियों को प्राप्त शुद्व वेतन में जोड़ा जाता है।

12. वेतन के उपार्जित होने का स्थान–

धारा 9(1)(ii) के अनुसार जिस स्थान पर कर्मचारी अपनी सेवाएँ प्रदान करता है, वेतन उसी स्थान पर उपार्जित माना जाता है चाहे उसका भुगतान किसी अन्य स्थान पर प्राप्त हुआ हो। परन्तु भारतीय नागरिक को भारत सरकार द्वारा विदेश में सेवा करने पर दिया गया वेतन भारत में उपार्जित हुआ माना जाता है।

13. सेवा समाप्ति के बाद मिलने वाले भुगतान तथा पेंशन–

एक कर्मचारी को उसके भूतपूर्व नियोक्ता से प्राप्त कोई भी भुगतान उसके 'वेतन' शीर्षक में कर योग्य होता है यदि यह भुगतान उसकी पूर्व की सेवाओं के कारण किया जाता हो, परन्तु कोई भुगतान भूतपूर्व नियोक्ता से व्यक्तिगत भेंट के रूप में मिलता है तो ऐसी प्राप्ति करदाता के लिए कर–मुक्त होती है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

अपवाद–

यदि कोई व्यष्टि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा में रहा है तथा उसे परमवीर चक्र या महावीर चक्र या वीर चक्र या ऐसा कोई वीरता पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जिसे केन्द्रीय सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना जारी करके निर्दिष्ट कर दिया है, तो ऐसे व्यष्टि को प्राप्त पेन्शन की आय कर–मुक्त होगी तथा अन्य दशाओं में प्राप्त पेन्शन की आय वेतन शीर्षक में कर–योग्य होगी।

14. कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात् उसके कानूनी उत्तराधिकारी को किये गये भुगतान–

ऐसे भुगतान चाहे स्वेच्छा से किये गये हों या क्षतिपूर्ति के रूप में, प्राप्तकर्ता के लिये वेतन शीर्षक में कर योग्य नहीं होते हैं।

15. वेतनमान या वेतन श्रंखला –

वेतनमान का आशय यह होता है कि कर्मचारी को प्रारम्भ में कितने वेतन पर नियुक्त किया गया है, सेवाकाल में प्रतिवर्ष कितनी वेतन वष्द्वि होगी तथा सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम वेतन क्या होगा। वेतनमान में वेतन का आशय मूल वेतन से होता है। उदाहरणार्थ– एक व्यक्ति को 10,000–350–17,000 रु. के वेतनमान में नियुक्ति दी गई। इसका अर्थ यह है कि प्रथम वर्ष में प्रतिमाह मूल वेतन 10,000 रु. दिया जायेगा, एक वर्ष की सेवा पूर्ण हो जाने पर उसका वेतन 10,350 रु. प्रति माह हो जायेगा और इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष 350 रु. की वेतन वष्द्वि दी जायेगी जबकि उसका मूल वेतन 17,000 रु. प्रति माह न हो जाये।

16. वेतन उपार्जित होने की अवधि या वेतन की गणना हेतु गत वर्ष–

'वेतन' शीर्षक की आय के लिए गत वर्ष, कर निर्धारण वर्ष के तुरन्त पूर्व का वित्तीय वर्ष होता है। अतः 1 अप्रेल से अगले वर्ष 31 मार्च तक की अवधि में उपार्जित या प्राप्त वेतन को ही सम्बन्धित गत वर्ष की कर–योग्य आय में सम्मिलित किया जाता है। वर्तमान में कर निर्धारण–वर्ष 2010–11 चल रहा है जिससे सम्बन्धित गत वर्ष की अवधि 1 अप्रेल, 2009 से 31 मार्च 2010 तक है। इस सम्बन्ध में सामान्य नियम निम्न हैं।

(अ) बैंक तथा गैर सरकारी कर्मचारियों की स्थिति में– ऐसे कर्मचारियों का वेतन प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि को उपार्जित हो जाता है इसलिए इनकी गत वर्ष की कुल आय में अप्रेल से अगले वर्ष मार्च तक की अवधि का वेतन सम्मिलित किया जाता है।

(ब) सरकारी तथा अर्द्ध–सरकारी कर्मचारियों की स्थिति में– इस श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन अगले माह की पहली तारीख को उपार्जित या प्राप्य माना जाता है। ऐसे कर्मचारियों के लिए मार्च से अगले वर्ष फरवरी तक के वेतन को गत वर्ष की आय में सम्मिलित किया जाता है।

ऐसे कर्मचारियों के लिए कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 में मार्च 2009 से फरवरी 2010 तक के वेतन पर कर लगाया जायेगा।

(स) यदि कर्मचारी के वेतन, बोनस या भत्ते आदि में वृद्धि पिछली किसी तिथि से लागू करने का निर्णय लिया जाता है तो सम्पूर्ण बकाया राशि उस गत वर्ष में प्राप्य मानी जाती है, जिस गत वर्ष में वृद्धि का निर्णय लिया गया है।

कर–योग्य वेतन की गणना
(Computation of Taxable Salaries)

वेतन शीर्षक की कर–योग्य आय की गणना करने के लिए सबसे पहले सकल कर–योग्य वेतन की गणना की जाती है। सकल कर–योग्य वेतन में से धारा 16 में वर्णित निम्नांकित कटौतियों को घटाकर वेतन शीर्षक की कर–योग्य आय ज्ञात की जाती है :

(i) मनोरंजन भत्ते की कटौती (Deduction for Entertainment Allowance) [धारा 16(ii)]

(ii) नियोजन कर की कटौती (Deduction for Tax on Employment) [धारा 16(ii)]

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

उपर्युक्त कटौतियों का वर्णन इसी इकाई में आगे किया गया है।

Computation of Taxable Income From Salaries

Particulars	Rs.	Rs.
(1) Basic Salary		....
(2) Profit in Addition to Salary		....
(3) Profit in lieu of Salary		....
(4) Income through Provident Fund		....
(5) Perquisites		....
Gross Income From Salaries		....
Less : Deductions		
:(i) Entertainment Allowance [U/s 16	....	
(ii) Employment Tax [U/s 16 (iii)]	....	
		....
Taxable Income From Salaries		....

मूल वेतन
(Basic Salary)

कर्मचारी को प्रतिमाह एक निश्चित राशि मूल वेतन के रूप में मिलती है। मूल वेतन में अन्य भत्ते या अनुलाभ शामिल नहीं होते हैं। यदि कर्मचारी की नियुक्ति एक निश्चित वेतनमान में की जाती है तो प्रत्येक वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर वेतन में वृद्वि होती रहती है। यदि कर्मचारी की नियुक्ति एक स्थिर वेतन पर की जाती है तो वर्ष प्रतिवर्श मूल वेतन की राशि स्थिर रहती है जब तक नियोक्ता द्वारा उसके वेतन में वृद्वि न कर दी जावे।

उदाहरण (IIIustration) 4.1 :

निम्न परिस्थितियों में कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए मूल वेतन की गणना कीजिए–

(i) श्री श्याम की नियुक्ति एक सार्वजनिक सीमित कम्पनी द्वारा 1 जुलाई, 2005 को 4,000–100–6,000 के वेतनमान में 4,000 रु. के प्रारम्भिक वेतन पर की गई।

(ii) श्री सलीम की नियुक्ति एक सरकारी महाविद्यालय में व्याख्याता के रूप में 1 अप्रेल, 2006 को 8,000–275–13,500 के वेतनमान में 8,825 रु. के प्रारम्भिक वेतन पर की गई।

Calculate the basic salary in the following circumstances for the assessment year 2010–11.

(i) Shri shyam was appointed by a public limited company on 1st July, 2005 in the pay-scale of Rs. 4,000–100–6,000 on an initial salary of Rs. 4,000.

(ii) Mr. Saleem was appointed as a Lecturer in a Govt. College on lst April, 2006 in the pay-scale of Rs. 8,000-275-13,500 on the initial salary of Rs. 8,825.

हल (Solution) :

(i) Computation of Basic Salary for the Assessment Year 2010-11.

Salary from April, 2009 to June 2009	4,300X 3 = 12,900
Salary from July 2009 to March 2010	4,400X 9 = 39,600
Salary for the assessment year 2010-11	52,500

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

टिप्पणी–

1 जुलाई, 2009 को उनकी चौथी वेतन वृद्वि के पश्चात् वेतन 4400 रू. प्रति माह हो जायेगा। इससे पूर्व 1 जुलाई, 2008 से उसका वेतन 100 रू. कम अर्थात् 4,300 रू. प्रति माह था।

(ii) Computation of Basic Salary for the Assessment Year 2010-11.

Salary for March, 2009	9,375X1= 9375
Salary from April 2009 to February, 2010	9,650X11 1,06,150
Salary for the assessment year 2010-11	1,15,525

टिप्पणी–

सरकारी कर्मचारी होने के कारण वह मार्च, 2009 से फरवरी, 2010 तक के वेतन पर आयकर देगे। 1 अप्रेल, 2006 को उन्हें 8,825 रु. के प्रारम्भिक वेतन पर नियुक्ति दी गई है अतः मार्च, 2009 में उनका वेतन 8,825 रु. + दो वेतन वृद्विया (275X2) = 550 रु. अर्थात् 9,375 रु. प्रति माह होगा। 1 अप्रेल, 2009 से 275 रू. की वेतन वृद्वि दिये जाने पर उन्हें 9,650 रु. प्रति माह के हिसाब से वेतन दिया जायेगा।

उदाहरण (Illustration) 4.2 :

श्री श्याम की नियुक्ति 1 जुलाई, 2004 को 4000–100–4400–150–5000 रू. के वेतन मान में हुई। निम्नांकित दशाओं में कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए उनके मूल वेतन की गणना कीजिए :

(अ) वह सरकारी कर्मचारी है तथा उनकी नियुक्ति 4,000 रु. के प्रारम्भिक वेतन पर की गई।

(ब) वह सरकारी कर्मचारी है और उनकी नियुक्ति 4,300 रु. के प्रारम्भिक वेतन पर की गई।

(स) वह एक सार्वजनिक सीमित कम्पनी के कर्मचारी है और उन्हें चार अग्रिम वेतन वषद्वि देकर प्रारम्भिक नियुक्ति दी गई।

Shri Shyam was appointed on July 1,2004 in the pay-scale of Rs. 4,000–100–4400–150–5000. Calculate his basic salary in the following circumstances for the assessment year 2010-11:

(a) He is a Govt. employee and is appointed on an initial salary of Rs. 4,000.

(b) He is a Govt. employee and is appointed on an initial salary of Rs. 4,300.

(c) He is an employee of a public limited company and is granted four advance increments at the time of initial appointment.

हल (Solution) :

Computation of Basic Pay

Period	Basic Pay		
	a Rs.	b Rs.	c Rs.
From 1st July 2004 to 30th June 2005	4,000	4300	4400
From 1st July 2005 to 30th June 2006	4,100	4400	4550
From 1st July 2006 to 30th June 2007	4,200	4550	4700
From 1st July 2007 to 30th June 2008	4,300	4700	4850
From 1st July 2008 to 30th June 2009	4,400	4850	5000
From 1st July 2009 to 30th June 2010	4,550	5000	5000

(अ) तथा (ब) दशाओं में वह सरकारी कर्मचारी है इसलिए कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए उनका वेतन मार्च 2009 से फरवरी 2010 तक का लिया जावेगा। जबकि (स) की स्थिति में वह गैर सरकारी कर्मचारी है इसलिए उनका वेतन अप्रेल 2009 से मार्च 2010 तक का लिया जायेगा।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

मूल वेतन की गणना :

स्थिति (अ) :

	Rs.
मार्च 2009 से जून 2009 तक का = 4400X4 =	17,600
जुलाई 2009 से फरवरी 2010 तक का 4550X8 =	36,400
मूल वेतन	54,000

स्थिति (ब) :

	Rs.
मार्च 2009 से जून 2009 तक का = 4850X4 =	19,400
जुलाई 2009 से फरवरी 2010 तक का 5000X8 =	40,000
	59,400

स्थिति (स) :

	Rs.
अप्रेल 2009 से जून 2009 तक का = 5000X3 =	15,000
जुलाई 2009 से मार्च 2010 तक का 5000X9 =	45,000
	60,000

धारा 80 CCD में वर्णित नई पेंशन योजना में कर्मचारी के खाते में नियोक्ता द्वारा भुगतान —

यह पेंशन योजना 1 जनवरी, 2004 से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये लागू की गई थी। बाद में इसे सभी कर्मचारियों के लिये लागू कर दिया गया है। इस योजना में नियोक्ता कर्मचारी के वेतन के अलावा भुगतान करता है जिसे कर्मचारी के वेतन में सम्मिलित किया जाता है। कर्मचारी भी अपने कर–योग्य वेतन में से अंशदान करता है। दोनों के अंशदान के सम्बन्ध में निर्धारित सीमा तक कटौती सकल कुल आय में से धारा 80 CCD के तहत दे दी जाती है।

कर्मचारी का अंशदान कर–योग्य वेतन में से किया जाता है, इसलिए कर्मचारी का नई पेंशन योजना में अंशदान घटाने से पूर्व का वेतन सकल वेतन में सम्मिलित किया जाता है। नियोक्ता का अंशदान कर्मचारी के सकल वेतन में सम्मिलित करके कर–योग्य वेतन ज्ञात किया जाता है।

वेतन के अतिरिक्त लाभ [धारा 17(1)(iv)]
(Profits in addition to Salary)

प्रायः कर्मचारी को उसके नियोक्ता से मूल वेतन के अतिरिक्त कुछ राशि विभिन्न प्रकार के भत्तों के रूप में प्राप्त होती है जिसे वेतन के अतिरिक्त लाभ कहते है। भत्तों की राशि नकद प्राप्त होती है। आयकर की दृष्टि से सभी प्रकार के भत्तों को निम्नांकित तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है–

(अ) पूर्णतया कर–मुक्त भत्ते (Fully Exempted Allowances)

(ब) अंशतः कर–मुक्त भत्ते (Partly Exempted Allowances)

(स) पूर्णतया कर–योग्य भत्ते (Fully Taxable Allowances)

(अ) पूर्णतया कर–मुक्त भत्ते
(Fully Exempted Allowances)

इस श्रेणी में वर्णित भत्ते या तो पूर्णतया कर–मुक्त होते हैं या एक निश्चित सीमा तक कर–मुक्त होते है। ऐसे भत्ते मुख्य रूप से निम्नानुसार हैं–

(A) कर्त्तव्य पालन में किये गये व्ययों की पूर्ति हेतु विशिष्ट भत्ते [धारा 10(14)(i)]

ऐसे भत्ते कर्तव्यपूर्ति हेतु दिये जाते हैं इसलिए इन भत्तों की प्राप्त राशि या कर्तव्य पूर्ति हेतु वास्तव में व्यय की गयी राशि, जो भी दोनों में कम हो, कर–मुक्त होती है। ऐसे भत्ते निम्नलिखित हैं :

(i) यात्रा भत्ता

(ii) दैनिक भत्ता

(iii) सवारी भत्ता

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(iv) सहायक रखने हेतु भत्ता

(v) शैक्षणिक भत्ता

(vi) पोशाक भत्ता

(B) निजी व्ययों की पूर्ति हेतु भत्ते [धारा 10(14)(ii)]

इस श्रेणी के भत्तो की प्राप्त राशि या केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी गजट के माध्यम से निर्धारित की गयी कर–मुक्त राशि, जो दोनों में कम हो, कर–मुक्त होती है। ऐसे भत्ते एवं निर्धारित अधिकतम कर–मुक्त राशि निम्न प्रकार से है :

क.स.	भत्ते का नाम	अधिकतम कर–मुक्त राशि
1.	बच्चों की शिक्षा के लिए भत्ता	100 रु. प्रति माह प्रति बच्चा, अधिकतम दो बच्चों के लिए।
2.	बच्चों के छात्रावास व्ययों के लिए भत्ता	300 रु. प्रति माह प्रति बच्चा अधिकतम दो बच्चों के लिए।
3.	जनजाति क्षेत्र भत्ता/अनुसूचित क्षेत्र भत्ता या एजेन्सी क्षेत्र भत्ता (राजस्थान में कर–मुक्त नहीं)	मध्यप्रदेश, तमिलनाडू , उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा राज्य में ही 200 रु. प्रतिमाह तक कर–मुक्त
4.	विशेश क्षतिपूरक पहाड़ी क्षेत्र भत्ता	समुद्र तल से 1000 मीटर से अधिक ऊँचाई वाले स्थानों पर 300 रु. से, 7,000 रु. प्रति माह तक कर–मुक्त।
5.	सीमा क्षेत्र भत्ता, दुर्गम क्षेत्र भत्ता, तनाव क्षेत्र भत्ता	200 रु. से 1,300 रु. प्रतिमाह तक कर मुक्त
6.	यातायात संचालन में लगे हुए कर्मचारियों को विशेष भत्ता	भत्ते की राशि का 70% या 6,000 रु. प्रतिमाह दोनों में जो भी कम हो, उस सीमा तक कर–मुक्त
7.	क्षतिपूरक, कार्य क्षेत्र भत्ता	2,600 रु. प्रतिमाह तक कर–मुक्त
8.	क्षतिपूरक संशोधित कार्य क्षेत्र भत्ता	1,000 रु. प्रतिमाह तक कर–मुक्त
9.	उपद्रव नियन्त्रण भत्ता	3,900 रु. प्रतिमाह तक कर–मुक्त
10.	कार्यालय आने–जाने के लिये भत्ता	800 रु. प्रतिमाह तक कर–मुक्त
11.	अंधे या विकलांग व्यक्तियों को कार्यालय आने–जाने के लिए भत्ता	1,600 रु. प्रतिमाह तक कर–मुक्त
12.	भूमि के नीचे अप्राकृतिक जलवायु में खानों में कार्य करने के लिए भत्ता	800 रु. प्रतिमाह तक कर–मुक्त
13.	सैन्य बलों के सदस्यों को अति–ऊँचाई वाले क्षेत्रों में कार्यरत होने पर–	9000 से 15000 फीट ऊँचाई पर 1,060 रु. प्रतिमाह तक 15000 फीट से अधिक ऊंचाई पर 1,600 रु. प्रतिमाह
14.	सैन्य बलों के सदस्यों को विशेश क्षतिपूरक अत्यधिक सक्रिय फील्ड एरिया भत्ता	सम्पूर्ण भारत में 4,200 रू. प्रतिमाह तक
15	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्ष्य द्वीप समूह में द्वीप (डयूटी) भत्ता	3,250 रु. प्रतिमाह तक

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

स्पष्टीकरण :

धारा 10(14)(ii) में वर्णित उपर्युक्त भत्ते निर्धारित सीमा तक कर–मुक्त होते हैं। कर्मचारी को इनके सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का व्यय करना आवश्यक नहीं है।

(स) भारत सरकार के कर्मचारियों को भारत के बाहर दिए गए भत्ते–

धारा 10(7) के अनुसार भारत सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों को विदेश में सेवा करने के लिए दिये गये भत्ते तथा अनुलाभ पूर्णतः कर से मुक्त होते हैं। उसके वेतन पर अवश्य कर लगता है चाहे वह अनिवासी ही हो गया हो।

(द) मकान किराया भत्ता (House Rent Allowance) [धारा 10(13A)]–

यह भत्ता निर्धारित सीमा तक कर–मुक्त होता है। यदि कोई कर्मचारी अपने मकान में रह रहा है अथवा वह किसी ऐसे मकान में रह रहा है जिसका वह कोई किराया नहीं चुकाता है तो मकान किराये भत्ते की सम्पूर्ण राशि कर योग्य मानी जावेगी।

मकान किराये भत्ते की निम्न में से न्यूनतम राशि कर–मुक्त होती है :

(अ) करदाता को प्राप्त इस भत्ते की राशि ; या

(ब) अपने रहने के मकान के सम्बन्ध में चुकाये गये किराये का सम्बन्धित अवधि के वेतन के 10% पर आधिक्य अर्थात् (चुकाया गया किराया–वेतन का 10%) ; अथवा

(स) (i) यदि रहने का मकान मुम्बई, कोलकाता, दिल्ली या चेन्नई में स्थित है तो सम्बन्धित अवधि के वेतन का 50% तथा

(ii) यदि रहने का मकान अन्य किसी स्थान पर स्थित है तो सम्बन्धित अवधि के वेतन का 40%

स्पष्टीकरण :

(i) इस नियम के लिए वेतन का तात्पर्य मूल वेतन से है। मॅहगाई भत्ता वेतन में तभी शामिल किया जायेगा जबकि वह सेवा शर्तों के अन्तर्गत देय हो। अन्य भत्ते एवं अनुलाभ इस नियम के लिए वेतन में सम्मिलित नहीं किये जाते हैं परन्तु बिक्री पर निश्चित प्रतिशत से प्राप्त कमीशन तथा मंहगाई वेतन (Dearness Pay) को वेतन में सम्मिलित किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए वेतन का निर्धारण देय आधार पर किया जाता है।

(ii) सम्बन्धित अवधि से आशय उस अवधि से है जिसमें करदाता ने मकान किराये पर लिया है तथा मकान किराया भत्ता प्राप्त किया है।

(iii) कर्मचारी द्वारा चुकाया गया मकान किराया उसके वेतन के 10% से कम है तो सम्पूर्ण मकान किराया भत्ता कर–योग्य होगा।

पूर्णतया कर–योग्य भत्ते
(Fully Taxable Allowances)

इस श्रेणी में वर्णित भत्ते (उपर्युक्त वर्णित कर–मुक्त भत्तों को छोड़कर अन्य सभी नियमित भत्ते) सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए कर–योग्य होते हैं तथा इनकी सम्पूर्ण राशि कर्मचारी के सकल वेतन में सम्मिलित की जाती है। कर–योग्य भत्तों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं–

(i) मंहगाई भत्ता या मंहगाई वेतन

(ii) नगर क्षतिपूर्ति भत्ता

(iii) प्रतिनियुक्ति भत्ता

(iv) स्थायी चिकित्सा भत्ता

(v) वार्डन के रूप में भत्ता

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(vi) प्रोक्टर के रूप में भत्ता
(vii) नौकर भत्ता
(viii) परियोजना भत्ता
(ix) जलपान भत्ता
(x) अधिसमय भत्ता
(xi) ग्रामीण भत्ता
(xii) अंतरिम राहत
(xiii) मनोरंजन भत्ता आदि।

महत्वपूर्ण टिप्पणी :

1. अन्तरिम राहत (Interim relief) नये वेतन मान लागू होने से पूर्व पुराने वेतनमान के साथ मिलती है। जब नये वेतनमान लागू हो जाते हैं तब अन्तरिम राहत मिलना भी बन्द हो जाती है। अन्तरिम राहत को सेवानिवृत लाभों के लिए वेतन का भाग तभी माना जाता है जबकि प्रश्न में इसके बारे में स्पष्ट दिया हुआ हो अन्यथा अन्तरिम राहत को सेवानिवृत पर देय लाभों की गणना हेतु वेतन नहीं माना जाता चाहिए।

2. **मंहगाई भत्ता या मंहगाई वेतन (Dearness Allowance or Dearness Pay)** : यह मूल्यों में हुई वृद्वि की पूर्ति करने के लिए दिया जाता है। मंहगाई वेतन सेवानिवृति पर देय लाभों की गणना हेतु वेतन माना जाता है जबकि मंहगाई भत्ता नहीं। प्रश्न में यदि स्पष्ट दिया हुआ हो कि मंहगाई भत्ते की पूर्ण राशि या कुछ भाग सेवा शर्तों के अनुसार देय है तो इस स्थिति में मंहगाई भत्ते की सेवा–शर्तों के अनुसार देय राशि सेवा निवृति लाभों की गणना हेतु वेतन माना जावेगा। सरकारी कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ता सेवा–निवृति लाभों की गणना हेतु वेतन माना जाता है।

3. **सेवानिवृति पर देय लाभों का तात्पर्य उपदान** (Gratuity), पेंशन, भविष्य निधि तथा सुपर एनुएशन कोश से प्राप्त राशि से है। उपार्जित अवकाश वेतन को सेवानिवृति लाभ नहीं माना जाता है चाहे ऐसा वेतन सेवानिवृति के समय प्राप्त हुआ हो।

कटौतियॉ
(Deductions)

वेतन शीर्षक की कर–योग्य आय ज्ञात करने के लिए वेतन की सकल आय में से निम्नांकित कटौतियां घटायी जाती है :

(1) मनोरंजन भत्ते के सम्बन्ध में कटौती [धारा 16(ii)]
(2) रोजगार/नियोजन कर की कटौती [धारा 16(iii)]

(1) मनोरंजन भत्ते के सम्बन्ध में कटौती

(Deduction in respect of Entertainment Allowance)[धारा 16(ii)]

यह कटौती केवल उन्हीं सरकारी कर्मचारियों को स्वीकष्त की जाती है जिन्हें गत वर्ष में नियोक्ता से मनोरंजन भत्ता प्राप्त हुआ हो। यह भत्ता पहले कर्मचारी की वेतन से सकल कर–योग्य आय में जोड़ दिया जाता है। इसके पश्चात् वेतन से सकल कर–योग्य आय में से इसकी कटौती, निम्न में से न्यमनतम राशि की दी जाती है–

(अ) गत वर्ष में मनोरंजन भत्ते की प्राप्त राशि ; अथवा
(ब) वेतन का 1/5 भाग ; अथवा
(स) 5,000 रुपये।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

स्पष्टीकरण–

(i) कर–निर्धारण वर्ष 2003–04 से गैर–सरकारी कर्मचारियों को मनोरंजन भत्ते के सम्बन्ध में कटौती स्वीकृत नहीं की जाती है। केवल सरकारी कर्मचारियों को ही कटौती स्वीकृत की जाती है।

(ii) सरकारी कर्मचारियों का तात्पर्य केन्द्रीय सरकार अथवा सरकार के कर्मचारी से है। बैंक बीमा कम्पनी या किसी निगम के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाता है।

(iii) इस उद्देश्य के लिए वेतन में कोई भी भत्ता, लाभ अथवा अनुलाभ सम्मिलित नहीं किया जाता है। केवल मूल वेतन तथा सेवाशर्तों के अनुसार बिक्री के एक निश्चित प्रतिशत पर आधारित कमीशन को ही वेतन माना जाता है।

2. रोजगार पर लगाये गये कर या नियोजन कर (Tax on Employment) की कटौती [धारा 16(ii)]

यदि कर्मचारी ने गत वर्ष में कोई राशि नियोजन कर या रोजगार कर के रूप में राज्य सरकार को चुकाई है, तो कर्मचारी द्वारा गत वर्ष में इसके सम्बन्ध में राज्य सरकार को भुगतान की गई सम्पूर्ण राशि की कटौती वेतन से सकल कर–योग्य आय में से स्वीकृत की जाती है।

उदाहरण (lIIustration) 4.3 :

निम्न सूचनाओं के आधार पर श्रीमती विमलेश की कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए 'वेतन' शीर्षक की कर–योग्य आय ज्ञात कीजिए–

(1) मूल वेतन 6,600 रु. प्रति माह।

(2) मंहगाई भत्ता 1,500 रु. प्रति माह।

(3) मनोरंजन भत्ता 335 रु. प्रति माह।

(4) कार्यालय सम्बन्धी कार्यों के लिए वाहन भत्ता 2,000 रु. यात्रा भत्ता 16,000 रु. तथा दैनिक भत्ता 8,000 रु. सम्पूर्ण वर्ष में प्राप्त हुए।

(5) पर्वतीय क्षेत्र क्षतिपूरक भत्ता 800 रु. प्रति माह।

(6) जनजाति क्षेत्र भत्ता 600 रु. प्रति माह।

(7) करदाता के तीन बच्चों के लिए हॉस्टल व्ययों की पूर्ति हेतु भत्ता 800 रु. प्रति माह प्रति बच्चा।

(8) मकान किराया भत्ता 1600 रु. प्रति माह।

(9) करदाता को 2009–10 वित्तीय वर्ष में 1 जनवरी, 2008 से 300 रुपये प्रति माह की दर से अन्तरिम राहत की राशि प्राप्त हुई जो सेवा शर्तों के अन्तर्गत है।

(10) परिवहन भत्ता 2,000 रु. प्रति माह। यह भत्ता घर से कार्यालय आने–जाने में करदाता के द्वारा किये जाने वाले व्ययों की पूर्ति हेतु दिया जाता है, क्योंकि करदाता की दोनों टॉगे पोलियोग्रस्त होने के कारण पैदल चलने में असमर्थ है।

करदाता उत्तर प्रदेश में एक कम्पनी में अधिकारी है तथा समुद्र तल से 1,100 मीटर की ऊँचाई वाले एक स्थान पर सेवारत है। वह किराये के मकान में रहती है जिसका किराया 2,000 रु. प्रति माह चुकाती है। करदाता की अन्य कोई आय नहीं है। गत वर्ष में कर्मचारी ने रोजगार पर लगाये गये कर के सम्बन्ध में 2000 रु. का भुगतान किया है।

Determine the taxable income of Mrs. Vimlesh under the head "Salaries" for the assessment year 2010–11 on the basis of following information :

(1) Basic Pay Rs. 6,600 per month.

(2) Dearness Allowance Rs. 1,500 per month.

(3) Entertainment Allowance Rs. 335 per month

(4) She received Rs. 2,000 as Conveyance Allowance, Rs. 16,000 as Traveling Allowance and Rs. 8,000 as Daily Allowance during the year for the purpose of his office duties.

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(5) Hill Area Compensatory Allowance Rs. 800 per month.

(6) Tribal Area Allowance Rs. 600 per month.

(7) Hostel Expenses Compensatory Allowance Rs. 800 per month per child for three children.

(8) House rent Allowance Rs. 1,600 per month.

(9) During the financial year 2009–10 the assessee received the amount of interim relief @ Rs. 300 per month since 1st January, 2008 which is under the terms of service.

(10) Transport allowance Rs. 2,000 per month. This allowance is given for meeting the expenses incurred by the assessee for coming from and going to the residence and office, because both legs of the assessee are polio affected and she is incapable of walking on foot.

The assessee is an official in a company in Uttar Pradesh and is employed at a place at the height of 1,100 metres above the sea level. She lives in a rental house paying Rs. 2,000 per month as rent. The assessee has on other income. During the previous year, the employee paid Rs. 2,000 as tax on employment.

हल (Solution) :

Computation of Taxable Income from "Salaries" of Mrs. Vimlesh for the assessment year 2010–11.

	Rs.	Rs.
Basic Pay (6,600 x 12)		79,000
Dearness Allowance (1,500 x 12)		18,000
Enterainment Allowance (335 x 12)		4,020
Conveyance Allowance (Exempted)		----
Travelling Allowance (Exempted)		----
Daily Allowance (Exempted)		----
Hill area compensatory allowance (800 x 12)	9,600	6,000
Less : Exempted (300 x 12)	3,600	
Tribal area allowance (600 x 12)	7,200	
Less : Exempted (200 x 12)	2,400	4,800
Hostel Allowance allowance (800 x 3 x 12)	28,800	
Less : Exempted (300 x 2 x 12)	7,200	21,600
House Rent Allowance (1,600 x 12)	19,200	
Less : Exempted [u/s 10(13A)]	15,720	3,480
Interim Relief (300 x 12)		3,600
Arrears of interim relief (300 x 15)		4,500
(From Jan. 2008 to March, 2009)		
Transport allowance (2,000 x 12)	24,000	
Less : Exempted (1,600 x 12)	19,200	4,800
Gross Income from salaries		1,50,000
Less : Deduction For Employment Tax		2,000
Taxable Income from Salaries		1,48,000

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

टिप्पणी :

(1) मकान किराये भत्ते की कर मुक्त राशि, निम्न में से न्यूनतम राशि होगी–

(i) मकान किराये भत्ते की प्राप्त राशि = 19,200 रु. या

(ii) वेतन का 40% = 33,120 रु. या

(iii) चुकाये गये किराये का वेतन के 10% पर आधिक्य = (24,000-8280)= 15,720 रु.। इस आशय के लिए वेतन में मूल वेतन 79,200 तथा अन्तरिम राहत (सेवा शर्तों के अधीन होने के कारण) 3,600 रू. का योग अर्थात् 82,800 लिया जायेगा जो गत वर्ष में देय हुआ है।

(2) अन्तरिम राहत की बकाया राशि करदाता को वित्तीय वर्ष 2009–10 में प्राप्त हुई है। यह भी सकल वेतन में सम्मिलित की जायेगी क्योंकि पहले इस पर आयकर नहीं लगा है।

(3) वाहन भत्ता, दैनिक भत्ता तथा यात्रा भत्ता पूर्णत : कर–मुक्त भत्ते हैं। प्रश्न में इन व्ययों की वास्तविक राशि नहीं दी गई है। अतः यह माना गया है कि इन भत्तों की सम्पूर्ण राशि का प्रयोग सम्बन्धित कार्यों के लिए कर लिया गया है।

(4) करदाता के शारीरिक रूप से अपंग होने के कारण इसे नियोक्ता से प्राप्त परिवहन भत्ते की राशि 1,600 रु. प्रति माह तक कर–मुक्त होगी। सामान्य स्थिति में यह भत्ता 800 रू. प्रति माह तक ही कर–मुक्त होता है।

(5) गैर–सरकारी कर्मचारी होने के कारण मनोरंजन भत्ते की छूट नहीं दी गई है।

अनुलाभ धारा [17(2)]
(Perquisites)

'अनुलाभ' शब्द के अन्तर्गत एक कर्मचारी को अपने नियोक्ता से प्राप्त सुविधा, वस्तु या सेवा के रूप में प्राप्त लाभों को सम्मिलित किया जाता है। आयकर के लिए केवल वही लाभ एवं सुविधा अनुलाभ माने जाते हैं जो कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा वस्तु या सुविधा के रूप में प्रदान किये जाते हैं तथा जिनका मुद्रा में मूल्यांकन किया जा सकता है।

अनुलाभों के प्रकार :

आय–कर के दृष्टिकोण से समस्त अनुलाभों को निम्नांकित तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है–

(A) सभी प्रकार के कर्मचारियो के लिए कर–योग्य अनुलाभ

(B) केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर–योग्य अनुलाभ

(C) सभी कर्मचारियों के लिए कर–मुक्त अनुलाभ।

सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए कर–योग्य अनुलाभ

निम्नांकित अनुलाभ सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए कर–योग्य होते हैं

(1) किराये से मुक्त मकान की सुविधा [धारा 17(2)(i)]

(2) रियायती किराये पर मकान की सुविधा [धारा 17(2)(ii)]

(3) नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान [धारा 17(2)(iv)]

(4) कर्मचारी के जीवन बीमा या वार्षिकी के लिए नियोक्ता द्वारा किया गया भुगतान [धारा 17(2)(v)]

(5) कर्मचारी या पूर्व कर्मचारी को आवंटित या अन्तरित कोई विनिर्दिष्ट प्रतिभूति / स्वीट इक्विटी शेयर का मूल्य [धारा 17(2)(vi)]

(6) अधिवार्षिकी निधि में नियोक्ता का प्रतिवर्ष एक लाख रुपये से अधिक अंशदान [धारा17(2)(vii)]

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(7) कोई अन्य लाभ या सुविधा जिसे निर्धारित किया गया हो [धारा 17(2)(viii)]- आयकर नियम 3(7) के अन्तर्गत इस श्रेणी में निम्नांकित सुविधाएँ निर्धारित की गई हैं–

(i) ब्याज–मुक्त या रियारती ब्याज दर पर ऋण की सुविधा ;
(ii) यात्रा, पर्यटन एवं आवास स्थान (अवकाश गृह) की सुविधा ;
(iii) निःशुल्क भोजन की सुविधा ;
(iv) उपहार तथा उपहार के लिए वाउचर या टोकन की सुविधा ;
(v) क्रेडिट कार्ड पर प्रभारित व्यय की सुविधा ;
(vi) क्लब संबंधी व्ययों की प्रतिपूर्ति की सुविधा ;
(vii) चल सम्पति के उपयोग सम्बन्धी सुविधा ;
(viii) चल सम्पति को कम मूल्य पर हस्तान्तरण की सुविधा ;
(ix) कोई अन्य लाभ, सुविधा, सेवा, अधिकार या विशेषाधिकारी का मूल्य।

केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर–योग्य अनुलाभ [धारा 17(2)(iii)]

इस श्रेणी में वे अन्य अनुलाभ आते हैं जो केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए ही कर–योग्य होते हैं। जो कर्मचारी विशिष्ट श्रेणी में नहीं आते हैं, उनके लिए ऐसे अनुलाभ कर–मुक्त होते है।

विशिष्ट कर्मचारी से आशय ऐसे कर्मचारी से है :

(i) जो किसी कम्पनी का कर्मचारी हो एवं उसी कम्पनी में संचालक (अंशकालीन या पूर्णकालीन) भी हो ; या

(ii) जो किसी कम्पनी का कर्मचारी हो एवं उसका उस कम्पनी में सारवान हित भी हो अर्थात् वह उस कम्पनी के 20 प्रतिशत अथवा अधिक मताधिकार वाले इक्विटी अंशों का स्वामी भी हो; या

(iii) जिसकी गत वर्ष की 'वेतन' शीर्षक की मौद्रिक कर–योग्य आय (ऐसे लाभ या सुविधाओं को छोड़कर जिनका भुगतान मुद्रा में नहीं किया गया है) 50,000 रू. से अधिक हो। इस हेतु मुद्रा में प्राप्त वेतन शीर्षक की सकल आय में सम्मिलित राशियों में से मनोरंजन भत्ते की कटौती एवं कर्मचारी द्वारा भुगतान किये गये पेशे सम्बन्धी कर की कटौती को घटाया जायेगा। शेश राशि यदि 50,000 रु. से अधिक है तो वह विशिष्ट कर्मचारी होगा अन्यथा नहीं। यदि वह कर्मचारी एक से अधिक नियोक्ताओं के यहॉ सेवारत है तो सभी नियोक्ताओं से प्राप्य मौद्रिक भुगतानों के योग को इस उद्देश्य के लिए वेतन माना जायेगा।

निम्नलिखित अनुलाभ केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए ही कर–योग्य होते हैं, अन्य गैर–विशिष्ट) कर्मचारियों के लिए कर–मुक्त होते हैं :

(1) मोटर कार की सुविधा ;
(2) गैस, बिजली एवं पानी की सुविधा ;
(3) शिक्षा की सुविधा ;
(4) घरेलू नौकरों की सुविधा ;
(5) निःशुल्क परिवहन की सुविधा।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर–योग्य अनुलाभों के मूल्यांकन सम्बन्धी नियम

(1) मोटर कार की सुविधा (Perquisite in respect of Motor Car)

आयकर नियम 3(2)(A) के अनुसार मोटर कार की सुविधा का मूल्यांकन निम्न तालिका में वर्णित प्रावधानों के अनुसार किया जाता है :

तालिका 4.1

प्रति कलैण्डर माह मोटर कार की सुविधा का मूल्य

(Value of Motor Car facility per calendar month)

क्र.स.	विभिन्न परिस्थितियॉ	अनुलाभ का कर–योग्य मूल्य
1	जब नियोक्ता कार का स्वामी हो अथवा उसने कार किराये पर लेकर कर्मचारी को उपयोग करने के लिए दी हो :	
	(अ) यदि कार का उपयोग पूर्णतः कार्यालय के काम से किया गया हो :	यदि निर्धारित शर्तों की पूर्ति कर दी जावे तो कुछ भी राशि कर–योग्य नहीं होगी।
	(ब) यदि कार का उपयोग कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य द्वारा पूर्णतः निजी कार्य के लिए किया गया हो तथा निजी उपयोग के समस्त व्यय नियोक्ता वहन करता हो	कार को चलाने तथा उसके रख रखाव संबंधी व्ययों के लिए नियोक्ता द्वारा वहन की गई राशि जिसमें कार चालक (यदि कोई हो) को भुगतान किया जानै वाला पारिश्रमिक तथा मोटर कार का ह्रास (नियोक्ता के लिए कार की लागत का 10% प्रतिवर्ष) भी सम्मिलित किया जावेगा।
	(स) यदि कार का उपयोग अंशतः कार्यालय उपयोग हेतु तथा अंशतः निजी कार्यों हेतु किया गया हो :	
	(i) निजी उपयोग के समस्त व्यय नियोक्ता वहन करता हो :	यदि कार के इंजिन की क्युबिक क्षमता 1.60 लीटर से अधिक न हो तो 1,800 रूपयै प्रतिमाह तथा 1.60 लीटर से अधिक हो तो 2400 रूपये प्रतिमाह (यदि चालक भी निजी उपयोग हेतु उपलब्ध हो तो चालक के पारिश्रमिक के लिए 900 रूपये प्रतिमाह अतिरिक्त जोड़ें)
	(ii) निजी उपयोग के व्यय कर्मचारी स्वयं वहन करता हो :	यदि कार के इंजिन की क्युबिक क्षमता 1.60 लीटर से अधिक न हो तो 600 रूपये प्रतिमाह तथा 1.60 लीटर से अधिक हो तो 900 रुपये प्रतिमाह (यदि चालक का वेतन नियोक्ता देता हो तो 900 रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त जोड़ें)
2.	जब कार कर्मचारी की स्वयं की हो परन्तु उसके चलाने के एवं देखभाल के व्यय नियोक्ता वहन	

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

करता हो : (i) यदि नियोक्ता कार्यालय उपयोग के व्ययों की हो प्रतिपूर्ति करे, निजी उपयोग के व्ययों की नहीं।	यदि निर्धारित शर्तों की पूर्ति कर दी जावे तो कुछ भी राशि कर–योग्य नहीं होगी।
(ii) यदि कार्यालय उपयोग तथा निजी उपयोग के समस्त व्ययों की प्रतिपूर्ति नियोक्ता करे।	नियोक्ता द्वारा वहन किये गये वास्तविक व्ययों में से उपर्युक्त 1 (स) (i) में वर्णित राशि घटा दी जाती है। शेश राशि धारा 17(2)(iv) के अन्तर्गत सभी कर्मचारियों के लिए कर–योग्य होगी।
(iii) यदि कार का उपयोग पूर्णतः निजी कार्य	नियोक्ता द्वारा वास्तव में किया गया व्यय के लिए किया गया हो।धारा 17(2)(iv) के अन्तर्गत सभी कर्मचारिया के लिए कर–योग्य होगा।
3. जब कर्मचारी के पास मोटर कार के अलावा कोई वाहन स्वयं का हो परन्तु उस वाहन के चलाने के व्ययों को नियोक्ता वहन करता होः	
(i) यदि वाहन का उपयोग पूर्णतः कार्यालय उपयोग के लिए किया जाता हो।	यदि निर्धारित शर्तों की पूर्ति कर दी जावे तो कुछ भी राशि कर–योग्य नहीं होगी।
(ii) यदि वाहन का उपयोग अंशतः कार्यालय के कार्यों हेतु तथा अंशतः निजी कार्यों हेतु होता हो।	निर्धारित शर्तों की पूर्ति होने पर नियोक्ता द्वारा वास्तव में व्यय की गई राशि में से 900 रुपये प्रति माह घटा दिया जाता है शेश राशि धारा 17(2)(iv) के अन्तर्गत सभी कर्मचारियों के लिए कर–योग्य होती है।

स्पष्टीकरण :

(1) कार की सुविधा का मूल्यांकन प्रति सम्पूर्ण कलैण्डर माह के लिए किया जाता है। यदि कार की सुविधा का उपयोग सम्पूर्ण कलैण्डर माह (Complete calender month) के लिए नहीं किया गया हो तो उस कलैण्डर माह के कुछ दिनों के लिए कार का उपयोग करने पर उस कलैण्डर माह के कुछ दिनों के लिए कार की सुविधा का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा। कलैण्डर माह का तात्पर्य अंग्रेजी कलैण्डर माह (English calender month) से है। जैसे–किसी कर्मचारी ने 5 माह 25 दिन के लिए कार की सुविधा का उपयोग किया। कर्मचारी के लिए कार की सुविधा का मूल्यांकन केवल 5 माह के लिए किया जावेगा।

(2) वे शर्तें जिनको मोटर कार का उपयोग कार्यालय के उपयोग हेतु मानने के लिए सन्तुश्ट करना आवश्यक है :

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(i) नियोक्ता कार्यालय के उद्देश्य हेतु की गई सम्पूर्ण यात्रा का विवरण रखता हो जिसमें यात्रा की तिथि, गतव्य स्थान, दूरी तथा वहन किया गया व्यय सम्मिलित हो, तथा

(ii) कर्मचारी तथा उसका अधिकारी यह प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे कि व्यय पूर्णतः कार्यालय के उपयोग हेतु किया गया है।

(3) जब कर्मचारी या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को एक से अधिक मोटर कार निजी उपयोग हेतु उपलब्ध हो तो उसमें से एक मोटर कार की सुविधा का मूल्य उपर्युक्त नियम 1 (स)(i) के अनुसार किया जावेगा तथा अन्य मोटर कारों की सुविधा का मूल्यांकन उपर्युक्त नियम 1(ब) के अनुसार किया जावेगा।

(4) रियायती दर पर प्रदान की गई मोटर कार की सुविधा : यदि मोटर कार की सुविधा के लिए कर्मचारी से कुछ राशि वसूल की जाती है तो पहले निःशुल्क मोटर कार की सुविधा का मूल्यांकन उपर्युक्त तालिका के आधार पर किया जावेगा, तत्पश्चात इस राशि में से कर्मचारी से वसूल की गई राशि घटा दी जावेगी। शेश राशि रियारती दर पर मोटर कार की सुविधा का मूल्य होगी।

अपवाद :

जब नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को अशतः कार्यालय उपयोग हेतु एवं अंशतः निजी उपयोग हेतु कार की सुविधा उपलब्ध करवायी जावे तो ऐसी सुविधा का मूल्यांकन उपर्युक्त तालिका के नियम। (स) के अनुसार किया जावेगा, परन्तु कर्मचारी से वसूल की गई राशि सुविधा के निर्धारित मूल्य में से घटाई नहीं जावेगी, अर्थात् रियारती सुविधा का मूल्य अलग से निर्धारित नहीं किया जायेगा।

(5) मोटर कार की सुविधा यदि घर से कार्यालय तथा कार्यालय से घर आने जाने के लिए ही हो, अन्य कार्यों के लिए नहीं, तो इस सुविधा का मूल्य शून्य माना जावेगा।

(6) उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रदत्त वाहन की सुविधा कर–योग्य नहीं होती है।

(7) यदि प्रश्न में चालक (Driver) की सुविधा का स्पश्ट उल्लेख नहीं है तो यह मानना उचित होगा कि चालक की सुविधा निजी उपयोग हेतु नहीं दी गई है।

(8) नियोक्ता द्वारा प्रदत्त कार की सुविधा, जो अंशतः निजी उपयोग के लिए है तथा अंशतः कार्यालय उपयोग के लिए है, की सुविधा के मूल्यांकन का संक्षिप्त विवरण विद्यार्थियों की सुविधा के लिए निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया है :

विवरण	**इंजिन की क्युबिक क्षमता**	
	1.60 लीटर से अधिक न हो	**1.60 लीटर से अधिक हो**
	रुपये	रुपये
(i) कार के ह्रास के लिए (1(स)(ii)) (प्रति माह)	600	900
(ii) पेट्रोल तथा चलाने के व्यय नियोक्ता द्वारा वहन करने पर (प्रति माह)	1200	1500
योग [1(स)(i)]	1800	2400
(iii) चालक की सुविधा हाने पर	900	900
चालक सहित सुविधा का मूल्य [1(स)(प)]	2700	3300

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(9) 1.60 लीटर का तात्पर्य 1600 से होता है। अतः इन्जिन की क्युबिक क्षमता 1600 का तात्पर्य 1.60 लीटर से होता है।

उदाहरण (Illustration) 4.4 :

श्री अमित ने अपनी मोटर साइकिल गत वर्श 2009–10 में निजी कार्य तथा कार्यालय के कार्य हेतु काम में ली। उनके नियोक्ता ने मोटर साइकिल के सम्पूर्ण व्यय 12,000 रुपये का भुगतान किया। कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए श्री अमित के लिए वाहन की कर–योग्य सुविधा का मूल्याकन कीजिए, यदि :

(अ) गत वर्ष में श्री अमित को 42,000 रुपये वेतन से आय हुई हो।

(ब) गत वर्ष में श्री अमित को 1,20,000 रुपये वेतन से आय हुई हो।

Shri Amit uses his personal motor cycle for personal and official purposes. His employer paid Rs. 12,000 for entire expensiture of Motor cycle. Compute the taxable value of conveyance facility provided to Shri Amit for the assessment year 2010-11, if

(a) Shri Amit has Rs. 42,000 as income from salary during the previous year.

(b) Shri Amit has Rs. 1,20,000 as income from salary during the previous year.

हल (Solution) :

(अ) यदि श्री अमित को गत वर्श में वेतन 42,000 रुपये मिला हो तो धारा 17(2)(iii) में वर्णित कोई भी अनुलाभ उसके लिए कर–योग्य नहीं होगा क्योंकि वह विशिश्ट कर्मचारी नहीं है। अतः इस स्थिति में वाहन की सुविधा का कर–योग्य मूल्य शून्य होगा।

(ब) यदि श्री अमित का वेतन 1,20,000 रुपये हो तो उसके लिए वाहन की सुविधा का मूल्य [12,000–900x12] अर्थात् 1200 रुपये होगा और यह सुविधा धारा 17(2)(iv) के अन्तर्गत कर–योग्य होगी।

उदाहरण (Illustration) 4.5 :

कुमारी मनीषा को गत वर्श 2009–10 में 10,000 रूपये मासिक वेतन मिला। वह अपनी 1.60 लीटर क्युबिक क्षमता वाली मोटर कार को अंशतः निजी उपयोग हेतु तथा अंशतः कार्यालय उपयोग हेतु काम में लेती है। नियोक्ता ने कार के सम्पूर्ण व्यय (चालक का वेतन 6,500 रुपये सहित) 34,500 रुपये वहन किये।

कर–निर्धारण वर्श 2010–11 के लिए कार की सुविधा का मूल्य ज्ञात कीजिए।

Miss Manisha got Rs. 10,000 per month as basic pay during the previous year 2009-10 She uses her own car (CC of engine 1.60 lt.) partly for personal purposes and partly for official purposes. The employer borne entire expenditure of the car Rs. 34,500 (including driver's salary Rs. 6,500)

Compute the value of car facility for the assessment year 2010-11

हल (Solution) :

नियोक्ता द्वारा वहन की गई राशि = 34,500 रूपये

कार की सुविधा का कर–योग्य मूल्य [सारणी में नियम 2(ii) के अनुसार]

= [34,500-(2700X12)] रूपये

= [34,500-32,400] रूपये

= 2,100 रूपये।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

उदाहरण (Illustration) 4.6 :

निम्न दशाओं में नियोक्ता द्वारा प्रदत्त मोटर कार की सुविधा का मूल्यांकन कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए कीजिए–

(i) कर्मचारी का वेतन 12,000 रु. प्रतिमाह, नियोक्ता की 1.60 लीटर क्यूबिक क्षमता वाले इंजिन की कार का 70% निजी एवं 30% नौकरी हेतु उपयोग। समस्त व्यय नियोक्ता वहन करता है। कार करदाता स्वयं चलाता है तथा कार के उपयोग के सम्बन्ध में 200 रु. प्रति माह चुकाता है।

(ii) वेतन 17,500 रु. प्रति माह, मंहगाई भत्ता 250 रु. प्रति माह, नियोक्ता की 1.80 लीटर क्यूबिक क्षमता वाले इंजिन की कार का निजी एवं नौकरी हेतु उपयोग। निजी उपयोग सम्बन्धी खर्चें करदाता द्वारा वहन किये जाते हैं। करदाता स्वयं कार चलाता है।

(iii) वेतन 4,000 रु. प्रति माह। नियोक्ता की 1.80 लीटर क्यूबिक क्षमता वाले इंजिन की कार का निजी एवं नौकरी हेतु उपयोग। चालक के 500 रु. प्रति माह वेतन सहित समस्त व्यय नियोक्ता वहन करता है। कार के व्यक्तिगत उपयोग के समस्त व्यय, ह्रास एवं मरम्मत सहित 4,000 रु. हैं।

(iv) वेतन 10,000 रु. प्रति माह, नियोक्ता की एक 1.60 लीटर क्यूबिक क्षमता वाले इंजिन की कार का नौकरी एवं निजी कार्यों में उपयोग। कार्यालय सम्बन्धी समस्त व्यय नियोक्ता वहन करता है। चालक का वेतन 700 रु. प्रति माह भी नियोक्ता द्वारा दिया जाता है।

(v) नियोक्ता की 1.90 लीटर क्यूबिक क्षमता की कार का पूर्णतः निजी उपयोग। नियोक्ता द्वारा कार के वहन किये गये व्यय 40,000 रु. कार की लागत 5,00,000 रु. तथा कार का अपलिखित मूल्य 3,50,000 रु.।

Calculate the value of the amenity of motor car provided by employer in each of the following cases for the assessment year 2010-11

(i) Salary Rs. 12,000 p.m., free use of the employer's car (c.c. of engine 1.60 lt.) 70% for personal and 30% for official purposes, all the expenses are borne by the employer. The car is driven by the assesses himself and he pays Rs. 200 p.m. for using the car.

(ii) Salary Rs. 17,500 p.m. dearness allowance Rs. 250 p.m. use of employer's car (c.c. of engine 1.80 lt.) for personal and official purposes. Expenses relating to personal use are borne by the assesses. The car is driven by the assesses himself.

(iii) Salary Rs. 4,000 p.m., use of the employer's car (c.c. of engine 1.80 lt.) for personal and official purposes, all the expenses including salary of Rs. 500 p.m. paid to driver are borne by the employer. Total expenses relating to personal use of the car are Rs. 4,000 including depreciation and repairs.

(iv) Salary Rs. 10,000 p.m. use of employer's car (c.c. of engine 1.60 lt.) for official and private use. Expenses for official use only are borne by the employer. Salary Rs. 700 p.m. of the driver is also paid by the employer.

(v) Completely personal use of car of 1.90 liter cubic capacity of the employer. Expenses for car are borne by the employer Rs. 40,000; Cost of the car Rs. 5,00,000; and written down value of car Rs. 3,50,000.

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

हल (Solution) :

मोटर कार की सुविधा का मूल्यांकन कर–निर्धारण वर्श 2010–11 के लिए

विवरण	स्थिति (i)	स्थिति (ii)	स्थिति (iv)
(1) कर्मचारी की श्रेणी	विशिष्ट	विशिष्ट	विशिष्ट
(2) कार के इंजिन की क्युबिक क्षमता	1.60 ली.	1.80 ली.	1.60 ली.
	रुपये	रुपये	रुपये
(3) नियोक्ता द्वारा प्रदत्त कार के ह्मस के सम्बन्ध में	600	900	600
(4) नियोक्ता द्वारा वहन किये गये कार के निजी उपयोग के व्ययों के सम्बन्ध में	1200	–	–
(5) नियोक्ता द्वारा प्रदत्त चालक की सुविधा के समबन्ध में	–	–	900
(6) कार की सुविधा प्रति माह (उपर्युक्त (3), (4) तथा (5) का योग)	1800	900	1500
(7) नियोक्ता द्वारा कार की सुविधा के सम्बन्ध में कर्मचारी से वसूल की गई राशि (प्रति माह)	–	–	–
(8) रियारती दर पर कार की सुविधा कर मूल्य (प्रति माह) [(6)–(7)]	1800	900	1500
(9) गत वर्ष में कार की सुविधा का कर–योग्य मूल्य	21,600	10,800	18,000

टिप्पणी :

1. स्थिति (iii) में करदाता को मुद्रा में मिला वेतन 48,000 रुपये है अतः करदाता विशिष्ट श्रेणी का कर्मचारी नहीं है एवं कार की सुविधा उसके लिए कर–योग्य नहीं होगी।
2. स्थिति (i) में करदाता को रियायती मूल्य पर कार की सुविधा दी गई है, परन्तु करदाता से वसूल की गई राशि को सुविधा के मूल्य में से नहीं घटाया जावेगा क्योंकि नियोक्ता की कार का निजी एवं कार्यालय कार्य हेतु उपयोग होने पर कर्मचारी से वसूल की गई राशि को कार की सुविधा के मूल्यांकन हेतु घटाया नहीं जावेगा।
3. स्थिति (v) में कार की सुविधा का मूल्य = 40,000 + (5,00,000 X 10%) = 90,000 रुपये।

(2) गैस, बिजली एवं पानी की सुविधा (Facility of gas, electricity and water)

कर्मचारी को नियोक्ता से प्राप्त गैस, बिजली एवं पानी की सुविधा का मूल्यांकन आयकर नियम 3(4) के अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है –

(अ) कर्मचारी को गैस, बिजली एवं पानी की सुविधा नियोक्ता से मुफ्त में प्राप्त होती है तो ऐसी सुविधा का मूल्य वह राशि होगी जो नियोक्ता ने इस सम्बन्ध में सुविधा प्रदान करने वाली संस्था को भुगतान की है। यदि गैस, बिजली व पानी का बिल कर्मचारी के नाम से जारी होता है तो नियोक्ता द्वारा ऐसे बिलों का किया गया भुगतान धारा 17(2)(iv) के अन्तर्गत सभी कर्मचारियों के लिए कर–योग्य होगा। परन्तु अन्य दशाओं में नियोक्ता द्वारा किया गया भुगतान धारा 17(2)(iii) के अन्तर्गत केवल विशिश्ट कर्मचारियों के लिए ही कर–योग्य होगा।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(ब) यदि नियोक्ता ने ये सुविधाएँ बाहर से नहीं खरीदकर अपने स्वयं के साधनों से उत्पन्न करके कर्मचारी को प्रदान की हैं, तो इन सुविधाओं का मूल्य केवल विशिश्ट कर्मचारी के लिए ही कर–योग्य होगा। ऐसी सुविधा का कर–योग्य मूल्य नियोक्ता द्वारा वहन की गई प्रति इकाई उत्पादन लागत के आधार पर तय किया जायेगा।

(स) यदि कर्मचारी से इन सुविधाओं के लिए कोई राशि वसूल की जाती है तो वसूल की गई राशि को उपर्युक्त (अ) अथवा (ब) (जैसी भी स्थिति हो) में से घटाकर कर–योग्य अनुलाभ की राशि ज्ञात की जाएगी।

(3) शिक्षा की सुविधा (Education Facility) :

(i) शिक्षा भत्ता : कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के लिए दिया गया शिक्षा भत्ता अधिकतम 100 रूपये प्रतिमाह प्रति बच्चा (अधिकतम दो बच्चों के लिए) सभी कर्मचारियों के लिए कर–मुक्त होता है। शेश राशि सभी कर्मचारियों के लिए कर–योग्य होती है :

(ii) कर्मचारी के परिवार के सदस्यों की शिक्षण शुल्क का भुगतान या पुनर्भरण : यदि नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया हो तो ऐसा भुगतान या पुनर्भरण धारा 17(2)(iv) के अन्तर्गत सभी कर्मचारियों के लिए कर–योग्य होता है।

(iii) नियोक्ता द्वारा संचालित शिक्षण संस्था में प्रदान निःशुल्क या रियायती दर पर शिक्षा सुविधा : नियोक्ता द्वारा संचालित शिक्षण संस्था में अथवा कर्मचारी की नौकरी के कारण किसी अन्य शिक्षण संस्था में अथवा कर्मचारी की नौकरी के कारण किसी अन्य शिक्षण संस्था में कर्मचारी के बच्चों तथा परिवार के अन्य सदस्यों को नियोक्ता द्वारा उपलब्ध करवाई गई शिक्षा सुविधा का मूल्यांकन निम्न प्रकार किया जाता है :

विवरण	कर–योग्य राशि रुपये
(अ) जब शिक्षा सुविधा कर्मचारी के बच्चों (पुत्र या पुत्रियों) को उपलब्ध करवाई जाती है : (i) यदि शिक्षा की लागत या ऐसे अनुलाभ का मूल्य 1,000 रूपये प्रति माह प्रति बच्चे से अधिक न हो (बच्चों की संख्या पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है) (ii) यदि उपर्युक्त (अ)(i) में वर्णित लागत 1,000 रूपये प्रति माह प्रति बच्चे से अधिक हो (बच्चों की संख्या पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है)	शून्य शून्यआस–पास की शिक्षण संस्था में बच्चों को अध्ययन करवाने की लागत (–) 1,000 रूपये प्रति माह प्रति बच्चा (–) कर्मचारी से इस सम्बन्ध में वसूल की गई राशि
(ब) जब शिक्षा सुविधा कर्मचारी के बच्चों के अतिरिक्त उसके परिवार के अन्य सदस्यों को उपलब्ध करवाई जाती है।	आस–पास की शिक्षण संस्था में अध्ययन करवाने की लागत (–) कर्मचारी से इस सम्बन्ध में वसूल की गई राशि

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

स्पष्टीकरण :

यदि शिक्षा व्ययों का बिल कर्मचारी के नाम से जारी होता है तथा उस बिल का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाता है तो बिल की राशि का ऐसा भुगतान सभी कर्मचारियों के लिए धारा 17(2)(iv) के अन्तर्गत कर–योग्य होगा अन्यथा ऐसी राशि केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए धारा 17(2)(iii) के अन्तर्गत कर–योग्य होगी।

(iv) छात्रवृति : नियोक्ता द्वारा स्वेच्छा से कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को प्रदान की गई छात्रवृति किसी भी प्रकार के कर्मचारी के लिए कर–योग्य नहीं होती है।

(4) घरेलू नौकरों की सुविधा (Facility of Domestic Servants) :

किसी कर्मचारी को अपने नियोक्ता से प्राप्त घरेलू नौकर (फर्राश, माली, चौकीदार या अन्य सेवक) की सुविधा का मूल्य वह राशि होगी जो नियोक्ता ने इन नौकरों को पारिश्रमिक के रूप में भुगतान की है। यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को रहने के ऐसे मकान की मुफ्त सुविधा दी गई है जिसका स्वामी नियोक्ता स्वयं है तथा उसे माली की सुविधा भी दी गई है तो माली की सुविधा का अलग से मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण –

(i) यदि घरेलू नौकरों की नियुक्ति कर्मचारी ने स्वयं ने की है तथा इनको वेतन उसका नियोक्ता चुकाता है तो ऐसे घरेलू नौकरों को चुकाये गये वेतन की सम्पूर्ण राशि सभी कर्मचारियों के लिए धारा 17(2)(iv) के अन्तर्गत कर–योग्य होगी।

(ii) यदि घरेलू नौकरों की नियुक्ति नियोक्ता द्वारा की गई है तथा इनके वेतन का भुगतान भी नियोक्ता द्वारा ही किया जाता है तो गत वर्ष में नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई सम्पूर्ण राशि केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए ही धारा 17(2)(iii) के अन्तर्गत कर–योग्य होगी।

(5) निःशुल्क परिवहन की सुविधा (Facility of Free Transport) :

सवारी या माल को लाने ले जाने के काम में लगे परिवहन उपक्रम के कर्मचारी तथा उसके परिवार के सदस्यों को निःशुल्क या रियायती दर पर निजी उपयोग के लिए प्रदत्त परिवहन की सुविधा का मूल्य उस उपक्रम द्वारा आम जनता को ऐसी ही सुविधा उपलब्ध करवाने पर प्राप्त होने वाला मूल्य होता है। इस मूल्य में से कर्मचारी से इस सुविधा के लिए वसूल की गई राशि (यदि कोई हो) घटा दी जाती है तथा शेष बची राशि केवल विशिष्ट कर्मचारी के लिए धारा 17(2)(iii) के अन्तर्गत कर–योग्य होती है।

स्पष्टीकरण :

(1) परिवहन की सुविधा परिवहन उपक्रम द्वारा (नियोक्ता द्वारा) स्वयं के वाहन से या किराये या पट्टे पर लिये गये वाहन से या किसी अन्य समझौते के अन्तर्गत उपलब्ध करवायी जा सकती है।

(2) वायुयान (airline) अथवा रेलवे के सभी कर्मचारियों के लिए यह सुविधा कर–मुक्त होती है।

उदाहरण (Illustration) 4.7 :

श्री रमेश दिल्ली में एक कम्पनी में प्रबन्धक हैं। वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए उनकी आय का विवरण निम्न प्रकार है–

1. मूल वेतन 10,000 रु. प्रति माह।
2. मंहगाई भत्ता 3,000 रु. प्रति माह।
3. मकान किराया भत्ता 2,000 रु. प्रति माह।
4. दिल्ली में उनका स्वयं का मकान है, परन्तु कम्पनी ने उनको निम्न सुविधायें प्रदान की हैं–

   (i) एक माली, एक चौकीदार एवं एक फर्राश जिनकों क्रमशः 250 रु. 150 रु. एवं 100 रु. प्रति माह वेतन कम्पनी द्वारा दिया जाता है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(ii) एक रेफ्रिजरेटर जिसकी लागत 8,000 रु. तथा अपलिखित मूल्य 4,000 रु. है तथा एक कूलर जिसकी लागत 2,500 रु. तथा अपलिखित मूल्य 1,000 रु. है, के मुफ्त प्रयोग की सुविधा।

(iii) 25,000 रु. के बाजार मूल्य का फर्नीचर श्री रमेश को 1 जनवरी 2010 को 2,000 रु. में कम्पनी द्वारा बेचा गया। यह फर्नीचर 30,000 रुपये में 1 दिसम्बर, 2007 को खरीदा गया था।

5. उनके निम्नलिखित व्यक्तिगत दायित्वों का भुगतान कम्पनी द्वारा किया गया :

(i) उनके पुत्र महेश की विश्वविद्यालय में अध्ययन करने की फीस 1,600 रु.

(ii) होटल बिलों का भुगतान 3,000 रु.।

(iii) क्लब का वार्शिक सदस्यता शुल्क 1,500 रु.।

6. उनकी एक पुत्री कम्पनी द्वारा संचालित स्कूल में अध्ययन करती है। कम्पनी द्वारा किया जाने वाला व्यय प्रति विद्यार्थी 32,000 रु. वार्षिक है। इसी प्रकार की अन्य शिक्षण संस्था में पढ़ाने का व्यय 22,000 रु. वार्शिक आता है। कम्पनी द्वारा श्री रमेश से इस सम्बन्ध में 8,000 रु. वार्षिक चार्ज किये जाते हैं।

7. उन्हें प्रबन्धकीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु कोलकाता भेजा गया। इसके लिए फीस के 10,000 रु. कम्पनी द्वारा चुकाये गये। वे छुट्टियों पर कुछ दिनों के लिए श्रीनगर गये जहॉ कम्पनी द्वारा चलाये जा रहे अवकाश गृह में ठहरे। उनके ठहरने एवं भोजन आदि के सम्बन्ध में 8,000 रु. के व्यय कम्पनी द्वारा वहन किये गये।

8. कम्पनी ने श्री रमेश की जीवन बीमा पॉलिसी पर प्रीमियम के 2,200 रु. जमा कराये। उन्हें 7,000 रु. की राशि की रूई भी कम्पनी से मुफ्त में प्राप्त हुई।

9. कम्पनी ने कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के अन्तर्गत उन्हें 25 अंश 1,000 रु. प्रति अंश की दर से निर्गमित किये, जबकि उस दिन इन अंशों का बाजार मूल्य 1,200 रु. प्रति अंश था।

10. उन्होंने माह मार्च, अप्रैल व मई 2010 का वेतन 30,000 रु. फरवरी 2010 में ही अग्रिम रूप में प्राप्त कर लिया।

11. कम्पनी ने एक मोटर कार 1600CC की प्रदान की है जिसका वे निजी कार्यों में भी उपयोग करते हैं। इस कार के ड्राईवर सहित सभी व्यय कम्पनी द्वारा वहन किये जाते हैं।

कर–निर्धारण वर्श 2010–11 के लिए श्री रमेश की वेतन शीर्शक की कर–योग्य आय की गणना यह मानते हुए कीजिए कि उन्होंने नियोजन कर के 2,000 रु. चुकाये।

Shri Ramesh is manager in a company at Delhi. The particulars of his income for the financial year 2009-10 are as under-

1. Basic salary Rs. 10,000 p.m.
2. Dearness Allowamce Rs. 3,000 p.m.
3. House Rent Allowance Rs. 2,000 p.m.
4. He owns a house in Delhi but the following amenities are provided to him by the company-
   - (i) One gardener, one watchman and one sweeper who are paid Rs. 250 p.m., Rs.150 p.m.and Rs. 100 p.m. respectively.
   - (ii) Free use of a refrigerator costing Rs. 8,000 (W.D.V. Rs. 4.000) and a cooler costing Rs. 2,500 and W.D.V.Rs. 1,000.
   - (iii) Furniture having a market value of Rs. 25,000 was sold for Rs. 2,000 to Shri Ramesh by the company on January 1,2010. The furniture was purchased on December 1, 2007 for Rs. 30,000
5. His following personal liabilities were paid by the company :
   - (i) Fees of his son Mahesh for studying in university Rs. 1,600.
   - (ii) Payment of hotel bills Rs. 3,000.
   - (iii) Annual membership of club Rs. 1,500.

6. His daughter is studying in a school run by the company. The annual expenses incurred by the company per student are Rs. 32,000. For educating in a similar type of educational

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

institution, the expenses come to Rs. 22,000 per annum. Shri Ramesh is charged by the company @ Rs. 8,000 p.a. for this facility.

7. He was sent to attend a programme for managerial training at Kolkata. The fees of Rs. 10,000 was paid by the company. He proceded on leave for some days to Shrinagar where he stayed in the Hoilday Home maintained by the company. The expenses of his boarding and lodging amounting to Rs. 8,000 were borne by the company.

8. The company paid Rs. 2,200 for life insurance premium for shri Ramesh. He has been supplied cotton by the company costing Rs. 7,000 free of cost.

9. The company allotted him 25 shares @ Rs. 1,000 each under the 'Employees Stock option plan' whereas the market value per share was Rs. 1,200 on that day.

10. He received Rs. 30,000 as an advance salary for March, April and May 2010 in the month of February,2010

11. He has been provided the facility of a 1600cc motor car which is used for private purpose also. All the expenses including driver's salary are borne by the company.

Compute taxable income under the head 'salaries' of Shri Ramesh for the assessment year 2010-11 assuming that he paid Rs. 2,000 as employment tax.

हल (Solution) :

Computation of Taxable Income from Salaries of Shri Ramesh for the Assessment Year 2010-11

	Rs.
Basic Salary (10,000 X 12)	.1,20,000
Dearness Allowance (3,000 X 12)	36,000
House Rent Allowance (2,000 X 12)	24,000
Advance Salary (April and May 2010)	20,000
Value of Perquisites :	
(a) Daughter's Education (22,000 – 12,000 – 8,000)	2,000
(b) Shares allotted at less price 25 X (1200-1000)	5,000
(c) Holiday Home [u/s 17(2)(viii)]	8,000
(d) Payment of amenities provided [u/s 17(2)(iii)] :	
(i) Car (2700 X 12)	32,400
(ii) Gardener (250 X 12)	3,000
(iii) Watchman (150 X 12)	1,800
(iv) Sweeper (100 X 12)	1,200
(v) Refrigerator and cooler (8,000 + 2,500) X 10%	1,050
(vi) Furniture at less price (24000-2000)	22,000
(vii) Cotton supplied free of cost [7,000 – 5,000]	2,000
(e) Payment for Employee's obligations :	
(i) Fees for his son [u/s 17(2)(iv)]	1,600
(ii) Hotel bills [u/s 17(2)(iv)]	3,000
(iii) Annual Membership of club [u/s 17(2)(viii)]	1,500
(f) Life Insurance premium [u/s 17(2)(v)]	2,200
Gross Income from Salaries	2,86,750
Less : Deductions for Employment tax paid [u/s 16 (iii)]	2,000
Taxable Income from Salaries	2,84,750

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

टिप्पणी :

(1) मार्च, अप्रेल एवं मई 2010 का वेतन मार्च 2010 में अग्रिम प्राप्त किया गया है, अतः यह चालू वित्तीय वर्ष (2009–10) की आय में ही कर–योग्य होगा। मार्च 2010 का वेतन अग्रिम वेतन नहीं माना जाता क्योंकि यह चालू वर्श में ही देय हो गया।

(2) प्रबन्धकीय प्रशिक्षण प्रोग्राम में श्री रमेश के भाग लेने के लिए नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई फीस कर–मुक्त अनुलाभ है।

(3) मकान किराये भत्ते की सम्पूर्ण राशि कर–योग्य होगी क्योंकि कर्मचारी स्वयं के मकान में रहता है अतः इसके द्वारा मकान किराये का भुगतान नहीं किया जाता है।

(4) पुत्री की शिक्षा कम्पनी द्वारा संचालित स्कूल में हो रही है। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के बच्चों को स्वयं की संस्था में अध्ययन करने की सुविधा 1,000 रुपये प्रतिमाह प्रति बच्चा (सभी बच्चों के लिए) कर–मुक्त होती है अतः शिक्षा को सुविधा का कर–योग्य मूल्य = [22,000 – (1,000 X 12) – 8,000] = 2,000 रुपये।

(5) नियोक्ता द्वारा 7,000 रुपये की रूई मुफ्त में दी गई है। एक वर्श में 5,000 रुपये तक वस्तु के रूप में दिये गये उपहार कर–मुक्त होते हैं इसलिए 2,000 रुपये की राशि धारा 17(2)(viii) के अन्तर्गत कर–योग्य होगी।

(6) फर्नीचर का विक्रय मूल्य 2,000 रुपये

फर्नीचर के अपलिखित मूल्य की गणना		रुपये
दिसम्बर 1, 2007 को वास्तविक लागत	30,000	
घटाओं : 30 नवम्बर, 2008 तक का ह्मस 10% (प्रथम वर्श का)		3,000
		27,000
घटाओं : 30 नवम्बर, 2009 तक का ह्मस (द्वितीय वर्श का)		3,000
दिसम्बर 1, 2009 का अपलिखित मूल्य		24,000
घटाओं : सम्पति का विक्रय मूल्य		2,000
चल सम्पति (फर्नीचर) के रियायती मूल्य पर विक्रय से सम्बन्धित कर–योग्य अनुलाभ [धारा 17(2)(viii),		22,000

(7) कार की सुविधा का मूल्य :

[कार का ह्मस 600 रुपये. चलाने के व्यय 1200 रुपये. चालक का पारिश्रमिक 900 रुपये, प्रतिमाह अर्थात् 2700 रुपये X 12 = 32,400 रुपये वार्षिक।

सभी कर्मचारियों के लिए कर–मुक्त अनुलाभ

(1) निम्न दशाओं में रहने के मकान की सुविधा–

(i) खान, समुद्र तट पर तेल खोजने के स्थान, बांध निर्माण स्थल आदि स्थानों पर कार्यरत कर्मचारी को सुविधा, यदि–

(A) मकान दूर दराज क्षेत्र में स्थित हो, अथवा

(B) मकान अस्थायी प्रकृति का हो एवं 800 वर्ग फुट तक का हो तथा नगर–पालिका की सीमा से 8 किलोमीटर से अधिक दूर हो।

(ii) स्थानान्तरण पर 90 दिन तक दो मकान देने पर एक मकान की सुविधा।

(iii) स्थानान्तरण पर 15 दिन तक किसी होटल में व्यवस्था।

(iv) न्यायाधीशों को मुफ्त आवास की सुविधा।

(v) संसद के अधिकारियों को मुफ्त आवास की सुविधा।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(2) बिना ब्याज अथवा रियायती ब्याज दर पर ऋण की सुविधा–

(i) यदि मूल ऋण अथवा ऋणों की राशि 20,000 रु. से अधिक नहीं हो।

(ii) आय कर नियम 3A में उल्लेखित बीमारी के इलाज के लिये ऋण लिया गया हो।

(3) नियोक्ता द्वारा संचालित शिक्षण संस्था में कर्मचारी के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की सुविधा 1000 रु. प्रतिमाह प्रति बच्चे तक।

(4) कम्प्यूटर्स एवं लैपटोप के निजी उपयोग की सुविधा।

(5) यात्रा व्यय में सहायता, निर्धारित सीमाओं में।

(6) विदेश में दी गई सुविधा।

(7) गैर मौद्रिक अनुलाभों पर नियोक्ता द्वारा दिया गया कर।

(8) घर से कार्यालय जाने आने के लिये वाहन सुविधा।

(9) टेलिफोन तथा मोबाइल फोन की सुविधा।

(10) रिफ्रेशर कोर्स, प्रशिक्षण आदि की सुविधा।

(11) कार्यालय के काम के लिये पत्रिकाएँ एवं जर्नल की सुविधा।

(12) चिकित्सा सुविधाएँ, निर्धारित नियमों के अनुसार।

(13) कर्मचारियों की सामूहित बीमा योजना में नियोक्ता का अंशदान।

(14) नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के सम्बन्ध में ली गई दुर्घटना बीमा पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान।

(15) कुछ चल सम्पतियों का दस वर्ष तक उपयोग के बाद हस्तान्तरण।

महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण

1. परिवार के सदस्य से आशय–

अनुलाभों के मूल्यांकन के लिए निम्न को परिवार के सदस्य माना जाता है :

(क) कर्मचारी का जीवनसाथी

(ख) कर्मचारी के बच्चे एवं उनके जीवन साथी

(ग) कर्मचारी के माता–पिता

(घ) कर्मचारी के नौकर एवं आश्रित व्यक्ति।

2. निम्नलिखित सुविधाओं की कर–योग्य राशि का निर्धारण संबंधित धारा एवं नियमों के अनुसार किया जायेगा :

(क) यात्रा व्यय में सहायता [धारा 10(5) एवं नियम 2B]

(ख) चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं [धारा 17(2) का परन्तुक]

यात्रा व्यय में सहायता [धारा 10(5) एवं नियम 2B]
(Leave Travel Assistance)

केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किसी कर्मचारी को मिलने वाली निम्नलिखित राशियां कर से मुक्त हो सकती हैं–

(अ) अपने नियोक्ता से छुटटी पर भारत में किसी भी स्थान पर जाने के लिए उसके स्वयं के तथा उसके परिवार के लिए मिली हुई यात्रा व्यय में कोई सहायता।

(ब) अपने वर्तमान अथवा भूतपूर्व नियोक्ता से अवकाश ग्रहण करने पर अथवा नौकरी से हटाये जाने पर भारत में किसी भी स्थान पर जाने के लिए उसके तथा उसके परिवार के लिए मिली हुई यात्रा व्यय में कोई सहायता।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

उपरोक्त दोनों दशाओं में कर–मुक्त राशि उस राशि से अधिक नहीं होगी जो उसके छुटटी पर, अवकाश ग्रहण करने पर अथवा नौकरी से हटाये जाने पर भारत में किसी भी स्थान पर उसके जाने के लिए निम्नानुसार देय है।

इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने निम्न नियम बनाये हैं–

(1) यात्रा के लिए अपनाये गये विभिन्न साधनों के लिए छूट की राशि अलग–अलग निर्धारित की गई है जिसे निम्न तालिका से सरलता से समझा जा सकता है–

विभिन्न दशायें	छूट की राशि
(i) यदि यात्रा हवाई जहाज द्वारा की जाती है।	न्यूनतम दूरी वाले मार्ग के आधार पर ज्ञात की गई राश्ट्रीय वाहन के सामान्य श्रेणी के हवाई किराये की राशि।
(ii) यदि यात्रा के प्रारम्भ एवं समाप्ति के स्थान रेल द्वारा जुड़े हुए हैं परन्तु यात्रा रेल अथवा परिवहन के किसी अन्य साधन (वायुयान को छोड़कर) द्वारा की जाती है।(iii) यदि यात्रा के प्रारम्भ एवं समाप्ति के स्थान या यात्रा का भाग रेल द्वारा जुड़े हुये नहीं हों :	न्यूनतम दूरी मार्ग के आधार पर ज्ञात की गई वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के रेल के किराये की राशि
(अ) यदि प्रमाणित सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध है।	न्यूनतम दूरी मार्ग के आधार पर ज्ञात की गई प्रथम श्रेणी या डीलक्स श्रेणी के किराये की राशि।
(ब) यदि प्रमाणित सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।	न्यूनतम दूरी वाले मार्ग के आधार पर ज्ञात की गई वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के रेल के किराये की राशि यह मानते हुए कि यात्रा रेल द्वारा की गई है।

उपरोक्त तालिका में दर्शायी गई राशि छूट की अधिकतम राशि है। यदि कर्मचारी इससे कम राशि व्यय करता है तो व्यय की गई राशि से अधिक की छूट नहीं मिलेगी। यदि नियोक्ता कर्मचारी को उक्त तालिका में दर्शायी गई राशि से अधिक राशि सहायता के रूप में देता है तो कर–मुक्त राशि निम्न तीन राशियों में सबसे कम वाली राशि होगी–

(a) नियोक्ता द्वारा दी गई राशि
(b) तालिका में दर्शायी गई राशि
(c) कर्मचारी द्वारा व्यय की गई राशि

प्राप्त राशि में से कर–मुक्त राशि घटा दी जायेगी तथा शेश राशि कर–योग्य होगी।

(2) उपरोक्त वाक्यांश (1) में वर्णित छूट किसी कर्मचारी को चार वर्षों के समूह में दो बार ही प्राप्त हो सकेगी। यदि किसी कर्मचारी को चार वर्षों के समूह में दो से अधिक बार यात्रा व्यय में रियायत अथवा सहायता प्राप्त होती है तो प्रथम दो यात्राओं के लिए छूट की राशि की गणना उपरोक्त वाक्यांश (1) में वर्णित विधि से ज्ञात की जायेगी तथा शेष यात्राओं के लिए प्राप्त सम्पूर्ण राशि ही कर–योग्य होगी। चार वर्षों का पहला समूह 1 जनवरी, 1986 से प्रारम्भ हुआ था तथा 31 दिसम्बर, 1989 को समाप्त हुआ था। 1 जनवरी, 1990 से दूसरा समूह तथा 1 जनवरी, 1994 से तीसरा समूह प्रारम्भ हुआ था। 1 जनवरी, 1998 से चौथा समूह, 1 जनवरी

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

2002 से पाँचवा समूह, 1 जनवरी, 2006 से छटवाँ समूह तथा 1 जनवरी, 2010 से सातवा समूह प्रारम्भ हो गया है।

(3) यदि कोई कर्मचारी ऐसे चार कलैण्डर वर्षों के किसी समूह में यात्रा व्यय में सहायता अथवा रियायत का लाभ नहीं उठाया है तो अगले चार वर्शों के समूह के प्रथम कलैण्डर वर्ष में पिछले समूह की बकाया केवल एक रियायत अथवा सहायता का लाभ उठा सकता है। इस प्रकार प्राप्त की गई कर–मुक्ति का अगले चार वर्षों के समूह की यात्रा व्यय सहायता या रियायत के कर–मुक्त होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अर्थात् इस समूह में तीन यात्राओं की कर–मुक्ति मिल सकती है।

(4) इस वाक्यांश के तहत कर–मुक्ति का लाभ उस व्यश्टि के दो से अधिक बच्चों के लिये नहीं मिलेगा। परन्तु यदि ऐसे बच्चे 1 अक्टूबर, 1998 के पूर्व जन्में हों अथवा एक बच्चे के बाद जुड़वाँ बच्चों के रूप में जन्में हों तो उनके लिये इस वाक्यांश के तहत कर मुक्ति का लाभ मिल सकेगा।

स्पष्टीकरण–

इस धारा के लिए परिवार का आशय निम्न होगा–

(i) व्यष्टि करदाता का जीवन–साथी तथा उसके बच्चें, एवं

(ii) व्यष्टि करदाता के माता–पिता अथवा भाई–बहन में कोई भी एक अथवा सभी लोग बशर्ते वे उस व्यष्टि पर मुख्य रूप से निर्भर हैं।

चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएँ
(Medical Facilities)

नियोक्ता द्वारा प्रदान की गई चिकित्सा सम्बन्धी निम्नांकित सुविधाओं को अनुलाभ नहीं माना जाता है तथा ये सुविधाएँ सभी कर्मचारियों के लिये कर–मुक्त होती हैं–

(अ) नियोक्ता द्वारा संचालित अस्पताल में चिकित्सा की सुविधा–

किसी कर्मचारी को अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को नियोक्ता द्वारा संचालित अस्पताल, डिस्पेन्सरी क्लिनिक या नर्सिंग होम में दी गई चिकित्सा साम्बन्धी सुविधा का सम्पूर्ण मूल्य कर–मुक्त होता है।

(ब) निम्न दशाओं में कर्मचारी के चिकित्सा व्ययों का पुनर्भरण–

(i) सरकार अथवा स्थानीय सत्ता द्वारा संचालित किसी अस्पताल, डिस्पेन्सरी या क्लिनिक अथवा सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों की चिकित्सा के लिये अनुमोदित किसी अन्य अस्पताल, डिस्पेन्सरी, क्लिनिक या नर्सिंग होम में किसी कर्मचारी द्वारा अपनी स्वयं की अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य की चिकित्सा पर किये गये व्यय का नियोक्ता द्वारा पुनर्भरण अथवा।

(ii) किसी कर्मचारी द्वारा अपनी स्वयं की अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य की निर्धारित बीमारियों अथवा पीड़ा के सम्बन्ध में चीफ कमिश्नर द्वारा अनुमोदित किसी अस्पताल, डिस्पेन्सरी, क्लिनिक या नर्सिंग होम में कराई गई चिकित्सा के सम्बन्ध में किये गये व्यय का नियोक्ता द्वारा पुनर्भरण कर–मुक्त होता है।

वाक्यांश (ii) की दशा में कर्मचारी को अपने आय की विवरणी के साथ अस्पताल का एक प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा जिसमें उस बीमारी व पीड़ा का उल्लेख होगा जिसके लिये कर्मचारी को इलाज की आवश्यकता थी तथा साथ ही अस्पताल को भुगतान की गई राशि की रसीद भी संलग्न करनी होगी।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(स) नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान–

भारतीय सामान्य बीमा निगम द्वारा बनाई गई एवं केन्द्रीय सरकार अथवा बीमा रेग्यूलेटरी (Regulatory) एवं विकास सत्ता द्वारा अनुमोदित की गई किसी योजना के अन्तर्गत नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान कर–मुक्त होता है।

(द) कर्मचारी द्वारा चुकाये गये स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का नियोक्ता द्वारा पुनर्भरण–

भारतीय सामान्य बीमा निगम द्वारा बनाई गई एवं केन्द्रीय सरकार अथवा बीमा रेग्यूलेटरी (Regulatory) एवं विकास सत्ता द्वारा धारा 80D के लिये अनुमोदित की गई किसी योजना के अन्तर्गत किसी कर्मचारी द्वारा उसके स्वयं के अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए चुकाई गई राशि का नियोक्ता द्वारा पुनर्भरण,

(य) उपर्युक्त वाक्यांश (अ) एवं (ब) में वर्णित अस्पताल, डिस्पेन्सरी या क्लिनिक के अतिरिक्त अन्य किसी अस्पताल, डिस्पेन्सरी या क्लिनिक पर चिकित्सा कराने के लिये किसी कर्मचारी द्वारा स्वयं के अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य की चिकित्सा पर वास्तव में किये गये व्यय का नियोक्ता द्वारा पुनर्भरण। परन्तु वाक्यांश के अन्तर्गत किसी एक गत वर्श में 15,000 रु. तक की राशि ही कर–मुक्त होगी। शेष राशि सभी कर्मचारियों के लिये धारा 17(2)(iv) के अन्तर्गत कर–योग्य होगी चाहे कर्मचारी विशिश्ट हो अथवा गैर विशिश्ट।

(य) यदि चिकित्सा भारत के बाहर होती है तो नियोक्ता द्वारा किया गया निम्न व्यय कर–मुक्त होता है–

(i) अपने कर्मचारी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य की चिकित्सा पर किया गया व्यय।

(ii) कर्मचारी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य की ऐसी चिकित्सा के सम्बन्ध में यात्रा के लिये एवं भारत के बाहर ठहरने के लिये किया गया व्यय।

(iii) ऐसी चिकित्सा के सम्बन्ध में रोगी के साथ गये एक परिचालक (Attendant) की यात्रा के लिये एवं भारत के बाहर ठहरने के लिये किया गया व्यय।

इस वाक्य के उप–वाक्य (ii) एवं (iii) में वर्णित यात्रा व्यय केवल उसी दशा में कर–मुक्त होगा जबकि उस कर्मचारी की सकल कुल आय इस वाक्य के तहत किसी व्यय को जोड़ने से पूर्व 2,00,000 रु. से अधिक नहीं हो तथा चिकित्सा एवं ठहरने के सम्बन्ध में व्यय की गई राशि रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा स्वीकृत सीमा तक ही कर–मुक्त होगी।

(र) उपर्युक्त वाक्यांश (य) में वर्णित कोई व्यय कर्मचारी के स्वयं के द्वारा किया जाता है तथा उसका पुनर्भरण नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को कर दिया जाता है तो ऐसा पुनर्भरण वाक्यांश (य) में दी गई शर्त एवं सीमाओं के अनुसार ही कर–मुक्त होगा।

स्पष्टीकरण–

परिवार के सदस्यों में कर्मचारी का जीवन साथी, उसके पुत्र और पुत्रियाँ तथा उस पर पूर्णतया अथवा मुख्यतः आश्रित माता, पिता व भाई, बहनों को सम्मिलित किया जायेगा।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

वेतन के स्थान पर लाभ
(Profits in Lieu of Salary)

धारा 17 (3) के अनुसार निम्नांकित भुगतानों को वेतन के स्थान पर लाभ माना जाता है–

(i) नौकरी से हटाने अथवा नौकरी की शर्तों में परिवर्तन करने के कारण वर्तमान अथवा भूतपूर्व नियोक्ता से प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि;

(ii) अप्रमाणित भविष्य निधि से प्राप्त राशि में से नियोक्ता का अंशदान एवं उस पर देय ब्याज। (करदाता के अंशदान तथा उस पर देय ब्याज को छोड़कर)

(iii) महत्वपूर्ण व्यक्ति बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत नियोक्ता से प्राप्त राशि (जिसमें इस धनराशि पर प्राप्त बोनस भी सम्मिलित है)

(iv) कोई भी राशि (चाहे एक मुश्त हो या अन्य किसी प्रकार से) जिसे नौकरी से पहले अथवा बाद में प्राप्त किया गया हो

(v) करदाता द्वारा अपने नियोक्ता अथवा भूतपूर्व नियोक्ता से प्राप्त किये गये भुगतान जैसे–नौकरी से हटाये जाने पर सूचना अवधि का वेतन, कर्मचारी की सेवाओं के लिए पुरस्कार आदि। परन्तु निम्नांकित भुगतानों की कर मुक्त राशि को वेतन के स्थान पर लाभ नहीं माना जाता है–

(क) वैधानिक भविष्य निधि से प्राप्त राशि (धारा 10 (11))

(ख) प्रमाणित भविष्य निधि से प्राप्त राशि (धारा 10 (12))

(ग) अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड से प्राप्त राशि (धारा 10 (13)

(घ) कर्मचारी की मृत्यु अथवा सेवा–निवृत्ति पर उपदान (Gratuity) की प्राप्त राशि (धारा 10 (10))

(ड.) पेंशन की एक मुश्त राशि (धारा 10 (10A)

(च) छंटनी पर प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि (धारा 10 (10B)

(छ) मकान किराया भत्ते की कर–मुक्त राशि (धारा 10 (13A)

टिप्पणी : (1) उपर्युक्त भुगतान धारा 10 में वर्णित प्रावधानों तक ही वेतन के स्थान पर लाभ नहीं माने जाते हैं, परन्तु निर्धारित राशि से अधिक राशि को वेतन के स्थान पर लाभ मानकर कर–योग्य किया जाता है।

(2) नियोक्ता से कर्मचारी को यदि कोई राशि व्यक्तिगत भेंट के रूप में प्राप्त होती हो तो ऐसी व्यक्तिगत भेंट कर्मचारी के लिए कर मुक्त मानी जायेगी।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

भविष्य निधि
(Provident Fund)

भविष्य निधि कर्मचारी के लिए एक प्रकार से सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसके द्वारा सेवा–निवृत्ति के पश्चात उनके जीवन–निर्वाह की व्यवस्था की जाती है। भविष्य निधि योजना में प्रत्येक कर्मचारी का अलग–अलग खाता खुला हुआ होता है जिसमें नियोक्ता एवं कर्मचारी दोनों अंशदान करते हैं। कर्मचारी के वेतन में से एक निश्चित राशि प्रति माह काटकर नियोक्ता द्वारा इस खाते में जमा करायी जाती है, जिसे कर्मचारी का अंशदान कहते हैं। इसी प्रकार नियोक्ता भी अपने पास से कुछ राशि इस निधि के लिए देता है जो नियोक्ता का अंशदान कहलाता है। कर्मचारी के सेवा–निवृत्त हो जाने या नौकरी छोड़ने पर इस निधि में एकत्रित राशि ब्याज सहित कर्मचारी को दे दी जाती है। सेवाकाल में कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर इस निधि की राशि उसके वैधानिक उत्तराधिकारी को दे दी जाती है। भविष्य निधि खाते (Provident Fund Accounts) तीन प्रकार के होते हैं–

(i) वैधानिक भविष्य निधि (Statutory provident fund i.e. SPF)
(ii) प्रमाणित भविष्य निधि (Recognised provident fund i.e. RPF) तथा
(iii) अप्रमाणित भविष्य निधि (Unrecognised provident fund i.e. URPF)

(i) **वैधानिक भविष्य निधि (Statutory Provident Fund i.e. SPF)** :– भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (The Provident Fund Act, 1925) के अन्तर्गत रखी गयी भविष्य निधि को वैधानिक भविष्य निधि कहा जाता है। सरकारी व अर्द्ध–सरकारी संस्थाओं तथा कार्यालय, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, विश्वविद्यालयों एवं स्थानीय सत्ताओं द्वारा इसी अधिनियम के अन्तर्गत भविष्य निधि खाते रखे जाते हैं।

(ii) **प्रमाणित भविष्य निधि (Recognised Provident Fund i.e. RPF)** :– ऐसी भविष्य निधि को जिसे आयकर आयुक्त द्वारा प्रमाणित कर दिया गया है प्रमाणित भविष्य निधि कहा जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 (The Employees Provident Fund Act, 1952) के अन्तर्गत रखी गयी भविष्य निधि को भी प्रमाणित भविष्य निधि कहा जाता है। ऐसी भविष्य निधियां व्यापारिक संस्थाओं एवं कम्पनियों द्वारा रखी जाती है।

(iii) **अप्रमाणित भविष्य निधि (Unrecognised Provident Fund i.e. URPF)** :– संस्थाओं में कर्मचारियों के लिए रखी गयी ऐसी भविष्य निधि जो आयकर आयुक्त द्वारा प्रमाणित नहीं की गयी हो, अप्रमाणित भविष्य निधि कहलाती है।

भविष्य निधि के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम के प्रावधान–

(अ) वार्षिक वृद्धि के सम्बन्ध में– प्रत्येक वर्ष भविष्य निधि में कर्मचारी के अंशदान, नियोक्ता के अंशदान तथा एकत्रित शेष पर जमा होने वाले ब्याज के कारण वृद्धि होती है। वार्षिक वृद्धि की राशि में से कर योग्य राशि निम्न प्रकार ज्ञात की जाती है–

(i) **कर्मचारी के अंशदान के कारण वृद्धि–** कर्मचारी का अंशदान उसके वेतन में से काटा जाता है। कर्मचारी के लिए ऐसी कटौती घटाने के पूर्व का वेतन कर योग्य होता है। यदि कर्मचारी द्वारा भविष्य निधि में दिया गया अंशदान घटाकर शेष वेतन की राशि दी गयी है तो प्राप्त वेतन में कर्मचारी

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

का अंशदान जोड़कर वेतन की सकल आय मानी जायेगी।

(ii) **नियोक्ता के अंशदान के कारण वृद्धि–** वैधानिक भविष्य निधि तथा अप्रमाणित भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान जमा होने पर पूर्णतया कर मुक्त होता है। प्रमाणित भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान कर्मचारी के वेतन के 12% तक ही कर मुक्त होता है तथा इससे अधिक राशि वेतन शीर्षक में कर योग्य होती है।

वेतन का आशय– वेतन में मूल वेतन, बिक्री पर आधारित कमीशन, सेवा शर्तों के अधीन देय मंहगाई भत्ता एवं मंहगाई वेतन शामिल किया जाता है।

(iii) **एकत्रित शेष पर जमा होने वाला ब्याज–** वैधानिक तथा अप्रमाणित भविष्य निधि में गत वर्ष में जमा होने वाला ब्याज पूर्णतया कर मुक्त होता है। परन्तु प्रमाणित भविष्य निधि में 9.5% वार्षिक दर तक जमा होने वाले ब्याज की राशि कर मुक्त होती है, शेष राशि कर योग्य होती है। उदाहरणार्थ, गत वर्ष में प्रमाणित भविष्य निधि के जमा शेष पर 15% वार्षिक की दर से 15000 रु. ब्याज के जमा हुये। इस जमा राशि में निम्न राशि कर मुक्त होगी:

$$\frac{\text{जमा ब्याज की राशि}}{\text{ब्याज दर}} \times 9.50 = \frac{15000 \times 9.50}{15} = 9500$$

शेष राशि (15000–9500) = 5500 रु. वेतन शीर्षक में कर योग्य होगी।

(ब) सेवा–निवृत्ति पर भविष्य निधि से प्राप्त होने वाली एक मुश्त राशि– सेवा निवृत्ति पर कर्मचारी को प्राप्त होने वाली एक मुश्त राशि को कर–योग्य आय में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में नियम निम्न प्रकार हैं–

(i) **वैधानिक भविष्य निधि–** वैधानिक भविष्य निधि से प्राप्त सम्पूर्ण राशि प्रत्येक स्थिति में कर मुक्त होती है।

(ii) **अप्रमाणित भविष्य निधि–** अप्रमाणित भविष्य निधि से प्राप्त एक–मुश्त राशि में से नियोक्ता के अंशदान एवं इस पर ब्याज की राशि कर्मचारी के वेतन शीर्षक में कर–योग्य होती है। कर्मचारी के अंशदान की प्राप्त राशि पूर्णतया कर–मुक्त होती है तथा कर्मचारी के अंशदान पर ब्याज की प्राप्त राशि 'अन्य साधनों में आय' शीर्षक में कर–योग्य होती है न कि वेतन शीर्षक में ।

(iii) **प्रमाणित भविष्य निधि–** प्रमाणित भविष्य निधि से प्राप्त एक मुश्त राशि निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करने पर पूर्णतया कर–मुक्त होती है:

(क) कर्मचारी ने अपने नियोक्ता के यहाँ पर लगातर पाँच या अधिक वर्षों तक सेवा की हो या

(ख) यदि उसने लगातार पाँच वर्ष तक कार्य नहीं किया हो, परन्तु उसकी अस्वस्थता के कारण अथवा उसके नियोक्ता के व्यापार के बन्द हो जाने के कारण अथवा अन्य किसी ऐसे कारण से उसकी सेवायें समाप्त कर दी गई हों जो कर्मचारी के नियन्त्रण में नहीं हों, या

(ग) कर्मचारी ने अपनी नौकरी समाप्त होने के बाद किसी दूसरे नियोक्ता के यहाँ नौकरी कर ली हो और उसे प्रमाणित भविष्य निधि खाते का शेष उस दूसरे नियोक्ता द्वारा रखे गये प्रमाणित निधि खाते में हस्तांतरित कर दिया गया हो।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

स्पष्टीकरण–

1. यदि प्रमाणित भविष्य निधि के एकत्रित शेष का कुछ भाग ही दूसरे नियोक्ता के यहाँ हस्तांतरित किया जाता है और शेष राशि कर्मचारी प्राप्त कर लेता है तो ऐसी हस्तांतरित राशि ही कर–मुक्त होगी। प्राप्त की गई राशि तभी कर–मुक्त होगी जबकि वह उपर्युक्त (क) अथवा (ख) के अन्तर्गत कर–मुक्त हो। (धारा 10 (12))

2. उपर्युक्त 5 वर्ष की अवधि की गणना में एक या एक से अधिक नियोक्ताओं के यहाँ कर्मचारी की सेवा की अवधि को सम्मिलित किया जायेगा, यदि कर्मचारी के एक नियोक्ता को छोड़कर दूसरे नियोक्ता के यहाँ सेवा करने पर उसका प्रमाणित भविष्य निधि खाता भी नये नियोक्ता के यहाँ हस्तांतरित हो जाये।

3. उपर्युक्त 5 वर्ष की अवधि की गणना में एक या एक से अधिक नियोक्ताओं के यहाँ कर्मचारी की सेवा की अवधि को सम्मिलित किया जायेगा, यदि कर्मचारी के एक नियोक्ता को छोड़कर दूसरे नियोक्ता के यहाँ सेवा करने पर उसका प्रमाणित भविष्य निधि खाता भी नये नियोक्ता के यहा हस्तांतरित हो जाये।

यदि कर्मचारी को उपर्युक्त नियमों के अनुसार प्रमाणित भविष्य निधि से प्राप्त राशि कर मुक्त नहीं होती है तो कर्मचारी के स्वयं के अंशदान की प्राप्त राशि कर मुक्त होगी तथा इस अंशदान पर प्राप्त ब्याज की राशि अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। नियोक्ता का अंशदान एवं इस पर ब्याज की प्राप्त राशि कर्मचारी के वेतन शीर्षक में कर योग्य होगी।

भविष्य निधि सम्बन्धी प्रावधानों को निम्न तालिका से समझा जा सकता है–

विवरण	वैधानिक भविष्य निधि	प्रमाणित भविष्य निधि	अप्रमाणित भविष्य निधि
1. भविष्य निधि में कर्मचारी का अंशदान	कर्मचारी का अंशदान घटाने से पूर्व का वेतन लिया जाता है।	कर्मचारी का अंशदान घटाने से पूर्व का वेतन लिया जाता है।	कर्मचारी का अंशदान घटाने से पूर्व का वेतन लिया जाता है।
2. भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान	कर–मुक्त	कर्मचारी के वेतन के 12% तक कर मुक्त (आधिक्य कर योग्य होगा)	कर मुक्त
3. भविष्य निधि में प्रतिवर्ष जमा होने वाला ब्याज	कर–मुक्त	ब्याज 9.5% वार्षिक दर कर तक कर–मुक्त (आधिक्य कर योग्य होगा	कर–मुक्त
4. सेवा निवृत्ति अथवा सेवा की समाप्ति पर भविष्य निधि से मिलने वाली राशि (जो एकमुश्त मिलती है।)	कर मुक्त	यदि कर्मचारी ने न्यूनतम 5 वर्ष तक नौकरी की है अथवा किसी ऐसे कारण से कम समय के लिए नौकरी की है जो उसके नियंत्रण में नहीं था तो पूर्ण राशि कर मुक्त होगी अन्यथा उसी प्रकार से कर योग्य होगी जैसे यह अप्रमाणित भविष्य निधि से प्राप्त होने पर होती है।	1. नियोक्ता का अंशदान एवं उस पर ब्याज वेतन शीर्षक में कर योग्य होगा। 2. कर्मचारी के अंशदान पर ब्याज अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगा। 3. कर्मचारी का अंशदान कर मुक्त होता है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

हस्तातंरित शेष
(Transferred Balance)

जब किसी अप्रमाणित भविष्य निधि को आयकर आयुक्त द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है तो अनुमोदन की तिथि से यह निधि प्रमाणित भविष्य निधि कहलाती है। कर्मचारी को विकल्प दिया जाता है कि अप्रमाणित भविष्य निधि के शेष की सम्पूर्ण राशि को या उसके एक हिस्से को वह प्रमाणित भविष्य निधि में हस्तांतरित करवा ले। अप्रमाणित भविष्य निधि के अनुमोदन होने की तिथि को इस भविष्य निधि का जो शेष प्रमाणित भविष्य निधि में हस्तांतरित किया जाता है, उसे हस्तांतरित शेष कहते हैं।

(अ) हस्तांरित शेष का कर–योग्य भाग– हस्तांतरित शेष में शामिल उन राशियों का योग किया जाता है जो अप्रमाणित भविष्य निधि को प्रारम्भ से ही प्रमाणित कर देने पर पिछले वर्षों में कर योग्य होती। इस योग को उस गत वर्ष की वेतन शीर्षक की कर–योग्य आय मान लिया जाता है जिस गत वर्ष में भविष्य निधि आयकर आयुक्त द्वारा प्रमाणित की गयी है।

प्रारम्भ से ही इस भविष्य निधि को प्रमाणित मान कर कर–योग्य राशि की गणना निम्न प्रकार की जाती है।

(i) नियोक्ता के अंशदान का कर्मचारी के वेतन के 12% (कर निर्धारण वर्ष 1997–98 तक 10%) पर आधिक्य, तथा

(ii) जमा किये गये ब्याज का कर–मुक्त ब्याज पर आधिक्य (12% वार्षिक दर तक का जमा ब्याज कर मुक्त होता था परन्तु 1 अप्रैल 2001 से यह दर 9.5% वार्षिक हो गयी है।

(ब) कर्मचारी को प्राप्त राशि का कर–योग्य– अप्रमाणित भविष्य निधि का जो शेष भाग प्रमाणित भविष्य निधि में हस्तांतरित नहीं किया गया है उसका भुगतान कर्मचारी को कर दिया जाता है। कर्मचारी को प्राप्त ऐसी राशि निम्न प्रकार कर–योग्य होती है :

(i) नियोक्ता का अंशदान एवं उस पर जमा ब्याज के हिस्से की राशि 'वेतन शीर्षक' में कर–योग्य होती है;

(ii) कर्मचारी के अंशदान पर ब्याज के हिस्से की राशि 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में कर–योग्य होती है तथा

(iii) कर्मचारी के अंशदान के हिस्से की राशि कर–मुक्त होती है।

अनुमोदित सेवा–निवृत्ति (सुपरएनुएशन) कोष
(Approved Superannuation Fund)

इस फण्ड का उद्देश्य कर्मचारियों को सेवा–निवृत्ति के बाद वार्षिकी के भुगतान की व्यवस्था करना होता है। इस फण्ड में वृद्धि होने पर राशि कर्मचारी के लिए कर–योग्य नहीं होती है परन्तु इस फण्ड से प्राप्त वार्षिकी की राशि कर–योग्य होती है। इस फण्ड से प्राप्त एक–मुश्त राशि निम्न दशाओं में कर मुक्त होती है–

(अ) कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त राशि, अथवा

(ब) कर्मचारी की निर्धारित आयु के बाद सेवा–निवृत्ति पर या सेवा–निवृत्ति की आयु के पूर्व ही सेवा के लिए असमर्थ हो जाने पर।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

स्पष्टीकरण– यदि कर्मचारी सेवा निवृत्ति की आयु के पूर्व ही नौकरी छोड़ देता है तो इस फण्ड से कर्मचारी को प्राप्त भुगतान कर–मुक्त नहीं होगा। इस स्थिति में इस फण्ड में से भुगतान करने से पूर्व नियोक्ता का यह दायित्व है कि वह अपने स्वयं के अंशदान एवं उसके ब्याज पर पिछले 3 कर–निर्धारण वर्षों में उसके द्वारा चुकाये गये कर की औसत दर से आयकर काट ले एवं शेष राशि का भुगतान ही कर्मचारी को करें। काटे गये कर की राशि को भी सरकारी कोष में जमा करवा दें।

गैर अनुमोदित सेवा–निवृत्ति कोष–यदि कर्मचारी को गैर अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड से एक–मुख्त राशि प्राप्त होती है, तो कर्मचारी के अंशदान तक प्राप्त राशि कर–मुक्त होगी और कर्मचारी के अंशदान पर प्राप्त ब्याज की राशि 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक से कर–योग्य होगी। यदि फण्ड में से प्राप्त एक–मुश्त राशि कर्मचारी के अंशदान एवं ब्याज की राशि से अधिक है तो यह आधिक्य कर्मचारी के 'वेतन शीर्षक' की आय में शामिल किया जायेगा।

उदाहरण (Illustration) 4.8 :

श्री हरि ओम यू.पी. स्टेट ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन में चालक के पद पर सेवारत हैं। उन्हें 8,000 रु. प्रतिमाह मूल वेतन तथा 600 रुपये प्रति माह महंगाई भत्ता प्राप्त होता है। वित्तीय वर्ष 2009–10 में उन्हें निम्न प्रकार से अन्य भत्ते भी प्राप्त हुए थे–

(i) चालक के रूप में कार्य करने की अवधि के दौरान होने वाले व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति के लिए रनिंग भत्ते के रूप में 15,000 रुपये

(ii) तीन बच्चों की शिक्षा के लिए होने वाले व्ययों की पूर्ति के लिए शिक्षा भत्ता 160 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा।

(iii) तीन बच्चों को होस्टल में रखने के कारण होने वाले व्ययों की पूर्ति के लिए भत्ते के रूप में 400 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा।

(iv) जनजाति क्षेत्र भत्ता 250 रुपये प्रति माह

(v) घर से कार्य स्थल तक आने व वापस जाने के लिए वाहन भत्ता 950 रुपये प्रति माह

(vi) मकान किराया भत्ता 500 रुपये प्रति माह

श्री हरि ओम ने अपने निवास हेतु कानपुर (उत्तर प्रदेश) में एक किराये का मकान लिया हुआ है, जिसका किराया 1200 रुपये प्रतिमाह है। वे प्रतिवर्ष जनवरी माह में छुट्टियाँ लेकर कुछ दिनों के लिए सपरिवार किसी पर्वतीय स्थल पर घूमने जाया करते हैं। इसके लिए 1990 से प्रति वर्ष उनको अपने नियोक्ता से यात्रा सहायता प्राप्त हो रही है। जनवरी 2010 में उनको नियोक्ता से 6,000 रुपये की सहायता प्राप्त हुई थी, जबकि उनका वास्तविक यात्रा व्यय 4,000 रुपये हुआ था।

वे अपनी प्रमाणित भविष्य निधि से मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते का 15% अंशदान दिया करते हैं तथा उनका नियोक्ता भी इतना ही अंशदान करता है। उनकी भविष्य निधि में 1,20,000 रूपये के शेष पर ब्याज के 16,800 रुपये 2009 वित्तीय वर्ष में जमा हुए हैं।

कर निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए श्री हरि ओम की 'वेतन' शीर्षक की कर योग्य आय ज्ञात कीजिए।

Shri Hari Om is employed as a driver in the U.P. State Transport Corporation. He gets Rs. 8,000 per month as dearness allowance. During the financial year 2009-10 he got the following other allowances:

(i) Rs. 15,000 as running allowance to compensate him for personal expenses incurred durig the period of duty of driving.

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(ii) Rs. 160 per month per child as education allowance to compensate him for the expenses on education of his three children.

(iii) Rs.400 per month per child as an allowance to compensate him for the hostel expenses of his three children.

(iv) Tribal area allowance Rs.250 per month.

(v) Rs. 950 per month as conveyance allowance for the journey from his residence to the place of duty and for the return journey.

(vi) Rs. 500 per month as house rent allowance.

Shri Hari Om has taken a house for his residence on rent in Kanpur (Uttar Pradesh), the rent of which is Rs.1,200 per month. He goes on leave with his family every year in the month of January for a few days for a trip to some hill station. For it, he is gettig leave travel concession from his employer every year since 1990. In January, 2010 he got from his employer Rs. 6,000 as travel assistance while his actual travelling expenses were Rs. 4,000.

He contributes 15% of his basic pay and dearness allowance to his Recognised Provident Fund. His employer also contributes the same amount to the fund. During the financial year 2009-2010. Rs. 16,800 were credited to his fund as interest on the accumulated balance of Rs. 1,20,000.

Ascertain the taxable income of Shri Hari Om under the head 'salaries' for the assessment year 2010-11.

हल (Solution) :

Computation of Taxable Income from Salaries of Shri Hari Om for the Assessment Year 2010-11

		Rs.
Basic Pay (8,000 x 12)		96,000
Dearness Alloance (600 x 12)		7,200
Running Allwance	15,000	
Less : Exemption (15,000 x 70%)	10,500	4,500
Education Allowance (160 x 12 x 3)	5,760	
Less : Exmption (100 x 12 x 2)	2,400	3,360
Hostel Expenses Allowance (400 x 12 x 3)	14,400	
Less : Exemption (300 x 12 x 2)	7,200	7,200
Total Area Allowance (250 x 12)	3,000	
Less : Exemption	2,400	600
Conveyance Allowance	11,400	
Less : Exemption	9,600	1,800
House Rent Allownace (500 x 12)	6,000	
Less : Exemption	4,080	1,920
Leave Travel Assistance	6,000	
Less : Exemption u/s 10 (5)	4,000	2,000
Employer's Contribution to R.P.F. (1,03,200 x 15%)	15,480	
Less : Exemption (12% of Salary)	12,384	3,096
Interest credit to R.P.F.	16,800	
Less : Exemption @ 9.5% on Rs. 1,20,000	11,400	5,400
Gross and Taxable Income from salaries		**1,33,076**

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

टिप्पणी :

(1) रनिंग भत्ते की कर–मुक्त राशि प्राप्त राशि का 70% या 6000 रू. प्रति माह जो दोनों से कम होती है।

(2) **मकान किराया भत्ता की कर–मुक्त राशि की गणना [(धारा 10 (13A)]**

इस उद्देश्य के लिए वेतन = (96,000 + 7,000) = 1,03,200 रूपये

निम्न में से न्यूनतम राशि कर–मुक्त होगी :

(i) मकान किराया भत्ता की राशि	=	6,000 रूपये
(ii) वेतन का 40% (1,03,200 x 40%)	=	41,280 रूपये
(iii) चुकाया गया किराया –वेतन का 10% (14,400–10320)	=	4,080 रूपये

अतः कर मुक्त राशि 4080 रूपये होगी।

(3) यात्रा सहायता वर्ष 2010 से 2012 के खण्ड में पहली बार मिली है इसलिए वास्तव में व्यय की गई राशि कर मुक्त की गई है।

सेवा निवृत्ति पर अर्जित अवकाश के स्थान पर नकद भुगतान (धारा 10 (10AA))
(Encashment of Earned Leave on Retirement)

सेवा के दौरान –सेवा में रहते हुए कर्मचारी द्वारा अवकाश के बदले प्राप्त नकद भुगतान की सम्पूर्ण राशि 'वेतन से आय' शीर्षक में कर–योग्य होती है।

कर्मचारी की मृत्यु पर– सेवा निवृत्ति से पूर्व कर्मचारी की मृत्यु पर उसके अर्जित अवकाश के सम्बन्ध में उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त भुगतान पूर्णतया कर–मुक्त होता है।

सेवा –निवृत्ति पर अर्जित अवकाश का नकद भुगतान – सेवा निवृत्ति पर नियोक्ता से प्राप्त अर्जित अवकाश के नकद भुगतान के सम्बन्ध में कर–मुक्ति के प्रावधान निम्न प्रकार हैं–

(अ) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर प्राप्त अर्जित अवकाश वेतन की सम्पूर्ण राशि कर–मुक्त होती है।

(ब) अन्य किसी नियोक्ता से सेवानिवृत्ति पर प्राप्त अर्जित अवकाश वेतन के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से जो भी राशि कम हो, कर–मुक्त होती है एवं शेष राशि कर–योग्य होती है–

(i) वास्तव में प्राप्त हुई अर्जित अवकाश वेतन की राशि, अथवा

(ii) सेवा निवृत्ति के समय उसके अवकाश खाते में शेष मान्य अवधि के अर्जित अवकाश (अर्जित अवकाश की मान्य अवधि प्रत्येक सम्पूर्ण सेवा वर्ष के लिए 30 दिन से अधिक की नहीं मानी जायेगी) के सम्बन्ध में देय औसत वेतन, अथवा

(iii) 10 माह का औसत वेतन, अथवा

(iv) अधिकतम राशि 3,00,000 रूपये।

स्पष्टीकरण–

1. औसत वेतन का अर्थ सेवा निवृत्ति की तिथि से तुरन्त पूर्व के 10 माह की अवधि के वेतन के औसत से है। 10 माह का तात्पर्य सेवानिवृत्ति की तिथि से ठीक पूर्व के 10 माह से है। जैसे–15मार्च, 2010 को सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी के लिए 10 माह की अवधि 16 मई 2009 से 15 मार्च 2010 तक की होगी। वेतन में मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता, यदि सेवा निवृत्ति लाभों के लिए वेतन का भाग माना जाता है, को

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

भी शामिल किया जाता है, अन्य भत्ते, बोनस आदि को शामिल नहीं किया जायेगा, परन्तु विक्री पर आधारित कमीशन को शामिल किया जायेगा

2. यदि कर्मचारी को गत वर्ष में एक से अधिक नियोक्ता से सेवा निवृत्ति पर अवकाश वेतन प्राप्त हुआ है तो कुल प्राप्त राशि उक्त अधिकतम सीमा तक ही कर मुक्त होगी।

3. यदि गत वर्ष से पहले भी कर्मचारी को ऐसा अवकाश वेतन मिला हो तथा उसका कुछ भाग या सम्पूर्ण राशि कर–मुक्त रही हो तो ऐसी कर–मुक्त रही राशि को उपर्युक्त अधिकतम राशि में से घटा दिया जायेगा और शेष राशि ही गत वर्ष में अधिकतम कर–मुक्त राशि होगी।

4. सेवा वर्षों की गणना हेतु केवल पूर्ण वर्षों की ही गणना की जाती है। वर्ष के अंश (महीनों) को छोड़ दिया जाता है।

उदाहरण (Illustration) 4.9 :

श्री लालचन्द, जो पोद्दार टेक्सटाइल्स, जयपुर में उत्पाद प्रबन्धक थे, ने वहां 26 वर्ष एवं 11 माह सेवा करने के पश्चात् 1 दिसम्बर, 2009 को सेवा निवृत्त हुए। उनका वेतनमान 1 सितम्बर, 2008 से 18000–2000–38000 रु. था। उन्हें 1 जनवरी, 2008 से 5000 रु. प्रति माह महंगाई भत्ता भी सेवा–शर्तों के अधीन प्राप्त हो रहा था। उन्हें जुलाई 2009 में एक माह के अर्जित अवकाश के बदले एक माह का वेतन 23,000 रु. प्राप्त हुए। वे प्रतिवर्ष की सेवा के लिए 45 दिन के अर्जित अवकाश के बदले अवकाश के अधिकारी थे और सेवा–निवृत्ति के समय उनके अवकाश खाते में 20 माह का अर्जित अवकाश शेष था, जिसके भुगतान में उन्हें 4,60,000 रू0 प्राप्त हुए। कर–निर्धारण वर्ष 2010–2011 के लिए उनकी वेतन शीर्षक की कर–योग्य आय ज्ञात कीजिए।

Shri Lal Chand who was the Production Manager of Poddar Textiles, Jaipur, sought retirement from service on 1st Decemeber, 2009after serving there for 26 years and 11 months. He was in the pay-scale of Rs. 18000-2000-38000 since Ist September, 2008. He had been getting Dearness Allowance of Rs. 5,000 p.m. since Ist January, 2008 under the terms of employment. He also got one month salary Rs.23,000 for leave encashment in the month of July, 2009. He was entitled to earned leave of 45 days for each year of service, and at the time of retirement 20 months earned leave was at his credit, for the encashment of which he received a payment of Rs.4,60,000. Compute his taxable income under the head 'Salaries' for the Assessment Year 2010-2011.

हल (Solution)

Computation of Taxable Income from Salaries for the Assesment Year 2010-11

	Rs.	Rs.
Basic Salary (18000 x 5 + 20000 x 3)		1,50,000
Dearness Allowance (5000 x 8)		40,000
Earned Leave Salary received:		
During the service in July, 2009 (Fully taxable)		23,000
At the time of retirement	4,60,000	
Less : Exempt	1,65,200	2,94,800
Gross Income from Salaries		5,07,800
Less : Deductions (u/s 16)		Nil
Taxable Income from Salaries		5,07,800

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

स्पष्टीकरण–

(1) अर्जित अवकाश वेतन के लिए प्राप्त राशि में से निम्नलिखित में से सबसे कम राशि कर–मुक्त होती है–

(अ) प्राप्त राशि 4,6,0000 रु. या

(ब) 10 माह का औसत वेतन 23,600 x 10 = 2,36,000 रु. या

(स) सेवा निवृत्ति के समय उनके अवकाश खाते में जमा मान्य अवधि के अर्जित अवकाश के सम्बन्ध में औसत वेतन 23,600 x 7 = 1,65,200

(द) अधिकतम राशि 3,00,000 रु.।

स्पष्टीकरण–

(1) मान्य अवधि के अवकाश शेष की गणना निम्न प्रकार की गयी है:

सेवा निवृत्ति के समय अर्जित अवकाश शेष	= 20 माह
घटाओ : अमान्य अवधि का अवकाश : (26 x 1/2)	= 13 माह
मान्य अवधि का अवकाश शेष	= 7 माह

(2) औसत वेतन का अभिप्राय अवकाश ग्रहण की तिथि के तुरन्त पूर्व के 10 माह के औसत वेतन से है। वेतन में महंगाई भत्ता भी सम्मिलित होगा क्योंकि यह सेवा शर्तों के अधीन प्राप्त हो रहा है।

= (18000 + 5000) x 7 + (20000+5000) x 3

= 2,36,000 रू0

औसत वेतन = $\frac{2,36,000}{10}$ = 23,600 रु.

उपदान या ग्रेच्युइटी [(धारा 10 (10)]
(Gratuity)

किसी भी नियोक्ता से कर्मचारी को प्राप्त ग्रेच्युइटी की राशि वेतन से आय शीर्षक में समिम्मलित की जाती है। ग्रेच्युइटी के सम्बन्ध में आय–कर अधिनियम में प्रावधान निम्न प्रकार हैं–

(1) सरकार या स्थानीय सत्ता के कर्मचारियों को प्राप्त ग्रेच्युइटी (धारा 10 (10) (i)) – केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा स्थानीय सत्ता के कर्मचारियों को मृत्यु या सेवा निवृत्ति पर प्राप्त ग्रेच्युइटी एवं सुरक्षा सेवाओं के सदस्यों को नवीन पेंशन संहिता के अनुसार प्राप्त ग्रेच्युइटी पूर्णतया कर–मुक्त होती है। वैधानिक निगम के कर्मचारी इस श्रेणी में नहीं आते हैं।

(2) जिन कर्मचारियों पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 (Payment of Gratuity Act, 1972) लागू होता है– जो कर्मचारी इस अधिनियम के क्षेत्र में आते हैं, उनको प्राप्त ग्रेच्युइटी की रााशि निम्न में से न्यूनतम राशि कर–मुक्त होती है–

(i) सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन (मौसमी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए 7 दिन का वेतन) या

(ii) ग्रेच्युइटी की प्राप्त राशि या

(iii) 3,50,000 रु.।

स्पष्टीकरण–

1. ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम, 1972 सभी कारखानों, खानों, बागानों, तेल क्षेत्रों, बन्दरगाहों, रेल कम्पनियों

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

तथा ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठानों जहाँ 10 अथवा अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, में कार्य करने वाले कर्मचारियों पर लागू होता है।

2. सेवा की 6 माह से अधिक अवधि को एक वर्ष मान लिया जाता है।

3. 15 दिन के वेतन की गणना जिस माह में कर्मचारी सेवा निवृत्त हुआ है, उस माह के वेतन के आधार पर की जाती है। प्रति दिन के औसत वेतन की गणना उस माह के वेतन में 26 दिन का भाग देकर की जाती है।

4. वेतन से आशय मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते के योग से है। अन्य भत्तों एवं बोनस आदि को सम्मिलित नहीं किया जाता है। विक्री पर आधारित कमीशन को इस उद्देश्य के लिए वेतन नहीं माना जाता है, परन्तु मंहगाई भत्ते को प्रत्येक दशा में इस उद्देश्य के लिए वेतन में सम्मिलित किया जाता है चाहे मंहगाई भत्ता सेवा निवृत्ति लाभों की गणना के लिए वेतन माना जावे अथवा नहीं।

(3) **अन्य कर्मचारियों को प्राप्त ग्रेच्युइटी** – यदि कोई कर्मचारी (जिस पर ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं होता है) सेवानिवृत्ति, मृत्यु, त्याग पत्र अथवा नौकरी से हटाये जाने पर अपने नियोक्ता से ग्रेच्युइटी प्राप्त करता है तो प्राप्त ग्रेच्युइटी की राशि में से निम्न में से न्यूनतम राशि कर–मुक्त होगीः

(i) ग्रेच्युइटी की प्राप्त राशि, या
(ii) प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए आधे माह का औसत वेतन, या
(iii) 3,50,000 रु.।

स्पष्टीकरण–

1. यदि कर्मचारी को गत वर्ष में एक से अधिक नियोक्ताओं से ग्रेच्युइटी की राशि प्राप्त हुई है तो कुल मिलाकर 3,50,000 रु. से अधिक राशि कर–मुक्त नहीं होगी। यदि पूर्व में भी ग्रेच्युइटी की राशि मिली हो और उसका कुछ भाग कर–मुक्त हुआ हो तो ऐसी कर–मुक्त राशि को 3,50,000 रु. में से घटा दिया जायेगा तथा शेष राशि ही कर–मुक्ति की अधिकतम सीमा होगी।

2. उक्त आशय के लिए पूर्ण सेवा वर्षों की गणना ही की जाती है, वर्ष के भाग को छोड़ दिया जाता है।

3. **औसत वेतन से आशय** – जिस माह में कर्मचारी सेवा निवृत्त हुआ है उसके तुरन्त पूर्व के 10 माह के वेतन का औसत ज्ञात किया जाता है। वेतन से आशय मूल वेतन से है परन्तु मंहगाई भत्ता, यदि सेवा शर्तों के अनुसार है, तो उसे भी वेतन में शामिल किया जायेगा। यदि कर्मचारी को सेवा की शर्तों के अनुसार बिक्री पर निश्चित प्रतिशत से कमीशन प्राप्त होता है तो यह भी वेतन में सम्मिलित किया जायेगा।

उदाहरण (Illustration) 4.10 :

श्री महेश ने अजमेर में 27 वर्ष 9 माह सेवा प्रदान की तथा 1–1–2010 को अवकाश ग्रहण करने पर उसने 1,80,000 रु. की ग्रेच्युइटी प्राप्त की। अवकाश ग्रहण करने की तिथि से तुरन्त पूर्व उनको मूल वेतन 8,000 रुपये प्रतिमाह, मंहगाई भत्ता 2,400 रुपये प्रतिमाह तथा बिक्री पर आधारित औसत कमीशन 5,000 रुपये प्रतिमाह प्राप्त हो रहा था। कर–योग्य ग्रेच्युइटी की राशि ज्ञात कीजिए। यह मानते हुए कि– (i) वह सरकारी कर्मचारी है। (ii) ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम लागू नहीं होता है। (iii) ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम, 1972 लागू होता है।

Shri Mahesh, an employee, has completed 27 years and 9 months of service in Ajmer and at the time of retirement on 1-1-2010 he received Rs.180000 as gratuity. He was getting basic pay Rs.

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

8,000 per month, Dearness allowance Rs.2,400 per month and average commission based on sales Rs. 5,000 per month on the date immediately preceeding the date of retirement. Find out the amount of taxable gratuity assuming that (a) He is a Govt. servant (b) The Payment of Gratuity Act, 1972 does not apply (c) the Payment of Gratuity Act 1972 applies.

हल (Solution)

(a) यदि करदाता सरकारी कर्मचारी हो (If the assessee is a Govt. Servant) : प्राप्त उपदान (Gratuity) की सम्पूर्ण राशि कर–मुक्त होगी।

(b) यदि उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 लागू न हो (If Payment of Gratuity Act, 1972 does not apply) : निम्न में से न्यूनतम राशि कर–मुक्त होगी।

(अ) उपदान की प्राप्त राशि 1,80,000 रु. या

(ब) प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए आधे माह का औसत वेतन

(27 x ½ x 13000) = 1,75,500 रु.

(स) अधिकतम 3,50,000 रु.

अतः कर मुक्त राशि = 1,75,000 रु.

कर–योग्य राशि = 4,500 रु.

टिप्पणी : यहाँ औसत वेतन का तात्पर्य सेवानिवृत्ति से पूर्व के 10 माह के वेतन के औसत से है।

औसत वेतन = (8000 x 10 +5000 x 10)

10

= Rs. 13,000

मंहगाई भत्ता सेवा निवृत्ति लाभों के लिए वेतन नहीं है इसलिए इस उद्देश्य के लिए वेतन नहीं माना गया है।

(c) यदि उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 लागू हो (If Payment of Gratuity Act, 1972 applies) ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम लागू हेने के कारण निम्न राशियों में से सबसे कम राशि कर–मुक्त होगी।

	Rs.
(a) Actual amount of gratuity received	1,80,000
(b) 15 days salary for each year of service	1,68,000
(c) Maximum exempted amount	3,50,000

इस प्रकार 1,68,000 रु. की राशि कर मुक्त होगी तथा (180000 – 168000) = 12,000 रु. की राशि कर–योग्य होगी।

टिप्पणी –

1. सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन के आधार पर 28 वर्षों की सेवा के लिए कर–मुक्त राशि की गणना निम्न प्रकार की गई है–

   (8000+2400) x 1/26 x 15 x 28 = Rs. 1,68,000

2. सेवा वर्षों की गणना हेतु 6 माह से अधिक की अवधि को एक वर्ष माना जाता है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

पेंशन
(Pension)

कर्मचारी को सेवा–निवृत्ति के बाद भूतपूर्व नियोक्ता से प्राप्त या प्राप्य पेंशन वेतन शीर्षक की आय में कर योग्य होती है। पारिवारिक पेंशन (Family Pension) की प्राप्त राशि अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर–योग्य होती है क्योंकि भुगतान कर्ता तथा प्राप्त कर्ता के मध्य नियोक्ता–कर्मचारी सम्बन्ध नहीं होता है।

पेंशन के बदले प्राप्त एक–मुश्त राशि अर्थात् सारांशित पेंशन (Commuted Pension)-यदि कर्मचारी पेंशन की पूरी राशि या उसके भाग के बदले एक–मुश्त राशि प्राप्त कर लेता है तो ऐसी एक–मुश्त राशि भी वेतन की आय मानी जाती है। पेंशन के स्थान पर एक–मुश्त भुगतान में से निम्नांकित राशि कर–मुक्त होगी–

(अ) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सत्ता अथवा किसी वैधानिक निगम से प्राप्त एक–मुश्त पेंशन की संपूर्ण राशि कर–मुक्त होती है। (धारा 10 (10A) (i)

(ब) अन्य किसी नियोक्ता से प्राप्त होने पर–

(i) यदि कर्मचारी को एक–मुश्त पेंशन के साथ ग्रेच्युइटी भी प्राप्त हुई है तो उसे स्वीकृत कुल पेंशन के 1/3 भाग तक की एक मुश्त राशि कर–मुक्त होगी ।

(ii) यदि कर्मचारी केवल एक–मुश्त पेंशन प्राप्त करता है, ग्रेच्युइटी प्राप्त नहीं करता है तो उसे स्वीकृत कुल पेंशन के 1/2 भाग की एक–मुश्त राशि तक कर मुक्त होगी।

[(धारा 10 (10A) (ii)]

स्पष्टीकरण – यदि कर्मचारी ने पेंशन का कुछ भाग ही एक–मुश्त कराया है तो शेष भाग जो एक–मुश्त नहीं कराया है, कर–योग्य होगा चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो या अन्य कर्मचारी।

उदाहरण (Illustration) 4.11 :

श्री प्रदीप विजयनगर स्पिनिंग मिल्स से 31 दिसम्बर, 2009 को सेवा–मुक्त हुए। सेवा निवृत्ति के समय उनका वेतन 3,500 रु. प्रति माह था। उनको 1,000 रु. प्रतिमाह पेंशन स्वीकृत की गई। उन्होंने इस पेंशन के 3/4 भाग की एक–मुश्त राशि 1 मार्च, 2010 को 20,000 रू0 प्राप्त की। उन्होंने इस नियोक्ता की 30 वर्ष सेवा की। कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए उनकी वेतन शीर्षक की कर–योग्य आय ज्ञात कीजिए।

Shri Pradeep retired from Vijaynagar Spinning Mills on 31st December, 2009. At the time of retirement he was getting a salary of Rs. 3,500 p.m. His pension was sanctioned at Rs.1,000 p.m. He got 3/4 th of this pension commmuted on March 1, 2010 and the commuted value received by him was Rs.20,000. He served this employer for 30 years. Compute his taxable income from Salaries for the assessment year 2010-11.

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

हल (Solution) :

Computation of Taxable Income from Salaries for the Assesment Year2010-11

	Rs.	Rs.
Salary (Rs. 3500 x 9)		31,500
Pension (Non-commuted part) :		
January 1, 2010 to Feb. 28, 2010 (1000 x 2)	2,000	
March 2010 (250 x1)	250	2,250
Commuted value of Pension :	20,000	
Less: Exempt (20000 x 4/3 x 1/2)	13,333	6,667
Gross Income from Salaries		40,417
Less : Deduction (u/s16)		Nil
Taxable Income from Salaries		40,417

टिप्पणी :

(i) श्री प्रदीप को 3/4 भाग के लिए 20000 रु. पेशन की एक मुश्त राशि प्राप्त हुई। चूँकि श्री प्रदीप को ग्रेच्युटी नहीं मिली है अतः कुल स्वीकृत पेंशन की 1/2 भाग की एक मुश्त राशि (20000 x 4/3 x 1/2) =13,333 रु. कर मुक्त होगी। पेंशन का 1/4 भाग प्रतिमाह प्राप्त होगा जो कर योग्य होगा।

(ii) श्री प्रदीप को प्रथम दो माह तक पूर्ण पेंशन प्राप्त होगी तथा 1 मार्च, 2010 को एक मुश्त राशि प्राप्त होने के पश्चात् 250 रुपये प्रतिमाह की पेंशन प्राप्त होगी।

क्षतिपूर्ति [(धारा 10 (10B)]
(Compensation)

(अ) सेवा शर्तों में परिवर्तन करने पर अथवा सेवा से हटाने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति – कर्मचारी को सेवा से हटाने पर अथवा सेवा शर्तों में परिवर्तन करने पर उसे देय या प्राप्त क्षतिपूर्ति की संपूर्ण राशि कर योग्य होती है।

(ब) छंटनी या व्यवसाय बन्द होने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति [धारा 10 (10B)] – यदि किसी श्रमिक (workman) या कर्मचारी को कर्मचारियों में छंटनी करने के कारण अथवा नियोक्ता का व्यापार या उद्योग बन्द हो जाने के कारण सेवा से हटाया जाए और उसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 या किसी अन्य कानून या किसी समझौते के अन्तर्गत उसे क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है तो ऐसी क्षतिपूर्ति की राशि में से निम्नांकित में से जो राशि सबसे कम है, के बराबर राशि कर मुक्त होगी और शेष राशि कर योग्य होगी, जो कर्मचारी के वेतन में शामिल की जायेगी –

(i) क्षतिपूर्ति की प्राप्त या प्राप्य राशि, या

(ii) औद्यौगिक विवाद अधिनयम, 1947 की धारा 25F के वाक्यांश (b) के प्रावधान के अनुसार ज्ञात की गई राशि, या

(iii) 5,00,000 रुपये।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

स्पष्टीकरण – (अ) औद्योगिक विवाद अधिनयम, 1947 की धारा 25F के वाक्यांश (b) के प्रावधानों के अनुसार राशि का निर्धारण – प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए 15 दिन का औसत वेतन।
सेवा वर्षों की गणना– सेवा के 6 माह तक की अवधि को छोड़ दिया जाता है तथा 6 माह से अधिक अवधि को पूरा एक वर्ष माना जाता है।
औसत वेतन या मजदूरी– सेवा निवृत्ति वाले माह के तुरन्त पूर्व के 3 कलैण्डर माहों में श्रमिक को देय वेतन का औसत ज्ञात किया जाता है।

$$\text{औसत वेतन} = \frac{\text{तीन कलैण्डर माहों के वेतन का योग}}{\text{तीन कलैण्डर माहों के दिनों की संख्या}}$$

वेतन या मजदूरी से तात्पर्य– इस गणना के लिए 'वेतन' का अर्थ बोनस, ग्रेच्युइटी, एवं कर्मचारी कल्याण के लिए स्थापित कोष में नियोक्ता के अंशदान को छोड़कर समस्त पारिश्रमिक (नकद एवं सुविधाओं का मूल्य) से है जिसे मुद्रा में व्यक्त किया जा सके। सुविधाओं का उचित बाजार मूल्य लिया जाता है तथा भत्तों की सकल राशि सम्मिलित की जाती है न कि कर – योग्य राशि।

(ब) इस कर–मुक्ति का लाभ उस कर्मचारी को नहीं मिलता है;

(i) जो मुख्यतः प्रबन्धक अथवा प्रशासक के रूप में नियुक्त हो; या

(ii) यदि वह अधीक्षक (Supervisor) के रूप में नियुक्त है तथा प्रतिमाह 1600 रू. से अधिक वेतन प्राप्त करता है; या

(iii) जो अधीक्षक के रूप में नियुक्त हो परन्तु कार्य मुख्यतः प्रबन्धक का करता हो।

ऐच्छिक सेवा–निवृत्ति पर प्राप्त राशि [धारा 10 (10C)]
(Amount received on Voluntary Retirement)

सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी या अन्य कम्पनी, किसी कानून के अन्तर्गत स्थापित सत्ता या स्थानीय सत्ता, सहकारी समिति अथवा केन्द्र या राज्य अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित विश्वविद्यालय, भारतीय तकनीकी संस्थान, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्रबन्ध संस्थान, राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार का कोई कर्मचारी स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अन्तर्गत अवकाश ग्रहण करता है तो उसे इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त राशि धारा 10 (10C) के अनुसार अधिकतम ,500,000 रू. तक कर मुक्त होगी। इस कर–मुक्ति का लाभ कर्मचारी केवल एक बार ही ले सकता है।

धारा 10 (10C) के अन्तर्गत राशि कर–मुक्त होने के लिए यह आवश्यक है कि इस सम्बन्ध में बनाई गयी कोई भी योजना नियम 2BA की व्यवस्थायें इस प्रकार हैं–

(i) यह योजना उन कर्मचारियों पर ही लागू होती है जो 40 वर्ष की उम्र के हो चुके हैं या जो 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं। यह नियम स्वैच्छिक पृथक्करण की स्थिति में सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी पर लागू नहीं होता है।

(ii) यह योजना कम्पनी या प्राधिकरण या सहकारी समिति के सभी कर्मचारियों पर लागू होती है परन्तु संचालकों पर लागू नहीं होती है।

(iii) ऐच्छिक अवकाश ग्रहण करने से हुए रिक्त पद को भरा नहीं जायेगा।

(iv) ऐच्छिक अवकाश ग्रहण करने वाले कर्मचारी को उसी प्रबन्ध की अन्य संस्था में नियुक्त नहीं किया

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

जायेगा।

(v) स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण करने पर देय राशि निम्न राशियों से अधिक नहीं होगी–

(a) सेवा के प्रत्येक सम्पूर्ण वर्ष के लिए 3 माह का वेतन, या

(b) सेवा निवृत्ति की बची हुई अवधि को अवकाश ग्रहण करने के समय के वेतन से गुणा करने पर ज्ञात राशि।

स्पष्टीकरण–

(i) वेतन से आशय मूल वेतन, महंगाई भत्ता (सेवा शर्तो के अधीन होने पर ही) तथा बिक्री पर आधारित कमीशन से है जो अंतिम वेतन के आधार पर ज्ञात किया जाता है।

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी के कर्मचारी को स्वैच्छिक पृथक्करण योजना के अन्तर्गत सेवा से हटाने पर प्राप्त राशि भी इस धारा के नियमानुसार कर–मुक्त होगी।

उदाहरणार्थ–एक सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी के कर्मचारी को स्वैच्छिक पृथक्करण योजना (Voluntary Seperation Scheme) के अन्तर्गत 1 फरवरी 2010 को सेवा से हटाया गया। सेवा निवृत्ति के समय उस कर्मचारी को 10,800 रू. मूल वेतन तथा 2700 रू. मंहगाई भत्ता (सेवा शर्त के अनुसार) प्राप्त हो रहा था। वह कर्मचारी 1 दिसम्बर, 1996 से सेवा में था तथा उसकी 5,10,000 रु. क्षतिपूर्ति के रूप में चुकाये। धारा 10 (10C) के अन्तर्गत कर मुक्त क्षतिपूर्ति की राशि नियम 2BA के अनुसार निम्न में से न्यूनतम होगी :

(अ) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 3 माह का वेतन (13x3x13,500)	5,26,500 रु.
(ब) सेवा की बची हुई अवधि का वेतन (42x13,500)	5,67,000 रु.
(स) अधिकतम राशि	5,00,000 रु.
(द) वास्तव में प्राप्त राशि	5,10,000 रु.

अतः 5,00,000 रु. कर मुक्त होंगे तथा शेष राशि 10,000 रू. कर योग्य होगी।

दुर्घटना में अपंग होने या मृत्यु होने पर कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1948 (Workmen Compensation Act, 1948) के अन्तर्गत प्राप्त राशि कर मुक्त होती हैं।

उदाहरण (Illustration) 4.12 :

श्री शंकर लाल 1 दिसम्बर, 1996 से नेशनल इन्जिनीयरिंग कम्पनी लि., जयपुर में श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं 1 जनवरी, 2007 से उनको प्रतिमाह 11,700 रु. का मूल वेतन तथा 1950 रु. का महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है। 1 सितम्बर, 2009 को कर्मचारियों की छंटनी के कारण उन्हें नौकरी से हटा दिया गया तथा 1,80,000 रु. क्षतिपूर्ति की राशि के रूप में उन्हें दिये गये। अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड से उन्हें 41,000 रु. प्राप्त हुए। इसके अलावा उनके खाते में जमा 8 माह के अर्जित अवकाश के बदले में उन्हें 1,09,200 रुपये तथ उपदान के 2,13,750 रु. भी प्राप्त हुए।

कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए श्री शंकरलाल की वेतन शीर्षक की कर–योग्य आय ज्ञात कीजिए।

Shri Shankar Lal is working as a worker in National Engineering Co. Ltd. Jaipur since 1st December, 1996. Her is getting Rs.11,700 p.m. as basic pay and Rs. 1950 as dearness allowance since 1st January, 2007. He was terminated on account of retrenchment of employees on 1st September, 2009 and he was paid Rs. 1,80,000 as compensation. He got Rs. 41,000 from ap-

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

proved superannuation fund. In addition to above, he also received Rs.1,09,200 for 8 months earned leave credit to his account and Rs. 2,13,750 as gratuity.

Compute taxable income from salaries of Shri Shankar Lal for the assessment year 2010-11.

हल (Solution) :

Computation of Taxable Income from Salaries of Shri Shankar Lal for the Assessment year 2010-11

	Rs.	Rs.
Basic Pay (11700 x 5)		58,500
Dearness Allowance (1950 x 5)		9,750
Compensation	1,80,000	
Less : Exempt	86,796	93,204
Amount received from Approved Superannuation Fund (exempted)		Nil
Earned Leave Salary	1,09,200	
Less : Exempt	93,600	15,600
Gratuity	2,13,750	
Less : Exempt	1,02,375	1,11,375
Gross Income from Salaries		2,88,429
Less : Deduction u/s 16		Nil
Taxable Income from Salaries		2,88,429

टिप्पणी :

(1) छंटनी पर प्राप्त क्षतिपूर्ति की कर–मुक्त राशि की गणनाः–

वेतन : छंटनी से पूर्व के तीन कलैण्डर माह का औसत दैनिक वेतन। वेतन में बोनस, उपदान एवं कर्मचारी कल्याण के लिए स्थापित वैधानिक कोष में नियोक्ता का अंशदान को छोड़कर समस्त पारिश्रमिक (नकद एवं सुविधाओं के रूप में) जिसे मुद्रा में व्यक्त किया जा सके, को सम्मिलित किया जाता है।

औसत दैनिक वेतन $= \frac{(11,700 \times 3) + (1,950 \times 3)}{92}$ = Rs. 445.11

सेवा की अवधि : 12 वर्ष 9 माह या 13 वर्ष

निम्न में से न्यूनतम राशि कर–मुक्त होगी :

(अ) प्राप्त राशि 180000 रु.

(ब) प्रत्येक सेवा वर्ष की अवधि के लिए 15 दिन का वेतन = (445.11 x15 x13)

= 86,796 रु.

(स) अधिकतम 500000 रु.

अतः कर–मुक्त राशि 86796 रु. होगी।

(2) अर्जित अवकाश की कर–मुक्त राशि की गणना :

निम्न में से न्यूनतम राशि कर–मुक्त होगी : रुपये

(अ) वास्तव में प्राप्त राशि 1,09,200

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(ब) मान्य अवधि का औसत वेतन (8 x 11,700) 93,600

(स) अधिकतम 10 माह का औसत वेतन (10 x 11,700) 1,17,000

(द) केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित राशि 2,40,000

अतः कर–मुक्त राशि 93600 रु. होगी।

औसत वेतन = (11,700 x10) / 10 = 11,700 रु.

मंहगाई भत्ता सेवा शर्तों के अनुसार नहीं है, इसलिए इस उद्देश्य के लिए वेतन में सम्मिलित नहीं किया गया है।

(3) श्री शंकरलाल को प्राप्त उपदान की राशि पर उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के नियम लागू होंगें। उपदान की कर–मुक्त राशि की गणनाः

सेवा की अवधिः सेवा की अवधि 12 वर्ष 9 माह अर्थात् 13 वर्ष थी।

औसत दैनिक वेतन = (11]700 +1]950) / 26 = 13]650 / 26 = 525 रु.

उपदान की कर–मुक्त राशि निम्न में से न्यूनतम होगी :

	रुपये
(अ) प्राप्त राशि	2,13,750
(ब) प्रत्येक सेवा वर्ष की अवधि के लिए 15 दिन का वेतन (525 x 15 x13)	1,02,375
(स) अधिकतम	3,50,000

अतः कर–मुक्त राशि 1,02,375 रू. होगी।

(4) अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड से प्राप्त राशि पूर्णतया कर–मुक्त होती है।

उदाहरण (Illustration) 4.13 :

श्री अशोक गुप्ता जयपुर में पुलिस अधिकारी हैं उनको 1 जनवरी, 2005 से 12000–420–18300 की ग्रेड मिली हुई हैं उन्हें मूल वेतन का 6% शहरी क्षति पूर्ति भत्ता मिलता है उन्हें जनवरी 2009 से मूल वेतन के 32% की दर से मंहगाई भत्ता मिला हुआ है। राज्य सरकार के 5 जनवरी 2010 के आदेशानुसार उन्हें 1 जुलाई 2009 से मूल वेतन का 38% मंहगाई भत्ता मिलने के आदेश हुए। उन्हें गत वर्ष में म्निांकित भत्ते एवं अनुलाभ भी प्राप्त हुएः

1. वर्दी भत्ता 1,000 रु. प्रतिमाह।
2. मनोरंजन भत्ता 600 रु. प्रति माह
3. घर पर टेलीफोन की निःशुल्क सुविधा। गतवर्ष में 24,000 रू. का भुगतान हुआ।
4. घर से कार्यालय एवं कार्यालय से घर तक आने के लिए 1600 सीसी की कार की सुविधा।
5. किराया मुक्त सरकारी आवास की सुविधा जिसका उचित किराया 4,000 रु. प्रति माह है। यदि यह मकान किराया मुक्त नहीं होता तो सरकारी नियमानुसार उनके मूल वेतन का 4% किराये के रूप में वेतन से काट लिये जाते।
6. घर पर नौकर की सुविधा जिसके वेतन एवं भत्ते 900 रु. प्रति माह है।
7. घर पर सुरक्षा गार्ड की सुविधा जिसके वेतन एवं भत्ते 1,130 रु. प्रति माह है।
8. 30,000 रु. की लागत के फर्नीचर की सुविधा।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

9. समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं की सुविधा पर गत वर्ष में व्यय 2,400 रु.

10. उनकी पत्नी के गत वर्ष में विदेश में इलाज करवाने पर सरकार ने उन्हें 2,60,000 रु. का भुगतान किया। श्रीमती एवं श्री गुप्ता की यात्रा के व्यय 2,40,000 रु. तथा विदेश में ठहरने एवं भोजन आदि के 60,000 रु. का भुगतान भी सरकार ने किया। रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत राशि 2,80,000 रु. थी।

11. गत वर्ष में श्री गुप्ता सरकारी कार्य से 40 दिन विदेश में रहे। इस अवधि में विदेश भत्ता 500 रु. प्रति दिन मिले। भोजन, सवारी एवं ठहरने की सुविधा पर सरकार ने श्री गुप्ता पर 70,000 रूपये व्यय किये । विदेश में उन्हें 48,000 रु. की भेंट एवं उपहार भी प्राप्त हुए।

यह मानते हुए कि गत वर्ष में श्री गुप्ता ने 1,800 रु. राज्य सरकार को नियोजन कर चुकाये हैं तथा प्रत्येक मद की राशि की गणना भुगतान के समय निकटतम रूपये में की जाती है। उनकी कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए वेतन शीर्षक की कर योग्य आय ज्ञात कीजिए।

Shri Ashok Gupta is a PoliceOfficer at Jaipur. He is in the grade of Rs. 12,000-420-18,300 since 1st January, 2005. He gets 6% of basic pay as City Compensatory Allowance. He has been getting 32% of basic pay as dearness allowance since January, 2009. As per announcement of the State Govt. dated 5the January, 2010 he was entitled to get 38% of basic pay as dearness allowance since 1st July, 2009. During the previous year he got the following other allowances and perquisites:

1. Uniform Allowance Rs.1,000 per month.
2. Entertainment Allowance Rs. 600 per month.
3. Free telephone facility at residence for which the Government has paid Rs. 24,000 during the previous year.
4. Motor Car (1600cc) facility for going to and coming from his office and residence.
5. Rent free Government accommodation, fair rent of which is Rs.4,000 per month. Had he not got been provided free of rent, 4% of basic pay would have been deducted from his salary according to the Government rules.
6. Servant facility at residence -salary and allowances of the servant are Rs.900 per month.
7. Guard facility at residence -salary and allowances of the guard are Rs.1,130 per month.
8. Furniture facility costing Rs.30,000.
9. During the previous year, Govt. paid Rs.2,400 for the facility of news papers and periodicals.
10. During the previous year, the Govt. paid Rs. 2,60,000 for treatment of his wife in a forreign country. The Govt. also paid Rs.2,40,000 for travelling expenses and Rs.60000 for boarding and lodging of Mrs. and Mr. Gupta during heir stay in the foreign country. Amount sanctioned by Reserve Bank of India is Rs. 2,80,000.
11. During the year, he was on foreign tour for 40 days on Government duty. During this period he got foreign allowance @ Rs.500 per day. The Government incurred Rs.70,000 on the boarding, coveyance and lodging of Mr. Gupta. He also received gifts and presents worth Rs.48,000 in his foreign tour.

Compute taxable income from salaries for the assessment year 2010-11 assuming that Mr. Gupta has paid Rs. 1,800 to the State Government for employment tax and calculation of each item at the time of payment is rounded to nearest rupee only.

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

हल (Solution):

Computation of Taxable Income from Salaries of
Mr. Ashok Gupta forthe Assessment Year 2010-11

	Rs.	Rs.
Basic Pay:		
March 2009 to December 2009 (13,680 x 10)	1,36,800	
January 2010 to Feb. 2010 (14,100 x 2)	28,200	1,65,000
City Compensatory Allowance (821 x10)	8,210	
(846 x 2)	1,692	9,902
Dearness Allowance :		
March, 2009 to June 2009 (32%) i.e. (4,378 x 4)	17,512	
July,2009 to Feb., 2010 (38%)	41,904	59,416
i.e. (5198 x 6 + 5358 x 2)		
Uniform Allowance	12,000	
Less : Exempt	12,000	Nil
Entertainment Allowance		7,200
Free telephone facility (exempted)		Nil
Value of Rent free accommodation (547 x 10+564 x2)	6,598	
Add : Value of Furniture facility	3,000	9,598
Value of car facility (not perquisite)		Nil
Value of servant facility		10,800
Value of Guard Facility		Nil
News Papers and periodicals		Nil
Expenses on Medical treatment and stay	3,20,000	
Less : Exempt	2,80,000	40,000
Expenses on travel for medical treatment	2,40,000	
Less : Exempt	Nil	2,40,000
Gross Income from Salaries		5,41,916
Less : Deductions :		
(i) Entertainment Allowance [u/s 16 (ii)]	5,000	
(ii) Employment Tax [u/s 16 (iii)]	1,800	6,800
Taxable Income from Salaries		**5,35,116**

टिप्पणी :

(1) मनोरंजन भत्ते की निम्न में से न्यूनतम राशि की कटौती दी गयी है क्योंकि करदाता सरकारी कर्मचारी है–

	रुपये
(अ) भत्ते की राशि	7,200
(ब) मूल वेतन का 1/5 भाग	33,000
(स) अधिकतम	5,000

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(2) सरकारी कर्मचारी के लिए विदेश भत्ता एवं विदेश में प्राप्त हुए अनुलाभ कर मुक्त होते हैं।

(3) उपहार एवं भेंट आय की परिभाषा में नहीं आते हैं।

(4) सुरक्षा गार्ड की सुविधा कर्मचारी के लिए अनुलाभ नहीं मानी जा सकती है क्योंकि यह सरकारी व्यवस्था का एक भाग होता है।

(5) वर्दी भत्ता धारा 14 (i) के अन्तर्गत वास्तविक व्ययों तक कर मुक्त होता है।

(6) विदेशों में चिकित्सा पर व्यय तथा ठहरने एवं भोजन आदि पर व्यय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत राशि तक ही कर –मुक्त होते हैं।

(7) करदाता की सकल कुल आय (चिकित्सा अनुलाभ को शामिल न करते हुए) 2 लाख रूपये से अधिक है इसलिए विदेश में चिकित्सा हेतु यात्रा करने पर हुए व्यय कर–मुक्त नहीं होंगें।

(8) पत्र–पत्रिकाओं की सुविधा कार्यालय उपयोग हेतु आवश्यक मानकर कर–मुक्त की गई है।

अभ्यास के लिए प्रश्न
(Questions for Exercise)

अति लघूत्तरात्मक प्रश्न

(Very short answer type questions)

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 20 शब्दों में दीजिए –

(Answer the following Questions in Maximum 20 words)

1. एक साझेदार द्वारा फर्म से प्राप्त पारिश्रमिक 'वेतन' शीर्षक में कर–योग्य क्यों नहीं होता है?
   Why remuneration received by a partner from the firm is not taxable under the head 'salaries'?
2. 'अनुलाभ' से क्या तात्पर्य है?
   What do you mean by 'Perquisite'?
3. नियोक्ता द्वारा रखी जाने वाली ऐसी भविष्य–निधियों के नाम लिखिए, जिनमें उनके कर्मचारी ही सदस्य बन सकते हैं।
   Give names of the provident funds maintained by employer in which only his employee can be a member.
4. बच्चों की शिक्षा का भत्ता किस सीमा तक कर–मुक्त होता है?
   To what extent is the children education allowance exempt from tax?
5. बच्चों का छात्रावास भत्ता किस सीमा तक कर–मुक्त होता है?
   To what extent is the children hostel allowance exempt from tax?
6. कर मुक्त वेतन से आप क्या समझते हैं?
   What do you mean by tax-free salary?
7. श्री नरेन्द्र एक सार्वजनिक सीमित कम्पनी में अधिकारी के रूप में नियुक्त हैं। वे 1 जुलाई 2006 से 8,000–500–14,000 रु. के वेतनमान में है। कर निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए इनके मूल वेतन की गणना कीजिए।
   Shri Narendra is employed as an officer with a public limited company. He is in the pay scale of Rs. 8,000-500-14,000 since 1st July, 2006. Calculate his basic salary for the assessment year 2010-11. (Ans. Rs.1,12,500)
8. एक कर्मचारी को गत वर्ष 2009–10 में उसके वेतन में से प्रमाणित भविष्य निधि में उसके अंशदान के 10000 रु. वेतन बचत योजना के अन्तर्गत जीवन बीमा प्रीमियम के 8000 रु. वाहन ऋण की वसूली

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

10,000 रु. आयकर के 7,000 रु. तथा नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को रहने हेतु दिये गये मकान का किराया मूल वेतन का 10% काटने के बाद 1,00,000 रु. वेतन प्राप्त हुआ। उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए।

An employee of a company received a sum of Rs. 1,00,000 as salary during the previous year 2009-10 after deduction of Rs. 10,000 as his contribution to Recognised Provident Fund, Rs. 8,000 as Life Insurance premium under the Salary Saving Scheme, Rs.10,000 as recovery of conveyance loan, Rs. 7,000 as income tax and house rent @ 10% of his basic salary for the residential house provided by the employer. Calculate his basic salary. (Ans. 1,50,000)

9. एक कर्मचारी को अपने नियोक्ता से कार्यालय तथा निजी प्रयोग के लिए एक 20 हार्स पावर की मोटर कार की सुविधा दी गयी है। चालक की सुविधा भी साथ में उपलब्ध है। निम्न परिस्थितियों में इस अनुलाभ का मूल्य बताइए–

(i) यदि कार को चलाने के समस्त व्यय नियोक्ता चुकाता हो।

(ii) यदि निजी प्रयोग के चलाने से सम्बन्धित व्यय कर्मचारी स्वयं चुकाता हो। कर्मचारी का वेतन 10000 रुपये प्रतिमाह है।

An employee has been provided by his employer with a facility of Motor Car of 20 HP rating for both official and personal use. The facility of driver is also available with it. State the value of his perquisite in the following circumstances:

(i) If all expenses for running this vehicle are paid by the employer.

(ii) If the expenses for running this vehicle for private use are paid by the employee himself. The salary of the employee is Rs. 10000 P.M.

[Ans (i) Rs. 39,600 (ii) Rs. 21,600]

10. मयूर टेक्सटाइल्स लि., भीलवाड़ा के एक कर्मचारी का मूल वेतन 8,000 रुपये प्रतिमाह है। उसे नियोक्ता से 1,000 रु. प्रतिमाह मंहगाई भत्ता (सेवा शर्तों के अन्तर्गत) तथा 1600 रु. प्रतिमाह मकान किराया भत्ता भी प्राप्त होता है। उसने 1,000 रु. प्रतिमाह का मकान किराये पर ले रखा है। कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए मकान किराये भत्ते की कितनी राशि कर–योग्य होगी।

An employee of Mayur Textiles Ltd., Bhilwara gets a basic salary of Rs. 8,000 p.m. He also gets Rs. 1,000 p.m. as dearness allowance (under service conditions), and Rs. 1600 p.m. as house rent allowance from his employer. He lives in a rented house and pays Rs. 1,000 per month as rent of this house. What amount of house rent allowance is taxable for the assessment year 2010-11. (Ans. 18,000)

लघूत्तरात्मक प्रश्न

(Short answer type questions)

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए –

(Answer the following Questions in Maximum 50 words)

1. किसी कर्मचारी को अपने नियोक्ता से प्राप्त मकान किराया भत्ता किस सीमा तक कर–मुक्त होता है?

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

What is exemption in respect of house rent allowance received by the employee from his employer.

2. एक कर्मचारी को अवकाश ग्रहण पर प्राप्त उपदान किस सीमा तक कर–मुक्त होता है? (i) यदि वह सरकारी कर्मचारी है (i) यदि उपदान भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं होता है।

What is the limit of exemption in respect of gratuity received by an employee on his retirement? (i) If he is a government employee and (ii) If the Payment of Gratuity Act 1972 is not applicable.

3. वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें एक कर्मचारी को अनुलाभों की करदेयता के लिए विशिष्ट कर्मचारी कहा जाता है?

What are the circumstances under which an employee is said to be 'specified employee' for the purpose of taxability of perquisites?

4. कोलकाता, मुम्बई, चेन्नई और दिल्ली शहरों मं एक निजी क्षेत्र के कर्मचारी को उसके नियोक्ता द्वारा दी गयी मुफ्त सुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है?

How is the facility of rent free furnished house facility provided to a private sector employee by his employer valued in the cities of Kolkata, Mumbai, Chennai, and Delhi?

निबन्धात्मक सैद्धान्तिक प्रश्न

(Essay type theoritical questions)

1. वेतन से आप क्या समझते हैं? ऐसी कौन सी आयें हैं जो 'वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत कर–योग्य होती है?

What do you mean by the term 'Salary'? Which incomes are chargeable under the head 'Salaries'?

2. अनुलाभ से क्या तात्पर्य है? कौन–कौन से अनुलाभ कर योग्य होते हैं?

What is perquisite? What are the taxable perquisites?

3. निम्नांकित अनुलाभों का मूल्यांकन आप कैसे करेंगे? उदाहरण सहित समझाइये–

Explain with examples, how would you value the following perquisites:

(i) किराया मुक्त आवास सुविधा
(Rent free accommodation)

(ii) कर्मचारी के निजी प्रयोग के लिए कार की सुविधा
(Car facility for personal use of the employee)

(iii) चिकित्सा सुविधा एवं चिकित्सा व्ययों का पुनर्भरण
(Medical facility and Re-imbursement of medical expenses)

(iv) गैस बिजली एवं पानी की सुविधा
(Facility of Gas, Electricity and Water)

4. निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए–

(i) मकान किराया भत्ता

(ii) पेंशन की एक–मुश्त राशि

(iii) उपदान

(iv) अर्जित अवकाश का नकदीकरण

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

Write notes on the following:

(i) House rent allowance

(ii) Commutation of Pension

(iii) Gratuity

(iv) Encashment of earned leave

5. निम्न के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम के क्या प्रावधान है?

(i) रियायती किराये पर मिले हुए मकान का मूल्य

(ii) पेंशन

(iii) प्रमाणित भविष्य निधि

(iV) सकल वेतन में से कटौतियां

What are the provisions of the income tax Act regarding the following:

(i) Value of house provided at concessional rent;

(ii) Pension

(iii) Recognised Provident Fund

(iv) Deductions From Salary

व्यावहारिक प्रश्न (Practical questions)

1. कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए निम्नांकित करदाताओं की वेतन शीर्षक की सकल आय ज्ञात कीजिए–

Compate the gross income from salaries of the following assesses for the A.Y. 2010-11.

Item मद	Name of the assessee करदाता का नाम			
	Ram	Mohan	Krishna	Gopal
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Basic Salary p.a.	36,000	70,000	70,000	1,00,000
Dearness Allowance p.a.	9,000	15,000	5,000	25,000
Bonus p.a.	3,000	5,000	6,000	3,000
House Rent Allowance p.a.	3,600	7,000	30,000	50,000
Rent paid by assessee p.a.	2,700	14,000	35,000	50,000
Place of Service	Sikar	Bikaner	Indore	Delhi

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

अन्य सूचना : कृष्ण तथा गोपाल को मंहगाई भत्ता सेवा शर्तों के अन्तर्गत प्राप्त होता है।

Other Information : Shri Krishna and Gopal are getting the dearness allowance under the terms of Service.

(Ans. Ram : Rs.51600, Mohan : Rs. 90000 Krishna : Rs. 83500 Gopal : Rs. 140500)

2. निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर श्री महेन्द्र की कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए वेतन शीर्षक की कर–योग्य आय ज्ञात कीजिए :

(1) मूल वेतन 6000 रु. प्रति माह

(2) मंहगाई वेतन (सेवा शर्तों के अन्तर्गत) 600 रु. प्रतिमाह।

(3) मंहगाई भत्ता 1000 रु. प्रति माह।

(4) मनोरंजन भत्ता 200 रु. प्रति माह।

(5) कार्यालय सम्बन्धी कार्यों के लिए वाहन भत्ता 1000 रु. यात्रा भत्ता 6000 रु. तथा दैनिक भत्ता 4000 रु. पूरे वर्ष में प्राप्त हुए।

(6) पर्वतीय क्षेत्र क्षतिपूरक भत्ता 600 रु. प्रतिमाह।

(7) जन–जाति क्षेत्र भत्ता 300 रु. प्रतिमाह।

(8) करदाता के तीन बच्चों के लिए होस्टल व्यय क्षतिपूरक भत्ता 450 रु. प्रतिमाह प्रति बच्चा।

(9) मकान किराया भत्ता 1600 रु. प्रति माह। श्री महेन्द्र इस मकान के लिए 2500 रु. प्रति माह किराया चुकाता है।

(10) करदाता को 2009–10 वित्तीय वर्ष में 1 दिसम्बर, 2008 से 350 रुपये प्रति माह की दर से अन्तरिम राहत की राशि प्राप्त हुई, जो सेवा शर्तों के अन्तर्गत है।

(11) घर से कार्यालय आने व जाने के व्ययों की क्षतिपूर्ति के लिए वाहन भत्ता 1050 रु. प्रतिमाह।

करदाता उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग में एक अधिकारी है तथा समुद्रतल से 1100 मीटर की ऊंचाई वाले एक स्थान पर सेवारत है। करदाता की अन्य कोई आय नहीं हैं।

Determine the taxable income of Shri Mahendra under the head "Salaries" for the assessment year 2010-11 on the basis of the following information:

(1) Basic Pay Rs. 6,000 per month.

(2) Dearness Pay (As per terms of service agreement) Rs. 600 per month.

(3) Dearness Allowance Rs. 1,000 per month.

(4) Entertainment Allowance Rs. 200 per month.

(5) He received Rs. 1,000 as Conveyance Allowance, Rs. 6,000 as Travelling Allowance and Rs. 4,000 as Daily Allowance during the year for the purpose of his office duties.

(6) Hill Area Compensatory Allowance Rs. 600 per month.

(7) Tribal Area Allowance Rs. 300 per month.

(8) Hostel Expenses Compensdatory Alowance Rs. 450 per month per child for three children.

(9) House Rent Allowance Rs. 1,600 per month. Shri Mahendra pays Rs. 2,500 per month as rent for this house.

(10) During the financial year 2009-10 the assessee received the amount of interim relief @ Rs. 350 per month since 1st December, 2008 which is under the terms of service.

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(11) Conveyance Allowance Rs. 1,050 per month is given to compensate the expenses in connection with going to and coming from office and residence.

The assessee is an official in the Forest Department of the Government of Uttar Pradesh and is employed at a place at the height 1,100 metres above the sea level. The assessee has no other income.

(**Hints :** Govt. employee; I.R. Arrear From December 2008 to Feb. 2009 Rs. 350 x 3= Rs.1050; H.R.A. Exemption Rs. 19,200)

3. श्री कैलाश सेना में अधिकारी हैं। उन्होंने 2009–10 वित्तीय वर्ष के लिए वेतन से सम्बन्धित अपनी आय का निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया है–

(1) मूल वेतन 13000 रु. प्रति माह

(2) मंहगाई भत्ता 1600 रु. प्रतिमाह।

(3) नौकर भत्ता 200 रु. प्रति माह।

(4) पर्वतीय क्षेत्र भत्ता 400 रु. प्रति माह।

(5) सीमावर्ती क्षेत्र भत्ता 1500 रु. प्रति माह। उनको (I) श्रेणी के सीमावर्ती क्षेत्र में नियुक्त किया हुआ है, इसलिए 1300 रुपये प्रति माह की सीमा तक कर–मुक्त है।

(6) श्री कैलाश अविवाहित है और उन्हें शिक्षा भत्ता 200 रू. प्रति माह प्राप्त हुआ।

(7) उन्हें 25000 रु. चिकित्सा व्ययों के पुनर्भरण के रूप में प्राप्त हुए थे। इनमें से 8000 रुपये के व्यय मान्यता प्राप्त सार्वजनिक चिकित्सालय में उपचार करवाने से सम्बन्धित हैं।

(8) उन्हें एक सुसज्जित आवास की सुविधा मुफ्त मिल रही है। यदि यह सुविधा उन्हें मुफ्त न मिलती, तो उनके मूल वेतन का 15 प्रतिशत किराये के रूप में काटा जाता।

(9) उन्हें अपने नियोक्ता से मुफ्त राशन की सुविधा भी प्राप्त है। 2009–10 वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त इस सुविधा का मूल्य 6000 रुपये था।

(10) उन्हें अपने निजी प्रयोग के लिए 2000 सीसी की एक मोटर कार की सुविधा प्राप्त है, जिसको चलाने के समस्त व्यय ड्राइवर की मजदूरी सहित नियोक्ता वहन करता है। 2009–10 वित्तीय वर्ष में ऐसे व्ययों की राशि 15,000 रु. थी।

2010–11 कर–निर्धारण वर्ष के लिए श्री कैलाश की 'वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत कर–योग्य आय ज्ञात कीजिए।

Shri Kailash is an army officer. He has submitted the following particulars of his salary income for the financial year 2009-10 :

(1) Basic Pay Rs.13000 per month.

(2) Dearness Allowances Rs. 1600 per month.

(3) Servant Allowance Rs. 200 per month.

(4) Hill Area Allowance Rs. 400 per month.

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(5) Border area allowance Rs.1500 per month. He has been appointed at a place in (I) category area. Therefore it is exempt to the extent of Rs. 1300 per month.

(6) Shri Kailash is a bachelor and he gets Rs.200 per month as Education Allowance.

(7) He received Rs.25000 as reimbursement of medical expenses. Out of this amount, Rs.8000 were in respect of the treatment in a recognised public hospital.

(8) He is getting the facility of furnished accommodation for residence free of rent. If this accommodation had not been free, an amount equal to 15% of his basic pay would have been charged from him.

(9) He is getting free ration from his employer. The value of this facility during the financial year 2009-10 weas Rs.6000.

(10) He has been provided with a 2000 cc motor car for his personal use. All the expenses for this motor car including the wages of the driver are borne by the employer. The amount of such expenses was Rs. 15000 during the financial year 2009-10.

Determine the taxable income of Shri Kailash under the head "Salaries" for the assessment year 2010-11.

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

वर्ग (Section) – A
इकाई (Unit) – 5

मकान सम्पत्ति से आय
(Income From House Property)

आयकर अधिनियम की धारा 22 के अनुसार 'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक मं ऐसे मकान तथा उससे लगी हुई भूमि के वार्षिक मूल्य पर कर लगता है जिसका करदाता स्वामी हो परन्तु जिसको वह अपने ऐसे व्यापार अथवा पेशे के लिए प्रयोग न करता हो जिसके लाभ कर–योग्य हों।

मकान सम्पत्ति से आय पर कर लगाने सम्बन्धी आवश्यक शर्तें (Essential Conditions for taxing Income from House Property)

1. मकान एवं उससे लगी हुई भूमि हो (Building and attached lands)–इस शीर्षक के अन्तर्गत मकान तथा उससे लगी हुई भूमि से हुई आय पर कर लगाया जाता है। यदि जमीन किसी मकान से लगी हुई नहीं हो तो ऐसी जमीन से होने वाली आय 'अन्य साधनों से 'आय' शीर्षक में कर योग्य होगी। मकान से तात्पर्य किसी भी निर्मित ढाँचे से है, जिसमें रहने के मकान, दुकान, गोदाम, कारखाना आदि को शामिल किया जा सकता है। बगीचा, कार पार्किंग के लिए गैरेज, खेल का मैदान, पशु बाँधने का 'बाड़ा' आदि जो निर्मित मकान से लगे हुए हों, उनकी आय इसी शीर्षक के अन्तर्गत कर–योग्य होती है। अस्थायी टैंट एवं निर्माणाधीन मकान को धारा 22 के अन्तर्गत मकान सम्पत्ति नहीं माना जाता है।

2. करदाता मकान का स्वामी हो (Assessee should be owner of house) –इस शीर्षक में ऐसे मकान की आय कर योग्य होती है जिसका करदाता स्वामी हो। मकान करदाता के नाम से होना आवश्यक नहीं है। मकान का स्वामी वह माना जाता है जिसे 'स्वामी के रूप में किराया प्राप्त करने का अधिकार हो।'

अपवाद (Exception): – निम्नांकित दशाओं में करदाता को मकान सम्पत्ति का स्वामी (Deemed Owner) माना जाता है–

(i) **जीवन साथी को हस्तान्तरित मकान**–जीवन साथी को बिना पर्याप्त प्रतिफल के तथा बिना अलग रहने के समझौते के मकान सम्पत्ति का हस्तान्तरण करने पर उस सम्पत्ति का हस्तान्तरणकर्त्ता ही ऐसी सम्पत्ति का स्वामी माना जाता है। **[धारा 27 (ii)]**

(ii) **अवयस्क बच्चे को हस्तान्तरित मकान सम्पत्ति**–अपने अवयस्क बच्चे (विवाहित पुत्री को छोड़कर) को बिना पर्याप्त प्रतिफल के किसी मकान सम्पत्ति को हस्तान्तरित करने पर उस सम्पत्ति का हस्तान्तरणकर्ता ही ऐसी सम्पत्ति का स्वामी माना जाता है।

[धारा 27 (i)]

(iii) **सहकारी समिति के सदस्य को आवंटित मकान**–सहकारी समिति, कम्पनी अथवा व्यक्तियों के समुदाय की भवन निर्माण योजना के अन्तर्गत आबंटित मकान या पट्टे पर दिये गये मकान का स्वामी वह सदस्य होगा जिसके नाम से मकान आबंटित हुआ है। **[धारा 27 (iii)]**

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(iv) अविभाज्य सम्पदा (Impartible Estate)—हिन्दू अविभाजित परिवार की अविभज्य सम्पदा के धारक (कर्त्ता) को ही उस सम्पदा का स्वामी माना जाता है, न कि परिवार को। यदि कोई भवन या उसका कोई भाग करदाता को किसी ऐसे अनुबन्ध के अन्तर्गत प्राप्त हुआ है जिसका उल्लेख Transfer of Property Act, 1882 की धारा 53A में किया गया है, तो वह करदाता उस भवन का या उसके ऐसे भाग का स्वामी माना जायेगा। इस धारा में ऐसे अनुबन्ध का उल्लेख है जिसके अन्तर्गत सम्पत्ति का क्रय–विक्रय हुआ है किन्तु उस क्रय–विक्रय का पंजीकरण नहीं कराया गया है। **[धारा 27 (ii)) तथा धारा (iiia)]**

(v) 12 वर्ष या अधिक अवधि के लिए अधिकारों की प्राप्ति—यदि किसी करदाता को किसी भी भवन से या उसके किसी भाग से सम्बन्धित अधिकार ऐसे व्यवहार के अन्तर्गत प्राप्त हुए हैं जिसका उल्लेख आय कर अधिनियम की धारा 269UA वाक्यांश (f) में किया गया है, तो वह करदाता उस भवन का या उसके ऐसे भाग का स्वामी माना जायेगा। परन्तु यह नियम उस समय लागू नहीं होगा जब ऐसे अधिकार पट्टे (Lease) के रूप में प्राप्त हुए हों, तथा पट्टे की अवधि माह दर माह (From month to month) हो या एक वर्ष से अधिक न हो। **[धारा 27 (iii)b]**

स्पष्टीकरण—धारा 269UA के वाक्यांश (f) में ऐसे व्यवहारों का उल्लेख किया गया है जिसके अन्तर्गत किसी भवन का या उसके किसी भाग का अथवा उस भवन से या उसके किसी भाग से सम्बन्धित अधिकारों का हस्तान्तरण बिक्री, विनिमय या पट्टे के रूप में हुआ है, किन्तु ऐसा हस्तान्तरण 12 वर्ष या उससे अधिक के लिए हुआ हो, चाहे उस हस्तान्तरण का पंजीकरण कराया गया हो अथवा नहीं।

(vi) पट्टे पर ली गयी भूमि पर बनाया गया मकान—यदि करदाता ने पट्टे पर जमीन लेकर उस पर मकान बना लिया है तो वह करदाता यद्यपि उस जमीन का स्वामी नहीं है किन्तु उसे मकान का स्वामी माना जायेगा। अतः उस जमीन पर निर्मित मकान की आय इस शीर्षक की आय होगी। यदि किसी साझेदारी फर्म ने कोई मकान बनाया हो, तो उस फर्म को ही उस भवन का स्वामी माना जायेगा तथा उस भवन की आय फर्म की इस शीर्षक की आय मानी जायेगी।

(vii) विवादास्पद मकान—यदि किसी मकान सम्पत्ति के स्वामित्व के सम्बन्ध में दो या दो से अधिक व्यक्तियां के मध्य विवाद चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति को उस मकान सम्पत्ति से वास्तव में आय प्राप्त हुई है, वहीं उसका स्वामी माना जायेगा तथा उसी की आय में ही उस मकान सम्पत्ति की आय भी सम्मिलित की जायेगी।

(vii) गिरवी या रहन पर रखा हुआ मकान—ऐसे मकान का वार्षिक मूल्य उस व्यक्ति के लिए कर योग्य होता है जिसने मकान गिरवी रखा है। जिसके पास मकान गिरवी रखा गया है उसके लिए ऐसे मकान का वार्षिक मूल्य कर योग्य नहीं होता है।

करदाता का किसी मकान सम्पत्ति पर स्वामित्व सम्बन्धित गत वर्ष की अवधि में देखा जायेगा न कि कर–निर्धारण वर्ष में। यदि करदाता सम्पूर्ण गत वर्ष की अवधि में उस मकान सम्पत्ति का स्वामी रहा है तो उस पूरे गत वर्ष का वार्षिक मूल्य उसकी कुल आय में शामिल किया जायेगा। किन्तु यदि कोई करदाता गत वर्ष के किसी भाग में ही उस मकान सम्पत्ति का स्वामी रहा है तो उसकी कुल आय में स्वामित्व काल से सम्बन्धित वार्षिक मूल्य को ही शामिल किया जायेगा।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

3. मकान सम्पत्ति का स्वयं के व्यवसाय या पेशे के लिए उपयोग (Property used for Own Business or Profession) –यदि करदाता अपने मकान का उपयोग स्वयं के व्यवसाय या पेशे के लिए करता है, तो ऐसे मकान का वार्षिक मूल्य 'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक के अन्तर्गत शामिल नहीं किया जायेगा। किन्तु इसके लिए यह आवश्यक है कि उस व्यवसाय या पेशे की आय कर–योग्य हो अर्थात् कर–मुक्त न हो।

यदि मकान करदाता के व्यापार या पेशे से सम्बन्धित किसी ऐसे कर्मचारी या अधिकारी को किराये पर दिया जाता है जिसका उस मकान में रहना व्यापार या पेशे के कुशल संचालन के लिए लाभप्रद हो तो ऐसे कर्मचारी/अधिकारी से प्राप्त किराया भी 'व्यापार या पेशे के लाभ' शीर्षक में कर–योग्य होगा। बैंक, डाकघर या अन्य संस्था को व्यापार की सुविधा के लिए मकान किराये पर देने पर प्राप्त किराया भी 'व्यापार या पेशे के लाभ' शीर्षक में कर योग्य होगा।

4. वार्षिक मूल्य (Annual Value)– एक करदाता की मकान सम्पत्ति से कर–योग्य आय उसके वास्तविक अथवा काल्पनिक किराये के आधार पर ज्ञात नहीं की जाती है वरन् उसके वार्षिक मूल्य के आधार पर ज्ञात की जाती है। आयकर अधिनियम की धारा 23(1) के अनुसार **'वार्षिक मूल्य' का आशय उस राशि से है जितने में वह मकान उचित रूप से किराये पर उठाया जा सकता है, परन्तु यदि मकान किराये पर उठाया हुआ है तथा उस मकान का वास्तविक प्राप्य या प्राप्त किराया उचित किराये से अधिक है तो वास्तविक प्राप्त या प्राप्य किराये को ही वार्षिक मूल्य माना जायेगा।** उचित किराया या वास्तविक प्राप्य किराया, जो दोनों में अधिक हो, में से मकान के स्वामी द्वारा चुकाये गये नगरपालिका कर को घटाकर वार्षिक मूल्य ज्ञात किया जाता है। वार्षिक मूल्य की गणना विधि आगे विस्तार से समझाई गयी है।

मकान सम्पत्ति से आय की गणना हेतु ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें
(Important Points to be considered for computation of Income from House Property) –

(i) **भवन के साथ मशीनरी, फर्नीचर आदि भी किराये पर देना**–यदि मकान तथा मशीन, फर्नीचर आदि सम्पत्तियों को एक साथ किराये पर दिया जाता है तथा मकान को इन सम्पत्तियों के किराये पर उठाये जाने से पृथक नहीं किया जा सकता तो ऐसे मकान एवं अन्य सम्पत्तियों का किराया भी अलग–अलग निर्धारित नहीं किया जा सकता है। मकान एवं अन्य सम्पत्तियों की संयुक्त आय को 'अन्य साधनों से आय' अथवा 'व्यापार या पेशे के लाभ' शीर्षक में कर–योग्य किया जावेगा। जैसे–सिनेमागृह का किराया।

(ii) **विदेश में स्थित मकान सम्पत्ति की आय**–जिन करदाताओं की विदेश में स्थित मकान सम्पत्ति की आय, भारत में कर–योग्य होती है, उनके लए यह आय 'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक में ही शामिल की जाती है तथा कर–योग्य आय की गणना भी सामान्य विधि से ही की जाती है।

(iii) **सह–स्वामित्व वाली मकान सम्पत्ति की आय (Income of Joint Property)** –जिस मकान सम्पत्ति के दो या दो से अधिक स्वामी हों और प्रत्येक सह–स्वामी का हिस्सा पहले से निश्चित हो तो प्रत्येक सह–स्वामी को अपने हिस्से की आय पर कर देना होता है। संयुक्त सम्पत्ति को, सह स्वामियों द्वारा स्वयं के रहने के लिए काम में लिये जाने पर, प्रत्येक सह–स्वामी का हिस्सा एक पृथक स्वतन्त्र इकाई माना जाता है और कर–मुक्ति का लाभ भी मकान सम्पत्ति को स्वतन्त्र इकाइयां मानकर प्रत्येक सह–स्वामी को अलग–अलग दिया जाता है। **(धारा 26)**

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(iv) **उप–किरायेदार से प्राप्त किराया (Rent received from Sub-tenant)**–उप–किरायेदार से प्राप्त किराया 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में कर–योग्य होता है।

(v) **मकान सम्पत्ति को किराये पर उठाने का व्यापार करना** –जिन व्यक्तियों या संस्थाओं का व्यवसाय मकान बनवाना या क्रय करना और फिर उन्हें किराये पर देना है, उनकी किराये की आय भी इसी शीर्षक में कर–योग्य होती है।

(vi) **गत वर्ष (Previous year)**–'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक की कर–योग्य आय ज्ञात करने के लिए गत वर्ष की अवधि अप्रैल 1 से मार्च 31 तक की होती है। कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए गत वर्ष की अवधि 1 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2010 तक की है।

(v) **मकान सम्पत्ति को किराये पर उठाने का व्यापार करना** –जिन व्यक्तियों या संस्थाओं का व्यवसाय मकान बनवाना या क्रय करना और फिर उन्हें किराये पर देना है, उनकी मकान सम्पत्ति से किराये की आय भी इसी शीर्षक में कर–योग्य होती है।

मकान सम्पत्ति से आय के सम्बन्ध में कर–मुक्त आयें
(Exempted Incomes regarding Income from House Property)

मकान सम्पत्ति से आय के सम्बन्ध में निम्नलिखित आयें पूर्णतया कर–मुक्त होती हैं अर्थात् इन्हें करदाता की कुल आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है–

1. ऐसे मकान से आय जो भारत में कृषि भूमि पर या उसके सन्निकट स्थित हो और जिसका उपयोग उस कृषक द्वारा स्वयं के रहने के लिए अथवा कृषि उपज के भण्डारण आदि के लिए किया जाता हो।
   [धारा 10 (1)]
2. भूतपूर्व शासक के अधिग्रहण में किसी भी एक महल का वार्षिक मूल्य कर–मुक्त होता है। यह कर–मुक्ति उसी समय उपलब्ध होगी पर जब उस महल का वार्षिक मूल्य Merged States (Taxation Concessions) Order, 1949 के अनुसार अथवा Part-B States (Taxation Concession) Order, 1950 के अनुसार अथवा Jammu & Kashmir (Taxation Concession) Order, 1958 के अनुसार अथवा 1972 से पूर्व भी कर मुक्त रहा हो। परन्तु ऐसे महल को यदि गत वर्ष में किराये पर उठाया जाता है तो उसकी आय इस शीर्षक में कर योग्य होगी। **[धारा 10 (19A)]**
3. स्थानीय सत्ता एवं ट्रेड यूनियन की मकान सम्पत्ति से आय कर मुक्त होती है। **[धारा 10(20) तथा 10 (24)]**
4. विपणन प्राधिकरणों को गोदामों या भण्डारों को किराये पर उठाने से हुई आय पूर्णतया करमुक्त होती है। **[धारा 10 (29)]**
5. पुण्यार्थ या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित प्रन्यासों की मकान सम्पत्ति से आय।
6. कर दाता का वह मकान जिसका उपयोग करदाता स्वयं अपने ऐसे व्यवसाय या पेशे में करता है जिसके लाभ कर योग्य हो, की आय कर'–मुक्त होती है। **[धारा 22]**
7. किसी क्लब को मकान सम्पत्ति से हुई आय कर मुक्त होती है। **(Chelmsford Clud V. CIT (2000)**

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

8. स्वयं से रहने के लिए प्रयुक्त एक मकान सम्पत्ति की आय का वार्षिक मूल्य शून्य माना जाता है।

[धारा 23 (2)]

9. लद्दाख के नागरिकों की मकान सम्पत्ति से आय कर–मुक्त होती है। **[धारा 10 (26A)]**

मकान सम्पत्ति से आय जो इस शीर्षक में कर–योग्य न हो:
(Income from House Property not Taxable under this head):

1. मकान बेचने से आय (Income from Sale of House)
2. कर्मचारियों से प्राप्त किराया (Rent Receivable from Employees)

मकान सम्पत्ति से कर–योग्य आय की गणना
(Computation of Taxable Income from House Property)

'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक के अन्तर्गत कर का आधार मकान का वार्षिक मूल्य (Annual Value) होता है। वार्षिक मूल्य मकान का किराया नहीं होता है वरन् यह मकान सम्पत्ति की आय उत्पन्न करने की क्षमता होती है। अतः मकान सम्पत्ति से उत्पन्न आय पर कर लगाने के लिए वार्षिक मूल्य को आधार माना जाता है। वार्षिक मूल्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सकल वार्षिक मूल्य ज्ञात किया जाता है। इसके पश्चात सकल वार्षिक मूल्य में से मकान के स्वामी द्वारा चुकाये गये स्थानीय कर **(Local Tax)** या नगर पालिका को घटा कर वार्षिक मूल्य ज्ञात किया जाता है। वार्षिक मूल्य में से निम्नांकित दो कटौतियां घटाकर मकान सम्पत्ति की कर योग्य आय ज्ञात की जाती है :

1. प्रमाप कटौती **(Standard Deduction);** तथा
2. उधार पूँजी या ऋण पर ब्याज **(Interest on Borrowed Capital or Loan)**

	Rs.	Rs.
सकल वार्षिक मूल्य **(Gross Annual Value)**		xxxxxx
घटाओ : करदाता द्वारा गत वर्ष में चुकाये गये स्थानीय कर		xxxxxx
वार्षिक मूल्य **(Annual Value)**		xxxxxx
घटाओ : कटौतियां		
1. प्रमाप कटौती (वार्षिक मूल्य का 30 प्रतिशत)	xxxxxx	
2. ऋण पर गत वर्ष में देय ब्याज	xxxxxx	xxxxxx
मकान सम्पत्ति से कर योग्य आय		xxxxxx

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

वार्षिक मूल्य का निर्धारण
(Determination of Annual Value)

'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक से अन्तर्गत लगाये जाने वाला कर आय पर लगाये जाने वाला कर होता है। यहाँ आय का तात्पर्य भवन के किराये से नहीं है वरन् भवन की आय उत्पन्न करने के क्षमता से है। मकान सम्पत्ति से कर योग्य आय ज्ञात करने के लिए वार्षिक मूल्य को आधार माना जाता है।

1. वार्षिक मूल्य ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम सफल वार्षिक मूल्य ज्ञात किया जाता है।
2. सकल वार्षिक मूल्य में से मकान के स्वामी द्वारा गत वर्ष में चुकाये गये नगरपालिका करों को घटाकर वार्षिक मूल्य ज्ञात किया जाता है। किरायेदार द्वारा चुकाये गये नगरपालिका करों की छूट नहीं दी जाती है।
3. नगरपालिका करों को जिस वर्ष में चुकाया जाता है उस वर्ष के सकल वार्षिक मूल्य में से घटाया जाता है। इन करों को भुगतान के आधार पर घटाया जाता है। चाहे वह चालू गत वर्ष के हो या पिछले या अगले गत वर्षों के। कर निर्धारण वर्ष 1985–86 से पूर्व नगरपालिका करों की कटौती देय आधार पर स्वीकृत की जाती थी इसलिए उन वर्षों के नगरपालिका करों की दुबारा कटौती भुगतान के आधार पर नहीं दी जाती है।
4. नगरपालिका करों का तात्पर्य किसी भी स्थानीय सत्ता (नगरपालिका, नगरपरिषद आदि) द्वारा लगाये गये करों से है। भले ही इनकी वसूली किसी अन्य अधिकारी द्वारा की गयी हो जैसे गृह कर, सेवाकर, जलकर, सफाईकर, शिक्षाकर, अग्निकर आदि।
5. यदि कोई मकान सम्पत्ति करदाता के स्वामित्व में सम्पूर्ण गतवर्ष के दौरान नहीं रही हो तो जितनी अवधि के लिए वह मकान सम्पत्ति करदाता के स्वामित्व में रही हैए उतनी अवधि का ही वार्षिक मूल्य निर्धारित किया जावेगा। जैसे –कोई मकान सम्पत्ति 1 जून, 2009 को बनकर तैयार हुई या क्रय की गयी तो गत वर्ष 2009–10 की कर योग्य आय में केवल जून 2009 से मार्च 2010 तक का वार्षिक मूल्य सम्मिलित किया जावेगा। यदि कोई मकान सम्पत्ति 1 दिसम्बर 2009 को बेच दी गयी तो इस स्थिति में अप्रैल, 2009 से नवम्बर 2009 तक का वार्षिक मूल्य गत वर्ष 2009–10 की कर योग्य आय में सम्मिलित किया जायेगा।
6. मकान का तात्पर्य रहने की स्वतन्त्र इकाई से है। जैसे– मकान में चार किरायेदार रहते हैं तो यह माना जावेगा कि करदाता के पास चार मकान हैं।

वार्षिक मूल्य निर्धारित करने के लिए विभिन्न प्रकार की मकान सम्पत्तियों को निम्नांकित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है :

(अ) किराये पर उठायी गयी मकान सम्पत्ति;
(ब) सम्पूर्ण वर्ष में स्वयं के निवास हेतु काम में ली गयी मकान सम्पत्ति;
(स) गत वर्ष में कुछ अवधि के लिए स्वामी के रहने के लिए काम में आने वाली तथा कुछ अवधि के लिए किराये पर उठायी गयी मकान सम्पत्ति;
(द) सह–स्वामित्व वाली मकान सम्पत्ति तथा
(य) विदेश में स्थित मकान सम्पत्ति।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

किराये पर उठायी गई मकान सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य का निर्धारण
(Determination of Annual Value of Let-out Property)

ऐसी सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य के निर्धारण हेतु सबसे पहले सकल वार्षिक मूल्य निर्धारित किया जाता है तथा इसके पश्चात् सकल वार्षिक मूल्य में से कर दाता को (मकान के स्वामी द्वारा) गत वर्ष में चुकाया गया स्थानीय कर (नगरपालिका कर) घटाया जाता है।

	रुपये
सकल वार्षिक मूल्य	XXXXX
घटाओ करदाता द्वारा गत वर्ष में चुकाये गये नगरपालिका कर	XXXXX
वार्षिक मूल्य	XXXXX

सकल वार्षिक मूल्य का निर्धारण
(Determination of Gross Annual Value) [धारा 23 (1)]

सकल वार्षिक मूल्य को निर्धारित करने के लिए गणना अग्रांकित तीन चरणों में की जाती हैः

प्रथम चरण (Step-I) धारा 23 (1) (a)– जिस मूल्य पर सम्पत्ति वर्ष प्रति वर्ष उचित रूप से किराये पर उठाई जा सकती हो, वह मूल्य **प्रत्याशित वार्षिक किराया मूल्य** कहलाता है। इसकी गणना निम्न प्रकार से की जाती है :

(अ) नगरपालिका मूल्य या उचित किराया, जो दोनों में अधिक हो
(ब) प्रमाप किराया (Standard Rent)
(स) (अ) या (ब) में जो भी कम हो, प्रत्याशित वार्षिक किराया मूल्य माना जाता है।

नगरपालिका मूल्य (Municipal Value) –नगरपालिका या स्थानीय सत्ता द्वारा कर वसूल करन `के लिए मकान का जो किराया मूल्य निर्धारित किया जाता है उसे नगरपालिका मूल्य कहते हैं। दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई एवं चैन्नई जैसे बड़े शहरों में स्थानीय सत्ता (म्यूनिसिपल कारपोरेशन) द्वारा सकल नगरपालिका मूल्य में सामान्यतः 10 प्रतिशत घटाकर शुद्ध नगरपालिका मूल्य निर्धारित किया जाता है। ऐसी स्थिति में आयकर के उद्देश्य के लिए शुद्ध नगरपालिका मूल्य को सकल बनाया जाता है। उदाहरणार्थ, एक मकान का 10 प्रतिशत घटाने के पश्चात् शुद्ध नगरपालिका मूल्य 18000 रु. है तो उस मकान का सकल नगरपालिका मूल्य $\left(\frac{18000 \times 100}{90}\right)$ =20000 रुपये होगा।

उचित किराया (Fair Rent) – उस क्षेत्र में सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर मकान सम्पत्ति से जो उचित राशि किराये के रूप में प्राप्त हो सके वह राशि उचित किराया कहलाती है। इसे प्रचलित किराया भी कहते हैं। यद्यपि एक ही क्षेत्र में दो मकान एक जैसे नहीं होते हैं, फिर भी मकान की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए लगभग उसी प्रकार के मकान का प्रचलित किराया उचित किराया कहलाता है।

प्रमाप किराया (Standard Rent) – किराया नियंत्रण अधिनियम (Rent Control Act) द्वारा निर्धारित किराया प्रमाप किराया अथवा मानक किराया कहलाता है।

दृष्टान्त (Example) : सम्पत्ति A, B, C तथा D के सम्बन्ध में अग्रांकित विवरण दिये गये हैं, प्रत्येक दशा में प्रत्याशित वार्षिक किराया मूल्य का निर्धारण कीजिए –

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

विवरण ↓	सम्पत्ति →	A Rs.	B Rs.	C Rs.	D Rs.
नगरपालिका मूल्य (a)		50,000	40,000	40,000	40,000
उचित किराया (b)		40,000	47,000	38,000	38,000
प्रमाप किराया (c)		लागू नहीं	46,000	35,000	50,000

प्रत्याशित वार्षिक किराया मूल्य का निर्धारण धारा 23 (1) अ

विवरण ↓	सम्पत्ति →	A Rs.	B Rs.	C Rs.	D Rs.
(अ) नगरपालिका मूल्य अथवा उचित किराया जो दोनो में अधिक है।		50,000	47,000	40,000	40,000
(ब) प्रमाप किराया		लागू नहीं	46,000	35,000	50,000
(स) सकल वार्षिक मूल्यः(अ) अथवा (ब) दोनों में जो भी कम हो		50,000	46,000	35,000	40,000

टिप्पणी : सम्पत्ति 'A' के सम्बन्ध में किराया नियन्त्रण अधिनियम लागू नहीं होता है इसलिए इस सम्पत्ति के नगरपालिका मूल्य अथवा उचित किराया, जो दोनों में अधिक हो, को प्रत्याशित वार्षिक किराया मूल्य कहा जावेगा।

द्वितीय चरण (Step-II) : धारा 23 (1)(b) :

यदि वास्तव में प्राप्त/प्राप्य किराया (न वसूल हुए किराये की राशि तथा खाली रहने की अवधि के किराये को छोड़कर) उपर्युक्त प्रथम चरण में निर्धारित राशि से अधिक हो तो वास्तव में प्राप्त या प्राप्य किराये को ही सकल वार्षिक मूल्य माना जाता है।

द्वितीय चरण के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नांकित है–

(i) न वसूल हुए किराये की राशि तथा मकान खाली रहने की अवधि से सम्बन्धित किराये की राशि को छोड़कर वास्तविक प्राप्त या प्राप्य किराये की राशि प्रथम चरण में निर्धारित राशि से कम हो तो प्रथम चरण में निर्धारित राशि ही सकल वार्षिक मूल्य होगी अर्थात द्वितीय चरण के कारण सकल वार्षिक मूल्य बढ़ाया जा सकता है, घटाया नहीं जा सकता।

(ii) द्वितीय चरण की गणना केवल किराये पर उठायी गयी मकान सम्पत्ति के सम्बन्ध में ही की जाती है।

(iii) वास्तव में प्राप्त या प्राप्य किराये की राशि (मकान खाली रहने की अवधि के किराये तथा चालू वर्ष के न वसूल हुए किराये को छोड़कर) को ही द्वितीय चरण में ध्यान में रखा जाता है न कि वार्षिक किराये की राशि को।

(iv) किराये पर उठाई गई मकान सम्पत्ति के सकल वार्षिक मूल्य का निर्धारण :–

(अ) प्रथम चरण के अनुसार निर्धारित प्रत्याशित वार्षिक किराया मूल्य; या

(ब) मकान सम्पत्ति का वास्तव में प्राप्त या प्राप्य किराया (चालू वर्ष के न वसूल हुए किराये तथा मकान खाली रहने की अवधि के किराये को छोड़कर)

उपर्युक्त (अ) तथा (ब) में से अधिक राशि को ही सकल वार्षिक मूल्य माना जायेगा।

Jain Vishwa Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(v) **वास्तव में प्राप्त या प्राप्य किराये की गणना (Calculation of Actual Rent Received/Receivable):** वास्तव में प्राप्य किराये से तात्पर्य किराये की उस राशि से है जिसे किरायेदार ने गत वर्ष की समाप्ति तक चुकाया न हो परन्तु जिसके चुकाये जाने की सम्भवना हो अर्थात् गत वर्ष की अवधि का देय परन्तु बकाया ऐसा किराया जिसके प्राप्त होने की सम्भावना हो, प्राप्य किराया माना जाता है। गत वर्ष में प्राप्य किराये की गणना विभिन्न दशाओं में निम्न प्रकार की जाती है :

(क) मिश्रित अथवा संयुक्त किराया प्राप्त होने पर : यदि कोई व्यक्ति मकान किराये पर देता है और बिजली, पानी, चौकीदार, फर्नीचर आदि की सुविधाएं भी देता है तो मकान तथ सुविधाओं का प्राप्त किराया मिश्रित या संयुक्त किराया कहलाता है। इस संयुक्त किराये में से वह राशि जो इन सुविधाओं के सम्बन्ध में है, घटा दी जाती है और शेष राशि ही मकान का किराया मानी जाती है। केवल मकान का किराया ही 'मकान–सम्पत्ति से आय' शीर्षक में कर–योग्य होता है। अन्य सुविधाओं से हुई आय व्यापार या पेशे के लाभ शीर्षक में या 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में कर योग्य होती है। मिश्रित किराया प्राप्त होने पर केवल मकान सम्पत्तिसे सम्बन्धित किराये को ही ध्यान में रखा जावेगा, अन्य सम्पत्तियों के किराये या सुविधाओं के मूल्य को नहीं।

(ख) किरायेदार द्वारा मरम्मत का दायित्व वहन करने पर : यदि किरायेदार ने मकान की मरम्मत का दायित्व वहन किया है तो किरायेदार द्वारा वहन की गई मरम्मत की राशि को वास्तव में प्राप्त/प्राप्य किराये की राशि में जोड़ा नहीं जावेगा चाहे किरायेदार ने इस राशि का भुगतान किसी समझौते के अन्तर्गत किया है अथवा बिना अनुबन्ध के किया है।

(ग) अग्रिम किराये या जमा राशि पर ब्याज : किरायेदार द्वारा मकान मालिक के पास जमा करवायी गई राशि (Deposit) या अग्रिम किराये की राशि पर काल्पनिक ब्याज के रूप में कोई भी राशि वास्तव में प्राप्त/प्राप्य किराये की राशि में जोड़ी नहीं जावेगी।

(घ) किरायेदार द्वारा करों का भुगतान करने पर : किरायेदार द्वारा मकान सम्पत्ति के सम्बन्ध में चुकाये गये स्थानीय कर (Local Tax) एवं सेवाकर (Service Tax) को वास्तव में प्राप्त/प्राप्य किराये में नहीं जोड़ा जावेगा परन्तु राज्य सरकार या अन्य संस्था को किरायेदार द्वारा मकान सम्पत्ति के सम्बन्ध में कर का भुगतान किया जाता है तो ऐसी राशि को वास्तव में प्राप्त/प्राप्य किराये की राशि में जोड़ा जावेगा।

(ड.) मकान मालिक द्वारा किरायेदार के किसी दायित्व का भुगतान करने पर: मकान मालिक द्वारा चुकाई गयी राशि को प्राप्त किराये की राशि में से घटा कर वास्तव में प्राप्त/प्राप्य किराये की राशि की गणना की जावेगी।

(च) किरायेदार द्वारा मकान मालिक के किसी दायित्व का भुगतान करने पर : किरायेदार द्वारा चुकायी गयी राशि को प्राप्त किराये की राशि में जोड़कर वास्तव में प्राप्त/प्राप्य किराये की गणना की जावेगी।

(vi) **न वसूल हुए किराये (Un-realised Rent) का समायोजन** : चालू वर्ष की न वसूल हुए किराये की राशि को वास्तविक प्राप्त/प्राप्य किराये की राशि में से द्वितीय चरण की गणना हेतु घटाया जाता है, यदि निम्नांकित शर्तों की पूर्ति होती हो :

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(क) किरायेदारी वास्तविक हो;

(ख) दोषी किरायेदार ने करदाता का वह मकान खाली कर दिया हो अथवा खाली करवाने की उचित कार्यवाही की जा चुकी हो;

(ग) उस किरायेदार के कब्जे में करदाता का अन्य कोई मकान न होः तथा

(घ) किरोयदार से किराया वसूल करने की समस्त उचित कानूनी कार्यवाही की जा चुकी हो अथवा करदाता अपने निर्धारण अधिकारी को इस बात से सन्तुष्ट कर दे कि उस किरायेदार के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही करना व्यर्थ होगा।

[आयकर नियम 4]

तृतीय चरण (Step-III) : [धारा 23 (1)(c)] :

जब मकान सम्पत्ति या उसका कुछ भाग गत वर्ष में पूर्ण रूप से अथवा कुछ समय के लिए खाली रहा है तथा मकान खाली रहने के कारण वास्तव में प्राप्त/प्राप्य किराये की राशि प्रथम चरण में निर्धारित राशि से कम हो तो वास्तव में प्राप्त/प्राप्य किराये की राशि (चालू वर्ष के न वसूल हुए किराये को छोड़कर) को ही सकल वार्षिक (Gross Annual Value) मूल्य माना जावेगा।

निम्नांकित शर्तों की पूर्ति होने पर तृतीय चरण के प्रावधान लागू होंगे–

(i) मकान सम्पत्ति किराये पर उठाई गई हो;

(ii) मकान सम्पत्ति या उसका कुछ भाग गत वर्ष में पूर्ण रूप से अथ्वा कुछ समय के लिए खाली रहा हो;

(iii) वास्तव में प्राप्त/प्राप्य किराया (चालू वर्ष के न वसूल हुए किराये को छोड़कर) प्रथम चरण में निर्धारित राशि से कम हो तथा वास्तविक किराये की राशि में यह कमी मकान सम्पत्ति के खाली रहने के कारण हो न कि अन्य किसी कारण से। यदि किराये में कमी अन्य कारण से हुई है तो तृतीय चरण की गणना नहीं की जावेगी।

यदि उपर्युक्त तीनों शर्तों की पूर्ति हो जाती है तो वास्तव में प्राप्त या प्राप्य किराये (न वसूल हुए किराये को छोड़कर) की राशि को ही सकल वार्षिक मूल्य माना जावेगा।

सकल वार्षिक मूल्य निर्धारण सम्बन्धी महत्वपूर्ण बातें :

(1) मकान का सकल वार्षिक मूल्य निर्धारित करने के लिए विद्यार्थियों को निम्न प्रक्रिया अपनानी चाहिएः

(अ) प्रथम चरण में निर्धारित अपेक्षित वार्षिक किराये (Expected Annual Rent) की राशि की गणना निम्न प्रकार की जावेः

(क) नगरपालिका मूल्य या उचित किराया, जो दोनों में अधिक हो, को चरण प्रथम के अनुसार अपेक्षित किराया माना जावे।

(ख) यदि प्रमाप किराया दिया हुआ हो और इसकी राशि उपर्युक्त (क) में निर्धारित राशि से कम हो तो प्रमाप किराये को ही अपेक्षित उचित किराया माना जावे। यदि प्रमाप किराया उपर्युक्त (क) में निर्धारित राशि से अधिक हो तो उपर्युक्त (क) में निर्धारित राशि ही अपेक्षित उचित किराया (Expected Fair Rent) माना जावे।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(ब) गत वर्ष में प्राप्त/प्राप्य किराये का निर्धारण किया जावे। इस राशि में आयकर नियम 4 में वर्णित चालू गत वर्ष के न वसूल हुए किराये (Unrealised Rent of the Current Previous Year) तथा मकान खाली रहने की अवधि का किराया सम्मिलित नहीं होगा। वास्तव में प्राप्त/प्राप्य किराये की राशि तथा उपर्युक्त (अ) में वर्णित अपेक्षित उचित किराये की राशि में से जो भी अधिक हो, सकल वार्षिक मूल्य कहलायेगा।

(स) यदि गत वर्ष में मकान खाली रहा हो तथा उस मकान का वास्तव में प्राप्त/प्राप्य किराया अपेक्षित उचित किराये से कम हो तो ऐसे मकान का सकल वार्षिक मूल्य निम्न प्रकार ज्ञात किया जावेगा :

	(क) प्रथम चरण में निर्धारित अपेक्षित किराये की राशि	xxxxx
	(ख) सम्पत्ति का वार्षिक किराया यदि सम्पत्ति सम्पूर्ण वर्ष में किराये पर दी हुई होती (इसमें से गत वर्ष का न वसूल हुआ किराया जो नियम 4 के अनुसार हो, को घटा दिया जाता है)	xxxxx
	(ग) उपर्युक्त (क) अथवा (ख) में जो भी अधिक हो	xxxxx
घटाओ :	(घ) मकान खाली रहने की अवधि का किराया	xxxxx
	(ड.) **सकल वार्षिक मूल्य (Gross Annual Value) (ग)–(घ)**	xxxxx

(2) यदि मकान सम्पूर्ण वर्ष के दौरान पूर्ण रूप से खाली रहा हो और उसका कोई भी उपयोग न किया गया हो या किसी अन्य उद्देश्य के लिए सुरक्षित नहीं रखा गया हो तो ऐसे मकान का सकल वार्षिक मूल्य शून्य (NIL) माना जायेगा।

उदाहरण (Illustration) 5.1 :

निम्नांकित विवरण के आधार पर 'मकान सम्पत्तियों' का सकल वार्षिक मूल्य ज्ञात कीजिए–

From the following details, compute the gross annual value of the properties:

	I House	II House	III House	IV House	V House
(i) गत वर्ष की अवधि (माह में) Period of the previous year (Months)	12	12	12	12	12
(ii) सम्पत्ति के खाली रहने की अवधि (महीनों में) Property remains vacant (months)	1	NIL	4	12	5
(iii) नगरपालिका मूल्यांकन (वार्षिक) रु. Municipal valuation [per annum (Rs.)]	80	70	80	80	80
(iv) उचित किराया (वार्षिक) रु. Fair rent (Annual) (Rs.)	90	80	75	75	84
(v) प्राप्य वार्षिक किराया रु. Annual Rent Receivable (Rs.)	96	78	84	NIL	72
(vi) प्रमाप किराया (वार्षिक) रु. Annual Standard Rent (Rs.)	85	-	72	84	90

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

हल (Solution) :

Computation of Gross Annual Value of House Properties

(Rs. in thousand)

	I House	II House	III House	IV House	V House
(A) Calculation of Expected Rent u/s 23 (1)(a) Rs. Municipal value or fair Rent whichever is higher (but subject to Standard Rent)	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
(i) Municipal value or Fair Rent (Whichever is higher)	90	80	80	80	84
(ii) Standard Rent	85	N.A.	72	84	90
(iii) Expected Fair Rental value [lower of (i) or (ii)]	85	80	72	80	84
(B) Annual rent if the house property was occupied for the whole year (excluding unrealised rent)	96	78	84	80[1]	72
(C) Higher of (A) or (B) above	96	80	84	80	84
Less: Rent of vacancy period	8	NIL	28	80	30
Gross Annual Value	**88**	**80**	**56**	**NIL**	**54**

टिप्पणी (1) चतुर्थ मकान पूर्ण वर्ष खाली रहा है इसलिए इसका सकल वार्षिक मूल्य शून्य माना गया है तथा प्रत्याशित उचित किराये को ही वार्षिक किराया माना गया है।

उदाहरण (Illustration) 5.2 :

निम्नांकित परिस्थितियों में X की मकान सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य का निर्धारण कीजिए:

Compute the annual value of house property of X in the following situations:

Particulars विवरण	Situations परिस्थितियाँ I	II	III	IV
(i) Municipal Valuation (Rs.) नगरपालिका मूल्यांकन	35,000	40,000	45,000	35,000
(ii) Fair Rent (Rs.) उचित किराया	37,000	45,000	40,000	46,000
(iii) Annual Rent if property is let-out throughout the year (Rs.) यदि सम्पत्ति पूर्ण वर्ष किराये पर रहती है तो वार्षिक किराया	36,000	48,000	36,000	48,000
(iv) Standard Rent प्रमाप किराया	32,000	44,000	41,000	--
(v) Municipal Tax Paid by :				
(a) Landlord स्वामी (Rs.)	--	4,000	2,250	1,750
(b) Tenant किरायेदार (Rs.)	1,500	--	2,250	1,750
(vi) Property remained vacant (Months) सम्पत्ति खाली रही (माह)	2	NIL	2	NIL
(vii) Unrealised rent of previous year 2009-10 (Rs.) गत वर्ष 2009–10 का न वसूल हुआ किराया	9,000	8,000	NIL	8,000
(viii) Property self occupied (months) सम्पत्ति के लिए स्वयं के रहने के लिए काम में लिया (माह)	-	-	-	-

1

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

हल (Solution) :

Computation of Annual Value of House Properties for the Assessment Year 2010-11

Particulars विवरण	Situations परिस्थितियां I Rs.	II Rs.	III Rs.	IV Rs.
(a) Calculation of Expected Rent [u/s 23 (1) (a)]				
Municipal value or Fair Rent whichever is higher but subject to Standard Rent	32,000	44,000	41,000	46,000
(b) Annual rent if the property was let-out throughout the year (excluding unrealised rent as per rule 4)	27,000	40,000	36,000	40,000
(c) Higher of (a) or (b) above	32,000	44,000	41,000	46,000
Less : Rent of vacancy period (included in (b) above)	6,000	NIL	6,000	NIL
Gross Annual Value	26,000	44,000	35,000	46,000
Less : Municicpal Taxes paid by the Assessee	NIL	4,000	2,250	1,750
Annual Value	**26,000**	**40,000**	**32,750**	**44,250**

टिप्पणी : तृतीय परिस्थिति में सम्पत्ति का उपयोग एक माह के लिए स्वयं के रहने के लिए किया गया है, जिसका कोई समायोजन नहीं किया जाता है।

उदाहरण (Illustration) 5.3 :

निम्नांकित दशाओं में कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए वार्षिक मूल्य की गणना कीजिए:

(i) श्री सोहन ने एक आवासीय मकान का निर्माण 1 जुलाई 2004 को करवाना प्रारम्भ किया जो 31 जनवरी, 2007 को बनकर तैयार हुआ। इसे 1 अप्रैल, 2007 से 5,000 रु. प्रतिमाह के किराये पर किराये से उठाया गया। 31 अगस्त, 2009 को किरायेदार ने मकान खाली कर दिया तथा यह तीन महीने तक खाली ही रहा। 1 दिसम्बर, 2009 से इसे पुनः 7,000 रु. प्रतिमाह के किराये पर किराये से उठा दिया गया। मकान का नगरपालिका मूल्यांकन 70,000 रु. वार्षिक, उचित किराया 82,000 रु. तथा प्रमाप किराया 76,000 रू. है। गत वर्ष में उसने 2007–08 तथा 2008–09 वर्षों के लिए 10,000 रु. नगरपालिका कर के चुकाये। गत वर्ष 2009–10 के नगरपालिका करों का भगतान अभी तक नहीं किया गया।

(ii) श्री अंकित ने एक आवासीय मकान का निर्माण करवाना 1 अप्रैल, 2007 को प्रारम्भ किया जो 1 सितम्बर, 2007 को बनकर पूरा हुआ। 1 दिसम्बर, 2007 से इसे 6,000 रू. प्रतिमाह के किराये पर किराये से उठा दिया गया जिसमें 800 रु. प्रतिमाह बिजली, पानी एवं बगीचे की सुविधा के लिए सम्मिलित था। नगरपालिका कर नगरपालिका मूल्यांकन के 5% लगाये जाते हैं जो गत वर्ष में 3,000 रु. थे। आधे नगरपालिका करों का भुगतान किरायेदार द्वारा किया गया जबकि शेष कर गत वर्ष के अन्त तक बकाया ही रहे। परन्तु श्री अंकित ने गत वर्ष 2008–09 के बकाया 1,000 रु. की नगरपालिका करों की राशि का भुगतान गत वर्ष में कर दिया। किरायेदार ने 31 दिसम्बर, 2009 को मकान खाली कर दिया तथा यह 31 मार्च, 2010 तक खाली ही रहा। किरायेदार से अक्टूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर तीन माह का किराया भी वसूल नहीं हो सका। मकान का उचित किराया 5,800 रु. प्रतिमाह है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

Compute the annual value in the following cases for the assessment year 2010-11.

(i) Shri Sohan started construction of a residential house on 1st July, 2004 which was completed on 31st January, 2007. It was let out from 1st April, 2007 at a rent of Rs. 5,000 per month. On 31st August, 2009 the tenant vacated the house and it remained vacant for three months. From 1st Dec., 2009 it was again let out at a rent of Rs. 7,000 per month. The municipal valuation, annual fair rent and the standard rent of the house were Rs. 70,000, Rs. 82,000 and Rs. 76,000 respectively. During the previous year he paid Rs. 10,000 for municipal taxes for the years 2007-08 and 2008-09. The municipal taxes of 2009-10 were still unpaid.

(ii) Shri Ankit started construction of a residential house on 1st April, 2007 which was completed on 1st Sept., 2007. From 1st Dec., 2007 it was let out at a rent of Rs. 6,000 per month including Rs.800 for light, water and garden facilities. Municipal taxes are levied @ 5% of the municipal valuation which during the previous year amounted to Rs. 3,000. Half of the municipal taxes were paid by the tenant while the remaining amount of the municipal taxes were unpaid at the end of the previous year. However, Shri Ankit paid Rs. 1000 as municipal taxes during the previous year which were outstanding for the previous year 2008-09. The tenant vacant the house on 31st December, 2009 and it remained vacant till 31st March, 2010. The rent for 3 months i.e. Oct., Nov. and Dec. 2009 also could not be realised from the tenant. The fair rent of the house is Rs. 5800 per month.

हल (Solution) (i) :

Computation of Annual Value of House Properties of Shri Sohan for the Assessment Year 2010-11

		Rs.
(a) Calculation of Expected Rent [U/s 23 (1) (a)] Municipal value or Fair Rent whichever is higher but subject to Standard Rent.		76,000
(b) Annual rent if the property was let-out throughout the year	Rs.	
April 2009 to August 2009 (Rs. 5000 x 5)	= 25,000	
Sept. to Nov. (Rs. 7000 x 3)	= 21,000	
Dec. 2009 to March 2010 (Rs. 7000 x 4)	= 28,000	74,000
(c) Higher of (a) or (b) above		76,000
Less : Rent of vacancy period		21,000
Gross Annual Value		55,000
Less : Municipal Taxes paid by assessee during the year		10,000
Annual Value		**45,000**

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

टिप्पणी :– यदि मकान वर्ष के दौरान पूर्ण अवधि के लिए किराये पर दिया हुआ होता तो वार्षिक किराया ज्ञात करने के लिए खाली रहने की अवधि का किराया निम्न तीन प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है:

(अ) नये किराया मूल्य के आधार पर = 7000 x 3 = Rs. 21000

या (ब) पुराने किराया मूल्य के आधार पर = 5000 x 3 = Rs. 15000

या (स) आनुपातिक किराया मूल्य के आधार पर = (53000 x 3 = Rs. 17667
9

उपर्युक्त तीनों विधियों से सकल वार्षिक मूल्य एक समान होगा।

(ii) Computation of Annual Value of House Property of Shri Ankit for the Assessment Year 2010-11

		Rs.
(a) Calculation of Expected Rent : Municipal value or Fair Rent whichever is higher :		
Municipal Value (Rs. 3000 x 100) / 5	= 60,000	
Fair Rent (Rs. 5800 x 12)	= 69,600	69,600
(b) Annual rent if the property was let-out throughout the year (excluding unrealised rent)	Rs.	
Rent (6000-800) x 12	= 62,400	
Less : Unrealised Rent (5200 x 3)	= 15,600	46,800
(c) Higher of (a) or (b) above		69,600
Less : Rent of vacancy period (5200 x3)		15,600
Gross Annual Value		54,000
Less : Municipal Taxes paid by assessee during the year		1,000
Annual Value		53,000

टिप्पणी : प्राप्त किराये 6,000 रु. प्रतिमाह में से बिजली, पानी एवं बगीचे की सुविधा का किराया 800 रु. प्रतिमाह घटाकर वास्तव में प्राप्य किराया ज्ञात किया गया है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

स्वयं के निवास हेतु प्रयुक्त मकान सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य का निर्धारण
(Determination of Annual Value of Self Occupied House Property)

(अ) सम्पूर्ण वर्ष में स्वयं के रहने के लिए प्रयुक्त मकान सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य निर्धारणः करदाता यदि किसी एक मकान या उसके किसी भाग को सम्पूर्ण गत वर्ष में स्वयं के रहने के लिए काम में लेता है तो ऐसी मकान सम्पत्ति या उसके भाग का वार्षिक मूल्य 'शून्य' माना जावेगा। यदि करदाता कुछ अवधि के लिए गत वर्ष में इस मकान में रहता हो तथा खाली रहने की अवधि में इस मकान से कोई लाभ प्राप्त न करता हो तो भी इस मकान का वार्षिक मूल्य शून्य माना जावेगा। **[धारा 23 (2) (a)]**

यदि करदाता ने अपने किसी मकान को किसी मित्र या रिश्तेदार को निःशुल्क रहने के लिए दिया है तो ऐसे मकान को स्वयं के रहने का नहीं माना जावेगा बल्कि किराये पर उठाया हुआ माना जावेगा। परन्तु यदि मकान धारा 2 (41) में वर्णित सम्बन्धी (रिश्तेदार) को रहने के लिए दिया जाता है तो ऐसे मकान को स्वयं के रहने का मानकर वार्षिक मूल्य ज्ञात किया जा सकता है।

यदि करदाता एक से अधिक मकानों का स्वामी है तथा उनका उपयोग उसके स्वयं के रहने के लिए होता हो तो एक मकान का वार्षिक मूल्य शून्य माना जाता है तथा अन्य मकानों को किराये पर उठाया हुआ मानकर उन मकानों का वार्षिक मूल्य ज्ञात किया जाता है। करदाता को विकल्प रहता है कि वह किसी भी एक मकान का वार्षिक मूल्य शून्य मान ले। करदाता के हित में उस मकान के वार्षिक मूल्य को शून्य मानना चाहिए जिससे उसकी कुल आय (कर योग्य आय) न्यूनतम हो। **[धारा 23 (4)]**

(ब) स्वयं के रहने का ऐसा मकान जिसमें करदाता गत वर्ष में वास्तव में नहीं रहा होः यदि मकान के स्वामी के पास स्वयं के रहने का केवल एक ही मकान हो और नौकरी अथवा व्यापार या पेशा किसी अन्य जगह पर होने के कारण गत वर्ष में उस मकान का कोई भी उपयोग न हो पाया हो तो ऐसे मकान का वार्षिक मूल्य शून्य माना जायेगा। इसके लिए आवश्यक है कि करदाता अन्य जगह पर जिस मकान में रह रहा है वह उसका स्वयं का नहीं हो तथा खाली रहे मकान से गत वर्ष में अन्य कोई लाभ प्राप्त नहीं हुए हों अर्थात् वह मकान गत वर्ष में एक दिन के लिए भी किराये पर न उठाया गया हो।

[धारा 23 (2) (b)]

(स) स्वयं के रहने का ऐसा मकान जो गत वर्ष में कुछ अवधि के लिए किराये पर उठाया गया होः यदि करदाता के स्वयं के रहने के मकान को या उसके भाग को गत वर्ष में सम्पूर्ण वर्ष के लिए या कुछ समय के लिए किराये पर उठा दिया गया हो या ऐसे मकान से अन्य कोई लाभ उठाया गया हो तो धारा 23 (2) के अन्तर्गत ऐसे मकान का वार्षिक मूल्य 'शून्य' नहीं माना जा सकता है। ऐसे मकान का वार्षिक मूल्य धारा 23(1) के अन्तर्गत किराये पर उठाये गये मकान के वार्षिक मूल्य की तरह निर्धारित किया जावेगा। **[धारा 23 (3)]**

(द) ऐसी मकान सम्पत्ति जिसका कुछ भाग स्वयं के रहने के लिए काम आता हो तथा कुछ भाग किराये पर उठा दिया गया होः यदि किसी मकान का एक भाग उसके स्वामी द्वारा पूरे गत वर्ष में स्वयं के रहने के लिए काम में लिया गया हो तथा शेष भाग पूरे गत वर्ष में किराये पर उठाया हुआ हो तो स्वयं के रहने वाले भाग का वार्षिक मूल्य शून्य माना जाता है तथा किराये पर उठाये हुए भाग का वार्षिक मूल्य अलग से ज्ञात किया जाता है। इस स्थिति में एक ही मकान की दो स्वतन्त्र इकाइयां मानकर वार्षिक मूल्य निर्धारित किया जाता है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University) Ladnun

> 'स्वयं के रहने' के मकान का वार्षिक मूल्य केवल व्यष्टि तथा हिन्दू अविभाजित परिवार के लिए ही शून्य माना जाता है, अन्य करदाताओं के लिए नहीं।

उदाहरण (Illustration) 5.4 :

श्री रमन के अपने चार मकान है। पहले मकान में उसक एक मित्र रहता है। दूसरे मकान में उसके पिताजी रहते हैं। तीसरे मकान में वह स्वयं रहता है तथा चौथे मकान में उसका एक रिश्तेदार बिना किराये पर रहता है। निम्न विवरण से आप प्रत्येक मकान का वार्षिक मूल्य ज्ञात कीजिए:

विवरण	I	II	III	IV
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
नगरपालिका मूल्य	50000	35000	40000	60000
उचित किराया	60000	55000	50000	70000
प्रमाप किराया	55000	60000	60000	65000
चालू गत वर्ष का नगरपालिका कर चुकाया	5000	4000	--	3000
नगरपालिका कर बकाया	--	--	3500	3000
गत वर्ष में पिछले वर्ष का नगरपालिका कर चुकाया	--	4000	2000	1000

Shri Raman has four houses of his own. First house is being used by his friend, second house is used by his father while third house is being occupied by him for self residence and fourth house is occupied by his relative free of rent. From the following details, find out annual value of each house:

Particular	**I**	**II**	**III**	**IV**
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Municipal Value	50000	35000	40000	60000
Fair Rent	60000	55000	50000	70000
Standard Rent	55000	60000	60000	65000
Municipal Taxes-paid for the previous year	5000	4000	--	3000
Outstanding Municipal Taxes	--	--	3500	3000
Municipal Taxes for last year paid during the year	--	4000	2000	1000

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

हल (Solution)

1. प्रथम एवं चतुर्थ मकान को किराये पर उठाया हुआ मानकर वार्षिक मूल्य ज्ञात किया जावेगा।
2. द्वितीय एवं चतुर्थ मकान में करदाता के हित में जो भी रहेगा उसे ही स्वयं के रहने का मानकर उसका वार्षिक मूल्य शून्य माना जावेगा।
3. तृतीय मकान का वार्षिक मूल्य द्वितीय मकान के वार्षिक मूल्य से अधिक है, इसलिए तृतीय मकान का वार्षिक मूल्य शून्य माना जायेगा। यहां यह माना गया है कि दोनों मकानों के सम्बन्ध में स्वीकार्य कटौतियां समान हैं। यदि दोनों मकानों के सम्बन्ध में कटौतियां भिन्न हों तो जिस मकान की कर–योग्य आय अधिक होगी उस मकान को स्वयं के रहने का मकान माना जावेगा, अन्य को किराये पर उठाया हुआ।

Computation of Annual Value of House Properties for the Assessment Year 2010-11

Particular	Let-out		Option I		Option II	
	I House Rs.	IV House	II House let-out	III House self-occupied	II House self-occupied	III House let-out
Calculation of Expected Rent [U/s 23 (1) (a)]						
1. Municipal Value or Fair Rent whichever is higher	60000	70000	55000	N.A.	N.A.	50000
2. Standard Rent	55000	65000	60000	N.A.	N.A.	60000
3. Gross Annual Value (Lower of (1) or (2) above)	55000	65000	55000	--	--	50000
Less : Municipal Taxes paid by the Assessee	5000	4000	8000	--	--	20000
Annual Value	**50000**	**61000**	**47000**	**--**	**--**	**48000**

प्रथम विकल्प से करदाता की कर–योग्य आय कम होती है इसलिए तृतीय मकान को स्वयं के रहने का मकान माना जावेगा।

अतः वार्षिक मूल्य निम्न प्रकार होगा :		रुपये
प्रथम मकान	=	50,000
द्वितीय मकान	=	47,000
तृतीय मकान	=	NIL
चतुर्थ मकान	=	61,000
विभिन्न सम्पत्तियों का वार्षिक मूल्य	=	1,58,000

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

गत वर्ष में कुछ अवधि के लिए स्वामी के निवास हेतु काम में आये मकान का वार्षिक मूल्य निर्धारण

(Determination of Annual Value of a House Property Self Occupied only for a part of time during the Previous Year)

यदि करदाता का कोई मकान गत वर्ष में कुछ अवधि के लिए स्वयं के रहने के लिए काम में आता हो तथा शेष अवधि के लिए किराये पर उठाया हुआ हो तो ऐसे मकान का वार्षिक मूल्य में से स्वयं के रहने की अवधि का आनुपातिक वार्षिक मूल्य घटाया नहीं जाता है।

उदाहरण (Illustration) 5.5 :

श्री महेश अपने एक मकान में गत वर्ष के प्रथम दो माह में स्वयं रहा तथा शेष दस माह के लिए उसे 4000 रूपये प्रतिमाह किराये पर उठा दिया। मकान का नगरपालिका मूल्य 45000 रूपये हैं तथा गत वर्ष में उसने 3000 रूपये नगरपालिका कर के चुकाये।

कर निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए मकान का वार्षिक मूल्य ज्ञात कीजिए।

Shri Mahesh occupied his house for first two months during the previous year and let-out it for remaining ten months @ Rs.4000 p.m. Municipal value of the house is Rs.45000 and Municipal Tax paid by him during the previous year is Rs.3000.

Compute the annual value of the house for the Assessment Year 2010-11.

हल (Solution)

Computation of Annual Value for the Assessment Year 2010-11)

I Calculation of Exptected Rent	**Rs**	**Rs.**
Municipal value or Fair Rent, whichever is higher		
Subject to maximum of standard rent U/S 23 (1)(a)		45000
II : Actual rent received/receivable (U/S 23 (1) (b)	(4000x10)	40000
Gross Annual Value [higher of (I) or (II)]		45000
Less : Municipal Tax paid by the assessee		3000
Annual value		**42000**

टिप्पणी : मकान किरायेदार के अभाव में खाली नहीं रहा था वरन् स्वयं के रहने के लिए दो माह उपयोग में आया था। अतः ऐसे मकान के सम्बन्ध मं धारा 23 (1) (c) के अन्तर्गत गणना नहीं की जावेगी।

उदाहरण (Illustration) 5.6 :

पिछले उदाहरण 5.5 में यह माना जावे कि मकान में श्री महेश स्वयं रहते हैं परन्तु 1 जनवरी, 2010 से 1/5 भाग 600 रुपये प्रतिमाह की दर से किराये पर उठा दिया है। उस मकान का वार्षिक मूल्य कितना होगा?

In the previous Illustration 5.5 assume that the house is being used by Shri Mahesh for self residential purpose but let-out 1/5 portion of it @ Rs. 600 per month with effect from January 1, 2010. What would be the annual value of the house?

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

हल (Solution):

ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए करदाता के पास दो विकल्प हैं:

विकल्प I : मकान में दो स्वतन्त्र इकाईयां मानी जावें; अथवा

विकल्प II : सम्पूर्ण मकान को एक इकाई मानी जावें।

उपर्युक्त दोनों विकल्पों मं से जिस विकल्प के आधार पर मकान की कर–योग्य आय न्यूनतम आवे उसी विकल्प को अपनाना चाहिए।

Computation of annual Value of House Property for the Assessment Year 2010-11

	Option I		Option II
	Self-occupied (4/5th Portion	**Let-out Porti on (1/5th Portion**	**One Unit**
(a) Calculation of Expected Rent U/S 23 (1) (a)			
Municipal Value	N.A.	9,000	45,000
(b) Actual Rent Receivable	N.A.	1,800	1,800
(c) Gross Annual Value			
(Higher of (a) or (b) above)	N.A.	9,000	45,000
Less : Municipal Tax paid by the assessee	N.A.	600	3,000
Annual value	**NIL**	**8,400**	**42,000**

प्रथम विकल्प के अनुसार मकान का वार्षिक मूल्य न्यूनतम आता है अतः वार्षिक मूल्य 8400 रू. होगा।

उदाहरण (Illustration) 5.7 :

श्री दीपचन्द का सीकर में एक मकान है जिसका नगरपालिका मूल्यांकन 7200 रु. है। मकान का 1/3 भाग 375 रू. प्रतिमाह किराये पर उठाया गया है, एवं शेष उनके स्वयं के रहने हेतु प्रयुक्त होता है। श्री दीपचन्द वित्तीय वर्ष 2009–10 में 3 माह इस भाग में रहे हैं और शेष 9 माह व्यापार के कार्य के लिए जयपुर में रहे हैं, उन्होंने इस भाग को न तो किराये पर उठाया है और न कोई अन्य लाभ प्राप्त किया है। नगरपालिका कर नगरपालिका मूल्यांकन का 10 प्रतिशत है जिसमें से 450 रुपये चुका दिये गये हैं। मकान का वार्षिक मूल्य ज्ञात कीजिए।

Mr. Deepchand owns a houe at Sikar whose municipal valuation is Rs. 7200. One-third of this house has been let-out at a rent of Rs.375 per month and the eremaining portion is occupied by him for his own residence. Mr. Deepchand stayed in this portion for 3 months during the financial year 2009-10 and he was at Jaipur during the remaining period of 9 months in connection with his business. He neither let out this poriton nor he derived any other benefit therefrom. Municipal tax is 10% of the municipal valuation out of which Rs. 450 have been paid. Find out the annual value of the house.

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

हल (Solution):

Computation of Annual Value of the House Property of Mr. Deepchand for the Assessment Year 2010-11

	Rs.	Rs.
(i) Let out portion (1/3rd)		
Stage I : Municipal Value (7200 x1/3)	2,400	
Stage II: Actual Rent Receivable (375x12)	4,500	
Gross Annual Value	4,500	
(Higher of (I) or (II) above)		
Less : Municipal taxes paid	150	
Annual Value	4,350	4,350
(ii) Self occupied poriton (2/3 rd)		
Annual value [u/s 23 (2) (a) (1)]		NIL
Annual value of the House		4,350

टिप्पणी:

1. प्राप्त किराया नगरपालिका मूल्यांकन से अधिक है। अतः प्राप्त किराये के आधार पर ही वार्षिक मूल्य की गणना की गई है।
2. नगरपालिका करों की भुगतान की गई राशि की ही कटौती दी जाती है।
3. करदाता के स्वयं के रहने के भाग का वार्षिक मूल्य शून्य माना जाता है।

सह–स्वामित्व वाले मकान का वार्षिक मूल्य (धारा 26)
(Annual Value of House Property under Co-ownership)

यदि किसी मकान के एक से अधिक व्यक्ति मालिक हों तथा उस मकान में प्रत्येक मालिक का हिस्सा निश्चित् व स्पष्ट हो तो प्रत्येक के हिस्से का वार्षिक मूल्य अलग–अलग निर्धारित किया जायेगा। इसके लिए यह माना जायेगा कि प्रत्येक करदाता का मकान अलग–अलग है। अतः प्रत्येक करदाता को वार्षिक मूल्य में से धारा 24 के अन्तर्गत दी जाने वाली कटौतियां भी अलग–अलग ही दी जायेंगी।

विदेश में स्थित मकान सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य
(Annual Value of House Property Situated in Foreign Country)

यदि किसी निवासी करदाता की कोई मकान सम्पत्ति विदेश में स्थित हो तो उस मकान सम्पत्ति की आय भी इसी शीर्षक के अन्तर्गत शामिल की जायेगी। उस मकान सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य भी उपर्युक्त नियमों के अनुसार ही ज्ञात किया जायेगा। सकल वार्षिक मूल्य में से उस देश के स्थानीय करों की राशि को घटाकर वार्षिक मूल्य ज्ञात किया जायेगा।

कटौतियां (Deductions)

मकान सम्पत्ति से कर–योग्य आय ज्ञात करने के लिए उसके वार्षिक मूल्य में से धारा 24 में वर्णित कटौतियों को घटाया जाता है। इस धारा में वर्णित कटौतियों के अलावा अन्य कोई कटौती स्वीकृत नहीं

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

की जाती है। धारा 24 में वर्णित कटौतियां निम्नांकित हैं:

(1) प्रमाणित कटौती (Standard Deduction) **[धारा 24 (a)]**

(2) मकान सम्पत्ति के लिए लिये गये ऋण पर देय ब्याज की कटौती (Interest on Loan) **[धारा 24 (b)]**

(1) प्रमाणित कटौती (Standard Deduction) [धारा 24 (a)]

यह वैधानिक कटौती होती है जो प्रत्येक मकान सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य का 30 प्रतिशत आवश्यक रूप से स्वीकृत की जाती है, परन्तु यदि किसी मकान का वार्षिक मूल्य शून्य हो अथवा ऋणात्मक हो तो यह कटौती नहीं दी जाती है।

(2) मकान हेतु लिए गये ऋण पर ब्याज (Interest on loan taken for the house):

यदि किसी मकान सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य कर योग्य होता है तो उस सम्पत्ति को क्रय करने, बनवाने, वृद्धि या मरम्मत करवाने के लिए लिय गये ऋण पर गत वर्ष में देय ब्याज की राशि उसके वार्षिक मूल्य में से कटौती योग्य होती है। यदि इन उद्देश्यों हेतु लिए गये ऋण को चुकाने के लिए कोई नया ऋण लिया जाता है तो इस नये ऋण पर गत वर्ष में देय ब्याज भी कटौती योग्य होता है। ऋण लेने के लिए देय कमीशन या दलाली की कटौती स्वीकृत नहीं होती है। यदि किसी मकान सम्पत्ति की आय गत वर्ष में कर मुक्त होती है तो ऐसी सम्पत्ति हेतु लिये गये ऋण पर गत वर्ष में देय ब्याज की कटौती भी स्वीकृत नहीं होती है।ऋण पर साधारण ब्याज की दर से ज्ञात ब्याज की राशि की ही कटौती स्वीकार्य है, चक्रवृद्धि दर से ज्ञात ब्याज की राशि नहीं।

यदि मकान खरीदने अथवा बनकर तैयार होने वाले गत वर्ष से पूर्व की अवधि का ब्याज चुकाया गया है अथवा देय हो गया है तथा आयकर अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के अन्तर्गत कटौती नहीं दी गयी है तो ब्याज की सम्पूर्ण राशि की पांच समान वार्षिक किश्तों में कटौती स्वीकृत की जाती है। पहली किश्त की कटौती मकान खरीदने अथवा बनकर तैयार होने वाले गत वर्ष में दी जायेगी। उदारण के लिए मकान बनवाने के लिए 1 जनवरी 2006 से 100000 रूपये का ऋण 12% वार्षिक ब्याज की दर पर लिया गया। मकान 1 जून, 2009 को बनकर तैया हुआ। ऋण की राशि का अभी तक पुनर्भुगतान नहीं किया गया है। चालू गत वर्ष 2009–10 में वार्षिक मूल्य में से ब्याज के लिए स्वीकृत कटौती की राशि निम्न होगी–

		रुपये
1. अप्रैल, 2009 से पूर्व की अविध के ब्याज का 1/5 भाग =39000/5	=	7,800
(1 जनवरी 2006 से 31 मार्च 2009 तक की अवधि अर्थात 39 माह के लिए)		
+ गत वर्ष 2009–10 का देय ब्याज		12,000
गत वर्ष 2009–10 से सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष 2010–11 में ब्याज की स्वीकृत कटौती की राशि		19,800

ब्याज की कटौती की अधिकतम सीमा

(i) किराये पर उठाये गये मकान हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की कटौती की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है जबकि स्वयं के रहने के लिए काम में आने वाले ऐसे मकान जिसका वार्षिक मूल्य शून्य माना गया है, के वास्ते लिये गये ऋण पर देय ब्याज की अधिकतम सीमा 30,000 रुपये या 1,50,000 रूपये निम्न प्रकार निर्धारित की गई है:

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(अ) यदि ऋण 1 अप्रैल, 1999 से पूर्व लिया गया हो तो ब्याज की अधिकतम कटौती योग्य राशि 30,000 रु. ही होगी।

(ब) यदि 31 मार्च, 1999 के पश्चात् मकान क्रय करने अथवा मकान बनवाने हेतु ऋण लिया गया हो तो ऐसे ऋण पर ब्याज की अधिकतम कटौती योग्य राशि 1,50,000 रुपये तक हो सकती है यदि :

(i) ऐसा ब्याज मकान सम्पत्ति को बनवाने अथवा क्रय करने के लिए उधार ली गई रकम के सम्बन्ध में देय हो तथा

(ii) मकान का निर्माण अथवा प्राप्ति जिस वित्तीय वर्ष में ऋण लिया जाये उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 3 वर्ष के भीतर पूर्ण हो गया हो।

(स) यदि ऋण 31 मार्च,1999 के पश्चात् मकान की मरम्मत या नवीनीकरण या पुनर्निर्माण के लिये लिया गया हो तो ऐसे ऋण पर देय ब्याज की अधिकतम कटौती योग्य राशि 30,000 रुपये ही होगी।

स्वयं के रहने के मकान की कर योग्य आय ब्याज की स्वीकार्य कटौती के कारण उपर्युक्त अधिकतम सीमा (30,000 रूपये या 1,50,000 रूपये) तक ऋणात्मक हो सकती है।

(ii) यदि किसी करदाता के पास स्वयं के रहने का एक ही मकान हो तथा नौकरी अथवा व्यापार या पेशा किसी अन्य जगह होने के कारण गत वर्ष में उस मकान का कोई उपयोग न हो पाया हो तो ऐसे मकान का वार्षिक मूल्य धारा 23 (2) (b) के अन्तर्गत शून्य माना जावेगा तथा ऐसे मकान के सम्बन्ध में ब्याज की कटौती उपर्युक्त सीमा तक स्वीकृत की जावेगी। इसके अलावा अन्य कोई कटौती स्वीकृत नहीं की जावेगी।

ब्याज की कटौती की अधिकतम सीमा स्वयं के रहने के केवल एक मकान के सम्बन्ध में ही लागू होती है जिसका वार्षिक मूल्य धारा 23 (2) के अन्तर्गत शून्य माना गया है। अन्य मकानों के सम्बन्ध में देय ब्याज पर कटौती की अधिकतम सीमा लागू नहीं होती है।

नोट : ब्याज की कटौती ब्याज की वास्तविक राशि (Actual amount of interest) या अधिकतम सीमा (30000 रूपये या 150000रूपये जैसी भी स्थिति हो) दोनों में जो भी कम हो, की स्वीकृत की जाती है।

भारत के बाहर ब्याज का भुगतान कुछ परिस्थितियों में अस्वीकृत होना (धारा 25)

ब्याज का भुगतान यदि भारत के बाहर किसी व्यक्ति को किया जाना हो तो कुछ परिस्थितियों में ऐसी राशियों का भुगतान करते समय उद्गम स्थान पर कर की कटौती करना आवश्यक होता है। यदि उद्गम स्थान पर कर की कटौती न की गई हो तथा भुगतान पाने वाले व्यक्ति का भारत में कोई प्रतिनिधि भी न हो, तो इस प्रकार से चुकाई गई राशि की कटौती अस्वीकृत होती है।

वार्षिक मूल्य का ऋणात्मक होना
(Annual Value to be Negative)

स्वयं के रहने के एक मकान का वार्षिक मूल्य शून्य माना जाता है परन्तु किराये पर उठाये गये मकान का पहले सकल वार्षिक मूल्य ज्ञात किया जाता है और सकल वार्षिक मूल्य में से करदाता द्वारा गत वर्ष में चुकाये गये स्थानीय करों/नगरपालिका करों को घटाकर वार्षिक मूल्य ज्ञात किया जाता है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

निम्नांकित परिस्थितियों में किसी मकान सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य ऋणात्मक हो सकता है :

(अ) ऐसा मकान जो किरायेदार न मिलने के कारण सम्पूर्ण वर्ष में खाली रहा हो तथा जिसका अन्य कोई उपयोग न किया गया हो, का सकल वार्षिक मूल्य धारा 23 (1) (c) के अन्तर्गत शून्य माना जायेगा। इस मकान के सम्बन्ध में करदाता द्वारा गत वर्ष में चुकाये गये नगरपालिका करों को घटाने पर वार्षिक मूल्य ऋणात्मक आवेगा।

(ब) ऐसा मकान जिसके सम्बन्ध में करदाता द्वारा गत वर्ष में चुकाये गये नगरपालिका कर उसके सकल वार्षिक मूल्य से अधिक हो, का वार्षिक मूल्य ऋणात्मक होगा।

ऋणात्मक वार्षिक मूल्य में से प्रमाप कटौती की छूट नहीं दी जाती है परन्तु ऋण पर ब्याज की छूट दी जावेगी अर्थात् जितनी राशि का ऋण पर ब्याज होता है उतनी राशि की ऋणात्मक आय बढ़ जाती है।

ऋणात्मक आय का समायोजन (Adjustment of Negative Income) :

एक मकान की ऋणात्मक आय (हानि) का समायोजन किसी दूसरे मकान की कर–योग्य आय से किया जा सकता है। ऐसा समायोजन करने के पश्चात् भी यदि मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक में हानि हो तो उस हानि की पूर्ति अन्य शीर्षक की आय से नियमानुसार की जा सकती है।

उदाहरण (Illustration) 5.8 :

श्री प्रमोद एक मकान के स्वामी हैं जिसका निर्माण कार्य 1 जनवरी, 2006 को प्रारम्भ हुआ एवं 30 जून, 2007 को समाप्त हुआ। श्री प्रमोद ने मकान के निर्माण हेतु 1 जनवरी, 2006 को 3,00,000 रुपये का 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर से ऋण प्राप्त किया तथा 2,00,000 रुपये का ऋण इसी ब्याज दर से 1 अप्रैल, 2007 को लिया। इस मकन का नगरपालिका मूल्य 1,02,000 रुपये हैं और नगरपालिका कर इसका 6.25 प्रतिशत है जो चुका दिया गया है। इसे 1 जुलाई, 2007 से 9,000 रुपये प्रतिमाह के किराये पर किराये से उठाया गया है। 31 जुलाई, 2009 को किरायेदार ने मकान खाली कर दिया तथा यह दो महीने तक खाली ही रहा। 1 अक्टूबर, 2009 से इसे पुनः 10,000 रुपये प्रतिमाह के किराये पर उठा दिया गया। इस मकान के गत वर्ष के सम्बन्ध में श्री प्रमोद द्वारा किये गये अन्य व्यय निम्नलिखित हैं–

	रुपये		रुपये
मरम्मत	5,000	भूमि का किराया	2,000
अग्नि बीमा प्रीमियम	10,000	ऋण पर ब्याज (जिसमें बकाया ब्याज पर ब्याज के 6000 रूपये भी शामिल हैं)	66,000
किराया वसूली व्यय	2,400		
सौतेली मां को निर्वाह भत्ता चुकाया जो न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति पर प्रभार है	6,000	राज्य सरकार को चुकाया गया भूमि एवं भवन कर	400

निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए श्री प्रमोद की मकान सम्पत्ति से कर योग्य आय की गणना कीजिए।

Shri Pramod is a owner of a house, the construction of which was started on January 1, 2006 and completed on 30th June, 2007 Shri Pramod borrowed Rs. 3,00,000 on 1 January, 2006 and Rs. 2,00,000 on 1 April, 2007 at 12% p.a. interest to construct the house. The Municipal value of the house is Rs. 102000 and the municipal tax @ 6.25% thereof has been paid. It was let out from Ist July, 2007 at a rent of Rs. 9,000 per month. On 31st July, 2009 the tenant vacated the house and it

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

remained vacant for two months. From 1st October, 2009 it was again let out at a rent of Rs. 10,000 per month. The other expenses in respect of this house for the previous year paid by Shri Pramod were as follows:

	Rs.		Rs.
Repairs	5,000	Ground Rent	2,000
Fire Insurance Premium	10,000	Interest on loan (including Rs. 6,000 as interest on outstanding interest)	66,000
Rent Collection charges	2,400		
Maintenance allowance paid to his step mother, which is a charge on the property according to the court decision	6000	Land and Building Tax paid to the State Govt.	400

Compute the taxable income from house property of Shri Pramod for the Assessment Year 2010-11

हल (Solution) :

Computation of Taxable Income from House Property for the Assessment Year 2010-11

	Rs.	Rs.
(a) Calculation of Expected Annual Rent :		
Municipal value or Fair Rent whichever is higher		102000
(b) Annual rent if the house property was let out throughout the		
year (excluding unrealised rent) April to July 2009 = Rs. 9000 x 4	36000	
August to September = Rs. 10000 x 2	20000	
Oct. 2009 to March 2010 = Rs. 10000 x 6	60000	116000
(c) Higher of (a) or (b)		116000
Less : Rent of vacancy period		20000
Gross Annual Value		96000
Less : Municipal Taxes paid by the owner		6375
Annual Value		89625
Less : Deductions:		
(i) Standard deduction (30% of Annual Value)	26888	
(ii) Interest on loan	69000	95888
Taxable Income from House Property		**(-) 6263**

टिप्पणी :

ब्याज की छूट भुगतान के आधार पर नहीं दी जाती है, केवल देय आधार पर इसकी छूट दी जाती है।

ब्याज की स्वीकृत कटौती की राशि की गणना निम्न प्रकार की गई है–	रुपये
1 अप्रैल, 2007 से पूर्व के ब्याज की पांच किश्तों में	
(,300,000 x 12 / 100 x 15 / 12) / 5	9,000
चालू गत वर्ष 2009–10 का देय ब्याज	
(5,00,000 x 12%)	60,000
स्वीकृत कटौती की राशि	69,000

बकाया ब्याज पर देय ब्याज की कटौती नहीं दी जाती है इसलिए 6000 रू. की कटौती नहीं दी गई है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

उदाहरण (Illustration) 5.9 :

श्री राम का जयपुर में एक मकान है, जिसका नगरपालिका मूल्यांकन 2,96,000 रूपये है। वित्तीय वर्ष 2009–10 में इस मकान के सम्बन्ध में निम्नांकित व्यय हुए–

(1) नगरपालिका कर का भुगतान किया 29,600 रुपये

(2) मरम्मत व्यय 18,000 रुपये

(3) अग्नि बीमा प्रीमियम 2,000 रुपये

(4) भवन निर्माण हेतु 1.5.2007 को लिये गये ऋण पर गत वर्ष में देय ब्याज 1,80,000 रुपये।

निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए निम्नलिखित स्थितियों में इस मकान की कर–योग्य आय ज्ञात कीजिए–

(अ) यदि गत वर्ष 2009–10 में श्री राम इस मकान में स्वयं रहे हों तथा इस मकान से अन्य किसी प्रकार का लाभ न उठाया हो।

(ब) यदि गतवर्ष 2009–10 में 4 माह के लिए इस मकान को 28,800 रुपये प्रतिमाह के किराये पर उठाया गया हो तथा शेष अवधि के लिए इस मकान का उपयोग श्री राम ने स्वयं के निवास के लिए किया हो।

(स) यदि गत वर्ष 2009–10 में इस मकान का एक–तिहाई भाग 12,000 रुपये प्रतिमाह के किराये पर उठा हुआ रहा हो तथा शेष दो –तिहाई भाग का उपयोग श्री राम द्वारा स्वयं के निवास के लिए किया गया हो।

(द) यदि गत वर्ष 2009–10 में श्री राम ने इस मकान का उपयोग अपने स्वयं के व्यवसाय के लिए किया हो।

Shri Ram owns a house at Jaipur, whose municipal valuation is Rs. 2,96,000. During financial year 2009-10 following expenses were incurred in respect of this house-

(1) Municipal tax paid Rs. 29,600

(2) Repair expenses Rs. 18,000

(3) Fire Insurance Premium Rs. 2,000

(4) Annual interest payable on loan taken on 1.5.2007 for construction of the house Rs. 1,80,000

Compute the taxable income of the house in following situations for the assessment year 2010-11.

(a) If Shri Ram used the house for his own residence and no other benefit is derived from the house during the previous year 2009-10.

(b) If the house has been let-out by Shri Ram @Rs. 28,800 per month for 4 months during the previous year 2009-10 and for the remaining period, it has been used for his own residence.

(c) If one-third part of the house has been let-out by Shri Ram @ Rs. 12,000 per month during the previous year 2009-10 and the remaining two third part has been used for his own residence.

(d) If Shri Ram has used the house for his own business during the previous year 2009-10.

हल (Solution) :

(अ) यदि गत वर्ष में मकान करदाता के स्वयं के रहने के काम आया हो:	रुपये
वार्षिक मूल्य (Annual Value) धारा 23 (2) (A)	शून्य
घटाओ : ब्याज (अधिकतम राशि)	1,50,000
मकान सम्पत्ति से कर–योग्य आय (हानि)	(–) 1,50,000

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(ब) यदि मकान चार माह के लिए किराये पर उठाया हुआ होः

		रुपये
सकल वार्षिक मूल्य (नगरपालिका मूल्य के आधार पर)		2,96,000
घटाओः चुकाये गये नगरपालिका कर		29,600
वार्षिक मूल्य		2,66,400
घटाओ : (1) प्रमाप कटौती	79,920	
(2) ऋण पर ब्याज	1,80,000	2,59,920
मकान सम्पत्ति से कर योग्य आय		**6,480**

टिप्पणी : मकान का वास्तविक प्राप्त किराया 1,15,200 रुपये है जो प्रथम चरण की राशि से कम है इसलिए द्वितीय चरण [धारा 23 (1)(b)] के प्रावधान लागू नहीं होंगे। मकान खाली नहीं रहा है इसलिए तृतीय चरण धारा [23 (1)(c)] के प्रावधान भी लागू नहीं होंगे।

(स) यदि मकान का एक तिहाई भाग सम्पूर्ण गत वर्ष में किराये पर उठाया हुआ हो तथा दो–तिहाई भाग स्वयं के रहने के काम आता होः

		रुपये	रुपये
(1) किराये पर उठाये गये भाग की आय का निर्धारण :			
(i) प्रथम चरण : नगरपालिका मूल्य (1/3 भाग का)		98,667	
(ii) द्वितीय चरण : वास्तविक किराया मूल्य (1/3 भाग का)		1,44,000	
सकल वार्षिक मूल्य (उपर्युक्त (i) व (ii) में जो भी अधिक हो)			1,44,000
घटाओः नगरपालिका कर			9,867
वार्षिक मूल्य (Annual Value)			1,34,133
घटाओ : कटौतियां :			
प्रमाप कटौती		40,240	
ब्याज (180000 x 1/3)		60,000	1,00,240
कर योग्य आय			**33,893**
(2) स्वयं के रहने के भाग की आय का निर्धारण :			रुपये
वार्षिक मूल्य			शून्य
घटाओ : ब्याज (180000 x 2/3) = 1,20,000 रुपये या अधिकतम 1,50,000 रुपये, जो भी कम हो)			1,20,000
कर योग्य आय		(–)	1,20,000
मकान सम्पत्ति से कर योग्य आय (हानि) (33,893–1,20,000)		(–)	86,107

(द) यदि गत वर्ष में मकान करदाता के स्वयं के व्यवसाय के लिए उपयोग में आता हो तो ऐसे मकान के सम्बन्ध में आय तो किसी भी शीर्षक में कर–योग्य नहीं होती है, परन्तु ऐसे मकान से सम्बन्धित वास्तविक व्ययों की छूट व्यापार अथवा पेशे के लाभ शीर्षक में दे दी जाती है।

उदाहरण (Illustration) 5.10 :

श्री माथुर दो मकानों के स्वामी हैं। उनमें से पहला मकान अपने स्वयं के रहने के लिए उपयोग में लाते हैं तथा दूसरा मकान व्यापारिक कार्य के लिए 12000 रू. प्रतिमाह किराये पर दिया हुआ है। इन मकानों के सम्बन्ध में गत वर्ष 2009–10 में निम्न व्यय हुए हैं–

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

	प्रथम मकान रुपये	द्वितीय मकान रुपये
(i) नगरपालिका कर (नगरपालिका मूल्य का 10 प्रतिशत)	15,000	14,000
(ii) भूमि का लगान	1,600	1,750
(iii) मकानों की मरम्मत के लिए 1.04.08 को लिए ऋण पर ब्याज	31,200	35,600
(iv) मकान को गिरवी रख कर व्यापार हेतु लिय गये ऋण पर ब्याज	––	21,000
(v) अग्नि बीमा प्रीमियम	2,900	3,200
(vi) किराया वसूली व्यय	––	800
(vii) चालू वर्ष का न वसूल हुआ किराया	––	24,000

यह मानते हुए कि द्वितीय मकान 4 माह खाली रहा। कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए 'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक की कर–योग्य आय की गणना कीजिए।

Mr. Mathur owns two houses, first house is occupied by him for his own residential purposes and the second house is let out for business purpose @Rs. 12000 per month. The expenses for these houses during the previous year 2009-10 were as under -

	First House Rs.	Second House Rs.
(i) Municipal Taxes (10% of Municipal valuation)	15,000	14,000
(ii) Land Revenue	1,600	1,750
(iii) Interest on loan taken for repairs of the house on 1.04.08	31,200	35,600
(iv) Interest on loan by mortgage of the house for the business	__	21,000
(v) Fire Insurance premium	2,900	3,200
(vi) Rent collection charges	__	800
(vii) Unrealised rent of current previous year	__	24,000

Assuming that the second house has remained vacant for a period of 4 month, compute his taxable income form house property for the Assessment Year 2010-11.

हल (Solution):

Computation of Taxable Income from House Property of Mr. Mathur for the Assessment Year 2010-11

First House (Self occupied)	**Rs.**	**Rs.**	**Rs.**
Annual value u/s 23(2) (a)		NIL	
Less : Interest on Loan		30,000	
Taxable Income from first house		(-) 30,000	(-) 30,000
Second House (Let-out)			
Stage I : Annual Expected Rent (14000 x 100/10)		1,40,000	
Stage II : Annual Rent if the property was occupied through the year (excluding unrealised rent (Rs. 12,000x12= Rs. 24000)		1,20,000	
Stage III: Higher of (I) or (II) above		1,40,000	
Less : Rent of vacancy period (12000 x 4)		48,000	
Gross Annual Value		92,000	
Less : Municipal Taxes Paid by the owner		14,000	
Annual Value		78,000	
Less : Deductions			
(i) Standard Deduction (30% of Annual value)	23,400		
(ii) Interest on Loan	35,600	59,000	
Taxable Income from second house			19000
Taxable Income from House Property (Loss)			(-)30000

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

टिप्पणी :

1. श्री माथुर ने अपना दूसरा मकान गिरवी रखकर व्यापार हेतु ऋण लिया जिस पर ब्याज की कटौती स्वीकृत नहीं होगी।
2. करदाता के स्वयं के रहने के मकान (प्रथम) का वार्षिक मूल्य शून्य होगा। इसके वार्षिक मूल्य में से केवल मकान की मरम्मत हेतु लिए गये ऋण पर ब्याज की कटौती स्वीकृत होगी। कटौती की अधिकतम सीमा 30000 रूपये है।
3. किराये पर उठाये गये मकान का वार्षिक किराया (12000 x 12) = 144000 रूपये होता यदि मकान खाली नहीं रहता।

अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान (Other important provisons)

(1) न वसूल हुये किराये की वसूली
(Recovery of unrealised rent)

(A) कर–निर्धारण वर्ष 2001–02 तक कटौती के रूप में स्वीकृत किये नये व वसूल हुये किराये की वसूली (Recovery of unrealised rent allowed as deduction upto assessment year 2001-02) (धारा 25**A)** –यदि गत वर्ष 2000–01 में अथवा इसके पूर्व के किसी गत वर्ष में पिछले वर्षों के न वसूल हुये किराये की कटौती स्वीकृत कर दी गई थी, परन्तु ऐसा किराया बाद में किसी गत वर्ष में प्राप्त हो जाता है तो यह राशि प्राप्त होने वाले गत वर्ष में मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक में कर योग्य होगी। इस सम्बन्ध में अन्य प्रावधान निम्न प्रकार हैं–

(i) यह आवश्यक नहीं है कि न वसूल हुये किराये की वसूली के वर्ष में भी यह मकान सम्पत्ति करदाता के स्वामित्व में बनी रहे।

(ii) इस प्रकार वसूल की गई राशि में से धारा 23 व 24 के अन्तर्गत वैधानिक छूट या अन्य छूट के सम्बन्ध में कोई कटौती स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(iii) यदि करदाता ने पिछले वर्षों में न वसूल हुये किराये की कटौती की जितनी राशि की मांग की थी, उतनी राशि की कटौती निर्धारण अधिकारी ने स्वीकृत नहीं की हो, तो अब न वसूल हुये किराये की प्राप्ति पहले उस राशि की मानी जायेगी जो निर्धारण अधिकारी ने कटौती के रूप में स्वीकृत नहीं की थी तथा ऐसी राशि कर –योग्य नहीं होगी। इससे अधिक राशि प्राप्त होती है तो आधिक्य को न वसूल हुए किराये के रूप में कर योग्य किया जायेगा।

दृष्टान्त (Example) :

कर –निर्धारण वर्ष 2000–2001 में श्री सुभाष ने 60000 रूपये की राशि के लिए न वसूल हुए किराये की कटौती के रूप में मांग की थी। निर्धारण अधिकारी ने उस वर्ष केवल 45000 रूपये की राशि की कटौती स्वीकृत की थी । गत वर्ष 2009–10 में श्री सुभाष को इसमें से 35000 रुपये का किराया प्राप्त हुआ जिसके सम्बन्ध में 3000 रूपये कर वसूली के व्यय किये।

कर–निर्धारण वर्ष 2010–10 में श्री सुभाष के लिए 35000 रु. (60000–45000) अर्थात 20000 रुपये की राशि मकान सम्पत्ति से आय शीर्षक में कर–योग्य होगी। न वसूल हुए किराये की वसूली के सम्बन्ध में किये गये व्यय के लिए कोई कटौती नहीं दी जावेगी।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(B) कर–निर्धारण वर्ष 2002–03 अथवा बाद के किसी गत वर्ष में सकल वार्षिक मूल्य के निर्धारण में घटाये गये न वसूल हुये किराये की वसूली (Recovery of unrealised rent deducted in the determination of gross annual value for the assessment year 2002 -03 and onwards) (धारा 25**AA)** –यदि करदाता गत वर्ष 2001–2002 में अथवा बाद के किसी गत वर्ष में किराये पर उठाई गई मकान सम्पत्ति का किराया वसूल नहीं कर सके परन्तु ऐसा किराया बाद में किसी गत वर्ष में प्राप्त हो जाता है। तो यह राशि प्राप्त होने वाले गत वर्ष में 'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक में उस सीमा तक कर योग्य होगी जिस सीमा तक इसे उस वर्ष वार्षिक मूल्य में शामिल नहीं किया गया हो, चाहे भले ही वह मकान सम्पत्ति करदाता के स्वामित्व में है अथवा नहीं।

कर–योग्य राशि की गणना– न वसूल हुये किराये की ऐसी वसूली (जिस पर धारा 25**AA** लागू होती है) कर कर–योग्य राशि की गणना वसूली होने वाले वर्ष में उस सम्पत्ति के सम्बन्धित गत वर्ष के सकल वार्षिक मूल्य की पुनः गणना करके की जाती है तथा उसमें से पूर्व के वर्ष का सकल वार्षिक मूल्य घटा दिया जाता है। शेष राशि, यदि धनात्मक आये तो वह वसूल की गई राशि का कर योग्य भाग होगी।

उदाहरण (Illustration) 5.11 :

Mr. Anil owns a house at Jaipur. It has been let out at a monthly rent of Rs. 25,000. From the information given below, find out the income under the head "Income from house property" for the assessment year 2009-10 and 2010-11.

(i) The municipal valuation, fair rent and the standard rent of the house is Rs. 1,55,000. Rs. 2,80,000 and Rs. 2,68,000 respectively.

(ii) Municipal tax is payable @ 10% of municipal valuation which has been paid in both the years.

(iii) Interest on loan taken for the acquisition of the house is Rs. 24,000 per annum.

(iv) Unrealised rent for the previous year 2008-09 is Rs. 50,000 while there is no unrealised rent in the previous year 2009-10.

(v) Unrealised rent of the previous year 2008-09 is realised during the previous year 2009-10 to the extent of Rs. 22,000.

Show the difference in the income of the assessment year 2010-11 if the unrealised rent is realised to the extent of Rs. 12,000 only.

श्री अनिल का जयपुर में एक मकान है। इसे 25,000 रुपये मासिक किराये पर उठाया गया है। निम्नलिखित विवरण से कर–निर्धारण वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 के लिए मकान सम्पत्ति से आय शीर्षक के अन्तर्गत आय ज्ञात कीजिए–

(i) मकान का नगरपालिका मूल्यांकन, उचित किराया एवं मानक किराया क्रमशः 16,5,000 रुपये, 2,80,000 रुपये एवं 2,68,000 रुपये है।

(ii) नगरपालिका कर नगरपालिका मूल्य का 10 प्रतिशत है जो दोनों वर्षों में चुका दिये गये

(iii) मकान खरीदने हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज 24,000 रु. वार्षिक है।

(iv) गत वर्ष 2008–09 का न वसूल हुआ किराया 50,000 रु. है,जबकि गत वर्ष 2009–10 में न वसूल हुआ किराया नहीं हैं

(v) कर निर्धारण वर्ष 2010–11 की आय में अन्तर को दिखाइये, यदि न वसूल हुये किराये की

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

वसूली केवल 12,000 रु. की ही हो।

(vi) गत वर्ष 2009–10 में गत वर्ष 2008–09 के न वसूल हुये किराये में से 22,000 रु. वसूल हो गये।

Solution :

Computation of Income from House Property

			Assessment Year 2009-10	Assessment Year 2010-11
			Rs.	Rs.
Step-I:				
Municipal Value or Fair Rent whichever is higher but subject to standard rent			268000	268000
Step-II :				
Rent received or receivable (Excluding unrealised rent)			250000	300000
Higher of the two is Gross Annual Value			268000	300000
Less : Municipal Tax paid @ 10% of M.V.			16500	16500
Annual Value			251500	283500
Less : Deduction :				
(i) S.D. @ 30%	75450	85050		
(ii) Interest on loan	24000	24000	99450	108050
Income from House Property			152000	174450

गतवर्ष 2008–09 का न वसूल हुआ किराया गत वर्ष 2009–10 में वसूल होने पर अतिरिक्त कर योग्य राशि ज्ञात करने के लिए गत वर्ष 2008–09 की आय का पुर्निर्धारण निम्न प्रकार किया जायेगा–

R-computation of Additional Income from House Property for the Assessment year 2009-10

		(a) If Rs. 22000 realised	(b) If Rs. 12000 realised
		Rs.	Rs.
Step-I:			
Expected rent as above		2,68,000	2,68,000
Step-II :			
Rent received or receivable (deducting effective unrealised rent)		2,72,000	2,62,000
Higher of the two is Gross Annual Value		2,72,000	2,68,000
Less : Gross annual value (original)		2,68,000	2,68,000
Unrealised rent not taxed earlier		4,000	NIL
Less : Deduction u/s 24:			
(i) Standard deduction	NIL		
(ii) Interest on loan	NIL	NIL	NIL
Additional Income Taxable in A.Y. 2010-11		4000	NIL

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

कर—निर्धारण वर्ष 2010—11 में मकान सम्पत्ति की आय परिस्थिति (a) में 1,74,450 +4,000 = 1,78,450 रु. होगी तथा परिस्थिति (b) में 174450 + शून्य = 1,74,450 रु. होगी।

टिप्पणीः—

1. गत वर्ष 2001—02 अथवा बाद के किसी गत वर्ष का न वसूल हुआ किराया यदि आगे किसी गत वर्ष में वसूल हो जाता है तो ऐसी वसूल की गई राशि का केवल वह भाग ही कर योग्य होता है जिस पर पहले कर नहीं लगा हो अर्थात् जिसे पहले सकल वार्षिक मूल्य में शामिल नहीं किया गया हो (धारा 25AA)।
2. चूंकि इस प्रकार वसूल किया गया किराया वार्षिक मूल्य का भाग नहीं होता है, अतः प्रमाप कटौती नहीं दी जाती है।

(2) किराये की बकाया राशि की प्राप्ति के लिये विशेष प्रावधान (धारा 25BA) (Special provision for arrears of rent received)

यदि किसी करदाता को किराये पर उठाई गई मकान सम्पत्ति के किराये की ऐसी बकाया राशि प्राप्त हुई है, जिसे उस करदाता की किसी भी गत वर्ष की कुल आय में सम्मिलित नहीं किया गया था, तो ऐसी राशि में से इसका 30% भाग घटा दिया जायेगा तथा शेष राशि को उस करदाता की कर—योग्य आय माना जायेगा। ऐसी आय उस गत वर्ष में मकान सम्पत्ति से आय शीर्षक में कर—योग्य होगी, जिस गत वर्ष में वह बकाया राशि करदाता को प्राप्त हुई है, चाहे वह करदाता उस गत वर्ष में उस मकान सम्पत्ति का स्वामी है अथवा नहीं।

कर—योग्य राशि की गणना— यदि किराये की बकाया राशि गत वर्ष 2000—01 या पूर्व के किसी गत वर्ष से सम्बन्धित है तो इस वर्ष प्राप्त राशि में से सीधे प्रमाप कटौती घटाकर कर—योग्य राशि ज्ञात कर ली जायेगी। परन्तु यदि बकाया राशि गत वर्ष 2001—02 या बाद के वर्षों से सम्बन्धित हो तो कर—योग्य राशि की गणना निम्न प्रकार से की जावेगी;

सम्बन्धित गत वर्ष की प्राप्य किराये की राशि में बकाया प्राप्ति की राशि को जोड़कर सकल वार्षिक मूल्य की पुनः गणना की जाती है तथा उसमें से सम्बन्धित गत वर्ष का सकल वार्षिक मूल्य घटा दिया जाता है। शेष राशि यदि धनात्मक आये तो बकाया किराये की प्राप्त राशि का कर—योग्य भाग होगी, जिसमें से 30% की प्रमाप कटौती घटाकर कर—योग्य राशि ज्ञात कर ली जायेगी।

उदाहरण (Illustration) 5.12 :

Mr. Mohan is owner of a house property. It is let out to a bank at a rent of Rs. 8,000 per month. The municipal value, fair rent and standard rent of this property are Rs. 95,000, Rs. 1,00,000 and Rs. 97,000 respectively. Municipal tax paid by Mr. Mohan is as follows:

Rs. 13,000 on March 5, 2010 and

Rs. 15,000 on May 8, 2010

Rent is increased from Rs.8,000 per month to Rs. 11,000 per month with retrospective effect from April 1, 2009. Arrears of rent for 2009-10 are paid on May 1, 2010.

Find out the income chargeable to tax under the head Income from House property for the assessment years 2010-11 and 2011-12.

श्री मोहन एक मकान सम्पत्ति का मालिक है। इसे एक बैंक को किराये पर दिया गया है जिसका किराया 8,000 रु. प्रतिमाह है। इस मकान सम्पत्ति का नगरपालिका मूल्य, उचित किराया एवं मानक किराया क्रमशः 95,000 रु., 1,00,000 रु. एवं 97,000 रु. है। श्री मोहन द्वारा नगरपालिका कर निम्न प्रकार चुकाये गये :

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

5 मार्च, 2010 को 13,000 रुपये एवं

8 मई, 2010 को 15,000 रुपये।

किराया पूर्व प्रभाव से 1 अप्रैल, 2009 से 8,000 रु. से बढ़ाकर 11,000 रु. प्रतिमाह कर दिया गया है।

कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के लिये मकान सम्पत्ति से आय शीर्षक की कर योग्य आय ज्ञात कीजिए।

हल (Solution) :

Computation of Income from House Property

	Assessment Year	
	2010-11	**2011-12**
	Rs.	**Rs.**
Computation of Gross annual value		
Step-I:		
Municipal Value or Fair Rent whichever is higher		
but restricted to Standard Rent	97,000	97,000
Step-II :		
Rent received or receivable	96,000	1,32,000
Higher of Step I and Step II is taken		
as Grosss Annual Value	97,000	1,32,000
Less : Municipal Tax paid paid by assessee	13,000	15,000
Annual Value	84,000	1,17,000
Less : Standard Deduction :	25,200	35,100
Income from House Property	**58,800**	**81,900**

गत वर्ष 2009–10 का बढ़ा हुआ किराया 1 मई, 2010 को प्राप्त होने पर गत वर्ष 2010–11 में अथवा कर–निर्धारण वर्ष 2011–12 में कर योग्य होगा। इसकी गणना निम्न प्रकार की जायेगी:

	Rs.
Gross annual value of assessment year 2010-11 if rent is Rs.11000 per month	1,32,000
Less : Gross annual value considered earlier	97,000
Arrears of rent not charged to tax	35,000
Less : 30% of Rs. 35000 as standard deduction	10,500
Additional Amount Taxable in A.Y. 2011-12	24,500
Income from House Property :	
Assessment year 2010-11	58,800
Assessment year 2011-12 (81900+24500)	1,06,400

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

प्राप्त किराये को सकल बनाना
(Grossing up of rent received)

यदि कोई व्यक्ति गत वर्ष में किसी निवासी व्यक्ति को किराये के रूप में 1,20,000 रुपये से अधिक की राशि का भुगतान करता है तो उसका यह दायित्व है कि वह उसमें से निर्धारित दर से उद्गम स्थान पर कर की कटौती करके सरकार में जमा कराये तथा शेष राशि ही मकान के मालिक को भुगतान करे। ऐसी दशा में प्राप्त किराये की राशि वास्तविक या प्राप्य किराये से कम होती है। अतः इसे निम्न प्रकार सकल बनाकर वास्तविक किराया या प्राप्य किराया ज्ञात किया जाता हैः

(A) यदि किराया 1 अक्टूबर, 2009 से पूर्व प्राप्त किया गया होः

(अ) यदि किराया व्यष्टि अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार ने प्राप्त किया हो– ऐसी दशा में भुगतान करने वाला व्यक्ति गत वर्ष 2009–10 में 15% की दर से कर काटता है। अतः सकल या प्राप्य किराये की गणना निम्न सूत्र द्वारा की जाती है–

$$\text{Gross Rent} = \text{Rent received} \times \frac{100}{85}$$

(ब) यदि किराया व्यष्टि अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार के अलावा अन्य किसी व्यक्ति (कम्पनी, साझेदारी फर्म) ने प्राप्त किया हो– ऐसी दशा में भुगतान करने वाला व्यक्ति उद्गम स्थान पर गत वर्ष 2009–10 में कर की दर से कर काटता है। अतः सकल या प्राप्य किराये की गणना निम्न सूत्र द्वारा की जाती है–

$$\text{Gross Rent} = \text{Rent received} \times 100/80$$

(B) यदि किराया 1 अक्टूबर, 2009 को या इसके पश्चात् चुकाया जाता होः

ऐसी दशा में भुगतान करने वाला व्यक्ति उद्गत स्थान पर कर की कटौती 10% की दर से करेगा इसलिए प्राप्त किराये की राशि को निम्न प्रकार से सकल बनाया जावेगा;

$$\text{Gross Rent} = \text{Rent received} \times \frac{100}{90}$$

स्पष्टीकरण–

1. यदि भुगतान करने वाला व्यक्ति साझेदारी फर्म अथवा कम्पनी है तो 1,20,000 रुपये वार्षिक से अधिक किराया होने पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती आवश्यक रूप से करेगा।
2. यदि 1,20,000 रुपये वार्षिक से अधिक किराये का भुगतान करने वाला व्यक्ति व्यष्टि अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार है तो कटौती उसी दशा में करेगा जबकि भुगतान करने वाले के खातों का अंकेक्षण धारा 44 AB के अन्तर्गत अनिवार्य हो, अर्थात या तो उसकी तुरन्त पूर्व के वित्तीय वर्ष में बिक्री 40 लाख रुपये से अधिक हो अथवा पेशे की सकल प्राप्ति 10 लाख रुपये से अधिक हो।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

3. यदि भुगतान 6 जुलाई, 2009 के पूर्व किया गया हो तो उद्गम स्थान पर कर की कटौती शिक्षा उपकर (3%) सहित (15.45%/20.60% जैसी भी स्थिति हो) की जावेगी।

उदाहरण (Illustration) 5.13 :

Shri Mohit has let out a house of which the municipal valuation is Rs. 8,00,000. He received a rent of Rs. 9,00,000 on December 1, 2009. Find out the annual value of the house for the assessment year 2010-11 if municipal taxes paid are 10% and rent has been received only for 10 months and outstanding for 2 months.

श्री मोहित ने एक मकान किराये पर दिया है जिसका नगरपालिका मूल्यांकन 800000 रूपये है। 1 दिसम्बर, 2009 को उन्होंने 900000 रूपये किराये के प्राप्त किये। कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिये मकान का वार्षिक मूल्य ज्ञात करें यदि नगरपालिका के चुकाये गये कर 10 प्रतिशत हों तथा किराया केवल 10 महीने के लिये ही प्राप्त किया गया हो तथा दो महीने का बकाया हो।

हल (Sollution):

Computation of Annual Value for the Assessment Year 2010-11

	Rs.	Rs.
(A) Municipal Value [u/s 23 (i) (a)]	8,00,000	
(B) Rent receivable for the whole year [u/s 23(i) (b)]		
(900000 x 100 x 12)	12,00,000	
90 10		
Grosss Annual Value [Higher of (A) or (B)]		12,00,000
Less : Municipal Tax paid paid by the assessee		80,000
Annual Value		11,20,000

अभ्यास के लिए प्रश्न (Questions for Exercise):

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न (Very Short Answer Type Questions) :

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 20 शब्दों में दीजिए।

(Answer the following questions in maximum 20 words)

1. वह कौन सी स्थिति है जब स्वयं के रहने के लिए काम में आने वाले मकान सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य शून्य नहीं हो सकता?
   In which situation the annual value of a self-occupied house property can not be nil?
2. वार्षिक मूल्य में से घटाई जाने वाली कटौतियों के नाम लिखिए।
   Write the names of admissible deductions from annual value.
3. किराये पर उठे हुए मकान का वार्षिक मूल्य ज्ञात करने के लिए स्थानीय करों की राशि कब घटाई जाती है?
   When are the local taxes deducted for ascertaining the amount of annual value of a let-out house property?
4. मकान सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रमाप कटौती की राशि कितनी होगी?
   What will be the amount of Standard Deduction in respect of a house property?

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

5. निम्न सूचनाओं से एक किराये पर उठाये गये मकान के वार्षिक मूल्य की गणना कीजिए:
Determine the annual value of a let-out house on the basis of the following information:

नगरपालिका मूल्यांकन	रु. (Rs.)
Municipal Valuation	70,000
उचित किराया	
Fair rent	50,000
प्राप्त किराया	
Rent received	60,000
मानक किराया	
Standard Rent	40,000
नगरपालिका कर चुकाये	
Municipal taxes paid	10%

(Ans. Rs. 53,000)

लघूत्तरात्मक प्रश्न :

(Short Answer Type Questions) :

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए।
(Answer the following questions in maximum 50 words)

1. किराये पर उठे मकान के वार्षिक मूल्य की गणना कैसे की जाती है?
How is annual value of a let out house determined?
2. स्वयं के रहने की मकान सम्पत्ति से कर योग्य आय का निर्धारण आप किस प्रकार करेंगे?
How will you compute the taxable income from self occupied house property?
3. ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जब करदाता को मकान का स्वामी मान लिया जाता है?
What are the circumstances in which the assessee is treated as deemed owner of a house property?
4. श्री राम के पास दो मकान हैं। एक मकान अजमेर में है व उसके स्वयं के रहने के काम में आता है। दूसरा मकान कृषि भूमि पर स्थिति है व कृषि कार्य में प्रयुक्त होता है। मकानों का अनुमानित किराया क्रमशः 200000 रु. व 300000 रू. हैं मकान सम्पत्तियों के वार्षिक मूल्य क्या होंगे?
Mr. Ram is owner of two houses. One is situated at Ajmer and used by him for own residence. Another is situated on an agricultural land and used for agricultural purposes. The estimated rental value of houses are Rs. 200000 and Rs. 300000 respectively. What would be annual value of the houses? (Ans.: NIL)

निबन्धात्मक प्रश्न :

(Essay Type Questions):

1. मकान सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य से क्या तात्पर्य है? इसका निर्धारण कैसे किया जाता है? मकान सम्पत्ति से कर योग्य आय के निर्धारण में वार्षिक मूल्य में से कौन सी कटौतियां स्वीकृत हैं?
What is meant by annual value of house property? How is it determined? What deductions are

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

allowed from annual value in computing taxable income from house property?

2. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिये–

(अ) बकाया किराये के गत वर्ष में प्राप्त होने पर कर।

(ब) वार्षिक मूल्य

Write short notes on:

(a) Tax on arrears of rent received,

(b) Annual Value

व्यावहारिक प्रश्न :

(Practical Questions):

1. निम्नांकित विवरण के आधार पर 'मकान सम्पत्तियों' का वार्षिक मूल्य ज्ञात कीजिए–

From the following details compute the annual value of the properties:

	I House	**II House**	**III House**
Municipal valuation (Rs.)	24,000	48,000	21,000
Fair rent (Rs.)	20,000	36,000	30,000
Standard Rent (Rs.)	22,000	64,000	24,000
Annual rental value (Rs.)	18,000	54,000	30,000
Unrealised rent (Rs.)	3,000	4,500	5,000
Municipal Taxes paid	5%	5%	5%
(Ans : Rs. 20800, Rs. 47100, Rs.23950)			

2. निम्नांकित दशाओं में कर निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए वार्षिक मूल्य की गणना कीजिए।

Compute the annual in the following cases for the assessment year 2010-11.

(अ) श्री सलमान का दिल्ली में एक मकान है जिसका नगरपालिका मूल्य 24,000 रुपये तथा उचित किराया 22,000 रुपये है। गत वर्ष की पूरी अवधि में उस मकान का उपयोग श्री सलमान द्वारा अपने स्वयं के आवास के लिए किया गया था।

(a) Shri Salman owns a house in Delhi, whose municipal value is Rs. 24,000 amd the fair rent is Rs. 22,000. The house was used by Shri Salman for his own residence during the entire period of the previous year.

(ब) श्री अमिताभ का अलवर में एक मकान है जिसका नगरपालिका मूल्य 24000 रु. तथा अपेक्षित किराया 22,000 रुपये है। इस मकान का उपयोग श्री अमिताभ अपने स्वयं के आवास के लिए करते हैं किन्तु 2009–10 गत वर्ष के दौरान मई तथा जून, 2009 में वे अपने व्यवसाय के कारण जयपुर में रहे थे तथा उस अवधि में इस मकान का कोई उपयोग नहीं हो सका।

(b) Shri Amitabh owns house in Alwar, whose municipal value is Rs. 24,000 and the fair rent is Rs. 22,000. The house is used by Shri Amitabh for his own residence but during the previous year 2009-10 he had to stay at Jaipur for the months of May and June, 2009 on account of his business and the house remained non-occupied during this period and no other benefit was derived therefrom.

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(स) श्री चौधरी दो मकानों के स्वामी हैं। एक, जिसका नगरपालिका मूल्यांकन 8000 रू. है, स्वयं के निवास के लिए उपयोग में आता है और दूसरा, जिसका निर्माण कार्य 31 दिसम्बर, 1994 को पूरा हुआ था एवं जिसका नगरपालिका मकूल्यांकन 12000 रु. है, रहने के उद्देश्य से 1200 रूपये प्रतिमाह पर किराये पर उठा हुआ है। गत वर्ष में प्रथम मकान के नगरपालिका कर 800 रूपये तथा द्वितीय मकान के 1500 रूपये चुकाये गये। द्वितीय मकान गत वर्ष में चार माह खाली रहा था तथा प्रथम मकान को गत वर्ष में तीन माह के लिए 700 रूपये प्रतिमाह की दर से किराये पर उठा दिया गया था।

(c) Mr. Chaudhary owns two houses. One, whose municipal valuation is Rs. 8,000 is occupied by him for his residential purposes and the other, the construction thereof was completed on 31st December, 1994 and whose municipal valuation is Rs. 12,000 is let out for residential purposes at a rent of Rs. 1200 per month. Municipal taxes Rs. 800 for first house and Rs. 1,500 for second house were paid during the previous year. The second house remained vacant for a period of four months during the previous year and the first house was let out for a period of three months for a rent of Rs. 700 per month.

(Ans : (a) NIL; (b) NIL; (c) Rs. 7200 and Rs. 8100)

3. श्री एक्स एक बड़े मकान के स्वामी हैं जिसका नगरपालिका मूल्यांकन 144000 रु. वार्षिक हैं इस मकान का 1/3 भाग किराये को 6,400 रु. प्रतिमाह की दर से रहने के लिए किराये पर उठाया हुआ है तथा शेष 2/3 भाग का प्रयोग वे अपने निवास के लिए करते हैं इस मकान का निर्माण जून, 2008 में प्रारम्भ हुआ था तथा यह 1 अप्रैल, 2009 को पूरा हुआ था।

इस मकान पर 14,400 रु. वार्षिक स्थानीय कर लगता है। इस मकान के सम्बन्ध में अन्य व्यय निम्नलिखित हैं–

	रुपये
भूमि का किराया	2,880
बीमा प्रीमियम चुकाया	2,400
राज्य सरकार को सम्पत्ति कर चुकाया	2,880
किराया संग्रह के व्यय	1,600

इस मकान के निर्माण हेतु श्री एक्स ने 1 जुलाई, 2008 को 10,00,000 रु. का ऋण लिया था। इस ऋण का पुनर्भुगतान अभी तक नहीं किया गया है तथा इस पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज देय है। कर निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए श्री एक्स की मकान सम्पत्ति की से योग्य आय ज्ञात कीजिए।

Mr. X is owner of a big house whose municipal valuation is Rs. 1,44,000 per annum. One-third of the house is let out to a tenant at Rs. 6,400 per month for residential purposes and the remaining two-third portion is occupied by him for his own residence. The construction of this house started in June, 2008 and was completed on 1st April, 2009. The house is subject to the local taxes of Rs. 14,400 per annum. The other expenses in respect of the house are as follows:

	Rs.
Ground Rent	2,880
Insurance Premium paid	2,400
Property Tax paid to State Govt.	2,880
Collection charges	1,600

Mr. X had taken loan of Rs. 10,00,000 on 1st July, 2008 for the construction of this house. The loan has not yet been paid back and an interest @ 12% per annum is payable on it.

Find out X's income from house property for the assessment year 2010-11.

(Ans.: Loss Rs. 87,600)

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

वर्ग (Section) - B
इकाई (Unit) - 6

ह्रास एवं अन्य छूटें
(Depreciation and Other Rebates)

परिचय

आय के तीसरे शीर्षक 'व्यापार अथवा पेशे के लाभ तथा अधिलाभ' (Profits and Gains of Business or Profession) में करदाता को व्यापार या पेशे से हुई आय को सम्मिलित किया जाता है। इस शीर्षक की कर–योग्य आय की गणना करने के विस्तृत नियम अगली इकाई–7 में दिये गये हैं। 'कर–योग्य प्राप्तियों' का 'स्वीकार्य व्ययों के लिए कटौती' पर आधिक्य लाभ कहलाता है। विभिन्न स्वीकार्य कटौतियों को निम्नांकित पांच वर्गों में विभाजित किया जा सकता है–

I. सम्पत्तियों पर ह्रास की छूट [धारा 32]
II. पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन देने हेतु स्वीकृत व्ययों की छूट–
 क. चाय विकास खाते की छूट [धारा 33AB]
 ख. स्थल प्रत्यावर्तन कोष की छूट [धारा 33ABA]
 ग. जहाज व्यापार के संचय की छूट [धारा 33AC]
III. व्यवसाय संचालन के व्ययों में छूट।
IV. कटौती योग्य अन्य व्ययों की छूट।

उपर्युक्त प्रथम दो वर्गों की छूटों का वर्णन विस्तारपूर्वक इस इकाई में किया गया है और अंतिम दो वर्गों की छूटों का वर्णन अगली इकाई में किया गया है। 'ह्रास एवं अन्य कटौतियां' आय का अलग से कोई शीर्षक नहीं है बल्कि 'व्यापार या पेशे के लाभ तथा अधिलाभ शीर्षक' का एक हिस्सा है।

ह्रास [धारा 32] (Depreciation)

आयकर अधिनियम में ह्रास को परिभाषित नहीं किया गया है, परन्तु किसी सम्पत्ति को प्रयोग में लेने अथवा समय व्यतीत होने से सम्पत्ति के मूल्य में जो कमी आती है उसे ह्रास कहते हैं।

धारा 32 (1) के अनुसार करदाता द्वारा संचालित व्यापार या पेशे में प्रयुक्त होने वाली निम्नांकित सम्पत्तियों के खण्डों (Blocks) के अपलिखित मूल्य (Written-down value) पर निर्धारित प्रतिशत से ह्रास स्वीकृत किया जाता है–

अ. मूर्त सम्पत्तियां	(i) भवन (buildings), (ii) प्लांट एवं मशीन (Plant & Machinery) तथा (iii) फर्नीचर (Furniture)
ब. अमूर्त सम्पत्तियां	(i) ज्ञान (Know how) (ii) एकस्व (Patents) (iii) प्रतिलिप्याधिकार (Copyrights), (iv) व्यापारिक चिन्ह (Trade Marks), (v) अनुज्ञापत्र (Licences), (vi) विशेषाधिकार (Franchises) या (vii) समान प्रकृति के अन्य व्यापारिक अधिकार (Other business or Commercial rights of similar nature)

ह्रास की कटौती प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तें

(1) करदाता सम्पत्ति का स्वामी हो (The Assessee should be owner of the asset)– जिस सम्पत्ति के सम्बन्ध में ह्रास की छूट का दावा किया जाता है, उस सम्पत्ति का करदाता पूर्णतः या अंशतः

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

स्वामी (Fractional owner) होना आवश्यक है। सम्पत्ति को पूर्णतः स्वयं के लिए उपयोग में लाना, सम्पत्ति पर अनन्य कब्जा होना, आदि ऐसे लक्षण हैं जिनके कारण करदाता को ह्रास की छूट मिल जाती है। यदि करदाता ने किसी भवन को क्रय करके कब्जा (Possession) प्राप्त कर लिया है परन्तु पंजीयन (रजिस्ट्री) नहीं करवाई है तो भी ऐसे भवन पर ह्रास की छूट करदाता को ही मिलेगी। यदि करदाता अपना व्यापार या पेशा पट्टे पर या किराये पर लिए गये भवन में चलाता है, तो ऐसे भवन के विस्तार या नवीनीकरण या वृद्धि पर उसके द्वारा कोई पूंजीगत व्यय किया गया है तो ऐसे पूंजीगत व्यय की लागत पर ह्रास की छूट स्वीकृत होगी। ऐसे पूंजीगत व्यय पर ह्रास की दर के लिए यह देखा जावेगा कि यह निर्माण कार्य किस श्रेणी के भवन में करवाया गया है। जिस श्रेणी के भवन में निर्माण करवाया गया है उसी श्रेणी के भवन पर लागू ह्रास की दरें ऐसे पूंजीगत व्यय पर लागू होंगी।

(2) व्यापार या पेशे के लिए सम्पत्ति का गत वर्ष में प्रयोग (The Asset should be used for the business during the previous year)–जिस सम्पत्ति पर ह्रास की छूट का दावा किया जाये, उस सम्पत्ति का प्रयोग करदाता द्वारा गत वर्ष में अपने व्यापार या पेशे के लिए किया जाना आवश्यक है। यदि करदाता किसी सम्पत्ति का प्रयोग आंशिक रूप से व्यापार या पेशे के लिए तथा आंशिक रूप से व्यक्तिगत या अन्य कार्य में करता है तो उस सम्पत्ति पर व्यापार या पेशे के लिए प्रयोग में लाने के सम्बन्धित अवधि के लिए उचित राशि का ह्रास स्वीकृत किया जायेगा। हड़ताल या तालाबंदी होने पर भी ह्रास की छूट स्वीकृत होगी क्योंकि इन दशाओं में सम्पत्ति का निष्क्रिय प्रयोग माना जाता है। (धारा 38)

स्पष्टीकरण–यदि करदाता अपने व्यापार या पेशे में कार्य करने वाले कर्मचारियों को रहने के लिए कोई मकान देता है तो ऐसा मकान या भवन भी व्यापार या पेशे के लिए प्रयोग का माना जायेगा। ऐसे मकान में उपलब्ध कराया गया फर्नीचर भी व्यापार या पेशे के लिए प्रयोग का माना जायेगा।

(3) ह्रास स्वीकृत करना आवश्यक है (To allow Depreciation is Essential)–कर–निर्धारण वर्ष 2002–03 से यह आवश्यक कर दिया गया है कि करदाता कर–योग्य आय की गणना करते समय ह्रास की कटौती का दावा करे या न करे, उसे ह्रास की कटौती आवश्यक रूप से दी जावेगी।

(4) किराया क्रय समझौते के आधार पर क्रय की गयी सम्पत्ति (Assets purchased under Hire Purchase Agreement)–किराया क्रय समझौते के आधार पर क्रय की गई सम्पत्ति का वैधानिक स्वामित्व क्रेता के पास नहीं होता है परन्तु उसके रोकड़ मूल्य (Cash Price) पर क्रेता को ह्रास स्वीकृत होता है।

(5) गत वर्ष में प्राप्त सम्पत्ति का 180 दिन से कम प्रयोग (Use of asset acquired during the previous year for less than 180 days)–कोई सम्पत्ति गत वर्ष में क्रय की है या प्राप्त की है, जिसका करदाता के व्यापार या पेशे में गत वर्ष में 180 दिन से कम अवधि के लिए प्रयोग हुआ है तो ह्रास की छूट की मात्रा सामान्य ह्रांस की आधी (अर्थात् 50%) होगी। सम्पत्ति के क्रय या प्राप्त किये जाने वाले वर्ष के अलावा अन्य वर्षो में उस सम्पत्ति का 180 दिन से कम उपयोग होने पर यह नियम लागू नहीं होगा।

(6) वित्तीय पट्टे के अन्तर्गत सम्पत्ति का पूंजीकरण (Capitalisation of Assets under Finance Lease)–वित्तीय पट्टे की दशा में पट्टेदार (क्रेता) को ह्रास की छूट स्वीकृत नहीं की जावेगी।

(7) सम्पत्तियों का स्वामित्व परिवर्तन होने पर ह्रास की छूट (Depreciation allowable on transfer of ownership of the asset)–यदि ह्रास योग्य सम्पत्ति का धारा 170 में वर्णित परिस्थितियों में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तान्तरण हो जाता है तो किसी गत वर्ष में ऐसी सम्पत्ति पर हांस की राशि का कुल योग उस राशि से अधिक नहीं होगा जो सम्पत्ति के हस्तान्तरण नहीं होने की दशा में सम्पत्ति के पूर्व स्वामी को उपलब्ध होती।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(8) सम्पत्तियां जिन पर ह्रास की छूट स्वीकृत नहीं हैं (Assets on which depreciation is not allowed)–निम्नांकित सम्पत्तियों पर ह्रास स्वीकृत नहीं किया जाता है–

(i) भूमि की लागत पर ह्रास स्वीकृत नहीं होता है।

(ii) 28 फरवरी 1975 के बाद परन्तु 1 अप्रैल, 2001 से पूर्व क्रय की गई विदेशी मोटर कार पर ह्रास स्वीकृत नहीं होता है। परन्तु ऐसी कार का प्रयोग यदि पर्यटकों के लिए किराये पर चलाने वाली टेक्सी के रूप में किया जाता है या विदेश में स्थित व्यापार या पेशे के लिए किया जाता है तो इस पर ह्रास की छूट स्वीकृत होगी। यदि विदेशी मोटर कार 31 मार्च, 2001 के पश्चात् क्रय की गई है तो उस पर प्रत्येक दशा में ह्रास स्वीकृत होगा।

(iii) धारा 42 के अन्तर्गत यदि किसी प्लांट या मशीन पर केन्द्रीय सरकार से हुये समझौते के अनुसार एक या अधिक वर्षों में सम्पूर्ण राशि की कटौती मिल जाती है तो उस पर ह्रास स्वीकृत नहीं होगा। इसी प्रकार यदि किसी सम्पत्ति के वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयुक्त होने के कारण उसकी लागत पर 100% की छूट एक ही वर्ष में मिल जाती है तथा बाद में उस सम्पत्ति का सामान्य व्यवसाय में प्रयोग हो तो उस सम्पत्ति पर हांस की छूट नहीं मिलेगी।

(9) ह्रास की विधियां (Methods of depreciation)–धारा 32 के अनुसार सम्पत्तियों के सम्बन्ध में ह्रास की गणना करने की दो विधियां हैं–

क. सीधी रेखा विधि (केवल शक्ति का उत्पादन अथवा उत्पादन एवं वितरण करने वाले उपक्रमों के लिए),
ख. क्रमागत ह्रास विधि – शक्ति का उत्पादन या उत्पादन एवं वितरण करने वाले उपक्रमों को छोड़कर अन्य सभी व्यवसायों के लिए।

(10) ह्रास का आधार (Basis of depreciation)–आयकर अधिनियम में सीधी रेखा पद्धति से ह्रास की गणना सम्पत्ति विशेष के लिए की जाती है जबकि क्रमागत ह्रास विधि में ह्रास की गणना सम्पत्ति विशेष के लिए नहीं की जाती है बल्कि सम्पत्तियों के खण्ड या समूह (Block) के अपलिखित मूल्य (Written down Value) के आधार पर की जाती है।

10 (क) सम्पत्तियों का खण्ड या समूह (Block of assets)–सम्पत्तियों के खण्ड या समूह से आशय सम्पत्तियों के ऐसे समूह से है जिसमें एक ही वर्ग की ऐसी सम्पत्तियां आती हैं जिन पर एक ही दर से ह्रास स्वीकृत किया जाता है। आयकर अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृत हांस की गणना करने के लिए भवन (Buildings), फर्नीचर (Furniture), प्लांट एवं मशीन (Plant & Machinary) तथा 31 मार्च, 1998 के बाद प्राप्त की गई अमूर्त सम्पत्तियां (Intangible Assets) के एक खण्ड सहित विभिन्न खण्ड बनाये जाते हैं। एक करदाता के विभिन्न सम्पत्तियों के 13 खण्ड निम्न प्रकार से हो सकते हैं–

सम्पत्ति	**खण्डों की संख्या**	**ह्रास की दरें**
1. भवन	3	5%, 10% तथा 100%
2. फर्नीचर	1	10%
3. प्लाण्ट एवं मशीन	8	15%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 80% तथा 100%
4. अमूर्त सम्पत्तियां	1	25%

10 (ख) अपलिखित मूल्य (Written down Value)–सम्पत्तियों के खण्ड या समूह का अपलिखित मूल्य निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है–

(i) गत वर्ष (Previous year) के प्रारम्भ में सम्पत्तियों के खण्ड का अपलिखित मूल्य ....

जोड़िए–(ii) गत वर्ष में प्राप्त की गई सम्पत्ति की वास्तविक लागत (+) ....

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

घटाइए—(iii) गत वर्ष में बेची गई या प्रयोग से हटाई गई सम्पत्तियों से ....
प्राप्त शुद्ध राशि (—) ....
समूह या खण्ड का अपलिखित मूल्य ....

10 (ग) एक मुश्त बिक्री (Slump Sale) की दशा में अपलिखित मूल्य – जब एक या एक से अधिक इकाई का अंतरण (transfer) या विक्रय एकमुश्त प्रतिफल के बदले होता हो तथा प्रत्येक सम्पत्ति एवं दायित्व की व्यक्तिगत लागत निर्धारित नहीं की जाती हो तो ऐसे अंतरण या बिक्री को एक मुश्त बिक्री (Slump Sale) कहते हैं।

एक मुश्त बिक्री (Slump Sale) की दशा में कर—निर्धारण वर्ष 2010—11 के लिए सम्पत्तियों का अपलिखित मूल्य निम्न प्रकार निर्धारित किया जाएगा—

प्रथम चरण : गत वर्ष के प्रथम दिन (1 अप्रैल, 2009 को) अपलिखित मूल्य की गणना कीजिए।

द्वितीय चरण : इस मूल्य में गत वर्ष 2009—10 में क्रय/अधिग्रहित की गई सम्पत्ति की वास्तविक लागत को जोड़िए।

तृतीय चरण : उपर्युक्त मूल्य में से गत वर्ष 2009—10 में बेची गई या प्रयोग से हटाई गयी समाप्ति से प्राप्त आय/प्राप्य राशि को घटाइये।

एक मुश्त बिक्री (Slump Sale) की दशा में प्रत्येक सम्पत्ति का विक्रय मूल्य ज्ञात नहीं होता है इसलिए उपर्युक्त द्वितीय चरण की राशि में से निम्न राशि को घटाया जाता है: रुपये

एक मुश्त बिक्री (Slump Sale) के द्वारा हस्तान्तरित
सम्पत्ति की वास्तविक लागत ....

घटाओः अ. कर—निर्धारण वर्ष 1988—89 से पहले आरंभ होने वाले कर—निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित गत वर्ष के लिए उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में वास्तव में प्राप्त ह्रास—छूट; तथा

ब. यह मानते हुए कि सम्बन्धित सम्पत्तियों के खण्ड में केवल वह सम्पत्ति ही विद्यमान है, कर—निर्धारण वर्ष 1988—89 तथा इसके पश्चात् के वर्षों के लिए स्वीकार्य ह्रास—छूट ....

सम्पत्ति की शुद्ध लागत ....
....

टिप्पणी—यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि तृतीय चरण में घटाई जाने वाली राशि द्वितीय चरण में निर्धारित राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

10 (घ) सम्पत्तियों का विक्रय करने पर (Sale of assets)

(i) गत वर्ष में खण्ड (Block) विशेष की समस्त सम्पत्तियों का विक्रय करने पर या प्रयोग से हटाने पर उस खण्ड पर ह्रास की छूट स्वीकृत नहीं की जाती है। ऐसी स्थिति में विक्रय मूल्य एवं अपलिखित मूल्य का अंतर अल्पकालीन पूंजी लाभ या हानि माना जायेगा।

अल्पकालीन पूंजी लाभ = विक्रय मूल्य — अपलिखित मूल्य
अल्पकालीन पूंजी हानि = अपलिखित मूल्य — विक्रय मूल्य
शुद्ध विक्रय मूल्य = विक्रय मूल्य — हस्तान्तरण व्यय

(ii) गत वर्ष में यदि सम्पत्ति के खण्ड का अपलिखित मूल्य शून्य हो तथा उस खण्ड में सम्पत्ति शेष बची हुई हो जो व्यापार या पेशे के काम आती हो तो उस खण्ड की ऐसी सम्पत्तियों पर ह्रास की छूट नहीं दी जा सकती है। यदि ऐसी सम्पत्तियों का गत वर्ष में विक्रय किया जाता है तो शुद्ध विक्रय प्रतिफल अल्पकालीन पूंजी लाभ कहलायेगा।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

ह्रास की दरें
(Rates of Depreciation)

कर निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए ह्रास की दरें निम्न प्रकार से हैं–

		अपलिखित मूल्य पर ह्रास की दर
(A) भवन (Buildings)		
खण्ड (Block) 1:	मुख्यतः रहने के प्रयोग में आने वाला भवन (होटल तथा छात्रावास के भवनों को छोड़कर)	5%
खण्ड (Block) 2:	मुख्यतः रहने के प्रयोग में नहीं आने वाले भवन (ऊपर उपवाक्य (1) तथा नीचे उपवाक्य (3) को छोडकर	10%
खण्ड (Block) 3:	(i) जल आपूर्ति परियोजनाओं या जल शुद्धिकरण प्रणाली में प्रयुक्त प्लाण्ट एवं मशीन लगाने के लिए प्रयुक्त भवन जो 1 सितम्बर, 2000 या इसके पश्चात् क्रय किया गया हो तथा जो धारा 80I-A (4)(i) में वर्णित आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के व्यवसाय हेतु प्रयुक्त हो (ii) पूर्णतया अस्थायी निर्माण, जैसे लकडी का ढांचा	100%
(B) फर्नीचर एवं फिटिंग्स (Furniture and Fittings)		
खण्ड (Block) 1:	फर्नीचर एवं फिटिंग्स के लिए केवल एक खण्ड है। इसमें बिजली की फिटिंग्स जैसे–बिजली का तार, बटन अन्य सामान तथा पंखे आदि सम्मिलित हैं।	10%
(C) मशीनरी एवं प्लाण्ट (Machinery and Plant)		
खण्ड (Block) 1:	(i) ह्रास की सामान्य दर (जिन प्लाण्ट या मशीनों के लिए विशेष दरें न दी गई हो) (ii) मोटर कार जिसे किराये पर नहीं चलाया जाता हो। (iii) गैर पेशेवर करदाता के लिए कार्यालय के काम आने वाली पुस्तके	15%
खण्ड (Block) 2:	समुद्री जहाज (Ship) एवं अन्तर्देशीय पानी में चलने वाले जहाज (Vessels) जिनमें स्पीड बोट (Speed boats) भी शामिल हैं।	20%
खण्ड (Block) 3:	(i) किराये पर चलाने के व्यवसाय में प्रयोग की गई मोटर बस, मोटर लारी एवं मोटर टैक्सी (ii) रबर एवं प्लास्टिक का सामान बनाने वाले कारखाने में प्रयुक्त सांचे (iii) अर्द्ध सुचालक उद्योगों में प्रयुक्त प्लाण्ट व मशीन	30%
खण्ड (Block) 4:	(i) ऐरोप्लेन्स–ऐरो इन्जिन्स (ii) 30 सितम्बर, 1998 के बाद परन्तु 1 अप्रैल, 1999 के पूर्व क्रय की गई एवं प्रयोग में लाई	40%

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

	गई वाणिज्यिक गाड़ियां (iii) जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण	
खण्ड (Block) 5:	(i) रिफिल्स के रूप में प्रयोग किये जाने वाले कांच या प्लास्टिक्स के बने हुये पात्र (ii) नई वाणिज्यिक गाड़ियां जो 1 अप्रैल, 2001 को अथवा उसके बाद परन्तु 1 अप्रैल, 2002 के पूर्व प्राप्त की गई हों तथा जिनको व्यापार अथवा पेशे के लिये 1 अप्रैल, 2002 के पूर्व काम में लेना चालू कर दिया हो। (iii) कपड़ा उद्योग के बुनाई, विधियन एवं पोशाक क्षेत्र में काम आने वाली प्लाण्ट एवं मशीन जो भारत सरकार द्वारा घोषित टैक्नोलॉजी सुधार कोष योजना (Technology Upgradation Fund Scheme or TUFS) के तहत 1 अप्रेल, 2001 को अथवा उसके बाद परन्तु 1 अप्रैल, 2004 के पूर्व क्रय की गई हों एवं प्रयोग में लाई गई हों।	50%
खण्ड (Block) 6:	(i) कम्प्यूटर्स एवं कम्प्यूटर साफ्टवेयर (ii) 30 सितम्बर, 1998 के बाद परन्तु 1 अप्रैल, 1999 के पूर्व 15 वर्ष से अधिक पुरानी बेकार गाड़ियों के प्रतिस्थापन हेतु क्रय की गई नई गाड़ियां (iii) 31 मार्च, 1999 के बाद परन्तु 1 अप्रैल, 2000 के पूर्व 15 वर्ष से अधिक पुरानी बेकार गाड़ियों के प्रतिस्थापन हेतु क्रय की गई नई गाड़ियां (iv) पेशे में लगे हुये करदाता के स्वामित्व में पुस्तकें परन्तु वार्षिक प्रकाशन वाली पुस्तकों को छोड़कर (v) गैस सिलेण्डर–वाल एवं रेगुलेटर्स सहित (vi) ग्लास बनाने वाली संस्थाओं में ग्लास पिघलाने के लिये प्रयुक्त भट्टियां (vii) खनिज तेल निकालने वाली संस्थाओं में–सतह के नीचे एवं सतह के ऊपर खनिज तेल निकालने में प्रयुक्त कुछ मशीनें	60%
खण्ड (Block) 7:	(i) आटा मिल में प्रयुक्त रोलर्स (ii) लोहा एवं इस्पात उद्योग–रोलिंग मिल रोल्स (iii) शुगर बनाने में प्रयुक्त रोलर्स (iv) शक्ति बचाने वाले संयंत्र (v) शक्ति को पुनः बनाने वाले संयंत्र	80%
खण्ड (Block) 8:	(i) वायु प्रदूषण नियंत्रण की मशीनें (ii) जल प्रदूषण नियंत्रण की मशीनें (iii) मल (Solid waste) नियंत्रण की मशीनें (iv) जल पूर्ति योजना अथवा जल शुद्धि प्रणाली में 1.9.2002 को अथवा उसके बाद प्राप्त एवं स्थापित	

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

की गई मशीन एवं प्लाण्ट जिसका प्रयोग धारा 80-IA (4)(i) के अन्तर्गत आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने के व्यवसाय में किया जाये (v) कृत्रिम सिल्क निर्माण करने की मशीनों में प्रयोग किये जाने वाले लकड़ी के पुर्जे (vi) स्टूडियो की लाइट के बल्ब (vii) माचिस बनाने वाले कारखाने–लकड़ी के फ्रेम (viii) खानों में प्रयुक्त होने वाले टब, रस्सियां, पाइप एवं सेफ्टी चिराग आदि। (ix) नमक बनाने में प्रयुक्त मिट्टी, बालू एवं ऐसे ही अन्य पदार्थों के बने हुये कड़ाये, कन्डेन्सर्स आदि (x) पेशे में लगे हुये करदाता के स्वामित्व में वार्षिक प्रकाशन वाली पुस्तकें (xi) पुस्तकें किराये पर देने का व्यवसाय करने वाले करदाता के स्वामित्व में पुस्तकें	100%
(D) अदृश्य सम्पत्तियां (Intangible Assets) खण्ड (Block) 1: 31 मार्च 1998 के पश्चात् प्राप्त की गई निम्न अमूर्त सम्पत्तियों के सम्बन्ध में– (i) ज्ञान (Knowledge) (ii) एकस्व (Patents) (iii) प्रतिलिप्याधिकार (Copyrights) (iv) ट्रेडमार्क (Trade-Marks) (v) अनुज्ञापत्र (Licences) (vi) विशेषाधिकार (Franchises) (vii) अन्य व्यावसायिक या व्यापारिक अधिकार जो इसी प्रकृति के हों (Any other business or commercial rights of similar nature)	25%

स्पष्टीकरण–

(1) **'भवन' शब्द के अन्तर्गत** 'पुल, पुलिया (Culverts), नलकूप, कुंआ, सड़क आदि सम्मिलित होते हैं। भूमि की लागत पर ह्रास स्वीकृत नहीं होता है परन्तु यदि मकान क्रय किया गया हो तथा भूमि की लागत अलग से न दी गई हो तो मकान की कुल लागत पर ह्रास स्वीकृत किया जावेगा।

(2) फर्नीचर में लोहे, लकड़ी, प्लास्टिक आदि सभी प्रकार का फर्नीचर सम्मिलित होता है। खिड़कियों के दरवाजे भवन में सम्मिलित माने जाते हैं, जबकि केन्द्रीय वातानुकूलित करने के लिए की गई लोहे की फिटिंग्स, कार्यालय में बनाये गये लकड़ी के केबिन आदि फर्नीचर की श्रेणी में आते हैं। बिजली की फिटिंग्स (तार, स्विच, सोकेट आदि) एवं पंखे भी फर्नीचर में सम्मिलित होते हैं।

(3) अतिरिक्त पारियों में कार्य करने पर भी ह्रास की राशि में वृद्धि नहीं होती है।

(4) 'प्लाण्ट' शब्द में पुस्तकें (तकनीकी ज्ञान प्रतिवेदन सहित), वाहन, जहाज, वैज्ञानिक यंत्र तथा चिकित्सा सम्बन्धी उपकरण भी सम्मिलित रहते हैं परन्तु इसमें पशुधन तथा चाय की झाड़ियां (Tea Bushes) भी सम्मिलित नहीं रहती हैं।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(5) अतिथि गृह के भवन पर आवासीय भवन तथा अन्य सम्पत्तियों पर निर्धारित दरों से ह्रास स्वीकृत किया जाता है।

(6) बढ़ी हुई दरों से ह्रास स्वीकृत होना (Depreciation allowable at higher rates)[Rule 5(1)] निम्नांकित शर्तों की पूर्ति होने पर प्लाण्ट एवं मशीनरी पर सामान्य दर 15% के स्थान पर बढ़ी हुई दर 40% से ह्रास की छूट स्वीकृत की जावेगी –

अ. नई प्लाण्ट या मशीन की स्थापना ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लेखित वस्तु के अलावा अन्य किसी वस्तु के निर्माण हेतु की गई हो तथा ऐसी वस्तु का निर्माण कुछ विशिष्ट प्रयोगशालाओं एवं संस्थाओं में विकसित की गई तकनीकी या ज्ञान का प्रयोग करके किया जाता है। ऐसी विशिष्ट प्रयोगशालाएं एवं संस्थाएं निम्नांकित हैं–

(i) ऐसी प्रयोगशाला जिसका स्वामित्व सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी के पास हो; अथवा

(ii) ऐसी प्रयोगशाला जिसकी वित्तीय व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती हो, अथवा

(iii) किसी विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला हो; अथवा

(iv) भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के सचिव द्वारा इस सम्बन्ध में मान्यता प्राप्त कोई संस्था।

ब. ऐसी तकनीक एवं ज्ञान को प्रयोग करने का अधिकार अथवा ऐसी वस्तु बनाने का अधिकार उस विशिष्ट प्रयोगशाला के स्वामी से सीधे ही प्राप्त किया गया हो अथवा ऐसे व्यक्ति से प्राप्त किया गया हो जिसने यह अधिकार उस प्रयोगशाला से प्राप्त किया था।

स. जिस गतवर्ष में ऐसी प्लाण्ट अथवा मशीन प्राप्त की गई है उस गत वर्ष की आय की विवरणी के साथ भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के सचिव द्वारा इस आशय के लिए प्रदत्त प्रमाण पत्र को संलग्न कर दिया गया हो। इस प्रमाण–पत्र में यह उल्लेख किया हुआ होना चाहिए कि करदाता ऐसी प्रयोगशाला द्वारा विकसित तकनीक या ज्ञान का प्रयोग करके वस्तुओं का निर्माण करता है अथवा ऐसी प्रयोगशाला द्वारा आविष्कृत किसी वस्तु का निर्माण करता है।

10 (ड) ह्रास की गणना (Computation of depreciation)

उपर्युक्त बिन्दु 10 (ख) के अनुसार ज्ञात किये गये अपलिखित मूल्य पर खण्ड विशेष के लिए निर्धारित प्रतिशत दर से ह्रास की गणना की जावेगी।

$$\text{ह्रास} = \frac{\text{ह्रास की प्रतिशत}}{100} \times \text{खण्ड का अपलिखित मूल्य}$$

इस ह्रास की राशि को उपर्युक्त बिन्दु 10 (ख) में ज्ञात किये गये अपलिखित मूल्य में से घटाने पर जो शेष बचता है वह अगले गत वर्ष के प्रारम्भ का अपलिखित मूल्य होगा।

सम्पत्ति की वास्तविक लागत [धारा 43(1)] (Actual Cost of asset)

सम्पत्ति की वास्तविक लागत का निर्धारण महत्त्वपूर्ण तथ्य है क्योंकि सम्पत्ति प्राप्त किये जाने वाले वर्ष में ह्रास की गणना उसकी वास्तविक लागत पर की जाती है। वास्तविक लागत का अर्थ उस लागत से है जिस पर कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति को प्राप्त करता है। सम्पत्ति प्राप्त करने की लागत में उसके क्रय मूल्य में प्राप्त करने के व्यय (गाड़ी भाड़ा, चुंगी व अन्य कर) तथा मशीन स्थापना के व्यय भी शामिल होते हैं। परन्तु सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से प्राप्त अनुदान की राशि को घटा दिया जाता है। जैसे किसी सम्पत्ति को खरीदने हेतु सरकार से प्राप्त अनुदान या सहायता।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

विभिन्न परिस्थितियों में वास्तविक लागत का निर्धारण

(1) वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयुक्त की गई सम्पत्ति–वैज्ञानिक अनुसंधान में काम आने वाली सम्पत्तियों पर धारा 35 के अन्तर्गत 100 प्रतिशत छूट प्राप्त हो जाती है। परन्तु ऐसी सम्पत्ति का प्रयोग बाद में यदि सामान्य व्यापार में किया जाये तो सम्पत्ति की वास्तविक लागत शून्य मानी जावेगी।

(2) उपहार या उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पत्ति–यदि करदाता ने कोई सम्पत्ति उपहार (भेंट) या उत्तराधिकार में प्राप्त की है तो उस सम्पत्ति की वास्तविक लागत निम्न प्रकार होगी–

पूर्व स्वामी की वास्तविक लागत – कर–निर्धारण वर्ष 2009–2010 तक का स्वीकृत ह्रास

(इस ह्रास की गणना यह मानते हुए की जाती है कि उस खण्ड में यह अकेली सम्पत्ति थी।)

(3) करदाता द्वारा पुनः प्राप्त सम्पत्ति–यदि करदाता अपनी बेची हुई सम्पत्ति को कुछ समय बाद पुनः प्राप्त (required) कर लेता है तो उसकी वास्तविक लागत निम्न में से जो सबसे कम हो, वह राशि होगी–

क. प्रथम बार प्राप्त करने की लागत में से उस सम्पत्ति पर करदाता को पूर्व के कर–निर्धारण वर्षों में स्वीकार्य ह्रास घटाने के बाद शेष बची राशि, अथवा

ख. करदाता द्वारा दुबारा प्राप्त करने के लिए चुकाई गई वास्तविक राशि।

(4) भवन जो व्यापार या पेशे में प्रयोग में लेने के पहले से करदाता के पास हो–ऐसा भवन जो पहले करदाता की निजी सम्पत्ति थी और बाद में किसी वर्ष में करदाता ने व्यापार या पेशे के लिए इसका प्रयोग प्रारम्भ कर दिया हो तो ऐसे भवन की वास्तविक लागत वह राशि होगी जो करदाता की वास्तविक लागत (सम्पत्ति खरीदते समय) में से अब तक स्वीकृत ह्रास (व्यापार या पेशे में प्रयोग किये जाने की तिथि को प्रचलित ह्रास दर से) घटाने के बाद शेष बच जाती है।

(5) विदेश में निर्मित कार–

अ. 31 मार्च, 1967 के बाद लेकिन 1 मार्च, 1975 के पूर्व विदेश से क्रय की गई मोटर कार जो पर्यटकों के लिए टैक्सी के रूप में प्रयुक्त नहीं की जाती है, की वास्तविक लागत यदि 25,000 रु. से अधिक है तो वास्तविक लागत 25,000 रु. ही मानी जायेगी।

ब. विदेश में निर्मित कार को यदि 28 फरवरी, 1975 के बाद परन्तु 1 अप्रैल, 2001 से पूर्व क्रय कियाजावे तथा पर्यटकों के लिए टैक्सी के रूप में प्रयोग में न लिया जावे तो ऐसी मोटर कार की लागत शून्य मानी जावेगी।

स. यदि विदेश में निर्मित कार को 1 अप्रैल, 2001 या इसके पश्चात् क्रय किया जावे तो ऐसी कार की वास्तविक लागत पर ह्रास स्वीकृत होगा।

(6) सूत्रधारी कम्पनी द्वारा सहायक कम्पनी को या सहायक कम्पनी द्वारा सूत्रधारी कम्पनी को सम्पत्ति का हस्तान्तरण – इस स्थिति में प्राप्त करने वाली कम्पनी के लिए उस सम्पत्ति की वास्तविक लागत वह राशि होगी जो हस्तान्तरण करने वाली कम्पनी के लिए होती है।

(7) एकीकरण योजना में हस्तान्तरित सम्पत्ति की वास्तविक लागत – एकीकरण योजना के अन्तर्गत जब कोई कम्पनी अपनी कोई सम्पत्ति दूसरी कम्पनी (जो भारतीय कम्पनी हो) को हस्तान्तरित करती है तो एकीकृत कम्पनी के लिए ऐसी सम्पत्ति की वास्तविक लागत वही मानी जायेगी जो हस्तान्तरण करने वाली कम्पनी के लिए होती, यदि सम्पत्ति का हस्तान्तरण न करके अपने व्यापार में प्रयोग किया होता।

(8) विनिमय दर में परिवर्तन का प्रभाव – यदि विदेश से क्रय की गई सम्पत्ति का भुगतान मुद्रा की विनिमय दर में परिवर्तन के बाद किया जाने वाला है तो विनिमय दर में परिवर्तन के कारण बढ़ी हुई राशि या घटी हुई राशि ही उस सम्पत्ति की वास्तविक लागत मानी जायेगी।

अशोधित ह्रास (Unabsorbed depreciation)

यदि किसी करदाता के गत वर्ष में व्यापार या पेशे की आय शीर्षक में लाभ नहीं होने या कम होने के कारण उस वर्ष स्वीकृत ह्रास की सम्पूर्ण राशि की कटौती नहीं दी जा सके तथा अन्य किसी व्यापार या पेशे की आय भी ह्रास की राशि घटाने के लिए अपर्याप्त हो या अन्य किसी शीर्षक में भी आय नहीं

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

हो अथवा अपर्याप्त हो और इसके फलस्वरूप ह्रास की सम्पूर्ण राशि घटायी न जा सके तो जितने ह्रास की गत वर्ष में कटौती नहीं मिल पाती है उसे अशोधित ह्रास (Unabsorbed depreciation) कहा जाता है।

अशोधित ह्रास को अपलिखित करने एवं आगे ले जाने के नियम :

(i) अशोधित ह्रास को उस गत वर्ष के किसी भी व्यापार या पेशे से होने वाले लाभों में से घटाया जा सकता है। यदि उस गत वर्ष में किसी व्यापार या पेशे की आय पर्याप्त नहीं हो तो उस वर्ष की किसी भी शीर्षक की आय में से घटाया जा सकता है।

(ii) यदि अशोधित ह्रास को गत वर्ष की किसी भी शीर्षक की आय में से अपलिखित नहीं किया जा सका हो (आय अपर्याप्त होने के कारण) तो शेष बची हुई ह्रास की छूट को अगले कर–निर्धारण वर्ष में आगे ले जाया जा सकता है तथा इसे किसी भी आय से पूरा किया जा सकता है।

अशोधित ह्रास को आगे ले जाने की कोई समय सीमा नहीं है।

(iii) आगे के वर्षों में अशोधित ह्रास की पूर्ति निम्न क्रम में की जायेगी–

अ. चालू वर्ष का ह्रास;

ब. व्यवसाय की पीछे से लाई गई हानि; तथा

स. अशोधित ह्रास।

यदि आगे के वर्षों में व्यवसाय की पीछे से लाई गई हानि का समायोजन नहीं किया जाना हो तो अशोधित ह्रास को उस वर्ष के चालू ह्रास (current year's depreciation) में जोड़कर छूट का दावा किया जा सकता है।

उदाहरण (Illustration) 6.1 :

श्री महेश ने निजी प्रयोग के लिए एक कार 1 मई, 2006 को 2,00,000 रु. में खरीदी। 16 अगस्त, 2009 को उसने यह कार अपने पुत्र राजेश को उपहार में दे दी जिसे उसने अपने पेशे के लिए प्रयोग किया। उपहार के दिन कार का बाजार मूल्य 1,00,000 रु. था। कर–निर्धारण वर्ष 2010–2011 के लिए ह्रास की छूट की गणना हेतु कार का मूल्य ज्ञात कीजिए।

Shri Mahesh purchased a car on 1st May, 2006 for Rs. 2,00,000 for his personal use. On 16th August, 2009 he gifted the car to his son Rajesh who uses it for his professional purpose. The market value of the car on the date of gift was Rs. 1,00,000. Find out the actual cost of the car for computation of depreciation for the assessment year 2010-2011.

हल (Solution) :

श्री राजेश को यह कार उसके पिता से उपहार में प्राप्त हुई। धारा 43(1) के प्रावधान के अनुसार इस कार की वास्तविक लागत का निर्धारण पूर्व स्वामी की लागत में से उपहार वाले गत वर्ष तक स्वीकृत ह्रास घटाने के पश्चात् की राशि होगी–

	रुपये
पूर्व स्वामी श्री महेश के लिए कार की लागत 15%	2,00,000
घटाइयेः 2006–2007 के लिए स्वीकृत ह्रास	30,000
अपलिखित मूल्य (1.4.2007)	1,70,000
घटाइयेः 2007–2008 के लिए स्वीकृत ह्रास 15%	25,500
अपलिखित मूल्य (1.4.2008)	1,44,500
घटाइयेः 2009–2010 के लिए स्वीकृत ह्रास 15%	21,675
अपलिखित मूल्य (1.4.2009)	1,22,825
अतः श्री राजेश के लिए कार की वास्तविक लागत	**1,22,825**

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

टिप्पणी

1. मोटर कार की वास्तविक लागत की गणना हेतु इस कार पर ह्रास की गणना यह मानते हुए की गई है कि सम्पत्ति के इस खण्ड में भी श्री महेश के पास केवल यही सम्पत्ति थी।
2. 1.4.1990 को या इसके बाद क्रय की गई मोटर कार पर ह्रास की दर 15% है।

उदाहरण (Illustration) 6.2 :

श्री मोहन ने एक मशीन 1 जून, 2007 को 6,00,000 रु. में अपने व्यवसाय के लिए खरीदी। उसने यह मशीन 1 दिसम्बर, 2008 को 3,60,000 रु. में बेच दी एवं 20 अगस्त, 2009 को 4,50,000 रु. में पुनः खरीद ली। ह्रास की दर 15% मानते हुए, गत वर्ष 2009–2010 के लिए मशीन की वास्तविक लागत बताइए।

Shri Mohan purchased a machine on 1st June, 2007 for Rs. 6,00,000 for his business. He sold this machine on 1st December, 2008 for Rs. 3,60,000 and reacquired the same machine on 20th August, 2009 for Rs. 4,50,000. Assuming the rate of depreciation to be 15% find out the actual cost of the machine for the previous year 2009-2010.

हल (Solution)

	रुपये
1 जून, 2007 को वास्तविक लागत	6,00,000
घटाइयेः 2007–2008 का ह्रास (15%)	90,000
अपलिखित मूल्य (1.4.2008)	5,10,000
घटाइयेः 2008–2009 ह्रास (15%)	76,500
अपलिखित मूल्य (1.4.2009)	**4,33,500**

श्री मोहन द्वारा मशीन की पुनः खरीद 20 अगस्त, 2009 को 4,50,000 रु. में की गई। इस मशीन का पुनः खरीद मूल्य (4,50,000 रु.) या पुनः खरीद वाले गत वर्ष के प्रारम्भ (1.4.2009) का अपलिखित मूल्य (4,33,500 रु.) जो भी दोनों में से कम है, मशीन की वास्तविक लागत मानी जायेगी। अतः मशीन की वास्तविक लागत 4,33,500 रु. होगी।

नई मशीन या प्लाण्ट पर अतिरिक्त ह्रास
(Additional depreciation on new machinery or plant)

आवश्यक शर्तें

वित्त अधिनियम, 2005 द्वारा नई मशीन या प्लाण्ट पर अतिरिक्त ह्रास छूट से सम्बन्धित धारा 32(1)(iia) को कर–निर्धारण वर्ष 2006–2007 से प्रतिस्थापित किया गया है। प्रतिस्थापित प्रावधानों के अनुसार छूट का लाभ कर–निर्धारण वर्ष 2006–2007 से निम्न शर्तें पूरी करने वाले करदाताओं को प्राप्त होगा–

1. करदाता किसी वस्तु के उत्पादन अथवा निर्माण के व्यवसाय में लगा हुआ हो। यदि करदाता ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित गैर–प्राथमिकता वाली किसी वस्तु के उत्पादन में लगा हुआ है, तब भी अतिरिक्त ह्रास की छूट दी जायेगी।
2. उसने 31 मार्च, 2005 के बाद नई मशीन या प्लाण्ट को क्रय करके स्थापित किया है।
3. नई मशीन अथवा प्लाण्ट ऐसी नहीं होनी चाहिये जिसके लिये छूट नहीं दिये जाने का स्पष्ट प्रावधान अधिनियम में किय गया है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

कटौती की दर

अतिरिक्त ह्रास की कटौती ऐसी मशीन या प्लाण्ट की वास्तविक लागत पर 20% की दर से दी जायेगी। यदि गत वर्ष में ऐसी मशीन या प्लाण्ट का प्रयोग 180 दिन से कम के लिये किया जाये तो कटौती 10% की दर से ही दी जायेगी। अगले वर्ष के लिये अपलिखित मूल्य की गणना करते समय अतिरिक्त ह्रास की राशि को भी घटा दिया जायेगा।

कुछ मशीन या प्लाण्ट पर अतिरिक्त ह्रास छूट नहीं दी जाना–निम्न मशीन या प्लाण्ट पर अतिरिक्त ह्रास की छूट नहीं दी जाती है–

अ. समुद्री जहाज या वायुयान,

ब. ऐसी मशीन या प्लाण्ट जो करदाता द्वारा स्थापित किये जाने से पूर्व भारत में अथवा भारत के बाहर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाई गई हो,

स. कार्यालय परिसर अथवा रिहायशी मकान (अतिथिगृह सहित) में लगाई गई कोई मशीन या प्लाण्ट,

द. कार्यालय में काम आने वाले संयंत्र अथवा सड़क पर चलने वाली गाड़ियां,

य. ऐसी कोई भी मशीन या प्लाण्ट जिसकी वास्तविक लागत की सम्पूर्ण राशि की कटौती ह्रास के रूप में अथवा अन्य किसी प्रकार से व्यापार अथवा पेशे की कर योग्य आय की गणना करते समय किसी एक गत वर्ष में दे दी गई थी।

अतिरिक्त ह्रास छूट के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

1. भवन एवं फर्नीचर पर अतिरिक्त ह्रास की छूट नहीं दी जाती है।
2. पुरानी मशीन एवं प्लाण्ट पर अतिरिक्त ह्रास की छूट नहीं दी जाती है।
3. यह आवश्यक है कि प्लाण्ट एवं मशीन 31 मार्च, 2005 के बाद ही प्राप्त की जाये एवं स्थापित की जाये। यदि इसे 1 अप्रैल, 2005 के पूर्व प्राप्त कर लिया गया था परन्तु स्थापना 1 अप्रैल, 2005 को या उसके बाद की जाये तो अतिरिक्त ह्रास छूट नहीं दी जायेगी।
4. यदि करदाता गत वर्ष में पुरानी मशीनों का विक्रय करता है तथा ऐसा विक्रय मूल्य पुरानी मशीन के अपलिखित मूल्य से अधिक हो तो सामान्य ह्रास गत वर्ष के अंतिम दिन के अपलिखित मूल्य पर स्वीकृत होगा जो नई मशीन की लागत से कम होगा परन्तु अतिरिक्त ह्रास नई मशीन की पूरी लागत पर स्वीकृत होगा।
5. यदि नई मशीन को उसी गत वर्ष में बेच दिया जाता है जिसमें इसे स्थापित किया गया है, तो उस दशा में प्लाण्ट एवं मशीन के सम्बन्ध में अतिरिक्त ह्रास की छूट नहीं दी जायेगी।

उदाहरण (Illustration) 6.3 :

श्री सुभाष एक व्यवसायी है। 1 अप्रैल, 2009 को उनके व्यवसाय की सम्पत्तियां निम्न प्रकार थीं–

सम्पत्तियाँ	वास्तविक लागत रुपये	1.4.2009 को अपलिखित मूल्य (रुपये)	ह्रास की दर
भवन A	40,00,000	25,00,000	10%
भवन B	10,00,000	2,50,000	10%
भवन C	4,00,000	80,000	5%
मशीन A	1,40,000	70,000	25%
मशीन B	2,20,000	1,56,000	25%
मशीन C	40,000	14,000	40%
मशीन D	80,000	62,000	40%

2009–2010 वित्तीय वर्ष में निम्नांकित व्यवहार हुए –

1. 10 मई, 2009 को भवन A 28,00,000 रुपये में बेच दिया।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

2. 18 मई, 2009 को मशीन B 40,000 रुपये में बेच दी गई।
3. 30 नवम्बर, 2009 को एक भवन D 16,00,000 रुपये में तथा 15 दिसम्बर, 2009 को एक अन्य भवन E 6,00,000 रुपये में क्रय किया गया। इन पर ह्रास की दर क्रमशः 10% तथा 5% है।
4. 20 दिसम्बर, 2009 को एक मशीन D को 2,30,000 रुपये में बेच दिया गया।
5. एक नवम्बर, 2009 को एक कार्यालय संयत्र किराया क्रय समझौते के अन्तर्गत प्राप्त किया गया, जिसका रोकड़ मूल्य 1,50,000 रुपये तथा किराया क्रय मूल्य 2,25,000 रुपये था। समझौते की शर्तों के अनुसार 31 मार्च 2010 तक 45,000 रुपये की एक किस्त का भुगतान किया जा चुका है।

उपर्युक्त सूचनाओं के आधार पर श्री सुभाष के व्यवसाय की सम्पत्तियों पर 2010–2011 कर–निर्धारण वर्ष के लिए स्वीकार्य ह्रास की राशि ज्ञात कीजिए।

Shri Subhash is a businessman. The following were the assets of his business on 1st April, 2009:

Assets	**Actual Cost (Rs.)**	**W.D.V. on 1.4.2009**	**Rate of Depreciation (Rs.)**
Building A	40,00,000	25,00,000	10%
Building B	10,00,000	2,50,000	10%
Building C	4,00,000	80,000	5%
Machine A	1,40,000	70,000	25%
Machine B	2,20,000	1,56,000	25%
Machine C	40,000	14,000	40%
Machine D	80,000	62,000	40%

The following transactions took place during the financial year 2009-2010:

1. Sold Building A on 10th May, 2009 for Rs. 28,00,000.
2. Sold Machine B on 18th May, 2009 for Rs. 40,000.
3. Purchased a Building D on 30th November, 2009 for Rs. 16,00,000 and another Building E on 15th December, 2009 for Rs. 6,00,000. The rates of depreciations on these Buildings were 10% and 5% respectively.
4. Sold Machine D on 20th December, 2009 for Rs. 2,30,000.
5. An office plant was acquired on 1st November, 2009 under hire-purchase agreement, the cash price and hire purchase price of which are Rs. 1,50,000 and Rs. 2,25,000 respectively. One instalment of Rs. 45,000 has been paid as per terms of agreement by 31st March, 2010.

On the basis of the above informations, compute the amount of depreciation allowable on the business assets of Shri Subhash for the assessment year 2010-11.

हल (Solution)

Computation of Depreciation Allowable to Shri Subhash for the Assessment Year 2010-11

	Building		**Plant & Machinery**	
Particulars	Block I Rate of Depreciation 5%	Block II Rate of Depreciation 10%	Block III Rate of Depreciation 15%	Block IV Rate of Depreciation 40%

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Written Down Value on 1.4.2009	80,000	27,50,000	2,26,000	76,000
Add: Acquired during the year	6,00,000	16,00,000	1,50,000	NIL
	6,80,000	43,50,000	3,76,000	76,000
Less: Sales Consideration	NIL	28,00,000	40,000	2,30,000
Short-term Capital Gains	-	-	-	1,54,000
W.D.V. on 31.3.2010	6,80,000	15,50,000	3,36,000	NIL
Allowable Depreciation	19,000[1]	77,500[2]	39,150[3]	NIL

1. (6,00,000 x 5/100 x 1/2) + (80,000 x 5/10) = 19,000
2. (15,50,000 x 10/100 x 1/2) = 77,500
3. (1,50,000 x 15/100 x 1/2) + 1,86,000 x 15%) = 39,150

Hence, Total Allowable Depreciation = Rs. (19,000 + 77,500 + 39,150)
= Rs. 1,35,650

टिप्पणी

1. भवन खण्ड (10% ह्रास दर) में 30 नवम्बर, 2009 को भवन D 16 लाख रुपये में खरीदा गया। यह भवन गत वर्ष में 180 दिन से कम अवधि के लिए उपयोग में आया है। अतः इस पर निर्धारित दर के 50% की ह्रास छूट मिलेगी तथा इसका अपलिखित मूल्य 15,50,000 रु. माना जायेगा क्योंकि इस खण्ड का अपलिखित मूल्य भी इतना ही है।
2. भवन खण्ड (5% ह्रास दर) में 30 नवम्बर, 2009 को भवन E 6,00,000 रु. की लागत से खरीदा गया। इस भवन पर निर्धारित दर के 50% की ह्रास छूट मिलेगी क्योंकि यह भवन गत वर्ष में 180 दिन से कम अवधि के लिए उपयोग में आया है।
3. मशीन खण्ड (40% ह्रास दर) पर ह्रास की कटौती स्वीकृत नहीं होगी क्योंकि इस खण्ड में से बेची गई मशीन D का विक्रय मूल्य इस खण्ड के अपलिखित मूल्य से अधिक होने के कारण इस खण्ड का अपलिखित मूल्य शून्य हो गया। विक्रय मूल्य का अपलिखित मूल्य पर आधिक्य अल्पकालीन पूंजी लाभ होगा।
4. किराया समझौते के अन्तर्गत खरीदे गये संयंत्र की वास्तविक लागत 1,50,000 रु. मानी गयी है, जो उसका रोकड़ मूल्य है। यह संयंत्र गत वर्ष में 180 दिन से कम अवधि के लिए उपयोग में आया है इसलिए इस संयंत्र पर निर्धारित दर (15%) से आधी दर पर ह्रास की छूट स्वीकृत होगी।

उदाहरण (Illustration) 6.4 :

X Ltd. is engaged in the business of manufacturing chemicals since 10th May, 2009. The following assets are purchased by the company:

एक्स लिमिटेड रसायन के निर्माण के व्यवसाय में 10 मई, 2009 से लगी हुई है। कम्पनी द्वारा निम्न सम्पत्तियाँ खरीदी जाती हैं–

Assets सम्पत्तियाँ	Date of Purchase क्रय की तिथि	Cost लागत	Rate of Depreciation ह्रास दर
Machine A (new)	May 10, 2009	18,00,000	15%
Machine B (old)	May 10, 2009	18,00,000	15%
Computer for office	May 10, 2009	18,00,000	15%

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

Car	May 10, 2009	18,00,000	15%
Air Conditioner for Factory	May 10, 2009	18,00,000	15%
Machine C (new)	May 10, 2009	18,00,000	15%
Machine D (new)	May 10, 2009	18,00,000	15%

Find out the amount of additional depreciation allowable for the assessment year 2010-11.

कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिये स्वीकृत अतिरिक्त ह्रास की राशि ज्ञात कीजिए।

हल (Solution)

Computation of Additional depreciation allowable

Assets	Cost	Rate of Dep.	Amount of Additional Depreciation
Machine A	18,00,000	20%	3,60,000
Air Conditioner	1,00,000	20%	20,000
Machine D	6,00,000	10%	60,000

टिप्पणी–मशीन B पुरानी होने के कारण, कम्प्यूटर कार्यालय संयंत्र होने के कारण, कार सड़क पर चलने वाली गाड़ी होने के कारण तथा मशीन C पर 100% ह्रास की दर होने के कारण अतिरिक्त ह्रास की कटौती के लिए योग्य नहीं है।

शक्ति का उत्पादन एवं वितरण करने वाले उपक्रमों का सीधी रेखा पद्धति से ह्रास (Depreciation on Straight Line Method for Power Producing Units)

कर–निर्धारण वर्ष 1998–99 से शक्ति का उत्पादन करने वाले उपक्रमों के लिए यह व्यवस्था की गई है कि वह उपक्रम 1 अप्रैल, 1997 को या इसके पश्चात् क्रय की गई सम्पत्तियों पर निम्न दो विधियों में से किसी भी एक विधि को ह्रास की गणना करने के लिए अपना सकता है–

(i) निर्धारित दरों से सम्पत्ति के समूह के अपलिखित मूल्यों पर ह्रास की गणना (इस विधि का वर्णन पूर्व में किया जा चुका है); अथवा

(ii) प्रत्येक सम्पत्ति की वास्तविक लागत पर सीधी रेखा पद्धति से Appendix 1-A में दी गई दरों से ह्रास की गणना।

यदि वह उपक्रम 1 अप्रैल, 1997 से पूर्व स्थापित सम्पत्तियों पर भी सीधी रेखा पद्धति से ह्रास लगाना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है, परन्तु ऐसा विकल्प उसे केवल एक बार ही दिया जा सकता है।

सीधी रेखा पद्धति से ह्रास की गणना के सम्बन्ध में अन्य व्यवस्थाएं निम्न प्रकार हैं –

1. जिस वर्ष सम्पत्ति खरीदी जावे उसी वर्ष इसे यदि बेच दिया जावे तो ऐसी सम्पत्ति पर उस वर्ष ह्रास नहीं लगेगा वरन् विक्रय मूल्य एवं वास्तविक लागत का अंतर अल्पकालीन पूंजी लाभ या अल्पकालीन पूंजी हानि माना जावेगा।

2. यदि सम्पत्ति का विक्रय मूल्य उसके अपलिखित मूल्य से अधिक या कम है तो इस स्थिति में उत्पन्न लाभ या हानि को कर–योग्य आय में सम्मिलित करने के लिए निम्नांकित तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है:

अ. संतुलित प्रभार;

ब. पूंजी लाभ;

स. अंतिम ह्रास।

अ. संतुलित प्रभार (Balancing Charge)[धारा 41 (2)]–सम्पत्ति की वास्तविक लागत के बराबर की

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

विक्रय राशि में से उस सम्पत्ति का अपलिखित मूल्य घटाने पर बचा शेष संतुलित प्रभार कहलाता है जो 'व्यापार या पेशे के लाभ' शीर्षक में कर–योग्य होता है। संतुलित प्रभार की राशि उस गत वर्ष में कर–योग्य होती है जिस गत वर्ष में सम्पत्ति की बिक्री की राशि या बीमा कम्पनी से क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त होती हो।

ब. पूंजी लाभ (Capital Gains)–सम्पत्ति के शुद्ध विक्रय मूल्य का सम्पत्ति की वास्तविक लागत पर आधिक्य पूंजी लाभ कहलाता है, जो पूंजी लाभ शीर्षक में कर–योग्य होता है। दीर्घकालीन सम्पत्तियों पर दीर्घकालीन पूंजी लाभ तथा अल्पकालीन पूंजी सम्पत्तियों पर अल्पकालीन पूंजी लाभ उत्पन्न होता है।

स. अंतिम ह्रास (Terminal Depreciation)–सम्पत्ति के अपलिखित मूल्य का विक्रय मूल्य आधिक्य अंतिम ह्रास कहलाता है, जिसे व्यापारिक हानि मानकर व्यापार या पेशे के लाभों में से घटाई जाती है।

उदाहरणार्थ, शक्ति उत्पादन करने वाली उपक्रम के स्वामी ने उस उपक्रम की दो मशीनों जिनकी वास्तविक लागत 80 लाख रु. तथा 60 लाख रु. थी, को क्रमशः 90 लाख रु. तथा 30 लाख रु. में बेच दिया।पहली मशीन का अपलिखित मूल्य 60 लाख रु. था जबकि दूसरी मशीन का अपलिखित मूल्य 40 लाख रु. था। संतुलित प्रभार, पूंजी लाभ तथा अंतिम ह्रास की राशि निम्न प्रकार होगी –

(i) पहली मशीन का विक्रय मूल्य उसके अपलिखित मूल्य से अधिक है इसलिए संतुलित प्रभार एवं पूंजी लाभ की राशि निम्न प्रकार होगीः

क. संतुलित प्रभार = (80,00,000 – 60,00,000) रु.
= 20,00,000 रु.

ख. पूंजी लाभ = (90,00,000 – 80,00,000) रु.
= 10,00,000 रु.

(ii) दूसरी मशीन का विक्रय मूल्य उसके अपलिखित मूल्य से कम है इसलिए कमी की राशि को अंतिम ह्रास के रूप में व्यापारिक हानि माना जावेगाः

अंतिम ह्रास = (40,00,000 – 30,00,000) रु.
= 10,00,000 रु.

उपर्युक्त उदाहरण में यदि यह माना जावे कि पहली मशीन को 75 लाख रुपये में बेचा गया है तो इस मशीन पर संतुलित प्रभार 15 लाख रुपये उत्पन्न होगा।

चाय, कॉफी तथा रबर विकास खाता [धारा 33AB]
(Tea, Coffee and Rubber Development Account)

यह कटौती ऐसे करदाताओं के लिए उपलब्ध है जो भारत में चाय या कॉफी या रबर उगाने एवं निर्माण करने का व्यवसाय चलाते हैं। यह कटौती प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दो खातों में से किसी भी एक में या दोनों में निर्धारित समयावधि में राशि जमा करानी होती है–

(1) चाय बोर्ड या कॉफी बोर्ड या रबर बोर्ड द्वारा अनुमोदित योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) में खोला गय विशेष खाता, अथवा

(ii) चाय बोर्ड या कॉफी बोर्ड या रबर बोर्ड द्वारा केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से बनाई गई योजना के अन्तर्गत जमा खाता (Deposit Account)।

निर्धारित अवधि–गत वर्ष की समाप्ति से 6 माह के भीतर अथवा आय का नक्शा प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि से पूर्व, इनमें से जो भी अवधि पहले समाप्त हो।

कटौती की राशि–चाय, कॉफी या रबर विकास खाते के संदर्भ में निम्नलिखित राशि की कटौती स्वीकृत

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

की जाती है–
(i) जमा की गई राशि के बराबर; अथवा
(ii) ऐसे व्यवसाय के लाभों के 40% के बराबर, जो भी दोनों में से कम हो।

नोट–ऐसे व्यवसाय से हानि की स्थिति में यह कटौती स्वीकृत नहीं होगी।

कटौती के संदर्भ में लाभों से आशय–यहां पर लाभों से आशय व्यापार अथवा पेशे के लाभ शीर्षक में चाय, कॉफी तथा रबर व्यवसाय के ऐसे लाभों से है जिनमें से धारा 33AB की कटौती नहीं घटाई गई हो और न ही आगे लाई गई व्यापारिक हानियाँ घटाई गई हों।

स्पष्टीकरण – चाय बागानों की आय का 60% भाग कृषि आय तथा 40% भाग व्यापारिक आय माना जाता है। इस कटौती को घटाने के पश्चात् ही कृषि आय ज्ञात की जाती है। अर्थात् पहले यह कटौती स्वीकृत की जाती है तथा शेष बची आय का 60% भाग कृषि आय माना जाता है।

धारा 33AB की कटौती हेतु निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है –
(1) यदि इस धारा के अन्तर्गत छूट का दावा किया गया है तो अन्य किसी गत वर्ष में इस राशि के सम्बन्ध में कोई छूट नहीं मिलेगी।
(2) यदि इस धारा के अन्तर्गत फर्म या व्यक्तियों के समुदाय (AOP) को कटौती दी गई है तो उसी राशि पर फर्म या व्यक्तियों के समुदाय (AOP) के सदस्यों को कोई कटौती नहीं मिलेगी।
(3) खातों का अंकेक्षण – कटौती प्राप्त करने के लिए करदाता को अपने खातों का अंकेक्षण कराना होगा तथा अंकेक्षण रिपोर्ट आय की विवरणी के साथ संलग्न करनी होगी।
(4) जमा राशि का आहरण – इस विशेष खाते में जमा धन में से कुछ निर्धारित उद्देश्यों के लिए अथवा निम्न परिस्थितियों में ही राशि निकाली जा सकती है –
(i) व्यवसाय बंद होने पर,
(ii) साझेदारी फर्म का विघटन होने पर,
(iii) करदाता की मृत्यु होने पर,
(iv) हिन्दु अविभाजित परिवार का विभाजन होने पर,
(v) कम्पनी का समापन होने पर।

नोटः (1) यदि आहरण व्यवसाय बंद होने पर अथवा साझेदारी फर्म का विघटन होने पर किया जाता है तो ऐसी सम्पूर्ण राशि उस गत वर्ष की कर–योग्य आय मानी जायेगी जिस वर्ष में राशि निकाली गई है।
(2) यदि करदाता की मृत्यु होने पर, हिन्दू अविभाजित परिवार के विभाजन होने पर अथवा कम्पनी के समापन पर राशि निकाली गई हो तो वह राशि कर–योग्य नहीं होगी।

(5) सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर प्रतिबन्ध–यदि योजना या जमा योजना के अनुसार प्राप्त किसी सम्पत्ति को उसकी प्राप्ति वाले गत वर्ष की समाप्ति से आठ वर्षों की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही बेच दिया जाता है या किसी व्यक्ति को हस्तान्तरित कर दिया जाता है, तो फिर उस सम्पत्ति का वह भाग, जो उपधारा (1) के अन्तर्गत स्वीकृत कटौती से सम्बन्धित है, उस गत वर्ष के लिए व्यवसाय या पेशे का लाभ मान लिया जायेगा, जिस गत वर्ष में वह सम्पत्ति बेची गई है या हस्तान्तरित की गई है और तदनुसार वह उस गत वर्ष की कर–योग्य आय होगी।

किन्तु इस उपधारा की उपर्युक्त व्यवस्था निम्न परिस्थितियों में लागू नहीं होगी –
(i) यदि वह सम्पत्ति सरकार, स्थानीय सत्ता, वैधानिक निगम या सरकारी कम्पनी को बेची या हस्तान्तरित की गई है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(ii) यदि सम्पत्ति का विक्रय या हस्तान्तरण किसी साझेदारी फर्म के द्वारा किसी ऐसी कम्पनी को किया गया है जिसके सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति होती हो–

(a) फर्म की सभी सम्पत्तियाँ उस कम्पनी की सम्पत्तियाँ बन गई हों;

(b) फर्म के सभी दायित्व उस कम्पनी के दायित्व बन गये हों;

(c) कम्पनी के सभी अंशधारी उस फर्म में साझेदार रहे हों; तथा

(d) फर्म पर लागू होने वाली योजना या जमा योजना उसी रूप में कम्पनी पर भी लागू रहे।

(6) जमा राशि के उपयोग पर प्रतिबंध–जमा खाते में जमा धनराशि का केवल इस योजना में वर्णित उद्देश्यों के लिए ही उपयोग किया जा सकता है। यदि विकास खाते में से जमा राशि निकालकर निम्नलिखित मशीन या प्लाण्ट खरीदा जाता है तो धारा 33AB के तहत कोई कटौती नहीं मिलेगी–

(i) किसी कार्यालय, निवास स्थान अथवा अतिथि गृह में लगे प्लाण्ट या मशीन,

(ii) कार्यालय के उपकरण (कम्प्यूटर को छोड़कर),

(iii) ऐसी नई मशीन या प्लाण्ट जिसका उपयोग ऐसी वस्तु के निर्माण या उत्पादन में किया जाता है जो 11वीं अनुसूची में वर्णित हैं।

(7) जमा राशि का उपयोग–यदि विकास खाते में जमा की गई राशि में से गतवर्ष में निकाली गई राशि का उपयोग पूर्णतः या अंशतः इस योजना में वर्णित उद्देश्यों के लिए उस गत वर्ष में नहीं किया गया जिस वर्ष में यह राशि निकाली गई थी तो निर्धारित उद्देश्यों के लिए उपयोग में न लायी गई ऐसी राशि उस वर्ष की कर–योग्य आय मानी जावेगी।

उदाहरण (Illustration) 6.5 :

श्री रजनीश आसाम में चाय उगाने एवं निर्माण करने के व्यवसाय में लगा हुआ है। गत वर्ष की समाप्ति के 4 माह बाद परन्तु आय की विवरणी प्रस्तुत करने से पूर्व 1,00,000 रु. राष्ट्रीय बैंक में खुले हुए 'चाय विकास खाते' में जमा कराये। कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए निम्नलिखित विभिन्न परिस्थितियों में श्री रजनीश को धारा 33AB के अन्तर्गत चाय विकास खाते के सम्बन्ध में स्वीकृत छूट की राशि ज्ञात कीजिए–

अ. यदि चाय व्यापार के लाभ 8,00,000 रु. हों।

ब. यदि चाय व्यापार के लाभ 20,00,000 रु. हों।

स. यदि चाय व्यापार में 1,00,000 रु. की हानि हो।

Shri Rajneesh who is engaged in the business of growing and manufacturing tea in Assam, deposited Rs. 1,00,000 with 'National Bank in Tea Development Account' after a period of 4 months for the end of previous year but before filing the return of income. Ascertain the amount of deduction for 'Tea Development Account' under section 33AB to Shri Rajneesh in the following different circumstances for the assessment year 2010-11:

(a) If the profits from tea business are Rs. 8,00,000.

(b) If the profits from tea business are Rs. 2,00,000.

(c) If there is a loss from tea business of Rs. 1,00,000.

हल (Solution)

Calculation of the deduction for Tea Development Account under Section 33AB for the Assessment Year 2010-11

(a) श्री रजनीश द्वारा चाय विकास खाते में जमा कराई गई राशि या चाय व्यापार के लाभों का 40% जो भी दोनों में से कम हो, की कटौती स्वीकृत होगी–

(i) चाय विकास खाते में जमा कराई गई राशि = 1,00,000 रुपये, या

(ii) चाय व्यापार के लाभों का 40% = 8,00,000 x 40 / 100 = 3,20,000 रुपये।

इस परिस्थिति में धारा 33AB की कटौती 1,00,000 रुपये स्वीकृत होगी।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(b) (i) चाय विकास खाते में जमा कराई गई राशि = 1,00,000 रुपये, या

(ii) चाय व्यापार के लाभों का 40% = 2,00,000 x 40 / 100 = 80,000 रुपये।

इस परिस्थिति में इस धारा के अन्तर्गत कटौती 80,000 रुपये की स्वीकृत होगी।

(c) करदाता को चाय व्यापार में हानि होने के कारण इस धारा के अन्तर्गत कटौती स्वीकृत नहीं होगी।

उदाहरण (Illustration) 6.6 :

वाई. लि. भारत में चाय उगाने एवं निर्माण व्यवसाय में लगी हुई है। इसने गत वर्ष 2006–07 में चाय विकास खाते में 10 लाख रु. जमा कराये और धारा 33AB के अन्तर्गत इस राशि के बराबर (चाय व्यापार के लाभ 50 लाख रुपये के 20% के बराबर) छूट का दावा किया। गत वर्ष 2009–10 में कम्पनी ने इस खाते में से 3,50,000 रु. निकालकर निम्नानुसार उपयोग किया–

(a) 31 दिसम्बर, 2009 को 2,50,000 रु. का उपयोग चाय बोर्ड द्वारा निर्धारित उद्देश्यों में किया और

(b) 20 जनवरी, 2010 को 40,000 रु. का उपयोग अन्य उद्देश्यों में किया।

60,000 रु. का उपयोग 31 मार्च, 2010 तक नहीं किया जा सका। कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए कर–योग्य राशि ज्ञात कीजिए।

Y Ltd. is engaged in the business of growing and manufacturing tea in India. During the previous yeas 2006-07, it deposits Rs. 10 lakh with Tea Deposit Account and claims the same as deduction under section 33AB (i.e. 20% of the tea business profit Rs. 50 lakh). During 2009-2010 the company withdraws Rs. 3,50,000 from this account which is utilised as under:

(a) Rs. 2,50,000 on 31st December, 2009 for the purpose of the scheme framed by the Tea Board, and

(b) Rs. 40,000 for other purpose on 20th January, 2010 Rs. 60,000 could not be utilised upto 31st March 2010. Find out the amount chargeable to tax for the assessment year 2010-11.

हल (Solution)

कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए कर–योग्य राशि की गणना :

	रुपये
गत वर्ष 2009–2010 में कम्पनी द्वारा चाय विकास खाते से आहरित राशि	3,50,000
घटायाः चाय बोर्ड द्वारा निर्धारित उद्देश्यों में उपयोग	2,50,000
कर निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए कर–योग्य राशि (40,000 रु. अन्य उद्देश्यों में + 60,000 रु. का उपयोग नहीं हुआ)	1,00,000

स्थल प्रत्यावर्तन कोष [धारा 33 ABA]
(Site Restoration Fund)

यह कटौती ऐसे करदाताओं को दी जाती है जो भारत में पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस अथवा दोनों के पूर्वेक्षण या छाँटने या इनका उत्पादन करने का व्यवसाय चलाता है। धारा 33ABA के अन्तर्गत ऐसे व्यवसाय के कर–योग्य लाभों की गणना हेतु निम्नांकित में से जो भी राशि कम है, के बराबर छूट स्वीकृत होती है–

(i) भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अनुमोदित योजना के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक में 'विशेष खाते' में जमा कराई गई राशि, या

(ii) ऐसे व्यवसाय के लाभों का 20%।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

अभ्यास के लिए प्रश्न
(Questions for Exercise)

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न (Very Short Answer Type Questions):

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 20 शब्दों में दीजिए।

(Answer the following questions in maximum 20 words.)

1. ह्रास से आप क्या समझते हैं?
   What do you understand by depreciation?
2. 'सम्पत्तियों के खण्ड' से आप क्या समझते हैं?
   What do you understand by 'block of assets'?
3. चाय विकास खाते की छूट कितनी मिलती है?
   How much allowance is admissible for Tea Development Account?
4. स्थल प्रत्यावर्तन कोष की छूट की राशि कितनी होती है?
   What is the amount of allowance for Site Restoration Fund?
5. सीधी रेखा विधि से ह्रास किन करदाताओं को स्वीकृत होता है?
   To whom straight line method of depreciation is allowed?
6. जिन सम्पत्तियों पर ह्रास की छूट उपलब्ध है, उनके नाम लिखिए।
   Name the assets for which depreciation allowance is admissible.
7. अशोधित ह्रास को कितने वर्षों तक आगे ले जाया जा सकता है?
   For how many years can the unabsorbed depreciation be carried forward?
8. ऐसी दो सम्पत्तियों के नाम बतलाइये, जिन पर ह्रास की छूट उपलब्ध नहीं है।
   Mention the name of two such assets, on which depreciation allowance is not available.
9. ऐसी दो अमूर्त सम्पत्तियों के नाम लिखिए जिन पर ह्रास छूट स्वीकृत की जाती है।
   Mention the name of such two intangible assets on which depreciation rebate is allowed.

लघूत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer Type Questions):

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए।

(Answer the following questions in maximum 50 words.)

1. ह्रास की छूट के लिए सम्पत्ति के किसी खण्ड के अपलिखित मूल्य को समझाइये।
   Explain the written down value of a block of asset for depreciation rebate.
2. अमूर्त सम्पत्तियों से क्या तात्पर्य है? इन पर ह्रास स्वीकृत करने सम्बन्धी क्या प्रावधान हैं?
   What do you understand by intangible assets? What are the provisions regarding depreciation on such assets?

निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions):

1. ह्रास क्या है? ह्रास की कटौती के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम 1961 की व्यवस्थाओं को समझाइये।
   What is depreciation? Explain the provisions of Income Tax Act, 1961 regarding depreciation allowance.

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

खण्ड—ब
Section-B
इकाई (Unit) - 7
व्यवसाय अथवा पेशे के लाभ तथा अधिलाभ
(Profits and Gains of Business or Profession)

परिचय (Introduction)

आय के इस तीसरे शीर्षक में करदाता को व्यवसाय अथवा पेशे से होने वाली आय को शामिल किया जाता है। सट्टे की आय को इस शीर्षक में सम्मिलित किया जाता है परन्तु जुए एवं शर्त की आय को इस शीर्षक में सम्मिलित नहीं किया जाता है। हमारे सामने महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि व्यापार अथवा पेशे में कौन सी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। इसके लिए आयकर अधिनियम की धार 2 (13) तथा 2 (36) में वर्णित परिभाषा को आधार माना जावेगा।

व्यवसाय
(Business)

आयकर अधिनियम की धारा 2 (13) के अनुसार 'व्यवसाय में व्यापार, वाणिज्य या निर्माण कार्य अथवा व्यापार, वाणिज्य या निर्माण कार्य की प्रकृति का कोई भी साहसिक कार्य सम्मिलित है।' इससे स्पष्ट है कि व्यवसाय का क्षेत्र काफी विस्तृत है तथा जीविकोपार्जन के सभी कार्य व्यवसाय कहलाते हैं।

पेशा
(Professsion)

आयकर अधिनियम की धारा 2(36) में पेशे की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। इस धारा में तो केवल इतना ही लिखा है कि पेशे में धन्धा शामिल है (Profession includes Vocation), यह इस शब्द की परिभाषा नहीं है। इसके लिए विस्तृत चर्चा नीचे की गयी है।

पेशा (Profession) : पेशे शब्द का आशय उन कार्यों से है जिनमें या तो पूर्णतः बौद्धिक कुशलता की आवश्यकता होती है या ऐसे शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है जो कार्य करने वाले व्यक्ति की बौद्धिक कुशलता द्वारा नियन्त्रित रहता है। पेशे में पेश करने वाले व्यक्ति की निजी योग्यता, तकनीकी ज्ञान और बौद्धिक कुशलता की प्रधानता रहती है। डाक्टर, वकील, इन्जीनियर, अंकेक्षक आदि का कार्य पेशे में शामिल किया जाता है।

धन्धा या वृत्ति (Vocation) : धन्धा एक ऐसा कार्य है जिसके अन्तर्गत कोई व्यक्ति अपने जीवन का अधिकांश भाग व्यतीत करता है तथा जो उसकी आजीविका का प्रमुख साधन है। यदि कोई व्यक्ति अपनी आजीविका के लिए पुस्तकें, लेख, कविता, कहानियां आदि लिखता हो अथवा धार्मिक कार्य करता हो तो यह उसका धन्धा कहलायेगा।

व्यवसाय, धन्धा तथा पेशे की आय का एक ही शीर्षक है। अतः व्यवसाय, पेशे या धन्धे में अन्तर करना अनावश्यक है। हमारे लिये यह निर्णय करना ही पर्याप्त है कि कोई कार्य व्यवसाय या पेशा या धन्धा है अथवा नहीं। यदि यह कार्य इस वर्ग में आता है तो इससे उपार्जित आय इस शीर्षक के अन्तर्गत सम्मिलित की जायेगी अन्यथा नहीं।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

‘व्यवसाय अथवा पेशे के लाभ तथा अधिलाभ’ शीर्षक के अन्तर्गत कर–योग्य आयें (धारा 28)
(Taxable Incomes Under the Head 'Profits and Gains of Business or Profession')

अथवा (OR)

‘व्यवसाय अथवा पेशे के लाभ तथा अधिलाभ’ शीर्षक के अन्तर्गत आय का क्षेत्र
(Scope of Incomes Under the Head 'Profits and Gains of Business or Profession')

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

1. व्यवसाय अथवा पेशे के लाभ तथा अधिलाभ [धारा 28 (i)] :

एक करदाता द्वारा गत वर्ष में संचालित व्यापार या पेशे से प्राप्त आयगत प्राप्तियां (लाभ एवं अधिलाभ) इस शीर्षक में कर योग्य होती है। जैसे–

(i) व्यापारी द्वारा माल की बिक्री से प्राप्त राशि;

(ii) सेवाएं देने के बदले में प्राप्त राशि;

(iii) कमीशन, बट्टा, ब्याज आदि की राशि;

(iv) व्यवसाय में कार्यरत कर्मचारियों को मकान किराये पर देने से प्राप्त राशि;

(v) पेशेवर व्यक्ति को पेशे के परिणाम स्वरूप प्राप्त राशि; जैसे–किसी डॉक्टर को मरीज से प्राप्त फीस, वकील को अपने मुवक्किल से प्राप्त फीस।

2. क्षतिपूर्ति (Compensation) की राशि [धारा 28 (ii)] :

निम्नांकित व्यक्तियों को प्राप्त अथवा प्राप्य क्षतिपूर्ति की राशि अथवा अन्य किसी प्रकार के भुगतान की राशि इस शीर्षक के अन्तर्गत कर–योग्य होती है :

(अ) कम्पनी के प्रबन्ध का अनुबन्ध समाप्त होने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति [धारा 28 (ii)(a) 8(b)]:

ऐसे व्यक्ति को, जो किसी भारतीय कम्पनी का या अन्य किसी कम्पनी का सम्पूर्ण या लगभग सम्पूर्ण प्रबन्ध करता है, तो प्रबन्ध की समाप्ति या प्रबन्ध की शर्तों में परिवर्तन होने पर उसे मिलने वाली क्षतिपूर्ति की राशि इस शीर्षक की आय होगी।

(ब) ऐजेन्सी की समाप्ति पर प्राप्त क्षतिपूर्ति [(धारा 28 (ii)(c)] :

ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास किसी अन्य व्यक्ति के व्यापार से सम्बन्धित भारत में कोई एजेन्सी है, एजेन्सी की समाप्ति पर अथवा ऐजेन्सी की शर्तों में परिवर्तन होने पर मिलने वाली क्षतिपूर्ति की राशि इस शीर्षक की आय होगी।

(स) सरकार द्वारा अनिवार्य अधिग्रहण करने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति [(धारा 28 (ii)(d)] :

यदि किसी व्यवसाय या सम्पत्ति का प्रबन्ध किसी अधिनियम के अन्तर्गत सरकार द्वारा या किसी ऐसे निगम द्वारा जिसका स्वामित्व या नियन्त्रण सरकार के पास हो, अधिगृहीत कर लिया गया है तो ऐसे अधिग्रहण के बदले में मिलने वाली क्षतिपूर्ति की राशि इस शीर्षक की आय होगी।

3. व्यापार एवं संघों (Associations) की आय [(धारा 28 (iii)] :

यदि व्यापार या पेशे से सम्बन्धित संघ अथवा इसी प्रकार के अन्य किसी संघ द्वारा अपने सदस्यों को विशिष्ट सेवाएं प्रदान की गई हैं तथा इससे उस संघ को कोई आय प्राप्त हुई है तो ऐसी आय 'व्यवसाय या पेशे से लाभ' वाले शीर्षक की आय होगी।

4. आयात अनुज्ञा–पत्र (Import Licence) के विक्रय से लाभ [धारा 28 (iiia)] :

आयात एवं निर्यात (नियन्त्रण) अधिनियम, 1947 (Imports and Exports (Control) Act, 1947) के अधीन बनाये गये आयात (नियन्त्रण आदेश 1955 (Imports (Control) order, 1955) के अन्तर्गत स्वीकृत अनुज्ञा–पत्र (Licence) के विक्रय से होने वाले लाभ इस शीर्षक अन्तर्गत कर–योग्य होंगे।

5. नकद सहायता [धारा 28 (iiib)] :

भारत सरकार की किसी योजना के अन्तर्गत निर्यात के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को प्राप्त अथवा प्राप्य नकद सहायता की राशि (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये) इस शीर्षक में कर–योग्य होगी।

6. सीमा–शुल्क या उत्पाद–शुल्क ड्रा–बैक की राशि [धारा 28 (iiic)] :

सीमा–शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ड्रा–बैक नियम, 1971 (Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971) के अन्तर्गत निर्यात के प्रति किसी व्यक्ति को ड्रा–बैक के रूप में वापस चुकाई गई या वापस चुकाये जाने योग्य सीमा–शुल्क या उत्पाद शुल्क की राशि इस शीर्षक में कर–योग्य होती है।

7. ड्यूटी एनटाइटलमेंट पासबुक योजना के हस्तान्तरण पर लाभ [धारा 28 (iiid)] :

एक निर्यातकर्ता को उपलब्ध ड्यूटी एनटाइटलमेंट पासबुक योजना के हस्तान्तरण से होने वाला लाभ कर योग्य होता है।

8. एक निर्यातकर्ता को उपलब्ध शुल्क मुक्त पुनः पूर्ति प्रमाण पत्र के हस्तान्तरण से होने वाला लाभ इस शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य होता है। **[धारा 28 (iiie)]**

9. व्यवसाय या पेशे के अनुलाभ (Perquisites) [धारा 28 (iv)] :

यदि करदाता का कोई व्यवसाय या पेशा हो तथा उसको अपने व्यवसाय या पेशे के दौरान कोई लाभ (benefit) या अनुलाभ (Perquisite) प्राप्त हो गया है, तो ऐसे लाभ या अनुलाभ का मूल्य इस शीर्षक की आय होगी, चाहे व लाभ या अनुलाभ मुद्रा में परिवर्तनीय हों या नहीं। ऐसे लाभ या अनुलाभ इस शीर्षक की आय उस समय होंगे जब वे उस करदाता को अपने व्यवसाय या पेशे की क्रियाओं के कारण मिले हों। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर को रोगी के ठीक होने पर निर्धारित फीस के अतिरिक्त कोई उपहार भी प्राप्त हुआ। उस उपहार का मूल्य इस शीर्षक की आय मानी जायेगी किन्तु उस डॉक्टर को यदि अपने जन्म–दिवस पर उपहार मिले हों तो ऐसे उपहारों को इस शीर्षक की आय नहीं माना जायेगा।

10. साझेदार को फर्म से प्राप्त वेतन, ब्याज, बोनस, कमीशन आदि [धारा 28 (v)] :

यदि किसी फर्म के साझेदार को उस फर्म से ब्याज या पारिश्रमिक (वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये) प्राप्त या प्राप्य हुआ है, तो ऐसे ब्याज या पारिश्रमिक क सम्बन्ध में जितनी राशि की फर्म को कटौती स्वीकार की गई है, उतनी राशि उस साझेदार की कर–योग्य आय होगी तथा उसे इस शीर्षक के अन्तर्गत शामिल किया जायेगा।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

11. समझौते के अन्तर्गत नकद अथवा वस्तु के रूप में प्राप्त/प्राप्य कोई भी राशि [धारा 28 (va)]:

निम्नांकित समझौतों के अधीन नगद अथवा वस्तु के रूप में प्राप्त या प्राप्य राशि कर–योग्य होगी:

(क) किसी व्यवसाय के सम्बन्ध में क्रिया कलाप नहीं करने, अथवा

(ख) वस्तुओं के विनिर्माण अथवा प्रसंस्कण अथवा सेवाओं का प्रावधान करने में सहायक सिद्ध होने की सम्भावना वाले किसी व्यवहार–ज्ञान,पेटेन्ट, प्रतिलिप्याधिकार, ट्रेडमार्क, अनुज्ञप्ति, विशेषाधिकार अथवा समान प्रकृति के किसी अन्य व्यावसायिक अथवा वाणिज्यिक अधिकार अथवा सूचना या तकनीक को नहीं बॉटना।

अपवाद– उपर्युक्त वाक्यांश (क) वहाँ पर लागू नहीं होगा जहां पर किसी वस्तु की विनिर्माण, उत्पादन अथवा प्रसंस्करण के अधिकार या व्यवसाय को चलाने के अधिकार के अंतरण के लेखे से नकद अथवा वस्तु के रूप में कोई राशि प्राप्त हुई हो अथवा प्राप्य हो, जो किस पूंजीगत लाभों (Capital Gains) के शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य है।

12. प्रमुख व्यक्ति की बीमा पालिसी के अन्तर्गत प्राप्त राशि [धारा 28 (vi)] :

ऐसी पॉलिसी पर प्राप्त राशि जिसमें बोनस भी शामिल है, इस शीर्षक की कर–योग्य आय होगी।

13. समझौते के अन्तर्गत नकद अथवा वस्तु के रूप में प्राप्त/प्राप्य कोई भी राशि [धारा 28 (va)]:

किसी पूंजीगत सम्पत्ति (जो भूमि या ख्याति या वित्तीय प्रलेख से भिन्न हो) को गिरा दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है या प्रयोग से हटा दिया गया है या हस्तान्तरित कर दिया गया है तथा इससे नकद या वस्तु के रूप में प्राप्त (या प्राप्य) कोई राशि इस शीर्षक में कर योग्य होगी वशर्तें ऐसी पूंजी सम्पत्ति का सम्पूर्ण व्यय धरा 35AD के अन्तर्गत कटौती के रूप में स्वीकृत कर दिया गया है।

14. मकान सम्पत्ति की प्राप्तियाँ

यदि कोई करदाता अपनी मकान सम्पत्ति या प्रयोग ऐसे व्यापार अथवा पेशे के लिए करता है जिसके लाभ कर योग्य हैं, तो ऐसी मकान सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य पर मकान सम्पत्ति से आय शीर्षक में कर नहीं लगता है। ऐसी मकान सम्पत्ति की आय पर व्यापार अथवा पेशे की आय शीर्षक में कर लगेगा। इस प्रकार निम्न दशाओं में मकान सम्पत्ति से प्राप्ति व्यापार अथवा पेशे की आय समझी जाती है –

(अ) उक्त मकान का कोई भाग ऐसे कर्मचारी को किराये पर दे दिया जाता है जिसका वहाँ रहना व्यापार के संचालन के लिए लाभदायक है, तो ऐसे कर्मचारी से प्राप्त किराया व्यापार अथवा पेशे की आय मानी जायेगी।

(ब) उक्त मकान का कोई भाग व्यापार को कुशलतापूर्वक एवं सुचारु रूप से चलाने के उद्देश्य से राष्ट्रीकृत बैंक की शाखा, पोस्ट आफिस, कोतवाली **(Police Station)** केन्द्रीय एक्साइज कार्यालय अथवा रेलवे स्टाफ क्वार्टर्स की स्थापना के लिये सरकार को उपलब्ध करा दिया जाता है तो ऐसी मकान सम्पत्ति की आय व्यापार की आय के रूप में कर योग्य होगी।

15. अवैध व्यापार की आय–

आय कर में आय की वैधता अथवा अवैधता पर विचार नहीं किया जाता है। आय की अवैधता के आधार पर इसे कर से मुक्ति नहीं दी जा सकती है। इस आधार पर तस्करी के व्यापार के लाभ अथवा प्रतिबन्धित शराब की बिक्री के लाभ अथवा चोरी के माल के क्रय–विक्रय के लाभ इस शीर्षक में कर योग्य

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

होते हैं। इस प्रकार अवैध व्यापार को करने वाला व्यक्ति अवैध व्यापार के व्यय एवं हानियों को ऐसे व्यापार की प्राप्तियों में से घटा सकता हैं तथा जब्त किये गये माल का मूल्य भी घटा सकता है। परन्तु नियमों का उल्लंघन करने के कारण लगाया गया अर्थ–दण्ड नहीं घटा सकता है।

वित्त अधिनियम, 1998 के द्वारा धारा 37(1) में कर निर्धारण वर्ष 1962–63 से संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अनुसार करदाता को ऐसे कार्य के लिए कोई छूट नहीं दी जायेगी जो कानून द्वारा वर्जित है अथवा जो अपराध की श्रेणी में आता है। परिणाम स्वरूप, रिश्वत, लूटपाट अथवा सुरक्षा प्राप्त करने के लिए किये गये किसी भुगतान की व्यापारिक व्यय के रूप में छूट स्वीकृत नहीं की जायेगी।

16. सट्टे के व्यवहारों की आय (Explanation 2 of Section 28)

यदि करदाता के द्वारा सट्टे के व्यवहार व्यवसाय के रूप में किये जाते हैं तो उन व्यवहारों से होने वाले लाभ इस शीर्षक की कर योग्य आय होगी। इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बात यह है कि सट्टे के लाभों को अन्य लाभें से अलग दिखाया जाता है जिससे कि धारा 72 के प्रावधान क्रियान्वित किये जा सकें। इस धारा के अनुसार सट्टे के व्यवसाय की हानि की पूर्ति केवल सट्टे के लाभों से ही की जा सकती है, अन्य आयों से नहीं।

आयकर अधिनियम की धारा 43(5) में सट्टे की परिभाषा निम्न प्रकार दी गई हैः "सट्टे का व्यवहार एक ऐसा व्यवहार है जिसमें अंशों व स्कन्ध (Shares and Stocks) सहित किसी वस्तु को क्रय करने या विक्रय करने का अनुबन्ध किया जाता है तथा जिसका निपटारा एक अवधि के बाद या अन्ततः इस प्रकार किया जाता है जिससे वस्तुओं या अंशों की वास्तविक सुपुर्दगी या हस्तान्तरण न हो।"

उपर्युक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि –

सट्टा अंश, स्टाक या व्यापारिक माल का ही हो सकता हैं अन्य कोई व्यवहार सट्टा नहीं हो सकता।

सट्टे के व्यवहार में वास्तविक सुपुर्दगी या हस्तान्तरण नहीं होता है। यदि किसी व्यवहार का वास्तविक सुपुर्दगी द्वारा निपटारा होता है तो वह व्यवहार सट्टे की श्रेणी में नहीं आता है। इसके विपरीत, यदि किन्हीं सौदों का प्रारम्भिक उद्देश्य वास्तविक सुपुर्दगी द्वारा निपटारा किया जाना था, परन्तु परिस्थितियोंवश उनका निपटारा मूल्यों में अन्तर के आदान–प्रदान के माध्यम से होता है, तो ऐसे व्यवहार भी सट्टे के व्यवहार कहलायेंगे।

अतः सट्टे का तात्पर्य माल, अंश या स्कंध के ऐसे व्यावसायिक अनुबन्ध से है जिनका निष्पादन भविष्य में बिना सुपुर्दगी के केवल भावों में अन्तर को ले–देकर किया जावेगा।

17. अन्य कर योग्य आयें:

धारा 28 में वर्णित आयों के अतिरिक्त निम्नांकित आयें भी इसी शीर्षकि में कर योग्य होती हैः

(i) पूर्व में स्वीकृत छूट या कटौती की वसूली [धारा 41 (1) (a) & (b)] : जिन व्ययों (हानियों या व्यापारिक दायित्वों) की पूर्व के वर्षों में कटौती मिल चुकी है और इनकी राशि करदाता अथवा उसके उत्तराधिकारी को पुनः प्राप्त हो गयी हो तो जिस गत वर्ष में यह राशि पुनः प्राप्त होती है, उस गत वर्ष में इसे 'व्यापार अथवा पेशे के लाभ' शीर्षक में कर–योग्य किया जावेगा। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि गत वर्ष में करदाता कोई व्यवसाय करे।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(ii) ह्रास योग्य सम्पत्तियों के सम्बन्ध में उत्पन्न सन्तुलित प्रभार (Balancing charge) **[धारा 41 (4)] :** जिन सम्पत्तियों पर स्थायी किश्त पद्धति से ह्रास की छूट मिलती है, उनके विक्रय मूल्य या वास्तविक लागत (जो दोनों में कम हो) का अपलिखित मूल्य पर आधिक्य सन्तुलित प्रभार के रूप में व्यवसाय अथवा पेशे के लाभ शीर्षक में कर योग्य होता है।

(iii) वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयोग में आने वाली सम्पत्ति के सम्बन्ध में सन्तुलित प्रभार [(धारा 41 (2)] : करदाता की कोई सम्पत्ति, जो वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिए काम में ली गई है, तथा जिस पर धारा 35 के अन्तर्गत कोई छूट या कटौती प्रदान की गई है, गत वर्ष में अन्य किसी उपयोग में लिए बिना ही बेच दी जाये तथा उसका विक्रय मूल्य और धारा 35 के अन्तर्गत प्रदान की गई छूट या कटौतियों का योग उस सम्पत्ति की मूल लागत से अधिक हो, तो ऐसे आधिक्य की राशि अथवा ऐसी कटौतियों की राशि, दोनों में से जो भी कम हो, उस करदाता के लिए "व्यवसाय या पेशे के लाभ" शीर्षक की आय होती है। यह आय उस गत वर्ष की कर योग्य आय होगी, जिस गत वर्ष में वह सम्पत्ति बेची गई है, चाहे सम्बन्धित व्यवसाय पहले ही बन्द हो चुका हो।

(iv) डूबत ऋण की वसूली (Recovery of Bad-debts) [धारा 41 (4)] : यदि किसी ऋण के सम्बन्ध में करदाता को डूबत ऋण की कटौती प्रदान की जा चुकी है और बाद में ऐसी राशि करदाता को या उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त हो जाये, तो इस प्रकार से प्राप्त राशि 'व्यवसाय या पेशे से लाभ' वाले शीर्षक की आय होगी। यह आय उस गत वर्ष की कर योग्य आय मानी जायेगी जिस गत वर्ष में वह प्राप्त हुई है, चाहे सम्बन्धित व्यवसाय पहले ही बन्द हो चुका हो।

स्पष्टीकरण : यदि उत्तराधिकार के अलावा अन्य कारणों से व्यवसाय के स्वामित्व को क्रय करने से पूर्व की अवधि का डूबत ऋण वसूल हुआ हो तो वसूल हुई ऐसी राशि नये स्वामी के लिए कर–योग्य नहीं होगी।

(v) विशेष संचय का आहरण [धारा 41 (4A)] : धारा 36 (1)(viii) के अन्तर्गत बनाये गये तथा रखे गये विशेष संचय के सम्बन्ध में यदि पूर्व में कोई कटौती मिल चुकी है, जो ऐसे विशेष संचय में से बाद में आहरण होने पर उस आहरित राशि को व्यवसाय या पेशे का लाभ माना जायेगा तथा यह उस गत वर्ष की आय होगी, जिस गत वर्ष में ऐसा आहरण हुआ है, चाहे उस गत वर्ष में वह व्यवसाय या पेशा चालू रहा हो या नहीं।

यदि धारा 41 में वर्णित व्यवसाय किसी गत वर्ष में अस्तित्व में न हो, किन्तु उस गत वर्ष में उस व्यवसाय से सम्बन्धित उपर्युक्त वर्णित आय हो, तो ऐसी आय से उस हानि की पूर्ति की जा सकती है, जो उस व्यवसाय की हानि थी तथा व्यवसाय के बन्द हो जाने के कारण जिसकी पूर्ति नहीं हो सकी थी।

(vi) अंशतः कृषि आय एवं अंशतः व्यापारिक आय (Party Agricultural and Partly Business Income):

(A) कृषि उत्पादों को कच्चे माल के रूप में काम में लेने वाले निर्माताओं की आय– ऐसे व्यक्तियों के कार्य का कुछ भाग कृषि से तथा कुछ भाग व्यापार से सम्बन्धित होता है। उदाहरणार्थ–ऐसी चीनी मिल जो अपने स्वयं के खेत पर गन्ना उगाकर चीनी का उत्पादन करती है, की कुल आय में कुछ भाग कृषि आय का होता है और शेष भाग व्यापारिक आय का होता है। 'आयकर नियम 1962' के नियम 7 के अनुसार व्यापारिक आय ज्ञात करने के लिए इनकी कुल आय में से ऐसी मिल के द्वारा स्वयं के खेत पर उत्पादित माल का बाजार मूल्य (जिसे उस मिल ने कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लिया है) घटा दिया

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

जाता है। कच्चे माल के बाजार मूल्य तथा उसको उत्पादित करने की लागत का अन्तर कृषि आय मानी जाती है, जिस पर आयकर नहीं लगता है।

बाजार मूल्य से तात्पर्यः

(i) यदि ऐसी उपज प्रायः बाजार में बिकती है तो उसका औसत बाजार मूल्य तथा

(ii) यदि ऐसी उपज प्रायः बाजार में नहीं बिकती है तो निम्न राशियों के योग को बाजार मूल्य माना जाता है—

(अ) कृषि सम्बन्धी खर्चे;

(ब) भूमि का लगान व किराया ; तथा

(स) कर—निर्धारण अधिकारी की राय में उचित लाभ की राशि।

(B) चाय बागानों की आय—

काफी तथा चाय के उत्पादन में दो क्रियाएं होती हैं— (i) उगाना तथा (i) विक्रय योग्य बनाना। इनमें विक्रय योग्य बनाने की क्रिया व्यापारिक क्रिया होती है। आयकर अधिनियम में बनाये गये प्रावधानों के अनुसार भारत में स्थित चाय बागान की आय का 60 प्रतिशत भाग कृषि आय तथा शेष 40 प्रतिशत भाग व्यापार की आय मानी जाती है जो व्यापार या पेशे के लाभ' शीर्षक में कर—योग्य होती है। चपाय बागानों की आय की गणना आयकर नियम 8 के अनुसार की जाती है।

(C) रबर उत्पाद से आय

करदाता द्वारा भारत में उगाये गये रबर के पौधों से उत्पादित (i)'Centrifuged latex' या (Cenex)के विक्रय से होने वाली आय का 65 प्रतिशत भाग कृषि आय तथा 35 प्रतिशत भाग व्यापार की आय माना जता है। इस उद्देश्य के लिये आय की गणना 'आयकर नियम 1962' के नियम 7A के अनुसार की जाती है।

(D) कॉफी बागानों की आय : (नियम 7B)

1. (क) भारत में कॉफी विक्रेता द्वारा उगाई गयी तथा विनिर्मित कॉफी की बिक्री करने से हुई आय की गणना इस प्रकार की जायेगी जैसे कि मानों व्यवसाय से प्राप्त आय हो और ऐसी आय के 25 प्रतिशत को करदाता की कर—योग्य आय माना जावेगा तथा शेष 75 प्रतिशत भाग को कृषि आय।

   (ख) भारत में विक्रेता द्वारा उगाई गयी, विनिर्मत भूनी गई तथा कूटी गयी कॉफी की बिक्री से होने वाली आय की गणना (कोई चिकरी (कासनी) या अन्य कोई सुगन्धित तत्व मिलाये बिना) इस प्रकार की जायेगी जैसे कि मानों व्यवसाय से आय हो और ऐसी आय के 40 प्रतिशत भाग को कर—योग्य आय माना जायेगा तथा शेष 60 प्रतिशत भाग को कृषि आय माना जायेगा।

2. ऐसी आय की गणना करने में सूख चुके अथवा स्थायी रूप से बेकार हो चुके पौधों के स्थान पर लगाये गये कॉफी के नये पौधों की लागत के सम्बन्ध में छूट दी जावेगी तथा ऐसी लागत का निर्धारण करने के उद्देश्य के लिए किसी सहायता (Subsidy) की प्राप्त अथवा प्राप्य राशि के सम्बन्ध में कोई कटौती नहीं की जायेगी जिसे धारा 10 (31) के अन्तर्गत कुल आय में शामिल नहीं किया जाता है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(vii) पुस्तक लेखन अधिकार–शुल्क की आय (Income from Book-Royalty):

यदि कोई व्यक्ति लेखन कार्य को पेशे के रूप में करता है तो उस व्यक्ति को प्राप्त अधिकार शुल्क की राशि 'व्यापार अथवा पेशे के लाभ' शीर्षक में कर योग्य होती है। अन्य व्यक्तियों के लिए ऐसी आय 'अन्य साधनों से आय शीर्षक' में कर योग्य होती है। पुस्तक लेखन के सम्बन्ध में किये गये वास्तविक व्ययों की छूट सामान्य नियमों से स्वीकृत कर दी जाती है परन्तु किसी भारतीय लेखक की अधिकार शुल्क से आय 25,000 रु. से कम है तो उसको ऐसी आय का 25 प्रतिशत अथवा 5,000 रुपये जो दोनों में कम हो, पुस्तक प्रकाशित होने वाले वर्ष में व्ययों के रूप में स्वीकृत कर दिये जायेंगे, यदि उसने व्ययों का विस्तृत लेखा नहीं रखा है।

(vii) बीमा कमीशन की आय (Income from Insurance Commission):

ऐसी आय इस शीर्षक में या 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में कर योग्य हो सकती है। यदि बीमा कमीशन की राशि 5,000 रु. से अधिक हो तो भुगतान करने वाले का यह दायित्व है कि वह ऐसी राशि का भुगतान करने से पूर्व उद्गम स्थान पर निर्धारित दरों से आयकर की कटौती करें। गत वर्ष 2009–10 की अवधि में ऐसे भुगतानों पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती की दर 10 प्रतिशत थी।

परिकल्पित कटौती (Adhoc deduction):- जीवन बीमा एजेन्ट, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया का एजेन्ट, डाकघर/सरकारी प्रतिभूतियों के एजेन्ट तथा अधिसूचित पारस्परिक कोष के एजेन्ट के व्ययों के लिए स्वीकृत कटौतियाँ

(i) सार्वजनिक भविष्य निधि, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया, राष्ट्रीय बचत पत्र–अष्टम निर्गमन, राष्ट्रीय बचत–योजना, अधिसूचित पारस्परिक कोषों (Mutual Funds), पोस्ट ऑफिस के आवर्ती खातों, पोस्ट ऑफिस की मासिक आय खाता योजना एवं पोस्ट आफिस की सावधिक जमा खातों में जमा लाने वाले एजेन्ट्स को भी 60,000 रु. से कम कमीशन होने पर यदि वे विस्तृत लेखे नहीं रखते हों तो उनको सकल प्राप्तियों का 50% की दर से तदर्थ (Adhoc) कटौती स्वीकृत की जायेगी।

(ii) यदि कोई एजेन्ट जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया, विशिष्ट प्रतिभूतियाँ एवं अधिसूचित पारस्परिक कोष में से दो या अधिक के लिए एजेन्ट के रूप में कार्य करता है तथा अलग–अलग कमीशन प्राप्त करता है तो Adhoc कटौती के लिये उसका सभी स्रोतों से प्राप्त कमीशन 60,000 रु. से कम रहना चाहिए।

(iii) यदि कोई जीवन बीमा एजेन्ट उसके द्वारा अर्जित कमीशन के सम्बन्ध में किये जाने वाले व्ययों का लेखा नहीं रखता है तथा उसका कुल कमीशन 60,000 रुपये से कम होता है तो उसे ऐसे कमीशन में से निम्न प्रकार तदर्थ (Adhoc) कटौती स्वीकृत की जायेगी।

(क) यदि प्रथम वर्ष का कमीशन एवं नवीनकरण का कमीशन अलग–अलग ज्ञात हो:

(i) प्रथम वर्ष के कमीशन पर 50% की कटौती ; तथा
(ii) नवीनीकरण के कमीशन पर 15% की कटौती।

(ख) यदि प्रथम वर्ष का कमीशन एवं नवीनीकण का कमीशन अलग–अलग ज्ञात नहीं हो–
ऐसी स्थिति में कमीशन की सम्पूर्ण राशि पर 33 1/3% की दर से कटौती स्वीकृत की जायेगी। सम्पूर्ण कमीशन में बोनस कमीशन सम्मिलित नहीं होगा। यद्यपि बोनस कमीशन भी कर योग्य होता है। (क) तथा (ख) दोनों दशाओं में Adhoc कटौती की राशि 20,000 रु. से अधिक नहीं होगी।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

18. अन्य महत्वपूर्ण बातें:

(i) **अवैध व्यवसाय की आय:** आयकर के उद्देश्य से अवैध (Illegal) तथ अनैतिक व्यवसाय या पेशे के लाभ भी इसी शीर्षक में कर योग्य होते हैं।

(ii) यदि करदाता के एक से अधिक व्यवसाय हैं तो प्रत्येक व्यवसाय से आय की गणना अलग–अलग की जाती है। तत्पश्चात् सट्टे के व्यवसाय की आय को अन्य व्यवसायों की आय से अलग जोड़कर इस शीर्षक की आय ज्ञात की जाती है।

(iii) कर निर्धारण अधिकारी को काल्पनिक, अनुमानित अथवा भावी लाभों पर कर लगाने का अधिकार नहीं है। केवल वास्तविक लाभों पर ही कर लगाया जा सकता है।

(iv) यदि किसी व्यवसाय में हानि हो तो इसकी पूर्ति अन्य व्यावसायिक लाभों से की जा सकती है। सट्टे के व्यवसाय के लाभों से नहीं। परन्तु सामान्य व्यवसाय की हानि की पूर्ति सट्टे के लाभों से की जा सकती है।

(v) भविष्य निधि में जमा करवाने के लिए कर्मचारी के अंशदान की उसके वेतन से काटी गई राशि करदाता के व्यवसाय की आय मानी जाती है। इस राशि को सम्बन्धित खाते में निध ारित तिथियों (Due dates) तक जमा करवाने पर करदाता की व्यय के रूप में स्वीकृति कटौती मान ली जाती है। यदि कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में निर्धारित तिथि के बाद में राशि जमा करवायी जाती है तो ऐसी जमा करवायी गई राशि की छूट स्वीकृत नहीं की जाती है।

(vi) व्यवसाय के बन्द होने के पश्चात् सम्पत्तियों के विक्रय से प्राप्त होने वाले लाभों पर इस शीर्षक में कर नहीं लगता है परन्तु व्यापारिक स्टॉक (Stock-in trade) को अलग से बेचने पर इस पर होने वाले लाभ को व्यापार या पेशे के लाभ शीर्षक में ही कर योग्य किया जाता है।

(vii) इस शीर्षक के अन्तर्गत आय कर योग्य करने के लिए आवश्यक है कि गतवर्ष में किसी भी समय व्यापार चलाया गया हो। सम्पूर्ण वर्ष व्यापार का चलाना आवश्यक नहीं है।

(viii) व्यापार के लाभकारक स्वामी (Beneficial owner) पर कर लगता है न कि कानूनी स्वामी (Legal owner) पर। जैसे–बेनामी सौदा।

(ix) एकाकी व्यवहार के लाभों की गणना करते समय उस व्यवहार से सम्बन्धित सभी व्ययों को घटा दिया जाता है भले ही उसमें से कुछ व्यय लेखा वर्ष से पहले हुए हों।

(x) इस शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य लाभों की गणना करते समय वाणिज्य के सामान्य सिद्धान्तों की पालना करना आवश्यक है ताकि वास्तविक लाभों की राशि ज्ञात की जा सके।

(xi) **प्रतिभूतियों के व्यवसाय से आय (Income from Business of Securities):** यदि करदाता का प्रतिभूतियों एवं अंशों के क्रय व विक्रय का व्यापार है, तो ऐसे क्रय–विक्रय से होने वाली आय इसी शीर्षक मे कर योग्य होगी। ऐसी प्रतिभूतियों पर प्राप्त या प्राप्य ब्याज भी इसी शीर्षक में कर–योग्य होगा।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(xii) **अभिगोपन कमीशन (Underwriting commission):** अभिगोपन कमीशन की राशि भी इसी शीर्षक में कर योग्य होती है किन्तु स्वयं के लिए क्रय किये गये अंशों पर प्राप्त अभिगोपन कमीशन की राशि कर–योग्य नहीं होती है क्योंकि इसे अंशों की लागत में से घटा दिया जाता है।

(xiii) **लेखांकन की पद्धतियाँ (Systems of Accounting) :** व्यवसाय के कर–योग्य लाभों की गणना करने के लिए वाणिज्य के सिद्धान्तों तथा लेखांकन की विधियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। लेखांकन की निम्नांकित दो विधियां प्रचलन में हैं:

(i) नकद पद्धति (Cash System)

(ii) व्यापारिक पद्धति (Mercantile System)

(i) नकद आधार पर लेखांकन (Cash System of Accounting) –इस आधार पर रखी गई लेखा पुस्तकों में किसी भी व्यवहार की प्रविष्टि उस समय की जाती है जब वास्तविक नकद प्राप्ति या भुगतान होता है। इसलिए ऐसी स्थिति में केवल वह आय कर–योग्य होगी जो सम्बन्धित लेखा वर्ष में प्राप्त हुई है तथा केवल उन व्ययों की कटौती प्रदान की जायेगी जिसका उस लेखा वर्ष में भुगतान किया गया है। उपार्जित आय का अथवा अदत्त व्ययों का ध्यान नहीं रखा जाता है।

(ii) व्यापारिक आधार पर लेखांकन (Mercantile System of Accounting) – इस आधार पर रखी गई लेखा पुस्तकों में किसी व्यवहार की प्रविष्टि उपार्जन या देयता के आधार पर की जाती है चाहे वास्तविक प्राप्ति या भुगतान न हुआ हो। अतः लाभों की गणना भी इसी आधार पर की जाती है। ऐसी स्थिति में वह आय कर–योग्य होगी जो सम्बन्धित लेखा वर्ष में अर्जित कर ली गई है, तथा उन व्ययों की कटौती प्रदान की जायेगी जो उस लेखा वर्ष में देय हो चुके हैं। वास्तविक प्राप्ति या भुगतान का ध्यान नहीं रखा जाता। यदि उपार्जन के आधार पर किसी आय को करदाता की कर–योग्य आय में शामिल कर लिया गया है, किन्तु बाद में वह राशि वास्तव में प्राप्त न हुई हो तो करदाता को डूबत ऋण की कटौती प्रदान की जा सकती है।

व्यापारिक आधार पर लेखांकन की स्थिति में व्ययों के सम्बन्ध में कटौती देयता के आधार पर स्वीकार्य होती है, बशर्ते आय कर अधिनियम के अन्तर्गत इसके विपरीत कोई व्यवस्था न हो। उदाहरण के लिए धारा 43B के अंतर्गत कुछ व्ययों के सम्बन्ध में स्पष्ट व्यवस्था है कि उनकी कटौती वास्तविक भुगतान होने पर ही स्वीकार्य होगी। अतः ऐसे व्ययों के सम्बन्ध में देयता के आधार पर कटौती स्वीकार्य नहीं होगी, चाहे पुस्तकों में लेखांकन प्रविष्टियाँ व्यापारिक आधार पर की गई हो।

'व्यवसाय अथवा पेशे के लाभ तथा अधिलाभ' शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य न होने वाली आयें या प्राप्तियां

(Incomes or Receipts not taxable under the head)

व्यवसाय अथवा पेशे के लाभ शीर्षक की कर–योग्य आय ज्ञात करते समय निम्नांकित आयों को सम्मिलित नहीं किया जाता है :

(1) व्यक्तिगत सम्बन्धों के कारण प्राप्त भेंट अथवा उपहार प्राप्त–कर्ता की कर–योग्य आय नहीं

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

होती है, इसलिए किसी भी शीर्षक में कर–योग्य नहीं होती है।

(2) आयकर अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत निम्नांकित आयें कर–मुक्त होती हैंः

(i) कृषि आय;

(ii) हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य को परिवार के लाभों में प्राप्त हिस्सा;

(iii) साझेदारी फर्म के लाभों में साझेदार को प्राप्त हिस्सा;

(iv) कलाकारों को विशेष पुरस्कारों की राशि;

(v) धारा 10A, 10B तथा 10C में वर्णित कर अवकाश वर्षों के लाभ।

(3) मकान किराये पर देने के व्यवसाय से होने वाले लाभ 'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक में कर–योग्य होते हैं यदि करदाता अपने कर्मचारियों को अपनी मकान सम्पत्ति किराये पर देता है तो ऐस कर्मचारियों से प्राप्त किराया व्यवसाय अथवा पेशे के लाभ शीर्षक में कर–योग्य होता है।

(4) घुड़–दौड़ हेतु घोड़े रखने के व्यवसाय से हुई आय 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में कर–योग्य होती है।

(5) जुए, लॉटरी वर्ग–पहेली, ताश का खेल आदि क्रियाओं से होने वाली आय अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर–योग्य होती है परन्तु लॉटरी के टिकिट खरीद कर बेचने वालों की आय व्यवसाय या पेशे के लाभ शीर्षक में कर योग्य होती है।

व्ययों के सम्बन्ध में स्वीकृत छूट
(Allowable Deductions for Expenses)

व्यवसाय में किये गये व्यय पूँजीगत हो सकते हैं अथवा आयगत। व्यापारिक क्रियाओं से सम्बन्धित आयगत व्यय सामान्यतः स्वीकृत व्यय होते हैं जबकि पूँजीगत व्ययों को कुछ परिस्थितियों में ही कटौती के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

इसी प्रकार हानियाँ भी आयगत तथा पूँजीगत होती है। आयगत हानियों की कटौती व्यापार अथवा पेशे के कर–योग्य लाभों की गणना के लिए स्वीकृत की जाती है। व्ययों की कटौती सम्बन्धी प्रावधानों को निम्नांकित पाँच वर्गों में बाँटा जा सकता हैः

(I) सम्पत्तियों पर ह्रास की छूट (धारा 32)

(II) पूँजी निर्माण को प्रोत्साहन देने हेतु स्वीकृत व्ययः

(क) चाय, कॉफी एवं रबर विकास खाते की छूट (धारा 33AB)

(ख) स्थल प्रत्यावर्तन कोष की छूट (धारा 33ABA)

(III) व्यवसाय संचालन के लिए स्वीकृत व्यय

(IV) कटौती योग्य अन्य व्यय

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(V) अस्वीकृत व्यय

सम्पत्तियों पर ह्रास की छूट तथा पूँजी निर्माण को प्रोत्साहन देने हेतु स्वीकृत छूटों को पिछली इकाई में विस्तार से समझाया गया है।

व्यवसाय संचालन के लिये स्वीकृत व्यय (Deductions Allowable for Operating Expenses)

व्यवसाय अथवा पेशे के लाभों की गणना करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 30 से 36 के अन्तर्गत कुछ व्ययों को स्पष्टतः कटौती योग्य घोषित किया गया है। ऐसे व्यय आयगत भी हो सकते हैं तथा पूंजीगत भी। ऐसे कुछ व्ययों का तो पिछली इकाई में वर्णन किया जा चुका है। जैसे–धारा 32 में ह्रास के सम्बन्ध में छूट तथा धारा 33 में पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन देने हेतु किये गए व्ययों की छूट। अन्य स्पष्टतः स्वीकृत छूटें निम्न हैं:

(1) भवन का किराया कर, दर, मरम्मत एवं बीमा व्यय (Rent, rates, taxes, repairs and insurance for building) (धारा 30)–व्यवसाय अथवा पेशे के लिए प्रयोग में लिये जाने वाले भवन के सम्बन्ध में किये गए निम्नांकित व्ययों की कटौती स्पष्टतः स्वीकृत है :

(i) चालू मरम्मत (Current repairs) के लिये किया गया व्ययः यदि भवन किराये पर लिया गया है तथा करदाता ने भवन की मरम्मत का दायित्व भी अपने ऊपर ले रखा है तो मरम्मत के लिए वास्तव में चुकाई गई राशि स्वीकृत व्यय होती है। यदि भवन स्वं पूंजीगत प्रकृति की मरम्मत पर किया गया व्यय स्वीकृत व्यय नहीं होता है।

(ii) चुकाए गए भू लगान एवं स्थानीय कर।

(iii) भवन के सम्बन्ध में हानि की जोखिम से बचने के लिए बीमा प्रीमियम की चुकाई गई राशि।

(iv) किराये पर लिये गये भवन का देय वास्तविक किराया, कर एवं दर (स्वयं के भवन का काल्पनिक किराया स्वीकृत व्यय नहीं होता है)।

(2) मशीनरी, संयन्त्र तथा फर्नीचर पर व्यय (Expenses on Machinery, Plant and Furniture) (धारा 31)– व्यवसाय अथवा पेशे के लिए काम में ली जाने वाली मशीनरी संयन्त्र तथा फर्नीचर का चालू मरम्मत व्यय तथा इनके सम्बन्ध में चुकाई गई बीमा प्रीमियम स्पटतः स्वीकृत व्यय होती है। पूंजीगत प्रकृति की मरम्मत पर किया गया व्यय स्वीकृत व्यय नहीं होता है।

टिप्पणी : यदि भवन मशीनरी, संयन्त्र तथा फर्नीचर का कुछ भाग करदाता अपने निजी उपयोग में लेता है तो धारा 30 व 31 में वर्णित व्ययों में से उतनी राशि कम कर दी जाती है जितनी निर्धारण अधिकारी की राय में करदाता के निजी उपयोग से सम्बन्धित हो।

(3) स्टॉक का बीमा प्रीमियम [धारा 36 (1) (i) तथा (ia)] – व्यवसाय या पेशे के लिए काम आने वाले स्टॉक एवं स्टोर्स की बरबादी या नष्ट हो जोने की जोखिम से सुरक्षा करने हेतु यदि बीमा करवाया गया हो, तो ऐसे बीमा प्रीमियम की राशि की कटौती दी जायेगी।

यदि किसी संघीय दुग्ध सहकारी समिति ने अपने सदस्य (जो एक प्राइमरी दुग्ध सहकारी समिति हो तथा अपने सदस्यों द्वारा निकाले गये दूध को उस संघीय दुग्ध सहकारी समिति को सप्लाई करती हो) के पशुओं के जीवन पर बीमा पॉलिसी ली हुई है तो ऐसी बीमा पॉलिसी पर चुकाई गई प्रीमियम की राशि

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

की कटौती दी जायेगी।

(4) कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम (Insurance Premium on Health of Employees) [धारा 36 (1)(ib)] – यदि करदाता ने अपने व्यवसाय में काम करने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए बीमा प्रीमियम का भुगतान रोकड़ के अलावा अन्य किसी माध्यम द्वारा किया है तो ऐसे भुगतान के द्वारा बनाई गई तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी योजना या Insurance Regulatory and Development Authority द्वारा अनुमोदित अन्य योजना के अन्तर्गत हुआ हो।

(5) कर्मचारियों को बोनस या कमीशन [धारा 36 (1)(ii)] – करदाता द्वारा अपने कर्मचारियों को उनकी सेवाओं के बदले में दिया गया बोनस या कमीशन कटौती योग्य है, बशर्ते ऐसी राशि उनको बोनस या कमीशन के रूप में न दिये जाने पर लाभ या लाभांश के रूप में देय न हो। धारा 43B के अनुसार यह कटौती भुगतान वाले वर्ष में स्वीकार्य है।

(6) उधार पूंजी पर ब्याज [धारा 36 (1)(iii)] – यदि करदाता ने अपने व्यवसाय या पेशे के उद्देश्य के लिए पूंजी उधार ली है, तो उस पूंजी पर देय ब्याज की कटौती प्रदान की जायेगी। करदाता की स्वयं की पूंजी पर ब्याज की कटौती नहीं दी जायेगी।

यदि किसी सम्पत्ति को क्रय करने के लिए पूंजी उधार ली गयी है तो उस सम्पत्ति को प्रथम बार उपयोग में लेने की तिथि तक का ब्याज सम्पत्ति की लागत में जोड़ा जायेगा इसलिए इसकी कोई कटौती नहीं दी जायेगी।

(7) कर्मचारियों के कल्याण के लिए रखे गये अनुमोदित कोषों में अंशदान [धारा 36 (1)(iv) तथा (v)] – यदि करदाता ने अपने कर्मचारियों के लिए रखे गये प्रमाणित भविष्य निधि, या अनुमोदित सुपरऐन्युएशन कोष या अनुमोदित उपदान कोष या अनुमोदित उपदान कोष में अंशदान दिया है तो ऐसा अंशदान निर्धारित सीमाओं तक कटौती योग्य होगा। इस कटौती पर धारा 43B के प्रतिबन्ध भी लागू होंगे, अर्थात यह कटौती वास्तविक भुगतान होने पर भुगतान वाले वर्ष में दी जायेगी।

(8) शून्य कूपन बॉंड के निर्गम पर बट्टा की आनुपातिक आधार पर कटौती (Deduction of discount on-pro-rata basis on issue of Zero Coupon Bonds) [धारा 36 (1)(iiia)] – शून्य कूपन बॉंड के निर्गम पर बट्टे की राशि की कटौती ऐसे बॉण्ड की जीवन अवधि को ध्यान में रखते बॉंड के निर्गम पर बट्टे की राशि की कटौती ऐसे बॉड की जीवन अवधि को ध्यान में रखते हुये निर्धारित विधि से गणना करके आनुपातिक आधार पर दी जायेगी।

बट्टे से आशय– ऐसे बॉण्ड को जारी करने वाली ढांचागत पूंजी कम्पनी, ढांचागत पूंजी कोष अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी द्वारा प्राप्त अथवा प्राप्य राशि तथा इस प्रकार की कम्पनी, कोष अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी द्वारा इस प्रकार के बॉण्ड की परिपक्वता अथवा शोधन पर भुगतान योग्य राशि के अन्तर से है।

बॉण्ड की जीवन अवधि से आशय–शून्य कूपन बॉण्ड के जारी होने की तिथि से लेकर इस प्रकार के बॉण्ड के शोधन की तिथि तक की अवधि से है।

शून्य कूपन बॉण्ड से आशय– शून्य कूपन बॉण्ड से आशय ढांचागत पूंजी कम्पनी, ढांचागत पूंजी कोष अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी या अनुसूचित बैंक द्वारा 1 जून, 2005 को या उसके बाद जारी किये गये ऐसे बॉण्ड से है जिसके सम्बन्ध में परिपक्वता अथवा शोधन के पूर्व इनको निर्गमित करने वाली संस्था से कोई भी भुगतान अथवा लाभ न तो प्राप्त होता है तथा न ही प्राप्य होता है तथा जो इस आशय के लिये

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

केन्द्रीय सरकार द्वारा राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर दिया जये। ऐसे बॉण्ड की अवधि 10 वर्ष या अधिक होनी चाहिए परन्तु 20 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। [धारा–2(48)]

9. कर्मचारियों में परिवार नियोजन प्रोत्साहित करने पर किये गये व्यय– यह व्यय केवल कम्पनी करदाताओं के लिये ही स्वीकृत होता है। आयगत व्यय की सम्पूर्ण राशि तथा पूंजीगत व्यय की 1/5 राशि प्रत्येक वर्ष 5 वर्षों में स्वीकृत की जाती है। [धारा 36 (1)(ix)]

10. बैंक से नकद आहरण करने पर देय कर की कटौती (Deduction of Banking Cash Transaction Tax)–यदि किसी करदाता ने किसी अनुसूचित बैंक से नकद आहरण करने पर बैंकिंग नकद व्यवहार कर का भुगतान किया है तो उसके गत वर्ष के व्यापार अथवा पेशे के लाभों की गणना करते समय ऐसे कर की सम्पूर्ण राशि की कटौती स्वीकृत की जाती है। [धारा 36 (1)(xiii)]

11. प्रतिभूति लेनदेन कर की कटौती (Deduction of Securities Transaction Tax-STT) – गत वर्ष में किसी करदाता द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान किये गये प्रतिभूति लेनदेनों के सम्बन्ध में चुकाये गये प्रतिभूति लेनदेन कर के बराबर राशि की कटौती प्रदान कर दी जायेगी, बशर्ते कि ऐसे कर–योग्य प्रतिभूति लेनदेनों से होने वाली आय को व्यापार अथवा पेशे की आय शीर्षक के अन्तर्गत आकलित आय में सम्मिलित कर लिया गया हो। [धारा 36(1)(xv)]

12. विभिन्न प्रकार के कोषों में कर्मचारियों द्वारा अंशदान (Employees Contribution to different funds) (धारा 36(1) (va) – धारा 2 (24) में दी गई आय की परिभाषा के अनुसार यदि करदाता को अपने कर्मचारी से कोई ऐसी राशि प्राप्त हुयी है, जो उस कर्मचारी ने किसी भविष्य निधि में या सुपरऐन्युएशन कोष में या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत स्थापित किसी अन्य कोष में या कर्मचारियों के कल्याण हेतु रखे गये किसी अन्य कोष में अपने अंशदान के रूप में दी है तो वह राशि करदाता के लिए आय मानी जाती है। यदि यह आय व्यवसाय या पेशे के लाभ वाले शीर्षक में कर योग्य न हो, तो "अन्य साधनों से आय" वाले शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य होती है।

यदि करदाता ने यह राशि देय तिथि के अथवा उससे पूर्व सम्बन्धित कोष में उस कर्मचारी के खाते में जमा करा दी है तो जमा कराई गई राशि की कटौती करदाता को प्रदान कर दी जायेगी।

सम्बन्धित कोष में जमा करवाने की निर्धारित तिथि के पश्चात यदि कोई राशि कर्मचारी के खाते में जमा करवाई जाती है तो ऐसी जमा करवाई गई राशि की कटौती स्वीकृत नहीं की जायेगी।

13. पशुओं के सम्बन्ध में हानि [धारा 36(1) (vi)]– करदाता के व्यवसाय या पेशे में काम आने वाले पशुओं के मरने से या स्थायी तौर पर बेकार हो जाने से होने वाली हानि की कटौती प्रदान की जायेगी। हानि की गणना ऐसे पशुओं की वास्तविक लागत में उनका विक्रय मूल्य अथवा उनके मृत शरीर का विक्रय मूल्य घटा कर की जायेगी। इस धारा के अन्तर्गत उन पशुओं की कटौती प्रदान नहीं की जायेगी जो करदाता व्यवसाय या पेशे में व्यापारिक स्टॉक (Stock-in -trade) के रूप में रखे गये हैं।

14. डूबत ऋण [धारा 36(1) (vii)]– यदि करदाता ने गत वर्ष में किसी डूबत ऋण को अथवा उसे किसी भाग को अपनी लेखापुस्तकों में अपलिखित किया है तो उसकी कटौती मिल जायेगी। इस कटौती के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम महत्वपूर्ण हैं –

(i) वह राशि उस करदाता की आय की गणना करते समय उसी गत वर्ष में अथवा उससे पूर्व के किसी गत वर्ष में शामिल की जा चुकी हो अथवा वह ऋण करदाता के द्वारा चलाये जा रहे ऋण देने के व्यवसाय या बैंकिंग व्यवसाय के दौरान दिया गया एक समान ऋण हो।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(ii) यदि ऐसे ऋण की अंतिम रूप से वसूली गयी रकम ऐसे ऋण तथा कटौती के अन्तर से कम है तो यह कमी अन्तिम वसूली वाले गत वर्ष में कटौती योग्य होगी।

यदि ऐसे ऋण की अन्तिम वसूली की रकम उस ऋण तथा कटौती के अन्तर से अधिक हो तो यह आधिक्य उस गत वर्ष की आय मानी जाती है जिस गत वर्ष में अन्तिम वसूली हुयी है। धारा 41(4)

वाणिज्य के सामान्य सिद्धान्तों के आधार पर स्वीकृत व्यय (धारा 37) –

व्यापार या पेशे के संचालन के दौरान ऐसे कई व्यय किये जाते हैं जो धारा 30 से 36 में सम्मिलित नहीं है इसलिए धारा 37 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यय जो पूंजीगत प्रकृति का या निजी व्यय नहीं है और जो पूर्णतः या मुख्यतः केवल व्यवसाय या पेशे के लिए ही गत वर्ष में किया गया हो तो वह व्यय व्यवसाय या पेशे से कर योग्य आय ज्ञात करने के लिए स्वीकृत व्यय होगा। [धारा 37(i)]

धारा 37 के अन्तर्गत कोई व्यय तथा स्वीकृत होगा जब उसके सम्बन्ध में निम्न शर्तों की पूर्ति होती होः

(i) ऐसा व्यय गत वर्ष में पूर्णतया या मुख्यतया व्यवसाय या पेशे के लिए किया गया हो।

(ii) ऐसा व्यय पूंजीगत प्रकृति का नहीं हो;

(iii) ऐसा व्यय करदाता का व्यक्तिगत व्यय नहीं हो तथा

(iv) यदि किसी व्यय की स्वीकृति धारा 30 से 36 में दी जाती है तो उस व्यय की छूट धारा 37 में स्वीकृत नहीं होगी।

(v) धारा 37 (2B) के अनुसार यदि कोई करदाता किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित की जाने वाली ब्रोचर, सोवनियर, पम्पलेट आदि में विज्ञापन देने पर कोई व्यय करता है तो ऐसे व्यय के सम्बन्ध में कटौती नहीं दी जावेगी।

व्ययों का वर्गीकरण– किसी व्यय का स्वीकृत होना या नहीं होना परिस्थितियों पर निर्भर करता है। सामान्य स्वीकृत व्ययों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं–

1. माल के क्रय या निर्माण या प्रक्रियांकन के व्यय
(Expenses regarding purchase or manufacturing or processing)

स्वीकृत व्ययः

(i) माल के क्रय निर्माण अथवा प्रक्रियांकन के व्यय

(ii) अधिकार शुल्क

(iii) माल का आदेश देने के लिए कमीशन एवं गाड़ी भाड़ा

(iv) माल की अग्नि या प्राकृतिक प्रकोप अथवा कर्मचारियों की लापरवाही से हानि या गबन

(v) क्रय किये गये माल को बिलम्ब से छुड़ाने पर दिया गया बिलम्बन शुल्क (Demurage)

(vi) माल खरीदने के लिए दी गयी अग्रिम राशि के डूब जाने से हानि या मार्ग में माल की हानि

(vii) माल क्रय करने का अनुबन्ध तोड़ने पर दी गयी क्षतिपूर्ति

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

अस्वीकृत व्यय :

(i) माल को व्यक्तिगत प्रयोग में लेना या माल दान में देना

(ii) माल को पूंजी सम्पत्ति के निर्माण में प्रयोग में लेना

2. कर्मचारियों के सम्बन्ध में व्यय (Expenses regarding Employees)

स्वीकृत व्ययः

(i) कर्मचारियों को दिया गया वेतन कमीशन भत्ते एवं अनुलाभ

(ii) कर्मचारियों की चिकित्सा के सम्बन्ध में किया गया आयगत व्यय तथा कर्मचारियों की चिकित्सा व्ययों का पुनर्भरण।

(iii) कर्मचारियों के कल्याण के आयगत व्यय अधिकृत छुट्टियों का वेतन, ग्रेच्युटी, पेंशन, बोनस (बोनस भुगतान करने पर ही स्वीकृत होगा) आदि।

(iv) सेवा समाप्ति पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि यदि कर्मचारी को हटाना व्यापार के हित में हो

(v) औद्योगिक विवाद अधिनियम अथवा कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत दी गयी क्षतिपूर्ति की राशि

(vi) कर्मचारी के जीवन बीमा के प्रीमियम की राशि यदि उस कर्मचारी की मृत्यु से व्यापार के लाभ घटने की संभावना

(vii) कर्मचारी प्रशिक्षण, रिफ्रेशर कोर्स के व्यय

(viii) कर्मचारियों की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए कर्मचारियों को अतिरिक्त भुगतान

(ix) करदाता द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए अतिथिगृह या अवकाश गृह रखे हुए हों तो इनके व्ययों के सम्बन्ध में कटौती दी जायेगी।

(x) भारत में या भारत के बाहर व्यवसाय के सम्बन्ध में कर्मचारियों की यात्रा पर किये गये व्यय एवं दैनिक भत्ते की राशि

(xi) कर्मचारियों के लिए रखे गये प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड या वैधानिक प्रॉविडेन्ट फण्ड में नियोक्ता एवं कर्मचारियों का अंशदान

(xii) कर्मचारियों की दुर्घटना बीमा

(xiii) मनोरंजन व्यय तथा कर्मचारियों को मनोरंजन भत्ता

अस्वीकृत :

(i) कर्मचारियों के लिए रखे गये अप्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड में अंशदान

(ii) श्रमकल्याण कोष या ट्रस्ट में अंशदान

(iii) कर्मचारियों को व्यक्तिगत आधार पर दिये गये उपहार

(iv) श्रमकल्याण के पूंजीगत व्यय

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(v) कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर या कर्मचारी की मृत्यु पर उसकी विधवा को उदारतावश दी गयी राशि

(vi) कम्पनी के समापन पर कर्मचारियों को पेंशन की एकमुश्त राशि का भुगतान।

3. कार्यालय व्यय (Office Expenses)

स्वीकृत :

(i) स्टेशनरी, बहीखाते एवं टाइपिंग आदि के व्यय

(ii) डाक तार व्यय (Postage) एवं टेलीफोन व टेलेक्स व्यय

(iii) बिजली, पानी सफाई आदि के व्यय

(iv) अखबार, मैगजीन, पत्र–पत्रिकाओं पर व्यय

(v) स्थापना व्यय (Establishment Expenses)

(vi) प्रशासनिक व्यय

(vi) लाभ की हानि पॉलिसी पर चुकया गया प्रीमियम।

अस्वीकृतः

(i) करदाता के स्वयं के स्वामित्व वाले भवन का किराया

(ii) जिस सीमा तक व्यवसाय के साधनों का व्यक्तिगत प्रयोग किया जाता है उस सीमा तक कार्यालय व्यय अस्वीकृत होंगे। जैसे–कम्प्यूटर, पत्र–पत्रिकाएं व्यक्तिगत प्रयोग में आये तो उनसे सम्बन्धित व्यय अस्वीकृत होंगे।

4. विक्रय व्यय (Selling Expenses)

स्वीकृत :

(i) माल के विक्रय का आदेश प्राप्त करने के व्यय

(ii) विक्रय एजेन्ट ग्राहक व आढ़तियों को दिया गया कमीशन

(iii) विक्रय पर आधारित अधिकार शुल्क

(iv) माल के विक्रय के लिए दलाल को दी गयी दलाली

(v) माल के पैकिंग, ठेला भाड़ा एवं रेल भाड़ा

(vi) माल के विपणन व्यय (Marketing Expenses)

(vii) घटिया किस्म का माल बेचने के कारण दी गई क्षतिपूर्ति,

(viii) एजेन्सी समाप्त करने पर एजेन्ट को दी गई क्षतिपूर्ति।

5. विज्ञापन व्यय (Advertisement Expenses)

स्वीकृत :

(i) माल या सेवाओं की मांग बढ़ाने हेतु समाचार पत्रों, पत्र–पत्रिकाओं, रेडियों, टेलीविजन, सिनेमाघरों में

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

स्लाइड, इन्टरनेट आदि किसी माध्यम से विज्ञापन पर व्यय।

(ii) विज्ञापन के लिए पोस्टर आदि बनवाने, बांटने व चिपकाने के व्यय

(iii) सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग (hordings) का किराया एवं इससे सम्बन्धित अन्य व्यय।

(iv) विज्ञापन के लिए दिये गये मुफ्त नमूने (Sample) बाँटने के व्यय,

(v) विज्ञापन के लिए भेंट स्वरूप दी गई वस्तुओं पर व्यय

(vi) मॉडलिंग एवं फैशन शो के व्यय।

अस्वीकृतः

(i) राजनैतिक दलों द्वारा प्रकाशित स्मारिका (Souvenior) में प्रकाशित विज्ञापन हेतु किया गया भुगतान।

(ii) विदेश में किये गये विज्ञापन व्यय उस सीमा तक ही स्वीकृत हैं जिस सीमा तक विदेशी मुद्रा वैधानिक तरीके से प्राप्त की गई हो।

6. कानूनी व्यय (Legal Expenses)

स्वीकृतः

(i) बिक्री कर, उत्पादन कर एवं अन्य व्यापारिक करों के निर्धारण अथवा इनकी अपील सम्बन्धी किये गये कानूनी व्यय,

(ii) देनदारों से वसूली करने के कानूनी व्यय,

(iii) व्यवसाय या पेशे के हितों की रक्षा करने के लिए व्यवसाय की सम्पत्तियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए कानूनी व्यय

(iv) किसी व्यावसायिक अनुबन्ध भंग करने की दशा में दायित्व या दण्ड से बचने के लिए किये गये कानूनी व्यय

(v) किसी अनुबन्ध को भंग करने की दशा में दायित्व या दण्ड से बचने के लिए किये गये कानूनी व्यय

(vi) व्यवसाय से सम्बन्धित दीवानी मुकदमों के व्यय

(vii) व्यापार के सम्भावित राष्ट्रीयकरण को रुकवाने के लिए कानूनी व्यय

(viii) आयकर निर्धारण तथा इसकी अपील सम्बन्धी कानूनी व्यय स्वीकृत है, परन्तु आयकर एक अस्वीकृत व्यय है

(ix) ऋण लेने के सम्बन्ध में किये गये कानूनी व्यय, ऋण प्राप्त करने हेतु दी गई स्टाम्प शुल्क, रजिस्ट्रेशन फीस, वकील की फीस आदि

(x) व्यापारिक महत्व के किसी भी कार्य के लिए सलाह के लिए दी गई फीस

(xi) कम्पनी के अंशधारी द्वारा कम्पनी के समापन के लिए प्रार्थनापत्र दिये जाने पर अपने अस्तित्व को कायम रखने हेतु किया गया कानूनी व्यय।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

अस्वीकृतः

(i) जानबूझ कर किसी कानून के उल्लंघन पर लगाये गये अर्थदण्ड की अपील के व्यय,

(ii) अपराध सम्बन्धी कार्यवाही के कानूनी व्यय,

(iii) सम्पत्ति तथा पूँजी प्राप्त करने के कानूनी व्यय,

(iv) साझेदारी फर्म द्वारा संलेख बनवाने के कानूनी व्ययों की छूट आयगत एवं प्रारम्भिक व्यय दोनों रूप में नहीं मिलती है। फर्म का समापन कराने के कानूनी व्यय।

7. वित्तीय व्यय (Financial Expenses)

(i) व्यापार के लिए ऋण प्राप्त करने या ऋण पत्रों को निर्गमित करने के लिए किये गये व्यय,

(ii) किराया क्रय अनुबन्ध के अन्तर्गत क्रय की गई सम्पत्तियों की किस्त में शामिल ब्याज।

अस्वीकृत :

(i) किसी नवस्थापित व्यापार में व्यवसाय प्रारम्भ होने की तिथि से पूर्व की अवधि का ब्याज

(ii) व्यापार या पेशे के अतिरिक्त अन्य कार्य के लिए ऋण पर ब्याज।

8. कर (Taxes) : सामान्यतः अप्रत्यक्ष कर (Indirect Taxes) स्वीकृत होते हैं और प्रत्यक्ष कर (Direct taxes) अस्वीकृत होते हैं।

स्वीकृत :

(i) बिक्री कर (Sales Tax)

(ii) उत्पादन शुल्क (Excise duty)

(iii) सीमा शुल्क (Customs duty)

(iv) चुंगी (Octroi)

अस्वीकृत :

(i) आयकर (Income Tax)

(ii) धनकर (Wealth Tax)

9. दान एवं चन्दे (Donations and Subscriptions)

स्वीकृत :

व्यवसाय या पेशे के लिए अनिवार्य चन्दे या सदस्यता शुल्क स्वीकृत हैं। जैसे लघु उद्योग संघ, चैम्बर ऑफ कामर्स, आदि का सदस्यता शुल्क।

अस्वीकृत :

सभी प्रकार के दान, धर्माद, व्यक्तिगत भेंट, राजनैतिक दलों को चन्दे अस्वीकृत होते हैं।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

10. शुभ अवसर, मुहूर्त, पूजा आदि पर व्यय

स्वीकृतः

(i) दीपावली पूजन एवं मुहूर्त पर उचित व्यय

(ii) नये कार्यालय, शाखा कार्यालय आदि के मुहूर्त पर उचित व्यय।

अस्वीकृत :

यदि ऐसे व्यय अनुचित हों या किसी धार्मिक अनुष्ठान के रूप में किये जायें तो अस्वीकृत होंगे।

11. व्यावसायिक हानियां (Business Losses)

स्वीकृत हानियाँ : प्रायः व्यापार या पेशे की आय ज्ञात करते समय निम्नांकित हानियाँ ऐसी हैं जिनकी आयगत व्यय के रूप में छूट स्वीकृत की जाती है–

(i) माल की हानि (Loss of Goods) – व्यापार में विक्रय हेतु रखे गये माल की प्राकृतिक आपदा अथवा चूहों आदि से हुई हानि स्वीकृत हैं।

(ii) चोरी या गबन से हानि (Loss by theft or embazlement)- व्यापार के कार्य समय में माल की चोरी हो जाय या कर्मचारियों द्वारा माल का गबन करने से हुई हानि स्वीकृत व्यय है। इसी प्रकार व्यापार के कर्मचारी द्वारा बैंक में रुपया जमा कराने के लिए जाते समय या बैंक से रुपया निकलवाकर आते समय चोरी हो जाय या जेब कतरों द्वारा राशि छीन ली जाय तो यह हानि भी स्वीकृत व्यय होगी। यदि व्यापार के कार्य समय के अतिरिक्त दुकान का ताला तोड़कर रात को चोरी हो जाती है तो यह हानि भी स्वीकृत होती है।

(iii) अनुबन्ध भंग करने पर जब्त राशि– यदि करदाता द्वारा किसी अनुबन्ध की अनुपालना में कोई राशि दी गई थी और अनुबन्ध भंग करने पर यह राशि जब्त हो जाती है तो यह हानि स्वीकृत होगी।

अस्वीकृत हानियाँ : प्रायः निम्नलिखित हानियाँ ऐसी होती हैं जो आयगत व्यय के रूप में स्वीकृत नहीं होती हैं–

(i) काल्पनिक या कृत्रिम हानि– सम्भावित हानि जो अभी तक नहीं हुई है अस्वीकृत होगी।

(ii) पूँजीगत प्रकृति की हानि–यदि कोई पूँजी सम्पत्ति नष्ट हो जाय तो यह हानि आयगत व्यय के रूप में अस्वीकृत होगी।

12. अर्थदण्ड (Penalty)

स्वीकृत :

(i) सद्विश्वास के साथ आयात किये गये माल को जब्त होने से बचाने के लिए दिया गया अर्थदण्ड चाहे वह आयात–अनाधिकृत ही था,

(ii) व्यवसाय के हित में किसी व्यावसायिक अनुबन्ध को तोड़ने पर लगाया गया अर्थदण्ड स्वीकृत व्यय होगा।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(iii) ठेके की पूर्ति में विलम्ब के कारण सरकार को दिया गया अर्थदण्ड या हर्जाना।

अस्वीकृत :

(i) यदि कोई अर्थदण्ड किसी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण लगाया गया हो तो यह अस्वीकृत होगा,

(ii) आयकर विभाग को अर्थदण्ड के रूप में चुकाया गया ब्याज।

13. टेलीफोन या टेलेक्स के सम्बन्ध में व्यय

स्वीकृत :

(i) OYT योजना के अन्तर्गत जमा कराई गई धनराशि,

(ii) टेलेक्स कनेक्शन लेनेके लिए जमा कराई गई धनराशि।

नोटः यदि टेलीफोन या टेलेक्स कनेक्शन नहीं हो पात है तथा जमा धनराशि करदाता को वापस प्राप्त होती है तो यह कर योग्य होगी।

14. अतिथिगृह से सम्बन्धित व्ययः

धारा 37 (1) के प्रावधानों के आधार पर कर–निर्धारण वर्ष 1998–99 से अतिथि गृहों पर किये गये व्ययों की कटौती स्वीकार्य है।

कटौती योग्य अन्य व्यय

(Other Allowable Expenses)

निम्नांकित व्ययों की कटौती आवश्यक शर्तों के पूरी होने पर निर्धारित राशि तक स्वीकृत की जाती हैः

(1) वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय (धारा 35)

(2) एकस्व तथा कृति–स्वामित्व पर व्यय (धारा 35A)

(3) दूर संचार सेवाओं के संचालन का लाइसेन्सप्राप्त करने के व्यय (धारा 35 ABB)

(4) उपयुक्त परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय (धारा 35 AC)

(5) विनिर्दिष्ट व्यवसाय पर पूंजीगत व्ययों के सम्बन्ध में कटौती (धारा 35 AD)

(6) ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए संघों या संस्थाओं को भुगतान (धारा 35 CCA)

(7) प्रारम्भिक व्ययों के सम्बन्ध में भुगतान (धारा 35 D)

(8) कम्पनी एकीकवण या पृथक्कीकरण के मामले में व्ययों का परिशोधन (धारा 35 DD)

(9) ऐच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अन्तर्गत व्ययों का परिशोधन (धारा 35 DDA)

(10) कुछ खनिजों की खोज आदि पर व्यय (धारा 35 E)

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(1) वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय (Expenditure on Scientific Research) (धारा 35)

वैज्ञानिक अनुसंधान के सम्बन्ध में होने वाले व्ययों को निम्नांकित तीन वर्गों में बाँटा जा सकता है:

(i) स्वयं की संस्था में वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम चलाने वाले पर व्यय,

(ii) बाहरी संस्था को वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम चलाने हेतु अंशदान

(iii) राष्ट्रीय प्रयोगशाला को अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम चलाने हेतु अंशदान।

(i) स्वयं की संस्थान में वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम चलाने पर व्यय (Expenses on in house research and development) : करदाता द्वारा स्वयं की संस्था में वैज्ञानिक अनुसंधान पर किये जाने वाले व्ययों की छूट निम्न प्रकार दी जाती है:

(अ) आयगत व्यय (Revenue Expenditure) – करदाता द्वारा अपने व्यापार से सम्बन्धित वैज्ञानिक अनुसंधान पर गत वर्ष में कये गये सम्पूर्ण आयगत व्ययों की कटौती स्वीकृत होती है।

यदि करदाता ने अपना व्यवसाय प्रारम्भ होने से पूर्व के 3 वर्षों में वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य में लगे हुए कर्मचारियों के वेतन (अनुलाभों को छोड़कर) देने में अथवा अनुसंधान हेतु सामग्री क्रय करने में कोई राशि खर्च की है तो ऐसी खर्च की गयी राशि उस गत वर्ष का स्वीकृत व्यय माना जायेगा जिसमें वह व्यवसाय प्रारम्भ हुआ है। [धारा 35 (1) (i))]

(ब) पूंजीगत व्यय Capital Expenditure)– करदाता द्वारा अपने व्यापार से सम्बन्धित वैज्ञानिक अनुसंधान पर गत वर्ष में किये गये पूँजीगत व्ययों (भूमि की लागत को छोड़कर) की कटौती स्वीकृत होती है। व्यापार प्रारम्भ होने से पूर्व के 3 वर्षों में अनुसंधान पर किये गये पूँजीगत व्ययों (भूमि की लागत को छोड़कर) को भी व्यापार प्रारम्भ होने वाले गत वर्ष के स्वीकृत व्यय माने जाते हैं।

स्पष्टीकरण –

(क) वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयुक्त सम्पत्तिके सम्बन्ध में इस धारा के अन्तर्गत छूट मिलने के बाद उस सम्पत्ति पर किसी भी वर्ष में ह्रास की छूट स्वीकृत नहीं होगी। [धारा 35 (1)(iv) तथा (2)]

(ख) ऐसी सम्पत्ति के विक्रय करने पर प्राप्त राशि व्यापार एवं पेशे शीर्षक में उस सीमा तक कर–योग्य होती है, जितनी पूर्व में छूट मिली थी। छूट से अधिक राशि को पूँजी लाभ शीर्षक में कर–योग्य किया जाता है।

उदाहरणार्थ – वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु प्रयुक्त पूँजीगत सम्पत्ति का क्रय मूल्य 80,000 रु. था तथा जिसके सम्बन्ध में कटौती 78,000 रु. की स्वीकृत हुई थी, को गत वर्ष में 75000 रु. में बेचा गया हो तो कर–योग्य व्यावसायिक लाभों की गणना निम्न प्रकार की जावेगी –

व्यावसायिक लाभ = (विक्रय मूल्य + स्वीकृत कटौती – क्रय मूल्य)

= (75000 + 78000 – 80000)

= 73000 रु.

यदि इस सम्पत्ति को 85,000 रु. में बेचा जाता तो व्यावसायिक लाभ 78,000 रु. होते तथा शेष 7,000

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

रु. पर पूँजी–लाभ शीर्षक में कर लगता।

(स) कतिपय निर्माणी कम्पनियों द्वारा किये गये वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय की भारित कटौती (Weighted Deduction for Specified Companies)- ग्यारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी वस्तु का उत्पादन या निर्माण करने वाली कम्पनी यदि वैज्ञानिक अनुसंधान पर कोई व्यय करती है (भूमि तथा भवन की लागत की प्रकृति वाले व्यय को छोड़कर) तो ऐसे व्यय की राशि के 1–1/2 गुना रकम की कटौती प्रदान की जायेगी। अनुसन्धान एवं विकास की यह सुविधा कम्पनी के व्यवसाय में ही होनी चाहिए तथा निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए। किसी कम्पनी को इस कटौती की पात्रता उसी समय प्राप्त होगी, जब कि ऐसे अनुसन्धान एवं विकास की सुविधा में सहयोग के लिए तथा उस सुविधा के लिए रखे गये लेखों के अंकेक्षण के लिए कम्पनी ने निर्धारित प्राधिकारी के साथ समझौता कर लिया हो।

उपर्युक्त वर्णित व्यय के सम्बन्ध में इस अधिनिय की अन्य किसी व्यवस्था के अन्तर्गत कोई कटौती नहीं दी जायेगी।

(ii) बाहरी संस्था को वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम चलाने हेतु अंशदान (Contribution to outsiders) – निम्नलिखित संस्थाओं को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयोग में लाने हेतु कोई भुगतान करदाता ने गत वर्ष में किया है तो ऐस भुगतान के 1–1/4 गुणा राशि की कटौती दी जायेगी, चाहे वह अनुसन्धान कार्य करदाता के व्यवसाय से सम्बन्धित हो या न हो–

(क) अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसंधान संघ, अनुमोदित विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य कोई संस्था या भारत में पंजीकृत कम्पनी जिनका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसन्धान के कार्य करना हो,

(ख) सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान या सांख्यिकीय अनुसन्धान के लिए अनुमोदित विश्वविद्यालय, कालेज या किसी अन्य संस्था को। [धारा 35 (1)(ii) तथा (iii)]

(iii) राष्ट्रीय प्रयोगशाला को अंशदान (Contribution to National Laboratory)– यदि करदाता ने किसी राष्ट्रीय प्रयोगशाला (National Laboratory) को अथवा किसी विश्वविद्यालय को अथवा किसी भारतीय तकनीकी संस्थान (Indian Institute of Technology) को अथवा किसी निर्दिष्ट व्यक्ति को कोई भुगतान इस निर्देश के साथ किया है कि उस राशि का उपयोग निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसन्धान कार्यक्रम के लिए किया जायेगा, तो ऐसे भुगतान की रकम के 1–1/4 गुना राशि के बराबर कटौती स्वीकृत होगी। ऐसा होने पर फिर उस भुगतान के लिए अन्य किसी प्रावधान के अन्तर्गत कटौती स्वीकृत नहीं होगी। निर्धारित प्राधिकारी अनुमोदन स्वीकार करने से पूर्व उस संस्था की अनुसन्धान करने की क्षमता के बारे में सन्तुष्टि प्राप्त करेगा तथा महानिदेशक (आयकर मुक्ति) को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) एकस्व तथ कृति–स्वामित्व पर व्यय (Expenditure on Patent and Copy-right) (धारा 35A)

यदि करदाता ने अपने व्यवसाय हेतु एकस्व या कृति स्वामित्व के अधिकारों को प्राप्त करने के लिए 1.4.1998 से पहले कोई पूँजीगत व्यय किया है तो ऐसे व्यय के सम्बन्ध में 14 समान वार्षिक किस्तों में कटौती प्रदान की जायेगी। जिस गत वर्ष में ऐसा व्यय हुआ है, उस गत वर्ष से प्रारम्भ करते हुए लगातार 14 गत वर्षों में यह कटौती प्रदान की जायेगी। यदि ऐसे अधिकारों का प्रारम्भ करदाता को प्राप्त किए जाने से पूर्व ही हो चुका हो, तो जितने सम्पूर्ण वर्ष उन अधिकारों के प्रारम्भ होने की तिथि से करदाता द्वारा प्राप्त

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

किए जाने तक बीत चुके हैं, उतने वर्ष 14 वर्षों की अवधि में से कम कर दिए जायेंगे तथा शेष वर्षों की अवधि में यह कटौती समान वार्षिक किस्तों में प्रदान की जायेगी। परन्तु यदि 14 वर्ष या अधिक बीत चुके हों, तो पूँजीगत व्ययकी पूरी कटौती उसी गत वर्ष में प्रदान कर दी जायेगी, जिस गत वर्ष में करदाता ने उन अधिकारों को प्राप्त किया है।

यदि ऐसा अधिकार निर्धारित समय से पूर्व समाप्त हो जाता है तो जितनी राशि की कटौती देना शेष रह गया है, उतनी राशि की कटौती उस वर्ष स्वीकृत की जावेगी जिस वर्ष में ऐसा अधिकार समाप्त हुआ है।

यदि ऐसे अधिकार को बेच दिया जाता है तो विक्रय वाले वर्ष में लाभ या हानि की गणना निम्न प्रकार की जावेगी :

(अ) यदि विक्रय मूल्य अपलिखित मूल्य से कम हो :

व्यावसायिक हानि = अपलिखित मूल्य – विक्रय मूल्य

(ब) यदि विक्रय मूल्य अपलिखित मूल्य से अधिक हो परन्तु मूल्य लागत से अधिक न हो:

व्यावसायिक लाभ = विक्रय मूल्य –अपलिखित मूल्य

(स) यदि विक्रय मूल्य मूल लागत से अधिक हो तो :

(i) व्यावसायिक लाभ = मूल लागत –अपलिखित मूल्य

तथा (ii) पूंजीगत लाभ :

(क) यदि अधिकार 36 माह से अधिक अवधि के लिए करदाता के पास न रहा हो तो

अल्पकालीन पूंजी लाभ = विक्रय मूल्य –मूल लागत

(ख) यदि अधिकार 36 माह से अधिक अवधि के लिए करदाता के पास न रहा हो तो

दीर्घकालीन पूंजी लाभ = विक्रय मूल्य – (मूल लागत x

$$\frac{\text{अधिकार विक्रय वाले वर्ष का सूचकांक}}{\text{अधिकार प्राप्ति वाले वर्ष का सूचकांक}}$$

नोट : 'पूंजी लाभ' का विस्तृत विवरण अगला अभ्यास में दिया जायेगा।

गत वर्ष 1998–99 या इसके बाद किये ऐसे व्ययों को अमूर्त सम्पत्ति मानकर इन पर ह्रास की छूट दी जाती है।

(3) दूर संचार सेवाओं के संचालन का लाइसेन्स प्राप्त करने के व्यय (Expenditure for obtaining licence to operate tele-communication services) (धारा 35ABB)

(i) यदि करदाता ने दूरसंचार सेवाओं के परिचालन का अधिकार प्राप्त करने के लिए पूंजीगत प्रकृति का कोई व्यय किया गया है तथा इसके लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु वास्तव में भुगतान किया जा चुका है तो ऐसे व्यय की प्रत्येक सम्बन्धित गत वर्ष में समान किस्तों में कटौती प्रदान की जायेगी। इस कटौती का प्रारम्भ उस गत वर्ष में होगा जिसमें लाइसेंस फीस का वास्तव में भुगतान किया गया है तथा उस गत वर्ष तक यह कटौती चालू रहेगी जिस गत वर्ष तक लाइसेंस (जिसके लिए फीस का भुगतान किया गया है) प्रभावी रहता है। इस प्रकार यदि लाइसेंस की अवधि 20 वर्ष हो, तो सम्पूर्ण व्यय की कटौती 20 समान किस्तों में दी जायेगी।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(ii) यदि करदाता द्वारा दूरसंचार सेवाओं के परिचालन का अधिकार प्राप्त करने के लिए पूंजीगत प्रकृति का व्यय व्यवसाय प्रारम्भ होने से पूर्व किया गया है, तो यह कटौती उस गत वर्ष से प्रारम्भ होगी जिस गत वर्ष में व्यवसाय प्रारम्भ हुआ है।

(iii) यदि करदाता द्वारा लाइसेंस का हस्तांतरण कर दिया जाता है तथा हस्तान्तरण पर प्राप्त राशि (पूँजी प्रकृति की) उस राशि से कम है जिसकी कटौती मिलना अभी बाकी है, तो ऐसी कमी वाली राशि की कटौती हस्तान्तरण वाले गत वर्ष में दे दी जायेगी।

(iv) यदि करदाता द्वारा लाइसेंस का पूर्ण आंशिक रूप से हस्तान्तरण कर दिया जाता है तथा हस्तान्तरण पर प्राप्त राशि (पूंजीगत प्रकृति की) उस राशि से अधिक है जिसकी कटौती मिलना अभी बाकी है तो ऐसे आधिक्य की राशि में उतनी राशि व्यवसाय की आय मानी जायेगी। जितनी राशि की कटौती उस समय तक करदाता मिल चुकी है व्यवसाय की यह आय हस्तान्तरण वाले वर्ष की मानी जायेगी चाहे वह व्यवसाय चालू हो या पहले ही बन्द हो चुका हो ऐसे गत वर्ष में तथा उसके पश्चात् आगे के गत वर्षों में यह कटौती नहीं मिलेगी।

(v) यदि करदाता द्वारा लाइसेंस क आंशिक हस्तान्तरण किया गया है तथा हस्तान्तरण प्राप्त राशि (पूंजीगत प्रकृति की) उस राशि से कम है जिसकी कटौती मिलना अभी बाकी है तो ऐसी कमी वाले राशि की कटौती उस लाइसेंस की शेष बची अवधि में समान किश्तों में दी जायेगी।

(vi) यदि एकीकरण (amalgamation) या पृथक्कीकरण (demerger) की किसी योजना के अन्तर्गत एकीकृत या पृथक्कीकृत कम्पनी के द्वारा अपना लाइसेंस एकीकर्त्ता या परिणामी कम्पनी (जो एक भारतीय कम्पनी होनी चाहिए) के पक्ष में बेचना अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित किया गया है तो इस धारा के प्रावधान एकीकर्ता या परिणामी कम्पनी पर यथासम्भव उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार एकीकरण या पृथक्कीकरण न होने की स्थिति में वे एकीकृत या पृथक्कीकृत कम्पनी पर लागू होते।

(vii) जिस व्यय की कटौती इस धारा के अंतर्गत मिल चुकी है उस व्यय के लिए धारा 32 (1) के तहत ह्रास की छूट किसी भी गत वर्ष में नहीं मिलेगी।

स्पष्टीकरण –

(क) जिस गत वर्ष में लाइसेंस का हस्तान्तरण या विक्रय होता है उस गत वर्ष में यह कटौती नहीं दी जाती है।

(ख) लाइसेंस के विक्रय पर होने वाली हानि को विक्रय वाले वर्ष में अन्तिम कटौती के रूप में घटाया जावेगा।

(4) उपर्युक्त परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय

(Expenditure on eligible projects or schemes) (धारा 35AC)

यदि करदाता ने सार्वजनिक क्षेत्र वाली किसी कम्पनी को या स्थानीय सत्ता या राष्ट्रीय समिति (National Committee) द्वारा अनुमोदित किसी संघ या संस्था को किसी उपयुक्त परियोजना या योजना (eligible project or scheme) के क्रियान्वयन हेतु गत वर्ष में कोई भुगतान किया है तो ऐसा भुगतान कटौती –योग्य होगा। इस कटौती को प्राप्त करने के लिए करदाता को भुगतान प्राप्त करने वाली संस्था से एक प्रमाण–पत्र प्राप्त करके अपनी आय की विवरण के साथ संलग्न करना होगा।

यदि करदाता एक कम्पनी है तो इस धारा के अन्तर्गत कटौती प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त प्रकार से भुगतान कर सकती है अथवा स्वयं भी ऐसी उपयुक्त परियोजना पर प्रत्यक्ष व्यय कर सकती है। यदि कम्पनी ने स्वयं ने प्रत्यक्ष रूप से व्यय किया है तो उसे चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट का एक प्रमाण–पत्र प्राप्त करके

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University) Ladnun

अपनी आय की विवरणी के साथ संलग्न करना होगा।

यदि किसी व्यय के सम्बन्ध में करदाता को इस धारा के अन्तर्गत कटौती मिल चुकी है तो फिर उसी व्यय के सम्बन्ध में किसी अन्य धारा के अन्तर्गत उसी गत वर्ष में या अन्य किसी गत वर्ष में कोई कटौती नहीं मिलेगी।

किस संस्था या संघ को राष्ट्रीय समिति द्वारा दिया गया अनुमोदन एक कारण बताओ नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है, यदि राष्ट्रीय समिति इस बात से संतुष्ट हो कि वह परियोजना या योजना निर्धारित शर्तों के अनुसार नहीं चल रही है। इसी प्रकार यदि राष्ट्रीय समिति इस बात से संतुष्ट हो कि अधिसूचित परियोजना या योजना निर्धारित शर्तों के अनुसार नहीं चल रही है। इसी प्रकार यदि राष्ट्रीय समिति इस बात से संतुष्ट हो कि अधिसूचित परियोजना या योजना निर्धारित शर्तों के अनुसार नहीं चल रही है, तो ऐसी अधिसूचना को समाप्त भी किया जा सकता है तथा उस परियोजना या योजना को बन्द भी किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण–

उपयुक्त परियोजना का अर्थ जनता के सामाजिक तथा आर्थिक कल्याण के लिए बनाई गई किसी ऐसी परियोजना या योजना से है जो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से अनुमोदित हो चुकी है।

(5) विनिर्दिष्ट व्यवसाय पर पूंजीगत व्ययों के सम्बन्ध में कटौती
(Deduction in respect of expenditure on specified business) (धारा 35AD)

निर्दिष्ट व्यवसाय के सम्बन्ध मं किये गये पूंजीगत व्ययों की सम्पूर्ण राशि उस गत वर्ष में कटौती योग्य होती है जिसमें यह खर्च किये गये हैं। ऐसे व्यवसाय के सम्बन्ध में भूमि, ख्याति या वित्तीय प्रलेखों पर किये गये पूंजीगत व्ययों के सम्बन्ध में यह कटौती स्वीकृत नहीं की जाती है। व्यवसाय प्रारम्भ होने से पूर्व के पूंजीगत व्यय उस गत वर्ष में स्वीकृत किये जाते हैं जिस गत वर्ष में व्यवसाय का कारोबार प्रथम बार प्रारम्भ हुआ हो।

स्पष्टीकरण

विनिर्दिष्ट व्यवसाय का तात्पर्य निम्नलिखित व्यवसायों से है:

(i) शीतागार श्रृंखला सुविधाओं (Cold Chain Facilities) की स्थापना तथा संचालन

(ii) कृषि उपज के भण्डारण के लिए भण्डारकृह की सुविधा की स्थापना एवं संचालन

(iii) देश के आर–पार प्राकृतिक गैस या कच्चे या पेट्रोलियम तेल पाइपलाइन नेटवर्क, वितरण के लिए विछाना तथा उसका संचालन करना (केवल भारतीय कम्पनी करदाता की दशा में)

(6) ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए संघों या संस्थानों का भुगतान
(Payment to Associations or Institutions for Rural Development Programmes) (धारा 35CCA)

(i) यदि करदाता ने केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अधिसूचित एवं स्थापित ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय कोष (National Fund For Rural Development) अथवा राष्ट्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन कोष (National Urban Poverty Eradication Fund) में कोई रकम जमा कराई है, तो करदाता द्वारा गत वर्ष में जमा कराई गई सम्पूर्ण राशि की कटौती सभी करदाताओं के लिए स्वीकृत होगी।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(ii) 1 मार्च, 1983 से पूर्व अनुमोदित हुए तथा प्रारम्भ हुए किसी ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए किसी अनुमोदित संघ संस्था को गत वर्ष में किये गये भुगतान की सम्पूर्ण राशि की कटौती सभी करदाताओं के लिए स्वीकृत होती है।

(iii) यदि किसी भुगतान की कटौती इस धारा के अन्तर्गत स्वीकृत कर दी जाती है तो ऐसे भुगतान के सम्बन्ध में उसी गत वर्ष में या अन्य किसी गत वर्ष में अन्य किसी धारा के अन्तर्गत कटौती स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(7) प्रारम्भिक व्यय (Preliminary Expenses) (धारा 35 D)

यदि कटौती केवल भारतीय कम्पनी अथवा भारत में निवासी गैर–कम्पनी करदाओं को ही उपलब्ध है।

(अ) कटौती योग्य राशि (Qualifying Amount) का निर्धारणः

कटौती योग्य राशि का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाता हैः

(I) सभी प्रकार के करदाताओं के लिए कटौती–योग्य व्ययः

(i) सम्भावनाओं की रिपोर्ट (Feasibility Report) तैयार करने पर व्यय।

(ii) परियोजना रिपोर्ट (Project Report) तैयार करने पर व्यय।

(iii) बाजार सर्वेक्षण (Market Survey) अथवा करदाता के व्यवसाय के लिए आवश्यक अन्य किसी भी सर्वेक्षण पर व्यय।

(iv) करदाता के व्यवसाय से सम्बन्धित 'इन्जीनियरिंग सेवाओं' (Engineering Services) पर व्यय।

(v) करदाताा तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी ऐसे समझौते के लिखने के कानूनी व्यय, जो करदाता के व्यवसाय को स्थापित करने अथवा संचालित करने के उद्देश्य से किया गया है।

(vi) अन्य कोई व्यय जो इस कटौती के लिए निर्धारित कर दिया गया है।

(II) भारतीय कम्पनी के लिए कटौती योग्य अतिरिक्त व्ययः

(i) पार्षद सीमा नियम (Memorandum of Association) तथा पार्षद अन्तर्नियम (Articles of Association) को लिखने के कानूनी व्यय।

(ii) पार्षद सीमा नियम तथा पार्षद अन्तर्नियम को छपवाने के व्यय।

(iii) कम्पनी का भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकरण करवाने का शुल्क।

(vi) अंशों एवं ऋण –पत्रों के निर्गमन के सम्बन्ध में अभिगोपन कमीशन या दलाली तथा प्रविवरण को लिखवाने, टाइप करवाने तथा विज्ञापित करववाने के व्यय।

(ब) कटौती स्वीकृत करने के लिये आवश्यक शर्तेंः

इस कटौती से सम्बन्धित शर्तें एवं प्रतिबन्ध निम्नलिखित हैं–

(i) यह कटौती केवल उन व्ययों के सम्बन्ध में दी जाती है जो व्यवसाय प्रारम्भ होने से पूर्व हुए हैं। यदि ऐसे व्यय व्यवसाय के प्रारम्भ होने के पश्चात हुए हों तो इस धारा क अन्तर्गत कटौती उसी समय प्रदान की जायेगी जबकि ये व्यय करदाता के उपक्रम का विस्तार करने अथवा किसी नयी इकाई की स्थापना करने के सम्बन्ध में हुए हों।

(ii) इस धारा के अन्तर्गत कटौती उसी समय दी जायेगी, जबकि ऐसे व्यय होने वाले गत वर्ष के खातों का किसी चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट से अंकेक्षण करवा लिया गया हो तथा करदाताने निर्धारित फार्म में अंकेक्षण रिपोर्ट पेश कर दी हो।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(स) कटौती योग्य व्ययों की अधिकतम सीमा

इस धारा के अन्तर्गत कटौती योग्य व्ययों की कुल राशि यदि निम्न सीमा से अधिक हो तो आधिक्य की राशि पर कटौती नहीं दी जायेगी–

(I) यदि करदाता एक भातीय कम्पनी हो तो योजना की लागत 5 प्रतिशत का अथवा कम्पनी के व्यवसाय में विनियोजित पूंजी का 5 प्रतिशत।
यह कम्पनी की इच्छा पर है कि वह "योजना की लागत अथवा" व्यवसाय में विनियोजित पूंजी" में से किसी भी आधार पर अधिकतम सीमा का लाभ उठावे।

(II) यदि करदाता अन्य कोई व्यक्ति हो तो योजना की लागत का 5 प्रतिशत।

स्पष्टीकरण : योजना की लागत से तात्पर्य करदाता की पुस्तकों में उस गत वर्ष के अन्तिम दिन (जिस गत वर्ष से कटौती प्रारम्भ हुई) पुस्तकों में दिखाई गई स्थायी सम्पत्तियों की वास्तविक लागत से है। करदाता के औद्योगिक उपक्रम के विस्तार की दशामें अथवा किसी नयी औद्योगिक इकाई की स्थापना की दशा में केवल उन स्थायी सम्पत्तियों की लागत ली जायेगी जो इस सम्बन्ध में प्राप्त की गयी हैं।

कटौती की विधि– इस धारा के अन्तर्गत कटौती –योग्य व्ययों की सम्पूर्ण राशि की एक साथ कटौती नहीं दी जाती, किन्तु पाँच समान वार्षिक किस्तों में कटौती दी जाती है।

प्रथम किस्त की कटौती उस गत वर्ष में दी जाती है, जिस गत वर्ष में व्यवसाय प्रारम्भ हुआ है या उपक्रम का विस्तार पूर्ण हुआ है, या नई इकाई ने उत्पादन कार्य प्रारम्भ किया है। शेष किस्तों की कटौती लगातार क्रम से आगे के चार गत वर्षों में दी जायेगी।

यदि किसी भारतीय कम्पनी को इस धारा के अन्तर्गत प्रारम्भिक व्ययों के सम्बन्ध मेंकटौती पाने का हक हो तथा इस कटौती के लिये निर्दिष्ट अवधि (5 वर्ष) समाप्त होने से पूर्व एकीकरण या पृथक्कीकरण की किसी योजना के अन्तर्गत उस कम्पनी का उपक्रम किसी अन्य कम्पनी को हस्तान्तरित कर दिया गया हो, तो फिर ऐसे एकीकरण या पृथक्कीकरण वाले गत वर्ष में तथा उससे आगे शेष अवधि में इन व्ययों की कटौती एकीकरणकर्त्ता या परिणामी कम्पनी को मिलेगी। यह कटौती उस एकीकरणकर्त्ता या परिणामी कम्पनी को उसी प्रकार से मिलेगी, जिस प्रकार ऐसा एकीकरण या पृथक्कीकरण न होने की स्थिति में एकीकृत या पृथक्कीकृत कम्पनी को मिलती।

यदि किसी व्यय के सम्बन्ध में इस धारा के अन्तर्गत कटौती मांगी गई है तथ स्वीकार कर ली गई है, तो फिर उसी व्यय के सम्बन्ध में उसी कर–निर्धारण वर्ष में या अन्य किसी कर–निर्धारण वर्ष में अन्य किसी धारा के अन्तर्गत कोई कटौती स्वीकार्य नहीं होगी।

(8) एकीकरण या पृथक्कीकरण के मामले में व्ययों का परिशोधन

(Amortisation of exdpenditure in case of amalgamation or demerger) (धारा 35 DD)

यदि 1.4.1999 को या उसके पश्चात् किसी भारतीय कम्पनी ने कोई ऐसा व्यय किया है, जो पूर्णतः तथा केवल किसी उपक्रम के एकीकरण या पृथक्कीकरण के उद्देश्यों के लिये ही हुआहै, तो ऐसे व्यय की 5 समान वार्षिक किस्तों में कटौती मिलेगी। प्रथम किस्त की कटौती उस गत वर्ष में स्वीकार्य होगी, जिस गत वर्ष में एकीकरण या पृथक्कीकरण हुआ है तथा शेष किस्तों की कटौती तुरन्त अगले चार लगातार गत वर्षों में स्वीकार्य होगी। ऐसे व्यय की इस अधिनियम के अन्य किसी भी प्रावधान के अन्तर्गत कोई कटौती स्वीकार्य नहीं होगी।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(9) ऐच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अन्तर्गत व्ययों का परिशोधन

(Amortisation of exdpenditure under voluntary retirement scheme) (धारा 35 DD)

करदाता द्वारा किसी भी गत वर्ष में ऐच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अन्तर्गत कर्मचारी को किये गये भुगतान की 5 समान वार्षिक किस्तों में कटौती मिलेगी। प्रथम किस्त की कटौती उस गत वर्ष में स्वीकार्य होगी, जिस गत वर्ष में ऐसा भुगतान किया गया है तथा शेष किस्तों की कटौती तुरन्त अगले चार लगातार वर्षों में स्वीकार्य होगी। ऐसे व्यय की इस अधिनियम के अन्य किसी भी प्रावधान के अन्तर्गत कटौती स्वीकार्य नहीं होगी।

(10) कुछ खनिजों की खोज आदि पर व्यय

(Expendiure on prospecting etc. for certain minerals) (धारा 35 E)

यह कटौती केवल भारतीय कम्पनी तथा भारत में निवासी गैर–कम्पनी करदाताओं को ही प्रदान की जाती है। यह कटौती उन व्यक्तियों को दी जाती है जो खनिजों को खोजने, निकालने या उत्पादन करने का कार्य में लगे हुए हैं।

कटौती–योग्य व्यय – इस धारा के अन्तर्गत उन व्ययों की कटौती मिलती है जो सातवीं अनुसूची में उल्लेखित खनिजों की खोज पर अथवा ऐसे खनिजों वाली खानों के विकास पर अथवा ऐसे खनिजों के प्राकृतिक भण्डारों की खोज तथा विकास पर हुए हैं। इन कटौती –योग्य व्ययों में केवल वे व्यय शामिल किये जायेंगे जो व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ होने वाले गत वर्ष में तथा उससे पूर्व के चार वर्षों में हुए हैं।

इस धारा के अन्तर्गत कटौती–योग्य राशि में निम्नलिखित व्ययों को शामिल नहीं किया जायेगाः

(1) जिस जमीन में ऐसे खनिजों का स्रोत है, उस जमीन को प्राप्त करने अथवा उस जमीन के सम्बन्ध में अधिकारों को प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय।

(2) ऐसे खनिजों को प्राप्त करने अथवा उन खनिजों के सम्बन्ध में अधिकारों को प्राप्त करने के लिए किये गये व्यय।

(3) किसी भवन, मशीन या प्लान्ट या फर्नीचर के सम्बन्ध में पूंजीगत प्रकृति के ऐसे व्यय जिनके सम्बन्ध में धारा 32 के अन्तर्गत ह्रास की छूट उपलब्ध है।

कटौती की विधि–इस धारा के अर्न्तगत कटौती–योग्य व्यय की कटौती दस समान वार्षिक किस्तों में दी जाती है। प्रथम किस्त की कटौती उस गत वर्ष में प्रदान की जाती है जिस गत वर्ष में व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ हुआ है। शेष नौ किस्तों की कटौती उससे तुरन्त बाद के लगातार क्रम से नौ गत वर्षों में दी जाती है।

यदि किसी गत वर्ष में सम्बन्धित खान की आय, कटौती की राशि से कम हो, तो उस गत वर्ष में केवल उतनी ही राशि की कटौती दी जायेगी, जिससे आय शून्य रह जाये तथा शेष राशि (जिसकी कटौती नहीं मिल सकी है) को अगले वर्ष की कटौती वाली किस्त में जोड़कर कटौती दी जायेगी। इस प्रकार प्रत्येक गत वर्ष की अशोधित कटौती की रकम को अगले वर्ष की कटौती की किस्त में जोड़ दिया जायेगा तथा यह प्रक्रिया दसवें वर्ष तक चलती रहेगी। दसवें वर्ष में भी यदि अशोधित कटौती की राशि बच जाती है तो उसको आगे ले जाने का अधिकार नहीं है। अतः दसवें वर्ष में सम्पूर्ण अशोधित कटौती की रकम को घटाना होगा चाहे उससे उस गत वर्ष की आय ऋणात्मक हो जाये।

यदि किसी भारतीय कम्पनी को इस धारा के अन्तर्गत ऐसे व्ययों के सम्बन्ध में कटौती पाने का हक

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

हो तथा इस कटौती के लिए 10 वर्षों की निर्दिष्ट अवधि समाप्त होने से पूर्व एकीकरण या पृथक्कीकरण की किसी योजना के अन्तर्गत उस कम्पनी का उपक्रम किसी अन्य भारतीय कम्पनी को हस्तान्तरित कर दिया गया हो, तो फिर ऐसे एकीकरण या पृथक्कीकरण वाले गत वर्ष में एकीकृत या पृथक्कीकरण कम्पनी को इस धारा के अन्तर्गत ऐसे व्ययों के सम्बन्ध में कोई कटौती नहीं मिलेगी तथा उसके स्थान पर एकीकर्ता या परिणामी कम्पनी को यह कटौती उसी प्रकार मिलेगी, जिस प्रकार ऐसा एकीकरण या पृथक्कीकरण न होने की स्थिति में एकीकृत या पृथक्कीकरण कम्पनी को मिलती।

यदि किसी व्यय के सम्बन्ध में इस धारा के अन्तर्गत कटौती मांगी गई है तथा स्वीकार कर ली गई है, तो फिर उसी व्यय के सम्बन्ध में उसी कर–निर्धारण वर्ष में या अन्य किसी कर निर्धारण वर्ष में इस अधिनियम के अन्य किसी भी प्रावधान के अन्तर्गत कोई कटौती स्वीकार्य नहीं होगी।

उदाहरण (Illustration) 7.1 :

From the following information given by Shri Mohit Gupta for the previous year 2009-10 you are required to calculate the amount of deduction to be allowed to him in computation of his income from Business or Profession for the assessment year 2010-11.

(i) He is owner of a small industry which commenced business on 15th January, 1997. Before commencement of business he incurred an expenditure of Rs. 8,60,000 as preliminary expenses in 1995 and 1996. The actual cost of the fixed assets on 31st March, 1997 was Rs. 1,90,00,000.

(ii) In the year 2008 and 2009 he again incurred an expenditure of Rs. 18,00,000as preliminary expenses in respect of extension of his industrial undertaking. The extension was completed by 30th Sept. 2009. The actual cost of the fixed assets as on 31st March, 2010 was Rs. 4 crore and 80 lakhs, out of which assets costing Rs. 3 crores were acquired for the purpose of expansion of undertaking.

(iii) Mr. Mohit is also engaged in the business of mining since 1992. During the previous year 2009-10 he starts commercial production on a new mine at Udaipur. Expenses incurred in connection with the new mine are as follows:

	Rs.
(a) Acquisition of site on 30th September, 2005	800000
(b) Expenses incurred for exploring and locating mineral upto 31st March, 2005	300000
(c) Expenses incurred for exploring and locating mineral after 31st March, 2005 (Out of it Rs. 35,000 was met by the State Government)	6,35,000

Income from old and new mine during the previous year 2009-10 amounted to Rs.45,000.

(iv) One of his employee took retirement on 1st Feb., 2010 under a scheme of Voluntary retirement and Mr. Mohit paid him Rs. 3,50,000 as compensation for the same.

(v) During the previous year he made payment of Rs. 18,000 to the National Fund for Rural Development.

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

श्री मोहित गुप्ता द्वारा गत वर्ष 2009–10 के लिये दी गयी निम्न सूचनाओं से आपको कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिये उनकी व्यापार अथवा पेशे की आय की गणना करने के लिए दी जाने वाली कटौती की राशि का निर्धारण करना है–

(i) वह एक छोटे उद्योग का मालिक है जिसने 15 जनवरी, 1997 को व्यापार प्रारम्भ किया था। व्यापार प्रारम्भ करने से पूर्व उसने वर्ष 1995 एवं 1996 में 8,60,000 रूपये प्रारम्भिक व्यय के रूप में खर्च किये। 31 मार्च, 1997 को स्थायी सम्पत्तियों की वास्तविक लागत 1,90,00,000 रुपये थी।

(ii) वर्ष 2008 एवं 2009 में उसने पुनः एक औद्योगिक उपक्रम के विस्तार पर 18 लाख रुपये प्रारम्भिक व्यय के रूप में खर्च किये। उपक्रम का विस्तार 30 सितम्बर, 2009 को पूरा हुआ। 31 मार्च 2010 को उसकी स्थाई सम्पत्तियों की वास्तविक लागत 4 करोड़ एवं 80 लाख रुपये थी जिसमें से 3 करोड़ रूपये मूल्य की सम्पत्तियां उपक्रम के विस्तार के सम्बन्ध में प्राप्त की गई थी।

(iii) श्री मोहित वर्ष 1992 से खनन कार्य में भी लगा हुआ है। गत वर्ष 2009–10 में उसने उदयपुर में एक नई खान पर व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ किया। नई खान के सम्बन्ध में किये गये व्यय निम्न प्रकार थे –

	रुपये
(अ) 30 सितम्बर, 2005 को स्थल की प्राप्ति पर व्यय	8,00,000
(ब) 31 मार्च, 2005 तक खनिजों को खोजने एवं निर्धारण के लिये किये गये व्यय	3,00,000
(स) 31 मार्च, 2005 के बाद खनिजों के खोजने एवं निर्धारण के लिये किये गये व्यय	6,35,000

(इसमें से 35,000 रुपये राज्य सरकार ने वहन किये)

गत वर्ष 2009–10 में नई एवं पुरानी खान से 45,000 रुपये की आय हुई।

(iv) 1 फरवरी, 2010 का उसके एक कर्मचारी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अन्तर्गत सेवानिवृत्ति ग्रहण की तथा श्री मोहित ने इसके लिए उसे 3,50,000 रुपये की राशि, क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान की।

(v) गत वर्ष में उसने ग्रामीण विकास के लिये राष्ट्रीय कोष को 18,000 रु. का भुगतान किया।

हल (Solution):

Calculation of allowable expenses to Shri Mohit Gupta in Computing the income from Business for the A.Y. 2010-11

	Rs.
1. Deduction for preliminary expenses incurred in 2008 and 2009 (1/5 x 15,00,000)	3,00,000
2. Deduction for exploring and locating mineral 1/10th of (600000) or income from mining Rs. 45000 (Which ever is less)	45,000
3. Compensation paid to employee on voluntary retirement (1/5 x 3,50,000)	70,000
4. Payment to National Fund for Rural Development	18,000
Total deduction allowable	4,33,000

टिप्पणी – (i) 1 अप्रैल, 1998 से पूर्व किये गये प्रारम्भिक व्ययों के सम्बन्ध में कटौती नहीं दी जायेगी क्योंकि कटौती के लिए निर्धारित अवधि कर समाप्त हो गई है।

(ii) 31 मार्च, 1998 के बाद विस्तार पर किये प्रारम्भिक व्यय के सम्बन्ध में कटौती योग्य राशि इस आशय के लिये प्राप्त स्थाई सम्पत्तियों का 5% अथवा व्यय की गयी राशि दोनों में जो भी कम हो, उसके

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

बराबर होती है। व्यय की गयी राशि 18 लाख रु. है तथा अतिरिक्त स्थाई सम्पत्तियों का (3 करोड़ रु. x 5%)=15 लाख रु. है। अतः 15 लाख रु. के 1/5 के बराबर कटौती दी गई है।

(iii) धारा 35E के तहत खनिजों की खोज एवं निर्धारण के लिये गत वर्ष एवं तुरन्त पूर्व के 4 वर्षों के व्ययों के सम्बन्ध में ही कटौती 10 समान किश्तों में दी जाती है। अतः 1 अप्रैल, 2005 से पूर्व किये गये व्ययों के लिये कटौती नहीं दी गई है। 1 अप्रैल, 2005 या बाद के व्ययों में सरकार द्वारा वहन किया गया व्यय कम कर दिया गया है। स्थल प्राप्ति की लागत के सम्बन्ध में कटौती नहीं दी जाती है। यद्यपि कटौती की राशि (6,00,000 x 10%) अर्थात 60,000 रुपये है परन्तु इस वर्ष कटौती इस वर्ष की खानों की आय से ज्यादा नहीं हो सकती है। अतः कटौती 45,000 रु. की दी गयी है तथा 15,000 रु. की अशोधित राशि आगे पूरी की जायेगी।

स्पष्टतया अस्वीकृत व्यय

(Expenses Expressly Disallowed)

आय–कर अधिनियम की धारा –40 के अनुसार 'व्यापार अथवा पेश' के लाभ शीर्षक के अन्तर्गत कर–योग्य आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित व्ययों को नहीं घटाया जाता है –

(अ) सभी प्रकार के करदाताओं के लिए–

1. तकनीकी सेवाओं के लिए भारत के बाहर देय या किसी अनिवासी को देय ब्याज,रायल्टी, फीस [धारा 40 (a) (i)]

भारत के बाहर अथवा भारत में किसी अनिवासी (कम्पनी के अलावा) को अथवा विदेशी कम्पनी को देय कोई ब्याज, रायल्टी, तकनीकी सेवाओं के बदले फीस एवं अन्य राशियां जो आय–कर अधिनियम के अन्तर्गत कर–योग्य हों तथा जिन पर उद्‌गम स्थान पर कर नहीं काटा गया हो अथवा उद्‌गम स्थान कर काट कर उसका गत वर्ष में या अगले वर्ष में धरा 200 (1) में निर्धारित समय सीमा की समाप्ति के पूर्व भुगतान नहीं किया गया हो तो ऐसी राशि कटौती के रूप में स्वीकृत नहीं की जायेगी। परन्तु यदि बाद के किसी वर्ष ऐसी किसी राशि के सम्बन्ध में उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती कर ली जाती है अथवा उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती तो गत वर्ष में ही कर ली जाती है परन्तु उसका भुगतान अगले किसी वर्ष में धारा 200 (1) में निर्धारित समय सीमा की समाप्ति के बाद किया जाता है तो ऐसी राशि उस गत वर्ष में स्वीकृत कर दी जाती है जिस गत वर्ष में कर कर भुगतान किया जाता है।

2. किसी निवासी की दशा में स्रोत पर कर की कटौती के प्रावधानों की पालना [धारा 40 (a) (ia)]

किसी निवासी को देय ब्याज, कमीशन, दलाली, किराया, रायल्टी, पेशेवर या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस या किसी निवासी ठेकेदार या उपठेकेदार को कोई कार्य करने के लिए देय राशि में से उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती की जानी थी परन्तु कटौती नहीं की गयी या कटौती करने के बाद धरा 139 (1) में वर्णित देय तिथि को या इसके पहले कर जमा नहीं करवाया गया हो ता ऐसी राशि व्यय के रूप में कटौती योग्य नहीं होगी। परन्तु यदि बाद के किसी वर्ष में उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती कर ली जाती है अथवा कर की कटौती तो गत वर्ष में ही करली जाती है परन्तु उसका भुगतान उपर्युक्त निर्धारित तिथि के बाद किया जाता है तो ऐसी राशि उस गत वर्ष में स्वीकृत कर दी जायेगी जिस गत वर्ष में कर का भुगतान किया गया है।

3. व्यवसाय या पेशे के लाभों पर कर – [धारा 40 (a) (iia)]

किसी व्यवसाय या पेशे के लाभों पर आरोपित कोई कर या दर की राशि के लिए कटौती स्वीकृत नहीं की जाती है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

4. धन कर [**धारा 40 (a) (iia)**] -

धन कर के रूप में चुकाई गई राशि के लिए कटौती स्वीकृत नहीं की जाती है।

5. भारत के बाहर देय वेतन जिस पर कर की कटौती न की गयी है [**धारा 40 (a) (iii)**]

यदि कोई भुगतान वेतन शीर्षक में कर योग्य हो तथा यह भारत के बाहर देय हो या अनिवासी को देय हो एवं प्राप्तकर्ता द्वारा इस पर कर का भुगतान न किया गया हो या उद्गम स्थान पर कर की कटौती न गयी हो तो ऐसी राशि स्वीकृत व्यय नहीं मानी जावेगी।

6. कर्मचारियों के लिए रखे गये फण्ड आदि (Provident Fund etc.)में अंशदान [**धारा 40 (a) (iv)**]

यदि करदाता ने अपने कर्मचारियों के हितों के लिए रखे गये किसी भी फण्ड में अंशदान किदया है तथा ऐसे फण्ड में से कर्मचारी को भुगतान करते समय उद्गम स्थान पर कर की कटौती करने की प्रभावशाली व्यवस्था नहीं की है तो करदाता द्वारा ऐसे फण्ड में किये गये अंशदान की कटौती नहीं दी जायेगी। किसी भी फण्ड में से भुगतान करते समय उद्गम स्थान पर कर की कटौती करने की प्रभावशाली व्यवस्था करने की आवश्यकता उसी समय होती है जब ऐसा भुगतान उस कर्मचारी के लिए वेतन शीर्षक के अन्तर्गत कर–योग्य आय हो।

7. कर्मचारियों के अनुलाभों पर नियोक्ता द्वारा [धारा 10 (10CC)] में वर्णित वास्तव में चुकाया गया कर।

[**धारा 40 (a) (v)**]

(ब) फर्म के लिए [**धारा 40 (b)**]

फर्म के द्वारा साझेदारों को किये गये निम्न भुगतान अस्वीकृत होते हैं :

(i) निष्क्रिय साझेदार को दिया गया बोनस, कमीशन या अन्य पारिश्रमिक ;

(ii) सक्रिय साझेदार को निर्धारित सीमा से अधिक दिया गया पारिश्रमिक ;

(iii) साझेदारों को पूंजी पर 12 प्रतिशत (1 जून, 2002 से पूर्व 18 प्रतिशत) वार्षिक दर से अधिक दर पर दिया गया ब्याज।

टिप्पणी: शर्तों व प्रतिबन्धों का विस्तृत विवरण 'फर्मों का कर–निर्धारण' वाले अध्याय में दिया गया है।

(स) व्यक्तियों के समुदाय के लिए [**धारा 40(ba)**]

यदि करदाता व्यक्तियों का समुदाय अथवा व्यष्टियों का संघ है (कम्पनियों तथाा सहकारी समितियों को छोड़कर) तो उसके द्वारा अपने सदस्य को ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक के रूप में किये गये भुगतान के लिए कटौती स्वीकृत नहीं की जाती है।

(II) कुछ दशाओं में अस्वीकृत व्यय एवं भुगतान

(Expenses and Payments Not Deductible in Certain Circumstances)

1. विशिष्ट व्यक्तियों को भुगतान धारा 40 A (2) : करदाता द्वारा किया गया कोई भी ऐसा व्यय, जिसके अन्तर्गत निम्न प्रकार के विशिष्ट व्यक्तियों को कोई भुगतान किया गया है, उसी सीमा तक कटौती योग्य होगा, जो निर्धारण अधिकारी की सम्पत्ति में उचित है तथा शेष राशि की की कटौती अस्वीकृत होगी –

विशिष्ट व्यक्तियों का आशय :

(i) यदि करदाता एक व्यष्टि हो तो उसका कोई भी सम्बन्धी। यदि करदाता एक कम्पनी हो तो उसका कोई भी संचालक तथा उसका सम्बन्धी। यदि करदाता एक फर्म हो तो उसका कोई भी साझेदार तथा उसका सम्बन्धी। यदि करदाता कोई व्यक्तियों का समुदाय अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार हो तो उसका कोई भी सदस्य तथा उसका सम्बन्धी।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(ii) कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका उस करदाता के व्यवसाय में सारवान हित हो। यदि ऐसा व्यक्ति एक व्यष्टि हो तो उसका कोई भी सम्बन्धी। यदिऐसा व्यक्ति एक कम्पनी है तो उसका कोई भी संचालक तथा उसका सम्बन्धी। यदि ऐसा व्यक्ति एक फर्म है तो उसका कोई भी साझेदार तथा उसका सम्बन्धी। यदि ऐसा व्यक्ति व्यक्तियों का समुदाय अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार है तो उसका कोई सदस्य तथा उसका सम्बन्धी।

(iii) कोई भी ऐसी कम्पनी जिसके किसी संचालक का अथवा कोई भी ऐसी फर्म जिसके किसी भी साझेदार का अथवा कोई भी ऐसा व्यक्तियों का समुदाय या हिन्दू अविभाजित परिवार जिसके किसी भी सदस्य का उस करदाता के व्यवसाय में सारवान हित हो। ऐसी कम्पनी के अन्य सभी संचालक तथा उसके सम्बन्धी; ऐसी फर्म के अन्य सभी साझेदार या उनके सम्बन्धी एवं ऐसे समुदाय या परिवार के अन्य सभी सदस्य तथा उनके सम्बन्धी भी विशिष्ट व्यक्ति माने जायेंगे।

(iv) कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके व्यवसाय में उस करदाता का पर्याप्त हित हो।

निर्धारण अधिकारी इस धारा के अन्तर्गत कटौती को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय लेते समय निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखेगा–

(अ) जिन वस्तुओं, सेवाओं या सुविधाओं के लिए भुगतान किया गया है उनका उचित बाजार मूल्य;

(ब) उस करदाता के व्यवसाय या पेशे की उचित आवश्यकताएं तथा

(स) उस करदाता को ऐसे भुगतान से मिला हुआ लाभ।

2. 20,000 रुपयों से अधिक राशि के भुगतान के सम्बन्ध में [धारा 40A(3)] : करदाता के द्वारा किये गये व्यय के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को एक दिन में किये जाने वाला भुगतान या भुगतानों का योग 20,000 रुपयों से अधिक राशि का होने पर रेखांकित चैक या बैंक ड्राफ्ट से होना चाहिए अन्यथा ऐसे सम्पूर्ण व्यय की कटौती अस्वीकृत होगी। किन्तु यदि करदाता निर्धारण अधिकारी को इस बात से सन्तुष्ट कर दे कि उसके लिए रेखांकित चैक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान करना सम्भव नहीं था, तो इस कटौती को स्वीकार किया जा सकता है। इस धारा के प्रतिबन्ध सम्पत्ति क्रय करने के भुगतन पर लागू नहीं होते, केवल माल तथा व्ययों के सम्बन्ध में किये गये भुगतानों पर लागू होते हैं।

निम्नांकित परिस्थितियों में ऐसा व्यय अस्वीकृत नहीं किया जायेगा (नियम 6DD)–

(i) यदि भुगतान रिजर्व बैंक या भारत में बैंकिंग का व्यवसाय करने वाली किसी कम्पनी को किया जाये।

(ii) यदि भुगतान स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया अथवा अन्य किसी बैंक (सहकारी बैंक एवं भूमिबन्धक बैंक सहित) को किया जाये।

(iii) यदि भुगतान प्राथमिक कृषि साख समिति अथवा प्राथमिक साख समिति को किया जाये।

(iv) यदि भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम को किया जाये।

(v) यदि केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार को ऐसा भुगतान किया जाये जिसके सम्बन्ध में सरकारी नियमों में केवल नकद भुगतान करने का ही प्रावधान हो जैसे–सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क आदि।

(vi) यदि भुगतान बैंकिंग प्रणाली के किसी माध्यम से किया जाये। इसमें साख पत्रों का प्रयोग, डाक अथवा टेलीग्राफ हस्तान्तरण, एक ही बैंक में अथवा एक बैंक से दूसरे बैंक से लेखा पुस्तकों के माध

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

यम से समायोजन, बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रोनिक क्लियरिंग पद्धति का प्रयोग तथा डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान सम्मिलित है।

(vii) यदि करदाता द्वारा किये जाने वाले किसी भुगतान का समायोजन करदाता के द्वारा भुगतान पाने वाले को माल की पूर्ति अथवा दी गई सेवाओं के लिये देय राशि से कर दिया जाये।

(viii) यदि भुगतान कृषि उत्पाद, बागवानी उत्पाद, डेयरी उत्पाद, मुर्गी, अण्डे, फल–सब्जी, शहद आदि खरीदने पर किसान अथवा इन वस्तुओं के उत्पादक को किया जाये।

(ix) यदि बिजली की सहायता के बिना कुटीर उद्योग के रूप में उत्पादन कर्ता से उसका उत्पाद खरीदने के लिये भुगतान किया जाये।

(x) यदि भुगतान ऐसे गांव में अथवा कस्बे में किया जाये जहाँ बैंक की सुविधा नहीं हो तथा भुगतान पाने वाला ऐसे ही किसी गांव अथवा शहर में रहता है अथवा व्यवसाय करता है।

(xi) यदि करदाता द्वारा अपने किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति, छंटनी, त्यागपत्र अथवा मृत्यु पर अथवा इनके सम्बन्ध में ग्रेच्युटी, छंटनी पर क्षतिपूर्ति अथवा ऐसे ही सीमान्त लाभ के रूप में कर्मचारी अथवा उसके उत्तराधिकारी को भुगतान किया जाये तथा ऐसे भुगतान की कुल राशि 50,000 रु. से अधिक नहीं हो।

(xii) यदि भुगतान किसी ऐसे कर्मचारी को किया जाये जिसका 15 दिन या अधिक अवधि के लिये अन्य किसी स्थान पर अस्थायी स्थानान्तरण किया गया हो तथा ऐसे कर्मचारी का उस स्थान पर बैंक खाता नहीं हो बशर्तें धारा 192 के प्रावधानों के अनुसार उद्गम स्थान पर वेतन में से कटौती कर ली गई हो।

(xiii) यदि भुगतान उस दिन करना आवश्यक हो जिस दिन छुट्टी अथवा हड़ताल के कारण बैंक बन्द हो।

(xiv) यदि भुगतान किसी ऐसे प्रतिनिधि को किया जाये जिसको करदाता की ओर से माल अथवा सेवाओं के लिये नकद भुगतान करना हो।

(xv) यदि भुगतान विदेशी मुद्रा अथवा यात्री चैक के क्रय करने के बदले अधिकृत व्यापारी अथवा मुद्रा परिवर्तन करने वाले के द्वारा अपने व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के दौरान किया जाये।

स्पष्टीकरण–यदि भुगतान मालवाहक वाहन को चलाने, किराये पर देने या पट्टे पर देने के लिए 1 अक्टूबर 2009 को या इसके पश्चात् किया जाता है तो उपर्युक्त प्रावधान 20,000 रु. से अधिक की बजाय 35,000 रु. से अधिक के भुगतान के सम्बन्ध में ही लागू होंगे।

3. ग्रेच्युटी के लिए आयोजन [धारा 40A(7)] : यदि करदाता ने गत वर्ष में अपने कर्मचारियों को अवकाश ग्रहण किये जाने पर अथवा सेवा मुक्त होने पर ग्रेच्युटी का भुगतान करने के लिए कोई आयोजन (Provision for Gratuity) बनाया है तो ऐसे आयोजन की कटौती नहीं दी जायेगी। किन्तु यदि कोई ग्रेच्युटी की रकम गत वर्ष में देय हो चुकी हो, तो उसके लिए आयोजन की कटौती को अस्वीकार नहीं किया जायेगा। इसी प्रकार ग्रेच्युटी फण्ड यदि अनुमोदित ग्रेच्युटी फण्ड हो तो उसमें करदाता द्वारा दिये गये अंशदान की कटौती को अस्वीकार नहीं किया जायेगा।

4. कुछ कोषों में अंशदान या भुगतान [धारा 40A(9)] : यदि करदाता ने नियोक्ता की हैसियत से किसी भी कोष या प्रन्यास (fund or trust) की स्थापना के लिए या उसमें अंशदान के रूप में कोई भुगतान

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

किया है, तो ऐसा भुगतान अस्वीकृत होगा। किन्तु यह प्रतिबन्ध निम्नांकित परिस्थितियों में लागू नहीं होगा–

(i) यदि ऐसा भुगतान धरा 36 (1) के वाक्यांश (iv) या (v) में उल्लेखित किसी कोष (प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड, अनुमोदित सुपरऐन्युएशन फण्ड, अनुमोदित ग्रेच्युटी फण्ड आदि के लिए निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत किया गया हो;

(ii) यदि ऐसा भुगतान अन्य किसी कानून की व्यवस्थाओं के अनुसार किया गया हो।

5. कुछ व्ययों का वास्तविक भुगतान करने पर ही कटौती योग्य होना धारा 43 (B): निम्नलिखित व्ययों के सम्बन्ध में कटौती भुगतान वाले वर्ष में ही स्वीकार्य होगी, चाहे करदाता के द्वारा पालन की गई लेखांकन विधि के अनुसार वह दायित्व किसी भी गत वर्ष में उदय हुआ हो–

(a) करदाता द्वारा किसी भी कानून के अन्तर्गत सरकार को देय कर, शुल्क, महसूल या फीस (tax, duty, cess or fees) के रूप में देय कोई राशि, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये;

(b) करदाता द्वारा नियोक्ता के रूप में प्राविडेण्ट फण्ड, सुपरएन्युएशन फण्ड, ग्रेच्युटी फण्ड या कर्मचारियों के कल्याण के लिए अन्य किसी फण्ड में दिये गये अंशदान की राशि;

(c) कर्मचारियों को दिये जाने वाले बोनस व कमीशन की राशि;

(d) करदाता द्वारा किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान से अथवा किसी राज्य वित्तीय निगम से अथवा किसी राज्य औद्योगिक विनियोजन निगम से लिए गए ऋण या उधार राशि पर ब्याज के रूप में देय कोई राशि;

(e) करदाता द्वारा किसी अनुसूचित बैंक से लिये गये ऋण या अग्रिम पर ऐसे ऋण या अग्रिम के लिए हुए समझौते की शर्तों के अनुसार देय ब्याज की राशि।

(f) नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को अवकाश के स्थान पर किया गया भुगतान (Leave encashment)

उपर्युक्त कोई राशि जिस गत वर्ष में देय हुई है, उसका भुगतान यदि उस गत वर्ष के समाप्त होने के पश्चात किन्तु उस गत वर्ष के लिए धारा 139 (1) के अनुसार विवरण प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि तक किसी भी समय कर दिया गया है, तो ऐसी राशि के लिए कटौती देयता के आधार पर उस गत वर्ष में स्वीकार्य होगी, जिस गत वर्ष में वह राशि देय हुई है।

उपर्युक्त राशियों के सम्बन्ध में पूर्व के किसी गत वर्ष में देयता के आधार पर कटौती प्रदान की जा चुकी हो तो फिर अब उसी राशि के लिए भुगतान के आधार पर पुनः कटौती स्वीकार्य नहीं होगी।

अन्य महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाएं

(Other Important Provisions)

1. लेखा पुस्तकों की अनिवार्यता (Colmpulsory maintenance of Accounts) [धारा 44 AA)]

धारा 44 AA के अुनसार निम्न प्रकार के व्यवसायियों के लिये लेखा पुस्तकें रखना अनिवार्य है–

(अ) विनिर्दिष्ट पेशेवर व्यक्तियों के लिए (For Specified Professionals) : वकालत, चिकित्सा, अभियान्त्रिकी, शिल्प–कला, लेखाकर्म, तकनीकी परामर्श, आन्तरिक साज–सज्जा अथवा बोर्ड द्वारा अधिसूचित अन्य किसी पेशे में लगे हुए व्यक्ति (अधिकृत प्रतिनिधि, कम्पनी सचिव तथा फिल्म कलाकार) के लिए पुस्तकों व अन्य दस्तावेजों का रखना आवश्यक है जिसके आधारा पर निर्धारण अधिकारी इस अधिनियम के अनुसार उनकी कुल आय की गणना कर सके। [धारा 44 AA(1)]

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

स्पष्टीकरण–

(1) यदि उपर्युक्त विनिर्दिष्ट पेशों मं लगे व्यक्तियों की पेशे से सकल प्राप्तियां गत वर्ष से पूर्व के तीन वर्षों में कभी भी 1,50,000 रुपये से अधिक रही हो अथवा गत वर्ष में पेशा प्रारम्भ करने पर इस सीमा से अधिक होने की सम्भावना हो तो उस व्यक्ति को आयकर नियम 6 F (2) में उल्लिखित लेखा पुस्तकें अनिवार्यतः रखनी होगी। यदि ऐसे पेशेवर व्यक्तियों की सकल प्राप्तियां 1,50,000 रुपये से अधिक न हो तो उन्हें आयकर नियम 6 F(2) में उल्लिखित लेखा पुस्तकें रखना अनिवार्य नहीं हे परन्तु ऐसी लेखा पुस्तकें रखना अनिवार्य है जिसके आधार पर कर निर्धारण अधिकारी करदाता की आय का निर्धारण कर सके।

(2) आयकर नियम 6F(2) के अनुसार ऐसे पेशेवर व्यक्तियों को निम्नांकित लेखा पुस्तकें तथा अन्य प्रलेख रखने होंगे–

(i) रोकड़ बही
(ii) जर्नल (यदि लेखा व्यापारिक पद्धति के आधार पर रखें जावें)
(iii) खाता बही;
(iv) 25 रूपये या इससे अधिक का शुल्क प्राप्त करने का क्रम संख्या लगी हुई रसीद तथा दिये गये बिलों की क्रम संख्या लगी हुई कार्बन कॉपी;
(v) 50 रूपये से अधिक के व्ययों के मूल बिल तथा 50 रूपये तक के व्ययों के लिए स्वयं द्वारा बनाये गये तथा हस्ताक्षरित बिल।

मेडिकल सम्बन्धी पेशेवर व्यक्तियों को उपर्युक्त के अलावा निम्नांकित अतिरिक्त पुस्तकें रखना आवश्यक है–

(i) दैनिक केस डायरी तथा
(ii) दवाइयों का स्टॉक रजिस्टर

(3) पेशेवर व्यक्तियों को अपनी लेखा पुस्तकें उस स्थापन पर रखनी चाहिए जहां पर वह सामान्यतः अपने पेशे सम्बन्धी कार्य करता है

(ब) अन्य गैर निर्दिष्ट पेशेवर व्यक्तियों के लिए (For Other Non-Specified Professional Persons) :

(i) गत वर्ष से पूर्व के तीन वर्षों में से किसी भी वर्ष में उस व्यक्ति के व्यवसाय या पेशे की आय 1,20,000 रुपये से अधिक रही हो अथवा उसकी कुल बिक्री, या सकल प्राप्तियां (जैसी भी स्थिति हो) 10,00,000 रु. से अधिक रही हो।

अथवा

(ii) यदि वह व्यवसाय या पेशा गत वर्ष में नया स्थापित किया हुआ हो तो उस व्यक्ति की ऐसे व्यवसाय या पेशे से आय अथवा उसकी कुल बिक्री या सकल प्राप्तियां (जैसी भी स्थिति हो); उपर्युक्त सीमाओं से अधिक होने की सम्भावना हो।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

अथवा

(iii) यदि व्यवसाय या पेशे के लाभों को धारा 44 AD या 44 AF या 44 BB या 44 BBB के अन्तर्गत (जैसी भी स्थिति हो) निर्धारित सीमा तक करदाता के लाभ मान लिया गया हो तथा वह करदाता यह दावा करे कि उस गत वर्ष में उसकी आय इस प्रकार माने गये लाभों से कम हैं। [धारा 44 AA(2)]

बोर्ड किसी भी प्रकार के व्यक्तियों द्वारा चलाये जाने वाले व्यवसाय या पेशे की प्रकृति को देखते हुए उस व्यक्ति द्वारा रखी जाने वाली लेखा पुस्तकों एवं अन्य दस्तावेजों को निर्धारित कर सकता है। इसके अतिरिक्त इनमें रखा जाने वाला विवरण, इनके रखे जाने की विधि एवं प्रारूप इनको रखे जाने का स्थान तथा इनको रखे जाने की अवधि भी निर्धारित कर सकता हैं। [धारा 44AA(3) तथा (4)]

2. लेखा पुस्तकों के अंकेक्षण की अनिवार्यता (Compulsory Audit of Accounts) [धारा 44AB]

निम्न परिस्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने खातों का अंकक्षेण करवाना अनिवार्य है–

(i) यदि वह व्यक्ति व्यवसाय में संलग्न है तथा किसी भी गत वर्ष में उसकी कुल बिक्री अथवा सकल प्राप्तियां (जैसी भी स्थिति हो) 40 लाख रुपयों से अधिक है।

अथवा

(ii) यदि कोई व्यक्ति पेशे में संलग्न है तथा किसी भी गत वर्ष में उस पेशे से सकल प्राप्तियों का योग 10 लाख रुपयों से अधिक है।

अथवा

(iii) यदि व्यवसाय या पेशे के लाभों को धारा 44 AD या 44 AF या 44 BB या 44 BBB के अन्तर्गत (जैसी भी स्थिति हो) करदाता के लाभ मान लिया गये हों तथा उस करदाता ने यह दावा किया हो कि उस गत वर्ष में उसकी आय इस प्रकार माने गये व्यवसाय या पेशे के लाभों से कम है।

ऐसे व्यक्ति के लिए निर्दिष्ट तिथि तक निर्धारित फार्म में अंकेक्षण रिपोर्ट को प्राप्त करना अनिवार्य है। कम्पनी तथा अन्य सभी व्यक्तियों के लिए निर्दिष्ट तिथि 30 सितम्बर है।

यह धारा ऐसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी जो धारा 44 B या 44 BBA में वर्णित प्रकृति की आय प्राप्त करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के लिए, अन्य किसी कानून के अन्तर्गत लेखों का अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है तो उसके लिए वह अंकेक्षण इस धारा के उद्देश्यों के लिए भी मान लिया जायेगा, किन्तु उसे अंकेक्षक से इस धारा के उद्देश्यों के लिए एक प्रतिवेदन अलग से लेना होगा।

3. स्टॉक का मूल्यांकन (Valuation of Stock) :

आयकर अधिनियम में स्टॉक मूल्यांकन के लिए किसी विशेष विधि को उल्लेख नहीं है। मूल्यांकन की किसी विधि को एक बार अपना लेने पर निर्धारण अधिकारी की सहमति के बिना उसे बदला नहीं जा सकता है।

स्टॉक का मूल्यांकन लागत या बाजार मूल्य, दोनों में जो भी कम हो, के आधार पर किया जा सकता है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University) , Ladnun

4. कतिपय व्यवसायों में परिकल्पित लाभों की गणना करने की विशिष्ट विधियाँ

व्यापारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कतिपय मामलों में व्यवसाय के लाभों की गणना करने के लिए विशिष्ट विधियाँ भी निर्धारित कर दी गयी है। ऐसी व्यवस्थाएं निम्न प्रकार हैं–

(i) सिविल निर्माण (Civil Construction) आदि के व्यवसाय के लाभों की गणना के लिए विशेष व्यवस्था (धारा 44 AD)

(ii) माल वाहक (Goods carriages) को चलाने, भाड़े पर देने या लीज पर देने के व्यवसाय के लाभों की गणना करने के लिए विशेष व्यवस्था (धारा 44 AE)

(ii) फुटकर व्यापारियों के लिए लाभों की गणना करने के लिये विशेष व्यवस्था (धारा 44 AF)

उपर्युक्त नियमों के तहत आय कर, सम्बन्धित व्यवसाय की सकल प्राप्तियों पर लगाया जाता है। इस आय में से साझेदारी फर्म की दशा में धारा 40 (b) में वर्णित सीमा तक साझेदारों के ब्याज एवं पारिश्रमिक की छूट दी जाती है, परन्तु अन्य व्ययों की छूट नहीं दी जाती है। सकल कुल आय में से धारा 80 में वर्णित कटौतियां दी जा सकती हैं। इन धाराओं के अन्तर्गत कर लगने पर लेखों का अंकेक्षण करवाने की आवश्यकता नहीं रहती है। यदि करदाता यह महसूस करता है कि उसकी कर–योग्य आय उपर्युक्त धाराओं में वर्णित प्रावधानों से ज्ञात की गई आय से कम है तो वह अपने लेखों का अंकेक्षण करवा कर अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत कर सकता है।

सिविल निर्माण के कार्यों में संलग्न व्यक्तियों की आय (धारा 44 AD)
(Presumptive income of the persons engaged in civil construction)

इस योजना में ठेके पर भवन निर्माण करने वाले व्यक्तियों अथवा ऐसे कार्य के लिए श्रम की आपूर्ति करने वाले व्यक्तियों की वास्तविक आय पर कर न लगा कर ऐसे व्यवसाय की सकल प्राप्तियों पर कर लगाने की व्यवस्था की गई है।

यह धारा उन सभी करदाताओं पर लागू होती है जिनकी गत वर्ष में सकल प्राप्तियाँ 40 लाख रु. से अधिक नहीं हैं इस उद्देश्य से सकल प्राप्तियों की गणना करते समय ठेकेदाताओं द्वारा आपूर्ति किये गये माल का मूल्य शामिल नहीं किया जाता है।

ऐसे करदाताओं की सकल प्राप्तियों के 8 प्रतिशत के बराबर सकल कुल आय (Gross Total Income) मानी जाती है। इस आय में से साझेदारी फर्म की दशा में धारा 40 (b) में वर्णित सीमा तक साझेदारों के ब्याज एवं पारिश्रमिक की छूट दी जाती है, परन्तु अन्य व्ययों की छूट नहीं दी जाती है। सकल कुल आय में से धारा 80 में वर्णित कटौतियाँ दी जा सकती है।

दृष्टान्त (1)

श्री राजेन्द्र केडिया सिविल निर्माण के कार्यों का ठेका लेते हैं। उन्होंने गत वर्ष 2009–10 में दो ठेकों के सम्बन्ध में निम्नांकित सूचनाएं प्रस्तुत कीः

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(1) प्रथम ठेका सामग्री सहित 10 लाख रूपये का था। श्री केडिया ने 6 लाख रूपये मजदूरी के तथा 2 लाख रूपये सामग्री के सम्बन्ध में चुकाये । ठेका गत वर्ष में पूर्ण हो गया तथा ठेके की राशि 10 लाख रूपये उसे प्राप्त हो गयी।

(2) दूसरे ठेके में माल की पूर्ति ठेकेदाता करता है तथा श्रम व अन्य सुविधाओं की पूर्ति ठेकेदार श्री केडिया करता है। ठेका मूल्य 20 लाख रुपये (सामग्री के अलावा) था जिसमें से 5 लाख रूपये का कार्य प्रमाणित हो गया तथा 4 लाख रूपये नकद प्राप्त हुए। श्री केडिया ने गत वर्ष में 2 लाख 50 हजार रूपये व्यय किये। ठेकेदाता ने गत वर्ष में 3 लाख रूपये की सामग्री की आपूर्ति की।

हलः

श्री राजेन्द्र केडिया की गत वर्ष में सकल प्राप्तियां 40 लाख रुपये से अधिक नहीं है इसलिए श्री केडिया के पास दो विकल्प हैं–

(i) वह धारा 44 AD के अनुसार गत वर्ष में सकल प्राप्तियों का कम से कम 8 प्रतिशत सकल कुल आय मान लें (वह चाहे तो अधिक आय दिखा सकता है) अर्थात् गत वर्ष में सकल कुल आय (10,00,000 + 4,00,000) x 8% अर्थात् 112000 रुपये मान लें।

अथवा

(ii) वह आवश्यक खाते रखें तथा उनका किसी चार्टर्ड लेखाकार से अंकेक्षण करवाये एवं खातों के आधार पर कर–योग्य आय की गणना करें।

ट्रकों को चलाने या पट्टे पर देने के व्यवसाय से आय (धारा 44 AE) (Income from plying trucks or from its leasing busines)

यदि कोई करदाता ट्रकों को किराये पर चलाता है तो उसकी आय की गणना करने के सम्बन्ध में प्रति ट्रक प्रति माह एक निश्चित आय मानी जाती है।

यह योजना उन व्यक्तियों पर लागू होती है जो गत वर्ष में किसी भी समय 10 ट्रकों से अधिक के स्वामी न रहे हों और जो माल लाने ले–जाने का कार्य करते हों। यदि करदाता ने ट्रक किराया क्रय पद्धति के अनुसार या किस्तों में लिए हों तो ऐसे ट्रकों को 10 ट्रकों की गणना में शामिल किया जायेगा।

ऐसे सभी ट्रकों को भारी माल वाहक ट्रक एवं अन्य ट्रक के रूप में विभजित किया जायेगा। भारी माल वाहन से तात्पर्य ऐसे माल वाहन से है जिसका भार बिना सामान के 12,000 किलोग्राम (12 टन) से अधिक हो।

आय की गणना करने के उद्देश्य से ऐसे करदाता द्वारा प्रत्येक भारी माल वाहन पर 3,500 रुपये प्रति माह प्रति ट्रक तथा अन्य ट्रकों पर 3150 रूपये प्रति माह प्रति ट्रक सकल कुल आय मानी जावेगी। इस आय में से साझेदारी फर्म की दशा में धारा 40 (b) में वर्णित सीमा तक साझेदारों के ब्याज एवं पारिश्रमिक की छूट दी जाती है, परन्तु अन्य व्ययों की छूट नहीं दी जाती है। सकल कुल आय में से धारा 80 में वर्णित कटौतियां दी जा सकती हैं। यदि कोई ट्रक किसी महीने के बीच में क्रय या विक्रय किया गया हो तो चाहे ट्रक का स्वामित्व कुछ भी समय के लिए रहा हो तब भी उसे पूरा माह मानेंगे। ट्रक प्राप्ति की तिथि से ऐसी आय की गणना की जाती है। ट्रकों का उपयोग व्यवसाय में कब से हुआ, वह महत्वपूर्ण नहीं होता है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

दृष्टान्त (2)

श्री मुरारी लाल की अपनी एक ट्रान्सपोर्ट कम्पनी सीकर में है। उन्होंने गत वर्ष में 2 हल्के व्यापारिक वाहन 5 माह 27 दिन के लिए, 2 मध्यम माल वाहक 8 माह 2 दिन के लिए तथा एक भारी माल वाहक 10 माह के लिए उपयोग में लिये। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक मध्यम माल वाहक पूरे वर्ष किराये पर ले रखा था।

हलः

श्री मुरारी लाल के पास गत वर्ष में कभी भी 10 से अधिक माल वाहक नहीं रहे हैं। अतः उनकी आय की गणना धारा 44 AE के अनुसार की जा सकती है। उनकी गत वर्ष की कर–योग्य आय

= (2 x 3,150 x 6) + (2 x 3,150 x 9) +

(1 x 3,150 x 9) + (1 x 3,150 x 12) रुपये

= 1,67,300 रुपये

श्री मुरारी लाल को धारा 44 AE के अन्तर्गत गत वर्ष में कम से कम 167300 रूपये की कर–योग्य आय दिखानी होगी। इस आय में से केवल धारा 80C से 80U तक की छूट ही दी जा सकती है, अन्य कोई छूट नहीं।

श्री मुरारी लाल यदि 167300 रूपये से कम आय दिखाना चाहता है तो उसे लेखा पुस्तकें रखनी होगी तथा उनका अनिवार्य रूप से अंकेक्षण करवाना होगा।

दृष्टान्त (3)

यदि उपर्युक्त दृष्टान्त (2) में श्री मुरारी लाल ने सभी वाहनों को 15 अप्रैल 2009 को क्रय किया हो तो श्री मुरारी लाल के लिए सम्पूर्ण 12 माह की आय कर–योग्य होगी, क्योंकि वाहन क्रय करने की तिथि से आय की गणना की जाती है न कि उपयोग में लेने की तिथि से। माह के दिनों को पूरा महीना मानकर आय की गणना की जाती है। इस स्थिति में श्री मुरारी लाल के लिए धारा 44 AE के अन्तर्गत कर योग्य आय

= (1 x 3,500 x 12) + (5 x 3150 x 12)

= 2,31,000 रुपये

फुटकर व्यापारियों के लिए लाभें की गणना करने की विशेष योजना (धारा 44 AF)
(Special Scheme for Ascertaining Profits of Retail Traders)

यह योजना ऐसे करदाताओं पर लागू होती है जो फुटकर व्यापारी हो तथा गत वर्ष में उसकी बिक्री 40 लाख रुपये से अधिक न हो। ऐसे करदाता की कुल वार्षिक बिक्री के 5 प्रतिशत के बराबर सकल कुल आय (Gross Total Income) मानी जाती है। इस आय में से साझेदारी फर्म की दशा में धारा 40 (b) में वर्णित सीमा तक साझेदारों के ब्याज एवं पारिश्रमिक की छूट दी जाती है, परन्तु अन्य व्ययों की छूट नहीं दी जाती है। सकल कुल आय में से धारा 80 में वर्णित कटौतियां दी जा सकती हैं।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

व्यवसाय अथवा पेशे के कर–योग्य लाभों की गणना
(Computation of Taxable Profits from Business or Profession)

एक करदाता के व्यवसाय अथवा पेशे के कर–योग्य लाभों की गणना करने के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जाता है–

(अ) गत वर्ष (Previous Year)

(ब) लेखांकन पद्धति (Accounting Systems),

(स) अन्तिम खाते (Final Accounts)

(द) खातों में आयकर की दृष्टि से संशोधन (Revision in Accounts from the Income Tax Point of view)

(अ) गत (Previous Year}

कर–योग्य लाभ गत वर्ष के लिए ज्ञात किये जाते हैं। पुराने व्यापार का गत वर्ष 1 अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च तक का होता है तथा नये व्यापार के लिए उसकी स्थापना के दिन से आगामी 31 मार्च तक की अवधि ही गत वर्ष होती है। कर निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए गत वर्ष की अवधि 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च, 2010 तक की है।

(ब) लेखांकन पद्धति (Accounting System)

व्यवसाय अथवा पेशे के लाभों का निर्धारण करदाता के द्वारा रखी गई पुस्तकों में लेखांकन की प्रणाली के अनुसार होता है। लेखा पुस्तकों में प्रविष्टियाँ निम्न दो प्रणालियों में से किसी भी एक प्रणाली के अनुसार की जा सकती है–

(i) नकद आधार पर, तथा

(ii) व्यापारिक आधार पर

नोटः दोनों लेखांकन पद्धतियों की चर्चा इसी इकाई में पहले ही की जा चुकी है।

(स) अन्तिम खाते (Final Accounts)

'व्यवसाय अथवा पेशे के लाभ' शीर्षक में सकल प्राप्तियों (Gross Receipts) पर कर नहीं लगाया जाता है परन्तु शुद्ध लाभों पर कर लगाया जाता है। कर योग्य लाभों की गणना निम्नांकित खातों की सहायता से की जाती हैः

(i) लाभ–हानि खाता (Profit and Loss Account) – यह खाता व्यापारिक एवं निर्माणी संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है।

(ii) आय–व्यय खाता (Income and Expenditure Account) – यह खाता पेशेवर व्यक्तियों द्वारा बनाया जाता है।

(iii) प्राप्ति एवं भुगतान खाता (Receipt and Payment Account) – यह खाता नकद लेन देनों का सारांश होता है और पेशवर व्यक्तियों द्वारा बनाया जाता है।

(द) खातों में आयकर की दृष्टि से संशोधन
(Revision in Accounts from the Income Tax Point of view)

(A) लाभ हानि खाते, या आय व्यय खाते में दिखाये गये शुद्ध लाभ या आधिक्य में संशोधन के नियम निम्नलिखित हैंः

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(1) सबसे पहले लाभ–हानि खाते के आधार पर शुद्ध लाभ की राशि ज्ञात कीजिये। यदि आय–व्यय खाता हो, तो आय का व्यय पर आधिक्य (Surplus of income over expenditure) ज्ञात किया जायेगा। यह आधिक्य (Surplus) एक प्रकार से शुद्ध लाभ होता है।

(2) उपर्युक्त (1) के अनुसार ज्ञात किये गये शुद्ध लाभ (Net Profit) या आधिक्य (Surplus) में निम्नलिखित मदों की राशियों को जोड़ा जावे :

(i) ऐसे व्यय जो लाभ हानि खाते में नाम लिखे हुए हैं किन्तु जो कटौती योग्य नहीं हैं। यदि कोई व्यय आंशिक रूप से कटौती योग्य है तथा आंशिक रूप से अस्वीकृत है तो ऐसे व्यय के अस्वीकृत भाग की राशि को ही जोड़ा जायेगा।

(ii) ऐसे व्यय या हानियाँ जो लाभ हानि खाते में नाम लिखे हुए हैं किन्तु जो करदाता के व्यवसाय अथवा पेशे से सम्बन्धित नहीं हैं।

(iii) ऐसे व्यय तथा हानियां जो लाभ–हानि खाते में नाम लिखे हुए हैं किन्तु जो गत वर्ष से सम्बन्धित नहीं है।

(iv) ऐसे व्यय जो लाभ–हानि खाते में नाम लिखे हुए हैं, किन्तु जो करदाता के निजी व्यय हैं।

(v) ऐसे व्यय जो लाभ–हानि खाते में नाम लिखे हुए हैं, किन्तु जो पूंजीगत प्रकृति के व्यय हैं।

(vi) ऐसे आय जो करदाता के व्यवसाय या पेशे से सम्बन्धित हैं तथा इस शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य हैं किन्तु जिसको लाभ–हानि खाते में जमा नहीं किया गया है।

(vii) यदि करदाता ने स्वेच्छा से अन्तिम स्टॉक का मूल्य कम लगायाा हो अथवा प्रारम्भिक स्टॉक का मूल्य बढ़ा दिया हो तो ऐसे अवमूल्यांकन या अधिमूल्यांकन की राशि।

(3) उपर्युक्त (2) के अनुसार समायोजन करने के पश्चात् निम्नलिखित राशियों को घटाया जायेगा :

(i) ऐसे व्यय जो लाभ–हानि खाते में दिखाये गये हैं, किन्तु जो कटौती योग्य हैं।

(ii) ऐसे आय जो लाभ हानि खाते में दिखाई गई है, किन्तु जो करदाता के व्यवसाय या पेशे से सम्बन्धित नहीं हैं।

(iii) ऐसी आय जो लाभ–हानि खाते में दिखाई गई हैं, किन्तु जो इस शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य नहीं हैं।

(iv) ऐसी आय जो लाभ–हानि खाते में दिखाई गई है, किन्तु जो पूर्णतः कर–मुक्त आय है।

(v) यदि करदाता ने स्वेच्छा से अन्तिम स्टॉक का मूल्य अधिक लगा दिया हो अथवा प्रारम्भिक स्टॉक का मूल्य कम लगा दिया हो तो ऐसे अधिमूल्यांकन या अवमूल्यांकन की राशि।

(vi) यदि करदाता के व्यवसाय में उसके स्वयं के द्वारा पैदा की गई कृषि उपज का उपयोग किया गया है, तो उसके द्वारा बनाये गए लाभ–हानि खाते में दिखाए गए शुद्ध लाभ में कृषि आय भी सम्मिलित होगी। अतः कृषि आय को घटाया जायेगा।

(4) उपर्युक्त समायोजनों के पश्चात् प्राप्त राशि इस शीर्षक की कर–योग्य आय होगी। यदि ऐसी राशि ऋणात्मक हो तो उसे इस शीर्षक की हानि माना जायेगा। यदि लाभ –हानि खाते में शुद्ध हानि हो अथवा आय–व्यय खाते में कमी हो, तो ऐसी राशि को ऋण के निशा (–) के साथ लिखकर प्रश्न को हल करना चाहिए।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

संशोधित लाभ–हानि खाते अथवा आय–व्यय खाते का प्रारूप
(Proforma of Revised Profit & Loss Account or Income & Expenditure Account)

ऊपर वर्णित नियमों के आधार पर एक संशोधित लाभ–हानि खाते का प्रारूप निम्न हो सकता है:

		Rs.
Net Profit as per Profit & Loss A/c or Surplus as per Income & Expenditure A/c		....
Add : Expenses disallowed which have been debited to P & L A/c		
(i) Personal expenses	....	
(ii) Income -Tax/Wealth tax etc.	....	
(iii) Capital expenditure	....	
(iv) Amount transferred to Reserve	....	
(v) Other disallowed expenses	....	(+) ....
Add : Incomes taxable under this head but not credited to P & L a/c		(+) ....
Less : Incomes not taxable under this head but credited to P & L a/c		
(i) Rental Income	....	
(ii) Interest	....	
(iii) Capital gains	....	
(iv) Bad debt recovered (to the extent not allowed as deduction in earlier years)	....	
(v) Other Incomes	....	(-).............
		....
Less : Expenses/Losses allowable but not debited to P & L A/c		(-) ....

Taxable Income from business		....

यदि हानि हो तो ऋणात्मक (–) एवं लाभ हो तो धनात्मक (+) चिन्ह लगेगा।

प्राप्ति एवं भुगतान खाता (Receipt and Payment account) के आधार पर कर योग्य आय की गणना :

प्रायः इस विधि के अन्तर्गत कर–योग्य प्राप्तियों में से स्वीकृत व्ययों को घटाकर कर–योग्य लाभ ज्ञात किये जाते हैं। कर–योग्य लाभ ज्ञात करने की विधि निम्न प्रकार है:

(1) पहले इस खाते के प्राप्ति पक्षमें से सभी आयगत प्राप्तियों को छाँट कर जोड़ लीजिए। यह इस शीर्षक की सकल आय होगी। सकल आय ज्ञात करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए–

(अ) प्राप्ति पक्ष मं लिखी हुई निम्न मदों को सकल आय में शामिल नहीं किया जायेगा–

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(i) प्रारम्भिक शेष (Opening Balance) ।

(ii) पूंजीगत प्रकृति की प्राप्तियाँ जैसे स्थायी सम्पत्ति या विनियोगों की विक्रय राशि, ऋण के रूप में प्राप्त राशि, आदि।

(iii) ऐसी प्राप्तियां, जो इस शीर्षक से सम्बन्धित नहीं हैं अथवा जो इस शीर्षक के अन्तर्गत कर–योग्य नहीं हैं।

(ब) ऐसी प्राप्ति, जो प्राप्ति एवं भुगतान खाते में दर्शायी नहीं गई है, किन्तु इस शीर्षक की कर–योग्य आय है, सकल आय में शामिल की जायेगी। ऐसी प्राप्ति प्रश्न में समायोजनों के रूप में दी जा सकती है।

(2) अब इस खाते के भुगतान पक्ष में से ऐसे भुगतानों को छाँटिये, जिनके सम्बन्ध में इस शीर्षक के अन्तर्गत कटौती स्वीकृत है। ऐसी सभी कटौती योग्य राशियों को इस शीर्षक की सकल आय में से घटाइये। ऐसा करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए:

(अ) कुछ मदें ऐसी भी हो सकती हैं जिनका उल्लेख प्राप्ति एवं भुगतान खातें में नहीं है किन्तु जिनके सम्बन्ध में इस शीर्षक के अन्तर्गत कटौती स्वीकृत है। इन मदों के सम्बन्ध में स्वीकृत कटौतियों की राशि भी सकल आय में से घटाइये। स्थायी सम्पत्तियों पर ह्रास, गत वर्ष से पूर्व के प्रारम्भिक व्यय आदि ऐसे मदों के उदाहरण हैं। प्रश्न में इनका उल्लेख अतिरिक्त सूचनाओं के अन्तर्गत हो सकता है।

(ब) यदि कोई भुगतान आंशिक रूप से करदाता के व्यवसाय या पेशे से सम्बन्धित हो तथा आंशिक रूप से किसी अन्य उद्देश्य के लिए, तो ऐसे भुगतान के सम्बन्ध में कटौती केवल उस भाग के लिये प्रदान की जायेगी जो व्यवसाय से सम्बन्धित है।

(3) यदि उपर्युक्त (1) के अनुसार सकल आय की राशि उपर्युक्त (2) में वर्णित कटौतियों के योग से अधिक है, तो ऐसा आधिक्य इस शीर्षक की कर–योग्य आय होगा। इसके विपरीत होने पर उसे इस शीर्षक की हानि माना जायेगा।

Computation of Taxable Profits from Business or Profession for the Assessment Year...............

Gross Professional Earnings (Taxable only)		
(i)	....	
(ii)	....	
(ii)	....	....
Less : Allowable Expenses :		
(i)	....	
(ii)	....	
(ii)	....	....
Profit of Business or Profession		....

उदाहरण (Illustration) 7.2 :

कारण सहित बताइए कि निम्नांकित व्ययों / हानियों को व्यापार या पेशे से आय की गणना करने में स्वीकृत किया जायेगा अथवा नहीं?

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(i) 30,000 रु. का व्यय नियोन साइन बोर्ड की लागत पर किया गया, जो कार्यालय भवन पर उत्पादों के विज्ञापन हेतु लगाया गया।

(ii) अग्नि से 22,000 रु. के माल का रहतिया नष्ट हो गया, जो लाभ–हानि खाते में डेबिट किया गया।

(iii) व्यापार चिन्ह का दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध चलाये गये सफल दावे के व्यय।

(iv) व्यापार प्राप्त करने के लिए दिया गया कमीशन 11,200 रु.।

(v) बैंक से लाभांश वितरित करने के लिए अल्प अवधि का अधिविकर्ष लिया गया, जिस पर 5000 रू. का ब्याज चुकाया गया।

(vi) गत वर्ष में 7,000 रु. मनोरंजन व्ययों के रूप में चुकाये।

(vii) व्यापार के लिए एक ट्यूबवैल खुदाई पर 22,500 रु. व्यय किये। पानी खराब एवं अपर्याप्त होने के कारण खुदाई बीच में ही समाप्त कर दी गयी।

(viii) एक फर्म द्वारा कर्मचारियों में परिवार नियोजन के प्रोत्साहन हेतु 50,000 रु. के पूंजीगत व्यय किये गये।

(ix) एक बाहरी व्यक्ति से व्यवसाय प्रारम्भ करने से पूर्व अनुबन्ध का प्रलेख लिखने के लिए वकील को दी गयी 1500 रू. फीस।

(x) गत वर्ष में आय–कर निर्धारण सम्बन्धी सम्पूर्ण वैधानिक कार्यवाही पर 10000 रू. व्यय हुए।

State with reasons whether the following expenses/losses are admissible as deduction while computing income from business or profession:

(i) An expenditure of Rs. 30,000 incurred towards cost of neon-sign boards fixed on office premises, advertising its produce.

(ii) Stock-in-trade was lost in fire amounting to Rs.22000 and was debited to Profit and Loss Account.

(iii) Amount spent for a successful suit file against a person for infringing the trade mark of assessee.

(iv) Commission of Rs. 11200 paid in order to receive business.

(v) Interest paid to Bank Rs. 5000 in connection with overdraft for short-term obtained for paying dividend.

(vi) Entertainment expenses of Rs. 7000 paid in the previous year.

(vii) Rs. 22,500 spent for drilling a tubewell for business. Drilling was stopped as the water was not good and sufficient.

(viii) Capital expenditure of Rs. 50000 has been incurred towards promotion of family planning among employees by a firm.

(ix) Rs. 1500 paid as fees to a lawyer for drafting the deed of agreement with an outsider before commencement of the business.

(x) Rs. 10000 were spent in previous year in connection with the statutory income tax proceedings.

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

हल (Solution) :

(i) **अस्वीकृत–** साइन बोर्ड की लागत को विज्ञापन पर पूंजीगत व्यय माना जाता है और इसे प्लाण्ट की परिभाषा में सम्मिलित किया जाता है। इस पर 15 प्रतिशत की दर से ह्रास स्वीकृत होता है।

(ii) **स्वीकृत–** रहतिये की हानि सामान्य व्यापारिक हानि मानकर स्वीकृत की जाती है।

(iii) **स्वीकृत–** व्यापारिक चिन्ह व्यापार की सम्पत्ति होती है जिसके सामान्य रख–रखाव (Maintenance) के व्यय स्वीकृत होते हैं।

(iv) **स्वीकृत–** यह सामान्य 'विक्रय व्यय' की श्रेणी में आता है इसलिए स्वीकृत व्यय है।

(v) **स्वीकृत–** बैंक अधिविकर्ष पर ब्याज सामान्य प्रशासनिक व्यय है इसलिए स्वीकृत व्यय है।

(vi) **स्वीकृत–** सामान्य व्यय है इसलिए धरा 37 (1) के अन्तर्गत कटौती योग्य है।

(vii) **अस्वीकृत–** यह पूंजीगत व्यय है तथा भवन की परिभाषा में सम्मिलित होता है। इस पर धारा 32 के अन्तर्गत ह्रास स्वीकार किया जायेगा।

(viii) **अस्वीकृत–** परिवार नियोजन के प्रोत्साहन हेतु किये गये व्ययों की छूट केवल कम्पनी करदाता को ही मिलती है, अन्य करदाताओं को नहीं, इसलिए फर्म के लिए यह अस्वीकृत व्यय है। कम्पनी करदाता को ऐसे व्ययों की 1/5 भाग की प्रतिवर्ष (पांच वर्षों तक) कटौती स्वीकृत होती है।

(ix) **अस्वीकृत–** यह पूंजीगत व्यय होने के कारण अस्वीकृत है। इसे प्रारम्भिक व्ययों में सम्मिलित किया जा सकता है यदि ये व्यय व्यापार प्रारम्भ होने से पूर्व किये गये हों।

(x) **स्वीकृत–** यह व्यापार का सामान्य व्यय है इसलिए कटौती योग्य है।

उदाहरण (Illustration) 7.3 :

निम्नलिखित प्रत्येक दशा में बताइए कि एक व्यापार के लिए कितनी व्यय की राशि स्वीकृत होगी:

(1) 5,000 रु. की हानि जो रोकड़िये से छीन लिये गये थे, जब वह बैंक में यह धनराशि जमा कराने जा रहा था।

(2) करदाता 'रुपया लेन–देन' का व्यापार कर रहा था और उसने अपने इस व्यापार के अन्तर्गत एक ऋणी से अपने ऋण के बदले में कुछ सम्पत्ति प्राप्त कर ली जिसे उसने अपने व्यापारिक रहतिये के रूप में रखा। इस प्रकार प्राप्त की गयी सम्पत्ति नष्ट हो गयी। करदाता इस हानि की कटौती स्वीकार करने की मांग करता है।

(3) प्रारम्भिक व्ययों की वास्तविक लागत 30,000 रु. है, जबकि व्यवसाय की स्थाई सम्पत्तियों की 31.3.10 को लागत 2.5 लाख रु. थी। प्रारम्भिक व्यय 31.1.2010 को किये गये ।

(4) प्रतिलिप्याधिकार की फीस 42,000 रु. है जो 10 साल तक वैध है। यदि 15 साल के लिए वैध होती तो क्या अंतर होता और यदि यह 16 साल के लिए वैध होती, लेकिन प्राप्त करने के 8 वर्ष बाद 26,000 रु. में विक्रय किया जाये तो क्या प्रभाव पड़ेगा? यह फीस 1.4.1998 से पूर्व की है। यदि यह फीस 31.3.1998 के बाद की होती तो क्या प्रभाव पड़ता।

(5) कच्चे माल का क्रय 3,00,000 रु.। इसमें 34,000 रु. का ऐसा भुगतान भी सम्मिलित है जिसका भुगतान नकद किया गया है।

(6) वैज्ञानिक शोध पर आयगत 10,000 रु. और पूंजीगत 140000 रु. व्यय किये गये।

(7) वैज्ञानिक शोध हेतु एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला को अनुमोदित कार्यक्रम हेतु 40,000 रु. का भुगतान किया गया।

In each of the following cases what amount will be allowed as deduction of expenditure for

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

business:

(1) Loss of Rs. 5,000 which were snatched away from the Cashier's posserssion while going to bank to deposit the amount.

(2) The assessee was carrying on money-lending business and in the course of this business he acquired certain property in lieu of debts owning from a debtor which he kept as stock-in-trade.The property so acquired was destroyed.The assessee claims this loss as deduction.

(3) Actual amount spent on preliminary expenses is Rs. 30,000 while the total cost of fixed assets on 31.3.10 was Rs. 2.5 lakh. The preliminary expenses were incurred on 31.1.2010.

(4) Fees paid for copyrights Rs. 42,000. This is valid for 10 years. What will be the difference if it is valid for 15 years and what will be the difference if it is valid for 16 years but if it is transferred for Rs. 26,000 after 8 years of its obtaining? This fees is priour to 1.4.1998. Had this fes been after 31.3.1998, what would be the effect?

(5) Purchase of raw materials Rs. 3,00,000. It includes a payment of Rs. 34,000 which has been made in cash.

(6) Expenses incurred on scientific research-revenue expenditure Rs. 10,000 and capital expenditure Rs. 1,40,000.

(7) Rs. 40,000 were paid to a National Laboratory to undertake a scientific research for an approved programme.

हल (Solution) :

(1) रोकड़िये का बैंक में धन जमा करने ले जाते समय धन छिन जाना व्यापार के दौरान सामान्य हानि होती है इसलिए धारा 37 (1) के अन्तर्गत स्वीकार्य व्यय है।

(2) यह रहतिये (Stock) की सामान्य हानि मानकर व्यापार वं पेशे शीर्षक के कर–योग्य लाभ ज्ञात करते समय स्वीकृत व्यय के रूप में कटौती योग्य होंगे।

(3) प्रारम्भिक व्ययों की अधिकतम कटौती योग्य राशि 2,50,000 x 5% = 12]500 रु. है जबकि वास्तविक व्यय 30,000 रु. है, इसलिए दोनों में से कम राशि 12,500 रु. का 1/5 भाग अर्थात् 2500 रूत्र गत वर्ष 2009–10 से 2012–14 तक प्रत्येक वर्ष धरा 35D के अन्तर्गत प्रारम्भिक व्ययों के रूप में स्वीकृत व्यय होंगे।

4. (अ) यदि कापीराइट पर व्यय 1.4.1998 से पूर्व किया गया होः

(i) प्रथम स्थिति में (42000/10 अर्थात) 4200 रू. प्रतिवर्ष 10 वर्ष तक धारा 35A के अन्तर्गत स्वीकृत होंगे।

(ii) यदि अधिकार का जीवन 15 वर्ष का होता तो 14 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष 3000 रू. धारा 35A के अन्तर्गत स्वीकृत होंगे।

(iii) यदि 8 वर्ष बाद 26000 रु. में विक्रय किया जाताः

पूर्व में स्वीकृत व्यय = 42,000/14 x 8 = 24,000 रु.

कटौती की शेष राशि = 42000 - 24000 = Rs. 18000

व्यवसाय की कर योग्य आय = (26000 - 18000) = 8000 रु.

(ब) यदि कापीराइट पर व्यय 31 मार्च 1998 के पश्चात् किया गया हो तो धारा 35A के अन्तर्गत कटौती स्वीकृत नहीं होगी वरन् धारा 32 के अन्तर्गत ह्रास की छूट प्रत्येक वर्ष के अपलिखित मूल्य पर 25 प्रतिशत की स्वीकृत होगी।

(5) धारा 40A (3) के अन्तर्गत 20000 रु. से अधिक का भुगतान नकद करने पर सम्पूर्ण भुगतान की राशि अस्वीकृत होगी। अतः 34000 रु. अस्वीकृत कर दिये जायेंगें।

(6) वैज्ञानिक शोध पर धारा 35 के अन्तर्गत आयगत तथा पूंजीगत (भूमि की लागत को छोड़कर) दोनों ही

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

प्रकार के व्यय स्वीकृत होते हैं। अतः 1,50,000 रु. की कटौती स्वीकृत होगी।

(7) धारा 35 (2AA) के अन्तर्गत भुगतान की गई राशि का 1–1/4 गुना (भारित कटौतीा अर्थात् 50000रू. स्वीकृत व्यय होंगे।

हल (Illustration) 7.4 :

डॉ. चौधरी ने 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये अपना आय–व्यय खाता निम्न प्रकार बनाया हैः

Dr. Chaudhari has prepared his Income and Expenditure account for the year ending on 31st March, 2010 as under) :

	Rs.		Rs.
Salary of Employees	78,000	Consultation fee	357,000
Dispensary Expenses	34,000	Visiting Fee	79,000
Household Expenses	96,000	Testing Fee	27,000
Laboratory Expenses	39,000	Salary received as part time lecturer	48,000
Dodnations	24,000		
Depreciation	20,000	Gift from Patients	12,000
Life Insurance Premium	17,000	Interest on Securities	8,000
Surplus	2,23,000		
	5,31,000		5,31,000

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

स्वीकृत ह्रास की राशि 14000 रू. है। कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिये पेशे से कर योग्य लाभें की राशि ज्ञात कीजिये।

Depreciation allowable is Rs. 14000. Find out taxable profits of his profession for the assessment year 2010-11.

हल (Solution):

Statement of Taxable Profits from Business or Profession of Dr. Chaudhari For the Assessment Year 2010-11

	Rs.	Rs.
Surplus as per Income & Expenditure A/c		2,23,000
Add : Expenses Disallowed :		
Household Expenses	96,000	
Donations	24,000	
Life Insurance Premium	17,000	
Depreciation over charged (20000-14000)	6,000	143,000
		3,66,000
Less : Income not taxable under this head:		
Salary received as part-time lecturer	48,000	
Interest on Securities	8,000	56,000
Taxable Profits from Profession		3,10,000

टिप्पणी :

1. रोगियों से प्राप्त भेंट के 12000 रू. पेशेगत सम्बन्धों के कारण है अतः अनुलाभ मानकर पेशे के लाभों में सम्मिलित किये जायेंगे। यदि इनके विपरीत यह राशि व्यक्तिगत आधारों पर प्राप्त होती है तो ऐसी प्राप्त भेंट व्यवसाय अथवा पेशे से आय नहीं मानी जाती और यह कर योग्य भी नहीं होती।

2. जीवन बीमा प्रीमियम व्यक्तिगत व्यय है अतः यह अस्वीकृत व्यय होगा।

उदाहरण (Illustration) 7.5 :

श्री श्यामलाल कोलकाता में कपड़े का व्यापार करते हैं, जिससे उनको 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वाले व्यापारिक वर्ष के लिए 3,00,000 रु. का कर–योग्य लाभ हुआ। वह भारत नेपाल सीमा पर तस्करी के व्यापार में भी संलग्न थे जिससे उनको 1,85,000 रु. की आय हुई है, जिसमें से वह निम्नलिखित कटौतियों की मांग करते हैं जो तस्कर व्यापार के सम्बन्ध में हैं:

(i) सीमा पुलिस को बिना रुकावट के ऐसा व्यापार करने के लिए दी गयी रिश्वत 20,000 रु.।

(ii) 26,000 रु. मूल्य का माल, सीमा अधिकारियों द्वारा पकड़ लिया गया।

(iii) 17,000 रु. सीमा अधिकारियों को भुगतान किया गया जुर्माना।

कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए श्री श्यामलाल के व्यापार के कर योग्य लाभों की गणना कीजिए।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

Shri Shyam Lal carrying on cloth business at Kolkata which yields him a taxable profits of Rs. 300000 during the accounting year ended 31st March 2010. He was also engaged in sumgling business on the Indo-Nepal border, from which he earned an income of Rs. 1,85,000 out of which he claimed the following deductions in connection with the smuggling business:

(i) Rs. 20,000 paid as tips to the border police in order to carry on this business without restriction.

(ii) Goods worth Rs. 26,000 seized by Customs Authorities.

(iii) Penalty worth Rs. 17,000 paid to Customs Authorities.

Determine his taxable profits from business for the assessment year 2010-11 of Shri Shyam Lal.

हल (Solution) :

Statement of Taxable Profits from Business or Profession for the assessment year 2010-11

		Rs.	Rs.
Profit from Cloth Business			300000
Profit of Smuggling Business		185000	
Less : (i) Tips to border police	20000		
(ii) Value of goods seized	26000	46000	139000
Taxable Business Profits			439000

टिप्पणी :

(1) आयकर विधान के अन्तर्गत कानूनी तथा गैर–कानूनी दोनों प्रकार की आय कर योग्य होती है।

(2) गैर–कानूनी व्यापार के खर्चे गैर–कानूनी व्यापार की आय में से घटेंगे क्योंकि ऐसे व्यापार की शुद्ध आय तभी निकाली जा सकती है, जबकि उसकी समस्त हानियाँ तथा व्यय घट जायें, परन्तु कानून तोड़ने अथवा गैर–कानूनी कार्य करने के विरुद्ध लगाये गये अर्थदण्ड अथवा जुर्माना कटौती योग्य नहीं होंगे।

(3) रिश्वत की राशि वैध व्यापार के लिए अस्वीकृत व्यय होती है जबकि अवैध व्यापार के लिए धारा 37 (1) के अन्तर्गत संचालन सम्बन्धित व्यय के रूप में स्वीकृत होती है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

अभ्यास के लिए प्रश्न
Questions for Exercise

अति लघुत्तरात्मक प्रश्न

(Very Short Answer Type Questions)

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 20 शब्दों में दीजिए ।

(Answer the following Questions in Maximum 20 words)

1. ऐसे चार व्ययों के नाम लिखिए जो व्यवसाय के कर–योग्य लाभों की गणना में स्पष्टतया स्वीकृत हैं।
   Give names of any four expenses which are expressly allowed in the computation of taxable profits of business.

2. व्यवसाय के कर–योग्य लाभों की गणना में स्वीकृत कोई चार करों के नाम लिखिए।
   Give names of any four taxes which are allowable in computing the taxable profits of business.

3. व्यवसाय या पेशे की कर–योग्य आय की गणना करते समय ऐसे कौन से व्यय हैं जिनकी कटौती भुगतान करने के आधार पर स्वीकृत होती है।
   What are the expenses for which deduction is available only if it is paid whle computing taxable income from business or profession.

4. एक करदाता भारत में चाय उगाने एवं निर्माण व्यवसाय में संलग्न है। इस करदाता की आय का कितना भाग कर–योग्य होगा।
   An assessee is engaged in growing and manufacturing of tea in India. What part of the income of the assessee will be taxable?

लघुत्तरात्मक प्रश्न

(Short Answer Type Questions)

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए।

(Answer the following Questions in Maximum 50 words)

1. प्रारम्भिक व्यय से क्या आशय है और इस सम्बन्ध में छूट किस प्रकार मिलती है?
   What do you mean by preliminary expenses and how much deduction is allowed on it?
2. मकान सम्पत्ति की आय को 'व्यापार या पेशे के लाभ' शीर्षक के अन्तर्गत कब सम्मिलित किया जाता है?
   When is the income from house property included under the head 'Profits of Busniess or Profession'.
3. श्री सुभाष एक फुटकर व्यापारी हैं उनकी गत वर्ष 2009–10 में सकल प्राप्तियां 35,00,000 रुपये हैं जबकि उनके व्यय 3,200,000 रु. हैं। क्या श्री सुभाष को धरा 44AF के अन्तर्गत अनुमानित लाभ का विकल्प अपनाना चाहिए।

   Mr. Subhash is a retailer, his gross receipts during the pevious year 2009-10 were Rs. 35,00,000 while his expenses were Rs. 32,00,000. Whether Shri Subhash should opt of the presumptive profits under section 44AF?

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

[Hints : (i) Taxable Income u/s 44AF = Rs. 175000;

(ii) Actual Profits = Rs. 300000]

[Ans. Yes. He should opt for the presumptive profits u/s 44AF]

3. श्री सुरेश सरकारी सिविल निर्माण के कार्य के लिए एक ठेकेदार हैं। गत वर्ष 2009–10 में उनकी विभिन्न ठेकों से सकल प्राप्तियां 32,00,000 रुपये हैं तथा उनके व्यय 25,00,000 रुपये हैं। क्या श्री सुरेश को धारा 44AD के अन्तर्गत अनुमानित लाभ सम्बन्धी विकल्प अपना चाहिए?

Shri Suresh is a contractor for Government Civil Construction work. During the previous year 2009-10 his gross receipts from different contracts are Rs. 32,00,000 while his expenses are Rs. 25,00,000. Whether Shri Suresh should opt for the presumptive profits under section 44AD.

[Hints : (i) Actual Profits = Rs. 7,00,000;

(ii) Presumptive profits = Rs. 2,56,000]

[Ans. He should opt for presumptive profits]

निबन्धात्मक प्रश्न
(Essay Type Theoretical Questions)

1. एक व्यापार के कर–योग्य लाभों की गणना करने में कौन से व्यय स्पष्टतया स्वीकृत हैं?
Specify the expenses which are expressly allowd in computing taxable profits from business?
2. निम्नलिखित व्ययों की कटौती के सम्बन्ध में आय–कर अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए–
(i) वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय,
(ii) पेटेन्ट राइट खरीदने के पूंजीगत व्यय,
(iii) औद्योगिक जानकारी प्राप्त करने पर व्यय,
(iv) प्रारम्भिक व्यय,
(v) मनोरंजन सम्बन्धी खर्चे

Explain the provisions of the Income -Tax Act pertaining to the deduction of following expenses-

(i) Expenditure on Scientific Research;
(ii) Capital expenditure for purchasing Patent Right;
(iii) Expenditure on acquiring know-how;
(iv) Preliminary Expenses;
(v) Entertainment expenses

व्यवहारिक प्रश्न (Practical Question)

1. कारण सहित बताइए कि क्या निम्न मदें व्यापार अथवा पेशे के लाभों की गणना करने के लिए स्वीकृत हैं :

(i) गत वर्ष में व्यापार की एक शाखा बन्द होने के बाद उसके सम्बन्ध में किये गये व्यय।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(ii) कार्यालय में वातानुकूलन यन्त्र की वृहत् मरम्मत पर व्यय।

(iii) लेन–देन के व्यापार के दौरान करदाता ने अपने देनदारों से कुछ सम्पत्तियां प्राप्त की (जो ऋण के बदले में थीं) और उन्हें माल के रहतियें की तरह से रखा। ये सम्पत्तियां दुश्मन के हमले से नष्ट हो गयी और करदाता इस हानि की कटौती का दावा करता है।

(iv) अतिरिक्त कार्य करने के लिए साझेदार को बोनस।

(v) साझेदारी प्रलेख को लिखवाने के लिए एक वकील को दी गयी फीस।

(vi) पुत्र को दिया गया वेतन जो कार्यालय में कार्य कर रहा है। वेतन उचित है।

(vii) हड़ताल को वापस कराने के लिए एक श्रमिक नेता को दी गयी राशि।

(viii) पत्नी से लिये गये ऋण पर ब्याज चुकाया।

(ix) पुत्री को कार्यालय भवन का चुकाया गया किराया। भवन पुत्री को उसकी शादी पर उपहार में दिया था।

(x) अपने मरीजों के लाभ के लिए डॉक्टर ने मैगजीनों का चन्दा दिया।

(xi) राजनीतिक पार्टी को दान।

State giving brief reasons, whether the following items are allowable while computing the profits and gains of business or profession :

(i) Expenses incurred in respect of a branch of the business which was discontinued during the year.

(ii) Major repairs to the air-conditioner in the office.

(iii) In the course of money-lending business, the assessee acquired certain properties in lieu of debts and held them as stock in trade. The properties so acquired were destroyed by enemy action and the assessee claims the loss as deduction.

(iv) Bonus to partner for extra services.

(v) Fees paid to the lawyer for drafting Partner ship Deed.

(vi) Salary paid to son, who is working in the office. The salary is reasonable.

(vii) Sums paid to a Labour leader to call off the strike.

(viii) Interest paid to wife on money borrowed from her.

(ix) Rent paid to daughter for office block which was gifted to here at the time of her marriage.

(x) Subscription for magazines paid by a Doctor for the benefit of his patients.

(xi) Donation to a political party.

[Ans. : (i) अस्वीकृत; (ii) स्वीकृत; (iii) स्वीकृत; (iv) स्वीकृत; (v) स्वीकृत; (vi) स्वीकृत; (vii) स्वीकृत; (viii) स्वीकृत; (ix) स्वीकृत; (x) स्वीकृत; (xi) अस्वीकृत;]

2. कारण सहित बताइए कि क्या निम्नांकित मदें 'व्यापार अथवा पेशे से आय' की गणना करते समय कटौतियों के रूप में स्वीकृत होगी।

(i) श्रम न्यायालय के आदेश पर कारखाने के मृतक कर्मचारी की विधवा एवं बच्चों को क्षतिपूर्ति का भुगतान।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(ii) सीमा अधिकारी को प्रतिबन्धित माल के आयात करने पर चुकायी गयी 20,000 रु. जुर्माने की राशि।

(iii) कारखाने से संलग्न चिकित्सा भवन बनवाने की लागत, जिसमें कर्मचारियों की आपातकालीन चिकित्सा का प्रबन्ध रहेगा।

(iv) व्यापार से सम्बन्धित विज्ञापन व्ययों का 25,000 रु. के वाहक चैक द्वारा भुगतान।

(v) गत वर्ष 2009–10 के खातों में 20,000 रु. की एक राशि का बिक्री कर दायित्व के लिए आयोजन किया गया।

State with reasons whether the following items are admissible as deductions while computing income from 'Business or Profession'?

(i) Compensation paid to the widow and children of a deceased employee of the factory on the orders of Labour Court.

(ii) Rs. 20000 paid as penalty to custom authorities for importing prohibited goods.

(iii) Cost of creating a medical annexe to the factory for the emergency treatment fo the employees.

(iv) Advertisement expernses realating to business were paid through a bearer cheque of Rs. 25000.

(v) A sum of Rs. 20000 was provided towards sales tax liability in the accounts for the previous year 2009-10.

[Ans. : (i) स्वीकृत; (ii) अस्वीकृत; (iii) पूंजीगत व्यय है अतः अस्वीकृत; (iv) 25000 रू. अस्वीकृत (v) अस्वीकृत;]

3. From the following particulars determine Shri Ridha Karan's taxable income under different heads for the assessment year 2010-11:

निम्न विवरण से श्री रिद्धकरण की विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिये कर–योग्य आय ज्ञात कीजिए–

Income & Expenditure Account of Shri Ridhakaran
for the year ending 31st March, 2010

	Rs.		Rs.
Salaries	35,000	Consultation fees	1,00,000
Professional Subscription	1,500	Cash Gift from Clients	10,000
Gift to son	800	Rent from property	
Life insurance premium	2,100	(8 months)	2,400
Municipal taxes	480		
Entertainment Expenses	18,000		
Contribution to recognised			
Provident fund	12,000		
Travelling expenses	8,000		
Surplus	34,520		
	1,12,400		1,12,400

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(i) Contribution to provident fund includes Rs. 8000 assessee's contribution deposited after due date. The contribution received from the employees amounted to Rs. 12000 out of which Rs. 8,000 have been deposited after the due date.

(ii) Municipal taxes relates to house property let out.

(iii) Rs. 3000 payable for bonus included in salaries have been paid in January, 2011.

(iv) The house property was occupied by Shri Ridhakaran for his own residence for 4 months. The house was constructed on March 1, 2000. Municipal valuation is Rs.4000.

(v) An imported car costing Rs. 80000 was purchased in June, 2009. It was used for profession since January 1, 2010.

(vi) A typewriter costing Rs. 4500 was purchased for office use in November, 20009.

(i) प्रमाणित भविष्य निधि में करदाता के अंशदान के 8,000 रु. देय तिथि के बाद किये भुगतान के सम्मिलित हैं। कर्मचारियों से अंशदान की प्राप्त राशि 12,000 रु. थी, जिसमें से 8,000 रु. देय तिथि के बाद भुगतान किये गये हैं।

(ii) नगरपालिका कर किराये पर दी गई मकान सम्पत्ति से सम्बन्धित हैं।

(iii) वेतन में बोनस की देय राशि 3,000 रु. सम्मिलित है जिसका भुगतान जनवरी, 2011 में किया गया है।

(iv) मकान सम्पत्ति 4 माह के लिये श्री रिद्धकरण द्वारा अपने स्वयं के निवास के लिये प्रयुक्त की गई। मकान का निर्माण 1 मार्च, 2000 को किया गया। नगरपालिका मूल्यांकन 4,000 रु. है।

(v) 80,000 रु. की लागत की एक विदेशी कार जून, 2009 में क्रय की गई। इसको 1 जनवरी, 2010 से पेशे के लिये प्रयुक्त किया गया।

(vi) नवम्बर, 2009 में कार्यालय प्रयोग हेतु 4,500 रु. की लागत में एक टाईपरायटर खरीदा गया।

[Ans : Income from H.P. Rs. 2,464, Business Profits Rs. 48,163]

4. Mr. Desai is Practising as Chartered Accountant. He also runs a Private Accountancy coaching institute. He keeps his books on cash basis and his summarised cash account for the year ending 31st March, 2010 is as under :

(i) श्री देसाई चार्टर्ड एकाउन्टेंट के रूप में कार्य करते हैं। वे एक निजी प्रशिक्षण संस्था भी चलाते हैं। वे अपनी पुस्तकें 'नकद प्रणाली' विधि पर रखते हैं। 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वलो गत वर्ष के लिए उनका संक्षिप्त रोकड़ खाता निम्न प्रकार है–

	Rs.		Rs.
To balance b/d	9400	By Office Expenses	4100
To Audit fees	38700	By Institute Expenses	900
To Income from other Accountancy Work	5500	By Membership and certificate fee	200
To Institute fees	2100	By Life Insurance Premium	5400
To Examiner's fees	1600	By Income tax	3200
To Interest on investments (Net)	4000	By Motor Car Purchased	26500
		By Motor Car expenses	600
To Present from clients	4200	By Deposit in P.P.F Account	4500
		By balance c/d	20100
	65500		**65500**

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

Having regard to the following information compute his income from business and Profession for the assessment year 2010-11:

(a) Office expenses include Rs. 200 for technical books (annual publication) purchased for his office.

(b) On 1.4.2009, Mr. Desai was owner of following assets: Motor car W.D.V. Rs. 20,000, Office furniture Rs. 7,000. Institute furniture Rs. 2,000.

New Motor car was purchased on 20.1.2010. After the purchase of new car he sold the old car for Rs. 25500 which was purchased in March 1990.

(c) The payment for purchase of car was not made through Account Payee cheque or Account Payee Bank draft.

(d) A client has provided him with rent free accommodation, the estimated annual rent of which is Rs. 3000.

निम्न सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए उनकी व्यापार अथवा पेशे की आय की गणना कीजिए–

(अ) कार्यालय व्यय में कार्यालय के लिए खरीदी गई टेक्नीकल पुस्तकों (वार्षिक प्रकाशन) के 200 रु. सम्मिलित हैं।

(ब) 1 अप्रैल, 2009 को श्री देशाई निम्न सम्पत्तियों के स्वामी थे–मोटर कार का अपलिखित मूल्य 20,000 रु. कार्यालय फर्नीचर का अपलिखित मूल्य 7,000 रु. एवं इन्स्टीट्यूट के फर्नीचर का अपलिखित मूल्य 2,000 रु.। नई कार 20 जनवरी, 2010 को क्रय की गई थी। नई कार को खरीदने के बाद उन्होंने पुरानी कार जो मार्चए 1990 में खरीदी थी, 25,500 रु. में बेच दी।

(स) कार के क्रय का भुगतान पाने वाले के खाते में जमा होने वाले चैक अथवा पाने वाले के खाते में जमा होने वाले बैंक ड्राफ्ट से नहीं किया गया था।

(द) एक मुवक्किल ने उनको रहने के लिये मुफ्त मकान दिया है। जिसका अनुमानित वार्षिक किराया 3,000 रु. है।

[Ans : Income from Profession Rs. 45,225]

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

वर्ग (Section) - B
इकाई (Unit) : 8

पूँजी लाभ
(Capital Gains)

कर प्रभार का आधार [धारा 45(1)]– गत वर्ष में किसी पूंजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण से उत्पन्न लाभ पूंजी लाभ शीर्षक के अन्तर्गत कर–योग्य होते हैं। दूसरे शब्दों में, पूंजी लाभ उस स्थिति में कर योग्य होता है जब निम्न शर्तें पूरी हो जाती हैं–

(1) एक पूंजी सम्पत्ति होनी चाहिए;
(2) पूंजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण होना चाहिए;
(3) यह हस्तान्तरण गत वर्ष के दौरान होना चाहिए; तथा
(4) हस्तान्तरण के फलस्वरूप लाभ उत्पन्न होना चाहिए।

(1) पूंजी सम्पत्ति (Capital Assets) [धारा 2(14)]–किसी करदाता के पास रखी हुई सभी प्रकार की सम्पत्तियां (चाहे वह सम्पत्ति स्थिर हो अथवा चालू, चल हो अथवा अचल, मूर्त हो अथवा अमूर्त, व्यापारिक हो या व्यक्तिगत) पूंजी सम्पत्ति मानी जाती हैं। परन्तु निम्नलिखित सम्पत्तियों को पूंजी सम्पत्ति की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाता है:

(i) व्यापार का स्टॉक, उपभोग्य सामग्री (Consumable Stores) या कच्चा माल, जो करदाता द्वारा व्यवसाय या पेशे के उद्देश्यों के लिए रखा गया है।

(ii) ऐसी चल–सम्पत्ति जो करदाता के निजी प्रयोग के लिए अथवा उस पर आश्रित उसके परिवार के किसी भी सदस्य के निजी प्रयोग के लिए है। इसमें पहनने के कपड़े, फर्नीचर, मोटरकार (व्यक्तिगत प्रयोग हेतु) आदि भी शामिल होती हैं किन्तु निम्नलिखित सम्पत्तियां शामिल नहीं होती हैं–

(a) जेवर – जेवर को पूंजी सम्पत्ति माना गया है। जेवर में निम्नलिखित को सम्मिलित माना जाता है:

क. सोना, चांदी प्लेटिनम या अन्य किसी मूल्यवान धातु के बने हुए अथवा इनमें से एक या अधिक वस्तुओं के मिश्रण से बने हुए आभूषण, चाहे वे पहनने के वस्त्रों में सिले हुए हों या न हों।

ख. मूल्यवान या अर्द्ध–मूल्यवान पत्थर चाहे वे किसी फर्नीचर, बर्तन या अन्य किसी वस्तु में लगे हुए हों या न हों अथवा पहनने के वस्त्रों में सिले हुए या कढ़े हुए हों या न हों।

(b) पुरातात्त्विक संग्रहण (Archaeological collections)
(c) ड्राइंग्स (Drawings)
(d) पेंटिंग्स (Paintings)
(e) मूर्तियां (Sculptures)
(e) अन्य कोई कलात्मक कार्य (Any other work of art)

(iii) भारत में स्थित कृषि भूमि बशर्ते वह शहरी क्षेत्र में न हो – शहरी क्षेत्रों में स्थित कृषि भूमि को पूंजी सम्पत्ति माना जायेगा तथ उसके हस्तान्तरण से उत्पन्न होने वाले पूंजी लाभ कर–योग्य होंगे। शहरी क्षेत्र का आशय निम्नलिखित क्षेत्रों से है–

क. किसी ऐसी नगरपालिका, टाउन एरिया कमेटी, नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र, समिति या नगर

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

समिति का अधिकार क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 10,000 अथवा उससे अधिक हो। यह संख्या गतवर्ष से तुरन्त पूर्व प्रकाशित अंतिम जनगणना के समंकों से ली जायेगी।

ख. उपर्युक्त प्रकार की नगरपालिका आदि के अधिकार क्षेत्र के चारों ओर निर्धारित दूरी में स्थित क्षेत्र। यह दूरी केन्द्रीय सरकार निर्धारित करेगी, किन्तु केन्द्रीय सरकार 8 किलोमीटर से अधिक दूरी निर्धारित नहीं कर सकती।

(iv) 6.5% स्वर्ण बॉण्ड, 1977; 7% स्वर्ण बॉण्ड, 1980; तथा राष्ट्रीय सुरक्षा स्वर्ण बॉण्ड 1980

(v) केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्गमित किये गये विशेष धारक बॉण्ड (Special Bearer Bonds, 1991)

(vi) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित स्वर्ण जमा योजना 1999 के अन्तर्गत निर्गमित किये गये स्वर्ण जमा बॉण्ड (Gold Deposit Bonds, 1999)

स्पष्टीकरण

(1) निम्नांकित सम्पत्तियों को भी पूंजी सम्पत्ति माना गया है तथा इनके हस्तान्तरण से होने वाले लाभ पूंजी लाभ माने जाते हैं–

(i) व्यापार की ख्याति (Goodwill),

(ii) अंश खरीदने का अधिकार (Right to purchase shares),

(iii) खानों के सम्बन्ध में अधिकार (Mining Rights),

(iv) विदेशी मुद्रा (Foreign Currency),

(v) निर्माण करने का लाईसेन्स (Manufacturing licence),

(vi) मार्ग का परमिट (Route Permit),

(vii) प्रबन्ध का अधिकार (Managing Right),

(viii) किरायेदारी अधिकार (Tenancy Right),

(ix) साझेदारी फर्म में साझेदार का हिस्सा (Share in partnership firm),

(x) व्यवसाय से जुड़ा हुआ ट्रेडमार्क या ब्राण्ड का नाम

(2) यदि कोई करदाता भूमि व भवन, सोना चांदी, आभूषण, फर्नीचर, अंश या प्रतिभूतियों आदि का व्यापार करता है तथा उसके पास रहतियें के रूप में ऐसी सम्पत्तियां रखी हुई हैं तो इन्हें पूंजी–सम्पत्ति माना जायेगा।

(2) पूँजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण (Transfer of a Capital Asset) [धारा 2(47)]–पूंजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण में निम्न व्यवहार शामिल होते हैं–

(i) सम्पत्ति का विक्रय, विनिमय या त्याग।

(ii) सम्पत्ति में अधिकारों की समाप्ति।

(iii) किसी कानून के अन्तर्गत सम्पत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण।

(iv) करदाता द्वारा अपनी पूंजी सम्पत्ति को व्यापारिक रहतियें में बदलना।

(v) शून्य कूपन बॉण्ड की परिपक्वता अथवा शोधन।

(vi) ऐसा कोई व्यवहार जिसमें सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम 1882 की धारा 53A में वर्णित अनुबंध की आंशिक पूर्ति करने पर अचल सम्पत्ति के कब्जे का अधिकार मिल जाने या कब्जा बनाये रखने दिया जावे।

(vii) सहकारी समिति, कम्पनी, व्यक्तियों के समुदाय आदि की सदस्यता प्राप्त करने के लिए कोई सम्पत्ति देना या उसके प्रयोग का अधिकार देना।

किन्तु धारा 47 के अनुसार निम्न प्रकार के व्यवहारों को पूंजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण नहीं माना जायेगा–

(1) एक हिन्दू अविभाजित परिवार के सम्पूर्ण या आंशिक विभाजन पर उसकी पूंजी सम्पत्तियों का वितरण। [धारा 47(i)]

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(2) किसी उपहार, वसीयतनामा अथवा अखण्डनीय प्रन्यास (Trust) के अन्तर्गत पूंजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण। [धारा 47(iii)]

परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (Employees Stock Option Scheme) के तहत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कम्पनी द्वारा कर्मचारियों को निर्गमित अंश, स्कन्ध (Stock) या ऋण–पत्र उपहार या अखण्डनीय प्रन्यास के अन्तर्गत हस्तान्तरिक करने पर इसे कर–निर्धारण वर्ष 2001–02 से पूंजी सम्पत्ति माना जायेगा। उपहार या प्रन्यास को अखण्डनीय हस्तान्तरण करने पर हस्तान्तरण की तिथि को ऐसे अंशों या ऋणपत्रों के बाजार मूल्य को ही उनका वास्तविक प्रतिफल मानकर पूंजी लाभों की गणना की जायेगी।

(3) किसी सूत्रधारी कम्पनी द्वारा अपनी सहायक कम्पनी को अथवा एक सहायक कम्पनी द्वारा अपनी सूत्रधारी कम्पनी को पूंजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बशर्ते–

(i) उस सहायक कम्पनी की सम्पूर्ण अंश पूंजी उसकी सूत्रधारी कम्पनी के पास अथवा उस सूत्रधारी कम्पनी के द्वारा नामांकित व्यक्ति के पास हो, तथा

(ii) सम्पत्ति प्राप्त करने वाली कम्पनी एक भारतीय कम्पनी हो। [धारा 47(iv) तथा (v)]

स्पष्टीकरण

(i) उपर्युक्त धारा 47(iv) तथा धारा 47(v) के अन्तर्गत 29 फरवरी, 1988 के बाद किसी पूंजी सम्पत्ति को व्यापारिक स्टॉक की तरह हस्तान्तरित किया जाता है तो ऐसा हस्तान्तरण इस उपधारा के अन्तर्गत हस्तान्तरण माना जायेगा।

(ii) धारा 47 (iv) तथा (v) में वर्णित परिस्थितियों में हस्तान्तरण नहीं माना गया हो तथा ऐसे हस्तान्तरण की तिथि से आठ वर्षों के भीतर उस पूंजी सम्पत्ति को हस्तान्तरिती कम्पनी (Transferee Company) के द्वारा व्यापारिक रहतिये के रूप में परिवर्तित कर लियाजाये या समझ लिया जाये अथवा यदि ऐसे हस्तान्तरण की तिथि से आठ वर्षों के भीतर उस सूत्रधारी कम्पनी के पास या उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति के पास उस सहायक कम्पनी की सम्पूर्ण अंश पूंजी न रहे, तो ऐसी दशा में उपर्युक्त प्रकार के हस्तान्तरण को पूंजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण मान लिया जायेगा तथा ऐसे हस्तान्तरण से उत्पन्न होने वाला पूंजी लाभ उस गत वर्ष की कर–योग्य आय माना जायेगा, जिस गत वर्ष में ऐसा हस्तान्तरण हुआ था। [धारा 47A(1)]

(4) एकीकरण की किसी योजना के अन्तर्गत एक कम्पनी द्वारा दूसरी कम्पनी को पूंजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण यदि एकीकृत कम्पनी एक भारतीय कम्पनी हो। [धारा 47(vi)]

(5) एकीकरण की किसी योजना के अन्तर्गत एकीकरण की जाने वाली कम्पनी (Amalgamating Company) के किसी अंशधारी द्वारा इस कम्पनी के अंशों का हस्तान्तरण बशर्ते–

अ. हस्तान्तरण एकीकरण करने वाली कम्पनी (Amalgamated Company) के अंशों के प्रतिफल में हुआ हो तथा

ब. एकीकरण करने वाली कम्पनी एक भारतीय कम्पनी हो। [धारा 47(vii)]

(6) कम्पनी के समापन पर उसके अंशधारियों को सम्पत्तियों का किया गया वितरण कम्पनी के लिए हस्तान्तरण नहीं माना जाता है। [धारा 46(1)]

(7) विदेशी कम्पनी द्वारा भारतीय कम्पनी में धारित अंशों का दो विदेशी कम्पनियों के बीच एकीकरण की किसी योजना के अन्तर्गत दूसरी विदेशी कम्पनी को किया गया हस्तान्तरण धारा 45 के अन्तर्गत हस्तान्तरण के रूप में नहीं समझा जायेगा बशर्ते–

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

अ. एकीकृत होने वाली विदेशी कम्पनी के कम से कम 25% अंशधारी एकीकरण करने वाली विदेशी कम्पनी में अंशधारी बने रहते हैं, तथा

ब. ऐसे हस्तान्तरण पर उस देश में पूंजी लाभ पर कोई कर नहीं लगाया जाता है जिस देश में एकीकरण करने वाली कम्पनी स्थित है [47(via)]

(8) एक अनिवासी द्वारा दूसरे अनिवासी को विदेशी मुद्रा में क्रय किए गये बॉण्ड्स या विश्व निक्षेपधारी रसीद (Global Depository Receipts) का पूंजी सम्पत्ति के रूप में विदेश में हस्तान्तरण। [47(viia)]

(9) किसी कलात्मक वस्तु, पुरातात्विक, वैज्ञानिक या कला संग्रह, पुस्तक, पाण्डुलिपि, आलेख, पेंटिंग, फोटोग्राफ अथवा प्रिंट, ड्राईंग आदि का सरकार अथवा विश्वविद्यालय अथवा राष्ट्रीय संग्रहालय अथवा राष्ट्रीय अभिलेखागार अथवा ऐसी संस्था, जिसे केन्द्रीय सरकार ने राजकीय गजट में राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित कर दिया हो, को किया गय हस्तान्तरण। [धारा 47(ix)]

(10) किसी कम्पनी के बॉण्ड्स अथवा ऋणपत्रों या ऋणपत्र स्टॉक या जमा प्रमाण पत्रों का उसी कम्पनी के अंशों या ऋणपत्रों के रूप में परिवर्तन। [धारा 47(x)]

(11) एक गैर–कम्पनी करदाता द्वारा भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की सदस्यता का किसी कम्पनी को उसके अंशों के बदले में 31 दिसम्बर, 1998 को अथवा इसके पहले किया गया हस्तान्तरण बशर्ते इसप्रकार प्राप्त अशों को सदस्यता के हस्तान्तरण की तिथि से 3 वर्ष तक हस्तान्तरित नहीं करे। यदि वह सदस्य 3 वर्ष की अवधि में इन अंशों को हस्तान्तरित कर देता है तो सदस्यता के हस्तान्तरण वाले वर्ष में कर–मुक्त किया गया पूंजी लाभ उस गत वर्ष का पूंजी लाभ माना जावेगा जिस गत वर्ष में ऐसे अंशों को हस्तान्तरित किया जाता है। [धारा 47A(2)]

(12) एक रुग्ण (बीमार) औद्योगिक कम्पनी, जो कारीगरों की सहकारी संस्था द्वारा प्रबन्धित है, द्वारा कम्पनी अपनी भूमि का हस्तान्तरण (जो उसने Sick Industrial Company Act 1985 की धारा 18 की योजना के अन्तर्गत किया हो) वह छूट तभी मिलेगी, जबकि यह हस्तान्तरण उस गत वर्ष में जिसमें कम्पनी रुग्ण हुई हो अथवा जिस वर्ष में कम्पनी का सम्पूर्ण शुद्ध धन (Net worth) उसकी एकत्रित हानियों के बराबर या अधिक हो गया हो अथवा बीच की अवधि में किया गया हो। [धारा 47 (xii)]

(13) फर्म द्वारा अपने व्यवसाय का उत्तराधिकार किसी कम्पनी को हस्तान्तरित करने के फलस्वरूप पूंजीगत सम्पत्तियों के हस्तान्तरण या भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज का निगमित निकाय के रूप में परिवर्तन होने के फलस्वरूप कम्पनी द्वारा AOP/BOI से उत्तराधिकार प्राप्त करने के कारण पूंजीगत सम्पत्तियों के हस्तान्तरण पर धारा 45 के प्रावधान लागू नहीं होंगे यदि निम्नांकित शर्तें पूरी कर दी जाती हैं–

अ. हस्तान्तरण से पूर्व उस फर्म की सभी सम्पत्तियां व दायित्व जो फर्म के पास थे, उस कम्पनी की सम्पत्तियां एवं दायित्व हो जाते हैं;

ब. हस्तान्तरण से उस फर्म के जो साझेदार थे वे सभी कम्पनी के अंशधारी उसी अनुपात में बन जाते हैं जिस अनुपात में हस्तान्तरण की तिथि को फर्म की पुस्तकों में उनके पूंजी खातों का शेष था;

स. फर्म के साझेदारों को कम्पनी के अंश प्राप्त होने के अलावा कोई भी अन्य लाभ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं होता है;

द. फर्म के साझेदारों द्वारा धारित अंशों का योग उस कम्पनी की कुल मताधिकार क्षमता का कम से कम 50% होना चाहिए तथा हस्तान्तरण की तिथि से कम से कम 5 वर्ष तक उनके द्वारा धारित किये जाने चाहिए। [धारा 46 (xiii)]

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University) Ladnun

(14) एक एकाकी व्यापारी (Sole-Proprietor) अपना व्यवसाय किसी कम्पनी को हस्तान्तरित कर देता है तथा इसके कारण वह अपनी पूंजी सम्पत्ति या अमूर्त सम्पत्ति कम्पनी को बेचता है अथवा अन्य तरीके से हस्तान्तरण करता है तो धारा 45 के प्रावधान लागू नहीं होंगे यदि निम्नांकित शर्तें पूरी की जाती हैं–

अ. हस्तान्तरण से पूर्व उस एकाकी व्यापारी के व्यवसाय की सभी सम्पत्तियां तथा दायित्व कम्पनी की सम्पत्तियां एवं दायित्व बन जाते हैं;

ब. इस कम्पनी में उस एकाकी व्यापारी द्वारा धारित अंश उस कम्पनी की कुल मताधिकार क्षमता का कम से कम 50% होना चाहिए तथा व्यवसाय हस्तान्तरण की तिथि से कम से कम 5 वर्ष तक धारित किये जाने चाहिए; तथा

स. एकाकी व्यापारी को कम्पनी के अंश प्राप्त होने के अलावा कोई भी अन्य लाभ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं होता है। [धारा 47 (xiv)]

महत्त्वपूर्ण टिप्पणी

यदि धारा 47 (xiii) या धारा 47 (xiv) में वर्णित शर्तों में से किसी भी एक शर्त या अधिक शर्तों की पालना न हो पाती हो तो जिस वर्ष में ऐसी शर्त का उल्लंघन हुआ है, उस वर्ष में वह पूंजी लाभ की राशि कर–योग्य मानी जावेगी, जो पहले कर–मुक्त हुई थी।

(15) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत प्रतिभूतियों को उधार दिये जाने के फलस्वरूप किया गया हस्तान्तरण। [धारा 47 (xv)]

(16) केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्मित एवं अधिसूचित योजना के अन्तर्गत विपरीत बन्धे (reverse mortgage) के व्यवहार में किसी पूंजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण। [धारा (xvi)]

उपर्युक्त (1) से (16) तक में वर्णित व्यवहार 'हस्तान्तरण' के रूप में मान्य नहीं है इसलिए इन व्यवहारों पर उत्पन्न लाभ धारा 45 के अन्तर्गत कर–योग्य नहीं होते हैं।

पूंजी सम्पत्तियों के प्रकार [धारा 2(42A)]
(Types of Capital assets)

करदाता की पूंजी सम्पत्तियों को निम्नांकित दो भागों में विभाजित किया जाता है–

(1) अल्पकालीन पूंजी सम्पत्ति (Short-term Capital Asset); तथा

(2) दीर्घकालीन पूंजी सम्पत्ति (Long-term Capital Asset)।

(1) अल्पकालीन पूंजी सम्पत्ति (Short-term Capital Asset)

जो पूंजी सम्पत्ति हस्तान्तरण से पूर्व करदाता के पास 36 माह या इससे कम अवधि के लिए रही है, वह अल्पकालीन पूंजी सम्पत्ति मानी जायेगी; किन्तु निम्न के सम्बन्ध में 36 माह के स्थान पर 12 माह का प्रावधान लागू होगा–

(i) किसी कम्पनी के अंश (समता या पूर्वाधिकार अंश जो किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो अथवा नहीं);

(ii) भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कोई भी प्रतिभूति;

(iii) भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूनिट (जो किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो अथवा नहीं); तथा

(iv) धारा 10 (23D) में निर्दिष्ट किसी पारस्परिक कोष की यूनिट।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

उपर्युक्त चारों में से कोई भी पूंजी सम्पत्ति यदि हस्तान्तरण से पूर्व 12 माह या इससे कम अवधि के लिए करदाता के पास रही हो तो उसे अल्पकालीन पूंजी सम्पत्ति माना जायेगा।

> धारा 2 (42A) में सम्पत्ति के लिए ''करदाता के पास रही है (held by the assessee)'' वाक्यांश का प्रयोग हुआ है। अतः यह आवश्यक नहीं है कि वह सम्पत्ति करदाता के पास स्वामी के रूप में रही हो। करदाता के पास सम्पत्ति स्वामी, किरायेदार, पट्टादाता या ऋणदाता आदि किसी भी रूप में रह सकती है।

(2) दीर्घकालीन पूंजी सम्पत्ति (Long-term Capital Asset)

जो पूंजी सम्पत्ति हस्तान्तरण से पूर्व करदाता के पास 36 माह से अधिक अवधि के लिए रही है, वह दीर्घकालीन पूंजी सम्पत्ति मानी जायेगी परन्तु किसी कम्पनी के अंश, भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कोई भी प्रतिभूति, भारतीय यूनिट ट्रस्ट तथा धारा 10 (23D) में निर्दिष्ट किसी पारस्परिक कोष की यूनिटों को दीर्घकालीन पूंजी सम्पत्ति तभी माना जायेगा जबकि उक्त अंश एवं प्रतिभूतियां हस्तान्तरण से पूर्व करदाता के पास 12 माह से अधिक अवधि के लिए रही हों।

पूंजी लाभों की गणना को प्रभावित करने वाले तत्त्व
(Factors affecting computation of capital gains)

पूंजी लाभों की गणना को निम्नांकित तत्त्व प्रभावित करते हैं—

1. **सम्पत्ति को धारण करने की अवधि —** सम्पत्ति को धारण करने की अवधि के आधार पर यह निध ारित किया जाता है कि सम्पत्ति अल्पकालीन पूंजी सम्पत्ति है या दीर्घकालीन पूंजी सम्पत्ति;
2. सम्पत्ति हस्तान्तरण का पूर्ण प्रतिफल;
3. सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर व्यय;
4. सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत; तथा
5. सम्पत्ति में सुधार या वृद्धि की लागत।

1. सम्पत्ति को धारण करने की अवधि का निर्धारण (Determination of period of holding of an asset):

कोई पूंजी सम्पत्ति हस्तान्तरण से पूर्व करदाता के पास कितनी अवधि के लिए रही है, यह ज्ञात करने के लिए निम्नांकित बातें ध्यान देने योग्य हैं—

(i) यदि ऐसी पूंजी सम्पत्ति समापन में गई हुई किसी कम्पनी के अंश हों, तो उस कम्पनी के समापन में जाने की तिथि से बाद की अवधि को धारण करने की अवधि में शामिल नहीं किया जायेगा।

(ii) बोनस अंशों के लिए उनके निर्गमन की तिथि को ही प्राप्ति की तिथि माना जायेगा।

(iii) यदि करदाता को कोई सम्पत्ति धारा 49 (1) में वर्णित निम्नांकित परिस्थितियों में प्राप्त हुई है, तो ऐसी सम्पत्ति के करदाता के पास रहने की अवधि की गणना के लिए सम्पत्ति के पूर्व स्वामी द्वारा सम्पत्ति प्राप्त करने की तिथि को ही करदाता द्वारा सम्पत्ति प्राप्त करने की तिथि माना जाता है—

(a) हिन्दू अविभाजित परिवार के विभाजन पर प्राप्त सम्पत्ति;
(b) उपहार या वसीयतनामा के अन्तर्गत प्राप्त सम्पत्ति;
(c) उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पत्ति;
(d) कम्पनी के समापन पर अंशधारी को प्राप्त सम्पत्ति;

(iv) यदि करदाता को किसी भारतीय कम्पनी के अंश एकीकरण की किसी योजना के अन्तर्गत प्राप्त हुए हैं तो समामेलित कम्पनी के अंश करदाता के पास जितनी अवधि के लिए रहे थे, उसे भी धारण करने की अवधि में शामिल किया जायेगा।

(v) अधिकार अंशों के आवंटन की तिथि को ही प्राप्त करने की तिथि माना जाता है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(vii) स्वेट इक्विटी अंशों के आवंटन की तिथि को ही प्राप्त करने की तिथि माना जावेगा।

2. सम्पत्ति हस्तान्तरण का सम्पूर्ण प्रतिफल (Full consideration of Transfer of assets):

पूंजी सम्पत्ति के हस्तान्तरणकर्त्ता को पूंजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण अथवा उसके त्यागने के कारण प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल की राशि (चाहे मुद्रा में प्राप्त हो या मुद्रा के मूल्य (Money's worth) में प्राप्त हो) सम्पत्ति हस्तान्तरण का सम्पूर्ण प्रतिफल कहलाता है।

विभिन्न परिस्थितियों में सम्पूर्ण प्रतिफल की राशि

(i) सम्पत्ति बेचने पर – प्राप्त या प्राप्य विक्रय मूल्य ही प्रतिफल माना जाता है।

(ii) सम्पत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण होने पर – प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि ही प्रतिफल की राशि मानी जाती है।

(iii) सम्पत्ति का विनिमय करने पर – प्राप्त होने वाली नई सम्पत्ति का विनिमय की तिथि को उचित बाजार मूल्य ही प्रतिफल माना जाता है।

(iv) पूंजी सम्पत्ति का व्यापारिक स्टॉक में परिवर्तन – परिवर्तन की तिथि को सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य ही प्रतिफल माना जाता है।

(v) स्टॉक विकल्प योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों को प्राप्त अंश, ऋणपत्र या वारण्ट के हस्तान्तरण पर– हस्तान्तरण की तिथि को उनका विक्रय मूल्य ही प्रतिफल माना जाता है।

(vi) फर्म या व्यक्तियों के समुदाय द्वारा हस्तान्तरण – सदस्य को हस्तान्तरित सम्पत्ति का हस्तान्तरण की तिथि को उचित बाजार मूल्य ही प्रतिफल माना जाता है।

(vii) बीमा कम्पनी से राशि या सम्पत्ति प्राप्त होने पर – बीमा कम्पनी से प्राप्त राशि उस सम्पत्ति के हस्तान्तरण का सम्पूर्ण प्रतिफल मानी जाती है। यदि कोई सम्पत्ति प्राप्त हुई है तो उस सम्पत्ति का प्राप्ति की तिथि को उचित बाजार मूल्य ऐसी सम्पत्ति के हस्तान्तरण का सम्पूर्ण प्रतिफल माना जाता है।

(viii) फर्म या व्यक्तियों के समुदाय को हस्तान्तरण – किसी फर्म के साझेदार द्वारा या व्यक्तियों के समुदाय के सदस्य द्वारा अपनी स्वयं की पूंजी सम्पत्ति फर्म या समुदाय को हस्तान्तरित की जाती है तो ऐसी सम्पत्ति का सम्पूर्ण प्रतिफल वह राशि होगी जिस राशि से फर्म या व्यक्तियों के समुदाय की पुस्तकों में प्रविष्टि की गई है।

(ix) कम्पनी के समापन पर – किसी कम्पनी के समापन पर अंशधारी को अंशों के बदले में कुल प्राप्त राशि या प्राप्त सम्पत्तियों के बाजार मूल्य में से, एकत्रित लाभों में से धारा 2(22)(C) के अन्तर्गत निर्धारित लाभांश के रूप में मिलने वाली राशि घटाने के पश्चात् जो राशि शेष बचती है वह अंशधारी के लिए अंशों के हस्तान्तरण का सम्पूर्ण प्रतिफल मानी जाती है।

(x) हस्तान्तरण का प्रतिफल स्टाम्प मूल्यांकन हेतु निर्धारित मूल्य से कम होने पर [धारा 50C(1)]

भूमि या भवन अथवा दोनों के अन्तरण पर राज्य सरकार द्वारा स्टाम्प ड्यूटी लगाई जाती है। राज्य सरकार का अधिकारी उस सम्पत्ति पर स्टाम्प लगाने के लिए उसका मूल्यांकन करता है। यदि सम्पत्ति का स्टाम्प हेतु मूल्य वास्तविक हस्तान्तरण मूल्य से अधिक हो तो स्टाम्प हेतु निर्धारित मूल्य को ही सम्पत्ति के अन्तरण का सम्पूर्ण प्रतिफल माना जावेगा।

यदि करदाता कर निर्धारण अधिकारी के सम्मुख दावा करता है कि स्टाम्प मूल्यांकन अधिकारी द्वारा सम्पत्ति का मूल्यांकन बाजार मूल्य से अधिक राशि पर किया गया है तो इस स्थिति में निर्धारण अधिकारी उस सम्पत्ति का मूल्यांकन किसी मूल्यांकन अधिकारी से करवायेगा तथा मूल्यांकन अधिकारी द्वारा निर्धारित

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

किया गय मूल्य ही सम्पत्ति का सम्पूर्ण प्रतिफल माना जावेगा।

3. हस्तान्तरण व्यय (Expenses on Transfer):

हस्तान्तरण व्ययों से आशय ऐसे व्ययों से है जो पूंजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण को प्रभावी बनाने के लिए किये जाते हैं। इस प्रकार के व्ययों के उदाहरण हैं—क्रेता की तलाश के लिए भुगतान की गई दलाली अथवा कमीशन, स्टाम्प शुल्क, विक्रेता द्वारा वहन की गई पंजीकरण फीस, हस्तान्तरण के सम्बन्ध में किये गये यात्रा व्यय आदि।

4. पूंजी सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत (Cost of acquisition of a capital asset):

पूंजी सम्पत्ति की प्राप्ति लागत वह मूल्य होता है जिस पर करदाता द्वारा उस सम्पत्ति को प्राप्त किया गया था। सम्पत्ति के स्वामित्व को पूरा करने अथवा प्राप्त करने के लिए किए गए पूंजीगत प्रकृति के खर्चे प्राप्ति की लागत में शामिल किये जाते हैं।

किसी भी पूंजी सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित प्रावधानों को ध्यान में रखा जाता है:

(i) यदि पूंजी सम्पत्ति करदाता द्वारा क्रय अथवा निर्माण की गई हो—

यदि करदाता द्वारा पूंजी सम्पत्ति क्रय की गई है अथवा बनवाई गई है तो करदाता के लिए क्रय अथवा निर्माण की वास्तविक लागत उस पूंजी सम्पत्ति की प्राप्ति लागत मानी जाती है। सम्पत्ति की स्थापना पर एवं उसे प्रयोग में लेने योग्य बनाने हेतु किये गये व्यय भी प्राप्ति लागत में सम्मिलित किये जाते हैं।

(ii) यदि पूंजी सम्पत्ति करदाता को बिना प्रतिफल के प्राप्त हुई हो [धारा 49 (1)]

यदि करदाता को कोई पूंजी सम्पत्ति धारा 49 (1) में वर्णित परिस्थितियों में प्राप्त हुई है तो ऐसी सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत वही होगी जो उस सम्पत्ति के पिछले स्वामी के लिए थी (जिससे करदाता ने वह सम्पत्ति प्राप्त की है) तथा यदि पूर्व स्वामी ने सम्पत्ति के सुधार पर कोई व्यय किया हो तो दोनों राशियों का योग करदाता के लिए उस पूंजी सम्पत्ति की लागत मानी जावेगी। ऐसी परिस्थितियां निम्नांकित हैं—

(i) हिन्दू अविभाजित परिवार के सम्पूर्ण या आंशिक विभाजन पर उसके सदस्य को प्राप्त सम्पत्ति;
(ii) उपहार या वसीयतनामे के अन्तर्गत प्राप्त सम्पत्ति;
(iii) उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पत्ति;
(iv) फर्म, व्यष्टियों के संघ या व्यक्तियों के समुदाय से उस फर्म, संघ या समुदाय के 1 अप्रैल, 1987 से पूर्व हुए विघटन के कारण किये गये सम्पत्तियों के वितरण के अन्तर्गत प्राप्त सम्पत्ति;
(v) कम्पनी के समापन पर अंशधारी को किये गये सम्पत्तियों के वितरण पर प्राप्त सम्पत्ति;
(vi) हिन्दू अविभाजित परिवार को (31 दिसम्बर, 1969 के पश्चात्) उसके किसी सदस्य द्वारा हस्तान्तरिक स्वार्जित सम्पत्ति (Selfacquired asset)।

(iii) 1 अप्रैल, 1981 से पूर्व प्राप्त की गई सम्पत्ति

यदि करदाता अथवा पूर्व स्वामी द्वारा कोई सम्पत्ति 1 अप्रैल, 1981 से पूर्व प्राप्त की गई थी तो उसे प्राप्त करने की लागत करदाता की इच्छानुसार निम्नलिखित में से कोई भी मानी जा सकती है—

(i) वह लागत जिस पर उसने या पूर्व स्वामी ने सम्पत्ति प्राप्त की थी, अथवा
(ii) 1 अप्रैल, 1981 को सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य। [धारा 55 (2)]

अपवाद—

(i) किसी ह्रास योग्य पूंजी सम्पत्ति के लिए उसको प्राप्त करने की लागत 1 अप्रैल, 1981 को उसका उचित

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

बाजार मूल्य नहीं माना जा सकता। [धारा 50]

(ii) अमूर्त या स्वयं उत्पन्न सम्पत्तियों के लिए उनकी प्राप्ति की लागत 1 अप्रैल, 1981 को उनका उचित बाजार मूल्य नहीं माना जा सकता।

(iv) सम्पत्ति के विक्रय अनुबन्ध पर पेशगी (अग्रिम) प्राप्त होना

यदि करदाता ने किसी सम्पत्ति को बेचने के अनुबंध के अंतर्गत कुछ राशि पेशगी प्राप्त की है तथा बाद में वह अनुबंध पूरा नहीं हो पाने के कारण वह पेशगी रकम करदाता के पास ही रह जाती है तो करदाता द्वारा ऐसी जब्त की गई पेशगी राशि उस सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत में से घटा दी जाती है। [धारा 51]

स्पष्टीकरण—सम्पत्ति के पूर्व स्वामी द्वारा जब्त की गई पेशगी राशि को प्राप्त करने की लागत में से नहीं घटाया जाता है।

दृष्टान्त—

श्री महेश ने एक मकान सम्पत्ति 1 मई, 2009 को 12,25,000 रु. में विक्रय की। उसने इस सम्पत्ति को 1 मई, 2006 को एक अन्य क्रेता को 10,65,000 रु. में बेचने का ठहराव किया था तथा 65,000 रु. की राशि अग्रिम के रूप में प्राप्त की थी। परन्तु वह व्यक्ति अपने वायदे को नहीं निभा सका तथा उसने निर्धारित अवधि 2 माह में शेष राशि का भुगतान नहीं किया। श्री महेश ने अग्रिम राशि को जब्त कर लिया तथा उस व्यक्ति को वापस नहीं लौटाया।

श्री महेश को यह मकान सम्पत्ति अपने मित्र मनोज से 1 अप्रैल, 1998 को उपहार में मिली थी। मनोज ने भी 1 मई, 1989 को इस सम्पत्ति को बेचने का ठहराव श्री अमित से किया था तथा 40,000 रु. की राशि अग्रिम प्राप्त की थी। परन्तु अमित भी अपने वायदे को नहीं निभा सका था और अग्रिम श्री मनोज द्वारा जब्त कर ली गई थी। श्री मनोज ने इस मकान सम्पत्ति को 1 मई, 1981 को 2,20,000 रु. में खरीदा था।

उपर्युक्त स्थिति में मकान की प्राप्ति लागत निम्न प्रकार ज्ञात की जावेगी—

		रुपये
पूर्व स्वामी की लागत		2,20,000
घटाओः पेशगी राशि जो जब्त की गई		
(i) पूर्व स्वामी द्वारा जब्त की गई राशि	NIL	
(ii) करदाता द्वारा जब्त की गई अग्रिम राशि	65,000	65,000
सम्पत्ति की प्राप्ति लागत		1,55,000

(v) अमूर्त सम्पत्तियों को प्राप्त करने की लागत

ऐसी सम्पत्तियों में व्यवसाय की ख्याति, निर्माण लाईसेन्स, किरायेदारी अधिकार, मार्ग का परमिट, व्यवसाय से जुड़ा हुआ ट्रेड मार्क या ब्राण्ड का नाम, किसी भी व्यवसाय को जारी रखने का अधिकार अथवा लूम घण्टों (Loom hours) को सम्मिलित माना जाता है। इनको प्राप्त करने की लागत का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जायेगा—

(i) यदि ये सम्पत्तियां करदाता ने क्रय की हैं तो क्रय मूल्य;

(ii) यदि ये सम्पत्तियां धारा 49 (1) में वर्णित परिस्थितियों में प्राप्त हुई हैं तो पूर्व स्वामी की लागत; तथा

(iii) अन्य किसी दशा में स्व–उत्पन्न (Self-Generated) सम्पत्तियों को प्राप्त करने की लागत शून्य (Nil) मानी जायेगी।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(vi) नियोक्त से कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के अन्तर्गत प्राप्त स्वेट इक्विटी अंश या विशिष्ट प्रतिभूतियों की प्राप्ति लागत [धारा 49 (2AA)]

'कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना' के अन्तर्गत कर्मचारियों को रियायती मूल्य पर या मुफ्त में मिले अंशों, ऋण–पत्रों या अधिपत्रों की लागत वह उचित बाजार मूल्य माना जावेगा जो धारा 17 (2) के अन्तर्गत अनुलाभों के मूल्यांकन के लिए माना गया है। [धारा 49 (2AA)]

स्पष्टीकरण : गत वर्ष 2009–10 के दौरान स्टॉक विकल्प योजना के अन्तर्गत आवंटित अंशो, ऋणपत्रों आदि के बाजार मूल्य तथा निर्गमन मूल्य का अंतर कर्मचारियों के लिए कर–योग्य था। उदाहरणार्थ, एक कम्पनी ने अपने कर्मचारियों को गत वर्ष 2009–10 में 100 रुपये बाजार मूल्य वाला एक अंश 60 रुपये पर निर्गमित किया। एक कर्मचारी ने इन अंशों को गत वर्ष 2009–10 में बेच दिया। कर्मचारी के लिए अंशों की वास्तविक लागत निम्न प्रकार होगी–

अंशों की लागत = (लागत 60 रु. + कर–योग्य अनुलाभ 40 रु.) या
100 रु. (बाजार मूल्य)

(vii) विदेश से क्रय की गई सम्पत्ति की लागत

यदि कोई सम्पत्ति विदेश से क्रय की गई है तो ऐसी सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत का निर्धारण भुगतान की तिथि को प्रचलित विनिमय दर के आधार पर किया जायेगा। [धारा 43 A]

उदाहरणार्थ–मि. A ने 20.06.2009 को एक सम्पत्ति लन्दन से 1,000 पौण्ड में क्रय की उस तिथि को विनिमय दर 1 पौण्ड = 50 रु. थी।

उन्होंने भुगतान 12.12.2009 को किया, जिस दिन विनिमय दर 1 पौण्ड = 55 रु. हो गयी। इस सम्पत्ति की प्राप्ति लागत 1,000 x 55 = 55,000 रु. होगी।

(viii) ऋण–पत्रों के बदले प्राप्त अंशों की लागत

ऋण–पत्रों के पूर्ण या आंशिक परिवर्तन के कारण प्राप्त अंशों की प्राप्ति लागत वहीं होगी जो मूल ऋण–पत्रों की लागत थी।

(ix) एकीकरण योजना के अन्तर्गत प्राप्त अंशों की लागत

एकीकृत होने वाली कम्पनी के अंशधारी को एकीकरण करने वाली कम्पनी के जो अंश प्राप्त होते हैं, की लागत वही होगी जो एकीकृत होने वाली कम्पनी के अंशों की थी।

(x) बोनस अंशों की लागत

यदि किसी वर्तमान अंशधारी या प्रतिभूति धारक को कम्पनी बिना भुगतान के अंश या प्रतिभूतियां आबंटित करती है तो ऐसे बोनस अंश या प्रतिभूतियों को प्राप्त करने की लागत शून्य मानी जावेगी।

यदि बोनस अंश अथवा प्रतिभूतियां 1 अप्रैल, 1981 से पूर्व प्राप्त किये गये हों तो 1 अप्रैल, 1981 के उचित बाजार मूल्य को प्राप्त करने की लागत मानी जा सकती है।

(xi) अधिकार निर्गमन को प्राप्त करने की लागत (Cost of acquisition of right issue)

यदि कोई करदाता किसी कम्पनी के अंश अथवा प्रतिभूति का धारक होने के कारण इस कम्पनी या संस्था से अतिरिक्त अंश या प्रतिभूति क्रय करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है तो ऐसे अधिकार निर्गमन की प्राप्ति की लागत निम्न होगी– [धारा 45 (2)(aa)]

(i) मूल अंश या प्रतिभूति, जिसके धारक होने के कारण अधिकार निर्गमन प्राप्त हुआ है, की लागत

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

वास्तविक लागत होगी जो कि उसे क्रय करने पर चुकाई गयी थी।

(ii) यदि करदाता ने अपना अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को बेचान कर दिया है तो अधिकार की लागत शून्य होगी।

(iii) यदि करदाता ने अधिकार अंशों का क्रय स्वयं ने किया है तो अधिकार अंशों को क्रय करने के लिए चुकाई गयी राशि ही प्राप्ति की लागत होगी।

(iv) यदि अंश खरीदने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त किया गया है तो अधिकार क्रय करने के लिए चुकाया गया मूल्य तथा अधिकार अंशों को प्राप्त करने के लिए कम्पनी को चुकाई गई राशि का योग प्राप्ति की लागत मानी जायेगी।

(xii) कम्पनी के समापन पर कम्पनी द्वारा वितरित सम्पत्ति

यदि कोई पूंजी सम्पत्ति करदाता को किसी कम्पनी के समापन पर होने वाली सम्पत्तियों के वितरण के अन्तर्गत प्राप्त हुई है, तो ऐसी सम्पत्ति के प्राप्त करने की लागत का निर्धारण निम्न प्रकार किया जायेगा–

(क) यदि कम्पनी के समापन पर सम्पत्तियों के वितरण के अन्तर्गत किसी सम्पत्ति की प्राप्ति के समय अंशधारी के लिए धारा 46 (2) के अनुसार 'पूंजी लाभ' शीर्षक के अन्तर्गत आय की गणना की गई हो, तो उस अंशधारी के लिए ऐसी सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत वह राशि मानी जायेगी, जो कम्पनी द्वारा सम्पत्तियों के वितरण की तिथि को उस सम्पत्ति का बाजार मूल्य था।

(ख) यदि कम्पनी के समापन पर सम्पत्तियों के वितरण के अन्तर्गत किसी सम्पत्ति की प्राप्ति के समय अंशधारी के लिए धारा 46 (2) के अनुसार 'पूंजी लाभ' शीर्षक के अन्तर्गत आय की गणना न हुई हो, तो उस अंशधारी के लिए ऐसी सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत वह राशि मानी जायेगी जो उस समापन में गई हुई कम्पनी के लिए उस सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत थी।

5. पूँजी सम्पत्ति में सुधार या वृद्धि की लागत (Cost of Improvement or Addition)

करदाता द्वारा या पूर्व स्वामी द्वारा पूंजी सम्पत्ति प्राप्त करने के पश्चात् उसमें कोई वृद्धि (addition), परिवर्तन (alteration) या नवीनीकरण (renovation) आदि पर किया गया पूंजीगत व्यय सुधार की लागत या वृद्धि की लागत में शामिल किया जाता है। धारा 55(1)(b) के अनुसार इस सम्बन्ध में प्रावधान निम्न प्रकार है–

(i) यदि कोई पूंजी सम्पत्ति व्यापार की ख्याति (Goodwill of a business) अथवा किसी वस्तु का निर्माण, उत्पादन या प्रसंस्करण करने का अधिकार (right to manufacture, produce or process any article or thing) के रूप में हो, तो उसके सुधार की लागत शून्य होगी।

(ii) अन्य कोई भी सम्पत्ति यदि 1.4.1981 से पूर्व करदाता के या पूर्व स्वामी के स्वामित्व में आयी हो, तो 1.4.1981 के पश्चात् उस पूंजी सम्पत्ति में कोई वृद्धि या परिवर्तन करने के लिए करदाता या पूर्व स्वामी के द्वारा किये गये समस्त पूंजीगत व्ययों को सुधार की लागत माना जायेगा। यदि ऐसी अन्य कोई सम्पत्ति 1.4.1981 को अथवा उसके पश्चात् करदाता के या पूर्व स्वामी के स्वामित्व में आयी हो, तो स्वामित्व में आने की तिथि के पश्चात् उस पूंजी सम्पत्ति में कोई वृद्धि या परिवर्तन करने के लिए करदाता या पूर्व स्वामी के द्वारा किये गये समस्त पूंजीगत व्ययों को सुधार की लागत माना जायेगा।

सुधार की लागत में उन व्ययों को शामिल नहीं किया जायेगा, जो आय के किसी शीर्षक के अन्तर्गत कटौती योग्य है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

पूँजी लाभों के प्रकार
(Types of Capital Gains)

पूंजी लाभ दो प्रकार के होते हैं–(1) अल्पकालीन पूंजी लाभ तथा (2) दीर्घकालीन पूंजी लाभ।

(1) अल्पकालीन पूंजी लाभ (Short Term Capital Gains)

अल्पकालीन पूंजी सम्पत्तियों के हस्तान्तरण पर होने वाले पूंजी लाभ अल्पकालीन पूंजी लाभ कहलाते हैं।

(2) दीर्घकालीन पूंजी लाभ (Long-term capital Gains)

दीर्घकालीन पूंजी सम्पत्तियों के हस्तान्तरण पर होने वाले पूंजी लाभ दीर्घकालीन पूंजी लाभ कहलाते हैं।

अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन पूंजी लाभों में अन्तर
(Difference between Short-term & Long-trm Capital Gains)

क्र.सं.	अन्तर का आधार	अल्पकालीन पूँजी लाभ	दीर्घकालीन पूँजी लाभ
1.	सम्पत्ति रखने की अवधि	अल्पकालीन पूँजी लाभ में सम्पत्ति करदाता द्वारा अधिकतम 36 माह (अंशों की दशा में 12 माह) रखी जाती है।	दीर्घकालीन पूंजी लाभ में सम्पत्ति करदाता द्वारा 36 माह से अधिक (अंशों की दशा में 12 माह से अधिक) रखी जाती है।
2.	प्राप्ति एवं सुधार की लागत	अल्पकालीन पूँजी लाभ की गणना में सम्पत्ति की प्राप्ति एवं सुधार की वास्तविक लागत को घटाया जाता है।	दीर्घकालीन पूंजी लाभ की गणना में सम्पत्ति की प्राप्ति एवं सुधार की निर्देशित लागतों को घटाया जाता है।
3.	विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत कर–मुक्त पूँजी लाभ	अल्पकालीन पूँजी लाभों में से धारा 54B, 54D, 54G एवं 54GA के अन्तर्गत कर–मुक्तियाँ मिल सकती हैं।	दीर्घकालीन पूंजी लाभों में से धारा 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G तथा 54GA के अन्तर्गत कर मुक्तियाँ मिल सकती हैं।
4.	आयकर	अल्पकालीन पूँजी लाभों पर सामान्य दरों से आयकर लगाया जाता है।	दीर्घकालीन पूँजी लाभों पर रियायती दर (जो 20% है) के आधार पर कर लगाया जाता है।

पूँजी लाभों की गणना विधि [धारा 48]
(Mode of Computation of Capital Gains)

पूँजी लाभों की गणना हस्तान्तरित सम्पत्ति की प्रकृति अर्थात् अल्पकालीन पूँजी सम्पत्ति अथवा दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति पर निर्भर करती है। अल्पकालीन पूँजी लाभ (Short-term Capital Gain) अल्पकालीन पूँजी सम्पत्तियों के हस्तान्तरण से उत्पन्न होते हैं जबकि दीर्घकालीन पूँजी लाभ (Long-term Capital Gain) दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्तियों के हस्तान्तरण से उत्पन्न होते हैं। दीर्घकालीन पूँजी लाभ पर सामान्यतः नीची दरों से कर लगता है जबकि अल्पकालीन पूँजी लाभों पर उनसे ऊंची दरों पर कर लगता है।

पूँजी लाभों की गणना करने के लिए अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्तियों को निम्नांकित दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है–

(A) ऐसी पूँजी सम्पत्तियां जिन पर ह्रास स्वीकृत नहीं होता है; तथा

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(B) ऐसी पूँजी सम्पत्तियां जो व्यापार अथवा पेशे में प्रयोग की जाती हैं तथा जिन पर धारा 32 के अन्तर्गत ह्रास स्वीकृत होता है।

(A) ऐसी पूँजी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में पूँजी लाभों की गणना जिन पर ह्रास स्वीकृत नहीं होता है :

ऐसी सम्पत्तियों पर पूँजी लाभ दो प्रकार के हो सकते हैं–

(i) अल्पकालीन पूँजी लाभ, तथा

(ii) दीर्घकालीन पूँजी लाभ।

अल्पकालीन पूँजी–लाभों की गणना

(Computation of Short-term Capital Gains)

अल्पकालीन पूँजी लाभों की गणना करने के लिए निम्नांकित दो महत्त्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए :

अ. अल्पकालीन पूँजी लाभों की गणना; तथा

ब. कर–योग्य पूँजी लाभों की गणना।

अ. अल्पकालीन पूँजी लाभों की गणना– अल्पकालीन पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण से प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि में से निम्न राशियां घटाने पर जो राशि शेष बचती है वह अल्पकालीन पूँजी लाभ (Short-term Capital Gain) कहलाती है–

(i) हस्तान्तरण के सम्बन्ध में किये गये व्यय (Transfer expenses);

(ii) पूँजी सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत (Cost of acquisition);

(iii) पूँजी सम्पत्ति में किये गये सुधार या वृद्धि की लागत (Cost of Improvement or additions)।

सूत्र रूप में –

अल्पकालीन पूँजी लाभ = प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि – (प्राप्त करने की लागत + सुधार की लागत + हस्तान्तरण व्यय)

यदि उक्त शेष ऋणात्मक है तो यह अल्पकालीन पूँजी हानि (Short Term Capital Loss) कहलाती है।

ब. कर–योग्य पूँजी लाभों की गणना– उपर्युक्त तरीके से गणना की गई पूँजी लाभ की राशि में से यदि करदाता धारा 54B, 54D, 54G या 54GA के अन्तर्गत छूट पाने का अधिकारी है तो ऐसी छूटों को भी घटा दिया जायेगा। शेष राशि कर–योग्य पूँजी लाभ की राशि होगी।

Computation of Short-term Capital Gains

	Rs.	Rs.
Full Consideration or Sales Proceeds of the Assets		....
Less: (i) Transfer Expenses	....	
(ii) Cost of Acquisition	....	
(iii) Cost of Improvement	....	
Short-Term Capital Gains		....
Less: Exemptions u/s 54B, 54D 54G & 54GA (if any)		....
Taxable Capital Gains		....

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

उदाहरण (Illustration) 8.1

श्री दिनेश के पास एक मकान है जो रहने के लिए किराये पर उठाया हुआ है। उसने यह मकान 2007–08 में 1,66,500 रु. में खरीदा था। इस मकान को उसने 15 जून, 2009 को 1,90,000 रु. में बेच दिया। उसने 2008–09 में कुछ आभूषण 73,150 रु. में खरीदे। 22 फरवरी, 2010 को उसने यह आभूषण 2,00,000 रु. में बेच दिये। आपको कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए श्री दिनेश का कर–योग्य पूँजी लाभ ज्ञात करना है।

Shri Dinesh has a house which is let out for residential purpose. He purchased this house for Rs. 1,66,500 in 2007-08. He sold this house on 15th June, 2009 for Rs. 1,90,000. He purchased some jewellery in 2008-09 for Rs. 73,150. On 22nd February, 2010 he sold this jewellery for Rs. 2 lacs. You are required to determine the taxable capital gains of Shri Dinesh for the assessment year 2010-11.

हल (Solution)

Computation of Taxable Capital Gains of Shri Dinesh
for the Assessment Year 2010-11

		Rs.	Rs.
House Property :			
	Sales Consideration	1,90,000	
Less:	Cost of acquisition	1,66,500	
	Short-term Capital Gains		23,500
Jewellery :			
	Sales consideration	2,00,000	
Less:	Cost of acquisition	73,150	
	Short Term Capital Gains		1,26,850
	Taxable Capital Gains		**1,50,350**

टिप्पणी :

मकान सम्पत्ति तथा आभूषण करदाता के पास हस्तान्तरण की तिथि से 36 माह से अधिक अवधि ा के लिए नहीं रहे हैं। अतः इनके हस्तान्तरण से उत्पन्न पूँजी लाभ अल्पकालीन पूँजी लाभ होंगे।

दीर्घकालीन पूँजी–लाभों की गणना
(Computation of Long-Term Capital Gains)

दीर्घकालीन पूँजी–लाभों की गणना के सम्बन्ध में निम्नांकित दो महत्त्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए–

अ. दीर्घकालीन पूँजी–लाभों की गणना; तथा

ब. कर–योग्य दीर्घकालीन पूँजी–लाभों की गणना।

अ. दीर्घकालीन पूँजी–लाभों की गणना– दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण से प्राप्त या प्राप्य सम्पूर्ण प्रतिफल में से निम्न राशियां घटाने पर जो राशि शेष बचती है वह दीर्घकालीन पूँजी–लाभ (Long term Capital Gain) कहलाती है–

(i) सम्पत्ति को प्राप्त करने की निर्देशित लागत (Indexed Cost of acquisition),

(ii) सम्पत्ति में सुधार या वृद्धि करने की निर्देशित लागत (Indexed Cost of improvement or addition)

(iii) हस्तान्तरण के सम्बन्ध में किये गये व्यय (Transfer expenses)।

सूत्र रूप में –

दीर्घकालीन पूँजी–लाभ = प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि – (प्राप्त करने की निर्देशित लागत + सुधार की निर्देशित लागत + हस्तान्तरण व्यय)

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

यदि उक्त शेष ऋणात्मक है तो यह दीर्घकालीन पूँजी हानि (Long term-Capital Loss) कहलाती है।

अपवाद

(i) सरकार द्वारा जारी किये गये पूँजी निर्देशित बाण्ड (Capital Indexed Bonds) को छोड़ते हुए अन्य बाण्ड्स अथवा ऋणपत्रों के दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति की स्थिति में प्राप्त करने की लागत या सुधार की लागत को निर्देशित नहीं किया जायेगा;

(ii) ह्रास योग्य दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्तियों की लागत को निर्देशित नहीं किया जाता है तथा इनके हस्तान्तरण पर उत्पन्न लाभ अल्पकालीन पूँजी लाभ होते हैं।

स्पष्टीकरण

1. यदि कोई पूँजी सम्पत्ति अप्रैल 1, 1981 से पूर्व क्रय की गई है तो करदाता की इच्छा पर ऐसी सम्पत्ति की प्राप्ति लागत उस सम्पत्ति का अप्रैल 1, 1981 का उचित बाजार मूल्य लिया जा सकता है।
2. सम्पत्ति को प्राप्त करने की निर्देशित लागत की गणना निम्न प्रकार की जायेगी –

$$\frac{\text{प्राप्ति की लागत x सम्पत्ति के विक्रय वाले गत वर्ष की लागत स्फीति सूचकांक}}{\text{जिस गत वर्ष में सम्पत्ति को करदाता ने प्रथम बार प्राप्त की हो उस वर्ष की लागत स्फीति सूचकांक}}$$

3. सम्पत्ति में सुधार करने की निर्देशित लागत की गणना निम्न प्रकार की जाती है–

$$\frac{\text{सुधार की लागत x सम्पत्ति के विक्रय वाले गत वर्ष की लागत स्फीति सूचकांक}}{\text{सुधार पर व्यय होने वाले गत वर्ष का लागत स्फीति सूचकांक}}$$

4. यदि सम्पत्ति 1 अप्रैल, 1981 के पूर्व प्राप्त की गई हो तो उस सम्पत्ति की निर्देशित प्राप्ति लागत निम्न सूत्र से ज्ञात की जायेगी –

$$\frac{\text{1.4.1981 का उचित बाजार मूल्य x सम्पत्ति के विक्रय वाले गत वर्ष का लागत स्फीति सूचकांक}}{\text{गत वर्ष 1981–82 का लागत स्फीति सूचकांक अर्थात् 100}}$$

5. जब करदाता ने सम्पत्ति पूर्व स्वामी से धारा 49 (1) में उल्लेखित परिस्थितियों में प्राप्त की हो – यदि करदाता को सम्पत्ति धारा 49 (1) में वर्णित परिस्थितियों उपहार, भेंट, वसीयतनामा आदि के अन्तर्गत प्राप्त हुई है तो करदाता के लिए सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत तथा सुधार की लागत पूर्व स्वामी की जो लागत होती है वही मानी जावेगी। ऐसी सम्पत्ति की निर्देशित लागत इस प्रकार ज्ञात की जावेगी –

(अ) $$\text{पूर्व स्वामी की प्राप्ति लागत} \times \frac{\text{सम्पत्ति के हस्तान्तरण वाले वित्तीय वर्ष का लागत स्फीति सूचकांक}}{\text{करदाता को उपहार में या अन्य कारणों से पूँजी सम्पत्ति के मिलने वाले वित्तीय वर्ष का लागत स्फीति सूचकांक}}$$

(ब) पूर्व स्वामी की सुधार की लागत x
सम्पत्ति के हस्तान्तरण वाले वित्तीय वर्ष का लागत स्फीति सूचकांक
पूर्व स्वामी द्वारा सुधार पर व्यय किये गये

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

जाने वाले वित्तीय वर्ष का लागत स्फीति सूचकांक

(स) करदाता द्वारा सुधार की लागत पर किया गया व्यय x (सम्पत्ति के हस्तान्तरण वाले वित्तीय वर्ष का लागत स्फीति सूचकांक / करदाता द्वारा सुधार पर व्यय किये जाने वाले वित्तीय वर्ष का लागत स्फीति सूचकांक)

6. लागत स्फीति सूचकांक (Cost inflation index) – लागत स्फीति सूचकांक से तात्पर्य उस सूचकांक से है, जिसे केन्द्रीय सरकार ने, शहरी गैर–शारीरिक श्रम वाले कर्मचारियों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 75% की औसत वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना जारी करके निर्दिष्ट किया है। दीर्घकालीन पूँजी लाभ के प्रयोजनार्थ ऐसे लागत स्फीति सूचकांक निम्न प्रकार हैं–

गत वर्ष	**लागत स्फीति सूचकांक**	**गत वर्ष**	**लागत स्फीति सूचकांक**
1981–82	100	1996–97	305
1982–83	109	1997–98	331
1983–84	116	1998–99	351
1984–85	125	1999–00	389
1985–86	133	2000–01	406
1986–87	140	2001–02	426
1987–88	150	2002–03	447
1988–89	161	2003–04	463
1989–90	172	2004–05	480
1990–91	182	2005–06	497
1991–92	199	2006–07	519
1992–93	223	2007–08	551
1993–94	244	2008–09	582
1994–95	259	2009–10	632
1995–96	281		

(ब) कर–योग्य पूँजी–लाभ की गणना– उपर्युक्त प्रकार से गणना किये गये पूँजी लाभों की राशि में से यदि करदाता धारा 54, 54B, 54D, 54EC, 54ED, 54G तथा 54GA के अन्तर्गत कर–मुक्ति को प्राप्त करने का अधिकारी है तो ऐसी कर–मुक्तियों की राशि को भी घटा दिया जायेगा। शेष राशि कर–योग्य पूँजी लाभों की राशि होगी। दीर्घकालीन पूँजी लाभों की गणना निम्न प्रारूप में विवरण बनाकर की जा सकती है–

Computation of Long-term Capital Gains

		Rs.	**Rs.**
	Full Consideration or Sales Proceeds of the Capital Asset transferred		....
Less:	(i) Transfer or selling expenses	....	
	(ii) Indexed Cost of Acquisition	....	
	(iii) Indexed Cost of Improvement	....	....

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

	Long-term Capital Gains	....
Less:	Expemptions: u/s 54, 54B, 54D, 54EC, 54ED, 54F, 54G and 54GA (if any)	....
	Taxable Capital Gains	....

उदाहरण (Illustration) 8.2

श्री रवीन्द्र ने 1981–82 में 50,000 रु. की लागत से भूमि का एक टुकड़ा खरीदा था। उसने यह भूमि जनवरी, 2010 में 3,30,000 रु. में बेच दी। पूँजी लाभ की गणना कीजिए। (लागत स्फीति सूचकांक 1981–82 में 100 था तथा 2009–10 में 632 था।)

Shri Ravindra purchased a plot of land in the year 1981-82 for Rs. 50,000. He sold the land for Rs. 3,30,000 in the month of January, 2010. Find out the 'Capital Gains'. [The cost inflation index in 1981-82 was 100 and in 2009-10 it was 632.]

हल (Solution):

Computation of Capital Gains
for the Assessment Year 2010-11

	Rs.
Long-term Capital Gains:	
Sales consideration of plot of land	3,30,000
Less: Indexed cost of acquisition	
50,000 x 632/100	3,16,000
Long Term Capital Gains	14,000

टिप्पणी : बेची गई भूमि दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति है अतः इसकी प्राप्ति लागत को निर्देशित करके दीर्घकालीन पूँजी लाभों की गणना की गई है।

उदाहरण (Illustration) 8.3

श्री A ने 15.4.1978 को एक मकान सम्पत्ति 2,00,000 रु. में क्रय की एवं 10.8.2009 को 20,00,000 रु. में बेच दी। इस सम्पत्ति का 1,4,1981 को उचित बाजार मूल्य 3,00,000 रु. था। हस्तान्तरण व्यय 10,000 रु. हुए। कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए पूँजी लाभों की गणना कीजिए।

Mr. A purchased a house property on 15.4.1978 for Rs. 2,00,000. The property was sold on 10.8.2009 for Rs. 20,00,000. The fair market value of the property on 1.4.1981 was Rs. 3,00,000. Expenses on transfer were Rs. 10,000. Compute the Capital Gains for the assessment year 2010-11.

हल (Solution)

Computation of Capital Gains of Mr. A
for the Assessment year 2010-11

	Rs.	Rs.
Sales Consideration of the House Property		20,00,000
Less: (i) Indexed cost of acquisition		
3,00,000 x 632/100	18,96,000	
(ii) Transfer expenses	10,000	19,06,000
Long Term Capital Gains		**94,000**

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

उदाहरण (Illustration) 8.4 :

श्री विकास ने एक मकान सम्पत्ति 1 अक्टूबर 2009 को 9,00,000 रु. में विक्रय की। श्री विकास को यह मकान अपने मित्र विशाल से 1 जून, 1998 को उपहार में मिला था। श्री विशाल ने इस मकान सम्पत्ति को वित्तीय वर्ष 1982–83 में 1,50,000 रु. में खरीदा था। कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए उसकी पूँजी लाभ शीर्षक की कर–योग्य आय की गणना कीजिए।

Mr. Vikas sold a house property on October 1, 2009 for Rs. 9,00,000. Mr. Vikas got the house property in gift on 1st June, 1998 from his friend Vishal. Mr. Vishal purchased the house property in the financial year 1982-83 for Rs. 1,50,000. Compute the taxable income under the head Capital Gains of for the assessment year 2010-11. [The cost inflation index in 1982-83 was 109 and in 1998-99 it was 351.]

हल (Solution)

Computation of Taxable Income from Capital Gains of Mr. Vikas for the Assessment year 2010-11

	Rs.
Sales Consideration of House Property	9,00,000
Less: (i) Indexed cost of acquisition (1,50,000 x 632/351)	2,70,085
Long term Capital Gains	6,29,915

टिप्पणी

1. श्री विकास ने धारा 49 (1) के अन्तर्गत सम्पत्ति प्राप्त की है उसके लिए लागत वह होगी जो उसके मित्र विशाल के लिए थी अर्थात् प्राप्त करने की लागत 1,50,000 रु. होगी।
2. यह मकान सम्पत्ति दीर्घकालीन है क्योंकि रहने की अवधि की गणना पूर्व स्वामी विशाल द्वारा प्राप्त करने की तिथि से विकास द्वारा हस्तान्तरण करने की तिथि तक की जायेगी।

उदाहरण (Illustration) 8.5 :

मि. X ने जनवरी, 1980 में जयपुर में एक मकान 2,00,000 रु. का खरीदा। जून, 1989 में उसने यह मकान अपने मित्र मि. Y को उपहार में दे दिया। मि. X ने मई, 1980 में इस मकान में दो कमरे तथा एक बरामदा 60,000 रु. की लागत पर तथा मई, 1984 में दो स्नान घर 10,000 रु. की लागत पर बनवाये। मि. Y ने इस मकान में सुधार किया तथा वर्ष 1994 में दो स्नानघर 1,00,000 रु. की लागत पर बनवाये।

मि. X की 1995 में मृत्यु हो गयी और मि. Y ने 1 जुलाई, 2009 को यह मकान 26,00,000 रु. में बेच दिया व हस्तान्तरण व्यय विक्रय मूल्य का 2% हुआ। कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए कर–योग्य पूँजी लाभ ज्ञात कीजिए यदि 1 अप्रैल, 1981 को मकान का उचित बाजार मूल्य 4,00,000 रु. हो। (लागत स्फीति सूचकांक 1981–82, 1984–85, 1989–90, 1994–95 तथा 2009–10 के लिए क्रमशः 100, 125, 172, 259 तथा 632 थे।)

Mr. X purchased a house in Jaipur in Jan. 1980 for Rs. 2,00,000. In June, 1989, he gifts the house to his friend Mr. Y. Mr. X added two rooms and a varandaha in the house at a cost of Rs. 60,000 in May, 1980 and he further added two bathrooms at a cost of Rs. 10,000 in May 1984. Mr. Y made improvements in the house and added two bath-rooms at a cost of Rs. 1,00,000 in May 1994.

Mr. X died in 1995 and Mr. Y sold the house on 1st July, 2009 for Rs. 26,00,000 and

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

transfer expenses were incurred @ 2% of sales price. Find out the taxable Capital Gains for Assessment Year 2010-11 if the fair market value of the house on 1st April, 1981 was Rs. 4,00,000. [The cost inflation index for 1981-82, 1984-85, 1989-90; 1994-95 and 2009-10 were 100, 125, 172, 259 and 632 respectively.]

हल (Solution)

Computation of Income from Capital Gains of Mr. Y for the Assessment Year 2010-11

	Rs.	Rs.
Sales consideration of house property		26,00,000
Less: (i) Indexed cost of acquisition (F.M.V. on 1.4.1981) 4,00,000 x 632/172	14,69,767	
(ii) Indexed cost of improvement		
1984-85 : (10,000 x 632/125)	50,560	
1994-95 : (1,00,000 x 632/259)	2,44,015	
(iii) Transfer expenses : 2% of sales consideration	52,000	18,16,342
Long term Capital Gains		7,83,658

टिप्पणी :

(i) मि. Y को यह सम्पत्ति उसके मित्र मि. X से उपहार में मिली है अतः इस सम्पत्ति के रखने की अवधि की गणना मि. X द्वारा प्राप्त करने की तिथि से हस्तान्तरण की तिथि तक की जायेगी। इस प्रकार यह मकान सम्पत्ति दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति है।

(ii) मि. X ने यह मकान 1.4.1981 के पूर्व क्रय किया था अतः इसकी प्राप्त करने की लागत 1.4.81 का उचित बाजार मूल्य मानी जायेगी। इस उचित बाजार मूल्य को निर्देशित करने हेतु मि. Y को उपहार में प्राप्त होने वाले गत वर्ष के लागत स्फीति सूचकांक का भाग दिया जायेगा।

(iii) 1.4.81 के पूर्व की गई सुधार लागत पर ध्यान नहीं दिया जाता है। 1.4.81 के बाद की सुधार की लागत को निर्देशित करते हुए पूँजी लाभ की गणना की जायेगी।

उदाहरण (Illustration) 8.6 :

श्री सुमन कुमार ने एक मकान सम्पत्ति 1 अक्टूबर, 2009 को 15,50,000 रु. में विक्रय की। उसने इस सम्पत्ति को 1 जून, 1999 को श्रीमती अंजु को 2,25,000 रु. में बेचने का अनुबन्ध किया था एवं 6,000 रु. की राशि अग्रिम रूप से प्राप्त की थी। परन्तु श्रीमती अंजु अपने वायदे को नहीं निभा सकी तथा उसने निर्धारित अवधि 1 माह में शेष राशि का भुगतान नहीं किया। श्री सुमन ने अग्रिम राशि को जब्त कर लिया तथा श्रीमती अंजु को वापस नहीं लौटाया।

श्री सुमन को यह मकान सम्पत्ति अपने पिता श्री सुरेश से 10 अप्रैल, 1989 को उपहार में मिली थी। उसके पिता ने भी 1 नवम्बर, 1985 को उस सम्पत्ति को बेचने का अनुबन्ध अमित से किया था तथा

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

6,000 रु. की राशि अग्रिम प्राप्त की थी। परन्तु अमित भी अपने वायदे को नहीं निभा सका और अग्रिम राशि जब्त कर ली गई। श्री सुरेश ने यह मकान सम्पत्ति 1.1.82 को 3,00,000 रु. में खरीदी थी तथा क्रय पर व्यय 12,000 रु. हुए। श्री सुरेश ने इस मकान की सुधार पर वर्ष 1986–87 में 40,000 रु. के पूंजीगत व्यय किये थे तथा श्री सुमन ने भी इस मकान की सुधार पर वर्ष 1993–94 में 30,000 रु. के पूंजीगत व्यय किये। उपहार की तिथि 10 अप्रैल, 1989 को इस मकान सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 5,00,000 रु. था।

कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए श्री सुमन कुमार की पूँजी लाभ शीर्षक की कर–योग्य आय की गणना कीजिए। (लागत स्फीति सूचकांक वर्ष 1981–82 के लिए 100, वर्ष 1986–87 के लिए 140, वर्ष 1993–94 के लिए 244 तथा वर्ष 2009–10 के लिए 632 है।)

Mr. Suman Kumar sold a house property on 1st October, 2009 for Rs. 15,50,000. He had entered into an agreement to sell the property to Smt. Anju on June 1st, 1999 for Rs. 2,25,000 and received Rs. 6,000 as an advance. But Smt. Anju could not keep his promise and failed to pay the balance account within the stipulated time of one month. As per agreement Mr. Suman forfeited the advance amount and did not return to her.

Mr. Suman got this property in gift on April 10, 1989 from his father Mr. Suresh. His father also entered into an agreement with Mr. Amit to sell this property on 1st November, 1985 and received a sum of Rs. 6,000 as an advance from him. Amit also could not keep his promise and the advance money was forfeited by Mr. Suresh. Mr. Suresh purchased the property on 1.1.1982 for Rs. 3,00,000 and paid expenses for purchase Rs. 12,000. Mr. Suresh has incurred Rs. 40,000 during the year 1986-87 and Mr. Suman has incurred Rs. 30,000 during the year 1993-94 on improvement of this house. The fair market value of the property on the date of gift (April 10, 1989) was Rs. 5,00,000.

Compute the amount of taxable income from Capital Gain of Mr. Suman for the assessment year 2010-11. [The cost inflation index are; for the year 1981-82 : 100, for the year 1986-87 : 140, for the year 1989-90 : 172, for the year 1993-94 : 244 and for the year 2009-10 : 632.]

हल (Solution)

Computation of Taxable Income from Capital Gain of Mr. Suman for the Assessment Year 2010-11

	Rs.	**Rs.**
Sales consideration of House Property		15,50,000
Less: (i) Indexed cost of acquisition		
Cost of acquisition	3,12,000	
Less: Advance amount forfeited by the assessee (i.e. Mr. Suman)	6,000	
	3,06,000	
Indexed cost of acquisition 3,06,000 x 632/172	11,24,372	
(ii) Indexed cost of improvement		
by Mr. Suresh (40,000 x 632/140)	1,80,571	
by Mr. Suman (30,000 x 632/244)	77,705	13,82,648
Long term Capital Gains		1,67,352

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

टिप्पणी : पूर्व स्वामी द्वारा जब्त की गई अग्रिम राशि को प्राप्ति लागत में से घटाया नहीं जाता है जबकि करदाता द्वारा जब्त की गई अग्रिम राशि को प्राप्ति लागत में से घटाया जाता है।

कुछ विशेष मामलों में पूँजी लाभों की गणना
(Computation of Capital Gains in some Special Cases)

कर–निर्धारण वर्ष 1985–86 से पूँजी सम्पत्ति के स्टॉक में परिवर्तन को धारा 2 (47) के अन्तर्गत उस वर्ष का हस्तान्तरण समझा जायेगा जिस वर्ष में ऐसा परिवर्तन हुआ है।

पूँजी सम्पत्ति का स्टॉक में परिवर्तन के द्वारा किए गये हस्तान्तरण से हुए काल्पनिक पूँजी लाभ उस गत वर्ष में कर–योग्य होंगे जिस गत वर्ष में स्टॉक की बिक्री की जावेगी या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण किया जावेगा। [धारा 45 (2)]

इस प्रकार के मामलों में काल्पनिक पूँजी लाभों की गणना करने के लिए स्टॉक में परिवर्तन की तिथि को उक्त पूँजी सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य को उस पूँजी सम्पत्ति का पूर्ण प्रतिफल माना जायेगा।

पूँजी लाभ = परिवर्तन की तिथि को उचित बाजार मूल्य –
सम्पत्ति की लागत या निर्देशित लागत

व्यापारिक लाभ = स्टॉक का विक्रय मूल्य – परिवर्तन की तिथि का उचित बाजार मूल्य

व्यापारिक लाभ 'व्यापार अथवा पेशे के लाभ' शीर्षक में कर–योग्य होगा।

उदाहरण (Illustration) 8.7 :

श्री वीरेन्द्र ने एक पूँजी सम्पत्ति 1 अप्रैल, 1986 को 80,000 रु. में क्रय की। उसने 1 अप्रैल, 1991 को इस पूँजी सम्पत्ति को अपने व्यापारिक स्टॉक में परिवर्तित कर दी जिस दिन इस सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 3,24,000 रु. था। स्टॉक को 10 मार्च, 2010 को 11,72,000 रु. में बेच दिया गया। कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए श्री वीरेन्द्र की 'व्यापार अथवा पेशे के लाभ' तथा 'पूँजी लाभ' शीर्षकों की कर–योग्य आय की गणना कीजिए।

Mr. Virendra acquire a capital asset on 1st April, 1986 for Rs. 80,000. He converted the capital asset into stock-in-trade on 1st April, 1991, the fair market value on the day was Rs. 3,24,000. The stock in trade was sold on March 10, 2010 for Rs. 11,72,000. Compute taxable income under the heads 'Profit from Business or Profession' and 'Capital Gains' for the assessment year 2010-11.

हल (Solution)

Computation of Taxable Income from Capital Gain of Mr. Virendra for the Assessment Year 2010-11

	Rs.
Full value of consideration (i.e. fair market value on the date of conversion)	3,24,000
Less: (i) Indexed cost of acquisition (80,000 x 199/140)	1,13,714
Long term Capital Gains	2,10,286

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

Computation of Taxable Profits of Business or Profession of Mr. Virendra for the Assessment Year 2010-11

	Rs.
Sale price of Stock	11,72,000
Less: (i) Market price on the date of conversion	3,24,000
Taxable Profits of Business or Profession	8,48,000

टिप्पणी :

1. पूँजी सम्पत्ति का व्यापारिक स्टॉक में परिवर्तन 1 अप्रैल, 1991 (1991–92 गत वर्ष) को हुआ। इस तिथि को इस सम्पत्ति का बाजार मूल्य एवं सम्पत्ति निर्देशित लागत का अंतर दीर्घकालीन पूँजी लाभ होगा। परन्तु वह कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 में कर–योग्य होगा क्योंकि व्यापारिक स्टॉक का विक्रय गत वर्ष 2009–10 में हुआ है।
2. परिवर्तित पूँजी सम्पत्ति का विक्रय मूल्य एवं परिवर्तन की तिथि के बाजार मूल्य का अंतर व्यापारिक लाभ होता है।

2. एक व्यक्ति द्वारा पूँजी सम्पत्ति का फर्म या व्यक्तियों को हस्तान्तरण करने पर पूँजी लाभ (Capital gain on transfer of partener's assets to firm or AOP) [धारा 45 (3)]

जब किसी फर्म का साझेदार या व्यक्तियों के समुदाय का सदस्य अपनी कोई पूँजी सम्पत्ति फर्म को या व्यक्तियों के समुदाय को पूँजी अंशदान के रूप में या अन्य किसी रूप में हस्तान्तरित करता है तो ऐसी सम्पत्ति का जिस राशि से फर्म या व्यक्तियों के समुदाय ने अपनी लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि की है वही मूल्य साझेदार के लिए उस सम्पत्ति का विक्रय प्रतिफल माना जायेगा और पूँजी लाभ की गणना की जायेगी।

यदि साझेदार द्वारा फर्म को हस्तान्तरित सम्पत्ति पूंजी सम्पत्ति के स्वरूप की नहीं है तो धारा 45 (3) के प्रावधान लागू नहीं होंगे। जैसे– साझेदार द्वारा निजी मोटर कार का फर्म को हस्तान्तरण।

उदाहरण (Illustration) 8.8 :

श्री सुरेश ने एक सम्पत्ति वित्तीय वर्ष 1999–2000 में अपने चाचा से उपहार में प्राप्त की थी। उसके चाचा ने यह सम्पत्ति गत वर्ष 1986–87 वर्ष में 8,00,000 रु. में क्रय की थी। सुरेश ने यह सम्पत्ति एक फर्म में अपनी पूँजी के अंशदान के रूप में गत वर्ष 2009–10 में दे दी। इस तिथि को इस सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 29,00,000 रु. था परन्तु फर्म ने इसे अपनी पुस्तकों में 25,00,000 रु. पर दर्शाया। श्री सुरेश के लिए इस हस्तान्तरण से उत्पन्न पूँजी लाभ की गणना कीजिए।

Shri Suresh acquired an asset by way of gift from his uncle during the financial year 1999-2000. His uncle had acquired the property during the previous year 1986-87 for Rs. 8,00,000. The asset was introduced by Suresh as Capital in a firm during the previous year 2009-10. The fair market value of such asset was Rs. 29,00,000 on the date of transfer but it was recorded by the firm in its book at Rs. 25,00,000. Compute the taxable capital gain for Shri Suresh.

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

हल (Solution)

Computation of Taxable Income from Capital Gain of Mr. Suresh for the Assessment Year 2010-11

	Rs.
Full value of consideration (the amount recorded by the firm)	25,00,000
Less: (i) Indexed cost of acquisition (8,000,000 x 632/389)	12,99,743
Taxable Long term Capital Gains	12,00,257

टिप्पणी :

1. हस्तान्तरण का पूर्ण प्रतिफल वह राशि मानी जाती है जिस पर फर्म ने अपनी पुस्तकों में लेखा किया है।
2. सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत पूर्व स्वामी की प्राप्ति लागत मानी जाती है।
3. यह सम्पत्ति दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति है क्योंकि करदाता द्वारा धारण करने की अवधि में उस अवधि को भी सम्मिलित किया जाता है जिस अवधि के लिए वह पूर्व मालिक के पास रही थी।
4. सम्पत्ति को प्राप्त करने की निर्देशित लागत ज्ञात करने के लिए लागत प्रसार सूचकांक उस वर्ष का काम में आयेगा जिस वर्ष करदाता पहली बार इस सम्पत्ति का स्वामी बना था।

3. फर्म या व्यक्तियों के समुदाय के विघटन पर सम्पत्तियों के हस्तान्तरण पर पूँजी लाभ (Capital gain on transfer of asset by firm or AOP on dissolution) [धारा 45 (4)]

जब एक फर्म या व्यक्तियों के समुदाय का विघटन होता है तथा फर्म या व्यक्तियों के समुदाय द्वारा अपने साझेदारों या सदस्यों में सम्पत्तियों का बंटवारा किया जाता है तो ऐसे **बंटवारे की तिथि को उस सम्पत्ति का जो बाजार मूल्य होता है** वही उस सम्पत्ति का सम्पूर्ण प्रतिफल माना जाता है।

ह्रास योग्य सम्पत्तियों के बंटवारे पर अल्पकालीन पूँजी लाभ उत्पन्न होंगे तथा इसकी गणना सम्पत्तियों के खण्ड (Block of assets) के आधार पर की जायेगी। ऐसी सम्पत्ति, जिस पर ह्रास स्वीकृत नहीं होता है, के वितरण पर पूँजी लाभ की गणना उसके बाजार मूल्य में से धारा 48 में वर्णित राशियां (उसकी प्राप्ति की लागत या निर्देशित लागत) घटाकर की जायेगी।

ध्यान देने योग्य बातें –

(i) फर्म के विघटन पर सम्पत्तियों के हस्तान्तरण से उत्पन्न पूँजी लाभों के लिए फर्म या व्यक्तियों का समुदाय करदाता होगा, न कि साझेदार या सदस्य।

(ii) यदि वितरित की गई सम्पत्ति धारा 2 (14) के अनुसार पूँजी सम्पत्ति नहीं है तो पूँजी लाभ की गणना नहीं की जायेगी।

(iii) यह उस गत वर्ष में कर–योग्य होगा जिस गत वर्ष में फर्म द्वारा साझेदार को पूँजी सम्पत्तियों का हस्तान्तरण किया गया है।

(iv) फर्म के पूँजी लाभों की गणना करने के लिए साझेदारों में वितरित की गई सम्पत्ति के लिए विक्रय प्रतिफल सम्पत्ति का बाजार मूल्य होता है न कि साझेदार द्वारा तय किया गया मूल्य।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

उदाहरण (Illustration) 8.9 :

अंकित, अनिल एवं महेश एक फर्म में साझेदार हैं। उस फर्म का 31 मार्च, 2010 को समापन हो गया। फर्म की सम्पत्तियों का वितरण साझेदारों में निम्न प्रकार किया गया :

Ankit, Anil and Mahesh are partners in a firm. The firm was dissolved on March 31, 2010. The distribution of assets among partners was made as given below:

Particulars	Land (Taken by Ankit) Rs.	Buildings (Taken by Anil) Rs.	Furniture (Taken by Mahesh) Rs.
Year of acquisition	1984-85	1987-88	1990-91
Cost of acquisition	1,00,000	13,50,000	50,000
Market value on 31.03.2010	20,00,000	10,00,000	18,000
W.D.V. on 1.4.2009	-	5,00,000	18,200
Agreed value as per dissolution deed	15,00,000	8,00,000	21,000

कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए फर्म के कर–योग्य पूँजी लाभों की गणना कीजिए। (लागत स्फीति सूचकांक 1984–85 के लिए 125 तथा वर्ष 2009–10 के लिए 632 है।)

Compute the taxable amount of capital gain of the firm for the assessment year 2010-11. [Cost inflation index for 1984-85 is 125 and for 2009-10 is 632.]

हल (Solution)

Computation of Taxable Capital Gain of the Firm for the Assessment Year 2010-11

	Rs.	Rs.
Land (Long term non-depreciable asset):		
Sale Proceeds (Being Market Value)	20,00,000	
Less: Indexed cost of acquisition (1,00,000 x 632/125)	5,05,600	14,94,400
Buildings (Long term depreciable asset):		
Sale Proceeds (Being Market Value)	10,00,000	
Less: W.D.V. on 1.4.2009	5,00,000	5,00,000
Furniture (Long term depreciable assets):		
Sale Proceeds (Being Market Value)	18,000	
Less: W.D.V. on 1.4.2009	18,200	
Short term Capital Gain (Loss)		(-) 200
Taxable Capital Gains		**19,94,200**

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

4. सम्पत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के मामले में पूँजी लाभ [धारा 45 (5)]
(Capital gain in the case of compulsory acquisition of an asset)

जब पूँजी का हस्तान्तरण किसी कानून के अन्तर्गत अनिवार्य अधिग्रहण के रूप में हुआ है या पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण (अनिवार्य अधिग्रहण नहीं होने पर) का प्रतिफल केन्द्रीय सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित या अनुमोदित किया गया हो तो पूँजी लाभ की गणना उस गत वर्ष में की जायेगी जिस गत वर्ष में सम्पत्ति का हस्तान्तरण हुआ है परन्तु उस गत वर्ष में कर–योग्य होगा जिस गत वर्ष में क्षतिपूर्ति या प्रतिफल की प्रथम किस्त प्राप्त हुई है। लागत स्फीति सूचकांक उस वर्ष के लिये जायेंगे जिस गत वर्ष में अनिवार्य अधिग्रहण के अन्तर्गत सम्पत्ति का हस्तान्तरण हुआ है।

यदि क्षतिपूर्ति की राशि किसी न्यायालय या प्राधिकरण के निर्णय से बढ़ा दी जाती है तो ऐसी बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति की राशि उस गत वर्ष का पूँजी लाभ माना जायेगा जिस गत वर्ष मे यह राशि प्राप्त हुई है। दीर्घकालीन या अल्पकालीन पूँजी लाभ होने का निर्धारण अधिग्रहण की तिथि के आधार पर किया जायेगा। बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति की दशा में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए मुकदमे पर हुए व्ययों को हस्तान्तरण सम्बन्धित व्यय माना जाता है।

हस्तान्तरणकर्त्ता की मृत्यु होने पर अथवा अन्य किसी कारण से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति प्राप्त की जाती है तो ऐसी राशि प्राप्तकर्त्ता के लिए पूँजी लाभ के रूप में कर–योग्य होगी।

बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति प्राप्त होने पर करदाता को उसके विनियोग के लिये सम्बन्धित धारा के प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त समय मिलता है जिसमें वह अतिरिक्त राशि का विनियोग करके छूट प्राप्त कर सकता है।

क्षतिपूर्ति अथवा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त होने एवं पूँजी लाभ की गणना करने के बाद भी यदि किसी न्यायालय, ट्रिब्यूनल या अन्य किसी सत्ता द्वारा ऐसी क्षतिपूर्ति की राशि को घटा दिया जाता है तो ट्रिब्यूनल अथवा न्यायालय द्वारा घटाई गई राशि को हस्तान्तरण का पूर्ण प्रतिफल मानते हुए उस वर्ष के पूँजी लाभ की गणना पुनः की जायेगी।

5. बीमित पूँजी सम्पत्ति के नष्ट अथवा क्षतिग्रस्त होने पर पूँजी लाभ की गणना [धारा 45 (1A)]
(Computation of Capital Gain on Damage or Destruction of Any Insured Capital Asset)

गत वर्ष में किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट दशाओं में किसी पूँजी सम्पत्ति को हुई क्षति के कारण अथवा उस सम्पत्ति के नष्ट होने के कारण बीमा कम्पनी से या बीमा करने वाले किसी व्यक्ति से कोई धन या अन्य सम्पत्ति प्राप्त होती है तो ऐसे धन या सम्पत्ति को उस पूँजी सम्पत्ति का पूर्ण प्रतिफल मानकर पूँजी लाभ की गणना की जावेगी तथा ऐसा पूँजी लाभ उस व्यक्ति की उस गत वर्ष की आय मानी जावेगी जिस गत वर्ष में ऐसा धन अथवा अन्य सम्पत्ति प्राप्त हुई है। निर्दिष्ट दशाएं निम्नलिखित हैं–

(i) बाढ़, तूफान, भूकम्प या अन्य प्राकृतिक विपदा; अथवा
(ii) आग या विस्फोट; या
(iii) दंगा–फसाद या नागरिक उपद्रव; या
(iv) शत्रु द्वारा की गई कार्यवाही या शत्रु का मुकाबला करने के लिए की गई कार्यवाही (चाहे युद्ध घोषित हुआ हो अथवा नहीं)

6. करदाता द्वारा स्वअर्जित (अमूर्त) सम्पत्ति के सम्बन्ध में पूँजी लाभ की गणना
(Capital Gain in the case of self generated asset)

वह सम्पत्ति जिसकी रचना अथवा अधिग्रहण पर करदाता ने कोई धन राशि खर्च नहीं की हो, उसे स्वअर्जित सम्पत्ति कहते हैं।

व्यापार की ख्याति (पेशे से अर्जित ख्याति कर–योग्य नहीं है), किरायेदारी अधिकार, मार्ग का परमिट, किसी व्यवसाय को संचालित करने का अधिकार, किसी वस्तु को बनाने, निर्माण करने या प्रसंस्करण करने का अधिकार, करघा घण्टों (Loom hours), व्यवसाय से जुड़ा हुआ ट्रेड़मार्क या ब्राण्ड का नाम को

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

स्वअर्जित सम्पत्ति माना जाता है। ऐसी सम्पत्तियों के हस्तान्तरण पर उत्पन्न पूँजी लाभ कर–योग्य होते हैं। इन सम्पत्तियों की अधिग्रहण लागत शून्य मानी जाती है। यदि उपर्युक्त सम्पत्ति क्रय की गई हो तो इनकी प्राप्ति लागत वास्तव में चुकाई गई राशि होगी तथा यदि इनके सुधार पर कोई व्यय किया गया हो तो वास्तव में चुकाई गई राशि सुधार की लागत मानी जावेगी और इसके आधार पर पूँजी लाभ की गणना की जायेगी। इन सम्पत्तियों का 1.4.1981 का उचित बाजार मूल्य भी नहीं लिया जाता है।

स्पष्टीकरण– पेशेवर व्यक्ति की स्वअर्जित ख्याति तथा आविष्कारकर्त्ता द्वारा नई तकनीक के पेटेंट के हस्तान्तरण पर पूँजी लाभ कर–योग्य नहीं होता है परन्तु इन सम्पत्तियों को यदि क्रय किया गया है तो यह पूँजी सम्पत्ति मानी जायेगी और पूँजी लाभ कर–योग्य होगा।

उदाहरण (Illustration) 8.10 :

श्री मुकेश ने गत वर्ष 2009–10 में निम्न सम्पत्तियां हस्तान्तरित की–
Mr. Mukesh transfers the following assets during the previous year 2009-10:

	Trade Goodwill Rs.	Tenancy Rights Rs.	Trade Mark Rs.	Buildings Rs.	Professional Goodwill Rs.
Cost of acquisition	60,000	--	--	70,000	--
Fair market value on 1.4.1981	90,000	1,00,000	80,000	1,20,000	--
Sales consideration	4,00,000	3,20,000	3,50,000	8,50,000	2,50,000

कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए श्री मुकेश के कर–योग्य पूँजी लाभों की गणना कीजिए।
Compute taxable capital gains of Mr. Mukesh for the assessment year 2010-11.

हल (Solution)

Computation of Taxable Income from Capital Gain of Mr. Mukesh for the Assessment Year 2010-11

	Trade Goodwill Rs.	Tenancy Rights Rs.	Buildings Rs.	Trade Mark Rs.
Sales consideration	4,00,000	3,20,000	8,50,000	3,50,000
Less: Indexed cost of acquisition	3,79,200	NIL	7,58,400	NIL
Taxable Capigal Gains	20,800	3,20,000	91,600	3,50,000

टिप्पणी –

(i) व्यापारिक ख्याति की निर्देशित लागत ज्ञात करने के लिए 1.4.1981 का बाजार मूल्य नहीं लिया जायेगा बल्कि वास्तविक लागत को लिया जायेगा।

60,000 x 632/100 = 3,79,200 रु.

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(ii) भवन की निर्देशित लागत ज्ञात करने के लिए इसका 1.4.1981 का बाजार मूल्य लिया जायेगा।

1,20,000 x 632/100 = 7,58,400 रु.

(iii) किरायेदारी अधिकार तथा व्यापार की ख्याति के हस्तान्तरण पर हुए पूँजी लाभों की गणना हेतु इनका 1.4.1981 का उचित बाजार मूल्य नहीं लिया गया है।

(iv) स्वअर्जित (Self generated) सम्पत्ति किरायेदारी अधिकार की प्राप्ति लागत शून्य रहेगी चाहे इसको 1.4.1981 से पूर्व क्यों न प्राप्त किया हो।

(v) ख्याति, निर्माण का अधिकार, किरायेदारी अधिकार, करघा घण्टे, ट्रेड मार्क तथा मार्ग का परमिट के हस्तान्तरण पर पूँजी लाभ कर–योग्य होते हैं परन्तु पेशेवर ख्याति तथा पेटेण्ट के हस्तान्तरण पर पूँजी लाभ कर–योग्य नहीं होते हैं यदि यह स्वअर्जित हों।

7. ऋण–पत्रों के अंशों में परिवर्तन पर पूँजी लाभ
(Capital Gain on conversion of debentures into shares)

यदि किसी कम्पनी के ऋणपत्रों या ऋणपत्र स्टॉक या जमा प्रमाण–पत्रों का उस कम्पनी के अंशों में परिवर्तन किया जाता है तो उक्त हस्तान्तरण पूँजी लाभ को उत्पन्न नहीं करता है। परन्तु जब अंशधारी इन अंशों का हस्तान्तरण करेगा तो हस्तान्तरण पर उत्पन्न पूँजी लाभ कर–योग्य होगा। ऐसे अंशों को प्राप्त करने की लागत वही होगी जो मूल ऋण पत्रों की लागत थी। यदि ऋण पत्रों का अंशतः परिवर्तन किया गया था तो जितनी लागत के ऋणपत्रों का अंशों में परिवर्तन हुआ था वही अंशों की लागत होगी।

ध्यान देने योग्य बातें–

(i) यह ज्ञात करने के लिए कि अंश अल्पकालीन पूँजी सम्पत्ति है या दीर्घकालीन, अंश धारण करने की अवधि की गणना अंशों के बंटन की तिथि से की जायेगी न कि ऋण–पत्रों के बंटन की तिथि से।
(ii) अंशों की प्राप्ति लागत को निर्देशित करने के लिए लागत स्फीति सूचकांक उस गत वर्ष का लिया जायेगा जिस गत वर्ष में ऋणपत्रों का अंशों में परिवर्तन किया गया था।

उदाहरण (Illustration) 8.11 :

बी. ने 19 मई, 1990 को ए लि. के 1000 अंशतः परिवर्तनीय ऋणपत्र 130 रु. प्रति ऋणपत्र की दर से खरीदे। निर्गमन की शर्तों के अनुसार ए लि. ने 10 जुलाई, 2008 को प्रत्येक ऋणपत्र के 40% भाग के बदले 10 रु. वाला एक समता अंश निर्गमित किया। बी ने 5 जुलाई, 2009 को 900 समता अंश 297 रु. प्रति अंश की दर से बेच दिये (दलाली 1.5% चुकाई) तथा 700 ऋणपत्र (अपरिवर्तनीय) 190 रु. प्रति ऋणपत्र के हिसाब से (दलाली 1% चुकाई) 16 जून, 2009 को बेच दिये। कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए बी के कर–योग्य पूँजी लाभों की गणना कीजिए।

B gets 1000 partly convedrtible debentures of A Ltd. @ Rs. 130 per debenture on May 19, 1990. As per terms of issue, on July 10, 2009 A Ltd. converts 40% portion of each debenture into equity share of Rs. 10 each. B sells 900 equity shares on July 5, 2009 @ Rs. 297 per share (brokerage paid 1.5%) and 700 debentures (non-convertible portion) @ Rs. 190 per debenture (brokerage paid 1%) on June 16, 2009. Compute the amount of taxable capital gains of B for the assessment year 2010-11.

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

हल (Solution)

Computation of Taxable Income from Capital Gain of Mr. B for the Assessment Year 2010-11

		Rs.	Rs.
Shares (Short-term Asset):		2,67,300	
Sale proceeds of shares (900 x 297)			
Less: Cost of acquisition of shares			
40% of (900x130)	46,800		
Transfer expenses	4,010	50,810	
Short-term Capital Gains		2,16,490	2,16,490
Debentures (Long-term Asset):			
Sale proceeds of debenture (700x190)		1,33,000	
Less: Cost of acquisition			
60% of (700 x 130)	54,600		
Transfer expenses	1,330	55,930	
Long-term Capital Gains		77,070	77,070
Taxable Income from Capital Gains			2,93,560

टिप्पणी

1. परिवर्तित अंशों को निर्गमन के 12 माह के भीतर बेच दिया गया है। ऐसे अंश करदाता के पास 12 माह से कम अवधि के लिए रहने के कारण अल्पकालीन पूँजी सम्पत्ति की श्रेणी में आते हैं और इनके हस्तान्तरण से हुए लाभ अल्पकालीन पूँजी लाभों की श्रेणी में आयेंगे।
2. कम्पनी के ऋण–पत्रों की प्राप्ति की लागत को निर्देशित नहीं किया जाता है चाहे ऐसे ऋण–पत्र दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति की श्रेणी में आते हों।

8. धारा 80CCB में वर्णित यूनिटों के पुनः क्रय पर पूँजी लाभ [धारा 45 (6)] (Capital Gain on re-purchase of units mentioned in section 80 CCB)

धारा 80CCB के अन्तर्गत कटौती वित्तीय वर्ष 1990–91 तथा 1991–92 के दौरान निर्दिष्ट यूनिटों (Specified units) में विनियोजन करने पर कर–निर्धारण वर्ष 1991–92 तथा 1992–93 में प्रत्येक वर्ष विनियोजित राशि या 10,000 रु. जो दोनों में कम हो, की स्वीकृत की जाती थी। यह कटौती केवल व्यष्टि तथा हिन्दू अविभाजित परिवार करदाता को ही स्वीकृत की जाती थी।

यूनिटों को पुनः क्रय करने पर कर–योग्य राशि :

(i) मूल विनियोजित राशि, जिनके सम्बन्ध में धारा 80CCB के अन्तर्गत पूर्व में कटौती स्वीकृत हो चुकी है, अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर–योग्य होगी।

(ii) शेष राशि के सम्बन्ध में दीर्घकालीन पूँजी लाभ की गणना निम्न प्रकार की जावेगी:

[दीर्घकालीन पूँजी लाभ = पुनः क्रय मूल्य–यूनिटों में विनियोजित राशि का निर्देशित (Indexed) मूल्य]

9. कम्पनी के समापन पर अंशधारियों को वितरित सम्पत्तियों पर पूँजी लाभ की गणना (Capital Gain on distribution of assets by company on liquidation) [धारा 46 (1) तथा (2)]

जब कम्पनी के समापन पर अंशधारियों को पूँजी सम्पत्ति का वितरण किया जाता है तो धारा 46 (1) के प्रावधानों के अनुसार यह हस्तान्तरण नहीं माना जाता है तथा पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर उत्पन्न

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

पूँजी लाभ कम्पनी के लिए कर–योग्य नहीं होता है।

जब कम्पनी के अंशधारी को अंशों के बदले नकद धन राशि या अन्य सम्पत्ति मिलती है तो धारा 46(2) के अन्तर्गत कर–योग्य लाभों की गणना निम्न प्रकार की जायेगीः

1. कम्पनी के समापन के परिणामस्वरूप प्राप्त धनराशि व अन्य सम्पत्ति के बाजार मूल्य की गणना कीजिए।
2. कम्पनी द्वारा समापन के अन्तर्गत वितरित की गई सम्पत्तियों को उस राशि तक लाभांश (Dividend) माना जायेगा जिस राशि तक कम्पनी के पास संचित लाभ (Accumulated profits) हैं। कम्पनी ऐसे लाभांश पर निर्धारित दरों से लाभांश कर का भुगतान करेगी।
3. उपर्युक्त 2 में आकलित राशि को उपर्युक्त 1 में आकलित राशि में से घटाने पर शेष बची राशि को हस्तान्तरण से प्राप्त प्रतिफल माना जायेगा।
4. इस प्रतिफल की राशि में से प्राप्ति की लागत/निर्देशित लागत, सुधार की लागत/निर्देशित लागत तथा हस्तान्तरण व्यय को घटाकर पूँजी लाभ की राशि ज्ञात की जावेगी।

उदाहरण (Illustration) 8.12 :

श्री रमेश ने 20 मई, 1985 को X लि. के 5,000 समता अंश, 15 रु. प्रति अंश की दर से खरीदे। X लि. का 15 जुलाई, 2009 को समापन हुआ तथा उस तिथि को कम्पनी का चिट्ठा निम्न प्रकार थाः

Mr. Ramesh purchased 5,000 Equity Shares in X Ltd. on 20th May, 1985 at the rate of Rs. 15 per share. X Ltd. goes into liquidation on 15th July, 2009. The Balance Sheet of the company on the date is as follows:

	Rs.		Rs.
50,000 Equity Shares	15,00,000	20,000 Debentures in	
Accumulated Profit	50,00,000	A Ltd. (Cost Rs. 15 lacs)	23,00,000
Provision for Dividend tax	11,00,000	Cash in hand	53,00,000
	76,00,000		**76,00,000**

उपर्युक्त व्यवहारों का कर प्रभाव ज्ञात कीजिए।

Find out the tax effects of the above transactions.

हल (Solution):

Computation of Capital Gains of Shri Ramesh
for the Assessment Year 2010-11

	Rs.
Full Consideration of Shares	1,50,000
Less: Indexed cost of Acquisition :	
[(5,000 x 15) x 632/133]	3,56,391
Long-term Capital Gain (Loss)	(-) 2,06,391

टिप्पणीः

1. कम्पनी ने समापन पर अपने अंशधारियों को ऋणपत्र (पूँजीगत सम्पत्ति) वितरित किये हैं जो हस्तान्तरण की परिभाषा में नहीं आते हैं। इसलिए कम्पनी के लिए पूँजी लाभ उत्पन्न नहीं होंगे। परन्तु अंशधारी

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

द्वारा ऐसी सम्पत्ति जब बेची जावेगी तो उस सम्पत्ति की प्राप्ति लागत, समापन की तिथि का उचित बाजार मूल्य माना जावेगा।

2. श्री रमेश के पास कम्पनी के 10% समता अंश है इसलिए उन्हें समापन पर निम्नांकित सम्पत्तियां प्राप्त होंगीः

A लि के ऋण–पत्र [20,000 x 10%]	2,30,000
नकद [(53,00,000 - 11,00,000) x 10%]	4,20,000
कुल प्राप्त राशि	6,50,000
Less: धारा 2 (22) (C) के तहत लाभांश, जो कर मुक्त है [50,00,000 x 10%]	5,00,000
अंशों का सम्पूर्ण प्रतिफल	**1,50,000**

10. कम्पनी द्वारा स्वयं के अंशों अथवा अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को क्रय करने पर पूँजी लाभ [धारा 46 A]
(Capital Gains on purchase of its own shares or other specified securities by company)

जब कोई कम्पनी अपने स्वयं के अंशों या निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को क्रय करती है तो अंशधारी या प्रतिभूतियों के धारक को जो राशि चुकाई जाती है वही राशि उन अंशों या प्रतिभूतियों का पूर्ण प्रतिफल मान लिया जाता है। ऐसे अंशधारी या प्रतिभूति के धारक के लिये इनको प्राप्त करने की लागत या निर्देशित लागत (जैसी भी स्थिति हो) को पूर्ण प्रतिफल में से घटाकर पूँजी लाभ की गणना की जाती है। ऐसा पूँजी लाभ उस गत वर्ष का पूँजी लाभ माना जाता है जिस गत वर्ष में कम्पनी ने अंशों या प्रतिभूतियों को क्रय किया है।

11. अधिमान अंशों के समता अंशों में परिवर्तन पर पूँजी लाभ

यद्यपि ऋणपत्रों को समता अंशों में परिवर्तित करने को हस्तान्तरण नहीं माना जाता है परन्तु अधिमान अंशों को समता अंशों में परिवर्तन करने पर हस्तान्तरण माना जाता है तथा अंशधारी के लिये पूँजी लाभ कर योग्य होता है। ऐसी स्थिति में समता अंशों के आवंटन की तिथि को इनका उचित बाजार मूल्य ही हस्तान्तरण का पूर्ण प्रतिफल माना जाता है।

12. सामूहिक विक्रय की दशा में पूँजी लाभों की गणना के लिये विशेष प्रावधान [धारा 50B]
(Special Provisions for computation of capital gains in case of slump sale)

जब कोई व्यक्ति अपने एक या अधिक उपक्रम अथवा विभागों का सामूहिक विक्रय करता है तथा प्रत्येक सम्पत्ति एवं दायित्व का अलग–अलग मूल्य निर्धारित नहीं करता है, तो ऐसे विक्रय से होने वाला लाभ दीर्घकालीन पूँजी लाभ के रूप में कर–योग्य होगा। ऐसे पूँजी लाभ उस गत वर्ष में कर–योग्य होंगे जिस गत वर्ष में हस्तान्तरण सम्पन्न हुआ है। यदि सामूहिक विक्रय किया जाने वाला उपक्रम अथवा विभाग करदाता के स्वामित्व में 36 माह से अधिक अवधि के लिए नहीं रहा हो तो ऐसी स्थिति में दीर्घकालीन पूँजी लाभ के स्थान पर इन्हें अल्पकालीन पूँजी लाभ माना जायेगा।

पूँजी लाभों की गणना करने के लिये उपक्रम अथवा विभाग के शुद्ध मूल्य को करदाता के लिये प्राप्ति की लागत एवं सुधार की लागत माना जायेगा तथा ऐसी लागत को किसी भी दशा में (दीर्घकालीन पूँजी लाभ की दशा में भी) निर्देशित नहीं किया जायेगा।

इस धारा के उद्देश्यों के लिये शुद्ध मूल्य (Net worth) की गणना करने के लिये उस उपक्रम या विभाग की सभी सम्पत्तियों के मूल्यों के योग में से उसके दायित्वों को घटा दिया जाता है। पुनर्मूल्याकन

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

के कारण सम्पत्तियों के मूल्य में होने वाले किसी भी परिवर्तन को ध्यान में नहीं रखा जाता है। ये मूल्य वही होते हैं जिन पर सम्पत्तियों एवं दायित्वों को लेखा बहियों में दिखाया हुआ होता है। विभिन्न सम्पत्तियों को निम्न मूल्यों पर लिया जाता है–

(i) ह्रास योग्य सम्पत्तियों को सम्बन्धित सम्पत्ति समूह (Block of Assets) के अपलिखित मूल्य पर, तथा

(ii) अन्य सम्पत्तियों को उनके पुस्तक मूल्य पर।

13. निक्षेपधारी द्वारा प्रतिभूतियों का हस्तान्तरण [धारा 45(2A)]
(Transfer of Securities by depository)

निक्षेपधारी अधिनियम 1996, 20 सितम्बर, 1995 से लागू किया गया है। इसके अन्तर्गत यदि कोई प्रतिभूतिधारी अपनी प्रतिभूति (अंश, जमा पत्र आदि) को निक्षेपधारी के पास जमा करा देता है तथा इनके विक्रय पर निक्षेपधारी ही प्रतिभूति हस्तान्तरित करते हैं। प्रतिभूति के हस्तान्तरण पर उत्पन्न लाभ निक्षेपधारी की आय नहीं समझी जायेगी बल्कि प्रतिभूति धारक के लिए पूँजी लाभ की गणना की जायेगी। धारा 48 तथा धारा 2 (42A) के प्रयोजनार्थ प्राप्ति की लागत तथा उन प्रतिभूतियों के रखने की अवधि की गणना प्रथम आगम प्रथम निर्गमन (FIFO) विधि के अनुसार की जायेगी।

14. ह्रास–योग्य सम्पत्तियों के सम्बन्ध में पूँजी लाभों की गणना [धारा 50 तथा 50A]
(Computation of Capital Gains in Case of Depreciable Assets)

सम्पत्तियों पर ह्रास की राशि दो प्रकार से ज्ञात की जाती है–

(अ) सम्पत्तियों के खण्ड (Block of Assets) के अपलिखित मूल्यों के आधार पर [धारा 32(1)(ii)]

(ब) सीधी रेखा पद्धति से [धारा 32(1)(i)]

ह्रास योग्य सम्पत्तियों पर पूँजी लाभों की गणना निम्न प्रकार की जाती है :

(अ) यदि ह्रास की छूट धारा 32(1)(ii) के अन्तर्गत सम्पत्तियों के खण्ड के सम्बन्ध में अपलिखित मूल्यों के आधार पर स्वीकृत हुई हो–

यदि किसी पूँजी सम्पत्ति पर धारा 32(1)(ii) के अन्तर्गत ह्रास की छूट सम्पत्तियों के खण्ड (Block of assets) के सम्बन्ध में उनके अपलिखित मूल्य के आधार पर स्वीकृत हुई है, तो उसके हस्तान्तरण पर पूँजी लाभ या पूँजी हानि की गणना करने के लिय धारा 50 के अनुसार निम्नांकित दो परिस्थितियाँ हो सकती हैं:

(1) जब किसी समूह की सभी सम्पत्तियाँ हस्तान्तरित हो गयी हो। इस स्थिति में गत वर्ष में हस्तान्तरित उस समूह की सम्पत्तियों के सम्पूर्ण प्रतिफल में से निम्न राशियाँ घटाई जावेगी–

(i) हस्तान्तरण व्यय जो ऐसे समूह की सम्पत्तियों के हस्तान्तरण पर किये गये हैं,

(ii) गत वर्ष के प्रारम्भ में सम्पत्तियों के समूह का अपलिखित मूल्य; तथा

(iii) गत वर्ष में सम्बन्धित समूह में प्राप्त की गई अन्य सम्पत्तियों की वास्तविक लागत।

यदि गत वर्ष में हस्तान्तरित सम्पत्तियों के हस्तान्तरण के सम्पूर्ण प्रतिफल की राशि उपर्युक्त तीनों राशियों के योग से अधिक है तो वह आधिक्य अल्पकालीन पूँजी लाभ होगा तथा इसके विपरीत होने पर अन्तर की राशि को अल्पकालीन पूँजी हानि माना जायेगा।

(2) जब किसी समूह की सभी सम्पत्तियाँ हस्तान्तरित न हुई हो परन्तु सम्पत्ति समूह का अपलिखित मूल्य शून्य हो गया हो। इस स्थिति में सम्पत्तियों के हस्तान्तरण से प्राप्त शुद्ध विक्रय प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि अल्पकालीन पूँजी लाभ मानी जावेगी। **[धारा 50]**

नोट : शुद्ध विक्रय प्रतिफल = विक्रय प्रतिफल – हस्तान्तरण व्यय।

यदि ह्रास की छूट धारा 32(1)(i) के अन्तर्गत सीधी रेखा पद्धति (straight line method) से ली गई है तथा ऐसी सम्पत्ति को गत वर्ष में बेच दिया गया है, त्याग दिया गया है, गिरा दिया गया है या नष्ट कर दिया गया है तथा ऐसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में देय राशि तथा अवशिष्ट मूल्य का योग, यदि उसकी

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

वास्तविक लागत से भी अधिक है, तो ऐसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में पूँजी लाभों की गणना भी करनी होगी। ये पूँजी लाभ अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन हो सकते हैं तथा इनकी गणना भी तदनुसार ही की जायेगी। इस सम्बन्ध में धारा 48 तथा 49 की व्यवस्थाएं लागू होंगी, किन्तु इस सम्बन्ध में उस सम्पत्ति के अपलिखित मूल्य में संतुलित प्रभार को जोड़ने पर प्राप्त राशि को प्राप्त करने की लागत माना जायेगा जो सामान्यतया सम्पत्ति की वास्तविक लागत के बराबर होती है। **[धारा 50]**

स्पष्टीकरण : धारा 32(1)(i) के अन्तर्गत ह्रास की छूट का विकल्प भारत में शक्ति का उत्पादन करने वाले उपक्रम अथवा शक्ति का उत्पादन एवं वितरण करने वाले उपक्रमों को ही उपलब्ध है।

15. स्टॉक एक्सचैंज के कम्पनीकरण अथवा पृथक्कीकरण पर प्राप्त अंशों एवं कार्य करने के अधिकार के हस्तान्तरण पर पूँजी लाभ–यदि किसी स्टॉक एक्सचैंच को कम्पनी में परिवर्तित किया जाता है तथा पुराने एक्सचैंज के सदस्यों को नये एक्सचैंज के समता अंश एवं उसमें कार्य करने का अधिकार आवंटित किया जाता है तो ऐसे अंशों एवं कार्य करने के अधिकार के हस्तान्तरण पर पूँजी लाभ सम्बन्धी प्रावधान निम्न प्रकार लागू होंगे–

1. पूँजी सम्पत्ति की प्राप्ति की लागत–

अ. **अंशों की दशा में –** पुराने स्टॉक एक्सचैंज में सदस्यता टिकट प्राप्त करने की लागत

ब. **कार्य करने के अधिकार की दशा में** – शून्य

2. सम्पत्ति को धारण करने की अवधि–

दोनों सम्पत्तियों के लिए–पुराने स्टॉक एक्सचैंज की सदस्यता प्राप्त करने की तिथि से

3. लागत निर्देशित करने के लिये निर्देशांक का प्रयोग–

जिस वर्ष करदाता को नये स्टॉक एक्सचैंज के अंश प्राप्त हुये हैं।

16.कर्मचारी द्वारा स्टॉक विकल्प या स्वेट (Sweat) इक्विटी के अन्तर्गत प्राप्त अंशों/प्रतिभूतियों के हस्तान्तरण से पूँजी लाभ [धारा 49 (2AA)]
(Capital gain on transfer of Stock option or Sweat equity)

जब कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंश प्रतिभूति प्रदान की जाती है तो उस अंश/प्रतिभूति के बाजार मूल्य और उनकी मूल लागत के बीच का अन्तर कर–निर्धारण वर्ष 2000–01 तक विशिष्ट कर्मचारियों के लिए धारा 17(2) (iii) के अन्तर्गत तथा कर निर्धारण वर्ष 2010–11 से धारा 17 (2) (vi) के अन्तर्गत कर–योग्य है। परन्तु कर–निर्धारण वर्ष 2001–02 से 2009–10 तक ऐसा अनुलाभ सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त माना गया है अर्थात् इन वर्षों में ऐसे अनुलाभ की कर–योग्य राशि धारा 17 (2) के अन्तर्गत शून्य मानी जाती है।

ऐसे अंश/प्रतिभूति के हस्तान्तरण से उत्पन्न पूँजी लाभ की गणना हेतु उनकी प्राप्त करने की लागत वह मूल्य माना जावेगा जो धारा 17 (2) के अन्तर्गत अनुलाभों के मूल्यांकन के लिए माना गया है।

कर–मुक्त पूँजी लाभ
(Capital gains exempted from Tax)

कुछ सम्पत्तियों को धारा 2 (14) के पूँजी लाभ के लिये पूँजी सम्पत्ति नहीं माना गया है, अतः उनके हस्तान्तरण पर पूँजी लाभ उत्पन्न नहीं होता। इसी प्रकार कुछ व्यवहारों को धारा 47 के अन्तर्गत हस्तान्तरण नहीं माना गया है तथा उन व्यवहारों से भी पूँजी लाभ उत्पन्न नहीं होता।

इस शीर्षक के अन्तर्गत हम उन परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे जिनमें किसी पूँजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण होता है तथा पूँजी लाभ उदय होता है, परन्तु अधिनियम में उनको कर–मुक्त करने का प्रावधान किया गया है। ऐसे पूँजी लाभ निम्न दो प्रकार के होते हैं–

(A) बिना शर्त कर–मुक्त पूँजी लाभ।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(B) विनियोग करने के आधार पर कर–मुक्त पूँजी लाभ।

(A) बिना शर्त कर–मुक्त पूँजी लाभ–इस श्रेणी में वे पूँजी लाभ आते हैं जिनको कर मुक्त कराने के लिये विक्रय प्रतिफल अथवा पूँजी लाभ के किसी भाग का विनियोग करना आवश्यक नहीं होता। ये स्वतः ही धारा 10 की विभिन्न उपधाराओं के तहत कर–मुक्त होते हैं। ऐसे कर–मुक्त पूँजी लाभों का विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार है–

(i) यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया की यूनिट स्कीम 1964 की यूनिट्स के हस्तान्तरण पर होने वाला पूँजी लाभ [धारा 10 (33)]–1 अप्रैल, 2002 को अथवा इसके बाद यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया की यूनिट स्कीम 1964 (U.S. 64) की यूनिट के हस्तान्तरण से होने वाली आय अर्थात् पूँजी लाभ कर–मुक्त होगा।

इस आशय के लिए आय में हानि भी शामिल है। अतः किसी करदाता को आय के स्थान पर ऐसे व्यवहार से हानि होती है तो करदाता न तो उसकी पूर्ति अन्य आय से कर सकेगा तथा न ही ऐसी हानि को पूर्ति करने के उद्देश्य से आगे ले जा सकेगा।

(ii) शहरी कृषि भूमि के हस्तान्तरण से उत्पन्न पूँजी लाभ [धारा 10 (37)]–व्यष्टि अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार को शहरी कृषि भूमि के हस्तान्तरण से होने वाला पूँजी लाभ, चाहे अल्पकालीन हो अथवा दीर्घकालीन, कर मुक्त होगा बशर्ते निम्न शर्तें पूरी होती हों–

क. यह भूमि धारा 2 (14) के अनुसार शहरी क्षेत्र में स्थित होनी चाहिए।

ख. हस्तान्तरण की तिथि से तुरन्त पूर्व के दो वर्षों की अवधि के दौरान इस भूमि का प्रयोग व्यष्टि करदाता अथवा उसके माता–पिता अथवा किसी हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा कृषि कार्यों के लिए किया गया हो।

ग. ऐसा हस्तान्तरण या तो किसी कानून के अन्तर्गत अनिवार्य अधिग्रहण के रूप में हुआ हो अथवा ऐसे हस्तान्तरण का प्रतिफल केन्द्र सरकार अथवा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित किया गया हो अथवा अनुमोदित कर दिया गया हो।

घ. करदाता को ऐसे हस्तान्तरण के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति अथवा प्रतिफल 31 मार्च, 2004 के बाद प्राप्त हुआ हो।

स्पष्टीकरण–इस उप–धारा के उद्देश्यों के लिये क्षतिपूर्ति अथवा प्रतिफल में किसी न्यायालय, ट्रिब्यूनल अथवा अन्य किसी सत्ता द्वारा बढ़ाई गई अथवा पुनः बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति अथवा प्रतिफल भी शामिल है।

(iii) कुछ दशाओं में समता अंशों अथवा समता उन्नमुखी कोष (Equity Oriented Fund) की इकाइयों के हस्तान्तरण से होने वाले दीर्घकालीन पूँजी लाभ का कर–मुक्त होना [धारा 10 (38)]–समता अंशों अथवा समता उन्नमुखी कोष की इकाइयों के हस्तान्तरण से होने वाला दीर्घकालीन पूँजी लाभ कर–मुक्त होगा बशर्ते निम्न शर्तें पूरी होती हों–

अ. ऐसे विक्रय अथवा हस्तान्तरण पर प्रतिभूति लेनदेन कर (Securities Transaction tax or STT)लगता है।

ब. ऐसे समता अंशों का विक्रय प्रमाणित स्कन्ध विनिमय के माध्यम से किया गया है अथवा समता उन्नमुखी कोष की इकाइयों का विक्रय या तो प्रमाणित स्कन्ध विनिमय के माध्यम से किया गया है अथवा किसी पारस्परिक कोष (mutual fund) को किया गया है।

स्पष्टीकरण–

1. इस उप–धारा के उद्देश्यों के लिये समता उन्नमुखी कोष (Equity Oriented Fund) से आशय ऐसे कोष से है जो निम्नांकित शर्तों की पूर्ति करता हो–

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(i) निवेश योग्य कोषों का विनियोजन घरेलू कम्पनियों के समता अंशों में किया गया हो तथा ऐसा विनियोजन कोष की कुल प्राप्तियों के 65% से अधिक राशि का होना चाहिए।

(ii) ऐसे कोष की स्थापना धारा 10 (23D) में वर्णित पारस्परिक कोष (Mutual Fund) की किसी योजना के अन्तर्गत की गई हो।

2. यदि ऐसे समता अंशों अथवा इकाइयों का विक्रय भारत में प्रमाणित स्कन्ध विनिमय के माध्यम से नहीं किया जाता है अथवा इकाइयों का विक्रय पारस्परिक कोष को नहीं किया जाता है परन्तु अन्य प्रकार से प्रमाणित स्कन्ध विनिमय से बाहर किया जाता है तो इन अंशों अथवा इकाइयों के विक्रय से होने वाला दीर्घकालीन पूँजी लाभ धारा 10 (38) के तहत कर मुक्त नहीं होगा।

(B) विनियोग करने के आधार पर कर–मुक्त पूँजी लाभ–इस श्रेणी में वे पूँजी लाभ आते हैं जिनको कर–मुक्त कराने के लिये विक्रय प्रतिफल अथवा पूँजी लाभ को निर्दिष्ट तरीके से निर्दिष्ट सीमा तक विनियोग करना आवश्यक है। यदि कोई विनियोग नहीं किया जाये तो ये पूर्णतः कर–योग्य होंगे। यदि विनियोग आंशिक रूप से ही किया जाये तो ये आंशिक रूप से ही कर मुक्त होंगे। इनका उल्लेख धारा 54 से धारा 54GA तक में किया गया है।

यदि किसी पूँजी लाभ के सम्बन्ध में एक से अधिक छूटें दी जा सकती हैं तो वे सभी छूटें दी जायेंगी परन्तु विनियोजित राशि से अधिक राशि की छूट नहीं दी जा सकती है।

1. आवासीय मकान सम्पत्ति के हस्तान्तरण से उत्पन्न पूँजी लाभ [धारा 54]
(Capital Gains on transfer of Residential House Property)

आवासीय मकान तथा उससे लगी हुई भूमि के हस्तान्तरण से एक व्यष्टि तथा हिन्दू अविभाजित परिवार को कोई पूँजी लाभ होता है तो ऐसा लाभ धारा 54 में निम्न शर्तों की पूर्ति होने पर कर–मुक्त होगा–

(i) ऐसे मकान की आय 'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक में कर–योग्य हो;

(ii) मकान सम्पत्ति चाहे करदाता के स्वयं के रहने के लिए हो अथवा किराये पर दी गई हो, दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति होनी चाहिए;

(iii) करदाता ने ऐसे मकान को हस्तान्तरित करने से एक वर्ष पहले की अवधि में अथवा 2 वर्ष बाद की अवधि में कोई आवासीय मकान खरीद लिया गया हो अथवा हस्तान्तरण के बाद 3 वर्ष की अवधि में कोई एक आवासीय मकान बनवा लिया गया हो। (आवासीय मकान का निर्माण कार्य हस्तान्तरण से पूर्व भी शुरू किया जा सकता है) नये मकान की लागत में भूमि की लागत व निर्माण लागत दोनों ही शामिल होते हैं।

पूँजी लाभ की कर–मुक्त राशि–यदि नये आवासीय मकान की लागत ऐसे पूँजी लाभों के बराबर या अधिक है तो सम्पूर्ण पूँजी लाभ कर–मुक्त होंगे। परन्तु नये आवासीय मकान की लागत यदि ऐसे पूँजी लाभों से कम हो तो नये मकान की लागत के बराबर पूँजी लाभ कर मुक्त होंगे।

नई सम्पत्ति का हस्तान्तरण–नया आवासीय मकान, जिसको खरीदने या निर्माण करवाने पर उक्त कर–मुक्ति मिली है, को खरीदने या निर्माण की तिथि से 3 वर्ष की अवधि तक हस्तान्तरित नहीं किया जाना चाहिए। यदि नया आवासीय मकान खरीदने या बनवाने की तिथि से 3 वर्ष के भीतर हस्तान्तरित कर दिया जाता है तो पूर्व में दी गई कर से छूट रद्द कर दी जायेगी और नये आवासीय मकान से होने वाले पूंजी लाभों में पूर्व में स्वीकृत छूट की राशि को जोड़ दिया जायेगा। यदि नये आवासीय मकान के हस्तान्तरण से पूँजी हानि हो तो वह हानि पुराने मकान के कर–मुक्त पूँजी लाभ में से घटा दी जायेगी एवं शेष बची हुई राशि उस वर्ष का अल्पकालीन पूँजी लाभ होगा जिस गत वर्ष में नये आवासीय मकान का हस्तान्तरण हुआ है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

धारा 54 (2) के अन्तर्गत छूट के सम्बन्ध में नई जमा योजना–यदि करदाता द्वारा पूँजी लाभ की राशि या उसके किसी भाग का प्रयोग आय की विवरणी दाखिल करने से पूर्व नये आवासीय मकान को खरीदने या निर्माण करने में नहीं किया गया हो तो करदाता ऐसी राशि को आय की विवरणी दाखिल करने की निश्चित तिथि से पूर्व पूँजी लाभ खाता योजना 1988 के अन्तर्गत किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में जमा करा देता है तो धारा 54 के अन्तर्गत नये आवासीय मकान के क्रय के लिए प्रयोग की गई राशि समझते हुए कर–मुक्ति प्रदान की जायेगी। इस जमा राशि का प्रयोग निर्धारित अवधि के भीतर नया आवासीय मकान प्राप्त करने में किया जाना आवश्यक होगा। यदि करदाता इस राशि का उपयोग निर्धारित अवधि के भीतर नये आवासीय मकान को क्रय करने या निर्माण के लिए नहीं करता है तो इस प्रकार प्रयोग नहीं की गई राशि को उस गत वर्ष का दीर्घकालीन पूँजी लाभ समझा जायेगा जिस गत वर्ष में मूल सम्पत्ति के हस्तान्तरण की तिथि से 3 वर्षों की अवधि समाप्त होती है।
नोट–यदि निर्धारित अवधि से पूर्व करदाता की मृत्यु हो जाती है तो उपयोग न की गई राशि न तो मृतक की आय होगी और न ही उत्तराधिकारी की आय मानी जायेगी।

उदाहरण (Illustration) 8.13 :

श्री अनिल ने 1 नवम्बर, 2009 को अपने रहने का मकान जो इन्होंने फरवरी, 1988 में 1,70,000 रु. की लागत से बनवाया था, 8,20,000 रु. में बेच दिया और 1 जनवरी, 2010 को दूसरा मकान 1,00,000 रु. में स्वयं के रहने के लिए खरीद लिया। उसके कर–योग्य पूँजी लाभ की गणना कीजिए। वर्ष 1987–88 का लागत स्फीति सूचकांक 150 तथा 2009–10 का 632 है।

Shri Anil sold his residential house, which he got constructed in February, 1988 at a cost of Rs. 1,70,000, for Rs. 8,20,000 on 1st November, 2009 and purchased another house for residence on 1st January, 2010 for Rs. 1,00,000. Compute his taxable Capital gains. The cost inflation index for the year 1987-88 is 150 and for the year 2009-10 is 632.

हल (Solution)

Computation of Taxable Capital gains of Shri Anil for the Assessment Year 2010-11

	Rs.
Long-term Capital gains:	
Sales consideration of house property	8,20,000
Less: Indexed cost of acquisition (1,70,000 x 632/150)	7,16,267
Long-term Capital Gains	1,03,733
Less: Exemption u/s 54 (for purchase of another house property)	1,00,000
Taxable Capital gain (Long-term)	**3,733**

2. शहरी कृषि भूमि के हस्तान्तरण से पूँजी लाभ [धारा 54B]
(Capital gains on transfer of Urban Agricultural Land)

धारा 2 (14) के अनुसार, भारत में स्थित कृषि भूमि को पूँजी सम्पत्ति की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है, किन्तु शहरी क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि को पूँजी सम्पत्ति माना गया है। ऐसी कृषि भूमि के हस्तान्तरण से उदय होने वाला पूँजी लाभ निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने पर कर–मुक्त होगा–

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

1. कृषि भूमि का स्वामी एक व्यष्टि हो;
2. हस्तान्तरण की तिथि से तुरन्त पूर्व कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए उस कृषि भूमि का उपयोग करदाता के स्वयं के द्वारा अथवा उसके माता–पिता के द्वारा कृषि उद्देश्यों के लिए किया गया हो; तथा
3. उस कृषि भूमि के हस्तान्तरण की तिथि के बाद 2 वर्ष के भीतर अन्य कोई भूमि कृषि कार्य में प्रयोग के लिए क्रय कर ली गई हो।

पूँजी लाभ की कर–मुक्त राशि–यदि नई कृषि भूमि की लागत पूँजी लाभ के बराबर या अधिक है तो सम्पूर्ण पूँजी लाभ कर–मुक्त होगा। यदि नई कृषि भूमि की लागत पूँजी लाभ से कम है तो नई भूमि की लागत के बराबर का पूँजी लाभ कर–मुक्त होगा।

नई कृषि भूमि का हस्तान्तरण–नई कृषि भूमि जिसको खरीदने के कारण उक्त कर–मुक्ति प्राप्त हुई है, प्राप्त करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि तक हस्तान्तरित नहीं की जानी चाहिए। यदि करदाता उसे 3 वर्ष के भीतर हस्तान्तरित कर देता है तो पूर्व में दी गई कर से छूट रद्द कर दी जायेगी और नई कृषि भूमि के हस्तान्तरण से होने वाले पूँजी लाभ में पूर्व में प्राप्त छूट की राशि को भी जोड़ दिया जायेगा।

धारा 54B के अन्तर्गत छूट के सम्बन्ध में धारा 54B (2) की नई योजना–यदि करदाता द्वारा पूँजी लाभ की राशि या उसके किसी भाग का प्रयोग आय की विवरणी दाखिल करने से पूर्व नई कृषि भूमि को खरीदने में नहीं किया गया हो तो करदाता ऐसी राशि को आय की विवरणी दाखिल करने की निश्चित तिथि से पूर्व 'पूँजी लाभ खाता योजना 1988' के अन्तर्गत किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में जमा करा देता है तो धारा 54B के अन्तर्गत नई कृषि भूमि के क्रय करने में प्रयोग की गई राशि मानते हुए कर–मुक्ति प्रदान की जायेगी। इस जमा की गई राशि का प्रयोग पुरानी कृषि भूमि के हस्तान्तरण की तिथि से 2 वर्ष के भीतर नई कृषि भूमि खरीदने में करना आवश्यक होगा। ऐसा नहीं होने पर जितनी राशि का उपयोग वह नहीं कर सका, उतनी राशि उस गत वर्ष का कर–योग्य पूँजी लाभ मान ली जायेगी जिस गत वर्ष में मूल कृषि भूमि के हस्तान्तरण की तिथि से 2 वर्ष की अवधि समाप्त हुई है।

3. औद्योगिक उद्यम की भूमि व भवन के अनिवार्य अधिग्रहण पर पूँजी लाभ [धारा 54D] (Capital Gains on Compulsory Acquisition of Industrial Land and Building)

सरकार द्वारा करदाता के किसी औद्योगिक उद्यम की ऐसी भूमि तथा भवन को अनिवार्यता लिये जाने से करदाता को यदि कोई पूँजी लाभ होता है तो वह निम्न शर्तों के अधीन कर–मुक्त होगा–

(i) भूमि तथा भवन का औद्योगिक उद्यम में प्रयोग होना चाहिए;
(ii) यह भूमि तथा भवन हस्तान्तरण की तिथि से पूर्व कम–से–कम 2 वर्ष की अवधि में करदाता के औद्योगिक उद्यम में प्रयोग हो रही हो; तथा
(iii) हस्तान्तरण की तिथि के बाद 3 वर्ष के अन्दर उक्त औद्योगिक उद्यम को नये स्थान पर ले जाने अथवा पुनः स्थापित करने के लिए अथवा नया औद्योगिक उद्यम स्थापित करने के लिए करदाता नयी भूमि अथवा भवन खरीद ले अथवा भवन बनवा ले।

पूँजी लाभ की कर–मुक्त राशि–यदि नई भूमि व भवन की लागत पूँजी लाभ के बराबर या अधिक है तो सम्पूर्ण पूँजी लाभ कर–मुक्त होगा। यदि नई सम्पत्ति की लागत पूँजी लाभ से कम है तो नई सम्पत्ति की लागत तक पूँजी लाभ कर–मुक्त होगा।

नई सम्पत्ति का हस्तान्तरण–औद्योगिक उपक्रम की स्थापना हेतु निर्धारित अवधि में खरीदी गई भूमि व भवन को खरीदने की तिथि से तीन वर्ष तक किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं किया जाना

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

चाहिए। यदि करदाता इस शर्त की अवहेलना करता है तो नई सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर होने वाला पूँजी लाभ तथा पूर्व में प्राप्त कर–मुक्ति की राशि उस गत वर्ष का अल्पकालीन कर–योग्य पूँजी लाभ होगा जिस गत वर्ष में करदाता ने नई सम्पत्ति का हस्तान्तरण किया है।

धारा 54D के अन्तर्गत छूट के सम्बन्ध में धारा 54D (2) की नई जमा योजना–

यदि करदाता द्वारा अपनी आय का विवरण दाखिल करने की देय तिथि तक पूँजी लाभ की राशि नयी भूमि व भवन क्रय करने अथवा बनवाने में प्रयोग नहीं हो सके तो वह आय का विवरण दाखिल करने की देय तिथि तक यह राशि **'पूँजी लाभ खाता योजना 1988'** (Capital Gains Account Scheme, 1988) के अन्तर्गत जमा कर सकता है। पुनः विनियोग की गयी राशि तथा इस योजना में जमा की गयी राशि का योग कर–मुक्त होगा।

इस जमा योजना में जमा कराई गई राशि का निर्धारित अवधि में नई सम्पत्ति के क्रय अथवा निर्माण के लिए प्रयोग किया जाना आवश्यक है। यदि करदाता निर्धारित अवधि में इस राशि का उक्त प्रयोग नहीं कर सका तो जिस गत वर्ष में मूल सम्पत्ति के हस्तान्तरण की तिथि से 3 वर्ष की अवधि समाप्त होती है उस गत वर्ष में यह राशि अल्पकालीन या दीर्घकालीन पूँजी लाभ (मूल सम्पत्ति के आधार पर) के रूप में कर–योग्य होगी।

4. कुछ बाण्ड्स में किये गये विनियोग के सम्बन्ध में दीर्घकालीन पूँजी लाभ पर छूट [धारा 54EC]

(Long-term Capital Gains not be charged on Investment in Certain Bonds)

इस धारा के अन्तर्गत कर–मुक्ति हेतु निम्न शर्तों की पूर्ति करना आवश्यक है :

1. करदाता (चाहे व्यष्टि, फर्म, कम्पनी या अन्य कोई व्यक्ति हो) ने दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति का गत वर्ष में हस्तान्तरण किया हो।

2. हस्तान्तरण से उत्पन्न पूँजी लाभ की राशि का विनियोग करदाता ने पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण की तिथि से 6 माह के भीतर निर्दिष्ट (Specified) दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति में किया हो।

3. निर्दिष्ट या निर्धारित दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति का अर्थ– ऐसे बॉण्ड से है जो निम्नांकित संस्थाओं द्वारा निर्गमित किये गये हों तथा जिनका शोधन निर्गमन करने के तीन वर्ष बाद होना हो–

   (i) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highway Authority of India)

   (ii) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि. (Rural Electrification Corporation Ltd.)

4. **पूँजी लाभ की कर–मुक्त राशि –** यदि निर्दिष्ट पूँजी सम्पत्तियों का मूल्य पूँजी लाभ से कम नहीं है तो सम्पूर्ण पूँजी लाभ कर–मुक्त होगा। परन्तु निर्दिष्ट सम्पत्ति का मूल्य पूँजी लाभ से कम है तो छूट की राशि निर्दिष्ट सम्पत्ति के मूल्य तक ही सीमित होगी। अर्थात् छूट की राशि पूँजी लाभ या निर्दिष्ट सम्पत्ति में विनियोग की गई राशि, दोनों में जो भी कम है, के बराबर होगी।

5. इन निर्दिष्ट सम्पत्तियों का प्राप्त करने की तिथि से 3 वर्ष बाद तक हस्तान्तरण नहीं किया जाना चाहिए, न ही इनकी प्रतिभूति पर कोई ऋण या अग्रिम प्राप्त किया जाना चाहिए और न ही इन्हें मुद्रा में परिवर्तित किया जाना चाहिए। यदि करदाता इन निर्दिष्ट प्रतिभूतियों का 3 वर्ष के भीतर हस्तान्तरण कर देता है या इनकी प्रतिभूति पर कोई ऋण या अग्रिम प्राप्त कर लेता है या मुद्रा में परिवर्तित कर लेता है तो जिस गत वर्ष में उसने ऐसा किया है उस गत वर्ष में उपर्युक्त प्राप्त छूट की राशि को कर–योग्य दीर्घकालीन पूँजी लाभ समझा जायेगा।

6. यदि निर्दिष्ट सम्पत्तियों (बॉण्डों) के लिए धारा 54EC के अन्तर्गत छूट प्राप्त हो जाती है तो इन

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

विनियोगों पर धारा 80C में सकल कुल आय में से कटौती प्राप्त नहीं होगी।

5. आवासीय मकान सम्पत्ति को छोड़कर अन्य दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर पूँजी लाभों का कर–मुक्त होना [धारा 54F]

(Exemption of Capital Gains on transfer of a long-term Capital asset other than a residential house property)

यदि एक व्यष्टि या हिन्दू अविभाजित परिवार को आवासीय मकान के अतिरिक्त अन्य किसी भी दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण से पूँजी लाभ हुए हैं तो ऐसे पूँजी लाभ निम्न शर्तों के अधीन कर–मुक्त होंगे–

1. करदाता दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति (आवासीय मकान सम्पत्ति के अतिरिक्त) का हस्तान्तरण करता है।
2. करदाता ने ऐसे हस्तान्तरण की तिथि से तुरन्त पूर्व के एक वर्ष की अवधि में अथवा तुरन्त बाद के 2 वर्ष की अवधि में कोई आवासीय मकान खरीद लिया है अथवा हस्तान्तरण की तिथि से तुरन्त पश्चात् 3 वर्षों की अवधि में किसी आवासीय मकान का निर्माण करवा लिया है।
3. नये आवासीय मकान को क्रय करने या बनवाने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि में हस्तान्तरित नहीं किया जाना चाहिए। यदि करदाता इस शर्त का उल्लंघन करता है तो ऐसी दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति के लाभों को उस गत वर्ष में कर–योग्य दीर्घकालीन पूँजी लाभ माना जायेगा जिस गत वर्ष में इस शर्त का उल्लंघन हुआ है।
4. करदाता मूल सम्पत्ति के हस्तान्तरण की तिथि को एक से अधिक आवासीय मकान सम्पत्ति (जिसमें नई सम्पत्ति शामिल नहीं है) का स्वामी नहीं होना चाहिए। उसे इस तिथि के पश्चात् दो वर्ष की अवधि में (नई मकान सम्पत्ति के अतिरिक्त) किसी अन्य आवासीय मकान को क्रय नहीं करना चाहिए अथवा इस तिथि के पश्चात् तीन वर्ष की अवधि में अन्य किसी आवासीय मकान का निर्माण कार्य समाप्त नहीं करना चाहिए।

कर–मुक्त पूँजी लाभ की राशि– यदि उपर्युक्त शर्तें पूरी हो जाती हैं तो दीर्घकालीन पूँजी लाभ में से छूट निम्नानुसार दी जायेगी–

(i) यदि नई आवासीय मकान सम्पत्ति की लागत हस्तान्तरित की गई पूँजी सम्पत्ति के शुद्ध प्रतिफल से कम नहीं है तो हस्तान्तरण से हुए सम्पूर्ण पूँजी लाभ की राशि कर–मुक्त होगी।

(ii) यदि नई आवासीय मकान सम्पत्ति की लागत हस्तान्तरित की गई पूँजी सम्पत्ति के शुद्ध प्रतिफल से कम है तो पूँजी लाभ आनुपातिक रूप से कर–मुक्त होंगे।

$$\text{कर–मुक्त पूँजी लाभ} = \frac{\text{नई आवासीय मकान सम्पत्ति की लागत}}{\text{दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण का शुद्ध प्रतिफल}} \times \text{दीर्घकालीन पूँजी लाभ}$$

स्पष्टीकरण :

(i) शुद्ध प्रतिफल का अर्थ– हस्तान्तरण के सम्बन्ध में देय सम्पूर्ण प्रतिफल में से हस्तान्तरण के सम्बन्ध में किये गये व्यय घटाने पर शेष बची राशि शुद्ध प्रतिफल कहलाती है।

(ii) नये आवासीय मकान की आय 'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक में कर योग्य होनी चाहिए।

(iii) नई सम्पत्ति की लागत में भूमि की लागत भी सम्मिलित होती है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

धारा 54F के अन्तर्गत छूट के सम्बन्ध में धारा 54F (4) की नई जमा योजना :

यदि करदाता धारा 54F के अन्तर्गत कर–मुक्ति का लाभ प्राप्त करने के लिए हस्तान्तरण के शुद्ध प्रतिफल की रकम का निर्धारित विधि के अनुसार उपयोग आय की विवरणी को पेश करने की निर्धारित तिथि से पूर्व नहीं कर सका है तो उसे इस प्रकार से उपयोग में न ली गई रकम को इस तिथि तक एक विशिष्ट खाते में, जो Capital Gains Accounts Scheme, 1988 के अन्तर्गत खोला गया हो, जमा करा देना चाहिए।

करदाता ने इस विशिष्ट खाते में जो रकम जमा कराई है उसका उपयोग नया मकान खरीदने या बनवाने के लिए निर्धारित अवधि में करना होगा। यदि ऐसी सम्पूर्ण रकम का उपयोग निर्धारित अवधि में नहीं किया गया है, तो करदाता को जितनी कर–मुक्ति इस जमा राशि के कारण मिल चुकी है उतनी राशि को कर–योग्य पूँजी लाभ मान लिया जायेगा। परन्तु आंशिक राशि का उपयोग यदि निर्धारित अवधि तक न किया जा सके तो [(पूँजी लाभ x अप्रयुक्त राशि) / शुद्ध विक्रय प्रतिफल)] के बराबर राशि कर–योग्य पूँजी लाभ मान लिये जायेंगे। वह पूँजी लाभ उस गत वर्ष की आय होगी जिस गत वर्ष में मूल सम्पत्ति के हस्तान्तरण की तिथि से तीन वर्षों की अवधि समाप्त हुई है। ऐसा होने पर करदाता उस खाते में से वह रकम वापस निकाल सकता है जिसका उपयोग वह नहीं कर सका है तथा जिसके कारण कर–मुक्त पूँजी लाभों को वापस कर–योग्य मान लिया गया है।

6. शहरी क्षेत्र से औद्योगिक उपक्रम को हटाये जाने पर सम्पत्तियों के हस्तान्तरण पर उत्पन्न हुए पूँजी लाभ की छूट [धारा 54G]

(Exemption of Capital Gains arising on transfer of assets in case of Shifting of Industrial undertaking from urban area)

यह कर–मुक्ति किसी शहरी क्षेत्र में स्थित औद्योगिक उपक्रम के लिए उपयोग में आने वाले मशीन, प्लाण्ट, भवन या भूमि अथवा भवन या भूमि में अधिकारों के हस्तान्तरण से उदय होने वाले पूँजी लाभों के सम्बन्ध में उपलब्ध है तथा निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति होने पर प्राप्त होती है–

1. वह पूँजी सम्पत्ति (मशीन, प्लाण्ट, भवन तथा भूमि) शहरी क्षेत्र में स्थित किसी औद्योगिक उपक्रम के लिए उपयोग में लाई गई हो। शहरी क्षेत्र का आशय किसी नगरपालिका क्षेत्र से है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस धारा के उद्देश्य के लिए शहरी क्षेत्र घोषित कर दिया गया है।
2. पूँजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण उस औद्योगिक उपक्रम को शहरी क्षेत्र से हटाकर किसी अन्य क्षेत्र में (जो शहरी क्षेत्र न हो) ले जाने के दौरान या उसके परिणामस्वरूप हुआ हो।
3. करदाता ने उस पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण की तिथि से तुरन्त पूर्व के एक वर्ष के भीतर अथवा तुरन्त बाद के तीन वर्षों के भीतर उस पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण से उदय होने वाले पूँजी लाभों का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए कर लिया हो–

   (a) उस औद्योगिक उपक्रम को जिस क्षेत्र में ले जाया गया है उस क्षेत्र में औद्योगिक उपक्रम के लिए नई मशीन या प्लाण्ट क्रय करने के लिए; या

   (b) उस क्षेत्र में अपने व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए भवन या भूमि प्राप्त करने के लिए या भवन बनवाने के लिए; या

   (c) उस क्षेत्र में मूल सम्पत्तियों को हस्तान्तरित करने के लिए हस्तान्तरण व्यय तथा औद्योगिक उपक्रम के कार्यालय आदि को उस क्षेत्र में हस्तान्तरित करने के लिए व्यय (हस्तान्तरण व्यय); या

   (d) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस धारा के उद्देश्यों के लिए बनाई गई किसी योजना के अन्तर्गत निर्दिष्ट किये गये उद्देश्य हेतु व्यय करने के लिए।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

कर–मुक्त पूँजी लाभ– यदि करदाता ने पूँजी लाभ की सम्पूर्ण राशि का उपयोग उपर्युक्त 3 के अनुसार कर लिया है तो सम्पूर्ण पूँजी लाभ कर–मुक्त होगा। यदि उपर्युक्त (3) के अनुसार उपयोग की गई राशि पूँजी लाभ से कम है तो नई सम्पत्ति की लागत व पूँजी लाभ का अन्तर उस गत वर्ष की कर–योग्य आय होगी।

धारा 54G के सम्बन्ध में कुछ महत्त्वपूर्ण बातें :

1. इस धारा की कर–मुक्ति अल्पकालीन पूँजी लाभों के सम्बन्ध में भी उपलब्ध होती है।
2. कर–मुक्ति भूमि, भवन, प्लाण्ट और मशीनरी के हस्तान्तरण से होने वाले पूँजी लाभ के सम्बन्ध में ही स्वीकृत की जाती है, फर्नीचर के हस्तान्तरण से उत्पन्न लाभों में से नहीं।
3. फर्नीचर के क्रय करने पर यह छूट स्वीकृत नहीं की जाती है वरन् भवन, भूमि, प्लाण्ट एवं मशीनरी क्रय करने पर यह छूट स्वीकृत की जाती है।

नई सम्पत्ति का हस्तान्तरण– नयी सम्पत्ति क्रय करने या निर्माण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि में हस्तान्तरित नहीं की जानी चाहिए। यदि करदाता इस नई सम्पत्ति का हस्तान्तरण 3 वर्ष की अवधि के भीतर कर देता है तो उसके हस्तान्तरण पर होने वाले पूँजी लाभ की गणना करने के लिए 'प्राप्त करने की लागत' वह राशि होगी जो उसकी वास्तविक लागत में से उपर्युक्त कर–मुक्त पूँजी लाभ घटाने पर शेष बचती है।

नई जमा योजना [धारा 54G(2)]– यदि करदाता धारा 54G के अन्तर्गत कर–मुक्ति का लाभ प्राप्त करने के लिए पूँजी लाभों की रकम का उपर्युक्त (3) के अन्तर्गत निर्धारित विधि के अनुसार उपयोग आय की विवरणी को पेश करने की निर्धारित तिथि से पूर्व नहीं कर सका है तो उसे इस प्रकार से उपयोग में न ली गई रकम को एक विशिष्ट खाते में, जो Capital Gains Account Scheme, 1988 के अन्तर्गत खोला गया हो, में जमा करा देना चाहिए। यह खाता इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किये गये बैंक में या अन्य किसी संस्था में खोला जाना चाहिए तथा रकम को उस तिथि तक जमा करा देना चाहिए जो धारा 139 के अन्तर्गत आय की विवरणी को पेश करने की अंतिम तिथि निर्धारित है। इस खाते में जमा कराई गई रकम के सम्बन्ध में सम्पूर्ण नियम तथा प्रक्रिया उसी प्रकार से है जैसा कि पूर्व में धारा 54 तथा धारा 54B के अन्तर्गत उल्लेख किया गया है।

उदाहरण (Illustration) 8.14 :

एक करदाता ने अपने औद्योगिक उद्यम को शहरी क्षेत्र से गैर–शहरी क्षेत्र में हस्तान्तरित किया। गत वर्ष 2009–10 में उन्होंने निम्न सम्पत्तियां खरीदी एवं बेचीं–

	प्लाण्ट एवं मशीनरी रु.	भवन रु.	भूमि रु.	फर्नीचर रु.
1.4.2009 को अपलिखित मूल्य	16,00,000	20,00,000	5,00,000 (वास्तविक लागत)	5,00,000
विक्रय–राशि	24,00,000	38,00,000	38,75,000	6,00,000
गैर–शहरी क्षेत्र के लिए 31 मई, 2010 को क्रय की गई नई सम्पत्तियों की लागत	15,00,000	8,00,000	11,10,000	8,00,000

अन्य सम्पत्तियों एवं कार्यालय को नये क्षेत्र में ले जाने पर 60,000 रु. व्यय हुए। कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए कर–योग्य पूँजी लाभों की गणना कीजिए। भवन व भूमि को 1 मई, 1981 को क्रय किया गया था तथा अन्य सम्पत्तियों को वित्तीय वर्ष 1995–96 में क्रय किया गया था।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

An assessee shifted his industrial undertaking from urban area to rural area. During the year 2009-10 he bought and sold the following assets:

	Plant & Machinery Rs.	**Buildings** Rs.	**Land** Rs.	**Furniture** Rs.
W.D.V. on 1-4-2009	16,00,000	20,00,000	5,00,000 (Actual cost)	5,00,000
Sale proceeds	24,00,000	38,00,000	38,75,000	6,00,000
Cost of new assets purchased for non-urban area on 31st May, 2010	15,00,000	8,00,000	11,10,000	8,00,000

Rs. 60,000 were spent for shifting other assets and office to new area. Compute taxable capital gains for the assessment year 2010-11. The land and buildings were acquired on May 1, 1981 and other assets were acquired during the financial year 1995-96.

हल (Solution)

Computation of Taxable Capital Gains for the Assessment Year 2010-11

	Rs.	**Rs.**
(1) Land (Long Term Asset) :		
Sales Proceeds	38,75,000	
Less : Indexed Cost of acquisition		
(500000 x 632)	31,60,000	
Long term Capital Gain		7,15,000
(2) Plant & Machinery (Depreciable Assets):		
Sales Proceeds	24,00,000	
Less : Written down value on 1.4.2009	16,00,000	
Short term Capital Gain		8,00,000
(3) Building (Depreciable Asset) :		
Sales Proceeds	38,00,000	
Less : Written down value on 1.4.2009	20,00,000	
Short term Capital Gain		18,00,000
Capital Gains		33,15,000
Less : Exemption u/s 54G		
(1500000+800000+60000+1110000)	(34,70,000)	33,15,000
Taxable Capital Gains		NIL
(4) Furniture (Depreciable Asset)		
Sales Proceeds	6,00,000	
Less : W.D.V. on 1.4.2009	5,00,000	
Short Term Capital Gains		1,00,000
Taxable Shor-term Capital Gains		**1,00,000**

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

टिप्पणी :

(1) धारा 54G की कर–मुक्ति प्लाण्ट, मशीन, भूमि एवं भवन के सम्बन्ध में ही दी जाती है, फर्नीचर के सम्बन्ध में नहीं।

(2) मूल सम्पत्तियों तथा संस्था के कार्यालय को हस्तान्तरित करने पर हुए व्ययों की कर–मुक्ति धारा 54G के अन्तर्गत दी जाती है।

(3) भूमि पर ह्रास स्वीकृत नहीं होता है, इसलिए इसकी निर्देशित लागत घटाई जाती है।

(4) नये फर्नीचर की लागत के सम्बन्ध में धारा 54G की कर–मुक्ति नहीं दी जाती है।

7. औद्योगिक उपक्रम को शहरी क्षेत्र से किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में हस्तान्तरित करने की दशा में सम्पत्तियों के हस्तान्तरण पर होने वाले पूँजी लाभों पर छूट (Exemption of capital gains on transfer of assets incase of shifting of industrial undertaking from urban area to any Special Economic Zone) [धारा 54 GA]-यदि कोई करदाता अपने औद्योगिक उद्यम को शहरी क्षेत्र से विशेष आर्थिक क्षेत्र में ले जाने के सम्बन्ध में अपनी मशीन, प्लांट, भूमि एवं भवन को हस्तान्तरित करता है तथा उसे ऐसे हस्तान्तरण से पूंजी लाभ होता है तो ऐसे पूंजी लाभ की राशि इस धारा की व्यवस्थाओं के अनुसार कर–मुक्त हो सकती है बशर्ते कि करदाता हस्तान्तरण से पूर्व एक वर्ष के भीतर अथवा हस्तान्तरण के बाद तीन वर्ष के भीतर लाभ की राशि को निम्न उद्देश्यों के लिए व्यय कर दे:

(अ) जिस विशेष आर्थिक क्षेत्र में औद्यौगिक उद्यम को ले जाया जा रहा है उस क्षेत्र में अपने औद्योगिक उद्यम के व्यवसाय के लिए मशीन एवं प्लाण्ट को क्रय करने में ;

(ब) उक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र में अपने व्यवसाय के लिये भूमि एवं भवन प्राप्त करने के लिए अथवा भवन बनवाने के लिये;

(स) उक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र में मूल सम्पत्तियों को हस्तान्तरण करने या संस्था को हस्तान्तरण करने के लिए; एवं

(द) इस धारा के उद्देश्यों के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई योजना में वर्णित अन्य उद्देश्यों पर व्यय

विशेष आर्थिक क्षेत्र, शहरी क्षेत्र अथवा गैर–शहरी क्षेत्र किसी भी स्थान पर हो सकता है।

छूट की राशि का निर्धारण – छूट की राशि का निर्धारण निम्न प्रकार किया जायेगा–

(i) यदि पूंजी लाभ की राशि उपरोक्त व्ययों अथवा नई सम्पत्ति की लागत से अधिक है तो नई सम्पत्ति की लागत के बराबर के पूंजी लाभ कर मुक्त होंगे तथा पूंजी लाभ की शेष राशि धारा 45 के अन्तर्गत गत वर्ष में कर–योग्य होगी।

(ii) यदि पूंजी लाभ की राशि उपरोक्त व्ययों अथवा नई सम्पत्ति की लागत के बराबर अथवा कम है तो सम्पूर्ण पूंजी लाभ कर मुक्त होंगे।

नई सम्पत्ति को तीन वर्ष के भीतर हस्तान्तरित करने पर– यदि नई सम्पत्तियों को प्राप्त करने, बनवाने या खरीदने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के भीतर हस्तान्तरित कर दिया जाता है तो पूंजी लाभ की गणना के लिये नई सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत –

(क) उपरोक्त वाक्यांश (i) की दशा में शून्य मानी जायेगी अर्थात नई सम्पत्ति के हस्तान्तरण से प्राप्त सम्पूर्ण प्रतिफल ही पूंजी लाभ होगा; तथा

(ख) उपरोक्त वाक्यांश (ii) की दशा में नई सम्पत्ति की लागत में से भूतकाल में कर मुक्त की गई पूंजी लाभ की राशि को घटा दी जायेगी तथा शेष राशि नई सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत मानी जायेगी। इस लागत के आधार पर नई सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर पूंजी लाभ ज्ञात कर लिया जायेगा।

स्पष्टीकरण–

(1) विशेष आर्थिक क्षेत्र से आशय ऐसे क्षेत्र से होगा जिसका उल्लेख विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

की धारा 2(za) में किया गया है।

(2) शहरी क्षेत्र से आशय किसी ऐसी नगरपालिका एवं नगर निगम की सीमाओं में आने वाले क्षेत्रों से होगा जिसकी घोषणा जनसंख्या एवं औद्योगीकरण के दबाव को देखते हुए सामान्य अथवा विशेष आदेश के माध्यम से इस धारा के उद्देश्यों के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाये।

(3) इस धारा की छूट अल्पकालीन पूंजी लाभों के सम्बन्ध में भी प्राप्त हो सकती है।

पूँजी लाभ खाता योजना, 1988 (Capital Gains Account Scheme, 1988) में आय का नक्शा प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि से पूर्व रकम जमा कराने पर कर मुक्ति का लाभ मिल जायेगा, परन्तु उद्योग के हस्तान्तरण के बाद 3 वर्ष के भीतर इस राशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों हेतु करना होगा।

8. नई सम्पत्ति के अधिग्रहण के लिए समय सीमा में वृद्धि [धारा 54H]

(Extension of time limit for acquiring new assets)

आरम्भिक क्षतिपूर्ति पूंजी लाभ उस गत वर्ष में कर–योग्य होते हैं जिस गत वर्ष में आरम्भिक क्षतिपूर्ति (पूर्णतः या आंशिक) करदाता ने प्राप्त की हो। धारा 54, 54B, 54D, 54EC तथा 54F के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने के लिए नई सम्पत्ति का अधिग्रहण निर्धारित समय सीमा में होना चाहिए। परन्तु निर्धारित समय सीमा की गणना क्षतिपूर्ति प्राप्त करने की तिथि से की जायेगी। यदि क्षतिपूर्ति किस्तों में प्राप्त होती है तो सम्पूर्ण आरम्भिक क्षतिपूर्ति उस गत वर्ष में कर–योग्य होगी जिस गत वर्ष में प्रथम बार क्षतिपूर्ति प्राप्त की गई हो। परन्तु धारा 54, 54B, 54D, 54EC तथा 54F की समय सीमा की गणना आरिम्भक क्षतिपूर्ति की विभिन्न किस्तों की प्राप्ति की तिथि के आधार पर की जायेगी।

अभ्यास के लिए प्रश्न
(Questions for Exercise)

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न

(Very Short Answer Type Questions)

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 20 शब्दों में दीजिए।

(Answer the following Questions in Maximum 20 words)

1. पूँजी लाभ किसे कहते हैं?
   What is Capital Gain?
2. अल्पकालीन पूँजी सम्पत्ति से आप क्या समझते हैं?
   What do you mean by short-term Capital asset?
3. दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति से आप क्या समझते हैं?
   What do you mean by long-term Capital asset?
4. कृषि भूमिको पूँजी सम्पत्ति कब माना जा सकता है?
   When can agricultural land be treated as Capital assets?
5. ऐसी किन्हीं दो सम्पत्तियों के नाम बताइये, जिनको पूँजी सम्पत्ति नहीं माना जाता है?
   Give any two names of such assets which are not treated as Capital assets.
6. निम्नलिखित में से कौन–सी पूँजी सम्पत्ति नहीं है:
   ख्याति, पेटेन्ट अधिकार, घरेलू फर्नीचर, व्यापारिक माल, आभूषण, पेशे की ख्याति
   Which of the following is not a Capital asset?
   Goodwill, Patent right, Household furniture, Stock-in-trade, ornaments, Good will of Profession.

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

7. अल्पकालीन पूँजी लाभ एवं दीर्घकालीन पूंजी लाभ में अन्तर बताइए।
   Distinguish between Short-term and Long-term Capital gain.
8. ऐसे दो व्यवहारों को बताइये जो पूँजी लाभ की गणना के लिए हस्तान्तरण नहीं माना जाता है।
   Give any two transactions which are not treated as transfer for computation of Capital Gains?
9. पूँजी सम्पत्ति की 'प्राप्ति निर्देशित लागत' किस प्रकार ज्ञात की जाती है?
   How is the 'indexed cost of acquisition' of a capital asset calculated?

लघूत्तरात्मक प्रश्न

(Short Answer Type Questions)

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 20 शब्दों में दीजिए।

(Answer the following Questions in Maximum 50 words)

1. पूँजी सम्पत्ति से क्या आशय है?
   What do you mean by Capital asset?
2. 'हस्तान्तरण' से आप क्या समझते हैं?
   What do you understand by 'transfer'?
3. अल्पकालीन कर योग्य पूँजी लाभ ज्ञात करने की विधि बताइए?
   Explain the method of computation of taxable Short-term Capital Gains.
4. पूँजी सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत का क्या अर्थ है?
   Who do you mean by cost of acquisition of Capital asset?
5. दीर्घकालीन पूंजी सम्पत्ति को प्राप्त करने की निर्देशित लागत किस प्रकार ज्ञात की जाती है?
   How is the indexed cost of acquisition of a Capital asset ascertained?
6. ऐसे व्यवहारों के चार उदाहरण दीजिए, जिनको हस्तान्तरण नहीं माना जाता है।
   Give any four examples of such transactions, which are not regarded as transfer.
7. रहने के मकान के हस्तान्तरण से उत्पन्न पूँजी लाभ कब कर–मुक्त होते हैं?
   When is the Capital gain arising from the transfer of a residential house exempted?
8. धारा 54EC के अन्तर्गत पूँजी लाभों की कर–मुक्ति के प्रावधानों को संक्षेप में समझाइये।
   Write in brief the provision of section 54EC in relation to Capital gains to be exempted.

निबन्धात्मक प्रश्न

(EssayType Questions)

1. पूँजी लाभ को परिभाषित कीजिए। अल्पकालीन व दीर्घकालीन पूँजी लाभों में भेद कीजिए। कौन–कौन से पूँजी लाभ कर–मुक्त होते हैं।
   Define Capital gain. Differenciate between short-term and long-term Capital gains. Which Capital gains are exempted from tax?
2. करदाता के लिए सम्पत्ति की 'वास्तविक लागत' से आप क्या समझते हैं? इस सम्बन्ध में आयकर अधिनियम के प्रावधानों का वर्णन कीजिए।
   What do you understand by 'Actual Cost' of an asset to an assessee? Discuss the provisions of Income Tax Act related to it.

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

वर्ग (Section) : B

इकाई (Unit) : 9

अन्य साधनों से आय
(Income from Other Sources)

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

परिचय (Introduction) :

आयकर अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत किसी करदाता की आय को पाँच शीर्षकों में रखा जाता है। चार शीर्षकों का वर्णन पिछले अध्यायों मकें किया गया है। आय का यह पाँचवां एवं अन्तिम शीर्षक है। कोई भी आय जो प्रथम चार शीर्षकों में से किसी भी शीर्षक में नहीं आती है और न ही जिसे पूर्णतया कर–मुक्त घोषित किया गया है उसे इस शीर्षक के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है।

[धारा 56 (1)]

आयकर अधिनियम की धारा 56 से 59 तक में ऐसी आयों पर प्रकाश डाला गया है जो इस शीर्षक से सम्बन्धित है। आय के इस शीर्षक को अवशिष्ट आयों (Residual Incomes) का शीर्षक भी कहते हैं।

अन्य साधनों से आय के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण नियम

1. आय का क्षेत्र (Scope of Income):

इस शीर्षक मं सम्मिलित होने वाली आयों के स्रोतों की निश्चित संख्या नहीं होती है। आयकर लगाने के सम्बन्ध में यह अन्तिम तथा अवशिष्ट शीर्षक है। आय का कोई ऐसा स्रोत जो आय के चार अन्य शीर्षकों में से किसी भी शीर्षक में कर–योग्य न होता हो, धारा 56 के अनुसार उसे 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में कर–योग्य किया जायेगा।

2. गत वर्ष (Previous Year):

इस शीर्षक की कर–योग्य आय की गणना करने के लिए कर–निर्धारण वर्ष से तुरन्त पूर्व वाला वित्तीय वर्ष ही गत वर्ष होता है। कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए गत वर्ष की निर्धारित अवधि 1 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2010 तक होगी।

3. बहीखाता की पद्धति (System of Accounting):

'अन्य साधनों से आय' शीर्षक की कर–योग्य आय की गणना करता द्वारा नियमित रूप से अपनाई जा रही बहीखाता पद्धति क आधार पर की जाती है। करदाता अपने लेखे या तो व्यापारिक पद्धति (Mercantile System) या रोकड़ पद्धति से रख सकता है। व्यापारिक पद्धति से कर–योग्य आय तथा कटौती योग्य व्यय की गणना देय आधार (Due basis) पर की जाती है, जबकि रोकड़ पद्धति से कर–योग्य आय की गणना प्राप्ति के आधार पर तथा कटौती योग्य व्यय की गणना भुगतान के आधार पर की जाती है।

4. उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती (Tax Deducted at Source):

जब आय का भुगतान करने वाला व्यक्ति, आय का भुगतान करते समय ही निर्धारित दरों से आय कर काट लेता है तो 'इसे उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती' कहते हैं। ऐसी काटी गई रकम आय प्राप्तकर्त्ता की तरफ से सरकारी कोष में जमा करवायी गयी मानी जाती है। आय का भुगतान करने वाले का दायित्व होता है कि 'उद्‌गम स्थान पर कर' की काटी गई राशि को निर्धारित अवधि में राजकोष में जमा करवाये तथा आय प्राप्तकर्ता को ऐसी काटी गई राशि के लिए आवश्यक प्रमाण–पत्र (फार्म संख्या 16 या 16A में) जारी करे। आय प्राप्तकर्ता

के नियमित कर–निर्धारण के समय ऐसी काटी गई राशि को उसके कर–दायित्व में से कम कर दिया जाता है।

सामान्य परिस्थितियों में एक व्यष्टि करदाता अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार करदाता द्वारा किसी भी आय पर उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जा सकती है परन्तु ऐसा व्यष्टि या हिन्दू अविभाजित परिवार जिसकी तुरन्त पहले वाले वित्तीय वर्ष की सकल प्राप्तियां या विक्रय राशि निर्धारित सीमा से अधिक होने के कारण उसे धारा 44AB के अन्तर्गत अपने लेखों का अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है तो वह भी उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी होगा।

यदि कोई व्यक्ति यह समझता है कि उसको प्राप्त आय में से उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती निर्धारित दरों से कम दर पर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए तो वह व्यक्ति इस सम्बन्ध में अपने कर निर्धारण अधिकारी को इस आशय का एक आवेदन पत्र फॉर्म संख्या 13 में दे सकता है। यदि कर निर्धारण अधिकारी उसके दावे से सन्तुष्ट हो जाता है तो वह उस व्यक्ति को इस आशय का एक प्रमाण–पत्र जारी कर देगा। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रमाण–पत्र जारी किया गया है तो उस आय का भुगतान करने वाले व्यक्ति का यह कर्त्तव्य है कि वह उस प्रमाण–पत्र के अनुसार उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती करे।

धारा 196 के अनुसार रिजर्व बैंक, सरकार या धारा 10(23D) में वर्णित पारस्परिक कोष या केन्द्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित ऐसे वैधनिक निगम जिसकी आय किसी विधान के अन्तर्गत कर–मुक्त हो, को दी जाने वाली राशि में से उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाती है।

उद्‌गम स्थान पर पूर्णतः या आंशिक कर की कटौती न करने पर अथवा काटे गये कर की राशि को निर्धारित अवधि में जमा न करवाने पर सम्बन्धित व्यक्ति को दोषी करदाता (Assessee in default) माना जायेगा। यदि कर निर्धारण अधिकारी इस दोष के कारणों से सन्तुष्ट हो जाये तो ऐसी अवस्था में अर्थदण्ड नहीं लगाया जायेगा।

उद्‌गम स्थान पर काटे गये कर का विवरण निर्धारित फॉर्म में निर्धारित तिथि से पूर्व सम्बन्धित कर–निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है। [धारा 196C]

वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती से सम्बन्धित व्यवस्थाओं का वर्णन इसी इकाई में किया गया है।

उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती वेतन, प्रतिभूतियों पर ब्याज, लाभांश एवं ब्याज, लॉटरी के इनाम की राशि, बीमा कमीशन आदि का भुगतान करते समय भुगतान करने वाले द्वारा की जाती है। उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती करने से पूर्व, भुगतान की प्राप्य राशि को सकल राशि (Gross Amount) कहते हैं तथा ऐसी कटौती करने के पश्चात् प्राप्त राशि को शुद्ध राशि (Net Amount) कहते हैं। करदाता की कर–योग्य आय में 'सकल राशि' को सम्मिलित किया जाता है। यदि शुद्ध राशि दी हुई हो तो इसे निम्न प्रकार से सकल बनाया जाता हैः

$$\text{सकल राशि} = \text{शुद्ध राशि} \times \frac{100}{(100 - \text{उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती की दर})}$$

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में शामिल होने वाली कुछ आयें
(Certain Incomes to be Included in the Head 'Income from Other Sources)

इस शीर्षक में सम्मिलित होने वाली आयों का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है। अतः ऐसी आयों को दो वर्गों में बांटा जा सकता हैः

I. ऐसी आयें जिनके सम्बन्ध में धारा 56 (1) में स्पष्ट उल्लेख हो; तथा

II. अन्य आयें।

I. ऐसी आयें जिनके सम्बन्ध में धारा 56 (2) में स्पष्ट उल्लेख हो
[(Incomes specifically mentioned in Section 56 (2)]

धारा–56 (2) के अन्तर्गत वर्णित आयें इस शीर्षक के अन्तर्गत कर–योग्य आयों के क्षेत्र को सीमित नहीं करती है। स्पष्ट रूप से उल्लेखित आयें इस प्रकार हैं–

(i) लाभांश।

(ii) लाटरी, वर्ग पहेली (Cross word puzzles), घुड़दौड़ एवं अन्य प्रकार की दौड़, किसी प्रकार के खेल, ताश के खेल तथा किसी भी प्रकार की शर्त अथवा जुए में जीती गई राशि।

(iii) करदाता द्वारा अपने कर्मचारियों से भविष्य निधि, सुपरएनुएशन फण्ड, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत स्थपित कोष या कर्मचारियों के कल्याण हेतु अन्य किसी कोष के लिए अंशदान के रूप में प्राप्त राशि, जिस पर 'व्यापार अथवा पेशे के लाभ' शीर्षक में कर नहीं लगता हो।

(iv) प्रतिभूतियों से ब्याज के रूप में आय यदि ऐसी आय व्यापार अथवा पेशे के लाभ शीर्षक में कर–योग्य नहीं है।

(v) करदाता को अपनी प्लाण्ट, मशीन या फर्नीचर को किराये पर उठाने से होने वाली आय, बशर्ते कि ऐसी आय "व्यापार अथवा पेशे के लाभ" शीर्षक में कर–योग्य नहीं हो।

(vi) यदि कोई करदाता अपनी प्लाण्ट, मशीन या फर्नीचर के साथ अपने भवन को भी किराये पर देता है तथा उक्त प्लाण्ट, मशीन तथा फर्नीचर को किराये पर उठाने के लिए भवन को भी किराये पर उठाना आवश्यक हो तो ऐसे किराये से प्राप्त आय, बशर्ते कि यह आय "व्यापार अथवा पेशे के लाभ" शीर्षक मं कर–योग्य नही हो।

(vii) प्रमुख व्यक्ति की बीमा पालिसी (Keyman Insurance Policy) के सम्बन्ध में बोनस सहित प्राप्त कोई राशि यदि ऐसी राशि वेतन अथवा व्यापार या पेशे के लाभ शीर्षक में कर योग्य नहीं हो।

(viii) व्यष्टि अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा बिना प्रतिफल के 1 अक्टूबर 2009 से पूर्व किसी गत वर्ष में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से कुल मिलाकर 50,000 रु. से अधिक राशि प्राप्त करने पर प्राप्त सम्पूर्ण राशि (कुछ दशाओं को छोड़कर)। [धारा 56(2)(vi)]

(ix) 1 अक्टूबर 2009 को या इसके बाद व्यष्टि अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार को किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से मिलने वाली राशि, अचल सम्पत्ति एवं चल सम्पत्ति (कुछ दशाओं को छोडकर)। [धारा 56(2)(vii)]

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(x) क्षतिपूर्ति या बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति पर प्राप्त ब्याज। यह ब्याज उस गत वर्ष में कर–योग्य होता है जिसमें वह करदाता को प्राप्त होगा, चाहे करदाता ने बहीखाते की वाणिज्यक पद्धति अपनाई हो या रोकड़ पद्धति। [धारा 56(2)(viii)]

II. अन्य आयें (Other Incomes) :

अन्य साधनों आय शीर्षक में धारा 56 (2) में वर्णित आयों के अतिरिक्त अन्य कुछ आयों की सूची निम्न प्रकार हैंः

1. पारिवारिक पेन्शन,
2. संचालकों का वेतन एवं फीस,
3. सांसदों तथा विधायकों को प्राप्त वेतन एवं भत्ते,
4. उप–किरायेदार से प्राप्त किराया,
5. अप्रमाणित भविष्य निधि से प्राप्त राशि का कर–योग्य हिस्सा,
6. नियोक्ता के अतिरिक्त अन्य किसी से प्राप्त पारिश्रमिक,
7. अधिकार शुल्क से आय (यदि वह आय व्यापार या पेशे से प्राप्त आय नहीं हो),
8. भारत के बाहर स्थित कृषि भूमि से आय,
9. खुली जमीन को किराये पर उठाने से आय,
10. पूर्व में स्वीकृत व्यय अथवा हानियों की वसूल की गई राशि,
11. वार्षिकी (Annuity) की प्राप्त राशि,
12. धारा 80 CCB के अन्तर्गत कर–मुक्त हुए विनियोगों की प्राप्त राशि,
13. धारा 80 CCA में वर्णित विनियोंगों की प्राप्त राशि।
14. जीवन बीमा की एजेन्सी के कमीशन की आय,
15. लॉटरी टिकिट बेचने से प्राप्त कमीशन की आय,
16. अन्य कमीशन या दलाली की आय
17. पेशेवर अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस
18. राष्ट्रीय बचत पत्र, सार्वजनिक भविष्य निधि आदि योजनाओं की एजेन्सी के कमीशन की आय,
19. घुड़–दौड़ के लिए घोड़े रखने से आय,
20. अस्पष्ट साधनों से आय,
21. विदेशी सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों पर ब्याज,
22. प्रतिभूतियों के अतिरिक्त अन्य ब्याज से आय।

उपर्युक्त आयों के अतिरिक्त अन्य कोई भी आय जो किसी अन्य शीर्षक में कर–योग्य न होती हो, इस शीर्षक में कर–योग्य होगी। इन आयों का वर्णन इसी इकाई में आगे किया गया है।

कर–योग्य आय की गणना
(Computation of Taxable Income)

इस शीर्षक के अन्तर्गत अनेक स्रोतों (Sources) से प्राप्त होने वाली आय को शामिल किया जात है। प्रत्येक स्रोत से आय की गणना अलग–अलग की जाती है तथा कटौतियाँ भी प्रत्येक स्रोत के लिए अलग–अलग प्रदान की जाती हैं। इस शीर्षक के अन्तर्गत सभी स्रोतों से प्राप्त आयों का योग इस शीर्षक की कर–योग्य आय मानी जाती है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

कुछ प्रमुख आयों का विवेचन
(Description of Some Important Incomes)

1. पारिवारिक पेंशन (Family Pension):

कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात् उसके नियोक्ता से परिवार के सदस्यों को मिलने वाली पेंशन की राशि इस शीर्षक में कर–योग्य होती है क्योंकि आय को भुगतान करने वाले तथा प्राप्त करने वाले के मध्य नियोक्ता कर्मचारी का सम्बन्ध नहीं होता है।

कटौती (Deduction) [धारा 57 (iia)]- पारिवारिक पेन्शन की सकल राशि में से प्रमाप कटौती (Standard Deduction) की तरह निर्धारित राशि की कटौती स्वीकृत की जाती है। कटौती की राशि, ऐसी आय के $33^{1}/_{3}$ % अथवा 15,000 रु. दोनों में जो भी कम हो, के बराबर होती है।

कर–मुक्त आय (Exempted Income)–यदि कोई व्यष्टि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा में रहा है तथा उसे परम वीर चक्र या महावीर चक्र या वीर चक्र या ऐसा कोई वीरता पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जिसे केन्द्रीय सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना जारी करके निर्दिष्ट कर दिया है, तो ऐसे व्यष्टि के परिवार के किसी भी सदस्य को प्राप्त होने वाली पारिवारिक पेन्शन की आय भी कर–मुक्त होगी।

2. संचालकों का वेतन एवं फीस (Salary and Fees of Directors):

संचालक कम्पनी का कर्मचारी नहीं होता है इसलिए उसे कम्पनी से मिलने वाले वेतन, भत्ते एवं फीस की राशि 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में कर–योग्य होती है। यदि संचालक कम्पनी का कर्मचारी भी हो तो उसे संचालक के रूप में मिला पारिश्रमिक 'वेतन से आय' शीर्षक में कर–योग्य होगा।

कटौती (Deduction)–ऐसी आय कमाने के लिए किये गये वास्तविक व्ययों की कटौती स्वीकृत की जाती है।

3. सांसद तथा विधायक को प्राप्त वेतन एवं भत्ते [धारा 10 (17)**] (Salary and Allowances received to M.P. & M.L.A.)**

(i) वेतन : पूर्ण राशि कर–योग्य होती है।

(ii) भत्ते : भत्तों की राशि निम्न प्रकार कर–मुक्त होती हैः

(अ) संसद के सदस्यों, राज्य विधान सभा के सदस्यों अथवा इनकी किसी भी समिति के सदस्यों को प्राप्त होने वाला दैनिक भत्ता पूर्णतः कर–मुक्त होता है।

(ब) Member of Parlament (Constituency Allowance) Rules, 1986 के अन्तर्गत संसद का सदस्य होने के नाते किसी भी व्यक्ति को प्राप्त कोई भत्ता पूर्णतः कर–मुक्त होता है।

(स) राज्य विधानसभा के सदस्य को अथवा उसकी किसी भी ऐसी समिति के सदस्य को प्राप्त सभी प्रकार के अन्य भत्ते, जिसे केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना जारी करके निर्दिष्ट कर दिया है, कुल मिलाकर 2,000 रुपये प्रतिमाह की सीमा तक कर–मुक्त होंगे तथा शेष राशि कर–योग्य होगी।

कटौतियाँ– प्रमाप कटौती या अन्य कोई कटौती स्वीकृत नहीं की जाती है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

4. उपकिरायेदार से प्राप्त किराया (Rent from Sub-lessee):

किराये पर लिये गये मकान को, किरायेदार द्वारा किसी दूसरे को किराये पर देने से जो आय होती है वह उप–किरायेदार से प्राप्त किराया कहलाता है। ऐसे मकान से कर–योग्य आय का निर्धारण करने के लिए प्राप्त किराये में से उस मकान के हिस्से का देय किराया घटाया जाता है तथा ऐसी आय प्राप्त करने के लिए वास्तव में व्यय की गई सम्पूर्ण राशि की कटौती भी स्वीकृत की जाती है।

उद्गम स्थान पर कर की कटौती (Tax Deduction at Source) [धारा 194**I]**–यदि कोई व्यक्ति (जो एक व्यष्टि या हिन्दू अविभाजित परिवार न हो) किराये के रूप में कोई आय किसी भी व्यक्ति को चुकाता है या जमा करता है, तो ऐसी राशि में से 10 प्रतिशत की दर से उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जायेगी।

किन्तु यदि पूरे वित्तीय वर्ष में उस व्यक्ति को चुकाई गई या उस व्यक्ति के खाते में जमा की गई सभी राशियों का योग कुल मिलाकर 120000रूपयों से अधिक न हो, तो इस धारा के अन्तर्गत उद्गम स्थान पर आय कर की कटौती नहीं की जायेगी।

वित्त अधिनियम 2002 के द्वारा इस सम्बन्ध में यह प्रावधान बनाया गया है कि ऐसा व्यष्टि या हिन्दू अविभाजित परिवार जिसकी तुरन्त पहले वाले वित्तीय वर्ष की सकल प्राप्तियां या विक्रय राशि निर्धारित सीमा से अधिक होने के कारण उसे धारा 44**AB** के अन्तर्गत अपने लेखों का अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है, वह जून 1, 2002 से उद्गम स्थान पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी होगा।

5. अप्रमाणित भविष्य निधि से प्राप्त राशि का कर–योग्य हिस्सा
(Taxable Part of amount received from un-recognised Provident Fund)

अप्रमाणित भविष्य निधि से प्राप्त राशि में से कर्मचारी के अंशदान पर ब्याज की राशि के बराबर का हिस्सा इस शीर्षक में कर–योग्य होता है। ऐसी राशि में से कोई कटौती स्वीकृत नहीं की जाती है।

6. नियोक्ता के अतिरिक्त अन्य किसी से प्राप्त पारिश्रमिक
(Remuneration received from other than the employer):

किसी शिक्षक को परीक्षाओं से सम्बन्धित कार्यों का पारिश्रमिक, अन्य संस्थाओं में व्याख्यान देने से पारिश्रमिक, आकाशवाणी या दूरदर्शन पर वार्ता देने से आय की प्राप्ति, संचालक की फीस, अखबार या पत्रिका में प्रकाशित लेख का पारिश्रमिक आदि इसी शीर्षक में कर–योग्य होते हैं।

कटौती– यदि ऐसी आय कमाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई व्यय किया जाता है तो ऐसे व्ययों की सम्पूर्ण राशि ऐसे पारिश्रमिक में से घटाकर कर–योग्य आय ज्ञात की जावेगी।

7. अधिकार शुल्क से आय (Income from Royalty):

पुस्तक लेखन, खान, पेटेन्ट आदि से सम्बन्धित अधिकार शुल्क की प्राप्त राशि इस शीर्षक में कर–योग्य होती है। अधिकार शुल्क की प्राप्य राशि में से, उससे सम्बन्धित समस्त आयगत व्ययों को घटा कर 'कर–योग्य आय' ज्ञात की जाती है। पुस्तक लेखन से सम्बन्धित व्ययों की कटौती के सम्बन्ध में प्रशासकीय आदेश क्रमांक F.No. 204/42/77-IT (A-II) दिनांक 28.09.1977 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी भारतीय लेखक ने पुस्तक लेखन से सम्बन्धित व्ययों का विस्तृत लेखा नहीं रखा है तथा गत वर्ष में अधिकार शुल्क से आय 25,000 रु. से कम है तो पुस्तक प्रकाशित होने वाले वर्ष में ऐसे अधिकार शुल्क की राशि का 25 प्रतिशत अथवा 5,000 रु. (जो दोनों में कम हो), व्ययों के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

8. भारत के बाहर स्थित कृषि भूमि से आय
(Income from Agricultural land situated outside India):

भारत में स्थित कृषि भूमि से आय कर–मुक्त होती है जबकि भारत के बाहर स्थित कृषि भूमि से होने वाली आय भारत में निवासी करदाता के लिए कर–योग्य होती है।

9. खुली भूमि को किराये पर उठाने स आय (Rental Income from open land):

यदि कोई भूमि किसी मकान सम्पत्ति से लगी हुई हो तो ऐसी भूमि की आय 'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक मे ंकर–योग्य होती है। परन्तु जो भूमि मकान से लगी हुई नहीं है, उस भूमि को किराये पर उठाने से होने वाली आय 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में कर–योग्य होती है, जैसे बाजार लगाने के लिए किराये पर दी गई भूमि से आय। ऐसी आय को कमाने के लिए या प्राप्त करने के लिए जो व्यय किये जाते हैं, उनकी छूट स्वीकृत कर दी जाती है। कृषि कार्यों हेतु भूमि किराये पर देने से हुई आय कृषि आय कहलाती है तथा यह कर–मुक्त होती है।

उदाहरण (Illustration) 9.1 :

डॉ. गुप्ता द्वारा प्रस्तु किये गये आय के निम्नलिखित विवरण से उनकी कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक के अन्तर्गत कर–योग्य आय की गणना कीजिए–

1. जापान स्थित कृषि भूमि से प्राप्त आय 28000 रु.; जयपुर में स्थित भूमि से जो मकान से लगी हुई नहीं हैं, तथा उसे गन्ना रखने के लिए किराये पर देने से हुई आय 6,000 रु., हाट बाजार लगाने के लिए दी गई भूमि से प्राप्त आय 13,600 रु.। इन आयों को प्राप्त करने के सम्बन्ध में उन्होंने 8,700 रु. व्यय किये।
2. सुनिता इलेक्ट्रोनिक्स से संचालक के रूप में प्राप्त वेतन 14,200 रु. प्रति माह तथा 1,400 रु. प्रति माह मनोरंजन भत्ता। कम्पनी की ओर से उन्हें 1600 cc की मोटर कार की सुविधा प्राप्त है। इसके निजी उपयोग हेतु व्यय वे स्वयं वहन करते हैं। कार वे स्वयं चलाते हैं। कार का ह्रास वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए 28,000 रु. था और कार का उपयोग इस वर्ष में निजी कार्यों के लिए 60 प्रतिशत अनुमानित किया गया है।
3. संसद सदस्य के रूप में प्राप्त वेतन 12,000 रु. प्रतिमाह,
4. संसद के सत्रों में उपस्थित होने का दैनिक भत्ता 50,000 रु.
5. लेखों से आय जो भारतीय पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए 12,800 रु.।
6. पोद्दार इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में व्याख्यान देने पर प्राप्त पारिश्रमिक 10,000 रु.।
7. विभिन्न विश्वविद्यालय एवं संस्थाओं के परीक्षक के रूप में प्राप्त पारिश्रमिक 16,800 रु.।
8. वे कई पुस्तकों के लेखक हैं। गत वर्ष में इनको 35,000 रु. रॉयल्टी के रूप में प्राप्त हुए। इस राशि में से वे निम्न कटौतियों की मांग करते हैं–

   (i) एक क्लर्क का वेतन जिसने पुस्तक के अन्तिम प्रूफ पढ़े 2,000 रु.।

   (ii) पुस्तकों के संशोधन के सम्बन्ध में पुस्तकें क्रय की 3,400 रु.।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(iii) पुस्तकों के विक्रय के सम्बन्ध में तथा नया संस्करण छपवाने के सम्बन्ध में टेलीफोन व्यय 1,700 रु.।

9. उन्होंने एक मकान 6,000 रु. प्रतिमाह किराये पर लिया। इसके आधे हिस्से में वे स्वयं रहते हैं तथा आधा हिस्सा उन्होंने 4,000 रु. प्रतिमाह पर एक अन्य व्यक्ति को किराये पर दे दिया।

From the following particulars submitted by Dr. Gupta, compute his taxable income from other sources for the assessment year 2010-11:

(1) Income received from agricultural land in Japan Rs. 28,000. Income received from a piece of land in Jaipur which is not appurtenant to a house, let-out for storing sugar-canes Rs. 6,000. Income from land given on rent for holding market Rs. 13,600. He incurred expenses amounting to Rs. 8,700 in respect of these incomes.

(2) As director of Sunita Electronics, he received Rs. 14200 p.m. as salary and Rs. 1400 p.m. as entertainment allowance. The facility of a 1600cc motor car has been provided by the company, expenses of which for personal use are borne by him. He himself dirves the car. The depreciation of the car for the financial year 2009-2010 was Rs. 28,000 and the use of the car for personal purpose during the year was estimated to be 60%.

(3) Salary received as a Member of Parliament Rs. 12,000 per month.

(4) Daily allowance for attending the session in Parliament Rs. 50,000.

(5) Income from the articles published in the Indian magazaines and periodicals Rs. 12,800.

(6) Remuneration received for the lectures delivered at the Podar Institute of Management Rs. 10,000.

(7) Remuneration received for working as an examiner of various universities ande institutions Rs. 16,800.

(8) He is an author of many books. He received royalty of Rs. 35,000 during the previous year. He claims the following deduction out of this income-

(i) Salary of a clerk who read the final proofs of the books Rs. 2,000.

(ii) Books purchased for revising the books Rs. 3,400.

(iii) Telephone expenses in connection with the printing and sale of the books Rs. 1,700.

(9) He got a house at a rent of Rs. 6,000 per month. He occupied half of this house for his own residence and other half was let-out at a rent of Rs. 4,000 per month to another person.

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

हल (Solution) :

Compuation of Taxable Income from other Sources of Dr. Gupta for the Assessment Year 2010-11

	Rs.	Rs.
1. Income from Agricultural land in Japan	28,000	
Income from non-agricultural land in Jaipur	6,000	
Income from land used for market	13,600	
	47,600	
Less : Expenses incurred	8,700	38,900
2. Salary received as Director (14200 x 12)	1,70,400	
Entertainment allowance received as Director (1400 x 12)	16,800	
Value of free car facility (28000 x 60%)	16,800	
	2,04,000	
Less : Deduction	NIL	2,04,000
3. Salary as member of Parliament (12000 x 12)		1,44,000
4. Income from articles published		12,800
5. Income from Lectures		10,000
6. Examination Remuneration		16,800
7. Income from Royalty of Books	35,000	
Less : Expenses incurred (2000+3400+1700)	7,100	27,900
8. Rent received from sub-letting of house (4000 x12)	48,000	
Less : Rent paid for half portion (6000 x12 x ½)	36,000	12,000
Taxable Income from other Sources		4,66,400

टिप्पणी :

(1) संसद के सत्रों में उपस्थित होने का दैनिक भत्ता धारा 10 (17)(i) के अन्तर्गत पूर्णतः कर–मुक्त होता है।

(2) डॉ. गुप्ता सुनिता इलेक्ट्रोनिक्स में संचालक है न कि कर्मचारी, इसलिए उन्हें संचालक के रूप में मिले वेतनए भत्ते तथा अनुलाभ की राशियों को इस शीर्षक में कर–योग्य किया गया है। इस शीर्षक में प्रमाप कटौती देने का प्रावधान नहीं है, परन्तु ऐसी आय कमाने के लिए किये गये व्ययों की छूट स्वीकृत की जा सकती है।

10. प्लाण्ट, मशीन अथवा फर्नीचर के किराये के आय [धारा 56 (2) (ii)] (Rental Income from leasing of Plant, Machine or Furniture):

करदाता के स्वामित्व वाली प्लाण्ट, मशीन अथवा फर्नीचर को किराये पर उठाने से हुई आय इस शीर्षक में कर–योग्य होती है यदि यह आय 'व्यापार या पेशे के लाभ' शीर्षक की कर–योग्य आय में सम्मिलित न की गई हो। ऐसी आय के सम्बन्ध में सामान्य कटौतियाँ उसी प्रकार स्वीकृत की जावेगी जिस प्रकार से यह आय 'व्यापार अथवा पेशे के लाभ' शीर्षक में कर–योग्य होने पर स्वीकृत की जाती है, जैसे चालू मरम्मत, बीमा प्रीमियम, ह्रास आदि व्यय।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

11. प्लाण्ट, मशीन अथवा फर्नीचर के साथ भवन किराये पर देने से आय [धारा 56 (2) (iii)] (Rental Income from leasing of Plant, Machine or Furniture alongwith Building):

यदि कोई व्यक्ति किसी भवन को उसमें लगे प्लाण्ट, मशीन तथा फर्नीचर के साथ किराये पर उठाता है, तथा ऐसे भवन को अकेल किराये पर उठाना सम्भव न हो, तो इस दशा में किराये की संयुक्त आय को 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में कर योग्य किया जाता है। यदि भवन का किराया अलग से निर्धारित किया जा सके तो ऐसे भवन की आय, 'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक में तथा प्लाण्ट, मशीन तथा फर्नीचर के किराये की आय 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में कर–योग्य होगी।

कटौतियां [धारा 57 (ii)तथा (iii)]–ऐसी आय मं से सम्पत्ति की चालू मरम्मत, बीमा प्रीमियम,ह्रास तथा अन्य कोई भी ऐसा आयगत व्यय जो पूर्णतः तथा केवल ऐसी आय को कमाने के लिए किया गया हो, स्वीकृत किया जाता है। सामान्य कटौतियां उसी प्रकार स्वीकृत की जाती हैं जिस प्रकार से यह आय 'व्यापार अथवा पेशे के लाभ' शीर्षक में कर–योग्य होने पर स्वीकृत की जाती।

12. पूर्व में स्वीकृत व्यय अथवा हानियों की वसूली (Recovery of Expenses or Losses previously allowed)

यदि पूर्व के वर्षों में व्ययों की छूट देय आधार पर मिल गई हो तथा चालू गत वर्ष में ऐसे व्ययों के भुगतान से मुक्ति मिल गई हो तो इस प्रकार की राशि 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में कर–योग्य मानी जावेगी। पूर्व के वर्षों में यदि किसी व्ययों या हानियों की छूट दे दी गई हों तथा ऐसी हानियां या व्यय गत वर्ष में वसूल हो जावे तो वसूल की गई ऐसी राशि गत वर्ष की कर–योग्य आय होगी।

13. वार्षिकी की प्राप्त राशि (Amount received as annuity)

जब किसी व्यक्ति को जीवन बीमा निगम से या अन्य किसी प्रकार के विनियोगों से वार्षिकी की राशि प्राप्त होती हो तो ऐसी प्राप्त राशि 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में कर–योग्य होती है।

14. धारा 80 CCB में वर्णित पारस्परिक कोष या भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूनिटों के पुनः क्रय पर प्राप्त राशि (Amount received on Re-purchase of Units of Mutual Funds or Unit Trust of India referred in section 80 CCB)

ऐसे यूनिट्स का भुगतान मिलने पर करदाता को प्राप्त राशि में से मूल विनियोजित राशि 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में कर–योग्य होती है तथा अतिरिक्त प्राप्त राशि पूंजी लाभ शीर्षक में कर योग्य होती है। (विस्तृत विवरण पूंजी लाभ शीर्षक में दिया गया है)

उद्गम स्थान पर कर की कटौती – ऐसे यूनिट्स का भुगतान करने वाले का दायित्व होता है कि वह ऐसे भुगतान में से 'मूल विनियोग की राशि पर' 20 प्रतिशत (गत वर्ष 2009–10 में) की दर से उद्गम स्थान पर कर की कटौती कर ले।

15. धारा 80 CCA में वर्णित विनियोगो से प्राप्त राशि (Amount received from the investments referred in Section 80 CCA)

1 अप्रैल, 1992 से पूर्व धारा CCA की छूट 'राष्ट्रीय बचत योजना खाते' अथवा जीवन बीमा निगम की 'जीवन धारा' तथा 'जीवन अक्षय वार्षिकी योजना में विनियोजित राशि के सम्बन्ध में सकल कुल आय में से दी जाती थी। ऐसी योजना से राशि पुनः प्राप्त होने पर सम्पूर्ण राशि करदाता के लिए 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में कर–योग्य होती है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

उद्गम स्थान पर कर की कटौती– यदि किसी वित्तीय वर्ष में भुगतान की जाने वाली ऐसी राशि 2500 रू. या अधिक हो तो भुगतान करने वाले का दायित्व है कि वह सम्पूर्ण राशि पर 20% (गत वर्ष 2009–10 के लिए) की दर से 'उद्गम स्थान पर कर' की कटौती कर ले। **[धारा 194 EE]**

उदाहरण (Illustration) 9.2 :

श्रीमती रमा की आयों के निम्नलिखित विवरण से आप 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष की पूँजी लाभ तथ 'अन्य साधनों से आय' शीर्षकों की कर–योग्य आय ज्ञात कीजिए–

1. उनके दिवंगत पति के नियोक्ता से 4500 रु. प्रतिमाह की दर से पारिवारिक पेंशन प्राप्त हुई।
2. धारा 80 CCA में वर्णित राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत जमा खाते में से निकालने पर 16,000 रु. प्राप्त हुए।
3. उन्हें धारा 80 CCB में के अन्तर्गत बनाई गई 'पारस्परिक कोष योजना' की समाप्ति पर गत वर्ष में इक–मुश्त 17,900 रु. प्राप्त हुए जिसमें 5,900 रु. ब्याज के शामिल हैं। इस योजना में 10,000 रु. वित्तीय वर्ष 1990–91 में तथा शेष राशि वित्तीय वर्ष 1991–92 में विनियोजित की गयी थी।
4. उन्होंने पिछले वर्षों में जीवन बीमा निगम की वार्षिकी योजना में 5 लाख रु. जमा करवाये थे, जिसमें से उन्हें गत वर्ष में 35,000 रु. वार्षिकी के रूप में प्राप्त हुए।
5. उन्होंने कारखाना भवन को मशीनरी तथा फर्नीचर सहित किराये पर उठाने' का वार्षिक किराया गत वर्ष में 80,000 रु. प्राप्त किया। उनके द्वारा भवन के सम्बन्ध में ह्रास, मरम्मत एवं बीमा प्रीमियम के लिए 20,000 रु. के व्ययों की कटौती की माँग की गयी है।

From the following particulars of income fo Smt. Rama, compute the taxable income under the heads 'Capital Gains' and 'Income from other sources' for the year ended 31st March, 2010.

1. She received family pension from the employer of her deceased husband @ Rs. 4,500 per month.
2. She received Rs. 16,000 on withdrawl from National Savings Scheme qualified u/s 80CCA.
3. She received Rs. 17,900 by surrendering mutual fund in the scheme u/s 80 CCB which includes Rs. 5,900 for interest. A sum of Rs. 10,000 was invested in the Financial Year 1990-91 and the remaining amount was invested in the Financial Year 1991-92.
4. She deposited Rs. 5 lakhs in the 'Annuity Scheme' of L.I.C. in the past years. During the year she received Rs. 35,000 as annuity from the scheme.
5. She received Rs. 80,000 as annual rent of a factory building during the previous year which was leased by her with machine and furniture. She claimed a deduction of Rs. 20,000 for depreciation, repairs and insurance premium related to the building.

[Cost Inflation Index for the Financial Year 1990-91, 1991-92 and 2009-10 were 182, 199 and 632 respectively]

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

हल (Solution) :

Computation of Taxable Income from Different heads for the Asssessment Year 2010-11

	Rs.	Rs.	Rs.
(1) Capital Gains			
Surrender value of mutual funds qualified u/s 80 CC B		17,750	
Less : Indexed cost of Acquisition			
1990-91 : (10000 x 632/182)	34,725		
1991-92 : (5000 x 632/199)	15,879	50,604	(-) 32,854
Long term capital Gains (Loss)			
(2) Income from other sources			
1. Family Pension (4500 x 12)	54,000		
Less : Standard Deduction u/s 10 (18)	15,000	39,000	
2. Withdrawal from National Savings Scheme qualified u/s 80 CCA			
(16000 x 100/80)		20,000	
3. Withdrawal from Mutual Funds qualified u/s 80 CCB		15,000	
4. Annuity received from L.I.C.		35,000	
5. Rent for leasing factory building alongwith Machinery,			
Furniture etc.	80,000		
Less : Allowable Expenses	20,000	60,000	
Taxable Income from Other Sources			1,69,000

टिप्पणी :

(1) पारिवारिक पेंशन में से प्रमाप कटौती स्वीकृत की जाती है। कटौती प्राप्त पेंशन का 1/3 या 15,000 रु. जो दोनों में कम हो, की स्वीकृत की जाती है।

(2) राष्ट्रीय बचत योजना से प्राप्य राशि 2,500 रु. से अधिक होने पर, कुल राशि का 20 प्रतिशत उद्‌गम स्थान पर कर के लिए काटा जाता है।

अतः सकल कर–योग्य राशि = 16000 x 100/80 = Rs.20,000

(3) धारा 80CCB में वर्णित योजना की समाप्ति पर प्राप्त राशि में से मूल राशि 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में कर–योग्य होती है तथा अतिरिक्त राशि के सम्बन्ध में दीर्घकालीन पूँजी लाभों की गणना की जाती है। ऐसी राशि में से केवल मूल विनियोजित राशि पर ही उद्‌गम स्थान पर कर काटा जाता है, ब्याज पर नहीं।

अतः मूल विनियोजित राशि = [(17900-5900) 100/80] = Rs.15,000

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

16. जीवन बीमा निगम की एजेन्सी से प्राप्त कमीशन की आय
(Income from Commission of LIC Agency):

ऐसी ऐजन्सी के कमीशन की सकल राशि में से इस कार्य हेतु करदाता द्वारा वास्तव में किये गये व्ययों की छूट स्वीकृत की जाती है। परन्तु यदि करदाता ऐसे कमीशन की आय प्राप्त करने के लिए किये गये व्ययों का पूरा हिसाब नहीं रखता हो तो उसे निम्न प्रकार से परिकल्पित छूट (Adhoc deduction) स्वीकृत की जा सकती है :

(i) यह छूट तभी स्वीकृत की जावेगी जबकि ऐसे एजेन्ट की पूरे गत वर्ष की जीवन बीमा व्यवसाय से कमीशन की आय 60,000 रु. से अधिक न हो;

(ii) किसी भी गत वर्ष में परिकल्पित छूट की अधिकतम सीमा 20000 रू. होगी।

(iii) यदि नये बीमा तथा नवीनीकरण का बीमा कमीशन अलग–अलग प्राप्त होता हो तो नये बीमा से कमीशन का 50 प्रतिशत तथा नवीनीकरण से कमीशन का 15 प्रतिशत व्ययों के लिए परिकल्पित छूट स्वीकृत की जा सकती है। परन्तु दोनों प्रकार के कमीशन अलग–अलग न दिये हुए हों तो इस दशा में सम्पूर्ण कमीशन की राशि के 33–1/3 प्रतिशत के बराबर व्ययों के लिए यह परिकल्पित छूट स्वीकृत की जावेगी। **[धारा 194 D]**

उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती– यदि किसी वित्तीय वर्ष में बीमा कमीशन की राशि 5000 रू. से अधिक हो तो कमीशन की सम्पूर्ण राशि पर गत वर्ष 2009–10 में 10 प्रतिशत की दर से उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती की गई है।

17. लॉटरी टिकिट बेचने से प्राप्त कमीशन
(Commission received on Sale of Lottery Tickets):

कमीशन की सकल राशि में से इस आय के कमाने या प्राप्त करने के लिए किये गये व्ययों को घटा दिया जाता है, शेष राशि कर–योग्य होती है।

उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती: यदि ऐसे कमीशन की राशि किसी गत वर्ष में 1,000 रु. से अधिक हो तो कमीशन की सम्पूर्ण राशि पर गत वर्ष 2009–10 में 10 प्रतिशत की दर से उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती की गई है। **[धारा 194 G]**

18. राष्ट्रीय बचत पत्र, सार्वजनिक भविष्य निधि आदि योजनाओं की एजेन्सी का कमीशन
(Agency Commission on N.S.C., PPF and other Schemes):

ऐसी एजेन्सी से अर्जित कमीशन की सकल राशि में से इस सम्बन्ध में हुए वास्तविक व्ययों को घटाकर कर–योग्य आय ज्ञात की जाती है। यदि व्ययों का हिसाब न रखा गया हो तथा इस एजेन्ट को ऐसी योजनाओं से गत वर्ष में कमीशन की कुल राशि 60,000 रु. से अधिक न मिलती हो तो व्ययों के लिए ऐसे कमीशन की राशि का 50 प्रतिशत के बराबर परिकल्पित छूट (Adhoc Deduction) स्वीकृत की जा सकती है। ऐसे कमीशन में से उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाती है।

19. अन्य कमीशन या दलाली की आय (Income from other Commission or Brokerage) :

यदि कमीशन अथवा दलाली की आय व्यापार अथवा पेशे के लाभ शीर्षक में कर–योग्य न हो तो ऐसी आय 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में कर–योग्य होगी।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

उद्गम स्थान पर कर की कटौती (धारा 194 H): कोई भी व्यक्ति (एक हिन्दू अविभजित परिवार अथवा व्यष्टि को छोड़कर) यदि भारत में निवासी किसी भी व्यक्ति को कमीशन अथवा दलाली की आय के रूप में कोई भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है तो उसे 10 प्रतिशत की दर से उद्गम स्थान पर आय कर काटना होगा। यह कटौती कमीशन या दलाली पाने वाले व्यक्ति के खाते में ऐसी आय को जमा करते समय अथवा नकद भुगतान के समय अथवा चैक या ड्राफ्ट देते समय अथवा अन्य किसी भी प्रकार से भुगतान करते समय (जो भी पहले हो) की जायेगी। यदि कमीशन या दलाली चुकाने वाले व्यक्ति की लेखा पुस्तकों मे ऐसी राशि किसी भी खाते में (चाहे उस खाते का नाम Suspense Account या अन्य कोई हो) जमा की गयी है तो यह माना जायेगा कि ऐसा कमीशन या दलाली, पाने वाले व्यक्ति के खाते में जमा हुआ है तथा इस धारा के प्रावधान तदनुसार लागू होंगे।

परन्तु पूरे वित्तीय वर्ष में किसी व्यक्ति को चुकाया गया अथवा चुकाया जाने वाला तथा उसके खाते में जमा किया गया अथवा जमा किया जाने वाला कमीशन या दलाली यदि कुल मिलाकर 2,500 रुपयों से अधिक न हो तो उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जायेगी।

वित्त अधिनियम, 2002 के द्वारा इस सम्बन्ध में यह प्रावधान बनाया गया है कि ऐसा व्यष्टि या हिन्दू अविभाजित परिवार जिसकी तुरन्त पहले वाले वित्तीय वर्ष की सकल प्राप्तियाँ या विक्रय राशि निर्धारित सीमा से अधिक होने के कारण उसे धारा 44ABके अन्तर्गत अपने लेखों का अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है, तो वह भी जून 1, 2002 से उद्गम स्थान पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी होगा।

परन्तु इस धारा के अन्तर्गत भारत संचार निगम लिमिटेड या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा अपनी सार्वजनिक बूथ कार्यालय के रूप में फ्रेन्चाइजी धारकों को देय कमीशन या दलाली में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जायेगी।

आय का सकल बनाना – यदि कमीशन अथवा दलाली की प्राप्त राशि दी हुई हो और सकल राशि 2,500 से अधिक हो तो, सकल आय निम्न प्रकार ज्ञात की जावेगी।

Gross Income = (Commission received during the previous year x 100/90]

20. पेशेवर अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस (Fees for Professional or Technical Services) :

यदि कोई व्यक्ति (जो एक व्यष्टि या हिन्दू अविभाजित परिवार न हो) किसी निवासी व्यक्ति को पेशेवर सेवाओं के लिए या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के रूप में कोई भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है, तो ऐसी राशि के भुगतान के समय या पाने वाले के खाते में जमा करते समय (जो भी पहले हो) उसमें से 10 प्रतिशत की दर से धारा 194J के प्रावधानों के कारण उद्गम स्थान पर कर की कटौती करेगा।

यदि 2009–10 वित्तीय वर्ष में किसी एक व्यक्ति को 20,000 रुपयों से अधिक राशि का भुगतान नहीं किया गया है तो उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं होगी। कर निर्धारण अधिकारी किसी व्यक्ति के द्वारा आवेदन किए जाने पर इस आशय का प्रमाण–पत्र जारी कर सकता है कि उसको देय भुगतान की राशि में से उद्गम स्थान पर की कटौती नहीं होगी अथवा कम दर से होगी।

वित्त अधिनियम, 2002 के द्वारा इस सम्बन्ध में यह प्रावधान बनाया गया है कि ऐसा व्यष्टि या हिन्दू अविभाजित परिवार जिसकी तुरन्त पहले वाले वित्तीय वर्ष की सकल प्राप्तियां या विक्रय राशि निर्धारित सीमा से अधिक होने के कारण उसे धारा 44AB के अन्तर्गत अपने लेखों का अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है, तो

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

वह भी जून 1, 2002 से उद्गम स्थान पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी होगा।

यदि उद्गम स्थान पर कर की कटौती के पश्चात् फीस की प्राप्त राशि दी हुई हो तो फीस की सकल राशि निम्न प्रकार ज्ञात की जावेगी।

Gross Amount = Net amount received x 100/90]

21. घुड़दौड़ के लिए घोड़े रखने से आय
(Income from maintenance of horses for horse race) :

ऐसी आय में से वे सभी व्यय स्वीकृत किये जाते हैं जो ऐसे व्यवसाय से सम्बन्धित हो। यदि ऐसी आय ऋणात्मक हो अर्थात् घोड़े रखने से हानि हुई हो तो ऐसी हानि को चार कर–निर्धारण वर्षों तक आगे ले जाकर उन वर्षों में घुड़दौड़ के लिए घोड़े रखने से हुई आय में से समायोजित किया जा सकता है। चालू वर्ष में ऐसी हानि का समायोजन अन्य किसी आय से नहीं किया जा सकता है।

22. अस्पष्ट साधनों से आय (Income from Un-explained Sources) :

करदाता की निम्नांकित आयों को स्पष्ट साधनों से आय मानकर 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में कर–योग्य किया जाता हैः

(i) नकद साख (Cash Credit) (धारा 68)

(ii) अस्पष्ट विनियोग (Un-explained Investment) (धारा 69)

(iii) अस्पष्ट धन (Un-explained Money) (धारा 69A)

(iv) विनियोगों को पुस्तकों में पूर्ण मूल्य पर न दिखाना (Amount of Investment not fully disclosed in the books) (धारा 69 B)

(v) अस्पष्ट व्यय (Un-explained Expenditure) (धारा 69 C)

(iii) हुण्डी पर लिये गये ऋण तथा उनका पुर्नभुगतान (Amount borrowed or repaid on hundi)(धारा 69D)

उपर्युक्त का वर्णन 'मानी गई आयों' से सम्बन्धित इकाई दस में किया गया है।

23.विदेशी सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों पर ब्याज (Interest on Foreign Govt Securities) :

ऐसी प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज की राशि भारत में निवासी करदाताओं के लिए कर–योग्य होती है। यदि ऐसी प्रतिभूतियों की आय पर विदेशी सरकार को कर चुकया गया है तो ऐस कर को घटाने के पश्चात् शेष बची राशि ही कर योग्य होती है।

24. प्रतिभूतियों पर ब्याज के अलावा अन्य ब्याज से आय
(Income from Interest other than interest on securities) :

(अ) कर मुक्त ब्याज (Exempted Interest)

(i) सार्वजनिक भविष्य निधि में जमा राशि पर ब्याज।

(ii) डाकघर के बचत खाते में जमा राशि पर ब्याज।

(iii) 10 वर्षीय तथा 15 वर्षीय डाकघर के संचयी जमा खाते (Cumulative Time Deposit Account) में

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

जमा राशि पर ब्याज तथा बोनस।

(iv) डाकघर के स्थायी जमा खाते (F.D. A/c) में जमा राशि पर ब्याज।

(v) किसी अनिवासी व्यष्टि के लिए भारत में किसी बैंक में अनिवासी (बाह्य) खाते [Non-Resident (External) Account] में जमा राशि पर ब्याज।

(ब) प्रतिभूतियों पर ब्याज के अतिरिक्त अन्य ब्याज जिसके सम्बन्ध में उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती की जाती है (वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए) (Interest other than Interest on securities' on which tax is deducted at source): (धारा 194A).

एक व्यष्टि या हिन्दू अविभाजित परिवार को छोड़कर कोई भी व्यक्ति यादि भारत में निवासी किसी भी व्यक्ति को ब्याज की आय के रूप में (प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में आय को छोड़कर) कोई भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है तो उसे 10 प्रतिशत के अनुसार आय कर काटना होगा। यह कटौती ब्याज पाने वाले व्यक्ति के खाते में ऐसी आय को जमा करते समय अथवा नगद भुगतान के समय अथवा चैक या ड्राफ्ट देते समय अथवा अन्य किसी भी प्रकार से ब्याज चुकाते समय (जो भी पहले हो) की जायेगी। यदि ब्याज चुकाने वाले व्यक्ति की लेखा पुस्तकों में ऐसा ब्याज किसी भी खाते में (चाहे उस खाते का नाम Interest Payable Account या Suspense Account या अन्य कोई हो) जमा किया गया है तो यह माना जायेगा कि ऐसा ब्याज, पाने वाले व्यक्ति के खाते में जमा हुआ है तथा इस धारा के प्रावधान तदनुसार लागू होंगे।

वित्त अधिनियम, 2002 के द्वारा इस सम्बन्ध में यह प्रावधान बनाया गया है कि ऐसा व्यष्टि या हिन्दू अविभाजित परिवार जिसकी तुरन्त पहले वाले वित्तीय वर्ष की सकल प्राप्तियां या विक्रय राशि निर्धारित सीमा से अधिक होने के कारण उसे धारा 44AB के अन्तर्गत अपने लेखों का अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है, तो वह भी जून 1, 2002 से उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी होगा।

निम्न परिस्थितियों में ब्याज में से उद्‌गम स्थान पर आयकर नहीं काटा जायेगा –

(i) यदि पूरे वित्तीय वर्ष में किसी व्यक्ति का चुकाया जोने वाला तथ उसके खाते में जमा किया जाने वाला ब्याज कुल मिलाकर 5,000 रुपयों से अधिक न हो परन्तु बैंक के स्थायी जमा खाते व बैंकिंग व्यवसाय करने वाली सहकारी समिति की स्थायी जमा खाते तथा पोस्ट ऑफिस की अधिसूचित जमा योजना पर ब्याज 10,000 रु. से अधिक होने पर ही उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती की जायेगी।

परन्तु निम्न संस्थाओं की आय के सम्बन्ध में एक वित्तीय वर्ष में सावधी जमाओं (Term Deposits) पर चुकाये गए या जमा किये गये ब्याज क सम्बन्ध में 5,000 रुपये की उपर्युक्त सीमा एक बैंक अथवा सहकारी समिति अथवा सार्वजनिक कम्पनी की किसी एक शाखा द्वारा चुकाये गये या जमा किये गये ब्याज के लिए मानी जायेगी।

(a) किसी ऐसी बैंकिंग कम्पनी के पास सावधिक जमा (Time Deposit) पर ब्याज, जिस पर बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 (Banking Regulation Act, 1949) लागू है (इसमें इस अधिनियम की धारा 51 में उल्लेखित बैंक या बैंकिंग संस्था भी शामिल है);

(b) बैंकिंग का व्यवसाय चलाने वाली एक सहकारी समिति के पास सावधि जमा पर ब्याज; तथा

(c) भारत में स्थापित एवं पंजीकृत किसी सार्वजनिक कम्पनी के पास जमा पर ब्याज, जिसका मुख्य उद्देश्य आवासीय उद्देश्यों के लिए भारत में मकानों का निर्माण करने या क्रय करने हेतु दीर्घकालीन वित्त

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

उपलब्ध करने का व्यवसाय चलाना है तथा जो धारा 36 (1) (viii) के अन्तर्गत कटौती के लिये पात्रता रखती है।

(ii) यदि ब्याज निम्नलिखित को देय हो –

(a) बैंकिंग कम्पनी अथवा बैंकिंग व्यवसाय में लगी कोई सहकारी समिति,

(b) वैधानिक वित्त निगम,

(c) भारतीय जीवन बीमा निगम,

(d) यूनिट ट्रस्ट आफ इन्डिया,

(e) बीमा व्यवसाय चलाने वाली कोई कम्पनी या सहकारी समिति, तथा

(f) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की गई कोई भी अन्य संस्था, संघ या समुदाय।

(iii) एक फर्म द्वारा अपने साझेदार को देय ब्याज पर।

(iv) यदि ब्याज का भुगतान किसी सहकारी समिति के द्वारा उसके सदस्य को सावधि जमाओं या अन्य जमाओं पर अथवा किसी अन्य सहकरी समिति को किया गया हो।

(v) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की गई निम्न योजनाओं के अन्तर्गत जमा राशि पर देय ब्याज में से–

(a) Post Office (Time Deposits) Rules, 1970 के अन्तर्गत सावधि जमा योजनाएं

(b) Post Office (Recurring Deposits) Rules, 1970 के अन्तर्गत आवर्ती जमा योजनाएं ।

(c) Monthly Income Scheme के अन्तर्गत देय ब्याज में से।

(vi) बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के अन्तर्गत आने वाली बैंकिंग कम्पनियों अर्थात् बैंकों में 1 जुलाई, 1995 या इसके पश्चात् सावधि जमा में जमा करवाई गई राशि के अतिरिक्त अन्य राशियों पर जमा होने वाले या चुकाये गये ब्याज पर। (बैंकों में सावधि जमा के अतिरिक्त अन्य किसी जमा पर जमा किये गये ब्याज में से उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाती है)

(vii) (a) किसी प्राथमिक कृषि साख समिति अथवा किसी प्राथमिक साख समिति अथवा किसी सहकारी भूमि बंधक बैंक अथवा किसी सहकारी भूमि विकास बैंक के पास जमाओं पर ब्याज में से।

(b) उपर्युक्त (a) में वर्णित सहकारी समितियों को छोड़कर अन्य किसी ऐसी सहकारी समिति के पास जमाओं पर ब्याज में से, जो बैंकिंग व्यवसाय में लगी हुई हैं।

(viii) प्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित किसी भी अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के पास जमा रकम पर देय ब्याज में से।

(ix) किसान विकास पत्र, तथा राष्ट्रीय बचत पत्र (अष्टम निर्गम) पर देय या प्राप्त ब्याज में से।

(x) भुगतान कर्ता को फार्म संख्या 155 या 15H में घोषणा करने पर– भुगतान प्राप्त कर्ता (फर्म तथा कम्पनी को छोड़कर) द्वारा फार्म संख्या 15H तथा वरिष्ठ नागरिक द्वारा 15G में दो प्रतियों में लिखित रूप से तथा निर्धारित विधि से सत्यापित करवाकर इस आशय का घोषणा पत्र भुगतान करने वाले को प्रस्तुत किया जावे कि उसकी कुल अनुमानित आय पर देय कर शून्य होगा। फार्म संख्या 15H या

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

15G के आधार पर भुगतान कर्ता उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं करेगा।

(xi) भुगतान प्राप्तकर्ता कर कर निर्धारण अधिकारी को फार्म संख्या 13 में आवेदन करके उससे एक ऐसा प्रामाण–पत्र प्राप्त कर ले जिसके द्वारा भुगतान–कर्त्ता को उद्गम स्थान पर कर की कटौती कम दर से या बिल्कुल ही नहीं करने के लिए अधिकृत किया गया हो । इस फार्म के आधार पर भुगतानकर्ता उद्गम स्थान पर कर की कटौती या तो बिल्कुल भी नहीं करेगा या कम दर से करेगा।

25. प्रमुख व्यक्ति की बीमा पॉलिसी से प्राप्त राशि (Amount received from Key-man Insurance Policy):

कुछ कर्मचारी व्यवसाय में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उनके व्यवसाय में न रहने पर व्यवसाय को भारी हानि उठानी पड़ सकती है। इस प्रकार की जोखिम के सम्बन्ध में बीमा पॉलिसी ली जा सकती है। ऐसी पॉलिसी पर व्यवसाय द्वारा प्रीमियम चुकाया जाता है। पॉलिसी की परिपक्वता पर बोनस सहित राशि नियोक्ता को प्राप्त होती है। ऐसी राशि में से नियोक्ता कुछ हिस्सा उस कर्मचारी को या उसके परिवार को भी दे सकता है। कर्मचारी को प्राप्त ऐसी राशि वेतन से आय शीर्षक में कर–योग्य होती है, जबकि व्यवसायी को प्राप्त राशि 'व्यवसाय या पेशे के लाभ' शीर्षक में अथवा 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में कर योग्य होती है।

26. जीवन बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त राशि (Amount received from Life Insurance Policy):

सामान्यतः जीवन बीमा पॉलिसी की प्राप्त राशि (बोनस सहित) धारा 10(10D) के तहत कर मुक्त होती है, परन्तु निम्न परिस्थितियों में ऐसी राशि कर–योग्य होती है–

(i) विकलांग आश्रित के लिये ली गई बीमा पॉलिसी की राशि यदि उस विकलांग व्यक्ति की मृत्यु होने पर राशि करदाता को प्राप्त होती है तो करदाता के लिये ऐसी राशि धारा 80DD(3) के अन्तर्गत कर–योग्य आय मानी जायेगी।

(ii) 1 अप्रैल, 2003 या उसके बाद जारी की गई बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत प्राप्त राशि कर योग्य आय मानी जाती है यदि ऐसी पॉलिसी की सम्पूर्ण अवधि के दौरान किसी भी वित्तीय वर्ष के लिये देय प्रीमियम की राशि 'बीमित पूंजीगत राशि' के 20 प्रतिशत से अधिक रही हो। परन्तु ऐसी राशि बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त हो तो यह राशि धारा 10(10D) के अन्तर्गत प्राप्तकर्ता के लिये कर मुक्त मानी जायेगी।

27. लाटरी, वर्ग पहेली, घुड़दौड़ तथा ताश के खेल की जीत से हुई आय (Winnings from Lottery, Crossword Puzzles, Horse Race and Card Games) [धारा 56 (2)(ib)]

लाटरी, वर्ग पहेली, घुड़दौड़ सहित अन्य दौड़, ताश के खेल सहित अन्य सभी प्रकार के खेल तथा प्रत्येक प्रकार के जुए अथवा शर्त से जीत के रूप में हुई आय 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में 'आकस्मिक आय' के नाम से कर–योग्य होती है। ऐसी आयों के सम्बन्ध में धारा 58 (4) के प्रावधानों के कारण किसी भी प्रकार के व्यय या हानि की कटौती स्वीकृत नहीं की जाती है। सम्पूर्ण जीती गयी राशि कर–योग्य होती है।

लाटरी के एजेन्ट या व्यापारी के पास बिना बिकी / बिना दावा की गयी लाटरी टिकटों पर इनामों के सम्बन्ध में एजेण्ट या व्यापारी को होने वाली आय 'व्यवसाय अथवा पेशे से आय' शीर्षक में कर–योग्य होती है ऐसी आय लाटरी की आय के रूप में 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में कर–योग्य नहीं होती है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

उद्गम स्थान पर कर की कटौती (Tax Deduction at Source):

(अ) लॉटरी या वर्ग पहेली या ताश के खेल या अन्य खेल से प्राप्त आय के सम्बन्ध में [धारा 194B] – ऐसी आय में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती से सम्बन्धित प्रावधान अग्रलिखित हैं–

(i) यह कटौती 5,000 रु. से अधिक के भुगतान पर लागू होती है। यदि पुरस्कार की सकल राशि 5,000 रु. से अधिक हो तो उसमें से 30 प्रतिशत की निर्धारित दर से कटौती की जायेगी।

(ii) यदि पुरस्कार का भुगतान किश्तों में किया जाता है तो प्रत्येक किश्त के भुगतान के समय यह कटौती की जायेगी।

(iii) यदि ऐसा पुरस्कार वस्तु के रूप में दिया जाता है, तो पुरस्कार तभी दिया जायेगा जबकि उस पर कर चुका दिया गया हो। यदि पुरस्कार अंशतः वस्तु के रूप में तथा अंशतः नकद दिया जाना है तो नकद राशि तथा वस्तु के रूप में मिले पुरस्कार के मूल्य का योग ज्ञात करके उस पर निर्दिष्ट दरों के आधार पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जायेगी। यदि पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली नकद राशि कटौती के लिए पर्याप्त न हो, तो पुरस्कार तभी दिया जायेगा जब कि कर का भुगतान कर दिया गया हो।

ऐसी प्राप्तियों को सकल करने के नियम – वित्तीय वर्ष 2009–10 में उद्गम स्थान पर कर की कटौती 30 प्रतिशत की दर से की गई थी, अतः यदि प्राप्त राशि (Net Amount) दी गई है तो सकल राशि का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाता है–

सकल राशि = [प्राप्त राशि x 100/70]

(ब) घुड़दौड़ की इनाम के सम्बन्ध में [धारा 194BB] – ऐसी इनाम की राशि 2500 रू. से अधिक होने पर ही उद्गम स्थान पर कर की कटौती वित्तीय वर्ष 2009–10 में 30 प्रतिशत की दर से की गई थी।

प्राप्तियों को सकल बनाने के नियमः

प्राप्त राशि को 100/70 से गुणा कर दिया जाता है।

स्पष्टीकरण :

लॉटरी, वर्ग पहेली तथा खेल की जीती गई राशि एवं घुड़दौड़ में जीती गयी राशि में से ही उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाती है। अन्य आकस्मिक आयों जैसे घुड़दौड़ के अलावा अन्य दौड़ शर्त, जुए आदि में जीती गई राशियों में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाती है।

उदाहरणार्थ : एक करदाता को गत वर्ष 2009–10 में 2,000 रु. लॉटरी के पुरस्कार के 2,800 रु. घुड़दौड़ में जीत के तथा 3,060 रु. ऊंट दौड़ में जीत के प्राप्त हुए। उसने 2,000 रु. हाथी दौड़ में हारे। करदाता की कर–योग्य आय निम्न होगीः

	रुपये
लॉटरी की जीत की राशि	2,000
घुड़दौड़ की जीत की राशि (2800 x 100/70)	2,900
	3,060
ऊंट दौड़ की जीत की राशि	9,060

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

टिप्पणी :

1. लॉटरी की जीत की राशि 5,000 रु. से कम हाने के कारण उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की गई है, इसलिए प्राप्त राशि ही सकल राशि होगी।
2. ऊँट दौड़ की जीत की राशि में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाती।
3. हाथी दौड़ में हार की राशि का समायोजन किसी भी आय में से नहीं किया गया है। धारा 58 (4) के अनुसार आकस्मिक आयों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के व्यय या हानि को समायोजित नहीं किया जाता है।

28. लाभांश की आय (Income from Dividend)

(अ) लाभांश का अर्थ – किसी कम्पनी द्वारा अपने अंशधारियों को उसके लाभों में से नकदी में किये गए वितरण को सामन्यतः लाभांश कहा जाता है परन्तु आय–कर अधिनियम में लाभांश की कोई विशेष परिभाष नहीं दी गई है। धारा 2 (22) में केवल यह बताया गया है कि अंशधारियों को कम्पनी से मिलने वाली कौन–कौन सी प्राप्तियों को लाभांश में सम्मिलित किया जाता है तथा कौन–कौन सी प्राप्तियों को इसमे ंसम्मिलित नहीं किया जाता है।

धारा 2 (22) के अन्तर्गत किसी कम्पनी द्वारा अपने अंशधरियों को किये गये निम्नांकित भुगतान अथवा वितरण को कम्पनी के संचित लाभों की सीमा तक लाभांश के रूप में समझा जायेगा–

(a) कोई ऐसा वितरण जिसके कारण कम्पनी की सम्पत्तियां कम हो जाए;
(b) अंशधारियों को ऋणों या जमा पत्रों का वितरण तथा पूर्वाधिकार अंशधारियों को बोनस अंशों का वितरण;
(c) कम्पनी के समापन पर वितरण;
(d) अंश–पूंजी में कमी करके किया गया वितरण; तथा
(e) ऐसी कम्पनी द्वारा जिसमें जनता का समुचित हित नहीं हे अपने ऐसे अंशधारी को जो 10 प्रतिशत अथवा अधिक मताधिकार वाले अंशों का स्वामी है (ऐसे अंशों को छोड़कर जिन पर स्थिर दर से लाभांश दिया जाता है) को अग्रिम अथवा ऋण के रूप में किया गया भुगतान अथवा किसी संस्था को किया गया भुगतान जिसमें ऐसा अंशधारी सदस्य अथवा साझेदार हैं तथा उस संस्था में उसका सारवान हित है, उस सीमा तक उनके लिए लाभांश माना जाता है, जिस सीमा तक कम्पनी के पास एकत्रित लाभ हों। [धारा 2 (22)(e)]

लाभांशों पर कर लगाने सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण प्रावधान

(Important Provisions Regarding taxation of Dividends)

(i) लाभांश की आय के गत वर्ष का निर्धारण– लाभांश उस गत वर्ष की आय माने जाते हैं जिसमें ये कम्पनी द्वारा घोषित, वितरित अथवा चुकाये जाते हैं। परन्तु अन्तरिम लाभांश उस गत वर्ष की आय माने जाते हैं जिसमें कम्पनी इनको बिना शर्त चुकाने के लिए तत्पर हो अर्थात् कम्पनी द्वारा अंशधारियों को लाभांश पत्र भेजा जावे। माने गये लाभांश उस गत वर्ष की आय होते हैं जिसमें कम्पनी द्वारा इनको वितरित किया जाता है।

(ii) घरेलू कम्पनी से प्राप्त लाभांश का कर मुक्त होना– आय कर अधिनियम की धारा 115–O के अनुसार एक घरेलू कम्पनी को उसके द्वारा घोषित या वितरित या प्रदत्त (जो भी पहले हो) लाभांश पर अतिरिक्त आय कर देना होगा तथा धारा 10 (34) के अन्तर्गत अंशधारी के लिये ऐसा लाभांश कर–मुक्त होगा।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

धारा 115–O के लिये लाभांश की परिभाषा में धारा–2(22) के वाक्यांश (a) से (d) तक में वर्णित माने गये लाभांश को भी सम्मिलित किया गया है परन्तु वाक्यांश (e) में वर्णित माने गये लाभांश को सम्मिलित नहीं किया गया है। धारा 2 (22) (e) में वर्णित लाभांश कर–योग्य होगा।

(iii) विदेशी कम्पनियों से प्राप्त लाभांश का कर–योग्य होना– विदेशी कम्पनियों से प्राप्त होने वाले लाभांश पर लाभांश के रूप में ही कर लगाया जाता है। यदि कोई विदेशी कम्पनी लाभांश चुकाते समय कर के रूप में कोई राशि काट लेती है तथा जिसको वह उस विदेशी सरकार को देने के लिए बाध्य नहीं है तो ऐसी राशि को अंशधारी की आय में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है और प्राप्त लाभांश को ही सकल लाभांश माना जाता है।

(iv) सहकारी समिति से प्राप्त लाभांश– सहकारी समिति से प्राप्त लाभांश कर–योग्य होता है। सहकारी समिति के द्वारा लाभांश के भुगतान में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाती है। अतः प्राप्त लाभांश को सकल लाभांश माना जाता है।

(v) U.T.I. व पारस्परिक कोष की यूनिटों से प्राप्त/प्राप्य लाभांश कर–मुक्त होता है।

(vi) ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट योजना में एक भारतीय कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों को विदेशी मुद्रा के बदले निर्गमित अंशों पर लाभांश धारा 115 ACA में कर योग्य होगा। इस पर रियायती दर 10 प्रतिशत से आयकर लगता है। परन्तु ऐसा लाभांश भी सामान्यतः धारा 115 -O के क्षेत्र में आ जायेगा तथा अंशधारी कर्मचारी के लिये कर मुक्त हो जायेगा।

लाभांश की आय में से व्यय के लिए स्वीकार्य कटौतियाँ

(Allowable Deductions from Dividnd Income for Expenses) [धारा 57(i) तथा 57 (ii)] :

लाभांश की सकल आय में से निम्नांकित व्ययों के लिए कटौती स्वीकार्य हैः

(अ) वसूली प्रभार (Collection Charges) : लाभांश एकत्रित करने के लिए करदाता (अंशधारी) द्वारा बैंक अथवा किसी अन्य व्यक्ति को कमीशन अथवा पारिश्रमिक के रूप में देय वास्तविक राशि की छूट स्वीकार्य है।

(ब) ऋण पर ब्याज : अंशधारी द्वारा अंश क्रय करने हेतु लिए गये ऋण पर गत वर्ष में देय ब्याज की कटौती स्वीकार्य है भले ही ऐसे अंशों पर गत वर्ष में करदाता को कोई लाभांश न मिला हो।

यदि ब्याज का भुगतान भारत के बाहर किया जाता है तो ब्याज की कटौती उस स्थिति में स्वीकृत की जावेगी जब कि भुगतानकर्ता द्वारा उद्गम स्थान पर कर की कटौती कर ली गयी हो या भुगतान प्राप्तकर्ता ने भारत में ऐसे ब्याज पर कर का भुगतान कर दिया हो।

2.9 बिना प्रतिफल के प्राप्त राशि (उपहार) को प्राप्तकर्ता की आय मानना (Receipt without consideration to be treated as income of the recipient) [धारा 56(2)(vi)] :

यदि एक व्यष्टि अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार करदाता को 1 अक्टूबर, 2009 से पूर्व गत वर्ष में बिना प्रतिफल के 50,000 रु. से अधिक की राशि किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों से प्राप्त होती है (अर्थात उपहार मिलता है) तो इस प्रकार प्राप्त की गई सम्पूर्ण राशि करदाता की गत वर्ष की कर–योग्य आय मानी जायेगी। परन्तु निम्न परिस्थितियों में उपहार की राशि को करदाता की करयोग्य आय नहीं माना जायेगाः

(i) यदि ऐसी राशि (उपहार) किसी रिश्तेदार से प्राप्त हुई है।

(ii) यदि ऐसी राशि (उपहार) किसी व्यक्ति को उसकी शादी के अवसर पर प्राप्त हुई है।

(iii) यदि ऐसी राशि किसी प्रतिफल के बदले प्राप्त हुई है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(iv) यदि ऐसी राशि वसीयत के अन्तर्गत अथवा उत्तराधिकार के कारण प्राप्त हुई है।

(v) यदि ऐसी राशि भुगतानकर्त्ता द्वारा उसकी मृत्यु की सम्भावना (in contemplation of death) में दी गई है।

(vi) यदि ऐसी राशि निम्न में से किसी से भी प्राप्त हुई है :

(अ) किसी स्थानीय सत्ता से, अथवा

(ब) धारा 10 (23C) में उल्लेखित किसी कोष, या फाउण्डेशन या विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था या चिकित्सालय या अन्य मेडिकल संस्था या किसी ट्रस्ट अथवा संस्था से , अथवा

(स) धारा 12AA के अन्तर्गत पंजीकृत किसी ट्रस्ट अथवा संस्था से।

रिश्तेदार से आशय– इस धारा के उद्देश्य के लिए रिश्तेदार से आशय निम्नांकित व्यक्तियों से है–

(i) व्यष्टि का जीवन–साथी;

(ii) व्यष्टि का भाई अथवा बहन;

(iii) व्यष्टि के जीवन–साथी का भाई अथवा बहन ;

(iv) व्यष्टि के माता या पिता का भाई अथवा बहन;

(v) व्यष्टि के पूर्वज (माता–पिता या दादा–दादी) या वंशज (पुत्र–पुत्री या पौत्र–पौत्री)

(vi) उपर्युक्त (ii) से (vi) तक में वर्णित व्यक्तियों के जीवन साथी।

30. 1 अक्टूबर, 2009 को या इसके पश्चात् प्राप्त धन राशि या सम्पत्ति को प्राप्तकर्ता की आय मानना (Receipt of sum of money or property on or after 1st October, 2009 to be treated as income of the recipient) [धारा 56(2) (vii)] :

उपर्युक्त वाक्यांश 29 में वर्णित **धारा 56(2)(vi)** के प्रावधान 1 अक्टूबर, 2009 से अप्रभवी हो गये हैं। इस धारा के स्थान पर 1 अक्टूबर, 2009 से नई धारा **56(2)(vii)** जोड़ी गयी है जिसके अनुसार सम्बन्धी के अलावा अन्य किसी व्यक्ति से गत वर्ष में यदि कोई धन या अचल सम्पत्ति बिना प्रतिफल के प्राप्त होती है या कोई निर्दिष्ट सम्पत्ति बिना प्रतिफल के या अपर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त होती है तो ऐसी सम्पत्ति को करदाता की कर–योग्य आय मानने के प्रावधान निम्न प्रकार हैं :

(अ) बिना प्रतिफल के कोई धन राशि (नकद, चैक या ड्राफ्ट द्वारा) रिश्तेदार के अलावा अन्य किसी व्यक्ति से प्राप्त होती हैं तथा ऐसे समस्त व्यवहारों से प्राप्त राशियों का योग (गत वर्ष में 1 अक्टूबर, 2009 को या इसके पश्चात्) 50,000 रु. से अधिक हो तो ऐसी समस्त राशियों का योग प्राप्तकर्ता की कर योग्य आय मानी जायेगी।

(ब) अचल सम्पत्ति का प्रत्येक ऐसा व्यवहार जिसका स्टाम्प ड्यूटी मूल्य 50,000 रु. से अधिक हो, बिना प्रतिफल के सम्बन्धी के अलावा अन्य किसी से 1 अक्टूबर, 2009 को या इसके बाद किया गया हो तो ऐसे व्यवहारों की राशि प्राप्तकर्ता की कर–योग्य आय मानी जावेगी।

(स) एक या अधिक निर्दिष्ट चल सम्पत्ति करदाता को बिना प्रतिफल के या अपर्याप्त प्रतिफल के रिश्तेदार के अलावा अन्य किसी से प्राप्त होती है तो ऐसी राशि को करदाता की कर योग्य आय माना जावेगा यदि सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य एवं देय प्रतिफल का कुल अन्तर (सभी व्यवहारों का) 50,000 रु. से अधिक हों।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

स्पष्टीकरण :

1. सम्बन्धी या रिश्तेदार का तात्पर्य वही है जा धारा 56(2) (vi) में दिया गया है।
2. निर्दिष्ट चल सम्पत्ति का तात्पर्य अंश एवं प्रतिभूतियों, जेवरात, पुरातत्वीय वस्तुएं, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, मूर्तियों या किसी कलाकृति से है।

31. प्रतिभूतियों पर ब्याज से आय (Income of Interest on Securities)

I. प्रतिभूति का आशय (Meaning of Security) : प्रतिभूति का आशय एक ऐसे लिखित साक्ष्य से है जिसे एक संस्थ जनता से लिए गए ऋण की स्वीकृति के रूप में जारी करती है तथा साथ ही उस ऋण पर पूर्व निश्चित दर से निर्धारित तिथियों पर ब्याज के भुगतान का और एक निश्चित समय के उपरान्त ऋण के पुनर्भुगतान का वादा करती है। उदाहरण के लिए सरकार, स्थानीय सत्ताएं, प्राधिकरण, निगम और कम्पनियाँ जब जनता से ऋण प्राप्त करती है तो प्रमाण–पत्र जारी करती हैं। अतः ये प्रतिभूतियाँ हैं। किन्तु कम्पनी द्वारा जारी किये गए अंश–पत्र (share certificate) अथवा बैंक द्वारा जारी की गई स्थायी जमा की रसीद प्रतिभूति नहीं है क्योंकि ये ऋण की स्वीकृति के साक्ष्य नहीं हैं।

आयकर अधिनियम की धारा 2 (28B) के अनुसार प्रतिभूतियों के ब्याज में निम्न ब्याज सम्मिलित किया जाता हैः

(i) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों पर ब्याज;

(ii) किसी स्थानीय सत्ता, कम्पनी अथवा केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किसी निगम के द्वारा निर्गमित ऋण–पत्र अथवा अन्य प्रतिभूतियों पर ब्याज। स्थानीय सत्ता से अभिप्राय नगरपालिका, नगर निगम, जिला–परिषद, नगर सुधार न्यास, पोर्ट ट्रस्ट इत्यादि से है।

II. प्रतिभूतियों पर ब्याज का उपार्जन (Accrual of Interest on Securities) : प्रतिभूतियों पर ब्याज की देय तिथियाँ निश्चित होती हैं तथा ब्याज उन देय तिथियों को ही उपार्जित हुआ माना जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी प्रतिभूति पर ब्याज की देय तिथि 31 दिसम्बर हो तो 1जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2009 तक का ब्याज 31 दिसम्बर, 2009 को ही उपर्जित हुआ माना जायेगा तथा जो भी व्यक्ति उस दिन उन प्रतिभूतियों का स्वामी होगा, वह ब्याज उसी व्यक्ति की आय मानी जायेगी और 2009–10 गत वर्ष की कुल आय में शामिल होगी। वह व्यक्ति गत वर्ष में कितनी अवधि के लिए उन प्रतिभूतियों का धारक या स्वामी रहा था, इस बात का कोई महत्त्व नहीं है। प्रतिभूतियों पर ब्याज की गणना उनके अंकित मूल्य (Face value) पर की जाती है।

III. प्रतिभूतियों का ब्याज सहित क्रय–विक्रय (Cum-interest Purchase & Sale of Securities): ऐसी स्थिति में सौदे के बाद वाली ब्याज की प्रथम देय तिथि को ब्याज की राशि सम्पूर्ण अवधि के लिए क्रेता को प्राप्त होगी भले ही उसने ऐसी प्रतिभूतियों को ब्याज की तिथि के केवल कुछ दिन पहले ही खरीदा हो। इस दशा में क्रेता को सम्पूर्ण ब्याज पर कर चुकाना होगा, यद्यपि क्रेता के पास ऐसी प्रतिभूतियाँ सम्पूर्ण अविध के लिए नहीं रही हैं।

IV. प्रतिभूतियों का 'ब्याज–रहित कर–विक्रय (Ex-Interest Purchase & Sale of Securities) : इस स्थिति में सौदे के पश्चात् ब्याज की प्रथम देय तिथि को ब्याज की सम्पूर्ण राशि विक्रेता को प्राप्त होगी तथा विक्रेता को ही इस पर कर चुकाना होगा, यद्यपि विक्रेता ब्याज देय तिथि को उन प्रतिभूतियों का स्वामी नहीं था।

V. दिखावटी लेन–देन (Bond Washing Transactions): प्रतिभूतियों का ब्याज उस करदाता की आय में शामिल किया जाता है जिसका नाम ब्याज घोषित होने वाली तिथि के दिन कम्पनी के रजिस्टर

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

में दर्ज है, भले ही उसने उन प्रतिभूतियों को कुछ दिन पहले ही प्राप्त किया हो। कुछ व्यक्ति इस व्यवस्था का अनुचित उपयोग भी कर सकते हैं। वे ब्याज की देय तिथि से कुछ दिन पूर्व प्रतिभूतियों को ब्याज सहित बेच सकते हैं तथा ब्याज की देय तिथि के उपरान्त उसी प्रकार की प्रतिभूतियों का पुनः क्रय भी कर सकते हैं। यह कार्य वे नियमित रूप से कर दायित्व से बचने के लिए भी कर सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों से निपटने के उद्देश्य से धारा 94 के अन्तर्गत कर निर्धारण अधिकारी को यह अधिकार दिया गया है कि वे ऐसी प्रतिभूतियों पर ब्याज की देय तिथि को उपार्जित होने वाला ब्याज उस व्यक्ति की कुल आय में शामिल कर सकते हैं जिसने ब्याज की देय तिथि से पूर्व ही उनका विक्रय कर दिया था।

प्रतिभूतियिों पर ब्याज के सम्बन्ध में कर दायित्व से बचने के उद्देश्य से ब्याज की देय तिथि से पूर्व उनका विक्रय कर देना और इसके पश्चात् उनका क्रय कर लेना "दिखावटी लेनदेन" (Bond Washing transaction) कहलाता है। प्रतिभूतियों का क्रय–विक्रय दिखावटी तथा दुर्भावनायुक्त है अथवा वास्तविक तथा सद्भावनापूर्ण? इस बात का निर्णय सभी सम्बन्धित परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए। यदि कर निर्धारण अधिकारी किसी क्रय–विक्रय को दिखावटी मान लेता है तो यह सिद्ध करने का दायित्व करदाता का होगा कि वह दिखावटी लेनदेन नहीं है।

VI. प्रतिभूतियों के क्रय–विक्रय से लाभ या हानि (Profit or Loss on Purchase & Sale of Securities): प्रतिभूतियों के क्रय–विक्रय से होने वाला लाभ इस शीर्षक में कर–योग्य नहीं होता वरन् पूँजी लाभ शीर्षक में कर–योग्य होता है। इस शीर्षक में केवल प्रतिभूतियों का ब्याज ही कर–योग्य होता है।

VII. कटौतियाँ (Deductions): धारा 57 (i) एवं (iii) के अनुसार प्रतिभूतियों के ब्याज से कर–योग्य आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित कटौतियाँ स्वीकृत की जाती हैं–

(i) ब्याज वसूली के लिए करदाता द्वारा किये गये उचित व्यय, जैसे कमीशन।

(ii) ऐसी प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए करदाता द्वारा लिये गये ऋण पर ब्याज।

1. प्रतिभूतियों को खरीदने हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की कटौती दी जाती है, भले ही गत वर्ष में ऋण पर ब्याज का भुगतान नहीं किया गया हो।
2. यदि गत वर्ष में करदाता को प्रतिभूति पर ब्याज उपार्जित नहीं हुआ है, तब भी ऋण पर देय ब्याज कटौती योग्य होगा।

यदि करदाता प्रतिभूतियों को अपने स्वयं की पूंजी से खरीदता है तथा व्यापार के सम्बन्ध में या अन्य कारण से ऋण लेता है तो ऐसे ऋण पर ब्याज की कटौती प्रतिभूतियों के ब्याज में से नहीं दी जा सकती है।

VIII. प्रतिभूतियों के प्रकार (Types of Securities): कर देयता के आधार पर प्रतिभूतियों को चार वर्गों में बाँटा जा सकता है:

(क) कर–योग्य सरकारी प्रतिभूतियाँ

(ख) कर–योग्य गैर सरकारी प्रतिभूतियाँ

(ग) सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी की अधिसूचित प्रतिभूतियाँ जो पूर्णतः कर–मुक्त हों; तथा

(घ) अन्य कर मुक्त प्रतिभूतियाँ

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(क) कर–योग्य सरकारी प्रतिभूतियाँ (Taxabl Govt. Securities):

ऐसी प्रतिभूतियों के ब्याज पर उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाती है तथ सकल राशिएवं शुद्ध राशि बराबर होती है। वे प्रतिभूतियाँ केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा निर्गमित की जाती है।

(ख) कर–योग्य गैर–सरकारी प्रतिभूतियाँ (Taxable Non-Govt. Securities):

इस श्रेणी में किसी कम्पनी, स्थानीय सत्ता तथा वैधानिक निगम के द्वारा निर्गमित ऋण–पत्र बॉण्ड एवं अन्य प्रतिभूतियाँ सम्मिलित होती हैं।

उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती (Tax Deduction at Source) :

प्रतिभूतियों के ब्याज की सकल राशि में से 10 प्रतिशत की दर से उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती की जाती है।

अपवाद– निम्नांकित दशाओं में उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाती है।

(i) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों पर देय ब्याज परन्तु यदि किसी निवासी करदाता को वित्तीय वर्ष के दौरान 8 प्रतिशत बचत (कर योग्य) बॉण्ड 2003 पर 10,000 रु. से अधिक का ब्याज देय है तो ऐसे ब्याज में से उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती की जावेगी। [धारा 193(iv)]

(ii) 6 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र (National Savings Certificate) के अष्टम निर्गमन पर देय ब्याज।

(iii) जनता के सारवान हित वाली कम्पनी द्वारा किये गये सूचियत ऋण–पत्रों पर देय ब्याज, यदि–

(अ) ब्याज किसी निवासी व्यष्टि (resident individual) को देय हो;

(आ) ब्याज का भुगतान "खाते में जमा होने वाले चैक" (account payee cheque) द्वारा किया जाये; तथा

(इ) उस वित्तीय वर्ष में ऐसे व्यष्टि को चुकाये गये तथा चुकाया जाने वाले ब्याज का योग 2,500 रु. से अधिक न हो।

(iv) किसी सहकारी समिति (भूमि विकास सहकारी बैंक तथा भूमि बन्धक बैंक सहित) अथवा किसी संस्था या सत्ता या सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी द्वारा निर्गमित किये गए बाण्ड्स या ऋण–पत्रों पर देय ब्याज जिसके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने राजपत्र में अधिसूचित कर दिया हो। ऐसे अधिसूचित बॉण्ड्स के कुछ उदाहरण निम्न हैं:

(i) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के 14% बॉण्ड्स;

(ii) नैवेलि लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, नैवेलिण तमिलनाडु के 13% तथा 14% बॉण्ड्स;

(iii) नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के 13% बॉण्ड्स एवं 14% बॉण्ड्स;

(iv) इन्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर के 13% तथा 14% बॉण्ड्स;

(v) हाऊसिंग डवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, बम्बई के 12% एवं 12-5%, तथा 15% बॉण्ड्स की अनेक श्रृंखलाएं;

(vi) नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के 13% तथा 14% बॉण्ड्स;

(vii) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के 13% तथा 14% बॉण्ड्स;

(viii) हाऊसिंह एण्ड अरबन डवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, (HUDCO) के 13% बॉण्ड्स;

(ix) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI) के 6% से 11-5% बॉण्ड्स (8 से 58 तक की श्रृंखला);

(x) भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड, (ICICI) के 6% से 11-5% बॉण्ड्स की अनेक श्रृंखला;

(xi) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड, (IFCI) के 6% से 11-5% बॉण्ड्स की अनेक श्रृंखला;

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

ब्याज को सकल बनाना (Grossing Up of Interest)

उपर्युक्त अपवाद स्वरूप परिस्थितियों को छोड़कर अन्य सभी परिस्थितियों में यदि ब्याज की प्राप्त राशि दी हुई हो तो, उसे निम्न प्रकार सकल बनाया जावेगाः

सकल राशि = प्राप्त राशि x 100/90

(ग) पूर्णतः कर मुक्त सरकारी तथा अन्य अधिसूचित प्रतिभूतियाँ (Fully Tax-free Govt. and other notified securities):

ऐसी प्रतिभूतियों पर ब्याज पूर्णतः कर मुक्त होता है इसलिए किसी भी शीर्षक की कर–योग्य आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ऐसी प्रतिभूतियाँ निम्नलिखित हैं: [धारा 10 (15)]

(i) 7% पूंजी विनियोग बॉण्ड,

(ii) 8.5% राहत बॉण्डस, 2001,

(iii) 9% तथा 10% राहत बॉण्डस,

उपर्युंक्त (i), (ii), (iii) का ब्याज केवल व्यष्टि तथा हिन्दू अविभाजित परिवार के लिए ही कर मुक्त होता हैः

(घ) अन्य कर मुक्त प्रतिभूतियाँ (Other Tax-free Securities):

ऐसी प्रतिभूतियों का ब्याज वास्तव में कर–मुक्त नहीं होता है, बल्कि ब्याज पर देय कर का भुगतान भी प्रतिभूतियों को निर्गमित करने वाली संस्था ही करती है। चूँकि ब्याज पर देय कर का भुगतान प्रतिभूतियों के धारक को नहीं करना पड़ता है इसलिए प्रतिभूतियों का धारक इन्हें कर–मुक्त प्रतिभूतियाँ मान लेता है। वास्तव में पूर्णतः कर–मुक्त सरकारी एवं अधिसूचित प्रतिभूतियों के अलावा अन्य प्रतिभूतियों का ब्याज कर–मुक्त नहीं होता हैं ऐसी प्रतिभूतियों के ब्याज पर जमा करवाये गये कर तथा प्राप्त ब्याज की राशि का योग प्रतिभूतियों के धारक की कर–योग्य आय में सम्मिलित किया जाता है। राजकोष में जमा करवाया गया कर ऐसे व्यक्ति (प्रतिभूतियों के धारक) की ओर से ही जमा करवाया गया माना जाता है।

कर मुक्त गैरसरकारी प्रतिभूतियों के ब्याज पर 'उद्‌गम स्थान पर कर' की कटौती नहीं की जाती है तथा ऐसे ब्याज को (कुछ अपवाद स्वरूप परिस्थितियों को छोड़कर) प्रत्येक स्थिति में निम्न प्रकार सकल बनाया जाता हैः

सकल राशि = प्राप्त ब्याज x 100/90

कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में आय–कर अधिनियम की व्यवस्थायें

(i) राष्ट्रीय बचत पत्र अष्टम निर्गमन (N.S.C. VIII Issue):

इन बचत–पत्रों पर चक्रवृद्धि ब्याज एक निश्चित दर से अर्द्ध वार्षिक आधार पर परिपक्व होने पर देय होता है। राष्ट्रीय बचत–पत्र 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्गमित किये जाते हैं। ऐसे विनियोजन पर क्रय करने की तिथि के आधार पर उपार्जित ब्याज की निम्न राशि प्रत्येक वर्ष कर–योग्य की जाती हैः

राष्ट्रीय बचत पत्र अष्टम निर्गमन पर उपार्जित ब्याज (प्रत्येक 100 रु. के विनियोजन पर)

वर्ष जिसके लिए ब्याज अर्जित माना जावे	ब्याज की राशि रु.
I	8.16
II	8.83
III	9.55
IV	10.33
V	11.17
VI	12.08

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

टिप्पणी :

(i) राष्ट्रीय बचत–पत्र पर उपार्जित ब्याज प्रथम पाँच वर्षों तक पुनर्विनियोजन के आधार पर धारा 80C के अन्तर्गत भी छूट योग्य होता है।

(ii) परिपक्वता पर प्राप्त राशि में से उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती भी नहीं की जाती है।

(ii) किसान विकास पत्र (Kisan Vikas Patras):

इन पत्रों के परिपक्व होने पर दो गुणा राशि प्राप्त होती है। आयकर के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष उपार्जन आधार पर ब्याज की राशि कर–योग्य की जाती है।

इन विकास पत्रों के ब्याज पर उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाती है।

(iii) गहन बट्टा बॉण्ड पर ब्याज (Interest on Deep Discount Bonds):

ऐसे बाण्ड्स जिन पर ब्याज प्रतिवर्ष अर्जित हुआ नहीं माना जाता हो परन्तु ब्याज का अर्जन एवं भुगतान परिपक्वता अवधि (Maturity period) की समाप्ति पर होता हो, गहन बट्टा बॉण्ड (Deep Discount Bonds) कहलाते हैं। वित्तीय संस्थाओं द्वारा 10, 20 या अन्य अवधि के लिए ऐसे बॉण्ड्स जारी किये जाते हैं।

कर देयता (Chargeability of Tax) (15 फरवरी, 2002 या इसके पश्चात् जारी बॉण्ड्स की दशा में)

ऐसे बॉण्ड्स के धारक इन बॉण्ड्स का प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च (मूल्यांकन तिथि) को बाजार मूल्य ज्ञात करते हैं। दो लगातार मूल्यांकन तिथियों को बॉण्ड्स के बाजार मूल्य का अन्तर ब्याज के रूप में कर योग्य होता है। यदि करदाता ऐसे बॉण्ड्स का व्यापार करता है तो यह ब्याज की राशि 'ब्यापार अथवा पेशे से लाभ' शीर्षक में कर–योग्य होती है अन्यथा बॉण्ड्स को विनियोग के रूप में रखने पर ब्याज की राशि 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में कर–योग्य होगी। (यदि करदाता ने ऐसे बॉण्ड्स गत वर्ष में ही खरीदे हों तो मूल्यांकन तिथि को बाजार मूल्य एवं करदाता द्वारा प्राप्त करने की लागत का अन्तर ब्याज कहलायेगा।)

(अ) ब्याज = दो लगातार मूल्यांकन तिथियों के बाजार मूल्यों का अन्तर।
(ब) गत वर्ष में क्रय किये गये बॉण्ड्स पर ब्याज = मूल्यांकन तिथि को बाजार मूल्य–करदाता के लिए प्राप्त करने की लागत।

परिपक्वता से पूर्व अन्तरण (Transfer before Maturity)

गत वर्ष में ऐसे बॉण्ड्स का हस्तान्तरण करने पर अल्पकालीन पूंजी लाभ या अल्पकालीन पूंजी हानि की गणना निम्न प्रकार की जाती है:

(अ) (सम्पत्ति का अन्तरण मूल्य–तुरन्त पूर्व वाली मूल्यांकन तिथि को बाजार मूल्य) = अल्पकालीन पूंजी लाभ/हानि।

(ब) गत वर्ष में क्रय किये गये बॉण्ड्स का अन्तरण करने पर :

सम्पत्ति का अन्तरण मूल्य–करदाता के लिए प्राप्ति लागत = अल्पकालीन पूंजी लाभ/हानि।

(ब) 16 फरवरी, 2002 के पूर्व जारी बॉण्ड्स की दशा में –

(i) परिपक्वता पर शोधन की दशा में – सम्पूर्ण ब्याज शोधन वाले गत वर्ष की आय माना जोयगा।

(ii) परिपक्वता से पूर्व विक्रय करने पर – विक्रय प्रतिफल एवं प्राप्त करने की लागत अथवा प्राप्त करने की निर्देशित लागत (जैसी भी स्थिति हो) विक्रय वाले वर्ष का पूँजी लाभ माना जायेगा।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

उदाहरण (Illustration) 9.3 :

Ramesh had the following investments during the year 2009-10

2009–10 वर्ष के दौरान रमेश के पास निम्नलिखित विनियोग थेः

(i) Rs. 27000 8% Municipal Debentures;
(ii) Rs. 10000 7% Port Trust Bonds;
(iii) Rs. 15000 10% Govt. Paper;
(iv) Rs. 36000 10% Tax free Debentures of Cloth Mill Company
(v) Rs. 7500 10% Debentures of Jaipur Spining Mills;
(vi) Rs. 10000 12% Debentures of a Co-opearative Society;
(vii) Rs. 20000 15% Preference Shares of an Indian Company;

Interest on above investment is payable on 1st August and 1st Feb. every year. Divident is paid in the month of May.

On 1st September, 2009 he bought Rs. 20000 8% U.P. Govt. loan at Rs. 20600 the interest on which is payable on 31st July and 31st Jan.. For this purpose he took a loan from his bankers of Rs. 12000 @8%. The Bank also charged 2% commision on realisation of interest and dividends and 1% commission on purchase of securities. Debentures of Closth Mill Co. are listed at Bombay stock exchange while debentures of Jaipur Spinning Mills are not listed at any stock exchange.

Find out the taxable income from other sources assuming that interest and dividend in each case is paid by account payee cheque only.

उपरोक्त विनियोगों पर ब्याज का भुगतान प्रतिवर्ष 1 अगस्त और 1 फरवरी को किया जाता है। लाभांश का भुगतान मई में किया जाता है।

1 सितम्बर, 2009 को उसने 20,000 रु. का 8 प्रतिशत वाला यू.पी. सरकार का ऋण 20,600 रु. में खरीदा जिस पर ब्याज 31 जुलाई और 31 जनवरी को देय है। इस उद्देश्य के लिए उसने अपनी बैंक से 12,000 रु. का ऋण 8 प्रतिशत की दर से लिया। बैंक ने 2 प्रतिशत कमीशन ब्याज एवं लाभांश वसूल करने के लिए तथा 1 प्रतिशत कमीशन प्रतिभूतियां क्रय करने के लिए वसूल किया। कपड़ा मिल कम्पनी के ऋण–पत्र बम्बई स्कन्ध विनिमय पर सूचित है जबकि जयपुर स्पिनिंग मिल के ऋण पत्र किसी भी स्कन्ध विनिमय पर सूचित नहीं है।

अन्य साधनों से आय शीर्षक की कर योग्य आय यह मानते हुए ज्ञात कीजिए कि ब्याज एवं लाभांश का भुगतान प्रत्येक दशा में खाते में जमा होने वाले चैक द्वारा किया जाता है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

हल (Solution)

Compuation of Taxable Income from Other Sources for the Assessment Year 2010-11

			Gross Amount Rs.	**Amount Received Rs.**
Interest on Securities :				
(i) 8% Municipal Debentures			2,160	1,944
(ii) 7% Port Trust Bonds			700	630
(iii) 10% Govt. Paper			1,500	1,500
(iv) 10% Tax free Debentures of Cloth Mill Company			4,000	3,600
(v) 10% Debentures of Jaipur Spinning Mills			750	675
(vi) 8% U.P. Govt. Loan (only for 1/2 year)			800	800
			9,910	**9,149**
Less : (i) Collection charges (9149 x 2%)		183		
(ii) Interest on loan of Rs. 12,000 @ 8% for 7 months		560	743	
Income from Other Interest:				
Interest on Deb. of Co-operative Society	1,200			
Less : Collection Charges	24		1,176	
Taxable Income from Other Sources			**10,343**	

टिप्पणी:

(i) प्रतिभूतियों के खरीदने पर दिया गया कमीशन कटौती योग्य व्यय नहीं है।

(ii) ब्याज की गणना प्रतिभूतियों के अंकित मूल्यों पर ही की जाती है।

(iii) कपड़ा मिल कम्पनी के ऋण–पत्र कर मुक्त होने के कारण इनके ब्याज को 100/90 से गुणा करके सकल बनाया गया है।

(iv) सहकारी समिति के ऋण–पत्रों के ब्याज पर उद्गम स्थान पर कर नहीं काटा जाता है। अतः सकल ब्याज ही बैंक को प्राप्त होगा। सरकारी प्रतिभूतियों के ब्याज में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाती है। अतः ब्याज की सकल राशि ही बैंक को प्राप्त हुई है।

(v) जयपुर स्पिनिंग मिल के ऋणपत्र असूचित होने के कारण इनका ब्याज 2,500 रु. से कम होने पर भी उद्गम स्थान पर काटा गया है।

(vi) भारतीय कम्पनी से लाभांश की आय धारा 10(34) के तहत कर–मुक्त है।

Illustration 9.4 :

Mr. Jatan held the following securities on 1st April, 2009:

(i) Rs. 40,000 10% Government of India Loan, 2014.

(ii) Rs. 30,000 9% Industrial Finance Corporation Bonds, 1999.

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(iii) Rs. 25,000 14% Bonds of Indian Telephone Industries Ltd. (A Series)
(iv) Rs. 50,000 12% Debentures of Godavari Mills Ltd. (listed)
(v) Rs. 40,000 10% (Tax-free) Debentures of Madras Motors Ltd. (listed)
(vi) Rs. 20,000 15% Debentures of Caveri Traders Ltd.
(vii) Rs. 25,000 10% Relief Bonds
(viii) Rs. 10,000 National Savings Certificates (VIII Issue) purchased on 17th July, 2003. On every Rs. 100 of such certificate the interest is deemed to accrue amounting to Rs. 11.17 in the fitth year and Rs. 12.08 in the sixth year. On the maturity of these certificates a sum of Rs. 16,012 including interest were received during the previous year 2009-10.

On 30the June, 2009 he sold the debentures of Godavari Mills Ltd. for Rs. 52,000 cum-interest and purchased Rs. 60,000 8% U.P. Government Loan for Rs. 59,000 Ex-inerest.

The bank charges a commission of 2% on the amount of interest collected.

Assuming that the interest is payable on 1st March and 1st September each year on all the securities, compute the income from other sources of the previous year ending on 31st March, 2010.

श्री जतन के पास 1 अप्रैल 2009 को निम्नलिखित प्रतिभूतियाँ थी:
(i) 40,000 रु. 10% भारत सरकार ऋण, 2014
(ii) 30,000 रु. 9% औद्योगिक वित्त निगम बॉण्डस 1999
(iii) 25,000 रु. 14% इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज बॉण्डस (ए सीरीज)
(iv) 50,000 रु. गोदावरी मिल्स लि. के 12% ऋण पत्र (सूचीयत)
(v) 40,000 रु. मद्रास मोटर्स लिमिटेड के 10% कर मुक्त ऋण पत्र (सूचीयत)
(vi) 20,000 रु. के कावेरी ट्रेडर्स लिमिटेड के 15% ऋण–पत्र
(vii) 25,000 रु. 10% राहत बॉण्डस
(viii) 10,000 रु. राष्ट्रीय बचत पत्र (अष्टम निर्गमन) जो 17 जुलाई, 2003 को क्रय किये गये थे। 100 रु. के ऐसे बचत पत्र पर पांचवें वर्ष में 11.17 रु. व छठवें वर्ष में 12.08 रु. प्राप्य माने जाते हैं। इन बचत पत्रों की परिपक्वता पर गत वर्ष 2009–10 में 16012 रु. प्राप्त हुए।

उन्होंने 30 जून, 2009 को गोदावरी मिल्स लिमिटेड के ऋण–पत्र ब्याज सहित 52000 रु. में बेच दिये और 60000 रु. का 8% उत्तर प्रदेश सरकार ऋण 59000 रु. में ब्याज रहित खरीद लिया। बैंक ने ब्याज की एकत्रित राशि पर 2% संग्रह व्यय लगाये।

यह मानते हुए कि सभी प्रतिभूतियों पर ब्याज प्रति वर्ष 1 मार्च और 1 सितम्बर को देय होता है, 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले गत वर्ष में अन्य साधनों से आय की गणना कीजिए।

हल (Solution)

Compuation of Taxable Income from Other Sources of Shri Jatan for the Assessment Year 2010-11

Interest on Securities :	Gross Amount Rs.	Amount Received Rs.
10% Government of India Loan	4,000	4,000
9% Industrial Finance Corporation Bonds	2,700	2,700
14% Indian Telephone Industries Bonds	3,500	3,500

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

10% (tax free) Deben. of Madras Motors Ltd. (grosssed up)	4,414	4,000
15% Debentures of Caveri Traders Ltd.	3,000	2,700
National Savings Certificate (VIII issue)	1,208	6,012
8% U.P. Government Loan (6 months)	2,400	2,400
Gross intereest	21,252	25,315
Less : Collection charges 2% of 25315	506	
Taxable Income from Other Sources	20,746	

टिप्पणीः

(1) औद्योगिक वित्त निगम के 9 प्रतिशत बॉण्ड्स 1999 एवं इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज बॉण्ड्स (ए सीरीज) उद्गम स्थान पर कटौती नहीं किये जाने के लिए अधिसूचित है। अतः संग्रह व्यय की गणना करते समय इनके ब्याज की सम्पूर्ण राशि पर ही बैंक कमीशन की गणना की गई है।

(2) राहत बाण्ड्स का ब्याज कर मुक्त है।, अतः इसको आय में सम्मिलित नहीं किया गया है।

(3) गोदावरी मिल्स लि. के ऋण–पत्र जून में ब्याज सहित बेच दिये जाने के कारण गत वर्ष में इन ऋण–पत्रों पर ब्याज प्राप्त नहीं होगा। जून महीने में ब्याज रहित यू.पी. सरकार का ऋण खरीदने के कारण इन पर सितम्बर का ब्याज प्राप्त नहीं होगा, परन्तु मार्च 2010 का ब्याज प्राप्त होगा। अतः 6 माह का ब्याज सम्मिलित किया गया है।

(4) राष्ट्रीय बचत पत्र (अष्टम् निर्गमन) पर ब्याज की गणना निम्न प्रकार की गई है–

10000 x 12.08/100 = 1208 रुपये

ये बचत पत्र 17 जुलाई, 2003 को खरीद गये थे। इन पर छठवें वर्ष का ब्याज 100 रू. पर 12.08 रु. उपार्जित माना जाता है। चूंकि इन बचत पत्रों के ब्याज में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाती है। अतः संग्रह व्यय ब्याज की सम्पूर्ण प्राप्त राशि 6012 रु. पर लगाया गया है।

(5) सरकारी प्रतिभूतियों के ब्याज पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाती है। अतः भारत सरकार के ऋण तथा उत्तर प्रदेश सरकार के ऋण पर ब्याज की सम्पूर्ण राशि बैंक कमीशन की गणना के लिए प्राप्त ब्याज में सम्मिलित की गयी है।

(6) 40,000 रु. के मद्रास मोटर्स लिमिटेड के 10 प्रतिशत कर–मुक्त ऋण–पत्र (सूचीयत) को निम्न प्रकार सकल बनाया गया है–

4000 x 100/90 = 4,444 रुपये

(7) इसी प्रकार 20,000 रु. के कावेरी लिमिटेड के 15 प्रतिशत ऋण पत्र की बैंक को प्राप्त राशि निम्न प्रकार ज्ञात की गई है–

3000 x 90/100 = 2700 रुपये

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

अभ्यास के लिए प्रश्न
(Question for Exercise)

(A) अतिलघूत्ततरात्मक प्रश्न
(Very Short Answer Type Questions)

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अधिकत 20 शब्दों में दीजिए।
(Answer the following Questions in Maximum 20 words).

1. ऐसी किन्हीं चार आयों के नाम बताइये जो 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में कर–योग्य होती है।
   Give the names of any four incomes which are taxable under the head 'Income from Other Sources.'
2. लाभांश की कौन सी आय कर मुक्त होती है?
   Which income of dividend is exempted?
3. माना गया लाभांश क्या है?
   What is deemed dividend?
4. लाटरी की आय में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती किस दर से की जाती है?
   At what rate the tax is deducted at source from the income of lottery?
5. एक कम्पनी के सूचीबद्ध ऋणपत्रों पर देय ब्याज में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती किस दर से की जाती है?
   At what rate the tax is deducted at source from the interest payable on the listed debentures of a company?
6. ऐसे दो व्ययों के नाम लिखिए जो अन्य साधनों से कर–योग्य आय की गणना में कटौती योग्य हैं।
   Give names of any two expenss which are allowable in computing the taxable income from other sources.
7. पारिवारिक पेंशन की राशि में से कितनी छूट दी जाती है?
   What deduction is allowed from the amount of family pension?
8. घुड़दौड़ से प्राप्त इनाम की आय को किस प्रकार सकल बनाया जाता है?
   How is income received from winning of horse race grossed up?
9. राजस्थान स्टेट लॉटरी पर प्रथम पुरस्कार क 80500 रु. प्राप्त हुए हैं। कर योग्य राशि बताइए।
   Amount received as first prize from Rajasthan State Lottery is Rs. 80500. Calculate the taxable amount.
10. कर मुक्त प्रतिभूतियाँ क्या है?
    What are tax-free securities.
11. श्री अभिषेक को 4,000 रु. प्रतिमाह पारिवारिक पेंशन प्राप्त हुई। कर निर्धारण वर्ष 2010–11 में सकल कुल आय में शामिल की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए।
    Shri Abhishek received family pension @ Rs. 4,000 per month. Calculate the amount which would be included in Gross Total Income for the A.Y. 2010-11. (Ans. Rs. 33,000)

लघूत्तरात्मक प्रश्न
(Short Answer Type Questions) :

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए।
(Answer the following Questions in Maximum 50 words)

1. 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक की कर–योग्य आय की गणना करते समय स्पष्ट रूप से स्वीकृत की जाने वाली किन्ही चार कटौतियों को समझाइए।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

Explain any four deductions to be allowed expressly in computation of taxable incoem under the head 'Income form other sources'.

2. एक कम्पनी के सूची–बद्ध ऋणपत्रों के ब्याज के भुगतान में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती कब नहीं की जाती है?

When the tax at source is not deducted from the payment of interest on listed debentures of a company?

3. दिखावटी लेन–देन क्या है?

What is 'Bond Washing Transactions'?

निबन्धात्मक प्रश्न

(Essay Type Questions) :

1. वे कौन–सी आयें हैं जो 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक के अन्तर्गत सम्मिलित की जाती हैं?

What are the incomes which are included under the head 'Income form other sources.'

2. ' लाभांश की परिभाषा दीजिए। आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत लाभांश की आय किस प्रकार कर–योग्य होती है?

Define the 'Dividend'. How is the dividend income subject to tax under the provisions of the Income tax Act?

3. "अन्य साधनों से आय" शीर्षक क अन्तर्गत कर–योग्य आयों की गणना करते समय स्वीकार्य कटौतियों को समझाइए।

Explain the deductions allowed while computing the taxable income under the head "Income from other sources."

4. लॉटरी, वर्ग पहेली, घुड़दौड़ तथा अन्य प्रकार की आकस्मिक आयों के सम्बन्ध में आयक र अधिनियम की व्यवस्थाओं को स्पष्ट कीजिए।

Explain the provisions of Income Tax Act relating to Lottery, Crossword puzzles, horse race and other Casual Incomes.

व्यावहारिक प्रश्न

(Practical Questions) :

1. From the following particulars submitted by Shree Guru Charan Singh compute his taxable income from different sources for the Assessment year 2009-10.

(1) As the Director of Haryana Glass Works he received Rs. 3,000 p.m. as salary and Rs. 3,000 per annum as Entertainment Allowance. The facility of a 1.8 litre (c.c.) motor car has been provided by the company, expenses of which for personal use are borne by him He uses this car for company's purposes also. He himself drives the car. The written down value of the car is Rs. 20,000.

(2) As the Director of Punjab Bank, he received Rs. 5,000.

(3) Income received form agricultural land in Nepal Rs. 10,000. Income received from a piece of land in Amritsar which is not appurtenant to a house and has been let out for storing coal Rs. 3600. Income from land given on rent for holding market Rs. 2,000. He incurred expenses amounting to Rs. 1,000 in respect of these incomes.

(4) Received a scooter worth Rs. 25,000 and Rs. 10,000 in cash in March, 2010 in respect of winning from a lottery.

(5) During the previous year interest received on deposits with the Co-operative Land Mortagae

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

Bank Rs. 2000. Interest received from a Co-operative Society of which he is member Rs. 1,500, interest received on deposits under the Post Office (Recurring Deposit) Rules, 1970 Rs. 600 and he also received Rs. 400 from Post Office Saving Bank Account.

(6) Dividends received from William Chemicals Ltd. a foreign company Rs. 2,000. The foreign company deducted Rs. 400 by way of tax at source.

(7) On 1st April, 2009 the amount of consideration received on the sale of house property, which was purchased in 1987 was Rs. 75,000. The cost of acquisition of this house was Rs. 18,000. The expenses incurred in respect of its sale were Rs. 1,500 for brokerage, Rs. 2,500 for stamps and registration, and Rs. 300 for lawyer's fees. Cost inflation index for the year 1987-88 is 150.

(8) During the previous year Mr. Guru Charan Singh had the following securities-

(i) Rs.16,000 10% Tax free Debentures of Malwa Textiles.

(ii) Rs. 36,000 10% Tax free Debentures of Sugar Mill Company listed at Indore Stock Exchange.

(iii) Rs. 22,000 7% Capital Investment Bonds.

(iv) Rs. 45,000 10 % Tax free Calcutta Port Trust Bonds.

Interest in each case is paid by account payee cheque on 31st December annually. He has paid 2% commission to his bankers for realisation of interest.

कर–निर्धारण वर्ष 2009–10 के लिए श्री गुरुचरण सिंह द्वारा प्रस्तुत किये गये निम्न विवरण से उनकी विभिन्न साधनों की कर–योग्य आय की गणना कीजिए–

(1) हरियाणा ग्लास वर्क्स के संचालक के रूप में उसने 3,000 रु. प्रति माह वेतन तथा 3,000 रु. वार्षिक मनोरंजन भत्ता प्राप्त किया। कम्पनी द्वारा एक 1.8 लीटर (c.c.) की मोटर कार सुविधा प्रदान की गई है जिसके निजी प्रयोग के खर्चे वे स्वयं ही वहन करते हैं। वे इस कार का प्रयोग कम्पनी के कार्य के लिए भी करते हैं। वे कार को स्वयं ही चलाते हैं कार का अपलिखित मूल्य 20,000 रु. है।

(2) पंजाब बैंक के संचालक के रूप में उनको 5,000 रु. प्राप्त हुए।

(3) नेपाल में कृषि भूमि से 10,000 रु. की आय प्राप्त की गई। अमृतसर में भूमि से आय 3,600 रु.। यह भूमि किसी मकान से लगी हुई नहीं है तथा इसको कोयला संग्रह करने के लिए किराये पर उठाया गया है। भूमि को बाजार लगाने के लिए किराये पर उठाने से आय 2,000 रु.। इन आयों के सम्बन्ध में उसने 1,000 रु. व्यय किये।

(4) मार्च, 2010 में लाटरी के इनाम के सम्बन्ध में 25,000 रु. मूल्य का एक स्कूटर तथा 10,000 रु. नकद प्राप्त किये।

(5) गत वर्ष में सरकारी भूमि बन्धक बैंक से जमा राशि पर 2,000 रु. ब्याज के प्राप्त किये। एक सहकारी समिति से जिसका वह सदस्य है, 1,500 रु. ब्याज के प्राप्त किये। पोस्ट ऑफिस के (आवर्तक जमा) नियम, 1970 के अन्तर्गत जमाकी गई राशि पर 600 रु. का ब्याज प्राप्त किया तथा डाकघर बचत खाते से 400 रु. ब्याज के प्राप्त हुए।

(6) विलियम कैमिकल्स लि. एक विदेशी कम्पनी से 2,000 रु. का लाभांश प्राप्त किया। विदेशी कम्पनी ने 400 रु. उद्गम स्थान पर कर के काटे।

(7) एक मकान सम्पत्ति के विक्रय से जो 1987–88 में क्रय की गयी थी, 1 अप्रैल, 2009 को 81,000 रु. प्राप्त किये। इस मकान को प्राप्त करने की लागत 18,000 रु. थी। इसके विक्रय में 1,500 रु. दलाली के

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

2,500 रु. मुद्रांक एवं पंजीकरण के तथा 300 रु. वकील की फीस के खर्च किये । वर्ष 1987–88 का लागत वृद्धि सूचकांक 150 है।

(8) गत वर्ष के दौरान श्री गुरुचरण सिंह के पास निम्न प्रतिभूतियाँ थीं–

(i) 16,000 रु. के 10% वाले मालवा टैक्सटाइल्स के कर–मुक्त ऋणपत्र।

(ii) 36,000 रु. के 10% वाले सुगर मिल कम्पनी के कर–मुक्त ऋण पत्र। यह कम्पनी इन्दौर स्टॉक एक्सचेन्ज पर सूचित है।

(iii) 22,000 रु. के 7% वाले पूंजी विनियोग बॉण्ड्स।

(iv) 45,000 रु. के 10% वाले कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट के कर–मुक्त बॉण्ड्स।

ब्याज का भुगतान प्रत्येक दशा में वार्षिक रूप से खाते में जमा होने वाले चैक द्वारा 31 दिसम्बर को किया जाता है। उन्होंने अपनी बैंक को ब्याज संग्रह करने के लिए 2% कमीशन दिया है।

(Ans Capital Gains Rs. 860, Income from oher sources Rs. 1,26,784)

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

वर्ग (Sectioon) : B
इकाई (Unit) : 10

दूसरे व्यक्ति की आय को करदाता की कुल आय में सम्मिलित करना
(Income of Other Persons to be included in assessee's total Income)

अथवा
मानी गयी आयें
(Deemed Incomes)

परिचय (Introduction) :

सामान्यतः करदाता स्वयं की आय पर कर चुकाने के लिए उत्तरदायी होता है। कुछ ऐसी भी परिस्थितियाँ होती हैं जब किसी करदाता को अन्य व्यक्तियों की आय पर भी कर चुकाना होता है तथा उन व्यक्तियों की आय को इस उद्देश्य के लिए करदाता की कुछ आय में सम्मिलित किया जाता है। ऐसी आयों को 'मानी गयी आय' (Deemed Incomes) कहते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 60 से 64 के अन्तर्गत यह व्यवस्था, कर के अपवंचन को रोकने के लिए की गई है। ऐसी व्यवस्थाएँ निम्न प्रकार हैं–

1. सम्पत्ति का हस्तांतरण किये बिना आय का हस्तांतरण [(धारा 60)]
(Transfer of Income without Transfer of Asset)

यदि कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति को हस्तांतरित किये बिना ही सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली आय का किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में हस्तांतरण कर दे तो ऐसी आय को हस्तांतरणकर्त्ता (Transferor) की कुल आय में शामिल किया जायेगा।

2. सम्पत्ति का खण्डनीय हस्तांतरण [(धारा 61)]
(Revocable Transfer of Asset)

यदि किसी व्यक्ति ने अपनी किसी सम्पत्ति का किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष मे खण्डनीय हस्तांतरण कर दिया है तो ऐसी सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली आय उस सम्पत्ति के हस्तांतरणकर्ता (Transferor) की कुल आय में सम्मिलित की जायेगी। (धारा 61)। किसी सम्पत्ति के खण्डनीय हस्तांतरण (Revocable transfer) का आशय निम्न प्रकार के हस्तांतरण से है –

(i) हस्तांतरण निरस्त किये जाने योग्य हो अथवा
(ii) इस प्रकार का हस्तांतरण हस्तांतरणकर्ता को सम्पत्ति अथवा आय पर पूर्णतः अथवा कुछ भाग पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पुनः अपने अधिग्रहण (कब्जे) में लेने का अधिकार देता हो।

अपवाद : जब हस्तान्तरण खण्डनीय हो तब भी धारा 62 क अनुसार निम्न परिस्थितियों में सम्पत्तियों के हस्तान्तरण से प्राप्त आय को हस्तान्तरणकर्त्ता की आय में सम्मिलित नहीं किया जावेगा अर्थात् धारा 61 के प्रावधान लागू नहीं होंगे :

(i) इस प्रकार का हस्तारण प्रन्यास (Trust) के माध्यम से किया गया हो तथा प्रन्यास का लाभ पाने वाले व्यक्ति के जीवनकाल में ऐसे हस्तांतरण को निरस्त नहीं किया जा सकता हो; या

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(ii) किसी अन्य हस्तांतरण के मामले में ऐसा हस्तांतरण हस्तांतरिती (Transferee) के जीवनकाल में निरस्त किये जाने योग्य नहीं हो; या

(iii) हस्तांतरण 1 अप्रैल, 1961 से पूर्व किया गया हो तथा जो 6 वर्ष से अधिक अवधि के लिए निरस्त किये जाने योग्य नहीं हो।

उपर्युक्त अपवाद तभी लागू होंगे जबकि हस्तांतरणकर्ता को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सम्पत्ति से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता हो।

3. जीवन साथी की आय [धारा 64]

(Income of Spouse)

निम्नलिखित परिस्थितियों में करदाता की कुल आय में उसके जीवन साथी की आय भी शामिल की जायेगी:

(अ) जीवन साथी की पारिश्रमिक की आय [धारा 64 (1)(ii)]

(Inocme from Remuneration to Spouse)

(क) यदि किसी व्यक्ति का किसी संस्था में सारवान हित (Substantial interest) हो तो उस संस्था से ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी को मिला पारिश्रमिक भी उस व्यक्ति की कुल आय में ही शामिल किया जायेगा। परन्तु उस व्यक्ति का जीवन साथी यदि किसी तकनीकी या पेशेवर योग्यता का धारक हो तथा उसको अपने ऐसे ज्ञान, अनुभव व योग्यता का प्रयोग करने पर कोई पारिश्रमिक प्राप्त हुआ हो तो ऐसे पारिश्रमिक पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा। ऐसे पारिश्रमिक को प्राप्तकर्ता की स्वयं की कुल आय में ही शामिल किया जायेगा न कि जीवन साथी की कुल आय में।

(ख) यदि किसी संस्था में पति–पत्नि दोनों का सारवान हित हो तथा दोनों को ही उस संस्था से पारिश्रमिक मिलता हो तो ऐसे पारिश्रमिक को उस जीवन साथी की कुल आय में शामिल किया जायेगा, जिसकी अन्य आयें (ऐसे पारिश्रमिक को छोड़ते हुए) अधिक है।

इस धारा के अन्तर्गत जब एक बार जीवन साथी की आय को किसी भी एक जीवन साथी की कुल आय में शामिल कर लिया जाता है तो फिर भविष्य में हमेशा ऐसी आय को उसी जीवन साथी की कुल आय में शामिल किया जायेगा। भविष्य में यदि कर निर्धारण अधिकारी ऐसी आय को किसी अन्य जीवन साथी की कुल आय में शामिल करना चाहता है, तो ऐसा करने से पूर्व उसे दूसरे जीवन साथी को सुनवाई का एक अवसर देना होगा। तत्पश्चात् यदि कर निर्धारण अधिकारी इस बात से संन्तुष्ट हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक है, तो वह ऐसा परिवर्तन कर सकता है।

स्पष्टीकरण:

1. सारवान हित (Substantial Interest) –इस धारा के लिए सारवान हित का आशय निम्न प्रकार है–

(i) यदि ऐसी संस्था एक कम्पनी हो – यदि उस कम्पनी के कम से कम 20 प्रतिशत मताधिकार वाले अंश सम्बन्धित गत वर्ष में किसी भी समय उस व्यक्ति के स्वयं के पास अथवा उस व्यक्ति तथा उसके एक या अधिक सम्बन्धियों के पास रहे हों।

(ii) यदि ऐसी संस्था एक कम्पनी न हो– यदि वह व्यक्ति स्वयं अथवा वह व्यक्ति तथा उसके सम्बन्धी मिलकर गत वर्ष में किसी भी समय उस संस्था में कम से कम 20 प्रतिशत लाभों के स्वामी रहे हों।

(2) सम्बन्धी (Relative) – सम्बन्धी का आशय पति, पत्नी, भाई–बहिन उसी श्रेणी के किसी पूर्वज या वंशज व्यक्ति से है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

उदाहरणार्थ—श्री आनन्द के पास एक्स लि. के 20 प्रतिशत इक्विटी अंश हैं तथा उसी कम्पनी में उनकी पत्नी श्रीमती निर्मला 3,000 रु. के मासिक वेतन पर कार्यरत हैं। श्रीमती निर्मला की वेतन की आय श्री आनन्द की कुल आय में शामिल की जायेगी क्योंकि वह श्रीमती निर्मला की नियोक्ता कम्पनी में सारवान हित रखता है। यदि निर्मला शादी से पूर्व भी उसी कम्पनी में कार्यरत हो तो इस दशा में भी श्रीमती निर्मला के वेतन को (शादी के पश्चात्) श्री आनन्द की कुल आय में सम्मिलित किया जावेगा। यदि अभी तक श्री आनन्द की शादी नहीं हुई है, केवल सगाई हुई है, तो ऐसी दशा में निर्मला के वेतन की आय को श्री आनन्द की कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जावेगा वरन यह वेतन निर्मला के लिए ही कर—योग्य होगा, क्योंकि अभी तक दोनों जीवन साथी नहीं हैं। यदि श्रीमती निर्मला किसी विशेष तकनीकी या पेशेवर योग्यता की धारक हैं तथा उसी आधार पर उन्हें कम्पनी से वेतन मिलता हो तो यह आय श्रीमती निर्मला की स्वयं की आय मानी जायेगी।

(ब) जीवन साथी को हस्तांतरित सम्पत्ति से आय [धारा 64 (1) (iv)]

(Income from asset transferred to spouse)

यदि किसी व्यक्ति ने अपनी सम्पत्ति अपने जीवन साथी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित कर दी है तो ऐसी सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली आय को उस सम्पत्ति के हस्तांतरणकर्ता (Transferor) की कुल आय में शामिल किया जायेगा। किन्तु इस नियम के निम्नलिखित दो अपवाद हैं—

(i) यदि किसी व्यक्ति ने सम्पत्ति का हस्तांतरण अपने जीवन साथी को पर्याप्त प्रतिफल के बदले में किया हो, तो उस सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली आय जीवन साथी (हस्तांतरिती) की कुल आय में शामिल की जायेगी। यदि प्रतिफल का मूल्य पर्याप्त नहीं है तो उस आय का आनुपातिक भाग हस्तांतरिती की कुल आय में तथा शेष भाग हस्तांतरणकर्ता की कुल आय में शामिल किया जायेगा।

उदाहरणार्थ— राम ने अपनी पत्नी सीमा को 4,00,000 रु. की एक सम्पत्ति 1,00,000 रु. में बेच दी। इस सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली आय का 1/4 भाग सीमा की कुल आय में तथ 3/4 भाग राम की कुल आय में शामिल किया जावेगा। यहाँ पर प्रतिफल का आशय केवल ऐसे प्रतिफल से है जिसका मूल्यांकन सम्भव हो। अतः प्रेम या स्नेह को प्रतिफल नहीं माना जायेगा।

(ii) यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपने जीवन साथी को सम्पत्ति का हस्तांतरण अलग रहने के किसी समझौते के अंतर्गत किया गया हो तो ऐसी सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली आय उस जीवन साथी (हस्तांतरिती) की कुल आय में शामिल की जायेगी।

यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी को हाथ खर्ची देता रहा है तथा उसके जीवन साथी ने इस हाथ खर्ची की रकम में से कुछ राशि बचाकर कोई सम्पत्ति खरीद ली है, तो इस सम्पत्ति को उस व्यक्ति द्वारा हस्तांतरित सम्पत्ति नहीं माना जायेगा।

(iii) विवाह से पूर्व जीवन साथी नहीं बन सकते हैं। अतः विवाह से पूर्व किये गये हस्तांतरण की स्थिति में हस्तांतरित सम्पत्ति की आय हस्तांतरिती की आय में शामिल की जावेगी, न कि हस्तांतरण कर्ता की आय में।

(iv) यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपने जीवन साथी को हस्तान्तरित सम्पत्ति में हस्तान्तरण के पश्चात् कोई वृद्धि हो गई है तो वह बढ़ी हुई सम्पत्ति उस व्यक्ति द्वारा हस्तान्तरित सम्पत्ति नहीं मानी जायेगी। अर्थात् बढ़ी हुई सम्पत्ति हस्तान्तरिती (transferee) की सम्पत्ति मानी जावेगी।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

उदाहरण (Illustration) 10.1 :

विवाह के वायदे के प्रतिफल में रहीम ने जमीला को 15 अक्टूबर 1998 को एक कम्पनी के 1000 बाण्ड्स हस्तांतरित कर दिये। उनका विवाह 12 जून 1999 को हुआ। गत वर्ष 2010—11 में जमीला को बाण्डों पर 3000 रू. ब्याज के प्राप्त हुए। ब्याज की आय पर कौन (रहीम या जमीला) कर देगा और क्यों?

In consideration of a promise to marry, Rahim transferred to Jamila 1000 bonds of a company on 15th October, 1998. They married on 12th June, 1999. During the previous year 2010-11 Jamila received interest on bonds amounting to Rs. 3000. Who (Rahim or Jamila) is liable to pay tax on the interest income and why?

हल (Solution):

रहीम द्वारा बाण्ड्स का हस्तांतरण 15 अक्टूबर, 1998 को बिना प्रतिफल के जमीला को किया गया था। इस हस्तान्तरण की तिथि को दोनों जीवन साथी (पति/पत्नी) नहीं थे। अतः धारा 64 (1)(iv) के प्रावधान लागू नहीं होंगे। ब्याज की आय जमीला की ही मानी जायेगी तथा इस पर कर चुकाने के लिए जमीला ही उत्तदायी होगी न कि रहीम।

4. पुत्रवधू को हस्तांतरित सम्पत्ति से आय [धारा (1)(vi)]
(Income from assets transferred to daughter-in law)

यदि किसी व्यक्ति (श्वसुर अथवा सास) ने अपनी कोई सम्पत्ति अपनी पुत्र वधू को 1 जून, 1973 को या इसके पश्चात् बिना पर्याप्त प्रतिफल के हस्तांतरित कर दी है तो ऐसी हस्तान्तरित सम्पत्ति से आय हस्तांतरणकर्ता की कुल आय में शामिल की जायेगी।

ध्यान देने याग्य बातें —

(i) पुत्र वधू तथा श्वसुर या सास का रिश्ता सम्पत्ति के हस्तांतरण तथा आय के उपार्जन दोनों समय कायम रहना चाहिए।

(ii) हस्तांतरित सम्पत्ति में हुई वृद्धि से प्राप्त आय पर हस्तांतरणकर्ता कर चुकाने के लिए दायी नहीं होगा बल्कि हस्तांतरिती ही कर चुकाने के लिए दायी होगी।

5. अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समुदाय को सम्पत्ति का हस्तांतरण
(Transfer of asset to any person or Association of Person):

(1) यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन साथी के हितों के लिए अन्य किसी व्यक्ति को अथवा व्यक्तियों के समुदाय को किसी सम्पत्ति का हस्तांतरण किया है तो ऐसी सम्पत्ति की आय का वह भाग जो जीवन साथी के लिए काम में लाया गया है, उस सम्पत्ति के हस्तांतरणकर्ता की कुल आय में शामिल किया जायेगा। **[धारा 64(1)(vii)]**

(2) यदि किसी व्यक्ति ने अपनी पुत्र—वधू (daughter-in-law) के हितों के लिए अन्य किसी व्यक्ति को अथवा व्यक्तियों के समुदाय को किसी सम्पत्ति का हस्तांतरण किया है, तो ऐसी सम्पत्ति की आय का वह भाग जो पुत्र वधू के लिए काम में लाया गया है, उस सम्पत्ति के हस्तांतरणकर्ता की कुल आय में शामिल किया जायेगा। **[धारा 64(1)(viii)]**

स्पष्टीकरण :

(i) यदि धारा 64 (1)(iv) या (vi) में वर्णित हस्तांतरित सम्पत्तियों का विनियोजन जीवन साथी अथवा पुत्र—वधू के द्वारा किसी व्यवसाय में कर दिया गया हो (परन्तु यह विनियोजन साझेदार द्वारा फर्म में पूंजीगत अंश दान के रूप में नहीं हो) तथा उस व्यवसाय से गत वर्ष में लाभ अर्जित किया गया हो तो निम्न राशि के लिए हस्तांतरणकर्ता कर चुकाने के लिए उत्तरदायी होगा —

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

$\frac{\text{हस्तांतरित सम्पत्ति का व्यवसाय में विनियोजन}}{\text{हस्तांतरिती द्वारा व्यवसाय में कुल विनियोजन}}$ X व्यवसाय से हस्तांतरिती को प्राप्त कुल आय

(ii) यदि हस्तांतरित सम्पत्ति को हस्तांतरिती के द्वारा किसी फर्म में साझेदार के नाते पूँजी लगाने के रूप में विनियोजित किया गया है तो फर्म से प्राप्त लाभ के लिए उपर्युक्त (i) में वर्णित नियम लागू नहीं होगा क्योंकि कर–निर्धारण वर्ष 1993–94 से साझेदार का फर्म के लाभों में मिला हिस्सा कर मुक्त होता है। परन्तु साझेदार द्वारा फर्म में विनियोजित पूंजी पर प्राप्त ब्याज के लिए उपरोक्त (i) के अंतर्गत उल्लेखित आनुपातिक भाग हस्तांतरणकर्ता की आय में शामिल किया जायेगा।

6. अवयस्क बच्चे की आय [धारा 64 (1A)]
(Income of a Minor Child):

अवयस्क बच्चे (विकलांग बच्चे को छोड़कर) की आय को उसके माता अथवा पिता की आय में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में प्रावधान निम्न प्रकार है:

(i) यदि किसी अवयस्क बच्चे के माता–पिता का विवाह अस्तित्व में है तो अवयस्क बच्चे की आय उसके पिता अथवा माता, जिसकी कुल आय (इस वाक्यांश की आय को छोड़कर) अधिक हो, उसकी आय में सम्मिलित की जावेगी।

(ii) यदि अवयस्क बच्चे के माता–पिता का विवाह विच्छेद हो चुका है तो ऐसे अवयस्क की आय उस अभिभावक की कुल आय में शामिल की जावेगी जिसने गत वर्ष में अवयस्क बच्चे की देखभाल की है।

स्पष्टीकरण :

(1) यदि अवयस्क बच्चे की आय को माता या पिता में से किसी एक अभिभवक की आय में एक बार सम्मिलित कर लिया जाता है तो भविष्य में भी उस अवयस्क बच्चे की आय उसी अभिभावक की आय में सम्मिलित होती रहेगी जब तक कि कर निर्धारण अधिकारी परिवर्तन करना आवश्यक न समझे। परिवर्तन के पूर्व निर्धारण अधिकारी द्वारा अभिभावक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है।

(2) यदि अवयस्क बच्चा धारा 80U में वर्णित असमर्थता से पीड़ित हो तो ऐसे बच्चे की आय के सम्बन्ध में उपर्युक्त प्रावधान लागू नहीं होंगे अर्थात् विकलांग अवयस्क बच्चे की आय उसके माता या पिता की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाती है।

(3) अवयस्क बच्चा यदि गत वर्ष में किसी भी समय वयस्क हो जावे तो उस पर इस धारा के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

(4) अवयस्क द्वारा निम्न प्रकार कमाई गयी आयों को उसे अभिभावक की कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है:

(क) किसी शारीरिक परिश्रम से कमाई गई आयें, अथवा

(ख) किसी ऐसे कार्य से कमाई गयी आयें जिसमें विशिष्ट ज्ञान, अनुभव, चातुर्य तथा कुशलता का प्रयोग किया जाता है।

(5) अवयस्क बच्चे का तात्पर्य पुत्र या पुत्री से है जो वैधानिक हो, जिसमें गोद लिया हुआ अथवा सौतेला बच्चा भी शामिल होता है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

अवयस्क बच्चे की आय के सम्बन्ध में धारा 10 (32) की छूट– यदि किसी व्यक्ति की कुल आय में धारा 64 (1A) की शर्तों के अनुसार उसके अवयस्क बच्चे की आय शामिल हो तो ऐसे व्यक्ति को प्रत्येक अवयस्क बच्चे की आय के लिए 1500 रु. अथवा उस बच्चे की शामिल की गई आय, जो भी कम हो, की छूट स्वीकृत की जाती है।

7. परिवर्तित सम्पत्ति की आय [धारा 64 (2)]
(Income from converted assets):

यदि किसी व्यक्ति ने जो किसी हिन्दू अविभाजित परिवार का सदस्य है, अपनी स्वयं की सम्पत्ति को परिवार की सम्पत्ति में मिला दिया है, तो ऐसी सम्पत्ति को परिवर्तित सम्पत्ति (Converted property) कहा जाता है। ऐसी सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली आय को उस व्यक्ति की कुल आय में शामिल किया जायेगा जिसने वह सम्पत्ति परिवार की सम्पत्तियों में मिला दी है या परिवार को हस्तांतरित कर दी है। बाद में ऐसी परिवर्तित सम्पत्ति का परिवार के सदस्यों में पूर्ण या आंशिक बँटवारा हो जाए, तो बँटवारे के पश्चात् उस परिवर्तित सम्पत्ति का जितना भाग उस व्यक्ति को स्वयं को या उसके जीवन साथी को प्राप्त हुआ है, उस सम्पत्ति की आय का भी उतना ही भाग उस व्यक्ति की कुल आय में शामिल किया जायेगा।

परिवर्तित सम्पत्ति की आय से सम्बन्धित उपर्युक्त नियम के निम्नलिखित अपवाद हैं :

(1) यदि वह सम्पत्ति उस व्यक्ति द्वारा 1 जनवरी, 1970 से पूर्व अपने परिवार को हस्तांतरित की गई हो तो ऐसी सम्पत्ति से प्राप्त आय पर उपर्युक्त नियम लागू नहीं होगा। उपर्युक्त नियम 1 जनवरी, 1970 या उसके पश्चात् परिवार को हस्तांतरित सम्पत्तियों पर ही लागू होता है।

(2) यदि सम्पत्ति का हस्तान्तरण पर्याप्त प्रतिफल के बदले में हुआ हो तो उस सम्पत्ति से प्राप्त आय पर उपर्युक्त नियम लागू नहीं होगा।

8. बेनामी व्यवहार
(Benami Transactions)

जब कोई व्यक्ति कर बचाने के उद्देश्य से कोई व्यवहार वास्तविक व्यक्ति के नाम में न करके किसी अन्य व्यक्ति के नाम में करता है तो ऐसे व्यवहार को बेनामी व्यवहर कहते हैं और उस नकली व्यक्ति को 'बेनामीदार' कहते हैं। उदाहरणार्थ– किसी बेनामीदार को सम्पत्ति का हस्तांतरण, बेनामीदार को कम मूल्य पर माल बेचना आदि। यदि कर–निर्धारण अधिकारी की राय में कोई व्यवहार बेनामी है तो वह उस व्यवहार की आय को वास्तविक व्यक्ति की आय मान सकता है तथा उसी से उस व्यवहार की आय पर कर वसूल कर सकता है।

मानी गई आयों के सम्बन्ध में अन्य महत्त्वपूर्ण नियम :

(i) करदाता की आय में अन्य व्यक्तियों की आय को सम्मिलित किये जाने के प्रावधान ऋणात्मक आय पर भी लागू होते हैं अर्थात यदि उपर्युक्त प्रकार से सम्मिलित की जाने वाली आयों की जगह सम्बन्धित व्यक्ति को हानि होती है तो ऐसी हानि की पूर्ति करने का अधिकार भी उसी व्यक्ति को होगा जिसकी कुल आय में ऐसे व्यक्ति की मानी गई आयें सम्मिलित की जाती है।

(ii) मानी गई आयें जिस व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित की जाती हैं उसी व्यक्ति को ऐसी आयों के सम्बन्ध में धारा 80C से 80U तक की कटौतियों का लाभ दिया जावेगा।

(iii) मानी गई आयों को करदाता की कुल आय में शामिल करते समय आय का शीर्षक वही होगा जो ऐसी आय करदाता की स्वयं की होने पर होता।

(iv) उपर्युक्त प्रावधान मूल रूप से हस्तांतरित सम्पत्ति की आय के सम्बन्ध में ही लागू होते हैं। हस्तांतरित सम्पत्ति की आय से कमाई गई आय पर उपर्युक्त प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

अन्य मानी गई आयें (Other Deemed Incomes)

या (OR)

अस्पष्ट साधनों से आय (Income from Unexplained Sources)

करदाता कर की चोरी करने के उद्देश्य से कुछ विनियोगों को या अपने किसी धन को या तो पुस्तकों में दिखाता ही नहीं है या कम मूल्य पर दिखाता है। कर की चोरी रोकने के उद्देश्य से आयकर अधिनियम में धारा 68 से 69D तक के प्रावधान सम्मिलित किये गये हैं जिनके अनुसार ऐसी आयों को अन्य आयें मानकर करदाता की कुल आय में जोड़ दिया जाता है। धारा 68 से 69 D तक के प्रावधान अग्रांकित प्रकार हैं–

(1) **नगद साख (Cash Credit) [धारा 68] –** व्यापार अथवा पेशे के लाभों की गणना करते समय यदि करदाता की पुस्तकों में ऐसी राशि जमा दिखलाई गई हो जिसके साधन अथवा प्रकृति के बारे में वह कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दे सके तो कर निर्धारण अधिकारी इस धारा के अन्तर्गत ऐसी जमा राशि को करदाता की गत वर्ष की कुल आय में सम्मिलित कर उस पर आय–कर लगा सकता है।

(2) **बिना स्पष्ट किये गये विनियोग (Unexplained Ivestments) [धारा 69]–** यदि गत वर्ष में करदाता ने ऐसे विनियोग किये हैं जो न तो उसने अपने बहीखातों में दिखाये हैं और न ही जिनके साधन तथा प्रकृति के बारे में सन्तोषप्रद स्पष्टीकरण देता है तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के विनियोगों का मूल्य करदाता की उस वर्ष की आय मान ली जायेगी जिस वर्ष में ये विनियोग किये गये हैं।

(3) **स्पष्ट नहीं किये गये धन आदि (Unexplained money etc.)[धारा 69A]–**यदि किसी गत वर्ष में करदाता के पास ऐसा कोई धन, जेवर, सोना–चांदी अथवा अन्य कोई बहुमूल्य वस्तु पायी जाती है जिन्हें उसने अपने बहीखाते में नहीं लिखा है तथा वह इस प्रकार के धन की प्राप्ति के साधन या प्रकृति के बारे में स्पष्टीकरण नहीं देता है अथवा उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण कर–निर्धारण अधिकारी की राय में सन्तोषजनक नहीं है तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार का धन, जेवर या सोने–चांदी का मूल्य करदाता की उस वर्ष की आय मान ली जायेगी तथा उसे करदाता की कुल आय में शामिल किया जायेगा।

(4) **विनियोग, आदि की रकम जो बहीखाते में पूर्णतया नहीं दिखायी गयी हो (Amount of investment etc. not fully disclosed in books of accounts) [धारा 69B] –** यदि किसी गत वर्ष में करदाता ने कोई विनियोग किये हैं अथवा वह किसी सोना–चांदी, जेवर या अन्य बहुमूल्य वस्तुओं का स्वामी पाया गया है और कर–निर्धारण अधिकारी को यह ज्ञात होता है कि इन विनियोगों का प्रदर्शित मूल्य अथवा सोने–चांदी या जेवर, आदि के क्रय पर किया गया व्यय बहीखाते में दिखायी गई रकम से अधिक है और करदाता इसका कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दे पाता है तो ऐसी अधिक राशि उस गत वर्ष की कर–योग्य आय मानी जायेगी।

(5) **न स्पष्ट किया गया व्यय (Unexplained expenditure)[धारा 69C]–** यदि किसी गत वर्ष में करदाता ने कोई ऐसा व्यय किया है जिसके साधन के बारे में वह कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाता है अथवा उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नहीं है तो कर–निर्धारण अधिकारी ऐसे व्यय की राशि को उस गत वर्ष की आय मान सकता है। ऐसे व्यय की कटौती आय के किसी भी शीर्षक के अन्तर्गत नहीं दी जायेगी।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

उदाहरणार्थ– करदाता ने गत वर्ष में अपनी पुत्री की शादी पर 10 लाख रुपये खर्च किये तथा पुस्तकों में 2 लाख रु. दिखाये। कर–निर्धारण अधिकारी की राय में 8 लाख रु. का व्यय हुआ। इस स्थिति में 6 लाख रु. की राशि न स्पष्ट किया गया व्यय माना जायेगा तथ धारा 69C के अन्तर्गत 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में सम्मिलित की जायेगी।

(6) हुण्डी पर लिए हुए ऋण अथवा उसका भुगतान (Amount borrowed or repaid on Hundi) [धारा 69D]–हुण्डी पर लिए गये ऋण एवं उसका पुनर्भुगतान Account payee चैक या ड्राफ्ट के द्वारा होना चाहिए। ऐसा न करने पर वह रकम ऋण लेने वाले अथवा भुगतान करने वाले की उस गत वर्ष की आय मानी जायेगी जिस वर्ष में हुण्डी पर ऋण लिया गया अथवा ऋण का भुगतान किया गया। भुगतान की राशि में ऋण पर ब्याज भी सम्मिलित माना जाता है। यदि हुण्डी पर लिए गये ऋण की राशि को उधार लिये जाने वाले वर्ष में करदाता की कर योग्य आय में शामिल कर लिया गया हो तो भुगतान होने वाले वर्ष में यह धन उसकी कर–योग्य आय में नहीं जोड़ा जायेगा।

आय का योग अथवा संकलन
(Aggregation of Income)

करदाता की कुल आय में निम्नांकित आयों को सम्मिलित करने की प्रक्रिया को आय का योग अथवा संकलन कहा जाता है:

(i) आय के विभिन्न शीर्षकों की ज्ञात की गई कर योग्य आयें,

(ii) मानी गयी आयें; तथा

(iii) ऐसी आयें जिनको कुल आय में सम्मिलित किया जाता है परन्तु जिन पर औसत दर से आयकर की छूट मिलती है (ऐसी आयें धारा 86 के अंतर्गत आती हैं)

उदाहरण (Illustration) 10.2 :

(i) श्री A के पास X लि. के 25 प्रतिशत समता अंश हैं। श्रीमती A इस कम्पनी में वित्त प्रबन्धक के रूप में सेवारत है जिनका गत वर्ष 2009–10 का कर–योग्य वेतन 320,000 रु. है। श्रीमती A के पास कोई व्यावसायिक योग्यता नहीं है। बताइये कि वेतन की कर–योग्य आय किसकी कुल आय में शामिल की जावेगी?

यदि श्रीमती A विवाह के पूर्व से ही X लि. में कार्यरत हो तो क्या अंतर होगा?

Mr. A. holds 25% equity shares in X Ltd., Mrs. A is employed as Finance Manager in the company. She gets Rs. 3,20,000 as taxable salary from the company during the previous year 2009-10. She does not have any professional qualification. Explain in whose hands salary income is chargeable to tax.

Does it make any difference if Mrs. A was employed by X Ltd., even prior to her marriage.

(ii) श्री प्रेमचन्द ने 1,20,000 रु. अपनी पुत्र–वधू को बिना प्रतिफल के 26 जनवरी, 2006 को हस्तांतरित किये। उसे इस राशि पर गत वर्ष में 8,000 रु. ब्याज के प्राप्त हुए। यह बताइए कि ब्याज की

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

आय किसकी कुल आय में शामिल की जायेगी?

Mr. Premchand transferred Rs. 1,20,000 to his daughter- in- law on 26th January, 2006 without any consideration. She received Rs. 8,000 as interest during the previous year. State in whose income the interest income will be included?

(ii) मोहन एक अवयस्क बच्चा है। उसके पास एक कम्पनी के ऋण पत्र हैं, जिन्हें उसने अपने दादाजी से प्राप्त उपहार की राशि से खरीदा है। श्री मोहन को गत वर्ष में इन ऋण पत्रों पर 25,000 रु. ब्याज के प्राप्त हुए। बताइये कि यह ब्याज की आय किसके लिए कर–योग्य होगी।

Mohan is a minor child. He holds debentures of a company, which were pruchased out of gift made by his grand-father. During the previous year he gets Rs. 25000 as interest on debentures. State in whose hands the interest on debentures will be taxed.

हल (Solution):

(i) X लि. में श्री A का सारवान हित है। श्रीमती A उस कम्पनी में कार्यरत हैं तथा उसके पास कोई व्यावसायिक योग्यता नहीं है। अतः श्रीमती A को गत वर्ष में मिला कर–योग्य वेतन धारा 64 (1) (ii) के अन्तर्गत श्री A के लिए कर–योग्य होगा।

यदि श्रीमती A विवाह पूर्व से ही उस कम्पनी में कार्यरत हो तो भी धारा 64 (1) (ii) के अन्तर्गत यह आय श्री A के लिये ही कर–योग्य होगी।

(ii) ब्याज की आय श्री प्रेमचन्द की कुल आय में शामिल की जायेगी क्योंकि उन्होंने मूल राशि अपनी पुत्र–वधू को बिना पर्याप्त प्रतिफल के 31 मई, 1973 के बाद हस्तांतरित की है। अतः ऐसी आय श्री प्रेमचन्द के लिए धारा 64 (1) (vi) के अन्तर्गत मानी गई आय के रूप में कर–योग्य होगी।

(iii) मोहन एक अवयस्क बच्चा है, इसलिए धारा 64 (1A) के अन्तर्गत उसकी ब्याज की आय उसके माता या पिता जिसकी सकल कुल आय अधिक हो, के लिए कर–योग्य होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने यह आय उसके दादाजी से प्राप्त उपहार से खरीदी गई सम्पत्ति से प्राप्त की है।

उदाहरण (Illustration) 10.3 :

श्री वाजपेयी एवं श्रीमती वाजपेयी की 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निम्न विवरण से सकल कुल आय ज्ञात कीजिएः

(1) श्री एवं श्रीमती वाजपेयी रेडियो का व्यापार चलाने वाली एक फर्म में साझेदार हैं जिसमें उनके लाभ का भाग क्रमशः 18,000 रु. और 10,000 रु. है। श्री वाजपेयी ने गत वर्ष में फर्म से 24,000 रु. का वेतन एवं 10,000 रु. ब्याज के प्राप्त किये जबकि श्रीमती वाजपेयी ने 15,000 रु. ब्याज के प्राप्त किये।

(2) उनका एक 16 वर्षीय पुत्र मनोज कुमार एक अन्य फर्म में लाभ के लिए साझेदार है जिससे उसे इस वर्ष में लाभ के 8,000 रु. प्राप्त हुए हैं।

(3) श्री वाजपेयी के नाम एक मकान था, जिसे पर्याप्त प्रतिफल के बदले 1 दिसम्बर, 2009 को श्रीमती वाजपेयी को हस्तांतरित कर दिया गया। इसे 3,000 रु. प्रतिमाह किराये पर उठाया हुआ है।

(4) श्री वाजपेयी एवं श्रीमती वाजपेयी के नाम क्रमशः 10,000 रु. तथा 8,000 रु. के एक कम्पनी

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

के दो वर्ष पूर्व क्रय किये हुए ऋण–पत्र हैं जिन पर 8 प्रतिशत ब्याज प्राप्य है। ऋण–पत्र खरीदने हेतु 5000 रू. श्रीमती वाजपेयी ने श्री वाजपेयी को स्वयं की आय में से हस्तांतरित किये थे।

(5) श्री वाजपेयी ने 2003 में श्रीमती वाजपेयी के नाम 50,000 रु. हस्तांतरित किये, जिससे श्रीमती वाजपेयी ने गत वर्षों में 20,000 रु. का ब्याज कमाया है। उन्हें गत वर्ष में 70,000 रु. पर 10 प्रतिशत ब्याज प्राप्त हुआ।

(6) श्री वाजपेयी ने 50,000 रु. एक ट्रस्ट को हस्तांतरित किये थे जिसके विनियोजन से होने वाली ब्याज की आय 5,000 रु. है, जो उनके अवयस्क पुत्र की शिक्षा हेतु प्रयोग में ली जायेगी।

Determine the gross total income of Shri Vajpayee and Smt. Vajpayee from the following particulars for the year ending 31st March, 2010 :

(1) Shri Vajpayee and Smt. Vajpayee are partners in a firm carrying on radio business, their shares of profit were Rs. 18,000 and Rs. 10,000 respectively. Shri Vajpayee received Rs. 24000 as salary and Rs. 10,000 as interest from the firm while Smt. Vajpayee received Rs. 15000 as interest.

(2) Their 16 years old son is a partner in another firm. He obtained Rs. 8,000 as his share of profit during the previous year.

(3) A house property in the name of Shri Vajpayee was transferred to Smt. Vajpayee on 1st December, 2009 for adequate consideration. The property has been let-out at Rs. 3,000 p.m.

(4) Debentures of a company of Rs. 10,000 and Rs. 8,000 were purchased two years back in the names of Shri Vajpayee and Smt. Vajpayee respectively, on which interest is receivable @ 8% p.a. Smt. Vajpayee had transferred Rs. 5,000 out of her income to Shri Vajpayee for the purchase of these Debentures.

(5) Shri Vajpayee had transferred Rs. 50,000 to Smt. Vajpayee in the year 2003. She earned Rs. 20,000 as interest in the past years. During the current year, she received interest @10% on Rs.70,000.

(6) Shri Vajpayee had transferred Rs. 50,000 to a trust, the income accruing from its investment is interest amounting to Rs. 5,000. It shall be utilized for education of his minor son.

हल (Solution):

Computation of Gross Total Income of Shri Vajpayee for the Assessment Year 2010-11

	Rs.	Rs.
1. Income from Salary		NIL
2. Income from house property (Rent received for 8 months	24,000	
(Annual value) (from 1.4.2009 to 30.11.2009)		
Less : Standard Deduction (30% of Annual value)	7,200	16,800
3. Profit of business or Profession		
(i) Shares in firm's profit (exempted)	--	--
(ii) Salary from the firm	24,000	
(iii) Interest from the firm	10,000	34,000

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

4. Income from other sources		
(i) Interest on debentures of Rs. 5000 @ 8%	400	
(ii) Interest on Rs. 50000 transferred to spouse in 2003 @10%	5,000	
(iii) Interest on Rs. 50000 transferred toa trust for the benefit of his minor son	5,000	10,400
Gross Total Income		61,200

Computation of Gross Total Income of Mrs. Vajpayee for the Assessment Year 2010-11

	Rs.	Rs.
1. Income from Salary		Nil
2. Income from house property		
Rent received for 4 months (Annual value) (from 1.12.2009 to 31.3.2010)	12000	
Less : Standard Deduction (30% of Annual value)	3600	8400
3. Profits of business or Profession		
(i) Interest received from the firm	15000	
(ii) Share in the profits of a firm (exempted)	--	15000
4. Income from other sources		
(i) Interest on debentures of Rs. 8000 @ 8%	640	
(ii) Interest on debentures of Rs. 5000 transferred to to spouse @ 8%	400	
(iii) Interest on Rs. 20000 @ 10%	2000	3040
Gross Total Income		**26440**

टिप्पणी :

(1) उनके 16 वर्षीय पुत्र को एक अन्य फर्म से प्राप्त लाभ की राशि श्री वाजपेयी एवं श्रीमती वाजपेयी दोनों की सकल कुल आय में शामिल नहीं होगी क्योंकि फर्म से प्राप्त लाभ पूर्णतया कर–मुक्त होते हैं।

(2) अवयस्क वच्चे की शिक्षा हेतु श्री वाजपेयी द्वारा ट्रस्ट को हस्तांतरित राशि का ब्याज श्री वाजपेयी की सकल कुल आय में शामिल किया जायेगा क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से ट्रस्ट की आय का हस्तांतरण हुआ

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

है इसलिए यह हस्तान्तरण खण्डनीय हस्तान्तरण है।

(3) श्री वाजपेयी ने पर्याप्त प्रतिफल के बदले मकान सम्पत्ति श्रीमती वाजपेयी को हस्तांतरित की है। अतः इस मकान की आय को समय के आधार पर विभाजित करके दोनों की सकल कुल आय में सम्मिलित किया जायेगा।

(4) श्री वाजपेयी के नाम 10,000 रु. के ऋण पत्र हैं जिन्हें क्रय करने हेतु 5,000 रु. के इन ऋण–पत्रों का ब्याज श्रीमती वाजपेयी की सकल कुल आय में शामिल किया जावेगा।

अभ्यास के लिये प्रश्न
(Questions for Exercise)

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न
(Very Short Answer Type Questions)

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अधिकत 20 शब्दों में दीजिए।

(Answer the following Questions in Maximum 20 words).

1. मानी गई आयों से आप क्या समझते हैं?
   What do you mean by 'Deemed Incomes'?
2. 'आय का मिलान' से आपका क्या अभिप्राय है?
   What do you mean by 'Clubbing of Incomes'?
3. 'आय का संकलन' शब्द को स्पष्ट कीजिए।
   Explain the term 'Aggregation of Income'.
4. किन्हीं चार मानी गई आयों के नाम लिखिये।
   Write any four names of deemed Incomes.
5. एक अवयस्क बच्चे की आय को उसके माता/पिता की कुल आय में सम्मिलित करने पर धारा 10 (32) के अंतर्गत दी जाने वाली कटौती को स्पष्ट कीजिए।
   Explain the deduction to be allowed under section 10 (32) when the income of a minor child is included in the total income of his father/mother.
6. एक पुत्र–वधू की कौन–सी आय को करदाता की कुल आय में शामिल किया जाता है?
   Which income of a daughter-in-law is included in the total income of the assessee?
7. जीवन साथी की कौनसी आय करदाता की कुल आय में शामिल की जाती है?
   Which income of spouse is included in the total income of assessee?

लघूत्तरात्मक प्रश्न
(Short Answer Type Questions)

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए।

(Answer the following Questions in Maximum 50 words).

1. परिवर्तित सम्पत्ति से आप क्या समझते हैं? ऐसी सम्पत्ति की आय के सम्बन्ध में कर–निर्धारण किस व्यक्ति पर किया जाता है?
   What do you mean by converted property? Who is assessed in respect of income of such property.

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

2. यदि एक अवयस्क बच्चे के माता–पिता का विवाह सम्बन्ध विच्छेद हो चुका हो तो अवयस्क बच्चे की आय कौन से अभिभावक (माता–पिता) की आय में शामिल की जायेगी?
In which parents total income the income of minor child shall be included if the marriage of his parents does not subsist.

निबन्धात्मक सैद्धान्तिक प्रश्न
(Essay Type Theoretical Questions)

1. उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जब करदाता की कुल आय में अन्य व्यक्तियों की आय को सम्मिलित किया जाता है।
Describe the circumstances under which the income of other persons is included in assessee's total income.
2. निम्न पर टिप्पणियाँ लिखिए
(Write notes on the following)
(अ) नकद साख (Cash Credit)
(ब) अस्पष्ट विनियोग (Un-explained investment)
(स) अस्पष्ट धन (Un-explained money)
(द) अस्पष्ट व्यय (Un-explained expenditure)
(य) हुण्डी पर लिए हुए ऋण (Amount borrowed on Hundi)

व्यावहारिक प्रश्न
(Practical Questions)

1. (i) X ने Y लि. के 20 प्रतिशत इक्विटी अंश धारण कर रखे हैं। X की पत्नी Y लिमिटेड में प्रबन्धक (वित्त) के पद पर नियुक्त हैं। वह कोई पेशेवर योग्यता नहीं रखती है। श्रीमती X को Y Ltd. से 30,000 रु. प्रतिमाह वेतन प्राप्त होता है। यह निर्धारित कीजिए कि इस वेतन की आय पर कौन व्यक्ति कर चुकाने के लिए उत्तरदायी है? यदि श्रीमती X, Y लि. में शादी के पूर्व से नियुक्त थीं तो आपका उत्तर क्या होगा?
X holds 20 percent equity shares in Y Ltd. Mrs. X is employed by Y Ltd. as manager (finance). She does not have any professional qualification to justify remuneration. Mrs. X gets Rs. 30,000 per month as salary. Ascertain in whose hands salary income is chargeable to tax. If Mrs. X was employed by Y Ltd. even prior to her marriage, what will be your reply. [Ans. (i) X (ii) X]

(ii) श्री भूपेन्द्र ने श्रीमती भूपेन्द्र को 2,00,000 रु. की प्रतिभूतियाँ हस्तांतरित की जिन पर 15 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त होता है। श्रीमती भूपेन्द्र ने प्रथम वर्ष की ब्याज की आय को भी प्रतिभूतियों में विनियोजित कर दिया। गत वर्ष में 2,30,000 रु. की प्रतिभूतियों पर 34,500 रु. ब्याज के श्रीमती भूपेन्द्र को प्राप्त हुए।
बताइये कि उपर्युक्त आय किनकी कुल आय में शामिल की जायेगी।
Mr. Bhupendera transferred securities worth Rs. 2,00,000 to Mrs. Bhupendra which earns interest @15% p.a. Mrs. Bhupendra invested the interest of first year in similar securities. She earned Rs. 34,500 on the investment of Rs. 2,30,000 during the previous year.

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

State in whose total income the above income will be included?

[Ans.: Mr. Bhupendra Rs. 30,000 and Mrs. Bhupendra Rs. 4,500]

(iii) श्री गणेश ने अपनी स्वयं अर्जित मकान सम्पत्ति 1999 में उस हिन्दू अविभाजित परिवार को बिना प्रतिफल हस्तांतरित कर दी जिसका वह सदस्य था। गत वर्ष में परिवार ने इस मकान सम्पत्ति से 30000 रू. की कर–योग्य आय कमाई।

बताइये कि इस आय पर कर चुकाने के लिए कौन दायी है?

Mr. Ganesh transferred his self acquired house property in 1999 without adequate consideration to the Hindu undivided family of which he was a member. The family had earned a taxable income of Rs. 30000 from the house property during the previous year.

State who is liable to pay tax on this income?

[Ans. Mr. Ganesh]

2. श्री रामगोपाल शर्मा मेसर्स खण्डेलवाल टैक्सटाइल्स की फर्म में साझेदार हैं जिसमें उनकी पत्नी श्रीमती विनिता शर्मा भी साझेदार हैं। 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के लिए फर्म के लाभों में उनका हिस्सा क्रमशः 18,000 रु. तथा 4,500 रु. है। उनके एक अवयस्क पुत्र श्री राजकुमार को भी एक अन्य फर्म के लाभों में साझेदार बना लिया गया है। गत वर्ष में उसे उस फर्म के लाभों में हिस्से के 2,000 रु. प्राप्त हुए। फर्म में उसके नाम से पूँजी के लिए 10,000 रु. श्री शर्मा ने 2004 में अपनी आय में से जमा करवाये थे।

श्री शर्मा को श्रीमती शर्मा से 14,000 रु. अंकित मूल्य की 10 प्रतिशत कर–युक्त व्यापारिक प्रतिभूतियां एक ऐसे हस्तान्तरण अनुबन्ध के अन्तर्गत प्राप्त हुई हैं, जो श्री शर्मा के जीवन काल में अखण्डनीय हैं।

श्रीमती शर्मा को एक मकान, जिसका किराया 1,000 रु. प्रतिमाह आता है, अपने पति से पर्याप्त प्रतिफल के बदले 1 अगस्त 2009 को प्राप्त हुआ।

श्री शर्मा ने 50,000 रु. 2005 में श्रीमती शर्मा को स्नेहवश हस्तातरित किये थे, जिन पर गत वर्षों में श्रीमती शर्मा को 20,000 रु. ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। 1 अप्रैल, 2009 को श्रीमती शर्मा ने 70,000 रु. 15 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित किये, जिन पर ब्याज प्रति वर्ष 31 मार्च को प्राप्य होता है।

श्री शर्मा एवं श्रीमती शर्मा के नाम पर कृष्णा टैक्सटाइल्स के 2003 में क्रय किये गये 12 प्रतिशत ऋण–पत्र भी क्रमशः 15,000 रु. तथा 60,000 रु. के हैं। श्री शर्मा को इन ऋणपत्रों को क्रय करने के लिए श्रीमती शर्मा ने अपनी निजी आय में से 7,500 रु. हस्तान्तरित किये थे।

श्री शर्मा एवं श्रीमती शर्मा की कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए सकल कुल आय यह मानते हुए ज्ञात कीजिये कि श्रीमती शर्मा की अन्य साधनों से कर–योग्य आय वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए 7,000 रु. थी।

Shri Ram Gopal Sharma is a partner in a firm M/s Khandelwal Textiles, in which his wife Mrs. Vineeta Sharma is also a partner. Their shares of profit from the firm for the accounting year ended on 31st March, 2010 are Rs. 18,000 and Rs. 4,500 respectively. Their son Shri Raj Kumar (a

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

minor) was also admitted for the benefits in another firm. His share of profits during the previous year was Rs. 2,000. Rs. 10,000 were deposited with that firm by Shri Sharma in 2004 being the amount of capital for the minor son.

Shri Sharma acquired from Mrs. Sharma 10% less-tax commercial securities of the face value of Rs. 14,000 under an agreement which is irrevocable during life time of Shri Sharma.

Mr. Sharma acquired a house on 1st August, 2009 from her husband for adequate and valuable consideration, the house being let-out at a rent of Rs. 1,000 per month.

Shri Sharma had transferred Rs. 50,000 to his wife in 2005 and she has earned an amount of Rs. 20,000 as an interest on it during the preceding years. This whole amount of Rs. 70,000 was invested by Mrs. Sharma on 1st April, 2009 in 15% government securities, the interest being due on 31st March every year.

Shri Sharma and his wife own 12% debentures of Krishna Textiles Ltd. for Rs. 15,000 and Rs. 60,000 respectively. All these shares were purchased in 2003 when Mrs. Sharma transferred Rs. 7,500 out of her own income to her husband for the purchase of these debentures.

Ascertain the Gross Total Income of Mr. and Mrs. Sharma for the assessment year 2010-11 assuming that the income from other sources of Mrs. Sharma for the financial year 2009-10 was Rs.7,000.

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

वर्ग (Section) : B
इकाई (Unit) : 11
हानियों की पूर्ति एवं उन्हें आगे ले जाना
(Set-off and Carry Forward of Losses)

परिचय (Introduction) :

आयकर अधिनियम में आय के विभिन्न स्रोतों का वर्णन किया गया है। प्रत्येक स्रोत में सकल आय तथा स्वीकार्य कटौतियाँ होती हैं। यदि किसी स्रोत की स्वीकार्य कटौतियों का योग उस स्रोत की सकल आय से अधिक होता है तो ऐसे आधिक्य को उस स्रोत की ऋणात्मक आय या हानि कहा जाता है। एक स्रोत की हानि का समायोजन दूसर स्रोत की आय से आयकर अधिनियम की धारा 70 से 80 तक के प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता है। इस प्रकार के समायोजन का हानियों की पूर्ति (Set off Losses) कहते हैं।

यदि किसी गत वर्ष में किसी हानि की पूर्ति न की जा सके तो कुछ परिस्थितियों में उस हानि को अगले वर्ष की आय से समायोजित करने की आयकर अधिनियम में सुविधा प्रदान की गई है। एक वर्ष की हानि को अगले वर्ष की आय में से पूर्ति करने हेतु ले जाना हानियों को आगे ले जाना (Carry forward of losses) कहलाता है।

हानियों की पूर्ति
(Set-off of Losses)

अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हानियों की पूर्ति से सम्बन्धित प्रावधानों को निम्नांकित दो भागों में विभाजित किया जा सकता है:

1. एक ही शीर्षक के अन्तर्गत एक स्रोत की हानि की उसी शीर्षक में किसी दूसरे स्रोत की आय से पूर्ति;
2. एक शीर्षक की हानि की किसी दूसरे शीर्षक की आय से पूर्ति।

1. एक शीर्षक के किसी स्रोत की हानि की उसी शीर्षक के किसी दूसरे स्रोत की आय से पूर्ति : (धारा 70)

यदि आय के किसी शीर्षक के अन्तर्गत एक से अधिक आय के स्रोत हों, तो एक स्रोत की हानि को उसी शीर्षक के अन्य स्रोत की आय से समायोजित किया जा सकता है। इस प्रकार के समायोजन के पश्चात् उस शीर्षक की शुद्ध आय अथवा हानि की गणना की जाती है। इस नियम के निम्नलिखित अपवाद है:

(i) सट्टे के व्यापार की हानि की पूर्ति केवल सट्टे के लाभ से ही की जा सकती है, अन्य व्यापार के लाभ से नहीं। परन्तु अन्य व्यापार की हानियों की पूर्ति सट्टे के लाभों से की जा सकती है। [धारा 73(1)]

(ii) अल्पकालीन पूंजीगत हानि की पूर्ति किसी भी पूंजी लाभ (अल्पकालीन/दीर्घकालीन) से की जा सकती है जबकि दीर्घकालीन पूंजीगत हानि की पूर्ति केवल दीर्घकालीन पूंजी लाभों से ही की जा सकती है, अल्पकालीन पूंजी लाभों से नहीं। (धारा 70)

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(iii) घुड़दौड़ के लिए घोड़े रखने से होने वाली हानि की पूर्ति किसी अन्य आय से नहीं की जा सकती है केवल घुड़दौड़ के लिए घोड़ों को रखने से हुए लाभों से ही इसकी पूर्ति की जा सकती है। [धारा 74–A(3)]

(iv) कर–मुक्त साधन से होने वाली हानि किसी कर योग्य आय में से नहीं घटाई जा सकती है।

(v) लाटरी, वर्ग पहेली, घुड़दौड़, शर्त अथवा जुआँ आदि से सम्बन्धित आकस्मिक आय में से किसी अन्य हानि की राशि को नहीं घटाया जा सकता है। आकस्मिक आय के स्रोतों जैसे–लाटरी, वर्ग–पहेली, शर्त आदि की ऋणात्मक आय नहीं होती है क्योंकि ऐसी आयों के सम्बन्ध में धारा 58 (4) के प्रावधानों के कारण कोई व्यय अथवा छूट स्वीकृत नहीं की जाती है।

2. एक शीर्षक की हानि की दूसरे शीर्षक की आय से पूति (धारा 71) :

जब आय के किसी शीर्षक के अन्तर्गत स्वीकृत कटौतियों की राशि उस शीर्षक की सकल आय से अधिक होती है तो उस शीर्षक में हानि कही जाती है। ऐसी हानि को किसी दूसरे शीर्षक की आय से पूरा किया जा सकता है। परन्तु इस नियम के निम्नांकित अपवाद हैं–

(i) ऐसी हानियां जो अपने ही शीर्षक के अन्य स्रोत की आय से समायोजित नहीं की जा सकती है, (जिनका पीछे धारा 70 में उल्लेख किया गया है) उन्हें अन्य शीर्षक की आय से भी समायोजित नहीं किया जा सकता है।

(ii) धारा 58 (4) के अनुसार किसी भी शीर्षक की हानि की पूर्ति लॉटरी, वर्ग पहेली, घुड़दौड़, शर्त, जुआ आदि की आय से नहीं की जा सकती है।

(iii) यदि किसी करदाता को पूंजी लाभ शीर्षक के अन्तर्गत हानि है तथा अन्य किसी शीर्षक में आय है तब भी पूंजी लाभ शीर्षक की हानि की पूर्ति अन्य किसी शीर्षक की आय से नहीं की जा सकेगी। अर्थात् पूँजी लाभ शीर्षक की हानि की पूर्ति पूँजी लाभ शीर्षक की कर–योग्य आय से ही की जा सकती है, अन्य शीर्षक की कर–योग्य आयों से नहीं। परन्तु पूँजी लाभ शीर्षक की कर–योग्य आय से अन्य शीर्षकों की हानियों की पूर्ति की जा सकती है। (उपर्युक्त परिस्थिति (i) को छोड़कर)

(iv) व्यवसाय अथवा पेशे के लाभ शीर्षक की हानि की पूर्ति वेतन शीर्षक की कर–योग्य आय से नहीं की जा सकती है।

हानियों की पूर्ति करने की विधि :

आयकर अधिनियम में हानियों की पूर्ति करने की विधि का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में ऐसी विधि अपनानी चाहिए जो कि करदाता को सर्वाधिक लाभप्रद हो। उदाहरण के लिए करदाता को सर्वप्रथम पूर्ति ऐसी आयों से करनी चाहिए जो पूर्णतः कर–योग्य होती है, अर्थात जिस पर को ई कटौती नहीं मिलती है। शेष हानि को अन्य आयों से पूरा करना चाहिए जिस पर या तो धारा 80 में कोई कटौती मिलती हो या धारा 86 के अन्तर्गत औसत दर से आयकर में छूट मिलती हो। परन्तु यदि पिछले वर्षों की हानियों की भी पूर्ति की जानी है तो पहले चालू वर्ष से सम्बन्धित हानियों की पूर्ति की जायेगी और इसके बाद पिछले वर्षों की आगे लाई गई हानियों की पूर्ति की जायेगी।

उदाहरण (Illustration) 11.1 :

श्री अनीष कुमार की आय की निम्न सूचनाओं से कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए सकल कुल आय की गणना कीजिए:

Compute the Gross Total Income of Mr. Anish Kumar with the help of following information for the assessment year 2010-11:

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

	Rs.
1. जयपुर में 3000 रू. प्रतिमाह किराये पर मकान उठाया गया है (Rent Rs. 3000 per month for let out house at Jaipur)	
2. स्वयं के रहने के मकान को बनाने के हेतु लिये गये ऋण पर ब्याज (Interest paid on Loan taken for self occupied house)	20,000
3. चीनी व्यापार से लाभ (Profit from Sugar Business)	15,000
4. अंशों के सट्टे से लाभ (Profit from speculation business of shares)	25,000
5. चाँदी के सट्टे से हानि (Loss from speculation business of silver)	32,000
6. कपड़ा व्यापार से हानि (Loss from cloth business)	2,12,000
7. अल्पकालीन पूंजी लाभ (Short term capital gains)	18,300
8. दीर्घकालीन पूंजी हानि (Long term capital loss)	18,750
9. घुड़दौड़ से जीती राशि (Winning from horse race)	16,000
10. शर्त से हानि (Loss from betting)	5,000
10. सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज (सकल) (Interest on Govt. Securities) (Gross)	8,000
12. ताश के खले में हारे (Loss from playing card games)	2,000

हल (Solution) :

Computation of Gross Total Income of Mr. Anish Kumar for the Assessment Year 2010-11

		Rs.	Rs.
1. Income from House Property :			
(a) Let out house property at Jaipur :			
Annual value (Rent received)		36,000	
Less : Standard Deduction @ 30% of A.V.		10,800	
		25,200	
(b) Self occupied house property :	Rs.		
Annual Value	NIL		
Less : Interest on loan paid	20,000	(-) 20,000	
Taxable Income from house property		5,200	
Less : Business Loss set off		5,200	Nil
2. Profit from Business of Professon :			
Profit from Sugar Business		15,000	
Less : Loss frfom Cloth Business set off		(-) 15,000	
Loss from Cloth Business.		(-)2,12,000	
Set-off agaianst Business Profits		(-) 15,000	
		(-)1,97,000	
Set-off against Income from House Property		(+) 5,200	
		(-)1,91,800	
Lesss : Set-off against Interest on Govt. Securities.		(+) 8,000	

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

Business Loss not set-off is to be carried forward	(-) 1,83,800	Nil
Speculation profit from Shares	25,000	
Less : Loss from Speculation business of Silver	(-) 25,000	Nil
Speculation Loss c/f Rs. 7,000		
3. Income from Capital Gains :		
Shot term Capital Gain	18,300	
Long-term Capital Loss Not Set-off		
Long-term capital loss c/f Rs. 18,750	Nil	18,300
4. Income from other Sources :		
Interest on Govt. Securities	8,000	
Less : Business Loss set off	(-) 8,000	Nil
Winning from horse race		16000
Gross Total Income		34300

टिप्पणी :

(1) शर्त से हानि तथा ताश के खेल से हानि की पूर्ति किसी भी स्रोत की आय में से नहीं की जा सकती है।

(2) चांदी के सट्टे के व्यापार की हानि की पूर्ति अंशों के सट्टे के लाभों से की जा सकती है। सट्टे के लाभ अपर्याप्त होने पर शेष हानि की पूर्ति गैर–सट्टे व्यापार के लाभों से नहीं की जा सकती है। इस हानि को नियमानुसार आगे ले जाकर सट्टे व्यापार के लाभों से ही पूरा किया जा सकता है।

(3) दीर्घकालीन पूँजी हानि की पूर्ति केवल दीर्घकालीन पूँजी लाभों से ही की जा सकती है, इसलिए दीर्घकालीन पूँजी हानि की पूर्ति अन्य आयों से नहीं की गई है।

हानियों को आगे ले जाना तथा पूर्ति करना
(Carry Forward and Set-off of Losses)

यदि किसी गत वर्ष में किसी हानि का उपर्युक्त प्रकार से समायोजन न हो सके तो कुछ परिस्थितियों में करदाता को यह सुविधा प्रदान की गई है कि वह उस हानि को आगे के वर्षों में ले जाकर समायोजित कर सकता है। यह सुविधा केवल निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत होने वाली हानियों के लिए ही प्रदान की गई हैः

1. मकान सम्पत्ति से आय;
2. व्यवसाय या पेशे के लाभ एवं अधिलाभ;
3. पूंजी लाभ; तथा
4. अन्य साधनों से आय।

(1) मकान सम्पत्ति से आय शीर्षक की हानि [धारा 71B]
(Loss under the head 'Income from House Property)

यदि किसी कर–निर्धारण वर्ष के लिए "मकान सम्पत्ति से आय" वाले शीर्षक के अन्तर्गत हानि है

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

तथा ऐसी हानि की उसी कर–निर्धारण वर्ष में धारा 71 की व्यवस्थाओं के अनुसार किसी भी शीर्षक की आय से पूर्ति न हो सके, तो ऐसी अशोधित हानि को अगले 8 कर–निर्धारण वर्षों तक आगे ले जाया जा सकता है तथा उसकी पूर्ति आगे के वर्षों में "मकान सम्पत्ति से आय" वाले शीर्षक की आय से की जा सकती है।

(2) व्यापार अथवा पेशे की हानियां [धारा 72]

(Loss from Business or Profession)

यदि किसी कर–निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में व्यापार अथवा पेशे के लाभ शीर्षक की हानियाँ (सट्टे के व्यापार की हानियों को छोडकर) अन्य शीर्षकों की आय से पूरी नहीं की जा सके तो उन्हें 8 कर–निर्धारण वर्षों तक आगे ले जाया जा सकता है तथा आगे के वर्षों में किसी भी व्यापार अथवा पेशे की आय से उनकी पूर्ति की जा सकती है।

कर निर्धारण वर्ष 2000–01 से यह आवश्यक नहीं है जिस व्यापार की हानि की पूर्ति आगे ले जाकर की जानी है वह व्यापार गत वर्ष में भी चालू रहे।

यदि कोई एकाकी व्यापारी (Sole Trader) अपने व्यापार को साझेदारी संस्था में बदल लेता है तो वह अपने एकाकी स्वामित्व वाले व्यापार की हानियों की पूर्ति फर्म से प्राप्त होन वाली कर–योग्य आय (वेतन, ब्याज आदि) से या अन्य किसी व्यवसाय अथवा पेशे के कर–योग्य लाभों से कर सकता है। इसी प्रकार यदि किसी साझेदारी फर्म के व्यवसाय को किसी एक साझेदार द्वारा एकाकी स्वामित्व वाले व्यापार के रूप में जारी रखा जाता है तो वह व्यक्ति साझेदारी फर्म में अपने हिस्से की हानि को एकाकी स्वामित्व वाले व्यापार के लाभों से पूरा कर सकता है।

स्पष्टीकरण :

(i) व्यापार अथवा पेशे की हानि का तात्पर्य चालू वर्ष का ह्रास, वैज्ञानिक अनुसन्धान पर पूँजीगत व्यय तथा कम्पनी करदाता की दशा में परिवार नियोजन पर पूँजीगत व्यय घटाने से पूर्व व्यापार अथवा पेशे के लाभ शीर्षक की ऋणात्मक आय से है जिसमें सट्टे के लाभ या हानि सम्मिलित नहीं है।

(ii) यदि किसी वर्ष की व्यापारिक हानि, अशोधित ह्रास तथा अशोधित वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी पूंजीगत व्यय की छूट को आगे के वर्षों में पूर्ति हेतु ले जाया जाता है तो आगे के वर्षों में पहले व्यापारिक हानि की पूर्ति की जायेगी तथा बाद में अशोधित ह्रास एवं अशोधित वैज्ञानिक अनुसंधान के पूंजीगत व्यय की पूर्ति की जायेगी।

(iii) पिछले वर्षो से आगे लाई गई हानियों की पूर्ति करने से पूर्व चालू वर्ष की अन्य शीर्षकों की हानियों की पूर्ति किया जाना आवश्यक है। परन्तु सट्टे के व्यवसाय के लाभों पर यह नियम अनिवार्य रूप से लागू नहीं होता। करदाता को विकल्प रहता है कि चालू वर्ष के लाभों मं से वह चाहे तो पिछले वर्षों से लाई गई सट्टे की हानि की पूर्ति पहले करें।

(iv) यदि ऋण पत्र अथवा बॉण्ड्स को व्यापारिक रहतिये के रूप में रखा जाता है तो इनका ब्याज व्यापार अथवा पेशे की आय शीर्षक में ही कर योग्य होता है तथा आगे लाई गई व्यापारिक हानियों की पूर्ति ऐसे ब्याज से की जा सकती है।

(v) यदि अंशों को व्यापारिक रहतिये के रूप में रखा जाता है तब भी इन पर मिलने वाला लाभांश अन्य साधनों से आय शीर्षक में ही कर योग्य होता है। परन्तु ऐसे लाभांश से आगे लाई गई व्यापारिक हानियों की पूर्ति की जा सकती है। वर्तमान में घरेलू कम्पनी का लाभांश तो कर–मुक्त होता है परन्तु विदेशी

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

कम्पनी के अंश यदि व्यापारिक रहतिये के रूप में हों तो उनके लाभांश से आगे लाई गई व्यापारिक हानि की पूर्ति हो सकती है।

(3) सट्टे के व्यापार की हानियाँ [धारा 73]
(Loss from Speculation Business)

यदि किसी कर–निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में किसी सट्टे के व्यापार की हानियां उसी वर्ष के अन्य सट्टे के व्यापार से पूरी न हो सकें तो उन्हें 4 कर–निर्धारण वर्षों तक आगे ले जाया जा सकता है और किसी भी सट्टे के व्यापार की आय से पूरा किया जा सकता है।

यह आवश्यक नहीं है कि जिस सट्टे के व्यापार की हानि की पूर्ति आगे ले जाकर की जानी है वह सट्टा व्यापार गत वर्ष में भी चालू रहे। सट्टे के व्यापार के लाभों में से सबसे पहले सट्टे के व्यापार की हानि (चालू वर्ष य पिछले वर्षों की आगे लाई गई) की पूर्ति की जावेगी। इसके पश्चात् शेष बचे सट्टे के लाभों में से अन्य व्यवसाय की हानि की पूर्ति की जावेगी।

यदि कोई कम्पनी (विनियोग कम्पनी, बैंकिंग का व्यवसाय करने वाली कम्पनी अथवा ऋण उधार देने का व्यवसाय करने वाली कम्पनी को छोड़ते हुए) किसी दूसरी कम्पनी के अंशों का क्रय–विक्रय करती है तो इस प्रकार के क्रय–विक्रय के व्यवसाय से होने वाली आय सट्टे के व्यापार की आय मानी जायेगी तथा हानि होने की दशा में ऐसी हानि की पूर्ति सट्टे व्यापार के लाभों से की जायेगी।

(4) अशोधित ह्रास [धारा 32 (2)]
(Un-absorbed Depreciation)

व्यवसाय अथवा पेशे के लाभों की कमी के कारण ह्रास की कटौती यदि सम्बन्धित कर–निर्धारण वर्ष में अन्य शीर्षकों की आय से भी पूरी न की जा सके तो ऐस ह्रास को अशोधित ह्रास कहते हैं। अशोधित ह्रास की पूर्ति कितने भी वर्षों तक आगे ले जाकर करदाता की किसी भी आय (वेतन शीर्षक की आय को छोड़कर) से की जा सकती है। यह आवश्यक नहीं है कि जिस व्यवसाय का अशोधित ह्रास है वह व्यवसाय गत वर्ष में भी जारी रहे।

आगामी वर्षों में अशोधित ह्रास के समायोजन के लिए निम्न प्राथमिकता क्रम अपनाया जायेगा–

(क) चालू वर्ष का ह्रास

(ख) आगे लई गयी व्यावसायिक हानि

(ग) अशोधित ह्रास

यदि आगमी वर्षों में आगे लाई गई व्यावसायिक हानि नहीं है तो अशोधित ह्रास को चालू वर्ष के ह्रास में जोड़कर कटौती का दावा किया जा सकता है।

(5) वैज्ञानिक अनुसन्धान पर पूँजीगत व्यय
(Capital Expenditure on Scientific Research)

यदि वास्तव में लाभ नहीं होने के कारण अथवा कम लाभ होने के कारण वैज्ञानिक अनुसन्धान पर हुए पूँजीगत व्यय की कटौती स्वीकृत नहीं हो पाती है (चाहे पूर्णतः या अंशतः) तो ऐसे अशोधित व्यय की पूर्ति आगे के वर्षों में अशोधित ह्रास मानकर धारा 32 (2) के अनुसार की जावेगी। अशोधित ह्रास को आगे ले जाकर पूर्ति करने के प्रावधानों का वर्णन पहले किया जा चुका है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(6) पूँजी लाभ शीर्षक की हानियाँ [धारा 74]

(Loss under the Head 'Capital Gains')

यदि किसी कर–निर्धारण वर्ष में पूँजी लाभ (Capital Gains) शीर्षक के अन्तर्गत हानि हो तो ऐसी हानि को पहले उसी वर्ष में "पूँजी लाभ" शीर्षक की आय से पूरा किया जायेगा। यदि सम्पूर्ण या आंशिक पूँजी हानि की इस प्रकार पूर्ति न हो सके तो पूँजी हानि की शेष राशि को तुरन्त बाद के 8 कर–निर्धारण वर्षों तक आगे ले जाकर 'पूँजी लाभ' शीर्षक की आय से ही पूरा किया जा सकता है।

इस सम्बन्ध में निम्नांकित नियमों को ध्यान में रखना चाहिएः

(i) अल्पकालीन पूंजी हानि तथा दीर्घकालीन पूंजी हानि की गणना अलग–अलग की जावे।

(ii) अल्पकालीन पूंजी हानि की पूर्ति आगे के 8 कर निर्धारण वर्षों तक ले जाकर पूंजी लाभ शीर्षक की आय (अल्पकालीन/दीर्घकालीन पूंजी लाभ) से की जा सकती है।

(iii) दीर्घकालीन पूंजी हानि की पूर्ति सम्बन्धित कर–निर्धारण वर्ष में दीर्घकालीन पूंजी लाभों के न हाने पर शेष राशि को अगले 8 कर–निर्धारण वर्षों तक ले जाकर केवल दीर्घकालीन पूंजी लाभों से ही की जा सकती है।

यदि किसी गत वर्ष में पूंजी लाभों में से चालू गत वर्ष की पूँजी हानि तथा पिछले गत वर्ष की अशोधित पूँजी हानि दोनों घटाये जाने हों तो पहले चालू गत वर्ष की पूँजी हानि को घटाया जायेगा तथा उसके बाद पिछले गत वर्ष की अशोधित पूँजी हानि को घटाया जायेगा।

(7) दौड़ के घोड़ों को रखन से हानि [धारा 74A]

(Loss from maintaining Race Horses)

'अन्य साधनों से आय' शीर्षक के अन्तर्गत केवल घुड़दौड़ हेतु घोड़े रखने से हुई हानि को ही आगे ले जाकर समायोजित करने की सुविधा प्रदान की गई है। किसी भी गत वर्ष की घुड़दौड़ हेतु रखे घोड़ों की अशोधित हानि को तुरन्त अगले 4 कर–निर्धारण वर्षों तक आगे ले जाकर केवल घुड़दौड़ हेतु रखे घोड़ों की आय से ही पूरा किया जा सकता है।

स्पष्टीकरणः

(i) इस हानि की पूर्ति अगले चार वर्षों में ले जाकर करने के लिए यह आवश्यक है कि करदाता द्वारा दौड़ के घोड़ों को रखने सम्बन्धी कार्य गत वर्ष में भी जारी रहे।

(ii) घुड़दौड़ के लिए रखे घोड़ो पर किये गये पूँजीगत व्ययों की किसी भी गत वर्ष में छूट स्वीकृत नहीं की जाती है।

(iii) दौड़ के घोड़े से हानि = घोड़ों पर समस्त आयगत व्यय–ऐसे घोड़ों से अर्जित आय।

(iii) दौड़ के घोड़ों का तात्पर्य ऐसे घोड़ों से है जिन पर वैधानिक रूप से शर्त लगाई जा सकती हो।

(8) फर्म की हानियाँ [धारा 75]

(Loss of Firm)

कर–निर्धारण वर्ष 1993–94 से फर्म स्वयं अपनी हानियों को आगे ले जाकर पूरी कर सकती है। फर्म ऐसी हानि की पूर्ति धारा 70, 71, 72, 73, 74 तथ 74A के प्रावधानों के अन्तर्गत कर सकेगी।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(9) फर्म के संविधान में परिवर्तन होन पर या उत्तराधिकारिता पर हानियों को आगे ले जाना तथा पूर्ति करना (Carry forward and set off of Losses in case of change in constitution of firm or on succession) [धारा 78]

फर्म के संविधान में परिवर्तन साझेदार के अवकाश प्राप्त करने पर या साझेदार की मृत्यु पर होता है यदि किस साझेदारी फर्म के संविधान में कोई परिवर्तन हो चुका है तो फर्म को अवकाश प्राप्त अथवा मृत साझेदार के हिस्से की हानि को आगे ले जाने तथा समायोजन करने का अधिकार नहीं रहेगा। कोई भी फर्म अवकाश प्राप्त अथवा मृत साझेदार के हिस्से की हानि को पूर्ति हेतु आगे नहीं ले जा सकती है।

परन्तु यदि चालू गत वर्ष में ऐसे साझेदार को फर्म की आय में हिस्सा लेने का अधिकार है तो फर्म पिछले वर्षों की लाई गई हानि को उस आय की राशि तक पूरा कर सकती हैं।

ध्यान देने योग्य अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु
(Other Important Points to be considered):

(i) यदि किसी व्यवसाय के स्वामित्व में परिवर्तन उत्तराधिकारिता के कारण हुआ है, तो व्यवसाय का स्वामी उस व्यवसाय की अशोधित हानियों को आगे ले जाकर समायोजित कर सकता है।

(ii) किसी भी करदाता को अपनी अशोधित हानियों को आगे ले जाने का अधिकार उसी समय प्राप्त होगा जबकि उसने धारा 139 के अन्तर्गत आय की विवरणी पेश कर दी हो तथा ऐसी हानियों का निर्धारण किया जा चुका हो। यदि करदाता ने अपनी आय की विवरणी पेश नहीं की है तो उस वर्ष न तो वह अपनी कोई अशोधित हानि का समायोजन कर सकता है और न ही उस वर्ष की हानि को अशोधित हानि के रूप में आगे ले जा सकता है। (धारा 80)

(iii) यदि कोई करदाता अनिवासी हो तो वह अपनी विदेशी हानि को भारतीय आय से समायोजित नहीं कर सकता। वह केवल भारतीय हानि को ही भारतीय आय से समायोजित कर सकता है तथा आगे ले जा सकता है।

व्यापारिक हानि, ह्रास एवं अशोधित व्ययों की पूर्ति का क्रम :

यदि किसी वर्ष अशोधित ह्रास तथा व्यापारिक हानि आदि आगे लाये जाते हैं तो चालू वर्ष के व्यापार अथवा पेशे के लाभों से उनकी पूर्ति करते समय निम्नांकित क्रम अपनाया जाना चाहिए–

(i) चालू वर्ष का वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी पूँजीगत व्यय;

(ii) चालू वर्ष का ह्रास;

(iii) आगे लाई गई व्यापारिक हानियाँ;

(iv) पिछले वर्षों का अशोधित ह्रास तथा वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी अशोधित पूँजीगत व्यय।

(10) अंश, प्रतिभूति या यूनिट के एक निश्चित अवधि में क्रय–विक्रय से उत्पन्न हानि को ध्यान में नहीं रखना (Ignoring the loss arising on account of purchase and sale of shares, securities or units within the prescribed period) [धारा 94 (7)]

यदि कोई व्यक्ति रिकार्ड तिथि (Record date) से पूर्व तीन माह की अवधि में अंशों, प्रतिभूतियों या यूनिटों को क्रय करता है अथवा प्राप्त करता है तथ रिकार्ड तिथि से बाद की 3 माह की अवधि में ऐसे अंश अथवा प्रतिभूतियों का विक्रय अथवा हस्तान्तरण करता है अथवा रिकार्ड तिथि से बाद की 9 माह की

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

अवधि में ऐसी यूनिटों का विक्रय अथवा हस्तान्तरण करता है तथा ऐसे अंशों, प्रतिभूतियों अथवा यूनिटों पर प्राप्त लाभांश या आय, धारक के लिये कर मुक्त होती है तो ऐसे व्यक्ति की कर योग्य आय की गणना करते समय ऐसे अंशों, प्रतिभूतियों अथवा यूनिटों के क्रय–विक्रय से होने वाली हानि को इन पर प्राप्त या प्राप्य लाभांश अथवा आय की राशि तक नहीं घटाया जायेगा अर्थात् लाभांश अथवा आय की सीमा तक हानि की पूर्ति नहीं की जायेगी।

उदाहरणार्थ –श्री अंकित गुप्ता ने 15 मई, 2009 को X Ltd. के 10 रु. वाले 1000 समता अंश 56 रु. प्रति अंश की दर से क्रय किये तथा इन्हें 6 सितम्बर, 2009 को 46 रु. प्रति अंश की दर पर बेच दिया। X Ltd. ने 55 प्रतिशत लाभांश घोषित किया जिसके लिये रिकार्ड तिथि 5 अगस्त, 2009 थी। इस स्थिति में पूंजी हानि की गणना निम्न प्रकार की जायेगीः

	रु.
अंशों का विक्रय प्रतिफल	46,000
घटाओ : अंशो की प्राप्ति लागत	56,000
अल्पकालीन पूँजी हानि	10,000
घटाओ : अंशों पर प्राप्य लाभांश (10 x 1000 x 55%)	5,500
पूर्ति की जाने योग्य अल्पकालीन पूँजी हानि	4,500

स्पष्टीकरण– रिकार्ड तिथि से आशय कम्पनी, धारा 10 (23 D) में वर्णित पारस्परिक कोष या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया द्वारा अंश, प्रतिभूति या यूनिट धारक को लाभांश या आय को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करने के लिये निर्धारित की गई तिथि से है।

(11) बोनस यूनिट प्राप्त करने के उद्देश्य से किये गये दिखावटी लेन देनों से होने वाली हानि को ध्यान नहीं रखना (Ignoring the loss arising on account of Bond washing transactions done for the purpose of acquiring Bonus units) [धारा 94 (8)]

यदि कोई व्यक्ति 'रिकार्ड तिथि' से पूर्व 3 माह की अवधि में यूनिट्स क्रय करता है अथवा प्राप्त करता है एवं उस व्यक्ति को रिकार्ड तिथि पर ऐसी यूनिटों को धारण करने के आधर पर बिना किसी भुगतान के अतिरिक्त यूनिट्स या बोनस यूनिट्स निर्गमित किये जाते हैं तथा वह व्यक्ति रिकार्ड तिथि से 9 माह की अवधि में सम्पूर्ण मूल यूनिट अथवा उनका कुछ भाग बेच देता है अथवा हस्तान्तरित कर देता है जबकि समस्त बोनस यूनिट अथवा उनका कुछ भाग अपने पास ही रखता है तो ऐसी स्थिति में धारा 94 (8) के निम्न प्रावधान लागू होंगे–

1. उस व्यक्ति की कर योग्य आय की गणना करते समय मूल यूनिट्स के क्रय–विक्रय से होने वाली हानि को नहीं घटाया जायेगा अर्थात् ऐसी हानि की पूर्ति नहीं की जायेगी।
2. बोनस यूनिटों के विक्रय के समय पूंजी लाभों की गणना करने के उद्देश्य से ऐसी हानि को उस करदाता की बोनस यूनिटों को प्राप्त करने की लागत माना जायेगा।

स्पष्टीकरण– यूनिट से आशय धारा 10 (23) में वर्णित पारस्परिक कोष की यूनिट्स अथवा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इन्डिया की यूनिट से है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

उदाहरण (Illustration) 11.2 :

Mr. Mohit submits the following particulars of his income for the assessment year 2010-11

	Rs.
(i) Income from the let out house (Computed)	6,000
(ii) Loss from self occupied house	7,000
(iii) Profit of business of publication of books	22,800
(iv) Speculation income	4,000
(v) Short term capital gains	13,000
(vi) Long term capital gains	2,000
(vii) Divident (from domestic company)	16,000
(viii) Winning in card game	10,000

The following items have been brought forward from the preceeding assessment year 2009-10.

(i) Loss from sugar business of A.Y. 2003-04 (discontinued in 2005-06)	6,500
(ii) Loss from books publication business (2003-2004)	4,500
(iii) Loss in card game	2,000
(iv) Speculation loss	12,000
(v) Short term capital loss (A.Y. 2004-05)	6,000
(vi) Long term capital loss (A.Y. 2002-03)	7,000

You are required to compute his Gross Total Income.

मि. मोहित कर–निर्धारण वर्ष 2009–10 के लिये अपनी आय के निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करते हैं–

	रु.
(i) किराये पर उठाये गये मकान सम्पत्ति की आय (आकलित)	6,000
(ii) स्वयं के रहने के मकान से हानि	7,000
(iii) पुस्तक प्रकाशन के व्यापार का लाभ	22,800
(iv) सट्टे के व्यापार से आय	4,000
(v) अल्पकालीन पूंजी लाभ	13,000
(vi) दीर्घकालीन पूंजी लाभ	2,000
(vii) लाभांश (घरेलू कम्पनी से)	16,000
(viii) ताश के खेल में जीते	10,000

पिछले कर–निर्धारण वर्ष 2009–10 के निम्नलिखित मद आगे लाये गये हैं–

(i) चीनी के व्यापार की हानि 2003–04 की जिसे 2005–06 में बन्द कर दिया	6,500
(ii) पुस्तक प्रकाशन के व्यापार से हानि (2003–04)	4,500
(iii) ताश के खेल में हारे	2,000

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(iv) सट्टे के व्यापार की हानि 12,000

(v) अल्पकालीन पूंजी हानि (कर निर्धारण वर्ष 2004–05 की) 6,000

(vi) दीर्घकालीन पूंजी हानि (कर निर्धारण वर्ष 2002–03 की) 7,000

आपको इनकी सकल कुल आय की गणना करनी है।

Solution :

Computation of Gross Total Income of Mr. Umesh for the Assessment Year 2010-11

	Rs.	Rs.
1. Income from House Property :		
Income from let out house	6000	
Loss from Self-occupied house	(-) 7000	
Loss to be set off against income from business or Profession	1000	
2. Profits of Business or Profession :		
Profits of publication business	22800	
Less : Loss under the head income from house property	1000	
	21800	
Less : Brought forward loss of publication business	(-) 4500	
	17300	
Less : Loss of Sugar business	(-) 6500	10800
Speculation Profits	4000	
Less : Loss brought forward	(-) 12000	
Loss to be carried forward	(-) 8000	Nil
3. Capital Gains :		
Short -term capital gain	13000	
Less : Brought forward short term capital loss	6000	7000
Long term capital gains	2000	
Less : Brought forward loss of A.Y. 2001-01	(-) 7000	
Loss Not to be carried forward	(-) 5000	Nil
4. Income from Other Sources		
Dividend (exempt)	--	
Winning in card game	10000	10000
Gross Total Income		**27800**

टिप्पणी :

(i) कर–निर्धारण वर्ष 2000–01 से बन्द व्यापार की हानियों की भी पूर्ति की जायेगी बशर्ते कि निर्धारित 8 या 4 वर्ष पूरे नहीं हुए हों।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(ii) दीर्घकालीन पूंजी हानि कर–निर्धारण वर्ष 2002–03 की है। इसमें से 2000 रू. की पूर्ति दीर्घकालीन पूंजी लाभ से कर दी जायेगी, परन्तु शेष की पूर्ति अल्पकालीन पूंजी लाभों से नहीं की जायेगी तथा 8 वर्ष समाप्त हो जाने के कारण इसे आगे भी नहीं ले जाया जायेगा।

(iii) व्यापार अथवा पेशे के लाभों से पहले चालू वर्ष की मकान सम्पत्ति की हानि की पूर्ति की जायेगी। इसके बाद आगे लाई गई व्यापार की हानि की पूर्ति की जायेगी।

(iv) करदाता चाहे तो मकान सम्पत्ति की हानि को पूंजी लाभ शीर्षक की आय से भी पूरा कर सकता है। परन्तु पूंजी लाभ शीर्षक से पहले चालू वर्ष की मकान सम्पत्ति की हानि को पूरा किया जायेगा तथा उसके बाद आगे लाई गयी अल्पकालीन पूंजी हानि की पूर्ति की जायेगी।

अभ्यास के लिए प्रश्न

(Questions for Exercise)

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न

(Very Short answer type questions)

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 20 शब्दों में दीजिए।

(Answer the following Questions in Maximum 20 words)

1. उस शीर्षक का नाम बताइए जिसके अन्तर्गत ऋणात्मक आय हो ही नहीं सकती।
   Name the head under which negative income never happens.
2. क्या सट्टे वाले व्यवसाय की हानियों की गैर सट्टे वाले व्यवसाय के लाभों से पूर्ति की जा सकती है?
   Whether the losses of the speculation business can be set-off against the profits of non-speculation business?
3. "मकान सम्पत्ति से आय" शीर्षक की अशोधित हानि को कितने वर्षों तक आगे ले जाया जा सकता है तथा आगे के वर्षों में कौन–कौन सी आयों से उसकी पूर्ति की जा सकती है?
   For how many years can the unabsorbed loss under the head "Income from house property" be carried forward and against which income it can be set off in the following years?
4. अशोधित ह्रास को कितने वर्षों तक आगे ले जाया जा सकता है तथा आगे के वर्षों में कौन–कौन सी आयों से उसकी पूर्ति की जा सकती है?
   For how many years can the unabsorbed depreciation be carried forward and against which incomes can it be set off in the following years.
5. क्या एक करदाता आकस्मिक आय में से किसी हानि की पूर्ति कर सकता है?
   Whether any loss can be set off against the casual income?

लघूत्तरात्मक प्रश्न

(Short answer type questions)

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए।

(Answer the following Questions in Maximum 50 words)

1. ऐसी हानियों का वर्णन कीजिए जिनकी पूर्ति केवल उसी स्रोत की आय से की जा सकती है।
   Describe the losses which can be set-of against income from that source only.

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

2. "किसी एक शीर्षक के अन्तर्गत हुई हानि को अन्य शीर्षकों के अन्तर्गत हुई आयों से उसी कर–निर्धारण वर्ष में पूरा कर सकते हैं।" इस सिद्धान्त के अपवाद लिखिए।

"The loss under one head of income can be set-off against the income under other heads during the same assessment year." Explain the exceptions of this rules.

3. पूंजी हानि की पूर्ति एवं उनको आगे ले जाने के प्रावधानों को समझाइये।

Explain the provisions regarding set-off and carry forward of capital losses.

निबन्धात्मक प्रश्न

(Essay type questions)

1. हानियों की पूर्ति एवं उन्हें आगे ले जाने से सम्बन्धित आय–कर अधिनियम के प्रावधानों का वर्णन कीजिए।

Discusss the provisions of Income Tax Act relating to the set-off and carry forward of losses.

2. "एक शीर्षक की हानि को अन्य शीर्षकों की आय से पूरा कर सकते हैं।" इस नियम की व्याख्या करते हुए इसके अपवाद बतलाइए।

"Losses of one source can be set-off from the income of other sources." Explain the rule and give its exceptions.

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

खण्ड (Section) : C
इकाई (Unit) : 12
सकल कुल आय में से कटौतियाँ तथा व्यष्टियों की कुल आय का निर्धारण
(Deductions from Gross Total Income and Determination of Total Income of Individuals)

करदाता की सकल कुल आय में से आयकर अधिनियम के अध्याय VI-A में वर्णित धारा 80C से धारा 80U तक की कटौतियों की समस्त राशियों को घटाने पर प्राप्त होने वाली राशि उसकी कुल आय कहलाती है। आयकर की गणना कुल आय पर की जाती है। कुल आय का धारा 288A के अनुसार 10 के गुणांक वाली निकटतम राशि में बदलकर उपसादन (Rounding off) किया जाता है। उदाहरणार्थ, यदि कुल आय 88,855 रू. या 88,856 रू. हो तो उसे 88,860 रू. मान लिया जाता है, जबकि कुल आय 88,854 रू. हो तो उसे 88,850 रू. मान लिया जाता है।

व्यष्टि करदाताओं की कुल आय का निर्धारण
(Determination of Total Income of Individual Assesses)

व्यष्टि का आषय प्राकृतिक मानव (Human) से होता है जिसमें पुरूष एवं स्त्री दोनों सम्मिलित होते हैं। एक अवयस्क या पागल व्यक्ति भी व्यष्टि करदाता माना जाता है परन्तु उसका कर–निर्धारण धारा 161 के अनुसार उसके संरक्षक के माध्यम से किया जाता है।

एक व्यष्टि करदाता की कुल आय को निर्धारित करने के लिए निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जाती है :

(1) सर्वप्रथम करदाता की निवासीय स्थिति का निर्धारण किया जाता है। एक व्यष्टि करदाता साधारण निवासी, असाधारण निवासी या अनिवासी हो सकता है।

[देखिए इकाई 2]

(2) समस्त आयों को आय के पाँच शीर्षकों में विभक्त कर इन शीर्षकों की कर–योग्य आय निर्धारित की जाती है।

[देखिए इकाई 4 से 9 तक]

(3) कर–योग्य आय का निर्धारण करते समय कर–मुक्त आयों को भी ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि कर–मुक्त आयें कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाती हैं।

[देखिए इकाई 3]

(4) धारा 60 से धारा 64 तक के प्रावधानों के अनुसार करदाता की मानी गई आयों को भी सम्बन्धित षीर्षक की कर–योग्य आय में सम्मिलित किया जाता है।

[देखिए इकाई 10]

(5) सकल कुल आय की गणना करते समय हानियों की पूर्ति तथा पिछले वर्षों से लाई गई हानियों की पूर्ति के नियमों को ध्यान में रखकर हानियों का समायोजन किया जाता है।

[देखिए इकाई 11]

(6) सकल कुल आय में से धारा 80 C से धारा 80 U तक की कटौतियाँ घटाई जाती है। शेष राशि कुल आय (Total Income) कहलाती है। कुल आय का निकटतम दहाई के गुणांक में उपसादन (Rounding off) किया जाता है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

कुल आय/कर–योग्य आय को निर्धारित करने की प्रक्रिया
(Procedure For Computation of Total Income/Taxable Income)

चरण 1 :

करदाता की निवासीय स्थिति का निर्धारण
(साधारण निवासी/असाधारण निवासी/अनिवासी)

↓

चरण 2 :

विभिन्न शीर्षकों की कर–योग्य आय का निर्धारण
[(i) वेतन से आय, (ii) मकान सम्पति से आय, (iii) व्यापार या पेशे के लाभ तथा अधिलाभ, (iv) पूँजी लाभ, (v) अन्य साधनों से आय,

↓ (+) जोड़िए

चरण 3 :

(i) धारा 60 से 64 तक की मानी गयी आयें ?
(ii) धारा 68 से 69 व तक की अस्पष्ट साधनों से आयें

↓ (–) घटाइए

चरण 4 :

(i) चालू वर्ष की हानियों की पूर्ति
(ii) पिछले वर्ष से आगे लाई गई हानियों तथा अशोधित ह्मस की पूर्ति
ख्धारा 70 से 80 तक,

↓ परिणाम (Result)

चरण 5 :

सकल कुल आय
(Gross Total Income)

आकस्मिक आय (Casual Income)	दीर्घकालीन पूँजी लाभ (Long-term Capital Gains)	धारा 111 A के अन्तर्गत अल्पकालीन पूँजी लाभ (Short-term Capital Gains u/s 111A)	अन्य आय (other Income)

↓ घटाइए (–)

चरण 6 :

कोई कटौती नहीं	कोई कटौती नहीं	कोई कटौती नहीं	धारा 80C से 80U तक की कटौतियाँ

↓

कुल आय
(Total Income)

चरण 7 :

↓

कुल आय को निकटतम दहाई
में पूर्णांकित करना

कुल आय ज्ञात करने की उपर्युक्त प्रक्रिया को अध्ययन की दृष्टि से निम्नांकित तीन भागों में बांटा जा सकता है :

(I) सकल कुल आय का निर्धारण :

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(II) सकल कुल आय में से स्वीकार्य कटौतियाँ, तथा
(III) कुल आय का उपसादन (पूर्णांकित करना)।

(I) सकल कुल आय का निर्धारण (Determination of Gross Total Income) :

एक व्यष्टि करदाता की सकल कुल आय में निम्न प्रकार की आयों को सम्मिलित किया जाता है :

1. **प्रत्यक्ष आय** – वह आय जो करदाता ने स्वयं कमाई है तथा करदाता को ही प्राप्य है, उसकी प्रत्यक्ष आय मानी जाती है। ऐसी आय को आय के पाँच शीर्षकों में, प्राप्ति की प्रकृति के अनुसार दिखाया जाता है। ऐसी आयों का विस्तृत विवरण अध्याय 4 से 9 तक में दिया गया है।
2. **मानी गई आयें या अप्रत्यक्ष आय** – वह आय जो अन्य व्यक्तियों को प्राप्त हुई है या उपार्जित हुई है, परन्तु धारा 60 से 64 तक के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसी आय प्राप्त कर्त्ता की आय में न जोड़कर अन्य व्यक्ति (करदाता) की आय में जोड़ी जाती है, मानी गई आयें कहलाती हैं। ऐसी आयों का विस्तृत विवरण अध्याय 10 में दिया गया हैं :
3. **अन्य संस्थाओं की सदस्यता से आय**– ऐसी आयें निम्नलिखित हैं :

   (i) हिन्दू अविभाजित परिवार की आय में हिस्सा– धारा 10(2) के अनुसार ऐसे परिवार के सदस्य को परिवार की आय में से प्राप्त कोई धनराषि (चाहे उस परिवार की आय पर कर लगा हो अथवा नहीं लगा हो) कर–मुक्त होती है। परन्तु ऐसे परिवार की यदि कोई अविभाज्य सम्पदा (Impartible Estate) हो, तो ऐसी सम्पदा की आय उस परिवार के कर्त्ता की व्यक्तिगत आय में सम्मिलित की जाती है, न कि परिवार की आय में।

   (ii) फर्म की आय में साझेदारों का हिस्सा – धारा 10(2A) के अनुसार एक साझेदार को फर्म की आय में से मिला हिस्सा कर–मुक्त होता है। परन्तु किसी फर्म के साझेदार को उस फर्म से प्राप्त अथवा प्राप्य कोई वेतन, ब्याज बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये, साझेदार के लिए कर–योग्य होता है। **साझेदार की कर–योग्य आय में ऐसी आय की वही राशि सम्मिलित की जावेगी जिसके सम्बन्ध में उस फर्म को धारा 40(b) के तहत कटौती मिली है।** साझेदार के लिए ऐसी राशि 'व्यवसाय अथवा पेशे के लाभ' शीर्षक में कर–योग्य की जाती है।

   (iii) व्यक्तियों के समुदाय अथवा व्यष्टियों के संध की आय में सदस्य का हिस्सा– ऐसे समुदाय या संघ की आय में सदस्य के हिस्से के साथ निम्न प्रकार से व्यवहार किया जायेगा–

   (क) यदि उस समुदाय या संघ ने सीमान्त दर (अधिकतम दर) से कर का भुगतान किया है तो उसके सदस्य को मिला हिस्सा कर–मुक्त होता है अर्थात् उस सदस्य की कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है।
   (ख) यदि उस समुदाय या संघ ने सामान्य दरों से कर का भुगतान किया है तो उसके सदस्य को मिला हिस्सा उसकी व्यक्तिगत कुल आय में सम्मिलित किया जावेगा परन्तु ऐसे सदस्य को औसत दर से आयकर में मुक्ति दी जावेगी।
   (ग) यदि उस समुदाय या संघ की कुल आय पर कर न लगा हो तो उसके सदस्य को मिला हिस्सा उसकी व्यक्तिगत कुल आय में सम्मिलित किया जावेगा परन्तु उस सदस्य को आयकर में कोई छूट या कर–मुक्ति नहीं दी जावेगी।

   (iv) सहकारी समिति से प्राप्त आय– ऐसी आय सभी करदाताओं के लिए कर–योग्य होती है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(II) सकल कुल आय में से स्वीकार्य कटौतियाँ
(Allowable Deductions from Gross Total Income) :

सकल कुल आय में से धारा 80 C से धारा 80 U तक की कटौतियाँ स्वीकृत करने से पूर्व सकल कुल आय को चार भागों में बाँटा जाना चाहिए :

(अ) दीर्घकालीन पूँजी लाभ ,
(ब) धारा 111A के अन्तर्गत अल्पकालीन पूँजी लाभ
(स) आकस्मिक आय, तथा
(द) अन्य लाभ

दीर्घकालीन पूँजी लाभ, धारा 111A के अन्तर्गत अल्पकालीन पूँजी लाभ तथा आकस्मिक आय में से धारा 80 C से धारा 80 U तक की कोई भी कटौती स्वीकृत नहीं की जाती है। ऐसी आयों पर कर निर्धारण भी अलग से किया जाता है। इनके सम्बन्ध में अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान निम्न प्रकार हैं :

<u>महत्वपूर्ण प्रावधान</u>

1. दीर्घकालीन पूँजी हानि की पूर्ति केवल दीर्घकालीन पूँजी लाभों से ही की जा सकती है।
2. आकस्मिक आय से किसी भी हानि की पूर्ति नहीं की जा सकती है। [धारा 58 (4)]
3. आकस्मिक आय जैसे– लाटरी, वर्ग–पहेली आदि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कटौती स्वीकृत नहीं की जाती है। यदि आकस्मिक आयों के वर्ग में कोई हानि है, जैसे–शर्त में हार की राशि, तो वह किसी भी आय से समायोजित नहीं की जा सकती है। [धारा 58 (4)]
4. दीर्घकालीन पूँजी लाभ धारा 111। के अन्तर्गत अल्पकालीन पूँजी लाभ, तथा आकस्मिक आय में से धारा 80 C से धारा 80 U तक की कोई भी कटौती स्वीकृत नहीं की जा सकती है।

(III) कुल आय का उपसादन [धारा 288 A]
(Rounding off of Total Income) :

करदाता की सकल कुल आय में से स्वीकार्य कटौतियाँ घटाने पर प्राप्त राषि उसकी कुल आय कहलाती है। आय कर की गणना इसी कुल आय पर की जाती है परन्तु कर की गणना करने से पूर्व कुल आय का धारा 288 A के अनुसार उपसादन (Rounding off) किया जाता है। यदि कुल आय 10 के गुणांक वाली निकटतम राशि में बदलकर उपसादन किया जाता है। 5 रू. या 5 रू. से अधिक को 10 रू. में बदल देते हैं तथा 5 रू. से कम होने पर छोड़ देते हैं। उदाहरणार्थ, यदि कुल आय 89,595 रू. या 89,596 रूपये हो तो उसे 89,600 रूपये मान लिया जाता है तथा यदि कुल आय 89,594 रूपये हो तो उसे 89,590 रू. मान लिया जाता है। **ध्यान रखने की बात यह भी है कि करदाता की विभिन्न शीर्षकों की कर–योग्य आय की गणना केवल रूपयों में की जाती है तथा पैसों को छोड़ दिया जाता है।**

सकल कुल आय में से स्वीकार्य कटौतियाँ
(Allowable Deductions From Gross Total Income)

इस इकाई में आयकर अधिनियम के अध्याय VI-A में वर्णित स्वीकार्य कटौतियों को अध्ययन की दृष्टि से निम्नांकित तीन भागों में वर्गीकृत करके वर्णन किया गया है :

(A) कुछ निश्चित भुगतानों के सम्बन्ध में कटौतियाँ :

(1) जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में अंषदान आदि के सम्बन्ध में कटौती (80 C)

(2) कतिपय पेंशन निधियों में अंशदान के सम्बन्ध में कटौती

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

[धारा 80 CCC]

(3) केन्द्रीय सरकार एवं अन्य नियोक्ताओं के कर्मचरियों के लिए अधिसूचित पेंशन योजना के अन्तर्गत कर्मचारी के खाते में जमा अंशदान के सम्बन्ध में कटौती

[धारा 80 CCD]

(4) धारा 80 C, धारा 80 CCC तथा धारा 80 CCD की संयुक्त कटौती की सीमा

[धारा 80 CCE]

(5) चिकित्सा बीमा प्रीमियम के सम्बन्ध में कटौती

[धारा 80 D]

(6) विकलांग आश्रित के जीवन निर्वाह एवं चिकित्सा व्ययों के सम्बन्ध में कटौती

[धारा 80 DD]

(7) विशिष्ट बीमारी की चिकित्सा के लिए किये गये व्ययों के सम्बन्ध में कटौती

[धारा 80 DDB]

(8) उच्च शिक्षा हेतु लिये गये ऋण के सम्बन्ध में ब्याज की कटौती

[धारा 80 E]

(9) कुछ कोषों, पुण्यार्थ संस्थाओं आदि को दान के सम्बन्ध में कटौती

[धारा 80 G]

(10) मकान किराये के भुगतान के सम्बन्ध में कटौती

[धारा 80 GG]

(11) वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए दान के सम्बन्ध में कटौती

[धारा 80 GGA]

(12) राजनैतिक दल को अंशदान के सम्बन्ध में कटौती

[धारा 80 GGB तथा GGC]

(B) कुछ आयों के सम्बन्ध में कटौतियाँ :

(1) ढाँचागत सुविधाओं के विकास आदि में लगे हुए आधौगिक उपक्रमों या उघमों के लाभों के सम्बन्ध में कटौती

[धारा 80 IA]

(2) विषेष आर्थिक क्षेत्र के विकास में लगे हुए उपक्रमों के लाभों के सम्बन्ध में कटौती

[धारा 80 IAB]

(3) ढाँचागत सुविधाओं के विकास सम्बन्धी उपक्रमों को छोड़कर अन्य औधोगिक उपक्रमों के लाभों के सम्बन्ध में कटौती

[धारा 80 IB]

(4) कुछ विषिष्ट श्रेणी के राज्यों में कुछ उपक्रमों के लाभों के सम्बन्ध में कटौती

[धारा 80 IC]

(5) निर्दिष्ट क्षेत्र में होटल एवं सभागार के व्यवसाय के लाभों के सम्बन्ध में कटौती

[धारा 80 ID]

(6) पूर्वोतर राज्यों में कुछ विशिष्ट उपक्रमों के सम्बन्ध में कटौती

[धारा 80 IE]

(7) जैविक नाशवान मलबे के संग्रहण एवं प्रसंस्करण के व्यवसाय से लाभों के सम्बन्ध में कटौती

[धारा 80 JJA]

(8) पुस्तकों के लेखकों की रॉयल्टी आय के सम्बन्ध में कटौती

[धारा 80 QQB]

(9) पेटेण्ट की रायल्टी के सम्बन्ध में कटौती

[धारा 80 RRB]

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(C) अन्य कटौती :

(1) स्थायी रूप से विकलांग या नेत्रहीन व्यक्तियों की आय के सम्बन्ध में कटौती

[धारा 80 U]

इस इकाई में उपर्युक्त कटौतियों का विस्तृत विवरण दिया गया है। ये कटौतियाँ करदाता के माँगने पर ही दी जाती हैं। करदाता के बिना माँगे निर्धारण अधिकारी उपर्युक्त कटौतियों को देने के लिए बाध्य नहीं है।

उपर्युक्त कटौतियों को देने के लिए निम्नांकित शर्तों को भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक है :

(1) कटौतियों की अधिकतम सीमा [धारा 80 A(2)]- धारा 80 CCC से धारा 80 U के अन्तर्गत स्वीकृत की जाने वाली कटौतियों की अधिकतम सीमा किसी भी दषा में उस करदाता की सकल कुल आय से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ सकल कुल आय का तात्पर्य सकल कुल आय में से धारा 111 A के अन्तर्गत वर्णित अल्पकालीन पूँजी लाभ, दीर्घकालीन पूँजी लाभ] आकस्मिक आय तथा धारा 115A, 115AB, 115AC, 115AD, 115BBA एवं धारा 115D में वर्णित राशियों को घटाकर शेष बची राशि से है।

(2) कुछ आयों के सम्बन्ध में कटौतियों का स्वीकार्य न होना– करदाता की सकल कुल आय में सम्मिलित निम्न प्रकार की आयों में से इस अध्याय की कटौतियाँ स्वीकृत नहीं की जा सकती है :

(i) दीर्घकालीन पूँजी लाभों में से [धारा 112(2)]

(ii) धारा 111A में वर्णित अल्पकालीन पूँजी लाभों में से

(iii) आकस्मिक आय में से [धारा 58(4)]

(iv) भूमण्डलीय डिपोजिटरी रसीदों पर लाभांष एवं दीर्घकालीन पूँजी लाभों में से [धारा 115 ACA]

(3) यदि व्यक्तियों के समुदाय (AOP) या व्यक्तियों के निकाय (BOI) की कुल आय की गणना करते समय धारा 80G, 80GGA, 80GGC, 80IA, 80IB अथवा 80JJ के अन्तर्गत कटौती स्वीकार्य है तो उस समुदाय या निकाय के सदस्यों की व्यक्तिगत कुल आय की गणना करते समय उपर्युक्त कटौतियाँ स्वीकृत नहीं की जावेगी।

कुछ भुगतानों के सम्बन्ध में कटौतियां
(Deductions in respect of Certain Payments)

(I) जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में अंशदान, आदि के सम्बन्ध में छूट [धारा 80C]

(Rebate of Income-tax in respect of Life Insurance Premium, Contribution to Provident Fund, etc.) :

दीर्घकालीन बचतों हेतु अथवा अन्य उद्देश्यों हेतु करदाता द्वारा गत वर्ष में किये गये भुगतानों के सम्बन्ध में सकल कुल आय में से धारा 80C की कटौती दी जाती है। **यह कटौती केवल व्यष्टि (Individual) तथा हिन्दू अविभाजित परिवार को ही स्वीकृत की जाती है अन्य करदाताओं को नहीं।**

यह कटौती कर–योग्य आयों में से अथवा अन्य किसी भी प्रकार की राशि में से गत वर्ष में करदाता द्वारा किये गये भुगतानों के सम्बन्ध में दी जाती है। यह कटौती वास्तविक भुगतान के आधार पर दी जाती है, देय आधार पर नहीं।

कटौती की राशि की गणना : (Computation of amount of the Deduction) :

कटौती की राशि की गणना करने के लिए सबसे पहले कटौती–योग्य राशि (Qualifying Amount) की गणना की जाती है। परन्तु ऐसी राशि यदि एक लाख रूपयों से अधिक हो तो अधिकतम कटौती एक लाख रू. की ही दी जावेगी।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

कटौती योग्य राशियों का निर्धारण (Determination of Qualifying Amount) :

एक व्यष्टि अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार करदाता की दशा में निम्नांकित राशियों के योग को 'कटौती योग्य राशि' (Qualifying Amount) कहा जाता है : [धारा 80C(2)]

(i) एक व्यष्टि, उसके जीवन साथी, उसके किसी भी बच्चे अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन पर करवाये गये बीमें को प्रभावी रखने के लिए चुकाई गई प्रीमियम की राशि। **परन्तु किसी भी गत वर्ष में बीमित राशि के 20ः से अधिक की प्रीमियम राशि कटौती–योग्य नहीं होगी।**

यदि व्यष्टि करदाता ने स्वयं का एवं अपने जीवन–साथी या अपने बच्चे का संयुक्त जीवन बीमा कराया है तब भी प्रीमियम के भुगतान के लिए छूट दी जायेगी। यदि संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी किसी अन्य व्यक्ति के साथ ली गई है तो भुगतान कटौती योग्य नहीं होगा।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा केन्द्रीय/राज्य सरकार की कर्मचारी बीमा योजना के अन्तर्गत किया गया भुगतान भी कटौती योग्य होता है।

(ii) व्यष्टि करदाता के जीवन पर या उसके जीवन साथी के जीवन पर या उसके किसी बच्चें के जीवन पर स्थगित वार्षिकी के अनुबन्ध को चालू रखने के लिये किया गया कोई भुगतान य परन्तु ऐसे अनुबन्ध में वार्षिकी के स्थान पर नकद भुगतान प्राप्त करने का विकल्प नहीं होना चाहिए। (बच्चा वयस्क या अवयस्क तथा आश्रित अथवा अनाश्रित हो सकता है) ।

(iii) एक व्यष्टि जो सरकारी कर्मचारी है, की दशा में उसकी नौकरी की शर्तों के अनुसार उसके वेतन में से स्थगित वार्षिकी के लिये अथवा उसकी पत्नी एवं बच्चों के लिए आयोजन करने के लिए गत वर्ष में काटी गई राशि, जो उसके वेतन के 1/5 भाग से अधिक नहीं होगी।

(iv) वैधानिक भविष्य निधि (Statutory Provident Fund) में व्यष्टि करदाता (कर्मचारी) के अंशदान की सम्पूर्ण राशि। (नियोक्ता के अंषदान की छूट नहीं मिलती है।)

(v) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित तथा इस सम्बन्ध में अधिसूचित किसी भविष्य निधि में अंशदान के रूप में जमा कराई गई राशि। केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में सार्वजनिक भविष्य निधि (Public Provident Fund) को स्थापित एवं अधिसूचित किया है। यह खाता व्यष्टि करदाता के स्वयं अथवा उसके जीवन–साथी अथवा उसके किसी बच्चे के नाम में हो सकता है। हिन्दू अविभाजित परिवार की दशा में यह खाता उस परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से खोला जा सकता है।

(vi) प्रमाणित भविष्य निधि (Recognised Provident Fund) में व्यष्टि करदाता (कर्मचारी) के अंशदान की राशि।

(vii) अनुमोदित निवृति कोष (Approved Superannuation Fund) में व्यष्टि करदाता (कर्मचारी) के अंशदान की राशि।

(viii) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिभूति अथवा किसी जमा योजना में विनियोजित राशि। इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय बचत योजना, 1972 को अधिसूचित किया गया है।

(ix) राष्ट्रीय बचत पत्र अष्ट्म निर्गमन में विनियोजित राशि तथा प्रथम 5 वर्षों तक अर्जित माना गया ब्याज।

(x) यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया की यूनिट सम्बद्व बीमा योजना, 1971 (Unit-linked Insurance Plan) में भाग लेने के लिये व्यष्टि करदाता के स्वयं, जीवन साथी अथवा बच्चे के नाम में दिया गया अंशदान। हिन्दू अविभाजित परिवार करदाता की दशा में उसके किसी भी सदस्य के नाम से दिया गया अंशदान।

(xi) जीवन बीमा निगम पारिस्परिक कोष की ऐसी ' यूनिट सम्बद्व बीमा योजना ' में भाग लेने के लिये स्वयं, जीवन साथी अथवा बच्चे के नाम में दिया गया अंशदान जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 10(23D) के अन्तर्गत इस आशय के लिये सरकारी गजट में अधिसूचना जारी करके अधिसूचित कर दिया जाये। जीवन बीमा निगम पारस्परिक कोष की **' धन रक्षा (1989) योजना '** को इस आशय के लिये अधिसूचित किया गया है।

(xii) जीवन बीमा निगम केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित जीवन धारा या जीवन अक्षय, नई जीवन धारा, नई जीवन अक्षय, नई जीवन धारा–1 एवं नई जीवन अक्षय–1 योजना में जमा करवाई गई

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

राशि अथवा अन्य बीमाकर्त्ता की केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित वार्षिकी योजना में जमा करवाई गई राशि।

(xiii) धारा 10 (23 D) के अन्तर्गत अधिसूचित किसी पारस्परिक कोष की यूनिटों के लिए अथवा भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूनिटों के लिए चुकाई गई राशि, बशर्तें यह भुगतान किसी ऐसी योजना के अन्तर्गत हुआ हो, जिसे इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट कर दिया गया है।

(xiv) धारा 10 (23 D) के अन्तर्गत अधिसूचित किसी पारस्परिक कोष के द्वारा अथवा भारतीय यूनिट ट्रस्ट के द्वारा स्थापित पेन्शन कोष में जमा कराई गई राशि, बशर्ते ऐसे कोष को केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट कर दिया गया हो।

(xv) नेशनल हाउसिंग बैंक की ऐसी जमा योजना में दी गई अंशदान की राशि जिसे केन्द्रीय सरकार ने इस आशय के लिये सरकारी गजट के माध्यम से अधिसूचित कर दिया हो। गृह ऋण खाता योजना (Home Loan Account Scheme) को इसके लिए अधिसूचित किया गया है। नेशनल हाउसिंग बैक द्वारा स्थापित पेन्शन कोष में दिया गया अंशदान भी इस धारा के अन्तर्गत छूट योग्य है।

(xvi) निम्न जमा योजनाओं में अंशदान के रूप में चुकाई गई राशि–

(अ) ऐसी सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी की जमा योजना में अंशदान जो भारत में आवासीय मकान क्रय करने या बनवाने के लिए दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध करवाती है ;

(ब) भारत में किसी कानून के अन्तर्गत गठित किसी ऐसी सत्ता की जमा योजना में अंशदान

जिसका उद्देश्य आवास गृहों की आवश्यकता को पूरा करना या शहरों, कस्बों तथा गाँवों का सुधार, विकास या नियोजन करना हो।

(xvii) ऐसा मकान जिसकी आय मकान सम्पति से आय शीर्षक में कर–योग्य है, को क्रय करने अथवा बनवाने के लिए गत वर्ष में किये गये निम्न प्रकार के भुगतान कटौती योग्य हैं :

(a) किसी विकास प्राधिकरण, आवासन मण्डल अथवा स्वामित्व के आधार पर मकानों के निर्माण या विक्रय का कार्य करने वाली अन्य किसी सत्ता की ''स्वः वित्त योजना'' या अन्य किसी योजना के अन्तर्गत देय राशि का भुगतान।

(b) यदि करदाता किसी कम्पनी या सहकारी समिति का अंशधारी या सदस्य है तथा उसे ऐसी कम्पनी या सहकारी समिति ने मकान का आंवटन किया है तो इस सम्बन्ध में उस कम्पनी या सहकारी समिति को देय राशि का भुगतान।

(c) करदाता द्वारा निम्न से लिये गये ऋण का पुनर्भुगतान :

(1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार ;

(2) सहकारी बैंक या अन्य कोई बैंक ;

(3) भारतीय जीवन बीमा निगम ;

(4) राष्ट्रीय आवास बैंक (National Housing Bank) ;

(5) आवासीय उद्देश्य के लिए भारत में मकानों का क्रय करने या बनवाने के लिए दीर्घकालीन वित्त प्रदान करने का व्यवसाय चलाने के उद्देश्य से भारत में स्थापित तथा पंजीकृत ऐसी सार्वजनिक कम्पनी जो धारा 36(1)(viii) के अन्तर्गत कटौती के लिये पात्रता रखती है ;

(6) जनता के सारवान हित वाली कोई भी ऐसी कम्पनी अथवा सहकारी समिति जो मकानों के निर्माण के लिए वित्त प्रदान करने का व्यवसाय चलाती है ;

(7) करदाता का नियोक्ता य बशर्तें ऐसा नियोक्ता एक सार्वजनिक कम्पनी अथवा एक सार्वजनिक क्षेत्र कम्पनी अथवा कानून द्वारा स्थापित एक विश्वविद्यालय या ऐसे विश्वविद्यालय से सम्बद्व कोई महाविद्यालय अथवा एक स्थानीय सत्ता अथवा एक सहकारी समिति हो।

(d) मुद्रांक शुल्क, पंजीकरण शुल्क तथा अन्य कोई व्यय जिनका भुगतान करदाता द्वारा मकान के हस्तान्तरण के उद्देश्य से किया गया है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

निम्नांकित व्यय कटौती योग्य नहीं होते हैं :

(क) किसी कम्पनी या सहकारी समिति का अंशधारी या सदस्य बनने के लिए दिया गया प्रवेश शुल्क, अंशों की लागत तथा प्रारम्भिक जमा की रकम ;

(ख) अधिकृत प्राधिकारी द्वारा मकान सम्पति का पूर्ण होने के प्रमाण पत्र जारी करने के बाद मकान की मरम्मत, वृद्धि, परिवर्तन एवं नवीनीकरण पर किये गये व्यय अथवा करदाता या उसकी ओर से अन्य व्यक्ति या किरायेदार द्वारा मकान सम्पति या उसके किसी भाग को कब्जा लेने के पश्चात किये गये उपर्युक्त व्यय ;

(ग) कोई भी ऐसा व्यय जिसके लिए धारा 24 के अन्तर्गत कटौती स्वीकार्य हो।

(xviii) बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी सार्वजनिक कम्पनी के पूँजी के योग्य निर्गमन के समता अंशों अथवा ऋणपत्रों में अंशदान अथवा सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के पूँजी के योग्य निर्गमन में अंशदान।

(xix) बोर्ड द्वारा अनुमोदित तथा धारा 10(23 D) में वर्णित किसी ऐसे पारस्परिक कोष की यूनिट्स में अंशदान करना जिसका उद्देश्य ऐसी राशि को बोर्ड द्वारा अनुमोदित पूँजी के योग्य निर्गमन के समता अंशों अथवा ऋणपत्रों में ही अभिदान करना हो।

(xix) किसी अनुसूचित बैंक में 5 वर्ष या अधिक की नियत अवधि के लिये जमा की गई राशि जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस वाक्य (Clause) के उद्देश्यों के लिये बनाई गई एवं सरकारी गजट में अधिसूचित की गई किसी योजना के अनुसार हो।

स्पष्टीकरण –

इस वाक्य के उद्देश्यों के लिये अनुसूचित बैंक से आशय भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) अथवा इसकी किसी सहायक बैंक अथवा अन्य किसी बैंक से है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (Reserve Bank of India) अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची (Second Schedule) में सम्मिलित किया गया हो।

(xx) कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक (National Bank of Agricultural and Rural Develoment) द्वारा निर्गमित ऐसे बॉण्ड में अभिदान जो इस उद्दश्यों से केन्द्रीय सरकार द्वारा राजकीय गजट के माध्यम से अधिसूचित हों।

(xxi) वरिष्ठ नागरिक बचत योजना नियम, 2004 के अन्तर्गत जमा राशि।

(xxii) पोस्ट ऑफिस अवधि जमा नियम, 1981 के अन्तगर्त 5 वर्ष की अवधि के लिये खाते में जमा की गई राशि।

(xiii) भारत में स्थित किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, स्कूल अथवा अन्य किसी शिक्षण संस्था में अपने बच्चों को, पूर्णकालीन शिक्षा दिलवाने के लिये प्रवेष के समय या बाद में टयूशन फीस के रूप में किया गया भुगतान। विकास शुल्क, दान अथवा अन्य किसी नाम से किये गये भुगतान के सम्बन्ध में इस धारा की कटौती नहीं दी जायेगी।

बच्चों से आशय करदाता के पुत्र–पुत्री से ही होगा। ऐसा भुगतान अधिकतम कोई भी दो बच्चों के लिये कटौती योग्य होगा।

महत्वपूर्ण टिप्पणी :

(i) ' राष्ट्रीय बचत पत्र (अष्टम निर्गम)' पर प्रथम 5 वर्षों तक का अर्जित माना गया ब्याज तथा ' गृह ऋण खाता योजना' के अन्तर्गत अर्जित ब्याज पुनर्विनियोजन के आधार पर धारा 80 C के लिए भी कटौती योग्य है।

(ii) निम्नांकित परिस्थितियों में सम्बन्धित गत वर्ष में किये गये भुगतान की कटौती धारा 80 C के अन्तर्गत नहीं मिलती है तथा पूर्व के वर्षों में उनके सम्बन्ध में आयकर में मिली छूट भी गत वर्ष के कर दायित्व में जोड़ दी जाती है :

(क) यदि कोई करदाता एकल प्रीमियम पॉलिसी की दशा में बीमा अनुबन्ध में प्रारम्भ होने के बाद दो वर्ष के भीतर एवं अन्य किसी दशा में दो वर्ष के प्रीमियम का भुगतान किये बगैर जीवन बीमा पॉलिसी का अनुबन्ध समाप्त कर देता है ; अथवा

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University) Ladnun

(ख) यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया की यूनिट सम्बद्व बीमा योजना में 5 वर्ष तक अंषदान देने से पूर्व ही अनुबन्ध को समाप्त कर देता है य अथवा

(ग) स्वः वित्त योजना या अन्य विकास प्राधिकरण की किसी योजना में आवासीय भवन को जिस वर्ष अधिकार में लिया गया हो उस वर्ष की समाप्ति से पाँच वर्ष की अवधि में ही इस भवन को हस्तान्तरित कर दिया गया हो अथवा जमा कराई गई राषि को इस अवधि में वापस ले लिया गया हो।

(iii) जिन समता अंशों या ऋण पत्रों की लागत के सम्बन्ध में किसी करदाता को इस धारा के अन्तर्गत छूट मिल गई है, यदि करदाता उन समता अंशों या ऋण पत्रों के प्राप्ति की तिथि से 3 वर्षों की अवधि के भीतर बेच देता है या किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित कर देता है तो करदाता को पूर्व में आय कर की जितनी छूट मिल चुकी है, उसे अस्वीकार करते हुए करदाता द्वारा देय कर माना जायेगा। यह राशि उस गत वर्ष के लिए देय कर मानी जायेगी, जिस गत वर्ष में करदाता ने उन समता अंशों या ऋण पत्रों को बेचा है तथा उस गत वर्ष की कुल आय पर देय कर की रकम में इसे जोड़ दिया जायेगा।

(iv) किसी भी कोष में से लिये गये ऋण के पुनर्भुगतान की कटौती नहीं दी जाती है।

उदाहरण (Illustration) 12.1 :

श्री संदीप ने गत वर्ष 2009—10 में अपनी कर—योग्य आय में से निम्नांकित भुगतान किये—

	रूपये
(i) अपनी पत्नी के जीवन पर प्रीमियम चुकाया	12,000
(ii) अपने जीवन पर प्रीमियम (बीमित राशि 80,000 रू.) चुकाया	19,000
(iii) अपनी विवाहित पुत्री के जीवन पर ली गई 30,000 रू. की जीवन बीमा पॉलिसी पर प्रीमियम का भुगतान	2,500
(iv) डाकखाने की 5 वर्षीय सावधी जमा योजना खाते में जमा किया	5,000
(v) यूनिट सम्बद्व बीमा योजना के अन्तर्गत भुगतान	7,500
(vi) राष्ट्रीय बचत योजना, 1992 में जमा किये	5,000
(vii) प्रमाणित भविष्य निधि में अंशदान	5,000
(viii) भारतीय जीवन बीमा निगम से अपना रिहायषी घर बनवाने हेतु लिये गये ऋण की किस्त का भुगतान	35,000
(ix) राष्ट्रीय बचत पत्र VIII निर्गम पर अर्जित ब्याज	1,970
(x) अपने मित्र के साथ संयुक्त रूप से ली गई बीमा पॉलिसी पर प्रीमियम चुकाया	5,000
(xi) पूँजी के योग्य निर्गमन वाले समता अंशों का क्रय किया	35,000

उपर्युक्त सूचनाओं से श्री संदीप के कर—निर्धारण वर्ष 2010—11 के लिए धारा 80 C के अन्तर्गत कटौती की गणना कीजिए यदि उसकी सकल कुल आय 2,50,000 रूपये हो।

Shri Sandeep made the following payments during the provious year 2009-10 out of his taxable income :

(i) Premium paid on his wife's life	12,000
(ii) Premium on his own life (sum assured Rs. 80,000)	19,000
(iii) Payment of premium on life insurance policy of Rs. 30,000 on married daughter's life	2,500
(iv) Deposited in 5 year Post Office Term Deposit Account	5,000
(v) Payment under Unit Linked Insurance Plan	7,500
(vi) Deposited in N.S.S. 1992	5,000
(vii) Contribution to a Recognised Provident Fund	5,000
(viii) Repayment of Instalment of loan from LIC for construction of own residential house	35,000

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(ix) Accrued Interest on N.S.C. VIII issue. 1,970
(x) Premium paid on a joint policy taken with his friend 5,000
(xi) Purchased equity shares forming part of eligible issue of capital 35,000

From the above information, compute the amount of deduction u/s 80 C available to Shri Sandeep for the assessment year 2010-11 if his total income is Rs. 2,50,000.

हल (Solution) :

Computation of Deduction u/s 80 C

	Calcuation of Qualifying Amount :	Rs.
(i)	Premium on his wife' s life	12,000
(ii)	Premium on his own life (Maximum 20% of policy Amount)	16,000
(iii)	Payment of premium on life insurance policy on married daughter's	2,500
	life	5,000
(iv)	Deposits in 5 year Post office Term deposit Account	7,500
(v)	Payment under ULIP	5,000
(vi)	Deposit in N.S.S., 1992	5,000
(vii)	Contribution to R.P.F.	35,000
(viii)	Payment of Loan Instalment to LIC under Housing Loan Scheme	1,970
(ix)	Interest accrued on NSC VIII issue	NIL
(x)	Premium on Joint life policy with his friend	35,000
(xi)	Equity Shares purchased which form a part of eligible issue of capital	1,24,970
	Total	1,00,000
Investments		
	Maximum Qualifying	
Amount Deduction Allowable u/s 80 C Rs. 1,00,000.		

टिप्पणी :–

(1) जीवन बीमा प्रीमियम की अधिकतम कटौती योग्य राशि बीमित राशि के 20: तक ही हो सकती है।

(2) मित्र के साथ ली गयी संयुक्त बीमा पॉलिसी पर चुकायी गयी प्रीमियम की कटौती धारा 80 C के अन्तर्गत नहीं मिल सकती है।

2. कतिपय पेंशन निधियों में अंशदान की कटौती [धारा 80 CCC]

(Deduction in respect of contribution to certain pension funds) :

(अ) कटौती की पात्रता– यह कटौती केवल व्यष्टि करदाता को ही उपलब्ध होती है, अन्य करदाताओं को नहीं।

(ब) कटौती के लिए आवश्यक शर्तें– करदाता ने अपनी कर–योग्य आय में से गत वर्ष में धारा 10(23 AAB) में वर्णित पेन्शन निधि (Pension Fund) में से पेन्शन प्राप्त करने के उद्देश्य से भारतीय जीवन बीमा निगम की अन्य किसी बीमाकर्त्ता की किसी वार्षिकी योजना के लिए अनुबन्ध करने या चालू रखने के लिए कोई राशि चुकाई हो या जमा करवाई हो।

(स) कटौती की राशि–करदाता द्वारा गत वर्ष में जमा कराई गई राशि या 1,00,000 रू. जो भी दोनों में कम हो, की कटौती स्वीकृत की जाती है। परन्तु करदाता के खाते में गत वर्ष में जमा हुए ब्याज की राशि की कटौती नहीं दी जाती है।

(द) जिस भुगतान के सम्बन्ध में यह कटौती स्वीकृत की गई है, उस भुगतान के लिए धारा 80 C के अन्तर्गत कटौती नहीं दी जाती है।

(य) यदि करदाता को या उसके नामांकिती को ऐसी निधि में से गत वर्ष में कोई राशि प्राप्त होती है तो ऐसी प्राप्त हुई राशि उस व्यक्ति की उस गत वर्ष की कर–योग्य आय में सम्मिलित की जावेगी।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

3. केन्द्रीय सरकार की पेंशन योजना में दिये गये अंशदान के सम्बन्ध में कटौती (धारा 80-CCD)– (Deduction in respect of contribution to pension scheme of Central Government)

(1) कटौती की पात्रता– इस धारा की कटौती उस व्यष्टि करदाता को दी जाती है जिसने केन्द्रीय सरकार अथवा अन्य किसी नियोक्ता की सेवा में 1–1–2004 को या उसके बाद प्रवेश किया है या कोई भी व्यष्टि करदाता हो जिसने केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित पेंशन योजना में गत वर्ष में अपने खाते में अंशदान किया है।

(2) कटौती की सीमा– करदाता की सकल कुल आय में से इस धारा के अन्तर्गत निम्नलिखित राशियों की कटौती स्वीकृत की जाती है–

(अ) कर्मचारी की दशा में

(i) कर्मचारी द्वारा गत वर्ष में अधिसूचित पेंशन योजना में अपने खाते में अंशदान के रूप में जमा करवायी गई राशि परन्तु कर्मचारी के वेतन के 10% से अधिक की कटौती नहीं दी जायेगी; तथा

(ii) नियोक्ता (केन्द्रीय सरकार अथवा अन्य किसी नियोक्ता) द्वारा वाक्याशं (i) में उल्लिखित खाते में अंशदान के रूप में दी गई राशि। परन्तु कर्मचारी के वेतन के 10 % से अधिक की कटौती नहीं दी जायेगी।

इस धारा के अन्तर्गत कर्मचारी को कटौती (उसके एवं नियोक्ता दोनों के अंशदान के सम्बन्ध में) उसके वेतन के 20 : तक दी जा सकती है।

(ब) अन्य करदाता की दशा में :

ऐसे करदाता की गत वर्ष की सकल कुल आय का 10% अथवा करदाता द्वारा अंशदान के रूप में जमा करवायी गयी राशि, जो भी दोनों में कम हो, की कटौती दी जायेगी।

(3) प्राप्त राशि का कर योग्य होना– यदि किसी गत वर्ष में उपरोक्त खाते में जमा (वृद्वि की राशि सहित) सम्पूर्ण राशि अथवा उसका कोई भाग करदाता को अथवा उसके नामांकित व्यक्ति को निम्न दशाओं में प्राप्त होता है तो इस प्रकार प्राप्त सम्पूर्ण राशि करदाता अथवा उसके नामांकित व्यक्ति की उस गत वर्ष की आय मानी जायेगी जिसमें ऐसी राशि प्राप्त होती है–

(अ) पेंशन योजना के बन्द होने पर अथवा करदाता के पेंशन योजना छोड़ने पर, अथवा

(ब) पेंशन योजना के बन्द होने अथवा छोड़ने पर वार्षिकी योजना अपनाई जाती है तो वार्षिकी योजना से पेंशन के रूप में प्राप्त राशि। यदि प्राप्त राशि का उपयोग उसी गत वर्ष में किसी वार्षिकी योजना को क्रय करने में किया जाता है तो ऐसी राशि कर–मुक्त होगी।

स्पष्टीकरण –

1. यदि करदाता को उक्त खाते में जमा की गई राशि के सम्बन्ध में धारा 80 CCD के तहत कटौती दे दी जाती है तो उसे ऐसी राषि के सम्बन्ध में धारा 80 C के तहत कोई कटौती नहीं दी जायेगी।
2. इस धारा के उद्देश्यों के लिये 'वेतन' में सेवा शर्तों के अन्तर्गत मिलने वाला महँगाई भत्ता तो शामिल किया जाता है परन्तु अन्य कोई भत्ता अथवा अनुलाभ सम्मिलित नहीं किया जाता है।

4. धारा 80 C, धारा 80 CCC एवं धारा 80 CCD के अन्तर्गत कटौती की सीमा धारा CCE धारा 80 C, धारा 80 CCC एवं धारा 80 CCD के अन्तर्गत स्वीकृत सभी कटौतियों का योग किसी भी दशा में कुल मिलाकर 1,00,000 रूपये से अधिक नहीं होगा।

5. चिकित्सा बीमा प्रीमियम के सम्बन्ध में कटौती [धारा 80 D]

(Deduction in respect of Medical Insurance Preminum) :

(अ) कटौती की पात्रता– यह कटौती केवल व्यष्टि तथा हिन्दू अविभाजित परिवार को ही स्वीकृत की जाती है, अन्य करदाताओं को नहीं।

(ब) कटौती की शर्तें– यह कटौती निम्न शर्तों की पूर्ति होने पर ही स्वीकृत की जाती है–

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(i) प्रीमियम का भुगतान निम्नलिखित व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए ली गई पॉलिसी के सम्बन्ध में होना चाहिए–

(क) यदि करदाता एक व्यष्टि हो, तो उसके स्वयं, उसके जीवन साथी, उसके माता–पिता तथा उस पर आश्रित उसके बच्चों के सम्बन्ध में, तथा

(ख) यदि करदाता एक हिन्दू अविभाजित परिवार हो, तो उस परिवार के किसी भी सदस्य के सम्बन्ध में।

(ii) यह बीमा पॉलिसी 'भारतीय सामान्य बीमा निगम' के द्वारा बनाई गई तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अनुमोदित योजना के अन्तर्गत ली गई हो। इस योजना को 'मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी' के नाम से जाना जाता है। यह पॉलिसी किसी अन्य बीमाकर्त्ता, जो कि बीमा नियंत्रक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित है, की योजना के अन्तर्गत ली गई भी हो सकती है।

(iii) प्रीमियम का भुगतान गत वर्ष में नकदी से भिन्न किसी भी प्रकार से किया गया हो।

(iv) भुगतान करदाता की कर–योग्य आय में से किया गया हो।

(स) कटौती की राशि–

(क) व्यष्टि करदाता की दशा में– यदि करदाता एक व्यष्टि है तो उसे निम्नलिखित राशियों के योग के बराबर कटौती दी जायेगी–

(अ) करदाता अथवा उसके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य का बीमा करवाने अथवा जारी रखने के लिये भुगतान की गई सम्पूर्ण प्रीमियम की राशि। राशि 15,000 रूपये से अधिक होने पर कटौती 15,000 रूपये की ही दी जायेगी। यदि ऐसी पॉलिसी का भुगतान वरिष्ठ नागरिक के लिये किया जाये तो 5,000 रूपये तक की अतिरिक्त कटौती दी जायेगी।

(ब) करदाता के माता–पिता के स्वास्थ्य का बीमा कराने अथवा जारी रखने के लिये भुगतान की गई सम्पूर्ण राशि। भुगतान की गई राशि 15,000 रूपये से अधिक होने पर कटौती 15,000 रूपये की ही दी जायेगी। यदि ऐसी राशि का भुगतान वरिष्ठ नागरिक के लिये किया जाये तो 5,000 रूपये तक की अतिरिक्त कटौती दी जायेगी।

(3) हिन्दू अविभाजित परिवार की दशा में–

यदि करदाता एक हिन्दू अविभाजित परिवार है तो परिवार के किसी भी सदस्य अथवा सदस्यों के स्वास्थ्य का बीमा कराने अथवा जारी रखने के लिये भुगतान की गई प्रीमियम की सम्पूर्ण राशि। भुगतान की गई राषि 15,000 रूपये से अधिक होने पर कटौती 15,000 रूपये की ही दी जायेगी। यदि ऐसी राशि का भुगतान वरिष्ठ नागरिक के लिये किया जाये तो 5,000 रूपये तक की अतिरिक्त कटौती दी जायेगी।

स्पष्टीकरण–

वरिष्ठ नागरिक से आशय ऐसे व्यष्टि से है जो भारत में निवासी है तथा जो सम्बन्धित गत वर्ष में किसी भी समय 65 वर्ष या अधिक आयु का है।

6. विकलांग आश्रित के जीवन निर्वाह एवं चिकित्सा व्ययों के सम्बन्ध में कटौती [धारा 80 DD]

(Deduction in respect of maintenance and Medical Expenses of handicapped dependent)

(अ) कटौती की पात्रता– यह कटौती भारत में निवासी एक व्यष्टि अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार
को ही स्वीकृत की जाती है।

(ब) कटौती–योग्य भुगतान– यह कटौती निम्न प्रकार के भुगतानों के लिए स्वीकृत की जाती है :

(i) विकलांग आश्रित के चिकित्सकीय उपचार (नर्सिंग को शामिल करते हुए), प्रशिक्षण तथा पुनर्वास पर होने वाले व्ययों के लिए ; तथा

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(ii) भारतीय जीवन बीमा निगम अथवा अन्य बीमाकर्त्ता अथवा भारतीय यूनिट ट्रस्ट के द्वारा विकलांग आश्रित के निर्वाह के लिए इस सम्बन्ध में बनाई गई तथा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी योजना के अन्तर्गत चुकाई गई या जमा कराई गई राशि।

(स) कटौती की राशि– उपर्युक्त वर्णित भुगतानों के सम्बन्ध में कटौती की राशि 50,000 रूपये की स्थिर (Fixed) होगी। यदि आश्रित व्यक्ति गम्भीर असमर्थता (विकलांगता 80ः या अधिक हो) से पीड़ित है तो कटौती 1,00,000 रू. (की स्थिर) दी जावेगी।

(द) कटौती की आवश्यक शर्तें–

यह कटौती निम्न शर्तें पूरी होने पर ही दी जायेगी–

(अ) उक्त योजना में जमा करने वाले व्यष्टि अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य की मृत्यु की दशा में असमर्थ आश्रित के लाभ के लिये एक मुष्त या वार्षिकी के रूप में भुगतान किये जाने की व्यवस्था इस योजना में होनी चाहिए।

(ब) असमर्थ आश्रित के लाभ के लिये भुगतान प्राप्त करने के लिये करदाता असमर्थ आश्रित को स्वयं को या अन्य किसी व्यक्ति को या ट्रस्ट को नामांकित कर सकता है।

(स) इस धारा के तहत कटौती की माँग करने वाला करदाता चिकित्सा अधिकार से निर्धारित प्रारूप में एक प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा तथा उसकी एक प्रति जिस वर्ष के लिये कटौती की माँग की जाती है उस वर्ष के आय के नक्शे के साथ संलग्न करेगा। इस प्रमाण–पत्र में दी गई अवधि बीत जाने पर नया प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(य) विकलांग आश्रित से आय–

एक व्यष्टि करदाता की दशा में आश्रित से आषय ऐसे व्यष्टि के जीवन साथी अर्थात् पति–पत्नी, माता–पिता, भाई–बहिन एवं पुत्र–पुत्री से है। हिन्दू अविभाजित परिवार की दषा में आश्रित से आशय परिवार के किसी सदस्य से है।

''आश्रित'' व्यष्टि पूर्णतः अथवा मुख्यतः ऐसे व्यष्टि अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार पर ही आश्रित होना चाहिये तथा गतवर्ष से सम्बन्धित कर–निर्धारण वर्ष की कुल आय की गणना करते समय ऐसे 'आश्रित' व्यष्टि ने धारा 80 U के तहत किसी कटौती की माँग नहीं की हो।

7. चिकित्सा आदि के सम्बन्ध में कटौती

(Deduction in respect of Medical treatment, etc.] (धारा 80 DDB)

यदि कोई भारत में निवासी करदाता गत वर्ष में आयकर नियमों में निर्दिष्ट बीमारी के सम्बन्ध में अपने स्वयं के अथवा किसी आश्रित के इलाज पर वास्तव में कोई भुगतान करता है अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार अपने किसी सदस्य के इलाज पर वास्तव में कोई भुगतान करता है तो ऐसे करदाता को उस गत वर्ष में भुगतान की गयी ऐसी राशि के सम्बन्ध में निम्न कटौती दी जायेगी :

कटौती की सीमा :

(i) गैर–वरिष्ठ नागरिक की चिकित्सा की दशा में– वास्तव में भुगतान की गई राशि अथवा 40,000 रू. जो दोनों में कम हो।

(ii) वरिष्ठ नागरिक की चिकित्सा की दशा में– वास्तव में भुगतान की गई राशि अथवा 60,000 रू., दोनों में जो भी कम हो।

परन्तु यदि आश्रित व्यक्ति अथवा परिवार के सदस्य की चिकित्सा के सम्बन्ध में बीमाकर्त्ता से अथवा करदाता के नियोक्ता से कोई राशि प्राप्त हो जाती है तो उस राषि से उपरोक्त कटौती को कम कर दिया जायेगा।

आवश्यक शर्तें–

करदाता को अपनी आय के नक्षे के साथ सरकारी चिकित्सालय में कार्यरत न्यूरोलोजिस्ट, ऑनकोलोजिस्ट, यूरोलोजिस्ट, हैमाटोलोजिस्ट, इम्यूनोलोजिस्ट अथवा ऐसे ही किसी अन्य विशेषज्ञ का निर्धारित प्रारूप मे जारी किया गया प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे इस धारा की कटौती नहीं दी जायेगी।

स्पष्टीकरण –

(1) **'आश्रित' से आशय–** आश्रित से आषय व्यष्टि करदाता के जीवन साथी अर्थात् पति–पत्नी, माता–पिता, भाई–बहिन एवं पुत्र–पुत्री से है तथा हिन्दू अविभाजित परिवार की दशा में आश्रित

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

से आशय उस परिवार के किसी सदस्य से है। इसके लिए आवष्यक है कि वह आश्रित व्यष्टि अपने भरण–पोषण के लिये पूर्णतया या मुख्यतया ऐसे व्यष्टि करदाता अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार पर ही आश्रित हो।

(2) सरकारी चिकित्सालय से आशय– सरकारी चिकित्सालय में सरकार के किसी विभाग द्वारा संचालित अंशकालीन अथवा पूर्णकालीन डिस्पेन्सरी जहाँ सरकारी कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों का इलाज किया जाता है, शामिल है। इसमें स्थानीय सत्ता द्वारा संचालित अस्पताल एवं ऐसा अस्पताल भी शामिल है जिसमें सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के इलाज के लिये व्यवस्था कर रखी है।

(3) आय कर नियम 11 (DD) (1) के तहत, केन्सर, एड्स, हेमोफिलिया, थलसेनिया आदि बीमारियों को अधिसूचित किया गया है।

(4) वरिष्ठ नागरिक से आषय भारत में निवासी ऐसे व्यष्टि से है जो गत वर्ष में किसी भी समय 65 वर्ष या अधिक की उम्र का है।

8. उच्च शिक्षा हेतु लिये गये ऋण के ब्याज के सम्बन्ध में कटौती
(Deduction in respect of interest on loan taken for higher education)(धारा 80 E)–

यदि कोई व्यष्टि करदाता अपनी कर–योग्य आय में से स्वयं की अथवा जीवन साथी की अथवा स्वयं के बच्चों की अथवा उस विद्यार्थी की जिसका वह वैधानिक संरक्षक हो, उच्च शिक्षा जारी रखने के उद्देष्य से वित्तीय संस्था अथवा अनुमोदित पुण्यार्थ संस्था से लिये गये ऋण के ब्याज का गत वर्ष में भुगतान करता है तो उसको ऐसे ब्याज के भुगतान के सम्बन्ध में कुल आय की गणना करते समय भुगतान किये गये ब्याज की सम्पूर्ण राशि की कटौती दे दी जायेगी।

इस धारा की कटौती प्रारम्भिक कर निर्धारण वर्ष में तथा इससे अगले 7 कर निर्धारण वर्षों में दी जायेगी परन्तु सम्पूर्ण ब्याज का भुगतान हो जाने के बाद यह कटौती नहीं दी जायेगी। प्रारम्भिक कर–निर्धारण वर्ष उस गत वर्ष से सम्बन्धित कर–निर्धारण वर्ष होता है जिसमें करदाता ब्याज का भुगतान करना प्रारम्भ करता है।

इस धारा में वर्णित कुछ विशिष्ट शब्दों का अर्थ निम्न प्रकार से है :

(i) अनुमोदित पुण्यार्थ संस्थाओं से आशय पुण्यार्थ उद्देश्यों के लिये स्थापित ऐसी संस्थाओं से है जिनको धारा 10(23–C) के तहत निर्धारित सत्ता द्वारा अनुमोदित कर दिया गया हो अथवा जिनका उल्लेख धारा 80 G (2)(a) में किया गया है।

(ii) वित्तीय संस्था से आशय ऐसी बैंकिंग कम्पनी से है जिस पर बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है अथवा जिस संस्था को केन्द्र सरकार द्वारा इस आशय के लिये सरकारी गजट के माध्यम से अधिसूचित किया गया है।

(iii) उच्च शिक्षा से आशय : उच्च शिक्षा का आशय किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी परीक्षा या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् किसी भी पाठ्यक्रम अर्थात् अध्ययन के सभी क्षेत्र (जिसके अन्तर्गत व्यावसायिक अध्ययन भी सम्मिलित है), में अध्ययन करने से है।

9. कुछ कोषों, पुण्यार्थ संस्थाओं, आदि को दान के सम्बन्ध में कटौती [धारा 80 G]
(Deduction in respect of donation to certain funds, charitable institutions etc.) :

(अ) कटौती की पात्रता– यह कटौती सभी प्रकार के करदाताओं (चाहे वह कम्पनी हो या अन्य कोई करदाता हो, चाहे उसकी व्यापार अथवा पेशे की आय हो या न हो) को उपलब्ध है। इस कटौती को देते समय इस बात को ध्यान में नहीं रखा जाता है कि दान कर–मुक्त आय में से दिया गया है अथवा कर–योग्य आय में से। इस कटौती के लिए आवश्यक है कि करदाता दान के भुगतान का उचित प्रमाण प्रस्तुत करें।

(ब) निम्नांकित दशाओं में दिये गये दान के सम्बन्ध में यह कटौती नहीं दी जाती है–

(i) जब दान मुद्रा में (नकद, चैक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा) न दिया जाकर वस्तु के रूप में दिया गया हो अर्थात् नकद, चैक या बैंक–ड्राफ्ट द्वारा चुकाये गये दान की ही कटौती मिलती है तथा वस्तु के रूप में दिये गये दान की नहीं ; अथवा

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(ii) जब पुण्यार्थ कार्य पर करदाता ने स्वयं व्यय किया हो अर्थात् इस धारा के अन्तर्गत कटौती प्राप्त करने के लिए यह अनिवार्य है कि दान विनिर्दिष्ट कोषों/संस्थाओं को ही दिया जाये।

(स) दान की कटौती–योग्य राशि (Qualifying Amount) एवं कटौती की राशि (Amount of deduction) का निर्धारण–

(I) निम्नलिखित दान (donation) की सम्पूर्ण राशि (100%) कटौती योग्य है तथा इनके सम्बन्ध में कटौती भी 100% की ही दी जाती है :

[धारा 80 G (2)]

1. केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित सुरक्षा कोष में दान ;
2. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में दान ;
3. प्रधानमंत्री आर्मेनिया भूकम्प राहत कोष में दान ;
4. अफ्रीका (जनता अंशदान–भारत) कोष में दान ;
5. साम्प्रदायिक सदभाव के लिए राष्ट्रीय फाउण्डेशन में दान ;
6. अनुमोदित विष्वविद्यालय या राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की निर्धारित सत्ता द्वारा अनुमोदित शिक्षण संस्था को दान ;
7. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के भूकम्प राहत कोष में दान ;
8. गुजरात के भूकम्प पीड़ितों को राहत पहुँचाने के लिए गुजरात सरकार द्वारा स्थापित ऐसे किसी कोष में दान ;
9. जिला साक्षरता समिति को दान ;
10. राष्ट्रीय रक्त ट्रान्स्फयूजन परिषद अथवा अन्य कोई भी प्रान्तीय रक्त ट्रान्स्फ्यूजन परिषद को दान ;
11. गरीबों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोष में दान ;
12. केन्द्र की सशस्त्र सेनाओं द्वारा स्थापित विभिन्न कोषों में दान ;
13. आन्ध्र–प्रदेश के मुख्यमंत्री तूफान राहत कोष, 1996 में दान ;
14. राष्ट्रीय रोग सहायता कोष में दान ;
15. किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री राहत कोष अथवा किसी केन्द्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनैन्ट गवर्नर के राहत कोष में दान ;
16. केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कोष में दान ;
17. केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष में दान ;
18. केन्द्रीय सरकार द्वारा टैक्नोलोजी विकास एवं प्रयोग के लिये स्थापित कोष में दान ;
19. मानसिक कमजोरी (mental retardation), मस्तिष्क पक्षाघात (cerebral palsy), दिन में स्वप्न आना (Autism) तथा बहुअसमर्थता (multiple disabilities) से पीड़ित व्यक्तियों के कल्याण के लिए स्थापित राष्ट्रीय ट्रस्ट को दान।

(II) निम्नलिखित दान (donation) की सम्पूर्ण राशि कटौती योग्य है परन्तु ऐसे दान (donation) के सम्बन्ध में कटौती 50% की ही स्वीकृत की जाती है :

[धारा 80 G (2)]

1. जवाहरलाल नेहरू स्मारक निधि में दान
2. प्रधानमंत्री सूखा सहायता कोष में दान
3. राष्ट्रीय गाँधी स्मारक प्रन्यास में दान
4. राजीव गाँधी फाउण्डेशन में दान।

(III) निम्नलिखित दान (donation) की राशि निर्धारित सीमा से अधिक होने पर निर्धारित सीमा तक ही कटौती योग्य होती हैं–

[धारा 80 G (2)]

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

1. भारत में स्थापित धार्मिक उद्देश्यों वाले किसी फण्ड या संस्था को दिये गये दान बशर्तें वह फण्ड या संस्था धारा [80 G (5)] की निर्धारित शर्तों की पूर्ति करे;
2. सरकार को अथवा किसी स्थानीय सत्ता को दिए गए वे दान जिनका प्रयोग किसी पुण्यार्थ उद्देश्य के लिए किया जाना हो (परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करने को छोड़कर);
3. निवास की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अथवा शहरों, नगरों तथा गाँवों के विकास एवं सुधार की योजना तैयार करने के उद्देश्य से अथवा दोनों के लिए बनाये गये किसी कानून के अधीन भारत में गठित किसी प्राधिकरण को दान;
4. धारा 10 (26 BB) में उल्लेखित किसी निगम को दान;
5. सरकार को अथवा किसी स्थानीय सत्ता, संस्था या समुदाय को (जिसे केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में अनुमोदित कर दिया है) परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करने के लिए दिए गए दान ;
6. ऐसे मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, गिरजाघर या अन्य स्थान की मरम्मत तथा नवीनीकरण के लिए दिये गये दान, जिसे केन्द्रीय सरकार ने राजपत्र में ऐतिहासिक, पुरातत्व अथवा कलात्मक महत्व का अथवा किसी राज्य भर में सार्वजनिक पूजा का प्रसिद्ध स्थान घोषित कर दिया हो;
7. कम्पनी करदाता द्वारा गत वर्ष में भारतीय ओलम्पिक संघ को या केन्द्र सरकार द्वारा, भारत में खेलकूद के लिए मूलभूत सुविधा का विकास करने के लिए अथवा खेलकूद के प्रयोजन हेतु अधिसूचित किसी अन्य संघ अथवा संस्था को दान।

निर्धारित सीमा या अधिकतम सीमा–

उपर्युक्त III में (1) से (7) तक के मदों का कुल योग यदि समायोजित सकल कुल आय के 10 प्रतिशत से अधिक है तो ऐसे आधिक्य पर कोई कटौती नहीं मिलेगी तथा इन मदों के लिए अधिकतम कटौती योग्य राशि समायोजित सकल कुल आय का 10 प्रतिशत ही होगी।

समायोजित सकल कुल आय की गणना निम्न प्रकार की जाती है : रू.

करदाता की सकल कुल आय ....

घटाओं : (i) दीर्घकालीन पूँजी लाभ ....

(ii) औसत दर से कर मुक्त आय ....

(iii) धारा 80 C से 80 U तक की कटौतियों की राशि (इस धारा की कटौती की राशि को छोड़कर) ....

(iv) धारा 115A, 115AB, 115AC, 115ACA या 115D में वर्णित आयें। यें धाराएँ अनिवासी भारतीय या विदेशी कम्पनियों आदि से प्राप्त आय से सम्बन्धित हैं जिन पर कर की विशेष दरें लागू होती हैं।

समायोजित सकल कुल आय ....

कटौती की राशि : (उपर्युक्त III में वर्णित (1) से (7) तक के मदों के सन्दर्भ में)–

(क) मद संख्या (5) तथा (7) की कटौती योग्य राशि का 100%, तथा

(ख) अन्य मदों के लिए शेष बची कटौती योग्य राशि का 50%।

उदाहरण (Illustration) 12.2 :

गत वर्ष 2009–10 में श्री अंकित की सकल कुल आय 80 लाख रू. थी जिसमें 10 लाख रू. दीर्घकालीन पूँजी लाभ के भी सम्मिलित थे। गत वर्ष में उन्होंने निम्न राशियाँ दान में दी :

(1) गुजरात के भूकम्प पीड़ितों की सहायतार्थ गुजरात सरकार द्वारा स्थापित कोष में दान 1,00,000 रू.।

(2) करदाता के मौहल्ले में स्थित मन्दिर की मरम्मत के लिए 70,000 रू.। यह मन्दिर केवल मौहल्ले वालों के लिए ही पूजा के प्रयोग में आता है।

(3) 30,000 रू. के कम्बल अनाथाश्रम को भेंट किये।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(4) ताजमहल की मरम्मत के लिए 3,00,000 रू.

(5) एक मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था को 3,00,000 रू. विज्ञान भवन के लिए जमीन क्रय करने हेतु।

(6) 10,000 रू. की पाठ्य पुस्तकें निर्धन छात्रों को वितरित की।

(7) एक निर्धन रिश्तेदार को उच्च अध्ययन हेतु विदेश में जाने के लिए 80,000 रू. सहायता के रूप में दिये।

(8) एक पंजीकृत ट्रस्ट को समस्त जातियों के ठहरने के लिए एक सार्वजनिक धर्मशाला के निर्माण के लिए 2,00,000 रू.।

(9) हिन्दुओं के लिए नव–निर्माणाधीन धर्मशाला के लिए 71,000 रू.।

(10) राजस्थान सरकार को परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रोत्साहन के लिए 2,50,000 रू.।

(11) इन्दिरा गाँधी स्मृति ट्रस्ट में 1,00,000 रू.।

(12) राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में 70,000 रू.।

(13) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में 1,00,000 रू.।

(14) प्रधानमंत्री सूखा सहायता कोष में 2,00,000 रू.।

(15) राष्ट्रीय बाल कोष में 80,000 रू।

(16) सीकर नगर परिषद को एक विद्यालय खोलने के लिए 3,00,000 रू.।

(17) एक मस्जिद की मरम्मत व नवीनीकरण के लिए जो राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक पूजा का स्थान अधिसूचित कर दिया गया है– 3,00,000 रू.।

यह मानते हुए कि श्री अंकित को अपनी सकल कुल आय में से अन्य सभी धाराओं के अन्तर्गत 5,00,000 रूपयों की कटौती उपलब्ध है, धारा 80 G के अन्तर्गत कटौती की राशि ज्ञात कीजिए।

The gross total income of Shri Ankit during the previous year 2009-10 was Rs. 80 lakhs which includes long-term capital gains of Rs. 10,00,000. He paid the following amounts as donation during the previous year :

(1) Donation to the fund set up by the Goverement of Gujrat exclusive for providing relief to the victims of earthquake in Gujrat Rs. 1,00,000.
(2) Rs. 70,000 fot the repairs of a temple situated in the ward of the assessee. This temple is used for worship by members of the ward only.
(3) Blankets of Rs. 30,000 were gifted to an orphanage.
(4) Rs. 3,00,000 for repairs of the Taj Mahal.
(5) Rs. 3,00,000 to a recoginsed educational institution for purchasing land for Science Building.
(6) Text-books of Rs. 10,000 were distributed among poor students.
(7) Rs. 80,0000 were given as help to a poor relative to go to foreign country for higher education.
(8) Rs. 2,00,000 to a registered trust for construction of a public dharmashala for staying by all castes.
(9) Rs. 71,000 for a new proposed inn for Hindus.
(10) Rs. 2,50,000 for promotion of family planning programme of the Rajasthan Government.
(11) Rs. 1,00,000 to Indira Gandhi Memorial Trust.
(12) Rs.70,000 to National Defence Fund.
(13) Rs. 1,00,000 to Prime Minister’s National Relief Fund.
(14) Rs. 2,00,000 to Prime Minister’s Drought Relief Fund.
(15) Rs. 80,000 to National Children’s Fund.

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(16) Rs. 3,00,000 to Municipal Corporation, Sikar for opening a School.
(17) Rs. 3,00,000 for the repairs and renewals of a mosque which is notified as a place of public worship by the state government.

Assuming that deductions of Rs. 5,00,000 are available to Shri Ankit under all other sections, out of his gross total income, ascertain the amount of deduction under Section 80 G.

हल (Solution) :

(I) निम्न दान की राशियों के सम्बन्ध में सम्पूर्ण राशि कटौती योग्य होती है तथा इनके सम्बन्ध में कटौती भी 100 % की दर से स्वीकृत की जाती है :

		रूपये
(i) गुजरात के भूकम्प पीड़ितों की सहायतार्थ गुजरात सरकार को दान		1,00,000
(ii) राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दान		70,000
(iii) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में दान	1,00,000	
स्वीकार्य कटौती की राशि (I) (100:)		2,70,000

(II) निम्न दान की राशियों के सम्बन्ध में सम्पूर्ण राशि कटौती योग्य होती है परन्तु इनके सम्बन्ध में कटौती भी 50 % की दर से स्वीकृत की जाती है :

	रूपये
(i) इन्दिरा गाँधी स्मृति ट्रस्ट में दान	1,00,000
(ii) प्रधानमंत्री सूखा सहायता कोष में दान	2,00,000
(iii) राष्ट्रीय बाल कोष में दान	80,000
कटौती योग्य राशि (II)	3,80,000
स्वीकार्य कटौती की राशि (II) (50:)	1,90,000

(III) निम्न दान की राशियों के सम्बन्ध में कटौती योग्य राशि की अधिकतम सीमा निर्धारित है :

	रूपये
(i) ताज महल की मरम्मत के लिए दान (ऐतिहासिक महत्व का होने के कारण)	3,00,000
(ii) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था को दान	3,00,000
(iii) पंजीकृत ट्रस्ट को धर्मशाला के लिए	2,00,000
(vi) राजस्थान सरकार को परिवार नियोजन के प्रोत्साहन लिए दान	2,50,000
(v) सीकर नगर परिषद को दान	3,00,000
(vi) मस्जिद की मरम्मत के लिए दान (सार्वजनिक पूजा का स्थान घोषित होने के कारण)	3,00,000
योग	16,50,000

कटौती योग्य राशि की अधिकतम सीमा :
= 10% of [80,00,000-10,00,000-5,00,000]
= 6,50,000 :

अतः उपर्युक्त (III) के सम्बन्ध में अधिकतम कटौती योग्य राशि 6,50,000 रू. होगी। कटौती की राशि (Amount of Deduction) [उपर्युक्त III के लिए] :

	रूपये
परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार को दान 100%	2,50,000
शेष कटौती योग्य राशि (6,50,000–2,50,000)	

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

= 4,00,000 रू. का 50 % 2,00,000 | 4,50,000

अतः धारा 80 G के अन्तर्गत स्वीकार्य कटौती की राशि :

= (2,70,000 + 1,90,000 + 4,50,000) रू.

= 9,10,000 रू.

टिप्पणी :

निम्नलिखित दान (donation) धारा 80 G के अन्तर्गत कटौती योग्य नहीं है :

(i) करदाता के मौहल्ले में स्थित मन्दिर की मरम्मत के लिए दान 70,000 रू. (सार्वजनिक पूजा स्थल घोषित न होने के कारण);

(ii) अनाथाश्रम को कम्बलों की भेंट 30,000 रूपये। (वस्तु के रूप में दान देने के कारण);

(iii) निर्धन छात्रों को पाठ्य–पुस्तकों का वितरण 10,000 रू.। (स्वयं द्वारा व्यय करने के कारण);

(iv) निर्धन रिश्तेदार को सहायता 80,000 रू.। (व्यक्तिगत भेंट होने के कारण);

(अ) हिन्दुओं के लिए धर्मशाला 71,000 रूपये। (पूर्णतः धार्मिक प्रकृति का होने के कारण)।

7. चुकाये गये मकान किराये के सम्बन्ध में कटौती [धारा 80 GG]

(Deduction in respect of House Rent paid)

(अ) कटौती की पात्रता– यह कटौती केवल व्यष्टि करदाता को निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति होने पर ही दी जाती है–

(i) यदि करदाता कर्मचारी है तो उसे नियोक्ता से मकान किराया भत्ता न मिलता हो। यदि उसे मकान किराया भत्ता मिलता हो तो यह कटौती स्वीकृत नहीं की जावेगी क्योंकि उसे धारा 10 (13A) के अन्तर्गत मकान किराया भत्ते की राशि की कर–मुक्ति मिल जावेगी। नियोक्ता से किराये मुक्त मकान की सुविधा मिलने पर भी यह कटौती स्वीकृत नहीं की जावेगी।

(ii) करदाता किसी किराये के मकान में रहता हो तथा उसने गत वर्ष के सम्बन्ध में मकान किराया चुकाया हो।

(iii) करदाता अथवा उसका जीवन साथी अथवा उसके अवयस्क बच्चे अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार, जिसका करदाता सदस्य है, का कोई रिहायशी मकान वहाँ स्थित न हो जहाँ करदाता सामान्यतया रहता है अथवा नौकरी करता है अथवा व्यापार या पेशा चलाता है।

(iv) यदि करदाता का मकान किसी अन्य स्थान पर स्थित हो तथा करदाता ने अपनी नौकरी, व्यवसाय या पेशे के कारण गत वर्ष में उस मकान का उपयोग न किया हो, तो उसे यह कटौती उसी समय मिलेगी जबकि वह करदाता उस मकान के सम्बन्ध में धारा 23 (2)(a) या 23(4)(a) के अन्तर्गत छूट प्राप्त न करे।

(v) करदाता के लिए आवश्यक है कि मकान किराये के भुगतान के रूप में व्यय की गई राशि के सम्बन्ध में प्रपत्र संख्या 10 BA में आवश्यक घोषणा प्रस्तुत करे।

(ब) कटौती की राशि– निम्न में से सबसे कम राशि कटौती के रूप में स्वीकृत की जाती है :

(क) चुकाये गए किराये का वह भाग जो समायोजित कुल आय के 10 प्रतिशत से अधिक हो (अर्थात् चुकाया गया किराया–समायोजित कुल आय का 10%), या

(ख) समायोजित कुल आय का 25 प्रतिशत; या

(ग) 2,000 रू. प्रति माह।

इस धारा के उद्देश्यों के लिए समायोजित कुल आय का आशय उस राशि से है जो सकल कुल आय में से इस अध्याय में वर्णित सभी कटौतियों को (धारा 80 GG की कटौती को छोड़कर) घटाने पर प्राप्त होती है तथा जिसमें दीर्घकालीन पूँजी लाभों को भी घटा दिया गया हो।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

अर्थात् [समायोजित कुल आय = सकल कुल आय–दीर्घकालीन पूँजी लाभ–इस कटौती के अतिरिक्त सभी कटौतियों का योग]

बीजगणितीय समीकरण की आवश्यकता :

यदि किसी प्रश्न में करदाता को धारा 80 G तथा 80 GG दोनों के अन्तर्गत कटौती की पात्रता हो तथा इन दोनों ही धाराओं के अन्तर्गत कटौती योग्य राषियों के सम्बन्ध में अधिकतम सीमा लागू करना जरूरी हो, तो ऐसी स्थिति में बीजगणितीय समीकरणों की सहायता लेना आवष्यक हो जाता है।

नोट : स्नातक स्तर के विद्यार्थियों से बीजगणितीय समीकरण के आधार पर कटौती की गणना करने की अपेक्षा नहीं रहती है।

उदाहरण (Illustration) 12.3 :

श्री लक्ष्मण सूरत में रहते हैं। गत वर्ष 2009–10 में उनकी सकल कुल आय 8,00,000 रूपये थी जिसमें से 2,00,000 रूपये दीर्घकालीन पूँजी लाभों के तथा शेष 6,00,000 रूपये व्यापार एवं पेशे के लाभ थे। उन्होंने 8,000 रूपये भारतीय सामान्य बीमा निगम को चैक से चिकित्सा बीमा प्रीमियम के चुकाये तथा 5,000 रूपये प्रधानमंत्री सूखा सहायता कोष में दान में दिये। उन्होंने गत वर्ष में एक आश्रित सम्बन्धी की चिकित्सा पर जो केन्सर रोग से पीड़ित है 50,000 रूपये व्यय किये।

श्री लक्ष्मण ने सूरत में अपने रहने का एक मकान किराये पर ले रखा है जिसका किराया 7,000 रू. प्रति माह है। कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए श्री लक्ष्मण की कुल आय ज्ञात कीजिए।

Shri Laxman resides in Surat. His gross total income during the previous year 2009-10 was Rs. 8,00,000, out of which Rs. 2,00,000 was from long-term capital gains and the balance Rs. 6,00,000 was from profits of business and profession. He paid Rs. 8,000 to the General Insurance Corporation of India through cheque for medical insurance premium and Rs. 5,000 as donation to the Prime Minister's Drought Relief Fund. During the previous year he incurred an expenditure of Rs. 50,000 on the treatment of a dependent relative who is suffuring from cancer.

Shri Laxman has a rented house in Surat for which he pays rent of Rs. 7,000 per month Compute Total Income of Shri Laxman for the assessment year 2010-11

हल (Solution) :

Statement of Total Income of Shri Laxman for the Assessment Year 2010-11

		Rs.	Rs.
	1. Taxable Income from Business and Profession		6,00,000
	2. Taxable Income from Capital Gains (Long term)		2,00,000
	Gross Total		8,00,000
Income			
	Less : **Deductions** :	8,000	
	(i) U/S 80 D for Medical Insurance	40,000	
	(ii) U/S 80 DDB for Medical treatment	2,500	
	(iii) U/S 80 G for Donation (5,000 x 50%)	24,000	74,500
	(iv) U/S 80 GG for House Rent Paid		7,25,500
	Total		
	Income		

टिप्पणी :

(1) चिकित्सा बीमा प्रीमियम की चुकाई गई राशि या 15,000 रू. जो दोनों में कम हो, की कटौती धारा 80 D के अन्तर्गत स्वीकृत की जाती है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(2) आश्रित सम्बन्धी का विशिष्ट बीमारी के इलाज पर गत वर्ष में व्यय की गई राशि के सम्बन्ध में अधिकतम 40,000 रू. की कटौती धारा DDB के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी है क्योंकि चिकित्सा पर वास्तव में भुगतान अधिक राशि का किया गया है।

(3) प्रधानमंत्री सूखा सहायता कोष में दिये गये दान की 50: के बराबर कटौती स्वीकृत की जाती है।

(4) मकान किराये के सम्बन्ध में धारा 80 GG की कटौती की गणना निम्न प्रकार की गई है :

इस उद्देश्य के लिए कुल आय = (8,00,000–2,00,000–50,500) = 5,49,500 रू.

निम्न में से सबसे कम राशि की कटौती धारा 80 GG के अन्तर्गत स्वीकार्य है :

(अ) चुकाया गया किराया– समायोजित सकल कुल आय का 10: (84,000–54,950) = 29,050 रू.

(ब) समायोजित सकल कुल आय का 25 % = (5,49,500 x 25%) = 1.37,375 रू.

(स) अधिकतम 2,000 रू. प्रति माह = 24,000 रू.

अतः सबसे कम राशि 24,000 रू. की कटौती स्वीकृत की जावेगी।

8. वैज्ञानिक अनुसन्धान या ग्रामीण विकास के लिए दान के सम्बन्ध में कटौती [धारा 80GGA]

(Deduction for scientific research or rural development) :

(अ) कटौती की पात्रता– यह कटौती उन सभी करदाताओं को स्वीकृत की जाती है, जिनकी सकल कुल आय में 'व्यवसाय या पेशे के लाभ' शीर्षक के अन्तर्गत कोई आय शामिल नहीं हो। यदि किसी करदाता की सकल कुल आय में इस शीर्षक के अन्तर्गत कोई आय शामिल हो, तो उसे इस धारा के अन्तर्गत कटौती स्वीकृत नहीं की जायेगी क्योंकि यह कटौती उन्हें धारा 35 के अन्तर्गत 'व्यापार या पेशे के लाभ' शीर्षक में कर–योग्य आय ज्ञात करते समय स्वीकृत व्यय के रूप में दे दी जाती है।

(ब) कटौती योग्य व्यय– धारा 80 GGA की कटौती करदाता द्वारा किये गये निम्नलिखित व्ययों या दान (expenses or donation) के सम्बन्ध में स्वीकृत की जाती है :

(i) किसी वैज्ञानिक अनुसन्धान संध या किसी विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य किसी संस्था को वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिए दी गयी धनराशि बशर्ते कि यह संस्था इस कार्य के लिए अनुमोदित हो।

(ii) किसी अनुमोदित विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्था को सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसन्धान के लिए भुगतान की गई राशि।

(iii) किसी भी ऐसी अनुमोदित संस्था या संघ, जिसका उद्देष्य ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना है, को दी गसी धनराशि बशर्ते कि करदाता उस संस्था या संघ से धारा 35 CCA की उपधारा 2(A) के अन्तर्गत आवष्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत कर देता है।

(पअ) किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी को अथवा स्थानीय सत्ता को अथवा राष्ट्रीय समिति (National Committee) द्वारा अनुमोदित किसी संघ या संस्था को किसी अन्य योजना (eligible project or scheme) को क्रियान्वित करने के लिए किया गया भुगतान बशर्ते करदाता धारा 35 AC (2)(a) में उल्लेखित प्रमाण–पत्र, जो उस कम्पनी, स्थानीय सत्ता या संघ या संस्था से प्राप्त किया गया है, प्रस्तुत करे।

(अ) धारा 35 ब्ब। (1)(ब) के उद्देष्य हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित एवं अधिसूचित ग्रामीण विकास कोष में गत वर्ष में जमा कराई गई राशि।

(अप) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित एवं अधिसूचित राष्ट्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन कोष में गत वर्ष में जमा कराई गई राषि।

(स) कटौती की राशि– उपर्युक्त प्रकार के सभी व्ययों के योग के शत–प्रतिषत की कटौती इस धारा के अन्तर्गत स्वीकृत की जाती है।

स्पष्टीकरण :

(i) जिन व्ययों के सम्बन्ध में इस धारा के अन्तर्गत कटौती कर दी गई हो उन्ही व्ययों के सम्बन्ध में अधिनियम के अन्य किसी प्रावधान के अन्तर्गत उसी कर–निर्धारण वर्ष में या अन्य किसी भी कर–निर्धारण वर्ष में कोई कटौती स्वीकृत नहीं की जायेगी।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(ii) दान की राशि का भुगतान करने के पष्चात् यदि संस्था या कार्यक्रम का अनुमोदन वापिस ले लिया जाता है तब भी करदाता को इस आधार पर कटौती देने से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

उदाहरण (Illustration) 12.4 :

डॉ. गोयल भारत के वरिष्ठ नागरिक तथा निवासी करदाता है। गत वर्ष 2009–10 में उनकी सकल कुल आय 8,13,000 रू. थी। वह अपनी कर योग्य आय में से गत वर्ष में निम्न भुगतान करते हैं :

(1) स्नातकोत्तर चिकित्सकीय डिग्री (M.D.) के अध्ययन के लिए बैंक से 6 लाख रूपये का ऋण लिया था जिस पर 40,000 रू. वार्षिक का ब्याज तथा 10,000 रू. वार्षिक की मूल राशि का भुगतान गत तीन वर्षो से किया जा रहा है।

(2) उन्होंने अपने आश्रित सम्बन्धी के कैंसर (जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट बीमारी हैं) के उपचार पर 50,000 रू. व्यय किये।

(3) उन्होंने पेन्शन प्राप्त करने के लिए एक अनुबन्ध के अन्तर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम के पेंन्शन कोष में 10,000 रू. का अंशदान किया।

(4) उन्होंने अपने स्वास्थ्य बीमा के लिए भारतीय सामान्य बीमा निगम की योजना में चैक से 25,000 रू. का भुगतान किया।

(5) उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री भूकम्प राहत कोष में 20,000 रू. का दान दिया।

(6) उन्होंने उन पर आश्रित विकिलांग पिता की चिकित्सा पर गत वर्ष में 10,000 रू. व्यय किये। उनके पिता गत वर्ष में 20 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहे थे।

(7) उन्होंने एक कोष में 2,000 रू. का दान दिया है जो जंगल लगाने के कार्यक्रम लेता है तथा जो धारा 35 CCB(i) के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित है।

(8) उन्होंने दिल्ली में अपने रहने का एक मकान किराये पर ले रखा है जिसका किराया 8,000 रू. प्रति माह है। उन्हें नियोक्ता से मकान किराया भत्ता नहीं मिलता है।

कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए डॉ. गोयल की कुल आय ज्ञात कीजिए।

Dr. Goyal is a Senior citizen and resident of India. His gross total income for the previous year 2009-10 was Rs. 8,13,000 During the previous year he makes the following payments from his taxable income :

(1) He took a loan of Rs. 6 lakhs from a bank for his studies of post graduate medical degree (M.D.) on which he has been paying interest of Rs. 40,000 p.a. and principal of Rs. 10,000 p.a.for last 3 years.

(2) He incurred an expenditure of Rs. 50,000 on the treatment of cancer of his dependent relative. The disease is specified by the Board.

(3) He contributed Rs. 10,000 to L.I.C. Pension fund under a contract to get pension.

(4) He paid Rs. 25,000 to General Insurance Coropration of India by cheque for his health insurance.

(5) He donated Rs. 20,000 to Gujrat Chief Minister's Earthquake Relief Fund.

(6) He incurred Rs, 10,000 on the treatment of his handicapped father dependent on him during the year. His father remained admitted in a hospital for 20 days during the year.

(7) He donated Rs. 2,000 to such a fund which undertakes programmes of afforestation and which is notified by the Central Government under section 35 CCB (i).

(8) He has a rented house in Delhi for which he pays a rent of Rs. 8,000 per month. He does not receive house rent allowance from his employer. Determine the Total Income of Dr. Goyal for the assessment year 2010-11.

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

हल (Solution) :

Statement of Total Income of Dr. Goyal for the Assesssment Year 2010-11.

	Rs.	Rs.
Gross Total Income		8,13,000
Less : Deductions :		
(i) U/S 80 CCC	10,000	
(ii) U/S 80 D	20,000	
(iii) U/S 80 DD	50,000	
(iv) U/S 80 DDB	40,000	
(v) U/S 80 E	40,000	
(vi) U/S 80 G	20,000	
(vii) U/S 80 GG	24,000	
(viii) U/S 80 GGA	NIL	2,04,000
Total Income		6,09,000

टिप्पणी :

(1) धारा 80 CCC के अन्तर्गत पेन्शन कोष में जमा करवाई गई राशि या 1,00,000 रू, जो भी दोनों में कम हो, की कटौती स्वीकृत की जाती है।

(2) करदाता वरिष्ठ नागरिक है इसलिए धारा 80 क के अन्तर्गत चिकित्सा बीमा प्रीमियम के लिए 15,000 रू. की बजाय 20,000 रू. की कटौती स्वीकृत की गई है। वास्तव में भुगतान की गई राशि 25,000 रू. है।

(3) धारा 80 DD में विकलांग आश्रित के भरण पोषण पर गत वर्ष में यदि कोई व्यय किया गया है स्थिर कटौती 50,000 रू. की स्वीकृत की जाती है, चाहे वास्तव में व्यय कुछ भी हो।

(4) आश्रित सम्बन्धी के असाध्य बीमारी के इलाज पर व्यय करने पर वास्तव में व्यय की गयी राशि अथवा 40,000 रू., जो दोनों में कम हो, की कटौती धारा 80 DDB के अन्तर्गत स्वीकृत की जाती है। यदि आश्रित सम्बन्धी वरिष्ठ नागरिक हो तथा उसकी असाध्य बीमारी पर व्यय किया जावे तो अधिकतम कटौती 40,000 रू. के स्थान पर 60,000 रू. की दी जावेगी।

(5) उच्च शिक्षा के लिए लिये गये ऋण पर ब्याज के भुगतान के सम्बन्ध में धारा 80 E के अन्तर्गत कटौती स्वीकृत की जाती है, मूल राशि के पुर्नभुगतान के लिए नहीं।

(6) गुजरात के मुख्यमंत्री भूकम्प राहत कोष में दिये गये दान की सम्पूर्ण राशि की कटौती धारा 80 G में स्वीकृत की जाती है।

(7) चूँकि करदाता को मकान किराया भत्ता नहीं मिलता है इसलिए धारा 80 GG के अन्तर्गत निम्न में से न्यूनतम राशि की कटौती स्वीकृत की जावेगी :

(अ) चुकाया गया किराया– समायोजित सकल कुल आय का 10%
अर्थात् (96,000–63,300) = 32,700 रू.
या (ब) समायोजित सकल कुल आय का 25% = 1,58,250 रू.
या (स) अधिकतम 2000 रू. प्रति माह = 24,000 रू
अतः न्यूनतम राशि 24,000 रू की कटौती स्वीकृत की जावेगी।
इस उद्देश्य के लिए समायोजित सकल कुल आय = (8,13,000–180000) = 6,33,000 रू.

(8) जंगल लगाने के कार्यक्रम हेतु कोष को दिये गये दान के लिए धारा 80 GGA या 80 G के अन्तर्गत कटौती स्वीकार्य नहीं है।

12. राजनैतिक दलों को दिये गये अंशदान के सम्बन्ध में कटौती
(Deduction in respect of contribution given to Political Parties) [Sections 80 GGB and 80 GGC]- इन धाराओं के प्रमुख प्रावधान निम्न हैं–

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(i) यदि भारतीय कम्पनी करदाता किसी राजनैतिक दल या निर्वाचन प्रन्यास को चंदे के रूप में कोई राशि देती है तो उसे सम्पूर्ण राशि की कटौती धारा 80 GGB के अन्तर्गत स्वीकृत की जायेगी।

(ii) यदि कोई गैर–कम्पनी करदाता किसी राजनैतिक दल या निर्वाचन प्रन्यास को चंदे के रूप में कोई राशि देता है तो उसे ऐसी सम्पूर्ण राशि की कटौती धारा 80 GGC के तहत कुल आय की गणना करते समय स्वीकृत की जायेगी।

(iii) राजनैतिक दल से आषय ऐसे राजनैतिक दल से है जो Representation of the Peoples Act, 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत है।

(iv) स्थानीय सत्ता एवं कृत्रिम न्यायिक व्यक्तियों को जिनका वित्त पोषण अंषतः अथवा पूर्णतः सरकार द्वारा किया जाता है, धारा 80 GGC की छूट नहीं दी जायेगी।

कुछ आयों के सम्बन्ध में कटौतियां
(Deduction in respect of certain Incomes)

1. बुनियादी विकास आदि में लगे हुए औधोगिक उपक्रमों या उद्यमों से लाभों के सम्बन्ध में कटौती [धारा 80 IA] (Deduction in respect of profits of an industrial undertaking or enterprise engaged in infrastructure development etc.) :

(A) कटौती की पात्रता– यह कटौती ऐसे करदाताओं को उपलब्ध होती है जिनकी सकल कुल आय में निम्न प्रकार के व्यवसाय से प्राप्त लाभ और अभिलाभ शामिल होते हैं :

(1) बुनियादी सुविधाओं का विकास, अनुरक्षण एवं परिचलन करने के व्यवसाय से आय : ऐसे उद्योगों के लाभों के सम्बन्ध में कटौती भारत में पंजीकृत कम्पनी, निगम, बोर्ड या निकाय को ही मिलती है जिसने बुनियादी सुविधाओं का अनुरक्षण एवं रखरखाव 31 मार्च 1995 के बाद प्रारम्भ किया हो।

(2) दूर संचार सेवाओं को प्रदान करने से आय– ऐसे उद्योगों में टेलीफोन, पेजर सेलुलर फोन, सेटेलाइट, निजी चैनल, इन्टरनेट सेवाएँ आदि सम्मिलित होते हैं। इन उद्योगों का कार्य, 1 अप्रेल, 1995 को या इसके बाद परन्तु 31 मार्च, 2005 तक प्रारम्भ हो जाने पर ही यह छूट स्वीकृत की जाती है।

(3) औद्योगिक पार्क या विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास, परिचलन अथवा अनुरक्षण से आय : इनके सम्बन्ध में छूट तभी स्वीकृत की जावेगी जबकि इन्होंने अपना कार्य 1 अप्रेल, 1997 को या इसके पश्चात् परन्तु 1 अप्रेल, 2006 से पूर्व प्रारम्भ कर दिया हो। परन्तु औद्योगिक पार्क के विकास, परिचलन अथवा अनुरक्षण का कार्य 1 अप्रेल, 2011 से पूर्व प्रारम्भ होने पर भी यह छूट स्वीकृत की जायेगी।

(4) भारत में विद्युत का उत्पादन, वितरण अथवा सम्प्रेषण करने के व्यवसाय से आय– ऐसे उद्योगों को छूट तभी मिलेगी जबकि इन्होंने अपना कार्य 1 अप्रेल, 1993 को या इसके बाद परन्तु 1 अप्रेल, 2011 से पूर्व प्रारम्भ किया है। यह कटौती ऐसे औद्योगिक उपक्रम को भी उपलब्ध है, जिसने 1.4.1999 से 31.3.2011 तक की अवधि के दौरान किसी भी समय नई सम्प्रेषण या वितरण लाइनों का जाल बिछाकर सम्प्रेषण या वितरण का कार्य प्रारम्भ किया है। 31 मार्च, 2004 के पश्चात् परन्तु 1 अप्रेल, 2011 से पूर्व किसी भी समय सम्प्रेषण एवं वितरण की लाइनों के मौजूदा जाल (Net work) का पर्याप्त नवीनीकरण एवं आधुनिकरण का कार्य करने पर भी यह छूट स्वीकृत की जाती है।

(5) किसी शक्ति निर्माण करने वाले संयंत्र के पुनर्निर्माण करने अथवा उसे पुनर्जिवित करने के लिये स्थापित उपक्रम– किसी मौजूदा शक्ति निर्माण करने वाले संयंत्र के पुनर्निर्माण करने अथवा उसे पुनर्जिवित करने के लिये स्थापित ऐसा उपक्रम जिसका स्वामित्त्व एक भारतीय कम्पनी के पास है बशर्तें कि निम्न शर्तों की पूर्ति कर दी जाती है–

(अ) इस कम्पनी का निर्माण 30 नवम्बर, 2005 के पूर्व कर लिया गया है तथा इसकी अधिकांश पूँजी सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों के पास है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(ब) इस कम्पनी का उद्देष्य षक्ति उत्पादन करने वाले संयंत्र के स्वामित्व वाली कम्पनी के ऋणदाताओं के हितों की सुरक्षा करना है।

(स) ऐसी कम्पनी केन्द्रीय सरकार के द्वारा इस वाक्यांष के उद्देष्यों के लिये 31 दिसम्बर, 2005 के पूर्व अधिसूचित कर दी जाती है।

(द) ऐसा उपक्रम शक्ति का उत्पादन अथवा प्रेषण अथवा वितरण 31 मार्च, 2011 के पूर्व प्रारम्भ कर देता है।

(B) कटौती की राशि–

उपर्युक्त सभी प्रकार के व्यवसायों से होने वाले लाभों के सम्बन्ध में यह कटौती इनके स्थापना के प्रथम 15 वर्षों में से कोई भी लगातार 10 कर–निर्धारण वर्ष तक प्राप्त होती है। गैर–कम्पनी करदाताओं को इस कटौती की राशि निम्न प्रकार स्वीकृत की जाती है–

(क) उपर्युक्त A (1) में वर्णित उद्योगों के लाभों का 100 % प्रथम 20 वर्षों में से लगातार 10 वर्षों तक छूट के रूप में मिलता है।

(ख) उपर्युक्त A (2) में वर्णित उद्योगों के लाभों के सम्बन्ध में छूट की राशि

(i) प्रथम चयनित लगातार 5 वर्षों तक ऐसे व्यवसाय के लाभों का 100% तथा

(ii) अगले लगातार 5 वर्षों तक ऐसे व्यवसाय के लाभों का 30%।

(ग) उपर्युक्त A (3) से A (5) तक में वर्णित उद्योगों के लाभों के सम्बन्ध में छूट की राशि प्रथम 15 वर्षों में चयनित लगातार 10 वर्षों तक ऐसे व्यवसाय के लाभों का 100%।

(C) आवश्यक शर्तें :

(1) संस्था के खाते चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा अंकेक्षित हो एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन आय की विवरणी के साथ संलग्न किया गया हो।

(2) यदि उपक्रम में शक्ति के प्रयोग से मशीनें चलती हों तो कम से कम 10 श्रमिक होने चाहिए अन्यथा कम से कम 20 श्रमिक होने चाहिए।

(3) यदि करदाता ने इस धारा की कटौती स्वीकार कर ली है तो उसे ऐसी आय पर अन्य कोई भी कटौती नहीं मिलेगी।

(4) यदि करदाता के अन्य व्यवसाय से इस व्यवसाय को कोई माल का हस्तान्तरण हुआ हो तो ऐसा हस्तान्तरण बाजार मूल्य पर होना चाहिए।

(5) व्यापार की स्थापना किसी पुराने व्यवसाय के विखण्डन अथवा पुनः निर्माण से न हुयी हो।

(6) यदि नये व्यवसाय में पुराने प्लाण्ट या मशीन का प्रयोग हुआ हो तो इसकी कुल लागत, व्यवसाय में उपयोग की गयी कुल प्लाण्ट व मशीनरी की लागत के 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2. विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास में लगे हुये उपक्रम के लाभों के सम्बन्ध में कटौती [धारा 80 IAB]-

यदि किसी करदाता की सकल कुल आय में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के तहत 1 अप्रेल, 2005 को अथवा उसके बाद अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र को विकसित करने के व्यवसाय की आय सम्मिलित है तो उसे लाभों के 100ः के बराबर राशि की कटौती 10 लगातार वर्षों के लिये दी जायेगी।

करदाता को यह विकल्प दिया गया है कि वह विशेष आर्थिक क्षेत्र के अधिसूचित किये जाने वाले वर्ष से 15 वर्षों के भीतर किन्हीं लगातार 10 वर्षों के लिये कटौती का दावा प्रस्तुत कर सकता है।

3. बुनियादी विकास उपक्रमों को छोड़कर कतिपय औद्योगिक उपक्रमों से लाभों और अभिलाभों के सम्बन्ध में कटौती [धारा 80 IB] (Deduction in respect of profits and gains from certain industrial undertakings other than infrastructure development undertaking) :

(A) कटौती की पात्रता एवं राशि– यह कटौती ऐसे करदाताओं को उपलब्ध होती है जिनकी सकल कुल आय में इस कटौती के लिए पात्र व्यवसायों से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ शामिल हों एवं ऐसे उद्योगों ने निर्धारित समय में उत्पादन प्रारम्भ कर दिया हो। कटौती के लिए पात्र व्यवसाय एवं उनके लाभों के सम्बन्ध में इस कटौती की दरें निम्न प्रकार हैं :

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

व्यवसाय की प्रकृति	प्रारम्भ करने का समय	कटौती की अवधि एवं दर
1. लघु उद्योग अथवा इनका कोल्ड स्टोरेज प्लाण्ट	1 अप्रैल, 1995 से 31 मार्च, 2002 तक	लाभों का 25ः (कम्पनी के लिए 30%) प्रथम 10 वर्ष
2. पिछड़े राज्यों में स्थापित उद्योग अथवा कोल्ड स्टोरेज	1 अप्रैल, 1993 से 31 मार्च, 2004 तक	प्रथम 5 वर्षों में 100ः अगले 5 वर्षों में 25ः (कम्पनी के लिए 30%)
3. A श्रेणी के पिछड़े जिले में स्थापित उद्योग अथवा कोल्ड स्टोरेज प्लाण्ट	1 अक्टूबर, 1994 से 31 मार्च, 2004 तक	प्रथम 5 वर्षों में 100ः अगले 5 वर्षों में 25ः (कम्पनी के लिए 30%)
4. B श्रेणी के पिछड़े जिले में स्थापित उद्योग अथवा कोल्ड स्टोरेज प्लाण्ट	1 अक्टूबर, 1994 से 31 मार्च, 2004 तक	प्रथम 3 वर्षों में 100ः अगले 5 वर्षों में 25ः (कम्पनी के लिए 30%)
5. खनिज तेलों का वाणिज्यिक उत्पादन अथवा परिशोधन (i) उतर पूर्वी क्षेत्र में उत्पादन (ii) अन्य क्षेत्रों में उत्पादन (iii) अन्य क्षेत्रों में परिशोधन	1 अप्रैल, 1997 से पूर्व 1 अप्रैल, 1997 से 1 अक्टूबर, 1998 से 31.3.2012 तक	7 वर्षों तक 100% 7 वर्षों तक 100% 7 वर्षों तक 100%
6. आवासीय परियोजना के निर्माण एवं विकास का कार्य	30 सितम्बर, 1998 के बाद प्रारम्भ परन्तु 1.4.2008 से पहले	लाभों का 100%
7. कृषि उत्पादों के लिये कोल्ड चैन सुविधा	1 अप्रैल, 1999 से 31 मार्च, 2004 तक	प्रथम 5 वर्षों में लाभों का 100% अगले 5 वर्षों में 25ः (कम्पनी के लिए 30%)
8. (अ) फल एवं सब्जियों का प्रक्रियांकन उनका बचाव एवं पैकिंग का व्यवसाय अथवा खाद्यानों के भण्डारण एवं परिवहन का व्यवसाय	1 अप्रैल, 2001 से मॉंस, डेयरी उत्पाद आदि के सम्बन्ध में 1 अप्रैल, 2009 से	प्रथम 5 वर्षों में लाभों 100% तथा अगले 5 वर्षों में लाभों का 25% (कम्पनी के लिए 30%)
9. मल्टीप्लेक्स थियेटर एवं कन्वेन्शन हाल के स्वामित्व एवं संचालन के व्यवसाय के लाभ	1 अप्रैल, 2002 से 31 मार्च, 2005 तक	प्रथम 5 वर्षों में 50%
10. ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल को चलाना एवं उसका रख रखाव करना	1 अप्रैल, 2004 से 31 मार्च, 2008 तक	प्रथम 5 वर्षों में 100%
11. मैट्रो शहर के अलावा अन्य क्षेत्रों में अस्पतालों के संचालन से लाभ	1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2013 तक	प्रथम 5 वर्षों में 100%

टिप्पणी : क्रमांक 3, एवं 4 में वर्णित उद्योगों को 11 वी अनुसूची में वर्णित वस्तुओं का उत्पादन करने पर यह छूट नहीं मिलेगी।

4. कुछ विशिष्ट श्रेणी के राज्यों में कुछ उपक्रमों के लाभों के सम्बन्ध में कटौती [Deduction in respect of profits and gains of certain undertakings in certain special category of States][धारा 80-IC]- यदि किसी करदाता की सकल कुल आय में ऐसे व्यवसाय या उपक्रम के लाभ

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

सम्मिलित हैं जिन पर यह धारा लागू होती है तथा जो निर्धारित शर्तों की पूर्ति कर देता है तो उसकी कुल आय की गणना करते समय निम्न सारणी में बताई गई कटौती प्रदान कर दी जायेगी :

राज्य जिसमें उपक्रम स्थापित किया जाये	उपक्रम प्रारम्भ करने अथवा पर्याप्त विस्तार करने के लिये समय–सीमा	कटौती योग्य राशि एवं कटौती की समय–सीमा
(1)	(2)	(3)
सिक्किम	23 दिसम्बर, 2002 से 31 मार्च, 2007 तक	लाभों का 100% , प्रथम 10 कर निर्धारण वर्षों तक
हिमाचल प्रदेश एवं उत्तरांचल	7 जनवरी, 2003 से 31 मार्च, 2012 तक	प्रथम 5 वर्षो तक लाभों का 100% एवं अगले 5 वर्षों में लाभों का 25% कम्पनी की दशा में 30:
उत्तरी–पूर्वी राज्य (अरूणांचल प्रदेश, आसाम, मणीपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड एवं त्रिपुरा)	24 दिसम्बर, 1997 से 31 मार्च, 2007 तक	लाभों का 100% , प्रथम 10 कर निर्धारण वर्षों तक

5. निर्दिष्ट क्षेत्र में होटल एवं सभागार के व्यवसाय के लाभों के सम्बन्ध में कटौती
[Deduction in respect of profits and gains from business of hotels and convention centres in specified area)[धारा 80-ID]-

इस धारा के अन्तर्गत कटौती ऐसे करदाताओं को मिलती है जो निर्दिष्ट क्षेत्र में स्थित होटल के व्यवसाय में लगे हुये हों अथवा सभागार (Convention centre) का निर्माण करने, स्वामित्व रखने एवं संचालन करने के व्यवसाय में लगे हुये हों। यदि किसी करदाता की सकल कुल आय में ऐसे व्यवसाय के लाभों को सम्मिलित किया गया है तथा उसने इस सम्बन्ध में कटौती हेतु निर्धारित शर्तों की पूर्ति कर दी है तो उसे आरम्भिक वर्ष से प्रारम्भ करके 5 लगातार कर–निर्धारण वर्षों के लिये ऐसे लाभों के 100% की कटौती सकल कुल आय में से दे दी जायेगी।

6. पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ विशिष्ट उपक्रमों के सम्बन्ध में कटौती
[Deduction in respect of certain undertakings in North-Eastern States)[धारा 80-IE]-

इस धारा के अन्तर्गत कटौती उन करदाताओं को स्वीकृत की जाती है जिन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों (अरूणाचलप्रदेष, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम तथा त्रिपुरा) में 1 अपैल, 2007 से 31 मार्च, 2017 तक की अवधि में निर्धारित व्यवसाय प्रारम्भ किया है। यह कटौती व्यवसाय प्रारम्भ होने वाले वर्ष से प्रारम्भ होकर 10 वर्षों तक ऐसे व्यवसाय के लाभों का 100% स्वीकृत की जाती है। इस कटौती के लिये यह आवश्यक है कि करदाता निर्धारित शर्तों की पूर्ति करें।

7. जैविक नाशवान् मलबे के संग्रहण एवं प्रसंस्करण के व्यवसाय से लाभों एवं अभिलाभों के सम्बन्ध में कटौती [धारा 80 JJA] [Deduction in respect of profits and gains from business of collecting and processing of bio-degradable waste) :

यदि किसी करदाता की सकल कुल आय में शक्ति उत्पन्न करने, जैव उर्वरक, जीव नाशक, या अन्य जैविक पदार्थों का उत्पादन करने के लिए अथवा जैविक गैस का उत्पादन करने के लिए अथवा ईधन या जैविक खाद बनाने के लिए गोले या ईटें बनाने हेतु जैविक नाशवान मलबे (Bio-degradable waste) के संग्रहण, विधियन एवं उपचार के व्यवसाय के लाभ सम्मिलित हैं तो ऐसे लाभों की सम्पूर्ण राशि (100%) की कटौती प्रथम 5 कर–निर्धारण वर्षों में इस धारा के अन्तर्गत स्वीकृत की जावेगी।

8. नये श्रमिकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कटौती
[Deduction in respect of employment of new workmen) [धारा 80 JJAA] : –

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

यह कटौती केवल भारतीय कम्पनी को ही मिलती है, अन्य करदाताओं को नहीं। वस्तुओं के निर्माण में लगी कम्पनी करदाता द्वारा पिछले वर्ष में नियुक्त नये नियमित श्रमिकों को दी गई अतिरिक्त मजदूरी के 30% के बराबर राशि की कटौती स्वीकृत की जाती है।

अतिरिक्त मजदूरी का तात्पर्य :

(अ) नये औद्योगिक उपक्रम की दशा में : गत वर्ष में नियुक्त 100 श्रमिकों से अधिक नये नियमित
श्रमिकों को दी गई मजूदरी,
(ब) वर्तमान औद्योगिक उपक्रम की दशा में : पिछले वर्ष के दौरान नियुक्त 100 श्रमिकों से अधिक
नये नियमित श्रमिकों को दी गई मजदूरी।

श्रमिक का तात्पर्य :

श्रमिक का आशय औद्योगिक विकास अधिनियम 1947 की धारा 2 (s) में वर्णित श्रमिक की परिभाषा में आने वाले श्रमिक से है।

9. पुस्तकों के लेखकों की रॉयल्टी आय के सम्बन्ध में कटौती [Deduction in respect of Royalty income of authors of certain books] [धारा 80-QQB]-

यदि किसी करदाता की सकल कुल आय में पुस्तकों के लेखन से प्राप्य रायल्टी की आय सम्मिलित है तो निम्न दो राशियों में से कम वाली राशि के बराबर कटौती दी जायेगी–

(i) ऐसी आय का 100: अथवा
(ii) 3,00,000 रूपये।

यदि रायल्टी या कॉपीराइट फीस के रूप में आय करदाता के पुस्तक में निहित समस्त अधिकारों के हस्तान्तरण के बदले एक मुश्त प्रतिफल के रूप में नहीं है तो गत वर्ष में विक्रय की गई ऐसी पुस्तकों के मूल्य के 15% से अधिक की आय की कटौती योग्य नहीं होगी। लेखक की आय में से आय कमाने के लिये किये गये व्ययों को घटाया जायेगा तथा शेष राशि के सम्बन्ध में यह कटौती दी जायेगी।

10. पेटेण्ट की रायल्टी के सम्बन्ध में कटौती
(Deduction in respect of royalty on patents) [धारा 80 RRB]-

यदि किसी करदाता की सकल कुल आय में पेटेण्ट की रायल्टी की आय सम्मिलित है तो उसे निम्न दो राशियों में से कम वाली राशि के बराबर कटौती दी जायेगी–

(i) ऐसी आय का 100: या (ii) 3,00,000 रूपये।

परन्तु पेटेण्ट अधिनियम, 1970 के तहत यदि किसी पेटेण्ट के सम्बन्ध में अनिवार्य रूप से कोई लाइसेन्स स्वीकृत कर दिया जाता है तो इस धारा की कटौती के लिये रायल्टी के रूप में आय उस राशि से अधिक नहीं होगी जो लाइसेन्स की शर्तों के अनुसार पेटेण्ट अधिनियम के नियन्त्रक द्वारा तय की जाती है।
स्पष्टीकरण : यदि ऐसी आय विदेश में अर्जित की जाती है तो इस धारा की कटौती लेने के लिये यह आवश्यक है कि करदाता या उसकी ओर से अन्य कोई व्यक्ति ऐसी आय को गत वर्ष की समाप्ति के बाद 6 माह के भीतर अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा बढ़ाई गई अवधि के भीतर परिवर्तनशील विदेशी मुद्रा में भारत में ले आये।

अन्य कटौती
(Other Deduction)

(1) स्थायी रूप से शारीरिक असमर्थता (अन्धेपन को सम्मिलित करते हुए) की दशा में कटौती
(Deduction in the case of permanent physical disability including blindness) [धारा 80 U] यह कटौती भारत में निवासी ऐसे व्यक्तियों को स्वीकृत की जाती है जो पूर्णतः अन्धे हैं अथवा जो स्थायी रूप से शारीरिक असमर्थता से पीड़ित हैं या मानसिक विलम्बन (Mental Retardation) से ग्रस्त हैं तथा इन असमर्थताओं के कारण ऐसे व्यक्ति की सामान्य रूप से कार्य करने की क्षमता अथवा

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

लाभदायक रोजगार करने की शक्ति पर्याप्त रूप से कम हुई है। ऐसे व्यक्ति को उसकी सकल कुल आय में से 50,000 रूपये की कटौती प्रदान की जाती है यदि उसकी असमर्थता 40ः या अधिक हो। परन्तु यदि असमर्थता 80% या अधिक हो तो उस व्यष्टि को 1,00,000 रूपये की कटौती स्वीकृत की जायेगी। ऐसे करदाता को कर–निर्धारण वर्ष के प्रथम वर्ष में सरकारी अस्पताल में कार्यरत किसी फिजिशियन, सर्जन, नेत्र विशेषज्ञ अथवा मानसिक रोग विशेषज्ञ (जैसी भी स्थिति हो उसी के अनुरूप) से प्राप्त प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

उदाहरण (Illustration) 12.5 :

श्री कालानी राजस्थान उच्च न्यायालय में अधिवक्ता है। वे अपने लेखे नकद प्रणाली के आधार पर रखते हैं। 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले गत वर्ष का प्राप्ति एवं भुगतान खाता निम्न प्रकार है : Shri Kalani is a lawyer of Rajasthan High Court. He keeps his accounts on cash basis. His receipts and payments account for thr year ending 31-3-2010 is as follows :

Receipts	Rs.	Payments	Rs.
Balance b/d	23,820	Membership subscription	24,500
Legal fees	2,45,000	Purchases of legal books	7,500
Special feed	5,500	L.I.C. Premium	17,000
Salary from Law College as part time lecturer	27,000	Donation to approved charitable institutions	2,000
Exams. Remuneration	1,480	Car Expenses	14,000
Interest on Bank deposit	3,500	Office Expenses	8,500
Sale Proceeds of residential house property	2,82,000	Subscription to potitical party	10,000
		Electrcity charges	4,000
Divident from		Income Tax	8,000
Co-operative society	1,000	Gift to Daughter	12,000
Dividend from U.T.I.	2,000	Domestic Expenses	35,000
		Rent of house	47,500
		Car purchased	2,20,000
		Balance c/d	1,81,300
	5,91,300		5,91,300

अन्य सूचनाएँ–

(i) किराया व विद्युत व्यय मकान के हैं। जिसका आधा भाग श्री कालानी स्वयं निवास हेतु व शेष आधा भाग अपने कार्यालयीय उपयोग में लेते हैं।

(ii) बकाया कानूनी शुल्क 10,000 रू. है।

(iii) किराया 10 माह का चुकाया गया है।

(iv) कार 25.9.2009 को क्रय की गई। कानूनी पुस्तकों में 2,000 रू. की 6.4.2009 को व शेष 31.10. 2009 को क्रय की गई।

(v) मकान 1.1.1986 को 58,000 रू. में क्रय किया गया था व 1.7.2009 को बेच दिया गया।

(vi) मकान जिसे बेच दिया गया है, का किराया 5,000 रू. का मासिक था। किरायेदार ने मकान 30.6. 2009 को खाली की दिया था।

(vii) राजनैतिक दल Representation of Peoples Act, 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत है।

(viii) 10,000 रू. का जीवन बीमा प्रीमियम उसकी स्वयं की पॉलिसी पर चुकाया गया है तथा शेष रकम उसकी पत्नी की पॉलिसी पर चुकाई गई है।

कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिये उनकी कुल आय की गणना कीजिए। वर्ष 1985–86 का लागत वृद्वि सूचकांक 133 है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

Other information :

(i) Rent and Electricity charges are related to house, of which half portion used by Kalani for self residence and remaining half used for office purposes.

(ii) Outstanding legal fees is Rs. 10,000.

(iii) Rent has been paid for 10 months only.

(iv) Car purchased on 25-9-2009. Law books of Rs. 2,000 were purchased on 6-4-2009 and balance were on 31-10-2009.

(v) House was purchased on 1-1-1986 for Rs. 58,000 and sold on 1-7-2009.

(vi) Rent of the property which has been sold was Rs. 5,000 per month. The property was vacated by tenant on 30-6-2009.

(vii) The political party is registered under Section 29A of the Representation of Peoples Act, 1951

(viii) Life insurance premium to the extent of Rs. 10,000 has been paid on his own policy and remaing amount on the policy of his wife.

Compute his total income for the assessment year 2010-11. The cost inflation index for the year 1985-86 is 133.

हल **(Solution)** :

Computation of Total Incomes of Shri Kalani
For the Assessment year 2010-11

			Rs.	Rs.
Income from Salary :				
Salary as part time lecturer				27,000
Income from House Property :				
Gross Annual Value for 3 months			15,000	
Less : Municipal taxes (not given)			-	
Annual Value			15,000	
Less : Standard deduction @30% of A.V.			4,500	
Income from Business or Profession :				10,500
(i) Legal fees			2,45,000	
(ii) Special fees			5,500	
			2,50,500	
Less : Allowable expenses :				
Membership subscription		24,500		
½ of rent (47,500 X 1/2)		23,750		
Car expenses		14,000		
Office expenses		8,500		
Electricity exp. (4,000 X 1/2)		2,000		
Depreciation				
On car	33,000		1,08,600	
On books	2,850	35,850		1,41,900
Income from Capital Gain :				
Long term Capital gain			2,82,000	
Sale consideration of house				
Less : Indexed cost of acquisition			2,75,609	
(58,000 X 632/133)				6,391
Income from Other Sources :			1,480	
Examinership remuneration			3,500	
Interest on Bank deposit			1,000	

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

Dividend from Co-operative society		5,980
Gross Total Income		1,91,771
Less : Deductions u/s 80 C to 80 U :	17,000	
u/s 80 C for Life insurance premium @ 100%	1,000	
u/s 80 G for donations @ 50% on Rs. 2,000	10,000	
u/s 80 GGC @ 100% on Subscription		28,000
Total Income		1,63,771
Rounded off		1,63,770

टिप्पणी–

(i) श्री कालानी अपने लेखे रोकड़ आधार पर रखते हैं, अतः अदत मकान किराये का तथा अप्राप्य कानूनी शुल्क का कोई समायोजन नहीं किया गया है।

(ii) मकान सम्पत्ति की गणना उपार्जित होने के आधार पर की जाती है, भले ही किराया प्राप्त हुआ हो अथवा नहीं।

(iii) कार का प्रयोग 180 दिन से अधिक के लिये हुआ है, अतः पूर्ण दर से ह्रास की गणना की गई है। 6.4.2009 को क्रय की गई पुस्तकों पर ह्रास 60% की दर से तथा 31.10.2009 को क्रय की गई 5,500 रू. की पुस्तकों पर ह्रास 30% की दर से लगाया गया है।

(iv) आय–कर का भुगतान निजी दायित्व है तथा घरेलू खर्चे तथा पुत्री को उपहार के सम्बन्ध में भी कोई कटौती नहीं दी जाती है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

अभ्यास के लिए प्रश्न
(Questions for Exercise)

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न

(Very Short Answer Type Questions)

निम्नलिखित प्रश्नों का उतर अधिकतम 20 शब्दों में दीजिए।

(Answer the following Questions in Maximum 20 words.)

1. एक करदाता की कुल आय की गणना करते समय जीवन बीमा निगम द्वारा स्थापित कोष में पेन्शन पाने के लिये दिये गये अंशदान के सम्बन्ध में कितनी छूट दी जाती है ?

   How much deduction is allowed in computing the total income of an assessee in respect of contribution made to a fund set up by the Life Insurance Corporation for receiving pension ?

2 एक करदाता की कुल आय की गणना करते समय चिकित्सा बीमा प्रीमियम के भुगतान के सम्बन्ध में कितनी छूट दी जाती है ? यह छूट किसे दी जाती है ?

   How much deduction is allowed in computing the total income of an assessee for the payment of medical insurance premium ? Who is entitled for this deduction ?

3 एक विकलांग आश्रितों की चिकित्सा एवं निर्वाह पर व्यय सम्बन्धी धारा 80DD की कटौती के प्रावधानों की विवेचना कीजिये।

   Explain the provision of deduction in respect of expenses on maintenance and medical treatment of handicapped dependent under section 80DD.

4. एक करदाता की कुल आय की गणना करते समय स्वयं की अथवा आश्रित की निर्दिष्ट बीमारी की चिकित्सा के सम्बन्ध में भुगतान के लिये कितनी छूट दी जाती है ?

   How much deduction is allowed in computing total income of an assessee for the expenses paid on the medical treatment of specified desease or ailment for himself or a dependant.

5. एक करदाता ने गत वर्ष में अपने आश्रित पिता की चिकित्सा पर जो मानसिक रूप से पिछड़े हुये हैं, 28,000 रू. व्यय किये। कुल आय की गणना करते समय आप उसे इस व्यय के सम्बन्ध में कितनी छूट देंगे ?

   An assessee has incurred during the previous year an expenditure of Rs. 28,000 on the medical treatment of his dependant father who is mentally retarted What deduction will you allow to him in respect of this expenditure in computing his total income ?

6. एक करदाता ने गत वर्ष में अपनी आश्रित माता की चिकित्सा, पर जो केन्सर से पीड़ित है, तथा जिनकी आयु 31 मार्च, 2010 को 67 वर्ष है, 8,000 रू. भुगतान किये। कुल आय की गणना करते समय आप उसे इस व्यय के सम्बन्ध में कितनी छूट देंगे ?

   An assessee has paid during the previous year an expenditure of Rs. 8,000 on the medical treatment of his depend mother who is suffering from cancer and who is 67 years old on 31st March, 2010 What deduction will you allow to him in respect of this expenditure in computing his total Income ?

7. एक व्यष्टि ने एक वित्तीय संस्था से अपने जीवनसाथी की उच्च शिक्षा हेतु ऋण लिया था। गत वर्ष में उसने इस संस्था को 47,000 रू. के ब्याज सहित 82,000 रू. का भुगतान किया है। उसे कुल आय की गणना में कितनी कटौती दी जायेगी ?

   An individual has taken loan from a financial institution for higher education of his spouse. During the previous year he paid to this institution a sum of Rs. 82,000

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

including Rs. 47,000 for interest. What deduction will be allowed to him in computing his total income ?

8. ऐसे दो कोषों के नाम लिखिये जिनको दिये गये दोनों के सम्बन्ध में 100% की दर से कटौती की जाती है।

   Write names of any two funds, the donation given to them is eligible for 100% deduction.

9. एक पूर्णतया अन्धे व्यक्ति की कुल आय की गणना करते समय धारा 80U के अन्तर्गत कितनी कटौती दी जाती है ?

   What amount of deduction is allowed u/s 80 U to a totally blind individual in computing his total income ?

10. एक करदाता की कुल आय को किस प्रकार से पूर्णांकित किया जाता है ?

    How is total income of an assessee rounded off ?

लघूत्तरात्मक प्रश्न
(Short Answer Type Questions) :

1. पुण्यार्थ दानों के सम्बन्ध में कटौती–योग्य राशि की अधिकतम सीमा को समझाइये।
   Explain the maximum qualifying amount for deduction in respect of charitable donations.

निबन्धात्मक प्रश्न
(Essay Type Questions) :

1. करदाता की कुल आय की गणना करते समय विभिन्न प्रकार के भुगतानों के सम्बन्ध में दी जाने वाली कटौतियों को संक्षेप में समझाइये।
   Explain in brief the deduction allowed to an assessee in respect of various paymens while computing his total income.
2. निम्न के लिए सकल कुल आय में से दी जाने वाली कटौतियों सम्बन्धी प्रावधानों का विवेचन कीजिए–
   (i) विशेष कोषों एवं पुण्यार्थ संस्थाओं को दान।
   (ii) जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में अंशदान तथा अन्य भुगतानों के लिए कटौती
   Discuss the provisions relating to deductions from Gross Total Income for the following-
   (i) Donation to certain funds and charitable institutions.
   (ii) Deduction for Life Insurance Premium, Contribution to Provident Fund and other payments.
3. सकल कुल आय में से निम्न के सम्बन्ध में दी जाने वाली कटौती सम्बन्धी प्रावधानों का उल्लेख कीजिए :
   (i) असमर्थ आश्रितों की चिकित्सा एवं जीवन निर्वाह पर व्यय–[धारा 80 DD]
   (ii) मकान किराये का भुगतान– [धारा 80GG]
   Give the provisions for deduction from the Gross Total Income in respect of the following-
   (i) Expenses in respect of medical treatment and maintenance of disabled dependents u/s 80 DD.
   (ii) Payment of house rent u/s 80 GG
4. एक व्यष्टि करदाता सकल कुल आय में से कौन–कौनसी कटौतियाँ प्राप्त कर सकता है ?
   Which deductions can be availed by an individual assessee from his gross total income ?

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

व्यावहारिक प्रश्न

(Practical Questions) :

1. 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये मिस्टर X ने अपनी आय का निम्न विवरण प्रस्तुत किया :

(i) मूल वेतन 7,500 रू. प्रतिमाह।

(ii) बोनस 600 रू. प्रतिमाह।

(iii) उसका एक मकान है जिसको 1,250 रू. प्रतिमाह किराये पर उठाया हुआ है। मकान का नगरपालिका मूल्य 12,000 रू. तथा नगरपालिका कर चुकाये 3,000 रू. प्रति वर्ष।

(iv) मई, 2009 में भारतीय कम्पनी के अंशों का लाभांश प्राप्त किया 2,685 रू. तथा बैंक जमा पर ब्याज प्राप्त किया 2,000 रू.।

(v) आठवी अनुसूची में वर्णित पिछडे राज्य में जनवरी, 2002 में स्थापित किये गये उद्योग के लाभ 2,40,000 रू.।

(vi) उसने ऊँट दौड़ में 5,600 रू. का इनाम प्राप्त किया।

(vii) उसने निम्न लिखित दान/चन्दे दिये :

(अ) परिवार नियोजन के प्रोत्साहन के लिए सीकर नगर परिषद को 15,000 रू

(ब) प्रधानमंत्री के अकाल सहायता कोष में 5,000 रू.

(स) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में 10,000 रू.

(द) अनुमोदित शिक्षण संस्था को दान 20,000 रू.

(य) पंजीकृत राजनैतिक दल को 12,000 रू।

(viii) गत वर्ष में उसने 8,000 रू. के राष्ट्रीय बचत पत्र अष्ठम निर्गमन क्रय किये, 12,000 रू. 5 वर्ष के लिये एक अनुसूचित बैंक में अधिसूचित योजना के तहत जमा कराये तथा 24,000 रू. सार्वजनिक भविष्य निधि खाते में जमा कराये।

कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिये मिस्टर X की कुल आय की गणना कीजिये।

Mr. X provides the following particulars of his income for the year ended on 31-3-2010 :

(i) Basic Salary Rs. 7,500 p.m.

(ii) Bonus Rs. 600 p.m.

(iii) He owns a house property and the same is let out for a monthly rent of Rs. 1,250 Municipal Value of the house is Rs. 12,000 Municipal taxes paid by him amounted to Rs. 3,000 p.a.

(iv) He received dividend on shares of an Indian Company in May, 2009 Rs. 2,685 and Bank interest on Deposits Rs. 2,000.

(v) Profits of an industry established in January, 2002 in a backward state specified in VIII Schedule Rs. 2,40,000.

(vi) He received Rs. 5,600 as prize in a camel race.

(vii) He also paid the following donations/subscription :

(a) Sikar Municipal Corporation for promotion of family planning Rs. 15,000.

(b) The Prime Minister Drought Relief Fund Rs. 5,000.

(c) The Prime Minister National Relief Fund Rs. 10,000.

(d) Donation to approved education institution Rs. 20,000.

(e) Registered Political Party Rs. 12,000.

(viii) During the previous year he purchased NSC VIII issue for Rs. 8,000. Deposited Rs. 12,000 with a Schedule Bank for 5 years in a notified scheme and deposited Rs. 24,000 in Public Provident Fund Account.

You are required to compute the Total Income of Mr. X for the assessment year 2010-11.

उत्तर :– कुल आय 2,05,340 रू.

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

2. श्री मोहम्मद यूसूफ उदयपुर के अन्धे (निर्धारित स्तर के अनुसार 60% असमर्थ) निवासी को वित्तीय वर्ष 2009–10 में निम्न राशियाँ प्राप्त हुई –

(i) शुद्व वेतन 51,000 रू., उसका वैधानिक भविष्य निधि का अंशदान 6,000 रू. तथा उसके जीवन बीमा प्रीमियम के 3,000 रू. काटने के पश्चात् प्राप्त हुआ।

(ii) बैंक से स्थायी जमा पर ब्याज के 5,800 रू. 15 दिसम्बर, 2009 को प्राप्त हुए।

(iii) फर्म में जमा पर ब्याज के 15,750 रू. सितम्बर, 2009 में प्राप्त हुए।

(iv) 1 जनवरी, 2010 को उसके द्वारा हस्तान्तरित रिहायशी मकान के 1,93,900 रू. जो इसी राशि में हस्तान्तरित किया गया था। (यह मकान उन्हें 1 अप्रैल, 1974 को भेंट में प्राप्त हुआ था, उस दिन इसका उचित बाजार मूल्य, 20,000 रू. था।) भेंट देने वाले ने इस मकान को 10,000 रू. में वर्ष 1972 में बनवाया था। श्री यूसुफ ने एक कमरे की वृद्बि पर 4,000 रू. वर्ष 1976 में व्यय किये थे। 1.4.1981 को इस मकान का उचित बाजार मूल्य 30,000 रू. था।

(v) उपरोक्त मकान के किरायेदार से मकान किराया 1,800 रू.।

(vi) उदयपुर विश्वविद्यालय द्वारा स्नातकोतर पाठ्यक्रम में अनुशंसित हिन्दी में लिखित उनकी पुस्तक के प्रकाशन के अधिकार शुल्क के 18,500 रू.।

(vii) सटटे के लाभ 45,000 रू.।

(viii) एजेन्सी समाप्ति पर प्राप्त क्षतिपूर्ति राशि 84,000 रू.।

(ix) नवम्बर, 2009 में सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त ब्याज 7,200 रू.।

(x) अपने भतीजे से 60,000 रू. का उपहार।

उसने गत वर्ष में निम्न व्यय एवं भुगतान किये हैं–

(अ) पुस्तक लेखन से सम्बन्धित व्यय 1,500 रू.।

(ब) उन्होंने गत वर्ष में 4,000 रू. की राशि प्रधानमन्त्री के आर्मेनिया भूकम्प राहत कोष में एवं 25,000 रू. की राशि ताज महल की मरम्मत के लिए दान दी है।

(स) उन्होंने अपने आश्रित पिता के इलाज पर गत वर्ष में 12,000 रू. व्यय किये। उनके पिता केन्सर से पीड़ित हैं।

(द) एक अनुसूचित बैंक में 3 वर्ष की स्थाई जमा में 20,000 रू. जमा कराये।

उनकी कुल आय की गणना कर निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए कीजिए।

Shri Mohd. Yusuf a blind (60% disabled as per prescribed norms) resident of Udaipur has received the following amount during the financial year 2009-10 :

(i) Net salary Rs. 51,000 after deduction of his contribution to Statutory Provident Fund Rs, 6,000 and Life Insurance Premium of Rs. 3,000.

(ii) Rs. 5,800 from a Bank being interest on fixed deposits on 15-12-2009.

(iii) Rs. 15,750 from firm being interest on deposits in the month of September, 2009.

(iv) Rs. 1,93,900 from the purchaser of the residential house transferred by him on 1st Januray, 2010 for the same amount (this house was received by him as a gift on 1st April, 1974, its fair market value on that date was Rs. 20,000) The donor got this house constructed in the year 1972 for Rs. 10,000 and Shri Yusuf spent Rs. 4,000 for addition of one room during the year 1976. The F.M.V. of this house on 1-4-1981 was Rs, 30,000.

(v) Rs. 1,800 from the tenant of the above house as Rent.

(vi) Rs. 18,500 being royalty from the publisher of his books written in Hindi, recommended by the University of Udaipur for post graduate course.

(vii) Speculation profit Rs. 45,000.

(viii) Rs. 84,000 being compensation for termination of an agency.

(ix) Interest on Govt. securities received Rs. 7,200 in Nov. 2009.

(x) Gift of Rs.60,000 from his nephew.

He has made following expenses and payments during the previous year

(a) Expenses relating to book written by him Rs. 1,500

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(b) He donated a sum of Rs. 4,000 to Prime Minister's Armenia Earthquake Relief Fund and Rs. 25,000 for the repairs of Taj Mahal during the previous year.
(c) He spent Rs. 12,000 on the treatment of his father during the previous year. His father is dependent on him and suffering from cancer.
(d) Deposited Rs. 20,000 with a Scheduled bank as fixed deposit for a period of 3 years.

Compute his total Income for the assessment year 2010-11.

[उत्तर – कुल आय 1,99,570 रू.।
सकल कुल आय 3,02,060 रू.।]

3. वित्तीय वर्ष 2009–10 के दौरान श्री राम लाल सांई को निम्न आयें हुई–

(i) निर्यात व्यापार के लाभ 80,000 रू.। ऐसे निर्यातों की सम्पूर्ण विक्रय राशि गत वर्ष की समाप्ति के पूर्व परिवर्तनशील विदेशी मुद्रा में प्राप्त हो गई थी।

(ii) पिछड़े हुए क्षेत्रों में स्थापित लघु उद्यागों से लाभ 50,000 रू.। मई, 1990 में इस उद्योग ने एक ऐसी वस्तु का निर्माण प्रारम्भ किया जिसका उल्लेख आय–कर अधिनियम की ग्याहरवीं अनुसूची में नहीं है।

(iii) श्री गौरीशंकर जो राजस्थान सरकार में एकाउण्टेन्ट हैं, से 7,176 रू. का ब्याज प्राप्त किया।

(iv) फर्म मोहनलाल सोहनलाल के पास स्थायी जमा राशि पर 20 नवम्बर, 2009 को ब्याज प्राप्त किया 5,400 रू.

(v) बैंक ऑफ बड़ौदा के सेविंग्स बैंक खाते से 10,764 रू. का ब्याज प्राप्त किया।

(vi) इलाहाबाद बैंक में दो वर्ष के स्थायी जमा खाते से ब्याज प्राप्त किया 7,800 रू।

(vii) राजस्थान सरकार की प्रतिभूतियों से जनवरी, 2010 में ब्याज प्राप्त किया 13,600 रू.।

(viii) यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया की यूनिट्स से सितम्बर से लाभांश प्राप्त किया 12,580 रू.।

(ix) रहने योग्य मकान सम्पति से किराया प्राप्त किया 24,000 रू.। इस मकान पर 2,400 रू. प्रति वर्ष नगरपालिका कर के चुकाये जाते हैं।

(x) 1990–91 में 41,340 रू. में खरीदे गये स्वर्ण आभूषणों की बिक्री से उसने 1,91,357 रू. प्राप्त किये। इन आभूषणों की बिक्री के 6 माह के भीतर उसने 63,786 रू. में रहने का एक मकान खरीदा।

(xi) उसने गत वर्ष में राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अनुमोदित शिक्षण संस्था को 4,000 रू. का दान दिया तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रोत्साहन के लिए 15,000 रू. सरकार को दिये।

(xii) उसने एक पंजीकृत राजनैतिक दल को 40,000 रू. का अंशदान दिया।

(xiii) गत वर्ष में उसने 23,800 रू. सार्वजनिक भविष्य निधि खाते में जमा कराये तथा 11,200 रूपये एक अनुसूचित बैंक में 6 वर्ष के लिये केन्द्रीय सरकार की अधिसूचित योजना में जमा कराये।

कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए श्री राम लाल सांई की कुल आय की गणना कीजिये। वर्ष 1990–91 के लिये लागत वृद्वि सूचकांक 182 है।

Shri Ram Lal Sai had the following incomes during the financial year 2009-10 –

(i) Profits from export turnover business Rs. 80,000. The entire sale proceeds from exports is received in convertible foreign exchange before the end of the previous year.
(ii) Taxable profits of a small scale industrial undertaking set up in a backward area Rs. 50,000. In May, 1990 it started manufacturing an article other than those listed in the 11th Schedule of the Income Tax Act.
(iii) Interest received from Shri Gourishankar Rs. 7,176 who is an accountant in Rajasthan Government.
(iv) Interest received on Fixed Deposit with the firm M/s Mohan Lal Sohan Lal Rs. 5,400 on 20th November, 2009.
(v) Interest received on Bank of Baroda Saving Bank Account Rs. 10,764.

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(vi) Interest received on Fixed Deposits Account for 2 years in Allahabad Bank Rs. 7,800.

(vii) Interest received on Rajasthan Government Securities Rs. 13,600 in January, 2010.

(viii) Divident received from the units of Unit Trust of India Rs. 12,580 in September.

(ix) Rent Received from residential house property Rs. 24,000 Municipal taxes in respect of this house are paid Rs. 2,400 per annum.

(x) He Received Rs.1,91,357 from the sale of gold ornaments which he had purchased in 1990-91 for Rs. 41,340. Within 6 months from the sale of these ornaments he purchased a residential house for Rs, 63,786.

(xi) During the previous year he donated Rs. 4,000 to an approved educational institutions of National eminence and gave Rs. 15,000 to Government for the promotion of family planning programme.

(xii) He gave contribution of Rs.40,000 to a registered political party.

(xiii) During the Previous year he deposited Rs. 23,800 in Public Provident Fund Account and Rs. 11,200 in a schedule bank for a period of 6 years in a notified scheme of Central Government.

Compute the taxable income of Shri Ram Lal Sai for the Assessment Year 2010-11. The cost inflation index for the year 1990-91 is 182.

[उतर – कुल आय 1,31,780 रू.।
सकल कुल आय 2,22,329 रू एवं धारा 80 G की कटौती 15,546 रू।]

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

वर्ग (Section) : C
इकाई (Unit) : 13
व्यष्टियों का कर–निर्धारण
(Assessment of Individuals)

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

व्यष्टि का आशय प्राकृतिक मानव (Human) से होता है जिसमें पुरूष एवं स्त्री दोनों सम्मिलित होते हैं। एक अवयस्क या पागल व्यक्ति भी व्यष्टि करदाता माना जाता है परन्तु उसका कर–निर्धारण धारा 161 के अनुसार इसके संरक्षक के माध्यम से किया जाता है।

एक व्यष्टि करदाता के आय कर दायित्व को निर्धारित करने के लिए निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जाती है :

(1) सर्वप्रथम करदाता की निवासीय स्थिति का निर्धारण किया जाता है। एक व्यष्टि करदाता साधारण निवासी, असाधारण निवासी या अनिवासी हो सकता है।

(2) समस्त आयों को आय के पाँच शीर्षकों में विभक्त कर इन शीर्षकों की कर–योग्य आय निर्धारित की जाती है।

(3) कर–योग्य आय का निर्धारण करते समय कर–मुक्त आयों को भी ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि कर–मुक्त आयें कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाती हैं।

(4) धारा 60 से धारा 64 तक के प्रावधानों के अनुसार करदाता की मानी गई आयों को भी सम्बन्धित शीर्षक की कर–योग्य आय में सम्मिलित किया जाता है।

(5) सकल कुल आय की गणना करते समय हानियों की पूर्ति तथा पिछले वर्षों से लाई गई हानियों की पूर्ति के नियमों को ध्यान में रखकर हानियों का समायोजन किया जाता है।

(6) सकल कुल आय में से धारा 80 C से धारा 80 U तक की कटौतियाँ घटाई जाती है। शेष राशि कुल आय (Total Income) कहलाती है। कुल आय का निकटतम दहाई के गुणांक में उपसादन (Rounding off) किया जाता है।

(7) कुल आय पर कर की गणना करने के लिए आय को दो भागों में बाँटा जाता है :

(अ) सामान्य आयें; तथा

(ब) विषेष प्रकार की आयें।

दोनों प्रकार की आयों पर अलग–अलग विधि से कर की गणना की जाती है। सामान्य आय पर कर की गणना करते समय कृषि आय को भी ध्यान में रखा जाता है, यदि गत वर्ष में कृषि आय 5,000 रू. से अधिक हो तथा सामान्य आय अधिकतम कर–मुक्त सीमा से अधिक हो।

(8) कुल आय पर देय कर में शिक्षा उपकर जोड़ कर कर–दायित्व ज्ञात किया जाता है।

(9) यदि करदाता की कुल आय में ऐसे व्यक्तियों के समुदाय से प्राप्त आय भी सम्मिलित है जिसकी (A.O.P. की) कुल आय पर सामान्य दरों से कर लग चुका है तो ऐसी आय पर करदाता को 'कर की औसत दर' (Average Rate of Tax) से छूट स्वीकृत की जावेगी। यह छूट घटाने के पष्चात् ही शुद्ध कर दायित्व ज्ञात होता है।

(10) शुद्ध कर–दायित्व में से निम्न प्रकार चुकाये गये करों को घटाकर शेष चुकाई जाने वाली राषि या कर की वापसी योग्य राशि ज्ञात की जाती है :

(i) उद्‌गम स्थान पर काटा गया कर,

(ii) उद्‌गम स्थान पर वसूल किया गया कर,

(iii) करदाता द्वारा चुकाया गया अग्रिम कर,

(iv) स्व–कर–निर्धारण के अन्तर्गत चुकाया गया कर।

(11) उपर्युक्त (10) में ज्ञात शेष चुकाई जाने वाली राशि अथवा कर की वापसी योग्य राशि (जैसी भी स्थिति हो) का धारा 288 B के अनुसार निकटतम दहाई के गुणांक में उपसादन किया जाता है।

कुल आय पर कर–दायित्व का निर्धारण
(Computation of Tax Liability on Total Income)

कर–निर्धारण के आधार पर एक व्यष्टि करदाता की कुल आय को दो भागों में बाँटा जा सकता है :

(अ) ऐसी आयें जो सामान्य दरों से कर–योग्य हों तथा जिन पर लगने वाली आय कर की दरों का उल्लेख सम्बन्धित वर्ष के वित्त अधिनियम (Finance Act) में किया हुआ हो।

(ब) ऐसी आयें जो विशेष दरों से कर–योग्य होती हों तथा जिन पर लगने वाली आय कर की दरों का उल्लेख आय कर अधिनियम में किया हुआ हो।

सामान्य आयों पर कर–दायित्व का निर्धारण
(Computation of Tax Liability on General Incomes) :

ऐसी आयें जिन पर देय आय कर की गणना हेतु करों की विशेष दरें आयकर अधिनियम में न दी हुई हो, सामान्य आय कहलाती हैं। वित्त अधिनियम 2010 के अनुसार कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए सामान्य आयों पर कर की गणना करने हेतु निम्न दरें लागू होंगी :

(।) ऐसी महिला निवासी करदाता जिसकी गत वर्ष 2009–10 में आयु 65 वर्ष से कम रही हो, के लिये आय कर की दरें :

कुल आय	कर की दरें
प्रथम 1,90,000 रूपये तक	शून्य
190000 रूपये से अधिक परन्तु 3,00,000 रू. तक	10%
3,00,000 रू. से अधिक परन्तु 5,00,000 रू. तक (अगले 2,00,000 रू. पर)	20%
5,00,000 रू. से अधिक की आय पर	30%

(ठ) भारत में निवासी ऐसा व्यष्टि (पुरूष या महिला), जिसकी गत वर्ष 2009–10 में आयु किसी भी समय 65 वर्ष या उससे अधिक की रही हो, के लिये आय कर की दरें :

कुल आय	कर की दरें
प्रथम 2,40,000 रूपये तक	शून्य
2,40,000 रूपये से अधिक परन्तु 3,00,000 रू. तक (अगले 60,000 रू. पर)	10%
3,00,000 रू. से अधिक परन्तु 5,00,000 रू. तक (अगले 2,00,000 रू. पर)	20%
5,00,000 रू. से अधिक पर	30%

(C) उपर्युक्त (A) तथा (B) को छोड़कर अन्य व्यष्टियों के लिये आय कर की दरें :

कुल आय	कर की दरें
प्रथम 1,60,000 रूपये तक	शून्य
1,60,000 रूपये से अधिक परन्तु 3,00,000 रू. तक (अगले 1,40,000 रू. पर)	10%
3,00,000 रू. से अधिक परन्तु 5,00,000 रू. तक (अगले 2,00,000 रू. पर)	20%
5,00,000 रू. से अधिक पर	30%

शिक्षा उपकर (Education Cess)– किसी भी व्यष्टि करदाता का कुल कर दायित्व निर्धारण करने के लिये उसके द्वारा देय कर की राशि में इसका 2% शिक्षा उपकर तथा 1% माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर भी जोड़ा जायेगा। कर की राशि में दोनों शिक्षा उपकर की राशि जोड़ने पर करदाता द्वारा देय कुल कर की राशि ज्ञात हो जायेगी।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

उदाहरण (Illustration) 13.1 :

एक करदाता की कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 में कुल आय 7,00,000 रू. है। निम्न दशाओं में उसके द्वारा देय कर की गणना कीजिए :

(i) यदि वह 52 वर्ष का पुरूष करदाता हो।
(ii) यदि वह 52 वर्ष की महिला निवासी करदाता हो।
(iii) यदि वह 66 वर्ष का पुरूष निवासी करदाता हो।

The Total Income of an assessee for the assessment year 2010-11 is Rs. 7,00,000. Compute the tax payable by him/her in the following situations :

(i) if he is an assessee of 52 years.
(ii) if she is a resident assessee of 52 years.
(iii) If he is a resident assessee of 66 years.

हल (Solution) :

Computation of Tax Payable
For the Assessment Year 2010-11

	(i) Male 52 Years	(ii) Female 52 Years	(iii) Male 66 Years
On first Rs. 1,60,000	NIL	NIL	NIL
On next Rs. 30,000 @ 10%	3,000	NIL	NIL
On next Rs. 50,000 @ 10%	5,000	5,000	NIL
On next Rs. 60,000 @ 10%	6,000	6,000	6,000
On next Rs. 2,00,000 @ 20%	40,000	40,000	40,000
On next Rs. 2,00,000 @ 30%	60,000	60,000	60,000
	1,14,000	1,11,000	1,06,000
Add: Education Cess @ 2%	2,280	2,220	2,120
SAH Education Cess @ 1%	1,140	1,110	1,060
Total Tax payable	1,17,420	1,14,330	1,09,180

विशिष्ट आयों पर कर–दायित्व का निर्धारण
(Computation of Tax Liability on Special Incomes)

विशेष प्रकार की आयों का उल्लेख आयकर अधिनियम की धारा 110 से धारा 115 तक में किया गया है। इस इकाई में कुछ विशिष्ट आयों का वर्णन किया गया है :

(क) समता अंशों के एवं समता उन्मुखी कोष की इकाइयों के अल्पकालीन पूँजी लाभों पर कर निर्धारण [धारा 111A]
(ख) दीर्घकालीन पूँजी लाभों पर कर–निर्धारण [धारा 112]
(ग) भूमण्डलीय डिपोजिटरी रसीदों पर लाभांष एवं उनके हस्तान्तरण पर उदय होने वाले दीर्घकालीन पूँजी लाभों पर कर–निर्धारण [धारा 115 ACA]
(घ) आकस्मिक आय पर कर–निर्धारण [धारा 115 BB]

कम्पनी के समता अंशों के एवं समता उन्नमुखी कोष की इकाइयों के अल्पकालीन पूँजी लाभों पर कर (Computation of tax on short-term capital gains of equity shares and units of equity oriented fund) [Section 111A] :

यदि किसी करदाता की कुल आय में किसी कम्पनी के समता अंशों के विक्रय से हुए अल्पकालीन पूँजी लाभ की ऐसी राशि सम्मिलित हो जो निर्धारित शर्तों की पूर्ति करती हो, तो अल्पकालीन पूँजी लाभ की ऐसी राषि पर 15% की दर से तथा शेष आय पर उन पर लागू होने वाली दरों से कर देय होगा। निर्धारित षर्तें निम्नलिखित हैं :

(क) ऐसे व्यवहारों पर 'प्रतिभूति लेनदेन कर' लगा हो तथा

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(ख) ऐसे समता अंशों का हस्तान्तरण किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचैंज के माध्यम से हुआ हो अथवा ऐसी यूनिट्स का हस्तान्तरण या तो किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचैंज के माध्यम से हुआ हो या उसे पारस्परिक कोष को बेचा गया हो।

अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान –

ऐसे अल्पकालीन पूँजी लाभों पर कर की गणना से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान निम्न प्रकार हैं–

(i) निवासी व्यष्टि अथवा निवासी हिन्दु अविभाजित परिवार करदाता की दशा में ऐसे अल्पकालीन पूँजी लाभ की राशि को करदाता की कुल आय में से घटा दिया जाता है। इसके बाद बची हुई कुल आय पर कर की गणना अलग से की जाती है तथा ऐसे अल्पकालीन पूँजी लाभों पर कर की गणना भी अलग की जाती है। परन्तु यदि बची हुई कुल आय अधिकतम कर–मुक्त सीमा से कम रह जाये तो ऐसी कमी की पूर्ति अल्पकालीन पूँजी लाभ की राशि में से की जावेगी तथा शेष ऐसे अल्पकालीन पूँजी लाभों पर ही निर्धारित 15% की दर से कर लगाया जायेगा। उदाहरण के लिये एक व्यष्टि करदाता की 2,58,000 रू. की कुल आय है जिसमें 1,08,000 रू. का समता अंशों के हस्तान्तरण पर दिसम्बर 2009 में उत्पन्न अल्प–कालीन पूँजी लाभ भी शामिल है। 2,58,000 रू. की कुल आय में से 1,08,000 रू. का अल्पकालीन पूँजी लाभ घटाने पर शेष कुल आय 1,50,000 रू. ही बचती है। चूँकि 1,60,000 रू. तक की आय कर मुक्त होती है, अतः करदाता को इस पूरी कर मुक्ति का लाभ देने के लिये 10,000 रू. की राषि ऐसे अल्पकालीन पूँजी लाभ की राशि में से घटा दी जायेगी तथा शेष 98,000 रू. के अल्पकालीन पूँजी लाभों पर ही 15% की दर से कर लगाया जायेगा।

(ii) ऐसे अल्पकालीन पूँजी लाभ की राषि में से धारा 80 C से धारा 80 U तक की कोई भी कटौती नहीं दी जायेगी।

(iii) धारा 80 G एवं धारा 80 GG में सकल कुल आय अथवा कुल आय का प्रतिशत निकालते समय ऐसे अल्पकालीन पूँजी लाभ की राशि को सकल कुल आय में से घटा दिया जायेगा।

(iv) कुल आय में कृषि आय जोड़कर कर की गणना करते समय कुल आय में ऐसे अल्पकालीन पूँजी लाभ षामिल होंगे परन्तु इन पर कर की गणना 15ः की दर से अलग से की जायेगी।

दीर्घकालीन पूँजी लाभों पर कर निर्धारण [धारा 112]
(Computation of Tax on Long-term Capital Gains) :

(i) दीर्घकालीन पूँजी लाभ की सम्पूर्ण राशि पर 20ः की दर से कर लगाया जाता है।

(ii) यदि एक निवासी व्यष्टि अथवा एक निवासी हिन्दू अविभाजित परिवार की दीर्घकालीन पूँजी लाभ को छोड़ते हुए अन्य कुल आय न्यूनतम कर–योग्य सीमा से भी कम है तो इस कमी की राशि को दीर्घकालीन पूँजी लाभों में से घटा दिया जाता है तथा शेष दीर्घकालीन पूँजी लाभों पर ही निर्धारित दर से कर लगाया जाता है।

(iii) दीर्घकालीन पूँजी लाभों में से धारा 80 C से धारा 80 U तक की कटौतियाँ स्वीकृत नहीं की जाती है। इन कटौतियाँ की गणना हेतु दीर्घकालीन पूँजी लाभों को सकल कुल आय में सम्मिलित नहीं माना जाता है।

(iv) कुल आय में कृषि आय जोड़कर कर की गणना करते समय दीर्घकालीन पूँजी लाभ को कुल आय में सम्मिलित माना जाता है परन्तु इन पर कर की गणना निर्धारित दर (20%) से अलग से की जाती है।

(v) यदि किसी व्यष्टि निवासी करदाता को भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचियत कम्पनी के अंश अथवा ऋण–पत्र अथवा सरकारी प्रतिभूतियों अथवा बॉण्ड्स अथवा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया की यूनिट्स अथवा धारा 10 (23D) में वर्णित पारस्परिक कोष की यूनिट्स के हस्तान्तरण से दीर्घकालीन पूँजी लाभ होता है तो ऐसा करदाता निम्न दो विधियों में से जो विधि उसके लिये लाभप्रद हो, देय कर की गणना के लिये अपना सकता है :

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

प्रथम विधि : हस्तान्तरण के सम्पूर्ण प्रतिफल में से प्राप्त करने की सूचकांकित लागत, सुधार की सूचकांकित लागत एवं हस्तान्तरण के व्ययों को घटाकर दीर्घकालीन पूँजी लाभों की राशि ज्ञात कीजिए तथा उस पर 20 प्रतिशत की दर से कर की गणना कर लीजिए।

द्वितीय विधि : हस्तान्तरण के सम्पूर्ण प्रतिफल में से प्राप्त करने की तथा सुधार की लागत एवं हस्तान्तरण के व्ययों को घटाकर दीर्घकालीन पूँजी लाभों की राशि ज्ञात कीजिए तथा उस पर 10 प्रतिशत की दर से कर की गणना कर लीजिये। ख्धारा 112(1) का परन्तुक,

स्पष्टीकरण :

(i) उपर्युक्त प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में करदाता या तो निर्देशित लागत का लाभ न लेते हुए 10% की दर से कर चुका सकता है या वह निर्देशित लागत का लाभ लेते हुए 20% की दर से कर चुका सकता है। करदाता वही विकल्प चुनेगा जिससे उसका कर–दायित्व कम हो।

(ii) सूचित समता अंश तथा पारस्परिक कोष की इकाइयों (Unit) के स्टॉक एक्सचैंज के माध्यम से हस्तान्तरण पर 1 अक्टूबर, 2004 से 'प्रतिभूति लेन–देन कर' (Securities Transaction Tax) लागू हो गया है। अतः 1 अक्टूबर, 2004 या उसके बाद इनके हस्तान्तरण पर होने वाला दीर्घकालीन पूँजी लाभ धारा 10(38) के अन्तर्गत कर मुक्त माना जाता है। ऐसे कर मुक्त पूँजी लाभों पर उपर्युक्त प्रावधान लागू नहीं होंगे।

(iii) सूचित ऋण–पत्रों एवं सूचित बॉण्ड्स की निर्देशित लागत नहीं ली जा सकती है इसलिए इनके सम्बन्ध में होने वाले दीर्घकालीन पूँजी लाभों पर 10% की दर से अर्थात् द्वितीय विकल्प से कर–निर्धारण किया जाना उचित रहता है।

(iv) 1.4.1981 के पश्चात् आवंटित बोनस अंशों की प्राप्ति लागत शून्य मानी जाती है इसलिए उनसे होने वाले दीर्घकालीन पूँजी लाभों पर भी द्वितीय विकल्प अपनाया जायेगा बशर्ते कि ऐसे पूँजी लाभ धारा 10 (38) के अन्तर्गत कर–मुक्त न हुए हों।

भूमण्डलीय डिपोजिटरी रसीदों से प्राप्त आय पर कर की गणना [धारा 115 ACA]
(Computation of Tax on Income from Global Depository Receipts)

यदि किसी करदाता को भूमण्डलीय डिपोजटरी रसीदों पर लाभांष के रूप में अथवा दीर्घकालीन पूँजी लाभों के रूप में कोई आय हुई है, तो निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति होने पर ऐसी आय पर कर की दर 10 प्रतिशत होगी–

(i) करदाता एक निवासी व्यष्टि हो तथा किसी ऐसी भारतीय कम्पनी, जो विषिष्ट ज्ञान पर आधारित उद्योग या सेवा में संलग्न है या ऐसी कम्पनी की सहायक कम्पनी है, का कर्मचारी हो।

(ii) ऐसी भारतीय कम्पनी के द्वारा उस करदाता को इन भूमण्डलीय डिपोजटरी रसीदों का निर्गमन ऐसी किसी कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (Employees' Stock Option Scheme) के अनुसार किया गया हो, जिसे केन्द्रीय सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना जारी करके इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट कर दिया है।

(iii) करदाता ने इन रसीदों का क्रय विदेशी मुद्रा में किया हो।

स्पष्टीकरण :

(क) ऐसी आय में से किसी भी प्रकार की कटौती या छूट स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(ख) ऐसी प्रतिभूतियों की निर्देशित लागत (Indexed Cost) ज्ञात नहीं की जावेगी।

(ग) कुल आय में कृषि आय जोड़कर कर की गणना करते समय कुल आय में ऐसी प्रतिभूतियों से सम्बन्धित आय सम्मिलित की जाती है परन्तु उस पर कर की गणना निर्धारित दर (10%) से अलग से की जाती है।

(ग) आकस्मिक आय पर कर की गणना [धारा 115 BB]
(Computation of Tax on Casual Income) :

यदि किसी करदाता की कुल आय में लॉटरी, वर्ग पहेली, घुड़ दौड़ (दौड़ के घोड़ों की आय को छोड़कर) ताश के खेल सहित अन्य खेल अथवा शर्त एवं जुए में जीती गई राशि सम्मिलित है तो ऐसी आय पर कर लगाने के सम्बन्ध में प्रावधान निम्न प्रकार हैं :

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(i) ऐसी आय में से किसी भी प्रकार के व्यय अथवा हानि की छूट नहीं दी जाती है। [धारा 58(4)]

(ii) ऐसी आय को कुल आय में से घटा दिया जाता है। घटी हुई कुल आय पर तथा ऐसी आय पर कर की गणना अलग–अलग की जाती है।

(iii) ऐसी आय पर कर लगाने के लिए कोई न्यूनतम कर–योग्य सीमा नहीं होती है। आकस्मिक आयों की सम्पूर्ण राशि पर 30% की दर से कर लगाया जाता है। इस प्रकार ज्ञात की गई कर की राशि पर 2% शिक्षा उपकार एवं 1% उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा उपकर लगाया जाता है चाहे करदाता की कुल आय कितनी भी हो।

(iv) कुल आय में कृषि आय जोड़कर कर की गणना करते समय आकस्मिक आय को कुल आय में सम्मिलित माना जाता है परन्तु ऐसी आकस्मिक आय पर कर की गणना निर्धारित दर (30%) से अलग से की जाती है।

(v) ऐसी आय के सम्बन्ध में धारा 80 C से 80 U तक की कोई भी कटौती नहीं दी जाती है।

उदाहरण (Illustration) 13.2 :

कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिये निम्न में से प्रत्येक करदाता द्वारा देय सकल कर की गणना कीजिए :

Calculate the gross tax payable by each of the following assesses for the assessment year 2010-11 :

	Ankit Rs.	Mohit Rs.	Miss Richa Rs.
Income from Business	4,45,000	6,00,000	1,50,000
Winnings from Lottery	30,000	40,000	20,000
Long term Capital gain	2,40,000	4,00,000	90,000
Short term Capital gain on transfer of shares u/s 111A	20,000	30,000	20,000

हल (Solution) :

Computation of Gross Tax payable by different assessees
For the assessment year 2010-11

	Ankit Rs.	Mohit Rs.	Miss Richa Rs.
Tax on lottery income @ 30%	9,000	12,000	6,000
Tax on Short term cap. gain @ 15%	3,000	4,500	3,000
Tax on long term cap. gain @20%	48,000	80,000	10,000
Tax on other income :			
On first Rs. 1,60,000	NIL	NIL	NIL
On next upto Rs. 1,40,000 @ 10%	14,000	14,000	-
On next upto Rs. 2,00,000 @ 20%	29,000	40,000	-
On balance @ 30%	-	30,000	-
	1,03,000	1,80,500	19,000
Add : Education cess @ 2%	2,060	3,610	380
SAH Education cess @ 1%	1,030	1,805	190
Gross Tax Liability	1,06,090	1,85,915	19,570

टिप्पणी–

(i) ऋचा की कुल आय 2,80,000 रू. है। इसमें से लॉटरी की आय घटाने पर शेष कुल आय 2,60,000 रू. बचती है। इसमें 20,000 रू. का अल्पकालीन पूँजी लाभ तथा 90,000 रू. का दीर्घकालीन पूँजी लाभ घटाने पर शेष कुल आय 1,50,000 रू. है जो 1,90,000 की अधिकतम कर मुक्त सीमा से 40,000 रू. कम है। अतः दीर्घकालीन पूँजी लाभ में से 40,000 रू इस कमी की पूर्ति हेतु समायोजित कर दिये जायेंगे तथा शेष 50,000 रू. के दीर्घकालीन पूँजी लाभ पर ही कर लगेगा। 20,000 रू. के

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

अल्पकालीन पूँजी लाभ पर 15% से कर लगेगा। लाटरी की 20,000 रू. की आय पर 30 प्रतिशत से कर लगेगा जबकि अन्य आय (1,50,000 + 40,000) = 1,90,000 रू. पर कर नहीं लगेगा।

उदाहरण (Illustration) 13.3 :

Mrs. Meena earned a lottery income of Rs. 1,50,000 during the financial year 2009-10 on 10th December, 2009. She does not have any other taxable income. She has deposited Rs. 20,000 in Public Provident Fund Account during the previos year. Compute tax liability of Mrs. Meena for the assessment year 2010-11.

श्रीमती मीना की वित्तीय वर्ष 2009—10 में 10 दिसम्बर, 2009 को लॉटरी से 1,50,000 रू. की आय हुई। उसकी अन्य कोई कर योग्य आय नहीं है। गत वर्ष में उसने 20,000 रू. सार्वजनिक भविष्य निधि खाते में जमा करवाये। कर—निर्धारण वर्ष 2010—11 के लिये श्रीमती मीना के कर—दायित्व की गणना कीजिए।

हल (Solution) :

Computation of Tax liability of Mrs. Meena
For the assessment year 2010-11

	Rs.	Rs.
Gross Total Income being income from Lottery		1,50,000
Less : Deduction u/s 80 C for PPF contribution		-
Total		1,50,000
Income		45,000
Tax on Lottery income (1,50,000 X 30%)		900
Add : Education Cess @ 2% on Rs. 45,000		450
SAH Education Cess @ 1% on Rs. 45,000		46,350
Gross tax liability		
Less : Tax deducted at source from lottery income		45,000
(1,50,000 X 30%)		1,350
Tax Payable		

करदाता की शुद्ध कृषि आय होने पर कर—निर्धारण
(Assessment when the Assessee has Net Agriculture Income)

यदि किसी करदाता की सामान्य कुल आय (विशिष्ट आयों जैसे— दीर्धकालीन पूँजी लाभ, आकस्मिक आय आदि को छोड़कर) गत वर्ष में कर योग्य सीमा 1,60,000 / 1,90,000 / 2,40,000 रू. से अधिक हो तथा उसकी शुद्ध कृषि आय 5,000 रू. से अधिक हो तो कृषि आय को कुल आय में जोड़कर कर की गणना विशेष विधि से की जावेगी। यह विशेष विधि केवल व्यष्टि, हिन्दू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों के समुदाय (A.O.P) तथा कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति के लिए ही लागू होती है।

आय कर ज्ञात करने की विधि (Method of computation of Income Tax)

(i) शुद्व कृषि आय को करदाता की कुल आय में जोड़ा जायेगा तथा उस योग को उसकी कुल आय मानते हुए उस पर निर्धारित दरों के अनुसार आय कर की गणना की जायेगी।

(ii) अब करदाता की कृषि आय में कुल आय की न्यूनतम कर—योग्य सीमा की राशि को जोड़ा जायेगा तथा उस योग को करदाता की कुल आय मानते हुए उस पर निर्धारित दरों के अनुसार आय कर की गणना की जावेगी।

(iii) उपर्युक्त (i) के अनुसार प्राप्त आय कर की राशि में से उपर्युक्त (ii) के अनुसार प्राप्त आय कर की राशि को घटा दिया जायेगा तथा शेष राशि को उस करदाता की कुल आय पर देय आय कर की राशि माना जायेगा।

(iv) उपर्युक्त राशि में विशिष्ट आयों पर देय कर की राशि जोड़ी जावेगी और सकल कर—दायित्व ज्ञात किया जाता है।

(v) सकल कर—दायित्व पर निर्धारित दरों से नियमानुसार शिक्षा उपकर लगाया जाता है और इस राशि को सकल कर—दायित्व में जोड़ा जाता है। ऐसा योग ही करदाता का शुद्ध कर—दायित्व कहलाता है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

शुद्व कृषि आय का निर्धारण
(Determination of Net Agricultural Income)

कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए करदाता की शुद्व कृषि आय का निर्धारण करने की प्रक्रिया निम्न प्रकार है :

(i) किराये या लगान के रूप में प्राप्त होने वाली कृषि आय का निर्धारण यह मानते हुए किया जायेगा कि वह ''अन्य साधनों से आय'' वाले शीर्षक की आय है तथा इस शीर्षक से सम्बन्धित नियम तद्नुसार ही लागू होंगे।

(ii) कृषि कार्यों से अथवा उपज को बेचने से अथवा कृषि उपज को विक्रय योग्य बनाने के लिए किसी क्रिया से प्राप्त होने वाली कृषि आय का निर्धारण यह मानते हुए किया जायेगा कि वह ''व्यवसाय या पेशे के लाभ'' वाले शीर्षक की आय है तथा इस शीर्षक से सम्बन्धित नियम तद्नुसार ही लागू होंगे।

(iii) कृषि भवन (farm house) से सम्बन्धित कृषि आय का निर्धारण यह मानते हुए किया जायेगा कि वह ''मकान सम्पति से आय'' वाले शीर्षक की आय है तथा उस शीर्षक से सम्बन्धित नियम तद्नुसार ही लागू होंगे।

(iv) भारत में उगाई गई तथा भारत में बनाई गई चाय को बेचने से प्राप्त आय का 60 प्रतिशत भाग कृषि आय माना जाता है। ऐसी आय का निर्धारण आयकर नियम 8 के अनुसार किया जाता है।

(v) यदि कोई करदाता व्यक्तियों के किसी ऐसे समुदाय अथवा व्यष्टियों के ऐसे संध (हिन्दू अविभाजित परिवार, कम्पनी या फर्म को छोड़कर) का सदस्य हो जिसकी गत वर्ष में कोई कर–योग्य आय नहीं थी अथवा जिसकी आय न्यूनतम कर–योग्य सीमा से कम थी किन्तु जिसकी कोई कृषि आय हो, तो उस समुदाय या संघ की कृषि आय का निर्धारण भी उपर्युक्त नियमों के अनुसार किया जायेगा तथा इस प्रकार से निर्धारित कृषि आय में उसके सदस्य का हिस्सा ज्ञात किया जायेगा। इस प्रकार से निर्धारित राशि उस सदस्य की कृषि आय मानी जायेगी।

(vi) करदाता की कृषि आय के एक स्त्रोत से हुई हानि को उसी गत वर्ष में कृषि आय के किसी अन्य स्त्रोत की आय से समायोजित किया जा सकता है। किन्तु यदि कोई करदाता किसी व्यक्तियों के समुदाय (A.O.P.) का अथवा किसी व्यष्टियों के संघ (B.O.I.) का सदस्य हो तथा ऐसे समुदाय या संघ को गत वर्ष में कोई शुद्व कृषि हानि हुई हो, तो उसका सदस्य ऐसी हानि की पूर्ति अपनी अन्य कृषि आय से नहीं कर सकता है। वह समुदाय या संघ स्वयं ही उस शुद्व कृषि हानि की पूर्ति अपनी अन्य कृषि आय से कर सकता है।

(vii) करदाता द्वारा कृषि आय पर राज्य सरकार को चुकाये गये कर की कटौती शुद्व कृषि आय ज्ञात करते समय दी जाती है।

(viii) यदि करदाता को किसी गत वर्ष में शुद्व कृषि हानि हुई है तो वह करदाता ऐसी हानि की अशोधित राशि को अगले वर्ष ले जाकर उस वर्ष की शुद्व कृषि आय से उसकी पूर्ति कर सकता है। किसी भी गत वर्ष की शुद्व कृषि हानि को इस प्रकार अगले 8 गत वर्षों तक ले जाने का तथा शुद्व कृषि आय से पूर्ति करने का अधिकार है। किसी भी गत वर्ष की शुद्व कृषि हानि को अगले वर्ष ले जाने का अधिकार उसी समय प्राप्त होगा जबकि ऐसी शुद्व कृषि हानि को कर–निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर दिया गया हो। यदि उतराधिकारिता के कारण आय का स्वामित्व बदल जाता है, तो उतराधिकारी को भी अपनी शुद्व कृषि आय से पहले वाले व्यक्ति की शुद्व कृषि हानि को समायोजित करने का अधिकार होगा।

(ix) यदि किसी गत वर्ष में करदाता को शुद्व कृषि हानि हो, तो उस गत वर्ष में करदाता की शुद्व कृषि आय को शून्य मान लिया जायेगा तथा शुद्व कृषि हानि को उपर्युक्त नियम (viii) के अनुसार अगले वर्ष ले जाकर शुद्व कृषि आय से समायोजित किया जायेगा। किसी भी स्थिति में करदाता शुद्व कृषि हानि की पूर्ति अपनी कुल आय में से नहीं कर सकता है।

(ग) करदाता की शुद्व कृषि आय को निकटतम 10 (दहाई) के गुणांक में पूर्णांकित किया जाता है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

1. चाय बागानों की आय का 60% भाग कृषि आय तथा 40% भाग व्यापार की कर–योग्य आय मानी जाती है।
2. रबर उत्पादकों की आय का 65% भाग कृषि आय तथा 35% भाग व्यापार की कर–योग्य आय मानी जाती है।
3. भारत में उगाई गई और विनिर्मित कॉफी की बिक्री करने से हुई आय का 75% भाग कृषि आय तथा 25% भाग व्यापार की कर–योग्य आय मानी जाती है। परन्तु भारत में विक्रेता द्वारा उगाई गई, विनिर्मित, भूनी गई तथा कूटी हुई कॉफी की बिक्री से होने वाली आय का 60% भाग कृषि आय तथा 40% भाग व्यापार की कर–योग्य आय माना जाता है।
4. कृषि आय में से फर्म के साझेदार को दिया गया वेतन तथा ब्याज भी उस साझेदार के लिए कृषि आय मानी जाती है। जबकि कृषि आय में से लाभांश वितरित करने पर लाभांश की आय को अंशधारी के लिए कृषि आय नहीं माना जा सकता है।

उदाहरण (Illustration) 13.4 :

कर निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए श्री छोटू राम निम्न सूचनाएँ प्रस्तुत करते हैं :

	रूपये
डेयरी व्यवसाय से आय	5,20,000
कृषि भूमि से प्राप्त किराया	1,25,000
कृषि उत्पादों की बिक्री से आय	2,40,000
कृषि फार्म के मकान का वार्षिक मूल्य	51,200

श्री छोटूराम ने निम्न कटौतियों की मॉग की है–

ट्रेक्टर पर ह्मस 30,000 रू., कृषि उत्पाद की बिक्री पर व्यय 6,000 रू. कृषि फार्म के मकान का बीमा प्रीमियम 1,100 रू., बीज की खरीद पर व्यय 15,000 रू. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कृषि आय पर कर 1,600 रू.। शुद्व कृषि आय निकालिए और उनका कर–दायित्व निष्चित कीजिए। श्री छोटूराम गत वर्ष 2009–10 में भारत में निवासी थे तथा उनकी उम्र 1 अप्रेल, 2009 को 64 वर्ष 2 माह थी।

For the assessment year 2010-11 Shri Chhotu Ram submits the following particulars :

	Rs.
Income from Dairy business `	5,20,000
Rent received from agricultural land	1,25,000
Income from sale of agricultural produce	2,40,000
Annual value of a house on an agricultural farm	51,200

Deductions claimea by Chhotu Ram are :

Depreciation on tractor Rs. 30,000, Expenses on sale of agricultural produce Rs. 6,000; Insurance Premium in respect of a farm house Rs. 1,100; Expenses in respect of purchase of seeds Rs. 15,000; Agricultural income tax assessed by state Govt. Rs. 1,600. Compute his net agricultural income and find out his tax liability. Shri Chhotu Ram was resident in India during the previous year 2009-10 and his age was 64 years & 2 months on April 1, 2009.

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

हल **(Solution) :**

Statement of Computation of Net Agricultural Income of Shri Chhotu Ram for the Assessment Year 2010-11

	Rs.	Rs.	Rs.
1. Income from Farm House :			
Annual Value		51,200	
Less : Standard Deduction :		15,360	
(30% of A.V.)			
Income from Farm House			35,840
2. Income from Sale of Agricultural Produce			
Gross Income		2,40,000	
Less : **Deductions allowed :**			
(i) Depreciation on tractor	30,000		
(ii) Selling Expenses	6,000		
(iii) Expenses on purchase of seeds	15,000		
(iv) State Govt. Tax	1,600	52,600	
Income from Sale of Agricultural Produce			1,87,400
3. Income from Rent of Agricultural Land :			
Net Agricultural Income			1,25,000
			3,48,240

Statement of Computation of Total Income of Shri Chhotu Ram for the Assessment Year 2010-11	
	Rs.
Profit of Business or Profession	
Dairy Business Income	5,20,000
	5,20,000
Gross Total Income	NIL
Less : Deduction u/s 80 C to 80 U	5,20,000
Total Income	3,48,240
Ass : Net Agricultural Income	8,68,240
Aggregated Income	

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

Statement of Computation of Tax Liability of Shri Chhotu Ram
for the Assessment Year 2010-11

		Rs.	Rs.
1. Income Tax on Aggregated Income Rs . 8,68,240 at normal Rates :			
On first Rs. 2,40,000	-	NIL	
On Next Rs. 60,000	10%	6,000	
On Next Rs. 2,00,000	20%	40,000	
On Balance Rs. 3,68,240	30%	1,10,472	1,56,472
2. Income Tax on Rs. (2,40,000 + 3,48,240) i.e. Rs. 5,88,240			
upto Rs. 5,00,000		46,000	
on Balance Rs. 88,240	30%	26,472	72,472
Income Tax Liability			84,000
Add : Education Cess 2%			1680
Secondary & Higher Education Cess 1%			840
Tax Payable			86,520

कर का उपसादन [धारा 288 B]
(Rounding off of Tax)

आय कर अधिनियम के अन्तर्गत करदाता के द्वारा देय राशि या करदाता को कर की वापसी योग्य राषि (Refundable Amount) का उपसादन निकटतम दस रूपये के गुणांक में किया जाता है। इसके लिए पैसों की राशि को छोड़ दिया जाता है। इसके पश्चात् यदि अन्तिम अंक पॉच रूपये या अधिक हो तो उसे 10 के गुणांक वाले अगले अंक में बदल दिया जाता है। यदि अन्तिम अंक 5 से कम हो तो उसे 10 के गुणांक वाले पिछले अंक में बदल दिया जाता है। जैसे– यदि कर की देय राशि 5994.90 रूपये हो तो देय कर 5990 रू. का होगा तथा यदि यह राशि 5995 रू. हो तो उपसादन के पश्चात् देय कर की राशि 6000 रू. होगी।

औसत दर से कर में छूट [धारा 86 एवं धारा 110]
(Tax rebate at average rate of Tax)

यदि किसी व्यष्टि ने व्यक्तियों के समुदाय के सदस्य के रूप में ब्याज, वेतन अथवा पारिश्रमिक के रूप में कोई आय प्राप्त की है तो धारा 110 में वर्णित विधि से औसत दर से कर में छूट मिल सकती है, बशर्ते कि निम्न शर्ते पूरी होती हों–

(i) समुदाय ने अपने कर–निर्धारण में कुछ कर चुकाया है,
(ii) समुदाय पर सीमान्त दर 30.90% या इससे ऊंची दर से कर निर्धारण नही किया गया हो।
(iii) समुदाय के सभी सदस्य व्यष्टि हों,
(iv) समुदाय के सदस्यों का लाभ–हानि विभाजन अनुपात पहले से निर्धारित हो,
(v) समुदाय के किसी भी सदस्य की आय समुदाय से प्राप्त हिस्से को शामिल करने से पूर्व न्यूनतम कर–योग्य सीमा से अधिक नही हो,

औसत दर से कर मे छूट की गणना निम्नांकित प्रकार से की जायेगी।

$$\text{Average rate of tax} = \frac{\text{Tax on total income}}{\text{Total income}} \times \text{Share from Association of Persons}$$

इस धारा में छूट देने से पूर्व देय कर की राशि में शिक्षा उपकार की राशि को जोड़ दिया जाता है तथा उसके बाद औसत दर ज्ञात की जाती है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

अभ्यास के लिए प्रश्न
(Questions for Exercise)

अतिलघूतरात्मक प्रश्न

(Very Short Answer Type Questions) :

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 20 शब्दों में दीजिए।

(Answer the following Questions in Maximum 20 words).

1. एक व्यष्टि करदाता के लिए कुल आय की न्यूनतम कर–योग्य सीमा क्या है ?
   What is the minimum taxable limit of the total income for an individual assessee \
2. कृषि आय की वह सीमा क्या है, जिससे अधिक होने पर ही कुल आय पर कर की गणना करते समय उसका समायोजन किया जाता है ?
   What is the limit of the agricultural income, exceeding which adjustment has to be made for it while computing tax on the total income \
3. एक व्यष्टि करदाता के लिए दीर्घकालीन पूँजी लाभों पर तथा आकस्मिक आय पर कर किस दर से देय है ?
   At what rates, an individual assessee is liable to pay tax on long term capital gains and casual incomes ?
4. कुल आय पर कर की गणना करते समय कृषि आय के लिए समायोजन करने की आवश्यकता कब होती है ?
   When is the adjustment for agricultural income required while computing tax upon total income ?
5. कर की गणना करने से पूर्व कुल आय का उपसादन किस प्रकार किया जाता है ?
   How is the total income rounded off before computation of tax ?
6. आय कर की औसत दर से कर–मुक्त आय का नाम बताइए।
   State the name of income which is exempted at average rate of tax ?
7. आय कर के लिए वरिष्ठ नागरिक किसे कहा जाता है ?
   Who is senior citizen for income-tax purposes ?
8. यदि व्यष्टि करदाता की कुल आय 3,60,000 रू. हो तो कर दायित्व की गणना कीजिये।
   Compute tax liability of an individual assessee if his total income is Rs. 3,60,000.
9. यदि व्यष्टि करदाता की कुल आय 60,000 रू. के दीर्घकालीन पूँजीगत लाभ को षामिल करते हुये 1,80,000 रू. हो तो कर दायित्व ज्ञात कीजिये।
   Compute tax liability of an individual assessee if his total income is Rs. 1,80,000 which includes long-term capital gain of Rs. 60,000.
10. एक व्यष्टि करदाता की कुल आय 30,000 रू. की आकस्मिक आय को षामिल करते हुये 1,80,000 रू. हो तो कर दायित्व ज्ञात कीजिये।
    Compute tax liability of an individual assessee if his total income is Rs. 1,80,000 which includes casual income of Rs. 30,000.
11. श्री देवेश के पास दार्जिलिंग में चाय के बगीचे हैं। वह चाय का निर्माण करता है, उसे गत वर्ष में 1,50,000 रू. की आय हुई। कृषि आय की गणना कीजिये।
    Shri Devesh owns some tea gardens in Darjeeling. He manufactures tea and earned Rs. 1,50,000 during the previous year. Calculate agriculture income.
12. यदि किसी व्यष्टि की कुल आय 1,49,890 रू. हो तथा उसकी षुद्ध कृषि आय 5,00,000 रू. हो तो उसका कर–दायित्व ज्ञात कीजिए।
    Compute tax liability of assessee whose total income is Rs. 1,49,890 and net agriculture income is Rs. 5,00,000.

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

लघूत्तरात्मक प्रश्न

(Short Answer Type questions) :

1. एक व्यष्टि करदाता को अपनी कुल आय पर किन दरों से कर देना होता है ?
   At what rates an individual assessee has to pay tax upon his total income ?
2. यदि करदाता की कुल आय में दीर्घकालीन पूँजी लाभ भी सम्मिलित हों तो आयकर की गणना किस प्रकार की जाती हैं ?
   How is income tax computed if the total income of an assessee includes a long-term capital gain ?
3. यदि कुल आय (5,00,000 रू.) के अलावा व्यष्टि की शुद्व कृषि आय (10,000 रू.) भी हो तो देय कर की गणना कीजिए।
   Compute tax payable when an individual has net agriculture income of Rs. 10,000 in addition to total income of Rs. 5,00,000.

निबन्धात्मक सैद्वान्तिक प्रश्न

(Essay Type Theoritical Questions) :

1. एक व्यष्टि की कुल आय पर देय कर की गणना करने की विधि की विवेचना कीजिए।
   Discuss the method of computation of tax on total income of an individual.
2. दीर्घकालीन पूँजी लाभ क्या हैं ? इन पर कर–दायित्व एवं कर की गणना के सम्बन्ध में आय कर अधिनियम की व्यवस्थाओं को समझाइए।
   What are long-term capital gains ? Explain the provisions of the Income Tax Act regarding the tax liability and computation of tax on them.
3. आकस्मिक आय से आप क्या समझते हैं ? ऐसी आय पर कर–दायित्व के सम्बन्ध में आय कर अधिनियम की व्यवस्थाओं को समझाइए।
   What do you mean by casual income ? Explain the provisions of the Income Tax Act in respect of tax liability for such income.
4. ''यद्यपि कृषि आय कर–मुक्त है किन्तु इसके कारण अन्य आयों पर कर–दायित्व में वृद्वि हो जाती है।'' विवेचन कीजिए।
   "Though agricultural income is exempt from tax, yet it increases the tax liability on other incomes." Discuss.

व्यावहारिक प्रश्न (Practical Questions) :

1. निम्नलिखित विवरण से एक व्यष्टि करदाता की कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिये कुल आय एवं शुद्व देय कर अथवा वापसी की गणना कीजिए–

	रू.
(i) किराये पर उठाई गई मकान सम्पति से आय	(–) 5,000
(ii) व्यापार अथवा पेशे की आय	26,000
(iii) दीर्घकालीन पूँजी लाभ (गणना किया हुआ)	1,47,000
(iv) सहकारी समितियों से लाभांश	8,000
(v) मध्यप्रदेश सरकार की लाटरी का इनाम जीता दिसम्बर, 2009 में	30,000
(vi) पुण्यार्थ संस्थाओं को दान	5,000
(vii) अपने स्वयं के स्वास्थ्य के बीमे का प्रीमियम चैक से चुकाया	12,000
(viii) राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दान	4,500
(ix) सार्वजनिक भविष्य निधि में जमा कराये	8,000
(x) राष्ट्रीय बचत पत्र अष्ठम निर्गमन खरीदे	15,000

From the following particulars compute the total income and the net tax payable or refundable by an individual assessee for the assessment year 2010-11

	Rs.
(i) Income from let out property	(-) 5,000
(ii) Income from business or Profession	26,000
(iii) Long term capital gain (computed)	1,47,000

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(iv) Dividend from co-operative societies	8,000
(v) Winnings from M.P. State Lottery in December, 2009	30,000
(vi) Donation to charitable institutions	5,000
(vii) Paid premium of insurance on his health by cheque	12,000
(viii) Donation to National Defence Fund	4,500
(ix) Deposited in Public Provident Fund	8,000
(x) Purchased N.S.C. VIII issue	15,000

[Ans. Total Income Rs. 1,72,000 Gross Tax Liability Rs. 9,270, Tax to be paid Rs. 270]

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

वर्ग (Section) : C
इकाई (Unit) : 14
हिन्दू अविभाजित परिवार का कर–निर्धारण
(Assessment of Hindu Undivided Family)

कर–निर्धारण के उद्देश्य से आयकर अधिनियम के अन्तर्गत हिन्दू अविभाजित परिवार का पृथक अस्तित्व माना गया है। आयकर अधिनियम की धारा 2 (31) के अनुसार व्यक्ति (Person) में 'हिन्दू अविभाजित परिवार' को भी सम्मिलित माना गया है। परन्तु आयकर अधिनियम में हिन्दू अविभाजित परिवार की परिभाषा नहीं दी गई है। अतः हिन्दू अविभाजित परिवार का अर्थ समझने के लिए 'हिन्दू कानून' (Hindu Law) की व्यवस्थाओं तथा न्यायाधीशों के निर्णयों को ही आधार माना जा सकता है।

हिन्दू अविभाजित परिवार का आशय
(Meaning of Hindu Undivided Family)

आयकर अधिनियम में वर्णित 'हिन्दू अविभाजित परिवार' शब्द का अर्थ आयकर अधिनियम में नहीं दिया गया है परन्तु यह शब्द हिन्दू कानून (Hindu Law) में प्रयुक्त 'संयुक्त हिन्दू परिवार' (Joint Hindu Family) शब्द का पर्यायवाची है। संयुक्त हिन्दू परिवार का गठन एक पूर्वज तथा उसकी एक लाइन के समस्त नर–वंशज द्वारा तथा उनकी पत्नियों एवं अविवाहित पुत्रियों द्वारा होता है। **वस्तुतः हिन्दू संयुक्त परिवार स्थिति से उत्पन्न होता है न कि किसी अनुबन्ध से।** हिन्दू संयुक्त परिवार निगम (Corporation) या विधिक व्यक्तित्व नहीं होता है। परिवार का अस्तित्व उसके सदस्यों से पृथक नहीं होता है। परिवार की सदस्यता जन्म द्वारा, नर सदस्य के साथ विवाह के द्वारा या दत्तक (Adoption) द्वारा ही प्राप्त हो सकती है, अन्य किसी रूप में बाहर का व्यक्ति परिवार की सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकता है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि **संयुक्त हिन्दू परिवार का सदस्य होने के लिए यह आवश्यक है कि वह एक ही पूर्वज वाले अन्य व्यक्तियों के साथ रहता है। इस तरह से एक हिन्दू और उसकी ईसाई पत्नी से उत्पन्न पुत्र के बीच अविभाजित परिवार हो सकता है।**

एक हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य दो प्रकार के हो सकते हैं :

(i) सहभागी सदस्य
(ii) निर्वाह के लिए अधिकृत सदस्य।

(i) सहभागी सदस्य–

इस वर्ग में वे पुरूष सदस्य आते हैं जिन्हें परिवार का विभाजन करने की माँग करने का अधिकार हो तथा परिवार के विभाजन पर सम्पतियों में हिस्सा माँगने का अधिकार हो। यह अधिकार चार पीढ़ी तक के पुरूष सदस्यों को ही प्राप्त होता है अर्थात् एक व्यक्ति, उसका पुत्र, पौत्र तथा प्रपौत्र। अतः चार पीढ़ी के व्यक्ति ही एक–दूसरे के साथ किसी परिवार में सहभागी सदस्य हो सकते हैं।

(ii) निर्वाह के लिए अधिकृत सदस्य–

इस श्रेणी में वे सदस्य आते हैं जो परिवार के विभाजन की माँग तो नहीं कर सकते हैं परन्तु परिवार की सम्पतियों में उन्हें निर्वाह का अधिकार होता है। अविवाहित पुत्री, पौत्री, प्रपौत्री तथा परिवार के सदस्यों की पत्नियाँ (महिला सदस्य), हिन्दू अविभाजित परिवार की सदस्य तो होती हैं परन्तु सहभागी सदस्य नहीं हो सकती हैं।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

हिन्दू कानून के अनुसार सम्प्रदाय
(Schools of Hindu Law)

हिन्दू कानून के अनुसार सहभागिता को नियन्त्रित करने के लिए निम्नांकित दो सम्प्रदाय प्रचलित है :

(1) दायभाग सम्प्रदाय, तथा

(2) मिताक्षरा सम्प्रदाय।

(1) दायभाग सम्प्रदाय (Dayabhaga School) :

इस सम्प्रदाय के नियम पश्चिम बंगाल, असम तथा उड़ीसा के कुछ भागों में लागू होते है। इस सम्प्रदाय के मुख्य सिद्वान्त निम्न हैं :

(i) पिता के जीवन काल में पुत्र को परिवार की सम्पतियों में हिस्सा माँगने का अधिकार नहीं होता है, इसलिए पिता अपने पुत्रों के साथ सहभागी नहीं हो सकता है।

(ii) पिता को अपने पूर्वजों की सम्पति को स्व–विवके से बेचने, दान करने अथवा अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित करने का अधिकार होता है।

(2) मिताक्षरा सम्प्रदाय (Mitakshara School) :

इस सम्पद्राय के नियम पश्चिम बंगाल, असम तथा उड़ीसा के कुछ भागों को छोड़कर (जहाँ दायभाग सम्प्रदाय के नियम लागू होते हैं) समस्त भारत में लागू होते हैं। इस सम्प्रदाय के कुछ सिद्वान्त निम्न हैं :

(i) पुत्र के जन्म लेते ही उसे अपने पिता के साथ पूर्वजों की सम्पति में बराबर अधिकार मिल जाता है।

(ii) पुत्र परिवार के विभाजन की माँग कर सकता है।

(iii) सदस्यों द्वारा स्वयं अर्जित सम्पति की आय उनकी व्यक्तिगत आय होती है, किन्तु यदि वह सदस्य चाहें तो अपने व्यक्तिगत श्रम से अर्जित सम्पति को परिवार की संयुक्त सम्पति में मिला सकते हैं।

(iv) इस सम्प्रदाय के अन्तर्गत स्त्रियाँ सहभागी नहीं हो सकतीं, उन्हें सिर्फ निर्वाह का अधिकार होता है।

(v) जब परिवार में कोई वयस्क पुरूष सदस्य न हो तो स्त्री को भी परिवार का कर्त्ता माना जा सकता है।

(vi) पुत्र के जन्म से पूर्व पूर्वजों की सम्पति से आय पिता की व्यक्तिगत आय कहलाती है जबकि पुत्र के जन्म के पश्चात् ऐसी आय परिवार की आय कहलाती है।

हिन्दू अविभाजित परिवार का कर–निर्धारण
(Assessment of Hindu Undivided Family)

हिन्दू अविभाजित परिवार के रूप में आय कर का निर्धारण करने के लिए निम्न दो शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक होता है–

(1) परिवार की संयुक्त (Common) सम्पति हो; तथा

(2) कम से कम दो हिन्दू सदस्य हों।

(1) परिवार की संयुक्त सम्पति
(Common Property of H.U.F.) :

परिवार की संयुक्त सम्पति में निम्नलिखित शामिल होते हैं–

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(i) पूर्वजों की सम्पति (Ancestral Property)–

पूर्वजों से मिली हुई सम्पति में वह सम्पति शामिल है जो एक पुरूष को उतराधिकार में अपने पिता, दादा तथा परदादा से मिली है। नाना, मामा, चाचा आदि से मिली सम्पति को पूर्वजों से मिली सम्पति नहीं कहा जा सकता है।

(ii) पूर्वजों की सम्पति की सहायता से प्राप्त सम्पति–

पूर्वजों की सम्पति की सहायता से प्राप्त कोई सम्पति और पूर्वजों की सम्पति में वृद्वि भी परिवार की संयुक्त सम्पति में शामिल की जाती है।

(iii) परिवर्तित सम्पति (Converted Property)–

यदि परिवार के किसी भी सदस्य ने अपनी किसी निजी सम्पति परिवार को हस्तान्तरित कर दी है तो ऐसी सम्पति को परिवर्तित सम्पति (Converted Property) कहा जाता है। यदि यह परिवर्तन 1 जनवरी, 1970 से पूर्व कर दिया गया हो, तो ऐसी परिवर्तित सम्पति उस परिवार की सम्पति मानी जायेगी। परन्तु ऐसा परिवर्तन यदि 31 दिसम्बर, 1969 के पश्चात हुआ हो, तो यह सम्पति हस्तान्तरणकर्ता की सम्पति मानी जाती है, उस परिवार की नहीं। ऐसी सम्पति के सम्बन्ध में धारा 64(2) के प्रावधान लागू होंगे।

(iv) उपहार (Gift) :–

हिन्दू अविभाजित परिवार के नाम से सदस्यों के अलावा अन्य व्यक्तियों से प्राप्त उपहार को भी परिवार की संयुक्त सम्पति माना जाता है और इस सम्पति से परिवार द्वारा करदाता की स्थिति प्राप्त की जा सकती है।

2. परिवार में कम से कम दो हिन्दू सदस्य हो
(Atleast Two Hindu Members of H.U.F.) :

हिन्दू अविभाजित परिवार के रूप में प्रथम कर–निर्धारण के लिए कम से कम दो सहभागियों (Coparcenars) का होना आवश्यक माना जाता है परन्तु आगे के वर्षों में हिन्दू अविभाजित परिवार के रूप में कर–निर्धारण के लिए कम से कम दो सदस्यों का होना ही पर्याप्त होता है, चाहे उनमें से कोई भी सहभागी न हो। अतः एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी मिलकर एक हिन्दू अविभाजित परिवार को जारी रख सकते हैं। इसी प्रकार परिवार की केवल स्त्री सदस्यों से भी एक हिन्दू विभाजित परिवार का अस्तित्व जारी रह सकता है। एक अकेला सदस्य हिन्दू अविभाजित परिवार की स्थापना नहीं कर सकता है परन्तु उसके पुत्र जन्म के पश्चात् वह ऐसे परिवार की स्थापना कर सकता है। एक विधवा तथा उसकी पुत्री भी हिन्दू अविभाजित परिवार को जारी रख सकती है। जो परिवार हिन्दू धर्म को मानता है वही परिवार 'हिन्दू अविभाजित परिवार' कहलाता है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि 'हिन्दू अविभाजित परिवार' का करदाता के रूप में प्रथम बार अस्तित्व प्राप्त करने के लिये कम से कम दो सहभागी सदस्यों का होना आवश्यक है। बाद के वर्षों में हिन्दू अविभाजित परिवार का अस्तित्व बनाये रखने के लिये केवल दो सदस्यों का होना आवश्यक है चाहे इनमें से कोई भी सदस्य सहभागी सदस्य न हो।

महिला सदस्य परिवार के प्रथम कर निर्धारण के समय परिवार की कर्त्ता नहीं बन सकती है, परन्तु बाद के वर्षों में वह परिवार की कर्त्ता हो सकती है।

स्पष्टीकरण :

(i) जैन तथा सिख परिवार की स्थिति : ये परिवार भी हिन्दू अविभाजित परिवार ही माने जाते हैं जब तक कि किसी विशेष परिस्थिति में करदाता द्वारा उसे ऐसा न मानने के लिए माँग न की जाए।

(ii) गैर हिन्दू लड़की से विवाह का परिणाम : यदि ऐसे व्यक्ति हिन्दू सम्प्रदाय की पालना करते हैं तो उनकी आय हिन्दू अविभाजित परिवार के रूप में ही कर–योग्य होगी।

(iii) परिवार की सदस्यता की समाप्ति : निम्न दशाओं में किसी सदस्य की परिवार की सदस्यता समाप्त हो जाती है :

(अ) उस सदस्य की मृत्यु होने पर; अथवा

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(ब) लड़की का विवाह होने पर; अथवा
(स) परिवार का पूर्ण विभाजन होने पर।

एक हिन्दू अविभाजित परिवार के कर–दायित्व का निर्धारण (Determination of Tax Liability of an H.U.F.)

हिन्दू अविभाजित परिवार का कर–निर्धारण उसके कर्त्ता के माध्यम से तथा कर्त्ता के नाम से ही होता है। उस परिवार के कर्त्ता का कर–निर्धारण दो स्थितियों में होता है :

(अ) व्यक्तिगत आय पर कर–निर्धारण ; तथा
(ब) परिवार की आय पर 'कर्त्ता' के रूप में कर–निर्धारण।

दायभाग सम्प्रदाय के अनुसार पिता के जीवन काल में उसका पुत्र उस परिवार में सहभागी नहीं हो सकता है इसलिए ऐसे हिन्दू संयुक्त परिवार की आय को भी पिता की निजी आय मानी जाती है न कि परिवार की आय।

एक हिन्दू अविभाजित परिवार के कर–दायित्व के निर्धारण के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है :

(1) कुल आय का निर्धारण
(2) कर की गणना

(1) कुल आय का निर्धारण– हिन्दू अविभाजित परिवार की कुल आय के निर्धारण के सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य कुछ विशेष बातें निम्न हैं :

(अ) परिवार की कुल आय में केवल उन आयों को शामिल किया जा सकता है, जो उस परिवार की सम्पतियों से प्राप्त या उपार्जित हुई हैं। अतः **निम्न प्रकार की आयों को उस परिवार की सकल कुल आय में शामिल नहीं किया जाता है–**

(i) परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत प्रयासों से उपार्जित आय।

(ii) यदि किसी सदस्य का अलग से अपना व्यापार, व्यवसाय या पेषा हो तो ऐसे व्यवसाय या पेशे के लाभ। किन्तु यदि ऐसा व्यवसाय परिवार की संयुक्त सम्पति हो, तो उसके लाभ परिवार के लाभ माने जायेंगे। यदि सदस्य को परिवार द्वारा व्यवसाय अथवा पेशे के लिए दिये गये ऋण पर परिवार ब्याज वसूल करता है तो ऐसा ब्याज परिवार की आय मानी जावेगी। परन्तु ऋण ब्याज मुक्त दिया जाता हो तो काल्पनिक ब्याज को परिवार की आय नही मानी जायेगी।

(iii) किसी सदस्य द्वारा परिवार को हस्तान्तरित सम्पति से आय, बशर्तें ऐसा हस्तान्तरण 31 दिसम्बर, 1969 के पश्चात् हुआ हो अथवा पर्याप्त प्रतिफल के बदले न हुआ हो।

(iv) एक परिवार का कर्त्ता उस परिवार की सम्पतियों में से उचित सीमाओं के अन्दर परिवार के सदस्यों के सदस्यों को उपहार या भेंट के रूप में सम्पति का हस्तान्तरण कर सकता है। ऐसी सम्पति से होने वाली आय उस उपहारगृहीता की आय मानी जाती है, परिवार की नहीं।

(v) स्त्री धन से प्राप्त आय।

(vi) अविभाजित सम्पति (Impartible Estate)– यह वह सम्पति होती है जिसे परिवार के सदस्यों में बांटा नहीं जा सकता है। ऐसी सम्पति में भूमि, भवन, प्रतिभूतियाँ अथवा आय के अन्य साधन आते है जो किसी पूर्वज द्वारा अपनी वसीयत द्वारा किसी व्यक्ति को धारक बनाती है। प्रायः यह सम्पति परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य को मिलती है। इस सम्पति की आय परिवार की आय नहीं होती है। यह उस सम्पति के धारक की व्यक्तिगत आय होती है और उसके व्यक्तिगत कर–निर्धारण में इस आय पर कर लगता है। इस आय में से परिवार के अन्य सदस्यों को जो भाग मिलता है वह उनके हाथ में पूर्णतया कर–मुक्त होता है।

(ब) परिवार के सदस्य अथवा कर्त्ता को दिया गया वेतन– हिन्दू अविभाजित परिवार की कर–योग्य आय का निर्धारण करते समय परिवार के किसी सदस्य अथवा कर्त्ता को दिया गया वेतन कटौती के रूप में स्वीकृत होगा यदि निम्न शर्तों की पूर्ति हो :

(i) उस सदस्य ने व्यापार संचालन अथवा परिवार की आय कमाने में अपनी सेवाएँ दी हों ;
(ii) इस प्रकार का वेतन अत्यधिक एवं अनुचित न हो; तथा
(iii) पारिश्रमिक वास्तव में दिया गया हो।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

टिप्पणी : परिवार के सदस्य अथवा कर्त्ता को परिवार से प्राप्त वेतन व्यवसाय अथवा पेशे के लाभ

शीर्षक में कर–योग्य होता है।

(स) यदि परिवार के कर्त्ता अथवा किसी सदस्य ने परिवार के व्यवसाय में पूँजी लगाई हो अथवा परिवार को ऋण दिया हो अथवा मकान किराये पर दिया हो तथा हिन्दु अविभाजित परिवार द्वारा ऐसी पूंजी अथवा ऋण पर ब्याज दिया जाता है अथवा मकान का किराया दिया जाता है तो परिवार की आय ज्ञात करते समय परिवार द्वारा दिया गया ब्याज एवं किराया स्वीकृत व्यय माने जायेंगे।

(द) परिवार के विनियोगों से आयः

यदि परिवार का धन किसी कम्पनी अथवा फर्म में लगाया गया हो तो ऐसे विनियोगों के कारण प्राप्त आय परिवार की आय मानी जायेगी। सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के अनुसार परिवार के विनियोगों के कारण परिवार के किसी सदस्य को प्राप्त फीस आय एवं पारिश्रमिक परिवार की आय ही मानी जायेगी, यदि–

(1) आय परिवार के विनियोगों के कारण प्राप्त हुई हो, या

(2) आय परिवार के विनियोगों की सहायता से प्राप्त हुई हो, या

(3) परिवार के विनियोगों में और इस प्रकार की आय में प्रत्यक्ष एवं वास्तविक सम्बन्ध हो।

अतः परिवार के किसी सदस्य को कोई फीस, आय, पारिश्रमिक या संचालन शुल्क आदि उसकी व्यक्तिगत सेवाओं के बदले में न प्राप्त होकर केवल परिवार के विनियोगों के कारण प्राप्त होता है तो ऐसा पारिश्रमिक परिवार की ही आय माना जायेगा।

इसके विपरीत यदि परिवार का कोई सदस्य किसी कम्पनी में प्रबन्ध–संचालक है और उसको उसकी सेवाओं के बदले में वेतन अथवा फीस या कमीशन प्राप्त होता है तो यह आय सदस्य की व्यक्तिगत आय मानी जायेगी, चाहे भले ही उस कम्पनी में परिवार का प्र्याप्त हित क्यों न हो।

(य) कुल आय की गणना विधि : (Method for Computation of Total Income)

हिन्दू अविभाजित परिवार पर कर की गणना के प्रावधान लगभग वैसे ही हैं जैसे व्यष्टि करदाताओं के हैं। हिन्दू अविभाजित परिवार की कुल आय की गणना निम्नांकित चरणों में की जाती है :

1. हिन्दू अविभाजित परिवार की निवासीय स्थिति के आधार पर इसकी सकल कुल आय की गणना आय के चार शीर्षकों के अन्तर्गत ही की जाती है। परिवार की वेतन शीर्षक के अन्तर्गत कर–योग्य आय नहीं होती है।
2. 'अन्य व्यक्तियों की आय' को हिन्दू अविभाजित परिवार की आय माने जाने से सम्बन्धित धारा 60 से 63 तक के प्रावधान लागू किये जायेंगे। इनका वर्णन मानी गयी आयें (Deemed Incomes) वाले अध्याय में किया गया है।
3. हानियों की पूर्ति सम्बन्धी प्रावधानों को ध्यान में रखकर सकल कुल आय ज्ञात की जाती है।
4. उपर्युक्त चरण 1 से 3 के अनुसार ज्ञात की गई सकल कुल आय में से धारा 80 C से 80 JJA तक की कटौतियाँ घटाकर परिवार की कुल आय ज्ञात की जाती है।

सकल कुल आय में से दी जाने वाली कटौतियाँ

हिन्दू अविभाजित परिवार की कुल आय की गणना करते समय निम्न कटौतियाँ स्वीकृत है। इनका विस्तृत विवरण अध्याय 12 में किया गया है।

(i) जीवन बीमा प्रीमियम, सार्वजनिक भविष्य निधि में अंशदान आदि के सम्बन्ध में कटौती [धारा–80-C]

(ii) चिकित्सा बीमा प्रीमियम के सम्बन्ध में कटौती [धारा–80-D]

(iii) असमर्थ आश्रित की चिकित्सा एवं जीवन निर्वाह पर किये गये व्यय के सम्बन्ध में कटौती [धारा–80-DD]

(iv) केंसर, एड्स जैसी खतरनाक बीमारियों के इलाज के सम्बन्ध में कटौती

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

[धारा–80-DDB]

(v) पुण्यार्थ दानों के सम्बन्ध में कटौती [धारा–80-G]

(vi) वैज्ञानिक अनुसन्धान के दानों के सम्बन्ध में कटौती [धारा–80-GGA]

(vii) राजनीतिक दलों को दिये गये चन्दे के सम्बन्ध में कटौती [धारा–80-GGC]

(viii) ढाँचागत सुविधाओं के विकास आदि में लगे हुये उपक्रमों के लाभों के सम्बन्ध में कटौती [धारा–80-IA]

(ix) विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास करने के व्यवसाय की आय के सम्बन्ध में [धारा–80-IAB]

(x) ढाँचागत सुविधाओं के विकास आदि को छोड़कर नवीन उपक्रमों के लाभों के सम्बन्ध में कटौती [धारा–80-IB]

(xi) कुछ विशिष्ट श्रेणी के राज्यों में कुछ उपक्रमों के लाभों के सम्बन्ध में कटौती [धारा–80-IC]

(xii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होटलों एवं सभागारों की आय के सम्बन्ध में कटौती [धारा–80-ID]

(xiii) पूर्वोतर राज्यों में कुछ उपक्रमों के सम्बन्ध में कटौती [धारा–80-IE]

(xiv) जैव–श्रेणीकरण से अवशिष्ट के प्रसंस्करण के लाभ [धारा–80-JJA]

5. कुल आय को निकटतम 10 रूपये तक पूर्णांकित किया जाता है। ऐसा करते समय 5 रूपये से कम की आय को छोड़ दिया जाता है तथा 5 रूपये या इससे अधिक की आय को अगली दहाई में बदल दिया जाता है।

(II) कर की गणना (Computation of Tax)

आयकर अधिनियम में कर–निर्धारण का आधार, पद्वति, छूटें एवं कटौतियाँ दी गई हैं जिसके आधार पर हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि करदाता की कुल आय कितनी है। इस कुल आय पर किन दरों से आयकर लगेगा, यह आयकर अधिनियम में नहीं दिया हुआ है। करदाता की आय पर कर लगाने के लिए कर की दरें प्रत्येक वर्ष संसद द्वारा पारित वित्त अधिनियम में दी जाती हैं।

हिन्दू अविभाजित परिवार की कुल आय पर कर लगाने के लिए कर की दरें वही हैं जो एक सामान्य व्यष्टि करदाता की कुल आय पर लागू की जाती हैं। कर की गणना निम्नांकित चरणों में की जाती है :

(अ) कर की दरों के आधार पर कर–दायित्व का निर्धारण :	**कर की दर**
(i) सूचित समता अंशों के प्रमाणित स्कन्ध विनियम के माध्यम से हस्तान्तरण पर होने वाले अल्पकालीन पूँजी लाभ पर [धारा 111A]	15%
(ii) दीर्घकालीन पूँजी लाभ पर	20%
(iii) आकस्मिक आय (लाटरी के इनाम आदि पर)	30%
(iv) शेष घटी हुई आय पर :	
प्रथम 1,60,000 रू. पर	शून्य
अगले 1,40,000 रू. पर	10%
अगले 2,00,000 रू. पर	20%
शेष कुल आय पर	30%

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

कुल आय को दीर्घकालीन पूँजी लाभ एवं धारा 111A में आने वाले अल्पकालीन पूँजी लाभ से घटा दिया जायेगा तथा घटी हुई अन्य कुल आय यदि न्यूनतम कर योग्य राशि 1,60,000 रू. से कम हो तो व्यष्टि निवासी करदाता की तरह ही दीर्घकालीन पूँजी लाभ को अथवा अल्पकालीन पूँजी लाभ को अथवा दोनों को (जैसी भी स्थिति हो) घटा दिया जायेगा तथा शेष दीर्धकालीन पूँजी लाभों एवं अल्पकालीन पूँजी लाभों पर ही उपर्युक्त विशिष्ट दरों से कर लगाया जायेगा।

(ब) परिवार की कृषि आय भी होने पर कर की गणना :

यदि परिवार की गैर–कृषि आय 1,60,000 रूपये से अधिक हो तथा शुद्व कृषि आय 5,000 रूपये से अधिक हो तो आयकर की गणना निम्नलिखित विधि से की जावेगी :

(i) कुल आय (विशिष्ट दरों से कर योग्य आय को छोड़कर) तथा शुद्व कृषि आय को जोड़कर संकलित आय (Aggregated Income) ज्ञात की जावे।

(ii) संकलित आय पर निर्धारित दरों के आयकर की गणना की जावे।

(iii) करदाता की शुद्व कृषि आय में 1,60,000 रूपये जोड़ने पर जो आय आती है उस पर निर्धारित दरों से कर की गणना की जावे।

(iv) उपयुर्क्त (ii) में ज्ञात की गयी कर की राशि में से (iii) में ज्ञात की गयी कर की राशि को घटा दिया जाता है तथा शेष बची राशि को करदाता द्वारा देय कर की राशि कहा जाता है।

(स) शिक्षा उपकर (Education Cess)–

कर की राशि पर 2% की दर से शिक्षा उपकर एवं 1% की दर से माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर भी लगाया जायेगा। इस प्रकार कर एवं शिक्षा उपकर की राशियों का योग ही करदाता द्वारा देय कुल कर कहलायेगा।

(द) चुकाये जाने वाले कर या कर वापसी की गणना :

कुल कर दायित्व में उद्‌गम स्थान पर काटे गये कर तथा अग्रिम चुकाये गये कर को घटाकर चुकाये जाने वाले कर (tax to be paid) अथवा वापसी (Refund) की राशि ज्ञात करली जाती है। इसके पश्चात् धारा–288–B के अनुसार इस राशि (amount payable) अथवा देय वापसी की राशि (amount of refund due) को 10 रू. की निकटतम राशि तक पूर्णांकित (Rounding off) किया जाता है। ऐसा करते समय पैसों की संख्या को छोड़ दिया जाता है तथा इसके बाद इकाई के स्थान पर 5 रू. या अधिक की राशि है तो इसे अगले 10 रू. के पूर्णाक में बदल दिया जाता है तथा यदि इकाई के स्थान पर 5 रू. से कम की राशि हो तो इसे छोड़ दिया जाता है।

(III) परिवर्तित सम्पति की आय (Income from converted assets) [धारा 64(2)] :

हिन्दू अविभाजित परिवार के किसी सदस्य ने यदि अपनी स्वयं की सम्पत्ति को परिवार की सम्पत्तियों में मिला दिया है, तो ऐसी सम्पत्ति को परिवर्तित सम्पत्ति (Converted property) कहा जाता है। 31 दिसम्बर, 1969 के पश्चात् परिवर्तित सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली आय को उस सदस्य की कुल आय में शामिल किया जायेगा। बाद में ऐसी परिवर्तित सम्पत्ति का परिवार के सदस्यों में पूर्ण या आंशिक बँटवारा हो जाए, तो बँटवारे के पश्चात उस परिवर्तित सम्पति का जितना भाग उस सदस्य को स्वयं को या उसके जीवन साथी को प्राप्त होता है, उस सम्पति की आय का भी उतना ही भाग उस सदस्य की कुल आय में शामिल किया जाता है।

परिवर्तित सम्पति की आय से सम्बन्धित उपर्युक्त नियम के निम्नलिखित अपवाद हैं–

(i) सदस्यों की ऐसी निजी सम्पतियां जिनको 1 जनवरी, 1970 से पूर्व परिवार को हस्तान्तरित कर दिया गया हो, से उत्पन्न आय परिवार की आय मानी जावेगी;

(ii) यदि किसी सम्पति का हस्तान्तरण परिवार को उचित प्रतिफल के बदले हुआ हो तो उस सम्पति से प्राप्त होने वाली आय परिवार की आय मानी जावेगी, न कि उस सदस्य की।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

उदाहरण (**Illustration**) 14.1 :

A Hindu undivided family of which Shri Nand Kishore Agarwal is the Karta consists of the Karta and his three sons (Dinesh, Mahesh and Sanjay) as co-parceners. The family and the co-parceners has the following incomes for the year ended 31-3-2010 :

		Rs.
1.	Salary of Mahesh as manager of a company	72,000
2.	Interest received on Government Securities :	
	(a) in the name of Mahesh (investment made out of his salary)	4,200
	(b) in the name of all co-parceners (investment made out of family funds)	14,950
3.	Rent from House Property :	
	(a) Ancestral House	1,08,000
	(b) In the name of Dinesh-bought in 1979 out of family fund	12,000
4.	Business Income:	
	(a) Family business income	3,45,000
	Family business income includes Rs. 1,20,000 earned from the business of purchasing and selling shares. Rs. 24,000 has been paid as securities transaction tax in respect of this income which has not been deducted in computing such income.	
	(b) Half share of income in a firm in which Dinesh is partner in a representative capacity	10,000
	(c) Interest on Capital from the firm	16,960
	(d) Income from profession of Sanjay as a lawyer	9,600
5.	Dividend received in May, 2009 on shares of Indian Companies :	
	(a) In the name of Dinesh bought out of family funds	25,370
	(b) In the name of Dinesh's wife bought out of her Stridhan	1,200

Family paid Rs. 60,000 as life insurance premium on the policies taken on the lives of the male members. Family donated Rs. 40,000 to charitable institutions. Compute the total income and the tax payable by the family.

श्री नन्द किशोर अग्रवाल एक हिन्दू अविभाजित परिवार के कर्त्ता हैं तथा इसमें उनके तीन पुत्र दिनेश, महेश एवं संजय सहभागी हैं। 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये परिवार तथा सहभागियों की आय निम्न थी–

		रू.
1.	एक कम्पनी के प्रबन्धक के रूप में महेश का वेतन	72,000
2.	सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त ब्याज :	
	(अ) महेश के नाम पर (विनियोग उसकी वेतन की आय में से किया गया)	4,200
	(ब) समस्त सहभागियों के नाम पर (परिवार के धन से विनियोग किया गया)	14,950
3.	मकान सम्पत्ति का किराया :	
	(अ) पूर्वजों से प्राप्त मकान	1,08,000
	(ब) दिनेश के नाम पर 1979 में परिवार के धन से खरीदा गया	12,000
4.	व्यापार की आय :	
	(अ) परिवार के व्यापार की आय	3,45,000
	परिवार के व्यापार की आय में 1,20,000 रू. की आय अंशों के क्रय विक्रय की है। इस आय के सम्बन्ध में 24,000 रू. का प्रतिभूति लेन देन कर चुकाया गया है, जिसे उक्त आय की गणना में नहीं घटाया गया है।	
	(ब) एक फर्म से आधा हिस्सा जिसमें दिनेश प्रतिनिधि के रूप में साझेदार है	10,000
	(स) फर्म से पूँजी पर ब्याज	16,960

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(द) वकील के रूप में संजय की पेशे की आय 9,600

5. भारतीय कम्पनी के अंशों से प्राप्त लाभांश : (मई, 2009 में) :

(अ) दिनेश के नाम में जो परिवार के धन से खरीदे गये 25,370

(ब) दिनेश की पत्नी के नाम में जो उसने स्त्रीधन से खरीदे 1,200

परिवार ने पुरूष सदस्यों के जीवन पर ली गई बीमा पॉलिसियों पर गत वर्ष में 60,000 रू. का प्रीमियम चुकाया। परिवार ने पुण्यार्थ संस्थाओं को 40,000 रू. का दान दिया।
परिवार की कुल आय एवं परिवार द्वारा देय कर की गणना कीजिये।

Solution : **Statement of Total Income of the family for the A.Y.2010-11**

	Rs.	Rs.
1. **Income from House Property** :		
(i) G.A.V. of Ancestral house	1,08,000	
(ii) G.A.V. of house in the name of Dinesh but bought out of family fund	12,000	
Annual value of both houses	1,20,000	
Less : 30% of annual value for Standard deduction	36,000	84,000
2. **Income from Business & Profession :**		
(a) Family business (1,20,000+2,25,000)	3,45,000	
(b) Interest from a firm	16,960	
	3,61,960	
Less : Securities transaction tax	24,000	3,37,960
3. **Income from other sources** :		
Dividents (exempt)	-	
Interest on Govt. Securities	14,950	14,950
Gross Total Income		4,36,910
Less : Deduction u/s 80-C	60,000	
Deduction u/s 80-G @ 50% on 37,691	18,846	78,846
Total		3,58,064
Income		3,58,060
Total Income (Rounded		
off)	-	NIL
Computation of Tax	@10%	14,000
Payable	@20%	11,612
On first Rs. 1,60,000		25,612
On next Rs. 1,40,000		512.24
On balance Rs. 58,060		256.12
		26,380.36
Add : Education Cess @ 2% on Rs. 25,612		26,380.00
SAH Education Cess @ 1% on Rs. 25,612		
Tax		
Payable		
Tax Payable (Rounded		
off)		

टिप्पणी–

(1) Mahesh के द्वारा अपने वेतन की आय से किये गये विनियोगों से प्राप्त ब्याज उसकी व्यक्तिगत आय है तथा परिवार की कर–योग्य आय में इसे शामिल नहीं किया जायेगा।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(2) Dinesh की पत्नी द्वारा अपने स्त्रीधन से खरीदे गये अंशों से प्राप्त लाभांश उसकी व्यक्तिगत आय है। इसे भी परिवार की आय में सम्मिलित नहीं करेंगे। यह कर–मुक्त भी है।
(3) फर्म से आय एवं लाभांश की आय कर–मुक्त है।
(4) पुण्यार्थ संस्थाओं को दिये गये दान समायोजित सकल कुल आय 4,36,910–60,000 = 3,76,910 रू. के 10% = 37,691 रू. तक ही कटौती योग्य हैं। इस राशि के 50% की कटौती दी गई है।
(5) दिनेश के नाम में परिवार के कोषों से खरीदे गये अंशों से प्राप्त लाभांश की आय कर–मुक्त है।
(6) प्रतिभूति लेन–देन कर स्वीकृत व्यापारिक व्यय है।

उदाहरण (Illustration) 14.2 :

निम्नलिखित विवरण से कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिये हिन्दू अविभाजित परिवार की कुल आय एवं देयकर की गणना कीजिए–

	रू.
(i) व्यापार की आय	4,56,000
(ii) मकान सम्पति की आय (आकलित)	44,000
(iii) बैंक में जमा राशि पर ब्याज	38,000
(iv) उसके द्वारा चुकाया गया जीवन बीमा प्रीमियम	20,000
(v) सकल कृषि आय	30,000
(vi) कृषि क्रियाओं पर किया गया व्यय	16,000
(vii) कृषि–आय पर राज्य सरकार द्वारा लगाया गया कर	2,000

यह मानिये कि परिवार के दो सदस्यों की निजी आय 1,60,000 रू. से अधिक एवं कर–योग्य है।

Compute the total income and tax payable by a Hindu Undivided Family for the Assessment Year 2010-11 from the following particulars :

	Rs.
(i) Income from business	4,56,000
(ii) Income from house property (Computed)	44,000
(iii)Interest on bank deposit	38,000
(iv)Life Insurance Premium paid by him	20,000
(v) Gross Agricultural Income	30,000
(vi)Expenditure incurred on agricultural operations	16,000
(vii) Tax levied by state Government on agricultural income	2,000

Assume that two members of the family have their individual taxable income exceeding Rs. 1,60,000.

हल (Solution) :

Computation of Total Income of H.U.F.
For the A.Y.2010-11

		Rs.
1. Income from House Property		44,000
2. Income form business		4,56,000
3. Income from other sources (Interest on bank deposits)		38,000
Gross Total Income		5,38,000
Less : Deduction u/s 80-C for life insurance premium		20,000
Total Income		5,18,000
Computation of Net Agricultural Income		
Gross Agricultural income		30,000
Less : (a) Expenditure on agricultural operation	16,000	
(b) Tax levied by State Government on agricultural income	2,000	18,000
Net Agricultural Income		12,000

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

Aggregated income :		
Total income (non-agricultural)		5,18,000
Net agricultural income		12,000
Aggregated Income		5,30,000
Computation of Tax Payable on Rs. 5,30,000		
	Rate	Rs.
Income tax on first Rs. 1,60,000	-	-
Income tax on next Rs. 1,40,000	10%	14,000
Income tax on next Rs. 2,00,000	20%	40,000
Income tax on next Rs. 30,000	30%	9,000
Tax on Aggregated income		63,000
Less : Tax on Agricultural Income (12000+160,000)		1200
i.e. Tax on Rs. 1,72,000		61,800
Add : Education Cess @ 2% on Rs. 61,800		1,236
SAH Education Cess @ 1% on Rs. 61,800		618
Tax Payable		63,654
Tax Payable (Rounded off)		63,500

हिन्दू अविभाजित परिवार का विभाजन
(Partition of Hindu Undivided Family)

1. विभाजन का अर्थ
(Meaning of Partition) :

किसी हिन्दू अविभाजित परिवार का विभाजन दो प्रकार से होता है :

(i) पूर्ण विभाजन; तथा
(ii) आंशिक विभाजन।

(i) पूर्ण विभाजन (Complete Partition) :

किसी हिन्दू अविभाजित परिवार का पूर्ण विभाजन निम्न प्रकार से हो सकता है–
(क) जिन सम्पतियों का भौतिक विभाजन (Physical division) सम्भव है, उनका भौतिक विभाजन करके; तथा
(ख) जिन सम्पतियों का भौतिक विभाजन (Physical division) सम्भव न हो, उनका जितना सम्भव हो, उतना विभाजन करके।

(ii) आंशिक विभाजन (Partial Partition) :

हिन्दू अविभाजित परिवार का आंशिक विभाजन निम्नलिखित दो प्रकार से हो सकता है–
(क) परिवार की कुछ सम्पतियों का सभी सदस्यों के मध्य विभाजन करके। ऐसी स्थिति में शेष सम्पतियाँ, जिनका विभाजन नहीं हुआ है, उस परिवार की सम्पतियाँ बनी रहेंगी।
(ख) परिवार की सम्पतियों का उस परिवार के कुछ सदस्यों के मध्य विभाजन करके। ऐसी स्थिति में शेष सदस्य, जिन्होंने विभाजन में भाग नहीं लिया है, मिलकर पृथक हिन्दू अविभाजित परिवार का निर्माण कर लेते हैं।

31 दिसम्बर, 1978 के पष्चात् हुए आंशिक विभाजन को आयकर के उद्देश्यों से परिवार का विभाजन नहीं माना जाता है। [धारा 171 (9)]

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

विभाजन के पश्चात् कर–निर्धारण की विधि [धारा 171]
(Assessment Procedure after Partition)

आय कर अधिनियम की धारा 171 के अनुसार, एक हिन्दू अविभाजित परिवार के विभाजन के बाद कर–निर्धारण के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण नियम निम्न हैं :

(1) यदि एक बार किसी परिवार का कर–निर्धारण हिन्दू अविभाजित परिवार की तरह हो जाता है तो उसका कर–निर्धारण आगे भी इसी प्रकार होता रहेगा जब तक कि कर–निर्धारण अधिकारी द्वारा परिवार का विभाजन स्वीकृत न कर लिया जाये।

(2) यदि कर–निर्धारण के समय परिवार के किसी सदस्य द्वारा यह कहा जाता है कि परिवार का पूर्ण अथवा आंषिक विभाजन हो चुका है तो कर–निर्धारण अधिकारी परिवार के सभी सदस्यों को नोटिस देकर आवष्यक जाँच पड़ताल करेगा।

(3) जाँच के आधार पर वह निष्कर्ष निकालेगा कि (i) विभाजन हुआ है या नहींय (ii) विभाजन हुआ है तो यह पूर्ण है अथवा आंशिक; तथा (iii) यदि पूर्ण विभाजन हुआ है तो किस तिथि को हुआ है।

(4) यदि परिवार का आंषिक विभाजन 31 दिसम्बर, 1978 के पश्चात् हुआ है तो आंषिक विभाजन के सम्बन्ध में न तो कोई पूछताछ की जायेगी और न कोई फैसला अभिलेखित (Record) किया जायेगा। परिवार को अविभाजित परिवार मानकर कर–निर्धारण किया जायेगा।

(5) यदि कर–निर्धारण अधिकारी यह स्वीकार कर ले कि परिवार का विभाजन गत वर्ष में हुआ है तो विभाजन की तिथि से पूर्व की अवधि की आय पर कर–निर्धारण हिन्दू अविभाजित परिवार की तरह ही होगा।

इस प्रकार की आय पर कर–दायित्व व्यक्तिगत एवं संयुक्त रूप से परिवार के सभी सदस्यों का होगा। सदस्यों का दायित्व उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में उन्हें संयुक्त परिवार की सम्पति का हिस्सा मिला है।

(6) विभाजन के पष्चात् की आय को परिवार की आय नहीं माना जायेगा बल्कि इसे सदस्यों की व्यक्तिगत आय माना जायेगा।

(7) यदि कोई सदस्य विभाजन के पष्चात् अपना एक छोटा हिन्दू अविभाजित परिवार बना लेता है तो ऐसे विभाजन के बाद प्राप्त आय को उस नव स्थापित परिवार की आय माना जायेगा।

उदाहरण (Illustration) 14.3 :

(अ) श्री नवनीत एक हिन्दू अविभाजित परिवार के कर्त्ता हैं। इस परिवार के अन्य सदस्य उनकी पत्नी तथा दो पुत्र हैं जिनकी आयु 21 वर्ष और 15 वर्ष है। इस परिवार को मुर्गी पालन व्यापार से वित्तीय वर्ष 2009–10 में 1,67,500 रू. की कर योग्य आय हुई। 2010–11 कर निर्धारण वर्ष के लिये आप इस परिवार द्वारा देय कर की गणना कीजिये। परिवार के सदस्यों की कोई अन्य आय नहीं है।

(ब) यदि इस प्रकार की समस्त सम्पति का 1 दिसम्बर, 2009 को विभाजन हो गया होता तो परिवार की आय पर कितना कर वसूल किया जाता और किससे वसूल किया जाता ? लाभ प्रति माह बराबर अर्जित किया गया है।

(स) यदि यह परिवार भारत में स्थित एक भू–खण्ड का स्वामी भी हो जिसे कृषि हेतु प्रयुक्त करने से 8,000 रू. की आय वित्तीय वर्ष 2009–10 में हुई हो और 1 दिसम्बर, 2009 को इस भू–खण्ड का विभाजन न किया जाय और केवल मुर्गी पालन फॉर्म का विभाजन किया जाय तो परिवार की आय पर कितना कर वसूल किया जाता और किससे वसूल किया जाता ?

(a) Shri Navneet is the Karta of a HUF. Its other members are his wife and two sons, whose ages are 21 Years and 15 Years. The taxable income for the financial year 2009-10 of the family from business of poultry farm was Rs. 1,67,500. Compute the tax payable by the family for the assessment year 2010-11. There is no other income of the members of the family.

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(b) Had the whole of HUF property been partitioned on 1st Dec. 2009 how much tax would have been charged on the income of the family and from whom ot would have been collected ? The profit has been carned equally every month.

(c) Had this family also owned a plot of land situated in India the income from which by using it
for agricultural purpose had been Rs. 8,000 during the financial year 2009-10 and on 1st Dec. 2009 this plot had not been partitioned and only the poultry farm had been partitioned what would have been amount of tax payable on the income of the family and from whom it would have been recovered ?

हल (Solution) :

परिवार द्वारा देय कर की गणना

Computation of Tax Payable by the H.U.F Assessment Year 2010-11

		Rs.
(a) Income from Business or Profession being G.T.I.		1,67,500
Less : Deduction u/s 80		NIL
कुल आय Total		1,67,500
Income		773
देय कर Tax payable on Rs. 1,67,500 will be Rs. (750 + 23)		
(b) Income from Business or Professing being G.T.I. :		1,11,667
(From 1st April, 2009 to 30th Nov. 2009)		NIL
Less : Deduction u/s 80		1,11,667
Total Income		NIL
Tax Payable		1,67,500
(c) Income from Business of or Professing being Total income		1,75,500
Aggregated Income (1,67,500 + 8,000)		
Tax on Rs. 1,75,500	1550	
Less : Tax on Rs. 1,68,000	800	750
(Agricultural income + 1,60,000)		23
Add : Education and S.A.H. Cess (3% on Rs. 750)		773
Tax Payable		

टिप्पणी :

परिस्थिति (स) में परिवार का आंषिक विभाजन हुआ है। आयकर के उद्देश्य के लिए आंशिक विभाजन को विभाजन नहीं माना जाता है इसलिए उपर्युक्त परिस्थिति में परिवार की कुल आय पर एक कर की गणना की गई है। कर की राशि हिन्दू विभाजित परिवार से वसूल की जावेगी।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

उदाहरण (Illustration) 14.4 :

एक परिवार में कर्त्ता एवं उनकी पत्नी के अलावा तीन पुत्र एवं दो पुत्रियाँ हैं जिनके नाम क्रमशः दिनेश, महेश, संजय, अनिता एवं सुनिता है। इसके अतिरिक्त उनके एक पुत्र मुकेश की मृत्यु हो चुकी है परन्तु उनकी पत्नी एवं एक पुत्र परिवार के साथ है। दिनेश के दो पुत्र एवं महेश की एक पुत्री भी इस परिवार में सम्मिलित हैं। इस परिवार की 12,00,000 रूपये की सम्पति का बंटवारा किस प्रकार किया जावेगा ? यदि परिवार अपनी सम्पति पर 20% कमाता है तो परिवार का पूर्ण विभाजन करने के पश्चात् कर दायित्व में कमी आयेगी या वृद्वि होगी, स्पष्ट करें।

In a Hindu undivided family there are three sons and two daughters, in addition to Karta and his wife, whose names are : Dinesh, Mahesh, Sanjay, Anita and Sunita. One son of the Karta whose name was Mukesh has been expired but his wife and one son are living with the family. Two sons of Dinesh and one daughter of Mahesh also live with the family. How will you divide the assets of family worth Rs. 12,00,000 among the members of the family ? If the damily earns 20% incomes on its assets, explain, whether there is an increase or decrease in the tax liability after complete partition of the family ?

हल (Solution) :

(अ) उस परिवार की सम्पतियों का बंटवारा निम्न प्रकार होगा :

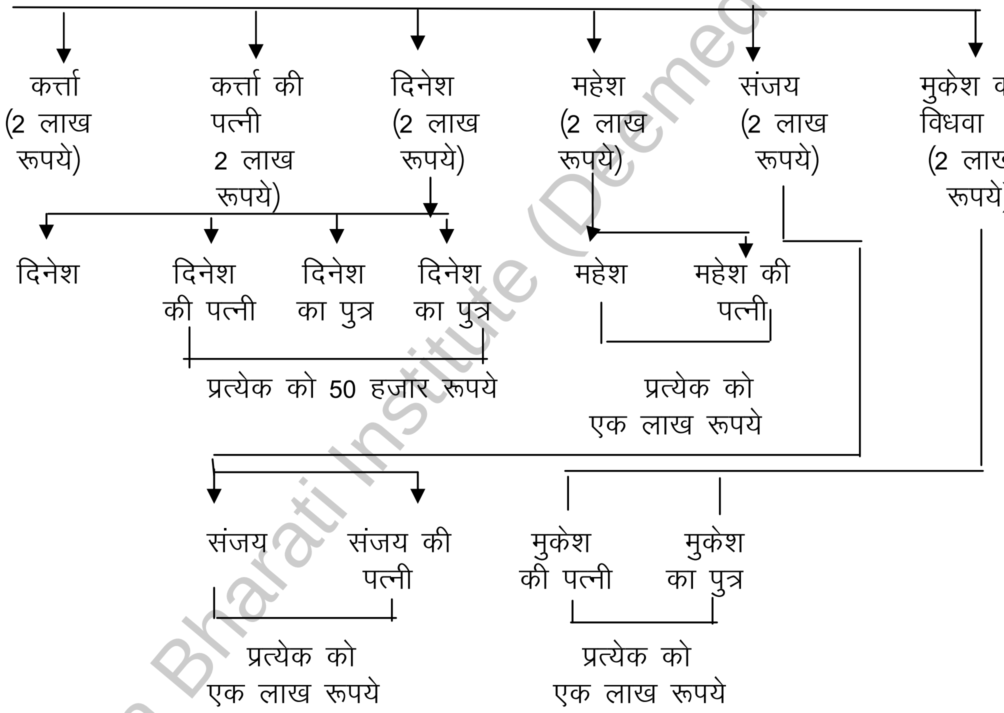

(ब) परिवार की सम्पति पर वार्षिक आय = 2,40,000 रू.
(12,00,000 x 20%)
परिवार द्वारा देय कर = 8,000 + 240 = 8,240 रू.

यदि परिवार का पूर्ण विभाजन हो जाता है तो 2,40,000 रू. की आय 6 जगह विभाजित हो जावेगी। प्रत्येक सदस्य को 40,000 रूपये प्रतिवर्ष आय होगी। परिवार के किसी भी सदस्य को कर नहीं देना होगा, यदि उनकी अन्य कोई आय न हो।

अतः परिवार के विभाजन से 8,240 रू. की कर की बचत होगी बशर्तें परिवार के सदस्यों की अन्य कोई कर योग्य आय न हो।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

अभ्यास के लिए प्रश्न
(Questions for Exercise)

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न (Very Short Answer Type Questions) :

निम्नलिखित प्रश्नों का उतर अधिकतम 20 शब्दों में दीजिए।

(Answer the following Questions in Maximum 20 words)-

1. आय कर निर्धारण के लिए हिन्दू अविभाजित परिवार से आप क्या समझते हैं ?
   What do you mean by Hindu Undivided Family for the purpose of income tax assessment ?
2. किसी परिवार की आय का कर–निर्धारण एक हिन्दू अविभाजित परिवार के रूप में कब हो सकता हैं?
   When can a family income be assessed as income of Hindu Undivided Family ?
3. सहभागी सदस्य से आप क्या समझते हैं ?
   What do you mean by a coparcener member ?
4. हिन्दू लॉ के अनुसार सहभागिता के दो सम्प्रदायों के नाम लिखिए।
   Give two schools of coparcenary as per Hindu Law.
5. क्या महिला सदस्य हिन्दू अविभाज्य परिवार की 'कर्त्ता' हो सकती है ?
   Can famale member be 'Karta' of H.U.F. ?
6. ऐसे दो परिवारों के नाम बताइये जो हिन्दू लॉ से नियंत्रित नहीं होते हैं परन्तु आयकर के लिए उनको हिन्दू अविभाजित परिवार माना जाता है।
   Give the names of any two families which are not governed by Hindu Law but treated as Hindu undivided Family for the purpose of income tax.
7. पूर्वजों की सम्पति से क्या तात्पर्य है ?
   What do you mean by ancestral property ?

लघूतरात्मक प्रश्न
(Short Answer Type Questions) :

निम्नलिखित प्रश्नों का उतर अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए।

(Answer the following Questions in Maximum 50 words)-

1. हिन्दू अविभाजित परिवार के संदर्भ में सामूहिक सम्पति से आप क्या समझते हैं ?
   What do you mean by Common property with reference to Hindu Undivided Family.
2. अविभाजित सम्पति से क्या तात्पर्य है ?
   What do you mean by Impartible Estate ?
3. परिवर्तित सम्पति से क्या तात्पर्य है और उसकी आय पर कर चुकाने के लिए कौन दायी है ?
   What do you mean by converted property and who is liable to pay tax on it's income ?
4. हिन्दू अविभाजित परिवार के पूर्ण व आंशिक विभाजन से आप क्या समझते हैं ?
   What do you mean by complete and Partial Partition of a Hindu Undivided Family ?
5. ऐसी आयों के नाम बताइये जिन पर हिन्दू अविभाजित परिवार की आय के रूप में कर नहीं लगाया जाता है ?
   Give names of the incomes which are not taxed as income of Hindu Undivided Family.

निबन्धात्मक सैद्धान्तिक प्रश्न
(Essay Type Theoretical Questions) :

1. भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत हिन्दू अविभाजित परिवार के कर–निर्धारण के प्रमुख तत्वों की विवेचना कीजिये।
   Discuss the salient features of assessment of Hindu Undivided Family under the Indian Income Tax Act 1961.

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

व्यावहारिक प्रश्न

(Practical Questions) :

1. सांवर मल एण्ड संस एक हिन्दू अविभाजित परिवार है जिसका कर्त्ता सांवर मल हैं। परिवार में कर्त्ता व उसके तीन पुत्र बुद्वि प्रकाश, हीरालाल एवं प्रमोद कुमार सहभागी हैं। 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में परिवार तथा सहभागियों की आय निम्न प्रकार थी :

	रू.
(1) एक कम्पनी के प्रबन्धक के नाते बुद्वि प्रकाश का वेतन	60,000
(2) सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज :	
(i) बुद्वि प्रकाश के नाम में (उनके वेतन की आय में से विनियोजित)	8,400
(ii) समस्त सहभागियों के नाम में (परिवार के कोष में से विनियोग द्वारा)	12,000
(3) मकान सम्पत्ति से आय :	
(i) ककराना में एक पैतृक मकान, जो परिवार के निवास के काम आता है, का नगरपालिका मूल्यांकन	7,800
(ii) सांवर मल के नाम में एक मकान (परिवार के कोष से क्रय किया गया) से प्राप्त किराया	14,400
(4) व्यापार से आय :	
(i) परिवार के व्यापार से लाभ	1,71,500
(ii) एक फर्म, जिसमें सांवर मल परिवार के प्रतिनिधि के रूप में साझेदार है, की आय में आधा भाग	7,200
(iii) प्रमोद कुमार की वकालत के पेशे से आय	19,200
(5) भारतीय कम्पनियों में अशों पर लाभांश से आय :	
(i) परिवार के कोष में से सांवर मल के नाम में क्रय किये गये अंशों से	6,000
(ii) सांवर मल की पत्नी के नाम से उसके स्त्रीधन में से क्रय किये गये अंशों से	2,400
(6) भारतीय यूनिट ट्रस्ट की पारस्परिक कोष योजना में जमा कराये	12,000
(7) दीर्घकालीन पूँजी लाभ	20,000

कर निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए परिवार की कुल आय तथा कुल देयकर की गणना कीजिए।

Sanwar Mal & Sons is a Hindu undivided family, whose Karta is Shri Sanwar Mal Karta and his three sons Budi Prakash, Hira Lal and Pramod Kumar are Co-parceners in the family. For the year ending 31st March, 2010 incomes of the family and its Co-parceners were as follows :

	Rs.
(1) Salary of Budi Prakash by virtue of being the manager of a company	60,000
(2) Interest on Government Securities :	
(i) In the name of Budi Prakash (investment made out of his salary income)	8,400
(ii) In the name of all Co-parceners (investment made out of family funds)	12,000
(3) Income from House Property :	
(i) Municipal value of the ancestral house at Kakrana which is used by the family for residence	7,800
(ii) Rent received from a house in the name of Sanwar Mal (purchased out of family funds)	14,400
(4) Income from business :	
(i) Profit from business of family	1,71,500
(ii) Half share in the profits of a firm in which Sanwar	

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

Mal is a partner as representative of the family 7,200
(iii) Income from the legal profession carried on by B 19,200
(5) Income from dividends on the shares in Indian Companies :
(i) On shares purchased in the name of Sanwar Mal out of family funds 6,000
(ii) On Shares purchased in the name of Sanwar Mal 's wife out of her stridhan 2,400
(6) Deposited in mutual fund scheme of U.T.I. 12,000
(7) Long term capital gains 20,000

Compute total income and total tax payable by H.U.F. for the Assessment Year 2010-11.

[उत्तर– कुल आय 2,01,580 रू. एवं कुल देय कर 6,340 रू.]

2. एक हिन्दू अविभाजित परिवार के कर्त्ता ने निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिये परिवार की आय के सम्बन्ध में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया है :

	रू.
असूचित ऋणपत्रों पर नवम्बर, 2009 में प्राप्त ब्याज	4,500
सरकारी प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज	4,000
मकान सम्पत्ति का किराया	27,000
अगस्त, 1996 में स्थापित नये औद्योगिक उपक्रम के लाभ	3,25,000
दीर्घकालीन पूंजी लाभ	15,000
कृषि आय	10,000

परिवार द्वारा परिवार के सदस्यों की जीवन बीमा पॉलिसियों पर 12,000 रू. प्रीमियम के तथा 16,000 रू. पुण्यार्थ कार्यों के लिये एक पुण्यार्थ ट्रस्ट को दान में दिये। परिवार द्वारा देय शुद्ध कर की गणना कीजिए।

The Karta of an H.U.F. furnished the following particulars of income of the H.U.F. for the assessment year 2010-11 :

Rs.

Interest received in November, 2009 on unlisted debentures
4,500
Interest received on Govt. securities
4,000
Rent of House Property
27,000
Profit from a newly established industrial undertaking in August. 1996
3,25,000
Long term Capital gains
15,000
Agricultural Income
10,000

The family paid Rs. 12,000 by way of insurance premium on the policies of its members and donated Rs. 16,000 for charitable purposes to a charitable trust.

Compute amount of net tax payable by the H.U.F.

[उत्तर– कुल आय 3,47,900 रू. एवं देय शुद्ध कर 24,820 रू. ।]

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

वर्ग (Section) : C
इकाई (Unit) : 15
फर्म का कर–निर्धारण
(Assessment of Firms)

आय कर अधिनियम 1961 की धारा 2(31) में व्यक्ति की परिभाषा में फर्म को भी सम्मिलित किया गया है। अधिनियम में फर्म की परिभाषा नहीं दी गई है परन्तु धारा 2(23) में यह उल्लेख किया गया है कि साझेदारी, साझेदार तथा फर्म का वही आषय है, जो भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 में लगाया गया है, लेकिन आय कर अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे अवयस्क भी साझेदार माने जाते हैं जिन्हें केवल लाभों के लिए फर्म में शामिल किया गया है।

''भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932'' की धारा 4 के अनुसार ''साझेदारी (Partnership) उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक सम्बन्ध को कहते हैं जो ऐसे व्यवसाय के लाभों को आपस में बाँटने के लिए सहमत हो गये हैं, जिसे सभी व्यक्तियों द्वारा अथवा सभी की ओर से कुछ के द्वारा चलाया जाता है। '' जो व्यक्ति साझेदारी में शामिल हुए हैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से साझेदार (Partners) तथा सामूहिक रूप से फर्म (थ्तपउ) कहा जाता है।

साझेदार कौन हो सकता है ?
(Who can be a Partner ?)

1. **व्यष्टि (Individual)**– अनुबन्ध करने की क्षमता रखने वाला प्रत्येक व्यष्टि (पुरूष या स्त्री) साझेदार हो सकता है। एक अवयस्क भी फर्म में लाभों के लिए साझेदार हो सकता है परन्तु अन्य साझेदारों की भाँति उसका दायित्व असीमित नहीं होता है तथा वह हानि में हिस्सेदार नहीं होता है।
2. **फर्म (Firm)**– एक फर्म किसी के साथ साझेदारी फर्म का निर्माण नहीं कर सकता है क्योंकि वह स्वयं भी समझौते के अन्तर्गत ही निर्मित होती है तथा वह व्यक्तियों का एक समूह होती है।

3- **हिन्दू अविभाजित परिवार**– एक हिन्दू अविभाजित परिवार अपने कर्त्ता अथवा किसी सदस्य को प्रतिनिधि बनाकर फर्म में साझेदार बन सकता है परन्तु वह स्वयं किसी अन्य परिवार या व्यक्ति के साथ साझेदारी नहीं कर सकता है।

4- **कम्पनी**– एक कम्पनी किसी फर्म में साझेदार हो सकती है क्योंकि वह विधान के द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है तथा जिसे अनुबन्ध करने का अधिकार होता है। कम्पनी का अस्तित्व इसके मालिकों के अस्तित्व से भिन्न होता है। दो या दो से अधिक कम्पनियाँ भी मिलकर साझेदारी फर्म का निर्माण कर सकती हैं बशर्ते इनके ' पार्षद सीमा नियम ' तथा ' पार्षद अन्तर्नियमों ' में ऐसी व्यवस्था हो।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अनुबन्ध करने की क्षमता रखता है किसी फर्म में साझेदार बन सकता है। जो व्यक्ति अनुबन्ध करने की क्षमता नहीं रखते है वे अपने प्रतिनिधि के नाम से साझेदार बन सकते हैं जैसे–अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यष्टि, हिन्दू–अविभाजित परिवार आदि। यहाँ **व्यक्ति का तात्पर्य आय कर अधिनियम की धारा 2(31) में वर्णित व्यक्ति से है।**

फर्म के प्रकार (Types of Firms)–

कर निर्धारण की दृष्टि से फर्म दो प्रकार के हो सकते हैं–

(अ) वे फर्म जिन पर फर्म के रूप में ही कर–निर्धारण किया जाये;
(Partnership Firms Assessed as such (PFAS))

(ब) वे फर्म जिन पर व्यक्तियों के समुदाय के रूप में कर–निर्धारण किया जाये
(Partnership Firms Assessed as Association of Firms (PFAOP)

स्पष्टीकरण– आयकर अधिनियम की धारा 184 में कुछ शर्तों का वर्णन किया गया है। जो फर्म इन आधारभूत शर्तों की पूर्ति करती है उस पर फर्म के रूप में कर–निर्धारण किया जाता है तथा जो फर्म

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

इन आधारभूत शर्तों की पूर्ति नहीं करती है उस पर व्यक्तियों के समुदाय (A.O.P.) के रूप में कर–निर्धारण किया जाता है।

फर्म के रूप में ही कर–निर्धारण की स्थिति प्राप्त करने सम्बन्धी षर्तें
(Conditions to avail the Status of PFAS)

फर्म के रूप में ही कर–निर्धारण किये जाने के लिए यह आवश्यक है कि एक फर्म निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करें :

(अ) आधारभूत शर्तें (Basic Conditions) [धारा 184 (1) तथा (2)] :

साझेदारी फर्म की स्थिति प्राप्त करने के लिए निम्नांकित आधारभूत शर्तों की पूर्ति करना आवष्यक है :

(i) साझेदारी एक प्रलेख या संलेख (instrument) के द्वारा बनायी गयी हो;

(ii) उस प्रलेख में प्रत्येक साझेदार के व्यक्तिगत हिस्से का स्पष्ट उल्लेख हो; तथा

(iii) जिस वर्ष फर्म का फर्म के रूप में कर–निर्धारण प्रथम बार कराना है उस वर्ष की आय की विवरणी के साथ साझेदारी प्रलेख की एक प्रमाणित प्रति भी दाखिल करनी होगी। यह प्रति अवयस्क को छोड़कर सभी साझेदारों द्वारा प्रमाणित की जानी चाहिये। यदि फर्म के विघटन के बाद आय का नक्शा प्रस्तुत किया जाये तो यह उन सभी साझेदारों (अवयस्क को छोड़कर) द्वारा प्रमाणित होना चाहिये जो विघटन के समय साझेदार थे। यदि किसी साझेदार की इस दौरान मृत्यु हो गई हो तो उस मृतक साझेदार के वैधानिक उतराधिकारी द्वारा भी प्रमाणित किया जाना चाहिये।

(ब) अतिरिक्त शर्तें (Additional Conditions) [धारा 184 (4) तथा (5)] :

साझेदारी फर्म की स्थिति बनाये रखने के लिए निम्नांकित अतिरिक्त शर्तों की पूर्ति करना आवश्यक है

(i) जब किसी गत वर्ष में फर्म के संगठन में अथवा साझेदारी के लाभ–हानि अनुपात में परिवर्तन हो जाये तो सम्बन्धित गत वर्ष की आय की विवरणी के साथ संषोधित प्रलेख की एक प्रमाणित प्रतिलिपि भी दाखिल करनी चाहिये।

(ii) फर्म को धारा 144 के प्रावधानों की पूर्ति भी करनी चाहिए। यदि कोई फर्म धारा 144 में वर्णित असफलताओं के लिए दोषी पायी जाती है तो उसे सम्बन्धित कर–निर्धारण वर्ष के लिए फर्म की स्थिति (Status) नहीं दी जाएगी और उस पर व्यक्तियों के समुदाय (AOP) की तरह कर–निर्धारण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण :

(i) यदि किसी वर्ष के लिए फर्म का कर–निर्धारण फर्म के रूप में हो जाता है तो उससे आगे के वर्षों में भी तब तक एक फर्म के रूप में कर–निर्धारण होता रहेगा जब तक कि फर्म के संगठन में या साझेदारों के व्यक्तिगत हिस्से में कोई परिवर्तन न हो जाये। [धारा 184(3)]

(ii) धारा 184(5) में संदर्भित धारा 144 के प्रावधान सर्वोतम निर्णय कर–निर्धारण से सम्बन्धित हैं। धारा 144 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में कर–निर्धारण अधिकारी द्वारा करदाता को सुनावाई का अवसर देकर सर्वोतम निर्णय कर निर्धारण करना अनिवार्य होगा–

(क) जब कोई व्यक्ति कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस दिये जाने पर भी आय की विवरणी (Return of income) प्रस्तुत नहीं करता है; अथवा

(ख) जब कोई व्यक्ति कर निर्धारण अधिकारी, द्वारा नोटिस जारी किये जाने के बावजूद भी माँगी गई सूचनायें प्रस्तुत नहीं करता है; अथवा

(ग) जब कोई व्यक्ति कर निर्धारण अधिकारी के आदेशानुसार लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण नहीं करवाता है और अंकेक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है; अथवा

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(घ) जब कोई व्यक्ति आय की विवरणी प्रस्तुत करने के बाद कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किए गए नोटिस के अनुसार उपस्थित नहीं होता है अथवा आय की विवरणी में दिखाई गई आय के समर्थन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है।

उपर्युक्त परिस्थितियों में किसी फर्म का सर्वोतम–निर्णय कर–निर्धारण होने पर उस कर–निर्धारण वर्ष में फर्म का कर–निर्धारण व्यक्तियों के समुदाय के रूप में किया जावेगा।

[धारा 184(5)]

(iii) साझेदारी प्रलेख या संलेख का तात्पर्य उस वैध (legal) प्रकृति के किसी प्रलेख से है जिसके द्वारा किसी अधिकार अथवा देनदारी का सृजन, हस्तान्तरण, सीमांकन, विस्तार या समापन किया जाता है अथवा उसका अभिलेखन किया जाता है। इस प्रलेख का अर्थ केवल एक नियमित साझेदारी प्रलेख से नहीं है अपितु इसमें कोई अन्य औपचारिक दस्तावेज भी सम्मिलित माना जा सकता है। यदि किसी साझेदारी की शर्तों का उल्लेख साझेदारों के मध्य हुए पत्र व्यवहार में हुआ है तो वे दस्तावेज या पत्र भी इस उद्देश्य के लिए प्रलेख माने जावेगें।

फर्म की निवासीय स्थिति का निर्धारण
(Determination of Residential Status of a Firm)

किसी फर्म की आय का क्षेत्र निर्धारत करने के लिए फर्म की निवास स्थिति का निर्धारण किया जाना आवश्यक है। यदि फर्म का नियन्त्रण गत वर्ष में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से भारत में स्थिति रहा हो तो वह फर्म भारत में निवासी करदाता होगी अन्यथा वह अनिवासी करदाता होगी। फर्म कभी भी असाधारण निवासी करदाता नहीं हो सकती है।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दू
(Other Important Points)

1. किसी साझेदारी फर्म का आयकर के लिए फर्म के रूप में कर–निर्धारण तभी होता है जबकि वह धारा 184 में वर्णित शर्तों की पूर्ति करे।
2. फर्म की सकल कुल आय में वेतन शीर्षक से सम्बन्धित आय नहीं हो सकती है। केवल निम्नांकित चार शीर्षकों की कर–योग्य आय ही फर्म की सकल कुल आय में सम्मिलित होती है :
   (i) मकान सम्पति से आय;
   (ii) व्यापार या पेशे के लाभ;
   (iii) पूँजी लाभ तथा
   (iv) अन्य साधनों से आय।
3. फर्म की आय के विभिन्न शीर्षकों की कर–योग्य आय का निर्धारण सम्बन्धित शीर्षक के प्रावधानों के अनुसार ही किया जाता है। फर्म के साझेदारों को देय पारिश्रमिक तथा ब्याज के सम्बन्ध में अस्वीकृत राशि का वर्णन [धारा 40(b) में] इसी इकाई में किया गया है। विभिन्न शीर्षकों की कर–योग्य आय की गणना करने सम्बन्धी प्रावधानों का वर्णन पिछली इकाइयों में किया गया है।
4. फर्म की सकल कुल आय ज्ञात करते समय 'मानी गई आयों' तथा 'हानियों की पूर्ति एवं आगे ले जाने' संबंधी प्रावधानों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
5. फर्म की सकल कुल आय में से आयकर अधिनियम के अध्याय VIA में वर्णित कटौतियाँ घटाने के पश्चात उसकी कुल आय ज्ञात की जाती है। धारा 112 के अनुसार दीर्घकालीन पूँजी लाभों में से ऐसी कटौतियाँ नहीं घटाई जा सकती हैं। अध्याय VIA में वर्णित फर्म से सम्बन्धित कटौतियाँ निम्नांकित हैं–

धारा	कटौती का विवरण
धारा–80–G	1. पुण्यार्थ दानों के सम्बन्ध में कटौती
धारा–80–GGA	2. वैज्ञानिक अनुसंधान के दानों के सम्बन्ध में कटौती

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

धारा–80–GGC	3. राजनीतिक दलों को दिये गये अंशदान के सम्बन्ध में कटौती
धारा–80–IA	4. ढाँचागत सुविधाओं के विकास में लगे हुये उपक्रमों के लाभों के सम्बन्ध में कटौती
धारा–80–IAB	5. विषेष आर्थिक क्षेत्र का विकास करने के व्यवसाय के लाभों के सम्बन्ध में कटौती
धारा–80–IB	6. ढाँचागत सुविधाओं के विकास को छोड़कर नवीन उपक्रमों के लाभों के सम्बन्ध में कटौती
धारा–80–IC	7. कुछ विशिष्ट श्रेणी के राज्यों में कुछ उपक्रमों के लाभों के सम्बन्ध में कटौती
धारा–80–ID	8. देहली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं अन्य कुछ जिलों में होटलों एवं सभागारों की आय के सम्बन्ध में कटौती
धारा–80–IE	9. पूर्वोतर राज्यों में कुछ उपक्रमों के सम्बन्ध में कटौती
धारा–80–JJA	10. जैव–श्रेणी करणीय अवशिष्ट के प्रसंस्करण के लाभ

उपर्युक्त कटौतियों का विवरण 'सकल कुल आय' में से घटायी जाने वाली कटौतियां' वाले अध्याय में दिया गया है।

6. फर्म की कुल आय का निकटतम 10 के गुणांक में उपसादन (Rounding off) किया जाता है। 5 रू. या इससे अधिक राशि को अगले 10 रू. में बदल देते हैं तथा 5 रू. से कम राशि को छोड़ देते हैं। जैसे– 10,544 रू. को 10,540 रू. तथा 10,545 रू. को 10,550 रू. मानकर कुल आय का उपसादन किया जाता है।

7. फर्म के लिए व्यष्टि तथा हिन्दू अविभाजित परिवार की तरह न्यूनतम कर–योग्य सीमा नहीं है। फर्म की कुल आय पर निम्न प्रकार से कर देय होता है :

(i) दीर्घकालीन पूँजी लाभों की सम्पूर्ण राशि पर (धारा 112 के अनुसार) 20: की दर से;

(ii) धारा 111A के अन्तर्गत आने वाले अल्पकालीन पूँजी लाभ पर 15% की दर से

(iii) आकस्मिक आय पर 30: की दर से; तथा

(iv) अन्य कर–योग्य आय पर 30: की दर से।

उपर्युक्त प्रकार से निर्धारित आय कर की राशि पर 2% शिक्षा उपकर तथा 1% सैकण्डरी एवं उच्च शिक्षा उपकर जोड़ा जाता है। आय कर तथा शिक्षा उपकर आदि की राशि को शुद्व कर दायित्व माना जाता है।

8. फर्म की कुल आय पर देय कर ज्ञात करते समय शुद्व कृषि आय का समायोजन नहीं किया जाता है।

9. फर्म के शुद्व कर–दायित्व का निकटतम दस रूपये में उपसादन (Rounding-off) किया जाता है। 5 रू. या अधिक राशि को दस रूपया बनाकर तथा कम राशि को छोड़कर कर–दायित्व का उपसादन किया
जाता है।

10. यदि फर्म को सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के या यूनिटों के रूप में दीर्घकालीन पूँजी सम्पतियों के हस्तान्तरण से पूँजी लाभ हुए हों, तो ऐसे पूँजी लाभों पर कर की गणना निम्नलिखित दो विधियों के अनुसार की जावेगी तथा दोनों विधियों से निर्धारित कर की राशियों में से जो भी राशि कम हो, वही ऐसे पूँजी लाभों पर देय कर की राशि होगी–

प्रथम विधि– हस्तान्तरण के सम्पूर्ण प्रतिफल में से प्राप्त करने की निर्देशित लागत एवं हस्तान्तरण के व्ययों को घटाकर दीर्घकालीन पूँजी लाभों की राशि ज्ञात कीजिये तथा उस पर 20 प्रतिशत की दर से कर की गणना कर लीजिये।

द्वितीय विधि– हस्तान्तरण के सम्पूर्ण प्रतिफल में से प्राप्त करने की वास्तविक लागत एवं हस्तान्तरण के व्ययों को घटाकर दीर्घकालीन पूँजी लाभों की राशि ज्ञात कीजिये तथा उस पर 10 प्रतिशत की दर से कर की गणना कर लीजिये।

[धारा 112(1)]

उपर्युक्त प्रकार से निर्धारित आय कर की राषि पर 3% की दर से षिक्षा उपकर आदि लगाया जाता है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

11. फर्म एक वैधानिक व्यक्ति नहीं है। उसका साझेदारों से पृथक अस्तित्व भी नहीं होता हैय फिर भी आय कर के उद्देश्यों के लिए उसे पृथक इकाई माना जाता है तथा इसका और साझेदारों का कर–निर्धारण अलग–अलग किया जाता है।

12. यदि दो फर्मों का अलग–अलग व्यापार हो (एक ही वस्तु का अथवा भिन्न–भिन्न वस्तओं का) किन्तु उनके साझेदार समान हों, तो आय कर के उद्देश्यों के लिए उसे एक ही फर्म मानकर कर–निर्धारण किया जाता है।

13. कर घटाने के पश्चात बची शेष आय को साझेदारों के बीच उनके लाभ–विभाजन के अनुपात में बाँट दिया जाता है।

साझेदारों को पारिश्रमिक एवं ब्याज का भुगतान
(Payment of Remuneration and Interest to Partners)

साझेदारों को फर्म के द्वारा चुकाये जाने वाले पारिश्रमिक एवं ब्याज के सम्बन्ध में आय कर अधिनियम की धारा 40(b) के प्रावधान लागू होते हैं। इस धारा के द्वारा साझेदारों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक तथा ब्याज की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है।

धारा 40(b) के प्रावधान के अनुसार एक फर्म द्वारा अपने साझेदारों को किये जाने वाले निम्न भुगतान कटौती योग्य नहीं होते हैं इसलिए ये भुगतान अस्वीकृत व्यय माने जाते है–

(i) कार्यशील अथवा सक्रिय साझेदार के अलावा किसी अन्य साझेदार को दिया गया पारिश्रमिक, चाहे इस पारिश्रमिक को वेतन, कमीशन, बोनस अथवा अन्य किसी नाम से पुकारा जाये।

(ii) किसी कार्यशील साझेदार को दिया गया ऐसा पारिश्रमिक अथवा किसी भी साझेदार को दिया गया ऐसा ब्याज जो साझेदारी संलेख की शर्तों के अनुसार नहीं है अथवा इसके द्वारा अधिकृत नहीं है।

(iii) किसी कार्यशील साझेदार को दिया गया ऐसा पारिश्रमिक अथवा किसी भी साझेदार को दिया गया ऐसा ब्याज जो यद्यपि साझेदारी संलेख की षर्तों के अनुसार है तथा उसके द्वारा अधिकृत भी है परन्तु जो इस संलेख की तिथि के पूर्व की अवधि से संबंधित है तथा उस समय के साझेदारी संलेख की शर्तों के अनुसार एवं उसके द्वारा अधिकृत नहीं है।

(iv) किसी भी साझेदार को ब्याज के रूप में किया गया ऐसा भुगतान जो यद्यपि साझेदारी संलेख की षर्तों के अनुसार एवं अधिकृत है तथा उस संलेख की तिथि के बाद की अवधि से ही सम्बन्धित भी है परन्तु जो 12ः प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से अधिक है।

(v) किसी कार्यशील साझेदार को दिया गया कोई पारिश्रमिक जो यद्यपि साझेदारी संलेख की शर्तों के अनुसार एवं उसके द्वारा अधिकृत है एवं साझेदारी संलेख की तिथि के बाद की अवधि से सम्बन्धित है परन्तु गत वर्ष में समस्त साझेदारों को भुगतान की गई ऐसी राषि का योग निम्नांकित प्रक्रिया से ज्ञात की गई कुल राशि से अधिक है–

पुस्तकीय लाभ	कटौती की अधिकतम सीमा
(i) प्रथम 3,00,000 रूपयों पर अथवा हानि होने पर	1,50,000 रूपये अथवा पुस्तकीय लाभों का 90 प्रतिशत (दोनों में से जो अधिक हो)।
(ii) शेष पर	पुस्तकीय लाभों का 60 प्रतिशत

स्पष्टीकरण :

(i) इस धारा के उद्देश्यों के लिए पारिश्रमिक में वेतन, बोनस, कमीशन या अन्य कोई पारिश्रमिक शामिल है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो।

(ii) इस धारा के उद्देश्यों के लिए पुस्तकीय लाभों (book profits) की गणना निम्न प्रकार की जायेगी :

(a) सबसे पहले उस फर्म के लाभ–हानि खाते में दर्शाया गया लाभ या हानि ज्ञात कीजिए;

(b) इस लाभ या हानि में वे सभी समायोजन कीजिए जिनका धारा 28 से 44D तक उल्लेख किया गया है;

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(c) यदि लाभ–हानि खाते में साझेदारों को दिये गये पारिश्रमिक को नाम लिखा गया है तो उसे वापस जोड़ दीजिए।

उपर्युक्त समायोजन करने के पष्चात् प्राप्त राशि पुस्तकीय लाभों की राशि होगी। पुस्तकीय लाभ ज्ञात करते समय निम्न बातों का भी ध्यान रखना होगा :

(क) यदि फर्म की ''मकान सम्पति से आय'', ''पूँजी लाभ'' तथा ''अन्य साधनों से आय' वाले शीर्षकों के अन्तर्गत कोई आय है, तो ऐसी आय को पुस्तकीय लाभों में शामिल नहीं किया जायेगा।

(ख) यदि पिछले वर्षों की व्यवसाय की हानियों को आगे लाया गया है तो उन्हें नहीं घटाया जायेगा

(ग) सकल कुल आय में से आय कर अधिनियम के अध्याय VIA में वर्णित कटौतियों को पुस्तकीय लाभों की गणना करते समय नहीं घटाया जायेगा। ऐसी कटौतियाँ धारा 80G से धारा 80JJA तक की होती हैं।

2. यदि किसी साझेदारी संलेख को किसी पूर्व तिथि से प्रभावी बनाया गया है तो भी उस साझेदारी संलेख की तिथि से पूर्व की अवधि के सम्बन्ध में ऐसे भुगतान की कटौती स्वीकृत नहीं होगी।

साझेदारों के पारिश्रमिक एवं ब्याज की स्वीकार्य राशि

(Allowable amount of Remuneration and Interest of Partners)

(i) यदि सक्रिय साझेदारों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक साझेदारी संलेख के अनुसार तथा उसके द्वारा अधिकृत हो तब ही ऐसे पारिश्रमिक की छूट स्वीकृत की जाती है, अन्यथा नहीं। ऐसे पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा धारा 40(b) में बताई गई है, जिसका उल्लेख पीछे किया गया है।

(ii) साझेदारों को दिये गये ब्याज की कटौती उसी समय स्वीकृत की जावेगी :

(अ) जबकि ऐसा ब्याज साझेदारी संलेख की शर्तों के अनुसार अधिकृत हो, तथा

(ब) साधारण ब्याज की दर 12% प्रतिवर्ष से अधिक नहीं हो अर्थात् 12% से अधिक दर से दिये गये ब्याज की छूट स्वीकृत नहीं होगी।

(iii) यदि कोई व्यष्टि किसी फर्म में किसी अन्य व्यक्ति के लिए साझेदार है, तो ऐसे व्यष्टि को उस फर्म के द्वारा देय ब्याज की कटौती अस्वीकृत नहीं होगी, बशर्तें ऐसा ब्याज उस व्यष्टि को प्रतिनिधि साझेदार की क्षमता में न दिया गया हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए 'राम' किसी हिन्दू अविभाजित परिवार का सदस्य है तथा वह उस परिवार की तरफ से किसी फर्म में साझेदार है। फर्म ने राम को गत वर्ष में 5,000 रूपये ब्याज के रूप में चुकाये हैं। जिनमें से 3,000 रूपये उसे परिवार के प्रतिनिधि की क्षमता में परिवार के लिए दिये गये हैं तथा शेष 2,000 रूपये उसके स्वयं के लिए दिए गये हैं। ऐसी स्थिति में 2,000 रूपये के ब्याज की कटौती स्वीकृत होगी तथा उस पर धारा 40 (b) के प्रतिबन्ध लागू नहीं होगे। यदि उस फर्म ने ऐसे परिवार को भी साझेदार की क्षमता में ब्याज चुकाया है तो उसकी कटौती पर भी धारा 40 (b) के उपर्युक्त प्रतिबन्ध लागू होंगे।

(iv) यदि कोई व्यष्टि कोई फर्म में प्रतिनिधि साझेदारी के अतिरिक्त अन्य किसी क्षमता में साझेदार है तथा फर्म ने ऐसे व्यष्टि को किसी अन्य व्यक्ति के प्रतिनिधि के रूप में या उसके हितों के लिए ब्याज चुकाया है तो ऐसे ब्याज की कटौती के सम्बन्ध में धारा 40(b) के प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए 'अ' किसी हिन्दू अविभाजित परिवार का कर्त्ता है तथा वह अपनी व्यक्तिगत क्षमता में किसी फर्म में साझेदार है। अब यदि उस फर्म द्वारा 'अ' को उसके परिवार के प्रतिनिधि की क्षमता में ब्याज चुकाया जाये, तो ऐसे ब्याज की कटौती पर धारा 40(b) के प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे।

(v) यदि किसी फर्म द्वारा अपने साझेदार से ब्याज लिया गया है तो ऐसा ब्याज उस फर्म की आय माना जायेगा तथा नियमानुसार उसकी कुल आय में शामिल किया जायेगा। किन्तु यदि उस फर्म ने उसी साझेदार को ब्याज का भुगतान भी किया है तो ऐसे ब्याज की कटौती पर धारा 40(b) के प्रतिबन्ध लागू होंगे।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

उदाहरण (Illustration) 15.1

Profit and Loss Account of M/s Suraj Mal Balu Ram, Kakrana for the year ending March 31,2010 is as follows :

31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये मैसर्स सूरज मल बालू राम ककराना का लाभ–हानि खाता निम्न प्रकार है–

	Rs.		Rs.
Cost of goods sold	14,50,000	Sales	24,00,000
Remuneration to partners	6,50,000	Rent of house property	60,000
Interes to partners		Interest on Govt. securities	90,000
@ 20% on capital	90,000		
Municipal tax of house property	6,000		
Other expenses	2,70,000		
Net Profit	84,000		
	25,50,000		25,50,000

Other information are us under :

(i) Out of other expenses, Rs. 75,000 is not deductible under section 36,37 (1) and 43 B.

(ii) on 20th July, 2009 the firm pays an outstanding sales-tax liability of Rs. 6,000 of the previous year 2008-09 and debited to P. & L. account.

(iii) Brought forward business loss from the previous year 2008-09 is Rs. 60,000.

Compute the remuneration deductible under section 40 (b).

अन्य सूचनाएँ निम्न प्रकार हैं–

(i) अन्य व्ययों में 75,000 रू. की राशि धारा 36, धारा 37 (1) एवं धारा 43 B के अन्तर्गत कटौती योग्य नहीं है।

(ii) 20 जुलाई, 2009 को फर्म ने गत वर्ष 2008–09 के विक्रय कर दायित्व की 6,000 रू. की राशि का भुगतान किया है तथा इसे लाभ हानि खाते में नाम लिख दिया गया है।

(iii) गत वर्ष 2008–09 से 60,000 रू. की व्यापारिक हानि आगे लाई गई है।

धारा 40 (b) के तहत कटौती योग्य पारिश्रमिक की गणना कीजिए।

हल (Solution) :

Computation of remuneration deductible under section 40 (b)

	Rs.	Rs.
Net profit as per profit and loss account		84,000
Add **: Expenses debited to Profit and Loss account but which are not deductible** :		
Remuneration to partners (considered separately)		6,50,000
Interest to partners in excess of 12%		36,000
Municipal taxes of house property		6,000
Other expenses		75,000
		8,51,000
Less : **Incomes not taxable under this head**		
Rent of house property	60,000	
Interest on Govt. securities	90,000	1,50,000
Book Profits		7,01,000
Maximum amount deductible on account of remuneration payable to partners under section 40 (b) :	2,70,000	
On first Rs. 3,00,000 @ 90%	2,40,600	
On balance of Rs. 4,01,000 @ 60%	5,10,600	

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

टिप्पणी –

(i) पुस्तक लाभों की गणना करते समय आगे लाई गई व्यापारिक हानि को नहीं घटाया जाता है।

(ii) धारा 43 (B) के अन्तर्गत पिछले वर्ष के बकाया विक्रय कर दायित्व का भुगतान इस वर्ष भुगतान करने पर कटौती योग्य है। चूँकि इस राशि को लाभ–हानि खाते के नाम पक्ष में लिख दिया गया है, अतः इस राशि का कोई समायोजन नहीं किया गया है।

(iii) साझेदारों को ब्याज 12% की दर से स्वीकृत किया जाता है, अतः अस्वीकृत ब्याज की गणना निम्न प्रकार की गई है–

$$90,000 \times 8/20 = \text{Rs. } 36,000$$

उदाहरण (Illustration) 15.2 :

X,Y and Z are partners in a firm sharing profits and lossess in the ratio of X ½; Y 1/3 and Z 1/6. The firm's Profit and Loss account for the year ending on 31st March, 2010 showed a net profit of Rs. 2,50,000 after debiting the following amounts :-

(i) Salary of Rs. 40,000 paid to X who is a sleeping partner in the firm.

(ii) Rs. 42,000 paid for purchase of a patent right.

(iii) Rs. 2,000 for partnership deed expenses.

(iv) Commission on sales paid to Y Rs. 1,70,000.

(v) Interest on Capital Rs. 4,000, Rs. 2,000 and Rs. 3,000 paid to X,Y and Z respectively.

(vi) Rs. 10,000 paid to Y on account of rent for the portion of the building owned by him which is used for firm's office.

(vii) Donation to approved institution Rs. 40,000.

The net profit includes Rs. 10,000 being interest received from Government securities. The remuneration to partners and interest on capital are as per instrument of partnership.

Compute the total income of the firm for the assessment year 2010-11 and calculate the tax payable.

एक्स, वाई और जैड एक फर्म में साझेदार हैं जो X ½; Y 1/3 और Z 1/6 के अनुपात में लाभ–हानि विभाजित करते हैं। 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ–हानि खाता निम्नलिखित धनराशियों को नाम लिखने के पश्चात् 2,50,000 रू. का शुद्व लाभ दर्शाता है :

(i) एक्स, जो एक निष्क्रिय साझेदार है, को वेतन का भुगतान 40,000 रू।

(ii) एक पेटेन्ट अधिकार क्रय करने हेतु 42,000 रू. का भुगतान।

(iii) साझेदारी संलेख के व्यय 2,000 रू.।

(iv) वाई को भुगतान किया हुआ विक्रय पर कमीशन 1,70,000 रू.।

(v) एक्स, वाई और जैड को भुगतान किया गया पूँजी पर ब्याज क्रमशः 4,000 रू., 2,000 रू. और 3,000 रू.।

(vi) वाई के स्वामित्व वाले भवन के उस भाग के लिए वाई को भुगतान किया गया किराया जिसमें फर्म का कार्यालय स्थित है, 10,000 रू.।

(vii) अनुमोदित संस्थाओं को दान 40,000 रू.।

फर्म के शुद्व लाभ में सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त ब्याज के 10,000 रू. सम्मिलित हैं। साझेदारों का पारिश्रमिक एवं पूँजी पर ब्याज साझेदारी संलेख के अन्तर्गत ही दिया गया है।

2010–11 कर निर्धारण वर्ष के लिये फर्म की कुल आय की गणना कीजिये तथा फर्म द्वारा देय कर भी ज्ञात कीजिये।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

हल **(Solution) :**

Computation of Total Income of the Firm
For the Assessment year 2010-11

Particulars	Rs.	Rs.	*Rs.*
1. Income from Business & Profession			
Net profit as per P. & L. A/c		2,50,000	
Add : **Expenses disallowed :**			
Salary to X	40,000		
Patent right expenses	42,000		
Partnership deed expenses	2,000		
Commission to Y	1,70,000		
Donation	40,000	2,94,000	
		5,44,000	
Less : Depreciation on Patent right @ 25% on Rs. 42,000		10,500	
		5,33,500	
Less : Incomes not taxable under this head :			
Interest on Government securities		10,000	
Book Profits		5,23,500	
Less : Remuneration allowable to partners :			
Rs. 3,00,000 X 90% = Rs. 2,70,000			
Rs. 2,23,500 X 60% = Rs. 1,34,100			
4,04,100			
Actual remuneration being less than allowable u/s 40 (b)		1,70,000	
2. **Income from other Sources** :			3,53,500
Interest on Government Securities			
Gross Total Income			10,000
Less : Deduction u/s 80-G			3,63,500
50% of Rs. 36,350			
Total Income			18,175
Total Income (Rounded off)			3,45,325
Tax payable by the firm			3,45,330
On Rs. 3,45,330 @ 30% =			Rs.
Add : Education Cess @ 2% on Rs. 1,03,599			1,03,599.00
SAH Education Cess @ 1% on Rs. 1,03,599			2,071.98
Tax Payable			1,035.99
Tax Payable (Rounded off)			1,06,706.97
			1,06,710.00

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

फर्म की आय में साझेदार के हिस्से की गणना
(Computation of share of partner in the Firm's Income)

फर्म की आय में साझेदार का हिस्सा उस साझेदार के व्यक्तिगत कर–निर्धारण के समय कर–मुक्त होता है तथा उसकी कुल आय में शामिल नहीं किया जाता है किन्तु यदि किसी साझेदार को फर्म से पूँजी पर ब्याज एवं पारिश्रमिक प्राप्त हुआ है तो ऐसे ब्याज तथा पारिश्रमिक के सम्बन्ध में जितनी राशि की फर्म को कटौती स्वीकृत हुई है, उतनी राशि ही साझेदार की कर–योग्य आय मानी जाती है तथा ''व्यवसाय या पेशे से लाभ'' शीर्षक में षामिल की जाती है। वह साझेदार इस शीर्षक के अन्तर्गत ऐसी कर–योग्य आय की गणना करते समय निम्न कटौतियों की माग भी कर सकता है–

(i) यदि साझेदार ने फर्म में पूँजी विनियोजन के लिए कोई ऋण लिया है तो ऐसे ऋण पर देय ब्याज की कटौती।

(ii) यदि साझेदारी संलेख के अनुसार साझेदार के लिए अपने पूँजी खाते में कोई न्यूनतम राशि जमा रखना अनिवार्य हो तथा ऐसा न करने पर उसके द्वारा फर्म को ब्याज देय हो, तो ऐसे ब्याज की कटौती; तथा

(iii) अन्य कोई भी व्यय जो ऐसी कर–योग्य आय को कमाने के लिए किया गया हो। यदि साझेदार निजी उपयोग के लिए पूँजी खाते में से या फर्म से कोई राशि आहरित करता है तथा ऐसे आहरण पर उसके द्वारा फर्म को कोई ब्याज देय है तो ऐसे ब्याज की कटौती नहीं मिल सकती।

उदाहरण (Illustration) 15.3 :

Ramesh and Suresh are equal partners in a firm. The profit and loss account of the firm for the year ended 31st March, 2010 is as under :

रमेश एवं सुरेश एक फर्म में समान साझेदार है। 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए फर्म का लाभ–हानि खाता अग्र प्रकार है :

Profit and Loss Account

	Rs.		Rs.
To Interest on Capital @ 12%		By Business Profits	2,40,000
Ramesh	18,000	By Income from house	
Suresh	27,000	Property (computed)	16,000
To Remuneration to Working		By Profit on sale of	
partners		listed equity shares	30,000
Ramesh	60,000		
Suresh	36,000		
To Donation to			
Public Charitable Trust	20,000		
To Share of Profit :			
Ramesh	62,500		
Suresh	62,500		
	2,86,000		2,86,000

The other information are as under :

1. The remuneration and interest on capital are as per instrument of partnership.
2. Ramesh paid interest to the firm on drawings for the marriage expenses of his daughter Rs. 20,000.
3. Suresh paid an interest of Rs. 30,000 on money borrowed from a money lender to contribute capital in the firm.
4. Shares sold on 15th December, 2009 were purchased in June, 1990 for Rs. 18,200. Share were sold through a recognized stock exchange.

Compute the total income of the firm and the amount which will be included in the income of partners for the assessment year 2010-11.

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

The cost inflation index for the year 1990-91 is 182.

अन्य सूचनायें निम्नलिखित हैं–

1. साझेदारों को पारिश्रमिक एवं पूँजी पर ब्याज साझेदारी प्रलेख के अनुसार ही है।
2. रमेश ने अपनी पुत्री के विवाह के खर्चों के लिए फर्म से आहरण किया तथा फर्म को 20,000 रू. के ब्याज का भुगतान किया।
3. सुरेश ने फर्म में पूँजी का अंशदान करने के लिये साहूकार से ऋण लिया तथा उसे 30,000 रू. के ब्याज का भुगतान किया।
4. 15 दिसम्बर, 2009 को बेचे गये अंश जून, 1990 में 18,200 रू. में क्रय किये गये थे। अंशों का विक्रय प्रमाणित स्कन्ध विनिमय के माध्यम से किया गया है।

कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए फर्म की कुल आय की गणना कीजिए तथा साझेदारों की आय में सम्मिलित की जाने वाली रकम की भी गणना कीजिए।

वर्ष 1990–91 का लागत वृद्वि सूचकांक 182 है।

हल **(Solution) :**

Computation of Total Income of the Firm
For the Assessment year 2010-11

		Rs.	Rs.
Business Profits			2,40,000
Less : Interest on Capital :			
Ramesh		18,000	
Suresh		27,000	45,000
Book Profits			1,95,000
Less : Remuneration to working partners :			
On Rs. 1,95,000 @ 90%		1,75,500	
The amount paid as per			
Instrument (whichever is less)		96,000	96,000
Business Income			99,000
Computation of Total Income of the Firm			Rs.
Income from house property	Rs.	Rs.	16,000
Business Income			99,000
Income from Capital gain :			
Sale price of shares		48,200	
Less : Cost of acquisition	18,200		
Indexed cost of acquisition			
(18,200 X 632÷182)		63,200	
Loss can not be set off		(-) 15,000	NIL
Gross Total Income			1,15,000
Less : Deduction u/s 80 G @ 50% on Rs. 11,500			5,750
Total Income			1,09,250
Share of Ramesh Rs. 54,625 and Suresh Rs. 54,625			
Computation of Income of Partners			
		Ramesh	Suresh
1. Interest		18,000	27,000
2. Remuneration in the ratio 5:3		60,000	36,000
3. Share in total income of the Firm exempt u/s 10 (2A)		-	-
		(a) 78,000	63,000
Less : Expenses :			
Interest		-	30,000
Taxable Income of the Partners		78,000	33,000

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

टिप्पणी–

(i) व्यक्तिगत कार्यों के लिये ऋण पर ब्याज का भुगतान कटौती–योग्य नहीं होता है।

(ii) दान की राशि सकल कुल आय के 10% तक की कटौती–योग्य होती है। इस प्रकार 1,15,000X 10/100= 11,500 रू. ही कटौती–योग्य है जिसकी 5,750 रू. की कटौती दी गई है।

(iii) सूचित समता अंशों की दीर्घकालीन पूँजी हानि को फर्म पूरा करने के लिये आगे नहीं ले जायेगी क्योंकि इनके विक्रय पर प्रतिभूति लेनदेन कर चुकाया गया है तथा इनका दीर्घकालीन पूँजी लाभ कर मुक्त होता है। हानि ऋणात्मक आय है।

अन्य विविध नियम
(Other Miscellaneous Provisions)

- **फर्म की हानियों की पूर्ति एवं उन्हें आगे ले जाना**
  (Set-off and Carry forward of Losses of Firm)

(i) कर–निर्धारण वर्ष 1993–94 से फर्म को अपनी हानियों की पूर्ति करने का तथा अशोधित राशियों को आगे ले जाने का अधिकार प्राप्त हो गया है। इस सम्बन्ध में धारा 70 से 74–A की व्यवस्थाएं फर्म पर भी लागू होंगी।

[धारा 75]

(ii) यदि किसी फर्म के गठन में कोई परिवर्तन हो चुका है तो अवकाश प्राप्त अथवा मृतक साझेदार के हिस्से की हानि को आगे ले जाने तथा समायोजन करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। कोई भी फर्म ऐसे साझेदार के हिस्से की हानि को पूर्ति हेतु आगे नहीं ले जा सकती।
[धारा 78(1)]

- **फर्म के गठन में परिवर्तन** [धारा 187]
  (Change in the constitution of a Firm) :

(1) फर्म के गठन में परिवर्तन का आशय [धारा 187(2)] :

किसी फर्म के गठन में परिवर्तन निम्न दो प्रकार से होता है–

(i) साझेदारों में परिवर्तन– जब एक या अधिक साझेदार फर्म को छोड़ देते हैं अथवा एक या अधिक नये साझेदार फर्म में प्रवेश करते हैं और कम से कम एक पुराना साझेदार फर्म में बना रहता है, तो यह फर्म के गठन में परिवर्तित कहलाता है। यदि समस्त पुराने साझेदार फर्म को छोड़ देते हैं और नये साझेदार द्वारा फर्म के व्यवसाय को ले लिया जाता है, तो यह फर्म के गठन में परिवर्तन न होकर एक फर्म का दूसरी फर्म द्वारा उत्तराधिकार (Succession) माना जाता है। फर्म के केवल नाम परिवर्तन से गठन में परिवर्तन नहीं कहलाता अर्थात् फर्म के गठन में परिवर्तन के लिए कुछ पुराने साझेदारों का (सभी का नहीं) फर्म से अवकाश प्राप्त करना या कुछ साझेदारों का फर्म में प्रवेश प्राप्त करना आवश्यक है। किसी साझेदार की मृत्यु के कारण साझेदारी की समाप्ति पर ये प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
[धारा 187(2)(a)]

(ii) साझेदारों के लाभ विभाजन में परिवर्तन– जब समस्त साझेदार तो वही रहें, परन्तु सभी या किन्हीं साझेदारों के लाभ–विभाजन के अनुपात में परिवर्तन हो जाये तो यह भी उस फर्म के गठन में परिवर्तन कहलाता है।

[धारा 187(2)(b)]

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(2) गठन में परिवर्तन का प्रभाव [धारा 187(1)] :

यदि कर–निर्धारण करते समय यह पाया जाता है कि फर्म के गठन में परिवर्तन हुआ है तो कर–निर्धारण के समय गठित फर्म पर पूरे गत वर्ष के लिए एक ही कर–निर्धारण होता है अर्थात् पुनर्गठित फर्म ही कर–दायित्व पूरा करने के लिए उत्तरदायी होता है।

- **फर्म का उत्तराधिकार**

  (Succession of a Firm) [धारा 188] :

यदि किसी व्यावसायिक या पेशेवर फर्म का स्वामित्व किसी दूसरी फर्म के पास चला गया हो तथा यह परिवर्तन धारा 187 के अन्तर्गत उस फर्म के गठन में परिवर्तन न हो, तो स्वामित्व परिवर्तन से पूर्व वाली फर्म की आय पर तथा स्वामित्व परिवर्तन के बाद वाली फर्म की आय पर पृथक–पृथक कर–निर्धारण किया जाएगा। यह कर–निर्धारण धारा 170 के अनुसार किया जाएगा।

- **फर्म द्वारा देय कर के लिए साझेदारों का संयुक्त तथा व्यक्तिगत दायित्व** [धारा 188A] :

किसी कर–निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में फर्म के द्वारा देय कर, अर्थदण्ड अथवा, अन्य किसी राशि के लिए ऐसा प्रत्येक व्यक्ति दायी होगा, जो संबंधित गत वर्ष में उस फर्म का साझेदार था। यदि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी हो तो उसका वैधानिक प्रतिनिधि दायी होगा। यह दायित्व ऐसे सभी व्यक्तियों का संयुक्त रूप से तथा पृथक् रूप से उस फर्म के साथ होगा। इस अधिनियम के सभी प्रावधान, जहाँ तक सम्भव हो, ऐसे कर, अर्थदण्ड या अन्य किसी राषि के निर्धारण या आरोपण के सम्बन्ध में लागू होंगे।

- **फर्म का विघटन या व्यापार की समाप्ति** [धारा 189]

किसी फर्म का विघटन होने पर या उसके व्यवसाय के बन्द हो जाने पर उस फर्म के कर–निर्धारण के सम्बन्ध में निम्न प्रावधान लागू होंगे–

(1) यदि किसी फर्म के द्वारा चलाया जा रहा व्यवसाय अथवा पेशा बन्द हो जाता है या किसी फर्म का विघटन हो जाता है तो कर–निर्धारण अधिकारी यह मानते हुए उस फर्म का कर–निर्धारण करेगा माना कि वह व्यवसाय अथवा पेशा चालू है या उस फर्म का विघटन नहीं हुआ है तथा इस अधिनियम की सभी व्यवस्थाएँ ऐसे कर–निर्धारण के सम्बन्ध में, जहाँ तक सम्भव हो, लागू होंगी। इनमें वे व्यवस्थाएँ भी सम्मिलित हैं, जो अर्थदण्ड से अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत देय अन्य किसी राशि से सम्बन्धित हैं।

(2) यदि कर निर्धारण अधिकारी अथवा उप–आयुक्त (अपील) अथवा आयुक्त (अपील) इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी फर्म के सम्बन्ध में चल रही किसी कार्यवाही के दौरान इस बात से सन्तुष्ट हो कि वह फर्म अध्याय XXI (धारा 270 से 275 तक) में निर्दिष्ट किसी भी अपराध के लिए दोषी रही है तो वह ऐसी फर्म पर उस अध्याय की व्यवस्थाओं के अनुसार ही अर्थदण्ड लगा सकता है।

(3) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी फर्म के विघटन या समापन के समय उस फर्म का साझेदार था, उस फर्म के द्वारा देय कर, अर्थदण्ड या अन्य किसी राशि के भुगतान के लिए दायी होगा। यह दायित्व ऐसे समस्त व्यक्तियों का संयुक्त तथा व्यक्तिगत होगा। यदि किसी साझेदार की मृत्यु हो चुकी है तो यह दायित्व उसके वैधानिक प्रतिनिधि का होगा। **वैधानिक प्रतिनिधि का दायित्व मृतक साझेदार की सम्पति तक ही सीमित होता है।**

(4) यदि किसी कर–निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में किसी कार्यवाही के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी फर्म का समापन अथवा विघटन हो जाता है तो यह कार्यवाही ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध चालू रहेगी, जिसका उल्लेख उपर्युक्त (3) में किया गया है तथा उसी स्तर से आगे चालू रहेगी जिस स्तर पर वह उस फर्म के समापन या विघटन के समय थी। ऐसी स्थिति में इस अधिनियम की समस्त व्यवस्थाएँ तदनुसार लागू मानी जायेंगी।

(5) धारा 159 (6) की व्यवस्थाएँ इस धारा से अप्रभावित मानी जायेंगी।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

फर्म तथा हिन्दू अविभाजित परिवार के कर–निर्धारण में अन्तर
(Difference between Firm and Hindu Udivided Family)

(1) सदस्यता– फर्म का सदस्य कोई भी व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि उस व्यक्ति को सदस्यता अनुबन्ध के कारण मिलती है। फर्म के सदस्य को साझेदार कहा जाता है। हिन्दू अविभाजित परिवार का सदस्य एक व्यक्ति प्राकृतिक रूप से ही हो सकता है। परिवार के सदस्य को सहभागी कहते हैं।

(2) अधिनियम– फर्म साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत आती है और हिन्दू अविभाजित परिवार हिन्दू लॉ (Hindu Law) के अन्तर्गत आता है।

(3) हित का निर्धारण– साझेदारों के हितों का निर्धारण साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत होता है तथा परिवार के सदस्यों के हित हिन्दू लॉ द्वारा निर्धारित होते हैं।

(4) संचालन– फर्म का संचालन सभी सक्रिय साझेदार करते हैं जबकि परिवार का संचालन उसके कर्त्ता द्वारा किया जाता है।

(5) पारिश्रमिक की सीमा– फर्म द्वारा साझेदारों को ब्याज एवं पारिश्रमिक धारा 40(b) में उल्लेखित सीमा से अधिक नहीं दिये जा सकते हैं जबकि हिन्दू अविभाजित परिवार में यह सीमा लागू नहीं होती है।

(6) कर की दरें– फर्म पर 30% की स्थिर दर से कर लगता है तथा कर–योग्य आय की कोई न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं होती है जबकि परिवार पर व्यष्टि के लिए लागू दरों से ही कर लगता है।

(7) सदस्यों के दायित्व की सीमा– फर्म के साझेदारों का दायित्व असीमित होता है जबकि हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्यों का दायित्व उनके परिवार में हित (सम्पत्ति) तक ही सीमित होता है।

अभ्यास के लिए प्रश्न
(Questions for Exercise)

अतिलघूतरात्मक प्रश्न

(Very Short Answer Type Questions) :

निम्नलिखिम प्रश्नों का उतर अधिकतम 20 शब्दों में दीजिए।

(Answer the following Questions in Maximum 20 words).

1. एक साझेदारी फर्म पर फर्म के रूप में कर–निर्धारण किये जाने के लिये आवष्यक दो शर्तों का उल्लेख कीजिए।
   Write two essential conditions to be fulfilled by a partnership firm to be assessed as partnership firm as such.
2. क्या एक साझेदारी फर्म किसी दूसरी फर्म में साझेदार हो सकती है ?
   Whether a partnership firm can become a partner in another firm ?
3. क्या एक हिन्दू अविभाजित परिवार किसी फर्म में साझेदार हो सकता है ?
   Whether a Hindu undivided family can become a partner in a firm ?
4. क्या एक कम्पनी किसी फर्म में साझेदार हो सकती है ?
   Whether a company can become a partner in a firm ?
5. एक फर्म की कुल आय पर किस दर से कर देय है ?
   At which rate the tax is payable on the total income of the firm ?
6. एक साझेदारी फर्म के द्वारा अपने किसी साझेदार को चुकाया गया ब्याज एवं वेतन के संदर्भ में फर्म को अधिकतम किस राशि की कटौती स्वीकृत होती है ?
   What is the maximum amount of deduction allowed for interest and salary paid to its partners by a partnership firm ?
7. क्या हानि की दशा में भी धारा 40(b) के अन्तर्गत साझेदारों को दिया गया पारिश्रमिक स्वीकृत किया जा सकता है ? यदि हाँ तो किस सीमा तक ?
   Can the remuneration given by a firm to its partners in case of loss be allowed under section 40(b) ? If so, to what extent ?

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

लघूतरात्मक प्रश्न

(Short Answer Type Questions) :

निम्नलिखिम प्रश्नों का उतर अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए।

(Answer the following Questions in Maximum 50 words).

1. किसी फर्म द्वारा साझेदारों को ब्याज तथा पारिश्रमिक की कटौती के सम्बन्ध में आय कर अधिनियम की व्यवस्थाओं को समझााइये ?

   Explain the provisions of the Income Tax Act in respect of deductions for interest and remuneration paid to the partners.
2. किसी फर्म के द्वारा अपने साझेदार को दिये गये पारिश्रमिक की कटौती किन शर्तों की पूर्ति होने पर स्वीकृत होती है ?

   What are the condition which must be fulfilled for allowing the deduction for the remuneration paid by a firm to its partner ?
3. एक साझेदारी फर्म का कर–निर्धारण व्यक्तियों के समुदाय की भाँति कब होता है ?

   When is a partnership firm assessed as an Association of Persons ?
4. एक फर्म एवं हिन्दू अविभाजित परिवार के कर–निर्धारण में क्या अन्तर है ?

   What is the difference between assessment of a firm and Hindu undivided Family ?

निबन्धात्मक प्रश्न

(Essay Answer Type Questions) :

1. एक फर्म की कुल आय की गणना करते समय उसके साझेदारों को देय पारिश्रमिक एवं ब्याज की कटौती के सम्बन्ध में आय कर अधिनियम की व्यवस्थाओं को स्पष्ट कीजिए ?

   Explain the provisions of the Income Tax Act relating to deduction for remuneration and interest to the partners of a firm while computing the total income of the firm ?
2. एक फर्म द्वारा देय कर की गणना करने की प्रक्रिया को समझाइये ?

   Explain the procedure for computation of tax payable by a firm ?
3. आय कर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत एक फर्म की कुल आय एवं उस पर आय कर की गणना करने की विधि का वर्णन कीजिए ?

   Describe the procedure for computation of total income and income tax of a firm under the Income Tax Act., 1961
4. किसी फर्म का विघटन होने पर उस फर्म के कर–निर्धारण के सम्बन्ध में आय कर अधिनियम की व्यवस्थाओं को स्पष्ट कीजिये।

   Explain the provisions of the Income Tax Act in respect of the assessment of a firm after it is dissolved.

व्यवहारिक प्रश्न (Practical Questions) :

1. A and B are two partners of A & Co. sharing profit and loss in the ratio 5:3 The concern is a partnership firm engaged in printing and publishing books since June 1,1992. The profit and loss account of the firm for the year ending March 31, 2010 is as follows :

   ए एण्ड कम्पनी के ए और बी दो साझेदार है जो लाभ–हानि को 5:3 में विभाजित करते है। यह संस्था एक साझेदारी फर्म है जो 1 जून 1992 से पुस्तकों के मुद्रण एवं प्रकाशन के कार्य में लगी हुई है। 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष का फर्म का लाभ–हानि खाता अग्र प्रकार से है :

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

Profit and Loss Account

	Rs.		Rs.
Cost of goods sold	3,00,000	Sales	5,00,000
Salaries to staff	50,000	Short term Capital gain	12,000
Depreciation	50,000	Interest receied on	
Remuneration to partners :		listed dedentures	18,000
A (working)	36,000	Net Loss :	
B (sleeping)	24,000	A	62,500
Interest on Capital :		B	37,500
A @ 18%	9,000		
B @ 21%	42,000		
Other expenses	25,000		
Loss from let out house property	8,000		
Long term Capital loss	86,000		
	6,30,000		6,30,000

The other information are as under :

1. The remuneration and interest on capital are as per partnership deed.
2. The firm has given a donation of Rs. 10,000 to Rajasthan Government for the promotion of Family planning Programme and the amount has been included in other expenses and thus debited to profit and loss account.
3. Depreciation as per section 32 is allowable to the extent of Rs. 60,000.
4. A purchased a car for Rs. 1,40,000 in July, 2009. The car is used for going to and coming back from the firm and other personal purposes. The use of car for personal purposes may be taken at 50%. The expenses on running and maintaining the car are Rs. 10,000.
5. A and B were paid Rs. 5,000 and Rs.15,000 respectively as interest on money borrowed to contribute capital in the firm.

   Compute total income of the firm and amount which will be included in the income of A and B for the assessment year 2010-11.

   अन्य सूचनाएँ निम्न हैं–

1. पारिश्रमिक एवं पूँजी पर ब्याज साझेदारी संलेख के अनुसार ही है।
2. फर्म ने राजस्थान सरकार को परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने हेतु 10,000 रू. का दान दिया है तथा इस राशि को अन्य व्ययों में सम्मिलित कर लिया गया है तथा इस प्रकार यह राशि लाभ–हानि खाते के नाम पक्ष में लिख दी गई है।
3. धारा 32 के अनुसार ह्रास की स्वीकृत योग्य राशि 60,000 रू. है।
4. ए ने जुलाई, 2009 में एक कार 1,40,000 रू. में खरीदी। कार का प्रयोग फर्म पर जाने–आने के लिये तथा अन्य निजी कार्यों के लिये किया जाता है। कार के प्रयोग का 50% भाग निजी कार्यों के लिये माना जा सकता है। कार को रखने एवं चलाने के व्यय 10,000 रू. माने जा सकते हैं।
5. ए और बी ने क्रमशः 5,000 रू. एवं 15,000 रू. का ब्याज फर्म में पूँजी का अंशदान करने के लिए उधार ली गई रकम पर दिया है।

   कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिये फर्म की कुल आय एवं प्रत्येक साझेदार की आय में सम्मिलित की जाने वाली राशि की गणना कीजिए।

[Ans : Total Income of firm Rs. 29,700
A's Income Rs. 21,500
B's Income Rs. 9,000]

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

वर्ग (Section) : C
इकाई (Unit) : 16
कम्पनियों का कर–निर्धारण
(Assessment of Companies)

परिचय
(Introduction)

कम्पनियों का कर–निर्धारण अन्य करदाताओं के कर–निर्धारण से भिन्न है। अन्य करदाताओं को अपनी आय पर उसी समय कर देना पड़ता है जब उनकी आय उनके लिए निर्धारित न्यूनतम राशि से अधिक हो जाती है परन्तु कम्पनी करदाता को अपनी आय पर कर प्रत्येक स्थिति में चुकाना पड़ेगा, चाहे कम्पनी की आय कितनी ही कम क्यों न हो। दूसरी तरफ अन्य करदाता अपनी आय पर खण्डों के अनुसार अलग–अलग दरों से कर चुकाते हैं, जबकि कम्पनियां अपनी कुल आय पर एक ही दर से कर चुकाती हैं।

कम्पनियों के कर–निर्धारण को समझने से पूर्व कम्पनी का अर्थ एवं कम्पनियों के प्रकार समझ लेना अत्यन्त आवश्यक है।

कम्पनी (Company)– आय–कर अधिनियम में कम्पनी की परिभाषा दी गई है वह कम्पनी अधिनियम में दी गई कम्पनी की परिभाषा से विस्तृत है। आय–कर अधिनियम की धारा–2(17) के अनुसार कम्पनी से आशय निम्नलिखित से है :

(i) एक भारतीय कम्पनी (भारतीय कम्पनी को इस इकाई में आगे समझाया गया है); अथवा
(ii) भारत के बाहर किसी भी देश के नियमों के अनुसार समामेलित कोई निकाय (Body corporate); अथवा
(iii) कोई भी ऐसी संस्था, समुदाय अथवा संघ (Body) जिस पर आय–कर अधिनियम, 1922 के अन्तर्गत अथवा वर्तमान आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कर–निर्धारण वर्ष 1970–71 अथवा पूर्व के किसी भी कर–निर्धारण वर्ष के लिए कम्पनी की तरह कर–निर्धारण किया गया हो; अथवा
(iv) कोई भी संस्था, समुदाय अथवा संघ जो भले ही समामेलित है अथवा नहीं है, और जो भले ही भारतीय है अथवा विदेशी, परन्तु जिसे प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) ने साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा कम्पनी घोषित कर दिया है। ऐसी संस्था, समुदाय अथवा संघ, केवल उस वर्ष के लिए अथवा उन वर्षों के लिए ही कम्पनी समझे जायेंगे जिनका घोषणा में उल्लेख होगा।

उपर्युक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष करों का केन्द्रीय बोर्ड यदि उचित समझे तो असमामेलित संस्थाओं को भी कम्पनी घोषित कर सकता है। बोर्ड ने भूतकाल में अनेक बार इस अधिकार का प्रयोग किया है तथा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यातायात निगम एवं अनेक क्लबों को कम्पनी घोषित करके आय–कर वसूल किया है।

कम्पनियों के प्रकार :

भारतीय कम्पनी (Indian Company)– आय–कर अधिनियम की धारा–2(26) के अनुसार भारतीय कम्पनी से आशय निम्न से है–
(i) कम्पनी से संबंधित किसी विधान के अन्तर्गत भारत [जम्मू एवं कश्मीर राज्य तथा वाक्यांश (v) में वर्णित संघीय प्रदेशों को छोड़कर] में निर्मित एवं पंजीकृत कम्पनी;
(ii) किसी केन्द्रीय, प्रान्तीय तथा राज्य अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित निगम;
(iii) कोई ऐसी संस्था, संघ अथवा निकाय जिसको प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा धारा–2(17) के अन्तर्गत कम्पनी घोषित किया गया हो;

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(iv) जम्मू एवं कश्मीर राज्य में प्रचलित किसी विधान के अन्तर्गत उस राज्य में निर्मित एवं पंजीकृत कम्पनी;

(v) दादरा, नगर हवेली, दमन, दीव एवं पांडीचेरी के संघीय क्षेत्र में अथवा गोआ राज्य में प्रचलित किसी विधान के अन्तर्गत इन क्षेत्रों में निर्मित एवं पंजीकृत कम्पनी।

प्रत्येक स्थिति में कम्पनी, निगम, संस्था अथवा समुदाय का पंजीकृत कार्यालय अथवा मुख्य कार्यालय भारत में स्थित होने पर ही उसे भारतीय कम्पनी माना जायेगा।

घरेलू कम्पनी (Domestic Company) [धारा 2(22A)]– घरेलू कम्पनी से आशय या तो भारतीय कम्पनी से होता है अथवा अन्य किसी भी ऐसी कम्पनी से होता है जिसने भारत में लाभांश के घोषित एवं भुगतान करने का निर्धारित प्रबन्ध कर लिया हो। आय–कर नियम, 1962 के नियम 27 के अनुसार यदि कम्पनी निम्नलिखित व्यवस्थायें करती है तो यह माना जायेगा कि उस कम्पनी ने भारत में लाभांश घोषित करने एवं भुगतान करने का निर्धारित प्रबन्ध कर लिया है–

(1) कम्पनी ने अपने समस्त अंशधारियों का अंश रजिस्टर भारत में स्थित अपने मुख्य व्यापारिक स्थान पर नियमित रूप से रखा है।

(2) कर–निर्धारण वर्ष में सम्बन्धित गत वर्ष के बहीखातों के अनुमोदन के लिए एवं लाभांश घोषित करने के लिए कम्पनी की साधारण सभा भारत में ही किसी स्थान पर की जायेगी।

(3) सभी अंशधारियों को लाभांश का भुगतान भारत में ही किया जायेगा।

यदि किसी कर–निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में कम्पनी ये व्यवस्थाएँ नहीं करती है तो उस वर्ष के लिए माना जायेगा कि कम्पनी ने भारत में लाभांश घोषित करने एवं भुगतान करने का निर्धारित प्रबन्ध नहीं किया है। यहाँ पर यह भी स्पष्ट रूप से समझ लिया जाना चाहिए कि एक भारतीय कम्पनी तो हमेशा ही घरेलू कम्पनी होती है। वे कम्पनियाँ जो भारतीय कम्पनी नहीं है, यदि उपरोक्त व्यवस्थाएँ कर देती हैं तो घरेलू कम्पनी की श्रेणी में आ जाती हैं।

कर–निर्धारण के उद्देश्य से घरेलू कम्पनियाँ भी दो प्रकार की हो सकती हैं जो निम्न हैं–

(अ) विस्तृत नियन्त्रण वाली घरेलू कम्पनी ; तथा

(ब) संकुचित नियन्त्रण वाली घरेलू कम्पनी।

विस्तृत नियन्त्रण वाली घरेलू कम्पनी (Widely held Domestic company)–

वह घरेलू कम्पनी जिसमें जनता का सारवान हित होता है, विस्तृत नियन्त्रण वाली घरेलू कम्पनी कहलाती है।

संकुचित नियन्त्रण वाली घरेलू कम्पनी (Closely held Domestic company)–

वह घरेलू कम्पनी जिसमें जनता का सारवान हित नहीं होता है, संकुचित नियन्त्रण वाली घरेलू कम्पनी कहलाती है।

अघरेलू कम्पनी अथवा विदेशी कम्पनी (Non-Domestic or Foreign company)[धारा 2(23A)]– यदि कोई कम्पनी न तो एक भारतीय कम्पनी है तथा न ही उसने भारत में लाभांश घोषित करने एवं भुगतान करने का निर्धारित प्रबन्ध किया है तो ऐसी कम्पनी अघरेलू कम्पनी कहलाती है।

विनियोग कम्पनी (Investment company)– विनियोग कम्पनी से आशय एक ऐसी कम्पनी से है जिसकी सकल कुल आय में मुख्य रूप से ऐसी आय सम्मिलित होती है जो ''मकान–सम्पति से आय'', ''पूँजी–लाभ'' तथा ''अन्य साधनों से आय'' शीर्षक के अन्तर्गत आती हो अथवा प्रतिभूतियों के ब्याज के रूप में हुई आय हो।

कम्पनी जिसमें जनता का सारवान हित होता है (Company in which the public are substantially interested)– आय–कर अधिनियम की धारा–2(18) के अनुसार निम्नलिखित कम्पनियाँ ऐसी हैं जिनमें जनता का सारवान हित होता है–

(i) सरकार एवं रिजर्व बैंक के स्वामित्व वाली कम्पनी– एक ऐसी कम्पनी जिसका स्वामित्व सरकार अथवा रिर्जव बैंक के पास है अथवा जिसके कम से कम 40% अंश सरकार अथवा रिर्जव बैंक

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

अथवा किसी ऐसे निगम के पास हैं जिसका स्वामित्व रिजर्व बैंक के पास है। ये 40% अंश इनके पास अलग–अलग भी हो सकते है अथवा इन सबके द्वारा रखे गये अंशों का योग भी हो सकते हैं। अंशों के अन्तर्गत साधारण एवं पूर्वाधिकार दोनों प्रकार के अंशों को सम्मिलित किया जाता है। चूँकि कम्पनी के अंश अलग–अलग मूल्य के हो सकते हैं अतः 40% अंशों का अर्थ कम्पनी की कुल पूँजी के 40% मूल्य वाले अंशों से होगा।

(ii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–25 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड– कम्पनी अधिनियम की धारा–25 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड कम्पनियाँ वे कम्पनियाँ होती हैं जिनका निर्माण वाणिज्य, कला अथवा विज्ञान के विकास के लिए अथवा धार्मिक, पुण्यार्थ अथवा अन्य गैर लाभदायक उद्देश्यों के लिए किया जाता है तथा जो अपने सदस्यों को लाभांश देने पर प्रतिबन्ध लगाती हैं।

(iii) बोर्ड द्वारा घोषित कम्पनी– एक ऐसी कम्पनी जिसकी कोई अंश–पूँजी नहीं है तथा जिसकी प्रकृति, उद्देश्य सदस्यों की संरचना तथा अन्य ऐसे ही तत्वों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने जिसे अपने आदेश द्वारा जनता के सारवान हित वाली कम्पनी घोषित कर दी है। यह कम्पनी केवल उन वर्षों के लिए ही इस प्रकार की कम्पनी समझी जायेगी जिन वर्षों का घोषणा में उल्लेख होगा।

(iv) पारस्परिक हित वाली वित्तीय कम्पनी– ऐसी कम्पनी जिसका व्यवसाय मुख्य रूप से अपने सदस्यों की जमा स्वीकार करने का है एवं जिसे कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–620A के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा एक निधि या पारस्परिक हित वाली सोसायटी घोषित किया गया है।

(v) सहकारी समितियों के स्वामित्त्व वाली कम्पनी– एक ऐसी कम्पनी जिसके कम से कम 50% मताधिकार वाले अंश एक या अधिक सहकारी समितियों के नाम शर्त रहित आंवटित कर दिये गये हैं अथवा एक या अधिक सहकारी समितियों ने प्राप्त कर लिये हैं तथा संबंधित गत वर्ष में पूरी अवधि के दौरान एक या अधिक सहकारी समितियों द्वारा धारित किये गये हैं, तो ऐसी कम्पनी को जनता के सारवान हित वाली कम्पनी कहा जायेगा।

(vi) सार्वजनिक कम्पनी– एक ऐसी कम्पनी जो कम्पनी अधिनियम, 1956 में दी गई परिभाषा के अनुसार एक प्राइवेट कम्पनी नहीं है तथा जो नीचे (अ) अथवा (ब) में दी गई शर्तें पूरी करती है–

(अ) यदि संबंधित गत वर्ष के अन्तिम दिन कम्पनी के साधारण अंश भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्कन्ध बाजार (Stock Exchange) में सूचित (Listed) हैं ; अथवा

(ब) यदि इस कम्पनी के कम से कम 50% मताधिकार वाले साधारण अंश सम्बन्धित पूरे गत वर्ष में बिना किसी शर्त के निम्नलिखित के पास रहे हैं–

(क) सरकार ; अथवा

(ख) केन्द्रीय, राज्यकीय अथवा प्रान्तीय अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित निगम ; अथवा

(ग) ऐसी कम्पनी जिसमें जनता का सारवान हित है अथवा उसकी सहायक कम्पनी ; बशर्ते की सहायक कम्पनी की सम्पूर्ण अंश–पूँजी पूरे गत वर्ष के दौरान उस कम्पनी के पास अथवा उसके नामांकिति के पास रही है।

स्पष्टीकरण–

यदि किसी कम्पनी का व्यवसाय मुख्यतः जहाजों के निर्माण करने, अन्य माल के निर्माण या विधियन, खनन क्रिया, बिजली या अन्य किसी प्रकार की शक्ति के निर्माण या वितरण से सम्बन्धित है, तो कम्पनी में 50% के स्थान पर 40% अंश निर्धारित संस्थाओं के पास होने पर ही वह कम्पनी जनता के सारवान हित वाली कम्पनी हो जायेगी।

व्यक्ति जिसका कम्पनी में सारवान हित हो– एक कम्पनी के सम्बन्ध में सारवान हित रखने वाले व्यक्ति से आशय उस व्यक्ति से है जो कम्पनी के उन अंशों का मालिक है जिन पर लाभांश की एक निश्चित दर नहीं है तथा जो कम्पनी के कुल मतों के 20% या अधिक पर अधिकार रखता है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

कम्पनी के कर–निर्धारण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें
(Some Important points regarding assessment of Companies)

1. कम्पनियों के लिए न्यूनतम कर–योग्य आय की कोई सीमा निर्धारित नहीं है जैसे कि व्यष्टि एवं हिन्दू अविभाजित परिवार के लिए निर्धारित है। कम्पनी को प्रत्येक स्थिति में अपनी कर–योग्य आय पर एक निश्चित दर से कर चुकाना पड़ता है। कम्पनी की कुल आय पर एक ही दर से कर लगाया जाता है।
2. एक घरेलू कम्पनी द्वारा वितरित किये जाने वाले लाभांश पर कम्पनी द्वारा अतिरिक्त आयकर चुकाना पड़ता है। ऐसा लाभांश अंशधारी के लिए कर–मुक्त होता है।
3. यदि किसी कम्पनी की पुस्तकों द्वारा लाभ प्रदर्शित किया जाता है परन्तु उस कम्पनी के कर–योग्य लाभ या तो शून्य हों या बहुत कम हो तो ऐसी स्थिति में कम्पनी के पुस्तकों लाभों पर 15% (अधिभार एवं शिक्षा उपकर अतिरिक्त) की दर से न्यूनतम वैकल्पिक कर–धारा 115JB (1) के अन्तर्गत देय होगा। पुस्तक लाभों की गणना विधि का वर्णन इसी इकाई में आगे किया गया है।
4. कम्पनियों की कुल आय की गणना भी ठीक उसी प्रकार से की जाती है जिस प्रकार से अन्य करदाताओं की जाती है। कम्पनी के लाभ–हानि खाते में भी आयकर के दृष्टिकोण से उसी प्रकार से संशोधन किये जाते हैं जिस प्रकार से एकाकी व्यापारी के लाभ–हानि खातें में। (इसका विस्तृत विवरण इकाई–7 में दिया गया है
5. कम्पनियों की कर–योग्य आय का निर्धारण कम्पनी की निवासीय स्थिति के आधार पर निर्धारित किया जाता है। कम्पनी या तो निवासी कम्पनी हो सकती है या अनिवासी कम्पनी (निवास निर्धारण सम्बन्धी प्रावधान इकाई 2 में दिये गये हैं।)
6. हानियों की पूर्ति सम्बन्धी प्रावधान इकाई 11 में समझाये गये हैं।
7. सकल कुल आय में से दी जाने वाली कटौतियों का वर्णन इकाई 12 में किया गया है।
8. कुल आय को निकटतम 10 रुपये के गुणांक में पूर्णांकित किया जाता है।
9. एक कम्पनी की कुल आय पर कर की गणना निम्न दरों से की जाती है (कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए)

1. एक घरेलू कम्पनी की दशा में :

(i) धारा 111A में वर्णित अल्पकालीन पूँजी लाभ पर अर्थात् समता अंशों अथवा समता उन्मुखी कोष की इकाइयों के ऐसे सौदे का अल्पकालीन पूँजी लाभ जिसमें प्रतिभूति लेन देन कर चुकाया गया हो। 15%

(ii) दीर्घकालीन पूँजी लाभ पर 20%

(iii) धारा 115BB के अन्तर्गत आने वाली लाटरी, वर्ग पहेली, घुड़–दौड़ आदि की इनाम की आय पर 30%

(iv) अन्य आय पर 30%

2. एक अघरेलू या विदेशी कम्पनी की दशा में :

(i) धारा 111A में वर्णित अल्पकालीन पूँजी लाभ पर 15%

(ii) दीर्घकालीन पूँजी लाभ पर

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(धारा 115AB, धारा 115AC अथवा धारा 115AD लागू होने पर 10%)
20%

(iii) धारा 115BB के अन्तर्गत आने वाली लाटरी, वर्ग पहेली, घुड़दौड़ आदि की इनाम की आय पर
30%

(iv) किसी भारतीय संस्था से प्राप्त रायल्टी एवं टैक्नीकल सेवायें प्रदान करने के बदले में प्राप्त फीस पर, बशर्तें इस सम्बनध में समझौता 1 अप्रैल, 1976 से पूर्व कर लिया गया हो तथा किये गये समझौते का अनुमोदन केन्द्रीय सरकार द्वारा हो गया हो अथवा ये राशियाँ सरकार से प्राप्त की गई हो।
50%

(v) शेष कुल आय पर (धारा 115A में वर्णित आयों के अलावा)
40%

सर–चार्ज–

उपर्युक्त सभी दशाओं में कर की राशि में घरेलू कम्पनी की दशा में कर की राशि का 10% तथा अघरेलू कम्पनी की दशा में कर की राशि का 2.5% सरचार्ज भी जोड़ा जायेगा यदि कुल आय एक करोड़ रूपये से अधिक हो। तथा योग की राशि कम्पनी द्वारा देय कर की राशि होगी।

शिक्षा उपकर–

आय कर तथा अधिभार के योग की राशि का 2% शिक्षा उपकर तथा 1 प्रतिशत माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर लगेगा। अतः आयकर, अधिभार, शिक्षा उपकर एवं माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर का योग कम्पनी द्वारा देय कुल कर होगा।

उदाहरण (Illustration) 16.1 :

Gupta Ltd. is a company operating textile mill. During the financial year 2009-10 it suffered a net loss of Rs. 10,50,000, after providing for depreciation of Rs. 3,60,000 whioch is the same as is admissible under the Income-tax Act. Perusal of accounts revealed the following items debited as expenditure under different heads to the Profit and Loss Account as well as certain additional information:

1. The company has taken overdraft from a bank for payment of income-tax. Interest charged by the bank is Rs. 20,000.
2. The Cotton Textile Export Promotion Council has charged a penalty on the company of Rs. 50,000 on account of short fall in export performance undertaken to be achieved by the company at the time of import of Egyptian Cotton. The penalty was stipulated in the permit itself and was dully paid by the company which contends that the penalty is less than the loss which the company would have incurred if the full export as undertaken had been made.
3. The company has collected charity at 0.1 per cent of its domestic sales. It has spent Rs. 30,000 on charity out of the total amount collected of Rs. 50,000. The balance is shown as liability.
4. The company has paid during the year a lump sum amount of Rs. 30,000 to acquire technical know-how from a laboratory owned by the Government. This has been treated as deffered revenue expenditure and a sum of Rs. 5,00,000 has been debited by the company to its Profit and Loss Account the balance being carried forward.
5. A development loan of Rs. 10,00,000 granted by the State Government to the company has been waived to the extent of 20%. This amount has been credited by the company to the Profit and Loss Account.

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

6. The company had debited a sum of Rs. 32,000 as bad debt by writing off the amount due from Chandubhai, a cotton merchant, to whom it was given as an advance for purchase of cotton. Chandubhai did not deliver the cotton nor could any recovery be made from him and he is absconding at present.

7. Salaries and wages include bonus to workers Rs. 90,000, the bonus payable under Payment of Bonus Act, 1965 was Rs. 60,000. The extra amount was paid in pursuance of negotiated settlement duly supported by Labour Tribunal Award.

8. Payment of interest of Rs. 40,000 on monies borrowed from the bank for payment of divident to the shareholders has been charged to the Profit & Loss Account.

Compute the company's total income for the assessment year 2010-11 giving reasons for allowance or disallowance and taxability or otherwise of each item.

गुप्ता लिमिटेड एक कम्पनी है जो टैक्सटाईल मिल चलाती है। वित्तीय वर्ष 2009–10 में कम्पनी को ह्रास के लिये 3,60,000 रु. का आयोजन करने के बाद (आय कर अधिनियम के अन्तर्गत भी स्वीकृत राशि यही है) 10,50,000 रु. की शुद्ध हानि हुई। खातों की जांच करने पर निम्नलिखित राशियाँ लाभ–हानि खाते में नाम लिखे जाने की तथा कुछ अतिरिक्त सूचनाओं की जानकारी मिलीः

1. कम्पनी ने आय कर के भुगतान के लिये एक बैंक से अधिविकर्ष लिया है। बैंक ने 20,000 रु. का ब्याज वसूल किया है।

2. मिस्र से रूई आयात के समय निर्धारित निर्यात निष्पादन में कमी के कारण सूती वस्त्र निर्यात संवर्द्धन समिति ने कम्पनी पर 50,000 रु. का अर्थ–दण्ड लगाया। अर्थ–दण्ड का उल्लेख अनुज्ञा पत्र में ही था तथा कम्पनी ने विधिवत रूप से इसका भुगतान कर दिया। अर्थदण्ड की राशि उस हानि से कम थी जो कम्पनी को निर्धारित निर्यात के पूर्ण निष्पादन पर होती।

3. कम्पनी ने अपनी घरेलू बिक्री पर 0.1 प्रतिशत की दर से धर्मादा की राशि एकत्रित की। कुल एकत्रित की गई 50,000 रु. की राशि में से कम्पनी ने धर्मादा पर 30,000 रु. की राशि खर्च की। शेष राशि दायित्व के रूप में दिखाई गई है।

4. कम्पनी ने गत वर्ष में सरकारी प्रयोगशाला से तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिये 30,00,000 रु. की राशि का एकमुश्त भुगतान किया है। इसे स्थगित आयगत खर्चा माना गया है तथा कम्पनी ने 5,00,000 रु. की राशि लाभ हानि खाते में नाम लिखी है। शेष राशि आगे ले जाई गई है।

5. राज्य सरकार द्वारा दिये गये 10,00,000 रु. के विकास ऋण में से 20% राशि को छोड़ दिया गया। यह राशि कम्पनी द्वारा लाभ हानि खाते में जमा की गई है।

6. कम्पनी ने रूई के एक व्यापारी, चन्दूभाई द्वारा देय 32,000 रु. की राशि को डूबत ऋण के रूप में अपलिखित किया है। उन्हें यह राशि रूई की खरीद के लिये अग्रिम दी गई थी। चन्दूभाई ने रूई की सुपुर्दगी नहीं दी तथा न ही उससे कोई वसूली हुई तथा अभी तक वह लापता है।

7. वेतन एवं मजदूरी में श्रमिकों का बोनस 90,000 रु. शामिल है। बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के तहत बोनस की देय राशि 60,000 रु. है। अतिरिक्त राशि का भुगतान श्रमिकों से हुये समझौते के निपटारे के तहत किया गया है। यह समझौता Labour Tribunal द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित है।

8. अंशधारियों को लाभांश चुकाने के लिये बैंक से धन उधार लिया था। इस पर 40,000 रु. का ब्याज दिया गया जिसे लाभ–हानि खाते में नाम लिखा गया है।

कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिये कम्पनी की कुल आय ज्ञात कीजिए। प्रत्येक मद स्वीकृत होने अथवा अस्वीकृत होने अथवा इसकी कर देयता अथवा कर–मुक्ति के लिये भी कारण दीजिये।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

Solution:

Computation of Total Income of Gupta Limited for the Assessment Year 2010-11

		Rs.	Rs.
Computation of Business:			
Net Profit as per P & L A/c			(-) 10,00,000
Add:	Expenses disallowed:		
	Interest on overdraft	20,000	
	Payment for technical know-how	5,00,000	5,20,000
			5,30,000
Less:	Waiver of development loan by State Govt. is not a taxable income	2,00,000	2,00,000
	Net Profit		**(-) 7,30,000**
	or Net Loss		**7,30,000**
	Depreciation debited to P & L A/c to be separately carried forward		3,60,000
	Net Loss to be carried forward		3,70,000
	Unabsorbed depreciation on technical know-how being intangible asset, carried forward (35% of 30,00,000)		7,50,000
	Other depreciation to be carried forward		3,60,000
	Total depreciation to be carried forward		11,10,000

टिप्पणीः

1. सूती वस्त्र निर्यात संवर्द्धन समिति द्वारा कम्पनी पर निर्यात निष्पादन पूर्ण नहीं करने के कारण लगाया गया अर्थ दण्ड व्यापार से सम्बन्धित है तथा यह किसी कानून के उल्लंघन या अपराध के लिये नहीं है। अतः स्वीकृत व्यय है। चूंकि यह राशि लाभ–हानि खाते में नाम लिख दी गई है, अतः कोई समायोजन नहीं किया गया है।
2. धर्मादे के रूप में एकत्रित की गई राशि आय नहीं है चाहे विक्रय के प्रतिशत के रूप में ही एकत्रित की गई हो। यद्यपि कम्पनी का यह दायित्व है कि वह इसे धार्मिक कार्यों पर ही व्यय करे। कम्पनी ने न खर्च की गई राशि को दायित्व के रूप में दिखाया है, अतः किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं है।
3. रूई की आपूर्तिकर्त्ता को दी गई अग्रिम राशि की वसूली नहीं होना व्यापारिक हानि है जो स्वीकृत है। चाहे कम्पनी ने गलती से इसे डूबत ऋण का नाम दे दिया हो, परन्तु इसे लाभ–हानि खाते में अपलिखित किया गया है, यह सही है।
4. संइवनत ज्तपइनदंसय द्वारा निर्धारित बोनस की राशि स्वीकृत व्यय है चाहे यह बोनस अधिनियम द्वारा देय राशि से अधिक ही क्यों न हो।
5. पूंजी उधार लेने पर दिया गया ब्याज धारा 36 (1)(iii) के तहत स्वीकृत व्यय है। अतः अंशधारियों को लाभांश का भुगतान करने हेतु लिये गये ऋण का ब्याज स्वीकृत व्यय है तथा इसके लिये कोई समायोजन नहीं किया जायेगा।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

उदाहरण (**Illustration**) 16.2 :

The profit and loss account of M/s Diamond Limited for the year ending 31st March, 2010 shows of Rs. 5,56,780. Included in the profit are the following receipts:

a. Rent received from workers for the quarters allotted to them Rs. 70,000.

b. Rent of commercial property let out to a bank Rs. 1,10,000.

c. Amount charged from suppliers using guesthouse of the company Rs. 20,000.

The debits in the P. & L. A/c included the following:

i. Lump sum consideration paid for obtaining a license in respect of technical information from a foreign company to improve the quality of products Rs. 6,40,000.
ii. Expenses incurred to eliminate a drain under statutory obligatin Rs. 2,00,000.
iii. Payment in respectof income-tax proceedings Rs. 1,50,000.
iv. Loss an account of non-recovery of advance given to 100 percent subsidiary company engaged in business of financing subsidiary companies Rs. 2,10,000.
v. Salary includes commission to employees which is paid on 10th December, 2010, Rs. 10,000.
vi. Payment to State Electricity Board for providing service lines Rs. 25,000.
vii. Entertainment expenses at a five star hotel Rs. 15,000.
viii. Expenditure on scientific research, include Rs. 50,000 being cost of land and Rs. 20,000 paid to an approved National Laboratory for undertaking scientific research under an approved programme.
ix. Advertisement expenditure includes the following:
    1. Expenditure incurred outside India Rs. 58,000.
    2. Rs. 30,000 paid by bearer cheque.
x. Travelling expenses Rs. 20,000 incurred on air fare by the Sales Manager who is otherwise entitled for a first class rail travel which would have cost Rs. 8,000.
xi. Interest payable outside India (no tax is deducted at source) Rs. 50,000.
xii. Interest payable to IFCI (amount paid on 15th December, 2010) Rs. 25,000.
xiii. Taxes debited to P. & L. A/c include:
    1. Municipal Tax on quarters given to workers (paid on 30th June, 2010) Rs. 16,000.
    2. Municipal Tax on Commercial Property (paid on 30th June, 2010) Rs. 20,000.
xiv. Land revenue for the workers quarters (Rs. 5,000) and on commercial property (Rs. 8,000) is paid on 5th September, 2010.

Determine the amount of net income of the company for the assessment year 2010-11. The answer should clearly indicate the basis of treatment of each item.

31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये डायमण्ड लिमिटेड का लाभ–हानि खाता 5,56,780 रु. का लाभ प्रकट करता है। लाभ में निम्न प्राप्तियां शामिल हैं–

अ. श्रमिकों को दिये गये क्वार्टर्स का प्राप्त किराया 70,000 रु.

ब. बैंक को किराये पर दी गई व्यावसायिक सम्पत्ति का किराया 1,10,000 रु.

स. कम्पनी के अतिथिगृह का प्रयोग करने वाले आपूर्तिकर्त्ताओं से प्राप्त राशि 20,000 रु.।

लाभ–हानि खाते के नाम पक्ष में निम्न शामिल हैं–

i. अपने उत्पाद की किस्म सुधारने के लिये एक विदेशी कम्पनी से तकनीकी जानकारी सम्बन्धी लाइसेंस प्राप्त करने हेतु एक मुश्त प्रतिफल के रूप में दिया गया 6,40,000 रु. का भुगतान।
ii. मोरी (नाली) हटाने के लिये वैधानिक दायित्व के अन्तर्गत 2,00,000 रु. व्यय किये।
iii. आयकर सम्बन्धी कार्यवाही के लिये 1,50,000 रु. का भुगतान।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

iv. शत–प्रतिशत सहायक कम्पनी को, जो सहायक कम्पनियों को वित्त उपलब्ध कराने के व्यवसाय में संलग्न है, दिये गये अग्रिम के न वसूल होने से हानि 2,10,000 रु.।

v. वेतन में कर्मचारियों को दिये कमीशन की 10,000 रु. की राशि भी सम्मिलित है, जिसका भुगतान 10 दिसम्बर, 2010 को दिया गया।

vi. राज्य विद्युत मण्डल को सर्विस लाइन प्रदान करने के लिये 25,000 रु. का भुगतान।

vii. एक पाँच सितारा होटल में मनोरंजन पर व्यय की गई 15,000 रु. की राशि।

viii. वैधानिक अनुसंधान पर किये गये व्यय में 50,000 रु. जमीन की लागत के शामिल हैं तथा 20,000 रु. एक अनुमोदित राष्ट्रीय प्रयोगशाला को एक अनुमोदित कार्यक्रम के तहत अनुसंधान कार्य करने के लिये दिये गये हैं।

ix. विज्ञापन के व्ययों में निम्न शामिल है–
   1. भारत के बाहर व्यय की गई 58,000 रु. की राशि।
   2. वाहक चैक द्वारा 30,000 रु. का भुगतान।

x. विक्रय प्रबन्धक द्वारा हवाई जहाज से यात्रा करने पर 20,000 रु. यात्रा व्यय हुआ। वह रेल द्वारा यात्रा करने के लिये अधिकृत था। रेल द्वारा यात्रा करने पर व्यय 8,000 रु. होता।

xi. भारत के बाहर देय ब्याज (उद्‌गम स्थान पर नहीं काटा गया) 50,000 रु.।

xii. IFCI को देय ब्याज 25,000 रु. (भुगतान 15 दिसम्बर, 2010 को किया गया)।

xiii. लाभ–हानि खाते में नाम लिखी गई कर की राशियों में निम्न शामिल हैं–
   1. श्रमिकों को दिये गये क्वार्टर्स पर 16,000 रु. का नगरपालिका कर (भुगतान 30 जून, 2010 को किया गया)।
   2. व्यावसायिक सम्पत्ति पर नगरपालिका कर 20,000 रु. (भुगतान 30 जून, 2010 को किया गया)।

xiv. श्रमिकों के क्वार्टर्स पर 5,000 रु. तथा व्यावसायिक सम्पत्ति पर 8,000 रु. भू–राजस्व के 5 सितम्बर, 2010 को चुकाये।

कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिये कम्पनी की शुद्ध आय की गणना कीजिये। उत्तर में प्रत्येक मद के लिये किये गये व्यवहार के आधार को स्पष्ट रूप से दर्शाइये।

Solution:
Computation of Total Income of Diamond Limited
for the Assessment Year 2010

	Rs.	Rs.
1. Computation of income from Business & Profession:		
Net profit as per P. & L. A/c		5,56,780
Add: Expenses disallowed:		
(i) Lumpsum consideration for obtaining license is eligible for depreciation @ 25%. Balance amount is added back	4,80,000	
(ii) Expenses incurred to eliminate a drain is capital expenditure	2,00,000	
(iii) Commission paid to employees after due date for filing of return not allowed as per Section 43 B	10,000	
(iv) Out of scientific research expenses, cost of land not deductible u/s 35	50,000	
(v) Advertisement expenses paid by bearer cheque exceeding Rs. 20,000-100% disallowed u/s 40A(3)	30,000	
(vi) Interest paid outside India without deducting tax at source, disallowed	50,000	
(vii) Interest paid to IFCI after due date of		

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

furnishing of return disallowed	25,000	
(viii) Municipal tax on commercial property given on rent not deductible under this head	20,000	
(ix) Land revenue on commercial property given on rent, not deductible	8,000	8,73,000
		14,29,780
Less: Expenses allowable but not charged: Weighted deduction (i.e. extra deduction of 25%) in respect of payment to an approved National Laboratory (20,000 x 25%)		5,000
		14,24,780
Less: Incomes credited to P. & L. A/c but not taxable under this head: Rent of commercial property let out to bank-taxable as income from house property		1,10,000
Income from Business & Profession		**13,14,780**
2. Computation of Income from House Property:		
Gross Annual Value of Commercial Property being rent received	1,10,000	
Less: Municipal taxes (not deductible as payment is not made during the previous year)	---	
Annual Value	**1,10,000**	
Less: Statutory deduction @ 30% of A.V.	33,000	77,000
Gross Total Income & Total Income		**13,91,780**

टिप्पणीः

i. श्रमिकों का क्वार्टर्स में रहना कम्पनी के लिये लाभप्रद माना गया है। अतः इनसे प्राप्त किराया व्यवसाय की आय मानी जायेगी। चूंकि इसे व्यवसाय की आय में पहले ही सम्मिलित कर लिया गया है, अतः कोई समायोजन नहीं होगा। इसी प्रकार इन क्वार्टर्स का नगरपालिका कर एवं भू–राजस्व भी इसी शीर्षक में कटौती योग्य होंगे। चूंकि इनका भुगतान आयकर का नक्शा प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि के पूर्व कर दिया गया है, अतः कोई समायोजन नहीं किया गया है।

ii. आपूर्तिकर्ताओं द्वारा विश्रामगृह का उपयोग करने के बदले प्राप्त राशि व्यवसाय की आय होगी, भवन सम्पत्ति की नहीं। चूंकि इसे व्यवसाय की आय में सम्मिलित कर लिया गया है, अतः कोई समायोजन नहीं किया गया है।

iii. आयकर की कार्यवाही के सम्बन्ध में किया गया भुगतान व्यवसाय के लिये है, अतः स्वीकृत व्यय है।

iv. सहायक कम्पनी से अग्रिम की वसूली नहीं होना व्यवसाय की हानि है क्योंकि सहायक कम्पनी का व्यवसाय अपनी सहायक कम्पनियों को वित्त प्रदान करने का है। अतः कोई समायोजन नहीं किया गया है।

v. मनोरंजन के व्यय एवं भारत के बाहर विज्ञापन पर किये गये व्यय स्वीकृत हैं। अतः कोई समायोजन नहीं किया गया है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

vi. राज्य विद्युत मण्डल को सर्विस लाइन डालने के लिये दी गई राशि व्यवसाय के लिये आयगत व्यय है। अतः स्वीकृत की गई है।

vii. विक्रय प्रबन्धक द्वारा रेल की प्रथम श्रेणी के बजाय हवाई जहाज द्वारा की गई यात्रा व्यवसाय के लिये ही मानी जायेगी। अतः सम्पूर्ण राशि स्वीकृत की गई है तथा कोई समायोजन नहीं किया गया है।

उदाहरण (Illustration) 16.3 :

The following are the particulars of income of a domestic company in which public are substantially interested for the year ending, 31st March, 2010-

		Rs.
(i)	Profit of business after charging Rs. 50,000 paid as donation to anapproved charitable institution.	3,80,000
(ii)	Interest on Government secrurities	10,000
(iii)	Dividends from a Non-domestic company	50,000
(iv)	Long term Capital gain on sale of shares (computed)	50,000
(v)	Short term Capital gain on sale of shares (u/s 111A)	1,00,000

Find out the tax payable by the company for the Assessment Year 2010-11.

एक घरेलू कम्पनी का, जिसमें जनता का सारवान हित है, 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले गत वर्ष की आय का विवरण निम्नलिखित है–

		रु.
i.	एक अनुमोदित धर्मार्थ संस्था को दिये गये दान के 50,000 रु. घटाने के पश्चात् व्यापार का लाभ	3,80,000
ii.	सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज	10,000
iii.	एक अघरेलू कम्पनी से लाभांश	50,000
iv.	अंशों के विक्रय पर दीर्घकालीन पूंजी लाभ (आकलित)	50,000
v.	अंशों की बिक्री पर अल्पकालीन पूंजी लाभ (धारा 111। के तहत)	1,00,000

कर निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए कम्पनी द्वारा देय आय–कर की राशि ज्ञात कीजिए।

Solution:

यद्यपि कम्पनी द्वारा देय कर की राशि पूछी गई है परन्तु इसके लिए कम्पनी की कुल आय की गणना करना आवश्यक है।

Calculation of Total Income of the Company
for the Assessment Year 2010-11

	Rs.	Rs.
1. Income from Business and Profession:		
Profit shown by P. & L. a/c	3,80,000	
Add: Donation Charged to P. & L. a/c	50,000	4,30,000
2. Income from capital gain:		
Long term Capital gain on shares	50,000	
Short term Capital gain on shares (u/s 111A)	1,00,000	1,50,000
3. Income from other sources:		
Divident from Non-Domestic Company	50,000	
Interest on Govt. Securities	10,000	60,000
Gross Total Income		**6,40,000**

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

Less: Deduction in respect of Charitable donation @ 50% on Rs. 49,000		24,500
	Total Income	**6,15,500**

Computation of Tax payable by the Company

Tax on Long term Capital gain:		
on Rs.50,000 @ 20%		10,000
Tax on Short term Capital gain:		
on Rs. 1,00,000 @ 15%		15,000
Tax on Reduced Total Income:		
on Rs. 4,65,500 @ 30%		1,39,650
	Total Payable	**1,64,650**
Add: Educaton cess @ 2% on Rs. 1,54,650		3,293.00
SAH Education Cess @ 1% on Rs. 1,64,650		1,646.50
	Total Tax Payable	1,69,589.50
	Total Tax Payable (Rounded off)	**1,69,590.00**

टिप्पणी: अनुमोदित धर्मार्थ संस्था को दिये गये दान की राशि सकल कुल आय में से दीर्घकालीन पूंजी लाभों एवं धारा 111A के अल्पकालीन पूंजी लाभों के घटाने के बाद शेष बची समायोजित सकल कुल आय के 10: तक ही कटौती योग्य होगी।

उदाहरण (Illustration) 16.4 :

Suman Ltd. a public limited company within the meaning of Sec. 2(18) had the following incomes for the previous year ended 31st March, 2010-

1. Business Income including profits of Rs. 1,00,000 of a new Hotel established in June, 2010	1,50,000
2. Short-term Capital gain	10,000
3. Long-term Capital gain (Shares)	25,000
4. Long-term Capital gain (Building)	5,000

Compute the total income and tax payable by the company.

31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए गत वर्ष के लिए आयकर अधिनियम की धारा–2 (18) के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों में से सुमन लिमिटेड एक सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी है और जिसकी अग्रलिखित आय है–

1. व्यवसाय की आय (इसमें 1,00,000 रु. की आय जून, 2010 में स्थापित किये गये नये होटल की आय शामिल है)	1,50,000
2. अल्पकालीन पूंजी सम्पत्ति पर पूंजी लाभ	10,000
3. दीर्घकालीन पूंजी सम्पत्ति (अंशों) पर पूंजी लाभ	25,000
4. दीर्घकालीन पूंजी सम्पत्ति (भवन) पर पूंजी लाभ	5,000

कम्पनी की कुल आय व देय कर की गणना कीजिए।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

Solution:

Computation of Total Incoem of Suman Ltd.
for the Assessment Year 2010-11

		Rs.	Rs.
1. Income from Business			1,50,000
2. Income from Capital gains:			
(i) Short-term Capital gains		10,000	
(ii) Long-term Capital gains			
on Shares	25,000		
on Building	5,000	30,000	40,000
Gross Total Income			1,90,000
Less: Deduction u/s 80IB @ 30% for new hotel			30,000
Total Income			1,60,000

Computation of Tax payable by Suman Ltd.

Tax on Long term capital gain: on Rs. 30,000 @ 20%	6,000
Tax on Reduced Total Income: on Rs. 1,30,000 @ 30%	39,000
Tax Payable	**45,000**
Add: Education cess @ 2% on Rs. 45,000	900
SAH Education Cess @1% on Rs. 45,000	450
Total Tax Payable	**46,350**

उदाहरण (**Illustration**) 16.5 :

The total income of XYZ Ltd. for 2009-10 is Rs. 1,30,000 which includes casual income of Rs. 10,00,000 and long term Capital gains of Rs. 30,00,000. The remaining income is the profit from business. Ascertain the tax liability of this company in the following different situations for the assessment year 2010-11.

a. If the company is a domestic company-

(i) in which the public are substantially interested.

(ii) in which the public are not substantially interested.

b. If the company is a foreign company.

2009–10 के लिए XYZ Ltd. की कुल आय 1,30,000 रुपये है, जिसमें 10,00,000 रुपये की आकस्मिक आय तथा 30,00,000 रुपये के दीर्घकालीन पूंजी लाभ शामिल हैं। शेष आय व्यवसाय से लाभों की है। 2010–11 कर–निर्धारण वर्ष के लिये निम्नलिखित विभिन्न परिस्थितियों में इस कम्पनी का कर–दायित्व मालूम कीजिए–

अ. यदि यह एक ऐसी घरेलू कम्पनी हो–

(i) जिसमें जनता का सारवान हित है।

(ii) जिसमें जनता का सारवान हित नहीं है।

ब. यदि यह एक विदेशी कम्पनी है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

Solution:

Computation of Tax Payable
for the Assessment Year 2010-11

	Rs.
(a) If XYZ Ltd., is a Domestic Company:	
(i) Income tax on Rs. 90,00,000 @ 30%	27,00,000
(ii) Tax on long term capital gains of Rs. 30,00,000 @ 20%	6,00,000
(iii) Tax on casual income of Rs. 10,00,000 @30%	3,00,000
Add: Surcharge @10% on Rs. 36,00,000	3,60,000
Tax Payable	**39,60,000**
Add: Education cess @2% on Rs. 39,60,000	79,200
SAH Education Cess @ 1% on Rs. 39,60,000	39,600
Total Tax Payable	**40,78,800**
(b) If XYZ Ltd. is a Foreign Company:	
(i) Income tax on Rs. 90,00,000 @ 40%	36,00,000
(ii) Tax on long term capital gains of Rs. 30,00,000 @ 20%	6,00,000
(iii) Tax on casual income of Rs. 10,00,000 @30%	3,00,000
	45,00,000
Add: Surcharge @2.5% on Rs. 45,00,000	1,12,500
Tax Payable	46,12,500
Add: Education Cess @2% on Rs. 46,12,500	92,250
SAH Education Cess @ 1% on Rs. 46,12,500	46,125
Total Tax Payable	**47,50,875**
Total Tax Payable (Rounded off)	**47,50,880**

टिप्पणी– घरेलू कम्पनी में चाहे जनता का सारवान हित हो अथवा नहीं, समान दरों से ही कर लगाया जाता है।

उदाहरण (Illustration) 16.6 :

XYZ Ltd., a domestic company in which the public are substantially interested, submits the following particulars for the previous year ending on 31st March, 2010. Determine its tax liability for the assessment year 2010-11:

		Rs.
(i)	Profit from manufacturing activity in India	9,40,000
(ii)	Dividends from a foreign company on shares allotted to it in consideration for transfer of technical know-how	6,00,000
(iii)	Royalty from Bhutan government for use of its patents	3,00,000
(iv)	Royalty from an Indian company in respect of transfer of technical know-how	1,00,000
(v)	Short term Capital gains on sale of shares	50,000
(vi)	Short term Capital loss on sale of land	4,000
(vii)	Long term Capital gain on sale of building	1,30,000
(viii)	Long term Capital loss on sale of shares	40,000
(ix)	Brought forward business loss	5,00,000
(x)	Unabsorbed depreciation brought forward	1.20.000

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

एक्स वाई जैड लि., एक ऐसी घरेलू कम्पनी है जिसमें जनता का सारवान हित है, 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करती है। कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिये उसका कर–दायित्व निर्धारित करिये:

		रुपये
(i)	भारत में निर्माणी कार्यों से आय	9,40,000
(ii)	तकनीकी जानकारी प्रदान करने के प्रतिफल स्वरूप आवंटित किये गये अंशों पर एक विदेशी कम्पनी से लाभांश	6,00,000
(iii)	कम्पनी के पेटेन्टों के प्रयोग के बदले में भूटान सरकार से प्राप्त रॉयल्टी	3,00,000
(iv)	तकनीकी जानकारी प्रदान करने के बदले एक भारतीय कम्पनी से प्राप्त रॉयल्टी	1,00,000
(v)	अंशों के विक्रय पर अल्पकालीन पूंजी लाभ	50,000
(vi)	भूमि के विक्रय पर अल्पकालीन पूंजी हानि	4,000
(vii)	भवन की बिक्री पर दीर्घकालीन पूंजी लाभ	1,30,000
(viii)	अंशों के विक्रय पर दीर्घकालीन पूंजी हानि	40,000
(ix)	आगे लाई गई व्यवसाय की हानि	5,00,000
(x)	आगे लाया गया अशोधित ह्रास	1.20.000

Solution:

Computation of Tax Payable
for the Assessment Year 2010-11

		Rs.	Rs.
1. Income from Business or Profession:			
Profit from manufacturing activity		9,40,000	
Less: (i) Brought forward business loss	5,00,000		
(ii) Brought forward unabsorbed depreciation	1,20,000	6,20,000	3,20,000
2. Income from Capital Gains:			
a. Short term Capital gains:			
(i) Short term capital gains sale of shares		50,000	
(ii) Short term capital loss on sale of land		4,000	
b. Long term Capital gains:			
(i) Long term capital gain on sale of building		1,30,000	
(ii) Long term capital loss on sale of shares		40,000	
3. Income from Other Sources:			
(i) Dividends from a foreign company		6,00,000	
(ii) Royalty from Bhutan Government		3,00,000	
(iii) Royalty from Indian Company		1,00,000	10,00,000
Gross Total Income			14,56,000
Less: Deductions:			
under section 80-O in respect of royalty from Bhutan Government			--
Total Income			**14,56,000**

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

Computation of Tax payable by M/s XYZ Ltd.
for the assessment year 2010-11

		Rs.
Total income as computed above		14,56,000
Less:	Long term capital gains taxable separately under section 112	90,000
	Reduced total income	13,66,000
Income tax on Reduced total income of Rs. 13,66,000 @30%		4,09,800
Tax on long term capital gain of Rs. 90,000 @20%		18,000
	Tax Payable	4,27,800
Add:	Education Cess @2% on Rs. 4,27,800	8,556
	SAH Education Cess @1% on Rs. 4,27,800	4,278
	Total Tax Payable	4,40,634.00
	Rounded off	4,40,630.00

न्यूनतम वैकल्पिक कर
(Minimum Alternete Tax)
[धारा 115 JB (1)]

1. यदि किसी कम्पनी की गत वर्ष की कुल आय (जिसकी गणना आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की गई है) पर देय कर की राशि उसके पुस्तकीय लाभों (Book Profits) के 15% से कम है, तो फिर उस गत वर्ष के लिए देय कर की राशि ऐसे पुस्तकीय लाभों के 15% के बराबर मानी जावेगी। अन्य शब्दों में, सभी कम्पनियों (विदेशी कम्पनी सहित) द्वारा देय आयकर निम्न में से अधिक वाली राशि (Higher of the following amounts) होगीः
(a) आयकर अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अनुसार कुल आय पर ज्ञात की गयी कर की राशि (अधिभार एवं शिक्षा उपकर सहित) अथवा
(b) पुस्तकीय लाभों का 15% तथा अधिभार एवं 3% शिक्षा उपकर अतिरिक्त।
2. इस धारा के उद्देश्यों के लिये प्रत्येक कम्पनी सम्बन्धित गत वर्ष के लिये अपना लाभ–हानि खाता भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 की छटवीं अनुसूची के भाग II तथा भाग III के प्रावधानों के अनुसार तैयार करेगी। परन्तु वार्षिक खाते (लाभ–हानि खाते सहित) तैयार करते समय–
(i) लेखांकन नीतियाँ (Accounting policies);
(ii) लेखांकन मानक (Accounting standards) जो ऐसे खाते बनाते समय अपनाये गये;
(iii) ह्रास की गणना करने के लिये अपनाई गई विधि एवं दरें (Method and rates of depreciation)–
वही रहेंगी, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 210 के अनुसार बनाये गये तथा कम्पनी की वार्षिक साधारण सभा में रखे गये वार्षिक खातों को तैयार करने के उद्देश्य से अपनाई गई हैं।
सामान्यतः कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 210 के अनुसार बनाये गये तथा कम्पनी की वार्षिक साधारण सभा में रखे गये वार्षिक खातों के लिये वित्तीय वर्ष की अवधि तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत गत वर्ष की अवधि समान होती है। परन्तु कुछ कम्पनियों के लिए इनकी अवधि भिन्न भी हो सकती है, जैसे–बैंक तथा बीमा कम्पनियों की दशा में। ऐसी कम्पनियाँ वार्षिक खातों के दो सैट (Sets of Accounts) तैयार करती हैं– एक सैट कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुसार तथा दूसरा सैट आय–कर अधिनियम के अनुसार। ऐसी कम्पनियों के

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

लिये यह आवश्यक है कि वे आय–कर अधिनियम के अन्तर्गत गत वर्ष के सम्बन्ध में तैयार किये गये वार्षिक खातों के लिये तथा उस गत वर्ष में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में तैयार किये गये वार्षिक खातों के लिये एक समान लेखांकन नीतियाँ, लेखा मानक तथा ह्रास की विधि एवं दरों को अपनायें।

पुस्तकीय लाभों का आशय (Meaning of Book Profits) :

इस धारा के उद्देश्यों के लिये पुस्तकीय लाभों (book profits) से आशय संबंधित गत वर्ष के लाभ–हानि खाते में दिखाये गये शुद्ध लाभ में निम्नानुसार समायोजन करने के पश्चात् प्राप्त राशि से है–

(अ) यदि निम्नलिखित राशियाँ लाभ–हानि खाते के नाम पक्ष में लिखी हुई हों, तो उन्हें जोड़ दिया जायेगा–

(i) आय–कर की भुगतान की गई अथवा देय राशि अथवा आय–कर के भुगतान के लिये प्रावधान,

(ii) किसी भी संचय में हस्तान्तरित राशि (परन्तु समुद्री जहाजों के चलाने के व्यवसाय में लगी कम्पनी द्वारा धारा 33AC के प्रावधानों के अनुसार संचय में हस्तान्तरित राशि को छोड़कर)

(iii) अनिश्चित अथवा संदिग्ध दायित्वों के लिये प्रावधान की राशि;

(iv) सहायक कम्पनियों की हानियों के लिये प्रावधान;

(v) भुगतान किये गये अथवा प्रस्तावित लाभांश की राशि;

(vi) ऐसी आय से सम्बन्धित व्यय की राशियाँ, जिन पर धारा 10,10A,10AB,11 अथवा धारा 12 लागू होती है।

(vii) ह्रास की राशि

(viii) अस्थगित कर तथा ऐसे कर के आयोजन की राशि

(ix) किसी सम्पति के मूल्य में कमी के लिए बनाये गये आयोजन की राशि।

(ब) निम्नलिखित राशियों को घटा दिया जायेगा–

(i) किसी भी संचय अथवा आयोजन से निकाल कर लाभ–हानि खाते में जमा की गई राशि। परन्तु यदि ऐसा संचय या आयोजन (जिसमें से आहरण किया गया है) कर–निर्धारण वर्ष 2001–02 या आगे के किसी भी कर–निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित किसी गत वर्ष में बनाया गया है, तो उसमें से आहरित राशि को उसी स्थिति में घटाया जायेगा, जबकि ऐसे संचय या आयोजन की राशि से उस गत वर्ष के पुस्तकीय लाभों को (जिस गत वर्ष में ऐसा संचय या आयोजन बनाया गया था) बढ़ाया गया हो।

(ii) लाभ–हानि खाते में जमा की गई ऐसी राशियाँ जिन पर धारा 10,10A,10AB,11 अथवा धारा 12 के प्रावधान लागू होते हैं, अर्थात् इन धाराओं के अन्तर्गत कर–मुक्त आयें।

(iii) लेखा पुस्तकों के अनुसार आगे लाई गई हानि या अशोधित ह्रास, दोनों में जो भी कम हो। इस वाक्यांश के लिये हानि में ह्रास शामिल नहीं होगा। आगे लाई गई व्यापारिक हानि अथवा अशोधित ह्रास की राशि शून्य हो तो इस वाक्यांश के प्रावधान लागू नहीं होगे।

(iv) लाभ–हानि खाते को डेबिट की गयी ह्रास की राशि सम्पतियों के पुनमूल्यांकन पर ह्र को छोड़कर

(v) पुनर्मूल्यांकन संचय खाते से निकाल कर लाभ–हानि खाते में जमा की गयी राशि।

(vi) रूग्ण, औद्योगिक कम्पनी (Sick industrial Company) के लाभों की राशि, बशर्तें ये लाभ किसी ऐसे कर–निर्धारण वर्ष के होने चाहिये, जो 'रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 (Sick industrial Companies) (special provisions) Act, 1985'' की धारा 17 (1) के अन्तर्गत रूग्ण औद्योगिक कम्पनी होने वाले गत वर्ष से सम्बन्धित हो, किन्तु जो ऐसे कर–निर्धारण वर्ष के बाद वाला कर–निर्धारण वर्ष न हो जिसमें उस कम्पनी की शुद्व सम्पति (net worth) उसकी संचित हानियों के बराबर या उससे अधिक हो गई हो।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(vii) अस्थगित कर (Deferred tax) की राशि यदि यह राशि लाभ–हानि खातें में जमा की गयी हो।

3. उपर्युक्त उप–धारा (1) में दिया गया कोई भी प्रावधान निम्न राशियों को आगे ले जाने सम्बन्धी प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगा–

(i) धारा 32 (2) के अनुसार अशोधित ह्रास ;

(ii) धारा 32A (3) के अनुसार अशोधित निवेश छूट;

(iii) धारा 72 (1) (ii) अनुसार व्यापारिक हानि;

(iv) धारा 73 के अनुसार सट्टे व्यापार की हानि;

(v) धारा 74 के अनुसार पूँजी हानि; अथवा

(vi) धारा 74A (3) के अनुसार दौड़ के लिये रखे गये घोड़ों के व्यवसाय से हानि।

4. ऐसी प्रत्येक कम्पनी को, जिस पर यह धारा लागू होती है, अपनी आय की विवरणी के साथ चार्टर्ड लेखापाल का एक प्रमाण–पत्र निर्धारित फार्म में प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह प्रमाणित किया जायेगा कि पुस्तकीय लाभों की गणना इस धारा के प्रावधानों के अनुसार ही की गई है।

5. आय–कर अधिनियम की अन्य सभी व्यवस्थायें ऐसी कम्पनी पर लागू होंगी परन्तु इस धारा में कोई विपरीत प्रावधान दिया गया है तो वही लागू होगा।

स्पष्टीकरण– (1) धारा 115 JB के अनुसार देय कर की राशि यदि अन्य प्रावधानों के अनुसार परिकलित कुल आय पर देय कर की राशि से अधिक हो, तो अन्तर की राशि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कर जमा की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
(2) यदि किसी कम्पनी द्वारा अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अनुसार परिकलित कुल आय पर देय कर की राशि धारा 115 JB के अनुसार देय कर की राशि से अधिक है तो आधिक्य की राशि का प्रयोग धारा 115 JAA के अन्तर्गत कर जमा की आगे लाई राशि को समायोजित करने के लिये किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण टिप्पणी

सामान्य प्रावधानों के अनुसार कुल आय की गणना एवं न्यूनतम वैकल्पिक कर के लिये पुस्तकीय लाभों की गणना [धारा 115JB] में अन्तर की प्रमुख मदें–

	सामान्य रूप से कुल आय की गणना	पुस्तकीय लाभों की गणना
1.	आय कर अधिनियम के तहत कोई भी दी गई अथवा देय अर्थदण्ड अथवा ब्याज की राशि पुस्तकों मे नाम लिख दी गई हो तो इसे वापस जोड़ दिया जाता है क्योंकि ये अस्वीकृत होती हैं।	इन राशियों को पुस्तकीय लाभों की गणना में वापस नहीं जोड़ा जाता है।
2.	धन कर अधिनियम, उपहार कर अधिनियम (वर्तमान में लागू नहीं) अथवा कम्पनी (लाभ) अधि–कर (Sur-tax) के तहत दी गई अथवा देय कोई भी कर अथवा ब्याज अथवा अर्थ–दण्ड की राशि पुस्तकों में नाम लिख दी गई हो तो इसे वापिस जोड़ दिया जाता है।	इन राशियों को पुस्तकीय लाभों की गणना में वापस नहीं जोड़ा जाता है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

3.	कोई भी कर या शुल्क गत वर्ष की समाप्ति पर अदत्त हो तथा धारा 43 B के प्रावधानों के तहत भुगतान निर्धारित तिथि तक नहीं करने के कारण यदि लाभ हानि खाते में नाम लिख दिया गया हो तो वापस जोड़ दिया जाता है।	इन राशियों को पुस्तकीय लाभों की गणना में वापस नहीं जोड़ा जाता है।
4.	कोई भी कर या शुल्क की राशि जिसकी पहले अदत्त होने के कारण कटौती नहीं मिली थी चालू वर्ष में भुगतान करने पर कटौती मिल जाती है। ऐसी राशि को लाभ हानि खाते में लिख दिया गया हो तो वापस नहीं जोड़ते हैं तथा यदि नहीं लिखा गया हो तो लाभों में से घटा दिया जाता है।	चूंकि ऐसी राशियों की पूर्व के वर्ष में कटौती बिना भुगतान के ही मिल जाती है, अतः दुबारा कटौती नहीं देंगे। यदि लाभ–हानि खाते में नाम लिख दिया है तो वापस जोड़ देते हैं तथा यदि लाभ हानि खाते में नहीं लिखा है तो अब नहीं घटायेंगे।
5.	सकल कुल आय में से कम्पनी को दी जाने वाली सभी कटौतियाँ जिस सीमा तक कम्पनी को मिल सकती है, घटा दी जाती हैं।	पुस्तकीय लाभों की गणना करते समय धारा 80 G की कटौती अथवा धारा 80 IA अथवा धारा 80 IB की कटौती नहीं घटाई जाती हैं। सकल कुल आय में दी जाने वाली अन्य कोई कटौती भी नहीं घटाई जायेगी।
6	कुल आय की गणना में ह्रास की राशि आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ज्ञात की जाती है।	पुस्तकीय लाभों की गणना में ह्रास की राशि का निर्धारण कम्पनी अधिनियम की व्यवस्थाओं के तहत लेखांकन के उद्देश्य से किया जाता है।
7.	आयकर नियमों के अनुसार आगे लाई गई हानि के पूर्ति की जाती है इसमें हानि में अशोधित ह्रास सम्मिलित रहता है। यदि हानि नहीं दी हो केवल अशोधित ह्रास हो तो उसकी पूर्ति की जाती है।	इसमें लेखांकन की दृष्टि से आगे लाई गई हानि अथवा अशोधित ह्रास दोनों में कम वाली राशि की पूर्ति की जाती है। इसमें हानि में अशोधित ह्रास सम्मिलित नहीं रहता है।
8.	इसमें कुल आय में दीर्घकालीन पूँजी लाभ अथवा आकस्मिक आय भी सम्मिलित हो तो कर की गणना अलग–अलग दरों से की जायेगी।	इसमें पुस्तकीय लाभों में ही दीर्घकालीन पूँजी लाभ एवं आकस्मिक आय सम्मिलित रहती है। अतः कर की गणना पुस्तकीय लाभों पर ही 7. 5% की दर से की जाती है।

उदाहरण (Illustration) 16.1 :

For the Assessment year 2010-11 Richa Limited has correctly work out its book profits as per section 115 JB as Rs. 1,05,00,000. The total income computed as per the provision of Income Tax is Rs. 50 Lakhs. It Desires to know how much has to be shown in the final accounts of the company as provision for taxation.'

कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिये ऋचा लिमिटेड ने धारा 115 JB के अनुसार अपने पुस्तक लाभ सही ज्ञात किये हैं जो 1,05,00,000 रू. हैं आयकर प्रावधानों के अनुसार कुल आय की गणना 50 लाख रू. पर की गई है। यह जानना चाहती है कि कम्पनी के 'अन्तिम खातों में 'कर के लिये आयोजन' की कितनी राशि दिखाई जाये।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

हल (**Solution**) :

Computation of Tax Liability of Richa Limited
For the Assessment Year 2010-11

(A) **Computation of Tax Payable under normal Provisions**	Rs.	Rs.
Tax Payable @ 30%	15,00,000	
(50,00,000 X 30%)	NIL	
Add : SurCharge	15,00,0000	
Add: Education Cess and SAH Cess	45,000	
(3% on Rs. 15,00,000)		15,45,000
(B) **Computation of Tax Payable u/s 115JB**		
(Minimum Alternate Tax)	15,75,000	
Tax Payable (1,05,00,000 X 15%)	1,57,500	
Add : Surcharge 10% (Book Profits exceeds Rs. 1 Crore)	17,32,500	
	51,975	
Add : 3% Education and SAH Cess		17,84,475
Tax Payable by the Company		17,84,475
(Higher of A or B above)		

टन भार क्षमता के आधार पर कर लगाना
(**Tonnage Tax System**)

[Sections 115V to 115 VZC]

जलयान की टन भार क्षमता के आधार पर आय कर लगाने की प्रणाली नई है तथा समुद्री व्यापार करने वाले अनेक देशों ने इस प्रणाली को अपनाया है। भारतीय जलयान उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से हमारे देश में भी इस प्रणाली को वित्त अधिनियम, 2004 द्वारा 1 अक्टूबर, 2004 से अपनााया गया है। इस उद्देश्य के लिये आयकर अधिनियम में एक नया अध्याय–XIIG '' पोत परिवहन कम्पनियों की आय के सम्बन्ध में विशेष प्रावधान'' जोड़ा गया है।

इस प्रणाली की मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं–

(1) यह कर प्रणाली ऐच्छिक अथवा वैकल्पिक है। इस योजना में भाग लेने अथवा इस प्रणाली के आधार पर कर चुकाने के लिये कम्पनी को निर्धारित शर्तों की पूर्ति करना आवश्यक है। शर्तें पूरी करने वाली कम्पनी के लिये भी यह आवश्यक नहीं है कि इस प्रणाली को अपनाये। यदि कोई कम्पनी इसे नहीं अपनाती है तो वह अन्य कम्पनियों की तरह साधारण विधि से ही आयकर का भुगतान करेगी।

(2) यह योजना निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाली कम्पनी, जिसे योग्य कम्पनी या सुपात्र कम्पनी (Qualifying Company) कहा गया है, के द्वारा ही अपनाई जा सकती है। निम्न शर्तों को पूरा करने वाली कम्पनी योग्य कम्पनी (Qualifying Company) कहलायेगी–

(अ) यह एक भारतीय कम्पनी है,

(ब) इस कम्पनी के वास्तविक प्रबन्ध का स्थान भारत में है,

(स) यह कम से कम एक योग्य जलयान (Qualifying ship) की स्वामी है, तथा

(द) कम्पनी का मुख्य उद्देश्य जलयानों के संचालन का कारोबार करना है।

(3) यह योजना योग्य पोत या जलयान (Qualifying ship) के सम्बन्ध में ही अपनाई जा सकती है। योग्य पोत या जलयान से आशय ऐसे पोत या जलयान से है जो निर्धारित निम्न शर्तो की पूर्ति करता है :

(अ) यह एक सामुद्रिक पोत या जलयान है जिसकी शुद्व टन भार क्षमता 15 टन या अधिक है,

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(ब) यह वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के तहत पंजीकृत है अथवा यदि यह भारत के बाहर पंजीकृत है तो इसे वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत लाइसेन्स जारी कर दिया गया है।

(स) ऐसे जलयान या पोत के सम्बन्ध में इसकी शुद्व टन भार क्षमता को प्रकट करने वाला विधि मान्य प्रमाण पत्र प्रभाव में है।

परन्तु योग्य जलयान में मछली पकड़ने के जलयान कारखाना पोत, क्रीड़यन आदि उद्देश्यों अथवा कार्यों में काम आने वाले जलयान शामिल नहीं हैं।

टन भार क्षमता प्रणाली के अन्तर्गत आय की गणना विधि

I आय की गणना– इस प्रणाली को अपनाने वाली योग्य कम्पनी के योग्य जलयान के सम्बन्ध में मानी गई आय की गणना निम्न विधि से की जायेगी :

	योग्य पोत की शुद्व टन भार क्षमता	दैनिक टन भार आय की रकम
(i)	1000 टन तक हो	46 रू. प्रति 100 टन
(ii)	1000 टन से अधिक हो परन्तु 10000 टन से अधिक नहीं हो	1000 टन से अधिक प्रत्येक 100 टन के लिये 35 रू.
(iii)	10000 टन से अधिक हो परन्तु 25000 टन से अधिक नहीं हो	10000 टन से अधिक प्रत्येक 100 टन के लिये 28 रू.
(iv)	25,000 टन से अधिक हो	25,000 टन से अधिक प्रत्येक 100 टन के लिये 19 रू.

II. आय की गणना सम्बन्धी अन्य प्रावधान–

(i) टनों को 100 के गुणांक में पूर्णाकित किया जायेगा। इसके लिये यदि टनों में किलोग्राम भी है तो उन्हें छोड़ दिया जायेगा तथा अन्तिम अंक 50 टन या अधिक है तो इसे अगले सौ तक बढ़ा दिया जायेगा। यदि अन्तिम अंक 50 टन से कम है तो इसे छोड़ दिया जायेगा।

(ii) प्रत्येक योग्य जलयान या पोत की ऊपर बताई गई विधि से ज्ञात की गई दैनिक टन भार आय को निम्न से गुणा करके उस पोत या जलयान की गत वर्ष की आय ज्ञात कर ली जायेगी :

(अ) गत वर्ष में दिनों की संख्या 365 या 366; अथवा

(ब) यदि योग्य जलयान को गत वर्ष में कुछ ही अवधि के लिये संचालित किया गया है तो उस अवधि की दिनों की संख्या।

(iii) योग्य पोत संचालन के कारोबार में वास्तव में हानि भी हो तब भी उपरोक्त प्रकार से ज्ञात की गई मानी गई आय कर योग्य होगी तथा ऐसी हानि को न तो अन्य आय से पूर्ति की जायेगी तथा न ही उसे आगे ले जाया जायेगा।

(iv) धारा 30 से 43C तक के अन्तर्गत कोई कटौती नहीं दी जायेगी। यह माना जायेगा कि ये कटौतियाँ दे दी गई हैं।

(v) टन भार कारोबार में काम में ली गई सम्पतियों का अपलिखित मूल्य यह मान कर ज्ञात किया जायेगा कि ह्मस सम्बन्धी कटौती दे दी गई है।

(vi) ऐसे कारोबार के लाभों में से 80C से 80U तक की कोई भी कटौती नहीं दी जायेगी।

(vii) ऐसे कारोबार के लाभों को न्यूनतम वैकल्पिक कर (Mat) की गणना में शामिल नहीं किया जायेगा।

(viii) ऐसे कारोबार में काम में ली गई सम्पतियों के हस्तान्तरण से होने वाला लाभ अथवा हानि अल्पकालीन पूँजी लाभ अथवा अल्पकालीन पूँजी हानि माना जायेगा।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

टन भार कर प्रणाली से सम्बन्धित अन्य प्रावधान–

1. कोई भी विद्यमान योग्य कम्पनी 1 अक्टूबर, 2004 से 31 दिसम्बर, 2004 तक कभी भी इस योजना को अपनाने के लिये आवेदन कर सकती है। विद्यमान कम्पनी जो उक्त अवधि में योग्य कम्पनी नहीं है, योग्य होने के बाद तीन माह की अवधि में योजना को अपनाने के लिये आवेदन कर सकती है। नई निगमित होने वाली योग्य कम्पनी अपने निगमन की तिथि से 3 माह के भीतर इस योजना को अपनाने के लिये आवेदन कर सकती है।
2. यदि किसी कम्पनी का आवेदन पत्र स्वीकृत कर लिया जाता है तो ऐसा विकल्प 10 वर्ष की अवधि के लिये लागू रहेगा।
3. इस योजना को अपनाने वाली कम्पनी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह ऐसे कारोबार के लाभों का कम से कम 20% प्रतिवर्ष एक संचय खाते में हस्तान्तरित करे। इस संचय का उपयोग अगले 8 वर्षों में निर्धारित उद्देश्यों के लिये ही किया जायेगा परन्तु लाभ या लाभांश वितरण के लिये अथवा भारत के बाहर किसी सम्पति को प्राप्त करने के लिये नहीं किया जायेगा।
4. इस योजना को अपनाने वाली कम्पनी के लिये आवश्यक होगा कि वह योग्य पोत पर नियुक्त कर्मचारियों के 10% के बराबर अधिकारियों को निर्धारित विधि से प्रशिक्षण दिलवाये।
5. ऐसी कम्पनी योग्य पोतों के टन भार का अधिक से अधिक 49% किराये पर ले सकती है।
6. ऐसे कारोबार के पृथक लेखे रखना तथा उनका चार्टर्ड लेखापाल से अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है।
7. कोई भी कम्पनी कभी भी इस विकल्प को वापस ले सकती है। यदि वह संचय के हस्तान्तरण में अथवा अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलवाने में चूक करती है अथवा निर्धारित सीमा से अधिक टनभार के पोत किराये पर लेती है अथवा कर बचाव की दोषी है तो उस कम्पनी का विकल्प अप्रभावी हो जायेगा तथा उसके बाद 10 वर्ष तक वह इस विकल्प को पुनः नहीं अपना सकेगी।

अभ्यासार्थ प्रश्न
(Questions for Exercise)

1. जनता का सारवान हित वाली कम्पनी से आप क्या समझते हैं ?
   What do you mean by a company in which public are substantially in terested.
2. एक कम्पनी के कर–निर्धारण के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए।
   Explain the important features of assessment of a company.
3. 'न्यूनतम वैकल्पिक कर' पर एक टिप्पणी लिखिए।
   Write a note on minimum alternate Tax.

व्यावहारिक प्रश्न (Practical Questions)

1. The Profit & Loss Account of Goldern Ltd. for the year ended 31st March, 2010, showed a Net Profit of Rs. 2,60,000:

(a) TheProfit & Loss Account included in Debit side the following:

(i) Rs. 25,000 interest paid on meney borrowed for extending the Company's factory premises, the expansion was however still in progress.

(ii) The depreciation provided in the Books Rs. 90,000; however the amount computed under Income Tax Act Rs. 1,50,000.

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(iii) Rs. 25,000 was paid to the company's lawyer for arguing appeals of the company before the Tribunal against levy of penalty for some earlier cases which appeals have been dismissed by the Tribunal.

(iv) Rs. 5,000 paid for late payment of Professional Tax as penal Interest.

(v) Rs. 800 being fine imposed by the Municipality for violating their regulations.

(vi) Reserve for Bad Debts Rs. 16,000.

(b) The credit side of the Profit & Loss Account included:

Divident from:

(i) Company's Foreign Subsidiary in Japan Rs. 15,000.

(ii) Unit Trust of India on Unit 64 Rs. 25,000.

(c) It is also observed that both the opening stock of Rs. 95,000 and closing stock of Rs. 1,33,000 are undervalued by 5% on cost.

Compute the total income of the company for the assessment year 2010-11.

31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये गोल्डन लिमिटेड के लाभ–हानि खाते ने 2,60,000 रु. का लाभ प्रदर्शित किया–

(अ) लाभ–हानि खाते के नाम पक्ष में निम्न राशियाँ शामिल हैं:

(i) कम्पनी के कारखाना परिसर के विस्तार हेतु लिये गये ऋण पर 25,000 रु. ब्याज के चुकाये गये। विस्तार कार्य अभी चालू है।

(ii) पुस्तकों में 90,000 रु. का ह्रास लिखा गया, जबकि आयकर अधिनियम के तहत 1,50,000 रु. की राशि की गणना की गई।

(iii) जुर्माना लगाने के विरूद्ध कम्पनी द्वारा ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत की गई अपील में बहस करने के लिये वकील को 25,000 रु. दिये। यह राशि उन मुकदमों के लिये दी गई जो पूर्व में ट्रिब्यूनल द्वारा खारिज कर दिये गये थे।

(iv) पेशा कर के विलम्ब से भुगतान करने के कारण 5,000 रु. दण्ड के रूप में ब्याज के दिये।

(v) नगरपालिका के नियमों को उल्लंघन करने के लिये उसके द्वारा लगाये गये जुर्माने के 800 रु. दिये।

(vi) 16,000 रु. डूबत ऋण संचय के लिये।

(b) लाभ–हानि खाते के जमा पक्ष में शामिल हैः

निम्न से लाभांशः

(i) कम्पनी की एक सहायक कम्पनी जो जापान में है, से 15,000 रु.।

(ii) यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया के यूनिट 64 के सम्बन्ध में 25,000 रु.।

(c) यह पाया गया कि प्रारम्भिक रहतिये का 95,000 रु. पर एवं अंतिम रहतिये का 1,33,000 रु. पर किया गया मूल्यांकन लागत से 5ः कम कर किया गया है।

कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिये कम्पनी की कुल आय की गणना कीजिए।

[Ans: Business Income Rs. 2,08,800, Total Income Rs. 2,23,800]

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

2. Shri Gopal Paper Mills Ltd.; an Indian company submitted its 'Return of Income' for the assessment year 2010-11 showing a Total Income of Rs. 4,55,000 from the following sources:

	Rs.	Rs.
Business income		3,00,000
Dividend:		
From Hindustan Motors Ltd. an Indian company	5,000	
From the Rajasthan Sugar Mills Ltd. an Indian company	8,000	
From the British Drugs Ltd., a foreign company which has not made prescribed arrangements for the declaration and payments of dividend in India	7,000	20,000
Capital Gains:		
Relating to Short Term Capital Assets	30,000	
Relating to Long Term Capital Assets:		
From Shares and Securities	40,000	
Relating to Land	65,000	1,35,000

The company donated on 1st Aug. 2009 Rs. 10,000 to Delhi University and Rs. 50,000 to a recognised educational institution. Delhi University is approved for the deduction under section 80G(2)(a)(iii-f).

Find out net amount of Income-Tax payable by the company for the Assessment year 2010-11.

Assume that the Advance Payment of Tax made by the company during financial year 2009-10 was Rs. 1,10,000 and that the Company is not a company in which public are substantially interested.

कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए श्री गोपाल पेपर मिल्स लिमिटेड एक भारतीय कम्पनी ने अपनी आय का विवरण प्रस्तुत किया तथा निम्न साधनों से 4,45,000 रु. की कुल आय प्रकट की–

	रु.	रु.
व्यवसाय से आय		3,00,000
लाभांशः		
हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड से जो एक भारतीय कम्पनी है।	5,000	
राजस्थान शुगर मिल्स से जो एक भारतीय कम्पनी है।	8,000	
ब्रिटिश ड्रग लि. से जो एक विदेशी कम्पीन है तथा जिसने भारत में लाभांश से घोषित किये जाने और चुकाये जाने के लिए निर्धारित व्यवस्था नहीं की है।	7,000	20,000
पूँजी लाभः		
अल्पकालीन पूँजी सम्पत्ति से सम्बन्धित	30,000	
दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति से सम्बन्धित अंशों एवं प्रतिभूतियों से	40,000	
भूमि एवं भवन से	65,000	1,35,000

1 अगस्त, 2009 को कम्पनी ने 10,000 रु. दिल्ली विश्वविद्यालय को तथा 50,000 रु. एक प्रमाणित शिक्षण संस्था को दान के रूप में दिये। दिल्ली विश्वविद्यालय धारा 80G(2) (a)(iii-f) की कटौती के लिये अनुमोदित है।

कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए कम्पनी द्वारा देय आय कर की शुद्ध राशि ज्ञात कीजिये।

यह मान लीजिए कि कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 के दौरान 1,10,000 रु. का अग्रिम कर चुकाया गया हे। कम्पनी में जनता का सारवान हित नहीं है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

[Ans: Total Income Rs. 4,15,150, Tax Payable Rs. 1,17,466]

3. The profit & loss account of Somani Private Limited for the year ended on 31st March, 2010 was as under:
31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये सोमानी प्राइवेट लिमिटेड का लाभ–हानि खाता निम्न प्रकार था–

	Rs.		Rs.
Sundry Expenses	28,000	Trading Profits	24,000
Bad debts written off	14,000	Dividends from an Indian Company	50,000
Net Profit before tax	1,00,000	Long term Capital gains	40,000
		Winning from Lottery in January, 2010(net)	28,000
	1,42,000		**1,42,000**

Explain the position of this company as regards its tax liability for the assessment year 2010-11.

कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिये इस कम्पनी के कर–दायित्व की स्थिति को स्पष्ट कीजिए।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

वर्ग (Section) : D
इकाई (Unit) : 17

उद्गम स्थान पर कर की कटौती तथा कर का संग्रह
(Deduction and Collection of Tax at Source)

परिचय (Introduction)

सामान्यतः चालू वित्तीय वर्ष (गत वर्ष) की आय पर तुरन्त बाद वाले वित्तीय वर्ष (कर निर्धारण वर्ष) में नियमित कर–निर्धारण होने पर कर देय होता है। परन्तु धारा 190 के अनुसार ऐसी आय पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती द्वारा या उद्गम स्थान पर कर के संग्रहण द्वारा या कर के अग्रिम भुगतान द्वारा भी कर को एकत्रित किया जाता है। जिस आय पर इस प्रकार से कर के एकत्रीकरण का प्रावधान नहीं है, वहाँ धारा 191 के अनुसार करदाता द्वारा कर का प्रत्यक्ष भुगतान किया जाता है। इस प्रकार कर के संग्रहण की विभिन्न विधियाँ निम्न हैं–

I. उद्ग्रम स्थान पर कर की कटौती द्वारा
II. उद्गम स्थान पर कर के संग्रहण द्वारा
III. प्रत्यक्ष भुगतान द्वारा–

(अ) कर का अग्रिम भुगतान,
(ब) स्वयं कर–निर्धारण पर कर का भुगतान, तथा
(स) नियमित कर–निर्धारण पर कर का भुगतान।

टिप्पणी–नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को प्रदत्त अनुलाभों की राशि पर नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया कर भी कर–संग्रह की एक विधि मानी जाती है।

I. उद्गम स्थान पर कर की कटौती (Deduction of Tax at Source)

जब आय का भुगतान करने वाला व्यक्ति, आय का भुगतान करते समय ही निर्धारित दरों से आय कर काट लेता है तो 'इसे उद्गम स्थान पर कर की कटौती' कहते हैं। ऐसी काटी गई रकम आय प्राप्त कर्त्ता की तरफ से सरकारी कोष में जमा करवायी गयी मानी जाती है। आय का भुगतान करने वाले का दायित्व होता है कि 'उद्गम स्थान पर कर' की काटी गई राशि को निर्धारित अवधि में राजकोष में जमा करवाये तथा आय प्राप्तकर्त्ता को ऐसी काटी गई राशि के लिए आवश्यक प्रमाण–पत्र (फार्म संख्या 16 या 16A) जारी करे। आय प्राप्तकर्त्ता के नियमित कर–निर्धारण के समय ऐसी काटी गई राशि को उसके कर–दायित्व में से कम कर दिया जाता है।

सामान्य परिस्थितियों में एक व्यष्टि करदाता अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार करदाता द्वारा किसी भी आय पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जा सकती है, परन्तु ऐसा व्यष्टि या हिन्दू अविभाजित परिवार जिसकी तुरन्त पहले वाले वित्तीय वर्ष की सकल प्राप्तियाँ या विक्रय राशि निर्धारित सीमा से अधिक होने के कारण उसे धारा 44AB के अन्तर्गत अपने लेखों का अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है, वह जून 1, 2002 से उद्गम स्थान पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी होगा।

यदि कोई व्यक्ति यह समझता है कि उसको प्राप्त आय में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती निर्धारित दरों से कम दर पर होनी चाहिये या नहीं होनी चाहिए तो वह व्यक्ति इस सम्बन्ध में अपने कर निर्धारण अधिकारी को इस आशय का एक आवेदन पत्र फार्म संख्या 13 में दे सकता है। यदि कर निर्धारण अधिकारी उसके दावे से संतुष्ट है तो वह उस व्यक्ति को इस आशय का एक प्रमाण–पत्र जारी

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

कर देगा। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रमाण–पत्र जारी हुआ है तो उस आय का भुगतान करने वाले व्यक्ति का यह कर्त्तव्य है कि वह उस प्रमाण–पत्र के अनुसार उद्गम स्थान पर कर की कटौती करे।

धारा 196 के अनुसार रिजर्व बैंक, सरकार या धारा 10(23D) में वर्णित पारस्परिक कोष या केन्द्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित ऐसे वैधानिक निगम जिसकी आय किसी विधान के अन्तर्गत कर–मुक्त हो, को दी जाने वाली राशि में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाती है।

उद्गम स्थान पर पूर्णतः या आंशिक कर की कटौती न करने पर अथवा काटे गये कर की राशि को निर्धारित अवधि में जमा न कराने पर सम्बन्धित व्यक्ति को दोषी करदाता (Assessee in default)) माना जायेगा। यदि कर निर्धारण अधिकारी इस दोष के कारणों से संतुष्ट हो जाये तो ऐसी अवस्था में अर्थदण्ड नहीं लगाया जायेगा, किन्तु ऐसे कर की राशि पर कटौती की तिथि से वास्तव में जमा कराने की तिथि तक की अवधि का ब्याज एक प्रतिशत प्रतिमाह की साधारण दर से लिया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए उद्गम स्थान पर कर की कटौती से सम्बन्धित व्यवस्थाओं का वर्णन नीचे किया गया है। यदि कोई प्राप्तिकर्त्ता कटौतीकर्त्ता को अपना 'स्थायी खाता संख्या (PAN) नहीं देता है तो सामान्य दर या 20% की दर जो दोनों में अधिक हो, से उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जावेगी।

1. वेतन में से कर की कटौती (धारा 192) (Deduction of Tax from Salary):

यदि किसी कर्मचारी की किसी वित्तीय वर्ष में वेतन शीर्षक के अन्तर्गत अनुमानित कर–योग्य आय उस वर्ष के लिए न्यूनतम कर–योग्य सीमा (Minimum tyaxable limit) से अधिक है तो ऐसे कर्मचारी के नियोक्ता के लिए यह आवश्यक है कि वह कर्मचारी को वेतन का भुगतान करते समय उसको देय राशि पर उस वित्तीय वर्ष के लिए लागू होने वाली दरों से प्रति माह आनुपातिक रूप से आय कर काट ले तथा काटे गये कर को सरकारी कोष में जमा कराये। वेतन का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति उद्गम स्थान पर कर की कटौती करते समय पहले की कमी अथवा अधिक कटौती के समायोजन हेतु कटौती योग्य कर की राशि में वृद्धि अथवा कमी कर सकता है। विदेशी मुद्रा में वेतन के भुगतान की स्थिति में उसके चालू विनिमय दर (Telegraphic transfer buying rate) से रुपयों में ज्ञात की गई राशि पर यह कटौती की जायेगी। विनियम दर उस तिथि की ली जावेगी जिस तिथि को उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जानी थी।

अनुमानित वेतन की गणना

उद्गम स्थान पर कर की कटौती के लिए अनुमानित वेतन की गणना करते समय उस वित्तीय वर्ष में होने वाली वृद्धि की राशि को शामिल कर लिया जाता है। अनुमानित वेतन की गणना उसी प्रकार की जायेगी जिस प्रकार से 'वेतन से आय' शीर्षक में बतलायी गयी है। वेतन की कर–योग्य आय को कुल आय मानकर उसमें से कुछ कटौतियाँ भी घटाई जाती है, जिनका वर्णन नीचे किया गया है। अनुमानित कर–योग्य वेतन की गणना करते समय निम्नांकित बातों को ध्यान में रखा जाता है–

(i) मूल वेतन, बोनस, कमीशन आदि सभी को अनुमानित वेतन में सम्मिलित किया जाता है, परन्तु मकान किराया भत्ते के सम्बन्ध में धारा 10(13A) के अन्तर्गत तथा अन्य कर–मुक्त भत्तों के सम्बन्ध में धारा 10(14) के अन्तर्गत कर–मुक्ति दी जा सकती है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

मकान किराये भत्ते की छूट धारा 10(13A) के अन्तर्गत प्राप्त करने के लिए किराये की राशि का वास्तव में भुगतान किया जाना आवश्यक है परन्तु प्रशासनिक उपाय के रूप में यह निश्चित किया गया है कि ऐसे वेतन भोगी कर्मचारियों से किराये के वास्तविक भुगतान करने के साक्ष्य प्रस्तुत करने को नहीं कहा जावेगा। यदि उसे अधिकतम 3,000 रुपये प्रतिमाह मकान किराया भत्ता प्राप्त होता हो। यह प्रशासनिक उपाय उद्गम स्थान पर कर की कटौती के सम्बन्ध में है। कर–निर्धारण अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह करदाता का कर–निर्धारण करते समय ऐसी जाँच करे, जिससे वह यह निश्चित करने के लिए आवश्यक समझे कि कर्मचारी ने किराये की राशि का वास्तव में भुगतान किया है।

(ii) अनुमानित वेतन में अनुलाभों का कर–योग्य मूल्य भी सम्मिलित किया जाता है जिसका मूल्यांकन नियम 3 के अनुसार किया जावेगा। नियोक्त द्वारा धारा 17(2) में वर्णित गैर–मौद्रिक अनुलाभों पर स्वेच्छा से कर का भुगतान किया जाता है तो ऐसे कर के भुगतान की राशि कर्मचारी के लिए धारा 10(10CC) के अन्तर्गत कर–मुक्त होगी और इसे धारा 192 के उद्देश्य के लिए उद्गम स्थान पर काटा गया कर माना जा सकता है परन्तु ऐसे कर की राशि कर्मचारी के कर–योग्य वेतन में सम्मिलित नहीं की जावेगी। अनुलाभों पर देय कर की गणना कर की औसत दर से की जावेगी। गैर–मौद्रिक अनुलाभों पर स्वेच्छा से किये गये कर के भुगतान के अलावा नियोक्ता द्वारा किया गया आयकर भुगतान कर–योग्य अनुलाभ माना जाता है।

(iii) धारा 16 में वर्णित निम्नांकित कटौतियाँ घटाकर अनुमानित कर–योग्य वेतन ज्ञात किया जाता है–

(1) मनोरंजन भत्ते की कटौती धारा 16(ii); केवल सरकारी कर्मचारियों को, भत्ते की प्राप्ति राशि या मूल वेतन का 1/5 भाग या 5,000 रु. जो तीनों में कम हो, की कटौती स्वीकृत की जावेगी।

(2) व्यावसायिक कर धारा 16 (iii); कर्मचारी द्वारा वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार को चुकाई गई कर की राशि की कटौती स्वीकृत की जायेगी।

(iv) कर्मचारी को दूसरे नियोक्ताओं से प्राप्त वेतन एवं भत्तों का विवरण भी उद्गम स्थान पर कर की कटौती के समय फार्म नं. 12B में प्रस्तुत करना होगा। वह किसी भी नियोक्ता को अपनी इच्छा से ऐसा विवरण दे सकता है। कर्मचारी द्वारा अन्य नियोक्ता से प्राप्त वेतन की बताई गई राशि को भी उपर्युक्त (iii) में निर्धारित राशि में जोड़ा जायेगा।

(v) यदि किसी करदाता की अन्य किसी शीर्षक में उसी वित्तीय वर्ष में कर–योग्य आय है (अन्य किसी शीर्षक की हानि छोड़कर) और वह अपने नियोक्ता को ऐसी अन्य आय तथा उस पर उद्गम स्थान पर कटे हुए कर का विवरण दे देता है तो नियोक्ता ऐसी अन्य आय तथा उस पर कटे हुए कर को ध्यान में रखकर वेतन पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती करेगा।

यदि उपर्युक्त प्रकार से निकाली गई कर की राशि उस राशि से कम हो जो केवल वेतन के आधार पर निकाली जाये, तो उद्गम स्थान पर कर की कटौती केवल वेतन के आधार पर ही की जायेगी।

कर्मचारी अपनी मकान सम्पत्ति शीर्षक की हानि का ब्यौरा (Details) प्रपत्र 12C में अपने नियोक्ता को दे सकता है। नियोक्ता वेतन में से कर की कटौती की गणना करने के लिए इस हानि को ध्यान में रखेगा।

नियोक्ता 'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक की हानि के अलावा कर्मचारी की अन्य किसी प्रकार की हानि को उद्गम स्थान पर कर की कटौती के समय समायोजित नहीं करेगा।

(vi) उपर्युक्त कर–योग्य आयों के योग को अनुमानित सकल कुल आय मानकर निम्न कटौतियाँ घटाई जाती है–

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(1) निर्धारित जमाओं के सम्बन्ध में धारा 80C के अन्तर्गत कटौती।

(2) पेंन्शन कोष में अंशदान के सम्बन्ध में कटौती। (धारा 80CCC)

(3) धारा 80 CCD के अन्तर्गत कटौती।

(4) स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के सम्बन्ध में कटौती। (धारा 80 D)

(5) अन्धे अथवा अपंग आश्रित सम्बन्धी की चिकित्सा पर व्ययों के सम्बन्ध में कटौती। (धारा 80 DD)

(6) विशिष्ट बीमारी की चिकित्सा पर व्ययों के सम्बन्ध में कटौती। (धारा 80 DDB)

(7) उच्च शिक्षा के लिए लिए गये ऋण पर ब्याज के भुगतान के सम्बन्ध में कटौती। (धारा 80 E)

(8) दान के सम्बन्ध में कटौती [धारा 80 G, ऐसे दान जिनकी छूट–योग्य कोई अधिकतम सीमा न हो, के लिए कटौती (50% या 100%, जैसी भी स्थिति हो) स्वीकृत की जा सकती है। परन्तु अन्य पुण्यार्थ उद्देश्यों के लिए दिये गये दान जिनके सम्बन्ध में अधिकतम छूट–योग्य राशि की सीमा निर्धारित है, के सम्बन्ध में नियोक्ता उद्‌गम स्थान पर कर काटते समय, कटौती प्रदान नहीं कर सकता है।

(9) मकान किराये के भुगतान के सम्बन्ध में कटौती (धारा 80 GG)

(10) अन्धेपन अथवा अपंगता से पीड़ित व्यक्तियों के लिए कटौती।

स्पष्टीकरणः

(1) धारा 80C, 80CCC तथा धारा 80 CCD में कुल मिलाकर (धारा 80 CCE के तहत) एक लाख रुपये से अधिक की कटौती नहीं दी जावेगी। कर–निर्धारण वर्ष 2011–12 में धारा 80CCF के अन्तर्गत 'व्यष्टि' एवं 'हिन्दू अविभाजित परिवार' करदाता को 20,000 रु. तक के अधिसूचित दीर्घकालीन आधारभूत बॉण्ड में विनियोग के सम्बन्ध में कटौती दी जा सकेगी।

(2) धारा 80 DD के अन्तर्गत असमर्थ आश्रित की चिकित्सा अथवा जीवन निर्वाह पर किये गये व्यय के सम्बन्ध में 50,000 की कटौती दी जाती है तथा गंभीर असमर्थता की दशा में एक लाख रु. की कटौती दी जाती है।

(3) अन्य कटौतियां का विवरण 'सकल कुल आय' में से कटौतियाँ' वाले अध्याय में दिया गया है।

(vii) वित्तीय वर्ष 2010–11 (कर–निर्धारण वर्ष 2011–12) के लिए वेतन की आय के सम्बन्ध में उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती के लिए कर की दरें निम्नलिखित हैंः

(A) महिला करदाता तथा वरिष्ठ नागरिक करदाताओं को छोड़कर अन्य करदाताओं के लियेः

1. कुल आय के प्रथम 1,60,000 रु. पर	शून्य
2. कुल आय के अगले 3,40,000 रु. पर	10%
3. कुल आय के अगले 3,00,000 रु. पर	20%
4. शेष आय पर (8,00,000 रु. से अधिक पर)	30%

(B) भारत में निवासी ऐसी महिला करदाताओं के लिये जो गत वर्ष में वरिष्ठ नागरिक नहीं हो अर्थात् गत वर्ष में 65 वर्ष से कम आयु की होंः

1. कुल आय के प्रथम 1,90,000 रु. पर	शून्य
2. अगले 1,10,000 रु. पर	10%
3. अगले 3,30,000 रु. पर	20%
4. शेष कुल आय पर	30%

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(C) भारत में निवासी वरिष्ठ नागरिक करदाताओं के लिये अर्थात् जो गत वर्ष में किसी भी समय 65 वर्ष या अधिक आयु के हों:

1. कुल आय के प्रथम 2,40,000 रु. पर शून्य
2. कुल आय के अगले 2,60,000 रु. पर 10%
3. कुल आय के अगले 3,00,000 रु. पर 20%
4. शेष कुल आय पर 30%

शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर

उपर्युक्त दरों से ज्ञात कर की राशि पर शिक्षा उपकर 2% तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर 1% भी लगाया जावेगा। इन सभी के योग की राशि करदाता द्वारा देय कर होगा।

(viii) यदि सरकारी कर्मचारी के वेतन में से उद्गम स्थान पर कर काटा गया है, तो कटौती की राशि को उसी दिन राजकीय कोष में जमा कराना होगा। अन्य कर्मचारियों की दशा में जिस माह में कटौती की गई हे उस माह की समाप्ति के बाद 7 दिन के भीतर इस प्रकार काटी गई रकम को राजकीय कोष में जमा कराना होगा।

(ix) वेतन में से उद्गम स्थान पर की गई कटौती का त्रैमासिक विवरण नियोक्ता द्वारा फार्म संख्या 24Q में Director General of Income Tax (Systems) को या उसके द्वारा अधिकृत Agency को भेजा जाता है। वित्तीय वर्ष की प्रथम तीन तिमाही का विवरण तिमाही समाप्ति के बाद 15 दिन के भीतर भेजना होता है, जबकि अंतिम तिमाही का विवरण अगले वित्तीय वर्ष की 15 जून तक भेजना होता है।

(x) नियोक्ता अपने कर्मचारी को उद्गम स्थान पर काटे गये कर के सम्बन्ध में प्रपत्र सं. 16 में एक प्रमाण–पत्र 30 अप्रैल तक देगा। इस प्रमाण–पत्र के आधार पर कर्मचारी उद्गम स्थान पर काटे गये कर की राशि के सम्बन्ध में समायोजन (Credit) का अधिकारी होगा।

(xi) वेतन के भुगतान करने वाले का दायित्व है कि वह 1,50,000 रुपये से अधिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को प्रपत्र 12BA में सभी गैर–मौद्रिक अनुलाभों का मूल्य तथा वेतन के स्थान पर लाभों का वर्णन उपलब्ध करवाये। अन्य दशाओं में उपर्युक्त सूचनाएं फार्म संख्या 16 में दिखानी होगी। यदि किसी कर्मचारी का वेतन 1,50,000 रुपये से अधिक न हो तथा उसके वेतन से कर की कटौती न की गई हो तो उसके वेतन का वर्णन फार्म संख्या 24Q में नहीं दिखाया जावेगा तथा न ही उसे फार्म संख्या 16 तथा फार्म संख्या 12BA उपलब्ध करवाया जावेगा।

उदाहरण (Illustration) 17.1 :

तीन कर्मचारी जयपुर में एक कम्पनी में नियुक्त हैं। उनकी आय सम्बन्धी निम्नलिखित विवरण से वित्तीय वर्ष 2010–11 में उनके वेतन में से उद्गम स्थान पर काटे जाने वाले कर की गणना कीजिये–

Three employees are employed in a company at Jaipur. From the following particulars in respect of the income, calculate the amount of tax to be deducted at source from salary during the financial year 2010-11:

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

	Mr. Ram Rs.	Mrs.Ganesh Rs.	Mr. Mohit Rs.
Basic Pay	60,600	2,30,000	4,60,000
Dearness Allowance	30,000	70,000	1,35,000
Salary from other employer	5,000	--	--
Accrued Interest on N.S.C. VIII issue	1,750	8,750	17,500
Deposited in PPF A/c	5,000	10,000	15,000
Own contribution in General Provident Fund (Statutory)	6,000	12,600	18,000
Own contribution to Employees State Insurance	2,400	3,600	4,800
Interest received on Bank Fixed Deposit	4,000	4,000	8,000
Interest received on Govt. Securities	3,000	6,000	2,000
Prize of Lottery	--	--	25,000
Donation to National Defence Fund	--	--	6,000
Donation to National children Fund	--	2,000	--
Donation to an approved Institution	--	3,000	8,000

हल (Solution):

Computation of Estimated Total Income and Tax to be Deducted at Source for the Financial Year 2010-11

	Mr. Ram Rs.	Mrs.Ganesh Rs.	Mr. Mohit Rs.
1. Income from Salary:			
Basic Salary	60,000	2,30,000	4,60,000
Dearness Allowance	30,000	70,000	1,35,000
Salary from other employer	5,000	--	--
Gross Income from Salary	**95,600**	**3,00,000**	**5,95,000**
Less: Deductions u/s 16	NIL	NIL	NIL
Taxable Income from Salary	**95,600**	**3,00,000**	**5,95,000**
2. Income from Other Sources (As reported by Employee):			
Accrued Interest on N.S.C. VIII issue	1,750	8,750	17,500
Interest on Fixed Deposit	4,000	4,000	8,000
Interest received on Govt. Securities	3,000	6,000	2,000
Income from lottery	--	--	25,000
Gross Total Income	**1,04,350**	**3,18,750**	**6,47,500**
Less: Deductions:			
u/s 80 G	--	1,000	6,000
u/s 80 C	15,150	34,350	55,300
Total Income	**89,200**	**2,83,400**	**5,86,200**

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

Mr. Ram Mrs.Ganesh Mr. Mohit

Tax on Total Income	NIL	9,340.00	51,440.00
Education cess 2%	NIL	186.80	1,028.80
Secondary & Higher Education cess 1%	NIL	93.40	514.40
Total Tax Liabilities	NIL	9620.20	52,983.20
Less: TDS from Lottery Income	NIL	NIL	7,500.00
Net Tax to be deducted at Source	NIL	9620.20	45,483.20
Monthly Deduction of Tax	NIL	801.68	3790.27
(Rounded off)	NIL	802.00	3790.00

टिप्पणी: उद्गम स्थान पर कर की कटौती के समय राष्ट्रीय बाल कोष में 50% की दर से तथा राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दिये गये दान के लिए 100% की दर से छूट स्वीकृत की जाती है परन्तु जिन दानों के सम्बन्ध में कटौती योग्य सीमा लागू होती है उनके लिए नियोक्ता कटौती स्वीकृत करने के लिए अधिकृत नहीं है।

2. प्रतिभूतियों पर ब्याज में से कटौती (धारा 193) (Deduction from Interest on Securities)

प्रतिभूतियों पर ब्याज का भुगतान करने वाले व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह निवासी व्यक्ति को भुगतान करते समय ब्याज की राशि में से निर्धारित दर (10%) के आधार पर आय पर कर काट ले तथा शेष राशि का ही भुगतान करे।

निम्नलिखित प्रतिभूतियों पर देय ब्याज में से उद्गम स्थान पर कर नहीं काटा जाता–

(अ) वे सभी प्रतिभूतियाँ जिन पर देय ब्याज धारा 10(15) के अन्तर्गत कर–मुक्त है।

(ब) ऐसी संस्थाओं के द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियाँ, जिन पर आय कर अधिनियम 1961 लागू नहीं है। जैसे विदेशी सरकार, विदेशी संस्था या विदेशी कम्पनी द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियाँ।

(स) वे सभी प्रतिभूतियाँ जिनके सम्बन्ध में धारा 193 के अन्तर्गत ही स्पष्ट व्यवस्था है कि उन पर देय ब्याज में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं होगी। ऐसी प्रतिभूतियाँ, जो इस समय चलन में हैं, निम्न प्रकार हैं–

(1) किसी भी ऐसी संस्था या प्राधिकरण या कोई सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी या कोई भी ऐसी सहकारी समिति (जिसमें सहकारी भूमि बन्धक या सहकारी भूमि विकास बैंक भी शामिल है) जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट कर दिया गया है, के द्वारा जारी किये गये ऋण–पत्रों पर ब्याज।

(2) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की कोई भी प्रतिभूति।

(3) एक कम्पनी द्वारा निर्गमित सूचीयत ऋणपत्रों पर निवासी करदाता को देय ब्याज, यदि निम्न शर्तों की पूर्ति होती हो–

(i) उस कम्पनी में जनता का सारवान हित हो;

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(ii) ब्याज का भुगतान कम्पनी ने Account Payee Cheque के माध्यम से किया हो; तथा

(iii) उस व्यष्टि करदाता को वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार चुकाया गया अथवा चुकाये जाने वाला कुल ब्याज 2,500 रुपयों से अधिक न हो।

(4) भारतीय जीवन बीमा निगम या भारतीय सामान्य बीमा निगम या अन्य बीमाकर्त्ताओं को ऐसी प्रतिभूतियों पर देय ब्याज, जो उनके अधिकार में हो या जिनके सम्बन्ध में पूर्ण हिताधिकारी हों।

(5) किसी कम्पनी द्वारा निर्गमित ऐसी प्रतिभूतियां जो किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचित हों तथा जो गैर–भौतिक स्वरूप (Dematerialised form) में हों।

स्पष्टीकरणः

केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्गमित की गयी प्रतिभूतियों पर 'उद्‌गम स्थान पर कर' की कटौती नहीं की जाती है परन्तु (1 जून, 2007 से) यदि किसी निवासी करदाता को वित्तीय वर्ष के दौरान 8% सेविंग्स (कर–योग्य) बॉण्ड्स, 2003 पर 10,000 रु. से अधिक का ब्याज दिया जाता है तो ऐसे ब्याज में से उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती की जायेगी।

3. अन्य प्रकार के ब्याज की आय में से कटौती (धारा 194 A) (Deduction of Tax from Other Interest):

एक व्यष्टि या हिन्दू अविभाजित परिवार को छोड़कर कोई भी व्यक्ति यदि भारत में निवासी किसी भी व्यक्ति को ब्याज की आय के रूप में (प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में आय को छोड़कर) कोई भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है तो उसे 10% की दर से उद्‌गम स्थान पर अनुसार आय कर काटना होगा। यह कटौती ब्याज पाने वाले व्यक्ति के खाते में ऐसी आय को जमा करते समय अथवा नकद भुगतान के समय अथवा चैक या ड्राफ्ट देते समय अथवा अन्य किसी भी प्रकार से ब्याज चुकाते समय (जो भी पहले हो) की जायेगी। यदि ब्याज चुकाने वाले व्यक्ति की लेखा पुस्तकों में ऐसा ब्याज किसी भी खाते में (चाहे उस खाते का नाम Interest Payable Account या Suspense Account या अन्य कोई हो) जमा किया गया है तो यह माना जायेगा कि ऐसा ब्याज, पाने वाले व्यक्ति के खाते में जमा हुआ है तथा इस धारा के प्रावधान तदनुसार लागू होंगे।

ऐसा व्यष्टि या हिन्दू अविभाजित परिवार जिसकी तुरन्त पहले वाले वित्तीय वर्ष की सकल प्राप्तियाँ या विक्रय राशि निर्धारित सीमा से अधिक होने के कारण उसे धारा 44AB के अन्तर्गत अपने लेखों का अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है, वह उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी होगा।

निम्न परिस्थितिया में ब्याज में से उद्‌गम स्थान पर आयकर नहीं काटा जायेगा–

1. यदि वित्तीय वर्ष में किसी भी व्यक्ति को दी गई अथवा उसके खाते में जमा की गई अथवा वित्तीय वर्ष में जमा की जाने वाली अथवा दी जाने वाली रकम निम्न राशियों से अधिक नहीं हो तो उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जायेगीः

(अ) यदि भुगतानकर्त्ता ऐसी बैंक है जिस पर बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है, 10,000 रुपये।

(ब) यदि भुगतानकर्त्ता ऐसी सहकारी समिति है जो बैंकिंग सम्बन्धी व्यवसाय के संचालन में संलग्न हो, 10,000 रुपये।

(स) केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई एवं इस आशय के लिये अधिसूचित किसी भी योजना के तहत पोस्ट ऑफिस की किसी भी जमा पर 10,000 रुपये।

(द) अन्य किसी दशा में 5,000 रुपये।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

स्पष्टीकरणः

10,000 रु. की सीमा, प्रत्येक शाखा के लिये अलग–अलग लागू की जायेगी।

2. यदि ब्याज निम्नलिखित को देय हो–

(a) बैंकिंग कम्पनी अथवा बैंकिंग व्यवसाय में लगी कोई सहकारी समिति,
(b) वैधानिक वित्त निगम,
(c) भारतीय जीवन बीमा निगम,
(d) यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया,
(e) बीमा व्यवसाय चलाने वाली कोई कम्पनी या सहकारी समिति, तथा
(f) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की गई कोई भी अन्य संस्था, संघ या समुदाय।

3. एक फर्म द्वारा अपने साझेदार को देय ब्याज पर।

4. यदि ब्याज का भुगतान किसी सहकारी समिति के द्वारा उसके सदस्य को अथवा किसी अन्य सहकारी समिति को किया गया हो।

5. 1 जून 2005 को या उसके बाद किसी ढांचागत पूंजी कम्पनी, ढांचागत पूंजी कोष अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी द्वारा जारी किये गये 'शून्य कूपन बॉण्ड' के सम्बन्ध में देय अथवा दी गयी आय।

6. केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की गई निम्न योजनाओं के अन्तर्गत जमा राशि पर देय ब्याज में से–

(a) Post Office (Time Deposits) Rules, 1970 के अन्तर्गत सावधि जमा योजनाएँ।

(b) Post Office (Recurring Deposits) Rules, 1970 के अन्तर्गत आवर्ती जमा योजनाएँ।

(c) Monthly Income Scheme के अन्तर्गत देय ब्याज में से।

7. बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के अन्तर्गत आने वाली बैंकिंग कम्पनियों अर्थात् बैंकों में सावधि जमा में जमा करवाई गई राशि के अतिरिक्त अन्य राशियों पर जमा होने या चुकाये गये ब्याज पर। बैंकों में सावधि जमा के अतिरिक्त अन्य किसी जमा पर जमा किये गये ब्याज में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाती है।

8. (a) किसी प्रथमिक कृषि साख समिति अथवा किसी प्राथमिक साख समिति अथवा किसी सहकारी भूमि बंधक बैंक अथवा किसी सहकारी भूमि विकास बैंक के पास जमाओं पर ब्याज में से।

(b) उपर्युक्त (a) में वर्णित सहकारी समितियों को छोड़कर अन्य किसी ऐसी सहकारी समिति के पास जमाओं पर ब्याज में से, जो बैंकिंग व्यवसाय में लगी हुई है।

9. प्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित किसी भी अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के पास जमा रकम पर देय ब्याज में से।

10. 'मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल' द्वारा दिये गये किसी क्षतिपूर्ति की राशि पर ब्याज भुगतान करने या जमा करने पर बशर्ते ऐसे ब्याज की राशि 50,000 रु. से अधिक न हो।

4. लॉटरी तथा वर्ग–पहेलियों से जीत की आय (धारा 194 B) (Winning from Lottery and Cross-word Puzzles)

यदि लॉटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल अथवा अन्य ऐसे किसी खेल में जीती गई राशि 5,000, रु. (1 जुलाई 2010 से 10,000 रुपयों) से अधिक हो तो ऐसी राशि का भुगतान करने वाले व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह ऐसी राशि का भुगतान करते समय सम्पूर्ण राशि पर 30% की दर से उद्गम स्थान पर आय कर की कटौती कर ले।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

यदि पुरस्कार पूर्णतः अथवा अंशतः वस्तु के रूप में तथा अंशतः नकद दिया गया है, तो नकद राशि तथा वस्तुगत पुरस्कार के मूल्य का योग ज्ञात करके उस पर 30% के आधार पर उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती की जायेगी। यदि पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली नकद राशि कटौती के लिए पर्याप्त न हो अथवा नकद राशि बिल्कुल भी न हो तो पुरस्कार तभी दिया जायेगा जब कि जीत की राशियों पर कर के भुगतान की व्यवस्था कर दी गई हो।

5. घुड़दौड़ में जीती गई राशि (धारा 194 BB)
(Winning from horse Race)

यदि किसी व्यक्ति के द्वारा घुड़दौड़ में जीती गई राशि 2,500 रुपयों (1 जुलाई, 2010 से 5,000 रु.) से अधिक हो; तो ऐसी राशि का भुगतान करते समय सम्पूर्ण राशि पर 30% के आधार पर उद्‌गम स्थान पर आय कर काटा जायेगा। यह कटौती करने का दायित्व उस व्यक्ति का होगा जो घुड़दौड़ की प्रविष्टि करने वाला व्यक्ति (Book Maker) है अथवा जिसे सरकार द्वारा घुड़दौड़ का लाइसैंस दिया गया है।

6. ठेकेदार तथा उप ठेकेदारों को भुगतान (धारा 194 C)
(Payments to Contractors and Sub-contractors)

1. निम्नलिखित व्यक्तियों/संस्थाओं के तथा किसी निवासी ठेकेदार के मध्य अनुबंध के अनुसरण में कोई भी कार्य करने के लिए उस ठेकेदार को किये गये भुगतान की रकम में से उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती की जायेगी–

   (a) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार;
   (b) स्थानीय सत्ता;
   (c) वैधानिक निगम;
   (d) कम्पनी;
   (e) सहकारी समिति;
   (f) आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अथवा शहरों, कस्बों तथा गांवों के नियोजन विकास या सुधार के लिए भारत में गठित वैधानित सत्ता;
   (g) भारत में पंजीकृत सहकारी समिति;
   (h) प्रन्यास;
   (i) विश्वविद्यालय या माने गये विश्वविद्यालय;
   (j) कोई फर्म।
   (k) ऐसा व्यष्टि या हिन्दू अविभाजित परिवार या व्यक्तियों का समुदाय (AOP) या व्यष्टियों का संघ (BOI) जिसकी तुरन्त पहले वाले वित्तीय वर्ष की सकल प्राप्तियां या विक्रय राशि निधारित सीमा से अधिक होने के कारण उसे 44AB के अन्तर्गत अपने लेखों का अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है, तो वह उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी होगा।

2. यदि प्राप्तकर्त्ता कोई परिवहन ऑपरेटर (Transport Operator) है और वह अपना स्थायी खाता संख्या (PAN) कटौतीकर्त्ता को देता है तो 1 अक्टूबर, 2009 से ऐसे भुगतान पर उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जावेगी। परिवहन ऑपरेटर का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो मालवाहक यान चलाने, किराये पर देने या पट्टे पर देने का व्यवसाय करता है।

3. उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती की दरें

1 अक्टूबर, 2009 से धारा 194 C के अन्तर्गत उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती निम्नलिखित दरों से की जावेगी;

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

अ. यदि प्राप्तकर्त्ता व्यष्टि या हिन्दु–अविभाजित परिवार हो 1%
ब. यदि प्राप्तकर्त्ता उपर्युक्त (अ) के अलावा अन्य कोई व्यक्ति हो। 2%

4. यदि किसी ठेकेदार/उपठेकेदार को भुगतान की गयी या उसे जमा की गयी राशि एकल भुगतान में या जमा में 20,000 रु. (1 जुलाई, 2010 से 30,000 रु.) से अधिक नहीं होती है तथा वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 50,000 रु. (1 जुलाई, 2010 से 75,000 रु.) से अधिक न हो तो इस धारा के अन्तर्गत उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जावेगी।

स्पष्टीकरण

इस धारा के उद्देश्यों के लिए कार्य (work) में निम्न कार्य भी सम्मिलित होंगे–

अ. विज्ञापन
ब. प्रसारण (Broad-casting) एवं दूरसंचार (Tele-casting), जिसमें ऐसे प्रसारण अथवा दूरसंचार के लिए प्रोग्राम बनाना भी सम्मिलित है।
स. रेल्वे को छोड़कर परिवहन की किसी भी अन्य विधि से माल एवं यात्री परिवहन
द. कैटरिंग (Catering)।

7. बीमा कमीशन [Insurance Commission] (धारा 194 D)

यदि भारत में निवासी कोई व्यक्ति बीमा एजेण्ट है तथा पूरे वित्तीय वर्ष के लिए बीमा कमीशन के रूप में उसको देय राशि 5,000 रुपयों (1 जुलाई, 2010 से 20,000 रु.) से अधिक है, तो ऐसे कमीशन का भुगतान करते समय ऐसे कमीशन की सम्पूर्ण राशि पर 10% के आधार पर उद्गम स्थान पर आय कर काटा जायेगा।

8. अनिवासी खिलाड़ियों तथा खेल संस्थाओं को भुगतान (धारा 194 E)
(Payments to Non-resident Sportsmen or Sports Associations)

यदि धारा 115 BBA में वर्णित किसी आय का भुगतान किसी ऐसे अनिवासी खिलाड़ी को (including Athlete) जो भारतीय नागरिक न हो अथवा किसी अनिवासी खेल संस्था या संघ को देय है तो ऐसी आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति ऐसी आय में से 10% की उद्गम स्थान पर कटौती करेगा। यह कटौती नगद या चैक या ड्राफ्ट या अन्य किसी भी प्रकार से भुगतान करते समय अथवा पाने वाले के खाते में रकम जमा करते समय, जो भी घटना पहले हो, की जायेगी।

9. राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत जमा में से भुगतान (धारा 194 EE)
(Payments in respect of Deposits under National Savings Scheme))

धारा 80 CCA(a) में वर्णित राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत जमा राशि में से होने वाले पुर्नभुगतान की कुल राशि पर 20% की दर से आय कर काटा जायेगा। किन्तु यदि पूरे वित्तीय वर्ष में ऐसे भुगतान की कुल रकम 2,5000 रुपयों से कम हो तो यह कटौती नहीं होगी। यदि भुगतान करदाता के उत्तराधिकारी को हुआ हो, तो भी उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जायेगी।

10. पारस्परिक कोष या भारतीय यूनिट ट्रस्ट के पुनः क्रय पर भुगतान (धारा 194 F)
(Payments on account of Re-purchase of Units by Mutual Fund or Unit Trust of India)

धारा 80 CCB (2) में वर्णित पारस्परिक कोष (Mutual Fund) अथवा भारतीय यूनिट ट्रस्ट (Unit Trust of India) की यूनिटों के पुनः क्रय करने पर होने वाले भुगतान में से मूल विनियोजित राशि पर 20% की दर से कटौती की जायेगी।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

11. लॉटरी टिकिटों की बिक्री पर कमीशन (धारा 194 G)
(Commission on Sale of Lottery Tickets)

लॉटरी टिकटों का क्रय, विक्रय, वितरण या स्टॉक करने वाले व्यक्ति को कमीशन, पारिश्रमिक या पुरस्कार के रूप में (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये) भुगतान करने पर 10% की दर से उद्गम स्थान पर आय कर काटा जायेगा, बशर्ते उस भुगतान की रकम 1,000 रुपये से अधिक हो। यह कटौती ऐसा भुगतान नकद अथवा चैक या ड्राफ्ट के द्वारा, अथवा पाने वाले व्यक्ति के खाते में जमा की प्रविष्टि के द्वारा करते समय (जो भी पहले हो) की जायेगी।

लॉटरी टिकटों का क्रय, विक्रय, वितरण या स्टॉक करने वाले ऐसे व्यक्ति के द्वारा आवेदन किये जाने पर यदि कर निर्धारण अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि उस व्यक्ति की कुल आय को देखते हुए ऐसे भुगतान में से आय कर को न काटना या कम दर से काटना न्यायोचित होगा तो वह उस व्यक्ति को इस आशय का प्रमाण–पत्र जारी कर सकता है। ऐसा प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर उस व्यक्ति को किए गए भुगतान में से आय कर नहीं काटा जायेगा अथवा कम दरों से काटा जायेगा।

12. कमीशन या दलाली की आय में से कटौती (धारा 194 H)
(Deduction of tax from Commission or Brokerage)

कोई भी व्यक्ति एक व्यष्टि या हिन्दू अविभाजित परिवार को छोड़कर यदि भारत में निवासी किसी भी व्यक्ति को कमीशन या दलाली की आय के रूप में (धारा 194 D में वर्णित कमीशन को छोड़कर) कोई भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है तो उसे 10% की दर से उद्गम स्थान पर आय कर काटना होगा। यह कटौती कमीशन या दलाली पाने वाले व्यक्ति के खाते में ऐसी आय को जमा करते समय अथवा नकद भुगतान के समय अथवा चैक या ड्राफ्ट देते समय अथवा अन्य किसी भी प्रकार से भुगतान करते समय (जो भी पहले हो) की जायेगी। यदि कमीशन या दलाली चुकाने वाले व्यक्ति की लेखा पुस्तकों में ऐसी राशि किसी भी खाते में (चाहे उस खाते का नाम Suspense Account या अन्य कोई हो) जमा की गयी है तो यह माना जायेगा कि ऐसा कमीशन या दलाली, पाने वाले व्यक्ति के खाते में जमा हुआ है तथा इस धारा के प्रावधान तद्नुसार लागू होंगे।

परन्तु पूरे वित्तीय वर्ष में किसी व्यक्ति को चुकाया गया अथवा चुकाया जाने वाला तथा उसके खाते में जमा किया गया अथवा जमा किया जाने वाला कमीशन या दलाली यदि कुल मिलाकर 2,500 रुपयों (1 जुलाई 2010 से 5,000 रु.) से अधिक न हो तो उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जायेगी।

स्पष्टीकरण

ऐसा व्यष्टि या हिन्दू अविभाजित परिवार जिसकी तुरन्त पहले वाले वित्तीय वर्ष की सकल प्राप्तियाँ या विक्रय राशि निर्धारित सीमा से अधिक होने के कारण उसे धारा 44AB के अन्तर्गत अपने लेखों का अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है तो वह भी उद्गम स्थान पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी होगा।

13. किराया के भुगतान में से कर की कटौती (Deduction of tax from payment of Rent) (194-I)

यदि कोई व्यक्ति (जो एक व्यष्टि या हिन्दू अविभाजित परिवार न हो) किराये के रूप में कोई आय निवासी व्यक्ति को चुकाता है या जमा करता है, तो एसी राशि में से निम्न दरों से उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जायेगीः

अ. किसी मशीन, प्लाण्ट या उपकरण के किराये पर	2%
ब. किसी भूमि, भवन या फर्नीचर के किराये पर	10%

किन्तु यदि पूरे वित्तीय वर्ष में उस व्यक्ति को चुकाई गई या उस व्यक्ति के खाते में जमा की गई सभी

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

राशियों का योग कुल मिलाकर 1,20,000 रुपयों से (1 जुलाई, 2010 से 1,80,000 रु.) अधिक न हो, तो इस धारा के अन्तर्गत उद्‌गम स्थान पर आय कर की कटौती नहीं होगी।

स्पष्टीकरण

ऐसा व्यष्टि या हिन्दू अविभाजित परिवार जिसकी तुरन्त पहले वाले वित्तीय वर्ष की सकल प्राप्तियाँ या विक्रय राशि निर्धारित सीमा से अधिक होने के कारण उसे धारा 44AB के अन्तर्गत अपने लेखों का अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है, वह भी उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी होगा।

परन्तु कोई भी व्यष्टि या हिन्दू अविभाजित परिवार पेशेवर सेवाओं की फीस पर आयकर काटने हेतु जिम्मेदार नहीं होंगे यदि यह राशि केवल व्यक्तिगत उद्देश्य हेतु चुकायी या जमा की गयी हो।

14. पेशेवर अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस में से कर की कटौती (धारा 194-J)
(Deduction of tax from fees for Professional or Technical Services)

यदि कोई व्यक्ति (जो एक व्यष्टि या हिन्दू अविभाजित परिवार न हो) किसी निवासी व्यक्ति को पेशेवर सेवाओं के लिए या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के रूप में कोई भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है तो ऐसी राशि के भुगतान के समय या पाने वाले के खाते में जमा करते समय (जो भी पहले हो) उसमें से 10% की दर से उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती करेगा।

यदि एक वित्तीर्य वर्ष में किसी एक व्यक्ति को 20,000 रुपयों (1 जुलाई 2010 से 30,000 रु.) से अधिक राशि का भुगतान नहीं किया गया है तो उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जावेगी। कर निर्धारण अधिकारी किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन किए जाने पर इस आशय का प्रमाण–पत्र जारी कर सकता है कि उसको देय भुगतान की राशि में से उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती नहीं होगी अथवा कम दर से होगी। (धारा 197)

ऐसा व्यष्टि या हिन्दू अविभाजित परिवार जिसकी तुरन्त पहले वाले वित्तीय वर्ष की सकल प्राप्तियाँ या विक्रय राशि निर्धारित सीमा से अधिक होने के कारण उसे धारा 44AB के अन्तर्गत अपने लेखों का अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है तो वह भी उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी होगा।

कोई भी व्यष्टि या हिन्दू अविभाजित परिवार पेशेवर सेवाओं की फीस पर आयकर काटने हेतु जिम्मेदार नहीं होंगे यदि यह राशि केवल व्यक्तिगत उद्देश्य हेतु चुकायी या जमा की गयी हो।

15. भूमि एवं भवन के अनिवार्य अधिग्रहण पर देय राशि में से उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती (Deduction of Tax at source from the amount payable on Compulsory acquisition of Immovable Property) [धारा 194]

यदि कोई व्यक्ति किसी निवासी व्यक्ति को भूमि एवं भवन के अनिवार्य अधिग्रहण करने पर प्रतिफल अथवा बढ़ा हुआ प्रतिफल अथवा क्षतिपूर्ति अथवा बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति के रूप में किसी राशि का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी है तो वह उस व्यक्ति को नकद भुगतान करने अथवा चैक अथवा बैंक ड्राफ्ट जारी करने (जो भी पहले हो) से पूर्व निर्धारित दर से उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती करेगा। इस सम्बन्ध में अन्य प्रावधान निम्न प्रकार है–

(i) भूमि एवं भवन में कृषि भूमि (चाहे शहरी हो अथवा ग्रामीण) शामिल नहीं है।

(ii) यदि ऐसे भुगतान की राशि 1,00,000 रु. से अधिक नहीं है तो कटौती नहीं की जायेगी।

(iii) कटौती की दर 10% है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

16. लाभांश की आय में से उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती [धारा 194]
(Deduction of tax at source from imcome of Dividends)

एक घरेलू कम्पनी के मुख्य अधिकारी का यह दायित्व है कि वह भारत में निवासी अंशधारी को लाभांश का भुगतान करने से पूर्व निर्धारित दर से उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती करे। ऐसी कटौती धारा 2(22) (a) से 2 (22) (e) के अन्तर्गत माने गये लाभांश के सम्बन्ध में भी की जायेगी। परन्तु निम्न दशाओं में उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जायेगी–

1. एक व्यष्टि (individual) अंशधारी को देय लाभांश में से, यदि उसे लाभांश का भुगतान खाते में जमा होने वाले चैक (Account Payee Cheque) द्वारा किया जाता है तथा इस व्यष्टि को भुगतान किया गया अथवा किये जाने वाला लाभांश किसी भी वित्तीय वर्ष में 2,500 रु. से अधिक नहीं है।
2. निम्न को ऐसे अंशों के सम्बन्ध में दिये गये अथवा खाते में जमा किये गये लाभांश में से, जिन पर इनका स्वामित्व है अथवा पूर्ण लाभकारी हित है–

   (अ) भारतीय जीवन बीमा निगम (ब) भारतीय सामान्य बीमा निगम अथवा इसकी चार कम्पनियों में से कोई भी कम्पनी (स) अन्य बीमाकर्त्ता।
3. धारा 115-O में संदर्भित लाभांश में से।

महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण

धारा 2 (22) (e) में आने वाले लाभांश को छोड़कर शेष सभी लाभांश पर धारा 115-O लागू होती है। कर निर्धारण वर्ष 2010–11 में अंशधारी के लिये ऐसा लाभांश कर मुक्त होता है। कम्पनी वितरित किये गये लाभांश पर स्वयं अतिरिक्त कर चुकाती है।

अतः धारा 2(22)(e) में आने वाले लाभांश पर ही कम्पनी उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती करेगी।

17. अनिवासियों की आय में से उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती (धारा 195)
(Deductions of tax from Income of Non-residents)

यदि एक अनिवासी गैर कम्पनी करदाता को अथवा एक विदेशी कम्पनी को कोई ब्याज इस अधिनियम के अन्तर्गत कर–योग्य अन्य किसी राशि का (वेतन शीर्षक के अन्तर्गत कर–योग्य राशि को छोड़कर) भुगतान किया गया है, तो उसमें से निर्धारित दरों के आधार पर उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती की जायेगी। यह कटौती ऐसी आय को प्राप्तकर्त्ता के खाते में जमा करते समय अथवा नकद भुगतान के समय अथवा चैक या ड्राफ्ट जारी करते समय अथवा अन्य किसी भी विधि से भुगतान करते समय (जो भी सबसे पहले हो) की जायेगी।

II. उद्‌गम स्थान पर कर का संग्रह (धारा 206 C)
(Collection of Tax at Source)

1. निम्नलिखित वस्तुओं के विक्रेता द्वारा क्रेता के खाते में विक्रय मूल्य नाम लिखने पर अथवा नकद, चैक, ड्राफ्ट या अन्य किसी रूप में प्राप्त करने पर (इनमें से जो पहले हो) उसमें से उस राशि का एक निर्धारित प्रतिशत भाग कर संग्रह के रूप में काटा जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान धारा 206 C के अन्तर्गत निम्न दरों से कर एकत्रित किया जावेगाः

(i) मानव उपयोग हेतु Alcoholic Liquor (भारत में बनी विदेशी शराब को छोड़कर)	1 प्रतिशत

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(ii) तेन्दूपत्ता पर	5 प्रतिशत
(iii) जंगल के पट्टे (Forest lease) के अन्तर्गत प्राप्त इमारती लकड़ी (Timber) पर	2.50 प्रतिशत
(iv) जंगल के पट्टे (Forest lease) को छोड़कर अन्य किसी विधि से प्राप्त लकड़ी (Timber) पर	2.50 प्रतिशत
(v) अन्य कोई जंगल का उत्पाद (लकड़ी या तेंदू पत्ता को छोड़कर)	2.50 प्रतिशत
(vi) अवशिष्ट (Scrap)	1 प्रतिशत
(vii) पार्किंग लोट, टॉल, प्लाजा या खानों के व्यावसायिक उपयोग के लिए पट्टे पर देने से प्राप्त राशि पर	2 प्रतिशत

व्यावसायिक उपयोग के लिए पट्टे पर देने से प्राप्त राशि

यदि क्रेता द्वारा आवेदन–पत्र दिये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी उसे इस आशय का प्रमाण–पत्र जारी कर देता है कि उस माल का उपयोग, निर्माण, विधियन या उत्पादन प्रक्रिया में किया जायेगा न कि व्यापार के लिए, तो ऐसा प्रमाण–पत्र जब तक लागू रहेगा तब तक इस धारा के अन्तर्गत कर का संग्रह नहीं किया जायेगा।

अन्य प्रावधान (Other Provisions)

1. विक्रेता का यह दायित्व है कि वह इस धारा के तहत संग्रह की गई राशि को जिस महीने में राशि एकत्रित की जाती है उस महीने की समाप्ति के बाद 7 दिन के अन्दर केन्द्रीय सरकार के लिए अथवा जैसा बोर्ड निर्देश दे, जमा कराये।

2. इस धारा के तहत कर–संग्रह करने वाले विक्रेता का कर्त्तव्य है कि वह संग्रह किये गये कर का त्रैमासिक विवरण तैयार करे तथा उस विवरण को निर्धारित प्राधिकारी के यहाँ, निर्धारित प्रारूप में निर्धारित ढंग से सत्यापित करके निर्धारित विवरण दिखाते हुए दाखिल करे।

3. यदि विक्रेता इस धारा के तहत संग्रह की जाने वाली राशि को संग्रह नहीं करता अथवा संग्रह करने के बाद निर्धारित समय के अन्दर सरकारी कोष में जमा नहीं कराता है तो उसे इस राशि पर 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज सरकार को देना होगा। ब्याज की गणना जिस तिथि को ऐसा कर–संग्रह किया जाना चाहिये था उस तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक की अवधि के लिए की जायेगी। यदि विक्रेता संग्रह की गई राशि को जमा नहीं कराता है तो उसे धारा–276 BB के अन्तर्गत कम से कम 3 माह और अधिक से अधिक 7 वर्ष की कड़ी सजा दी जा सकती है तथा जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

4. इस धारा के अन्तर्गत संग्रह की गई एवं केन्द्र सरकार के खाते में जमा की गई राशि उस व्यक्ति द्वारा भुगतान की गई मानी जायेगी जिस व्यक्ति से इसे संग्रह किया गया है। इस प्रकार संग्रह की गई राशि का बोर्ड द्वारा समय–समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार विशिष्ट कर निर्धारण वर्ष में उस व्यक्ति को जमा स्वीकृत की जायेगी जिससे ऐसा कर संग्रह किया गया है।

इस धारा के उद्देश्यों के लिए क्रेता का आशय ऐसे व्यक्ति से है जो धारा 206 C (1) की सारणी में निर्दिष्ट वस्तुओं को या ऐसी वस्तुओं के प्राप्त करने के अधिकार को किसी नीलामी, टेण्डर या अन्य किसी प्रकार से बिक्री में प्राप्त करता है (कुछ व्यक्तियों को छोड़ते हुए) तथा विक्रेता का आशय केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय सत्ता या वैधानिक निगम या वैधानिक प्राधिकरण अथवा किसी कम्पनी फर्म या सहकारी समिति से है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

अभ्यास के लिए प्रश्न
(Questions for Exercise)

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न (Very Short Answer Type Questions):

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 20 शब्दों में दीजिए।

(Answer the following questions in maximum 20 words.)

1. उद्गम स्थान पर कर की कटौती से आप क्या समझते हैं?
   What do you mean by deduction of tax at source?
2. ताश तथा अन्य खेलों से आय पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती किस दर से की जाती है?
   At what rate will the deduction of tax at source is made on income from card game and other game of any sort?
3. घुड़दौड़ में जीती गई राशि पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती किस दर से की जाती है?
   At what rate will the deduction of tax at source is made on winnings from horse race?
4. फर्म द्वारा किसी निवासी को कमीशन या दलाली के भुगतान करने पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती किस दर से की जायेगी?
   At what rate will the deduction of tax at source be made by a firm on payment made for commission or brokerage to a resident?

लघूत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer Type Questions):

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए।

(Answer the following questions in maximum 50 words.)

1. ऐसी कोई पाँच आयों का उल्लेख कीजिये, जिनसे उद्गम स्थान पर कर काटा जाता है?
   Enumerate any five incomes on which tax is deducted at source.
2. प्रतिभूतियों के ब्याज पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती किस दर से की जाती है?
   At what rate will the deduction of tax at source is made on Interest on Securities?
3. उद्गम स्थान पर कर के संग्रह से आप क्या समझते हैं?
   What do you mean by collection of tax at source?

क्रियात्मक प्रश्न (Essay Type Questions):

1. उद्गम स्थान पर कर की कटौती से आप क्या समझते हैं? इस सम्बन्ध में आय कर अधिनियम के प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए।
   What do you mean by deduction of tax at source? Explain the provisions of the Income Tax Act about it.
2. वेतन शीर्षक के अन्तर्गत उद्गम स्थान पर कर काटने के लिये क्या प्रावधान है?
   What are the provisions regarding deduction of tax at source under the head salaries?
3. उद्गम स्थान पर कर की कटौती से आप क्या समझते हैं? प्रतिभूतियों पर ब्याज, लाभांश, लॉटरी व घुड़दौड़ से आय के सम्बन्ध में उद्गम स्थान पर कर की कटौती करने के लिए आयकर अधिनियम के क्या प्रावधान हैं?
   What do you mean by the deduction of tax at source? Explain the provisions of Income Tax Act regarding deduction of tax at source from Interest on Securities, Dividend, Lottery and Horse Race income.
4. उद्गम स्थान पर कर के संग्रह से आप क्या समझते हैं? इस सम्बन्ध में आय कर अधिनियम के प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए।
   What do you mean by collection of tax at source? Explain the provisions of the Income Tax Act about it.

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

वर्ग (Section) : D
इकाई (Unit) : 18

कर का अग्रिम भुगतान
(Advance Payment of Tax)

आयकर का अग्रिम भुगतान (Advance Payment of Income Tax)

अथवा

जैसे कमाओं वैसे चुकाओ योजना (Pay as you Earn Scheme)

यह कर पेशगी के रूप में दिया जाता है, इसलिए इसे कर का अग्रिम भुगतान (Advance Payment of Tax) कहा जाता है। इसे 'जैसे कमाओ वैसे चुकाओ' इसलिए कहा जाता है क्योंकि करदाता जैसे–जैसे आय कमाता है वैसे–वैसे उस पर कर चुकाता जाता है। यह कर चालू वर्ष की आय पर चालू वर्ष में ही चुका दिया जाता है।

1. अग्रिम कर चुकाने के लिए आय (धारा 207)
(Income for Payment of Advance Tax)

अग्रिम कर किसी वित्तीय वर्ष में करदाता को अपनी उस कुल आय पर चुकाना होता है जिस पर इस वित्तीय वर्ष के तुरन्त बाद आने वाले कर–निर्धारण वर्ष में कर लगेगा और इसे 'चालू आय' (Current Income) कहते हैं। आय के सभी मदों (पूँजी लाभ, आकस्मिक आय, आदि सहित) पर अग्रिम कर देय होता है। अग्रिम कर का भुगतान धारा 208 से 219 तक के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

2. अग्रिम कर का दायित्व कब उत्पन्न होता है (धारा 208)
(When does Liability to Pay Advance Tax Arises):

यदि किसी वित्तीय वर्ष में करदाता द्वारा देय कर की राशि 10,000 रु. अथवा उससे अधिक हो तो उस वित्तीय वर्ष में उसे अग्रिम कर चुकाना होगा।

3. अग्रिम कर की गणना (धारा 209)
(Computation of Advance Tax):

1. किसी वित्तीय वर्ष में करदाता के द्वारा देय अग्रिम कर की राशि की गणना निम्न प्रकार की जायेगी:

(a) यदि करदाता धारा 210 की उपधारा (1), (2), (5) अथवा (6) के अन्तर्गत अग्रिम कर का भुगतान करने के उद्देश्य से गणना कर रहा है, तो वह सर्वप्रथम अपनी चालू आय का अनुमान लगायेगा तथा उस पर कर की गणना उन दरों के आधार पर की जायेगी, जो उस वित्तीय वर्ष में प्रभावी हैं।

(b) यदि कर–निर्धारण अधिकारी धारा 210 (3) के अन्तर्गत आदेश देने के उद्देश्य से गणना कर रहा है तो निम्न में से जो भी कुल आय अधिक है उस पर कर की गणना उन दरों के आधार पर की जायेगी, जो वित्तीय वर्ष में प्रभावी है–

(i) करदाता का जिस अंतिम गत वर्ष के सम्बन्ध में नियमित कर–निर्धारण हुआ है उस गत वर्ष की कुल आय।

(ii) यदि करदाता उपर्युक्त (i) में वर्णित गत वर्ष के बाद वाले किसी गत वर्ष के सम्बन्ध में आय

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

की विवरणी पेश कर चुका है तो उस विवरणी के अनुसार दर्शायी गई उसकी कुल आय।

(c) यदि कर–निर्धारण अधिकारी धारा 210 (4) के अन्तर्गत एक संशोधित आदेश देने के उद्देश्य से गणना कर रहा है तो उसकी कुल आय पहले निम्न प्रकार से ज्ञात की जायेगी तथा उस पर वित्तीय वर्ष में प्रभावी दरों के आधार पर कर की गणना की जायेगी–

(i) करदाता द्वारा धारा 210 (4) में उल्लेखित बाद वाले गत वर्ष के सम्बन्ध में प्रस्तुत आय की विवरणी में दर्शायी गई कुल आय, या

(ii) धारा 210 (4) में उल्लेखित नियमित कर–निर्धारण के अनुसार कुल आय।

यदि करदाता की चालू आय अथवा उपर्युक्त वर्णित कुल आय में ऐसी कोई आय शामिल है जिस पर वित्तीय वर्ष के दौरान उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती होती है, तो उपर्युक्त (a) अथवा (b) अथवा (c) के अन्तर्गत ज्ञात की गई कर की रकम में से वह राशि घटा दी जायेगी, जो उद्‌गम स्थान पर कटौती होने योग्य है एवं शेष राशि को अग्रिम कर की देय राशि माना जायेगा।

(2) यदि किसी करदाता के लिए अग्रिम कर की गणना करने के उद्देश्य से कृषि आय का समायोजन किया जाना है, तो इस उद्देश्य के लिए शुद्ध आय निम्न प्रकार ज्ञात की जायेगी–

(a) यदि कर–निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 210 (3) अथवा धारा 210 (4) के अन्तर्गत कोई आदेश दिया जाना है तो करदाता की शुद्ध कृषि आय निम्न प्रकार ज्ञात की जायेगी–

(i) यदि अग्रिम कर की गणना उस अंतिम गत वर्ष की कुल आय के आधार पर की गई है जिसका नियमित कर–निर्धारण हुआ है तो उस वर्ष से सम्बन्धित कर–निर्धारण वर्ष के लिए मानी गई शुद्ध कृषि आय।

(ii) यदि अग्रिम कर की गणना धारा 210 (4) में उल्लेखित बाद वाले गत वर्ष के लिए करदाता के द्वारा घोषित की गई कुल आय के आधार पर की गई है तो उस बाद वाले गत वर्ष से सम्बन्धित कर–निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी में दर्शयी गई शुद्ध कृषि आय।

(b) यदि करदाता धारा 210 की उपधारा (1) अथवा (2) अथवा (5) अथवा (6) के अन्तर्गत अनुमानित की गई चालू आय के आधार पर अग्रिम कर का भुगतान कर रहा है तो उस वित्तीर्य वर्ष से ठीक आगामी कर–निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित गत वर्ष के लिए उस करदाता के द्वारा अनुमानित की गई शुद्ध कृषि आय।

4. करदाता के द्वारा स्वेच्छा से अथवा कर–निर्धारण अधिकारी के आदेशानुसार अग्रिम कर का भुगतान (धारा 210) (Payment of advance tax byu the assessee of his own accord or in pursuance of order of Assessing officer)

(1) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो धारा 208 के अनुसार अग्रिम कर चुकाने के लिए दायी है (चाहे उसका पूर्व में कभी नियमित कर–निर्धारण हुआ हो अथवा नहीं) स्वेच्छा से धारा 211 की व्यवस्थाओं के अनुसार अपनी चालू आय पर अग्रिम कर का, जिसकी गणना धारा 209 के अनुसार की गई है, भुगतान करना होगा।

(2) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने उपर्युक्त (1) के अनुसार अग्रिम कर की कोई किस्त चुकाई है, अपनी चालू आय के अनुमानों में परिवर्तन के अनुरूप आगे चुकाए जाने वाले अग्रिम कर की शेष राशि को घटा या बढ़ा सकता है तथा उसका भुगतान शेष किस्तों में कर सकता है।

(3) यदि किसी व्यक्ति को किसी गत वर्ष के लिए कुछ आय पर नियमित कर–निर्धारण हो गया है तथा उसने उपर्युक्त (1) के अनुसार अग्रिम कर का भुगतान नहीं किया है, तो कर–निर्धारण अधिकारी (यदि

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

वह व्यक्ति उसकी राय में अग्रिम कर चुकाने के लिए दायी है) उसे इस आशय का एक नोटिस जारी कर सकता है। यह नोटिस फरवरी की अंतिम तिथि के पश्चात् जारी नहीं किया जा सकता। कर–निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति को धारा 156 के अन्तर्गत मांग का नोटिस जारी करके उसमें ऐसे अग्रिम कर के भुगतान की किस्तों को निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(4) यदि उपर्युक्त (3) के अनुसार कर–निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश जारी किये जाने के पश्चात् तथा 1 मार्च से पूर्व किसी भी समय करदाता द्वारा धारा 139 या धारा 142 (1) के अनुसार आय की विवरणी प्रस्तुत कर दी गई है या उपर्युक्त (3) में वर्णित गत वर्ष के सम्बन्ध में करदाता का नियमित कर–निर्धारण कर दिया गया है, तो कर–निर्धारण अधिकारी एक संशोधित आदेश जारी कर सकता है। कर–निर्धारण अधिकारी ऐसे करदाता को धारा 156 के अन्तर्गत मांग का नोटिस जारी करके यह निर्देश दे सकता है कि वह करदाता संशोधित आदेश जारी होने के पश्चात् पड़ने वाली देय तिथियों को अग्रिम कर कर भुगतान करेगा।

(5) यदि किसी व्यक्ति को उपर्युक्त (3) या (4) के अनुसार कोई आदेश या संशोधित आदेश जारी किया जा चुका है तथा वह व्यक्ति यह समझ रहा है कि उसके अनुमानों के अनुसार उनकी चालू आय पर देय अग्रिम कर की राशि ऐसे आदेश या संशोधित आदेश में निर्दिष्ट राशि से कम होगी तो वह व्यक्ति अपने कर–निर्धारण अधिकारी को इस आशय की सूचना निर्धारित फार्म में दे सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने अनुमानों के अनुसार अग्रिम कर का भुगतान ऐसी सूचना के बाद वाली देय तिथियों को कर सकता है।

(6) यदि किसी व्यक्ति को उपर्युक्त (3) अथवा (4) के अनुसार कोई आदेश या संशोधित आदेश जारी किया जा चुका है तथा वह व्यक्ति यह समझ रहा है कि उसके अनुमानों के अनुसार उसकी चालू आय पर देय अग्रिम कर की राशि ऐसे आदेश या संशोधित आदेश में निर्दिष्ट राशि से अथवा उपर्युक्त (5) के अनुसार उसके द्वारा सूचित की गई राशि से अधिक होगी तो वह ऐसे आधिक्य की राशि का भुगतान करेगा। ऐसा भुगतान धारा 211 के अनुसार निर्दिष्ट की गई अंतिम किस्त की देय तिथि को अथवा उससे पूर्व किया जाना आवश्यक है।

5. अग्रिम कर की किस्तें तथा देय तिथियां (धारा 211)

(Instalments of Advance Tax and Due Dates)

(1) करदाताओं के द्वारा देय अग्रिम कर (जिसकी गणना धारा 209 में निर्दिष्ट विधि के अनुसार हुई हो) का भुगतान निम्न प्रकार करना होगा–

(a) यदि करदाता एक ऐसी कम्पनी है, जो ऐसे भुगतान के लिए दायी है तो वह भुगतान वित्तीय वर्ष में चार किस्तों में निम्न प्रकार किया जायेगा–

(i) 15 जून अथवा उससे पूर्व	ऐसे अग्रिम कर का कम से कम 15 प्रतिशत।
(ii) 15 सितम्बर अथवा उससे पूर्व	ऐसे अग्रिम कर की कम से कम 45 प्रतिशत रकम में से पूर्व की किस्त में चुकाई गई रकम को घटा कर शेष राशि।
(iii) 15 दिसम्बर अथवा उससे पूर्व	ऐसे अग्रिम कर की कम से कम 75 प्रतिशत रकम में से पूर्व की किस्त या किस्तों में चुकाई गई रकम को घटा कर शेष राशि।
(iv) 15 मार्च अथवा उससे पूर्व	ऐसे अग्रिम कर की सम्पूर्ण रकम में से पूर्व की किस्त या किस्तों में चुकाई गई रकम को घटा कर शेष राशि।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(b) यदि करदाता कम्पनी को छोड़कर अन्य कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे भुगतान के लिए दायी है तो वह भुगतान वित्तीय वर्ष में तीन किस्तों में अग्र प्रकार किया जायेगा–

(i) 15 सितम्बर अथवा उससे पूर्व	ऐसे अग्रिम कर की राशि का कम से कम 30 प्रतिशत।
(ii) 15 दिसम्बर अथवा उससे पूर्व	ऐसे अग्रिम कर की राशि का कम से कम 60 प्रतिशत रकम में से पूर्व की किस्त में चुकाई गई रकम को घटाकर शेष राशि।
(iii) 15 मार्च अथवा उससे पूर्व	ऐसे अग्रिम कर की सम्पूर्ण राशि में से पूर्व की किस्त या किस्तों में चुकाई गई रकम को घटा कर शेष राशि।

करदाता द्वारा 31 मार्च अथवा उससे पूर्व चुकाई गई राशि भी वित्तीर्य वर्ष के दौरान चुकाई गई समझी जायेगी।

(2) यदि कर–निर्धारण अधिकारी ने धारा 210 (3) अथवा धारा 210(4) के अन्तर्गत जारी किये गये आदेश के परिणामस्वरूप धारा 156 के अन्तर्गत मांग का नोटिस जारी किया है, तो ऐसे नोटिस में निर्दिष्ट की गई राशि का भुगतान उन देय तिथियों को अथवा उनसे पूर्व करना होगा जो उस मांग के नोटिस को दिये जाने की तिथि से बाद में पड़ी है।

(3) अग्रिम कर की किस्त की देय राशि को निकटतम 10 रुपयों के गुणांक में पूर्णांकित (Rounded off) किया जाता है।

6. सरकार द्वारा देय ब्याज (धारा 214)
(Interest Payable by Government)

(1) यदि करदाता द्वारा चुकाए गए अग्रिम कर की राशि निर्धारित कर की राशि से अधिक हो तो ऐसे आधिक्य की राशि पर सरकार द्वारा ब्याज 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से दिया जायेगा। यह ब्याज तुरन्त आगामी वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल से नियमित कर–निर्धारण की तिथि तक की अवधि के लिए दिया जायेगा। यदि अगिम्र कर की किसी किस्त का भुगतान वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किया गया हो तो ब्याज उस भुगतान की तिथि से नियमित कर–निर्धारण की तिथि तक की अवधि के लिए दिया जायेगा। किन्तु यदि धारा 141A के अन्तर्गत अस्थायी कर–निर्धारण पर कोई राशि वापस हुई है तो ऐसे अस्थायी कर–निर्धारण की तिथि से बाद की अवधि के लिए कोई ब्याज देय नहीं होगा।

(2) यदि धारा 147, 154, 155, 250, 254, 260, 262, 263 या 264 के अन्तर्गत जारी किए गए आदेश या धारा 254 D(4) के अन्तर्गत निपटारा आयोग द्वारा जारी किए गए आदेश के परिणामस्वरूप उस राशि में, जिस पर उपर्युक्त (1) के अनुसार ब्याज दिया गया था वृद्धि अथवा कमी हो जाती है तो उसके अनुसार ब्याज में वृद्धि अथवा कमी कर दी जायेगी। ब्याज की राशि कम हो जाने पर कर–निर्धारण अधिकारी द्वारा मांग का नोटिस जारी कर दिया जायेगा।

7. करदाता का दोषी करदाता होना (धारा 218)
(Assessee deemed to be in Default)

एक करदाता को निम्नलिखित परिस्थितियों में दोषी करदाता माना जा सकता है–

(i) यदि कोई करदाता धारा 211 (1) के अन्तर्गत निर्दिष्ट तिथि तक अग्रिम कर की किसी ऐसी किस्त का भुगतान नहीं करे जिसके लिए कर–निर्धारण अधिकारी धारा 210 (3) अथवा 210 (4) के अन्तर्गत आदेश जारी कर चुका है तथा उस करदाता ने धारा 210 (5) के अन्तर्गत कर–निर्धारण अधिकारी को उस किस्त के देय होने की तिथि तक कोई सूचना भी न दी हो।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(ii) यदि करदाता ने अपनी चालू आय की अनुमानित राशि पर धारा 210 (6) के अनुसार अग्रिम कर का भुगतान नहीं किया हो।

8. अग्रिम कर की जमा (धारा 219)
(Credit for Advance Tax):

करदाता के द्वारा चुकाई गई या उससे वसूल की गई अग्रिम कर की राशि जिस वित्तीय वर्ष में चुकाई गई अथवा वसूल हुई है, उससे सम्बन्धित कर–निर्धारण वर्ष के लिए किए गए कर–निर्धारण के अनुसार देय कर की राशि में समायोजन कर लिया जायेगा।

9. अग्रिम कर जमा कराने में दोषी हो जाने पर ब्याज (धारा 234 B)
(Interest for Defaults in Payment of Advance Tax)

(1) यदि कोई करदाता, जो धारा 208 के अन्तर्गत अग्रिम कर चुकाने के लिए दायी है, ऐसा कर न चुकाए अथवा धारा 210 के अन्तर्गत उसके द्वारा चुकाया गया कर निर्धारित कर (assessed tax) के 90 प्रतिशत से कम हो, तो वह 1.00 प्रतिशत प्रतिमाह (माह के अंश को पूर्ण माह मानते हुए) की दर से साधारण ब्याज चुकाने के लिए दायी होगा। यह ब्याज, निर्धारित कर की रकम पर अथवा निर्धारित कर में से अग्रिम चुकाया गया कर घटाने से प्राप्त शेष राशि पर, जैसी भी स्थिति हो, लिया जाएगा। ब्याज की गणना उस वित्तीय वर्ष के तुरन्त बाद वाली 1 अप्रैल से प्रारम्भ करके उस तिथि तक की अवधि के लिए की जाएगी जिस तिथि को धारा 143 (1) के अन्तर्गत कुल आय का निर्धारण किया गया है या नियमित कर–निर्धारण होने की स्थिति में ऐसा नियमित कर–निर्धारण हुआ है।

स्पष्टीकरण

निर्धारित कर से अभिप्राय (Meaning of assessed tax): धारा 143 (1) के अन्तर्गत या नियमित कर–निर्धारण पर निश्चित की गई कुल आय पर निकाले गये कर की राशि में से वह राशि घटा दी जायेगी जो उद्‍गम स्थान पर कर की कटौती या कर के संग्रह के रूप में पहले ही आय में से काट ली गई है तथा शेष राशि को निर्धारित कर (assessed tax) माना जायेगा।

(2) पहले धारा 234 B (1) के अन्तर्गत कुल आय के निर्धारण अथवा नियमित कर–निर्धारण की समाप्ति से पूर्व धारा 140A के अन्तर्गत या अन्यथा कर का भुगतान कर दिया गया है तो ब्याज की गणना निम्न प्रकार की जावेगी–

(i) पहले धारा 234 B(1) के अनुसार कर के भुगतान की तिथि तक की अवधि के लिए ब्याज की गणना की जायेगी तथा इस प्रकार आकलिक ब्याज की रकम में से उपर्युक्त प्रकार से चुकाये गये ब्याज को घटाया जायेगा।

(ii) तत्पश्चात् भुगतान की तिथि से बाद की अवधि के लिए ब्याज की गणना उस राशि पर की जायेगी जो निर्धारित कर की राशि में से उपर्युक्त प्रकार से चुकाये गए कर तथा अग्रिम चुकाये गये कर के योग को घटाने पर शेष बचती है।

(3) यदि धारा 147 या धारा 153A के अन्तर्गत पुनः निर्धारण या पुनः आकलन के फलस्वरूप उस राशि में वृद्धि हो जाए जिस पर धारा 234 A(1) के अन्तर्गत प्रारम्भ में ब्याज देय था, तो करदाता 1.00 प्रतिशत प्रति माह की दर से साधारण ब्याज चुकाने के लिए दायी होगा। यह ब्याज उस राशि पर लिया जायेगा जो पुनः निर्धारण या पुनः आकलन के आधार पर निर्धारित कुल आय पर कर की राशि में से धारा 143 (1) के अन्तर्गत या नियमित कर–निर्धारण के अन्तर्गत निर्धारित की गई कुल आय पर कर की राशि को घटाने पर शेष बचती है। ब्याज की गणना उस अवधि के लिए की जायेगी जो धारा 143 (1) के अन्तर्गत कुल आय के निर्धारित किए जाने की तिथि के अगले दिन से प्रारम्भ होकर तथा जैसा

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

कि उपधारा (1) में उल्लेख है, नियमित कर–निर्धारण होने की स्थिति में ऐसे नियमित कर–निर्धारण की तिथि से अगले दिन प्रारम्भ होकर धारा 147 के अन्तर्गत पुनः निर्धारण या पुनः आकलन की तिथि को समाप्त होती है।

(4) यदि धारा 154, 155, 250, 254, 260, 262, 263, 264 या 245 (D) के अन्तर्गत प्रसारित आदेशों के परिणामस्वरूप उस राशि में वृद्धि या कमी हो जाये, जिस पर धारा 234 B (1) या 234 B(3) के अन्तर्गत ब्याज देय था तो फिर ब्याज में भी तदनुसार वृद्धि या कमी कर दी जायेगी। ब्याज में वृद्धि हो जाने पर करदाता को मांग का नोटिस जारी किया जायेगा तथा कमी होने पर उसे वापसी की राशि मंजूर की जायेगी। [धारा 234 B (4)]

इस धारा के अन्तर्गत ब्याज की गणना जिस राशि पर की जानी है उसे पहले 100 रुपये के निकटतम गुणांक में उपसादित किया जायेगा (अंश को त्याग दिया जायेगा) तथा उपसादित राशि पर ब्याज की गणना की जायेगी। [नियम 119A]

10. अग्रिम कर का संदाय आस्थगित करने पर ब्याज (धारा 234 C)
(Interest on Deferment of Advance Tax):

अ. एक कम्पनी करदाता द्वारा देय ब्याज (Interest Payable by a company assessee)

(i) यदि कोई कम्पनी, जो धारा 208 के अन्तर्गत अग्रिम कर के भुगतान के लिए दायी है, ऐसा भुगतान न करे या वित्तीय वर्ष में अपनी चालू आय पर 15 जून तक चुकाया गया अग्रिम कर उस वित्तीय वर्ष की आय की विवरणी में दर्शायी गई आय पर देय कर के 15 प्रतिशत से कम हो अथवा अपनी चालू आय पर 15 सितम्बर तक चुकाया गया अग्रिम कर उस वित्तीय वर्ष की आय की विवरणी में दर्शायी गई आय पर देय कर के 45 प्रतिशत से कम हो अथवा अपनी चालू आय पर 15 दिसम्बर तक चुकाया गया अग्रिम कर उस वित्तीय वर्ष की आय की विवरणी में दर्शायी गई आय पर देय कर के 75 प्रतिशत से कम हो, तो वह कम्पनी 1.00 प्रतिशत प्रति माह की दर से 3 माह की अवधि के लिए साधारण ब्याज चुकाने के लिए दायी होगी। ब्याज की गणना विवरणी में दर्शायी गई आय पर देय कर के 15 प्रतिशत या 45 प्रतिशत में से (जैसी भी स्थिति हो) 15 जून या 15 सितम्बर या 15 दिसम्बर (जैसी भी स्थिति हो) तक चुकाये गये अग्रिम कर की राशि को घटाने पर प्राप्त शेष रकम (कमी की राशि) पर की जायेगी।

किन्तु यदि कम्पनी द्वारा 15 जून तक चुकाया गया अग्रिम कर आय की विवरणी में दर्शायी गई आय पर देय कर के 12 प्रतिशत से कम न हो अथवा 15 सितम्बर तक चुकाया गया अग्रिम कर आय की विवरणी में दर्शायी गई आय पर देय कर के 36 प्रतिशत से कम न हो तो ऐसी स्थिति में कम्पनी द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

(ii) यदि किसी कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष की 15 मार्च तक अपनी चालू आय पर चुकाया गया अग्रिम कर उस वित्तीय वर्ष की विवरणी में दर्शायी गई आय पर देय कर से कम हो, तो वह कम्पनी ऐसी कमी की राशि पर 1.00 प्रतिशत साधारण ब्याज चुकाने के लिए दायी होगी।

ब. गैर कम्पनी करदाता द्वारा देय ब्याज (Interest payable by a Non-company):

(i) यदि कोई गैर कम्पनी करदाता, जो धारा 208 के अन्तर्गत अग्रिम कर के भुगतान के लिए दायी है, ऐसा भुगतान न करे या वित्तीय वर्ष की अपनी चालू आय पर 15 सितम्बर तक चुकाया गया अग्रिम कर उस वित्तीय वर्ष की आय की विवरणी में दर्शायी गई आय पर देय कर के 30 प्रतिशत से कम हो या अपनी चालू आय पर 15 दिसम्बर तक चुकाया गय अग्रिम कर उस वित्तीय वर्ष की आय की विवरणी में दर्शायी गई आय पर देय कर के 60 प्रतिशत से कम हो, तो वह करदाता 1.00 प्रतिशत प्रति माह की दर से तीन माह की अवधि के लिए साधारण ब्याज चुकाने के लिए दायी होगा। ब्याज की गणना

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

विवरणी में दर्शायी गई आय पर देय कर के 30 प्रतिशत या 60 प्रतिशत (जैसी भी स्थिति हो) में से 15 सितम्बर या 15 दिसम्बर तक (जैसी भी स्थिति हो) चुकाए गए अग्रिम कर की राशि को घटाने पर प्राप्त शेष रकम (कमी की राशि) पर की जायेगी।

(ii) यदि किसी गैर कम्पनी करदाता द्वारा वित्तीय वर्ष की 15 मार्च तक अपनी चालू आय पर चुकाया गया अग्रिम कर उस वित्तीय वर्ष की विवरणी में दर्शायी गई आय पर देय कर से कम हो, तो वह गैर कम्पनी करदाता ऐसी कमी की राशि पर 1.00 प्रतिशत साधारण ब्याज चुकाने के लिए दायी होगा।

यदि अग्रिम कर के भुगतान में उपर्युक्त वर्णित कमी के पीछे कारण पूंजी लाभों के सम्बन्ध में अथवा धारा 2(24) के वाक्यांश (ix) में वर्णित आकस्मिक आयों के सम्बन्ध में अनुमान लगाने में विफलता या कम अनुमान लगाने की स्थिति रही हो, तथा उसने इस प्रकार की आय को सम्मिलित करते हुए कुल आय पर कर का भुगतान कर दिया है, तो फिर इस धारा के अन्तर्गत करदाता के द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। किन्तु इस छूट को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि करदाता ने ऐसी आय पर देय कर की सम्पूर्ण राशि का भुगतान यह मानते हुए कर दिया हो कि वह आय उसकी कुल आय का एक भाग है। यह भुगतान देय होने वाली अग्रिम कर के भुगतान की शेष किस्तों के एक भाग के रूप में ही करना होगा।

यहां ''विवरणी में दर्शायी गई आय पर देय कर'' का आशय उस राशि से है जो उस वित्तीय वर्ष (जिसमें अग्रिम कर चुकाया गया है) के तुरन्त बाद वाले कर–निर्धारण वर्ष के लिए करदाता द्वारा प्रस्तुत विवरणी में घोषित कुल आय पर देय कर की राशि है तथा जिसमें से आय कर अधिनियम के अध्याय VII के प्रावधानों के अनुसारा उद्गम स्थान पर काटी गई अथवा संग्रहित की गई कर की राशि को घटाया जा चुका है।

कर की दरें–जो दरें, पिछले अध्याय में उद्गम स्थान पर कर की कटौती के लिए दी गयी हैं, वहीं दरें अग्रिम कर के भुगतान पर लागू भी होंगी।

उदाहरण (Illustration) 18.1 :

कर–निर्धारण वर्ष 2011–12 के लिए श्री अंकित द्वारा देय अग्रिम कर की गणना कीजिए यदि उन पर पहले कभी कर का निर्धारण नहीं हुआ हो। वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए उनकी अनुमानित कर–योग्य आय निम्न प्रकार है–

	रुपये
1. सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	6,000
2. व्यापार से लाभ	71,000
3. अल्पकालीन पूंजी लाभ	18,600
4. लॉटरी से आय	4,000
5. वेतन 30,000 रु. प्रति माह	3,60,000

Compute the advance tax payable by Shri Ankit for the Assessment Year 2011-12 if he has not been assessed to tax previously. His estimated taxable income for the financial year 2010-11 is as under:

	Rs.
1. Interest on Government Securities	6,000
2. Profit of business	71,000
3. Short term Capital Gain	18,600
4. Income from Lottery	4,000
5. Salaries @ Rs. 30,000 per month	3,60,000

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

हल (Solution)

Computation of Estimated Total Income for Advance Tax Liability for the Assessment Year 2011-12

	Rs.
Income from Salaries	3,60,000
Profit of Business	71,000
Short term Capital Gain	18,600
Income from Lottery	4,000
Interest on Government Securities	6,000
Gross Total Income	4,59,600
Less: Deductions	NIL
Total Income	4,59,600

Computation of Advance Tax Payable (Assessment Year 2011-12)

	Rs.
Income tax on Rs. 4,59,600	30,760.00
Add: Education & SAH Cess 3%	922.80
Total Tax on Rs. 4,59,600	31,682.80
Less: Tax deducted at source	NIL
Advance Tax Payable	31,682.80
OR	31,683.00
First instalment payable by 15.09.2010 (30% of Rs. 31,683)	9,500.00
Second instalment payable by 15.12.2010 (60% of Rs. 31,683-9500) = Rs. 9504.90	9,500.00
Third instalment payable by 15.03.2011 (31863-9500-9510)	12670.00

अभ्यास के लिए प्रश्न

(Questions for Exercise)

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न

(Very Short Answer Type Questions):

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 20 शब्दों में दीजिए।

(Answer the following questions in maximum 20 words).

1. कर के अग्रिम भुगतान से आपका क्या आशय है?
   What do you mean by advance payment of Tax?

2. अग्रिम कर के भुगतान का दायित्व किस दशा में उत्पन्न होता है?
   Under what circumstances the liability to pay advance tax arise?

3. एक गैर–कम्पनी करदाता के लिए अग्रिम कर की पहली किश्त की देय तिथि तथा इस तिथि को देय राशि बताइए।
   State the due date of first instalment of advance tax and amount payable on that date for a

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

non-company assessee.

4. अग्रिम कर के समायोजन से आप क्या समझते हैं?
   What do you mean be 'Credit for Advance Tax'?

5. 'अनुमानित चालू आय' का अर्थ बताइए।
   State the meaning of 'estimated current income.'

लघूत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer Type Questions):

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए।
(Answer the following questions in maximum 50 words)

1. किस–किस तिथि को अग्रिम कर की किश्तें देय होती हैं?
   On what dates the instalments of advance tax are payable?

2. अग्रिम कर के भुगतान में चूक होने पर करदाता द्वारा देय ब्याज सम्बन्धी आय कर अधिनियम की व्यवस्थाओं को समझाइए।
   Explain the provisions of income tax regarding payment of interest by an assessee for his default in payment of advance tax?

निबन्धात्मक सैद्धान्तिक प्रश्न (Essay Type Theoretical Questions):

1. 'जैसे कमाओ वैसे कर चुकाओ' योजना से आप क्या समझते हैं? इस सम्बन्ध में आय कर अधिनियम के महत्त्वपूर्ण प्रावधानों की स्पष्ट व्याख्या कीजिए।
   What do you understand by "Pay as you earn scheme" State clearly the important provisions of Income Tax Act regarding it.

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

वर्ग (Section) : E
इकाई (Unit) : 19

आय–कर पदाधिकारी
(Income-tax Authorities)

नियुक्ति एवं नियंत्रण (Appointment and Control)

परिचय (Introduction)

आयकर अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावशाली रूप में लागू करने के लिए तथा आयकर विभाग के संचालन एवं प्रशासनिक कुशलता बनाये रखने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 116 के अन्तर्गत निम्नलिखित पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है–

1. प्रत्यक्ष करों का केन्द्रीय बोर्ड (Central Board of Direct Taxes), जिसका गठन Central Board of Revenue Act, 1963 के अन्तर्गत किया जाता है।
2. आयकर महानिदेशक अथवा मुख्य आयकर आयुक्त (Director General of Income Tax or Chief Commissioners of Income Tax)
3. आयकर निदेशक अथवा आयकर आयुक्त अथवा आयकर आयुक्त (अपील) [Directors of Income Tax or Commissioners of Income Tax or Commissioners of Income Tax (Appeals)]
4. अतिरिक्त आयकर निदेशक अथवा अतिरिक्त आयकर आयुक्त अथवा अतिरिक्त आयकर आयुक्त (अपील) [Additional Directors of Income Tax or Additional Commissioners of Income Tax or Additional Commissioners of Income Tax (Appeals)]
5. आयकर संयुक्त निदेशक या आयकर संयुक्त आयुक्त (Joint Directors of Income Tax or Joint Commissioners of Income Tax)
6. आयकर उप–निदेशक अथवा आयकर उप–आयुक्त (Deputy Directors of Income Tax or Deputy Commissioners of Income Tax) अथवा आयकर उप–आयुक्त (अपील) [Deputy Commissioners of Income Tax (Appeals)]
7. आयकर सहायक निदेशक अथवा आयकर सहायक आयुक्त (Assistant Directors of Income Tax or Assistant Commissioners of Income Tax)
8. आयकर अधिकारी (Income Tax Officers)
9. कर वसूली अधिकारी (Tax Recovery Officers)
10. आयकर निरीक्षक (Inspectors of Income Tax)

1. आयकर पदाधिकारियों की नियुक्ति (धारा 117)
(Appointment of Income Tax Authorities):

केन्द्रीय सरकार ऐसे व्यक्तियों को आयकर पदाधिकारियों के रूप में नियुक्त कर सकती हैं, जिन्हें वह योग्य समझती हो। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार बोर्ड, महानिदेशक, मुख्य आयुक्त, निदेशक या आयुक्त को ऐसे आयकर पदाधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए अधिकृत कर सकती है, जो सहायक आयुक्त या उप–आयुक्त से नीचे के पद स्तर के हैं। बोर्ड द्वारा इस प्रकार से अधिकृत किए जाने पर ऐसे

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

आयकर पदाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार कार्यपालक अथवा मंत्रालयिक कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सकती है।

2. आयकर पदाधिकारियों का नियंत्रण (धारा 118)
(Control of Income Tax Authorities):

प्रत्यक्ष करों का केन्द्रीय बोर्ड राजपत्र में एक अधिसूचना जारी करके यह निर्देश दे सकता है कि आयकर पदाधिकारियों में से कौन–सा पदाधिकारी किस पदाधिकारी के अधीनस्थ होगा।

3. अधीनस्थ पदाधिकारियों को निर्देश (धारा 119)
(Instructions to Subordinate Authorities):

1. प्रत्यक्ष करों का केन्द्रीय बोर्ड आयकर के अन्य सभी पदाधिकारियों को आवश्यकतानुसार आदेश, निर्देश तथा अन्य सूचनाएं प्रेषित कर सकता है। ऐसे समस्त सभी पदाधिकारियों के लिए बोर्ड के द्वारा जारी किए गए आदेश, निर्देश आदि का पालन करना कर्त्तव्य है, तथापि बोर्ड को निम्न प्रकार के आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है–

(i) बोर्ड किसी विशिष्ट मामले को किसी विशिष्ट प्रकार से निपटाने के लिए किसी आयकर पदाधिकारी को कोई आदेश या निर्देश जारी नहीं कर सकता है।

(ii) बोर्ड कोई भी ऐसा आदेश जारी नहीं कर सकता है, जो आयुक्त (अपील) के अपील से सम्बन्धित मामलों में हस्तक्षेप करने वाला हो।

2. उपर्युक्त (1) में वर्णित सामान्य शक्ति के अतिरिक्त प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड को निम्न विशिष्ट शक्तियां भी प्राप्त हैं–

(i) बोर्ड किसी भी प्रकार की आय या मामले में कर–निर्धारण या कर–समाहरण के सम्बन्ध में आयकर पदाधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली नीति, सिद्धान्त या प्रक्रिया के सम्बन्ध में सामान्य या विशेष आदेश जारी कर सकता है।

(ii) यदि बोर्ड किसी भी मामलें में उचित समझे, तो वास्तविक कठिनाई को दूर करने की दृष्टि से आयुक्त (अपील) को छोड़ कर अन्य किसी भी आयकर पदाधिकारी को समय निकल जाने के बाद भी मुक्ति, कटौती, कर वापसी के सम्बन्ध में या आयकर अधिनियम के अन्तर्गत उपलब्ध किसी राहत के सम्बन्ध में आवेदन स्वीकार करने के लिए सामान्य या विशेष आदेश जारी कर सकता है।

(iii) यदि कोई करदाता आय के किसी भी शीर्षक के अन्तर्गत अथवा सकल कुल आय में से कटौतियों की मांग करने के लिए निर्दिष्ट किसी आवश्यकता की पालना करने में असफल रहा हो, तो बोर्ड वास्तविक कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से वांछनीय या उचित समझने पर किसी भी मामले में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उसमें छूट प्रदान कर सकता है।

4. आयकर पदाधिकारियों की अधिकारिता (धारा 120)
(Jurisdiction of Income Tax Authorities):

आयकर पदाधिकारी वे समस्त कार्य करेंगे जो इस अधिनियम के अन्तर्गत उनके लिए निर्धारित हैं तथा उन समस्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो इस अधिनियम के अन्तर्गत उनको प्राप्त हैं। ये पदाधिकारी बोर्ड द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार अपना कार्य करेंगे। प्रत्यक्ष करों का केन्द्रीय बोर्ड किसी भी आयकर पदाधिकारी को उसके अधीनस्थ किसी भी अन्य पदाधिकारी का कार्य करने का निर्देश दे सकता है।

यदि किसी मामले में दो या दो से अधिक पदाधिकारियों को साथ–साथ कार्य करने का अधिकार हो तो

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

वे साथ–साथ कार्य करेंगे। ऐसी स्थिति में उनमें से कनिष्ठ पद वाला अधिकारी अपने से वरिष्ठ पद वाले अधिकारी के निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा तथा ऐसे अधिकारी की स्वीकृति मांगने वाली व्यवस्थाएं लागू नहीं होगी।

5. कर–निर्धारण अधिकारी की अधिकारिता (धारा 124)
(Jurisdiction of Assessing Officer):

(i) कर–निर्धारण अधिकारी (Assessing Officer) का आशय सहायक आयुक्त या उप–आयुक्त या सहायक निदेशक या उप–निदेशक या आयकर अधिकारी से है जो धारा 120 (1) या 120 (2) के अन्तर्गत कार्य करने के लिए अधिकृत है। कर–निर्धारण अधिकारी से आशय ऐसे संयुक्त–आयुक्त या संयुक्त–निदेशक से भी है, जिसे कर–निर्धारण अधिकारी का कार्य करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। [धारा 2(7A)]

(ii) जब धारा 120 (1) या 120 (2) के अन्तर्गत जारी किये गए आदेश के अनुसार किसी कर–निर्धारण अधिकारी को किसी क्षेत्र विशेष के सम्बन्ध में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया हो, तो उसका अधिकारिता क्षेत्र निम्न प्रकार होगा–

(क) जो व्यक्ति व्यवसाय या पेशे को चला रहे हैं उनके व्यवसाय या पेशे का स्थान उस क्षेत्र में स्थित होना चाहिए। यदि उस व्यक्ति के व्यवसाय या पेशे के स्थान एक से अधिक हों, तो उसके व्यवसाय या पेशे का प्रमुख स्थान उस क्षेत्र में स्थित होना चाहिए।

(ख) जिन व्यक्तियों का कोई व्यवसाय या पेशा नहीं है वे उस क्षेत्र में रहते हों। [धारा 124 (1)]

(iii) यदि कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो जाये कि कर–निर्धारण अधिकारी को किसी व्यक्ति का कर–निर्धारण करने का अधिकार है या नहीं तो यह निर्णय महानिदेशक या मुख्य आयुक्त या आयुक्त के द्वारा लिया जायेगा। [धारा 124(2)]

(iv) यदि किसी करदाता ने धारा 139 (1) या धारा 115 WD (1) के अन्तर्गत आय की विवरणी पेश की है तथा उसे धारा 142 (1) या धारा 143 (2) के अन्तर्गत कोई नोटिस जारी हुआ है तो उसे ऐसा नोटिस प्राप्त होने की तिथि से एक माह पूरा होने के पश्चात् अथवा कर–निर्धारण पूरा होने के पश्चात् (जो भी पहले हो) वह करदाता कर–निर्धारण अधिकारी के कार्य क्षेत्र पर आपत्ति नहीं कर सकता।

यदि किसी करदाता ने आय की विवरणी पेश नहीं की है, तो वह निम्नलिखित परिस्थितियों में कर–निर्धरण अधिकारी के अधिकारिता क्षेत्र पर आपत्ति नहीं कर सकता है–

(क) यदि उसे धारा 142 (1) के अन्तर्गत नोटिस जारी हुआ है तो ऐसे नोटिस में स्वीकृत अवधि के समाप्त होने के पश्चात्।

(ख) यदि उसे धारा 148 के अन्तर्गत नोटिस जारी हुआ है तो ऐसे नोटिस में निर्दिष्ट विवरणी पेश करने की अवधि समाप्त होने के पश्चात्।

(v) यदि उसे धारा 144 के अन्तर्गत सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर कर–निर्धारण का नोटिस जारी हुआ है तो ऐसे नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने के पश्चात्।

5. यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबंधों और सीमाओं का ध्यान रखते हुए किसी कर–निर्धारण अधिकारी के अधिकारिता क्षेत्र पर आपत्ति प्रकट करे तथा वह कर–निर्धारण अधिकारी उस व्यक्ति की आपत्ति से संतुष्ट न हो, तो वह कर–निर्धारण करने से पूर्व उस मामले को निर्णय के लिए धारा 124 (2) के अनुसार सम्बन्धित अधिकारी को प्रेषित करेगा। [धारा 124 (4)]

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

6. मामलों के हस्तान्तरण की शक्ति (धारा 127)
(Power to Transfer Cases):

(i) महा–निदेशक या मुख्य आयुक्त या आयुक्त किसी भी मामले को अपने अधीनस्थ एक या अधिक कर–निर्धारण अधिकारी से अपने अधीनस्थ किसी अन्य कर–निर्धारण अधिकारी को हस्तान्तरित कर सकता है। ऐसा करते समय, जहां तक संभव हो, सम्बन्धित करदाता को सुनवाई का एक उचित अवसर दिया जायेगा तथा ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित किया जायेगा। [धारा 127 (1)]

(ii) जिस कर–निर्धारण अधिकारी से मामले को हस्तान्तरित करना है तथा जिस कर–निर्धारण अधिकारी को वह मामला हस्तान्तरित किया जाना है, दोनों यदि किसी एक महा–निदेशक या मुख्य आयुक्त या आयुक्त के अधीनस्थ न हों, तो मामले का हस्तान्तरण उचित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। [ध ारा 127 (2)]

(iii) जिस कर–निर्धारण अधिकारी से ऐसा मामला हस्तान्तरित होना है तथा जिसे हस्तान्तरित किया जाना है, दोनों यदि एक ही शहर, मोहल्ले या स्थान के हों, तो ऐसी परिस्थिति में करदाता को सुनवाई का उचित अवसर देना अनिवार्य नहीं होगा। [धारा 127 (3)]

(iv) धारा 127 (1) या धारा 127 (2) के अन्तर्गत कोई भी मामला किसी भी स्तर पर हस्तान्तरित किया जा सकता है। अतः हस्तान्तरण से पूर्व जो नोटिस आदि जारी किये जा चुके हैं, उन्हें हस्तान्तरण के पश्चात् पुनः जारी करने की आवश्यकता नहीं है। [धारा 127 (4)]

7. पदाधिकारी में परिवर्तन (धारा 129)
(Change of Incumbent of an Office):

यदि किसी मामले में आयकर अधिकारी का कार्य करने का अधिकार समाप्त हो गया है तथा उसके स्थान पर किसी दूसरे पदाधिकारी ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है, तो दूसरा पदाधिकारी अपना कार्य वहीं से प्रारम्भ कर सकता है जहां पर पहले वाले पदाधिकारी ने अपना कार्य छोड़ा था। तथापि करदाता यदि चाहे, तो उसके द्वारा यह मांग की जा सकती है कि उसके मामले की कार्यवाही को आगे चालू करने से पूर्व पिछली कार्यवाही को पुनः खोला जाये या कर–निर्धारण आदेश को जारी करने से पूर्व उसका पक्ष पुनः सुना जाये।

आयकर पदाधिकारियों के अधिकार
(Powers of Income Tax Authorities)

1. खोज, साक्ष्य के प्रस्तुतीकरण आदि का अधिकार (धारा 131)
(Power regarding discovery, production of evidence retc.):

(अ) एक कर–निर्धारण अधिकारी, उप–आयुक्त (अपील) संयुक्त–आयुक्त, आयुक्त (अपील), तथा मुख्य आयुक्त या आयुक्त तथा विवाद समाधान पैनल को अग्रांकित मामलों के सम्बन्ध में वे समस्त अधिकार प्राप्त होंगे, जो दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत एक न्यायालय को प्राप्त हैं–

(i) खोज तथा निरीक्षण;
(ii) किसी भी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा शपथपूर्वक बयान लेना;
(iii) बहीखातों तथा अन्य प्रलेखों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना; तथा
(iv) कमीशन नियुक्त करना। [धारा 131 (1)]

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(ब) यदि किसी महा–निदेशक या निदेशक या संयुक्त निदेशक या सहायक निदेशक या उप–निदेशक या धारा 132 (1) में वर्णित अधिकृत पदाधिकारी को यह संदेह हो कि उसके क्षेत्र में किसी करदाता द्वारा आय छुपाई गई है या छुपाई जाने वाली है तो वह इस सम्बन्ध में जांच–पड़ताल करने के उद्देश्य से उपर्युक्त अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, चाहे उस करदाता से सम्बन्धित कोई कार्यवाही उसके समक्ष या अन्य किसी आय–कर पदाधिकारी के समक्ष विचाराधीन न हो। [धारा 131 (1A)]

(स) धारा 131 (1) या 131 (1A) में वर्णित पदाधिकारी लेखा पुस्तकों को या अन्य प्रलेखों को अपने पास, जितने दिन के लिए उचित समझे, रोक सकता है किन्तु कर–निर्धारण अधिकारी या सहायक निदेशक द्वारा ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित किए बिना लेखा पुस्तकों को या अन्य प्रलेखों को नहीं रोका जा सकता है तथा मुख्य आयुक्त/महा–निदेशक या आयुक्त/निदेशक की अनुमति प्राप्त किए बिना उन्हें अपने पास 15 दिन से अधिक अवधि के लिए नहीं रोका जा सकता है। [धारा 131 (3)]

2. तलाशी एवं जब्ती का अधिकार (धारा 132)
(Power of Search and Seizure):

(अ) तलाशी एवं जब्ती के लिए अधिकृत करना– यदि किसी महानिदेशक या निदेशक या मुख्य आयुक्त या आयुक्त को या अतिरिक्त निदेशक या अतिरिक्त आयुक्त अथवा ऐसे किसी संयुक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त को, जिसे इस सम्बन्ध में प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड से अधिकार प्राप्त हैं, स्वयं के पास उपलब्ध सूचना के फलस्वरूप यह विश्वास करने का कारण हो कि–

(i) कोई भी ऐसा करदाता, जिसे लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने या करवाने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 131 (1) के अन्तर्गत कोई सम्मन या धारा 142 (1) के अन्तर्गत कोई नोटिस जारी किया गया है, ऐसे सम्मन या नोटिस में चाही गई लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में विफल रहा है; अथवा

(ii) कोई भी ऐसा करदाता, जिसे उपर्युक्त वर्णित सम्मन या नोटिस जारी हुआ है या जारी किया जा सकता है, ऐसी लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों को, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी कार्यवाही के लिए लाभदायक है या उससे सम्बन्धित है, प्रस्तुत नहीं करेगा या करवायेगा, अथवा

(iii) किसी व्यक्ति के अधिग्रहण में कोई धन, सोना–चांदी, जेवर या अन्य मूल्यवान चीज पूर्णतः या अंशतः किसी ऐसी आय या सम्पत्ति का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए प्रकट नहीं किया गया है या प्रकट नहीं किया जायेगा।

तो ऐसी दशा में–

(क) ऐसा महानिदेशक या निदेशक या मुख्य आयुक्त या आयुक्त या आयुक्त (जैसी भी स्थिति हो) किसी भी अतिरिक्त निदेशक या अतिरिक्त आयुक्त या संयुक्त निदेशक, संयुक्त आयुक्त, सहायक निदेशक या उप–निदेशक, सहायक आयुक्त या उप–आयुक्त या आयकर अधिकारी को, अथवा

(ख) ऐसा अतिरिक्त निदेशक या अतिरिक्त आयुक्त या संयुक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त (जैसी भी स्थिति हो) किसी भी सहायक निदेशक या उप निदेशक, सहायक आयुक्त या उप–आयुक्त, या आयकर अधि ाकारी को निम्नांकित कार्यों के लिए अधिकृत कर सकता है–

(i) किसी भी ऐसे भवन, स्थान, जहाज, गाड़ी या वायुयान में, जहां पर उसे ऐसी लेखा पुस्तकें, अन्य दस्तावेज, धन, सोना–चांदी, जेवर या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज रखी हुई होने का संदेह करने का कारण हो, प्रवेश करने और तलाशी लेने के लिए।

(ii) उपर्युक्त (i) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करने हेतु किसी दरवाजे, बॉक्स, लॉकर, तिजोरी, आलमारी

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

या अन्य पात्र की चाबियां उपलब्ध न होने पर उनका ताला तोड़कर खुलवाने के लिए।

(iii) किसी भी ऐसे व्यक्ति की तलाशी लेने के लिए, जो भवन, स्थान, जहाज, गाड़ी या वायुयान के भीतर मौजूद है या उसमें जाने को है या वहां से बाहर गया है, यदि अधिकृत पदाधिकारी के पास यह संदेह करने का कारण हो कि ऐसे व्यक्ति ने अपने पास ऐसी लेखा पुस्तकें, इलेक्ट्रोनिक अभिलेखों में रखी लेखा पुस्तकों अन्य दस्तावेज, धन, सोना–चांदी, जेवर या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज छुपा रखी है।

(iv) ऐसी लेखा पुस्तकों, अन्य दस्तावेजों, धन, सोना–चांदी, जेवर या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज को जब्त करने के लिए, जो ऐसी तलाशी के फलस्वरूप पायी गई है।

(v) सोना, जेवरात या अन्य बहुमूल्य वस्तुएं या पदार्थ जो खोज के समय व्यवसाय में व्यापारिक स्टॉक के रूप में हैं, उन्हें जब्त नहीं किया जाएगा, बल्कि अधिकृत अधिकारी व्यवसाय में ऐसे व्यापारिक स्टॉक को नोट करके एक इन्वेन्ट्री तैयारी करेगा।

इसी प्रकार ऐसे व्यापारिक स्टॉक को जब्त किया गया नहीं माना जाता जिसका धारा 132 (1) के द्वितीय उप धारा में प्रावधान किया गया हो।

(vi) किसी भी लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों पर पहचान का चिह्न अंकित करने अथवा उनसे नकल या उद्धत अंश लेने के लिए।

(vii) ऐसे किसी धन, सोना–चांदी, जेवर या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज की सूची या नोट बनाने के लिए।

2. पुलिस अधिकारी की सहायता लेना

अधिकृत पदाधिकारा द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट सभी या किसी भी उद्देश्य के लिए स्वयं की सहायतार्थ किसी भी पुलिस अधिकारी की अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी भी अधिकारी की सेवाएं मांगी जा सकती है तथा ऐसी मांग की अनुपालना करना ऐसे प्रत्येक अधिकारी का कर्त्तव्य माना जायेगा। [धारा 132(2)]

3. शपथ दिलाकर जांच करना

तलाशी एवं जब्ती की कार्यवाही के दौरान अधिकृत पदाधिकारी किसी भी ऐसे व्यक्ति की शपथ पर जांच कर सकता है, जिसके अभिग्रहण या नियंत्रण में लेखा पुस्तकें, दस्तावेज, धन, सोना–चांदी, जेवर या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज प्राप्त हुई है तथा ऐसी जांच के दौरान उस व्यक्ति के द्वारा दिये गए बयान को बाद में आय कर अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। [धारा 132 (4)]

4. अवधारणाएं

तलाशी के दौरान यदि किसी व्यक्ति के अधिग्रहण या नियंत्रण में लेखा पुस्तकें, अन्य दस्तावेज, धन, सोना–चांदी, जेवर या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज पायी जाती है, तो ऐसा माना जा सकता है कि–

(i) ऐसी लेखा पुस्तकें, अन्य दस्तावेज, धन, सोना–चांदी, जेवर या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज उसी व्यक्ति की है।

(ii) ऐसी लेखा पुस्तकों एवं अन्य दस्तावेजों की विषय सामग्री सत्य है; तथा

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(iii) ऐसी लेखा पुस्तकों एवं अन्य दस्तावेजों पर किए गए हस्ताक्षर एवं अन्य प्रत्येक भाग जिस किसी खास व्यक्ति की लिखावट में मालूम पड़ रहा है अथवा जिस किसी खास व्यक्ति की लिखावट में उचित तौर पर माना जा सकता है, वह उसी व्यक्ति की लिखावट में है अथवा उसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित है। [धारा 132 (4A)]

5. लेखा पुस्तकों एवं दस्तावेजों को जब्त करना

उपधारा (1) के अन्तर्गत जब्त की गई लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों को अधिकृत पदाधिकारी धारा 153A अथवा धारा 158 BC के वाक्यांश (c) के अन्तर्गत जारी कर–निर्धारण आदेश की तिथि से 30 दिन तक रोक सकता है। इससे अधिक अवधि के लिए रोकने पर उसे ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करना होगा तथा मुख्य आयुक्त, आयुक्त, महानिदेशक व निदेशक की पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी। मुख्य आयुक्त, महानिदेशक या निदेशक भी इन लेखा पुस्तकों एवं अन्य दस्तावेजों को उन वर्षों के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अन्तगत सभी कार्यवाहियों के पूरा हो चुकने के बाद 30 दिन से अधिक अवधि के लिए रोके रखने की अनुमति नहीं देगा, जिन वर्षों से सम्बन्धित वे लेखा पुस्तकें एवं अन्य दस्तावेज हैं। [धारा 132 (8)]

6. आदेश लागू होने की समय सीमा

धारा 132 (3) के अन्तर्गत जारी किया गया आदेश (सम्पत्ति के स्वामी अथवा ऐसे व्यक्ति जिसके अधिग्रहण में ऐसी सम्पत्ति है बिना अधिकारियों की पूर्व अनुमति के ऐसी सम्पत्ति को हस्तान्तरित न करने का आदेश) ऐसे आदेश की तिथि से 60 दिन के पश्चात् लागू नहीं होगा।

7. लेखा पुस्तकों एवं दस्तावेजों को जब्त किए जाने पर आपत्ति प्रकट करना

उपधारा (1) के अन्तर्गत जब्त की गई लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों पर कानूनी हक रखने वाला व्यक्ति यदि किसी कारण से उपधारा (8) के अन्तर्गत मुख्य आयुक्त, आयुक्त, महानिदेशक, या निदेशक के द्वारा दिए गए अनुमोदन पर आपत्ति करना चाहता है तो उसे बोर्ड को आवेदन करना होगा जिसमें अपनी आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए उन लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों को वापस लौटाने की प्रार्थना करनी होगी। आवेदन प्राप्त होने पर बोर्ड उस आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर देकर ऐसे आदेश जारी कर देगा, जिन्हें वह उचित समझता हो। [धारा 132 (10)]

8. दण्ड प्रक्रिया संहिता का लागू होना

उपधारा (1) के अन्तर्गत तलाशी एवं जब्ती के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की तलाशी एवं जब्ती से सम्बन्धित व्यवस्थाएं यथासंभव लागू मानी जायेंगी।

9. नियम बनाने का अधिकार

इस धारा के अन्तर्गत तलाशी एवं जब्ती के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष करों के बोर्ड द्वारा नियम बनाये जा सकते हैं।

3. लेखा पुस्तकें आदि को मांगने का अधिकार [धारा 132 A]
(Power to requisition for books of accounts etc.):

(i) यदि महानिदेशक या निदेशक या मुख्य आयुक्त या आयुक्त को प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह विश्वास हो कि–

(a) किसी करदाता की लेखा पुस्तकें व अन्य प्रलेख आदि अन्य किसी विभाग के कब्जे में हैं और

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

इसलिए वह करदाता उन लेखा पुस्तकों आदि को आयकर अधिनियम के अन्तर्गत मांगने पर पेश नहीं कर सका है, अथवा

(b) वह करदाता उस अधिकारी से वे लेखा पुस्तकें आदि प्राप्त होने के पश्चात् उन्हें आयकर अधिनियम के अन्तर्गत चालू किसी कार्यवाही के दौरान पेश नहीं करेगा, अथवा

(c) किसी करदाता की कोई सम्पत्ति, जो उसकी किसी गुप्त आय या सम्पत्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली है, अन्य किसी विभाग के अधिकारी के कब्जे में है।

तो वह महा–निदेशक या निदेशक या मुख्य आयुक्त या आयुक्त किसी भी अतिरिक्त–निदेशक या अतिरिक्त आयुक्त या संयुक्त–निदेशक, संयुक्त आयुक्त, सहायक निदेशक, उप–निदेशक, सहायक आयुक्त, उप–आयुक्त या आयकर अधिकारी को वे लेखा पुस्तकें व अन्य प्रलेख या सम्पत्तियां मांगने के लिए अधिकृत कर सकता है।

(ii) उपधारा (i) के अन्तर्गत मांग किए जाने पर उस उपधारा के वाक्यांश (a), (b) या (c) में वर्णित अधिकारी लेखा पुस्तकों, अन्य दस्तावेजों या सम्पत्तियों को मांगने वाले अधिकारी को सौंप देगा।

(3) लेखा पुस्तकों, अन्य दस्तावेजों या सम्पत्तियों को मांगने वाले अधिकारी को सौंप दिए जाने पर धारा 132 की उपधारा (4A) से (14) तक तथा धारा 132 B की व्यवस्थाओं यथासंभव इस प्रकार से लागू मानी जायेंगी मानों उन्हें मांगने वाले अधिकारी द्वारा उपधारा (i) के वाक्यांश (a) या (b) या (c) में वर्णित व्यक्ति की अभिरक्षा से धारा 132 (1) के अन्तर्गत जब्त किया गया हो।

4. अपने अधिकार में ली गई सम्पत्तियों का प्रयोग [धारा 132 B]
(Application of Retained Assets):

धारा 132 B के अनुसार तलाशी के दौरान अपने अधिकार में ली गई सम्पत्तियों का प्रयोग आयकर पदाधिकारियों द्वारा निम्न प्रकार से किया जा सकता हैः

(i) करदाता पर कर सम्बन्धी दायित्वों के सिलसिले में देय ब्याज या जुर्माने के भुगतान में।

(ii) यदि सम्पत्तियों में धन या धन और सम्पत्तियां हैं तो आयकर अधिकारी धन का प्रयोग उपर्युक्त (i) में वर्णित राशि का भुगतान हेतु कर सकता है।

(iii) धन के अतिरिक्त अन्य सम्पत्तियों को बेचकर भी (i) में वर्णित दायित्वों के भुगतान हेतु प्रयोग किया जा सकता है।

दायित्वों का भुगतान करने के पश्चात् बची हुई सम्पत्तियां या राशि उन व्यक्तियों को वापस लौटा दी जायेंगी, जिनसे वे अधिग्रहण में ली गई थीं। दायित्वों की राशि से अधिक रोकी गई राशि पर केन्द्रीय सरकार द्वारा आधा प्रतिशत प्रतिमाह या माह के भाग की दर से साधारण ब्याज दिया जायेगा। यह ब्याज धारा 132 अथवा 132 (A) के अन्तर्गत आदेश की तिथि से 120 दिन की अवधि समाप्त होने की तिथि से धारा 153A के अन्तर्गत कर–निर्धारण की तिथि तक का देय होगा।

खोज के दौरान धारा 132 में जब्त की गई सम्पत्ति को प्राप्त करने के स्रोत, तथा प्रकृति के बारे में कर निर्धारण अधिकारी को संतुष्ट करते हुए स्पष्ट कर दिए जाने पर, उस पर विद्यमान कर दायित्व को वसूल कर लिए जाने पर तथा जिसके सम्बन्ध में मुख्य आयुक्त या आयुक्त की सहमति प्राप्त कर लिए जाने पर, ऐसी सम्पत्ति को छोड़ दिया जाएगा, यदि सम्बन्धित व्यक्ति ऐसी सम्पत्ति को जब्त करने के माह के अंत से 30 दिनों के अंदर कर निर्धारण अधिकारी को आवेदन करे।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

5. सूचना मांगने का अधिकार [धारा 133] (Power to call for information):

एक कर–निर्धारण अधिकारी, उप–आयुक्त (अपील), संयुक्त–आयुक्त या आयुक्त (अपील) इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित सूचनायें मांग सकते हैं–

(1) किसी भी फर्म में उसके साझेदारों के नाम, पते तथा उनके लाभ या हानि के भाग का विवरण।

(2) किसी हिन्दू अविभाजित परिवार के कर्त्ता व अन्य सदस्यों के नाम व पतों का विवरण।

(3) किसी भी ऐसे व्यक्ति से, जिसे वह ट्रस्टी, ऐजेन्ट, अभिभावक या प्रतिनिधि समझता है, उन लोगों के नाम व पतों का विवरण, जिनके लिए ट्रस्टी, एजेन्ट, अभिभावक या प्रतिनिधि समझा गया है।

(4) किसी भी करदाता से ऐसे सभी व्यक्तियों के नाम व पतों का विवरण, जिनको गत वर्ष में उसके द्वारा किराया, ब्याज, कमीशन, दलाली, रॉयल्टी आदि के रूप में 1,000 रुपयों से अधिक राशि का भुगतान किया गया है।

(5) किसी भी स्टॉक एक्सचेंज या अन्य किसी वस्तु के एक्सचेंज के प्रबन्धकों से ऐसे व्यक्तियों के नाम व पतों का विवरण, जिन्हें गत वर्ष में एक्सचेंज से कोई भुगतान किया गया है अथवा जिनसे भुगतान प्राप्त किया गया है।

(6) किसी भी ऐसे व्यक्ति से, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत चालू किसी भी जांच या कार्यवाही के सम्बन्ध में सहायक प्रतीत हो, किसी भी आवश्यक सूचना, हिसाब, किताब आदि का विवरण।

ऐसे अधिकार का प्रयोग महा–निदेशक, मुख्य आयुक्त, निदेशक और आयुक्त के द्वारा भी किया जा सकता है। किन्तु किसी ऐसी जांच के सम्बन्ध में, जहां कोई कार्यवाही चालू न हो, निदेशक या आयुक्त से निचले स्तर का अधिकारी ऐसे अधिकार का प्रयोग निदेशक या आयुक्त की पूर्वानुमति से ही कर सकता है।

6. सर्वेक्षण का अधिकार [धारा 133 A] (Power of Survey):

आयकर पदाधिकारी इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए उपयोगी कोई भी सूचना एकत्रित करने के उद्देश्य से किसी भी ऐसे भवन या स्थान में प्रवेश कर सकता है जिसमें कोई व्यवसाय या पेशा चलाया जा रहा है। यह भवन या स्थान उस आयकर अधिकारी के अधिकारिता क्षेत्र में होना चाहिए ऐसा भवन या स्थान जिस व्यक्ति के कब्जे में है, वह व्यक्ति उस आयकर अधिकारी के अधिकारिता क्षेत्र में होना चाहिए। यह आयकर अधिकारी उस व्यवसाय के स्वामी से या किसी भी कर्मचारी से या किसी भी ऐसे व्यक्ति से, जो उस समय पर तथा उस स्थान पर उस व्यवसाय या पेशे के सम्बन्ध में कोई भी कार्य कर रहा है, ऐसी सूचना पेश करने के लिए कह सकता है जो इस अधिनियम के अन्तर्गत बने हुए नियमों द्वारा निर्धारित है। वह आयकर अधिकारी ऐसे भवन या स्थान में केवल ऐसे समय में प्रवेश कर सकता है जब वह भवन या स्थान व्यवसाय या पेशे के संचालन के लिए खुला हो। आयकर अधिकारी को ऐसे भवन या स्थान से कोई भी लेखा पुस्तकें एवं अन्य प्रलेख य रोकड़ स्टॉक या अन्य मूल्यवान वस्तुएं हटाने का अधिकार नहीं है।

इस धारा के उद्देश्यों के लिए आयकर पदाधिकारी का आशय संयुक्त–आयुक्त, सहायक निदेशक या उप–निदेशक या कर–निर्धारण अधिकारी से है तथा इसमें ऐसा आयकर निरीक्षक भी शामिल है जिसे इस धारा के अन्तर्गत कर–निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिकृत कर दिया गया है।

8. कम्पनियों के रजिस्टरों के निरीक्षण का अधिकार [धारा 134]
(Power to Inspect Register of Companies):

एक कर–निर्धारण अधिकारी, उप–आयुक्त (अपील), संयुक्त–आयुक्त, आयुक्त (अपील) अथवा इनके द्वारा लिखित में अधिकृत कर दिये जाने पर इनका अधीनस्थ कोई भी पदाधिकारी किसी भी कम्पनी के अंशधारियों, ऋण–पत्रधारियों आदि के रजिस्टरों का निरीक्षण कर सकता है या उनकी नकल ले सकता है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

9. जांच करने का अधिकार [धारा 135]
(Power to make Enquires):

महानिदेशक या निदेशक, मुख्य आयुक्त या आयुक्त तथा संयुक्त–आयुक्त को इस अधिनियम के अन्तर्गत ऐसी किसी भी तरह की जांच करने का अधिकार है जो एक कर–निर्धारण अधिकारी इस अधिनियम के अन्तर्गत कर सकता है तथा इस उद्देश्य के लिए इनको वे समस्त अधिकार प्राप्त होंगे जो एक कर–निर्धारण अधिकारी को प्राप्त हैं।

10. आयकर अधिकारियों के समक्ष कार्यवाही का न्यायिक कार्यवाही होना [धारा 136]
(Proceedings before Income Tax Authorities to be Judicial Proceedings):

(1) प्रत्यक्ष करों का केन्द्रीय बोर्ड स्वयं अथवा उसके द्वारा इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट किया गया कोई भी आयकर पदाधिकारी निम्न पदाधिकारियों को कोई भी ऐसी सूचना प्रदान कर सकता है जो इस अधिनियम के अन्तर्गत अपने कर्त्तव्य का पालन करते हुए किसी आयकर पदाधिकारी को प्राप्त हुई है तथा बोर्ड या अन्य किसी आयकर पदाधिकारी की राय में उस पदाधिकारी के लिए अपने कर्त्तव्य का पालन करने हेतु आवश्यक है–

(i) कर या शुल्क के आरोपण से सम्बन्धित किसी भी कानून के अन्तर्गत कार्य करने वाला या विदेशी विनिमय के व्यवहारों से सम्बन्धित कोई भी अधिकारी, पदाधिकारी या संस्था।

(ii) अन्य किसी भी कानून के अन्तर्गत कार्य करने वाला कोई भी ऐसा अधिकारी, पदाधिकारी या संस्था जिसे केन्द्रीय सरकार ने जनहित की दृष्टि से निर्दिष्ट कर दिया है।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त करना चाहे, तो वह इस सम्बन्ध में मुख्य आयुक्त को या आयुक्त को या आयुक्त को निर्धारित फार्म में आवेदन कर सकता है।

(3) केन्द्रीय सरकार यदि उचित समझे तो राज–पत्र में अधिसूचना जारी करके यह निर्देश दे सकती है कि किस सरकारी कर्मचारी द्वारा किसी मामले में या किसी करदाता से सम्बन्धित कोई सूचना प्रकट नहीं की जायेगी।

आयकर अधिनियम में प्रशासनिक व्यवस्थाएं
(Administrative Arrangements in Income Tax Act)

आयकर पदाधिकारियों में से कुछ को केवल प्रशासनिक कार्य तथा कुछ को केवल न्यायिक कार्य सौंपे गये हैं। कुछ पदाधिकारी ऐसे भी हैं जिनको दोनों ही प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। कार्यों के आधार पर इन पदाधिकारियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जा सकता है–

1. प्रशासनिक पदाधिकारी (Administrative Authorities):

1. प्रत्यक्ष करों का केन्द्रीय बोर्ड (Central Board of Direct Taxes)
2. आयकर महानिदेशक (Director General of Income Tax)
3. आयकर मुख्य आयुक्त (Chief Commissioner of Income Tax)
4. आयकर निदेशक (Director of Income Tax)
5. आयकर आयुक्त (Commissioner of Income Tax)
6. आयकर अतिरिक्त निदेशक (Additional Director of Income Tax)
7. आयकर अतिरिक्त आयुक्त (Additional Commissioner of Income Tax)
8. आयकर संयुक्त–निदेशक (Joint Director of Income Tax)

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

9. आयकर संयुक्त–आयुक्त (Joint Commissioner of Income Tax)
10. आयकर उप–आयुक्त (Deputy Director of Income Tax)
11. आयकर उप–आयुक्त (Deputy Commissioner of Income Tax)
12. आयकर सहायक निदेशक (Assistant Director of Income Tax)
13. आयकर सहायक आयुक्त (Assistant Commissioner of Income Tax)
14. आयकर अधिकारी (Income Tax Officer)
15. कर वसूली अधिकारी (Tax Recovery Officer)
16. आयकर निरीक्षक (Inspector of Income Tax)

2. न्यायिक पदाधिकारी (Judicial Authorities):

1. अपीलेट न्यायाधिकरण (Appellate Tribunal)
2. आयकर आयुक्त (अपील) [Commissioner of Income Tax (Apopeal)]
3. आयकर अतिरिक्त आयुक्त (अपील) [Additional Commissioner of Income Tax (Appeal)]
4. आयकर उप–आयुक्त (अपील) [Deputy Commissioner of Income Tax (Appeal)]

उपर्युक्त पदाधिकारियों में से निम्नलिखित पदाधिकारियों को दोनों प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं–

1. आयकर महा निदेशक तथा निदेशक
2. आयकर मुख्य आयुक्त तथा आयुक्त
3. आयकर अधिकारी

कार्य एवं अधिकार
(Functions and Powers)

1. प्रत्यक्ष कर मण्डल के कार्य एवं अधिकार
(Functions and Powers of the C.B.D.T.)

(1) आयकर पदाधिकारियों का नियंत्रण (धारा 118)
(2) अधीनस्थ पदाधिकारियों को निर्देश (धारा 119)
(3) करदाताओं के सम्बन्ध में सूचना का प्रकटीकरण (धारा 138)
(4) नियम बनाने का अधिकार (धारा 295)

2. महा–निदेशक या मुख्य आयुक्त के कार्य व अधिकार
(Functions of Director General or Chief Commissioners):

(1) आयकर पदाधिकारियों की नियुक्ति करना (धारा 117)
(2) आयकर पदाधिकारियों का नियंत्रण (धारा 118)
(3) मामलों का हस्तान्तरण (धारा 127)
(4) खोज, साक्ष्य आदि का प्रस्तुतीकरण (धारा 131)
(5) तलाशी और कब्जे में लेना (धारा 132)

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(6) लेखा पुस्तकों आदि को मांगना (धारा 132 ।)

(7) सूचना मांगने का अधिकार (धारा 133)

(8) जांच करने का अधिकार (धारा 135)

3. निदेशक या आयुक्त के कार्य एवं अधिकार
(Functions and Powers of Director or Commissioner):

(1) आयकर पदाधिकारियों की नियुक्ति (धारा 117)

(2) आयकर पदाधिकारियों का नियंत्रण (धारा 118)

(3) मामलों का हस्तान्तरण (धारा 127)

(4) खोज, साक्ष्य आदि का प्रस्तुतीकरण (धारा 131)

(5) तलाशी और कब्जे में लेना (धारा 132)

(6) लेखा पुस्तकें आदि मांगना (धारा 132 A)

(7) सूचना मांगने का अधिकार (धारा 133)

(8) जांच करने का अधिकार (धारा 135)

(9) सूचना प्रकट करना (धारा 138)

(10) निर्धारित अवधि के पश्चात् कर–निर्धारण को खोलना (धारा 151)

(11) कर की बकाया राशि की वसूली (धारा 226)

(12) कर–वापसी को रोकना (धारा 241)

(13) कर की बकाया राशि की वसूली करने में कर वापसी की रकम का समायोजन (धारा 245)

(14) उप–आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) के निर्णय के विरूद्ध अपीलेट न्यायाधिकरण के समक्ष अपील करने का निर्देश [धारा 256(2)]

(15) अपीलेट न्यायाधिकरण के निर्देश के विरूद्ध उच्च न्यायालय को निर्देश (धारा 256)

(16) उच्च न्यायालय के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील (धारा 261)

(17) पुनर्विचार का अधिकार (धारा 263 या 264)

(18) किसी व्यक्ति पर लगाये गए अर्थ दण्ड को कम करना या समाप्त करना (धारा 273A)

4. आयकर आयुक्त (अपील) के कार्य एवं अधिकार
(Functions and Powers of Commissioner of Income Tax (Appeals):

(1) अपील का निपटारा (धारा 251)

(2) खोज, साक्ष्य आदि का प्रस्तुतीकरण (धारा 131)

(3) सूचना मांगने का अधिकार (धारा 133)

(4) कम्पनी के रजिस्टरों का निरीक्षण करना तथा उनकी नकल लेना (धारा 134)

(5) कर की बकाया राशि की वसूली करने में कर–वापसी की रकम का समायोजन (धारा 245)

(6) कुछ परिस्थितियों में अर्थदण्ड लगाने का अधिकार (धारा 271 व 272 A)

5. उप–निदेशक या उप–आयुक्त के कार्य एवं अधिकार
(Functions and Powers of Deputy Director or Deputy Commissioner):

(1) खोज, साक्ष्य आदि का प्रस्तुतीकरण (धारा 131)

(2) तलाशी और कब्जे में लेना (धारा 132)

(3) सूचना मांगने का अधिकार (धारा 133)

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(4) सर्वेक्षण करने का अधिकार (धारा 133A)
(5) कम्पनी के रजिस्टरों का निरीक्षण करना तथा उनकी नकल लेना (धारा 134)
(6) जांच करने का अधिकार (धारा 135)
(7) कर–निर्धारण की कार्यवाही के सम्बन्ध में रिकार्ड मांगना तथा कर–निर्धारण अधिकारी को आवश्यक निर्देश देना (धारा 144A)
(8) अनिर्णित कर–निर्धारण के सम्बन्ध में आपत्तियों की सुनवाई करना तथा आवश्यक निर्देश देना (धारा 144B)
(9) आय को छिपाने पर अर्थदण्ड लगाने की स्वीकृति प्रदान करना (धारा 271)

6. आयकर अधिकारी के कार्य एवं अधिकार
(Functions and Powers of Income Tax Officers):

यह इस विभाग का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण अधिकारी है। इसके कार्य एवं अधिकार निम्न प्रकार हैं–
यह इस विभाग का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण अधिकारी है। इसके कार्य एवं अधिकार निम्न प्रकार हैं–

(1) करदाता के भवन का स्वयं के व्यापार या व्यवसाय में आंशिक प्रयोग करने की दशा में कटौती–योग्य व्ययों के विभाजन का निर्धारण (धारा 38)
(2) सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य की जानकारी हेतु मूल्यांकन अधिकारी को सम्प्रेषित करना (धारा 55A)
(3) एक से अधिक वर्षों से सम्बन्धित वेतन की बकाया या अग्रिम राशि का भुगतान प्राप्त करने की अवस्था में राहत प्रदान करना [धारा 89(1)]
(4) खोज करना तथा साक्ष्य प्रस्तुत करवाना व लेखा पुस्तकें प्रस्तुत करवाना (धारा 131)
(5) तलाशी और कब्जे में करना (धारा 132)
(6) लेखा पुस्तकों की मांग करना (धारा 132 A)
(7) सूचना प्राप्त करना (धारा 133)
(8) सर्वे करना (धारा 133A)
(9) कम्पनी के रजिस्टरों की जांच करना (धारा 134)
(10) आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी करना तथा उसके समय में वृद्धि करना (धारा 139)
(11) स्थायी खाता संख्या आवंटित करना (धारा 139A)
(12) स्वयं कर–निर्धारण के आधार पर कर चुकाने में भूल (धारा 140A)
(13) कर वापसी के लिए अस्थायी कर–निर्धारण करना (धारा 141A)
(14) करदाता को अपने लेखों के अंकेक्षण करवाने के आदेश [धारा 142]
(15) कर–निर्धारण करना [धारा 143, 144, 171 से 178, 182, 183 व 189]
(16) देय कर की मांग करना (धारा 156)
(17) कर की वापसी करना (धारा 237)
(18) कर–निर्धारण से छूटी हुई आय का पुनः कर–निर्धारण करना (धारा 273A)
(19) भूल सुधार करना [धारा 154]
(20) उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती के लिए मुक्त करने हेतु प्रमाण–पत्र देना [धारा 194, 195 व 197]
(21) अग्रिम कर मांगने हेतु नोटिस निर्गमित करना (धारा 210)
(22) बकाया कर की वसूली के लिए देय कर–वापसी का समायोजन करना (धारा 241 व 245)
(23) अपीलेट न्यायाधिकरण के समक्ष अपील करना (धारा 253)

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

अभ्यास के लिए प्रश्न
(Questions for Exercise)

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न (Very Short Answer Type Questions):

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 20 शब्दों में दीजिए।

(Answer the following questions in maximum 20 words.)

1. किन्हीं पांच आयकर पदाधिकारियों के नाम लिखिए।
   Write names of any five Income tax Authorities.
2. प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड के किन्हीं तीन अधिकारों का उल्लेख कीजिये।
   Enumerate any three Powers of Central Board of Direct Taxes.
3. आयकर आयुक्त के किन्हीं तीन अधिकारों का उल्लेख करिये।
   Enumerate any three Powers of Income-Tax Commissioner.

लघूत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer Type Questions):

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए।

(Answer the following questions in maximum 50 words.)

1. आयकर अधिकारी की परिभाषा दीजिए।
   Define Income Tax Officer.
2. आयकर निरीक्षक के कार्यों को संक्षेप में लिखिये।
   Write in brief the functions of an Income-tax Inspector.

क्रियात्मक प्रश्न (Essay Type Questions):

1. भारत में आयकर विधान का प्रशासन करने वाले विभिन्न पदाधिकारियों का वर्णन करिए।
   Describe the various authorities entrusted with the work of administrating the Law of income tax in India.
2. आयकर पदाधिकारी कौन–कौन से हैं? उनके अधिकारों पर प्रकाश डालिये।
   Which are the various Income Tax Authorities? Discuss their rights.
3. भारतीय आय कर अधिनियम में किन–किन पदाधिकारियों का वर्णन किया गया है? उनके क्या–क्या कार्य हैं? स्पष्ट कीजिए।
   What are the various authorities envisaged in the Indian Income Tax Act? What are their functions? Explain.
4. आयकर पदाधिकारियों के द्वारा खोज तथा जब्त करने की विधि का संक्षेप में वर्णन करिए।
   Briefly describe the procedure for search and seizure by the Income tax Authorities.

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

वर्ग (Section) : E
इकाई (Unit) : 20
कर–निर्धारण की प्रक्रिया
(Assessment Procedure)

परिचय (Introduction)

कर–निर्धारण की प्रक्रिया से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके अनुसार कुल आय की गणना की जाती है तथा आय कर दायित्व का निर्धारण किया जाता है। किसी भी व्यक्ति के लिए आय कर के निर्धारण हेतु उसका करदाता होना आवश्यक है। अतः किसी ऐसी कम्पनी का कर–निर्धारण नहीं किया जा सकता, जिसका समापन हो चुका है।

कर–निर्धारण की कार्यविधि अथवा प्रक्रिया किसी करदाता द्वारा अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत करने के साथ ही प्रारम्भ हो जाती है तथा देय कर की गणना एवं मांग का नोटिस जारी होने तक चलती है। चूंकि यह प्रक्रिया एक वर्ष की आय के सम्बन्ध में होती है, अतः यह प्रतिवर्ष दोहराई जाती है।

1. आय की विवरणी प्रस्तुत करना [धारा 139 (1)]
(Submission of Return of Income)

एक कम्पनी अथवा फर्म के लिये अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है, चाहे गत वर्ष में उसे आय हुई हो अथवा हानि। अन्य किसी व्यक्ति के लिये (कम्पनी अथवा फर्म को छोड़कर) अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत करना उसी दशा में अनिवार्य है, जबकि गत वर्ष में उसकी कुल आय कर–मुक्त सीमा से अधिक हो। कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 (गत वर्ष 2009–2010) के लिये एक व्यष्टि, हिन्दू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों का समुदाय (A.O.P.) अथवा व्यक्तियों के संघ (B.O.I.) के लिये यह सीमा 1,60,000 रुपये (महिला करदाताओं के लिये 1,90,000 रुपये एवं वरिष्ठ नागरिक करदाताओं के लिये 2,40,000 रुपये) हैं, जबकि अन्य प्रकार के करदाताओं के लिये ऐसी कोई सीमा नहीं है। अतः अन्य प्रकार के व्यक्तियों (सहकारी समिति तथा स्थानीय सत्ता) के लिये आय की विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है, बशर्ते इनको कुछ आय हुई हो।

यदि किसी व्यष्टि करदाता, हिन्दू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों का समुदाय अथवा व्यष्टियों का संघ (चाहे समामेलित हो अथवा नहीं) अथवा किसी कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति की कुल आय धारा 10A अथवा धारा 10B अथवा धारा 10BA की कर मुक्ति अथवा अध्याय VI-A की कटौतियां देने के पूर्व 1,60,000 रु. /1,90,000 रु. (जैसी भी स्थिति हो) से अधिक है तो वह व्यक्ति निर्धारित प्रारूप में निर्धारित विधि से सत्यापित करके निर्धारित तिथि को अथवा उससे पूर्व अपनी आय का नक्शा प्रस्तुत करेगा।

आय का नक्शा प्रस्तुतीकरण की समय सीमा [धारा 139 (1)]
(Due Dates for Submission of Return of Income)

आय की विवरणी प्रस्तुत करने की देय तिथियां निम्न प्रकार होंगी–

अ. कम्पनी करदाता अथवा गैर–कम्पनी करदाता (यदि पुस्तकों का अंकेक्षण अनिवार्य हो) अथवा कार्यशील साझेदार (ऐसी फर्म का जहां खातों का अंकेक्षण अनिवार्य हो) : सम्बन्धित कर–निर्धारण वर्ष की 30 सितम्बर;

ब. अन्य करदाता : सम्बन्धित कर–निर्धारण वर्ष की 31 जुलाई।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

2. नियोक्ता को आय की विवरणी प्रस्तुत करना
(Submission of return to the employer) [धारा 139(A)]

ऐसा कोई भी व्यष्टि जिसकी वेतन शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य आय हो, किसी भी गत वर्ष की अपनी आय की विवरणी यदि चाहे तो अपने नियोक्ता को प्रस्तुत कर सकता है। ऐसी विवरणी बोर्ड द्वारा इस आशय के लिये राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट योजना एवं शर्तों के अनुसार होगी। नियोक्ता देय तिथि तक प्राप्त आय की समस्त विवरणियों को योजना में निर्दिष्ट प्रारूप एवं तरीके से प्रस्तुत करेगा जिसमें फ्लॉपी, डिस्केट, सीडी–रोम एवं अन्य ऐसे कम्प्यूटर माध्यम भी शामिल हैं जिनको पढ़ा जा सके। यदि किसी कर्मचारी ने अपने नियोक्ता को आय की विवरणी प्रस्तुत कर दी है तो यह माना जायेगा कि उसने धारा 139 (1) के तहत विवरणी प्रस्तुत कर दी है तथा इस अधिनियम के प्रावधान उसी के अनुसार लागू होंगे।

3. बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट योजना के अन्तर्गत आय की विवरणी प्रस्तुत करना
(Submission of return under a scheme specified by the Board) [धारा 139(1B)]

ऐसा कोई भी व्यक्ति (कम्पनी अथवा गैर कम्पनी) जिसे अधिनियम की धारा 139 (1B)] के तहत अपना आय की विवरणी प्रस्तुत करना है, चाहे तो इस आशय के लिये बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट एवं सरकारी गजट में अधिसूचित किसी योजना के अन्तर्गत अपनी आय की विवरणी देय तिथि से पूर्व प्रस्तुत कर सकता है।

इस उपधारा के तहत विवरणी योजना में निर्दिष्ट प्रारूप एवं विधि से प्रस्तुत की जायेगी। इसमें आय की विवरणी फ्लॉपी, डिस्केट, मेग्नेटिक कैट्रीज टेप या अन्य किसी माध्यम से जिसे कम्प्यूटर पर पढ़ा जा सके, प्रस्तुत किया जा सकता है।

4. हानि की विवरणी प्रस्तुत करना (Filing of Return of Loss) [धारा 139 (3)]

यदि किसी व्यक्ति को, गत वर्ष में 'व्यापार अथवा पेशे के लाभ' या 'पूंजी लाभ शीर्षक में हानि होती है, और वह व्यक्ति उस हानि को आगे ले जाना चाहता है तो उसे निर्धारित विधि से निर्धारित प्रारूप में धारा 139 (1) के अन्तर्गत स्वीकृत समयावधि के भीतर हानि की विवरणी प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा ऐसा करदाता हानि को आगे ले जाकर पूरा करने का अधिकारी नहीं होगा।

5. आय की विवरणी का विलम्ब से प्रस्तुतीकरण (Belated Return of Income) [धारा 139 (4)]

यदि कोई व्यक्ति धारा 139 (1) के अन्तर्गत स्वीकृत समयावधि में अथवा धारा 142 (1) के अन्तर्गत जारी किए गए नोटिस की अवधि में आय की विवरणी प्रस्तुत नहीं करता है तो वह सम्बन्धित गत वर्ष की आय की विवरणी को कर–निर्धारण सम्पन्न होने से पूर्व किसी भी समय अथवा सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के बाद एक वर्ष के भीतर, जो भी पहले हो, प्रस्तुत कर सकता है। यद्यपि नियमानुसार ब्याज ऐसे व्यक्ति को भी चुकाना होगा।

6. पुण्यार्थ तथा धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए रखी सम्पत्ति से आय की विवरणी
(Return of income from property held for charitable or religious purposes) [धारा 139 (4A)]

प्रत्येक व्यक्ति जिसे पुण्यार्थ एवं धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए रखी गई सम्पत्ति एवं ऐच्छिक चन्दों से आय प्राप्त होती है और यदि ऐसी कुल आय अधिकतम कर–मुक्त सीमा से अधिक है तो उसे निर्धारित प्रारूप में तथा निर्धारित ढंग से निर्धारित अवधि में आय की विवरणी प्रस्तुत करनी पड़ेगी।

7. राजनीतिक दलों की ओर से आय की विवरणी प्रस्तुत किया जाना
(Submission of return by political parties) [धारा 139 (4B)]

यदि किसी राजनीतिक दल की कुल आय (धारा 13A के अन्तर्गत कर–मुक्त आय घटाने से पूर्व) न्यूनतम कर योग्य सीमा से अधिक है तो उस राजनीतिक दल के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का यह

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

दायित्व है कि वह उस दल की गत वर्ष की आय की विवरणी निर्धारित तिथि से पूर्व प्रस्तुत करे। ऐसी विवरणी निर्धारित प्रारूप में होनी चाहिये तथा निर्धारित विधि से सत्यापित भी होनी चाहिये।

8. कुछ विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा आय की विवरणी प्रस्तुत किया जाना
(Submission of return by certain specified persons) [धारा 139 (4C)]

निम्न व्यक्तियों को भी अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत करना होगा बशर्ते गत वर्ष की उनकी कुल आय (धारा 10 की कर–मुक्ति देने से पूर्व) न्यूनतम कर योग्य सीमा से अधिक हो–

(i) धारा 10(21) में उल्लेखित वैज्ञानिक शोध संघ।

(ii) धारा 10(22B) में उल्लेखित समाचार एजेन्सी।

(iii) धारा 10(23A) में उल्लेखित संघ या संस्था।

(iv) धारा 10 (23B) में उल्लेखित संस्था।

(v) धारा 10 (23C) में उल्लेखित विश्वविद्यालय तथा अन्य शिक्षण संस्थाएं, अस्पताल एवं अन्य चिकित्सा संस्थान तथा पुण्यार्थ कार्य के लिये स्थापित अन्य कोष, ट्रस्ट आदि।

(vi) धारा 10(24) में उल्लेखित ट्रेड यूनियन एवं उनके संघ।

9. विशिष्ट विश्वविद्यालय, कॉलेज अथवा अन्य संस्थाओं द्वारा आय की विवरणी प्रस्तुत किया जाना [धारा 139 (4D)]

धारा 35 (i), (ii) एवं (iii) में वर्णित प्रत्येक विश्वविद्यालय, कॉलेज एवं अन्य संस्था को जिनको इस धारा के अन्य किसी प्रावधान के अन्तर्गत आय की विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, वे भी प्रत्येक गत वर्ष के लिये अपने लाभ–हानि का विवरण प्रस्तुत करेंगे तथा इसे उपधारा (1) के तहत प्रस्तुत की गयी विवरणी मानी जायेगी तथा अधिनियम के सभी प्रावधान ऐसे विवरण पर भी लागू होंगे।

10. आय की संशोधित विवरणी [धारा 139 (5)]
(Revised Return of Income)

यदि कोई व्यक्ति धारा 139 (1) अथवा धारा 142 (1) के अन्तर्गत आय की विवरणी प्रस्तुत कर देने के पश्चात् यह महसूस करता है कि उस विवरण में उसके द्वारा कोई भूल–चूक अथवा अशुद्धि हो गई है, तो सम्बन्धित कर–निर्धारण वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष के भीतर अथवा कर–निर्धारण के पूरा होने से पूर्व (दोनों में से जो पहले हो) वह अपनी आय की संशोधित विवरणी प्रस्तुत कर सकता है। जानबूझ कर प्रस्तुत की गई असत्य विवरणी का अपराध संशोधित विवरणी प्रस्तुत कर देने पर समाप्त नहीं हो जाता। इसके लिए धारा 277 के अन्तर्गत सजा से दण्डित किया जा सकता है।

11. आय की दोषपूर्ण विवरणी [धारा 139 (9)]
(Defective return of Income)

करदाता द्वारा प्रस्तुत की गई आय की विवरणी में यदि कर–निर्धारण अधिकारी कोई दोष अथवा कमी पाता है तो वह करदाता को दोष के बारे में सूचित कर सकता है एवं सूचना की तिथि से 15 दिन अथवा अधिक अवधि के भीतर उस दोष को ठीक करने का अवसर दे सकता है। यदि इसके प्रत्युत्तर में करदाता द्वारा उस दोष को निर्धारित समयावधि में ठीक नहीं किया जाय, तो प्रस्तुत की गयी आय की विवरणी व्यर्थ मान ली जायेगी और यह माना जायेगा कि मानो करदाता द्वारा आय की विवरणी प्रस्तुत ही नहीं की गई है।

निम्न परिस्थितियों में विवरणी को दोषपूर्ण माना जाता है–

(i) यदि अनुसूचियों, विवरण या विवरणी में मांगी गई सूचना न दी गई हो।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(ii) यदि विवरणी के साथ कर की गणना का विवरण संलग्न न हो।

(iii) यदि धारा 44 AB के अनुसार अंकेक्षण रिपोर्ट संलग्न न हो।

(iv) यदि उद्गम स्थान पर काटे गये या एकत्रित किये गये कर अग्रिम कर या स्वतः कर–निर्धारण का प्रमाण–पत्र संलग्न न हो। ऐसी दशा में आय की विवरणी को दोषपूर्ण नहीं माना जायेगा : (क) यदि ऐसे करदाता को धारा 203 या धारा 206 C के अन्तर्गत यह प्रमाण–पत्र उपलब्ध न करवाया गया हो तथा (ख) ऐसा प्रमाण–पत्र धारा 155 (14) के अन्तर्गत 2 वर्षों की अवधि के भीतर प्रस्तुत कर दिया गया हो।

(v) यदि निर्माणी खाता, लाभ–हानि खाता या चिट्ठा संलग्न न हो।

(vi) यदि करदाता एकाकी व्यापारी है तो उसका पूंजी खाता और यदि करदाता एक फर्म है तो साझेदारों के खाते संलग्न न हो।

(vii) लेखा/लागत लेखा अंकेक्षक की रिपोर्ट संलग्न न हो।

12. आय की विवरणी में दी जाने वाली विशेष सूचना [धारा (6)] (6A)]
(Special Information to be given in the Return of Income)

धारा 139 (1), 139 (3), तथा 142(1) में उल्लेखित विवरणियों के निर्धारित फार्म में ऐसे मामलों में, जो निर्धारित कर दिए गए हैं, करदाता को अपनी कर–मुक्त आय; निर्धारित प्रकृति, मूल्य तथा उसके स्वामित्व वाली सम्पत्तियां; बैंक खाता, और उसके द्वारा रखे गये क्रेडिट कार्ड; निर्धारित शीर्षकों के अन्तर्गत निर्दिष्ट सीमा से अधिक किया गया व्यय एवं ऐसे भुगतानों का, जिन्हें निर्धारित किया गया है, विवरण विशेष सूचना के रूप में प्रस्तुत करना होता है। यह सूचना कम्पनी के अतिरिक्त ऐसे करदाता द्वारा भी प्रस्तुत की जाती है, जिनकी कुल आय में ''व्यवसाय या पेशे के लाभ'' वाले शीर्षक की आय सम्मिलित है।

ऐसी सूचना आय कर एवं धन कर अधिनियम के अन्तर्गत कर, ब्याज और दण्ड; आवास का किराया; सवारी पर व्यय; नल, बिजली व टेलीफोन के व्यय; शिक्षा पर व्यय; क्लब के व्यय; यात्रा, उत्सव, समारोह आदि पर व्यय; मोटर कार आदि का क्रय; घरेलू उपकरणों, अंशों; गहनों आदि का क्रय तथा दान; जमा, ऋण के रूप में किये गये भुगतानों के सम्बन्ध में भी दी जाती है।

व्यवसाय या पेशा चलाने वाले करदाता को अपनी आय की विवरणी के साथ धारा 44 AB में उल्लेखित अंकेक्षण रिपोर्ट, उसके व्यवसाय या पेशे के मुख्य स्थान तथा उसकी समस्त शाखाओं की स्थिति का विवरण; साझेदारों के नाम और पते; व्यक्तियों के समुदाय या संघ की दशा में सदस्यों के नाम तथा पते और उनका ऐसे व्यवसाय या पेशे के लाभों में हिस्से का पूरा विवरण भी प्रस्तुत करना होता है।

13. आय की विवरणी पर हस्ताक्षर [धारा 140]
(Sign on Return of Income)

धारा 115 WD या धारा 139 के अन्तर्गत प्रस्तुत विवरणी विभिन्न परिस्थितियों में निम्नलिखित व्यक्तियों के द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित होनी चाहिए–

(a) एक व्यष्टि (individual) की दशा में

(i) स्वयं व्यष्टि द्वारा;

(ii) यदि व्यष्टि भारत में न हो, तो स्वयं व्यष्टि द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा;

(iii) किसी अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यष्टि की दशा में उसके संरक्षक द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी सक्षम व्यष्टि द्वारा;

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(iv) अन्य किसी दशा में यदि व्यष्टि द्वारा विवरणी पर हस्ताक्षर करना संभव न हो तो उसकी ओर से किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा।

(b) हिन्दू अविभाजित परिवार की दशा में उसके कर्त्ता द्वारा और यदि कर्त्ता भारत के बाहर हो अथवा मानसिक रूप से अस्वस्थ हो तो परिवार के किसी वयस्क सदस्य द्वारा।

(c) कम्पनी की दशा में, उसके प्रबन्ध संचालक द्वारा। यदि किसी कारणवश प्रबन्ध संचालक हस्ताक्षर करने में असमर्थ हो अथवा कम्पनी में प्रबन्ध संचालक न हो तो किसी भी संचालक द्वारा।

(d) फर्म की दशा में फर्म का प्रबन्ध करने वाले साझेदार द्वारा अथवा यदि उचित कारणों से प्रबन्ध करने वाला साझेदार हस्ताक्षर न कर सके या किसी फर्म में प्रबन्ध करने वाला साझेदार न हो तो अवयस्क साझेदार को छोड़कर किसी भी साझेदार द्वारा।

(e) सीमित दायित्व साझेदारी की दशा में उसके अधिकृत साझेदार द्वारा या जहां उचित कारणों से अधिकृत साझेदार हस्ताक्षर न करे या जहां अधिकृत साझेदार न हो तो किसी भी साझेदार द्वारा।

(f) स्थानीय सत्ता की दशा में उसके प्रमुख अधिकारी द्वारा।

(g) किसी राजनैतिक पार्टी की दशा में, ऐसी पार्टी के मुख्य निष्पादक अधिकारी (Chief Executive Officer) द्वारा।

(h) व्यष्टियों के संघ अथवा व्यक्तियों के समुदाय की दशा में उसके किसी भी सदस्य अथवा प्रमुख अधिकारी द्वारा।

(i) अन्य किसी व्यक्ति की दशा में, उस व्यक्ति द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी अन्य सक्षम व्यक्ति द्वारा।

14. आय की विवरणी को प्रस्तुत करने में दोष होने पर ब्याज [धारा 234 A]
(Interest for Defaults in Furnishing Return of Income)

(1) यदि किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए धारा 139 (1) या 139 (4) के अन्तर्गत अथवा धारा 142 (1) के अन्तर्गत जारी किये गये नोटिस की पालना में आय की विवरणी को निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है अथवा प्रस्तुत ही नहीं किया गया है तो करदाता 1 प्रतिशत प्रति माह (माह के अंश को भी एक माह माना जायेगा) की दर से ब्याज चुकाने के लिये दायी होगा। यह ब्याज धारा 143 (1) के अन्तर्गत निर्धारित अथवा नियमित कर–निर्धारण के अन्तर्गत निर्धारित कुल आय पर देय कर में से उद्‌गम स्थान पर काटे गये या संग्रहीत किये गये कर या अग्रिम चुकाये गये कर को घटाने के पश्चात् शेष राशि पर लिया जायेगा। ब्याज विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि से प्रारम्भ होकर निम्न तिथि तक की अवधि का लिया जायेगा–

(i) विवरणी को विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने पर उसके प्रस्तुत करने की तिथि।

(ii) विवरणी के प्रस्तुत नहीं किये जाने पर धारा 144 के अन्तर्गत कर–निर्धारण पूरा होने की तिथि।

यदि धारा 143 के अन्तर्गत अतिरिक्त आय कर भी देय है तो उस पर ब्याज नहीं लिया जायेगा। अतः कुल आय पर देय कर में अतिरिक्त आय कर को शामिल नहीं किया जायेगा। यदि किसी कर–निर्धारण वर्ष के लिए प्रथम बार कर–निर्धारण धारा 147 या धारा 153 A के अन्तर्गत किया गया हो, तो इस धारा के उद्देश्यों के लिए उसे नियमित कर–निर्धारण माना जायेगा।[धारा 234 (A((1)]

(2) यदि धारा 140 A के अन्तर्गत कोई ब्याज चुकाया गया है तो उसे धारा 234 A (1) के अन्तर्गत देय ब्याज की रकम में से घटा दिया जायेगा तथा शेष राशि को इस धारा के अन्तर्गत देय ब्याज माना जायेगा।

(3) यदि धारा 143 (1) के अन्तर्गत आय का निर्धारण होने के पश्चात् अथवा धारा 143 (3) या 144 या 147 या 153A के अन्तर्गत कर–निर्धारण पूरा होने के पश्चात् अथवा करदाता को धारा 148 या धारा 153A के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया है तथा करदाता ने आय की विवरणी उक्त नोटिस में लिखित अवधि के पश्चात् प्रस्तुत की है या प्रस्तुत ही नहीं की है, तो करदाता एक प्रतिशत प्रति माह की दर से

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

ब्याज चुकाने के लिए दायी होगा। यह ब्याज ऐसे पुनः निर्धारण या पुनः आकलन के आधार पर निर्धारित कुल आय पर देय कर की राशि में से धारा 143 (1) के अन्तर्गत पूर्व में हुए कर–निर्धारण के अनुसार निध ्रारित कुल आय पर देय कर को घटाने पर प्राप्त शेष राशि पर दिया जाएगा। ब्याज उक्त नोटिस में स्वीकृत अवधि के समाप्त होने की तिथि से निम्न तिथि तक की अवधि को लिया जायेगा–

(i) यदि विवरणी को विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है तो उसके प्रस्तुत करने की तिथि।

(ii) यदि विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है तो धारा 147 के अन्तर्गत पुनः निर्धारण या पुनः आकलन या धारा 153A के अन्तर्गत पुनः आकलन के पूरा होने की तिथि। [धारा 234 (A) (4)]

(4) यदि धारा 154,155, 250, 254, 260, 262, 263, 264 के अन्तर्गत जारी किए गए आदेश के परिणामस्वरूप अथवा धारा 245 D (4) के अन्तर्गत जारी किए गए निपटारा आयोग के आदेश के परिणामस्वरूप कर की राशि, जिस पर धारा 234 (A) (1) या (3) के अन्तर्गत ब्याज देय है, बढ़ गई है या घट गई है तो ब्याज में भी तदनुसार परिवर्तन कर दिया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार मांग का नोटिस जारी किया जाएगा अथवा वापसी की राशि को स्वीकृत किया जाएगा। [धारा 234 (A) (4)]

ब्याज की गणना करते समय, जिस राशि पर ब्याज की गणना करनी है उसे 100 के गुणांक में उपसादित किया जाता है तथा इसके लिए सौ रुपये के अंश को छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से उपसादित राशि पर ब्याज की गणना की जायेगी।[नियम 119 (1)]

राजस्व की वसूली की दृष्टि से बोर्ड नियमों में शिथिलता प्रदान कर सकता है। [धारा 119 (2)]

15. स्थायी खाता संख्या [धारा 139 A]
(Permanent Account Number)

स्थायी खाता संख्या से आशय उस संख्या से है जो कर–निर्धारण अधिकारी द्वारा किसी भी करदाता को आवंटित की जाती है ताकि उस करदाता विशेष की पहचान उस संख्या से की जा सके। इसमें नयी श्रृंखला के अन्तर्गत निर्गमित किये गये स्थायी खाता संख्या भी सम्मिलित होता है।

यदि किसी व्यक्ति को अभी तक स्थायी खाता संख्या का आवंटन नहीं हुआ है, किन्तु–

(i) उसकी कुल आय अथवा ऐसे व्यक्ति की कुल आय, जिसके सम्बन्ध में वह इस अधिनियम के अन्तर्गत कर निर्धारण के लिए दायी है, न्यूनतम कर–योग्य सीमा से अधिक है; अथवा

(ii) वह व्यवसाय चला रहा है जिसकी किसी भी गत वर्ष में कुल बिक्री अथवा प्राप्तियां पांच लाख रु. से अधिक होने की संभावना है; अथवा

(iii) जिसे धारा 139 (4) (A) या धारा 115 WD के अन्तर्गत आय की विवरणी प्रस्तुत करनी है;

तो उसे स्थायी खाता संख्या के आवंटन हेतु कर निर्धारण अधिकारी को निर्दिष्ट अवधि के भीतर आवेदन करना होगा।

कर–निर्धारण अधिकारी किसी भी अन्य व्यक्ति को, जिसके द्वारा कर देय है, स्थायी खाता संख्या आवंटित कर सकता है। इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य व्यक्ति स्थायी खाता संख्या के आवंटन के लिए कर निर्धारण अधिकारी को आवेदन कर सकता है तथा ऐसा होने पर कर निर्धारण अधिकारी उस व्यक्ति को तुरन्त ही स्थायी खाता संख्या का आवंटन कर देगा। बोर्ड किसी भी समय अधिसूचना जारी करके स्थायी खाता संख्या की नई श्रृंखला चालू कर सकता है। इस अधिसूचना में यह स्पष्ट उल्लेख होगा कि वह अधिसूचना किन क्षेत्रों तथा किस वर्ग के व्यक्तियों के लिए है और नई श्रृंखला वाली स्थायी खाता संख्या के आवंटन के लिए कब तक आवेदन करना है। नई श्रृंखला में स्थायी खाता संख्या का आवंटन होने पर पुरानी स्थायी खाता संख्या अप्रभावी हो जायेगी।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

सामान्यतः यह प्रार्थना पत्र कर निर्धारण वर्ष की 31 मई तक देना होता है, परन्तु यदि करदाता व्यापार कर रहा है और उसकी किसी हिसाबी वर्ष की कुल बिक्री या सकल प्राप्तियां पांच लाख रुपये से अधिक होने की संभावना है तो यह प्रार्थनापत्र हिसाबी वर्ष के अंत तक देना होगा। एक बार किसी व्यक्ति को स्थायी खाता संख्या आवंटित हो जाने पर, उसे यह संख्या, अपने सभी विवरणों, चालानों, पत्रों, प्रपत्रों एवं अन्य प्रलेखों में, जो आय कर अधिकारी के यहां प्रस्तुत किये जायें, देनी चाहिए। इस संख्या को आवंटित हो जाने के पश्चात् करदाता को अपने नाम, पते व व्यवसाय की प्रकृति आदि में परिवर्तन की प्रत्येक सूचना आय कर अधिकारी को देनी चाहिए। जब तक किसी व्यक्ति को स्थायी खाता संख्या का आवंटन न किया जाये, उस समय तक उसे G.I.R. No. (General Index Register Number) देने होंगे।

यदि एक व्यक्ति अन्य किसी की आय के सम्बन्ध में भी कर चुकाने के लिए उत्तरदायी है तो उसे इसके लिए अलग से स्थायी खाता संख्या प्रदान की जायेगी।

स्थायी खाता संख्या का उपयोग :

(i) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जिसे प्राप्त होने वाली राशि या आय में से, अध्याय XVIIB (उद्गम स्थान पर कर की कटौती) के प्रावधानों के अनुसार कर की कटौती की जाती है, ऐसा कर काटने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को, अपना स्थायी खाता संख्या सूचित करना होगा। (उपधारा 5A)

(ii) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जिसने अध्याय XVII B के प्रावधानों के अनुसार, उसके द्वारा किये गये भुगतानों में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती की है, ऐसी राशि को जमा कराते समय अपना स्थायी खाता संख्या सूचित करना होगा। (उपधारा 5B)

(iii) धारा 206-C में वर्णित प्रत्येक क्रेता (Buyer) या लाइसेन्स धारक या पट्टाधारक को इस धारा में वर्णित कर संग्रह के लिए दायी व्यक्ति को अपना स्थायी खाता संख्या सूचित करना होगा। (उपधारा 5C)

(iv) धारा 206-C में वर्णित प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने उद्गम स्थान पर कर की कटौती द्वारा कर का संग्रह किया है, प्रत्येक क्रेता या लाइसेन्स धारक या पट्टाघारक का स्थायी खाता संख्या सम्बन्धित प्रमाण–पत्र आदि में सूचित करना होगा। (उपधारा 5D)

जिस व्यक्ति को एक बार नई श्रेणी में स्थायी खाता संख्या आवंटित कर दिया गया है वह दुबारा नये स्थायी खाता संख्या के लिए आवेदन नहीं करेगा। फ्रिंज लाभ कर के सम्बन्ध में भी इसी स्थायी खाता संख्या को स्थायी खाता संख्या मान लिया जायेगा तथा अलग से स्थायी खाता संख्या लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

दिनांक 1.11.1998 से 5 लाख रुपये से अधिक मूल्य की सम्पत्ति खरीदने, मोटर वाहन खरीदने, बैंक में 50,000 रु. से अधिक की सावधि जमा, डाकघर बचत खाते में 50,000 रु. से अधिक की जमा, 10 लाख रु. से अधिक की प्रतिभूतियों का क्रय–विक्रय एवं बैंक में खाता खोलने, सेलुलर फोन या साधारण फोन के लिये आवेदन अथवा होटलों में 25,000 रु. से अधिक का भुगतान करने पर स्थायी खाता संख्या लिखना अनिवार्य है। जिनको स्थायी खाता संख्या आवंटित नहीं हुआ हो वे जी.आई. नम्बर लिखेंगे। इनके अभाव में प्रपत्र संख्या 60 का उपयोग करना होगा।

16. कर विवरणी तैयारकर्त्ताओं के माध्यम से आयकर विवरणियों को प्रस्तुत करने की योजना (Scheme for submission of returns through Tax Return Prepares) [धारा 139B]

इस धारा के जोड़ने का उद्देश्य कुछ विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों को अपनी आय की विवरणी तैयार करने एवं उसे प्रस्तुत कने में सहयोग प्रदान करने का है। इस धारा के प्रमुख प्रवधान निम्नलिखित हैं–

1. बोर्ड सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से इस आशय की योजना बना सकता है। इसमें कुछ कर विवरणी तैयारकर्त्ताओं को अधिकृत किया जाता है। निर्दिष्ट वर्ग के व्यक्ति ऐसे अधिकृत किसी कर

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

विवरणी तैयारकर्त्ता के माध्यम से अपनी कर विवरणी प्रस्तुत कर सकते हैं।

2. प्रत्येक कर विवरणी तैयारकर्त्ता योजना के अनुसार कर विवरणी को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने में करदाता का सहयोग करेगा एवं ऐसी विवरणी पर अपने हस्ताक्षर करेगा।

3. कर विवरणी तैयारकर्त्ता से आशय ऐसे व्यक्ति से होगा जिसे इस प्रकार से कार्य करने के लिये बोर्ड द्वारा अधिकृत किया गया है। कोई वकील, एकाउण्टेण्ट, ऐसे बैंक का अधिकारी जिसमें करदाता का चालू खाता हो, निर्दिष्ट व्यक्तियों का कर्मचारी आदि को इस कार्य के लिये अधिकृत नहीं किया जायेगा।

4. निर्दिष्ट व्यक्तियों में कम्पनी एवं वे करदाता शामिल नहीं होंगे जिनके बहीखातों का अंकेक्षण किसी भी कानून के तहत अनिवार्य है।

इस आशय के लिये कर विवरणी तैयारकर्त्ता योजना, 2006 बनाई गई है।

17. विवरणी के साथ दस्तावेज, प्रलेख आदि प्रस्तुत करने से मुक्ति [धारा 139 C]

बोर्ड किसी भी वर्ग के व्यक्तियों को आय की विवरणी के साथ दस्तावेज, प्रलेख, प्रमाणपत्र, रसीद आदि प्रस्तुत करने से मुक्ति प्रदान कर सकता है। यद्यपि अधिनियम के अन्य प्रावधानों के तहत इनका प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होता है परन्तु इन प्रलेखों को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।

18. इलैक्ट्रिकल फार्म में विवरणी का प्रस्तुत किया जाना [धारा 139D]

बोर्ड इस सम्बन्ध में नियम बना सकता है कि किसी विशेष वर्ग या वर्गों के व्यक्ति अपनी आय कर विवरणी इलैक्ट्रिकल फार्म में ही प्रस्तुत करेंगे।

कर–निर्धारण के प्रकार (Types of Assessment)

1. स्वयं कर–निर्धारण (Self Assessment) [धारा 140 A]

यदि किसी करदाता के द्वारा, जिसे धारा 115 WD या धारा 115 WH या धारा 139 या धारा 142 या धारा 148 या धारा 153A या धारा 158BC के अन्तर्गत आय की विवरणी प्रस्तुत करनी है, उस विवरणी में दर्शायी गई कुल आय के आधार पर कोई कर देय है (अग्रिम चुकाये गये कर एवं उद्‌गम स्थान पर काटे गए कर का समायोजन करने के पश्चात्) तो वह करदाता आय की विवरणी के प्रस्तुतीकरण से पूर्व ऐसे कर का भुगतान करने के लिए दायी होता है। यदि उस करदाता के द्वारा अग्रिम कर के भुगतान में विलम्ब होने के कारण कोई ब्याज देय है, तो ऐसा ब्याज भी विरणी के प्रस्तुतीकरण से पूर्व जमा कराना होगा तथा इस प्रकार से चुकाये गये कर एवं ब्याज की रसीद को उस विवरण के साथ में संलग्न करना होगा। यदि करदाता ने इस धारा के अन्तर्गत देय सम्पूर्ण राशि जमा नहीं कराई है, तो जमा कराई गई राशि को सर्वप्रथम देय ब्याज के लिए समायोजित किया जायेगा तत्पश्चात् शेष राशि को देय कर के लिए समायोजित किया जायेगा।

स्वयं कर–निर्धारण के अन्तर्गत कर की गणना करते समय धारा 234 A में देय ब्याज की गणना, विवरणी में दिखायी गयी कुल आय पर कर की राशि में से उद्‌गम स्थान पर काटे गये कर एवं अग्रिम चुकाये गये कर (यदि कोई हो) की राशि कम करके, शेष बची हुई राशि के सम्बन्ध में की जायेगी। [धारा 140 A (1A)]

इसी प्रकार, स्वयं कर–निर्धारण के अन्तर्गत कर की गणना करते समय धारा 234 B में देय ब्याज की गणना, विवरणी में दिखायी गयी कुल आय पर कर की राशि में से उद्‌गम स्थान पर काटे गये कर की राशि कम करके, शेष बची हुई राशि के सम्बन्ध में की जायेगी। [धारा 140 A (1B)]

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

बाद में धारा 115 WE या धारा 115 WF या धारा 143 या धारा 144 के अन्तर्गत करदाता का नियमित कर–निर्धारण होने पर अथवा धारा 153A या धारा 158BC के अन्तर्गत कर–निर्धारण होने पर उपर्युक्त प्रकार से जमा कराई गई राशि को नियमित कर–निर्धारण के लिए चुकाई गई राशि मान लिया जायेगा। यदि करदाता इस धारा के अन्तर्गत देय कर एवं ब्याज की सम्पूर्ण राशि अथवा इसका कोई भाग चुकाने में असमर्थ रहता है तो वह इस सम्बन्ध में दोषी करदाता माना जायेगा तथा उस पर इस सम्बन्ध में इस अधिनियम के समस्त प्रावधान नियमानुसार लागू होंगे। [धारा 140A(2)]

2. नियमित कर–निर्धारण (Regular Assessment)

नियमित कर–निर्धारण से तात्पर्य धारा 143 या धारा 144 के अन्तर्गत किये जाने वाले कर–निर्धारण से है। ऐसे कर–निर्धारण निम्न प्रकार के हो सकते हैं–

(a) आय की विवरणी के आधार पर कर–निर्धारण
(b) साक्ष्यों के आधार पर कर–निर्धारण
(c) सर्वोत्तम निर्णय कर–निर्धारण।

आय की विवरणी के आधार पर कर–निर्धारण [धारा 143 (1)]
(Assessment on the basis of Return of Income)

आय की विवरणी यदि धारा 139 के अन्तर्गत अथवा धारा 142 (1) के अन्तर्गत दिये गये नोटिस की अनुपालना में प्रस्तुत की गयी है तो आय की विवरणी (आय का नक्शा) का प्रक्रियांकन निम्न प्रकार से किया जावेगा–

क. निम्नलिखित समायोजन करने के पश्चात् कुल आय या हानि का निर्धारण किया जावेगा–

(i) आय की विवरणी में हुई कोई अंकगणितीय अशुद्धि; या
(ii) आय की विवरणी में दी गई सूचना में स्पष्ट दिखाई देने वाला कोई गलत दावा;

ख. कर एवं ब्याज (यदि कोई हो) की गणना उपर्युक्त वाक्योंश (क) में निर्धारित कुल आय के आधार पर की जायेगी।

ग. उपर्युक्त वाक्यांश (ख) में निर्धारित कर एवं ब्याज की राशि में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती, उद्गम स्थान पर कर का संग्रह, अग्रिम चुकाया गया कर, धारा 90 अथवा धारा 90A में वर्णित समझौते के अन्तर्गत स्वीकार्य रियायत अथवा धारा 91 के अन्तर्गत स्वीकार्य कोई रियायत, अध्याय VIII के भाग A के तहत स्वीकार्य कोई छूट, स्व–करनिर्धारण पर चुकाई गई कोई कर की राशि अथवा कर अथवा ब्याज के रूप में अन्य प्रकार से चुकाई गई राशि का समायोजन करने के बाद करदाता द्वारा देय कर की राशि अथवा करदाता को कर की वापसी की राशि का निर्धारण किया जायेगा।

घ. उपर्युक्त वाक्यांश (ग) में निर्धारित राशि जो करदाता द्वारा देय है अथवा करदाता को वापसी के रूप में देय है, का उल्लेख करते हुये एक सूचना तैयार की जायेगी तथा करदाता को भेजी जायेगी तथा वापसी की स्थिति में करदाता को वापसी की राशि स्वीकार्य की जायेगी।

स्पष्टीकरण

(i) यदि करदाता द्वारा कोई राशि देय नहीं है अथवा करदाता को कोई राशि वापिस नहीं की जानी है अथवा उपर्युक्त वाक्यांश (क) में कोई समायोजन नहीं किया गया है तो नक्शे के प्रस्तुत करने की स्वीकृति को ही इस धारा के लिये सूचना माना जायेगा।

(ii) यदि नक्शे में दिखायी गयी हानि की राशि में कोई समायोजन किया जाता है तो करदाता को इसकी

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

सूचना दी जायेगी चाहे भले ही न तो उसके द्वारा कोई कर या ब्याज देय है तथा न ही उसको कोई वापसी की जानी है। परन्तु जिस वित्तीर्य वर्ष में नक्शा प्रस्तुत किया जाता है उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक वर्ष पश्चात् इस उपधारा के अन्तर्गत कोई सूचना नहीं भेजी जायेगी।

सर्वोत्तम निर्णय कर–निर्धारण [धारा 144]
(Best Judgement Assessment)

ऐसा कर–निर्धारण, जिसके अन्तर्गत करदाता द्वारा प्रस्तुत अपूर्ण सामग्री के आधार पर, उसकी कुल आय के सम्बन्ध में कर–निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने विवेक से विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तर्कसंगत निर्णय लेना पड़ता है, ''सर्वोत्तम–निर्णय कर–निर्धारण'' कहलाता है। यह कर–निर्धारण केवल कर–निर्धारण अधिकारी के निर्णय पर आधारित होता है, अतः इसे एक पक्षीय कर–निर्धारण भी कहते हैं। ऐसे कर–निर्धारण में कर–निर्धारण अधिकारी को बिना किसी उचित आधार के अनुचित रूप से आय को बढ़ाकर कर–दायित्व की गणना नहीं करनी चाहिए जिससे करदाता द्वारा ऐसे मामले के सम्बन्ध में उप–आयुक्त को अपील करने पर अपने द्वारा लिये गये निर्णय का आधार स्पष्ट करने में परेशानी न हो। सर्वोत्तम निर्णय कर– निर्धारण करने में कर–निर्धारण अधिकारी को करदाता को दण्डित करने की इच्छा से प्रभावित नहीं होना चाहिए। कर–निर्धारण अधिकारी को एक न्यायाधीश की तरह न्याय, समता तथा नेकनीयत के नियमों से कार्य करना चाहिए तथा करदाता की आय का अनुमान लगाने में स्थानीय सूचना, करदाता की परिस्थितियां, उसकी प्रसिद्धि तथा कर–निर्धारण की स्वयं की सूचना, आदि का उपयोग करना चाहिए तथा अनुमान निष्कपट होना चाहिए।

सर्वोत्तम निर्णय कर–निर्धारण दो प्रकार का होता है–

(i) अनिवार्य (Compulsory)

(ii) विवेकीय (Discretionary)

(i) अनिवार्य सर्वोत्तम निर्णय कर–निर्धारण [धारा 144 (1)]
(Compulsory Best Judgement Assessment)

निम्नलिखित परिस्थितियों मे से किसी भी एक में कर–निर्धारण अधिकारी को अनिवार्य रूप से सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर कर–निर्धारण करना होगा–

अ. कर–निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 139 (1) के अन्तर्गत जारी किये गये नोटिस के बावजूद भी यदि कोई व्यक्ति अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत नहीं करता है तथा धारा 139 (5) के अन्तर्गत संशोधित विवरणी प्रस्तुत नहीं करता है; अथवा

ब. यदि कोई व्यक्ति धारा 142 (1) के अन्तर्गत जारी किये गये नोटिस के अनुसार लेखा पुस्तकें अथवा अन्य प्रपत्र अथवा सूचनायें प्रस्तुत नहीं करता है अथवा धारा 142 (2A) के अन्तर्गत नामांकित अंकेक्षक द्वारा लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण नहीं करवाता है; अथवा

स. यदि कोई व्यक्ति धारा 143 (2) के अन्तर्गत जारी किये गये नोटिस के अनुसार आय की विवरणी प्रस्तुत करने के बाद स्वयं उपस्थित नहीं होता है अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के साथ आय की विवरणी के सम्बन्ध में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है।

इस धारा के अन्तर्गत कर–निर्धारण करने से पूर्व यह आवश्यक है कि कर निर्धारण अधिकारी करदाता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु उसे एक नोटिस जारी करे। किन्तु यदि करदाता को धारा 142 (1) के अन्तर्गत नोटिस पूर्व में जारी हो चुका है तो फिर इस धारा के अन्तर्गत नोटिस जारी करना अनिवार्य नहीं है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

अनिवार्य सर्वोत्तम निर्णय कर–निर्धारण के दुष्परिणाम
(Consequences of Compulsory Best Judgement Assessment)

(i) धारा 139 (1) या (2) के अन्तर्गत आय की विवरणी प्रस्तुत न करने पर या धारा 142 (1) या 143 (2) के अन्तर्गत नोटिस की अवमानना करने पर या धारा 142 (2A) के अन्तर्गत अंकेक्षण नहीं कराने पर धारा 271 के अनुसार शास्ति लगाई जा सकती है।
(ii) कर राशि के सम्बन्ध में अपील की दशा में करदाता अपील अधिकारी के समक्ष कोई नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं कर सकता है।
(iii) विवरणी जानबूझ कर प्रस्तुत नहीं करने पर धारा 276-C तथा लेखे या प्रपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर धारा 276-D के अनुसार सजा दी जा सकती है।

(ii) विवेकीय सर्वोत्तम निर्णय कर–निर्धारण [धारा 145 (3)]
(Discretionary Best Judgement Assessment)

यदि कर निर्धारण अधिकारी करदाता के हिसाब–किताब की शुद्धता तथा पूर्णता से संतुष्ट न हो अथवा करदाता द्वारा अपनाई गई लेखा पद्धति नियमित न हो तो कर निर्धारण अधिकारी धारा 144 के अन्तर्गत अपने विवेक से सर्वोत्तम निर्णय कर–निर्धारण कर सकता है। यह पूर्णतः कर निर्धारण अधिकारी पर निर्भर करता है कि ऐसी स्थिति में धारा 144 के अन्तर्गत सर्वोत्तम निर्णय कर–निर्धाश्रण करे या धारा 142 (3) के अन्तर्गत साधारण कर–निर्धारण करे।

3. निर्धारण से बची आय अथवा पुनः निर्धारण [धारा 147]
(Income escaping Assessment or Re-assessment)

यदि कर निर्धारण अधिकारी के पास यह विश्वास करने के लिए कारण हो कि किसी भी कर निर्धारण वर्ष के लिए कोई कर–योग्य आय कर–निर्धारण से छूट गई है तो वह ऐसी आय का कर–निर्धारण या पुनः निर्धारण कर सकता है। कर निर्धारण अधिकारी को यह अधिकार ऐसी आय के सम्बन्ध में भी प्राप्त है जो इस धारा के अन्तर्गत कार्यवाही के दौरान उसकी जानकारी में आई है तथा कर–निर्धारण से छूट गई है। कर निर्धारण अधिकारी इस धारा के अन्तर्गत हानि, ह्रास की छूट या अन्य किसी भी छूट की पुनर्गणना भी कर सकता है। ऐसे कर–निर्धारण वर्ष को इस धारा के उद्देश्यों के लिए सम्बन्धित कर–निर्धारण वर्ष कहा जायेगा।

यदि सम्बन्धित कर–निर्धारण वर्ष के लिए धारा 143 (3) के अन्तर्गत या इस धारा के अन्तर्गत कर–निर्धारण किया जा चुका है तो फिर सम्बन्धित कर–निर्धारण वर्ष की समाप्ति से चार वर्षों के पश्चात् इस धारा के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं होगी। किन्तु यह प्रतिबन्ध निम्न परिस्थितियों में लागू नहीं होगा–

अ. यदि आय के कर–निर्धारण से छूटने का कारण करदाता द्वारा धारा 139 के अन्तर्गत अथवा धारा 142 (1) या धारा 148 के अन्तर्गत जारी किये गये नोटिस की पालना में विवरणी को प्रस्तुत न किया जाना हो।

ब. यदि आय के कर–निर्धारण से छूटने का कारण करदाता द्वारा उसके कर निर्धारण के लिए अनिवार्य महत्त्वपूर्ण तथ्यों को पूर्णतः तथा सही तौर पर प्रकट न करना रहा हो। यदि किसी आय पर कर नहीं लग पाया है तथा यह मामला अपील, पुनर्विचार या संशोधन हेतु विचाराधीन नहीं है तो निर्धारण अधिकारी इस आय पर कर निर्धारण कर सकता है।

स्पष्टीकरण

(i) कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष लेखा पुस्तकों एवं अन्य साक्ष्यों को प्रस्तुत करना, जिनसे साधारण बुद्धि का प्रयोग करके कर निर्धारण अधिकारी द्वारा महत्त्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी प्राप्त की जा सकती हो, इस धारा के उद्देश्यों के लिए तथ्यों को प्रकट करना नहीं माना जायेगा।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(ii) इस धारा के उद्देश्यों के लिए निम्न परिस्थितियों में यह माना जायेगा कि कोई आय कर–निर्धारण से छूट गई है–

अ. आय के न्यूनतम कर–मुक्त सीमा से अधिक होने पर भी विवरणी को प्रस्तुत न करना।

ब. विवरणी तो प्रस्तुत की गई हो, किन्तु कर–निर्धारण करने से पूर्व ही कर निर्धारण अधिकारी को यह मालूम पड़ जाये कि करदाता ने आय को कम करके या हानि को बढ़ा कर बताया है अथवा कटौती, छूट या रियायत की अधिक मांग की है।

स. यदि कर–निर्धारण किया जा चुका हो, किन्तु–

(i) किसी कर–योग्य आय का कम निर्धारण हुआ हो; या

(ii) ऐसी आय पर बहुत कम दरों से कर लगाया गया हो; या

(iii) ऐसी आय पर बहुत अधिक छूट दे दी गई हो; या

(iv) हानि, ह्रास की छूट या अन्य किसी छूट की गणना बहुत अधिक कर ली गई हो।

उपर्युक्त परिस्थितियों में धारा 147 के अन्तर्गत पुनः निर्धारण करने से पूर्व धारा 148 के अन्तर्गत करदाता को स्वयं या अन्य व्यक्ति की, जिसके लिये उस पर कर–निर्धारण किया जाना है, कर की विवरणी प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

धारा 149 के अन्तर्गत उपर्युक्त नोटिस देने की अवधि सीमा निर्धारित की गई है, जो इस प्रकार है–

अ. सम्बन्धित कर–निर्धारण वर्ष की समाप्ति से चार वर्ष, यदि मामला निम्नलिखित ब. से सम्बन्धित न हो।

ब. कर से बचने वाली आय की राशि के 1,00,000 रुपये या इससे अधिक होने की स्थिति में 6 वर्ष।

धारा 148 के अन्तर्गत जिस व्यक्ति को नोटिस दिया गया है, यदि वह अनिवासी का एजेन्ट है, तो नोटिस की समयावधि दो वर्ष होती है।

4. नोटिस जारी करने के लिए मंजूरी [धारा 151]
(Approval for Issuing Notice)

अ. यदि सम्बन्धित कर–निर्धारण वर्ष के लिए कर–निर्धारण धारा 143(3) या 147 के अन्तर्गत किया गया है, तो धारा 148 के अन्तर्गत दिया जाने वाला नोटिस सहायक आयुक्त या उप आयुक्त से नीचे पद वाला कर निर्धारण अधिकारी उसी समय जारी कर सकता है जबकि ऐसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अभिलिखित कारणों के आधार पर संयुक्त आयुक्त इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा नोटिस जारी करने के लिए यह एक उचित मामला है। सम्बन्धित वर्ष की अंतिम तिथि से चार वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् ऐसा नोटिस उसी समय जारी किया जा सकता है, जबकि उस कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अभिलिखित किए गये कारणों के आधार पर मुख्य आयुक्त या आयुक्त इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा नोटिस जारी करने के लिए यह एक उचित मामला है।

ब. उपधारा अ. के अन्तर्गत आने वाले मामलों को छोड़कर अन्य किसी मामले में धारा 148 के अन्तर्गत कोई नोटिस सम्बन्धित कर–निर्धारण वर्ष की अंतिम तिथि से चार वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् संयुक्त आयुक्त से नीचे पद वाले कर–निर्धारण अधिकारी के द्वारा उसी समय जारी किया जा सकता है, जबकि ऐसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अभिलिखित कारणों के आधार पर संयुक्त आयुक्त इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा नोटिस जारी करने के लिए यह एक उचित मामला है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

कर–निर्धारण या पुनः कर–निर्धारण को पूरा करने की समय सीमा [धारा 153]
(Time Limit for completing the Assessment or Re-assessment)

अ. धारा 143 या धारा 144 के अन्तर्गत कोई कर–निर्धारण आदेश सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष के समाप्त होने के बाद 2 माह बाद जारी नहीं किया जायेगा।

ब. धारा 147 के अन्तर्गत कर–निर्धारण, पुनः निर्धारण या पुनर्गणना का आदेश, जिस वित्तीय वर्ष में धारा 148 के अन्तर्गत नोटिस जारी हुआ है, उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष बाद नहीं दिया जा सकता।

5. त्रुटि सुधार (Rectification of Mistake) [धारा 154]

धारा 116 में वर्णित कोई भी आयकर अधिकारी स्वयं के द्वारा हुई ऐसी त्रुटि को, जो लेखों से स्पष्ट प्रतीत हो रही है, सुधार सकता है। यदि किसी प्राधिकारी के द्वारा दिये गये आदेश के सम्बन्ध में अपील या पुनर्विचार के रूप में निर्णय लिया जा चुका हो तो भी उक्त आदेश जारी करने वाला प्राधिकारी अपने आदेश में त्रुटि सुधार कर सकता है (केवल उन मामलों को छोड़कर जिनके सम्बन्ध में अपील या पुनर्विचार के रूप में निर्णय किया जा चुका है)।

यह त्रुटि सुधार सम्बन्धित प्राधिकारी स्वयं कर सकता है अथवा करदाता की जानकारी में लाये जाने पर करदाता कर सकता है। यदि त्रुटि सुधार करने वाला प्राधिकारी आयुक्त (अपील) है, तो त्रुटि को कर–निर्धारण अधिकारी भी उसकी जानकारी में ला सकता है।

यदि त्रुटि सुधार के परिणामस्वरूप करदाता के कर दायित्व में वृद्धि होती हो या वापसी–योग्य राशि में कमी होती हो, तो ऐसी त्रुटि का सुधार करने से पूर्व सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा करदाता को अपने दृष्टिकोण की सूचना दी जायेगी तथा उसे सुनवाई का एक उचित अवसर दिया जावेगा।

इस धारा के अन्तर्गत त्रुटि सुधार का आदेश सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा लिखित में दिया जायेगा। इस त्रुटि सुधार के परिणामस्वरूप यदि करदाता के कर–दायित्व में कमी हो गई है तो करदाता को वापसी के आदेश जारी किये जायेंगे। इसके विपरीत यदि त्रुटि सुधार के परिणामस्वरूप करदाता के कर–दायित्व में वृद्धि हो गई है अथवा वापसी–योग्य राशि (जो वापस की जा चुकी है) में कमी हो गई है तो करदाता को मांग का नोटिस जारी किया जायेगा। ऐसा मांग का नोटिस धारा 156 के अन्तर्गत जारी किया गया माना जायेगा तथा इस अधिनियम की व्यवस्थाएं नियमानुसार लागू होंगी।

धारा 154 (8) के अनुसार, यदि करदाता धारा 154 के अन्तर्गत त्रुटि सुधार के लिए प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करता है तो ऐसा प्रार्थना पत्र प्राप्त होने वाले माह के अंत से 6 माह के भीतर आय कर अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में सुधार को स्वीकृत करते हुए अथवा अस्वीकृत करते हुए एक आदेश जारी किया जायेगा। तथापि, जिस वित्तीय वर्ष में संशोधित किया जाने वाला आदेश जारी किया गया हो उसके समाप्त होने के 4 वर्ष बाद, कोई सुधार स्वीकृत नहीं किया जा सकता।

6. अन्य संशोधन (Other Amendments) [धारा 155]

अ. यदि किसी व्यक्तियों के समुदाय के कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण के समय अथवा उस समुदाय की आय में कमी या वृद्धि के परिणामस्वरूप यह ज्ञात हो कि उस समुदाय के किसी सदस्य की आय का भाग उसके कर–निर्धारण में सम्मिलित नहीं हुआ है, तो कर–निर्धारण अधिकारी उस सदस्य के कर–निर्धारण में संशोधन कर सकता है। ऐसे संशोधन की समय सीमा भी चार वर्ष ही है। [धारा 155 (2)]

ब. यदि किसी फर्म के कर–निर्धारण या पुनः निर्धारण के समय अथवा उस फर्म की आय में कमी या वृद्धि के

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

परिणामस्वरूप यह ज्ञात हो कि किसी साझेदार को दिया गया पारिश्रमिक धारा 40(b) के अन्तर्गत कटौती–योग्य नहीं है, तो कर–निर्धारण अधिकारी उस साझेदार के कर–निर्धारण आदेश में संशोधन कर सकता है तथा उस साझेदारी की आय को उस सीमा तक समायोजित कर सकता है जिस सीमा तक उसका पारिश्रमिक धारा 40(b) के अन्तर्गत कटौती–योग्य नहीं है। इस सम्बन्ध में धारा 154 की व्यवस्थाएं यथासंभव लागू होंगी तथा धारा 154 (7) में वर्णित चार वर्ष की समयावधि उस वर्ष की समाप्ति से मानी जाएगी जिस वित्तीय वर्ष में फर्म के सम्बन्ध में अंतिम आदेश जारी हुआ था। [धारा 155 (1A)]

स. जहां किसी वर्ष के लिए कर–निर्धारण में धारा 88 HHB, 80 HHC, 80 HHD, 80 HHE, 80-O, 80 R, 80 RR अथवा 80 RRA के अन्तर्गत कटौती को इस कारण से अस्वीकार किया जा चुका हो कि ऐसी आय को परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा के रूप में भारत में प्राप्त नहीं किया गया है अथवा भारत के बाहर प्राप्त करने के पश्चात् उसे निर्दिष्ट प्राधिकारी के अनुमोदन से भारत में नहीं लाया गया है तथा बाद में ऐसी आय को उपर्युक्त वर्णित विधि से भारत में प्राप्त कर लिया जाये अथवा भारत में लाया जाये, तो इन धाराओं के अन्तर्गत कटौती को स्वीकार करते हुए धारा 154 के अन्तर्गत त्रुटि सुधार किया जा सकता है। [धारा 155 (13)]

द. यदि धारा 143(1) के अन्तर्गत कर–निर्धारण के समय धारा 199 के अन्तर्गत उद्गम स्थान पर कर की कटौती के लिए जमा स्वीकृत नहीं किया गया हो (धारा 203 के अन्तर्गत प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण) तथा बाद में ऐसा प्रमाण पत्र 2 वर्षों के भीतर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया हो तो निर्धारण अधिकारी धारा 143 (1) के आदेश अथवा सूचना को संशोधित करेगा। [धारा 155 (14)]

य. किसी कर–निर्धारण वर्ष में यदि भूमि अथवा भवन अथवा दोनों के हस्तान्तरण से पूंजी लाभ हुआ हो तथा इसकी गणना कुल हस्तान्तरण मूल्य अथवा स्टाम्प ड्यूटी के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा आकलित राशि के आधार पर की गई हो तथा बाद में ऐसी राशि अपील आदि के पश्चात् परिवर्तित हो गई हो तो निर्धारण अधिकारी तद्नुसार अपने आदेश में संशोधन करेगा। [धारा 155 (15)]

7. मांग का नोटिस (Notice of Demand) [धारा 156]

कर–निर्धारण की प्रक्रिया पूर्ण होने पर कर–निर्धारण अधिकारी द्वारा देय कर, ब्याज, अर्थदण्ड आदि के लिए करदाता को फार्म संख्या 28 में नोटिस जारी किया जायेगा जिसके जारी होने के 35 दिन के भीतर मांगी गई राशि का भुगतान हो जाना चाहिए।

वस्तुतः कर दायित्व का उदय नोटिस की प्राप्ति पर ही होता है। इसके अभाव में कर–वसूली की कार्यवाही चालू नहीं हो सकती है। यदि नोटिस प्राप्ति के बाद करदाता की मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी पर नया नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है; परन्तु यदि करदाता की मृत्यु नोटिस प्राप्ति से पूर्व ही हो जाती है तो ऐसी दशा में उत्तराधिकारी को नया नोटिस दिया जाना आवश्यक होगा। नोटिस के अभाव में करदाता को दोषी करदाता (Assessee in default) नहीं माना जा सकता है।

यदि अपील में कर राशि में वृद्धि हो जाती है तो केवल आधिक्य के लिए ही नया नोटिस दिया जाता है। इस बीच कर वसूली की कार्यवाही चालू रहेगी। यदि राशि में कमी हो जाती है, तो इसकी सूचना करदाता तथा कर वसूली अधिकारी को दे दी जाती है।

8. हानि की सूचना (Intimation of Loss) [धारा 157]

कर–निर्धारण की कार्यवाही के अन्तर्गत यदि कर–निर्धारण अधिकारी द्वारा हानि की गणना की जाती है तो ऐसा अधिकारी निर्धारित हानि की राशि, जिसे करदाता आगे ले जाकर भविष्य में लाभों से पूरा कर सकेगा, की सूचना लिखित में करदाता को भेजेगा।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

तलाशी के मामलों में कर–निर्धारण की विशेष प्रक्रिया
(Special Procedure for Assessment of Search Cases)

यदि किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में 30 जून, 1995 के पश्चात् धारा 132 के अन्तर्गत तलाशी की कार्यवाही प्रारम्भ हुई है अथवा धारा 132 A के अन्तर्गत लेखा पुस्तकें आदि मांगी गई हैं तथा ऐसी कार्यवाही के दौरान उस व्यक्ति की कोई छिपी हुई आय ज्ञात होती है, तो ऐसी छिपी हुई आय पर 60 प्रतिशत की दर से कर देय होगा। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति पर धारा 271 (1) (c) या 271 A या 271 B या 273 के अन्तर्गत कोई अर्थदण्ड देय नहीं होगा तथा धारा 234 A या 234 B या 234 C के अन्तर्गत कोई ब्याज भी देय नहीं होगा। कर–निर्धारण की यह विशेष प्रक्रिया जिस अवधि की छिपी हुई आय के सम्बन्ध में लागू होती है ऐसी अवधि को ब्लॉक पीरियड (Block Period) कहा जाता है।

1. ब्लॉक पीरियड (Block Period) का आशय [धारा 158 B (a)]

जिस गत वर्ष में धारा 132 के अन्तर्गत तलाशी ली गई है अथवा धारा 132 A के अन्तर्गत मांग की गई है, उस गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 6 कर–निर्धारण वर्षों से सम्बन्धित गत वर्षों की अवधि को तथा उस गत वर्ष में तलाशी के प्रारम्भ होने की तिथि या मांग की तिथि (जैसी भी स्थिति हो) तक की अवधि को ब्लॉक पीरियड माना जाता है। ऐसे ब्लॉक पीरियड से सम्बन्धित कुल छिपी हुई आय पर एक साथ 60 प्रतिशत की दर से कर देय होगा।

2. छिपी हुई आय (Undisclosed Income) का आशय [धारा 158 B (b)]

छिपी हुई आय में कोई धन, सोना चांदी, जेवर या अन्य कोई मूल्यवान वस्तु अथवा लेखा पुस्तकों में कोई प्रविष्टि, कोई प्रलेख या सौदे पर आधारित ऐसी आय सम्मिलित है जो इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए प्रकट नहीं की गई है या जिसे प्रकट नहीं किया जाना है तथा कोई व्यय, कटौती या छूट जो इस अधिनियम के अन्तर्गत मांगी गई हो (claimed) तथा जांच के अन्तर्गत झूठ (false) पायी गयी हो। ब्लॉक पीरियड के सम्बन्ध में इस प्रकार की छिपी हुई आय की गणना धारा 158 BB में निर्धारित विधि के अनुसार की जाती है।

3. छिपी आय (Undisclosed Income) पर कर–निर्धारण [धारा 158 BA]

धारा 132 के अन्तर्गत तलाशी प्रारम्भ होने पर, अथवा धारा 132 A के अन्तर्गत लेखा पुस्तकों, अन्य दस्तावेजों या सम्पत्तियों के मांगे जाने पर कर–निर्धारण अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति की छिपी आय पर कर–निर्धारण किया जायेगा। किसी भी ब्लॉक पीरियड से सम्बन्धित कुल छिपी आय पर धारा 113 में निर्दिष्ट दर (60 प्रतिशत) से कर लगाया जायेगा, चाहे वह छिपी आय किसी भी गत वर्ष से सम्बन्धित हो तथा चाहे सम्बन्धित कर निर्धारण वर्षों का नियमित कर–निर्धारण होना हो अथवा हो चुका हो। ऐसा कर–निर्धारण उस ब्लॉक पीरियड में सम्मिलित प्रत्येक गत वर्ष के सम्बन्ध में नियमित कर–निर्धारण के अतिरिक्त होगा। किसी भी नियमित कर–निर्धारण के अन्तर्गत कर लगी आय को ब्लॉक पीरियड में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। ब्लॉक पीरियड की छिपी आय को भी उस ब्लॉक पीरियड में सम्मिलित किसी भी गत वर्ष के नियमित कर निर्धारण के अन्तर्गत कर लगी आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यदि करदाता कर–निर्धारण अधिकारी को इस बात से संतुष्ट कर दे कि छिपी आय का कोई भाग ऐसे कर–निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित है, जिसका गत वर्ष समाप्त नहीं हुआ है अथवा धारा 139 (1) के अन्तर्गत आय की विवरणी को प्रस्तुत करने की तिथि समाप्त नहीं हुई है तथा उस छिपी आय को या उससे सम्बन्धित व्यवहारों को तलाशी की तिथि से पूर्व अथवा लेखा पुस्तकों, अन्य दस्तावेजों या सम्पत्तियों के मांगे जाने की तिथि से पूर्व अभिलिखित कर लिया गया है, तो ऐसी आय को ब्लॉक पीरियड में सम्मिलित नहीं किया जाता है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

4. छिपी हुई आय (Undiclosed Income) की गणना [धारा 158 BB]

किसी भी व्यक्ति के सम्बन्ध में छिपी हुई आय की गणना करने के लिए पहले ब्लॉक पीरियड में सम्मिलित समस्त गत वर्षों के लिए उसकी कुल आय की गणना के विभिन्न शीर्षकों की कर–योग्य आय की गणना से सम्बन्धित नियमों के आधार पर की जाती है। किन्तु गणना करते समय तलाशी के दौरान अथवा लेखा पुस्तकों या प्रलेखों की मांग के फलस्वरूप पाये गये साक्ष्यों को तथा कर–निर्धारण अधिकारी के पास उपलब्ध अन्य सामग्री या सूचना को भी ध्यान में रखना होता है। इस प्रकार से ज्ञात किए गए कुल आय के योग में से ब्लॉक पीरियड में सम्मिलित प्रत्येक गत वर्ष के सम्बन्ध में प्रकट आय को घटा दिया जाता है तथा प्रकट हानि को उसमें जोड़ दिया जाता है। इन समायोजनों के पश्चात् प्राप्त राशि को उस व्यक्ति की छिपी हुई आय माना जाता है।

ब्लॉक पीरियड में शामिल प्रत्येक गत वर्ष के लिए प्रकट आय अथवा हानि का निर्धारण निम्नांकित प्रकार से किया जाता है–

(i) यदि किसी गर्त वर्ष के सम्बन्ध में कर–निर्धारण धारा 143, 144 या 147 के अन्तर्गत हुआ है तो ऐसे कर– निर्धारण के आधार पर ज्ञात की गई आय अथवा हानि को प्रकट आय अथवा हानि माना जाता है।

(ii) यदि किसी गत वर्ष के सम्बन्ध में धारा 139 या 147 के अन्तर्गत आय की विवरणी प्रस्तुत की जा चुकी है, किन्तु तलाशी या मांग की तिथि तक उस गत वर्ष का कर–निर्धारण नहीं हुआ है, तो ऐसी विवरणी में दर्शायी गई आय अथवा हानि को प्रकट आय या हानि माना जाता है।

(iii) यदि किसी गत वर्ष के सम्बन्ध में आय की विवरणी के प्रस्तुतीकरण की तिथि निकल चुकी है किन्तु विवरणी को प्रस्तुत नहीं किया गया है तो प्रकट आय अथवा हानि की राशि शून्य मानी जाती है।

(iv) यदि कोई गत वर्ष अभी तक समाप्त नहीं नहीं हुआ है अथवा किसी गत वर्ष के सम्बन्ध में धारा 139 (1) के अन्तर्गत आय की विवरणी के प्रस्तुतीकरण की तिथि अभी तक समाप्त नहीं हुई है तो ऐसे गत वर्ष से सम्बन्धित लेखा पुस्तकों एवं अन्य प्रलेखों में तलाशी या मांग की तिथि तक जो प्रविष्टियां की जा चुकी हैं उनके आधार पर ज्ञात की गई आय अथवा हानि को प्रकट आय या हानि माना जाता है।

(v) यदि किसी गत वर्ष के सम्बन्ध में धारा 245 D (4) के अन्तर्गत निपटारे का आदेश जारी हुआ है तो ऐसे आदेश के आधार पर निर्धारित आय या हानि को प्रकट आय या हानि माना जाता है।

(vi) यदि धारा 158 BC के अन्तर्गत पूर्व में कभी छिपी हुई आय का निधार्रण हो चुका है तो उसके आध ाार पर निर्धारित आय को भी प्रकट आय माना जाता है।

किसी भी व्यक्ति के सम्बन्ध में उपर्युक्त विधि से कुल आय की गणना करते समय आगे लाई गई हानियों की पूर्ति के सम्बन्ध में तथा अशोधित ह्रास के सम्बन्ध में कोई समायोजन नहीं किया जाता है; किन्तु धारा 68, 69, 69 A, 69 B तथा 69 C की व्यवस्थाएं लागू होंगी।

5. ब्लॉक निर्धारण (Block assessment) की प्रक्रिया [धारा 158 BC]

जब किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में धारा 132 के अन्तर्गत तलाशी ली गई हो अथवा धारा 132 A के अन्तर्गत लेखा पुस्तकें, प्रलेख, सम्पत्तियां आदि मांग ली गई हों, तो कर–निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति को ऐ नोटिस जारी किया जाता है तथा उसे कम से कम 15 दिन तथा अधिक से अधिक 45 दिन के भीतर आय की विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। ऐसी विवरणी धारा 142 (1) (i) के अन्तर्गत विवरणी की भांति निर्धारित प्रारूप में तथा उसी विधि से प्रमाणित करानी होगी। इस विवरणी में उस व्यक्ति की कुल आय (छिपी हुई आय को शामिल करते हुए) दर्शायी जाती है। इस अध्याय के अन्तर्गत (धारा 158

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

B से 158 BH तक) कार्यवाही के उद्देश्य के लिए धारा 148 के अन्तर्गत कोई नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है। जिस व्यक्ति ने इस वाक्यांश के अन्तर्गत विवरणी प्रस्तुत की है, उसे संशोधित विवरणी प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होता है। इसके पश्चात् कर–निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 158 BB की व्यवस्थाओं के अनुसार ब्लॉक पीरियड के लिए छिपी हुई आय का निर्धारण किया जायेगा तथा निर्धारण आदेश जारी किया जायेगा। ऐसा निर्धारण आदेश उस माह की अंतिम तिथि से एक वर्ष के भीतर जारी हो जाना चाहिए जिस माह में धारा 132 के अन्तर्गत तलाशी के लिए अथवा धारा 132 A के अन्तर्गत मांग के लिए अंतिम प्राधिकार (Authorisation) निष्पादित हुआ था।

6. अन्य नियम (Other Rules)

(i) किसी भी व्यक्ति के सम्बन्ध में ब्लॉक निर्धारण सहायक आयुक्त से निचले स्तर का पदाधिकारी नहीं कर सकता तथा आयुक्त की पूर्वानुमति के बिना भी नहीं किया जा सकता।

(ii) यदि कर–निर्धारण अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि कोई छिपी हुई आय उस व्यक्ति की नहीं है जिसके सम्बन्ध में धारा 132 के अन्तर्गत तलाशी ली गई है अथवा धारा 132 A के अन्तर्गत मांग की गई है तो इस प्रकार से जब्त की गई या मांगी गई लेखा पुस्तकों, प्रलेखों या सम्पत्तियों को उस दूसरे व्यक्ति (जिसकी वास्तव में छिपी हुई आय है) के कर–निर्धारण अधिकारी को सौंप दिया जायेगा तथा ऐसा कर–निर्धारण अधिकारी उस व्यक्ति की छिपी हुई आय का कर–निर्धारण कर देगा।

(iii) 30 जून, 1995 के पश्चात् प्रारम्भ की गई तलाशी की कार्यवाही के सम्बन्ध में धारा 132 (5) की व्यवस्थाएं लागू नहीं मानी जायेगी।

अभ्यास के लिए प्रश्न
(Questions for Exercise)

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न (Very Short Answer Type Questions):
निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 20 शब्दों में दीजिए।
(Answer the following questions in maximum 20 words.)

1. ऐसे व्यष्टि के लिए जिसकी व्यापार अथवा पेशे की आय न हो, आय की विवरणी प्रस्तुत करने की देय तिथि क्या है?
   What is the due date for filing of return of income for an individual who has no income from business or profession?
2. विलम्ब से प्रस्तुत विवरणी का क्या अर्थ है?
   What is a belated return of income?
3. यदि एक व्यष्टि करदाता की कुल आय 'अधिकतम कर–मुक्त राशि' से अधिक हो तो उसे आय का नक्शा अनिवार्य रूप से दाखिल करना होता है। यह 'अधिकतम कर–मुक्त राशि' कितनी है?
   If the total income of an assessee exceeds the 'maximum exempted amount,' he has to file his return of income compulsorily. What is this 'maximum exempted amount'?
4. ऐसे किन्हीं तीन प्रकार के व्यक्तियों का उल्लेख कीजिए जिनको अपनी आय का नक्शा भरना अनिवार्य होता है, चाहे भले ही उनकी आय कुछ भी हो।
   Enumerate any three categories of persons who are required to file their return of income compulsorily, irrespective of quantum of their income.
5. बोर्ड द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में रहने वाले उन व्यक्तियों को जो निर्धारित आर्थिक संकेतों में से कोई एक पूरा करता हो, आय की विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। ऐसे किन्हीं तीन आर्थिक संकेतों का उल्लेख कीजिए।
   Persons living in the areas notified by the Board has to file their return of income compul-

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

sorily if they fulfil any of the prescribed economic standards. Enumerate any three economic standards.

6. यदि कुछ प्रपत्र आय की विवरणी के साथ संलग्न न किये जाये तो विवरणी त्रुटिपूर्ण मानी जाती है। ऐसे तीन प्रपत्रों के नाम लिखिए।
   A return of income is regarded as defective if it is not accompanied by certain documents. State any three such documents.
7. कर–निर्धारण कार्य को पूरा करने की समय सीमा बताइए।
   Enumerate the time limit for completion of an assessment work?
8. किसी आय कर पदाधिकारी द्वारा अपने आदेशों में सुधार कब किया जा सकता है?
   When on order can be rectified by an income-tax authority?
9. एक करदाता को आय का नक्शा कब दाखिल करना होता है?
   When has an assessee to file return of income?
10. स्थायी खाता संख्या क्या है?
   What is permanent account number?

लघूत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer Type Questions):

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए।

(Answer the following questions in maximum 50 words.)

1. आयकर कर की विवरणी भरना किसके लिए आवश्यक है?
   Who is required to file a return of income?
2. कम्पनी और सहकारी समिति के अतिरिक्त अन्य करदाताओं के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने की देय तिथि क्या है?
   What is the due date for filing of a return of income for persons other than companies and co-operative societies?
3. विलम्ब से प्रस्तुत विवरणी किसे कहते हैं?
   What is belated return of income?
4. आय की संशेधित विवरणी किसे कहते हैं?
   What is a revised return of income?
5. आय की विवरणी विलम्ब से प्रस्तुत करने पर करदाता द्वारा कितना ब्याज देय होता है?
   What interest is payable by an assessee for delay in filing a return of income?
6. हानि का विवरण किसे कहते हैं?
   What is return of loss?
7. सर्वोत्तम निर्णय कर–निर्धारण क्या है?
   What is best judgement assessment?
8. किन व्यवहारों में स्थाई खाता संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य है?
   Under what transactions quoting of Permanent Account Number is compulsory?
9. स्वयं कर–निर्धारण क्या है?
   What is self assessment?
10. विभिन्न करदाताओं के लिए आय का विवरण प्रस्तुत करने की देय तिथि क्या है?
   What is due date for furnishing of a return of income for different assessees?

क्रियात्मक प्रश्न (Essay Type Questions):

1. आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत किये जाने वाले नियमित कर–निर्धारण की विधि को संक्षेप में समझाइये।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

Explain in brief the procedure for a regular assessment under the Income Tax Act, 1961?

2. 'सर्वोत्तम निर्णय कर–निर्धारण' क्या है? यह किन परिस्थितियों में किया जा सकता है? ऐसे कर–निर्धारण में परिवर्तन अथवा उसे रद्द करवाने के लिए करदाता के पास कौन से उपाय उपलब्ध हैं?

What is 'best judgement assessment'? In what circumstances can it be made? What are the remedies available to an assessee to get this assessment modified or cancelled?

3. निम्न के सम्बन्ध में आय कर अधिनियम की व्यवस्थाओं को स्पष्ट कीजिए–

अ. धारा 154 के अन्तर्गत त्रुटि सुधार;

ब. धारा 147 के अन्तर्गत पुनः निर्धारण।

Explain the provisions of the Income Tax Act in respect of the following-

a. Rectification of mistake under Section 154;

b. Re-assessment under Section 147.

4. निम्न पर टिप्पणियां लिखिए–

(i) नियमित कर–निर्धारण; (ii) स्वतः कर–निर्धारण;

(iii) त्रुटि सुधार; (iv) सर्वोत्तम निर्णय कर–निर्धारण।

Write short notes on-

(i) Regular assessment; (ii) Self assessment;

(iii) Rectification of mistake; (iv) Best Judgement assessment.

(iii) Rectification of mistake; (iv) Best Judgement assessment.

5. निम्न पर टिप्पणियां लिखिए–

(i) स्वैच्छिक आय का विवरण; (ii) विलम्बित आय का विवरण;

(iii) संशोधित आय का विवरण; (iv) दोषी आय का विवरण।

Write short notes on-

(i) Voluntary Return of Income; (ii) Belated Return of Income;

(iii) Revised Return of Income;

(iv) Defective Return of Income.

6. निम्न पर टिप्पणियां लिखिए–

अ. छिपी हुई आय; ब. ब्लॉक पीरियड;

स. ब्लॉक निर्धारण।

Write short notes on-

a. Undisclosed Income; b. Block period;

c. Block assessment.

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

वर्ग (Section) : E
इकाई (Unit) : 21

अपील एवं पुनर्विचार
(Appeals and Revisions)

परिचय (Introduction)

कर–निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रथम, अपील, आयुक्त (अपील) के यहां की जा सकती है। आयुक्त (अपील) के आदेश से भी यदि करदाता अथवा कर–निर्धारण अधिकारी संतुष्ट न हो, तो इनमें से कोई भी ऐसे आदेश के विरूद्ध अपीलेट न्यायाधिकरण में अपील कर सकता है। करदाता द्वारा न्यायाधिकरण के आदेश के विरूद्ध भी उच्च न्यायालय में तथा उच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्ध भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम माना जायेगा।

आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील
[Appeal before Commissioner (Appeals)]

अपील करने की पहली स्टेज आयुक्त (अपील्स) है। निर्धारण अधिकारी के निर्णय अथवा आदेश के विरूद्ध सर्वप्रथम आयुक्त (अपील्स) के यहां अपील की जा सकती है। कोई करदाता, जैसे–व्यष्टि, हिन्दू अविभाजित परिवार, फर्म एवं कम्पनी आदि करदाता इसके यहां अपील कर सकते हैं। जिन आदेशों के विरूद्ध अपील की जा सकती है उनकी सूची धारा 246 (A) में दी गई है जो निम्न हैं–

(i) धारा 115 VP (3) (ii) के तहत संयुक्त आयुक्त द्वारा 1 अक्टूबर, 2004 को या बाद में पारित आदेश, अथवा करदाता के विरूद्ध कर निर्धारण करने वाला कोई आदेश, यदि करदाता इस अधिनियम के अन्तर्गत कर निर्धारण किये जाने सम्बन्धी दायित्व से इंकार करता है अथवा धारा 143 (1) या (1B) के अन्तर्गत जारी सूचना में किये गये समायोजनों पर आपत्ति करता है अथवा करदाता पर धारा 143 (3) या धारा–144 के अन्तर्गत कर–निर्धारित किया जाता है परन्तु करदाता निर्धारित आय या निर्धारित कर की राशि या निर्धारित हानि की राशि या निवास स्थिति के सम्बन्ध में आपत्ति प्रस्तुत करता है।

(ii) धारा 115WE (3) अथवा धारा 115WF के अन्तर्गत दिया गया आदेश। धारा 115WE (3) फ्रिन्ज लाभों के मूल्य निर्धारित करने के सम्बन्ध में है। धारा 115WF के तहत निर्धारण अधिकारी सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर मूल्य निर्धारित करता है। नियोक्ता करदाता को इन धाराओं में निर्धारित किये गये फ्रिन्ज लाभों के मूल्य के सम्बन्ध में आपत्ति होने पर वह इस धारा के तहत आयुक्त (अपील) को अपील कर सकता है।

(iii) धारा 115WG के अन्तर्गत दिया गया कर निर्धारण सम्बन्धी आदेश अथवा पुनः कर निर्धारण सम्बन्धी आदेश। इस धारा के अन्तर्गत आदेश उस समय दिया जाता है जब नियोक्ता करदाता ने फ्रिन्ज लाभों पर कर बचा लिया हो।

(iv) धारा–147 (विवाद निवारण पैनल के निर्देशानुसार जारी आदेश के अलावा) अथवा धारा–150 के अन्तर्गत कर–निर्धारण, पुनः कर–निर्धारण या पुनः गणना के लिए दिया गया आदेश।

(v) धारा 154 या 155 : कर–निर्धारण में वृद्धि अथवा कर की वापसी में कमी सम्बन्धी आदेश।

(vi) धारा 163 : किसी करदाता को किसी अनिवासी का एजेन्ट मानने का आदेश।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(vii) धारा 170 (2) अथवा धारा 170 (3) : किसी उत्तराधिकारी को पूर्वाधिकारी द्वारा प्राप्त अथवा उपार्जित आय के सम्बन्ध में करदाता मानने का आदेश।

(viii) धारा 171 : हिन्दू अविभाजित परिवार के विभाजन के पश्चात् किये गये कर–निर्धारण का आदेश।

(ix) धारा 201 : करदाता द्वारा उद्‌गम स्थान पर आय कर न काटने अथवा काटकर सरकारी कोष में जमा न कराने पर दोषी करदाता मानने का आदेश।

(x) धारा 206 C (6A) के अन्तर्गत दिये गये आदेश।

(xi) धारा 237 : कर की वापसी के लिये दिया गया आदेश।

(xii) निम्नलिखित धाराओं के अन्तर्गत अर्थदण्ड के आदेश–

(1) धारा 221 : आय कर जमा न कराने पर।

(2) धारा 271 : आय की विवरणी अथवा नक्शा प्रस्तुत न करने, नोटिसों का पालन न करने एवं आय को छिपाने पर।

(3) धारा 271 A : लेखा पुस्तकें एवं प्रपत्र आदि न रखने पर।

(4) धारा 271 F : धारा 139 (1) की मांग के अनुसार आय की विवरणी को प्रस्तुत न करने पर।

(5) धारा 272 AA : धारा 133 B के प्रावधानों की अनुपालना करने में चूक करने पर।

(6) धारा 272 BB : धारा 203 A के प्रावधानों की अनुपालना करने में चूक करने पर।

(7) धारा 273 के अन्तर्गत अग्रिम कर जमा नहीं कराने पर अर्थदण्ड।

(xiii) धारा 158 BC : धारा 132 के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई तलाशी के सम्बन्ध में अथवा धारा 132 A के अन्तर्गत मांगे गये दस्तावेजों, लेखा पुस्तकों या किसी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में जारी किया गया कर–निर्धारण आदेश।

(xiv) धारा 158 BFA (2) : अर्थदण्ड का अधिरोपण करने वाला आदेश।

(xv) धारा 271 B अथवा धारा 271 BB : अर्थदण्ड का अधिरोपण करने वाला आदेश।

(xvi) धारा 271 C, 271 D या 271 E के अन्तर्गत अर्थदण्ड का अधिरोपण करने वाला संयुक्त आयुक्त के द्वारा दिया गया आदेश।

(xvii) धारा 272 A के अन्तर्गत अर्थदण्ड का अधिरोपण करने वाला संयुक्त आयुक्त या संयुक्त निदेशक के द्वारा दिया गया आदेश।

(xviii) धारा 272 AA के अन्तर्गत अर्थदण्ड का अधिरोपण करने वाला संयुक्त आयुक्त के द्वारा दिया गया आदेश।

(xix) अध्याय XXI (धारा 270 से 275 तक) के अन्तर्गत अर्थदण्ड का अधिरोपण करने वाला आदेश।

(xxi) इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत संयुक्त आयुक्त को छोड़कर अन्य किसी कर–निर्धारण अधिकारी द्वारा दिया गया आदेश, जो ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के मामले में हो, जिसे बोर्ड ने मामलों की प्रकृति, उसमें सन्निहित पेचीदगियों तथा अन्य सुसंगत बातों का ध्यान रखते हुए निर्देशित कर दिया है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

2. कर काटने के दायित्व को अस्वीकार करने के बारे में अपील [धारा 248]
(Appeal by Person Denying Liability to Deduct Tax)

यदि किसी समझौते अथवा अन्य व्यवस्था के तहत धारा 195 के अन्तर्गत ब्याज के अलावा अन्य किसी आय में से काटे जाने वाला कर उस व्यक्ति द्वारा वहन किया जायेगा जिस व्यक्ति द्वारा ऐसी आय देय है तथा ऐसा व्यक्ति ऐसे कर को केन्द्रीय सरकार के पास जमा करने के बाद दावा करता है कि ऐसी आय में से कर काटे जाने की आवश्यकता नहीं थी तो वह ऐसी घोषणा किये जाने के लिये कि ऐसी आय में से कोई कर काटे जाने की आवश्यकता नहीं थी, आयकर आयुक्त को अपील कर सकता है।

3. अपील का फार्म एवं समय सीमा (धारा 249)
(Form of Appeal and Time Limit)

(1) प्रत्येक अपील निर्धारित फार्म (फार्म नं. 35) पर तथा निर्धारित तरीके से प्रमाणित करके की जानी चाहिए तथा उसके साथ निम्न प्रकार से शुल्क का भुगतान होना चाहिए–

(a) उस अपील से सम्बन्धित मामले में कर–निर्धारण अधिकारी के द्वारा परिकलित करदाता की कुल आय 1,00,000 रुपये या उससे कम होने पर 250 रुपये।
(b) करदाता की कुल आय 1,00,000 रुपये से अधिक किन्तु 2,00,000 रुपये तक होने पर 500 रुपये।
(c) करदाता की कुल आय 2,00,000 रुपयों से अधिक होने पर 1,000 रुपये।
(d) अन्य मामलों में 250 रुपये।

(2) निम्नलिखित तिथियों से 30 दिन के भीतर ही अपील की जा सकती है–

(i) धारा 248 के अन्तर्गत अपील करने की दशा में आय कर के भुगतान की तिथि; अथवा
(ii) कर–निर्धारण अथवा अर्थदण्ड के सम्बन्ध में सम्बन्धित मांग के नोटिस प्राप्त होने की तिथि; अथवा
(iii) किसी भी अन्य दशा में, उस आदेश की प्राप्ति की तिथि, जिसके विरूद्ध अपील की जानी है।

(3) उपर्युक्त अवधि के पश्चात् भी अपील स्वीकार की जा सकती है, यदि आयुक्त (अपील) विलम्ब के कारणों से संतुष्ट हो।

(4) कोई अपील उस समय तक स्वीकृत नहीं की जा सकती है, जब कि कि अपील प्रस्तुत करने से पूर्व निम्न का भुगतान न कर दिया गया हो।

(i) आय कर की विवरण प्रस्तुत कर देने पर विवरणी में प्रदर्शित आय पर देय कर; अथवा

(ii) आय की विवरणी प्रस्तुत न करने पर देय अग्रिम कर की राशि।

करदाता द्वारा प्रार्थना पत्र देने पर यदि आयुक्त (अपील) उपर्युक्त कर न चुकाने के कारणों से संतुष्ट हो जाता है तो वह कर जमा न होने पर भी उसके द्वारा अपील स्वीकार की जा सकती है परन्तु करदाता को ऐसे कारणों का स्पष्ट उल्लेख लिखित में करना होगा।

4. अपील की विधि [धारा 250]
(Procedure of Appeal)

आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील की सुनवाई के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम महत्त्वपूर्ण हैं–

(1) आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील की सुनवाई हेतु एक तिथि एवं स्थान निर्धारित किया जायेगा तथा उसकी सूचना करदाता एवं सम्बन्धित कर–निर्धारण अधिकारी को दी जायेगी।

(2) निम्नलिखित को अपील के समय उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार है–

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(i) अपीलकर्त्ता अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि।

(ii) कर निर्धारण अधिकारी अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि।

(3) आयुक्त (अपील) द्वारा अपील की सुनवाई समय–समय पर रोकी जा सकती है।

(4) आयुक्त (अपील) पर अंतिम निर्णय देने से पूर्व, जैसा उचित समझे, जांच कर सकता है, अथवा कर–निर्धारण अधिकारी को जांच करने एवं जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश प्रदान कर सकता है।

(5) अपील की सुनवाई के दौरान, आयुक्त (अपील) द्वारा निर्णय के आधारों सहित लिखित में दिया जाना चाहिए।

(6) अपील पर निर्णय का आदेश आयुक्त (अपील) उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष की अवधि के भीतर अपील की सुनवाई करेगा तथा निर्णय लेगा, जिस वित्तीय वर्ष में ऐसी अपील को उसके समक्ष धारा 246 A (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था।

(7) प्रत्येक अपील में, जहां तक संभव हो, आयुक्त (अपील) उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष की अवधि के भीतर अपील की सुनवाई करेगा तथा निर्णय लेगा, जिस वित्तीय वर्ष में ऐसी अपील को उसके समक्ष धारा 246 A (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था।

(8) अपील पर निर्णय के आदेशों की प्रतिलिपि, आयुक्त (अपील) द्वारा करदाता को तथा मुख्य आयुक्त को या आयुक्त को भेजी जायेगी।

5. आयुक्त (अपील) के अधिकार [धारा 251]
[(Powers of the Commissioner (Appeal)]

अपील की सुनवाई के सम्बन्ध में आयुक्त (अपील) को निम्न अधिकार प्राप्त हैं–

(1) कर–निर्धारण को सम्पुष्ट करने, कम करने, बढ़ाने अथवा रद्द करने का अधिकार।
(2) अर्थदण्ड को सम्पुष्ट करने, कम करने, बढ़ाने अथवा रद्द करने का अधिकार।
(3) अन्य दशा में, जैसा वह उचित समझे, निर्णय का अधिकार।

यहां यह उल्लेखनीय है कि अपील की दशा में करदाता के दायित्व में वृद्धि करने का आदेश उसी परिस्थिति में दिया जा सकता है जबकि करदाता को इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान किया जा चुका हो।

अपीलेट न्यायाधिकरण के समक्ष अपील–धारा 253
(Appeals to the Appellate Tribunal)

1. अपील–योग्य आदेश (Appealable Orders)

अपीलेट न्यायाधिकरण के समक्ष अपील करने का अधिकार करदाता को तथा विभाग को, दोनों को प्राप्त है। धारा 253 (1) के अनुसार एक करदाता को निम्नलिखित आदेशों के विरूद्ध अपीलेट न्यायाधिकरण के समक्ष अपील करने का अधिकार है–

(1) उप आयुक्त (अपील) (1 अक्टूबर, 1998 से पूर्व) अथवा आयुक्त (अपील) के द्वारा धारा 154, 250, 271, 271A या 272 A के अन्तर्गत जारी किया गया आदेश।

(2) धारा 158 BC (c) के अन्तर्गत कर–निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किया गया आदेश।

(3) धारा 115 VZC (1) के अन्तर्गत कर–निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किय गया आदेश।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(4) धारा 12 AA या धारा 263 के अन्तर्गत दिए गए आदेश में संशोधन करने वाला आदेश जो आयुक्त द्वारा 154 के अन्तर्गत जारी किया गया है अथवा धारा 272 A के अन्तर्गत मुख्य आयुक्त या महानिदेशक या निदेशक द्वारा जारी किया गया आदेश।

(5) विवाद निवारण पैनल के निर्देश पर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 143 (3) अथवा धारा 147 के अन्तर्गत जारी आदेश अथवा इस आदेश के सम्बन्ध में धारा 154 के अन्तर्गत जारी आदेश।

धारा 154 या 250 के अन्तर्गत उप–आयुक्त (अपील) (1 अक्टूबर, 1998 से पूर्व) या आयुक्त (अपील) के द्वारा किसी आदेश पर यदि आयुक्त को आपत्ति है, तो वह कर–निर्धारण अधिकारी को उस आदेश के विरूद्ध अपीलेट न्यायाधिकरण के समक्ष अपील करने का निर्देश दे सकता है। [धारा 252 (2)]

2. अपील सम्बन्धी कार्यविधि (Procedure regarding Appeal)

धारा 253 (3), (4), (5) एवं (6) के अनुसार अपीलेट न्यायाधिकरण में अपील सम्बन्धी कार्यविधि निम्नलिखित हो सकती है–

(i) जिस आदेश के विरूद्ध अपील की जानी है, वह आदेश करदाता या आयुक्त द्वारा प्राप्त किए जाने की तिथि से 60 दिन के भीतर अपील की जा सकती है। किन्तु यदि धारा 158 BC (c) के अन्तर्गत जारी किए गए आदेश के विरूद्ध अपील की जानी हो तो उस आदेश को प्राप्त किए जाने की तिथि से 30 दिन के भीतर अपील की जा सकती है।

(ii) न्यायाधिकरण द्वारा अपील प्राप्त होने की सूचना– यदि करदाता ने अपील की है तो आयकर आयुक्त को तथा यदि आयकर आयुक्त ने अपील की है तो करदाता को सूचित कर दिया जाता है।

(iii) उपर्युक्त सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर सम्बन्धित पक्ष उप–आयुक्त (अपील) (1 अक्टूबर, 1998 से पूर्व) अथवा आयुक्त (अपील) के आदेश के सम्बन्ध में प्रति–आपत्तियों का ज्ञापन प्रस्तुत कर सकता है। अपीलेट न्यायाधिकरण द्वारा इस ज्ञापन पर भी अपील की भांति ही विचार किया जायेगा। यह स्मरण–पत्र निर्धारित अवधि के पश्चात् भी प्रस्तुत किया जा सकता है; बशर्ते इसे विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारणों से अपीलेट न्यायाधिकरण संतुष्ट हो जाये।

(iv) अपील निर्धारित फार्म संख्या 36 पर एवं निर्धारित विधि से प्रमाणित करके ही प्रस्तुत की जानी चाहिए।

(v) यदि अपील से सम्बन्धित मामले में कर–निर्धारण अधिकारी द्वारा परिकल्पित करदाता की कुल आय 1,00,000 रुपये तक है, तो फीस की राशि 500 रुपये होगी। यदि ऐसी कुल आय 1,00,000 रुपयों से अधिक किन्तु 2,00,000 रुपयों से अधिक न हो, तो फीस की राशि 1,500 रुपये होगी। यदि ऐसी कुल आय 2,00,000 रुपयों से अधिक है, तो फीस की राशि निर्धारित कुल आय के 1 प्रतिशत के बराबर होगी किन्तु अधिकतम 10,000 रुपये होगी। अन्य समस्त मामलों में फीस की राशि 500 रुपये होगी।

किन्तु धारा 253 (2) के अन्तर्गत कर–निर्धारण अधिकारी के द्वारा अपील किए जाने पर अथवा धारा 253 (4) के अन्तर्गत प्रति आपत्तियों का ज्ञापन प्रस्तुत किए जाने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा।

[धारा 253 (6)]

(vi) मांग स्थगन (Stay of demand) के लिए आवेदन के साथ 500 रुपये की फीस देय होगी।

[धारा 253 (7)]

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

अपीलेट न्यायाधिकरण के आदेश [धारा 254]
(Orders of Appellate Tribunal)

1. अपील से सम्बन्धित दोनों पक्षों को सुनने का उचित अवसर देने के पश्चात् न्यायाधिकरण द्वारा जैसा उचित समझा जाये, आदेश दिया जा सकता है।

2. न्यायाधिकरण आदेश देने के 4 वर्ष के भीतर, भूल सुधार के लिए, मूल आदेश में संशोधन कर सकता है। भूल की ओर ध्यान कर–निर्धारण अधिकारी द्वारा अथवा करदाता द्वारा दिलाया जा सकता है। इस संशोधन के परिणामस्वरूप यदि करदाता के दायित्व में वृद्धि होती हो तो करदाता को सुनने का उचित अवसर प्रदान किये बगैर ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता है। इस धारा के अन्तर्गत करदाता द्वारा 1 अक्टूबर, 1998 को या उसके पश्चात् आवेदन किए जाने पर उस आवेदन के साथ 50 रुपये फीस देय होगी।

   प्रत्येक अपील में, जहां हर संभव हो, अपीलेट अधिकरण उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 4 वर्ष की अवधि के भीतर अपील की सुनवाई करेगा तथा निर्णय लेगा, जिस वित्तीय वर्ष में ऐसी अपील धारा 253 (1) या धारा 253 (2) के अन्तर्गत दायर की गई थी। अपील की लागत न्यायाधिकरण के विवेक पर होगी।

   1 जून, 2001 को अथवा इसके पश्चात् यदि अपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा धारा 253 (1) के अन्तर्गत उसके समक्ष की गई अपील के संदर्भ में चल रही किसी कार्यवाही हेतु कोई रोक आदेश (Stay order) जारी किया जाता है तो ऐसा आदेश जारी करने की तिथि से 180 दिन के भीतर इस अपील का निबटारा करना होगा अन्यथा उपर्युक्त रोक आदेश 180 दिन के पश्चात् स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

3. न्यायाधिकरण द्वारा आदेश की प्रतिलिपियां करदाता तथा आयुक्त को भेजी जायेगी।

4. अपील के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कानूनी परेशानी के अभाव में सम्बन्ध में अपीलेट अधिकरण का निर्णय अंतिम जाना जायेगा।

5. धारा 256 अथवा 260 A की व्यवस्थाओं को छोड़कर, अपील के सम्बन्ध में अपीलेट अधिकरण का निर्णय अंतिम माना जायेगा।

अपीलेट अधिकरण की कार्य प्रक्रिया धारा 255 के अनुसार संचालित की जावेगी।

अपील के परिणामस्वरूप कर–निर्धारण में संशोधन–धारा 267
(Amendment of Assessment on Appeal)

धारा 246 या 246 A या 253 के अन्तर्गत किसी अपील के परिणामस्वरूप यदि किसी व्यक्तियों के समुदाय या व्यष्टियों के समूह के कर–निर्धारण में कोई परिवर्तन होता है अथवा नये कर–निर्धारण का आदेश जारी किया जाता है, तो आयुक्त (अपील) या अपीलेट न्यायाधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, उस व्यक्तियों के समुदाय के सदस्य के अथवा व्यष्टियों के संघ के सदस्य के कर–निर्धारण में संशोधन करने के लिए अथवा नया कर–निर्धारण करने के लिए कर–निर्धारण अधिकारी को अधिकृत कर सकता है तथा इसके लिए आदेश जारी कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय को कुछ मामलों में सीधा निर्देश–धारा 257
(Direct Reference to the Supreme Court in Certain Cases)

कानून सम्बन्धी प्रश्नों पर निर्देश के लिए प्रार्थना–पत्र देने पर न्यायाधिकरण के विचार से इन प्रश्नों पर विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों में भिन्नता होने पर, यदि उचित समझे तो सम्बन्धित प्रश्नों का विवरण तैयार करके ऐसे विवरण को इस सम्बन्ध में निर्देश प्राप्त करने हेतु अपने अध्यक्ष के द्वारा सीधा सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जा सकता है।

Jain Vishwa Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

किन्तु ऐसा तभी किया जा सकता है जबकि अपीलीय अधिकरण द्वारा ऐसा आदेश 1 अक्टूबर, 1998 से पूर्व जारी किया गया हो। 1 अक्टूबर, 1998 को या इसके पश्चात् जारी किए गए आदेश के विरूद्ध धारा 260 A के अन्तर्गत उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

उच्च न्यायालय को अपील–धारा 260 A
(Appeal to High Court)

1. अपीलीय अधिकरण के प्रत्येक आदेश के विरूद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, बशर्ते उच्च न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो कि उस मामले में कानून का कोई महत्त्वपूर्ण प्रश्न निहित है।
2. यह अपील उस तिथि से 120 दिन के भीतर प्रस्तुत की जायेगी जिस दिन अपीलकर्त्ता को यह आदेश प्राप्त हुआ था जिसके विरूद्ध अपील की जा रही है। यह अपील करदाता द्वारा अथवा मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा दायर की जा सकती है। अपील के ज्ञापन पत्र में उस मामले में निहित है, तो वह ऐसे प्रश्न को स्पष्ट करेगा।
3. यदि उच्च न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि सिकी मामले में कानून का महत्त्वपूर्ण प्रश्न निहित है, तो वह ऐसे प्रश्न को स्पष्ट करेगा।
4. केवल इस प्रकार से स्पष्ट किये गये प्रश्न पर ही अपील की सुनवाई होगी तथा प्रतिवादी को यह तर्क देने की अनुमति होगी कि उस मामले में ऐसा प्रश्न निहित नहीं है। किन्तु यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो कि उस मामले में कानून का कोई ऐसा महत्त्वपूर्ण प्रश्न भी निहित है जिसका स्पष्टीकरण उसके द्वारा नहीं किया गया है, तो न्यायालय ऐसा किए जाने के कारणों को अभिलिखित करते हुए ऐसे प्रश्न पर भी सुनवाई कर सकता है।
5. उच्च न्यायालय इस प्रकार से स्पष्ट किए गए प्रश्न पर अपना निर्णय देगा जिसमें ऐसे निर्णय के आधार भी बताये जायेंगे तथा वह ऐसी लागत भी निश्चित कर सकता है जिसे वह उचित समझता हो।
6. उच्च न्यायालय कोई भी ऐसा मुद्दा तय कर सकता है जिसे अपीलीय अधिकरण द्वारा तय नहीं किया गया है अथवा जिसे अनुचित तरीके से तय किया गया है।

   ऐसी अपील पर सुनवाई उच्च न्यायालय के कम से कम दो सदस्यों की पीठ द्वारा की जायेगी तथा बहुमत के आधार पर निर्णय होगा। बहुमत न होने पर न्यायाधीश के उस बिन्दु का उल्लेख करेंगे जिस पर उनमें मतभेद है तथा फिर एक या अधिक अन्य न्यायाधीशों को उस पीठ में शामिल करके उस प्रश्न पर बहुमत से निर्णय लिया जायेगा। [धारा 260 B]
7. ''सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (Civil Procedure Code, 1908)'' की ऐसी व्यवस्थाएं, जो उच्च न्यायालय को की गई अपील से सम्बन्धित हैं, यथासंभव इस धारा के अन्तर्गत की गई अपील के सम्बन्ध में भी ठीक उसी प्रकार लागू होंगी।

सर्वोच्च न्यायालय में अपील–धारा 261 एवं 262
(Appeals to the Supreme Court)

उच्च न्यायालय को निर्देश के लिए प्रेषित विवरण अथवा अपील पर दिये गये निर्णय से करदाता अथवा आयुक्त के संतुष्ट न होने पर, सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, बशर्ते उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रमाण दे दिया गया हो कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने योग्य है। यदि ऐसी अपील के परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय के निर्णय में परिवर्तन हो जाता है तो अपीलेट न्यायाधिकरण को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अपने पूर्व आदेश में उचित संशोधन करना होगा।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

आयुक्त के द्वारा पुनर्विचार
(Revision by Commissioner)

1. राजस्व के लिए अहितकर आदेशों पर पुनर्विचार [धारा 263]
(Revision of Order Prejudicial to Revenue)

विभाग को किसी कर–निर्धारण अधिकारी द्वारा दिये गये आदेशों के विरूद्ध उप–आयुक्त (अपील) (1 अक्टूबर, 1998 से पूर्व) के समक्ष अपील करने का कोई अधिकार नहीं है, किन्तु आयुक्त ऐसे आदेशों पर पुनर्विचार कर सकता है। इस उद्देश्य के लिए कर–निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किये गये आदेशों में निम्नलिखित आदेश भी सम्मिलित हैं–

अ. धारा 144 A के अन्तर्गत संयुक्त आयुक्त के द्वारा दिये गये निर्देश के आधार पर एक सहायक आयुक्त या उप–आयुक्त (1 अक्टूबर, 1998 से पूर्व) या आयकर अधिकारी के द्वारा जारी किया गया निर्धारण आदेश।

ब. धारा 120 के अन्तर्गत यदि बोर्ड ने या मुख्य आयुक्त ने या महानिदेशक ने या बोर्ड द्वारा अधिकृत होने पर आयुक्त ने किसी संयुक्त–आयुक्त को कर निर्धारण अधिकारी का कार्य करने के लिए निर्देश दिए हैं तो ऐसे संयुक्त–आयुक्त के द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए जारी किया गया आदेश।

अतः किसी कर–निर्धारण अधिकारी द्वारा दिया गया आदेश यदि आच कर आयुक्त की दृष्टि में राजस्व के हितों के विरूद्ध हो तो वह ऐसे आदेश पर पुनर्विचार कर सकता है। पुनर्विचार के आदेश प्रसारित करने से पूर्व आयुक्त द्वारा करदाता को अपनी बात कहने का पूरा अवसर प्रदान किया जायेगा। पुनर्विचार की कार्यवाही के अन्तर्गत आय कर आयुक्त कर–निर्धारण को बढ़ाने, संशोधन करने, रद्द करने तथा नया कर–निर्धारण करने के लिए जैसा उचित समझे, आदेश जारी कर सकता है। परन्तु जिस वित्तीय वर्ष में पुनर्विचार किया जाने वाला आदेश दिया गया हो ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष की अवधि ा के बाद पुनर्विचार का कोई भी आदेश जारी नहीं किया जा सकता।

यह उल्लेखनीय होगा कि आय कर आयुक्त द्वारा पुनर्विचार के फलस्वरूप दिये गये आदेशों से करदाता यदि संतुष्ट न हो तो ऐसे आदेश प्राप्त होने की तिथि से 60 दिन के भीतर उसके द्वारा अपीलेट न्यायाधिकरण में अपील की जा सकती है।

2. अन्य आदेशों पर पुनर्विचार [धारा 264]
(Revision of Other Orders)

उपर्युक्त वर्णित आदेशों के अतिरिक्त अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा दिये गये अन्य आदेशों पर आय कर आयुक्त, स्वयं अथवा करदाता द्वारा प्रार्थना–पत्र दिए जाने पर, पुनर्विचार कर सकता है। इस कार्य के अन्तर्गत वह आवश्यक जांच–पड़ताल के पश्चात् उचित आदेश जारी कर सकता है, किन्तु ऐसे आदेश पर पुनर्विचार नहीं किया जा सकता जो एक वर्ष से अधिक पुराना हो चुका हो। करदाता द्वारा भी पुनर्विचार के लिए प्रार्थना–पत्र सम्बन्धित आदेश के प्राप्त होने के एक वर्ष के भीतर ही प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए। 1 जून, 2001 से प्रार्थना–पत्र के साथ करदाता को 500 रुपये शुल्क के जमा कराने होंगे।

1 अक्टूबर, 1998 को या उसके पश्चात् करदाता के द्वारा दिए गए आवेदन पर आयुक्त द्वारा पुनर्विचार आदेश उस वित्तीर्य वर्ष की अंतिम तिथि के भीतर जारी कर दिया जायेगा, जिस वित्तीय वर्ष में करदाता ने पुनर्विचार हेतु आवेदन दिया था। इस समय सीमा की गणना करते समय उसमें वह अवधि सम्मिलित नहीं की जायेगी जो धारा 129 के अन्तर्गत करदाता को पुनः सुनवाई का अवसर देने में लगा है अथवा जिस अवधि के दौरान इस धारा के अन्तर्गत कोई कार्यवाही किसी कोर्ट के आदेश या स्थगन आदेश से रूकी रही है। [धारा 264 (6)]

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

अपीलीय अधिकरण, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के किसी आदेश में दिए गये निर्देश या निष्कर्ष के परिणामस्वरूप अथवा उसे प्रभावी बनाने के लिए पुनरीक्षण आदेश पर उपर्युक्त समय सीमा लागू नहीं मानी जावेगी।

3. आयुक्त के द्वारा पुनर्विचार के अयोग्य आदेश [धारा 264 (4)]
(Order not eligible for Revision by the Commissioner)

निम्नलिखित परिस्थितियों में आयुक्त को इस धारा के अन्तर्गत पुनर्विचार का अधिकार नहीं है–

(i) यदि कोई आदेश संयुक्त आयुक्त (अपील) अथवा आयुक्त (अपील) अथवा अपीलेट न्यायाधिकरण के समक्ष अपील करने योग्य हो किन्तु अपील नहीं की गई हो और अपील करने की अवधि भी समाप्त न हुई हो।

(ii) यदि कोई आदेश आयुक्त (अपील) अथवा अपीलेट न्यायाधिकरण के समक्ष अपील करने योग्य हो किन्तु अपील नहीं की गई हो और करदाता ने अपील करने के अपने अधिकार का त्याग भी न किया हो।

(iii) यदि कोई आदेश संयुक्त–आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील के अन्तर्गत विचाराधीन हो।

(iv) यदि आदेश के विरूद्ध आयुक्त (अपील) अथवा अपीलेट न्यायाधिकरण के समक्ष अपील की जा चुकी हो।

अभ्यास के लिए प्रश्न
(Questions for Exercise)

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न (Very Short Answer Type Questions):

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 20 शब्दों में दीजिए।
(Answer the following questions in maximum 20 words.)

1. उच्च न्यायालय को अपील करने की समय सीमा क्या है?
   What is the time limit for filing an appeal to High Court?

2. अपीलेट ट्रिब्यूनल को अपील करने की निर्धारित समय सीमा बतलाइए।
   Mention the prescribed time limit for filing an appeal with the Appellate Tribunal.

3. आयुक्त (अपील) को अपील करने की निर्धारित समय सीमा क्या है?
   What is the prescribed time limit for filing an appeal with the Commissioner (Appeals)?

लघूत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer Type Questions):

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए।
(Answer the following questions in maximum 50 words.)

1. करदाता द्वारा अपीलेट ट्रिब्यूनल को अपील करने पर कितना शुल्क देय होता है?
   How much fees is payable by an assessee on filing an appeal with the Appellate Tribunal?

2. करदाता द्वारा आयुक्त (अपील) को अपील करने पर दिया जाने वाला शुल्क बताइये।
   Mention the fees payable by the assessee on filing an appeal with the commissioners (Appeals).

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

क्रियात्मक प्रश्न (Essay Type Questions):

1. आयुक्त (अपील) के समक्ष किन आदेशों के विरूद्ध अपील की जा सकती है? ऐसी अपील के सम्बन्ध में आयुक्त (अपील) के अधिकारों को स्पष्ट कीजिए।

   Against what orders can an appeal be filed with the commissioner (Appeal)? Explain the powers of the commissioners (Appeal) in relation to such an appeal.

2. आयकर आयुक्त को पुनर्विचार सम्बन्धी कौन–कौन से अधिकार प्रदान किये गये हैं?
   Which powers of revision have been given to the Income Tax Commissioner?

3. कैसे और किन परिस्थितियों में आयकर आयुक्त द्वारा मामलों पर पुनर्विचार किया जा सकता है? आयुक्त द्वारा पुनर्विचार से सम्बन्धित आय कर अधिनियम के प्रावधानों का वर्णन कीजिए।

   How and under what circumstances can Commissioner of Income Tax revise cases? Describe the provisions of the Income Tax Act regarding revision by the Commissioner.

4. अपीलेट न्यायाधिकरण प्रस्तुत अपील के सम्बन्ध में जो प्रक्रिया अपनाता है, उसका वर्णन कीजिए।

   Describe briefly the procedure followed by the Appellate Tribunal in relation to an appeal filed before it.

5. ''जहां तक तथ्यों के प्रश्नों का सम्बन्ध है, अपीलेट न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होता है।'' क्या आप इस कथन से सहमत हैं? न्यायाधिकरण के आदेश के विरूद्ध किसी करदाता के पास क्या उपचार उपलब्ध है?

   "The verdict of the Appellate Tribunal is final so far as the question of facts are concerned." Do you agree with the statement? What are the remedies available to an assessee against the order of the Tribunal?

6. आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील की कार्यविधि का संक्षेप में वर्णन कीजिये।
   Describe briefly the procedure of an appeal to the Commissioner (Appeal).

7. उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय को किस प्रकार एवं किन परिस्थितियों में अपील की जा सकती है?

   How and under what circumstances can an appeal be made to the High Court and the Supreme Court?

8. आय कर अधिनियम में आयुक्त द्वारा पुनर्विचार के क्या अधिकार हैं औ इसकी क्या सीमाएं हैं? क्या आयुक्त द्वारा पुनर्विचार के अन्तर्गत जारी किये गये आदेशों के विरूद्ध कोई अपील की जा सकती है?

   What are the revisionary powers of the Commissioner under the Income Tax Act and what are their limitations? Does any appeal lie against an order passed in revision by the Commissioner?

9. निम्न पर टिप्पणियां लिखिए Write short notes on–

(i) आयुक्त (अपील) [Commissioner (Appeal)]
(ii) अपीलेट न्यायाधिकरण [Appellate Tribunal]
(iii) उच्च न्यायालय को निर्देश के लिए भेजना [Reference to High Court]
(iv) सर्वोच्च न्यायालय में अपील [Appeal to the Supreme Court]
(v) आयुक्त द्वारा पुनर्विचार। [Revision by the Commissioner]

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun